

पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों
की तादाद में प्रकाशित होकर कुरआनी उलूम को
देशभार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मआरिफ़ुल कुरआन

5

तफ़सीर

इज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी देवबन्दी रह॥

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)



पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में
प्रकाशित होकर कुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक
पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मआरिफ़ुल-कुरआन

जिल्द (5)

उर्दू तफ़सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

रीडर अल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुजफ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

तफ़सीर मअारिफ़ुल-कुरआन

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अलीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (5) सूर: यूसुफ़ ——— सूर: कहफ़

(पारा 12, रुकूअ 11 से पारा 16 रुकूअ 3 तक)

30 जून 2013

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَأَسْرَمْنَا بِهَا الْمَدِينَةَ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِيهَا
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ جَاهِلٌ بِمَا يُعْمَلُ

WA'A TASIMOO BIHAB LILLAAHI JAMEE'-AN WA I.AA TAFARRAQOO

समर्पित

● अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आलम, आखिरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम, जिनका एक-एक कौल व अमल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अमली तफ़सीर था।

● दारुल-उलूम देवबन्द के नाम, जो कुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और कुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

● उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक़ के पैग़ाम को कुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



दिल की गहराईयों से शुक्रिया

● मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ साहिब (मालिक फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, कद्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब क़ुरआन मजीद की यह अहम ख़िदमत अन्जाम पा सकी।

● मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ़्सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात का, अल्लाह तआला इन सब हज़रात को अपनी तरफ़ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फ़रमाये। आमीन या रब्बल्-अलमीन।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



प्रकाशक के क़लम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।

अल्लहु लिल्लाह हमारे इदारे से क़ुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शायी हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फ़न के अन्दर जिस क़द्र किताबें फ़रीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ़रीद बुक डिपो के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फ़रीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शायी हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ्सीरी क़ुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफ्सीर मज़ारिफ़ुल-क़ुरआन से है। इस तफ्सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफ्सीर मानी जाती है।

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी ने फ़रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी के इस्लाही ख़ुतबात की 15 जिल्दें और तफ्सीर तौज़ीहुल-क़ुरआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तक़िल की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने कुबूल कर लिया और अब अल्लहु लिल्लाह यह शानदार तफ्सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में क़ुरआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आम करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को कुबूल फ़रमाये और हमारे लिये इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

खादिम-ए-क़ुरआन

मुहम्मद नासिर ख़ान

मैनेजिंग डायरेक्टर, फ़रीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمعين.
برحمتك يا ارحم الراحمين.

तमाम तारीफों की असल हकदार अल्लाह तआला की पाक ज्ञात है जो तमाम जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरुद व सलाम हों उस ज्ञाते पाक पर जो अल्लाह तआला की तमाम मख्लूक में सब से बेहतर है, यानी हमारे आका व सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फज़ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और खिदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज्ञात तमाम ख़ूबियों, कमालात, तारीफों और बन्दगी की हकदार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने हकीमुल-उम्मत हजरत मौलाना अशरफ़ अज़ली थानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफी मकबूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफसीर इब्ने कसीर मुकम्मल हिन्दी भाषा में पेश करने की सआदत नसीब हुई, जो रमज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आग़म पर आ चुकी है। इसके अलावा फ़रीद बुक डिपो ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर अल्लिम शैख़ुल-इस्लाम हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की मुख़्तसर तफसीर तौज़ीहुल-कुरआन शाय़ा होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मकबूलियत कुरआनी तफसीरों में तफसीर मआरिफुल-कुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफसीर उस मक़ाम तक पहुँची हो। यह तफसीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तक़रीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफसीर इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महादीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब देवबन्दी (मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफसीर कुरआनी तफसीरों में एक बड़ा कीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूम और कुरआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारात का मफहूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारात को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहदिक़कीन ने इस तर्जुमे को इल्हामी तर्जुमा करार

दिया है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ्ज़ बदला गया या ब्रकित के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फ़ारसी के शेरों का मफहूम अगर मुसन्निफ़ की इबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अशज़ार को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अरबी, फ़ारसी शेरों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौकों पर अहकर ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में गलती हुई हो तो उसकी निस्बत साहिबे तफसीर की तरफ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कोताही गरदाना जाये।

हल्ले लुगात और क़िराअतों का इस्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफसीर पर निगाह न रखने वाले, क़िराअतों के फ़न से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाक़िफ़ शख्स एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफसीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफसीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर खुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौका तो है कि किसी आलिम से सबकन् सबकन् इस तफसीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफसीरों भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आती बल्कि बहुत सी जगह किसी आलिम से रज़ू करके पेश आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफसीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफसीर के ज़रिये उन्हें कुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौका तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी मोतबर आलिम से मालूम कर लें और इस तफसीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफसीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौके से भी मेहरूम थे।

फ़रीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौका मिला है। इदारे के संस्थापक जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल-हाज़ मुहम्मद नासिर ख़ाँ तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत मौलाना क़ारी मुहम्मद तैयब साहिब मोहतमिम दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा “मालूमात का समन्दर” और “तजक़िरा अल्लामा मुहम्मद इब्नाहीम बलियावी” वगैरह किताबें भी यहीं से शायी हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफसीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमूई तौर पर मजमून का मफहूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ्ज़ या

किसी जगह का कोई मजमून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी अलिम से मालूम कर लेना चाहिये।

तफसीर की यह पाँचवीं जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआला बाकी की जिल्दें भी बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश की जायेंगी। इस तफसीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया गया है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक़्त हो सकता है जबकि उर्दू तफसीर को सामने रखकर मुकाबला किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी है। अल्लाह तआला हमारी इस मेहनत को कुबूल फ़रमाये और अपने बन्दों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये आमीन।

इस तफसीर से फ़ायदा उठाने वालों से आजिज़ी और विनम्रता के साथ दरखास्त है कि वे मुज़ नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ फ़रमायें। अल्लाह करीम इस खिदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही आजिज़ी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़ करते हुए यह अर्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआला की ज़ात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फ़ीसद यकीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज़ अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (कुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की निस्वत और मेरे असातिज़ा हज़रत की मेहनत का फल है, मुज़ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो गुलती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यकीनन मेरी कम-इल्मी और नाक़िस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रत से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मशिवरों और नज़र में आने वाली गुलतियों व कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा सके। वस्सलाम

(पहली जिल्द प्रकाशित होकर मुल्क में फैली तो अल्हम्दु लिल्लाह उसे कद्र व पसन्दीदगी की निगाह से देखा गया। मुज़ नाचीज़ का दिल बेहद खुश हुआ कि मुल्क के कई शहरों से मुझे फ़ोन करके मेरी इस मेहनत को सराहा गया और मुबारकवाद दी गयी। मैं उन सभी हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुज़ गुनाहगार को अपने कलाम की एक अदना खिदमत करने की तौफ़ीक़ बख़्शी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसी करीम का एहसान व तौफ़ीक़ है।)

तालिबे दुआ

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

30 जून 2013

फ़ोन:- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com

एक अहम बात

कुरआन मजीद के मतन को अरबी के अलावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलखत (लिपि) में बदलने पर अक्सर उलेमा की राय इसके विरोध में है। कुछ उलेमा का ख्याल है कि इस तरह करने से कुरआन मजीद के हफ़ों की अदायगी में तहरीफ़ (कमी-बेशी और रद्दोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गईं वैसे ही खुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो खैर नामुम्किन है, इसकी हिफ़ाज़त का वायदा अल्लाह तआला ने खुद किया है और करोड़ों हाफ़िज़ों को कुरआन मजीद मुँह-ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (इस तफ़सीर का हिन्दी अनुवादक) अर्ज़ करता है कि हकीकत यह है कि अरबी रस्मुलखत के अलावा दूसरी किसी भी भाषा में कुरआन मजीद को क़तई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हफ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अरबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो 'मख़रिजे हुरूफ़' यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीका, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अरबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अरबी मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझें कि वह आपके अन्दर अरबी कुरआन पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अरबी ही पढ़िये और उसी को सीखिये। वरना हो सकता है कि किसी जगह ग़लत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अज़ाब के हक़दार न बन जायें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफ़सीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मक़ामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और कीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मक़ाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आलिम से मालूम कर लें। तफ़सीर पढ़ने के लिये यक्सूई और इल्मीनान का एक वक़्त मुक़रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस कीमती

ख़ज़ाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज़ किये देता हूँ कि असल मतन को अरबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी कद्र हक़ अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिके कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक़्त और पैसा भी खर्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आख़िरत का आलम सामने होगा और कुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र खर्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी कीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुकर्रर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ



पाव



आधा



तीन पाव



सज्दा



मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर उ. प्र.)



बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम पेश-लफ्ज़

वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब मह ज़िल्लुहुम की तफसीर 'मआरिफुल-कुरआन' को अल्लाह तआला ने अ़वाम व ख्वास में असाधारण मकबूलियत अता फरमाई, और जिल्दे अब्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के वक़्त हज़रत मुसन्निफ मह ज़िल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तरमीम व इज़ाफ़ा अमल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक़्त पहली जिल्द के शुरू में कुरआनी उलूम और उसूले तफसीर से मुताल्लिक एक मुख्तसर मुक़दिमा भी तहरीर फरमायें, ताकि तफसीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हज़रत उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमजोरी की बिना पर हज़रत के लिये बज़ाते खुद मुक़दिमे का लिखना और तैयार करना मुशिकल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह जिम्मेदारी अहकर के सुपुर्द फरमाई।

अहकर ने हुकम के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त क़रने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुक़दिमा बहुत लम्बा हो गया, और कुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुफ़स्सल किताब की सूत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफुल-कुरआन' के शुरू में बतौर मुक़दिमा शामिल करना मुशिकल था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफ़स्सल किताब का खुलासा तैयार किया और सिर्फ़ वे चीज़ें बाकी रखीं जिनका मुताला तफसीर मआरिफुल-कुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह खुलासा 'मआरिफुल-कुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफ़े और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आखिरत का ज़ख़ीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफसीली इल्मी मबाहिस् (बहसें) अहकर की उस विस्तृत और तफसीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तकिल किताब की सूत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-कुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हज़रत तहकीक और तफसील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ़ रूजू फरमायें। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।

अहकर

मुहम्मद तकी उस्मानि

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अव्वल 1394 हिजरी

खुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह

“मज़ारिफ़ुल-कुरआन” में खुलासा-ए-तफ़सीर सय्यिदी हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी कुद्दिस सिरुहू की तफ़सीर “बयानुल-कुरआन” से जूँ-का-तूँ लिया गया है। लेकिन उसके कुछ मौकों में ख़ालिस इल्मी इस्तिलाहात आई हैं जिनका समझना अ़वाम के लिये मुश्किल है, नाचीज़ ने अ़वाम की रियायत करते हुए ऐसे अलफ़ाज़ को आसान करके लिख दिया है, और जो मज़मून ख़ालिस इल्मी था उसको “मज़ारिफ़ व मसाईल” के उनवान में लेकर आसान अन्दाज़ में लिख दिया है। वल्लाहुल्-मुस्तज़ान।

बन्दा मुहम्मद शफ़ी

मुख्तसर विषय-सूची

मअरिफुल-कुरआन जिल्द नम्बर (5)

मज़मून	पेज
⊛ समर्पित	5
⊛ दिल की गहराईयों से शुक्रिया	6
⊛ प्रकाशक के क़लम से	7
⊛ अनुवादक की ओर से	8
⊛ एक अहम बात	11
⊛ पेश-लफ़्ज़	13
⊛ खुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह	14
सूर: यूसुफ़	
⊛ आयत नम्बर 1-6 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	37
⊛ मअरिफ़ व मसाईल	38
⊛ तारीख़ व वाकिआत बयान करने में कुरआन का खास अन्दाज़	38
⊛ सपने की हकीकत व दर्जा और उसकी किस्में	40
⊛ ख़्वाब के नुबुव्वत का हिस्सा होने के मायने और इसकी यज़ाहत	42
⊛ क़ादियानी दज्जाल के एक मुग़ालते की तरदीद	43
⊛ कभी काफ़िर व बदकार आदमी का सपना भी सच्चा हो सकता है	43
⊛ ख़्वाब को हर शख्स से बयान करना दुरुस्त नहीं	44
⊛ ख़्वाब के अपनी ताबीर के ताबे होने का मतलब	45
⊛ यूसुफ़ अलैहि. के ख़्वाब से मुताल्लिक़ अहम मसाईल	46
⊛ आयत नम्बर 7-20 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	49
⊛ मअरिफ़ व मसाईल	51
⊛ नबी करीम सन्न. से यहूदियों के बतलाये हुए चन्द सवालाल	51
⊛ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई नबी नहीं थे, मगर उनकी ख़तायें माफ़ हो गयीं	54
⊛ जन कन्याण और आपसी सहयोग का इस्लामी उसूल	55
⊛ जायज़ तफ़रीहों और खेलकूद की इजाज़त	56
⊛ तफ़रीह के लिये जाने का तफ़सीली वाकिआ	56

मज़मून

पेज

★ बचपन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वही की हकीकत	58
★ मिस्र पहुँचने पर भी वालिद को अपने हालात की इत्तिला न देने बल्कि छुपाने के एहतियाम की हिक्मत	59
★ दौड़ और घुड़दौड़ का शरई हुक्म	60
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की चन्द करामात	60
★ जिस चीज़ को आ़म उर्फ़ में इत्तिफ़ाकी मामला कहा जाता है वह भी तफ़दीर के खुफ़िया असबाब से जुड़ा होता है	61
★ आयत नम्बर 21-23 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	65
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	66
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मिस्र पहुँचना और तफ़दीरी इन्तिज़ामात	66
★ गुनाह से बचने का मज़बूत ज़रिया खुद अल्लाह से पनाह माँगना है	69
★ आयत नम्बर 24 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	70
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	71
★ ग़ैरुल्लाह को रब कहना	71
★ जुलैखा का वाकिआ और पैग़म्बराना सुरक्षा का तफ़सीली वाकिआ और शुक़्ात का जवाब	71
★ आयत नम्बर 25-29 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	76
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	77
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत का तफ़दीरी इन्तिज़ाम	77
★ उक्त वाकिए से हासिल होने वाले अहम मसाईल	79
★ आयत नम्बर 30-35 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	84
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	85
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ़ रुजू होना	87
★ आयत नम्बर 36-42 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	90
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	91
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में इब्दतें और हिदायतें	91
★ एक अज़ीब फ़ायदा	92
★ पैग़म्बराना शफ़क़त की अज़ीब मिसाल	94
★ अहकाम व मसाईल	95
★ आयत नम्बर 43-50 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	98
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	100

मजमून	पेज
★ ख्वाब की ताबीर के मुताल्लिक़ तहकीक़	101
★ आयत नम्बर 51-52 मय खुलासा-ए-तफसीर	104
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	105
पारा (13) व मा उबर्रिउ	108
★ आयत नम्बर 53-57 मय खुलासा-ए-तफसीर	109
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	110
★ अपनी पाकबाज़ी बयान करना दुरुस्त नहीं, मगर ख़ास हालात में	110
★ इनसानी नफ़्स की तीन हालतें	111
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाही दरबार में	113
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जुलैख़ा का निकाह	115
★ ज़िक्र हुए वाक़िए से हासिल होने वाले अहक़ाम व मसाईल	115
★ हुकूमत का कोई पद खुद तलब करना जायज़ नहीं, मगर चन्द शर्तों के साथ इजाज़त है	116
★ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ओहदा तलब करना ख़ास हिक्मत पर आधारित था	116
★ क्या किसी काफ़िर हुकूमत में ओहदा कुबूल करना जायज़ है?	117
★ आयत नम्बर 58-62 मय खुलासा-ए-तफसीर	120
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	122
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाही तख़्त पर और ख़ुराकी इन्तिज़ामात	122
★ हुकूमत का ग़िज़ा व ख़ुराक पर कन्ट्रोल	122
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने हालात से वालिद को इत्तिला न देना	125
★ अल्लाह के हुक्म से था	125
★ आयत नम्बर 63-66 मय खुलासा-ए-तफसीर	127
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	128
★ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों की मिस्र से वापसी	128
★ संबन्धित हिदायात व मसाईल	130
★ औलाद से गुनाह व ख़ता हो जाये तो ताल्लुक़ तोड़ने के बजाय उनके सुधार की फ़िक्र करनी चाहिये	130
★ आयत नम्बर 67-69 मय खुलासा-ए-तफसीर	133
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	134
★ बुरी नज़र का असर होना हक़ है	135
★ अहक़ाम व मसाईल	138

मज़मून	पेज
★ आयत नम्बर 70-76 मय खुलासा-ए-तफसीर	140
★ मआरिफ व मसाईल	141
★ यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से भाईयों पर झूठे इल्ज़ाम वगैरह का राज	141
★ अहकाम व मसाईल	145
★ आयत नम्बर 77-82 मय खुलासा-ए-तफसीर	147
★ मआरिफ व मसाईल	149
★ यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी के इल्ज़ाम की हकीकत	149
★ चन्द संबन्धित मसाईल	152
★ आयत नम्बर 83-87 मय खुलासा-ए-तफसीर	154
★ मआरिफ व मसाईल	155
★ हज़रत याकूब अलैहि. के साथ हद से ज्यादा मुहब्बत क्यों थी?	156
★ अहकाम व मसाईल	159
★ आयत नम्बर 88-92 मय खुलासा-ए-तफसीर	161
★ मआरिफ व मसाईल	162
★ याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त अज़ीजे मिस्र के नाम	163
★ अहकाम व हिदायतें	165
★ सन्न व परहेज़गारी हर मुसीबत का इलाज है	166
★ आयत नम्बर 93-100 मय खुलासा-ए-तफसीर	168
★ मआरिफ व मसाईल	170
★ यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की विशेषतायें	170
★ अहकाम व मसाईल	174
★ जुदाई के ज़माने में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सन्न व शुक्र	175
★ आयत नम्बर 101 मय खुलासा-ए-तफसीर	177
★ मआरिफ व मसाईल	177
★ माँ-बाप से इज़हार हाल के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ व इल्तिजा पर	
किस्से का समापन	177
★ हिदायतें व अहकाम	179
★ आयत नम्बर 102-109 मय खुलासा-ए-तफसीर	182
★ मआरिफ व मसाईल	183
★ अहकाम व हिदायतें	187
★ ग़ैब की ख़बर देने और ग़ैब के इल्म में फ़र्क	187

मजमून	पेज
कोई औरत रसूल व नबी नहीं हुई	188
आयत नम्बर 110-111 मय खुलासा-ए-तफसीर	189
मज़ारिफ़ व मसाईल	190
सूर: रज़द	
आयत नम्बर 1-4 मय खुलासा-ए-तफसीर	197
मज़ारिफ़ व मसाईल	198
रसूल की हदीस भी कुरआन की तरह अल्लाह की वही है	198
क्या आसमान का जिर्म (जिस्म) आँखों से नज़र आता है?	200
हर चीज़ की तदबीर दर हकीकत अल्लाह तआला ही का काम है, इनसानी तदबीर नाम के लिये है	201
आयत नम्बर 5-8 मय खुलासा-ए-तफसीर	205
मज़ारिफ़ व मसाईल	206
मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का सुबूत	206
क्या हर कौम और हर मुल्क में नबी आना ज़रूरी है?	209
आयत नम्बर 9-15 मय खुलासा-ए-तफसीर	212
मज़ारिफ़ व मसाईल	214
इनसान के मुहाफिज़ फ़रिश्ते	214
आयत नम्बर 16-17 मय खुलासा-ए-तफसीर	220
मज़ारिफ़ व मसाईल	221
आयत नम्बर 18-24 मय खुलासा-ए-तफसीर	222
मज़ारिफ़ व मसाईल	223
अल्लाह वालों की ख़ास सिफ़ात	223
आयत नम्बर 25-30 मय खुलासा-ए-तफसीर	229
मज़ारिफ़ व मसाईल	231
अहक़ाम व हिदायतें	232
आयत नम्बर 31-33 मय खुलासा-ए-तफसीर	237
मज़ारिफ़ व मसाईल	239
एक बस्ती पर अज़ाब क़रीबी बस्तियों के लिये चेतावनी होती है	242
आयत नम्बर 34-37 मय खुलासा-ए-तफसीर	244
आयत नम्बर 38-43 मय खुलासा-ए-तफसीर	247

मज़मून	पेज
* मअरिफ़ व मसाईल	249
* नबी व रसूल उमूमन बीवी बच्चों वाले हुए हैं	249
* तकदरे मुबम व तकदीरे मुअल्लक	250
सूर: इब्राहीम	
* आयत नम्बर 1-3 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	257
* मअरिफ़ व मसाईल	257
* सूरत और इसके मज़ामीन	257
* हिदायत सिर्फ़ खुदा का फ़ैल है	258
* अहकाम व हिदायतें	259
* कुरआने करीम की तिलावत भी मुस्तक़िल मक़सद है	259
* मज़मून का खुलासा	261
* कुरआन समझने में कुछ ग़लतियों की निशानदेही	261
* अहकाम व मसाईल	262
* आयत नम्बर 4 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	263
* मअरिफ़ व मसाईल	263
* हर रसूल का अपनी क़ौम की भाषा के साथ आना	263
* कुरआने करीम अरबी भाषा में क्यों है?	265
* अरबी भाषा की विशेषता और ख़ूबी	266
* आयत नम्बर 5-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	269
* मअरिफ़ व मसाईल	270
* एक नुक्ता	271
* अय्यामुल्लाह	271
* सब्र के कुछ फ़ज़ाईल	272
* शुक्र और नाशुक्री के नतीजे	273
* आयत नम्बर 9-15 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	277
* आयत नम्बर 16-17 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	280
* आयत नम्बर 18-22 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	282
* आयत नम्बर 23-25 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	285
* आयत नम्बर 26-29 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	286
* मअरिफ़ व मसाईल	287

मज़मून	पेज
★ शजरा-ए-तय्यिबा से क्या मुराद है	288
★ काफ़िरों की मिसाल	289
★ ईमान का खास असर	290
★ फ़ज्र का अज़ाब व सवाब कुरआन व हदीस से साबित है	290
★ अहकाम व हिदायतें	292
★ आयत नम्बर 30-34 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	294
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	295
★ तफ़सीर व खुलासा	295
★ अहकाम व हिदायतें	296
★ सूरज और चाँद को ताबे व काबू में करने का मतलब	297
★ आयत नम्बर 35-41 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	301
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	302
★ औलाद को बुत परस्ती से बचाने की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और अरब वालों की बुत परस्ती	302
★ अहकाम व हिदायतें	305
★ दुआ-ए-इब्राहीमी के भेद और हिक्मत	307
★ ज़रूरी बात	311
★ आयत नम्बर 42-52 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	313
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	315
★ कियामत में ज़मीन व आसमान की तब्दीली	317
★ एक याददाश्त और इत्तिला	320
सूर: हिज़्र (पारा 14 रु-बमा)	323
★ आयत नम्बर 1-5 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	325
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	325
★ लम्बी उम्मीद के मुताल्लिक़ हज़रत अबूदर्दा रज़ि. की नसीहत	326
★ आयत नम्बर 6-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	326
★ आयत नम्बर 9 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	327
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	327
★ ख़लीफ़ा मामून के दरबार का एक वाकिआ	327
★ कुरआन की हिफ़ाज़त के वायदे में हदीस शरीफ़ की हिफ़ाज़त भी दाख़िल है	329

मज़मून	.पेज
* रसूले पाक की हदीसों को उम्मी तौर पर गैर-महफूज़ कहने वाला दर हकीकत कुरआन को गैर-महफूज़ कहता है	330
* आयत नम्बर 10-15 मय खुलासा-ए-तफसीर	331
* आयत नम्बर 16 मय खुलासा-ए-तफसीर	332
* मज़ारिफ व मसाईल	332
* आसमान में बुरूज के मायने	332
* आयत नम्बर 17-18 मय खुलासा-ए-तफसीर	333
* मज़ारिफ व मसाईल	333
* शिहाब-ए-साकिब (टूटने वाला तारा) क्या चीज़ है?	333
* आयत नम्बर 19-25 मय खुलासा-ए-तफसीर	336
* मज़ारिफ व मसाईल	337
* अल्लाह की हिक्मत, गुज़ारे की ज़रूरतों में संतुलन व उचितता	337
* तमाम मख़्लूक के लिये पानी पहुँचाने और सिंचाई का अल्लाह का अजीब व ग़रीब निज़ाम	338
* नेक कामों में आगे बढ़ने और पीछे रहने में दर्जों का फ़र्क	340
* आयत नम्बर 26-44 मय खुलासा-ए-तफसीर	343
* मज़ारिफ व मसाईल	345
* इनसानी बदन में रूह का फूँकना और उसको फ़रिश्तों के लिये काबिले सज़ा बनाने की मुहत्तसर तहकीक	345
* रूह और नफ़्स के मुताल्लिक हज़रत काज़ी सनाउल्लाह रह. की तहकीक	345
* सज़्दे का हुक्म फ़रिश्तों को हुआ था इब्लीस उनके साथ होने की वजह से उसमें शामिल करार दिया गया	347
* अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों पर शैतान का बस न चलने के मायने	348
* जहन्म के सात दरवाज़े	348
* आयत नम्बर 45-50 मय खुलासा-ए-तफसीर	349
* मज़ारिफ व मसाईल	350
* आयत नम्बर 51-77 मय खुलासा-ए-तफसीर	353
* मज़ारिफ व मसाईल	356
* रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विशेष सम्मान व इकराम	356
* गैरुल्लाह की कसम खाना	356
* जिन बस्तियों पर अज़ाब नाज़िल हुआ उनसे इबत हासिल करनी चाहिये	357

मज़मून.

पेज

★ आयत नम्बर 78-86 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	359
★ ऐका वालों और हिज़्र वालों का किस्सा	359
★ मअरिफ़ व मसाईल	360
★ आयत नम्बर 87-99 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	362
★ मअरिफ़ व मसाईल	364
★ सूर: फ़ातिहा पूरे कुरआन का मतन और खुलासा है	364
★ मेहशर में सवाल किस चीज़ का होगा?	364
★ तब्लीग़ व दावत में गुंजाईश के मुताबिक़ चरणबद्धता हो	364
★ दुश्मनों के सताने से तंगदिली का इलाज	365

सूर: नहल

367

★ इस सूरत का नाम 'नहल' होने की वजह	368
★ आयत नम्बर 1-2 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	368
★ मअरिफ़ व मसाईल	369
★ सूरत का शुरू सख़्त सज़ा की धमकी से	369
★ आयत नम्बर 3-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	371
★ मअरिफ़ व मसाईल	371
★ कुरआन में रेल, मोटर, हवाई जहाज़ का ज़िक्र	373
★ बनने-संवरने और जीनत का जायज़ होना	374
★ आयत नम्बर 9 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	375
★ मअरिफ़ व मसाईल	375
★ आयत नम्बर 10-16 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	377
★ मअरिफ़ व मसाईल	378
★ आयत नम्बर 17-23 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	382
★ मअरिफ़ व मसाईल	383
★ आयत नम्बर 24-29 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	384
★ मअरिफ़ व मसाईल	386
★ आयत नम्बर 30-34 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	388
★ आयत नम्बर 35-40 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	390
★ मअरिफ़ व मसाईल	392
★ क्या हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में भी अल्लाह का कोई रसूल आया है?	392

मज़मून	पेज
★ आयत नम्बर 41-42 मय खुलासा-ए-तफसीर	393
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	394
★ क्या हिजरत दुनिया में भी आसानी व ऐश का सबब होती है?	394
★ वतन छोड़ने और हिजरत की विभिन्न किस्में और उनके अहकाम	396
★ आयत नम्बर 43-44 मय खुलासा-ए-तफसीर	399
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	400
★ ग़ैर-मुज्ताहिद पर मुज्ताहिद इमामों की पैरवी वाजिब है	401
★ क़ुरआन समझने के लिये हदीसे रसूल ज़रूरी है, हदीस का इनकार दर हकीकत क़ुरआन का इनकार है	404
★ आयत नम्बर 45-47 मय खुलासा-ए-तफसीर	406
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	407
★ क़ुरआन समझने के लिये मामूली अरबी जानना काफी नहीं	408
★ अरबी अदब (साहित्य) सीखने के लिये जाहिलीयत के शायरों का कलाम पढ़ना जायज़ है अगरचे वह खुराफ़ात पर आधारित हो	408
★ दुनिया का अज़ाब भी एक तरह की रहमत है	408
★ आयत नम्बर 48-57 मय खुलासा-ए-तफसीर	410
★ आयत नम्बर 58-60 मय खुलासा-ए-तफसीर	412
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	413
★ आयत नम्बर 61-65 मय खुलासा-ए-तफसीर	415
★ आयत नम्बर 66 मय खुलासा-ए-तफसीर	416
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	416
★ आयत नम्बर 67 मय खुलासा-ए-तफसीर	417
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	418
★ शराब की हुर्मत से पहले भी उसकी बुराई की तरफ़ इशारा	418
★ आयत नम्बर 68-69 मय खुलासा-ए-तफसीर	419
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	420
★ शहद की मक्खियों की विशेषतायें और अहकाम	421
★ शहद का शिफ़ा होना	422
★ फ़ायदे	424
★ आयत नम्बर 70 मय खुलासा-ए-तफसीर	426
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	427

मज़मून	पेज
घटिया और निकम्मी उम्र की वज़ाहत	427
आयत नम्बर 71 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	428
मअरिफ़ व मसाईल	429
रोज़ी व रोज़गार में दर्जों की भिन्नता इनसानों के लिये रहमत है	430
दौलत को कुछ हाथों में समेटने और इकट्ठा करने के खिलाफ़ कुरआनी अहकाम	431
आयत नम्बर 72-76 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	435
मअरिफ़ व मसाईल	436
आयत नम्बर 77-83 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	439
मअरिफ़ व मसाईल	441
घर बनाने का असल मक़सद दिल व जिस्म का सुकून है	443
आयत नम्बर 84-89 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	445
मअरिफ़ व मसाईल	446
आयत नम्बर 90 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	447
मअरिफ़ व मसाईल	447
कुरआन की बहुत ही जामे आयत और उसकी वज़ाहत	447
तीन चीज़ों का हुक्म और तीन चीज़ों से मनाही	449
आयत नम्बर 91-96 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	454
अहद पूरा करने का हुक्म और अहद तोड़ने की निंदा	454
मअरिफ़ व मसाईल	456
अहद को तोड़ना हराम है	456
किसी को धोखा देने के लिये क़सम खाने में ईमान के छिन जाने का ख़तरा है	457
रिश्वत लेना सख़्त हराम और अल्लाह से किये अहद को तोड़ना है	457
रिश्वत की पूर्ण परिभाषा	458
दुनिया की ख़त्म होने वाली और आख़िरत की बाक़ी रहने वाली चीज़ें	458
आयत नम्बर 97 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	459
मअरिफ़ व मसाईल	460
अच्छी और मज़ेदार ज़िन्दगी क्या चीज़ है?	460
आयत नम्बर 98-100 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	462
मअरिफ़ व मसाईल	462
अल्लाह तआला पर ईमान व भरोसा शैतानी शिकंजे और कब्ज़े से मुक्ति का रास्ता है	464
आयत नम्बर 101-105 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	465

मज़मून		पेज
★	नुबुव्वत पर काफ़िरों के शुक्कत का जवाब मय डरावे के	465
★	आयत नम्बर 106-109 मय खुलासा-ए-तफसीर	468
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	469
★	मजबूर और ज़बरदस्ती करने का मतलब और उसकी हद	469
★	आयत नम्बर 110-113 मय खुलासा-ए-तफसीर	473
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	473
★	आयत नम्बर 114-119 मय खुलासा-ए-तफसीर	476
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	477
★	हराम चीज़ें ऊपर बयान हुई चीज़ों के अलावा भी हैं	477
★	तौबा से गुनाह का माफ़ होना आ़म है चाहे बेसमझी से करे या जान-बूझकर	477
★	आयत नम्बर 120-124 मय खुलासा-ए-तफसीर	479
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	480
★	नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मिल्लते इब्राहीमी की पैरवी	481
★	इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से संबन्ध	482
★	आयत नम्बर 125-128 मय खुलासा-ए-तफसीर	482
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	483
★	दावत व तब्लीग़ के उसूल और मुकम्मल निसाब	483
★	दावत के उसूल व आदाब	485
★	अल्लाह की तरफ़ दावत देने के पैग़म्बराना आदाब	487
★	प्रचलित और रिवाजी बहस-मुबाहसों के दीनी और दुनियावी नुकसानात	494
★	हक़ के दाओ़ी को कोई तकलीफ़ पहुँचाये तो बदला लेना भी जायज़ है मगर सब्र बेहतर है	497
★	इन आयतों का शाने नुज़ूल और रसूले करीम सल्ल. और सहाबा की तरफ़ से हुक्म की तामील	497
सूर: बनी इस्राईल		501
★	आयत नम्बर 1 मय खुलासा-ए-तफसीर	502
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	503
★	मेराज के जिस्मानी होने पर कुरआन व सुन्नत की दलीलें और उम्मत का इजमा	503
★	मेराज का मुहत्तसर वाकिआ	503

मजमून	पेज
इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत से	505
मेराज के वाकिए के मुताल्लिक एक गैर-मुस्लिम की गवाही	506
इसरा व मेराज की तारीख	508
मस्जिद-ए-हराम और मस्जिद-ए-अक्सा	508
मस्जिद-ए-अक्सा और मुल्के शाम की बरकतें	509
आयत नम्बर 2-3 मय खुलासा-ए-तफसीर	510
आयत नम्बर 4-8 मय खुलासा-ए-तफसीर	511
मज़ारिफ व मसाईल	515
बनी इस्राईल के वाकिआत मुसलमानों के लिये इबत हैं, बैतुल-मुकदस का मौजूदा वाकिआ इसी सिलसिले की एक कड़ी है	517
एक अजीब मामला	518
काफिर भी अल्लाह के बन्दे हैं मगर उसके मकबूल नहीं	518
आयत नम्बर 9-11 मय खुलासा-ए-तफसीर	519
मज़ारिफ व मसाईल	520
कौमों का तरीका	520
आयत नम्बर 12-15 मय खुलासा-ए-तफसीर	521
मज़ारिफ व मसाईल	522
'नामा-ए-आमाल' गले का हार होने का मतलब	523
रसूलों के भेजे बगैर अज़ाब न होने की यज़ाहत	523
मुशिरकों की औलाद को अज़ाब न होगा	524
आयत नम्बर 16-17 मय खुलासा-ए-तफसीर	524
मज़ारिफ व मसाईल	525
एक शुब्हा और उसका जवाब	525
उक्त आयत की एक दूसरी तफसीर	525
मालदार लोगों का कौम पर असर होना एक तबई चीज़ है	526
आयत नम्बर 18-21 मय खुलासा-ए-तफसीर	527
मज़ारिफ व मसाईल	528
बिद्अत और अपनी राय का अमल कितना ही अच्छा नज़र आये मकबूल नहीं	529
आयत नम्बर 22-25 मय खुलासा-ए-तफसीर	530
पहला हुक्म तौहीद	530
दूसरा हुक्म मौ-बाप के हुक्क अदा करना	530

मजमून	पेज
★ मअरिफ व मसाईल	531
★ माँ-बाप के अदब व एहतिराम और इताअत की अहमियत	531
★ माँ-बाप की फरमाँबरदारी व खिदमत के फज़ाईल हदीस की रिवायतों में	531
★ माँ-बाप की हक-तल्फ़ी की सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी मिलती है	532
★ माँ-बाप की फरमाँबरदारी किन चीज़ों में वाजिब है और कहाँ मुख़ालफ़त की गुंजाईश है	533
★ माँ-बाप की खिदमत और अच्छे सुलूक के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं	533
★ माँ-बाप के अदब की रियायत ख़ूसन बुद्दापे में	534
★ एक अजीब वाकिआ	536
★ आयत नम्बर 26-27 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	539
★ मअरिफ व मसाईल	539
★ आम रिश्तेदारों के हुक्क का ख़ास ख़्याल	539
★ फुज़ूलख़र्ची की मनाही	540
★ आयत नम्बर 28 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	541
★ मअरिफ व मसाईल	541
★ आयत नम्बर 29-30 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	542
★ मअरिफ व मसाईल	542
★ ख़र्च करने में दरमियानी चाल की हिदायत	542
★ अल्लाह की राह में इतना ख़र्च करना कि खुद परेशानी में पड़ जाये इसका दर्जा	543
★ ख़र्च में बद-नज़मी (अव्ययस्था) मन्ू है	544
★ आयत नम्बर 31 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	544
★ मअरिफ व मसाईल	544
★ आयत नम्बर 32 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	545
★ मअरिफ व मसाईल	546
★ आयत नम्बर 33 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	547
★ मअरिफ व मसाईल	547
★ नाहक क़त्ल की वज़ाहत	548
★ किसान लेने का हक़ किसको है?	548
★ जुल्म का जवाब जुल्म नहीं इन्साफ़ है, मुजरिम की सज़ा में भी इन्साफ़ की रियायत	548
★ याद रखने के काबिल एक वाकिआ	549
★ आयत नम्बर 34-35 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	550

मज़मून		पेज
★	मज़ारिफ व मसाईल	550
★	यतीमों के माल में एहतियात	550
★	मुआहदों व समझौतों के पूरा करने और उनके पालन का हुक्म	551
★	नाप-तौल में कमी हराम है	552
★	आयत नम्बर 36-38 मय खुलासा-ए-तफसीर	553
★	मज़ारिफ व मसाईल	553
★	कान, आँख और दिल के बारे में कियामत के दिन सवाल	554
★	ये पन्द्रह आयतें पूरी तौरत का खुलासा हैं	557
★	आयत नम्बर 39-44 मय खुलासा-ए-तफसीर	558
★	मज़ारिफ व मसाईल	559
★	ज़मीन व आसमान और इनमें मौजूद तमाम चीज़ों के तस्बीह करने का मतलब	559
★	आयत नम्बर 45-48 मय खुलासा-ए-तफसीर	563
★	मज़ारिफ व मसाईल	564
★	पैगम्बर पर जादू का असर हो सकता है	564
★	दुश्मनों की नज़र से छुपे रहने का एक अमल	565
★	आयत नम्बर 49-52 मय खुलासा-ए-तफसीर	566
★	मज़ारिफ व मसाईल	568
★	मेहशर में काफिर लोग भी अल्लाह की तारीफ व सना करते हुए उठेंगे	568
★	आयत नम्बर 53-55 मय खुलासा-ए-तफसीर	570
★	मज़ारिफ व मसाईल	571
★	बद-ज़ुबानी और सख्त-कलामी काफिरों के साथ भी दुरुस्त नहीं	571
★	आयत नम्बर 56-58 मय खुलासा-ए-तफसीर	572
★	मज़ारिफ व मसाईल	573
★	आयत नम्बर 59-60 मय खुलासा-ए-तफसीर	574
★	मज़ारिफ व मसाईल	575
★	आयत नम्बर 61-65 मय खुलासा-ए-तफसीर	577
★	मज़ारिफ व मसाईल	577
★	आयत नम्बर 66-70 मय खुलासा-ए-तफसीर	580
★	मज़ारिफ व मसाईल	581
★	इनसान की बड़ाई अक्सर मख्लूक़ात पर किस वजह से है?	581
★	आयत नम्बर 71-72 मय खुलासा-ए-तफसीर	583

मज़मून		पेज
✳	मज़ारिफ़ व मसाईल	583
✳	नामा-ए-आमाल	584
✳	आयत नम्बर 73-77 मय खुलासा-ए-तफसीर	585
✳	मज़ारिफ़ व मसाईल	586
✳	आयत नम्बर 78-82 मय खुलासा-ए-तफसीर	589
✳	मज़ारिफ़ व मसाईल	590
✳	दुश्मनों के फ़रेब व जाल से बचने का बेहतरीन इलाज नमाज़ है	590
✳	पाँच वक़्त की नमाज़ों का हुक्म	591
✳	तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त और उसके अहकाम व मसाईल	592
✳	तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ है या नफ़िल?	593
✳	तहज्जुद की नमाज़ नफ़िल है या सुन्नत-ए-मुअक्कदा	594
✳	तहज्जुद की रक़अतों की तादाद	595
✳	नमाज़-ए-तहज्जुद की कैफ़ियत	596
✳	मक़ाम-ए-महमूद	596
✳	नबियों और उम्मत के नेक लोगों की शफ़ाअत मक़बूल होगी	596
✳	एक सवाल और उसका जवाब	597
✳	फ़ायदा	597
✳	तहज्जुद की नमाज़ को शफ़ाअत का मक़ाम हासिल होने में ख़ास दख़ल है	597
✳	अहम और बड़े उद्देश्यों के लिये मक़बूल हुआ	599
✳	शिर्क व कुफ़्र और बातिल की रस्मों व निशानात का मिटाना वाजिब है	600
✳	आयत नम्बर 83-84 मय खुलासा-ए-तफसीर	601
✳	मज़ारिफ़ व मसाईल	601
✳	आयत नम्बर 85-89 मय खुलासा-ए-तफसीर	603
✳	मज़ारिफ़ व मसाईल	604
✳	रूह से मुराद क्या है?	604
✳	सवाल का वाकिआ मक्का में पेश आया या मदीना में?	605
✳	उपर्युक्त सवाल का जवाब	606
✳	हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं	607
✳	सवाल करने वाले की दीनी मस्लेहत की रियायत लाज़िम है	607
✳	रूह की हकीकत का इल्म किसी को हो सकता है या नहीं?	607

मज़मून	पेज
• रुह के सवाल का तफसीली वाकिआ	608
• इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	611
• आयत नम्बर 90-95 मय खुलासा-ए-तफसीर	611
• मज़ारिफ़ व मसाईल	612
• बिना सर-पैर के मुखालफ़त भरे सवालात का पैग़म्बराना जवाब	612
• अल्लाह का रसूल इनसान ही हो सकता है फ़रिश्ते इनसानों की तरफ़ रसूल नहीं हो सकते	613
• आयत नम्बर 96-100 मय खुलासा-ए-तफसीर	615
• मज़ारिफ़ व मसाईल	616
• आयत नम्बर 101-109 मय खुलासा-ए-तफसीर	619
• मज़ारिफ़ व मसाईल	620
• मूसा अलैहिस्सलाम के नौ मोजिजे	620
• आयत नम्बर 110-111 मय खुलासा-ए-तफसीर	623
• मज़ारिफ़ व मसाईल	624
• तफसीर के लेखक की तरफ़ से इज़हार-ए-हाल	626
सूर: कहफ़	
• सूर: कहफ़ की विशेषतायें और फ़ज़ाईल	631
• शाने जुज़ूल	632
• आयत नम्बर 1-8 मय खुलासा-ए-तफसीर	633
• मज़ारिफ़ व मसाईल	634
• लुगात की वज़ाहत	636
• आयत नम्बर 9-12 मय खुलासा-ए-तफसीर	636
• मज़ारिफ़ व मसाईल	637
• अस्हाब-ए-कहफ़ और रक़ीम वालों का किस्सा	637
• दीन की हिफ़ाज़त के लिये ग़ारों में पनाह लेने वालों के वाकिआत विभिन्न शहरों और ख़िल्तों में अनेक हुए हैं	640
• अस्हाब-ए-कहफ़ की जगह और उनका ज़माना	640
• नये इतिहासकारों की तहकीक़	643
• अस्हाबे कहफ़ का वाकिआ किस ज़माने में पेश आया और ग़ार में पनाह लेने के असबाब क्या थे?	645

मजमून	पेज
★ कौमियत और एकता की असल बुनियाद	646
★ क्या अस्हाब-ए-कहफ अब भी जिन्दा हैं?	648
★ आयत नम्बर 13-16 मय खुलासा-ए-तफसीर	649
★ मअरिफ व मसाईल	650
★ आयत नम्बर 17-18 मय खुलासा-ए-तफसीर	652
★ मअरिफ व मसाईल	654
★ अस्हाबे कहफ लम्बी नींद के ज़माने में इस हालत पर थे कि देखने वाला	
उनको जागा हुआ समझे	655
★ अस्हाबे कहफ का कुत्ता	655
★ नेक सोहबत की बरकतें कि उसने कुत्ते का भी सम्मान बढ़ा दिया	655
★ अस्हाबे कहफ को अल्लाह तआला ने ऐसा रौब व जलाल अता	
फरमाया था कि जो देखे डरकर भाग जाये	656
★ आयत नम्बर 19-20 मय खुलासा-ए-तफसीर	658
★ मअरिफ व मसाईल	659
★ चन्द मसाईल	661
★ आयत नम्बर 21 मय खुलासा-ए-तफसीर	662
★ मअरिफ व मसाईल	662
★ अस्हाबे कहफ का हाल शहर वालों पर खुल जाना	662
★ अस्हाबे कहफ की वफात के बाद लोगों में मतभेद	665
★ आयत नम्बर 22 मय खुलासा-ए-तफसीर	666
★ मअरिफ व मसाईल	667
★ मतभेदी और विवादित बहसों में बातचीत के आदाब	667
★ अस्हाबे कहफ के नाम	668
★ विवादित और मतभेदी मामलों में लम्बी बहसों से बचना चाहिये	668
★ आयत नम्बर 23-26 मय खुलासा-ए-तफसीर	669
★ मअरिफ व मसाईल	671
★ आईन्दा काम करने पर इन्शा-अल्लाह कहना	671
★ आयत नम्बर 27-31 मय खुलासा-ए-तफसीर	675
★ मअरिफ व मसाईल	676
★ दावत व तब्लीग के ख़ास आदाब	676
★ जन्नत वालों के लिये ज़ेवर	677

मजमून		पेज
★	आयत नम्बर 32-44 मय खुलासा-ए-तफसीर	680
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	682
★	आयत नम्बर 45-49 मय खुलासा-ए-तफसीर	684
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	685
★	क़ियामत में कब्रों से उठने के वक़्त	686
★	अमल ही बदला है	687
★	आयत नम्बर 50-59 मय खुलासा-ए-तफसीर	691
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	692
★	इब्लीस के औलाद और नस्ल भी है	692
★	आयत नम्बर 60-70 मय खुलासा-ए-तफसीर	695
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	697
★	इस्लाम में नौकरों का भी अदब है	697
★	हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर अलैहिमस्सलाम का किस्सा	698
★	सफ़र के कुछ आदाब और पैग़म्बराना हिम्मत व इरादे का एक नमूना	701
★	हज़रत मूसा का हज़रत ख़ज़िर से अफ़ज़ल होना	701
★	मूसा अलैहिस्सलाम की खास तरबियत और उनके मौजिज़े	701
★	हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात और उनकी गुबुधत का मसला	703
★	किसी वली को शरीअत के ज़ाहिरी हुक्म के खिलाफ़ करना हलाल नहीं	704
★	शागिर्द पर उस्ताद का हुक्म मानना लाज़िम है	705
★	आलिमे शरीअत के लिये जायज़ नहीं कि खिलाफ़े शरीअत बात पर सब्र करे	705
★	हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर के इल्म में एक बुनियादी फ़र्क़ और दोनों में	706
	ज़ाहिरी टकराव का हल	706
★	आयत नम्बर 71-78 मय खुलासा-ए-तफसीर	709
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	710
★	आयत नम्बर 79-82 मय खुलासा-ए-तफसीर	712
★	मज़ारिफ़ व मसाईल	712
★	मिस्कीन की परिभाषा	713
★	बाज़ ज़ाहिरी ख़राबी वास्तव में इस्लाह होती है	714
★	एक पुराना नसीहत नामा	714
★	माँ-बाप की नेकी का फ़ायदा औलाद दर औलाद	715
	को भी पहुँचता है	715

* सूर: यूसुफ़ *

यह सूरत मक्की है। इसमें 111 आयतें
और 12 रुकूअ हैं।

सूर: यूसुफ

सूर: यूसुफ मक्का में नाजिल हुई। इसमें 111 आयतें और 12 रुकूअ हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ سُوْرَةُ یُوْسُفَ مِکَّتِیْمًا ﴿۲﴾ طَبَقَاتُهَا ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ مِمَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ؕ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ﴿۳﴾ اِذْ قَالَ یُوْسُفُ لِاَبِیْهِ یٰ اَبَتِ اِنِّیْ رَاِیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاِیْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ ﴿۴﴾ قَالَ یٰ بُنَیُّ لَا تَقْصُصْ رُءُوسَاكَ عَلٰی اِخْوَتِكَ فِی كَیْدٍ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۵﴾ وَ كَذٰلِكَ یَجْتَبِیْكَ رَبُّكَ وَّ یُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ وَّ یُعِیْنُكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ ﴿۶﴾ وَ عَلٰی اَنْ یَعْقُوْبَ كَمَا اَنْتَہَا عَلٰی اَبُوْبِكَ مِنْ قَبْلِ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلَیْمٌ حَكِیْمٌ ﴿۷﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-लाम्-रा। तिल्-क आयातुल्-किताबिल् मुबीन (1) इन्ना अन्जल्लाहु कुरआनन् अ-रबिय्यल् लअल्लकुम् तअकिलून् (2) नह्यु नकुस्सु अलै-क अहसनल्-क-ससि बिमा औहैना इलै-क हाजल्-कुरआन व इन् कुन्-त मिन् कब्लिही लमिनल्-गाफिलीन् (3) इज़् का-ल यूसुफ् लि-अबीहि या अ-बति इन्नी रऐतु अ-ह-द अ-श-र कौकब्व-

ये आयतें हैं स्पष्ट किताब की। (1) हमने इसको उतारा है कुरआन अरबी भाषा का ताकि तुम समझ लो। (2) हम बयान करते हैं तेरे पास बहुत अच्छा बयान इस वास्ते कि भेजा हमने तेरी तरफ यह कुरआन, और तू था इससे पहले अलबल्ला बेख़बरों में। (3) जिस वक़्त कहा यूसुफ ने अपने बाप से ऐ बाप! मैंने देखा सपने में ग्यारह सितारों को और सूरज को और चाँद को, देखा मैंने उनको

वशशम्-स वल्क-म-र रएतुहुम् ली
साजिदीन (4) का-ल या बुनय-य ला
तक्सुस् रुअ्या-क अला इख्वति-क
फ-यकीदू ल-क कैदनू, इन्नशैता-न
लिद्इन्सानि अदुव्वुम् मुबीन (5) व
कजालि-क यज्तबी-क रब्बु-क व
युअल्लिमु-क मिन् तअवीलिल्-
अहांदीसि व युतिम्मु निअ्म-तहू
अलै-क व अला आलि यअ्कू-ब
कमा अ-तम्महा अला अ-बवै-क मिन्
कब्बु इब्राही-म व इस्हा-क, इन्-न
रब्ब-क अलीमुन् हकीम (6) ❀

अपने वास्ते सज्दा करते हुए। (4) कहा
ऐ बेटे! मत बयान करना सपना अपना
अपने भाईयों के आगे, फिर वे बनायेंगे
तेरे वास्ते कुछ फरेब, अलबत्ता शैतान है
इनसान का खुला दुश्मन। (5) और इसी
तरह चुनिन्दा करेगा तुझको तेरा रब और
सिखलायेगा तुझको ठिकाने पर लगाना
बातों का और पूरा करेगा अपना इनाम
तुझ पर और याकूब के घर पर जैसा कि
पूरा किया है तेरे दो बाप-दादों पर इससे
पहले इब्राहीम और इस्हाक पर,
यकीनन तेरा रब खाबरदार है हिक्मत
वाला। (6) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

अलिफ़-लाम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये आयतें हैं एक स्पष्ट किताब की (जिसके अलफ़ाज़ और ज़ाहिरी मायने तो बहुत साफ़ हैं) हमने इसको उतारा है कुरआन अरबी भाषा का ताकि तुम (अरबी भाषा वाले होने की वजह से दूसरों से पहले) समझो (फिर तुम्हारे माध्यम से दूसरे लोग समझें)। हमने जो यह कुरआन आपके पास भेजा है इसके ज़रिये से हम आपसे एक बड़ा उम्दा किस्सा बयान करते हैं और इससे पहले आप (उस किस्से से) बिल्कुल बेख़बर थे (क्योंकि न आपने कोई किताब पढ़ी थी, न किसी शिक्षक से कुछ सीखा था, और किस्से की शोहरत भी ऐसी नहीं थी कि अ़याम जानते हों। किस्से की शुरूआत इस तरह है कि) वह वक़्त काबिले ज़िक्र है जबकि यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने अपने वालिद (याकूब अलैहिस्सलाम) से कहा कि अब्बा! मैंने (सपने में) ग्यारह सितारे और सूरज और चाँद देखे हैं, उनको अपने सामने सज्दा करते हुए देखा है। उन्होंने (जवाब में) फ़रमाया कि बेटा! अपने इस सपने को अपने भाईयों के सामने बयान न करना (क्योंकि वे नुबुव्वत के ख़ानदान में से होने की वजह से इस सपने की ताबीर जानते हैं कि ग्यारह सितारे ग्यारह भाई और सूरज वालिद और चाँद माँ है, और सज्दा करने से मुराद इन सब का तुम्हारे लिये आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार होना है) तो वे तुम्हें (तकलीफ़ पहुँचाने) के लिये कोई ख़ास तदबीर करेंगे (यानी भाईयों में से अक्सर

यानी दस भाई बाप-शरीक थे उनसे ख़तरा था, सिर्फ़ एक भाई सगे थे यानी बिनयामीन, जिनसे किसी मुख़ालफ़त का तो अन्देशा नहीं था मगर यह संभावना व गुमान था कि उनके मुँह से बात निकल जाये) बिला शुब्हा शैतान आदमी का खुला दुश्मन है (इसलिये भाईयों के दिल में बुरे ख्यालात डालेगा) और (जिस तरह अल्लाह तआला तुमको यह इज़्ज़त देगा कि सब तुम्हारे ताबे व फ़रमाँबरदार होंगे) इसी तरह तुम्हारा रब तुमको (दूसरी इज़्ज़त यानी नुबुव्वत के लिये भी) मुन्तख़ब करेगा और तुमको सपनों की ताबीर का इल्म देगा और (दूसरी नेमतें देकर भी) तुम पर और याक़ूब की औलाद पर अपना इनाम पूरा करेगा जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा इब्राहीम व इस्हाक़ (अलैहिमस्सलाम) पर अपना इनाम कामिल कर चुका है। याक़ई तुम्हारा रब बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिक्मत वाला है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: यूसुफ़ चार आयतों के सिवा पूरी मक्की सूरत है। इस सूरत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का किस्सा निरंतरता और तरतीब के साथ बयान हुआ है, और यह किस्सा सिर्फ़ इसी सूरत में आया है, पूरे क़ुरआन में दोबारा इसका कहीं ज़िक्र नहीं। यह खुसूसियत सिर्फ़ किस्सा-ए-यूसुफ़ ही की है वरना तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से व वाकिआत पूरे क़ुरआन में ख़ास हिक्मत के तहत टुकड़े-टुकड़े करके लाये गये हैं और बार-बार लाये गये हैं।

हकीकत यह है कि दुनिया के इतिहास और गुज़रे ज़माने के तजुर्बात में इनसान की आईन्दा जिन्दगी के लिये बड़े सबक़ होते हैं, जिनकी क़ुदरती तासीर का रंग इनसान के दिल व दिमाग़ पर आग़ तालीमात से बहुत ज़्यादा गहरा और बेमेहनत होता है। इसी लिये क़ुरआने करीम जो दुनिया की तमाम कौमों के लिये आख़िरी हिदायत नामे की हैसियत से भेजा गया है, इसमें दुनिया की पूरी कौमों की तारीख़ का वह चुनिन्दा हिस्सा लिया गया है जो इनसान की मौजूदा हालत और उसके अन्जाम के सुधार के लिये नुस्खा-ए-कीमिया है, मगर क़ुरआने करीम ने दुनिया की तारीख़ के इस हिस्से को भी अपने मख़सूस व बेमिसाल अन्दाज़ में इस तरह लिया है कि इसका पढ़ने वाला यह महसूस नहीं कर सकता कि यह कोई तारीख़ की किताब है, बल्कि हर मक़ाम पर जिस किस्से का कोई टुकड़ा इब्त व नसीहत के लिये ज़रूरी समझा गया सिर्फ़ उतना ही हिस्सा वहाँ बयान किया गया है और फिर किसी दूसरे मौक़े पर उस हिस्से की ज़रूरत समझी गई तो फिर उसको दोहरा दिया गया। इसी लिये इन किस्सों के बयान में वाकिआती तरतीब की रियायत नहीं की गई, बाज़ जगह किस्से का शुरू का हिस्सा बाद में और आख़िरी हिस्सा पहले ज़िक्र कर दिया गया है। क़ुरआन के इस ख़ास अन्दाज़ में यह मुस्तक़िल हिदायत है कि दुनिया की तारीख़ और इसके गुज़रे वाकिआत का पढ़ना याद रखना खुद कोई मक़सद नहीं बल्कि इनसान का मक़सद हर किस्से व ख़बर से कोई इब्त व नसीहत हासिल करना होना चाहिये।

इसी लिये तहकीक़ का दर्जा रखने वाले कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इनसान के कलाम की जो दो किस्में ख़बर और इन्शा मशहूर हैं, इन दोनों किस्मों में से असली मक़सद इन्शा ही है,

ख़बर बहैसियत ख़बर के कभी मकसूद नहीं होती, बल्कि अक्लमन्द इनसान का मकसूद हर ख़बर और वाक़िअ को सुनने और देखने से सिर्फ़ अपने हाल और अमल का सुधार व बेहतरी होना चाहिये।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को तरतीब के साथ बयान करने की एक हिक्मत यह भी हो सकती है कि तारीख़ लिखना भी एक मुस्तक़िल फ़न है, इसमें उस फ़न वालों के लिये ख़ास हिदायतें हैं कि बयान में न इतनी संक्षिप्तता होनी चाहिये जिससे बात ही पूरी न समझी जा सके और न इतना तूल होना चाहिये कि उसका पढ़ना और याद रखना मुश्किल हो जाये, जैसा कि इस किस्से के क़ुरआनी बयान से वाज़ेह होता है।

दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कुछ रिवायतों में है कि यहूदियों ने आजमाईश के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बतलाईये कि याक़ूब की औलाद मुल्के शाम से मिस्र क्यों मुन्तक़िल हुई, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िआ क्या था? उनके जवाब में वही के ज़रिये यह पूरा किस्सा नाज़िल किया गया जो रसूलें करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का भोजिज़ा और आपकी नुबुव्वत का बड़ा सुबूत व गवाह था क्योंकि आप उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) थे और उम्र भर मक्का में मुक़ीम रहे, किसी से तालीम हासिल नहीं की, और न कोई किताब पढ़ी, फिर वो तमाम वाक़िआत जो तौरात में बयान हुए थे सही-सही बतला दिये, बल्कि कई वो चीज़ें भी बतला दीं जिनका ज़िक्र तौरात में न था और इसके ज़िम्न में बहुत से अहकाम व हिदायतें हैं जो आगे बयान होंगे।

सबसे पहली आयत में हुरूफ़ 'अलिफ़-लाम्-रा' मुक़त्तअात-ए-क़ुरआनिया में से हैं, जिनके मुताल्लिक़ सहाबा व ताबिईन और पहले बुजुर्गों की अक्सरियत का फ़ैसला यह है कि ये हुरूफ़ अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीच एक राज़ है जिसको कोई तीसरा आदमी नहीं समझ सकता, और न उसके लिये मुनासिब है कि इसकी तहकीक़ और खोज के पीछे पड़े।

بَلَكْ اَيْتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

यानी ये हैं आयतें उस किताब की जो हलाल व हराम के अहकाम और हर काम की हदों, शर्तों और पाबन्दियों को बतलाकर इनसान को ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में एक दरमियानी और ज़िन्दगी का सीधा निज़ाम बख़्शाती हैं, जिनके नाज़िल करने का वायदा तौरात में पाया जाता है, और यहूदी लोग उससे वाक़िफ़ हैं।

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

यानी हमने नाज़िल किया इसको क़ुरआन अरबी बनाकर कि शायद तुम समझ-बूझ हासिल कर लो।

इसमें इशारा इस तरफ़ है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से का सवाल करने वाले अरब के यहूदी थे, अल्लाह तआला ने उन्हीं की भाषा में यह किस्सा नाज़िल फ़रमा दिया ताकि वे ग़ौर

करें, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सच्चाई व हक़ानियत पर ईमान लायें। और इस किस्से में जो अहक़ाम व हिदायतें हैं उनको अपने लिये रहनुमा बनायें।

इसी लिये इस जगह लफज़ 'लअल-ल' शायद के मायने में लाया गया है, क्योंकि उन मुखातबों का हाल मालूम था कि ऐसी स्पष्ट और वाज़ेह आयतें सामने आने के बाद भी उनसे हक़ के क़बूल करने की उम्मीद सदिग्ध थी।

نَحْنُ نَقَمُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝

यानी हम बयान करते हैं आपके लिये बेहतरीन किस्सा इस क़ुरआन को वही के जरिये आप पर नाज़िल करके, बेशक आप इससे पहले इन तमाम वाक़िआत से नावाक़िफ़ थे।

इसमें यहूदियों को तंबीह (चेतावनी) है कि तुमने जिस तरह हमारे रसूल की आज़माईश करनी चाही उसमें भी रसूल का कमाल स्पष्ट हो गया, क्योंकि वह पहले से उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) और दुनिया की तारीख़ से नावाक़िफ़ थे, अब इस वाक़िफ़ियत का कोई ज़रिया (माध्यम) सिवाय अल्लाह की तालीम और नुबुव्वत की वही (पैग़ाम) के नहीं हो सकता।

إِذ قَالَ يُونُسُ لَأَبِيهِ يَا بَنِيَّ إِنِّي رَأَيْتُ رِجَالًا يَأْخُذُونَكَ وَعَشْرَ كَوْكِبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُورَّيْتَهُمْ لِي سَجِدِينَ ۝

यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान! मैंने सपने में ग्यारह सितारे और सूरज और चाँद को देखा है, और यह देखा है कि वे मुझे सज्दा कर रहे हैं।

यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सपना था जिसकी ताबीर के वारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ग्यारह सितारों से मुग़द यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ग्यारह भाई और सूरज और चाँद से मुग़द माँ-बाप थे।

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा (माँ) अगरचे इस वाक़िफ़ से पहले वफ़ात पा चुकी थीं, मगर उनकी ख़ाला उनके वालिद साहिब के निकाह में आ गई थीं, ख़ाला खुद भी माँ के कायम-मक़ाम समझी जाती है, खुसूसन जबकि वह वालिद के निकाह में आ जाये तो उर्फ़ (आम बोलचाल) में उसको माँ ही कहा जायेगा।

فَالْيَسْبَى لَا تَقْضَى رُءُؤَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَاللَّ كَيْدُ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوٌّ مُمِينٌ ۝

यानी बेटा तुम अपना यह ख़्वाब (सपना) अपने भाईयों से न कहना, ऐसा न हो कि वे यह ख़्वाब सुनकर तुम्हारी शान की बड़ाई मालूम करके तुम्हें हलाक़ करने की तदबीर करें, क्योंकि शैतान इनसान का खुला दुश्मन है, वह दुनिया के माल व रूतबे की खातिर इनसान को ऐसे कामों में मुब्तला कर देता है।

इन आयतों में चन्द मसाईल काबिले ज़िक्र हैं।

सपने की हकीकत व दर्जा और उसकी किस्में

सबसे पहले ख़्वाब (सपने) की हकीकत और उससे मालूम होने वाले वाक़िआत व ख़बरों का दर्जा और मक़ाम ज़िक्र के काबिल है, तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह रह. ने

फरमाया कि सपने की हकीकत यह है कि इनसानी नफ़्स जिस वक़्त नींद या बेहोशी के सबब बदन की जाहिरी तदबीर से फ़ारिग़ हो जाता है तो उसको उसकी कुव्वत-ए-ख़्यालिया की राह से कुछ सूतें दिखाई देती हैं, इसी का नाम ख़्वाब है। फिर उसकी तीन किस्में हैं जिनमें से दो बिल्कुल बातिल हैं जिनकी कोई हकीकत और असलियत नहीं होती, और एक अपनी ज़ात के एतिबार से सही व सच्ची है मगर उस सही किस्म में कभी कुछ अ़वारिज़ (रुकावटें और ख़राबियाँ) शामिल होकर उसको फ़ासिद और नाक़ाबिले एतिबार कर देते हैं।

तफ़सील इसकी यह है कि ख़्वाब (सपने) में इनसान जो मुख़लिफ़ सूतें और वाकिआत देखता है, कभी तो ऐसा होता है कि जागने की हालत में जो सूतें इनसान देखता रहता है वही ख़्वाब में शक़्लें बनकर नज़र आ जाती हैं, और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूतें और वाकिआत उसके ज़ेहन में डालता है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले, ये दोनों किस्में बातिल हैं जिनकी न कोई हकीकत व असलियत है न उसकी कोई सही ताबीर हो सकती है। इनमें से पहली किस्म को हदीसुन्नफ़्स और दूसरी को तस्वील-ए-शैतानी कहा जाता है।

तीसरी किस्म जो सही और हक़ है वह अल्लाह तआला की तरफ़ से एक किस्म का इल्हाम है जो अपने बन्दे को आगाह व सचेत करने या खुशख़बरी देने के लिये किया जाता है, अल्लाह तआला अपने ग़ैब के ख़ज़ाने से कुछ चीज़ें उसके दिल व दिमाग़ में डाल देते हैं।

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि मोमिन का ख़्वाब एक कलाम है जिसमें वह अपने रब से गुफ़्तगू और बातचीत करने का सम्मान हासिल करता है। यह हदीस तबरानी ने सही सनद से रिवायत की है। (तफ़सीर मज़हरी)

इसकी तहकीक़ सूफ़िया-ए-किराम के बयान के मुताबिक़ यह है कि आलम में जितनी चीज़ें वजूद में आने वाली हैं, उस वजूद से पहले हर चीज़ की एक ख़ास शक़्ल मिसाली जहान में होती है, और उस मिसाली जहान में जिस तरह अपना मुस्तक़िल वजूद रखने वाले और साबित तथ्यों की सूतें और शक़्लें होती हैं इसी तरह मायनों और आराज़ (पेश आने वाली हालतों) की भी ख़ास शक़्लें होती हैं। ख़्वाब में जब इनसानी नफ़्स बदन की जाहिरी तदबीर से फ़ारिग़ होता है तो कई बार उसका ताल्लुक़ (सम्पर्क) मिसाली जहान से हो जाता है, वहाँ जो कायनात की शक़्लें हैं वे उसको नज़र आ जाती हैं। फिर ये सूतें ग़ैब के आलम से दिखाई जाती हैं। कई बार उनमें भी कुछ अ़वारिज़ (ख़राबी और हालात) ऐसे पैदा हो जाते हैं कि असल हकीकत के साथ कुछ बातिल ख़्याली चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इसलिये ख़्वाब की ताबीर देने वालों को भी उसकी ताबीर समझना दुश्वार हो जाता है, और कई बार ये तमाम अ़वारिज़ से पाक-साफ़ रहती हैं तो वे असल हकीकत होती हैं, मगर उनमें भी कुछ ख़्वाब ताबीर के मोहताज होते हैं, क्योंकि उनमें असल हकीकत स्पष्ट नहीं होती, ऐसी सूत में भी अगर ताबीर ग़लत हो जाये तो वाकिआ ख़्वाब से भिन्न हो जाता है, इसलिये सिर्फ़ वह ख़्वाब सही तौर से अल्लाह की तरफ़ से इल्हाम (दिल में डाली हुई बात) और साबित हकीकत होगी जो अल्लाह की तरफ़ से हो और उसमें कुछ अ़वारिज़ में भी शामिल न हुए हों, और ताबीर भी सही दी गई हो।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सब ख़्वाब (सपने) ऐसे होते हैं इसी लिये उनके ख़्वाब भी वही (अल्लाह की तरफ़ से आये हुए पैग़ाम) का दर्जा रखते हैं। अ़ाम मुसलमानों के ख़्वाब में हर तरह के शुद्धे और संभावनायें रहती हैं इस लिये वे किसी के लिये हुज्जत और दलील नहीं होते, उनके ख़्वाबों में कई बार तबई और नफ़्सानी सूरतों की मिलावट हो जाती है, और कई बार गुनाहों की अंधेरी और मैल सही ख़्वाब पर छाकर उसको नाक़ाबिले भरोसा बना देती है, कई बार ऐसा होता है कि ताबीर सही समझ में नहीं आती।

ख़्वाब (सपने) की ये तीन किस्में जो ज़िक्र की गई हैं यही तफ़्सील रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल की गयी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़्वाब की तीन किस्में हैं- एक किस्म शैतानी है जिसमें शैतान की तरफ़ से कुछ सूरतें ज़ेहन व दिमाग़ में आती हैं। दूसरी वह जो आदमी अपनी बेदारी (जागने की हालत) में देखता रहता है वही सूरतें ख़्वाब में सामने आ जाती हैं। तीसरी किस्म जो सही और हक़ है वह नुबुव्वत के हिस्सों में से छियालीसवाँ हिस्सा है यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से इल्हाम है।

ख़्वाब के नुबुव्वत का हिस्सा होने के मायने और इसकी वज़ाहत

यह किस्म जो हक़ और सही है और सही हदीसों में नुबुव्वत का एक हिस्सा और भाग फ़रार दी गई है, इसमें हदीस की रिवायतें मुख़्तलिफ़ हैं। कुछ में चालीसवाँ हिस्सा और कुछ में छियालीसवाँ हिस्सा बतलाया और कुछ रिवायतों में उनचास और पचास और सत्तरवाँ हिस्सा होना भी मन्कूल है। ये सब रिवायतें तफ़्सीर-ए-क़ुर्तुबी में जमा करके अल्लामा इब्ने अब्दुल-बर्र की तहक़ीक़ यह नक़ल की है कि इनमें कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, बल्कि हर एक रिवायत अपनी जगह सही व दुरुस्त है, और हिस्सों के अलग-अलग और भिन्न होने का यह इख़िलाफ़ ख़्वाब देखने वालों के अलग-अलग हालात की बिना पर है। जो शख्स सच्चाई, अमानत, दियायत और कामिल ईमान की ख़ूबियों का मालिक है उसका ख़्वाब नुबुव्वत का चालीसवाँ हिस्सा होगा और जो इन गुणों व ख़ूबियों में कुछ कम है उसका छियालीसवाँ या पचासवाँ भाग होगा, और जो और कम है उसका ख़्वाब नुबुव्वत का सत्तरवाँ हिस्सा होगा।

यहाँ यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि सच्चे ख़्वाब का नुबुव्वत का हिस्सा होने से क्या मुराद है। तफ़्सीरे मज़हरी में इसका मतलब यह बयान किया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नुबुव्वत की वही का सिलसिला तेईस साल जारी रहा, उनमें से पहली छमाही में अल्लाह की यह वही (पैग़ाम व अहक़ाम) ख़्वाबों की सूरत में आती रही, बाकी पैतालीस छमाहियों में जिब्रीले अमीन अलैहिस्सलाम के पैग़ाम पहुँचाने की सूरत में आई। इस हिसाब से सच्चे ख़्वाबे नुबुव्वत की वही का छियालीसवाँ हिस्सा हुआ, और जिन रिवायतों में कम या ज़्यादा की संख्या बयान हुई हैं उनमें या तो तफ़्सीर क़लाम किया गया है या वो सनद के

एतिबार से कमज़ोर व बेएतिबार हैं।

और इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि इसके नुबुव्वत का हिस्सा होने से मुराद यह है कि ख़्वाब में कई बार इनसान ऐसी चीज़ें देखता है जो उसकी क़ुदरत (ताक़त व पहुँच) में नहीं, जैसे यह देखे कि वह आसमान पर उड़ रहा है, या ग़ैब की ऐसी चीज़ें देखे जिनका इल्म हासिल करना उसकी क़ुदरत में न था तो उसका ज़रिया सिवाय अल्लाह की इमदाद व इल्हाम के और कुछ नहीं हो सकता, जो असल में नुबुव्वत का ख़ास्सा (विशेषता) है, इसलिये इसको नुबुव्वत का एक हिस्सा करार दिया गया।

कादियानी दज्जाल के एक मुग़ालते की तरदीद

यहाँ कुछ लोगों को एक अजीब मुग़ालता (धोखा) लगा है कि इस नुबुव्वत के हिस्से के दुनिया में बाकी रहने और जारी रहने से नुबुव्वत का बाकी रहना और जारी रहना समझ बैठे हैं जो क़ुरआन मजीद के स्पष्ट और क़तई बयानात, दलीलों और बेशुमार सही हदीसों के खिलाफ़ और पूरी उम्मत के इजमाई (सर्वसम्मति से माने हुए) ख़त्म-ए-नुबुव्वत के अकीदे के विरुद्ध है। वे लोग यह-न समझे कि किसी चीज़ का एक हिस्सा मौजूद होने से उस चीज़ का मौजूद होना लाज़िम नहीं आता। अगर किसी शख्स का एक नाख़ुन या एक बाल कहीं मौजूद हो तो कोई इनसान यह नहीं कह सकता कि यहाँ वह शख्स मौजूद है। मशीन के बहुत से कल-पुर्ज़ों में से अगर किसी के पास एक पुर्ज़ा या एक स्कू मौजूद हो और वह कहने लगे कि मेरे पास फ़ुलॉ मशीन मौजूद है तो दुनिया भर के इनसान उसको या तो शूठा कहेंगे या बेवक़ूफ़।

हदीस शरीफ़ की वज़ाहत के मुताबिक़ सच्चे ख़्वाब बिला शुब्हा नुबुव्वत का हिस्सा हैं मगर नुबुव्वत नहीं, नुबुव्वत तो ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ख़त्म हो चुकी है।

सही बुख़ारी में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَمْ يَنْبَغِ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ.

यानी आईन्दा नुबुव्वत का कोई हिस्सा सिवाय मुबशिशरात के बाकी न रहेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि मुबशिशरात से क्या मुराद है? तो फ़रमाया कि "सच्चे ख़्वाब" जिससे साबित हुआ कि नुबुव्वत किसी किसम या किसी सूरत में बाकी नहीं, सिर्फ़ उसका छोटा-सा हिस्सा बाकी है जिसको मुबशिशरात या सच्चे ख़्वाब कहा जा सकता है।

कभी काफ़िर व बदकार आदमी का सपना भी सच्चा हो सकता है

और यह बात भी क़ुरआन व हदीस से साबित और तजुर्बों से मालूम है कि सच्चे ख़्वाब कई बार फ़ासिक व फ़ाजिर (गुनाहगार और बुरे आमाल वाले) बल्कि काफ़िर को भी आ सकते हैं। सूर: यूसुफ़ ही में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जेल के दो साथियों के सपने और उनका सच्चा

होना, इसी तरह मिस्र के बादशाह का सपना और उसका सच्चा होना कुरआन में बयान हुए हैं, हालाँकि ये तीनों मुसलमान न थे। हदीस में ईरान के बादशाह किसरा का ख़्वाब ज़िक्र हुआ है जो उसने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेसत (नबी बनकर तशरीफ़ लाने) के बारे में देखा था। वह ख़्वाब सही हुआ हालाँकि किसरा मुसलमान न था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफी आतिका ने कुफ़ू की हालत में आपके बारे में सच्चा ख़्वाब देखा था, इसी तरह काफ़िर बादशाह बुख़्ते-नस्सर के जिस ख़्वाब की ताबीर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दी वह ख़्वाब सच्चा था।

इससे मालूम हुआ कि महज़ इतनी बात कि किसी को कोई सच्चा ख़्वाब नज़र आ जाये और वाकिफ़ा उसके मुताबिक़ हो जाये उसके नेक सालेह बल्कि मुसलमान होने की भी दलील नहीं हो सकती, हाँ यह सही है कि अल्लाह तआला का आ़म दस्तूर यही है कि सच्चे और नेक लोगों के ख़्वाब उमूमन सच्चे होते हैं, गुनाहगार व बदकार लोगों के उमूमन हदीसुन्नफ़स या तस्वीले शैतानी की बातिल किस्मों से हुआ करते हैं, मगर कभी इसके ख़िलाफ़ भी हो जाता है।

बहरहाल! हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ सच्चे ख़्वाब आ़म उम्मत के लिये एक खुशख़बरी या चेतावनी से ज़्यादा कोई मक़ाम नहीं रखते, न खुद उसके लिये किसी मामले में हुज़त हैं न दूसरों के लिये। कुछ नावाकिफ़ लोग ऐसे ख़्वाब (सपने) देखकर तरह-तरह के वस्वसों (ख़्यालात) में मुब्तला हो जाते हैं। कोई उनको अपने वली और बुजुर्ग होने की निशानी समझने लगता है, कोई उनसे हासिल होने वाली बातों को शरई अहक़ाम का दर्जा देने लगता है, ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं, ख़ास तौर पर जबकि यह भी मालूम हो चुका हो कि सच्चे ख़्वाबों में भी ज़्यादातर नफ़सानी या शैतानी या दोनों किस्म के ख़्यालात की मिलावट का शुब्हा व संभावना है।

ख़्वाब को हर शख़्स से बयान करना दुरुस्त नहीं

मसला: आयत 'या बुन्यू-य.....' यानी इसी सूरत की आयत नम्बर 5 में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ख़्वाब (सपना) भाईयों के सामने बयान करने से मना फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि ख़्वाब ऐसे शख़्स के सामने बयान न करना चाहिये जो उसका ख़ैरख़्वाह और हमदर्द न हो, और न ऐसे शख़्स के सामने जो ख़्वाब की ताबीर और मतलब बताने में माहिर न हो।

हदीस की किताब जामे तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सच्चा ख़्वाब नुबुव्वत के चालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है, और ख़्वाब अधर में रहता है जब तक किसी से बयान न किया जाये, जब बयान कर दिया गया और सुनने वाले ने कोई ताबीर दे दी तो ताबीर के मुताबिक़ ज़ाहिर हो जाता है, इसलिये चाहिये कि ख़्वाब किसी से न बयान करे सिवाय उस शख़्स के कि जो आ़लिम व समझदार हो या कम से कम उसका दोस्त और भला चाहने वाला हो।

और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि

ख़्वाब तीन किस्म का होता है- एक अल्लाह की तरफ़ से खुशख़बरी, दूसरों नफ़सानी ख़्यालात, तीसरे शैतानी तसव्युरात। इसलिये जो शख्स कोई ख़्वाब देखे और उसे भला मालूम हो तो उसको अगर चाहे तो लोगों से बयान कर दे और अगर उसमें कोई बुरी बात नज़र आये तो किसी से न कहे, बल्कि उठकर नमाज़ पढ़ ले। और सही मुस्लिम की हदीस में यह भी है कि बुरा ख़्वाब देखे तो बाई तरफ़ तीन मर्तबा धूक दे और अल्लाह तआला से उसकी बुराई से पनाह माँगे, और किसी से ज़िक्र न करे तो वह ख़्वाब उसको कोई नुकसान न देगा। वजह यह है कि कुछ ख़्वाब तो शैतानी तसव्युरात होते हैं वो इस अमल से दफ़ा हो जायेंगे और अगर सच्चा ख़्वाब है तो इस अमल के ज़रिये उसकी बुराई दूर हो जाने की भी उम्मीद है।

मसला: ख़्वाब के उसकी ताबीर पर अटके और रुके रहने का मतलब तफसीर-ए-मजहरी में यह बयान फ़रमाया है कि कुछ तक्दीरी मामलात मुब्रम यानी निश्चित नहीं होते, बल्कि मुअल्लक़ (अधर में और लटके हुए) होते हैं कि फ़ुलॉ काम हो गया तो यह मुसीबत टल जायेगी और न हुआ तो पड़ जायेगी। जिसको तक्दीर-ए-मुअल्लक़ कहा जाता है, ऐसी सूत में बुरी ताबीर देने से मामला बुरा और अच्छी ताबीर देने से मामला अच्छा हो जाता है। इसी लिये तिमिज़ी की उक्त हदीस में ऐसे शख्स से ख़्वाब (सपना) बयान करने की मनाही की गई है जो अक्लमन्द न हो, या उसका ख़ैरख़्वाह व हमदर्द न हो। और यह वजह भी हो सकती है कि ख़्वाब की कोई बुरी ताबीर सुनकर इनसान के दिल में यही ख़्याल जमता है कि अब मुझ पर मुसीबत आने वाली है, और हदीस में है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.

यानी “बन्दा मेरे मुताल्लिक़ जैसा गुमान करता है मैं उसके हक़ में वैसा ही हो जाता हूँ।” जब अल्लाह तआला की तरफ़ से मुसीबत आने पर यकीन कर बैठा तो अल्लाह की इस आदत के मुताबिक़ उस पर मुसीबत आना ज़रूरी हो गया।

मसला: इस आयत से जो यह मालूम हुआ कि जिस ख़्वाब में कोई बात तकलीफ़ व मुसीबत की नज़र आये वह किसी से बयान न करे, हदीस की रियायतों से मालूम होता है कि यह मनाही सिर्फ़ शफ़क़त और हमदर्दी की बिना पर है, शरई तौर पर हराम नहीं है। इसलिये अगर किसी से बयान कर दे तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि सही हदीसों में है कि उहुद की जंग के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— मैंने ख़्वाब में देखा है कि मेरी तलवार जुल्फ़कार टूट गई, और देखा कि कुछ गायें ज़िबह हो रही हैं, जिसकी ताबीर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और बहुत से मुसलमानों की शहादत थी जो बड़ा हादसा है मगर आपने इस ख़्वाब को सहाबा से बयान फ़रमा दिया था। (तफसीर कुर्तुबी)

मसला: इस आयत से यह भी मालूम हो गया कि मुसलमान को दूसरे के शर (बुराई) से बचाने के लिये उसकी किसी बुरी ख़स्लत या नीयत का इज़हार कर देना जायज़ है, ग्रह गीबत (चुगली) में दाख़िल नहीं। जैसे किसी शख्स को मालूम हो जाये कि फ़ुलॉ आदमी किसी दूसरे आदमी के घर में चोरी करने या उसको क़त्ल करने का मन्सूबा बना रहा है तो उसको चाहिये

कि उस शख्स को बाख़बर कर दे, यह भीबत हराम में दाख़िल नहीं, जैसा कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इसका इज़हार कर दिया कि भाईयों से उनकी जान को ख़तरा है।

मसला: इसी आयत से यह भी मालूम हुआ कि जिस शख्स के मुताल्लिक़ यह सदेह व गुमान हो कि हमारी खुशहाली और नेमत का ज़िक्र सुनेगा तो उसको हसद (जलन) होगा, और नुक़सान पहुँचाने की फ़िक्र करेगा तो उसके सामने अपनी नेमत, दौलत व इज़्ज़त वगैरह का ज़िक्र न करे, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि:

“अपने मक़सदों को कामयाब बनाने के लिये उनकी राज़ में रखने से मदद हासिल करो, क्योंकि दुनिया में हर नेमत वाले से हसद किया जाता है।”

मसला: इस आयत और बाद की आयतों से जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने या कुएँ में डालने का मशिवरा और उस पर अमल मज़कूर है, यह भी वाज़ेह हो गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अल्लाह के नबी और पैग़म्बर न थे, वरना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़त्ल का मशिवरा और फिर उनको बरबाद करने की तदबीर और बाप की नाफ़रमानी का अमल उनसे न होता, क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सब गुनाहों से पाक और मासूम (सुरक्षित) होना ज़रूरी है किताब तबरी में जो उनको नबी कहा गया है वह सही नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

छठी आयत में अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से चन्द इनामात अता करने का वायदा फ़रमाया है। अब्वल:

كَذَلِكَ يَخْبِيكَ رَبُّكَ

यानी अल्लाह तआला अपने इनामात व एहसानात के लिये आपका चयन फ़रमा लेंगे, जिसका ज़हूर मुल्क मिस्र में हुकूमत व इज़्ज़त और दौलत मिलने से हुआ। दूसरे:

وَيَعْلَمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

इसमें अहादीस से मुराद लोगों के ख़्वाब (सपने) हैं। मायने यह हैं कि अल्लाह तआला आपको ख़्वाब की ताबीर (मतलब बयान करने) का इल्म सिखा देंगे। इससे यह भी मालूम हुआ कि ख़्वाब की ताबीर एक मुस्तक़िल फ़न है जो अल्लाह तआला किसी-किसी को अता फ़रमा देते हैं, हर शख्स इसका अहल (काबलियत रखने वाला) नहीं।

मसला: तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि अब्दुल्लाह बिन शहाद बिन अल्हाद ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस ख़्वाब (सपने) की ताबीर चालीस साल बाद ज़ाहिर हुई। इससे मालूम हुआ कि ताबीर का फ़ौरन ज़ाहिर होना कोई ज़रूरी नहीं। तीसरा वायदा है:

وَيَسِّرُ لَكَ رِجْلَكَ

यानी “अल्लाह तआला आप पर अपनी नेमत पूरी फ़रमा देंगे।” इसमें नुब्व्वत अता करने की तरफ़ इशारा है और इसी की तरफ़ बाद के जुमलों में इशारा है:

كَمَا آتَمَّهَا عَلَىٰ أَبِي يُونُسَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَىٰ

यानी जिस तरह हम अपनी नुबुव्वत की नेमत तुम्हारे बाप-दादा इब्राहीम और इस्हाक अलैहिमस्सलाम पर आप से पहले पूरी कर चुके हैं। इसमें इस तरफ भी इशारा हो गया कि ख़्वाब की ताबीर का फ़न जैसा कि यूसुफ अलैहिमस्सलाम को दिया गया इसी तरह इब्राहीम व इस्हाक अलैहिमस्सलाम को भी सिखाया गया था।

आयत के आखिर में फरमाया:

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

“यानी तुम्हारा परवर्दिगार बड़ा इल्म वाला बड़ी हिक्मत वाला है।” न उसके लिये किसी को कोई फ़न सिखाना मुश्किल है और न हिक्मत के सबब वह यह फ़न हर शख्स को सिखाता है, बल्कि अपनी हिक्मत के मातहत चयन करके किसी को यह हुनर दे देता है।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّالِفِينَ ۝ إِذْ قَالَُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحِبُّوا إِلَيْنَا مِمَّا وَ
نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي صُلْحٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ
يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارِ إِذْ أَنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا
لَهُ لَنَصْحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزِينَهُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لِعَجَبٍ نَبِيٌّ أَنْ تَنْدَهُبُوا
بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِن آكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا
إِذْ الْخَاسِرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ أُجْبٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَنْهَرِهِمْ
هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ
كَذِيبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ
سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً ۝ قَالَ يَبْنَؤُكُمْ هَذَا عُلْمٌ مِمَّا وَسَّرْتُمْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝
وَسَرَّوهُ بِمِثْقَلِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ ۝

ल-कद् का-न फी यूसु-फ व इख्वतिही
आयातुल् लिस्सा-इलीन (7) इज़्
कालू ल-यूसुफु व अख़्हुह अहब्बु
इला अबीना मिन्ना व नहनु अुस्वतुनु,

अलबत्ता हैं यूसुफ के किस्से में और
उसके भाईयों के किस्से में निशानियाँ
पूछने वालों के लिये। (7) जब कहने लगे
अलबत्ता यूसुफ और उसका भाई ज़्यादा
प्यारा है हमारे बाप को हम से, और हम

इन्-न अबाना लफी जलालिम्-मुबीन
 (8) उक्तुलू यूसु-फ अवित्रहूहु
 अर्जंयख्लु लकुम् वज्हु अबीकुम् व
 तकनू मिम्-बअदिही कौमन् सालिहीन
 (9) का-ल काइलुम्-मिन्दुम् ला
 तक्तुलू यूसु-फ व अल्कूहु फी
 गया-बतिल्-जुब्बि यल्तकि त्हु
 बअर्जुस्सद्यारति इन् कुन्तुम्
 फाजिलीन (10) कालू या अबाना मा
 ल-क ला तअमन्ना अला यूसु-फ व
 इन्ना लहू लनासिहून (11) अरसिल्हु
 म-अना गदय-यर्तअ व यल्अब् व
 इन्ना लहू लहाफिजून (12) का-ल
 इन्नी ल-यह्जुनुनी अन् तर्हबू बिही
 व अखाफु अय्यअकु-लहुज्जिअबु व
 अन्तुम् अन्हु गाफिलून (13) कालू
 ल-इन् अ-क-लहुज्जिअबु व नह्नु
 अुस्वतुन् इन्ना इजल्-लखासिरून (14)
 फ-लम्मा ज-हबू बिही व अज्मअ
 अय्यज्-अलूहु फी गया-बतिल्-जुब्बि
 व औहैना इलैहि लतुनब्बि-अन्नहुम्
 बिअम्रिहिम् हाजा व हुम् ला
 यश्रुून (15) व जाऊ अबाहुम्
 अिशाअय-यब्कून (16) कालू

उमसे ज्यादा कुव्वत वाले हैं, अलबत्ता
 हमारा बाप खुली ख़ता पर है। (8) मार
 डालो यूसुफ को या फेंक दो किसी मुल्क
 में कि छालिस रहे तुम पर तवज्जोह
 तुम्हारे बाप की, और हो रहना उसके
 बाद नेक लोग। (9) बोला एक बोलने
 वाला उनमें से मत मार डालो यूसुफ को
 और डाल दो उसको गुमनाम कुएँ में कि
 उठा ले जाये उसकी कोई मुसाफिर, अगर
 तुमको करना है। (10) बोले ऐ बाप क्या
 बात है कि तू एतिबार नहीं करता हमारा
 यूसुफ पर और हम तो उसके ख़ैरख़्वाह
 हैं। (11) भेज उसको हमारे साथ कल को,
 ख़ूब ख़ाये और खेले और हम तो उसके
 निगहबान हैं। (12) बोला मुझको गुम
 होता है इससे कि तुम उसको ले जाओ
 और डरता हूँ इससे कि खा जाये उसको
 भेड़िया और तुम उससे बेछाबर रहो।
 (13) बोले अगर खा गया उसको भेड़िया
 और हम एक जमाअत हैं कुव्वत वाली तो
 हमने सब कुछ गंवा दिया। (14) फिर जब
 लेकर चले उसको और सहमत हुए कि
 डालें उसको गुमनाम कुएँ में, और हमने
 इशारा कर दिया उसको कि तू जतायेगा
 उनको उनका यह काम और वे तुझको न
 जानेंगे। (15) और आये अपने बाप के
 पास अंधेरा पड़े रोते हुए। (16) कहने लगे

या अबाना इन्ना ज़हब्ना नस्तबिकु
 व तरक्ना यूसु-फ़ अिन्-द मताअिना
 फ़-अ-क-लहुज्-ज़िअबु व मा अनू-त
 बिमुअमिनिन्नना व लौ कुन्ना
 सादिकीन (17) ▲ व जाऊ अ़ला
 क़मीसिही बि-दमिन् कज़िबिन्,
 क़ा-ल बल् सत्व-लत् लकुम्
 अन्फ़ुसुकुम् अम्रन्, फ़-सब्कन्
 जमीलुन्, वल्लाहुल्-मुस्तअानु अ़ला
 मा तसिफ़ून् (18) व जाअत् सय्यारतुन्
 फ़-अरसलू वारि-दहुम् फ़-अदला
 दल्वहू, क़ा-ल या बुशरा हाज़ा
 गुलामुन्, व अ-सरूहु बिज़ा-अ़तन्,
 वल्लाहु अ़लीमुम्-बिमा यअूमलून्
 (19) व शरौहु बि-स-मनिम् बख़्तिन्
 दराहि-म मअ़दू-दतिन् व कानू फ़ीहि
 मिनज़ाहिदीन (20) ●

ऐ बाप! हम लगे दौड़ने आगे निकलने को
 और छोड़ा यूसुफ़ को अपने सामान के
 पास, फिर उसको खा गया भेड़िया, और
 तू यकीन न करेगा हमारा कहना और
 अगरचे हम सच्चे हों। (17) ▲ और लाये
 उसके कुर्ते पर खून लगाकर झूठ, बोला
 यह हरगिज़ नहीं बल्कि बना दी है तुमको
 तुम्हारे नपुतों (दिल और दिमागों) ने एक
 बात, अब सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह
 ही से मदद माँगता हूँ उस बात पर जो तुम
 जाहिर करते हो। (18) और आया एक
 काफ़िला फिर भेजा अपना पानी भरने
 वाला, उसने लटका दिया अपना डोल,
 कहने लगा क्या खुशी की बात है यह है
 एक लड़का, और छुपा लिया उसको
 तिजारत का माल समझकर और अल्लाह
 ख़ूब जानता है जो कुछ वे करते हैं।
 (19) और बेच आये उसको भाई नाकिस
 कीमत के बदले, गिनती की चवन्नियाँ,
 और हो रहे थे उससे बेज़ार। (20) ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के और उनके (बाप-शरीक सौतेले) भाईयों के किस्से में (खुदा की
 क़ुदरत और आपकी नुबुव्वत की) दलीलें मौजूद हैं उन लोगों के लिये जो (आपसे उनका किस्सा)
 पूछते हैं (क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेकसी और बेबसी से सल्लनत व हुकूमत तक
 पहुँचा देना यह खुदा ही का काम था जिससे मुसलमानों के लिये सीख और ईमानी कुव्वत
 हासिल होगी। और यहूदी जिन्होंने आप-सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आजमाईश के लिये यह
 किस्सा पूछा था उनके लिये इसमें नुबुव्वत की दलील मिल सकती है। वह वक़्त काबिले ज़िक्र है
 जबकि उन (सौतेले) भाईयों ने (आपसी मशियरे के तौर पर) यह गुफ़्तगू की कि (यह क्या बात
 है कि) यूसुफ़ और उनका (सगा) भाई (बिनयामीन) हमारे बाप को ज्यादा प्यारे हैं हालाँकि (वे

दोनों कम-उम्री की वजह से उनकी खिदमत के काबिल भी नहीं, और) हम एक जमाअत की जमाअत हैं (कि अपनी ताकत व कसरत की वजह से उनकी हर तरह की खिदमत भी करते हैं) वाकई हमारे बाप खुली गुलती में हैं (इसलिये तदबीर यह करनी चाहिये कि उन दोनों में भी ज्यादा प्यार यूसुफ से है उसको किसी तरह उनके पास से हटाना चाहिये, जिसकी सूरत यह है कि) या तो यूसुफ को कल्ल कर डालो या किसी (दूर-दराज की) सरज़मीन में डाल आओ तो (फिर) तुम्हारे बाप का रुख खालिस तुम्हारी तरफ हो जायेगा और तुम्हारे सब काम बन जायेंगे।

उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कल्ल न करो (इसलिये कि यह बड़ा जुर्म है) और उनको किसी अंधेरे कुएँ में डाल दो (जिसमें इतना पानी न हो जिसमें डूबने का खतरा हो, क्योंकि वह तो कल्ल ही की एक सूरत है, अलबत्ता बस्ती और आम रास्ते से बहुत दूर भी न हो) ताकि उनको कोई राह चलता मुसाफिर निकाल ले जाये, अगर तुमको (यह काम) करना ही है (तो इस तरह करो, इस पर सब की राय बन गई और) सब ने (मिलकर बाप से) कहा कि अब्बा! इसकी क्या वजह है कि यूसुफ के बारे में आप हमारा एतिबार नहीं करते (क्योंकि कभी कहीं हमारे साथ नहीं भेजते) हालाँकि हम उसके (दिल व जान से) खैरख्वाह हैं, (ऐसा न होना चाहिये बल्कि) आप उसको कल हमारे साथ (जंगल) भेजिये कि ज़रा वह खाये खेले और हम उनकी पूरी हिफाज़त रखेंगे। याकूब (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि (मुझे साथ भेजने से दो चीज़ें रुकावट हैं- एक रंज और एक ख़ौफ़। रंज तो यह कि) मुझको यह बात ग़म में डालती है कि उसको तुम (मेरी नज़रों के सामने से) ले जाओ और (ख़ौफ़ यह कि) मैं यह अन्देशा करता हूँ कि उसको कोई भेड़िया खा जाये और तुम (अपने धंधे में) उससे बेख़बर रहो (क्योंकि उस जंगल में भेड़िये बहुत थे)। वे बोले अगर उसको भेड़िया खा ले और हम एक जमाअत की जमाअत (मौजूद) हों तो हम बिल्कुल ही गये-गुजरे हुए।

(गर्ज कि कह-सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम से ये उनको लेकर चले) तो जब उनको (अपने साथ जंगल) ले गये और (पहले तय पा चुके प्रोग्राम के मुताबिक) सब ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उनको किसी अंधेरे कुएँ में डाल दें (फिर अपनी योजना पर अमल भी कर लिया) और (उस वक़्त यूसुफ की तसल्ली के लिये) हमने उनके पास वही भेजी कि (तुम ग़मगीन न हो, हम तुमको यहाँ से छुटकारा देकर बड़े रुतबे पर पहुँचा देंगे और एक दिन वह होगा कि) तुम उन लोगों को यह बात जतलाओगे और वे तुमको (इस वजह से कि बिना अपेक्षा के अचानक शाहाना सूरत में देखेंगे) पहचानेंगे भी नहीं। (चुनौचे वाकिआ इसी तरह पेश आया कि भाई मिस्र पहुँचे और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जतलाया जैसा कि इसी सूरत की आयत 81 में आगे आ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो यह किस्सा हुआ) और (उधर) वे लोग अपने बाप के पास इशा के वक़्त रोते हुए पहुँचे (और जब बाप ने रोने का सबब पूछा तो) कहने लगे अब्बा! हम सब तो आपस में दौड़ लगाने में (कि कौन आगे निकले) लग गये और यूसुफ को हमने (ऐसी जगह जहाँ भेड़िया आने का गुमान न था) अपने सामान के पास छोड़ दिया, बस (इत्तिफ़ाक़न) एक भेड़िया (आया और) उनको खा गया और आप तो हमारा काहे को

यकीन करने लगे, हम कैसे ही सच्चे हों।

और (जब याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आने लगे थे तो) यूसुफ़ की कमीज़ पर झूठ-मूठ का खून भी लगा लाये थे (कि किसी जानवर का खून उनकी कमीज़ पर डालकर अपनी बात की सनद के लिये पेश किया) याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने (देखा तो कुर्ता कहीं से फटा हुआ नहीं था, जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से तबरी में नक़ल किया गया है, तो) फरमाया (यूसुफ़ को भेड़िये ने हरगिज़ नहीं खाया) बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो मैं सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा (सब्रे-जमील की यह तफ़सीर कि उसके साथ कोई शिकायत का हर्फ़ न हो, तबरी ने मरफ़ूज़ हदीस के हवाले से बयान की है) और जो बातें तुम बताते हो उनमें अल्लाह ही मदद करे (कि इस वक़्त मुझे उन पर सब्र आ जाये और आगे चलकर तुम्हारा झूठ खुल जाये। बहरहाल हज़रत याक़ूब सब्र करके बैठ रहे)।

और (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह किस्सा हुआ कि इत्तिफ़ाक़ से उधर) एक काफ़िला आ निकला (जो मिस्र को जा रहा था) और उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के वास्ते (यहाँ कुएँ पर) भेजा और उसने अपना डोल डाला (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने डोल पकड़ लिया, जब डोल बाहर आया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो खुश होकर) कहने लगा बड़ी खुशी की बात है, यह तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। (काफ़िले वालों को ख़बर हुई तो वे भी खुश हुए) और उनको (तिजारत का) माल करार देकर (इस ख़्याल से) छुपा लिया (कि कोई दावेदार न खड़ा हो जाये, तो फिर उसको मिस्र लेजाकर बड़ी कीमत पर फ़रोख़्त करेंगे) और अल्लाह को उन सब की कारगुज़ारियाँ मालूम थीं। (इधर वे भाई भी आस-पास लगे रहते और कुएँ में यूसुफ़ की ख़बरगिरी करते, कुछ खाना भी पहुँचाते जिससे मक़सद यह था कि यह हलाक भी न हों और कोई आकर इन्हें किसी दूसरे मुल्क में ले जाये, और याक़ूब अलैहिस्सलाम को ख़बर न हो। उस दिन जब यूसुफ़ को कुएँ में न देखा और पास एक काफ़िला पड़ा देखा तो तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पता लग गया तो काफ़िले वालों से कहा कि यह हमारा गुलाम है भागकर आ गया था और अब हम इसको रखना नहीं चाहते) और (यह बात बनाकर) उनको बहुत ही कम कीमत पर (काफ़िले वालों के हाथ) बेच डाला, यानी गिनती के चन्द दिरहम के बदले में, और (वजह यह थी कि) ये लोग उनके कुछ कद्रदान तो थे ही नहीं (कि उनको उम्दा माल समझकर बड़ी कीमत में बेचते, बल्कि इनका मक़सद तो उनको यहाँ से टालना था)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: यूसुफ़ की उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में इस पर सचेत किया गया है कि इस सूरत में आने वाले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को महज़ एक किस्सा न समझो बल्कि इसमें सवाल करने वालों और तहकीक़ करने वालों के लिये अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की बड़ी निशानियाँ और हिदायतें हैं।

इससे मुराद यह भी हो सकता है कि जिन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम की आजमाईश के लिये यह किस्सा आपसे पूछा था उनके लिये इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। रिवायत यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ रखते थे, और आपकी खबर मदीना तथ्यबा में पहुँची तो यहाँ के यहूदियों ने अपने चन्द आदमी इस काम के लिये मक्का भेजे कि वे जाकर आपकी आजमाईश करें, इसी लिये यह सवाल एक ग़ैर-वाज़ेह (अस्यष्ट) अन्दाज़ में इस तरह किया कि अगर आप खुदा के सच्चे नबी हैं तो यह बतलाइये कि वह कौनसा पैग़म्बर है जिसका एक बेटा मुल्के शाम से मिस्र लेजाया गया और बाप उसके ग़म में रोते-रोते नाबीना (अंधे) हो गये।

यह वाकिआ यहूदियों ने इसलिये चुना था कि न इसकी कोई आम शोहरत थी, न मक्का में कोई इस वाकिए से वाकिफ़ था, और उस वक़्त मक्का में अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) में से भी कोई न था जिससे तौरात या इन्ज़ील के हवाले से इस किस्से का कोई हिस्सा मालूम हो सकता। उनके इस सवाल पर ही पूरी सूर: यूसुफ़ नाज़िल हुई जिसमें हज़रत याक़ूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान हुआ है, और इतनी तफ़सील से बयान हुआ है कि तौरात व इन्ज़ील में भी इतनी तफ़सील नहीं। इसलिये इसका बयान करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुला हुआ मौजिज़ा था।

और इस आयत के यह मायने भी हो सकते हैं कि यहूदियों के सवाल को भी छोड़ दें तो खुद यह वाकिआ ऐसी बातों पर आधारित है जिनमें अल्लाह तआला की कामिल कुदरत की बड़ी निशानियाँ और तहकीक़ करने वालों के लिये बड़ी हिदायत और अहकाम व मसाईल मौजूद हैं, कि जिस बच्चे को भाईयों ने तबाही के गड़ढ़े में डाल दिया था अल्लाह तआला की कुदरत ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और किस तरह उसकी हिफ़ाज़त की, और अपने खास बन्दों को अपने अहकाम की पाबन्दी का किस क़द्र गहरा रंग अता फ़रमाया कि नौजवानी के ज़माने में ऐश व मस्ती में वक़्त गुज़ारने का बेहतरीन मौक़ा मिलता है मगर वह खुदा तआला के ख़ौफ़ से नफ़स की इच्छाओं पर कैसा क़ाबू पाते हैं कि साफ़ तौर पर उस बला से निकल जाते हैं, और यह कि जो शख़्स नेकी और परहेज़गारी इख़्तियार करे अल्लाह तआला उसको अपने मुखालिफ़ों के मुक़ाबले में कैसे इज़्ज़त देते हैं और मुखालिफ़ों को उसके क़दमों में ला डालते हैं। ये सब इब्ते व नसीहतें और अल्लाह की कुदरत की अज़ीम निशानियाँ हैं जो हर तहकीक़ करने वाले और ग़ौर करने वाले को मालूम हो सकती हैं। (तफ़सीर क़ुर्तुबी व मज़हरी)

इस आयत में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों का जि़क्र है। उनका वाकिआ यह है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समेत बारह लड़के थे। उनमें से हर लड़का औलाद वाला हुआ, सब के ख़ानदान फैले। चूँकि याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब (उपनाम) इस्राईल था, इसलिये ये सब बारह ख़ानदान बनी इस्राईल (इस्राईल की औलाद) कहलाये।

इन बारह लड़कों में दस बड़े लड़के हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी मोहतरमा हज़रत लय्या लय्यान की पुत्री के पेट से थे, उनके इन्तिकाल के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने लय्या की बहन राहील से निकाह कर लिया, उनके पेट से दो लड़के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और

बिनयामीन पैदा हुए। इसलिये यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई सिर्फ बिनयामीन थे, बाकी दस भाई बाप-शरीक थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील का इन्तिकाल भी उनके बचपन ही में बिनयामीन की पैदाईश के साथ हो गया था। (तफसीरे कुरुबी)

दूसरी आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा कि वह यूसुफ अलैहिस्सलाम से गैर-मामूली (बहुत ज्यादा और असाधारण) मुहब्बत रखते हैं जो उनके बड़े भाईयों को झसिल नहीं, इसलिये उन पर हसद हुआ। और यह भी मुम्किन है कि किसी तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़ाब (सपना) भी मालूम हो गया हो, जिससे उन्होंने यह महसूस किया हो कि इनकी बड़ी शान होने वाली है, इससे हसद (जलन) पैदा हुआ और आपस में गुफ्तगू की कि हम यह देखते हैं कि हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके सगे भाई बिनयामीन से ज्यादा मुहब्बत है, हालाँकि हम दस हैं और उनसे बड़े हैं, घर के काम-काज संभालने की ताक़त रखते हैं, और ये दोनों छोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे वालिद को इसका ख़्याल करना और हमसे ज्यादा मुहब्बत करनी चाहिये थी, मगर उन्होंने खुली हुई बेइन्साफी कर रखी है, इसलिये या तो तुम यूसुफ को क़त्ल कर डालो या फिर किसी दूर ज़मीन में फेंक आओ जहाँ से वापस न आ सके।

इस आयत में उन भाईयों ने अपने बारे में लफ़्ज़ 'उस्बतुन' इस्तेमाल किया है। यह लफ़्ज़ अरबी भाषा में पाँच से लेकर दस तक की जमाअत के लिये बोला जाता है, और अपने वालिद के बारे में जो यह कहा कि:

إِنَّا بِنَا لِيْ ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۝

इसमें लफ़्ज़ 'ज़लाल' के तुगवी मायने गुमराही के हैं, मगर यहाँ गुमराही से मुराद दीनी गुमराही नहीं, वरना ऐसा ख़्याल करने से ये सब के सब काफ़िर हो जाते, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के चुने हुए, ख़ास पैग़म्बर और नबी हैं, उनकी शान में ऐसा ख़्याल क़तई कुफ़्र है।

और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों के बारे में खुद कुरआने करीम में बयान हुआ है कि बाद में उन्होंने अपने जुर्म को स्वीकार करके वालिद से मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ की दरख़्वास्त की, जिसको उनके वालिद ने कुबूल किया, जिससे ज़ाहिर यह है कि उन सब की ख़ता माफ़ हुई। यह सब इसी सू़रत में हो सकता है कि ये सब मुसलमान हों, वरना काफ़िर के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ जायज़ नहीं। इसी लिये उन्हें भाईयों के नबी बनने में तो उलेमा का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है मगर मुसलमान होने में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। इससे मालूम हुआ कि लफ़्ज़ ज़लाल इस जगह सिर्फ़ इस मायने में बोला गया है कि भाईयों के हुकूक में बराबरी नहीं करते।

तीसरी आयत में यह बयान है कि उन भाईयों में मशियरा हुआ, बाज़ ने यह राय दी कि यूसुफ को क़त्ल कर डालो, बाज़ ने कहा कि किसी ग़ैर-आबाद कुएँ की गहराई में डाल दो ताकि यह कौंटा बीच से निकल जाये और तुम्हारे बाप की पूरी तवज्जोह तुम्हारी ही तरफ़ हो जाये।

रहा वह गुनाह जो उसके क़त्ल या कुएँ में डालने से होगा सो बाद में तौबा करके तुम नेक हो सकते हो। आयत के जुमले:

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

के मायने यह भी बयान किये गये हैं, और यह मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ के क़त्ल के बाद तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जायेंगे, क्योंकि बाप की तवज्जोह का मर्कज़ (केन्द्र) खत्म हो जायेगा, या यह कि क़त्ल के बाद बाप से उज़्र-माज़िरत (यानी अपनी ग़लती मानकर और माफ़ी-तलाफ़ी) करके तुम फिर वैसे ही हो जाओगे।

यह दलील है इस बात की कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ये भाई नबी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने इस वाकिए में बहुत से कबीरा (बड़े) गुनाहों का काम किया। एक बेगुनाह के क़त्ल का इरादा, बाप की नाफरमानी, और तकलीफ़ पहुँचाना, मुआहदे का उल्लंघन, फिर सातिश बग़ैरह। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से नुबुव्वत से पहले भी जमहूर (उलेमा व बुजुर्गों की अक्सरियत) के अक़ीदे के मुताबिक़ ऐसे गुनाह सर्जद नहीं हो सकते।

चौथी आयत में है कि उन्हीं भाईयों में से एक ने यह सारी गुफ्तगू सुनकर कहा कि यूसुफ़ को क़त्ल न करो, अगर कुछ करना ही है तो कुएँ की गहराई में ऐसी जगह डाल दो जहाँ यह ज़िन्दा रहे और राह चलते मुसाफ़िर जब उस कुएँ पर आयें तो वे इसको उग़ाकर ले जायें। इस तरह तुम्हारा मक़सद भी पूरा हो जायेगा और इसको लेकर तुम्हें खुद किसी दूर मक़ाम पर जाना भी न पड़ेगा। कोई क़ाफ़िला आयेगा वह खुद इसको अपने साथ किसी दूर-दराज़ के मक़ाम पर पहुँचा देगा।

यह राय देने वाला उनका सबसे बड़ा भाई यहूदा था। और कुछ रिवायतों में है कि रोबील सबसे बड़ा था, उसी ने यह राय दी, और यह वह शख्स है जिसका ज़िक्र आगे आता है कि जब मित्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिनयामीन को रोक लिया गया तो इसने कहा कि मैं जाकर बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा, इसलिये मैं वापस किनआन नहीं जाता।

इस आयत में लफ़ज़ 'ग़याबतिल्-जुब्बि' फ़रमाया है। ग़याबा हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को छुपा ले और ग़ायब कर दे, इसी लिये क़ब्र को भी 'ग़याबा' कहा जाता है और जुब्ब ऐसे कुएँ को कहते हैं जिसकी मन बनी हुई न हो।

يَنْقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

लफ़ज़ 'इल्लिकात' लुप्त से बना है, लुक़ता उस गिरी-पड़ी चीज़ को कहते हैं जो किसी को बग़ैर तलब के मिल जाये। ग़ैर-जानदार चीज़ हो तो उसको लुक़ता और जानदार को फ़ुक़हा की परिभाषा में लक़ीत कहा जाता है। इनसान को लक़ीत उसी वक़्त कहा जायेगा जबकि वह बच्चा हो, आकिल बालिग़ न हो। अल्लामा कुर्तुबी ने इसी लफ़ज़ से दलील पकड़ी है कि जिस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डाला गया था उस वक़्त वह नाबालिग़ बच्चे थे, तथा याक़ूब अलैहिस्सलाम का यह फ़रमाना भी उनके बच्चा होने की तरफ़ इशारा है कि मुझे ख़ौफ़ है कि

इसको भेड़िया खा जाये, क्योंकि भेड़िये का खा जाना बच्चों ही के मामले में जेहन में आता है। इब्ने जरीर, इब्नुल-मुन्ज़िर और इब्ने अबी शैबा की रियायत में है कि उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र सात साल थी। (तफसीरे मज़हरी)

इमाम क़ुर्तुबी ने इस जगह लुकता और लक़ीत के शरई अहकाम की तफसील बयान की है जिसकी यहाँ गुन्जाईश नहीं, अलबत्ता इसके बारे में एक उसूली बात यह समझ लेनी चाहिये कि इस्लामी निज़ाम में आम लोगों के जान व माल की हिफ़ाज़त रास्तों और सड़कों की सफ़ाई वगैरह को सिर्फ़ हुकूमत के महकमों की ज़िम्मेदारी नहीं बनाया, बल्कि हर शख्स को इसका पाबन्द बनाया है। रास्तों और सड़कों में खड़े होकर या अपना कोई सामान डालकर चलने वालों के लिये तंगी पैदा करने पर हदीस में सख्त वईद (सज़ा की धमकी) आई है। फ़रमाया कि "जो शख्स मुसलमानों का रास्ता तंग कर दे उसका जिहाद मक़बूल नहीं।" इसी तरह अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचने का ख़तरा है जैसे क़ॉटे या काँच के टुकड़े या पत्थर वगैरह, उनको रास्ते से हटाना सिर्फ़ म्यूनिसिपल बोर्ड की ज़िम्मेदारी नहीं बनाया बल्कि हर मुसलमान को इस तरफ़ तवज्जोह दिलाकर इसका ज़िम्मेदार बनाया है और ऐसा करने वालों के लिये बड़े अज़्र व सवाब का वायदा किया गया है।

इसी उसूल पर किसी शख्स का गुमशुदा माल किसी को मिल जाये तो उसकी शरई ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी ही नहीं कि उसको चुराये नहीं, बल्कि यह भी उसके ज़िम्मे है कि उसको हिफ़ाज़त से उठाकर रखे और ऐलान करके मालिक को तलाश करे, वह मिल जाये और निशानी वगैरह बयान करने से यह इत्मीनान हो जाये कि यह माल उसी का है तो उसको दे दे। और ऐलान व तलाश के बावजूद मालिक का पता न चले और माल की हैसियत के मुताबिक़ यह अन्दाज़ा हो जाये कि अब मालिक इसको तलाश नहीं करेगा उस वक़्त अगर खुद ग़रीब मुफ़लिस है तो अपने ख़र्च में ले ले, वरना मिस्कीनों पर सदका कर दे, और इन दोनों सूरतों में यह मालिक की तरफ़ से सदका क़रार दिया जायेगा, इसका सवाब उसको मिलेगा। गोया आसमानी बैतुल-माल में उसके नाम पर जमा कर दिया गया।

ये हैं उम्मी ख़िदमत (जन-कल्याण) और आपसी इमदाद के वो उसूल जिनकी ज़िम्मेदारी इस्लामी समाज के हर फ़र्द पर लागू की गई है। काश! मुसलमान अपने दीन को समझें और इस पर अमल करने लगे तो दुनिया की आँखें खुल जायें कि हुकूमत के बड़े-बड़े महकमे करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी जो काम अन्जाम नहीं दे सकते वह इस आसानी के साथ किस शान से पूरा हो जाता है।

पाँचवीं और छठी आयत में है कि उन भाईयों ने वालिद के सामने दरख़्वास्त इन लफ़्ज़ों में पेश कर दी कि अब्बा जान! यह क्या बात है कि आपको यूसुफ़ के बारे में हम पर इत्मीनान नहीं, हालाँकि हम उसके पूरे ख़ैरख़्वाह (भला चाहने वाले) और हमदर्द हैं। कल उसको आप हमारे साथ (सैर व तफ़रीह के लिये) भेज दीजिये कि वह भी आज़ादी के साथ ख़ाये पिये और खेले, और हम सब उसकी पूरी हिफ़ाज़त करेंगे।

भाईयों की इस दरखास्त से मालूम होता है कि वे इससे पहले भी कभी ऐसी दरखास्त कर चुके थे जिसको वालिद साहिब ने कुबूल न किया था, इसलिये इस मर्तबा ज़रा ताकीद और ज़्यादा कोशिश के साथ वालिद को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की गई है।

इस आयत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से सैर व तफ़रीह और आज़ादी से खाने पीने खेलने कूदने की इजाज़त माँगी गई है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको इसकी कोई मनाही नहीं फ़रमाई, सिर्फ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ भेजने में शंका और दुविधा का इज़हार किया, जो अगली आयत में आयेगा। इससे मालूम हुआ कि सैर व तफ़रीह, खेल-कूद जायज़ हदों के अन्दर जायज़ व दुरुस्त हैं। सही हदीसों से भी इसका जायज़ होना मालूम होता है, मगर यह शर्त है कि उस खेल-कूद में शर्ई हदों से बाहर न निकला जाये, और किसी नाजायज़ काम की उसमें मिलावट न हो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी वग़ैरह)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने जब वालिद से यह दरखास्त की कि यूसुफ़ को कल हमारे साथ तफ़रीह के लिये भेज दीजिये, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि उसको भेजना दो वजह से पसन्द नहीं करता, अब्बल तो मुझे उस नूरे नज़र के बग़ैर चैन नहीं आता, दूसरे यह ख़तरा है कि जंगल में कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लापरवाही के वक़्त उसको भेड़िया खा जाये।

याक़ूब अलैहिस्सलाम को भेड़िये का ख़तरा या तो इस वजह से हुआ कि किनआन में भेड़ियों की अधिकता थी, और या इस वजह से कि उन्होंने ख़ाब में देखा था कि वह किसी पहाड़ी के ऊपर हैं और यूसुफ़ उसके दामन में नीचे हैं, अचानक दस भेड़ियों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा मगर एक भेड़िये ही ने बचाव करके छुड़ा दिया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़मीन के अन्दर छुप गये।

जिसकी ताबीर बाद में इस तरह ज़ाहिर हुई कि दस भेड़िये ये दस भाई थे और जिस भेड़िये ने बचाव करके उनको हलाकत से बचाया वह बड़ा भाई यहूदा था और ज़मीन में छुप जाना कुएँ की गहराई से ताबीर थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में नक़ल किया गया है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को इस ख़ाब की बिना पर खुद उन भाईयों से ख़तरा था, उन्हीं को भेड़िया कहा था मगर मस्तेहत के सबब पूरी बात ज़ाहिर नहीं फ़रमाई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

भाईयों ने याक़ूब अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर कहा कि आपका यह ख़ौफ़ व ख़तरा अजीब है, हम दस आदमियों की मजबूत जमाअत इसकी हिफ़ाज़त के लिये मौजूद है, अगर हम सब के होते हुए इसको भेड़िया खा जाये तो हमारा तो वजूद ही बेकार हो गया, और फिर हमसे किसी काम की क्या उम्मीद की जा सकती है।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पैग़म्बराना शान से औलाद के सामने इस बात को नहीं खोला कि मुझे ख़तरा तो खुद तुम ही से है, क्योंकि अब्बल तो इससे सारी औलाद का दिल दुखाना होता, दूसरे बाप के ऐसा कहने के बाद ख़तरा यह था कि भाईयों की दुश्मनी और बढ़

जायेगी और इस वक़्त छोड़ भी दिया तो दूसरे किसी वक़्त किसी बहाने से क़त्ल कर देंगे। इसलिये इजाज़त दे दी मगर भाईयों से मुकम्मल अहद व पैमान लिया कि इसको कोई तकलीफ़ न पहुँचने देंगे और बड़े भाई रोबील या यहूदा को विशेष तौर पर सुपुर्द किया कि तुम इनकी भूख़ प्यास और दूसरी ज़रूरतों का पूरी तरह ध्यान रखना और जल्द वापस लाना। भाईयों ने वालिद के सामने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने मोंडों पर उठा लिया और बारी-बारी सब उठाते रहे, कुछ दूर तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी उनको रुख़सत करने के लिये बाहर गये।

अल्लामा कुर्तुबी ने तारीख़ी रिवायतों के हवाले से बयान किया है कि जब ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से ओझल हो गये तो उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस भाई के कन्धे पर थे उसने उनको ज़मीन पर पटक दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदल चलने लगे मगर कम उम्र थे उनके साथ दौड़ने से आजिज़ हुए तो दूसरे भाई की पनाह ली, उसने भी कोई हमदर्दी न की तो तीसरे चौथे हर भाई से इमदाद को कहा मगर सबने यह जवाब दिया कि तूने जो ग्यारह सितारे और चाँद सूरज अपने आपको सज्दा करते हुए देखे थे उनको पुकार, वही तेरी मदद करेंगे।

अल्लामा कुर्तुबी ने इसी वजह से फ़रमाया कि इससे मालूम हुआ कि भाईयों को किसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़्वाब मालूम हो गया था, वह ख़्वाब ही उनकी सख़्त नाराज़गी और आक्रोश का सबब बना।

आख़िर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा कि आप बड़े हैं, आप मेरी कमज़ोरी और कम-उम्रि और अपने बूढ़े वालिद के हाल पर रहम करें और उस अहद को याद करें जो जो वालिद से आपने किये हैं। आपने कितनी जल्दी उस अहद व पैमान को भुला दिया। यह सुनकर यहूदा को रहम आया और उनसे कहा कि जब तक मैं ज़िन्दा हूँ ये भाई तुझे कोई तकलीफ़ न पहुँचा सकेंगे।

यहूदा के दिल में अल्लाह तआला ने रहमत और सही अमल की तौफ़ीक़ डाल दी, तो यहूदा ने अपने दूसरे भाईयों को ख़िताब किया कि बेगुनाह का क़त्ल बहुत बड़ा जुर्म है, खुदा से डरो, और इस बच्चे को इसके वालिद के पास पहुँचा दो, अलबत्ता इससे यह अहद ले लो कि बाप से तुम्हारी कोई शिकायत न करे।

भाईयों ने जवाब दिया कि हम जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, तुम यह चाहते हो कि बाप के दिल में अपना मर्तबा सबसे ज़्यादा कर लो, इसलिये सुन लो कि अगर तुमने हमारे इरादे में बाधा डाली तो हम तुम्हें भी क़त्ल कर देंगे। यहूदा ने देखा कि नौ भाईयों के मुक़ाबले में तन्हा कुछ नहीं कर सकते तो कहा कि अच्छा अगर तुम यही तय कर चुके हो कि इस बच्चे को ज़ाया करो तो मेरी बात सुनो, यहाँ करीब ही एक पुराना कुआँ है जिसमें बहुत से झाड़ निकल आये हैं, साँप, बिच्छू और तरह-तरह के तकलीफ़ देने वाले जानवर उसमें रहते हैं, तुम इसको उस कुएँ में डाल दो, अगर इसको किसी साँप वगैरह ने डसकर ख़त्म कर दिया तो तुम्हारी मुराद हांसिल है और तुम अपने हाथ से इसका खून बहाने से बरी रहे, और अगर यह ज़िन्दा रहा तो कोई

काफ़िला शायद यहाँ आये और पानी के लिये कुएँ में डोल डाले और यह निकल आये तो वह इसको अपने साथ किसी दूसरे मुल्क में पहुँचा देगा, इस सूरत में भी तुम्हारा मक़सद हासिल हो जायेगा।

इस बात पर सब भाईयों का इत्तिफ़ाक़ हो गया जिसका बयान मज़क़ूरा आयतों में से तीसरी आयत में इस तरह आया है:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَاجْتَمَعُوا أَنَا يُحْمَلُونَ فِي غَيْبِ الْحَبِّ وَأَرْحَمَنَا إِلَيْهِ لَنَسْتَبْتَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“यानी जब ये भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गये और इस पर सब मुल्तफ़िक़ (सहमत) हो गये कि इसको कुएँ की गहराई में डाल दें तो अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही के द्वारा इत्तिला दी कि एक दिन ऐसा आवेगा जब तुम अपने भाईयों को उनकी इस करतूत पर तंबीह करोगे और वे कुछ न जानते होंगे।”

यहाँ लफ़ज़ ‘व औहैना’ ‘फलम्मा ज़-हबू’ की जज़ा और जवाब है, हर्फ़ वाव इस जगह ज़्यादा है। (कुर्तुबी) मतलब यह है कि भाईयों ने मिलकर कुएँ में डालने का इरादा कर ही लिया तो अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तसल्ली के लिये वही भेज दी जिसमें किसी आईन्दा ज़माने में भाईयों से मुलाक़ात की और इसकी खुशख़बरी दी गई है कि उस वक़्त आप इन भाईयों से बेनियाज़ और हाकिम होंगे, जिसकी वजह से इनके इस जुल्म व सितम पर पकड़ और पूछगछ करेंगे और ये इस सारे मामले में बेख़बर होंगे।

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं: एक यह कि यह वही उनको कुएँ में डालने के बाद तसल्ली और यहाँ से निजात की खुशख़बरी देने के लिये आई हो, दूसरे यह कि कुएँ में डालने से पहले ही अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पेश आने वाले हालात व वाक़िआत से वही के ज़रिये बाख़बर कर दिया हो, जिसमें यह भी बतला दिया कि आप इस तबाही से सलामत रहेंगे, और ऐसे हालात पेश आयेंगे कि आपको उन भाईयों पर फटकार लगाने और पूछगछ करने का मौक़ा मिलेगा जबकि वे आपको पहचानेंगे भी नहीं, कि उनके भाई यूसुफ़ हैं।

यह वही जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बचपन के ज़माने में नाज़िल हुई, तफ़सीरे मज़हरी में है कि यह वही नुबुव्वत की न थी क्योंकि वह चालीस साल की उम्र में अता होती है, बल्कि यह वही ऐसी ही थी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही के ज़रिये सूचित किया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर नुबुव्वत की वही का सिलसिला मिस्र पहुँचने और जवान होने के बाद शुरू हुआ, जैसा कि इरशाद है:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا.

और इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम ने इसको विशेष रूप की और आ़म दस्तूर से हटकर नुबुव्वत की वही क़रार दिया है जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में नुबुव्वत अता की गई। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि भिन्न पहुँचने के बाद अल्लाह तज़ाला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये इस बात से मना कर दिया था कि वह अपने हाल की ख़बर अपने घर भेजें। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

यही वजह थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे पैग़म्बरे खुदा ने जेल से रिहाई और मुल्के भिन्न की हुकूमत मिलाने के बाद भी कोई ऐसी सूत्र नहीं निकाली जिसके ज़रिये बूढ़े वालिद को अपनी सलामती की ख़बर देकर मुत्मईन कर देते।

अल्लाह जल्ल शानुहू की हिक्मतों को कौन जान सकता है जो इस अन्दज़ में छुपी थीं, शायद यह भी मन्ज़ूर हो कि याकूब अलैहिस्सलाम को ग़ैरुल्लाह के साथ इतनी मुहब्बत के नापसन्द होने पर आगाह किया जाये और यह कि भाईयों को ज़रूरतमन्द बनाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश करके उनके अमल की कुछ सज़ा तो उनको भी देना मक़सद हो।

इमामे कुर्तुबी वगैरह मुफ़स्सिरिन ने इस जगह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डालने का वाकिफ़ा यह बयान किया है कि जब उनको डालने लगे तो वह कुएँ की मन पर चिमट गये, भाईयों ने उनका कुर्ता निकालकर उससे हाथ बाँधे, उस वक़्त फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाईयों से रहम की दरख़्वास्त की, मगर वही जवाब मिला कि ग्यारह सितारे जो तुझे सच्चा करते हैं उनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक डोल में रखकर कुएँ में लटकाया, जब आधी दूरी तक पहुँचे तो उसकी रस्सी काट दी, अल्लाह तज़ाला ने अपने यूसुफ़ की हिफ़ाज़त फ़रमाई, पानी में गिरने की वजह से कोई चोट न आई और करीब ही एक पत्थर की चट्टान निकली हुई नज़र आई, सही सालिम उस पर बैठ गये। कुछ रिवायतों में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, उन्होंने चट्टान पर बैठा दिया।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तीन दिन उस कुएँ में रहे, उनका भाई यहूदा दूसरे भाईयों से छुपकर रोज़ाना उनके लिये खाना पानी लाता और डोल के ज़रिये उन तक पहुँचा देता था।

وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

यानी इशा के वक़्त ये भाई रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनके रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आये, पूछा क्या हादसा है? क्या तुम्हारी बकरियों के गल्ले पर किसी ने हमला किया है? और यूसुफ़ कहाँ है? तो भाईयों ने कहा:

يَا أَبَانَا إِنَّ دَهَبًا نَسَبْنَا وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ اللَّيْلُ وَمَأْتَتْ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَتَوَكَّلْنَا صٰدِقِيْنَ ۝

“यानी हमने आपस में दौड़ लगाई और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, इस बीच में यूसुफ़ को भेड़िया खा गया और हम कितने ही सच्चे हों आपको हमारा यकीन तो आयेगा नहीं।”

अल्लामा इब्ने अरबी ने ‘अहकामुल-कुरआन’ में फ़रमाया कि आपसी मुसाबक़त (दौड़) शरीअत में जायज़ और अच्छी ख़स्तत है जो जंग व जिहाद में काम आती है। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुद अपने आप भी दौड़ लगाना सही हदीसों में साबित है

और घोड़ों की मुसाबकत कराना (यानी घुड़दौड़) भी साबित है। सहाबा-किराम में से सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स के साथ दौड़ में मुसाबकत की तो सलमा गालिब आ गये।

उक्त आयत और इन रिवायतों से असल घुड़दौड़ का जायज़ होना साबित है और घुड़दौड़ के अलावा दौड़ें, तीर-अन्दाजी के निशाने वगैरह में भी आपसी मुकाबला और मैच जायज़ है। और इस मुसाबकत (मुकाबले और मैच) में गालिब आने वाले फ़रीक़ को किसी तीसरे की तरफ़ से इनाम दे देना भी जायज़ है, लेकिन आपस में हार-जीत की कोई रक़म शर्त के तौर पर मुक़र्र करना जुआ और किमार है, जिसको कुरआने करीम ने हराम करार दिया है। आजकल जितनी सूरतें घुड़दौड़ की राईज (प्रचलित) हैं वे कोई भी जुए और किमार से ख़ाली नहीं, इसलिये सब हराम व नाजायज़ हैं।

पिछली आयतों में ज़िक्र हुआ था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने आपस की बातचीत और योजना बन्दी के बाद आख़िरकार उनको एक ग़ैर-आबाद कुएँ में डाल दिया और वालिद को आकर यह बताया कि उनको भेड़िया खा गया है। उपर्युक्त आयतों में अगला किस्सा इस तरह ज़िक्र किया गया है।

وَجَاءُ وَعَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठा खून लगाकर लाये थे ताकि वालिद को भेड़िये के खाने का यकीन दिलायें।

मगर अल्लाह तआला ने उनका झूठ ज़ाहिर करने के लिये उनको इससे ग़ाफ़िल कर दिया कि कुर्ते पर खून लगाने के साथ उसको फाड़ भी देते जिससे भेड़िये का खाना साबित होता, उन्होंने सही सालिम कुर्ते पर बकरी के बच्चे का खून लगाकर बाप को धोखे में डालना चाहा। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता सही सालिम देखकर फरमाया मेरे बेटो! यह भेड़िया कैसा बुद्धिमान और अक्लमन्द था कि यूसुफ़ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से नहीं फटा।

इसी तरह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पर उनके फ़रेब का राज़ खुल गया और फरमाया:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَرَّحْ جَمِيعاً، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

“यानी यूसुफ़ को भेड़िये ने नहीं खाया, बल्कि तुम्हारे ही नफ़सों ने एक बात बनाई है, अब मेरे लिये बेहतर यही है कि सब कलूँ और जो कुछ तुम कहते हो उस पर अल्लाह से मदद माँगूँ।”

मसला: याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता सही सालिम होने से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के झूठ पर दलील पकड़ी है, इससे मालूम हुआ कि काज़ी या हाकिम को दोनों पक्षों के दावों और दलीलों के साथ हालात और इशारात पर भी नज़र करनी चाहिये। (तफ़्सीरी कुरुतुबी)

मारवदी रस्मतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी तारीख़ के अज़ायबात में से है, तीन अज़ीमुशशान वाकिआत इसी कुर्ते से जुड़े हैं।

पहला वाकिआ खून से भरकर वालिद को धोखा देने और कुर्ते की गवाही और सुबूत से

झूठा साबित होने का है।

दूसरा वाकिआ जुलैखा का कि उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ही सुबूत में पेश हुआ है।

तीसरा वाकिआ याक़ूब अलैहिस्सलाम की बीनाई (आँखों की रोशनी) वापस आने का, इसमें भी उनका कुर्ता ही चमत्कारी साबित हुआ है।

मसला: कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जो बात अपने बेटों से उस वक़्त कही थी कि:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا.

यानी तुम्हारे नफ़सों ने एक बात बनाई है। यही बात उस वक़्त भी कही जब मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिनयामीन एक चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिये गये और उनके भाईयों ने याक़ूब अलैहिस्सलाम को इसकी ख़बर की तो फ़रमाया:

سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

यहाँ ग़ौर करने का मक़ाम है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ये दोनों बातें अपनी राय से कही थीं, इनमें से पहली बात सही निकली दूसरी सही नहीं थी, क्योंकि इसमें भाईयों का कसूर न था। इससे मालूम हुआ कि राय की ग़लती पैग़म्बरों से भी शुरू में हो सकती है अगरचे बाद में उनको अल्लाह की वही के द्वारा उस ग़लती पर कायम नहीं रहने दिया जाता।

और तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि इससे साबित हुआ कि राय की ग़लती बड़े-बड़ों से हो सकती है, इसलिये हर राय देने वाले को चाहिये कि अपनी राय को आख़िरी न समझे, उसमें भी ग़लती होने की संभावना को माने, उस पर ऐसा इसरार न करे कि दूसरों की बात सुनने मानने को तैयार न हो।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةٌ.

सय्यारा के मायने हैं काफ़िला। वारिद से मुराद वे लोग हैं जो काफ़िले से आगे रहते हैं काफ़िले की ज़रूरतें पानी वगैरह मुहैया करना उनकी जिम्मेदारी होती है। 'अदला' के मायने कुएँ में डोल डालने के हैं। मतलब यह है कि इत्तिफ़ाक़ से एक काफ़िला उस सरज़मीन पर आ निकला। तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि यह काफ़िला मुल्के शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस ग़ैर-आबाद जंगल में पहुँच गया, और पानी लाने वालों को कुएँ पर भेजा।

लोगों की नज़र में यह इत्तिफ़ाकी वाकिआ था कि मुल्क शाम का काफ़िला रास्ता भूलकर यहाँ पहुँचा और इस ग़ैर-आबाद कुएँ से साबका पड़ा, लेकिन कायनात के राज़ों का जानने वाला जान सकता है कि ये सब वाकिआत आपस में जुड़े हुए और एक स्थिर निज़ाम की मिली हुई कड़ियाँ हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पैदा करने वाला और उसकी हिफ़ाज़त करने वाला ही काफ़िले को रास्ते से हटाकर यहाँ लाता है, और उसके आदमियों को इस ग़ैर-आबाद कुएँ पर भेजता है। यही हाल है उन तमाम हालात व वाकिआत का जिनको आ़म इनसान इत्तिफ़ाकी

घटनायें समझते हैं, और फ़ल्सफ़े वाले उनको तक्दीर व इत्तिफ़ाक़ कहा करते हैं, जो दर हकीकत कायनात के निज़ाम से नावाक़फ़ियत पर आधारित होता है, वरना मालिके कायनात के इस निज़ाम में कोई मुक़द्दर व इत्तिफ़ाक़ नहीं, हक़ सुब्हानहू व तआला जिसकी शान 'फ़अ़आलुल-लिमा युरीद' (यानी जो चाहे करे) है, अपनी छुपी हिक्मतों के तहत ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि ज़ाहिरी वाकिआत और घटनाओं से उनका जोड़ समझ में नहीं आता, तो इनसान उनको इत्तिफ़ाकी घटनायें करार देता है।

बहरहाल उनका आदमी जिसका नाम मालिक बिन दुअ़बर बतलाया जाता है उस कुएँ पर पहुँचा, डोल डाला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुदरत की इमदाद का नज़ारा किया, उस डोल की रस्सी पकड़ ली, पानी के बजाय डोल के साथ एक ऐसी हस्ती का चेहरा सामने आ गया जिसकी आईन्दा होने वाली बड़ी शान से भी नज़र हटा ली जाये तो मौजूदा हालत में भी अपने हुस्न व जमाल (बेमिसाल ख़ूबसूरती) और मानवी कमालात के चमकते निशानात उनकी बड़ाई और श्रेष्ठता के लिये कुछ कम न थे। एक अजीब अन्दाज़ से कुएँ की गहराई से बरामद होने वाले, इस कम-उम्र हसीन और होनहार बच्चे को देखकर पुकार उठा:

يُسْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ

अरे बड़ी खुशी की बात है, यह तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया है। सही मुस्लिम में मेराज की रात वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह तआला ने पूरे आलम के हुस्न व जमाल (सुन्दरता) में से आधा उनको अ़ता फ़रमाया है, और बाकी आधा सारे जहान में बँटा हुआ है।

وَأَسْرُوهُ بِضَاعَۃً

यानी छुपा लिया उसको तिजारत का एक माल समझकर। मतलब यह है कि शुरू में तो मालिक बिन दुअ़बर यह लड़का देखकर ताज्जुब से पुकार उठा मगर फिर मामले पर ग़ौर करके यह तय किया कि इसका चर्चा न किया जाये, इसको छुपाकर रखे ताकि इसको फ़रोख्त करके रक़म वसूल करे। अगर पूरे काफ़िले में इसका चर्चा हो गया तो सारा काफ़िला इसमें शरीक हो जायेगा।

और यह मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने असल हकीकत को छुपाकर उनको एक माले तिजारत बना लिया जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि यहूदा रोज़ाना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में खाना पहुँचाने के लिये जाते थे, तीसरे दिन जब उनको कुएँ में न पाया तो वापस आकर भाईयों से वाकिआ बयान किया, ये सब भाई जमा होकर वहाँ पहुँचे, तहकीक़ करने पर काफ़िले वालों के पास यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरामद हुए तो उनसे कहा कि यह लड़का हमारा गुलाम है, भागकर यहाँ आ गया है, तुमने बहुत बुरा किया कि इसको अपने कब्ज़े में रखा। मालिक बिन दुअ़बर और उनके साथी सहम गये कि हम चोर समझे जायेंगे इसलिये भाईयों से उनके ख़रीदने की बातचीत होने लगी।

तो आयत के मायने यह हुए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने खुद ही यूसुफ को एक माले तिजारत बना लिया और फरोख्त कर दिया।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

यानी अल्लाह तआला को उनकी सब कारगुजारियाँ मालूम थीं।

मतलब यह है कि अल्लाह तआला शानुहू को सब मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या करेंगे, और उनसे खरीदने वाला काफिला क्या करेगा, और वह इस पर पूरी क़ुदरत रखते थे कि उन सब के मन्सूबों को खाक में मिला दें, लेकिन तक्दीरी हिक्मतों के मातहत अल्लाह तआला ने इन मन्सूबों को चलने दिया।

इमाम इब्ने कसीर ने फरमाया कि इस जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये भी यह हिदायत है कि आपकी क़ौम जो कुछ आपके साथ कर रही है या करेगी वह सब हमारे इल्म व क़ुदरत से बाहर नहीं, अगर हम चाहें तो एक आन में सब को बदल डालें, लेकिन हिक्मत का तकाज़ा यही है कि इन लोगों को इस वक़्त अपनी ताक़त आजमाने दिया जाये और परिणामस्वरूप आपको इन पर ग़ालिब करके हक़ को ग़ालिब किया जायेगा जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया गया।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ مِّنْ نَّحْسٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

लफ़्ज़ शिरा अरबी भाषा में खरीदने और फरोख्त करने दोनों के लिये इस्तेमाल होता है, यहाँ भी दोनों मायने की गुंजाईश व संभावना है, ज़मीर (सर्वनाम) अगर यूसुफ के भाईयों की तरफ़ लौटाई जाये तो फरोख्त करने के मायने होंगे और काफिले वालों की तरफ़ लौटाई जाये तो खरीदने के मायने होंगे। मतलब यह है कि बेच डाला यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने या खरीद लिया काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत थोड़ी-सी क़ीमत यानी गिनती के चन्द दिरहमों के बदले में।

इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि अरब के व्यापारियों की आदत यह थी कि बड़ी रक़मों के मामलात वज़न से किया करते थे, और छोटी रक़मों जो चालीस से ज़्यादा न हों उनके मामलात गिनती से किया करते थे, इसलिये दराहिम के साथ मअ़दूदा के लफ़्ज़ ने यह बतला दिया कि दिरहमों की मात्रा चालीस से कम थी। इब्ने कसीर ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से लिखा है कि बीस दिरहम के बदले में सौदा हुआ और दस भाईयों ने दो-दो दिरहम आपस में बाँट लिये, दिरहमों की तादाद में बाईस और चालीस दिरहम की भी अलग-अलग रिवायतें नक़ल की गयी हैं। (इब्ने कसीर)

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

ज़ाहिदीन, ज़ाहिद की जमा (बहुवचन) है, जो जुहद से निकला है, जुहद के लफ़्ज़ी मायने बेरग़बती (रुचि न लेने) और बेतवज्जोही के आते हैं। मुहावरों में दुनिया की माल व दौलत से बेरग़बती और मुँह फेर लेने को कहा जाता है। आयत के मायने यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम

के भाई इस मामले में दर असल माल के इच्छुक न थे, उनका असल मकसद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा करना था इसलिये थोड़े से दिरहमों में मामला कर लिया।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ

لَا مَرَاتَةَ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عِنْدِي أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ تَنْجِدَهُ وَلَدَاءُ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَكَلَّمَا بَلَدًا
أَشَدَّهُ آتِينَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢١﴾ وَرَأَوُوهُ الرِّبِّيَّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ
الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾

व कालल्लज़िश्तराहु मिम्-मिस्-र
लिम्-र-अतिही अकिरमी मस्वाहु असा
अंयन्फ-अना औ नत्तद्धि-जहू
व-लदन्, व कज़ालि-क मक्कन्ना
लियूसु-फ फिलअर्जि व लिनुअल्लि-महू
मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि, वल्लाहु
ग़ालिबुन् अला अम्रिही व लाकिन्-न
अक्सरन्नासि ला यज़लमून (21) व
लम्मा ब-ल-ग अशुद्-दहू आतैनाहु
हुकमव्-व अ़िल्मन्, व काज़ालि-क
नज़्ज़िल्-मुहिसनीन (22) व
रा-वदतहुल्लती हु-व फी बैतिहा अन्
नफिसही व ग़ल्ल-क़तिल्-अब्बा-ब व
कालत् है-त ल-क, का-ल मज़ल्लाहि
इन्नहू रब्बी अहस-न मस्वा-य, इन्नहू
ला युफिलहुज़्-ज़ालिमून (23)

और कहा जिस शख्स ने खरीदा उसको
मिस्र से, अपनी औरत को- जाबरू से
रख इसको शायद हमारे काम आये या
हम कर लें इसको बेटा, और इसी तरह
जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में,
और इस वास्ते कि उसको सिखायें कुछ
ठिकाने पर बिठाना बातों का और अल्लाह
ज़ोरावर रहता है अपने काम में, व लेकिन
अक्सर लोग नहीं जानते। (21) और जब
पहुँच गया अपनी कुव्वत को दिया हमने
उसको हुकम और इल्म और ऐसा ही
बदला देते हैं हम नेकी वालों को। (22)
और फुसलाया उसको उस औरत ने
जिसके घर में था अपना जी थामने से,
और बन्द कर दिये दरवाज़े और बोली
जल्दी कर। कहा खुदा की पनाह! वह
अज़ीज़ मालिक है मेरा, अच्छी तरह रखा
है मुझको, बेशक भलाई नहीं पाते जो
लोग बेइन्साफ हों। (23)

खुलासा-ए-तफसीर

(काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाईयों से खरीदकर मिस्र ले गये। वहाँ अजीजे मिस्र के हाथ फरोख्त कर दिया) और जिस शख्स ने मिस्र में उनको खरीदा था (यानी अजीजे) उसने (उनको अपने घर लाकर अपनी बीवी के सुपुर्द किया और) अपनी बीवी से कहा कि इसको खातिर से रखना, क्या अजब है कि (बंझा होकर) हमारे काम आये, या हम इसको बेटा बना लें (मशहूर यह है कि यह इसलिये कहा कि उनके औलाद न थी), और हमने (जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी खास इनायत से उस अंधेरे से निजात दी) उसी तरह यूसुफ को उस (मिस्र की) सरज़मीन में खूब ताकत दी (मुराद इससे सत्तनत है), और (यह निजात देना इस गर्ज से भी था) ताकि हम उनको ख्वाबों की ताबीर देना बतला दें (मतलब यह था कि निजात देने का मकसद उनको ज़ाहिरी और बातिनी दौलत से मालामाल करना था) और अल्लाह तआला अपने (चाहे हुए) काम पर ग़ालिब (और कादिर) है (जो चाहे कर दे), लेकिन अक्सर आदमी जानते नहीं (क्योंकि ईमान व यकीन वाले कम ही होते हैं। यह मज़मून किस्से के बीच में एक ग़ैर-संबन्धित बात के तौर पर इसलिये लाया गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदा हालत यानी गुलाम बनकर रहना ज़ाहिर में कोई अच्छी हालत न थी मगर हक़ तआला ने फ़रमाया कि यह हालत चन्द दिन की वास्ते और माध्यम के तौर पर है, असल मकसद उनको ऊँचा मक़ाम अता फ़रमाना है और इसका माध्यम अजीजे मिस्र को और उसके घर में परवरिश पाने को बनाया गया, क्योंकि अमीरों के घर में परवरिश पाने से सलीका और तजुर्बा बढ़ता है हुकूमत के मामलात की जानकारी होती है, इसी का बाकी हिस्सा आगे यह है) और जब वह अपनी जवानी (यानी बालिग होने की उम्र या भरपूर जवानी) को पहुँचे हमने उनको हिक्मत और इल्म अता किया (इससे मुराद नुबुव्वत के इल्म का अता करना है, और कुएँ में डालने के वक़्त जो उनकी तरफ़ वही भेजने का ज़िक्र पहले आ चुका है वह नुबुव्वत की वही नहीं थी बल्कि ऐसी वही थी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही भेजी गई थी) और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं (जो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाने का आगे बयान होगा उससे पहले इन जुमलों में बतला दिया गया है कि वह सरासर तोहमत और झूठ होगा, क्योंकि जिसको अल्लाह तआला की तरफ़ से इल्म व हिक्मत अता हो उससे ऐसे काम सादिर हो ही नहीं सकते। आगे उस तोहमत के किस्से का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र के घर में आराम व राहत के साथ रहने लगे) और (इसी बीच में यह आजमाईश पेश आई कि) जिस औरत के घर में यूसुफ़ रहते थे वह (उन पर आशिक़ हो गई और) उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिये उनको फुसलाने लगी और (घर के) सारे दरवाज़े बन्द कर दिये और (उनसे) कहने लगी आ जाओ तुम ही से कहती हूँ। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि अब्बल तो यह खुद बड़ा भारी गुनाह है) अल्लाह बचाये, (दूसरे) वह (यानी तेरा शौहर) मेरा मुरब्बी (और मोहसिन) है कि मुझको कैसी अच्छी तरह रखा (तो क्या मैं उसकी इज़्ज़त में खलल डालने का

काम करूँ) ऐसे हक़ को भूलने वालों को फ़लाह नहीं हुआ करती (बल्कि अक्सर तो इसी दुनिया ही में ज़लील और परेशान होते हैं वरना आख़िरत में तो अज़ाब यकीनी है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का शुरू का किस्सा बयान हो चुका है कि काफ़िले वालों ने जब उनको कुएँ से निकाल लिया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने उनको भागा हुआ गुलाम बताकर थोड़े से दिरहमों में उनका सौदा कर लिया, अब्वल तो इसलिये कि इस बुजुर्ग हस्ती की क़द्र मालूम न थी, दूसरे इसलिये कि उनका असल मक़सद उनसे पैसा कमाना नहीं बल्कि बाप से दूर कर देना था इसलिये सिर्फ़ फ़रोख़्त कर देने पर बस नहीं किया क्योंकि यह खतरा था कि कहीं काफ़िले वाले इनको यहीं न छोड़ जायें और यह फिर किसी तरह वालिद के पास पहुँचकर हमारी साज़िश का राज़ खोल दें। इसलिये इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. की रिवायत के मुताबिक़ ये लोग इस इन्तिज़ार में रहे कि यह काफ़िला इनको लेकर मिस्र के लिये रवाना हो जाये और जब काफ़िला रवाना हुआ तो कुछ दूर तक काफ़िले के साथ चले और उन लोगों से कहा देखो इसको भाग जाने की आदत है, खुला न छोड़ो, बल्कि बाँधकर रखो। इस कीमती हीरे की क़द्र व कीमत से नावाक़िफ़ काफ़िले वाले इनको इसी तरह मिस्र तक ले गये।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

उक्त आयतों में इसके बाद का किस्सा इस तरह बयान हुआ है और कुरआन के मुख़्तसर बयान के साथ किस्से के जितने भाग खुद-ब-खुद समझ में आ सकते हैं उनको बयान करने की ज़रूरत नहीं समझी, जैसे काफ़िले का मुख़्तलिफ़ मन्ज़िलों से गुज़रकर मिस्र तक पहुँचना और वहाँ जाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेचना वगैरह, सब को छोड़कर यहाँ से बयान होता है।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ

“यानी कहा उस शख़्स ने जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में ख़रीदा, अपनी बीवी से कि यूसुफ़ के ठहराने का अच्छा इन्तिज़ाम करो।”

मतलब यह है कि काफ़िले वालों ने उनको मिस्र लेजाकर फ़रोख़्त करने का ऐलान किया तो तफ़सीर-ए-क़ुर्तुबी में है कि लोगों ने बढ़-बढ़कर कीमतें लगाना शुरू किया, यहाँ तक कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उसी के बराबर मुश्क और उसी वज़न के रेशमी कपड़े कीमत लग गई।

यह दौलत अल्लाह तआला ने अज़ीज़े मिस्र के लिये मुक़द्दर की थी उसने ये सब चीज़ें कीमत में अदा करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया।

जैसा कि कुरआनी इरशाद से पहले मालूम हो चुका है कि यह सब कुछ कोई इत्तिफ़ाकी वाक़िआ नहीं बल्कि रब्बुल-इज़ज़त की बनाई हुई स्थिर तदबीर के हिस्से हैं। मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी के लिये उस मुल्क के सबसे बड़े इज़ज़त वाले शख़्स को मुक़द्दर फ़रमाया। इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि यह शख़्स जिसने मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा

मुल्के मिस्र का वित्त-मंत्री था, जिसका नाम कतफ़ीर या अतफ़ीर बतलाया जाता है, और मिस्र का बादशाह उस ज़माने में अमालिका कौम का एक शख्स रय्यान बिन उसैद था (जो बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम लाया और मुसलमान होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी में इन्तिक़ाल कर गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

और अज़ीज़े मिस्र जिसने ख़रीदा था उसकी बीवी का नाम राईल या जुलैखा बतलाया गया है। अज़ीज़े मिस्र कतफ़ीर ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी बीवी को यह हिदायत की कि इनको अच्छा ठिकाना दे, आ़ाम गुलामों की तरह न रखे, इनकी ज़रूरतों का अच्छा इन्तिज़ाम करे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि दुनिया में तीन आदमी बड़े अक्लमन्द और कियाफ़ा-शनास साबित हुए- अब्वल अज़ीज़े मिस्र जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कमालात को अपने कियाफ़े से मालूम करके बीवी को यह हिदायत दी, दूसरे शुऐब अलैहिस्सलाम की वह बेटी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने वालिद से कहा:

يَا بَتِ اسْتَاَجِرُهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَاَجَرْتُ الْقَوَى الْاَمِيْنَ ۝

“यानी अब्बा जान! इनको नौकर रख लीजिये, इसलिये कि बेहतरीन नौकर वह शख्स है जो ताक़तवर भी हो और अमानतदार भी।” तीसरे हज़रत सिद्दीके अकबर हैं जिन्होंने अपने बाद फ़ारूके आज़म को ख़िलाफ़त के लिये चयनित फ़रमाया। (इब्ने क़सीर)

وَكَذٰلِكَ مَكْنٰلُ يُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ

“यानी इस तरह हुकूमत दे दी हमने यूसुफ़ को ज़मीन की।” इसमें आईन्दा आने वाले वाक़िए की खुशख़बरी यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अज़ीज़े मिस्र के घर में इस वक़्त एक गुलाम की हैसियत से दाख़िल हुए हैं बहुत जल्दी यह मुल्के मिस्र के सबसे बड़े आदमी होंगे और हुकूमत की बाग़डोर इनको मिलेगा।

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

यहाँ शुरू में हर्फ़ वाव को अंगर अत्फ़ (जोड़) के लिये माना जाये तो एक जुमला इस मायने का यहाँ पोशीदा माना जायेगा कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन की हुकूमत इसलिये दी कि वह दुनिया में अदल व इन्साफ़ के ज़रिये अमन व अमान कायम करें, और मुल्क में रहने वालों की राहत का इन्तिज़ाम करें, और इसलिये कि हम उनको बातों का ठिकाने लगाना सिखा दें। बातों का ठिकाने लगाना एक ऐसा आ़ाम मफ़हूम है जिसमें अल्लाह की वही का समझना, उसको काम में लाना और उस पर अमल करना भी दाख़िल है और तमाम ज़रूरी उलूम का हासिल होना भी और ख़्वाबों की सही ताबीर भी।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ

यानी अल्लाह तआला ग़ालिब और क़ादिर है अपने काम पर, जो उसका इरादा होता है तमाम आ़ालम के ज़ाहिरी असबाब उसके मुताबिक़ होते चले जाते हैं, जैसा कि हदीस में

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह तआला किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो दुनिया के सारे असबाब उसके लिये तैयार कर देते हैं:

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ०

लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते और ज़ाहिरी असबाब ही को सब कुछ समझकर उन्हीं की फिक्र में लगे रहते हैं, असबाब के पैदा करने वाले और कादिर मुतलक (यानी अल्लाह तआला) की तरफ ध्यान नहीं देते।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا.

“यानी जब पहुँच गये यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कुव्वत और जवानी पर तो दे दी हमने उनको हिक्मत और इल्म।”

यह कुव्वत और जवानी किस उम्र में हासिल हुई इसमें मुफ़्तिरीन के विभिन्न अक़वाल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम मुजाहिद और इमाम क़तादा ने फरमाया कि तैंतीस साल उम्र थी। इमाम ज़ह्राक रह. ने बीस साल और हसन बसरी रह. ने चालीस साल बतलाई है। इस पर सब का इतिफ़ाक़ है कि हिक्मत और इल्म अता करने से मुराद इस जगह नुबुव्वत का अता करना है। इससे यह भी मालूम हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत मिस्र पहुँचने के भी काफ़ी अरसे के बाद मिली है, और कुएँ की गहराई में जो वही (अल्लाह की तरफ़ से पैग़ाम) उनको भेजी गई वह नुबुव्वत की वही न थी, बल्कि लुगवी वही थी जो अम्बिया के अलावा को भी भेजी जा सकती है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हुआ है।

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ०

“और हम इसी तरह बदला दिया करते हैं नेक काम करने वालों को।” मतलब यह है कि हलाकत से निजात दिलाकर हुकूमत व इज़्ज़त तक पहुँचाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक-चलनी, खुदा से डरना और नेक आमाल का नतीजा था, यह उनके साथ मख़सूस नहीं जो भी ऐसे अमल करेगा हमारे इनामात इसी तरह पायेगा।

وَرَأَوْنَاهُ أَلْفًا مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخْلِفُونَ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ.

“यानी जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे वह उन पर आशिक़ हो गई और उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिये उनको फुसलाने लगी, और घर के सारे दरवाज़े बन्द कर दिये और उनसे कहने लगी कि जल्द आ जाओ तुम्हीं से कहती हूँ।”

पहली आयत में मालूम हो चुका है कि यह औरत अज़ीज़े मिस्र की बीवी थी मगर इस जगह क़ुरआने करीम ने अज़ीज़ की बीवी का मुख़्तसर लफ़्ज़ छोड़कर ‘अल्लती हु-व फी बैतिहा’ के अलफ़ाज़ इख़्तियार किये। इसमें इशारा इसकी तरफ़ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुनाह से बचने की मुश्किलों में इस बात ने और भी इज़ाफ़ा कर दिया था कि वह उसी औरत के घर में उसी की पनाह में रहते थे, उसके कहने को नज़र-अन्दाज़ करना आसान न था।

गुनाह से बचने का मजबूत ज़रिया खुद अल्लाह से पनाह माँगना है

और इसका ज़ाहिरी सबब यह हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने आपको सब तरफ़ से घिरा हुआ पाया तो पैगम्बराना अन्दाज़ पर सबसे पहले खुदा की पनाह माँगी 'का-ल मआज़ल्लाहि'। महज़ अपने अज़्म व इरादे पर भरोसा नहीं किया, और यह ज़ाहिर है कि जिसको खुदा की पनाह मिल जाये उसको कौन सही रास्ते से हटा सकता है। इसके बाद पैगम्बराना हिक्मत व नसीहत के साथ खुद जुलैखा को नसीहत करना शुरू किया कि वह भी खुदा से डरे और अपने इरादे से बाज़ आ जाये। फ़रमाया:

إِنَّ رَبِّيَ أَحْسَنُ مَنَاصِي، إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

“वह मेरा पालने वाला है, उसने मुझे आराम की जगह दी, ख़ूब समझ लो कि जुल्म करने वालों को फ़लाह नहीं होती।”

बज़ाहिर मुराद यह है कि तेरे शौहर अज़ीज़े मिस्र ने मेरी परवरिश की और मुझे अच्छा ठिकाना दिया, मेरा मोहसिन है, मैं उसकी बीबी पर हाथ डालूँ? बड़ा जुल्म है और जुल्म करने वाले कभी फ़लाह नहीं पाते। इसके ज़िम्न में खुद जुलैखा को भी यह सबक़ दे दिया कि जब मैं उसकी चन्द दिन की परवरिश का इतना हक़ पहचानता हूँ तो तुझे मुझसे ज़्यादा पहचानना चाहिये।

इस जगह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़े मिस्र को अपना रब (पालने वाला) फ़रमाया, हालाँकि यह लफ़्ज़ अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे के ज़िये इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। वजह यह है कि ऐसे अलफ़ाज़ से शिर्क का वहम और मुशिरकों के साथ मुशाबहत पैदा करने का ज़रिया होते हैं, इसलिये शरीअते मुहम्मदिया में ऐसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल करना भी वर्जित कर दिया गया। सही मुस्लिम की हदीस में है कि “कोई गुलाम अपने आका को अपना रब न कहे और कोई आका अपने गुलाम को अपना बन्दा न कहे।” मगर यह ख़ुसूसियत शरीअते मुहम्मदिया की है जिसमें शिर्क की मनाही के साथ ऐसी चीज़ों की भी मनाही कर दी गई है जिनमें शिर्क का सबब बनने का एहतिमाल (शुब्हा व गुमान) हो। पहले अम्बिया की शरीअतों में शिर्क से तो सख़्ती के साथ रोका गया है मगर असबाब व माध्यमों पर कोई पाबन्दी न थी, इसी वजह से पिछली शरीअतों में तस्वीर बनाना मना (वर्जित) न था, मगर शरीअते मुहम्मदिया चूँकि क़ियामत तक के लिये आई है इसको शिर्क से पूरी तरह महफूज़ करने के लिये शिर्क के असबाब, तस्वीर और ऐसे अलफ़ाज़ से भी रोक दिया गया जिनसे शिर्क का वहम हो सके। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इन्नहू रब्बी फ़रमाना अपनी जगह दुरुस्त था।

और यह भी हो सकता है कि इन्नहू (बेशक वह) में वह से अल्लाह तआला मुराद हो, उसी को अपना रब फ़रमाया और अच्छा ठिकाना भी दर हक़ीक़त उसी ने दिया, उसकी नाफ़रमानी

सबसे बड़ा जुल्म है, और जुल्म करने वालों को फ़लाह (कामयाबी) नहीं।

कुछ मुफस्सिरीन जैसे इमाम सुददी और इब्ने इस्हाक़ वगैरह ने नक़ल किया है कि उस तन्हाई में जुलैखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ़ माईल करने के लिये उनके हुस्न व खूबसूरती की तारीफ़ शुरू की, कहा कि तुम्हारे बाल किस कद्र हसीन हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे जिस्म से अलग हो जायेंगे, फिर कहा तुम्हारी आँखें कितनी हसीन हैं, तो फरमाया मौत के बाद ये सब पानी होकर मेरे चेहरे पर बह जायेंगी, फिर कहा तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है, तो फरमाया कि यह सब मिट्टी की गिज़ा है, अल्लाह तआला ने आखिरत की फ़िक्र आप पर इस तरह मुसल्लत कर दी कि नौजवानी के आलम में दुनिया की सारी लज़्ज़तें उनके सामने बेहकीकत हो गईं, सही है कि फ़िक्र आख़िरत ही वह चीज़ है जो इनसान को हर जगह हर बुराई से महफ़ूज़ रख सकती है। अल्लाह तआला हमें भी यह फ़िक्र नसीब फरमाये। अमीन

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖۙ

كُنْ لَكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَۙ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

व ल-कद् हम्मत् बिही व हम्-म
बिहा लौ ला अर्-रआ बुरहा-न
रब्बिही, कज़ालि-क लिनस्सि-फ़
अन्हुस्सू-अ वल्-फ़श्शा-अ, इन्नहू
भिन् ज़िबादिनल्-मुख़लसीन (24)

और अलबत्ता औरत ने फ़िक्र किया
उसका और उसने फ़िक्र किया औरत का,
अगर न होता यह कि देखे क़ुदरत अपने
रब की, यँही हुआ ताकि हटायें हम उससे
बुराई और बेहयाई, अलबत्ता वह है हमारे
चुनिन्दा व मुख़लस बन्दों में। (24)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और उस औरत के दिल में उनका ख़्याल (इरादे के दर्जे में) जम ही रहा था और उनको भी उस औरत का कुछ-कुछ ख़्याल (तबई चीज़ के दर्जे में) हो चला था (जो कि इख़्तियार से बाहर है, जैसे गर्मी के रोज़े में पानी की तरफ़ तबई मैलान होता है अगरचे रोज़ा तोड़ने का ख़्याल तक भी नहीं आता, अलबत्ता) अगर अपने रब की दलील को (यानी इस काम के गुनाह होने की दलील को जो कि शरई हुक्म है) उन्होंने न देखा होता (यानी उनको शरीअत का इल्म मय उस पर अमली क़ुव्वत के हासिल न होता) तो ज़्यादा ख़्याल हो जाना अज़ीब न था (क्योंकि उसके प्रबल असबाब और तकाज़े सब जमा थे मगर) हमने इसी तरह उनको इल्म दिया ताकि हम उनसे छोटे और बड़े गुनाह को दूर रखें (यानी इरादे से भी बचा लिया और फ़ैल से भी, क्योंकि) वह हमारे चुनिन्दा और नेक बन्दों में से थे।

मजारिफ व मसाईल

पिछली आयत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबरदस्त परीक्षा व इम्तिहान बयान हुआ था कि अज़ीज़े मिस्र की औरत ने घर के दरवाज़े बन्द करके उनको गुनाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, और अपनी तरफ मुतवज्जह करने और मुब्तला करने के सारे ही असबाब जमा कर दिये मगर रब्बुल-इज्जत ने उस नेक नौजवान को ऐसे सख्त इम्तिहान में साबित-कदम रखा। इसकी और अधिक तफसील इस आयत में है कि जुलैखा तो गुनाह के ख्याल में लगी हुई थी ही, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी इनसानी फितरत के तकाज़े से कुछ-कुछ गैर-इख्तियारी मैलान (रुझान) पैदा होने लगा, मगर अल्लाह तआला ने ऐन उस वक़्त में अपनी दलील व निशानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कर दी जिसकी वजह से वह गैर-इख्तियारी मैलान आगे बढ़ने के बजाय बिल्कुल खत्म हो गया और वह पीछा छुड़ाकर भागे।

इस आयत में लफज़ 'हम्-म' जिसके मायने ख्याल के आते हैं जुलैखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों की तरफ मन्सूब किया गया है:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

और यह मालूम है कि जुलैखा का हम्म यानी ख्याल गुनाह का था इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसे ही ख्याल का गुमान हो सकता था, और यह तमाम उम्मत की सर्वसम्पत्ति से एक मानी हुई बात है कि यह बात नुबुव्वत व रिसालत की शान के खिलाफ है क्योंकि उम्मत की अक्सरियत इस पर मुत्ताफ़िक है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम छोटे और बड़े हर तरह के गुनाह से मासूम (महफूज़ व सुरक्षित) होते हैं। कबीरा (बड़ा) गुनाह तो न जान-बूझकर हो सकता है न ख़ता व भूल के रास्ते से हो सकता है, अलबत्ता सगीरा (छोटा) गुनाह भूल और चूक के तौर पर सर्जद हो जाने की संभावना है, मगर उस पर भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कायम नहीं रहने दिया जाता, बल्कि आगाह करके उससे हटा दिया जाता है।

(मुसामरा)

और नबी व रसूलों के गुनाहों से सुरक्षित होने का यह मसला कुरआन व सुन्नत से साबित होने के अलावा अक़ली तौर पर भी इसलिये ज़रूरी है कि अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से गुनाह होने की संभावना और शुब्हा रहे तो उनके लाये हुए दीन और वही पर भरोसा करने का कोई रास्ता नहीं रहता, और उनके नबी बनाकर भेजने और उन पर किताब नाज़िल करने का कोई फ़ायदा बाकी नहीं रहता, इसी लिये अल्लाह तआला ने अपने हर पैग़म्बर को हर गुनाह से मासूम (सुरक्षित) रखा है।

इसलिये संक्षिप्त तौर पर यह तो मुतयन हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्याल पैदा हुआ वह गुनाह के दर्जे का ख्याल न था। तफसील इसकी यह है कि अरबी भाषा में लफज़ 'हम्म' दो मायने के लिये बोला जाता है- एक किसी काम का क़स्द व इरादा और पुख़्ता

ख्याल कर लेना, दूसरे सिर्फ़ दिल में वस्वसा और गैर-इख़्तियार ख्याल पैदा हो जाना। पहली सूरत गुनाह में दाख़िल और काबिले पकड़ है, हाँ अगर क़स्द व इरादे के बाद ख़ालिस अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से कोई शख्स उस गुनाह को अपने इख़्तियार से छोड़ दे तो हदीस में है कि अल्लाह तआला उसके गुनाह की जगह उसके नामा-ए-आमाल में एक नेकी दर्ज फ़रमा देते हैं, और दूसरी सूरत कि सिर्फ़ वस्वसा और गैर-इख़्तियारी ख्याल आ जाये और उस काम का इरादा बिल्कुल न हो जैसे गर्मी के रोज़े में ठण्डे पानी की तरफ़ तबई मैलान गैर-इख़्तियारी सब को हो जाता है हालाँकि रोज़े में पीने का इरादा बिल्कुल नहीं होता, इस किस्म का ख्याल न इनसान के इख़्तियार में है न उस पर कोई पकड़ होगी।

सही बुख़ारी की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लिये गुनाह के वस्वसे और ख्याल को माफ़ कर दिया है जब कि वह उस पर अमल न करे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि मेरा बन्दा जब किसी नेकी का इरादा करे तो सिर्फ़ इरादा करने से उसके नामा-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो, और जब वह यह नेक अमल कर ले तो दस नेकियाँ लिखो। और अगर बन्दा किसी गुनाह का इरादा करे मगर फिर खुदा के ख़ौफ़ से छोड़ दे तो गुनाह के बजाय उसके नामा-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो, और अगर वह गुनाह कर ही गुज़रे तो सिर्फ़ एक ही गुनाह लिखो। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में लफ़ज़ 'हम्म' का इन दोनों मायने के लिये इस्तेमाल अरब के मुहावरों और शेरों के सुबूतों से साबित किया है।

इससे मालूम हुआ कि अगरचे आयत में लफ़ज़ 'हम्म' जुलैखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोनों के लिये बोला गया, मगर उन दोनों के हम्म यानी ख्याल में बड़ा फ़र्क़ है। पहला गुनाह में दाख़िल है और दूसरा गैर-इख़्तियारी वस्वसे की हैसियत रखता है, जो गुनाह में दाख़िल नहीं। क़ुरआने करीम का अन्दाज़े बयान भी खुद इस पर गवाह है क्योंकि दोनों का हम्म व ख्याल एक ही तरह का होता तो इस जगह एक ही लफ़ज़ से दोनों का इरादा बयान किया जाता जो मुख़्तसर भी था, इसको छोड़कर दोनों के हम्म व ख्याल का बयान अलग-अलग फ़रमाया:

هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

और जुलैखा के हम्म व ख्याल के साथ ताकीद के अलफ़ाज़ लाम और क़द यानी 'लक़द' का इज़ाफ़ा किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हम्म के साथ लाम और क़द की ताकीद नहीं है, जिससे मालूम होता है कि इस ख़ास ताबीर के ज़रिये यही जतलाना है कि जुलैखा का हम्म किसी और तरह का था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दूसरी तरह का।

सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह परीक्षा

पेश आई तो फरिश्तों ने अल्लाह जल्ल शानुहू से अर्ज किया कि आपका यह नेक बन्दा गुनाह के ख्याल में है, हालाँकि वह उसके बवाल को खूब जानता है। अल्लाह तआला ने फरमाया इन्तिज़ार करो, अगर वह यह गुनाह कर ले तो जैसा किया है वह उसके आमाल नामे में लिख दो, और अगर वह उसको छोड़ दे तो गुनाह के बजाय उसके आमाल नामे में नेकी दर्ज करो, क्योंकि उसने सिर्फ़ मेरे ख़ौफ़ से अपनी इच्छा को छोड़ा है (जो बहुत बड़ी नेकी है)। (तफसीरी क़ुर्तुबी)

ख़ुलासा यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख़्याल या रुज़ान पैदा हुआ वह पहज़ ग़ैर-इस्त्रियारी वस्वसे के दर्जे में था जो गुनाह में दाख़िल नहीं, फिर उस वस्वसे के ख़िलाफ़ अमल करने से अल्लाह तआला के नज़दीक उनका दर्जा और ज़्यादा बुलन्द हो गया।

और हज़राते मुफ़स्सिरीन में से कुछ ने इस जगह यह भी फ़रमाया है कि यहाँ वाकिआ जो बयान किया गया है उसमें इबारत आगे-पीछे की गयी है:

لَوْلَا أَن رَّبُّهُمَا نَسَىٰ

(अगर-उन्होंने अपने रब की निशानी को न देखा होता) जो बाद में ज़िक्र किया गया है वह असल में पहले है और मायने आयत के यह हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी ख़्याल पैदा हो जाता अगर अल्लाह की दलील व निशानी को न देख लेते, लेकिन अल्लाह की निशानी को देखने की वजह से वह उस हम्म और ख़्याल से भी बच गये। मज़मून यह भी दुरुस्त है मगर कुछ हज़रात ने इबारत के इस आगे-पीछे करने को भाषायी कायदों के ख़िलाफ़ करार दिया है, और इस लिहाज़ से भी पहली ही तफसीर वरीयता प्राप्त है कि उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी व तक्वे की शान और ज़्यादा बुलन्द हो जाती है कि तबई और इनसानी तकाज़े के बावजूद वह गुनाह से महफ़ूज़ रहे।

इसके बाद जो यह इरशाद फ़रमाया:

لَوْلَا أَن رَّبُّهُمَا نَسَىٰ

(अगर-उन्होंने अपने रब की निशानी को न देखा होता) इसकी जज़ा यहाँ पोशीदा है, और मायने यह हैं कि अगर वह अपने रब की निशानी व दलील को न देखते तो इस ख़्याल में मुब्तला रहते, मगर रब की निशानी देख लेने की वजह से वह ग़ैर-इस्त्रियारी ख़्याल और वस्वसा भी दिल से निकल गया।

कुरआने करीम ने यह स्पष्ट नहीं फ़रमाया कि वह अल्लाह की निशानी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के समने आई क्या चीज़ थी? इसी लिये इसमें मुफ़स्सिरीन हज़रात के अक़वाल अलग-अलग हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम मुजाहिद, इमाम सईद बिन जुबैर, इमाम मुहम्मद बिन सीरीन और इमाम हसन बसरी रह. वग़ैरह ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मोजिजे के तौर पर उस तन्हाई की जगह में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सूरत इस तरह उनके सामने कर दी कि वह अपनी उंगली दाँतों में दबाये हुए उनको सचेत कर रहे हैं, और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि अज़ीजे मिस्र की सूरत उनके सामने कर दी गई,

कुछ ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र छत की तरफ उठी तो उसमें कुरआन की यह आयत लिखी हुई देखी:

لَا تَقْرَبُوا الرِّئْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيلًا

“यानी जिना के पास न जाओ, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई (और अल्लाह के कहर का सबब) और (समाज के लिये) बहुत बुरा रास्ता है।”

कुछ मुफस्सरीन ने फरमाया कि जुलैखा के मकान में एक बुत (मूर्ति) था, उसने उस बुत पर पर्दा डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी, उसने कहा कि यह मेरा माबूद है, इसके सामने गुनाह करने की ज़रत नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा माबूद इससे ज्यादा हया (शर्म करने) का मुस्तहिक है, उसकी नज़र को कोई पर्दा नहीं रोक सकता। और कुछ हज़रात ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत और अल्लाह की पहचान खुद ही रब की निशानी व दलील थी।

इमामे तफसीर इब्ने जरीर रह. ने इन तमाम अक़वाल को नक़ल करने के बाद जो बात फरमाई है वह सब अहले तहकीक के नज़दीक बहुत ही पसन्दीदा और बेगुबार है। वह यह है कि जितनी बात कुरआने करीम ने बतला दी है सिर्फ उसी पर बस किया जाये, यानी यह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे स्वस्वा (ख़्याल) उनके दिल से जाता रहा, उस चीज़ के मुतैयन करने में वे सब संभावनायें और गुमान हो सकते हैं जो हज़राते मुफस्सरीन ने ज़िक्र किये हैं, लेकिन निश्चित तौर पर किसी को मुतैयन नहीं किया जा सकता। (इब्ने कसीर)

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحِشَاءَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

यानी हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह बुरहान (निशानी व दलील) इसलिये दिखाई कि उनसे बुराई और बेहयाई को हटा दें। बुराई से मुराद छोटा गुनाह और बेहयाई से मुराद बड़ा गुनाह है। (तफसीरे मज़हरी)

यहाँ यह बात ध्यान देने के काबिल है कि बुराई और बेहयाई को यूसुफ अलैहिस्सलाम से हटा देने का ज़िक्र फरमाया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से हटाना नहीं फरमाया। जिसमें इशारा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपनी नुबुव्वत वाली शान की वजह से इस गुनाह से खुद ही हटे हुए थे मगर बुराई और बेहयाई ने उनको घेर लिया था, हमने उसके जाल को तोड़ दिया। कुरआने करीम के ये अलफ़ाज़ भी इस पर सुबूत हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी मामूली से गुनाह में भी मुब्तला नहीं हुए, और उनके दिल में जो ख़्याल पैदा हुआ था वह गुनाह में दाखिल न था, वरना यहाँ ताबीर इस तरह होती कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से बचा दिया, न यह कि गुनाह को उनसे हटा दिया।

क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे ख़ास और चुनिन्दा बन्दों में से हैं। लफ़ज़ ‘मुख्तसीन’ इस जगह मुख्तस की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने चुनिन्दा और ख़ास किये हुए के हैं। मुराद यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के उन बन्दों में से हैं जिनको खुद अल्लाह

अय्युस्ज-न औ अज़ाबुन् अलीम
 (25) का-ल हि-य रा-वदत्नी
 अन्-नफ्सी व शहि-द शाहिदुम् मिन्
 अस्लिहा इन् का-न कमीसुहू कुद्-द
 मिन् कुबुलिन् फ-स-दकत् व हु-व
 मिनल्-काज़िबीन (26) व इन् का-न
 कमीसुहू कुद्-द मिन् दुबुरिन्
 फ-क-ज़बत् व हु-व मिनस्सादिकीन
 (27) फ-लम्मा रआ कमी-सहू कुद्-द
 मिन् दुबुरिन् का-ल इन्नहू मिन्
 कैदिकुन्-न, इन्-न कै-दकुन्-न
 अज़ीम (28) यूसुफ़ अज़रिज़् अन्
 हाज़ा वस्तगिफरी लिज़म्बिकि इन्नकि
 कुन्ति मिनल्-ख़ातिर्न (29) ❁

मगर यही कि क़ैद में डाला जाये या
 अज़ाब दर्दनाक। (25) यूसुफ़ बोला इसी
 ने इच्छा की मुझसे कि न थामू अपने जी
 को, और गवाही दी एक गवाह ने औरत
 के लोगों में से, अगर है उसका कुर्ता
 फटा आगे से तो औरत सच्ची है और
 वह है झूठा। (26) और अगर है कुर्ता
 उसका फटा पीछे से तो यह झूठी है और
 वह सच्चा है। (27) फिर जब देखा
 अज़ीज़ ने कुर्ता उसका फटा हुआ पीछे से
 कहा बेशक यह एक फ़रेब है तुम औरतों
 का, अलबत्ता तुम्हारा फ़रेब बड़ा है।
 (28) यूसुफ़ जाने दे इस ज़िक्र को, और
 औरत तू बख़्शवा अपना गुनाह, बेशक तू
 ही गुनाहगार थी। (29) ❁

ख़ुलासा-ए-तफसीर

(और जब उस औरत ने फिर वही ज़िद की तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से जान बचाकर
 भागे और वह उनको पकड़ने के लिये उनके पीछे चली) और वे दोनों आगे-पीछे दरवाज़े की तरफ़
 को दौड़े, और (दौड़ने में जो उनको पकड़ना चाहा तो) उस औरत ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़
 डाला (यानी उसने कुर्ता पकड़कर खींचना चाहा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे की तरफ़ दौड़े
 तो कुर्ता फट गया, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल गये) और (वह औरत भी
 साथ थी तो) दोनों ने (इत्तिफ़ाक़न) उस औरत के शौहर को दरवाज़े के पास (खड़ा) पाया।
 औरत (शौहर को देखकर सटपटाई और फ़ौरन बात बनाकर) बोली, कि जो शख्स तेरी बीवी के
 साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सज़ा सिवाय इसके और क्या (हो सकती) है कि वह
 जेलख़ाने भेजा जाये या और कोई दर्दनाक सज़ा हो (जैसे जिस्मानी मार-पिट्टाई)।

यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि यह जो मेरी तरफ़ इल्ज़ाम का इशारा करती है बिल्कुल
 झूठी है, बल्कि मामला इसके उलट है) यही मुझसे अपना मतलब निकालने को फुसलाती थी,
 और (इस मौक़े पर) उस औरत के ख़ानदान में से एक गवाह ने (जो कि दूध पीता बच्चा था

और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोजिजे से बोल पड़ा और आपको बरी होने की) भवाही दी (उस बच्चे का बोलना ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मोजिजा था, इस पर दूसरा मोजिजा यह हुआ कि उस दूध पीते बच्चे ने एक भाकूल निशानी बताकर अक्लमन्दी वाला फैसला भी किया और कहा) कि इनका कुर्ता (देखो कहीं से फटा है) अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यह झूठे। और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और यह सच्चे। तो जब (अज़ीज़ ने) उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा (औरत से) कहने लगा कि यह तुम औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियाँ भी ग़ज़ब की होती हैं। (फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगा) ऐ यूसुफ़! इस बात को जाने दो (यानी इसका चर्चा या ख्याल मत करो) और (औरत से कहा कि) ऐ औरत! तू (यूसुफ़ से) अपने कसूर की माफ़ी माँग, बेशक पूरी की पूरी तू ही कसूरवार है।

मआरिफ व मसाईल

पिठली आयतों में यह बयान आया है कि जिस वक़्त अज़ीज़े मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश में मशगूल थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बच रहे थे मगर फितरी और गैर-इख्तियारी ख्याल की कश्मकश भी थी तो हक़ तज़ाला ने अपने चुनिन्दा और ख़ास पैग़म्बर की मदद के लिये बतौर मोजिजे के कोई ऐसी चीज़ सामने कर दी जिसने दिल से वह गैर-इख्तियारी ख्याल भी निकाल डाला, चाहे वह चीज़ अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सूरत हो या अल्लाह की वही की कोई आयत।

उक्त आयत में यह बतलाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस तन्हाई की जगह में अल्लाह की उस निशानी को देखते ही वहाँ से भाग खड़े हुए और बाहर निकलने के लिये दरवाज़े की तरफ़ दौड़े। अज़ीज़ की बीवी उनको पकड़ने के लिये पीछे दौड़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़कर उनको बाहर जाने से रोकना चाहा, वह अपने इरादे के मुताबिक़ न रुके तो कुर्ता पीछे से फट गया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल आये और उनके पीछे जुलैखा भी। तारीख़ी रिवायतों में बयान हुआ है कि दरवाज़े पर ताला लगा दिया था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर दरवाज़े पर पहुँचे तो अपने आप यह ताला खुलकर गिर गया।

जब ये दोनों दरवाज़े से बाहर आये तो देखा कि अज़ीज़े मिस्र सामने खड़े हैं। उनकी बीवी सहम गई और बात यूँ बनाई कि इल्ज़ाम और तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालने के लिये कहा कि जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुरे काम का इरादा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो सकती है कि उसको कैद में डाला जाये या कोई दूसरी जिस्मानी सज़ा सज़ा दी जाये।

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पैग़म्बराना शराफ़त की बिना पर ग़ालिबन उसका राज़ न खोलते मगर जब उसने पहल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत रखने का इशारा किया तो मजबूर होकर उन्होंने हकीकत का इज़हार किया कि:

هِيَ رَأَوْنَتِي عَنْ نَفْسِي

यानी यही मुझसे अपना मतलब निकालने के लिये मुझे फुसला रही थी।

मामला बड़ा नाज़ुक और अज़ीज़े भिन्न के लिये इसका फ़ैसला सख़्त दुश्वार था कि इनमें से किसे सच्चा समझे, गवाही और सुबूत का कोई मौक़ा न था मगर अल्लाह जल्ल शानुहू जिस तरह अपने मक़बूल और ख़ास बन्दों को गुनाह से बचा लेते हैं, और उनको सुरक्षित व महफूज़ रखते हैं, इसी तरह दुनिया में भी उनको रुस्वाइ से बचाने का इन्तिज़ाम चमत्कारी अन्दाज़ से फ़रमा देते हैं, और उम्पन ऐसे मौक़ों पर ऐसे छोटे बच्चों से काम लिया गया है जो आदतन बोलने बात करने के काबिल नहीं होते, मगर मोजिज़े के तौर पर उनको बोलने की ताक़त अता फ़रमाकर अपने मक़बूल बन्दों की बराअत का इज़हार फ़रमा देते हैं। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब लोग तोहमत बाँधने लगे तो सिर्फ़ एक दिन (और राजेह कौल के मुताबिक़ चालीस दिन) के बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने बोलने की ताक़त अता फ़रमाकर उनकी ज़बान से वालिदा की पवित्रता ज़ाहिर फ़रमा दी, और कुदरते खुदावन्दी का एक ख़ास प्रतीक सामने कर दिया।

बनी इस्राईल के एक बुजुर्ग़ ज़ुरैज पर इसी तरह की एक तोहमत एक बड़ी साज़िश के साथ बाँधी गई तो एक नवजात बच्चे ने उनकी बराअत के लिये गवाही दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरज़ौन को शुब्हा पैदा हुआ तो फिरज़ौन की बीबी के बाल संवारने वाली औरत की छोटी बच्ची को बोलने की ताक़त अता हुई, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में फिरज़ौन के हाथ से बचाया।

ठीक इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़िए में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक़ एक छोटे बच्चे को हक़ तआला ने बोलने की ताक़त अता फ़रमा दी, और वह भी निहायत अक़्ल व समझ वाले अन्दाज़ की। यह छोटा बच्चा उसी घर में पालने के अन्दर पड़ा था, यह किसको गुमान हो सकता था कि वह इन हरकतों को देखेगा और समझेगा, और फिर इसको किसी अन्दाज़ से बयान भी कर देगा, मगर अल्लाह तआला जो हर चीज़ पर कादिर व मुख़्तार है वह अपनी फ़रमाँबरदारी में मेहनत व कोशिश करने वालों की शान ज़ाहिर करने के लिये दुनिया को दिखला देता है कि कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा उसकी खुफ़िया पुलिस (सी. आई. डी.) है, जो मुजरिम को ख़ूब पहचानती और उसके जुर्मों का रिकॉर्ड रखती है, और ज़रूरत के वक़्त उसका इज़हार कर देती है। मैदाने हशर में हिसाब किताब के वक़्त इनसान दुनिया की अपनी पुरानी आदत की बिना पर जब अपने जुर्मों को मानने से इनकार करेगा तो उसी के हाथ-पाँव और खाल और दर व दीवार को उसके खिलाफ़ गवाह बनाकर खड़ा कर दिया जायेगा, वह उसकी एक-एक हरकत को मेहशर के अंज़ीमुशान मजमे और ज़बरदस्त जनसमूह के सामने खोलकर रख देगा। उस वक़्त इनसान को यह पता लगेगा कि हाथ-पाँव और घर के दर व दीवार और हिफ़ाज़ती इन्तिज़ामात में से कोई भी मेरा न था बल्कि ये सब अल्लाह रब्बुल-इज़ज़त के गोपनीय कार्यकर्ता थे।

ख़ुलासा यह है कि यह छोटा बच्चा जो पालने में बज़ाहिर इस दुनिया की हर चीज़ से

गाफिल व बेख़बर पड़ा था, वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मोज़िज़े के तौर पर ऐन उस वक़्त बोल उठा जबकि अज़ीज़े मिस्र इस वाकिए से कश्मकश (असमंजस और दुविधा) में मुब्तला था।

फिर यह बच्चा अगर सिर्फ़ इतना ही कह देता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरी हैं, ज़ुलैख़ा का कसूर है तो वह भी एक मोज़िज़े की हैसियत से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में बराअत की बड़ी गवाही होती, मगर अल्लाह तआला ने इस बच्चे की ज़बान से एक अक्लमन्दी वाली बात कहलाई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो अगर वह आगे से फटा है तब तो ज़ुलैख़ा का कहना सच्चा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हो सकते हैं, और अगर वह पीछे से फटा है तो इसमें इसके सिवा कोई दूसरा गुमान व संभावना ही नहीं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और ज़ुलैख़ा उनको रोकना चाहती थी।

यह एक ऐसी बात थी कि बच्चे के बोल पड़ने के चमत्कार के अलावा खुद भी हर एक की समझ में आ सकती थी, और जब बतलाई हुई निशानी के मुताबिक़ कुर्ते का पीछे से फटा होना देखा गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत ज़ाहिरि निशानियों से भी ज़ाहिर हो गई।

यूसुफ़ के शाहिद (गवाह) की जो तफ़्सीर हमने बयान की है कि वह एक छोटा बच्चा था जिसको अल्लाह तआला ने मोज़िज़े के तौर पर बोलने की ताक़त अता फ़रमा दी, यह एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है जिसको इमाम अहमद रह. ने अपने मुस्नद में और इब्ने हिब्बान रस्मतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब सही में और हाकिम रह. ने मुस्तद्रक में नक़ल करके सही हदीस करार दिया है। इस हदीस में इरशाद है कि अल्लाह तआला ने चार बच्चों को पालने में बोलने की ताक़त अता फ़रमाई है, ये चारों वही हैं जो अभी ज़िक्र किये गये हैं। (तफ़्सीर मज़हरी)

और कुछ रिवायतों में शाहिद (गवाह) की दूसरी तफ़्सीरें भी नक़ल की गई हैं मगर इमाम इब्ने जरीर और इमाम इब्ने कसीर वगैरह हज़रत ने पहली ही तफ़्सीर को राजेह करार दिया है।

अहकाम व मसाईल

उपर्युक्त आयतों से चन्द अहम मसाईल और अहकाम निकलते हैं:

अव्वल आयत 'वस्त-बक़ल्-बा-ब.....' (यानी आयत नम्बर 25) से यह मालूम हुआ कि जिस जगह गुनाह में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो उस जगह ही को छोड़ देना चाहिये जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वहाँ से भागकर इसका सुबूत दिया।

दूसरा मसला यह कि अल्लाह के अहकाम की तामील में इनसान पर लाज़िम है कि अपनी हिम्मत भर कोशिश में कमी न की जाये चाहे उसका नतीजा बज़ाहिर कुछ निकलता नज़र न आये, नतीजे अल्लाह तआला के हाथ में हैं, इनसान का काम अपनी मेहनत और कोशिश को अल्लाह तआला की राह में खर्च करके अपनी बन्दगी का सुबूत देना है, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े सब बन्द होने और तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ ताले लगे होने के बावजूद दरवाज़े की तरफ़ दौड़ने में अपनी पूरी ताक़त खर्च फ़रमा दी। ऐसी सूत में अल्लाह

तअ़ाला की तरफ़ से इमदाद भी अक्सर देखने में आती है कि बन्द्या जब अपनी कोशिश पूरी कर लेता है तो अल्लाह तअ़ाला कामयाबी के असबाब मुहैया फ़रमा देते हैं। मौलाना रूमी रह. ने इसी मज़मून पर इरशाद फ़रमाया है:

गरचे रह्ना नेस्त आलम रा पदीद

ख़ैरा यूसुफ़ वार मी बायद दवीद

कि अगरचे सामने बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र न आये मगर फिर भी इनसान को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह भरपूर कोशिश करनी चाहिये। (मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

ऐसी सूरत में अगर ज़ाहिरि कामयाबी भी हासिल न हो तो बन्दे के लिये यह नाकामी भी कामयाबी से कम नहीं।

एक बुज़ुर्ग़ आलिम जेल में थे, जुमे के दिन अपनी ताकत के मुताबिक़ गुस्त करते और अपने कपड़े धो लेते और फिर जुमे के लिये तैयार होकर जेल के दरवाज़े तक जाते, वहाँ पहुँचकर अर्ज़ करते कि या अल्लाह! मेरी कुदरत में इतना ही था आगे आपके इख़्तियार में है। अल्लाह तअ़ाला की उमूमी रहमत से कुछ बड़ैद न था कि उनकी करामत से जेल का दरवाज़ा खुल जाता और वह नमाज़े जुमा अदा कर लेते, लेकिन उसने अपनी हिक्मत से उस बुज़ुर्ग़ को वह ऊँचा मक़ाम अता फ़रमाया जिस पर हज़ारों करामतें क़ुरबान हैं कि उनके इस अमल की वजह से जेल का दरवाज़ा न खुला मगर इसके बावजूद उन्होंने अपने काम में हिम्मत नहीं हारी, हर जुमे को लगातार यही अमल जारी रखा, यही वह इस्तिक़ामत (जमाव और साबित-क़दमी) है जिसको उम्मत के बुज़ुर्ग़ों ने करामत से भी बढ़कर और बरतर फ़रमाया है।

तीसरा मसला इससे यह साबित हुआ कि किसी शख़्स पर कोई ग़लत तोहमत बाँधे और झूठा इल्ज़ाम लगाये तो अपनी सफ़ाई पेश करना अम्बिया की सुन्नत है, यह कोई तवक्कुल या बुज़ुर्गी नहीं कि उस वक़्त ख़ामोश रहकर अपने आपको मुजरिम क़रार दे दे।

चौथा मसला इसमें शाहिद का है, यह लफ़ज़ जब अ़ाम फ़िक्ही मामलात और मुक़द्दिमों में बोला जाता है तो इससे वह शख़्स मुराद होता है जो विवादित मामले के मुताल्लिक़ अपना चशमदीद कोई वाक़िआ बयान करे, इस आयत में जिसको शाहिद के लफ़ज़ से ताबीर किया है उसने कोई वाक़िआ या उसके मुताल्लिक़ अपना कोई देखना बयान नहीं किया, बल्कि फ़ैसला करने की एक सूरत की तरफ़ इशारा किया है, इसको इस्तिलाही तौर पर शाहिद नहीं कहा जा सकता।

मगर ज़ाहिर है कि ये परिभाषायें सब बाद के उलेमा व फ़ुक़हा ने आपसी समझने और समझाने के लिये इख़्तियार कर ली हैं, क़ुरआने करीम की न ये परिभाषायें हैं न वह इनका पाबन्द है। क़ुरआने करीम ने यहाँ उस शख़्स को शाहिद इस मायने के एतिबार से फ़रमाया है कि जिस तरह शाहिद के बयान से मामले का तसफ़िया (फ़ैसला करना) आसान हो जाता है और किसी एक फ़रीक़ का हक़ पर होना साबित हो जाता है, उस बच्चे के बयान से भी यही फ़ायदा हासिल हो गया कि असल तो उसका चमत्कारिक तौर पर बोल पड़ना ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत के लिये शाहिद (सुबूत) था और फिर उसने जो पहचान बतलाई

उनका हासिल भी अन्जामकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की बराअत का सुबूत है। इसलिये यह कहना सही हो गया कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक् में गवाही दी, हालाँकि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा नहीं कहा बल्कि दोनों संभावनाओं का ज़िक्र कर दिया था, और जुलैखा के सच्चे होने को एक ऐसी सूरत में भी फर्जी तौर पर तस्लीम कर लिया था जिसमें उनका सच्चा होना यकीनी न था, बल्कि दूसरा भी शुद्ध और संभावना मौजूद थी, क्योंकि कुर्ते का सामने से फटना दोनों सूरतों में मुम्किन था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे होने को सिर्फ़ ऐसी सूरत में तस्लीम किया था जिसमें इसके सिवा कोई दूसरी संभावना ही नहीं हो सकती, लेकिन अन्जामकार नतीजा इस रणनीति का यही था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरी होना साबित हो।

पाँचवाँ मसला इसमें यह है कि मुकद्दिमों और विवादों के फ़ैसलों में हालात, इशारात और निशानात से काम लिया जा सकता है जैसा कि उस शाहिद (गवाह) ने कुर्ते के पीछे से फटने को इसकी निशानी और पहचान करार दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भग रहे थे, जुलैखा पकड़ रही थी। इस मामले में इतनी बात पर तो सब फुक्हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) का इत्तिफ़ाक़ है कि मामलात की हकीक़त पहचानने में निशानियों और हालात व इशारात से ज़रूर काम लिया जाये जैसा कि यहाँ किया गया, लेकिन सिर्फ़ निशानात और हालात व अन्दाज़ों को काफी सुबूत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकिए में भी दर हकीक़त बराअत का सुबूत तो उस बच्चे का चमत्कारिक अन्दाज़ से बोल उठना है, निशानियों और हालात व इशारात जिनका ज़िक्र किया गया है उनसे इस मामले की ताईद हो गई।

बहरहाल यहाँ तक यह साबित हुआ कि जब जुलैखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत व इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह तआला ने एक छोटे बच्चे को ख़िलाफ़ आदत बोलने की ताक़त देकर उसकी ज़बान से यह बुद्धिमानी भरा फ़ैसला सादिर फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो अगर वह पीछे से फटा है तो यह इसकी साफ़ निशानी है कि वह भाग रहे थे और जुलैखा पकड़ रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेक़सूर हैं।

ज़िक्र हुई आयतों में से आख़िरी दो आयतों में यह बयान हुआ है कि अज़ीज़े मिस्र बच्चे के इस तरह बोलने ही से यह समझ चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत जाहिर करने के लिये यह असाधारण और आम दस्तूर के ख़िलाफ़ सूरत पेश आई है, फिर उसके कहने के मुताबिक़ यह देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी पीछे से ही फटा है तो यकीन हो गया कि क़सूर जुलैखा का है, यूसुफ़ बरी हैं, तो उसने पहले तो जुलैखा को ख़िताब करके कहा:

إِنَّ مِنْ كَيْدِكُنَّ

यानी यह तुम्हारा फ़रेब व हीला है कि अपनी ख़ता दूसरे के सर डालना चाहती हो। फिर कहा कि औरतों का फ़रेब व हीला बहुत बड़ा है कि उसको समझना और उससे निकलना आसान नहीं होता। क्योंकि उनका जाहिर नर्म व नाजुक और कमज़ोर होता है, देखने वाले को उनकी बात का यकीन जल्द आ जाता है, मगर अक्ल व दीनदारी की कमी के सबब कई बार

वह फरेब होता है। (तफसीर मजहरी)

तफसीर कुर्तुबी में हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि औरतों का जाल और मक्र शैतान के जाल व फरेब से बड़ा हुआ है, क्योंकि हक़ तआला ने शैतान के जाल व फरेब के मुताल्लिक तो यह फरमाया है कि वह जईफ़ (कमज़ोर) है:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

और औरतों के मक्र व फरेब के मुताल्लिक यह फरमाया है कि:

إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ

यानी तुम्हारा जाल और फरेब बहुत बड़ा है। और यह ज़ाहिर है कि इससे मुराद सब औरतें नहीं बल्कि यही हैं जो इस तरह के मक्र व हीले में मुब्तला हों। अज़ीजे मिस्र ने जुलैखा को उसकी ख़ता बतलाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा:

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا

यानी ऐ यूसुफ़! तुम इस वाकिए को नज़र-अन्दाज़ करो और किसी से न कहो ताकि रुस्वाई न हो। फिर जुलैखा को खिताब करके कहा:

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ

यानी ख़ता सरासर तुम्हारी है, तुम अपनी ग़लती की माफ़ी माँगो। इससे बज़ाहिर यह मुराद है कि वह अपने शौहर से माफ़ी माँगे, और यह मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से माफ़ी माँगे कि खुद ख़ता की और तोहमत उनके सर डाली।

फ़ायदा: यहाँ यह बात गौर करने के काबिल है कि शौहर के सामने अपनी बीवी की ऐसी ख़ियानत और बेहयाई साबित हो जाने पर उसका उल्लेखित न होना और पूरे सुकून व इत्मीनान से बातें करना इनसानी फ़ितरत से बहुत काबिले ताज्जुब है। इमाम कुर्तुबी रह. ने फरमाया कि यह वजह भी हो सकती है कि अज़ीजे मिस्र कोई बेग़ैरत आदमी हो, और यह भी मुम्किन है कि हक़ तआला ने जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह से फिर रुस्वाई से बचाने का एक असाधारण और आदत से ऊपर इन्तिज़ाम फरमाया उसी इन्तिज़ाम का एक हिस्सा यह भी था कि अज़ीजे मिस्र को गुस्से से आग बगूला नहीं होने दिया, वरना आ़म आदत के मुताबिक़ ऐसे मौके पर इनसान तहकीक़ व तफ़तीश के बग़ैर ही हाथ छोड़ बैठता है और ज़बान से गाली-गलौज तो मामूली बात है, अगर आ़म इनसानी आदत के मुताबिक़ अज़ीजे मिस्र को गुस्सा आ जाता तो मुम्किन है कि उसके हाथ से या ज़बान से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ कोई बात निकल जाती। यह क़ुदरते हक़ के करिशमे हैं कि हक़ की इताअत पर कायम रहने वाले की क़दम क़दम पर किस तरह हिफ़ाज़त की जाती है।

बाद की आयतों में एक और वाक़िआ़ जि़क्र किया गया है जो पिछले किस्से से ही संबन्धित है, वह यह कि यह वाक़िआ़ छुपाने के बावजूद दरबारी लोगों की औरतों में फैल गया, उन

औरतों ने अज़ीज़ की बीवी को लान-तान करना (बुरा-भला कहना) शुरू किया। कुछ मुफ़्स्सरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) ने फ़रमाया कि ये पाँच औरतें अज़ीज़े मिस्र के करीबी अफ़सरों की बीवियाँ थीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी, मज़हरी)

ये औरतें आपस में कहने लगीं कि देखो कैसी हैरत और अफ़सोस की बात है कि अज़ीज़े मिस्र की बीवी इतने बड़े मर्तबे पर होते हुए अपने नौजवान गुलाम पर फ़िदा होकर उससे अपना मतलब निकालना चाहती है, हम तो उसको बड़ी गुमराही पर समझते हैं। आयत में लफ़्ज़ 'फ़ताहा' फ़रमाया है। फ़ता के मायने नौजवान के हैं, उर्फ़ में मन्तूक गुलाम जब छोटा हो तो उसको गुलाम कहते हैं, जवान हो तो लड़के को फ़ता और लड़की को फ़तात कहा जाता है। इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जुलैखा का गुलाम या तो इस वजह से कहा गया कि शौहर की चीज़ को भी आदतन बीवी की चीज़ कहा जाता है, और या इसलिये कि जुलैखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने शौहर से हिबा और तोहफ़े के तौर पर ले लिया था। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْنَعْنِي فِيهِ ۝ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۝ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَجُوعَنَّ وَيَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۝ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأُ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاوَا الْآيَاتِ لِيَجْزِيََنَّهُ كَمَا هِيَ حِينٌ ۝

व का-ल निस्वतुन् फ़िल्-मदीनति-
-मर-अतुल्-अज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा
अन्-नफ़िसही कद् श-ग-फ़हा हुब्बन्,
इन्ना ल-नराहा फ़ी ज़लालिम्-मुबीन
(30) फ-लम्मा समिअत् बिमकिरहिन्-न
अर-सलत् इलैहिन्-न व अज़-तदत्
लहुन्-न मुत्त-कअव्-व आतत् कुल्-ल

और कहने लगीं औरतें उस शहर में-
अज़ीज़ की औरत इच्छा करती है अपने
गुलाम से उसके जी की, आशिक़ हो गया
उसका दिल उसकी मुहब्बत में, हम तो
देखते हैं उसको खुली ख़ता पर। (30)
फिर जब सुना उसने उनका फ़रेब बुलवा
भेजा उनको और तैयार की उनके वास्ते
एक मजलिस और दी उनको हर एक के

वाहि-दतिम् मिन्हुन्-न सिक्कीन्-व-व
 कालतिखरुज् अलैहिन्-न फ-लम्मा
 रए-नहू अक्बर-नहू व क्तअ-न
 ऐदियहुन्-न व कुल्-न हा-श लिल्लाहि
 मा हाजा ब-शरन्, इन् हाजा इल्ला
 म-लकुन् करीम (31) कालत्
 फजालिकुन्नल्लजी लुम्तुन्ननी फीहि,
 व ल-कद् रावत्तुहू अन् नफिसही
 फस्तअ-स-म, व ल-इल्लम् यफअल्
 मा आमुरुहू लयुस्ज-नन्-न व
 ल-यकूनम् मिनस्सागिरीन (32) का-ल
 रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलय-य मिम्मा
 यद्अ-ननी इलैहि व इल्ला तस्फ्र
 अन्नी कैदहुन्-न अस्बु इलैहिन्-न व
 अकुम् मिनल्-जाहिलीन (33)
 फस्तजा-ब लहू रब्बुहू फ-स-र-फ
 अन्हु कैदहुन्-न, इन्हू हुवस्समीजुल्-
 अलीम (34) सुम्-म बदा लहुम्
 मिम्-बअदि मा र-अवुल्-आयाति
 ल-यस्जुनुन्हू हत्ता हीन (35) ●

हाथ में एक छुरी और बोली- यूसुफ
 निकल इनके सामने, पस जब देखा उनको
 अचंभित रह गई और काट डाले अपने
 हाथ और कहने लगीं हाशा! नहीं यह
 शख्त आदमी यह तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता
 है। (31) बोली यह वही है कि ताना
 दिया था तुमने मुझको इसके वास्ते, और
 मैंने लेना चाहा था इससे इसका जी, फिर
 इसने थाम रखा, और बेशक अगर न
 करेगा जो मैं इसको कहती हूँ तो कैद में
 पड़ेगा और होगा बेइज्जत। (32) यूसुफ
 बोला ऐ रब! मुझको कैद पसन्द है उस
 बात से जिसकी तरफ मुझको बुलाती हैं,
 और अगर तू दूर न करेगा मुझसे इनका
 फरेब तो माईल हो जाऊँगा मैं उनकी
 तरफ और हो जाऊँगा बेअक्ल। (33) सो
 कुबूल कर ली उसकी दुआ उसके रब ने
 फिर दफा किया उससे उनका फरेब,
 अलबत्ता वही है सुनने वाला खबरदार।
 (34) फिर यूँ समझ में आया लोगों की
 इन निशानियों के देखने पर कि कैद रखें
 उसको एक मुद्दत तक। (35) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थीं यह बात कही कि अज़ीज की बीवी अपने
 गुलाम को उससे अपना (नाजायज़) मतलब हासिल करने के वास्ते फुसलाती है (कैसी कमीनी
 हरकत है कि गुलाम पर गिरती है)। उस गुलाम का इश्क उसके दिल में जगह पकड़ गया है, हम
 तो उसको खुली गलती में देखते हैं। सो जब उस औरत ने उन औरतों की यह बदगोई (की
 खबर) सुनी तो किसी के हाथ उनको बुला भेजा (कि तुम्हारी दावत है) और उनके वास्ते मसन्द

तकिया लगाया, और (जब वे आई और उनके सामने विभिन्न प्रकार के खाने और फल हाज़िर किये जिनमें कुछ चीज़ें चाकू से तराशकर खाने की थीं इसलिये) हर एक को उनमें से एक-एक चाकू (भी) दे दिया (जो ज़ाहिर में तो फल तराशने का बहाना था और असल मक़सद वह था जो आगे आता है कि ये अपने होश खोकर अपने हाथों को ज़ख्मी कर लेंगी) और (यह सब सामान दुरुस्त करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो किसी दूसरे मकान में थे) कहा कि ज़रा इनके सामने तो आ जाओ। (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यह समझकर कि कोई जायज़ और सही ज़रूरत होगी बाहर आ गये) सो औरतों ने जो उनको देखा तो (उनके हुस्न व खूबसूरती से) हैरान रह गईं और (इस हैरत में) अपने हाथ काट लिये (चाकू से फल तराश रही थीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसी बदहवासी छाई कि चाकू हाथ पर चल गया) और कहने लगीं- खुदा की पनाह! यह शख्स आदमी हरगिज़ नहीं, यह तो कोई बुजुर्ग़ फ़रिश्ता है। वह औरत बोली तो (देख लो) वह शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझको बुरा-भला कहती थीं (कि अपने गुलाम को चाहती है) और वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की इच्छा की थी मगर यह पाक-साफ़ रहा, और (फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के धमकाने और सुनाने को कहा कि) अगर आईन्दा (भी) मेरा कहना नहीं करेगा (जैसा कि अब तक न माना) तो बेशक जेलखाने भेज दिया जायेगा और बेइज़्जत भी होगा। (वे औरतों भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगीं कि तुमको अपनी मोहसिन औरत से ऐसी बेतवज्जोही मुनासिब नहीं, जो यह कहे उसको मानना चाहिये)। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने (ये बातें सुनीं कि ये तो सब की सब उसी की मुवाफ़क़त करने लगीं तो हक़ तज़ाला से) दुआ की कि ऐ मेरे रब! जिस (नाजायज़) काम की तरफ़ ये औरतें मुझको बुला रही हैं उससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसन्द है। और अगर आप इनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करेंगे तो मैं इनकी तरफ़ माईल हो जाऊँगा और नादानी का काम कर बैडूँगा। सो उनके रब ने उनकी दुआ क़बूल की और उन औरतों के दाव-पेच को उनसे दूर रखा, बेशक वह (दुआओं का) बड़ा सुनने वाला (और उनके अहवाल का) बड़ा जानने वाला है। (फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की) बहुत-सी निशानियाँ देखने के बाद (जिनसे खुद तो इसका पूरा यकीन हो गया मगर अ़वाम में चर्चा हो गया था उसको ख़त्म करने की गर्ज़ से) उन लोगों को (यानी अ़जीज़ और उसके मिलने-जुलने वालों को) यही बेहतर मालूम हुआ कि उनको एक वक़्त तक कैद में रखें।

मज़ारिफ़ व मसाईल

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ

“यानी जब जुलैखा ने उन औरतों के मक्र (फ़रेब) का हाल सुना तो उनको एक खाने की दावत पर बुला भेजा।”

यहाँ उन औरतों के तज़क़िरा करने को जुलैखा ने मक्र कहा है, हालाँकि बज़ाहिर उन्होंने कोई मक्र नहीं किया था, मगर चूँकि छुपे तौर पर उसकी बुराई करती थीं इसलिये इसको मक्र से

ताबीर किया।

وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَكًّا

यानी उनके लिये मस्जद तकियों से मज्लिस सजाई।

وَأَتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا

यानी जब ये औरतें आ गईं और इनके सामने विभिन्न और अनेक किस्म के खाने और फल हाज़िर किये, जिनमें कुछ चीज़ें चाकू से तराश (छील) कर खाने की थीं इसलिये हर एक को एक एक तेज़ चाकू भी दे दिया, जिसका ज़ाहिरी मक़सद तो फल तराशना था मगर दिल में वह बात छुपी थी जो आगे आती है कि ये औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने होश खो बैठेंगी और चाकू से अपने हाथ ज़ख्मी कर लेंगी।

وَقَالَتِ الْآخَرُجُ عَلَيْهِنَّ

यानी यह सब सामान दुरुस्त करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो किसी दूसरे मकान में थे जुलैखा ने कहा कि ज़रा बाहर आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को चूँकि उसकी बुरी गर्ज़ मालूम न थी इसलिये बाहर उस मज्लिस में तशरीफ़ ले आये।

فَلَمَّا رَأَتْهُ أَكْبَرَتْهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

यानी उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न व सुन्दरता से हैरान रह गईं और अपने हाथ काट लिये, यानी फल तराशते वक़्त जब यह हैरत-अंगेज़ वाकिफ़ा सामने आया तो चाकू हाथ पर चल गया जैसा कि दूसरी तरफ़ ख़्याल बट जाने से अक्सर ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो जाता है, और कहने लगीं कि खुदा की पनाह यह शख्स आदमी हरगिज़ नहीं, यह तो कोई बुज़ुर्ग़ फ़रिश्ता है। मतलब यह था कि ऐसा नूरानी तो फ़रिश्ता ही हो सकता है।

قَالَتْ لَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُنَا

مِنَ الضَّالِّينَ ۝

वह औरत बोली कि देख लो वह शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझे बुरा-भला कहती थीं और वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की इच्छा और तलब की थी मगर यह पाक साफ़ रहा और आईन्दा यह मेरा कहना न मानेगा तो बेशक जेलखाने भेजा जायेगा और बेइज़्ज़त भी होगा।

उस औरत ने जब यह देखा कि मेरा राज़ इन औरतों पर खुल तो चुका ही है इसलिये उनके सामने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराने धमकाने लगी। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने बयान किया है कि उस वक़्त ये सब औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगीं कि यह औरत तुम्हारी मोहसिन है, इसकी मुख़ालफ़त नहीं करनी चाहिये।

और कुरआने करीम के कुछ अलफ़ाज़ जो आगे आते हैं उनसे भी इसकी ताईद होती है जैसे 'यद्क़-ननी' और 'कैदहुन्-न' जिनमें चन्द औरतों का कौल जमा (बहुवचन) के कलिमे के साथ ज़िक्र किया गया है।

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि ये औरतें भी इसकी मुवाफ़क़त और ताईद कर रही हैं और इनके फ़रेब व जाल से बचने की ज़ाहिरी कोई तदबीर नहीं रही तो अल्लाह तआला की तरफ़ ही रूजू फ़रमाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया:

رَبِّ السَّعْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۝

“यानी ऐ मेरे पालने वाले! ये औरतें मुझे जिस काम की तरफ़ दावत देती हैं उससे तो मुझे जेलख़ाना ज़्यादा पसन्द है, और अगर आप ही उनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करें तो मुम्किन है कि मैं उनकी तरफ़ माईल हो जाऊँ और नादानी का काम कर बैठूँ।”

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह फ़रमाना कि जेलख़ाना मुझे पसन्द है, कैद व बन्द की कोई तलब या इच्छा नहीं बल्कि गुनाह के मुकाबले में इस दुनियावी मुसीबत को आसान समझने का इज़हार है। और कुछ रिवायतों में है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद में डाले गये तो अल्लाह तआला की तरफ़ से वही आई कि आपने कैद में अपने आपको खुद डाला है क्योंकि आपने कहा था:

السَّعْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ

यानी इसके मुकाबले में मुझको जेलख़ाना ज़्यादा पसन्द है। और अगर आप आफ़ियत माँगते तो आपको मुकम्मल आफ़ियत (सुकून व हिफ़ाज़त) मिल जाती। इससे मालूम हुआ कि किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिये दुआ में यह कहना कि इससे तो यह बेहतर है कि फ़ुलॉ छोटी मुसीबत में मुझे मुब्तला कर दे, मुनासिब नहीं, बल्कि अल्लाह तआला से हर मुसीबत और बला के वक़्त आफ़ियत (सुकून व बेहतरी) ही माँगनी चाहिये। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सब्र की दुआ माँगने से एक शख्स को मना फ़रमाया कि सब्र तो बला और मुसीबत पर होता है, इसलिये अल्लाह से सब्र की दुआ माँगने के बजाय आफ़ियत (चैन व सुकून) की दुआ माँगो। (तिर्मिज़ी)

और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे कोई दुआ तालीम फ़रमा दीजिये तो आपने फ़रमाया कि अपने रब से आफ़ियत (चैन व सुकून) की दुआ माँगो करो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद फिर मैंने आपसे दुआ की तालीम का सवाल किया तो फ़रमाया कि अल्लाह तआला से दुनिया व आख़िरत की आफ़ियत माँगो करें। (मज़हरी, तबरानी के हवाले से)

और यह फ़रमाना कि अगर आप उनके फ़रेब व जाल को दूर न करेंगे तो मुम्किन है कि मैं उनकी तरफ़ माईल हो जाऊँ, यह नुबुव्वत की हिफ़ाज़त व सुरक्षा के खिलाफ़ नहीं, क्योंकि हिफ़ाज़त व बचाव का तो हासिल ही यह है कि अल्लाह तआला किसी शख्स को गुनाह से बचाने का ग़ैबी तौर पर बिना असबाब के इन्तिज़ाम फ़रमाकर उसको गुनाह से बचा लें। और अगरचे नुबुव्वत के तकाज़े के तहत यह मक़सद पहले ही से हासिल था मगर फिर भी ख़ौफ़ की ज़्यादाती के सबब अदब से इसकी दुआ करने पर मजबूर हो गये। इससे यह भी मालूम हुआ कि हर गुनाह का काम जहालत से होता है, इल्म का तकाज़ा गुनाहों से परहेज़ करना है। (क़ुर्तुबी)

فَسَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“यानी उनकी दुआ उनके रब ने कुबूल फरमा ली, और उन औरतों के मक़द व हीले को उनसे दूर रखा, बेशक वह बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है।”

अल्लाह तआला ने उन औरतों के जाल से बचाने के लिये यह सामान फरमा दिया कि अज़ीज़े मिस्र और उसके दोस्तों को अगरचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और पवित्रता व परहेज़गारी की खुली निशानियाँ देखकर उनकी पाकी का यकीन हो चुका था मगर शहर में इस वाकिए का चर्चा होने लगा उसको ख़त्म करने के लिये उनको बेहतरि इसमें नज़र आई कि कुछ अरसे के लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में बन्द कर दिया जाये, ताकि अपने घर में इन शुब्हात का कोई मौका भी बाकी न रहे, और लोगों की ज़बानों से इसका चर्चा भी ख़त्म हो जाये।

فَمَا بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسُ جُنْتَهُ حَتَّىٰ حِينٍ

यानी फिर अज़ीज़ और उसके सलाहकारों ने बेहतरि और भलाई इसमें समझी कि कुछ अरसे के लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा जाये, चुनाँचे आप जेलखाने में भेज दिये गये।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ

فَتَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي أَنِّي أَرَىٰ أَعْيُنَ حَمْرًا. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰ أَيْدِيَّ أَحْمَلُ قَوْنِي رَأَيْتُ خَيْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ وَيَنْتِنُ بِنَأْوِيلِهِ. إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقْنِيهِ إِلَّا نَبَأُ كُفْرًا بِنَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَتَفَرَّقَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. يَصَاحِبِهِ السِّجْنُ وَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ الْأَعْلَىٰ تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَصَاحِبِهِ السِّجْنُ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. قَضَىٰ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.

व द-ख-ल म-अहुस्सिज्-न फ-तयानि,

का-ल अ-हदुहुमा इन्नी अरानी

और दाखिल हुए कैदखाने में उसके साथ

दो जवान, कहने लगा उनमें में एक मैं

अज़सिरु ख़मरन् व कालल-आख़रु
 इन्नी अरानी अस्मिलु फ़ौ-क़ रज़सी
 छुब्जन् तअकुलुस्तैरु मिन्हु,
 नब्बिअना बित्तअवीलिही इन्ना नरा-क
 मिनल्मुद्दिसनीन (36) का-ल ला
 यअतीकुमा तअामुन् तुरज़क़ानिही
 इल्ला नब्बअतुकुमा बित्तअवीलिही
 कब्-ल अय्यअति-यकुमा, ज़ालिकुमा
 मिम्मा अल्ल-मनी रब्बी, इन्नी तरक्तु
 मिल्ल-त कौमिल् ला युअ्मिनु-न
 बिल्लाहि व हुम् बिल्आख़िरति हुम्
 काफ़िरुन (37) वत्तबअतु मिल्ल-त
 आबाई इब्राही-म व इस्हा-क़ व
 यअकू-ब, मा का-न लना अन्
 नुशिर-क बिल्लाहि मिन् शैइन,
 ज़ालि-क मिन् फ़ज़िल्ल्लाहि अलैना
 व अलन्नासि व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला यश्कुरुन (38) या
 साहि-बयिस्सिज्जि अ-अर्बामुम्
 मु-तफ़रिक्-न ख़ैरुन् अमिल्लाहुल्-
 वाहिदुल्-कह्हार (39) मा तअबुद्द-न
 मिन् दूनिही इल्ला अस्माअन्
 सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा
 अन्ज़ल्ल्लाहु बिहा मिन् सुल्लानिन्,
 इनिह्लुकुम् इल्ला लिह्ल्लाहि, अ-म-र

देखता हूँ कि मैं निचोड़ता हूँ शराब और
 दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि उठा
 रहा हूँ अपने सर पर रोटी कि जानवर
 खाते हैं उसमें से, बतला हमको इसकी
 ताबीर, हम देखते हैं तुझको नेकी वाला।
 (36) बोला न आने पायेगा तुमको खाना
 जो हर दिन तुमको मिलता है मगर बता
 चुकूँगा तुमको इसकी ताबीर उसके आने
 से पहले, यह इल्म है जो कि मुझको
 सिखाया मेरे रब ने, मैंने छोड़ा दीन उस
 कौम का कि ईमान नहीं लाते अल्लाह पर
 और आख़िरत से वे लोग इनकारी हैं।
 (37) और पकड़ा मैंने दीन अपने बाप
 और दादाओं का इब्राहीम और इस्हाक़
 और याकूब का, हमारा काम नहीं कि
 शरीक करें अल्लाह का किसी चीज़ को,
 यह फ़ज़ल है अल्लाह का हम पर और
 सब लोगों पर लेकिन बहुत लोग एहसान
 नहीं मानते। (38) ऐ कैदख़ाने के साथियो!
 भला कई माबूद जुदा-जुदा बेहतर या
 अल्लाह अकेला ज़बरदस्त? (39) कुछ
 नहीं पूजते हो तुम सिवाय इसके मगर नाम
 हैं जो रख लिये हैं तुमने और तुम्हारे
 बाप दादाओं ने, नहीं उतारी अल्लाह ने
 उनकी कोई सनद, हुकूमत नहीं है किसी
 की सिवाय अल्लाह के, उसने फ़रमा दिया

अल्ला तअब्दू इल्ला इय्याहु,
जालिकद्-दीनुल्-क़ियमु व
लाकिन्-न अक्सरन्नासि ता यअलमून
(40) या साहि-बयिस्सिज्जि अम्मा
अ-हदुकुमा फ-यस्की रब्बहू खमूरन्
व अम्मल्-आहारु फ़युस्-लबु
फ़-तअकुलुत्-तैरु भिर्रज्सिही,
कुज़ियल्-अमरुल्लज़ी फ़ीहि
तस्ताफ़ितयान (41) व का-ल तिल्लज़ी
जन्-न अन्नहू नाजिम्-मिन्हुमज़्कुरनी
अिन्-द रब्बि-क, फ़अन्साहुशैतानु
ज़िक्-र रब्बिही फ़-लबि-स फिस्सिज्जि
बिज़्-अ सिनीन (42) ●

कि न पूजो मगर उसी को, यही है रास्ता
सीधा, पर बहुत लोग नहीं जानते। (40)
ऐ कैदखाने के साथियो! एक जो है तुम
दोनों में सो पिलायेगा अपने मालिक को
शराब और दूसरा जो है सो सूली दिया
जायेगा, फिर खायेंगे जानवर उसके सर में
से, फैसल (तय) हुआ वह काम जिसकी
तहकीक़ तुम चाहते थे। (41) और कह
दिया यूसुफ़ ने उसको जिसको गुमान
किया था कि बचेगा उन दोनों में से कि
मेरा ज़िक्र करना अपने मालिक के पास,
सो भुला दिया उसको शैतान ने ज़िक्र
करना अपने मालिक से, फिर रहा कैद में
कई साल। (42) ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के साथ (यानी उसी ज़माने में) और भी दो गुलाम (बादशाह के) कैदखाने में दाखिल हुए (जिनमें एक साकी यानी शराब पिलाने वाला था, दूसरा रोटी पकाने वाला बावर्ची, और उनकी कैद का सबब यह शुब्हा था कि उन्होंने खाने में और शराब में ज़हर मिलाकर बादशाह को दिया है। उनके मुक़द्दमे की तफ़तीश चल रही थी, इसलिये कैद कर दिये गये। उन्होंने जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में बुज़ुर्गी के आसार पाये तो) उनमें से एक ने (हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से) कहा कि मैं अपने आपको सपने में देखता हूँ कि (जैसे) शराब (बनाने के लिये अंगूर का शीरा) निचोड़ रहा हूँ (और बादशाह को वह शराब पिला रहा हूँ), और दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को इस तरह देखता हूँ कि (जैसे) मैं अपने सर पर रोटियाँ लिये जाता हूँ (और) उनमें से परिन्दे (नोच-नोचकर) खाते हैं। हमको इस ख़्वाब की (जो हम दोनों ने देखा है) ताबीर बतलाईये, आप हमको नेक आदमी मालूम होते हैं।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने (जब यह देखा कि ये लोग यक़ीन व एतिकाद के साथ मेरी तरफ़ माईल हुए हैं तो चाहा कि उनको सबसे पहले ईमान की दावत दी जाये इसलिये पहले अपना नबी होना एक मौजिज़े से साबित करने के लिये) फरमाया कि (देखो) जो खाना तुम्हारे पास आता है जो कि तुमको खाने के लिये (जेलखाने में) मिलता है, मैं उसके आने से पहले उसकी

हकीकत तुमको बतला दिया करता हूँ (कि फुलों चीज़ आवेगी और ऐसी-ऐसी होगी और) यह बतला देना उस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फरमाया है (यानी मुझको वही से मालूम हो जाता है, तो यह एक मौजिज़ा है जो नुबुव्वत की दलील है, और इस वक्त यह मौजिज़ा खास तौर पर इसलिये मुनासिब था कि जिस वाकिए में कैदियों ने ताबीर के लिये उनकी तरफ़ रुजू किया वह वाकिआ भी खाने ही से मुताल्लिक था, नुबुव्वत के साबित करने के बाद आगे तौहीद को साबित करने का मज़मून बयान फरमाया कि) मैंने तो उन लोगों का मज़हब (पहले ही से) छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और वे लोग आखिरत के भी इनकारी हैं। और मैंने अपने इन (बुजुर्गवार) बाप-दादों का मज़हब इख़्तियार कर रखा है- इब्राहीम का और इस्हाक़ का और याक़ूब का (और इस मज़हब का मुख्य अंग यह है कि) हमको किसी तरह मुनासिब नहीं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को (इबादत में) शरीक करार दें। यह (तौहीद का अक़ीदा) हम पर और (दूसरे) लोगों पर (भी) खुदा तआला का एक फ़ज़ल है (कि इसकी बदौलत दुनिया व आखिरत की कामयाबी है) लेकिन अक्सर लोग (इस नेमत का) शुक्र (अदा) नहीं करते (यानी तौहीद को इख़्तियार नहीं करते)।

ऐ कैदख़ाने के साथियो! (ज़रा सोचकर बतलाओ कि इबादत के वास्ते) मुतफ़र्रिक़ “यानी अलग-अलग” माबूद अच्छे या एक माबूदे बरहक़, जो सबसे ज़बरदस्त है वह अच्छा। तुम लोग तो खुदा को छोड़कर सिर्फ़ चन्द बेहकीकत नामों की इबादत करते हो, जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने (खुद ही) मुक़रर कर लिया है। खुदा तआला ने तो उन (के माबूद होने) की कोई दलील (अक़ली या किताबी व रिवायती) भेजी नहीं (और) हुक़्म खुदा ही का है, उसने यह हुक़्म दिया है कि सिवाय उसके और किसी की इबादत मत करो, यही (तौहीद और इबादत सिर्फ़ हक़ तआला के लिये मख़्सूस करना) सीधा तरीका है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (ईमान की दावत व तब्लीग़ के बाद अब उनके ख़्वाब की ताबीर बताते हैं कि) ऐ कैदख़ाने के दोनों साथियो! तुममें एक तो (जुर्म से बरी होकर) अपने आका को (बदस्तूर) शराब पिलाया करेगा और दूसरा (मुजरिम करार पाकर) सूली दिया जायेगा, और उसके सर को परिन्दे (नोच-नोचकर) खाएँगे, और जिस बारे में तुम पूछते थे वह इसी तरह मुक़दर हो चुका (चुनौचे मुक़दिमे की छानबीन और हकीकत खुल जाने के बाद इसी तरह हुआ कि एक बरी साबित हुआ और दूसरा मुजरिम, दोनों जेलख़ाने से बुलाये गये, एक रिहाई के लिये दूसरा सज़ा के लिये)। और (जब वे लोग जेलख़ाने से जाने लगे तो) जिस शख़्स की रिहाई का गुमान था उससे यूसुफ़ ने फरमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी ज़िक़्र करना (कि एक शख़्स बेक़सूर कैद में है। उसने वायदा कर लिया) फिर उसको अपने आका से (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का) ज़िक़्र करना शैतान ने भुला दिया तो (इस वजह से) कैदख़ाने में और भी चन्द साल उनका रहना हुआ।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में पेश आने वाले दूसरे वाकिए

का बयान है। यह बात आप बार-बार मालूम कर चुके हैं कि कुरआने करीम न कोई तारीखी किताब है न किस्से कहानी की, इसमें जो तारीखी वाक़िआ या किस्सा ज़िक्र किया जाता है उससे मकसूद सिर्फ़ इनसान को इबत व नसीहत और ज़िन्दगी के विभिन्न पहलुओं के मुताल्लिक़ अहम हिदायतें होती हैं। पूरे कुरआन और बेशुमार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़िआत में सिर्फ़ एक ही किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ऐसा है जिसको कुरआने करीम ने लगातार बयान किया है वरना हर स्थान के मुनासिब तारीखी वाक़िआ का कोई ज़रूरी हिस्सा ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा किया गया है।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अव्वल से आख़िर तक देखिये तो इसमें सैंकड़ों इबत व नसीहत के मौक़े और इनसानी ज़िन्दगी के विभिन्न चरणों के लिये अहम हिदायतें हैं। आगे आ रहा यह किस्सा भी बहुत सी हिदायतें अपने दामन में लिये हुए है।

वाक़िआ यह हुआ कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराजत और पाकी बिल्कुल वाज़ेह हो जाने के बावजूद अज़ीज़े मिस्र और उसकी बीवी ने बदनामी का चर्चा ख़त्म करने के लिये कुछ अरसे के लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज देने का फैसला कर लिया, जो दर हकीक़त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ और इच्छा की पूर्ति थी क्योंकि अज़ीज़े मिस्र के घर में रहकर आबरू बचाना एक सख़्त मुश्किल मामला हो गया था।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में पहुँचे तो साथ में दो मुजरिम कैदी और भी दाख़िल हुए उनमें से एक बादशाह का साक़ी (शराब पिलाने वाला) और दूसरा बावर्ची था। इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर के उलेमा के हवालों से लिखा है कि ये दोनों इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए थे कि इन्होंने बादशाह को खाने वगैरह में ज़हर देने की कोशिश की थी, मुक़द्दिमे की छानबीन चल रही थी इसलिये इन दोनों को जेल में रखा गया।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में दाख़िल हुए तो अपने पैगम्बराना अख़्लाक़ और रहमत व शफ़क़त के सबब सब कैदियों की दिलदारी और ख़बरगीरी करते थे, जो बीमार हो गया उसकी बीमार पुरसी और ख़िदमत करते, जिसको ग़मगीन व परेशान पाते उसको तसल्ली देते, सज़ा की तल्कीन और रिहाई की उम्मीद से उसका दिल बढ़ाते थे, खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को आराम देने की फ़िक्र करते, और रात भर अल्लाह तआला की इबादत में मशगूल रहते थे। आपके ये हालत देखकर जेल के सब कैदी आपकी बुजुर्गी के मोतक़िद हो गये, जेल का अफ़सर भी मुतास्सिर हुआ, उसने कहा कि अगर मेरे इख़्तियार में होता तो मैं आपको छोड़ देता, अब इतना ही कर सकता हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ न पहुँचे।

एक अज़ीब फ़ायदा

जेल के अफ़सर ने या कैदियों में से कुछ लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत व मुहब्बत का इज़हार किया कि हमें आपसे बहुत मुहब्बत है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि खुदा के लिये मुझसे मुहब्बत न करो, क्योंकि जब किसी ने मुझसे मुहब्बत की है

तो मुझ पर आफत आई है। बचपन में मेरी फूफी को मुझसे मुहब्बत थी उसके नतीजे में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, फिर मेरे वालिद ने मुझसे मुहब्बत की तो भाईयों के हाथों कुएँ की कैद फिर गुलामी और देस निकाले में मुब्तला हुआ, अजीज़ की बीवी ने मुझसे मुहब्बत की तो इस जेल में पहुँचा। (तफसीर इब्ने कसीर, मज़हरी)

ये दो कैदी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में गये थे एक दिन इन्होंने कहा कि आप हमें नेक बुजुर्ग मालूम होते हैं इसलिये आपसे हम अपने ख़ाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और तफसीर के कुछ दूसरे इमामों ने फ़रमाया कि यह ख़ाब उन्होंने वास्तव में देखे थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ख़ाब कुछ न था केवल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और सच्चाई की आजमाईश के लिये ख़ाब बनाया था।

बहरहाल! उनमें से एक यानी शाही साक़ी ने तो यह कहा कि मैंने ख़ाब में देखा कि मैं अंगूर से शराब निकाल रहा हूँ और दूसरे यानी बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियों का कोई टोकरा है उसमें से जानवर नोच-नोचकर खा रहे हैं, और दरख़्वास्त की कि हमें इन दोनों ख़ाबों की ताबीरें बतलाईये।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख़ाबों की ताबीर पूछी जाती है, मगर वह पैग़म्बराना अन्दाज़ पर इस सवाल के जवाब से पहले तब्लीग़ और ईमान की दावत का काम शुरू फ़रमाते हैं और दावत के उसूलों के मातहत हिक़मत व समझदारी से काम लेकर सब से पहले उन लोगों के दिलों में अपना एतिमाद पैदा करने के लिये अपने इस मोज़िज़े का ज़िक्र किया कि तुम्हारे लिये जो खाना तुम्हारे घरों से या किसी दूसरी जगह से आता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस किस का खाना, कैसा, कितना और किस वक़्त आयेगा, और वह ठीक उसी तरह निकलता है।

ذٰلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي

और यह कोई रमल, जफ़र का फ़न या कहानत वगैरह का करतब नहीं बल्कि मेरा रब वही (अपनी तरफ़ से भेजे गये पैग़ाम) के ज़रिये मुझे बतला देता है, मैं उसकी इतिला दे देता हूँ और यह एक खुला मोज़िज़ा था जो नुबुव्वत की दलील और एतिमाद का बहुत बड़ा सबब है। इसके बाद पहले कुफ़्र की बुराई और कुफ़्र की जमाअत से अपनी बेज़ारी बयान की और फिर यह भी जतला दिया कि मैं नुबुव्वत के ख़ानदान ही का एक फ़र्द और उन्हीं के हक़ रास्ते का पाबन्द हूँ। मेरे बाप-दादा इब्राहीम, इस्हाक़ और याक़ूब अलैहिमुस्सलाम हैं, यह ख़ानदानी शराफ़त भी आदतन इनसान का एतिमाद पैदा करने का सबब होती है। इसके बाद बतलाया कि हमारे लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि हम अल्लाह तआला के साथ किसी को उसकी खुदाई सिफ़ात में शरीक समझें। फिर फ़रमाया कि यह दिने हक़ की तौफ़ीक़ हम पर और सब लोगों पर अल्लाह तआला ही का फ़ज़ल है कि उसने सही समझ अता फ़रमाकर हक़ को कुबूल करना हमारे लिये आसान कर दिया, मगर बहुत-से लोग इस नेमत की कद्र और शुक्र नहीं करते।

फिर उन्हीं क़ैदियों से सवाल किया— अच्छा तुम ही बतलाओ कि इनसान बहुत-से परवर्दिगारों का परस्तार हो यह बेहतर है या यह कि सिर्फ एक अल्लाह का बन्दा बने, जिसका कहर व ताकत सब पर ग़ालिब है। फिर बुतपरस्ती की बुराई एक दूसरे तरीक़े से यह बतलाई कि तुमने और तुम्हारे बाप-दादों ने कुछ बुतों को अपना परवर्दिगार समझा हुआ है, ये तो सिर्फ नाम ही नाम के हैं, जो तुमने गढ़ लिये हैं, न इनमें ज़ाती सिफ़ात इस काबिल हैं कि इनको किसी मामूली-सी भी कुव्वत व ताकत का मालिक समझा जाये, क्योंकि वे सब बेहिस व हरकत हैं। यह बात तो आँखों से दिखाई देती है। दूसरा रास्ता उनके सच्चे माबूद होने का यह हो सकता था कि अल्लाह तआला उनकी पूजा के लिये अहकाम नाज़िल फ़रमाये, तो अगरचे खुले तौर पर देखने और अक़ल की रहनुमाई से उनकी खुदाई को तस्लीम न करते, मगर हुक्मे खुदावन्दी की वजह से हम अपने देखे और अनुभव को छोड़कर अल्लाह तआला के हुक्म की इताअत करते, मगर यहाँ वह भी नहीं, क्योंकि हक़ तआला ने इनकी इबादत के लिये कोई हुज्जत व दलील नाज़िल नहीं फ़रमाई बल्कि उसने यही बतलाया कि हुक्म और हुकूमत सिवाय अल्लाह तआला के किसी का हक़ नहीं, और यह हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यह वह मज़बूत दीन है जो मेरे बाप-दादा को अल्लाह तआला की तरफ़ से अता हुआ, मगर अक्सर लोग इस हकीक़त को नहीं समझते।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी तस्लीम व दावत के बाद उन लोगों के ख़्वाबों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया कि तुम में से एक तो रिहा हो जायेगा और फिर अपनी नौकरी पर भी बरकरार रहकर बादशाह को शराब पिलायेगा, और दूसरे पर जुर्म साबित होकर उसको सूली दी जायेगी और जानवर उसका गोश्त नोच-नोचकर खायेंगे।

पैग़म्बराना शफ़क़त की अजीब मिसाल

इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि अगरचे उन दोनों के ख़्वाब अलग-अलग थे और हर एक की ताबीर मुतैयन थी, और यह भी मुतैयन था कि शाही साक़ी बरी होकर अपनी नौकरी और इयूटी पर फिर बहाल होगा और बावर्ची को सूली दी जायेगी, मगर पैग़म्बराना शफ़क़त व मेहरबानी की वजह से मुतैयन करके नहीं बतलाया कि तुम में से फुल्लों को सूली दी जायेगी ताकि वह अभी से ग़म में न घुले, बल्कि संक्षिप्त रूप से यूँ फ़रमाया कि तुम में से एक रिहा हो जायेगा और दूसरे को सूली दी जायेगी।

आख़िर में फ़रमाया कि मैंने तुम्हारे ख़्वाबों की जो ताबीर दी है यह महज़ अटकल और अन्दाज़े से नहीं दी बल्कि यह खुदाई फ़ैसला है जो टल नहीं सकता। जिन मुफ़स्सिरीन हज़रत ने उन लोगों के ख़्वाबों को ग़लत और बनावटी कहा है उन्होंने यह भी फ़रमाया है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़्वाबों की ताबीर बतलाई तो ये दोनों बोल उठे कि हमने तो कोई ख़्वाब देखा ही नहीं, महज़ बात बनाई थी। इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

فُضِيَ الْأَمْرُ لِلدَّيِّ فِيهِ تَسْتَفِينُ ۝

चाहे तुमने यह ख़्वाब देखा या नहीं देखा अब वाकिआ यूँ ही होगा जो बयान किया गया है। मक़सद यह है कि झूठा ख़्वाब बनाने के गुनाह का जो अपराध तुमने किया था अब उसकी सज़ा यही है जो ख़्वाब की ताबीर में बयान हुई।

फिर जिस शख्स के मुताल्लिक़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़्वाब की ताबीर के ज़रिये यह समझते थे कि वह रिहा होगा उससे कहा कि जब तुम आज़ाद होकर जेल से बाहर जाओ और शाही दरबार में तुम्हारी पहुँच हो तो अपने बादशाह से मेरा भी ज़िक्र कर देना कि वह बेगुनाह कैद में पड़ा हुआ है; मगर उस शख्स को आज़ाद होने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की यह बात याद न रही जिसका नतीजा यह हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आज़ादी को और देर लगी और इस वाकिए के बाद चन्द साल और कैद में रहे। यहाँ कुरआने करीम में लफ़ज़ 'बिज़-अ सिनीन' आया है। यह लफ़ज़ तीन से लेकर नौ तक सादिक़ आता है। कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इस वाकिए के बाद सात साल और कैद में रहने का इत्तिफ़ाक़ हुआ।

अहकाम व मसाईल

उपर्युक्त आयतों से बहुत-से अहकाम व मसाईल और फ़ायदे व हिदायतें हासिल होते हैं इनमें गौर कीजिये:

पहला मसला यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में भेजे गये जो मुजरिमों और बदमाशों की बस्ती होती है, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ भी अच्छे अख़्लाक़, अच्छे रहन-सहन और बर्ताव का वह मामला किया जिससे ये सब मुरीद हो गये, जिससे मालूम हुआ कि सुधारकों के लिये लाज़िम है कि मुजरिमों ख़ताकारों से शफ़क़त व हमदर्दी का मामला करके उनको अपने से जोड़ने और पास लगाने का काम करें, किस्ती क़दम पर नफ़रत व नापसन्दीदगी का इज़हार न होने दें।

दूसरा मसला आयत के जुमले 'इन्ना नरा-क मिनल-मुहसिनीन' से यह मालूम हुआ कि ख़्वाब की ताबीर ऐसे ही लोगों से मालूम करनी चाहिये जिनके नेक, सालेह और हमदर्द होने पर भरोसा हो।

तीसरा मसला यह मालूम हुआ कि हक़ की दावत देने वालों और मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) की ख़िदमत करने वालों का तरीक़ा-ए-अमल यह होना चाहिये कि पहले अपने अच्छे अख़्लाक़ और अमली व इल्मी कमालात के ज़रिये अल्लाह की मख़्लूक़ पर अपना विश्वास कायम करें, चाहे इसमें उनको कुछ अपने कमालात का इज़हार भी करना पड़े, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस मौक़े पर अपना मोज़िज़ा भी ज़िक्र किया और अपना नुबुव्वत के ख़ानदान का एक फ़र्द होना भी ज़ाहिर किया। यह कमाल का इज़हार अगर मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) की नीयत से हो, अपनी ज़ाती बड़ाई साबित करने के लिये न हो तो वह यह अपनी पाकीज़गी बयान करना नहीं जिसकी मनाही कुरआने करीम में आई है 'फ़ला तुजक्कू अन्फु-सकुम' यानी अपनी पाक-नफ़सी का इज़हार न करो। (तफ़सीरे मज़हरी)

चौथा मसला तब्लीग़ व दावत का एक अहम उसूल यह बतलाया गया है कि दाजी (दावत का काम करने वाले) और सुधारक का फर्ज़ है कि हर वक़्त हर हाल में अपने दावत व तब्लीग़ के काम को सब कामों से आगे और ऊपर रखे, कोई उसके पास किसी काम के लिये आये वह अपने असली काम को न भूले, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ये कैदी ख़्वाब की ताबीर पूछने के लिये आये तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब की ताबीर के जवाब से पहले दावत व तब्लीग़ के ज़रिये उनको हिदायत व रहनुमाई का तोहफ़ा अता फ़रमाया। यह न समझे कि दावत व तब्लीग़ किसी जलसे, किसी मिम्बर या स्टेज पर ही हुआ करती है, व्यक्तिगत मुलाकातों और निजी बातचीत के ज़रिये यह काम इससे ज़्यादा असरदार (प्रभावी) होता है।

पाँचवाँ मसला भी इसी दावत व इस्लाह से मुताल्लिक़ है कि हिक्मत के साथ वह बात कही जाये जो मुख़ातब के दिल में जगह बना सके। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको यह दिखाया कि मुझे जो कोई कमाल हासिल हुआ वह इसका नतीजा है कि मैंने कुफ़्र के रास्ते और मज़हब को छोड़कर इस्लाम मज़हब को इख़्तियार किया और फिर कुफ़्र व शिर्क की ख़राबियाँ दिल में बैठ जाने वाले अन्दाज़ में बयान फ़रमाई।

छठा मसला इससे यह साबित हुआ कि जो मामला मुख़ातब (संबोधित व्यक्ति) के लिये तकलीफ़देह और नागवार हो उसका इज़हार ज़रूरी हो तो मुख़ातब के सामने जहाँ तक मुम्किन हो ऐसे अन्दाज़ से किया जाये कि उसको तकलीफ़ कम से कम पहुँचे, जैसे ख़्वाब की ताबीर में एक शख़्स की हलाकत मुतैयन थी मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको अस्पष्ट रखा, यह मुतैयन करके नहीं कहा कि तुम सूली पर चढ़ाये जाओगे। (तफ़सीर इब्ने कसीर, मज़हरी)

सातवाँ मसला यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल से रिहाई के लिये उस कैदी से कहा कि जब बादशाह के पास जाओ तो मेरा भी ज़िक्र करना कि वह बेकसूर जेल में है। इससे मालूम हुआ कि किसी मुसीबत से छुटकारे के लिये किसी शख़्स को कोशिश का माध्यम और ज़रिया बनाना तवक्कूल के खिलाफ़ नहीं।

आठवाँ मसला यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू को अपने ख़ास और चुने हुए पैग़म्बरों के लिये हर जायज़ कोशिश भी पसन्द नहीं कि किसी इनसान को अपने छुटकारे का ज़रिया बनायें, उनके और हक़ तअ़ाला के बीच कोई वास्ता न होना ही अम्बिया का असली मक़ाम है, शायद इसी लिये यह कैदी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस कहने को भूल गया और उनको मज़ीद कई साल जेल में रहना पड़ा। एक हदीस में भी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى بَيْسَتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا
نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِنَا ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتَبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَأَرْسَلْنَاهُ ۞ يُوْسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيًّا يَا كَاهِنَ سَبْعِ عَجَائِفٍ وَسَبْعِ
 سُنْبُلَاتٍ خَضْرٍ وَأَخْرَجْنَاهُ لَعَلَّ الرَّجْعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَيْهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
 يَا كُلَّن مَأْقَدًا مِمَّنْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ
 فِيهِ يَعْرِضُونَ ۞ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْ بِهٖ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَعَسَىٰ أَنْ يَمُنَّ
 الرَّسُولَ الَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞

व कालल्-मलिकु इन्नी अरा सब्-अ
 ब-करातिन् सिमानिन्य्यअकुलुहुन्-न
 सब्अन् अिजाफुंव्-व सब्-अ
 सुम्बुलातिन् खुज्रिव्-व उ-ख-र
 याबिसातिन्, या अय्युहल् म-लउ
 अफ्तूनी फी रुअ्या-य इन् कुन्तुम्
 लिर्ह्अ्या तअ्बुरुन (43) काल्
 अज्ग़ासु अह्लामिन् व मा नह्नु
 बित्अ्वीलिल्-अह्लामि बिअलिमीन
 (44) व कालल्लज़ी नजा मिन्हुमा
 वदद-कर बअ्-द उम्मतिन् अ-न
 उनब्बिउकुम् बित्अ्वीलिल्ही
 फ-अरसिलून (45) यूसुफ्
 अय्युहस्सिददीकु अफित्ना फी सब्अ
 ब-करातिन् सिमानिन्य्यअकुलुहुन्-न
 सब्अन् अिजाफुंव्-व सब्अ सुम्बुलातिन्
 खुज्रिव्-व उ-ख-र याबिसातिल्-
 लअल्ली अर्जिअु इलन्नासि लअल्लहुम्

और कहा बादशाह ने मैं ख़्वाब में देखता
 हूँ सात गायें मोटी उनको खाती हैं सात
 गायें दुबली, और सात बालें हरी और
 दूसरी सूखी, ऐ दरबार वालो! ताबीर कहो
 मुझसे मेरे ख़्वाब की अगर हो तुम ख़्वाब
 की ताबीर देने वाले। (43) बोले ये
 ख़्याली ख़्वाब हैं, और हमको ऐसे ख़्वाबों
 की ताबीर मालूम नहीं। (44) और बोला
 वह जो बचा था उन दोनों में से और
 याद आ गया उसको मुदत के बाद, मैं
 बताऊँ तुमको इसकी ताबीर सो तुम
 मुझको मेजो। (45) जाकर कहा ऐ सच्चे
 यूसुफ़! हुक्म दे हमको इस ख़्वाब में,
 सात गायें मोटी उनको खायें सात दुबली
 और सात बालें हरी और दूसरी सूखी,
 ताकि ले जाऊँ मैं लोगों के पास शायद

यअ्लमून (46) का-ल तज़-रअ-न
सब्-अ सिनी-न द-अबन् फ़ मा
हसत्तुम् फ-ज़रुहु फी सुम्बुलिही
इल्ला कलीलम्-मिम्मा तअकुलून (47)
सुम्-म यअती मिम्-बअदि ज़ालि-क
सब्अन् शिदादुंय्यअकुल्-न मा
कद्दम्तुम् लहुन्-न इल्ला कलीलम्
मिम्मा तुहिसनून (48) सुम्-म
यअती मिम्-बअदि ज़ालि-क अामुन्
फ़ीहि युगासुन्नासु व फ़ीहि
यअसिरून (49) ●

व कालल्-मलिकुअतूनी बिही
फ-लम्मा जा-अहुरसूल कालर्जिअ इला
रब्बि-क फ़स्अल्हु मा बालुन्निस्वतिल्-
-लाती कत्तअ-न ऐदियहुन्-न, इन्-न
रब्बी बिकैदिहिन्-न अलीम (50)

उनको मालूम हो। (46) कहा तुम खेती
करोगे सात साल जमकर, सो जो काटो
उसको छोड़ दो उसकी बाल में मगर
थोड़ा सा जो तुम खाओ। (47)
फिर आयेगे उसके बाद सात साल सख्ती
के, खा जायेंगे जो रखा तुमने उनके
वास्ते मगर थोड़ा-सा जो रोक रखोगे बीज
के वास्ते। (48) फिर आयेगा उसके बाद
एक बरस उसमें मींह बरसेगा लोगों पर
उसमें रस निचोड़ेंगे। (49) ●
और कहा बादशाह ने ले आओ उसको
मेरे पास, फिर जब पहुँचा उसके पास
भेजा हुआ आदमी कहा लौट जा अपने
आका के पास और पूछ उससे क्या
हकीकत है उन औरतों की जिन्होंने काटे
थे अपने हाथ, मेरा रब तो उनका सब
फ़रेब जानता है। (50)

खुलासा-ए-तफसीर

और मिस्र के बादशाह ने (भी एक ख़ाब देखा और हुकूमत के ख़ास लोगों को जमा करके उनसे) कहा कि मैं (ख़ाब में क्या) देखता हूँ कि सात गायें मोटी-ताजी हैं जिनको सात कमज़ोर और दुबली गायें खा गई, और सात बालें हरी हैं और उनके अज़ावा सात और हैं जो कि सूखी हैं (और सूखी बालों ने इसी तरह उन सात हरी बालियों पर लिपट कर उनको खुश्क कर दिया)। ऐ दरबार वालो! अगर तुम (ख़ाब की) ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख़ाब के बारे में मुझको जवाब दो। वे लोग कहने लगे कि (अध्वल तो यह कोई ख़ाब ही नहीं जिससे आप फ़िक्र में पड़ें) यूँ ही परेशान ख़्यालात हैं, और (दूसरे) हम लोग (जो कि हुकूमत के मामलात में माहिर हैं) ख़ाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं रखते। (दो जवाब इसलिये दिये कि पहले जवाब से बादशाह के दिल से परेशानी और बुरे ख़्यालात को दूर करना है और दूसरे जवाब से अपना उज़्र जाहिर

करना है। खुलासा यह है कि अब्वल तो ऐसे ख़्वाब क़ाबिले ताबीर नहीं, दूसरे हम इस फ़न से वाकिफ़ नहीं।

और उन (ज़िक्र हुए) दो कैदियों में से जो रिहा हो गया था (वह मज्लिस में हाज़िर था) उसने कहा, और मुदत के बाद उसको (हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वसीयत का) ख़्याल आया कि मैं इसकी ताबीर की ख़बर लाये देता हूँ, आप लोग मुझको ज़रा जाने की इजाज़त दीजिये। (चुनौचे दरबार से इजाज़त हुई और वह कैदख़ाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और जाकर कहा) ऐ यूसुफ़! ऐ सच्चाई के पैकर! आप हम लोगों को इस (ख़्वाब) का जवाब (यानी ताबीर) दीजिये कि सात गायें मोटी हैं उनको सात दुबली गायें खा गईं, और सात बालें हरी हैं और उसके अलावा (सात) सूखी भी हैं (कि उन खुश्क के लिपटने से वे हरी भी सूख गईं आप ताबीर बतलाइयें) ताकि मैं (जिन्होंने मुझको भेजा है) उन लोगों के पास लौटकर जाऊँ (और बयान करूँ) ताकि (इसकी ताबीर और इससे आपका हाल) उनको भी मालूम हो जाये (ताबीर के मुवाफ़िक़ अमल करें और आपके छूटने की कोई सुरत निकले)।

आपने फ़रमाया कि (उन सात मोटी-ताज़ी गायों और सात सब्ज़ बालों से मुराद पैदावार और बारिश के साल हैं, पस) तुम सात साल लगातार (ख़ूब) ग़ल्ला बोना, फिर जो फ़सल काटो उसको बालों ही में रहने देना (ताकि घुन न लग जाये) हॉ मगर थोड़ा-सा जो तुम्हारे खाने में आये (वह बालों में से निकाला ही जायेगा)। फिर उन (सात बरस) के बाद सात साल ऐसे सख्त (और सूखे के) आएँगे जो कि उस (सारे के सारे) ज़ख़ीरे को खा जाएँगे जिसको तुमने उन सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा, हॉ मगर थोड़ा-सा जो (बीज के लिये) रख छोड़ोगे (वह अलबत्ता बच जायेगा)। और उन सूखी बालों और दुबली गायों से इशारा उन सात साल की तरफ़ है। फिर उस (सात बरस) के बाद एक साल ऐसा आयेगा जिसमें लोगों के लिये ख़ूब बारिश होगी और उसमें (बारिश की वजह से अंगूर कसरत से फलेंगे) शीरा भी निचोड़ेंगे (और शराबें पियेंगे, गर्ज कि वह शख्स ताबीर लेकर दरबार में पहुँचा) और (जाकर बयान किया) बादशाह ने (जो सुना तो आपके इल्म व फ़ज़ल का मोतकिद हुआ और) हुक्म दिया कि उनको मेरे पास लाओ (चुनौचे यहाँ से क़ासिद चला) फिर जब उनके पास क़ासिद पहुँचा (और पैग़ाम दिया तो) आपने फ़रमाया कि (जब तक मेरा इस तोहमत से बरी और बेक़सूर होना साबित न हो जायेगा मैं न आऊँगा) तू अपनी सरकार के पास लौट जा, फिर उनसे पूछ कि (कुछ तुमको ख़बर है) उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे। (मतलब यह था कि उनको बुलाकर उस वाकिफ़ की जिसमें मुझको कैद की गई तपतीश व तहकीक़ की जाये और औरतों के हाल से मुराद उनका वाकिफ़ या नावाकिफ़ होना है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाल से, और उन औरतों को ख़ास तौर पर शायद इसलिये कहा हो कि उनके सामने जुलैखा ने इक़रार किया था कि हॉ मैंने इसको फुसलाया था मगर यह बच निकला। मेरा रब उन औरतों के फ़रेब को ख़ूब जानता है (यानी अल्लाह को तो मालूम ही है कि जुलैखा का मुझ पर तोहमत लगाना एक जाल था मगर लोगों के बीच भी उसकी तस्वीर साफ़ और असलियत सामने आ जाना मुनासिब है। चुनौचे बादशाह ने

उन औरतों को हाज़िर किया)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में यह बयान है कि फिर हक़ तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई के लिये पर्दा-ए-ग़ैब से एक सूत यह पैदा फ़रमाई कि मिस्र के बादशाह ने एक ख़्वाब देखा जिससे वह परेशान हुआ, अपनी हुकूमत के ताबीर देने वाले ज्ञानियों और ग़ैब की बातें बताने वालों को जमा करके ख़्वाब की ताबीर मालूम की, वह ख़्वाब किसी की समझ में न आया सब ने यह जवाब दे दिया कि:

أَصْفَاتُ أَحْلَامٍ. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِنَا ۝

अजगास, जिगस की जमा (बहुवचन) है जो ऐसी गठरी को कहा जाता है जिसमें मुख़लिफ़ किस्म के सूखे पत्ते और घास-फूस जमा हों। मायने यह थे कि यह ख़्वाब कुछ मिला-जुला है जिसमें ख़्यालात वगैरह शामिल हैं और हम ऐसे ख़्वाबों की ताबीर नहीं जानते, कोई सही ख़्वाब होता तो ताबीर बयान कर देते।

इस वाकिए को देखकर उस रिहा होने वाले कैदी को लम्बी मुद्दत के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात याद आई और उसने आगे बढ़कर कहा कि मैं आपको इस ख़्वाब की ताबीर बतला सकूँगा। उस वक़्त उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमालात और ख़्वाब की ताबीर में महारत और फिर मज़लूम होकर कैद में गिरफ़्तार होने का ज़िक्र करके यह चाहा कि मुझे जेलखाने में उनसे मिलने की इजाज़त दी जाये, बादशाह ने इसका इन्तिज़ाम किया, वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ। कुरआने करीम ने इस तमाम वाकिए को सिर्फ़ एक लफ़्ज़ 'फ़अरसिलून' फ़रमाकर बयान किया है, जिसके मायने हैं मुझे भेज दो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा फिर सरकारी मन्ज़ूरी और फिर जेलखाने तक पहुँचना ये वाक़िआत खुद ज़िमनी तौर पर समझ में आ जाते हैं, इसलिये इनकी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं समझी बल्कि यह बयान शुरू किया:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ

यानी उस शख्स ने जेल पहुँचकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वाक़िए का इज़हार इस तरह किया कि पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सिद्दीक़ यानी कौल व फ़ेल में सच्चा होने का इक़रार किया फिर दरख़्वास्त की कि मुझे एक ख़्वाब की ताबीर बतलाईये। ख़्वाब यह है कि बादशाह ने यह देखा है कि सात बैल मोटे-ताज़े तन्दुरुस्त हैं जिनको दूसरे सात बैल खा रहे हैं, और यह खाने वाले बैल कमज़ोर और दुबले हैं, साथ ही यह देखा कि सात गेहूँ के सात गुच्छे सरसब्ज़ हरे भरे हैं और सात खुश्क़ हैं।

उस शख्स ने ख़्वाब बयान करने के बाद कहा:

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

यानी आप ताबीर बतला देंगे तो मुश्किन है कि मैं उन लोगों के पास जाऊँ और उनको ताबीर बतलाऊँ, और मुश्किन है कि वे इस तरह आपकी खूबी व कमाल से वाकिफ़ हो जायें।

- तफसीरे मज़हरी में है कि वाकिफ़ात की जो सूत्रें मिसाली आलम में होती हैं वही इनसान को ख़्वाब में नज़र आती हैं। इस आलम में उन सूत्रों के ख़ास पायने होते हैं, ख़्वाब की ताबीर के फ़न का सारा मदार इसके जानने पर है कि फ़ुलॉ मिसाली सूत्र से इस आलम में क्या मुराद होती है। अल्लाह तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह फ़न मुकम्मल अता फ़रमाया था, आपने ख़्वाब सुनकर समझ लिया कि सात बैल मोटे-ताज़े और सात गुच्छे हरे-भरे से मुराद सात साल हैं जिनमें पैदावार दस्तूर के मुताबिक़ ख़ूब होगी, क्योंकि बैल को ज़मीन के हमवार करने और ग़ल्ला उगाने में ख़ास दख़ल है, इसी तरह सात बैल कमज़ोर व दुबले और सात सूखे गुच्छों से मुराद यह है कि पहले सात साल के बाद सात साल सख़्त कहत (सूखे और अकाल) के आयेंगे और कमज़ोर सात बैलों के मोटे बैलों के खा लेने से यह मुराद है कि पिछले सात साल में जो ज़ख़ीरा ग़ल्ले वग़ैरह का जमा होगा वह सब उन कहत (सूखे और अकाल) के सालों में ख़र्च हो जायेगा, सिर्फ़ बीज के लिये कुछ ग़ल्ला बचेगा।

बादशाह के ख़्वाब में तो बज़ाहिर इतना ही मालूम हुआ था कि सात साल अच्छी पैदावार के होंगे फिर सात साल कहत के, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस पर एक इज़ाफ़ा यह भी बयान फ़रमाया कि कहत के साल के बाद फिर एक साल ख़ूब बारिश और पैदावार होगी, इसका इल्म यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या तो इससे हुआ कि जब कहत के साल कुल सात हैं तो अल्लाह की आदत और दस्तूर के मुताबिक़ आठवाँ साल बारिश और पैदावार का होगा। और हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने वही के ज़रिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस पर बाख़बर कर दिया ताकि ख़्वाब की ताबीर से भी कुछ ज़्यादा ख़बर उनको पहुँचे, जिससे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की यह खूबी व कमाल ज़ाहिर होकर उनकी रिहाई का सबब बने और इस पर मज़ीद यह हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ ख़्वाब की ताबीर बताने ही पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि इसके साथ एक समझदारी और हमदर्दी भरा मशिवरा भी दिया, वह यह कि पहले सात साल में जो ज़्यादा पैदावार हो उसको गेहूँ के खोशों (गुच्छों और बालों) ही में महफ़ूज़ रखना ताकि गेहूँ को पुराना होने के बाद कीड़ा न लग जाये। यह तजुर्बे की बात है कि जब तक ग़ल्ला ख़ोशे के अन्दर रहता है ग़ल्ले को कीड़ा नहीं लगता।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ

यानी पहले सात साल के बाद फिर सात साल सख़्त खुश्कसाली और कहत (सूखे और अकाल) के आयेंगे जो पिछले जमा किये हुए ज़ख़ीरे को खा जायेंगे। ख़्वाब में चूँकि यह देखा था कि ज़ईफ़ कमज़ोर बैलों ने मोटे-ताज़े और ताक़तवर बैलों को खा लिया। इसलिये ख़्वाब की ताबीर में इसके मुनासिब यही फ़रमाया कि कहत के साल पिछले सालों के जमा किये हुए ज़ख़ीरे को खा जायेंगे, अगरचे साल तो कोई खाने वाली चीज़ नहीं, मुराद यही है कि इनसान और जानवर कहत (सूखे) के सालों में पिछले ज़ख़ीरे को खा लेंगे।

फिस्से के आगे-पीछे के मजमून से ज़ाहिर है कि यह शरूत ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मालूम करके लौटा और बादशाह को ख़बर दी, वह इससे मुस्मईन और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमाल व खूबी का मोतकिद हो गया, मगर क़ुरआने करीम ने इन सब चीज़ों के ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि ये खुद-ब-खुद समझी जा सकती हैं। इसके बाद का वाकिआ इस तरह बयान फरमाया:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

यानी बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेलख़ाने से निकाला जाये और दरबार में लाया जाये। चुनाँचे बादशाह का कोई कासिद बादशाह का यह पैग़ाम लेकर जेलख़ाने पहुँचा।

मौका बज़ाहिर इसका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेलख़ाने की लम्बी मुदत से अज़ीज़ आ रहे थे और छुटकारा व रिहाई चाहते थे, जब बादशाह का पैग़ाम बुलाने के लिये पहुँचा तो फौरन तैयार होकर साथ चल देते, मगर अल्लाह तआला अपने रसूलों को जो बुलन्द मक़ाम अता फरमाते हैं उसको दूसरे लोग समझ भी नहीं सकते। इस कासिद को जवाब यह दिया:

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأَلِ الْيَسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدٍ مِّنْ عَلَيْنَا ۝

यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा कि तुम अपने बादशाह के पास वापस जाकर पहले यह पूछो कि आपके नज़दीक उन औरतों का मामला किस तरह का है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे, क्या उस वाकिए में वह मुझे सदिग्ध समझते और मेरा कोई क़सूर क़ारार देते हैं?

यहाँ यह बात भी गौर करने के लायक है कि उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन औरतों का ज़िक्र फरमाया जिन्होंने हाथ काट लिये थे, अज़ीज़ की बीवी का नाम नहीं लिया जो असल सबब थी। इसमें उस हक़ की रियायत थी जो अज़ीज़ के घर में परवरिश पाने से फितरी तौर पर शरीफ़ इनसान के लिये काबिले लिहाज़ होता है। (तफसीर क़ुर्तुबी)

और एक बात यह भी है कि असल मक़सद अपनी बराअत का सुबूत था वह उन औरतों से भी हो सकता था और इसमें औरतों की भी कोई ज़्यादा रुस्वाई न थी, अगर वे सच्ची बात का इक़रार कर लेतीं तो सिर्फ़ मशिवरे ही की मुजरिम ठहरतीं, बख़िलाफ़ अज़ीज़ की बीवी के कि उसको तहकीकात का निशाना बनाया जाता तो उसकी रुस्वाई ज़्यादा थी। और इसके साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया:

إِنَّ رَبِّي بِكَيْدٍ مِّنْ عَلَيْنَا ۝

यानी मेरा परवर्दिगार तो उनके झूठ और मक़ व फ़रेब को जानता ही है, मैं चाहता हूँ कि बादशाह भी असल हकीकत से वाकिफ़ हो जायें जिसमें एक बारीक अन्दाज़ से अपनी बराअत का इज़हार भी है।

इस मौक़े पर सही बुखारी और जामे तिर्मिजी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद मन्कूल है कि

अगर मैं इतनी मुदत जेलखाने में रहता जितनी यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे हैं और फिर मुझे रिहाई के लिये बुलाया जाता तो फौरन कूबूल कर लेता।

और इमामे तबरी रह. की रिवायत में ये अलफाज़ हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र व तहम्मूल और बुलन्द अख्लाकी काबिले ताज्जुब हैं, जब उनसे जेलखाने में बादशाह के ख्याब की ताबीर मालूम की गई अगर मैं उनकी जगह होता तो ताबीर बतलाने में यह शर्त लगाता कि पहले जेल से निकालो फिर ताबीर बतलाऊँगा। फिर जब कासिद रिहाई का पैगाम लाया अगर मैं उनकी जगह होता तो फौरन जेल के दरवाजे की तरफ चल देता। (तफसीरे कुरुबी)

इस हदीस में यह बात काबिले गौर है कि हदीस का मंशा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र व संयम और बुलन्द अख्लाक की तारीफ व प्रशंसा करना है, मगर इसके मुकाबले में जिस सूरतेहाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ मन्सूब करके फरमाया कि मैं होता तो देर न करता, अगर इसका मतलब यह है कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार को अफज़ल फरमा रहे हैं और अपनी शान में फरमाते हैं कि मैं होता तो इस अफज़ल पर अमल न कर पाता बल्कि इसके मुकाबले में जो दूसरा दर्जा है उसको इख्तियार कर लेता जो बज़ाहिर तमाम अम्बिया से अफज़ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान से मेल नहीं खाता, तो इसके जवाब में यह भी कहा जा सकता है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिला शुब्हा तमाम अम्बिया में अफज़ल हैं मगर किसी आशिक अमल में किसी दूसरे पैगम्बर की अफज़लियत (श्रेष्ठता) इसके विरुद्ध नहीं।

इसके अलावा जैसा कि तफसीरे कुरुबी में फरमाया गया है, यह भी हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के काम के तरीके में उनके सब्र व संयम और बुलन्द अख्लाकी का अज़ीमुशान सुबूत है और वह अपनी जगह काबिले तारीफ है लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अमल के जिस तरीके को अपनी तरफ मन्सूब फरमाया उम्मत की तालीम और अ़वाम की ख़ैरख़ाही के लिये वही मुनासिब और अफज़ल है, क्योंकि बादशाहों के मिज़ाज का कोई एतिबार नहीं होता, ऐसे मौक़े पर शर्तें लगाना या देर करना आम लोगों के लिये मुनासिब नहीं होता, सदेह व संभावना है कि बादशाह की राय बदल जाये और फिर यह जेल की मुसीबत बदस्तूर कायम रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह का रसूल होने की वजह से अल्लाह तआला की तरफ से यह इल्म भी हो सकता है कि इस ताख़ीर (देरी) से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरों को तो यह दर्जा हासिल नहीं, रहमतुल-लिल्आलमीन के मिज़ाज व मज़ाक में आम मख़बूक के कल्याण और बेहतरी की अहमियत ज़्यादा थी, इसलिये फरमाया कि मुझे यह मौक़ा मिलता तो मैं देर न करता। वल्लाहु आलम

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَتُ
الْعَزِيزِ إِنِّي مُصَوِّصَةٌ إِلَيْكَ لِيُبْعِيَكَ بِئِنَّكَ لَمُرُؤَةٌ
بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ۝

का-ल मा खत्बुकुन्-न इन् रावत्तुन्-न
 यूसु-फ अन् नफिसही, कुल-न हा-श
 लिल्लाहि मा अलिम्ना अलैहि मिन्
 सूडन्, कालतिम्-अतुल्-अज़ीज़िल्-
 आ-न हस्ह-सल्-हक्कु, अ-न रावत्तुहू
 अन् नफिसही व इन्नहू लमिनस्-
 सादिकीन (51) ज़ालि-क लि-यज़ूल-म
 अन्नी लम् अखुन्हु बिल्गैबि व
 अन्नल्ला-ह ला यह्दी कैदल्-
 खाइनीन (52)

कहा बादशाह ने औरतों को- क्या
 हकीकत है तुम्हारी जब तुमने फुसलाया
 यूसुफ़ को उसके नपस की हिफाजत से?
 बोलीं हाशा लिल्लाह हमको मालूम नहीं
 उस पर कुछ बुराई, बोली औरत अज़ीज़
 की- अब खुल गई सच्ची बात, मैंने
 फुसलाया था उसको उसके जी से और
 वह सच्चा है। (51) यूसुफ़ ने कहा यह
 इस वास्ते कि अज़ीज़ मालूम कर ले कि
 मैंने उसकी चोरी नहीं की छुपकर, और
 यह कि अल्लाह नहीं चलाता फरेब
 दगाबाज़ों का। (52)

खुलासा-ए-तफसीर

कहा कि तुम्हारा क्या वाकिआ है जब तुमने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) से अपने मतलब की इच्छा की (यानी एक ने इच्छा की और बाकियों ने उसकी मदद की, क्योंकि किसी काम पर मदद करना भी उस काम को करने जैसा है। उस वक़्त तुमको क्या पता चला? शायद बादशाह ने इस तरीके से इसलिये पूछा हो कि मुजरिम सुन ले कि बादशाह को इतनी बात मालूम है कि किसी औरत ने इनसे अपना मतलब पूरा करने की बात की थी, शायद उसका नाम भी मालूम हो, इस हालत में इनकार न चल सकेगा। पस इस तरह शायद खुद इक़रार कर ले। औरतों ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह! हमको उनमें ज़रा भी बुराई की बात मालूम नहीं हुई (वह बिल्कुल पाक साफ़ हैं। शायद औरतों ने जुलैखा का वह इक़रार इसलिये ज़ाहिर न किया हो कि मकसूद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का सुबूत था और वह हासिल हो गया, या जुलैखा के सामने होने से शर्म रोक बनी कि उसका नाम लें। अज़ीज़ की बीवी (जो कि हाज़िर थी) कहने लगी कि अब तो हक़ बात (सब पर) ज़ाहिर हो ही गई (अब छुपाना बेकार है, सच यही है कि) मैंने ही उनसे अपने मतलब की इच्छा और तलब की थी (न कि उन्होंने जैसा कि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया था) और बेशक वही सच्चे हैं (और ग़ालिबन ऐसे मामले का इक़रार कर लेना मजबूरी की हालत में जुलैखा को पेश आया। गर्ज़ कि गुफ़्तगू की पूरी सूरतेहाल, तमाम बयानात, इक़रारों और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत का सुबूत उनके पास कहलाकर भेजा, उस वक़्त) यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह एहतिमाम (जो मैंने किया) सिर्फ़ इस वजह से था ताकि अज़ीज़ को (ज़्यादा) यकीन के साथ मालूम हो जाये कि मैंने उनकी ग़ैर-मौजूदगी में उनकी

आबरू पर हाथ नहीं डाला, और यह (भी मालूम हो जाये) कि अल्लाह तआला खियानत करने वालों के फरेब को चलने नहीं देता (चुनाँचे जुलैखा ने अजीज़ की आबरू में खियानत की थी कि दूसरे पर निगाह की, खुदा ने उसकी कलाई खोल दी, पस मेरी गर्ज यह थी)।

मज़ारिफ व मसाईल

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब शाही कासिद रिहाई का पैगाम देकर बुलाने के लिये आया और उन्होंने कासिद को यह जवाब दिया कि पहले उन औरतों से मेरे मामले की तहकीक कर लो जिन्होंने हाथ काट लिये थे। इसमें बहुत सी हिक्मतें छुपी थीं, अल्लाह तआला अपने अम्बिया को जैसे कामिल दीन अता फरमाते हैं ऐसे ही कामिल अक्ल और मामलात व हालात की पूरी समझ भी अता फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाही पैगाम से यह अन्दाज़ा कर लिया कि अब जेल से रिहाई के बाद मिस्र के बादशाह मुझे कोई सम्मान देंगे, उस वक़्त अक्लमन्दी का तकाज़ा यह था कि जिस ऐब की तोहमत उन पर लगाई गई थी और जिसकी वजह से जेल में डाला गया था उसकी हकीकत बादशाह और सब लोगों पर पूरी तरह खुल जाये और उनकी बराअत (बरी और पाक होने) में किसी को शुब्हा न रहे, वरना इसका अन्जाम यह होगा कि शाही सम्मान से लोगों की ज़बानें तो बन्द हो जायेंगी मगर उनके दिलों में ये ख्यालात खटकते रहेंगे कि यह वही शरख है जिसने अपने आका की बीवी पर हाथ डाला था और ऐसे हालात का पैदा हो जाना भी शाही दरबारों में कुछ बर्दद नहीं कि किसी वक़्त बादशाह भी लोगों के ऐसे ख्यालात से प्रभावित हो जाये, इसलिये रिहाई से पहले इस मामले की सफाई और तहकीक को ज़रूरी समझा और उपर्युक्त दो आयतों में से दूसरी आयत में खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इस अमल और रिहाई में देरी करने की दो हिक्मतें बयान फरमाई हैं:

अब्वल यह कि:

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

यानी यह ताख़ीर (विलम्ब और देरी) मैंने इस लिये की कि अजीज़े मिस्र को यकीन हो जाये कि मैंने उसकी ग़ैर-मौजूदगी में उसके हक़ में कोई खियानत (बददियानती) नहीं की।

अजीज़े मिस्र को यकीन दिलाने की ज़्यादा फ़िक्र इसलिये हुई कि यह बहुत बुरी सूरत होगी कि अजीज़े मिस्र के दिल में मेरी तरफ़ से शुब्हात रहें और फिर शाही सम्मान की वजह से वह कुछ न कह सकें, तो उनको मेरा सम्मान भी सख्त नागवार होगा, और उस पर खामोशी उनके लिये और ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली होगी। वह चूँकि एक ज़माने तक आका की हैसियत से रह चुका था इसलिये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफ़त और दिल ने उसको तकलीफ़ पहुँचने को ग़वारा न किया, और यह भी ज़ाहिर था कि जब अजीज़े मिस्र को बराअत का यकीन हो जायेगा तो दूसरे लोगों की ज़बानें खुद-ब-खुद बन्द हो जायेंगी।

दूसरी हिक्मत यह इरशाद फरमाई:

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

“यानी यह तहकीकात इसलिये कराई कि लोगों को मालूम हो जाये कि अल्लाह तआला खियानत करने वालों के फरेब (मक्कारी) को चलने नहीं देता।”

इसके दो मतलब हो सकते हैं एक यह कि तहकीकात के जरिये खियानत करने वालों की खियानत जाहिर होकर सब लोग आगाह व सचेत हो जायें कि खियानत करने वालों का अन्जाम आखिरकार रुखाई होता है ताकि आईन्दा सब लोग ऐसे कामों से बचने की पाबन्दी करें, दूसरे यह मायने भी हो सकते हैं कि अगर इसी संदिग्ध हालत में यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाही सम्मान मिल जाता तो देखने वालों को यह ख्याल हो सकता था कि ऐसी खियानत करने वालों को बड़े-बड़े रुतबे मिल सकते हैं, इससे उनके एतिकाद में फर्क आता और खियानत की बुराई दिलों से निकल जाती। बहरहाल ऊपर जिक्र हुई हिक्मतों को सामने रखते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई का पैगाम पाते ही फौरन निकल जाना पसन्द नहीं किया बल्कि शाही स्तर से तहकीकात का मुतालबा किया।

ऊपर बयान हुई पहली आयत में इस तहकीकात का खुलासा जिक्र हुआ है:

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ

“यानी बादशाह ने उन औरतों को जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे हाजिर करके सवाल किया कि क्या वाकिआ है जब तुमने यूसुफ से अपने मतलब की इच्छा की।” बादशाह के इस सवाल से मालूम हुआ कि उसको अपनी जगह यह यकीन हो गया था कि कसूर यूसुफ का नहीं इन औरतों ही का है, इसलिये यह कहा कि तुमने उनसे अपने मतलब की इच्छा की, इसके बाद औरतों का जवाब यह बयान हुआ है:

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، فَالَّتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الَّتِي حَصَّصَ الْحَقُّ انَّارَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ

لَمِنَ الصَّٰدِقِيْنَ ۝

“यानी सब औरतों ने कहा कि अल्लाह की पनाह! हमें उनमें ज़रा भी कोई बुराई की बात मालूम नहीं हुई। अज़ीज़ की बीवी कहने लगी कि अब तो हक़ बात जाहिर हो ही गई, मैंने उनसे अपने मतलब की इच्छा की थी और बेशक वही सच्चे हैं।”

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तहकीकात में अज़ीज़े मिस्र की बीवी का नाम न लिया था मगर अल्लाह जल्ल शानुहू जब किसी को इज़्जत अता फरमाते हैं तो खुद-ब-खुद लोगों की ज़बानें उसकी सच्चाई व सफ़ाई के लिये खुल जाती हैं, उस मौके पर अज़ीज़ की बीवी ने हिम्मत करके हक़ के इज़हार का ऐलान खुद कर दिया। यहाँ तक जो हालात व वाकिआत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आपने सुने हैं उनमें बहुत से फ़ायदे व मसाईल और इनसानी जिन्दगी के लिये अहम हिदायतें पाई जाती हैं।

उनमें से आठ मसाईल पहले बयान हो चुके हैं, उपर्युक्त आयतों से संबन्धित मज़ीद मसाईल और हिदायतें ये हैं:

नवाँ मसला यह है कि अल्लाह तआला अपने मख़सूस और मक़बूल बन्दों के मक़ासिद पूरा करने के लिये खुद ग़ैबी तदबीरों से इत्तिज़ाम फ़रमाते हैं, उनको किसी मख़लूक का एहसान मन्द करना पसन्द नहीं फ़रमाते। यही वजह हुई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो रिहा होने वाले कैदी से कहा था कि बादशाह से मेरा ज़िक्र करना उसको तो भुला दिया गया और फिर पर्दा-ए-ग़ैब से एक तदबीर ऐसी की गई जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी के आभारी भी न हों और पूरी इज़्जत व शान के साथ जेल की रिहाई का मक़सद भी पूरा हो जाये।

इसका यह सामान किया कि मिस्र के बादशाह को एक परेशान करने वाला ख़्वाब दिखलाया जिसकी ताबीर से उसके दरबार के इल्म व फ़न वाले आजिज़ हुए, इस तरह ज़रूरतमन्द होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ रुजू करना पड़ा। (तफ़्सीर इब्ने कसीर)

दसवाँ मसला इसमें अच्छे अख़लाक़ की तालीम है कि रिहा होने वाले कैदी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इतना काम न किया कि बादशाह से ज़िक्र कर देता और उनको मज़ीद सात साल कैद की मुसीबत में गुज़ारने पड़े। अब सात साल के बाद जब वह अपना मतलब यानी ख़्वाब की ताबीर पूछने हाज़िर हुआ तो आ़म इनसानी आदत का तकाज़ा था कि उसको मलामत करते, उस पर ख़फ़ा होते कि तुझसे इतना काम न हो सका, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पैगम्बराना अख़लाक़ का इज़हार फ़रमाया कि उसको मलामत तो क्या करते उस किस्से का ज़िक्र तक भी नहीं किया। (तफ़्सीर इब्ने कसीर व क़ुर्तुबी)

ग्यारहवाँ मसला इसमें यह है कि जिस तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उम्मत के उलेमा का यह फ़रीज़ा है कि वे लोगों की आख़िरत दुरुस्त करने की फ़िक्र करें, उनको ऐसे कामों से बचायें जो आख़िरत में अज़ाब का सबब बनेंगे, इसी तरह उनको मुसलमानों के आर्थिक हालात पर नज़र रखना चाहिये कि वे परेशान न हों, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मौक़े पर सिर्फ़ ख़्वाब की ताबीर बता देने को काफ़ी नहीं समझा बल्कि यह अक़्लमन्दी और ख़ैरख़्वाही वाला मशिवरा भी दिया कि पैदावार के तमाम गेहूँ को गुच्छों और बालों के अन्दर रहने दें और ज़रूरत के मुताबिक़ साफ़ करके ग़ल्ला निकालें, ताकि आख़िर सालों तक ख़राब न हो जाये।

बारहवाँ मसला यह है कि मुक़तदा (जिसकी लोग पैरवी करते हों ऐसे) आ़लिम को इसकी भी फ़िक्र रहनी चाहिये कि उसकी तरफ़ से लोगों में बदगुमानी पैदा न हो, अगरचे वह बदगुमानी सरासर ग़लत ही क्यों न हो, उससे भी बचने की तदबीर करनी चाहिये, क्योंकि बदगुमानी चाहे किसी जहालत या कम-समझी ही के सबब से हो बहरहाल उनके दावत व तालीम के काम में ख़लल डालने वाली होती है, लोगों में उसकी बात का वज़न नहीं रहता। (तफ़्सीर क़ुर्तुबी)

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि तोहमत के मौक़ों से भी बचो। यानी ऐसे हालात और मौक़ों से भी अपने आपको बचाओ जिनमें किसी को आप पर तोहमत लगाने का मौक़ा हाथ आये, यह हुक़म तो आ़म मुसलमानों के लिये है ख़ास लोगों और उलेमा को इसमें दोहरी एहतियात लाज़िम है, खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो तमाम ऐबों और गुनाहों से मासूम हैं आपने भी इसका एहतिमाम फ़रमाया। एक मर्तबा आपकी पाक

बीवियों में से एक बीवी आपके साथ मदीने की एक गली से गुज़र रही थीं, कोई सहाबी सामने आ गये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने दूर ही से बतला दिया कि मेरे साथ फ़ुलौं बीवी हैं, यह इसलिये किया कि कहीं देखने वाले को किसी अजनबी औरत का शुब्हा न हो जाये। इस मौक़े पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल से रिहाई और शाही दावत का पैग़ाम मिलने के बावजूद रिहाई से पहले इसकी कोशिश फ़रमाई कि लोगों के शुब्हात दूर हो जायें।

तेरहवाँ मसला इसमें यह है कि जिस शख्स के हुक्कू किसी के ज़िम्मे हों और इस हैसियत से वह सम्मान का हक़दार हो, अगर हालात की मजबूरी में उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करनी भी पड़े तो उसमें भी जहाँ तक हो सके हुक्कू व एहतियत की रियायत करना शराफ़त का तकाज़ा है, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी बराअत के लिये मामले की तहकीकात के वास्ते अज़ीज़ या उसकी बीवी का नाम लेने के बजाय उन औरतों का ज़िक्र किया जिन्होंने हाथ काट लिये थे। (तफ़सीर क़ुर्तुबी) क्योंकि मक़सद इससे भी हासिल हो सकता था।

चौदहवाँ मसला ऊँचे और अच्छे अख़लाक़ की तालीम है, कि जिन लोगों के हाथों सात साल या बारह साल जेलख़ाने की तकलीफ़ बरदाश्त करनी पड़ी थी, रिहाई के वक़्त उनसे कोई इन्तिक़ाम (बदला) लेना तो क्या इसको भी बरदाश्त न किया कि उनको कोई मामूली-सी तकलीफ़ उनसे पहुँचे। जैसे आयत:

لَعَلَّمْنِي لِمَ أَخَذَهُ بِالْغَيْبِ

(ताकि अज़ीज़ को अच्छी तरह यकीन हो जाये कि मैंने उसकी ग़ैर-मौजूदगी में उसकी आबरू में कोई दाग़ नहीं लगाया) में इसका एहतिमाम किया गया है।

पारा (13) व मा उबरिउ

وَمَا أَرِئِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْرِ ۚ إِلَّا مَارَحِمُ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّبِعْنِي يَهْدِيكُمْ إِلَى مَخْرَجِكُمْ ۚ وَالْمَلِكُ يَسْخَبُ لَهُ نَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۚ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جَزَاءُ الْأَخْرَجَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

व मा उबरिउ नफ़सी इन्नन्नफ़-स
ल-अम्मारतुम्-बिस्सू-इ इल्ला मा रहि-म
रब्बी, इन्-न रब्बी ग़फ़ूररहीम (53)

और मैं पाक नहीं कहता अपने जी को,
बेशक जी तो सिखलाता है बुराई मगर जो
रहम कर दिया मेरे रब ने, बेशक मेरा रब
बख़्शने वाला है मेहरबान। (53) और कहा

व कालल्-मलिकु अतूनी बिही
अस्तख़िलसहु लिनप्रसी फ़-लम्मा
कल्ल-महू का-ल इन्नकल्-यौ-म
लदैना मकीनुन् अमीन (54)
कालज़अल्ली अला ख़ज़ाइनिल्-अर्ज़ि
इन्नी हफ़ीज़ुन् अलीम (55) व
कज़ालि-क मक्कन्ना लियूसु-फ़
फ़िल्अर्ज़ि य-तबव्वउ मिन्हा हैसु
यशा-उ, नुसीबु बिरह्मतिना
मन्-नशा-उ व ला नुजीअ
अज़ल्-मुह्सिनीन (56) व ल-अज़्रल्-
आख़िरति ख़ैरुल्-लिल्लज़ी-न आमनु
व कानू यत्तकून् (57) ●

बादशाह ने ले आओ उसको मेरे पास मैं
ख़ालिस कर रखूँ उसको अपने काम में,
फिर जब बातचीत की उससे कहा बाकई
तूने आज से हमारे पास जगह पाई मोतबर
होकर। (54) यूसुफ़ ने कहा मुझको मुक़र्र
कर मुल्क के ख़ज़ानों पर मैं निगहबान हूँ
ख़ूब जानने वाला। (55) और यूँ कुदरत
दी हमने यूसुफ़ को उस ज़मीन में, जगह
पकड़ता था उसमें जहाँ चाहता, पहुँचा
देते हैं हम रहमत अपनी जिसको चाहें,
और ज़ाया नहीं करते हम बदला भलाई
वालों का। (56) और सवाब आख़िरत
का बेहतर है उनको जो ईमान लाये और
रहे परहेज़गारी में। (57) ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

और मैं अपने नफ़स को (भी ज़ात के एतिबार से) बरी (और पाक) नहीं बतलाता (क्योंकि)
नफ़स तो (हर एक का) बुरी ही बात बतलाता है, सिवाय उस (नफ़स) के जिस पर मेरा रब रहम
करे (और उसमें बुराई का मादा न रहे जैसा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नफ़स होते हैं,
मुत्मइन्ना, जिनमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नफ़स भी दाख़िल है। मतलब का खुलासा यह हुआ
कि मेरी पाकीज़गी और बचाव मेरे नफ़स का ज़ाती कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत व
इनायत का असर है इसलिये मेरा नफ़स बुराई का हुक्म नहीं करता, धरना जैसे औरों के नफ़स हैं
वैसा ही मेरा होता), बेशक मेरा रब बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है (यानी ऊपर जो
नफ़स की दो फ़िस्में मालूम हुई- अम्मार और मुत्मइन्ना, सो अम्मार अगर तौबा कर ले तो
उसकी मग़फ़िरत फ़रमाई जाती है और तौबा के दर्जे में वह लव्वामा कहलाता है, और जो
मुत्मइन्ना है उसका कमाल इसकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अल्लाह की इनायत वह
रहमत का असर है, पस अम्मार के लव्वामा होने पर अल्लाह के ग़फ़ूर होने की सिफ़त का ज़हर
होता है और मुत्मइन्ना में उसके रहीम होने की सिफ़त का।

यह कुल मज़मून हुआ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तफ़रीर का, बाकी रहा यह मामला कि

अपने आपको पाक-साफ़ करने की यह सूत रिहाई के बाद भी तो मुम्किन थी फिर रिहाई पर इसको आगे क्यों रखा, इसकी वजह यह हो सकती है कि जितना यकीन इस तरतीब में हो सकता है इसके खिलाफ़ में नहीं हो सकता, क्योंकि इस सूत में जो इख़्तियार की गयी है आपकी बराअत पूरी तरह स्पष्ट और बेगुबार हो जाती है इसलिये कि बादशाह और अज़ीज़ समझ सकते हैं कि जब बिना अपनी पोज़ीशन साफ़ किये यह रिहा होना नहीं चाहते हालाँकि ऐसी हालत में रिहाई कैदी की इन्तिहाई तमन्ना होती है, तो मालूम होता है कि इनको अपनी पाकीज़गी और बेकसूर होने का पूरा यकीन है, इसलिये इसके साबित हो जाने का पूरा इत्मीनान है, और जाहिर है कि ऐसा कामिल यकीन बरी ही को हो सकता है न कि मुलव्वस को, ये सारी बातें बादशाह ने सुनीं।

और (यह सुनकर उस) बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लाओ, मैं उनको खास अपने (काम के) लिये रखूँगा (और अज़ीज़ से उनको ले लूँगा कि उसके भातहत न रहेंगे। चुनाँचे लोग उनको बादशाह के पास लाये)। पस जब उसने यानी बादशाह ने उनसे बातें कीं (और बातों से ज़्यादा उनकी खूबी व कमाल और काबलियत जाहिर हुई) तो बादशाह ने (उनसे) कहा कि तुम हमारे नज़दीक आज (से) बड़े इज़्ज़त व सम्मान वाले और मोतबर हो (इसके बाद उस ख़्वाब की ताबीर का ज़िक्र आया और बादशाह ने कहा कि इतने बड़े सूखे के अकाल का एहतिमाम बड़ा भारी काम है, यह इन्तिज़ाम किसके सुपुर्द किया जाये)। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि मुल्की खज़ानों पर मुझको लगा दो, मैं (उनकी) हिफ़ाज़त (भी) रखूँगा और (आमद व ख़र्च के इन्तिज़ाम और उसके हिसाब किताब के तरीके से) ख़ूब वाकिफ़ (भी) हूँ (चुनाँचे बजाय इसके कि उनको कोई ख़ास पद देता अपनी तरह हर किस्म के पूरे अधिकार दे दिये, गोया हकीकत में बादशाह यही हो गये अगरचे नाम का वह बादशाह रहा, और यह अज़ीज़ के ओहदे से मशहूर हो गये। चुनाँचे इरशाद है)। और हमने ऐसे (अजीब) अन्दाज़ पर यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को (मिस्त्र) मुल्क में इख़्तियार वाला बना दिया कि उसमें जहाँ चाहें रहें-सहें (जैसा कि बादशाहों को आज़ादी होती है, यानी या तो वह वक़्त था कि कुएँ में बन्दी थे फिर अज़ीज़ की भातहती में बन्द रहे और या आज यह खुदमुख्तारी और आज़ादी इनायत हुई। बात यह है कि) हम जिस पर चाहें अपनी इनायत मुतवज्जह कर दें और हम नेकी करने वालों का अज़्र ज़ाया नहीं करते (यानी दुनिया में भी नेकी का अज़्र मिलता है कि अच्छी जिन्दगी अता फ़रमाते हैं चाहे मालदार बनाकर जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिये था और चाहे बग़ैर मालदारी के क़नाअत व रज़ा अता करके जिससे सुकून व ऐश मयस्सर होता है, यह तो आज दुनिया में हुआ) और आख़िरत का अज़्र कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ईमान और परहेज़गारी वालों के लिये।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अपनी पाकबाज़ी बयान करना दुरुस्त नहीं, मगर ख़ास हालात में इससे पहली आयत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह कौल ज़िक्र हुआ था कि जो

इल्जाम मुझ पर लगाया गया था उसकी सफ़ाई और मामले की मुकम्मल तहकीक़ से पहले कैद से रिहाई को इसलिये पसन्द नहीं करता कि अज़ीज़ और बादशाहे मिस्र को पूरा यकीन हो जाये कि मैंने कोई ख़ियानत नहीं की थी बल्कि इल्जाम सरासर झूठा था। इसमें चूँकि अपनी बराअत और पाकबाज़ी का ज़िक्र एक मजबूरी की और लाज़िमी ज़रूरत से हो रहा था जो बज़ाहिर अपने नफ़्स को पाक-साफ़ बताने का इज़हार है और यह अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्द नहीं, जैसा कि कुरआन मजीद में इरशाद है:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَزَّوْا أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ.

“यानी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आपको पाकीज़ा कहते हैं, बल्कि अल्लाह तआला ही का हक़ है कि वह जिसको चाहें पाक करार दें।” और सूर: नजम में भी इसी मज़मून की एक आयत है:

فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْفَىٰ ۝

“यानी तुम अपने नफ़्स की पाकी के दावेदार न बनो अल्लाह तआला ही ख़ूब जानते हैं कि कौन वाकई परहेज़गार व मुलतकी है।”

इसलिये उक्त आयत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी बराअत के इज़हार के साथ ही इस हकीक़त का भी इज़हार कर दिया कि मेरा यह कहना कुछ अपने तक्वे और पाकबाज़ी को जतलाने के लिये नहीं बल्कि हकीक़त यह है कि हर इनसान का नफ़्स जिसका ख़मीर चार तत्वों आग, पानी, मिट्टी और हवा से बना है वह तो अपनी फ़ितरत से हर शख्स को बुरे ही कामों की तरफ़ माईल करता रहता है, सिवाय उसके जिस पर मेरा रब अपनी रहमत फ़रमाकर उसके नफ़्स को बुरे तकाज़ों से पाक कर दे, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नफ़्स होते हैं, और ऐसे ही नफ़्सों को कुरआन में नफ़्स-ए-मुल्मइन्ना का लक़ब दिया गया है। हासिल यह है कि ऐसी ज़बरदस्त परीक्षा के वक़्त मेरा गुनाह से बच जाना यह कोई मेरा ज़ाती कमाल नहीं था बल्कि अल्लाह तआला ही की रहमत और मदद का नतीजा था, अगर वह मेरे नफ़्स से घटिया इच्छाओं को न निकाल देते तो मैं भी ऐसा ही हो जाता जैसे आम इनसान होते हैं कि नफ़्सानी इच्छाओं के आगे खुद को झुका देते हैं।

कुछ रिवायतों में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इसलिये फ़रमाया कि एक किस्म का ख़्याल तो बहरहाल उनके दिल में भी पैदा हो ही गया था, अगरचे वह ग़ैर-इख़्तियारी वस्वसे की हद तक था, मगर नुबुव्वत की शान के सामने वह भी एक चूक और बुराई ही थी इसलिये इसका इज़हार फ़रमाया कि मैं अपने नफ़्स को भी बिल्कुल बरी और पाक नहीं समझता।

इनसानी नफ़्स की तीन हालतें

इस आयत में यह मसला ध्यान देने के काबिल है कि इसमें हर इनसानी नफ़्स को ‘अम्मारतुम् बिस्सू-इ’ यानी बुरे कामों का हुक्म करने वाला फ़रमाया है, जैसा कि एक हदीस में है

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से एक सवाल फरमाया कि ऐसे साथी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका हाल यह हो कि अगर तुम उसका सम्मान व इज़्ज़त करो, खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ तो वह तुम्हें बला और मुसीबत में डाल दे, और अगर तुम उसकी तौहीन करो भूखा गंगा रखो तो तुम्हारे साथ भलाई का मामला करे? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह! उससे ज़्यादा बुरा तो दुनिया में कोई साथी हो ही नहीं सकता। आपने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि तुम्हारा नफ़्स जो तुम्हारे पहलू में है वह ऐसा ही साथी है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और एक हदीस में है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद तुम्हारा नफ़्स है जो तुम्हें बुरे कामों में मुब्तला करके ज़लील व रुस्वा भी करता है और तरह-तरह की मुसीबतों में भी गिरफ़्तार कर देता है।

बहरहाल उक्त आयत और हदीस की इन रिवायतों से मालूम होता है कि इनसानी नफ़्स बुरे कामों का तकाज़ा करता है लेकिन सूर: कियामत में इसी इनसानी नफ़्स को लव्वामा का लक़ब देकर इसको यह इज़्ज़त बख़्शी है कि रब्बुल-इज़्ज़त ने इसकी कसम खाई है:

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۝

और सूर: वल्ल-फ़ज्र में इसी इनसानी नफ़्स को नफ़से-मुत्मइन्ना का लक़ब देकर जन्नत की खुशख़बरी दी है। फरमाया:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ

इस तरह इनसानी नफ़्स को एक जगह 'अम्मारतुम् बिस्सू-इ' कहा गया, दूसरी जगह लव्वामा, तीसरी जगह मुत्मइन्ना।

वज़ाहत इसकी यह है कि हर इनसानी नफ़्स अपनी ज़ात में तो 'अम्मारतुम् बिस्सू-इ' यानी बुरे कामों का तकाज़ा करने वाला है, लेकिन जब इनसान खुदा व आख़िरत के ख़ौफ़ से उसके तकाज़े को पूरा न करे तो उसका नफ़्स लव्वामा बन जाता है, यानी बुरे कामों पर मलामत करने वाला और उनसे तौबा करने वाला। जैसे उम्मत के आ़म नेक हज़रात के नफ़्स हैं। और जब कोई इनसान नफ़्स के खिलाफ़ मुजाहदा (कोशिश व संघर्ष) करते-करते अपने नफ़्स को इस हालत में पहुँचा दे कि बुरे कामों का तकाज़ा ही उसमें न रहे, तो वह नफ़से-मुत्मइन्ना हो जाता है। उम्मत के नेक हज़रात को यह हाल मुजाहदे और कड़ी मेहनत से हासिल हो सकता है और फिर भी इस हालत का हमेशा कायम रहना यकीनी नहीं होता, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को खुद-ब-खुद अल्लाह की अता से ऐसा ही नफ़से-मुत्मइन्ना बग़ैर किसी पहले मुजाहदे के नसीब होता है और वह हमेशा उसी हालत पर रहता है। इस तरह नफ़्स की तीन हालतों के एतिबार से तीन तरह के काम उसकी तरफ़ मन्सूब किये गये हैं।

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

आयत के आख़िर में फ़रमाया कि मेरा रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और रहमत करने

वाला है। लफ्ज़ गुफूर में इस तरफ इशारा है कि नफ्से-अम्मारा जब अपनी ख़ता पर शर्मिन्दा होकर तौबा करे और नफ्से-लव्बामा बन जाये तो अल्लाह तआला की मगफिरत बड़ी है, वह माफ़ फरमा देगे। और लफ्ज़ रहीम में यह इशारा पाया जाता है कि जिस शख्स को नफ्से-मुत्मइन्ना नसीब हो वह भी अल्लाह की रहमत ही का नतीजा है।

وَقَالَ الْمَلِكُ التُّونِي..... الخ

यानी मिस्र के बादशाह ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़रमाने के मुताबिक़ औरतों से वाकिफ़ की तहकीक़ फ़रमाई और जुलैखा और दूसरी सब औरतों ने असल हकीक़त का इकरार कर लिया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को मेरे पास लाया जाये ताकि मैं उनको अपना खास सलाहकार बना लूँ। हुक्म के मुताबिक़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सम्मान के साथ जेलखाने से दरबार में लाया गया और आपसी गुप्तगू से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सलाहियों का पूरा अन्दाज़ा हो गया तो बादशाह ने कहा कि आप आज हमारे नज़दीक बड़े इज़्ज़त वाले और एतबार वाले हैं।

इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है कि जब बादशाह का कासिद जेल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा पहुँचा और बादशाह की दावत पहुँचाई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब जेल वालों के लिये दुआ की और गुस्ल करके नये कपड़े पहने, जब शाही दरबार पर पहुँचे तो यह दुआ की:

حَسْبِي رَبِّي مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِي رَبِّي مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَانَهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

“यानी मेरी दुनिया के लिये मेरा रब मुझे काफी है और सारी मख़्लूक के बदले मेरा रब मेरे लिये काफी है, जो उसकी पनाह में आ गया वह बिल्कुल महफूज़ है। और उसकी बड़ी तारीफ़ है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं।”

जब दरबार में पहुँचे तो फिर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू होकर इसी तरह दुआ की और अरबी भाषा में सलाम किया:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

अस्सलामु अलैकुम् व रस्मतुल्लाहि

और बादशाह के लिये दुआ इबरानी भाषा में की। बादशाह अगरचे बहुत सी भाषायें जानता था मगर अरबी और इबरानी भाषाओं से वाकिफ़ नहीं था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि सलाम तो अरबी भाषा में किया गया है और दुआ इबरानी भाषा में।

इस रिवायत में यह भी है कि बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से विभिन्न भाषाओं में बातें कीं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया और अरबी और इबरानी की दो भाषायें अलग से सुनाईं जिनसे बादशाह वाकिफ़ न था। इस वाकिफ़ ने बादशाह के दिल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हद से ज़्यादा इज़्ज़त व वक़अत कायम कर दी।

फिर मिस्र के बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अपने ख़्वाब की ताबीर

अप्रत्यक्ष रूप से सुन लूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उसके ख़ाब की ऐसी तफसीलात बतलाई जो अब तक बादशाह ने भी किसी से ज़िक्र नहीं की थीं, फिर ताबीर बतलाई।

मिस्र के बादशाह ने कहा कि मुझे ताबीर से ज़्यादा इस पर हैरत है कि ये तफसीलात आपको कैसे मालूम हुई, उसके बाद बादशाह ने मशिवरा तलब किया कि अब मुझे क्या करना चाहिये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मशिवरा दिया कि पहले सात साल जिनमें ख़ूब बारिश होने वाली हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कराकर ग़ल्ला उगाने का इन्तिज़ाम करें और सब लोगों को हिदायत करें कि अपनी-अपनी ज़मीनों में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, और जितना ग़ल्ला हासिल हो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा अपने पास भण्डार करते रहें।

इस तरह मिस्र वालों के पास कहत (सूखे) के सात साल के लिये भी ज़ख़ीरा जमा हो जायेगा और आप उनकी तरफ़ से बेफ़िक्र होंगे, हुकूमत को जिस क़द्र ग़ल्ला सरकारी टैक्सों या सरकारी ज़मीनों से हासिल हो उसको बाहरी लोगों के लिये जमा रखें, क्योंकि यह कहत दूर दराज़ तक फैलेगा, बाहर के लोग उस वक़्त आपके मोहताज होंगे, उस वक़्त आप ग़ल्ला देकर अल्लाह की मख़्लूक की इमदाद करें और मामूली कीमत भी रखेंगे तो सरकारी ख़ज़ाने में इतना माल जमा हो जायेगा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। मिस्र का बादशाह इस मशिवरे से बहुत खुश और संतुष्ट हुआ मगर कहने लगा कि इस ज़बरदस्त योजना का इन्तिज़ाम कैसे हो और कौन करे, इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

اجعلنى على خزائن الأرض اى حفظ عليهم ۞

यानी मुल्क के ख़ज़ाने (जिनमें ज़मीन की पैदावार भी शामिल है) आप मेरे सुपुर्द कर दें मैं उनकी हिफ़ाज़त भी पूरी कर सकता हूँ और ख़र्च करने के मौक़ों और ख़र्च की मात्रा के अन्दाज़े से भी पूरा वाकिफ़ हूँ। (तफसीरे क़र्तुबी व मजहरी)

इन दो लफ़्ज़ों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन तमाम गुणों को जता दिया जो एक वित्त मंत्री में होने चाहियें। क्योंकि पहली ज़रूरत तो ख़ज़ाने के अमीन के लिये इसकी है कि वह सरकारी मालों को जाया न होने दे बल्कि पूरी हिफ़ाज़त से जमा करे, फिर ग़ैर-मुस्तहिक (अपात्र) लोगों और ग़लत किस्म के मौक़ों में ख़र्च न होने दे। और दूसरी ज़रूरत इसकी है कि जहाँ जिस क़द्र ख़र्च करना ज़रूरी है उसमें न कोताही करे और न ज़रूरत की मात्रा से ज़्यादा ख़र्च करे। लफ़्ज़ "हफ़ीज़" पहली ज़रूरत की पूरी ज़मानत है और लफ़्ज़ "अलीम" दूसरी ज़रूरत की।

मिस्र का बादशाह अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमालात का मुरीद और उनकी दियायत (ईमानदारी) और कामिल अक्ल का पूरा मोतकिद हो चुका था मगर फ़ौरी तौर पर वित्त मंत्रालय का पद उनको सुपुर्द न किया बल्कि एक साल तक एक सम्मानित मेहमान की तरह रखा।

साल भर पूरा होने के बाद न सिर्फ़ वित्त मंत्रालय बल्कि हुकूमत के पूरे मामलात उनके सुपुर्द कर दिये, शायद यह मक़सद था कि जब तक घर में रखकर उनके अख़्लाक व आदतों का पूरा तजुर्बा न हो जाये इतना बड़ा ओहदा सुपुर्द करना मुनासिब नहीं, जैसा कि शैख़ सअदी

श्रीराज़ी रह. ने फरमाया है:

चू यूसुफ कसे दर सलाह व तमीज़ ❁ ब-यक साल बायद कि गर्द अज़ीज़ कुछ मुफ़रिसरीन ने लिखा है कि उसी ज़माने में जुलैखा के शौहर क़तफ़ीर का इन्तिकाल हो गया तो मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनकी शादी कर दी। उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि यह सूरत उससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थीं, जुलैखा ने अपनी ग़लती को मानने के साथ अपना उज़्र बयान किया।

अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने बड़ी इज़्ज़त व शान के साथ उनकी मुराद पूरी फरमाई और ऐश व आराम के साथ जिन्दगी गुज़री। तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ दो लड़के भी पैदा हुए जिनका नाम इफ़राईम और मंशा था।

कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह तआला ने शादी के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में जुलैखा की मुहब्बत उससे ज़्यादा पैदा कर दी थी जितनी जुलैखा को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से थी, यहाँ तक कि एक मर्तबा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे शिकायत की कि इसकी क्या वजह है कि तुम मुझसे अब उतनी मुहब्बत नहीं रखती जितनी पहले थी। जुलैखा ने अर्ज़ किया कि आपके माध्यम से मुझे अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल हो गई, उसके सामने सब ताल्लुकात और ख़्यालात कमज़ोर हो गये। यह वाक़िआ कुछ दूसरी तफ़सीलात के साथ तफ़सीरे क़ूर्तुबी और मज़हरी में बयान हुआ है।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़िस्से के तहत में आम इनसानों की बेहतरी व कामयाबी के लिये जो बहुत-सी हिदायतें और तालीमात आई हैं उनमें कुछ का ज़िक्र पहले हो चुका है, ऊपर बयान हुई आयतों में मज़ीद मसाईल और हिदायतें इस प्रकार हैं:

पहला मसला: हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कौल 'व मा उबरिउ नफ़सी.....' (यानी आयत नम्बर 53) में नेक और परहेज़गार बन्दों के लिये यह हिदायत है कि जब उनको किसी गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ हो जाये तो उस पर नाज़ न करें, और उसके मुकाबले में गुनाहगारों को हक़ीर न समझें, बल्कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक़ इस बात को अपने दिल में जमायें कि यह हमारा कोई जाती कमाल नहीं बल्कि अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है कि उसने नफ़से अम्मारा को हम पर ग़ालिब नहीं आने दिया, वरना हर इनसान का नफ़स उसको तबई तौर पर बुरे ही कामों की तरफ़ खींचता है।

हुकूमत का कोई पद ख़ुद तलब करना जायज़ नहीं,

मगर चन्द शर्तों के साथ इजाज़त है

दूसरा मसला: 'इज़्ज़ल्ली अला ख़ज़ाइनिल् अरज़ि' (यानी आयत नम्बर 55) से यह मालूम हुआ कि किसी सरकारी ओहदे और पद को तलब करना ख़ास सूरतों में जायज़ है, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुल्क के माली मामलात का इन्तिज़ाम और जिम्मेदारी तलब फरमाई।

मगर इसमें यह तफसील है कि जब किसी खास ओहदे के मुताल्लिक यह मालूम हो कि कोई दूसरा आदमी उसका अच्छा इन्तिजाम नहीं कर सकेगा और अपने बारे में यह अन्दाज़ा हो कि ओहदे के काम को अच्छा अन्जाम दे सकेगा और किसी गुनाह में मुब्तला होने का खतरा न हो, ऐसी हालत में ओहदे का खुद तलब कर लेना भी जायज़ है, बशर्तकि माल व रुतबे की मुहब्बत उसका सबब न हो, बल्कि अल्लाह की मख़्लूक की सही खिदमत और इन्साफ के साथ उनके हुक्क पहुँचाना मक़सद हो, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सिर्फ़ यही मक़सद था और जहाँ यह सूरत न हो तो हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्ूमत का कोई ओहदा खुद तलब करने से मना फ़रमाया है, और जिसने खुद किसी ओहदे की दरख्वास्त की उसको ओहदा नहीं दिया।

सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि कभी कोई सरदारी (यानी पद वगैरह) तलब न करो, क्योंकि तुमने खुद सवाल करके सरदारी का ओहदा हासिल भी कर लिया तो अल्लाह तआला की ताईद नहीं होगी, जिसके ज़रिये तुम ग़लती और ख़ताओं से बच सको, और अगर बगैर दरख्वास्त और तलब के तुम्हें कोई ओहदा मिल गया तो अल्लाह तआला की तरफ़ से ताईद व मदद होगी जिसकी वजह से तुम उस ओहदे के पूरे हुक्क अदा कर सकोगे।

इसी तरह सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस में है कि एक शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ओहदे की दरख्वास्त की तो आपने फ़रमाया:

إِنَّا نَسْتَعْمِلُ عَلَىٰ عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَهُ.

“यानी हम अपना ओहदा किसी ऐसे शख़्स को नहीं दिया करते जो खुद उसका इच्छुक व तलबगार हो।”

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ओहदा तलब करना

खास हिक्मत पर आधारित था

मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामला इससे भिन्न और अलग है क्योंकि वह जानते थे कि मिस्र का बादशाह काफ़िर है, उसका अमल भी ऐसा ही है और मुल्क पर एक तूफ़ानी सूखा पड़ने वाला है, उस वक़्त खुदगर्ज़ लोग अल्लाह की आ़म मख़्लूक पर रहम न खायेंगे और लाखों इनसान भूख से मर जायेंगे, कोई दूसरा आदमी ऐसा मौजूद न था जो ग़रीबों के हुक्क में इन्साफ़ कर सके, इसलिये खुद इस ओहदे की दरख्वास्त की, अगरचे इसके साथ कुछ अपने कमालात का इज़हार भी ज़रूरत के सबब करना पड़ा, ताकि बादशाह मुत्मईन होकर ओहदा उनको सुपुर्द कर दे।

अगर आज भी कोई शख़्स यह महसूस करे कि हुक्ूमत का कोई ओहदा ऐसा है जिसके फ़राईज़ को दूसरा आदमी सही तौर पर अन्जाम देने वाला मौजूद नहीं और खुद उसको यह

अन्दाज़ा है कि मैं सही अन्जाम दे सकता हूँ तो उसके लिये जायज़ है बल्कि वाजिब है कि उस ओहदे की दरखास्त करे, मगर अपने रुतबे व माल के लिये नहीं बल्कि पब्लिक की ख़िदमत के लिये जिसका ताल्लुक दिल की नीयत और इरादे से है जो अल्लाह तआला पर पूरी तरह स्पष्ट है। (तफ़्सीरे क़ुर्तुबी)

हज़रते खुलाफ़ा-ए-राशिदीन का ख़िलाफ़त की जिम्मेदारी उठा लेना इसी वजह से था कि वे जानते थे कि कोई दूसरा इस वक़्त इस जिम्मेदारी को सही अन्जाम न दे सकेगा। सहाबा किराम हज़रत अली और हज़रत मुआविया व हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह के जो मतभेद पेश आये वे सब इसी पर आधारित थे कि उनमें से हर एक यह ख़्याल करता था कि इस वक़्त ख़िलाफ़त की जिम्मेदारी को मैं अपने मुक़ाबिल से ज़्यादा समझदारी व ताक़त के साथ पेश कर सकूँगा, रुतबे व माल की तलब किसी का असली मक़सद न था।

क्या किसी काफ़िर हुकूमत में ओहदा क़ुबूल करना जायज़ है

तीसरा मसला यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह की नौकरी क़ुबूल फ़रमाई हालाँकि वह काफ़िर था जिससे मालूम हुआ कि काफ़िर या फ़ासिक हुक्मरॉ की हुकूमत का ओहदा क़ुबूल करना ख़ास हालात में जायज़ है।

लेकिन इमाम जस्सास रह. ने आयते करीमा:

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

के तहत लिखा है कि इस आयत के एतिबार से ज़ालिमों काफ़िरों की मदद व सहयोग करना जायज़ नहीं, और ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत का ओहदा क़ुबूल करना उनके काम में शरीक होना और मदद करना है, और ऐसी मदद को कुरआने करीम की बहुत-सी आयतों में हाराम करार दिया गया है।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो इस नौकरी को न सिर्फ़ क़ुबूल फ़रमाया बल्कि दरखास्त करके हासिल किया, इसकी ख़ास वजह इमामे तफ़्सीर मुजाहिद रह. ने तो यह करार दी है कि मिस्र का बादशाह उस वक़्त मुसलमान हो चुका था मगर चूँकि कुरआन व सुन्नत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं इसलिये आ़म मुफ़्तिरीन ने इसकी वजह यह करार दी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के मामले से यह मालूम कर चुके थे कि वह उनके काम में दख़ल न देगा, और किसी ख़िलाफ़े शरीअत कानून जारी करने पर उनको मजबूर न करेगा बल्कि उनको मुकम्मल इख़्तियारात देगा जिसके ज़रिये वह अपनी मर्ज़ी से और सही कानून पर अमल कर सकेंगे। ऐसे मुकम्मल इख़्तियार के साथ कि किसी ख़िलाफ़े शरीअत कानून पर मजबूर न हो

कोई काफ़िर या ज़ालिम की नौकरी इख़्तियार कर ले अगरचे उस काफ़िर ज़ालिम के साथ सहयोग करने की बुराई फिर भी मौजूद है मगर जिन हालात में उसको सत्ता व हुकूमत से हटाना क़ुदरत में न हो और उसका ओहदा कुबूल न करने की सूरत में अल्लाह की मख़्लूक के हुकूक बरबाद होने या ज़ुल्म व ज़्यादती का प्रबल अन्देशा हो तो मजबूरी में इतने सहयोग की गुन्जाईश हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अमल से साबित हो जाती है जिसमें खुद किसी ख़िलाफ़े शरीअत काम को न करना पड़े, क्योंकि दर हकीकत यह उसके गुनाह में मदद नहीं होगी अगरचे एक दूर के सबब के तौर पर इससे भी उसकी मदद और सहयोग का फ़ायदा हासिल हो जाये। सहयोग व मदद के ऐसे दूर के असबाब के बारे में उक्त हालात में शरई तौर पर गुन्जाईश है जिसकी तफ़सील दीनी मसाईल के माहिर उलेमा ने बयान फरमाई है। पहले बुजुर्गों, सहाबा व ताबिईन में बहुत से हज़रात का ऐसे ही हालात में ज़ालिम व जाबिर हुक्मरानों का ओहदा कुबूल कर लेना साबित है। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

अल्लामा मावरदी ने शरई सियासत के बारे में अपनी किताब में नक़ल किया है कि कुछ हज़रात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अमल की बिना पर काफ़िर और ज़ालिम हुक्मरानों का ओहदा कुबूल करना इस शर्त के साथ जायज़ रखा है कि खुद उसको कोई काम ख़िलाफ़े शरीअत न करना पड़े। और कुछ हज़रात ने इस शर्त के साथ भी इसको इतलिये जायज़ नहीं रखा कि इसमें भी ज़ालिमों को मज़बूत करना और उनकी ताईद होती है। ये हज़रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अमल की विभिन्न वुजूहात बयान करते हैं जिनका हासिल यह है कि यह अमल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात या उनकी शरीअत के साथ मख़सूस था, अब दूसरों के लिये जायज़ नहीं। मगर उलेमा व फ़ुकहा की अक्सरियत ने पहले ही कौल को इख़्तियार फरमाकर जायज़ करार दे दिया है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में है कि जहाँ यह मालूम हो कि उलेमा और नेक लोग अगर यह ओहदा कुबूल न करेंगे तो लोगों के हुकूक जाया हो जायेंगे, इन्साफ़ न हो सकेगा, वहाँ ऐसा ओहदा कुबूल कर लेना जायज़ बल्कि सवाब है, बशर्तकि उस ओहदे में खुद उसको शरीअत के ख़िलाफ़ बातों के करने पर मजबूरी पेश न आये।

चौथा मसला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौल 'इन्नी हफ़ीजुन अलीम' से यह साबित हुआ कि ज़रूरत के मौक़े पर अपने किसी कमाल या खूबी व श्रेष्ठता का ज़िक्र कर देना अपनी पाकबाज़ी जतलाने में दाख़िल नहीं, जिसकी क़ुरआने करीम में मनाही आई है, बशर्तकि उसका ज़िक्र करना तकब्बुर व ग़ुरूर और अपनी शान जतलाने और फ़ख़्र की वजह से न हो।

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥

“यानी जिस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह के दरबार में इज़्ज़त व रुतबा अता किया उसी तरह हमने उनको पूरे मुल्के मिस्र पर पूरा इख़्तियार व हुकूमत अता कर दी कि उसकी ज़मीन में जिस क़द्र चाहें अहकाम जारी करें, हम जिसको चाहते हैं अपनी रहमत

व नेमत से यूँ ही नवाजा करते हैं और हम नेक काम करने वालों का अन्न (बदला) कभी ज़ाया नहीं करते।”

तफसील इसकी यह है कि मिस्र के बादशाह ने एक साल तजुर्बा करने के बाद दरबार में एक जश्न मनाया जिसमें तमाम हुकूमत के काम करने वालों और सम्मानित लोगों को जमा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर ताज रखकर उस मज्लिस में लाया गया और सिर्फ खज़ाने की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि हुकूमत के तमाम मामलात को अमलन उनके सुपर्द करके खुद तन्हाई इख्तियार कर ली। (तफसीरे कर्तुबी व मज़हरी वगैरह)

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत के मामलात को ऐसा संभाला कि किसी को कोई शिकायत बाकी न रही, सारा मुल्क आपका मुरीद हो गया और पूरे मुल्क में अमन व खुशहाली आम हो गई, खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत की इस तमाम ज़िम्मेदारी में कोई दुश्वारी या रंज व तकलीफ पेश न आई।

इमामे तफसीर मुजाहिद रह. ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने चूँकि इस सारे रुतबे व जलाल से सिर्फ अल्लाह तआला के अहकाम को फैलाना और उसके दीन को कायम करना था, इसलिये वह किसी वक़्त भी इससे गाफिल न हुए कि मिस्र के बादशाह को इस्लाम व ईमान की दावत दें, यहाँ तक कि निरन्तर दावत व कोशिश का यह नतीजा ज़ाहिर हुआ कि मिस्र का बादशाह भी मुसलमान हो गया।

وَلَا جُرْأَآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

यानी “और आखिरत का अन्न व सवाब इस दुनिया की नेमत से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिये जो मोमिन हुए और जिन्होंने तक्वा और परहेज़गारी इख्तियार की।”

मतलब यह है कि दुनिया की दौलत व बादशाही और मिसाली हुकूमत तो अता हुई ही थी इसके साथ आखिरत के बुलन्द दर्जे भी उनके लिये तैयार हैं। इसके साथ यह भी बतला दिया कि ये दुनिया व आखिरत के दर्जे यूसुफ अलैहिस्सलाम की विशेषता नहीं बल्कि आम ऐलान है हर उस शख्स के लिये जो ईमान, तक्वा और परहेज़गारी इख्तियार कर ले।

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत के ज़माने में अ़वाम को राहत पहुँचाने के वे काम किये जिनकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। जब ख़ाब की ताबीर के मुताबिक सात साल खुशहाली के गुज़र गये और कहत (सूखा पड़ना) शुरू हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर खाना छोड़ दिया, लोगों ने कहा कि मुल्के मिस्र के सारे खज़ाने आपके कब्जे में हैं और आप भूखे रहते हैं? तो फरमाया कि मैं यह इसलिये करता हूँ ताकि आम लोगों की भूख का एहसास मेरे दिल से गायब न हो, और शाही बावर्चियों को भी हुकम दे दिया कि दिन में सिर्फ एक मर्तबा दोपहर को खाना पका करे, ताकि शाही महल के सब अफ़राद भी अ़वाम की भूख में कुछ हिस्सा ले सकें।

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَمَّا جَهَرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ أَإِنتُونِي بِآيَةٍ لَكُمْ مِنَ آيَاتِكُمْ ۖ أَلَا تَتَرَوْنَ أَنِّي أُوتِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَنِي ۝ قَالُوا سَأُرْوُدُّ عَنْهُ آيَاتَهُ وَآنَا أَفْعَلُونَ ۝ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

व जा-अ इख्वतु यूसु-फ फ-द-खलू
अलैहि फ-अ-र-फहुम् व हुम् लहू
मुन्किरून (58) व लम्मा जह्ह-जहुम्
बि-जहाजि हिम् काल अतूनी
बि-अडिाल्-लकुम् मिन् अबीकुम्
अला तरौ-न अन्नी ऊफिल्-कै-ल व
अ-न खौरुल्-मुन्जि लीन (59)
फ-इल्लम् तअतूनी बिही फला कै-ल
लकुम् अिन्दी व ला तकरबून (60)
कालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व
इन्ना लफाअिलून (61) व का-ल
लिफित्यानिहिज्-अलू बिजा-अ-तहुम्
फी रिहालिहिम् लअल्लहुम्
यअरिफूनहा इजन्क-लबू इला
अस्तिहिम् लअल्लहुम् यर्जिअून (62)

और आये भाई यूसुफ के फिर दाखिल हुए उसके पास तो उसने पहचान लिया उनको और वे नहीं पहचानते। (58) और जब तैयार कर दिया उनके लिये उनका असबाब, कहा ले आईयो मेरे पास एक भाई जो तुम्हारा है बाप की तरफ से, तुम नहीं देखते हो कि मैं पूरा देता हूँ नाप और अच्छी तरह उतारता हूँ मेहमानों को। (59) फिर अगर उसको न लाये मेरे पास तो तुम्हारे लिये भरती नहीं मेरे नज़दीक और मेरे पास न आईयो। (60) बोले हम ख्वाहिश करेंगे उसके बाप से और हमको यह काम करना है। (61) और कह दिया अपने ख्वादिमों से कि रख दो उनकी पूँजी उनके असबाब (सामान) में शायद उसको पहचानें जब फिरकर पहुँचें अपने घर, शायद वे फिर आ जायें। (62)

खुलासा-ए-तफसीर

(गर्ज कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इख्तियार वाला होकर गुल्ला काश्त कराना और जमा कराना शुरू किया और सात साल के बाद कहत शुरू हुआ, यहाँ तक कि दूर-दूर से यह खबर सुनकर कि मिस्र में हुकूमत की तरफ से गुल्ला फरोख्त होता है समूह के समूह लोग आना शुरू

हुए) और (किनआन में भी अकाल पड़ा तो) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के भाई (भी सिवाय बिनयामीन के गल्ला लेने मिश्र में) आये, फिर उनके (यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के) पास पहुँचे, सो हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने (तो) उनको पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को नहीं पहचाना (क्योंकि उनमें बदलाव कम हुआ था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके आने का ख्याल और पूरा गुमान व अन्दाज़ा भी था, फिर नये आने वाले पूछ भी लेते हैं कि आप कौन हैं? कहाँ से आये हैं? और पहचान के लोगों को थोड़े-से पते से अक्सर पहचान भी लेते हैं, बख़िलाफ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कि उनमें चूँकि जुदा होने के वक़्त बहुत कम-उम्र थे) बदलाव भी ज़्यादा हो गया था और उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के होने का गुमान व शुब्हा भी न था। फिर हाकिमों से कोई पूछ भी नहीं सकता कि आप कौन हैं? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हर शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ गल्ला फ़रोख़्त करते थे, चुनाँचे उनको भी जब प्रति व्यक्ति एक-एक ऊँट गल्ला कीमत देकर मिलने लगा तो इन्होंने कहा कि हमारा एक बाप-शरीक भाई और है, उसको हमारे बाप ने इस वजह से कि उनका एक बेटा गुम हो गया था अपनी तसल्ली के लिये अपने पास रख लिया है, उसके हिस्से का भी एक ऊँट गल्ला ज़्यादा दे दिया जाये। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह क़ानून के खिलाफ़ है, अगर उसका हिस्सा लेना है तो वह खुद आकर ले जाये। गर्ज़ कि उनके हिस्से का गल्ला उनको दिलवा दिया। और जब उन्होंने यानी यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने उनके (गल्ले का) सामान तैयार कर दिया तो (चलते वक़्त) फ़रमा दिया कि (अगर यह गल्ला ख़र्च करके अब के आने का इरादा करो तो) अपने बाप-शरीक भाई को भी (साथ) लाना (ताकि उसका हिस्सा भी दिया जा सके), तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करता हूँ (पस अगर तुम्हारा वह भाई आयेगा उसको भी पूरा हिस्सा दूँगा और उसकी ख़ूब ख़ातिर मुदारात करूँगा जैसा कि तुमने अपने साथ देखा। गर्ज़ कि आने में तो नफ़ा ही नफ़ा है)। और अगर तुम (दोबारा आये और) उसको मेरे पास न लाये तो (मैं समझूँगा कि तुम मुझको धोखा देकर गल्ला ज़्यादा लेना चाहते थे तो इसकी सज़ा में) न मेरे पास तुम्हारे नाम का गल्ला होगा और न तुम मेरे पास आना (पस उसके न लाने में यह नुक़सान होगा कि तुम्हारे हिस्से का गल्ला भी ख़त्म हो जायेगा)।

वे बोले (देखिए) हम (अपनी कोशिश भर तो) उसके बाप से उसको माँगेंगे और हम इस काम को (यानी कोशिश और दरख़्वास्त को) ज़रूर करेंगे (आगे बाप के इख़्तियार में है)। और (जब वहाँ से बिल्कुल चलने लगे तो) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने अपने नौकरों से कह दिया कि इनकी जमा-पूँजी (जिसके बदले में इन्होंने गल्ला मोल लिया है) इन (ही) के सामान में (छुपाकर) रख दो, ताकि जब घर जाएँ तो उसको (जब वह सामान में से निकले) पहचानें, शायद (यह एहसान व करम देखकर) फिर दोबारा आएँ (चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनका दोबारा आना और उनके भाई का लाना मन्ज़ूर था इसलिये किसी तरह से इसकी तदबीर की, पहले वादा किया कि अगर उसको लाओगे तो उसका भी हिस्सा मिलेगा, दूसरे धमकी सुना दी कि अगर न

लाओगे तो अपना हिस्सा भी न पाओगे, तीसरे दाम जो कि नक़द के अलावा कोई और चीज़ थी वापस कर दी, दो ख़्याल से एक यह कि इससे एहसान व करम पर निगाह करके फिर आयेंगे दूसरे इसलिये कि शायद इनके पास और दाम न हों इसलिये फिर न आ सकें। और जब यह दाम होंगे तो इन्हीं को लेकर फिर आ सकते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र देश का कामिल इय़ितदार (सत्ता) अल्लाह तआला के फ़ज़ल से हासिल हो जाने का बयान था, उपर्युक्त आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों का गुल्ला लेने के लिये मिस्र आना बयान हुआ है, और यह भी ज़िम्नी तौर पर आ गया कि दस भाई मिस्र आये थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे छोटे भाई साथ न थे।

बीच के किस्से की तफ़सील कुरआन ने इसलिये नहीं दी कि पिछले वाकिआत से वह अपने आप समझ में आ जाती है।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने तफ़सीर के इमामों में से सुददी और मुहम्मद बिन इस्हाक़ वगैरह के हवाले से जो तफ़सील बयान की है वह अगर तारीख़ी और इस्माईली रिवायतों से भी ली गई हो तो इसलिये कुछ काबिले कुबूल है कि कुरआनी बयान में खुद उसकी तरफ़ इशारे मौजूद हैं।

इन हज़रत ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र देश का मंत्री पद हासिल होने के बाद ख़्वाब की ताबीर के मुताबिक़ शुरु के सात साल पूरे मुल्क के लिये बड़ी खुशहाली और बेहतरी के आये, पैदावार ख़ूब हुई और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने और जमा करने की कोशिश की। उसके बाद इसी ख़्वाब का दूसरा हिस्सा सामने आया कि बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा, जो सात साल तक जारी रहा। उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि पहले से बाख़बर थे कि यह क़हत (सूखा) सात साल तक लगातार रहेगा इसलिये क़हत के शुरु के साल में मुल्क के मौजूदा ज़ख़ीरे को बड़ी एहतियात से जमा कर लिया और पूरी हिफ़ाज़त से रखा।

मिस्र के बाशिन्दों के पास उनकी ज़रूरत की मात्रा में पहले से जमा करा दिया गया, अब क़हत आम हुआ और आस-पास से लोग सिमट कर मिस्र आने लगे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक खास अन्दाज़ से गुल्ला फ़रोख़्त करना शुरु किया कि एक शख़्स को एक ऊँट के बोझ से ज़्यादा न देते थे, जिसकी मात्रा इमाम कुर्तुबी ने एक वसक़ यानी साठ साअ लिखी है जो हमारे वज़न के एतिबार से दो सौ दस सैर यानी पाँच मन से कुछ ज़्यादा होती है।

और इस काम का इतना ध्यान रखा कि गुल्ले की फ़रोख़्त खुद अपनी निगरानी में कराते थे। यह क़हत (सूखा और अकाल) सिर्फ़ मुल्के मिस्र ही में न था बल्कि दूर-दूर के इलाकों तक फैला हुआ था। किनआन का इलाका जो फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा है और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का वतन है और आज भी उसका शहर ख़लील के नाम से एक रौनकदार शहर की सूरत में मौजूद है, यहीं हज़रत इब्राहीम व इस्हाक़ और याक़ूब व यूसुफ़ अलैहिमुस्सलाम के मज़ार परिचित हैं, यह ख़िल्ला भी उस क़हत की मार से न बचा, और याक़ूब अलैहिस्सलाम के

ख़ानदान में बैचैनी पैदा हुई। साथ ही साथ मिस्र की यह शोहरत अम हो गई थी कि वहाँ ग़ल्ला कीमत के बदले मिल जाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तक भी यह ख़बर पहुँची कि मिस्र का बादशाह कोई नेक रहमदिल आदमी है वह अल्लाह की तमाम मख़रूक को ग़ल्ला देता है, तो अपने बेटों से कहा कि तुम भी जाओ मिस्र से ग़ल्ला लेकर आओ।

और चूँकि यह भी मालूम हो चुका था कि एक आदमी को एक ऊँट के भार से ज़्यादा ग़ल्ला नहीं दिया जाता, इसलिये सब ही बेटों को भेजने की तजवीज़ हुई, मगर सबसे छोटे भाई बिनयामीन जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गुम हो जाने के बाद से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मुहब्बत व शफ़क़त उनके साथ ज़्यादा हो गई थी, उनको अपने पास अपनी तसल्ली और ख़बरगिरी के लिये रोक लिया।

दस भाई किनआन से सफ़र करके मिस्र पहुँचे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाही लिबास में शाहाना तख़्त व ताज के मालिक होने की हैसियत में सामने आये, और भाईयों ने उनको बचपन की सात साल की उम्र में काफ़िले वालों के हाथ बेचा था जिसको उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक़ 40 साल हो चुके थे। (क़र्तुबी, मज़हरी)

ज़ाहिर है कि इतने अरसे में इनसान का हुलिया भी कुछ का कुछ हो जाता है, और उनका यह वहम व ख़्याल भी न हो सकता था कि जिस बच्चे को गुलाम बनाकर बेचा गया था वह किसी मुल्क का वज़ीर या बादशाह हो सकता है, इसलिये भाईयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को न पहचाना मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। उक्त आयत में:

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

के यही मायने हैं। अरबी भाषा में इनकार के असली मायने अजनबी समझने ही के आते हैं, इसलिये मुन्किरीन के मायने नावाक़िफ़ और अन्जान के हो गये।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पहचान लेने के बारे में इमाम इब्ने कसीर ने सुददी के हवाले से यह भी बयान किया है कि जब ये दस भाई दरबार में पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इत्मीनान के लिये इनसे ऐसे सवालात किये जैसे संदिग्ध लोगों से किये जाते हैं ताकि वे पूरी हकीक़त वाज़ेह करके बयान कर दें। अब्बल तो इनसे पूछा कि आप लोग मिस्र के रहने वाले नहीं आपकी भाषा भी इब्रानी है, आप यहाँ कैसे पहुँचे? इन्होंने अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा है, और हमने आपकी तारीफ़ सुनी इसलिये ग़ल्ला हासिल करने के लिये आये हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि हमें यह कैसे इत्मीनान हो कि तुम सच कह रहे हो, और तुम किसी दुश्मन के जासूस नहीं हो? तो इन सब भाईयों ने अर्ज़ किया कि मअज़ल्लाह हम से ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, हम तो अल्लाह के रसूल याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो किनआन में रहते हैं।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इन सवालात से मक़सद ही यह था कि ये ज़रा खुलकर पूरे वाक़िअत बयान कर दें, तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि तुम्हारे वालिद के और भी

कोई औलाद तुम्हारे अलावा है? तो इन्होंने बतलाया कि हम बारह भाई थे जिनमें से एक छोटा भाई जंगल में गुम हो गया और हमारे वालिद को सबसे ज्यादा उसी की मुहब्बत थी, उसके बाद से उसके सगे छोटे भाई के साथ ज्यादा मुहब्बत करने लगे और इसी लिये इस वक़्त भी उसको सफ़र में हमारे साथ नहीं भेजा ताकि वह उसकी तसल्ली का सबब बने।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सब बातें सुनकर हुक्म दिया कि इनको शाही मेहमान की हैसियत से ठहरायें और नियम के मुताबिक़ ग़ल्ला दें।

ग़ल्ले के बंटवारे में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह उसूल बनाया था कि एक मर्तबा में किसी एक शख्स को एक ऊँट के बोझ से ज्यादा न देते, मगर जब हिसाब के मुवाफ़िक़ वह ख़त हो जाये तो फिर दोबारा दे देते थे।

भाईयों से सारी तफ़सीलात मालूम कर लेने के बाद उनके दिल में यह ख़्याल आना तबई चीज़ थी कि ये फिर दोबारा आयें, इसके लिये एक इन्तिज़ाम तो ज़ाहिर में यह किया कि खुद इन भाईयों से कहा:

اَتَوْنِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْلى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝

“यानी जब तुम दोबारा आओ तो अपने सौतेले भाई (बाप शरीक) को भी ले आना, तुम देख रहे हो कि मैं किस तरह पूरा-पूरा ग़ल्ला देता हूँ और किस तरह मेहमान-नवाज़ी करता हूँ।” और फिर एक धमकी भी दे दी कि:

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون ۝

“यानी अगर तुम अपने उस भाई को साथ न लाये तो फिर मैं तुम में से किसी को भी ग़ल्ला न दूँगा (क्योंकि मैं समझूँगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है) इस तरह तुम मेरे पास न आना।

दूसरा इन्तिज़ाम यह किया कि जो नक़दी या ज़ेवर वगैरह उन भाईयों ने ग़ल्ले की कीमत के तौर पर अदा किया था उसके बारे में कारिन्दों को हुक्म दे दिया कि उसको छुपाकर उन्हीं के सामान में इस तरह बाँध दो कि उनको इस वक़्त पता न लगे ताकि आईन्दा जब ये घर पहुँचकर सामान खोलें और अपनी नक़दी व ज़ेवर भी इनको वापस मिले तो फिर ये दोबारा ग़ल्ला लेने के लिये आ सकें।

इमाम इब्ने कसीर ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस अमल में कई एहतिमाल (संभावनायें) बयान किये हैं- एक यह कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह ख़्याल आया कि शायद इनके पास इस नक़दी व ज़ेवर वगैरह के सिवा और कुछ मौजूद न हो तो फिर दोबारा ग़ल्ला लेने के लिये नहीं आ सकेंगे। दूसरे यह भी हो सकता है कि अपने वालिद और भाईयों से खाने की कीमत लेना ग़वारा न हो, इसलिये शाही ख़ज़ाने में अपने पास से जमा कर दिया, उनकी रक़म उनको वापस कर दी। और एक संभावना यह भी है कि वह जानते थे कि जब उनका सामान उनके पास वापस पहुँच जायेगा और वालिद साहिब को इल्म होगा तो वह अल्लाह के रसूल हैं, इस वापस

हुए सामान को मिस्री खजाने की अमानत समझकर ज़रूर वापस भेजेंगे, इसलिये भाईयों का दोबारा आना और यक़ीनी हो जायेगा।

बहरहाल! यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सब इन्तिज़ामात इसलिये किये कि आईन्दा भी भाईयों के आने का सिलसिला जारी रहे और छोटे सगे भाई से मुलाक़ात भी हो जाये।

मसाईल व फ़ायदे

यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाकिए से इसका जवाज़ (जायज़ व दुरुस्त होना) मालूम हुआ कि जब किसी मुल्क में आर्थिक हालात ऐसे ख़राब हो जायें कि अगर हुक्मत व्यवस्था कायम न करे तो बहुत-से लोग अपनी ज़िन्दगी की ज़रूरतों से मेहरूम हो जायें तो हुक्मत ऐसी चीज़ों को अपने कन्ट्रोल और कब्ज़े में ले सकती है और ग़ल्ले की मुनासिब कीमत मुक़रर कर सकती है, कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा ने इसको स्पष्ट तौर पर बयान फ़रमाया है।

यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने हालात से वालिद को इत्तिला न देना अल्लाह के हुक्म से था

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाकिए में एक बात इन्तिहाई हैरत-अंगेज़ है कि एक तरफ़ तो उनके वालिद माजिद पैगम्बरे खुदा याक़ूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई से इतने प्रभावित कि रोते-रोते अंधे हो गये, और दूसरी तरफ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम जो खुद भी नबी व रसूल हैं बाप से फ़ितरी और तबई मुहब्बत के अलावा उनके हुक्क से भी पूरी तरह बाख़बर हैं, लेकिन चालीस साल के लम्बे ज़माने में एक मर्तबा भी कभी यह ख़्याल न आया कि मेरे वालिद मेरी जुदाई से बेचैन हैं, अपनी ख़ैरियत की ख़बर किसी माध्यम से उन तक पहुँचवा दूँ। ख़बर पहुँचवा देना तो उस हालत में भी कुछ मुश्किल न था जब वह गुलामी की सूरत में मिस्र पहुँच गये थे, फिर अजीज़े मिस्र के घर में तो हर तरह की आज़ादी और सहूलत के सामान भी थे, उस वक़्त किसी ज़रिये से घर तक ख़त या ख़बर पहुँचवा देना कुछ मुश्किल न था, इसी तरह जेल की ज़िन्दगी में दुनिया जानती है कि सब ख़बरें इधर की उधर पहुँचती ही रहती हैं, खुसूसन जब अल्लाह तआला ने इज्जत के साथ जेल से रिहा फ़रमाया और मुल्क मिस्र की हुक्मत हाथ में आई उस वक़्त तो खुद चलकर वालिद की ख़िदमत में हाज़िर होना सबसे पहला काम होना चाहिये था, और यह किसी वजह से मस्तेहत के खिलाफ़ होता तो कम से कम कासिद भेजकर वालिद को मुत्मईन कर देना तो मामूली बात थी।

लेकिन पैगम्बरे खुदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहीं मन्कूल नहीं कि इसका इरादा भी किया हो, और खुद क्या इरादा करते जब भाई ग़ल्ला लेने के लिये आये तो उनको भी असल वाकिए के इज़हार के बग़ैर रुख़सत कर दिया।

इन तमाम हालात की किसी मामूली से इनसान से भी कल्पना नहीं की जा सकती, अल्लाह

के मकबूल व खास रसूल से यह सूरत कैसे बरदाश्त हुई?

इस हैरत-अंगेज़ (आश्चर्यजनक) खामोशी का हमेशा यही जवाब दिल में आया करता था कि गालिबन अल्लाह तआला ने अपनी कामिल हिक्मत के मातहत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुद के जाहिर करने से रोक दिया होगा, तफसीरे कर्तुबी में इसकी वज़ाहत मिल गई कि अल्लाह तआला ने वही के जरिये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोक दिया था कि अपने घर अपने मुताल्लिक कोई ख़बर न भेजें।

अल्लाह तआला की हिक्मतों को वही जानते हैं इनसान उनका क्या इहाता कर सकता है, कभी कोई चीज़ किसी की समझ में भी आ जाती है, यहाँ बज़ाहिर इसकी असल हिक्मत उस परीक्षा को पूरा करना था जो याक़ूब अलैहिस्सलाम की ली जा रही थी और यही वजह थी कि इस वाकिए के शुरू ही में जब याक़ूब अलैहिस्सलाम को यह अन्दाज़ा हो चुका था कि यूसुफ को भेड़िये ने नहीं खाया बल्कि भाईयों की कोई शरारत है, तो इसका तबई तकाज़ा यह था कि उसी वक़्त जगह पर पहुँचते, तहकीक करते, मगर अल्लाह तआला ने उनका ध्यान इस तरफ़ न जाने दिया और फिर मुद्दतों के बाद उन्होंने भाईयों से यह भी फ़रमाया कि "जाओ यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो।" जब अल्लाह तआला कोई काम करना चाहते हैं तो उसके सब असबाब इसी तरह जमा फ़रमा देते हैं।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْنَا
مَعَنَا آخَانًا نَّكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ۖ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۗ
فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۖ وَكَلَّمَا تَوَخَّأْتَا لَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتِهِمْ رِذْتَ إِلَيْهِمْ
فَالْوَايَا بَانَا مَا تَبِعِيَ هَذِهِ بِصَاعَتِنَا رِذْتَ إِلَيْنَا، وَتَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانًا وَنَزِدَا دَكِيلٌ بَعْزُهُ
ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۖ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ
يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ

फ़-लम्मा र-जअू इला अबीहिम्
कालू या अबाना मुनि-अ मिन्नकैलु
फ़-अर्सिल् म-अना अख़ाना नक्तलु
व इन्ना लहू लहाफिज़ून (63) का-ल
हलू आमनुकुम् अलैहि इल्ला कमा
अमिन्तुकुम् अला अख़ीहि मिन् कब्लु,

फिर जब पहुँचे अपने बाप के पास बोले
ऐ बाप! रोक दी गई हमसे भरती, सो
भेज हमारे साथ हमारे भाई को कि भरती
ले आयेँ और हम उसके निगहबान हैं।
(63) कहा मैं क्या एतिबार करूँ तुम्हारा
उस पर मगर वही जैसा एतिबार किया था
उसके भाई पर इससे पहले, सो अल्लाह

फल्लाहु खैरुन् हाफिज़ं व-व हु-व
 अर्हमुर-राहिमीन (64) व लम्मा
 फ-तहू मता-अहुम् व-जदू
 बिज़ाअ-तहुम् रुद्दत् इलैहिम्, कालू
 या अबाना मा नब्गी, हाज़िही
 बिज़ा-अतुना रुद्दत् इलैना व नमीरु
 अस्लना व नस्फ़जु अख़ाना व नज़्दादु
 कै-ल बज़ीरिन्, ज़ालि-क कैलुंय्यसीर
 (65) का-ल लन् उर्सि-लहू म-अकुम्
 हत्ता तुअ्तूनि मौसिकुम्-मिनल्लाहि
 ल-तअ्तुन्ननी बिही इल्ला अंय्युहा-त
 बिकुम् फ-लम्मा आतौहु मौसि-कहुम्
 कालल्लाहु अ़ला मा नक्रूलु
 वकील (66)

बेहतर है निगहबान और वही है सब
 मेहरबानों से मेहरबान। (64) और जब
 खोली अपनी बंधी हुई चीज़ पाई अपनी
 पूँजी कि फेर दी गई उनकी तरफ़, बोले
 ऐ बाप! हमको और क्या चाहिए यह पूँजी
 हमारी फेर दी है हमको, अब जायें तो
 रसद लायें हम अपने घर को और
 छाबरदारी करेंगे अपने माई की, और
 ज़्यादा लें भरती एक ऊँट की, वह भरती
 आसान है। (65) कहा हरगिज़ न भेजूँगा
 इसको तुम्हारे साथ यहाँ तक कि दो
 मुज़को अहद खुदा का कि यकीनन पहुँचा
 दोगे इसको मेरे पास मगर यह कि घेरे
 जाओ तुम सब, फिर जब दिया उसको
 सब ने अहद, बोला अल्लाह हमारी बातों
 पर निगहबान है। (66)

खुलासा-ए-तफसीर

गर्ज कि जब लौटकर अपने बाप (याक़ूब अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे, कहने लगे ऐ
 अब्बा! (हमारी बड़ी खातिर हुई और ग़ल्ला भी मिला मगर बिनयामीन का हिस्सा नहीं मिला,
 बल्कि बिना बिनयामीन को साथ ले जाये हुए आईन्दा भी) हमारे लिये (कतई तौर पर) ग़ल्ले की
 बन्दिश कर दी गई, सो (इस सूरत में ज़रूरी है कि) आप हमारे भाई (बिनयामीन) को हमारे साथ
 भेज दीजिये ताकि (दोबारा ग़ल्ला लाने से जो बात रुकावट है वह ख़त्म हो जाये और) हम
 (फिर) ग़ल्ला ला सकें। और (अगर इनके भेजने से आपको कोई अन्देशा ही रुकावट है तो
 उसके बारे में यह अर्ज़ है कि) हम इनकी पूरी हिफ़ाज़त रखेंगे। याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने
 फरमाया कि बस (रहने दो) मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसा ही एतिबार करता हूँ जैसा इससे
 पहले इसके भाई (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम) के बारे में तुम्हारा एतिबार कर चुका हूँ (यानी दिल तो
 मेरा गवाही देता नहीं कि मगर तुम कहते हो कि बिना इसके गये आईन्दा ग़ल्ला न मिलेगा, और
 आदतन जिन्दगी का मदार ग़ल्ले ही पर है और जान बचाना फ़र्ज़ है) सो (ख़ैर अगर ले ही
 जाओगे तो) अल्लाह (के सुपुर्द, वही) सबसे बढ़कर निगहबान है (मेरी निगहबानी से क्या होता

है) और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है (मेरी मुहब्बत और शफ़क़त से क्या होता है)।

और (इस गुफ़्तगू के बाद) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो (उसमें) उनको उनकी जमा-पूँजी (भी) मिली कि उन्हीं को वापस कर दी गई। कहने लगे कि ऐ अब्बा! (लीजिये) और हमको क्या चाहिए, यह हमारी जमा-पूँजी भी तो हम ही को लौटा दी गई है (ऐसा करीम बादशाह, और इससे ज़्यादा किस इनायत का इन्तिज़ार करें, यह इनायत काफी है, इसका तफ़ाज़ा भी यही है कि ऐसे करीम बादशाह के पास फिर जायें और वह निर्भर है भाई के साथ ले जाने पर, इसलिये इजाज़त ही दे दीजिये इनको साथ ले जायेंगे) और अपने घर वालों के वास्ते (और) रसद लाएँगे और अपने भाई की ख़ूब हिफ़ाज़त रखेंगे, और एक ऊँट का बोझ ग़ल्ला और ज़्यादा लाएँगे (क्योंकि जिस कद्र इस वक़्त लाये हैं) यह तो थोड़ा-सा ग़ल्ला है (जल्दी ख़त्म हो जायेगा फिर और ज़रूरत होगी और उसका मिलना मौकूफ़ है इनके लेजाने पर)।

याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (ख़ैर इस हालत में भेजने से इनकार नहीं लेकिन) उस वक़्त तक हरगिज़ इसको तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक कि अल्लाह की क़सम खाकर मुझको पक्का कौल न दोगे कि तुम इसको ज़रूर ले ही आओगे, हाँ अगर कहीं धिर ही जाओ तो मजबूरी है। (चुनाँचे सब ने इस पर क़सम खा ली) सो जब वे क़सम खाकर अपने बाप को कौल दे चुके तो उन्होंने फ़रमाया कि हम लोग जो कुछ बातचीत कर रहे हैं यह सब अल्लाह ही के हवाले है (यानी वही हमारे कौल व इकरार का गवाह है कि सुन रहा है और वही इस कौल को पूरा कर सकता है, पर इस कहने से दो गर्ज़ हुई- अव्वल उनको अपने कौल के ख़्याल रखने का ध्यान रखने की ताकीद और तंबीह कि अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर समझने से यह बात होती है, और दूसरे इस तदबीर को पूरा करने वाला तफ़दीर को करार देना जो कि तवक्कुल का हासिल है, और इसके बाद बिनयामीन को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। गर्ज़ कि दोबारा मिस्र के सफ़र को मय बिनयामीन के सब तैयार हो गये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में बाकि हिस्सा इस तरह बयान हुआ है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से ग़ल्ला लेकर वापस घर आये तो मिस्र के मामले का तज़क़िरा वालिद माजिद से करते हुए यह भी बतलाया कि अज़ीज़े मिस्र ने आईन्दा के लिये हमें ग़ल्ला देने के लिये यह शर्त रख दी है कि अपने छोटे भाई को साथ लाओगे तो मिलेगा वरना नहीं, इसलिये आप आईन्दा बिनयामीन को भी हमारे साथ भेज दें ताकि हमें आईन्दा भी ग़ल्ला मिल सके, और हम इस भाई की तो पूरी हिफ़ाज़त करने वाले हैं इनको किसी किस्म की तकलीफ़ न होगी।

वालिद माजिद ने फ़रमाया कि क्या इनके बारे में तुम पर ऐसा ही इत्मीनान करूँ जैसा इससे पहले इनके भाई यूसुफ़ के बारे में किया था? मतलब ज़ाहिर है कि अब तुम्हारी बात का एतिबार क्या है, एक मर्तबा तुम पर इत्मीनान करके मुसीबत उठा चुका हूँ, तुमने यही अलफ़ाज़ हिफ़ाज़त करने के उस वक़्त भी बोले थे।

यह तो उनकी बात का जवाब था मगर फिर खानदान की ज़रूरत को देखते हुए पैगम्बराना तबक्कुल और इस हकीकत को असल करार दिया कि कोई नफ़ा नुक़सान किसी बन्दे के हाथ में नहीं जब तक अल्लाह तआला ही की मर्ज़ी व इरादा न हो, और जब उनका इरादा हो जाये तो फिर उसको कोई टाल नहीं सकता, इसलिये मख़बूक पर भरोसा भी ग़लत है और उनकी शिकायत पर मामले का मदार रखना भी मुनासिब नहीं है। इसलिये फ़रमाया:

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا

यानी तुम्हारी हिफ़ाज़त का नतीजा तो पहले देख चुका हूँ अब तो मैं अल्लाह तआला ही की हिफ़ाज़त पर भरोसा करता हूँ।

وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ

और वह सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला है। उसी से उम्मीद है कि वह मेरी ज़ईफ़ी (बुढ़ापे व कमज़ोरी) और मौजूदा ग़म व परेशानी पर नज़र फ़रमाकर मुझ पर दोहरे सदमे न डालेगा।

खुलासा यह है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जाहिरी हालात और अपनी औलाद के अहद व पैमान पर भरोसा न किया मगर अल्लाह तआला के भरोसे पर छोटे बेटे को भी साथ भेजने के लिये तैयार हो गये।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَحَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوْا يَاۤاَبَانَا مَا نَبِغِيْ هٰذِهِۦ بِضَاعَتَاۤرَدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلِنَا وَ

نَحْفَظُ اٰخَانًا وَنَزَدًا ذٰكِيْلٌ يَّعِيْرُ. ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّبْسِيْرٌ

यानी अब तक तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों की यह प्रारम्भिक गुफ़्तगू सफ़र के हालात बयान करने के दौरान में हो रही थी, अभी सामान खोला न था, इसके बाद जब सामान खोला और देखा कि उनकी वह पूँजी जो ग़ल्ले की कीमत में अदा करके आये थे, वह भी सामान के अन्दर मौजूद है, तो उस वक़्त उन्होंने यह महसूस किया कि यह काम भूल से नहीं बल्कि जान-बूझकर हमारी पूँजी हमें वापस कर दी गई है। इसी लिये 'रुददत् इलैना' कहा, यानी यह पूँजी हमें वापस कर दी गई है। और फिर वालिद मोहरतरम से अर्ज़ किया 'मा नब्ज़ी' यानी हमें और क्या चाहिये कि ग़ल्ला भी आ गया और उसकी कीमत भी वापस मिल गई। अब तो हमें ज़रूर दोबारा अपने भाई को साथ लेकर इत्मीनान से जाना चाहिये, क्योंकि इस मामले से मालूम हुआ कि अज़ीज़े मिस्र हम पर बहुत मेहरबान है, इसलिये कोई अन्देशा नहीं, हम अपने खानदान के लिये ग़ल्ला लायें और भाई को भी हिफ़ाज़त से रखें, और भाई के हिस्से का ग़ल्ला अतिरिक्त मिल जाये, क्योंकि हम जो लाये हैं यह तो हमारे खर्च के मुक़ाबले में बहुत थोड़ा है, चन्द दिन में ख़त्म हो जायेगा।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने जो यह जुमला 'मा नब्ज़ी' कहा इसका एक मफ़हूम तो वही है जो अभी बतलाया गया कि हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिये, और इस जुमले में हर्फ़ 'मा' को नफ़ी के मायने में लिया जाये तो यह मतलब भी हो सकता है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने अपने वालिद से अर्ज़ किया कि अब तो हमारे पास ग़ल्ला लाने के लिये कीमत

मौजूद है, हम आपसे कुछ नहीं माँगते, आप सिर्फ़ भाई को हमारे साथ भेज दें।

वालिद साहिब ने ये सब बातें सुनकर जवाब दिया:

لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَنَا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَنَا تَنْصِي بِهِ

“यानी मैं बिनयामीन को तुम्हारे साथ उस वक़्त तक न भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह की कसम और यह अ़हद व पैमान मुझे न दे दो कि तुम इसको ज़रूर अपने साथ वापस लाओगे।” मगर चूँकि हकीकत को देखने वाली नज़रों से यह बात किसी वक़्त ग़ायब नहीं होती कि इनसान बेचारा ज़ाहिरी क़ुव्वत व क़ुदरत कितनी ही रखता हो फिर भी हर चीज़ में मजबूर और हक़ तज़ाला की क़ुदरत के सामने आज़िज़ है, वह किसी शख्स को हिफ़ाज़त के साथ वापस लाने का अ़हद व पैमान ही क्या कर सकता है, क्योंकि वह इस पर मुकम्मल क़ुदरत नहीं रखता। इसलिये इस अ़हद व पैमान के साथ एक सूत्र इससे अलग भी रखी:

إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ

यानी सिवाय उस सूत्र के कि तुम सब किसी घेरे में आ जाओ। इमामे तफ़्सीर मुजाहिद रह. ने इसका मतलब यह बयान किया कि तुम सब हलाक हो जाओ, और क़तादा रह. ने फ़रमाया कि मतलब यह है कि तुम बिल्कुल आज़िज़ और मग़लूब हो जाओ।

لَلَّمَّا آتَوْهُ مُوثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

यानी जब बेटों ने मतलूबा तरीक़े पर अ़हद व पैमान कर लिया यानी सब ने क़समें खाई और वालिद को इत्मीनान दिलाने के लिये बड़ी सख़्ती से हलफ़ किये, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बिनयामीन की हिफ़ाज़त के लिये हलफ़ देने और हलफ़ उठाने का जो काम हम कर रहे हैं इस सारे मामले का भरोसा अल्लाह तज़ाला ही पर है, उसी की तौफ़ीक़ से कोई किसी की हिफ़ाज़त कर सकता और अपने अ़हद को पूरा कर सकता है, वरना इनसान बेबस है उसके ज़ाती क़ब्ज़ा-ए-क़ुदरत में कुछ नहीं।

हिदायात व मसाईल

उक्त आयतों में इनसान के लिये बहुत-सी हिदायतें और अहकाम हैं उनको याद रखिये:

औलाद से गुनाह व ख़ता हो जाये तो ताल्लुक़ तोड़ने

के बजाय उनके सुधार की फ़िक्र करनी चाहिये

पहली हिदायत: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों से जो ख़ता इससे पहले हुई वह बहुत-से बड़े और सख़्त गुनाहों को शामिल थी, जैसे:

अव्वल: झूठ बोलकर वालिद को इस पर तैयार करना कि वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ तफ़रीह के लिये भेज दें।

दूसरे: वालिद से अहद करके उसकी खिलाफ़वर्जी (यानी उल्लंघन करना)।

तीसरे: छोटे मासूम भाई से बेरहमी और हिंसा व ज्यादती का बर्ताव करना।

चौथे: ज़ईफ़ वालिद को हद से ज्यादा तकलीफ़ पहुँचाने की परवाह न करना।

पाँचवे: एक बेगुनाह इनसान को क़त्ल करने की योजना बनाना।

छठे: एक आज्ञाद इनसान को ज़बरदस्ती और ज़ुल्म से फ़रोख़्त कर देना।

ये ऐसे इन्तिहाई और सख़्त जुर्म थे कि जब याक़ूब अलैहिस्सलाम पर वाज़ेह हो गया कि इन्होंने झूठ बोला है और जान-बूझकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाया किया है तो इसका तकाज़ा बज़ाहिर तो यह था कि वह इन बेटों से ताल्लुक़ तोड़ लेते या इनको निकाल देते, मगर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे बदस्तूर वालिद की ख़िदमत में रहे यहाँ तक कि उन्हीं को मिस्र से गुल्ला लाने के लिये भेजा, और इस पर मज़ीद यह कि दोबारा फिर उनको छोटे भाई के मुताल्लिक़ वालिद से दरख़्वास्त करने का मौक़ा मिला और आख़िरकार उनकी बात मानकर छोटे बेटे को भी उनके हवाले कर दिया।

इससे मालूम हुआ कि औलाद से कोई गुनाह व ख़ता हो जाये तो बाप को चाहिये कि तरबियत करके उनकी इस्लाह (सुधारने) की फ़िक्र करे और जब तक इस्लाह की उम्मीद हो ताल्लुक़ ख़त्म न करे, जैसा कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और आख़िरकार वे सब अपनी ख़ताओं पर शर्मिन्दा और गुनाहों से तौबा करने वाले हुए। हँ अगर इस्लाह से मायूसी हो जाये और उनके साथ ताल्लुक़ कायम रखने में दूसरों के दीन का नुक़सान महसूस हो तो फिर ताल्लुक़ तोड़ लेना ज्यादा मुनासिब है।

दूसरी हिदायत उस अच्छे बर्ताव और अच्छे अख़लाक़ की है जो यहाँ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर हुआ, कि बेटों के इतने सख़्त और बड़े अपराधों के बावजूद उनका मामला ऐसा रहा कि दोबारा छोटे भाई को साथ लेजाने की दरख़्वास्त करने की ज़रत कर सके।

तीसरी हिदायत यह भी है कि ऐसी सूरत में इस्लाह करने की गुज़ से ख़ताकार को जतला देना भी मुनासिब है कि तुम्हारे मामले का तकाज़ा तो यह था कि तुम्हारी बात न मानी जाती मगर हम उससे माफ़ी देते हैं ताकि वह आईन्दा शर्मिन्दा होकर उससे पूरी तरह तौबा करने वाला हो जाये जैसा कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने पहले जतलाया कि क्या बिनयामीन के मामले में भी तुम पर ऐसा ही इल्मीनान कर लूँ जैसा यूसुफ़ के मामले में किया था? मगर जतलाने के बाद हालात को देखने से उनका तौबा करने वाला होना मालूम करके अल्लाह तआला पर तवक्कुल (भरोसा) किया और छोटे बेटे को उनके हवाले कर दिया।

चौथी हिदायत यह है कि किसी इनसान के वायदे और हिफ़ाज़त पर असली तौर से भरोसा करना ग़लती है, असल भरोसा सिर्फ़ अल्लाह तआला पर होना चाहिये, वही वास्तविक तौर पर कारसाज़ और तमाम असबाब को बनाने वाला है, असबाब को मुहैया करना फिर उनमें तासीर पैदा करना सब अल्लाह की क़ुदरत में है, इसी लिये याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَفِظًا

(कि अल्लाह ही है सबसे बढ़कर सिंगहबान) हज़रत कअब अहबार का कौल है कि इस मर्तबा चूँकि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ औलाद के कहने पर भरोसा नहीं किया बल्कि मामले को अल्लाह तआला के सुपुर्द किया इसलिये अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि क़सम है मेरी इज़्ज़त व जलाल की कि अब मैं आपके दोनों बेटों को आपके पास वापस भेजूँगा।

पाँचवाँ मसला इसमें यह है कि अगर दूसरे शख्स का माल या कोई चीज़ अपने सामान में निकले और अन्दाज़े व इशारे इस पर गवाह हों कि उसने जान-बूझकर हमें देने ही के लिये हमारे सामान में बाँध दिया है तो उसको अपने लिये रखना और उसका इस्तेमाल व खर्च करना जायज़ है। जैसे यह पूँजी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के सामान से बरामद हुई और प्रबल इशारों और अन्दाज़ों से स्पष्ट रूप से यह मालूम हुआ कि किसी भूल या धोखे से ऐसा नहीं हुआ बल्कि इरादे से इसको वापस दे दिया गया है, इसलिये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उस रक़म की वापसी की हिदायत नहीं फ़रमाई, लेकिन जहाँ यह सदेह व गुमान मौजूद हो कि शायद भूले से हमारे पास आ गई वहाँ मालिक से तहकीक़ और मालूम किये बग़ैर उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं।

छठा मसला इसमें यह है कि किसी शख्स को ऐसी क़सम नहीं देनी चाहिये जिसका पूरा करना बिल्कुल उसके क़ब्ज़े में न हो, जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बिनयामीन को सही व सालिम वापस लाने की क़सम दी तो इसमें से उस हालत को अलग रखा कि वे बिल्कुल आज़िज़ व मजबूर हो जायें या खुद भी सब हलाकत में पड़ जायें।

इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से अपनी इताअत (पैरवी व फ़रमाँबरदारी) का अहद लिया तो खुद उसमें ताक़त व गुंजाईश की क़ैद लगा दी, यानी जहाँ तक हमारी कुदरत व गुंजाईश में दाख़िल है हम आपकी पूरी इताअत करेंगे।

सातवाँ मसला इसमें यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों से अहद व पैमान लेना कि वे बिनयामीन को वापस लायेंगे, इससे मालूम होता है कि किफ़ालत बिनफ़स जायज़ है, यानी किसी मुक़द्दमे में पकड़े गये इनसान को मुक़द्दमे की तारीख़ पर हाज़िर करने की ज़मानत कर लेना दुरुस्त है।

इस मसले में इमाम मालिक रह. का इख़िताफ़ (मतभेद) है, वह सिर्फ़ माली ज़मानत को जायज़ रखते हैं, इनसानी नफ़्स (जान) की ज़मानत को जायज़ नहीं रखते।

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ
وَمَا اغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي
نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدَأُوْعَلِمٌ لِّمَآ عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا

عَلَىٰ يُوْسُفَ اَوْسَىٰ اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِمْ بِنَا كَاِنَّا يَعْـمَلُوْنَ ۝

व का-ल या बनिय-य ला तदख्लू
मिम्बाबिं-वाहिदिं-वदख्लू मिन्
अब्बाबिम् मु-तफरि-कतिन्, व मा
उग्नी अन्कुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन्,
इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अलैहि
तवक्कल्लु व अलैहि फल्य-तवक्कलिल्ल-
मु-तवक्कलून (67) व लम्मा द-ख्लू
मिन् हैसु अ-म-रहुम् अबूहुम्, मा
का-न युग्नी अन्हुम् मिनल्लाहि मिन्
शैइन् इल्ला हा-जतन् फी नफिस
यज़्कू-ब कज़ाहा, व इन्नहू लज़ू
अिल्मि-लिमा अल्लम्नाहु व
लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला
यज़्मलून (68) ●

व लम्मा द-ख्लू अला यूसु-फ आवा
इलैहि अखाहु का-ल इन्नी अ-न
अख्लू-क फला तब्तइस् बिमा कानू
यज़्मलून (69)

और कहा ऐ बेटो! न दाखिल होना एक
दरवाजे से, और दाखिल होना कई
दरवाजों से अलग-अलग, और मैं नहीं
बचा सकता तुमको अल्लाह की किसी
बात से, हुक्म किसी का नहीं सिवाय
अल्लाह के, उसी पर मुझको भरोसा है
और उसी पर भरोसा करना चाहिये भरोसा
करने वालों को। (67) और जब दाखिल
हुए जहाँ से कहा था उनके बाप ने, कुछ
नहीं बचा सकता था उनको अल्लाह की
किसी बात से मगर एक इच्छा थी याकूब
के जी में सो पूरी कर चुका, और वह तो
छाबरदार था जो कुछ हमने सिखाया
उसको लेकिन बहुत लोगों को छाबर
नहीं। (68) ●

और जब दाखिल हुए यूसुफ के पास
अपने पास रखा अपने भाई को, बेशक मैं
हूँ तेरा भाई, सो गुमगीन मत हो उन
कामों से जो उन्होंने किये हैं। (69)

खुलासा-ए-तफसीर

और (चलते वक़्त) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (उनसे) फरमाया कि ऐ मेरे बेटो! (जब मिस्र
में पहुँचो तो) सब-के-सब एक ही दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग-अलग दरवाजों से जाना,
और (यह महज़ एक जाहिरी तदबीर है बुरी नज़र वगैरह के असरात से बचने की, बाकी) मैं खुदा
के हुक्म को तुम पर से टाल नहीं सकता। हुक्म तो बस अल्लाह ही का (चलता) है, (बावजूद
इस जाहिरी तदबीर के दिल से) उसी पर भरोसा रखता हूँ और भरोसा करने वालों को उसी पर
भरोसा करना चाहिए (यानी तुम भी उसी पर भरोसा रखना, तदबीर पर नज़र मत करना। गुर्ज़

कि सब रुख़सत होकर चले) और जब (मिस्र पहुँचकर) जिस तरह उनके बाप ने कहा था (उसी तरह शहर के) अन्दर दाख़िल हुए तो बाप का अरमान पूरा हो गया, (बाकी) उनके बाप को (यह तदबीर बतलाकर) उनसे खुदा का हुक्म टालना मकसूद न था (ताकि उन पर किसी किस्म का एतिराज़ या इस तदबीर के लाभदायक न होने से उन पर शुब्हा लाज़िम आये, चुनाँचे खुद उन्होंने ही फ़रमा दिया था 'मा उगनी अन्कुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन्।

लेकिन याक़ूब (अलैहिस्सलाम) के जी में (तदबीर के दर्जे में) एक अरमान (आया) था जिसको उन्होंने ज़ाहिर कर दिया, और वह बेशक बड़े आलिम थे, इस वजह से कि हमने उनको इल्म दिया था (और वह इल्म के खिलाफ़ तदबीर को एतिकादी तौर पर असल प्रभावी कब समझ सकते थे, सिर्फ़ उनके इस कौल की वजह से वही अमली तौर पर एक तदबीर का इख़्तियार करना था जो कि जायज़ व पसन्दीदा है) लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते (बल्कि जहालत के सबब तदबीर को असल प्रभावी एतिकाद कर लेते हैं)।

और जब ये लोग (यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे (और बिनयामीन को पेश करके कहा कि हम आपके हुक्म के मुताबिक़ इनको लाये हैं) तो उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया (और तन्हाई में उनसे) कहा कि मैं तेरा भाई (यूसुफ़) हूँ, सो ये लोग जो कुछ (बद-सुलूकी) करते रहे हैं उसका रंज मत करना (क्योंकि अब तो अल्लाह ने हमको मिला दिया, अब सब गुम भुला देना चाहिये। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बदसुलूकी तो ज़ाहिर और मशहूर है, रहा बिनयामीन के साथ सो या तो उनको भी कुछ तकलीफ़ दी हो वरना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई क्या उनके हक़ में कुछ कम तकलीफ़ थी। फिर दोनों भाईयों ने मश्विरा किया कि कोई ऐसी सूरत हो कि बिनयामीन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास रहें, क्योंकि वैसे रहने में तो और भाईयों का अहद व क़सम खाने के सबब इसरार होगा, बिना वजह का झगड़ा होगा, और फिर वजह भी ज़ाहिर हो गई तो राज़ खुला, और अगर गुप्त रही तो याक़ूब अलैहिस्सलाम का रंज बढ़ेगा कि बिना सबब बिनयामीन को क्यों रोक लिया गया, या वह खुद क्यों रहे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तदबीर तो है मगर ज़रा तुम्हारी बदनामी है, बिनयामीन ने कहा कुछ परवाह नहीं। गर्ज़ कि उनमें यह बात तय पा गयी और उधर सब को ग़ल्ला देकर उनके रुख़सत करने का सामान दुरुस्त किया गया)।

मअरिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयतों में भाईयों का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई को साथ लेकर दूसरी मर्तबा मिस्र के सफ़र का ज़िक्र है। उस वक़्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको मिस्र शहर में दाख़िल होने के लिये एक खास हिदायत यह फ़रमाई कि अब तुम ग्यारह भाई वहाँ जा रहे हो, तो शहर के एक ही दरवाज़े से सब दाख़िल न होना बल्कि शहरे-पनाह के पास पहुँचकर अलग-अलग हो जाना और शहर के अलग-अलग दरवाज़ों से दाख़िल होना।

सबब इस हिदायत का यह अन्देश था कि ये सब माशा-अल्लाह नौजवान, सेहतमन्द,

कहायर, हसीन व खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऐसा न हो कि जब लोगों को यह मालूम हो कि ये सब एक ही बाप की औलाद और भाई-भाई हैं तो किसी बुरी नज़र वाले की नज़र लग जाये, जिससे इनको कोई तकलीफ पहुँचे, या सामूहिक तौर से दाखिल होने की वजह से कुछ लोग हसद करने (जलने) लगें और तकलीफ पहुँचायें।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको यह वसीयत पहली मर्तबा नहीं की, इस दूसरे सफ़र के मौके पर फ़रमाई। इसकी वजह ग़ालिबन यह है कि पहली मर्तबा तो ये लोग मिस्र में मुसाफ़िरी की और शिकस्ता हालत में दाखिल हुए थे, न कोई इनको पहचानता था न किसी से इनके हाल पर ज़्यादा तवज्जोह देने का ख़तरा था, मगर पहले ही सफ़र में मिस्र के बादशाह ने इनका असाधारण सम्मान किया जिससे हुकूमत के आ़म कारिन्दों और शहर के लोगों में परिचय हो गया तो अब यह ख़तरा प्रबल हो गया कि किसी की नज़र लग जाये, या सब को एक शान व शौकत वाली जमाअत समझकर कुछ लोग हसद करने लगें, और इस मर्तबा बिनयामीन छोटे बेटे का साथ होना भी वालिद के लिये और ज़्यादा तवज्जोह देने का सबब हुआ।

बुरी नज़र का असर होना हक़ है

इससे मालूम हुआ कि इनसान की नज़र लग जाना और उससे किसी दूसरे इनसान या जानवर वगैरह को तकलीफ़ हो जाना या नुक़सान पहुँच जाना हक़ (सही और वास्तविक) है, महज़ जाहिलाना वहम व ख़्याल नहीं। इसी लिये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इसकी फ़िक्र हुई। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी इसकी तस्दीक़ फ़रमाई है। एक हदीस में है कि बुरी नज़र एक इनसान को क़ब्र में और ऊँट को हण्डिया में दाख़िल कर देती है, इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह माँगी और उम्मत को पनाह माँगने की तालीम व हिदायत फ़रमाई है उनमें 'मिनु कुल्लि अैनिल्-लामतिनु' भी मज़कूर है, यानी मैं पनाह माँगता हूँ बुरी नज़र से। (तफ़सीरे क़ुर्तबी)

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सहल बिन हुनैफ़ का वाकिआ मशहूर है कि उन्होंने एक मौके पर नहाने के लिये कपड़े उतारे तो उनके सफ़ेद रंग तन्दुरुस्त बदन पर आ़मिर बिन रबीआ की नज़र पड़ गई और उनकी ज़बान से निकला कि मैंने तो आज तक इतना हसीन बदन किसी का नहीं देखा, यह कहना था कि फ़ौरन सहल बिन हुनैफ़ को तेज़ बुख़ार चढ़ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इसकी इत्तिला हुई तो आपने यह इलाज तजवीज़ किया कि आ़मिर बिन रबीआ को हुक्म दिया कि वह वुजू करें और वुजू का पानी किसी बरतन में जमा करें, यह पानी सहल बिन हुनैफ़ के बदन पर डाला जाये, ऐसा ही किया गया तो फ़ौरन बुख़ार उतर गया और वह बिल्कुल तन्दुरुस्त होकर जिस मुहिम पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ जा रहे थे उस पर रवाना हो गये। इस वाकिए में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आ़मिर बिन रबीआ को यह तंबीह भी फ़रमाई:

علام يقتل احدكم اخاه الا بركة ان العین حق

“कोई शख्स अपने भाई को क्यों क़त्ल करता है? तुमने ऐसा क्यों न किया कि जब उनका बदन तुम्हें अच्छा नज़र आया तो बरकत की दुआ कर लेते, नज़र का असर हो जाना हक़ है।”

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि जब किसी शख्स को किसी दूसरे की जान व माल में कोई अच्छी बात ताज़ुब में डालने वाली नज़र आये तो उसको चाहिये कि उसके वास्ते यह दुआ करे कि अल्लाह तआला उसमें बरकत अता फ़रमा दें। कुछ रिवायतों में है कि:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

माशा-अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह

कहे। इससे बुरी नज़र का असर जाता रहता है। और यह भी मालूम हुआ कि किसी की बुरी नज़र किसी को लग जाये तो नज़र लगाने वाले के हाथ-पाँव और चेहरे का धुलने वाला पानी उसके बदन पर डालना बुरी नज़र के असर को दूर कर देता है।

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि उम्मत के तमाम उलेमा-ए-अहले सुन्नत वल्-जमाअत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि बुरी नज़र लग जाना और उससे नुक़सान पहुँच जाना हक़ है।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने एक तरफ़ तो बुरी नज़र या हसद (दूसरों के जलने) के अन्देज़े से औलाद को यह वसीयत फ़रमाई कि सब मिलकर एक दरवाज़े से शहर में दाख़िल न हों, दूसरी तरफ़ एक हकीक़त का इज़हार भी ज़रूरी समझा जिससे ग़फ़लत की बिना पर ऐसे मामलों में बहुत-से अ़दाम जाहिलाना ख़्यालात और वहमों के शिकार हो जाते हैं, वह यह कि बुरी नज़र की तासीर (प्रभाव) किसी इनसान के जान व माल में एक किस्म का मिस्मरेज़म है और वह ऐसा ही है जैसे नुक़सानदेह दवा या ग़िज़ा इनसान को बीमार कर देती है, गर्मी-सर्दी की शिद्दत से रोग पैदा हो जाते हैं, इसी तरह बुरी नज़र या मिस्मरेज़म के तसरूफ़ात भी उन्हीं अ़दी असबाब में से हैं कि नज़र या ख़्याल की कुव्वत से उसके आसार जाहिर हो जाते हैं, उनमें खुद कोई वास्तविक तासीर नहीं होती बल्कि सब असबाब अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत और चाहत व इरादे के ताबे हैं, अल्लाह की तक़दीर के मुक़ाबले में न कोई मुफ़ीद तदबीर मुफ़ीद हो सकती है न नुक़सान देने वाली तदबीर का नुक़सान असर डालने वाला हो सकता है। इसलिये इरशाद फ़रमाया:

وَمَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

यानी बुरी नज़र से बचने की जो तदबीर मैंने बतलाई है मैं जानता हूँ कि वह अल्लाह तआला की मर्ज़ी व इरादे को नहीं टाल सकती, हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही का चलता है, अलबत्ता इनसान को ज़ाहिरी तदबीर करने का हुक्म है, इसलिये यह वसीयत की गई। मगर मेरा भरोसा इस तदबीर पर नहीं बल्कि अल्लाह ही पर है और हर शख्स को यही लाज़िम है कि उसी पर एतिमाद और भरोसा करे, ज़ाहिरी और माही तदबीरों पर भरोसा न करे।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जिस हकीक़त का इज़हार फ़रमाया इत्तिफ़ाक़न हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उस सफ़र में बिनयामीन को हिफ़ाज़त के साथ वापस लाने की सारी तदबीरें

मुकम्मल कर लेने के बावजूद सब चीज़ें नाकाम रह गईं, और बिनयामीन को मिस्र में रोक लिया गया, जिसके नतीजे में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को एक दूसरा सख्त सदमा पहुँचा, उनकी तदबीर का नाकाम होना जो अगली आयत में बयान हुआ है उसका मक़सद यही है कि असल मक़सद के लिहाज़ से तदबीर नाकाम हो गई अगरचे बुरी नज़र या हसद (दूसरों के जलने) वगैरह से बचने की तदबीर कामयाब हुई। क्योंकि इस सफ़र में ऐसा वाकिआ पेश नहीं आया मगर अल्लाह की तकदीर से जो हादसा पेश आने वाला था उस तरफ़ याक़ूब अलैहिस्सलाम की नज़र नहीं गई, और न उसके लिये कोई तदबीर कर सके, मगर इस ज़ाहिरी नाकामी के बावजूद उनके तवक्कुल की बरकत से यह दूसरा सदमा पहले सदमे का भी इलाज साबित हुआ, और अंततः बड़ी आफ़ियत व इज़्जत के साथ यूसुफ़ और बिनयामीन दोनों से मुलाक़ात नसीब हुई।

इसी मज़मून का बयान इसके बाद की आयत में इस तरह आया कि बेटों ने वालिद के हुक़्म की तामील की, शहर के अलग-अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाख़िल हुए तो बाप का अरमान पूरा हो गया। उनकी यह तदबीर अल्लाह के किसी हुक़्म को टाल न सकती थी मगर याक़ूब अलैहिस्सलाम की एक बाप होने की शफ़क़त व मुहब्बत का तकाज़ा था जो उन्होंने पूरा कर लिया।

इस आयत के आख़िर में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ इन अलफ़ाज़ में की गई है:

وَأَنذَرْتَهُ لَدُّ وَعَلِمَ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

यानी याक़ूब अलैहिस्सलाम बड़े इल्म वाले थे, क्योंकि उनको हमने इल्म दिया था। मतलब यह है कि आम लोगों की तरह उनका इल्म किताबी और हासिल किया हुआ नहीं बल्कि बिना वास्ते के अल्लाह तआला का बख़्शा हुआ और उसकी अता था, इसी लिये उन्होंने ज़ाहिरी तदबीर जो शरई तौर पर जायज़ और अच्छी है वह तो कर ली मगर उस पर भरोसा नहीं किया, मगर बहुत से लोग इस बात की हकीक़त को नहीं जानते और नावाक़िफ़ियत (अज्ञानता) से याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे शुब्हात में मुब्तला हो जाते हैं कि ये तदबीरों पैग़म्बर की शान के लायक़ न थीं।

कुरआने पाक के कुछ व्याख्यापकों (मुफ़स्सिरिन) ने फ़रमाया कि पहले लफ़्ज़े इल्म से मुराद इल्म के तकाज़े पर अमल करना है, और मतलब यह है कि हमने जो इल्म उनको अता किया वह उस पर आमिल और उसके पाबन्द थे, इसी लिये ज़ाहिरी तदबीरों पर भरोसा नहीं फ़रमाया बल्कि एतिमाद और भरोसा सिर्फ़ अल्लाह तआला ही पर फ़रमाया:

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

यानी जब मिस्र शहर पहुँचने के बाद ये सब भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हुए और इन्होंने देखा कि ये वायदे के मुताबिक़ उनके सगे भाई को भी साथ ले आये हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिनयामीन को खास अपने साथ ठहराया। इमामे तफ़सीर क़तादा रह. ने फ़रमाया कि उन सब भाईयों के ठहरने का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह इन्तिज़ाम

फ़रमाया था कि दो-दो को एक कमरे में ठहराया तो बिनयामीन अकेले रह गये, उनको अपने साथ ठहरने के लिये फ़रमाया। जब तन्हई का मौका आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई पर राज़ खोल दिया और बतला दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ अब तुम कोई फ़िक्र न करो और जो कुछ इन भाईयों ने अब तक किया है उससे परेशान न हो।

अहकाम व मसाईल

ऊपर बयान हुई दो आयतों से चन्द मसाईल और अहकाम मालूम हुए:

अव्वल यह कि बुरी नज़र का लग जाना हक़ है, उससे बचने की तदबीर करना उसी तरह जायज़ व पसन्दीदा है जिस तरह नुक़सानदेह ग़िज़ाओं और कामों से बचने की तदबीर करना।

दूसरे यह कि लोगों के हसद (जलने) से बचने के लिये अपनी मख़सूस नेमतों और कमालात का लोगों से छुपाना दुरुस्त है।

तीसरे यह कि नुक़सानदेह आसार से बचने के लिये ज़ाहिरी और माही तदबीरें करना तवक्कुल और नबियों की शान के खिलाफ़ नहीं।

चौथे यह कि जब एक शख़्स को किसी दूसरे शख़्स के बारे में किसी तकलीफ़ के पहुँच जाने का अन्देशा हो तो बेहतर यह है कि उसको आगाह कर दे, और अन्देशे से बचने की मुम्किन तदबीर बतला दे, जैसे याक़ूब अलैहिस्सलाम ने किया।

पाँचवे यह कि जब किसी शख़्स को दूसरे शख़्स का कोई कमाल (ख़ूबी व हुनर) या नेमत ताज्जुब में डालने वाला मालूम हो और ख़तरा हो कि उसको बुरी नज़र लग जायेगी तो उस पर वाजिब है कि उसको देखकर 'बारकल्लाह' या 'माशा-अल्लाह' कह ले, ताकि दूसरे को कोई तकलीफ़ न पहुँचे।

छठे यह कि बुरी नज़र से बचने के लिये हर मुम्किन तदबीर करना जायज़ है, उनमें से एक यह भी है कि किसी दुआ और तावीज़ वगैरह से इलाज किया जाये जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के दो लड़कों को कमज़ोर देखकर इसकी इजाज़त दी कि तावीज़ वगैरह के ज़रिये इनका इलाज किया जाये।

सातवें यह कि अक्लमन्द मुसलमान का काम यह है कि हर काम में असल भरोसा तो अल्लाह तआला पर रखे मगर ज़ाहिरी और माही असबाब को भी नज़र-अन्दाज़ न करे, जिस क़द्र जायज़ असबाब (साधन और तरीक़े) अपने मक़सद के हासिल करने के लिये उसके इख़्तियार में हों उनको अमल में लाने में कोताही न करे, जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने किया, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी इसकी तालीम फ़रमाई है। मौलाना रूमी रह. ने फ़रमाया: "बर तवक्कुल जानू-ए-उश्टुर ब-बन्द।"

यानी अल्लाह तआला पर भरोसा करो मगर ऊँट के पैर में रस्सी भी बाँध दो। मतलब यह है अपने इख़्तियार में जो तदबीर व कोशिश है उसे भी अमल में लाओ और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मुहम्मद इम्रान कासमी विज्ञानवी

यही पैगम्बराना तवक्कुल और सुन्नते रसूल है।

आठवें यह कि यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को तो बुलाने के लिये भी कोशिश और ताकीद की, और फिर जब वह आ गये तो उन पर अपना राज भी जाहिर कर दिया, मगर वालिदे मोहतरम के न बुलाने की फ़िक्र फ़रमाई और न उनको अपनी ख़ैरियत से बाख़बर करने के लिये कोई क़दम उठाया, इसकी वजह वही है जो पहले बयान की गई है कि इस पूरे चालीस साल के अरसे में बहुत से मौके थे कि वालिद को अपने ह़ाल और ख़ैरियत की इत्तिला दे देते लेकिन यह जो कुछ हुआ वह अल्लाह के हुक्म और तकदीरी फैसले के मुताबिक़ हुआ, अभी तक अल्लाह तआला की तरफ़ से इसकी इजाज़त न मिली होगी कि वालिदे मोहतरम को हालात से बाख़बर किया जाये, क्योंकि अभी उनका एक और इम्तिहान बिनयामीन की जुदाई के ज़रिये भी होने वाला था, उसके पूरा करने ही के लिये ये सब सुरतें पैदा की गईं।

فَلَمَّا جَاهَدَهُمْ بِجَهَادِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي

رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَدْنَىٰ مُؤْوَدُونَ أَبْنَتَهَا الْعَذِيرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ۝ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا اتَّفَقُوا ۝ قَالُوا نَقْدُ صَوْمَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ تَنَاجُؤَنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝ قَالُوا إِنَّا جَزَاءُ ۝ قَالُوا جَزَاءُ ۝ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ قَبْدًا يَا أَوْعِيَهُمْ قَبْلَ وَعَا ۝ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَحْدَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ۝ كَذَلِكَ كَذَّبْنَا لِيُؤْتَفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۝ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

फ-लम्मा जह्ह-ज़हुम् बि-जहाज़िहिम्
ज-अलसिकाय-त फी रह्लि अख़ीहि
सुम्-म अज़ज़-न मुअज़िजनुन्
अव्यतुहल्-अ़ीरु इन्नकुम् लसारिकून्
(70) कालू व अक्बलू अलैहिम् माज़ा
तफ़िकदून् (71) कालू नफ़िकदु
सुवाअल्-मलिकि व लिमन् जा-अ
बिही हिम्लु बअ़ीरिन्-व अ-न बिही

फिर जब तैयार कर दिया उनके वास्ते असबाब उनका, रख दिया पीने का प्याला असबाब में अपने भाई के, फिर पुकारा पुकारने वाले ने ऐ क़फिले वाले! तुम तो यकीनन चोर हो। (70) कहने लगे मुँह करके उनकी तरफ़ तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है? (71) बोले हम नहीं पाते बादशाह का पैमाना, और जो कोई उसको लाये उसको मिले एक बोझ ऊँट का और

जुअीम (72) कालू तल्लाहि ल-कूद्
अलिम्तुम् मा जिअूना लिनुफिस-द
फिल्अर्जि व मा कुन्ना सारिकीन
(73) कालू फमा जज़ाउहू इन्
कुन्तुम् काजिबीन (74) कालू
जज़ाउहू मंवुजि-द फी रस्तिलही
फहु-व जज़ाउहू, कज़ालि-क नज़्जिज़-
जालिमीन (75) फ-ब-द-अ
बिऔज़ि-यतिहिम् कब्-ल विअ-इ
अख्रीहि सुम्मस्तख़-जहा मिंविआ-इ
अख़ीहि, कज़ालि-क किदना
लियूसु-फ, मा का-न लियअख़ु-ज़
अख़ाहु फी दीनिल्-मलिकि इल्ला
अय्यशाअल्लाहु, नरफअु द-रजातिम्
मन्-नशा-उ, व फौ-क कुल्लि जी
अ़िल्मिन् अ़लीम (76)

मैं हूँ उसका ज़मानती। (72) बोले क़सम
अल्लाह की तुमको मालूम है हम शरारत
करने को नहीं आये मुल्क में, और न हम
कमी चोर थे। (73) बोले फिर क्या सज़ा
है उसकी अगर तुम निकले झूठे। (74)
कहने लगे उसकी सज़ा यह है कि जिसके
सामान में से हाथ आये वही उसके
बदले में जाये, हम यही सज़ा देते हैं
ज़ालिमों को। (75) फिर शुरू की यूसुफ़
ने उनकी खुरजियाँ देखनी अपने भाई की
खुरजी से पहले, आख़िर में वह बरतन
निकाला अपने भाई की खुरजी से, यूँ
दाव बताया हमने यूसुफ़ को, वह हरगिज़
न ले सकता था अपने भाई को दीन में
उस बादशाह के, मगर जो चाहे अल्लाह,
हम दर्जे बुलन्द करते हैं जिसके चाहें और
हर जानने वाले से ऊपर है एक जानने
वाला। (76)

खुलासा-ए-तफसीर

फिर जब यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने उनका सामान (गल्ला और रवानगी का) तैयार कर दिया तो (खुद या किसी भरोसेमन्द के ज़रिये) पानी पीने का बरतन (कि वही पैमाना गल्ला देने का भी था) अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर (जब ये लादकर चले तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुक्म से पीछे से) एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ काफ़िले वालो! तुम ज़रूर चोर हो। वे उन (तलाश करने वालों) की तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है (जिसकी चोरी का हम पर शुब्हा हुआ)? उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं मिलता (वह गायब है) और जो शख़्स उसको (लाकर) हाज़िर करे उसको एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला (बतौर इनाम के ख़ज़ाने से) मिलेगा (और या यह मतलब हो कि अगर खुद चोर भी माल दे दे तो भाफ़ी के बाद इनाम पावेगा), और मैं उस (के दिलवाने) का जिम्मेदार हूँ (ग़ालिबन यह पुकार और यह इनाम का वादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुआ होगा)। ये लोग कहने लगे

कि खुदा की कसम तुमको खूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फ़साद फैलाने (जिसमें चोरी भी दाख़िल है) नहीं आये, और हम लोग चोरी करने वाले नहीं (यानी हमारा यह तरीक़ा नहीं है)। उन (हुँडने वाले) लोगों ने कहा अच्छा अगर तुम झूठे निकले (और तुम में से किसी पर चोरी साबित हो गयी) तो उस (चोर) की क्या सज़ा? उन्होंने (याक़ूब अलैहिस्सलाम की शरीअत के मुताबिक़) जवाब दिया कि उसकी सज़ा यह है कि वह जिस शख़्स के सामान में मिले बस वही अपनी सज़ा है (यानी चोरी के बदले में खुद उसकी जात को माल वाला अपना गुलाम बना ले), हम लोग ज़ालिमों (यानी चोरों) को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं (यानी हमारी शरीअत में यही मसला और अमल है)।

(गर्ज़ कि आपस में ये बातें तय होने के बाद सामान उतरवा दिया गया)। फिर (तलाशी के वक़्त) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने (खुद या किसी भरोसेमन्द के जरिये) अपने भाई के (सामान के) धेले से पहले तलाशी की शुरूआत दूसरे भाईयों के (सामान के) धेलों से की, फिर (आख़िर में) उस (बरतन) को अपने भाई के (सामान के) धेले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की खातिर इस तरह (बिनयामीन के रखने की) तदबीर फ़रमाई (वजह इस तदबीर की यह हुई कि) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) अपने भाई को उस (मिस्र के) बादशाह के कानून के एतिबार से नहीं ले सकते थे (क्योंकि उसके कानून में कुछ सज़ा व जुर्माना था जैसा कि तबरानी रूहुल-मआनी में इसकी वज़ाहत है) मगर यह कि अल्लाह ही को मन्ज़ूर था (इसलिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में यह तदबीर आई और उन लोगों के मुँह से यह फ़तवा निकला और इस तरीक़े से तदबीर फ़िट बैठ गई, और चूँकि यह हकीक़त में गुलाम बनाना न था बल्कि बिनयामीन की खुशी से गुलामी की सूत इख़्तियार की थी, इसलिये किसी आज़ाद को गुलाम बनाने का शुब्ह लाज़िम नहीं आया, और अगरचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े आलिम व अक़्लमन्द थे मगर फिर भी हमारे तदबीर सिखाने के मोहताज थे, बल्कि) हम जिसको चाहते हैं (इल्म में) खास दर्जों तक बढ़ा देते हैं, और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है (यानी अल्लाह तआला। जब मख़्लूक का इल्म नाकिस ठहरा और ख़ालिफ़ का इल्म कामिल तो लाज़िमी तौर पर हर मख़्लूक अपने इल्म और तदबीर में मोहताज होगी ख़ालिफ़ की, इसलिये 'किदना' और 'इल्ला अय्यशा-अल्लाहु' कहा गया। हासिल यह है कि जब उनके सामान से वह बरतन बरामद हो गया और बिनयामीन रोक लिये गये तो वे सब बड़े शर्मिन्दा हुए)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इसका बयान है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिनयामीन को अपने पास रोक लेने के लिये यह बहाना और तदबीर इख़्तियार की कि जब सब भाईयों को नियम के अनुसार गुल्ला दिया गया तो हर भाई का गुल्ला एक मुस्तक़िल ऊँट पर अलग-अलग नाम-बनाम लादा गया।

बिनयामीन के लिये जो गुल्ला ऊँट पर लादा गया उसमें एक बरतन छुपा दिया गया, उस

बरतन को कुरआने करीम ने एक जगह "सिकाया" के लफ्ज से और दूसरी जगह "सुवाअल्-मलिकि" के अलफाज से ताबीर किया है। सिकाया के मायने पानी पीने का बरतन और सुवाअ भी इसी तरह के बरतन को कहते हैं। इसको बादशाह की तरफ मन्सूब करने से इतनी बात और मालूम हुई कि यह बरतन कोई खास कीमती और हैसियत रखता था। कुछ रिवायतों में है कि ज़ब्रजद का बना हुआ था। कुछ हज़रत ने सोने का कुछ ने चाँदी का बतलाया है। बहरहाल यह बरतन जो बिनयामीन के सामान में छुपा दिया गया था अच्छा-खासा कीमती बरतन होने के अलावा मिस्र देश से कोई विशेषता भी रखता था, चाहे यह कि वह खुद उसको इस्तेमाल करते थे या यह कि बादशाह ने खुद अपने हुक्म से उस बरतन को गल्ला मापने का पैमाना बना दिया था।

ثُمَّ اِذْ نَادَى الْوَعْرَانِ كُمْ لَسْرِقُوْنَ

"यानी कुछ देर के बाद एक मुनादी करने वाले ने पुकारा कि ऐ काफिले वाले! तुम चोर हो!"

यहाँ लफ्ज 'सुम्-म' से मालूम होता है कि यह मुनादी फौरन ही नहीं की गई बल्कि कुछ मोहलत दी गई, यहाँ तक कि काफिला खाना हो गया, उसके बाद यह मुनादी की गई ताकि किसी को जालसाजी का शुब्हा न हो जाये। बहरहाल! उस मुनादी करने वाले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों को चोर करार दे दिया।

قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ

"यानी यूसुफ के भाई मुनादी करने वालों की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे कि तुम हमें चोर बना रहे हो, यह तो कही कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है।"

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمْن جَاءَ بِهِ حِمْلًا بَعِيرًا اَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"मुनादी करने वालों ने कहा कि बादशाह का सुवाअ यानी बरतन गुम हो गया है और जो शख्स उसको कहीं से बरामद करेगा उसको एक ऊँट भर गल्ला इनाम में मिलेगा, और मैं उसका जिम्मेदार हूँ।"

यहाँ एक सवाल तो यह पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिनयामीन को अपने पास रोकने का यह बहाना क्यों किया, जबकि उनको मालूम था कि वालिद माजिद पर खुद उनकी जुदाई का सदमा नाकाबिले बरदाश्त था, अब दूसरे भाई को रोककर उनको दूसरा सदमा देना कैसे गवारा किया?

दूसरा सवाल इससे ज्यादा अहम यह है कि बेगुनाह भाईयों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना और उसके लिये यह जालसाजी कि उनके सामान में खुफिया तौर से कोई चीज़ रख दी और फिर सरेआम उनकी रुस्वाई जाहिर हो, ये सब काम नाजायज़ हैं, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको कैसे गवारा किया?

कुछ मुफस्सिरीन इमाम कुर्तुबी वगैरह ने बयान किया है कि जब बिनयामीन ने यूसुफ

अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और वह मुत्सईन हो गये तो भाई से यह दरखास्त की कि अब आप मुझे इन भाईयों के साथ वापस न भेजिये, मुझे अपने पास रखिये। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले यही उज्र किया कि अगर तुम यहाँ रुक गये तो वालिद साहिब को सख्त सदमा होगा, दूसरे तुम्हें अपने पास रोकने की इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाऊँ, और उस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अपने पास रख लूँ। बिनयामीन उन भाईयों के मामले व बर्ताव से कुछ ऐसे तंगदिल थे कि इन सब बातों के लिये तैयार हो गये।

लेकिन यह वाकिआ सही भी हो तो वालिद साहिब का दिल दुखाना और सब भाईयों की रुस्वाई और उनको चोर कहना सिर्फ बिनयामीन के राजी हो जाने से जायज़ तो नहीं हो सकता। और कुछ हज़रत का यह वजह बयान करना कि ऐलान करने वाले का उनको चोर कहना यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म व इजाज़त से न होगा एक बिना दलील का दावा और वाकिए की सूरत के लिहाज़ से बेजोड़ बात है। इसी तरह यह कहना कि उन भाईयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से चुराया और फरोख्त किया था इसलिये उनको चोर कहा गया, यह भी एक दूर की बात कहना है, इसलिये इन सब सवालियों का सही जवाब यही है जो अल्लामा कुर्तबी और मजहरी के लेखक वगैरह ने दिया है कि इस वाकिए में जो कुछ किया गया है और कहा गया है वह न बिनयामीन की इच्छा का नतीजा था न यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी तजवीज़ का, बल्कि ये सब काम अल्लाह के हुक्म से उसी की कामिल हिकमत को जाहिर करने वाले थे, जिनमें हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आजमाईश व इम्तिहान की तकमील हो रही थी, इस जवाब की तरफ़ खुद कुरआन की इस आयत में इशारा मौजूद है:

كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ

यानी हमने इसी तरह तदबीर की यूसुफ के लिये अपने भाई को रोकने की।

इस आयत में स्पष्ट तौर पर इस हीले व तदबीर को हक़ तआला ने अपनी तरफ़ मन्सूब किया है कि ये सब काम जबकि अल्लाह तआला के हुक्म से हुए तो इनको नाजायज़ कहने के कोई मायने नहीं रहते। इनकी मिसाल ऐसी ही होगी जैसे हज़रत मूसा और खज़िर अलैहिस्सलाम के वाकिए में क़त्ली तोड़ना, लड़के को क़त्ल करना वगैरह, जो बजाहिर गुनाह थे, इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर एतिराज़ किया मगर खज़िर अलैहिस्सलाम ये सब काम अल्लाह की मर्ज़ी पर खास मस्लेहत के तहत कर रहे थे, इसलिये उनका कोई गुनाह न था।

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرَفِيْنَ ۝

यानी जब शाही ऐलान करने वाले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो "उन्होंने कहा कि हुक्मत के अरकान (सदस्य और दरबारी लोग) भी खुद हमारे हालात से वाकिफ़ हैं कि हम कोई फ़साद करने यहाँ नहीं आये, और न हम चोर हैं।"

قَالُوا لَمَّا جَزَاوَةٌ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

"यानी शाही नौकरों ने कहा कि अगर तुम्हारा झूठ साबित हो जाये तो बतलाओ कि चोर

की क्या सज़ा है।”

قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

“यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा कि जिस शख्स के सामान में चोरी का माल बरामद हो वह शख्स खुद ही उसकी जज़ा है, हम चोरों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं।”

मतलब यह है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की शरीअत में चोर की सज़ा यह है कि जिस शख्स का माल चुराया है वह शख्स उस चोर को अपना गुलाम बनाकर रखे। सरकारी मुलाज़िमों ने इस तरह खुद यूसुफ के भाईयों से चोर की सज़ा याक़ूबी शरीअत के मुताबिक मालूम करके उनको इसका पाबन्द कर दिया कि बिनयामीन के सामान में चोरी का माल बरामद हो तो वे अपने ही फैसले के मुताबिक बिनयामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपर्द करने पर मजबूर हो जायें।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ آخِيهِ ۝

“यानी सरकारी तफ़्तीश करने वालों ने असल साज़िश पर पर्दा डालने के लिये पहले सब भाईयों के सामान की तलाशी ली, पहले ही बिनयामीन का सामान नहीं खोला ताकि उनको शुब्हा न हो जाये।”

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهُمَا مِّنْ وِعَاءِ آخِيهِ ۝

“यानी आख़िर में बिनयामीन का सामान खोला गया तो उसमें से सुवाअल-मलिक को बरामद कर लिया।” उस वक़्त तो सब भाईयों की गर्दन से झुक गई और बिनयामीन को बुरा-भला कहने लगे कि तूने हमारा मुँह काला कर दिया।

كَذَلِكَ كَذَبْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝

यानी इसी तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिये, वह अपने भाई को मिस्र के बादशाह के क़ानून के मातहत गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिस्र का क़ानून चोर के मुताबिक यह था कि चोर को भार-पीट की सज़ा दी जाये और चोरी के माल से दोगुनी कीमत वसूल करके छोड़ दिया जाये, मगर उन्होंने यहाँ यूसुफ के भाईयों ही से चोर का हुक्म शरीअते याक़ूबी के मुताबिक पूछ लिया था, उसके एतिबार से बिनयामीन को अपने पास रोक लेना सही हो गया इस तरह अल्लाह तआला की हिक्मत व मर्ज़ी से यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह मुराद पूरी हो गई।

رَفَعْنَا دَرَجَتَهُ مِن نِّشْءِ مَنْ تَلَا ۝

“यानी हम जिसके चाहते हैं उसके बुलन्द दर्जे कर देते हैं, जैसा कि इस वाक़िए में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर्जे उनके भाईयों के मुक़ाबले में बुलन्द कर दिये गये, और हर इल्म वाले के ऊपर उससे ज़्यादा इल्म वाला मौजूद है।”

मतलब यह है कि मख़्लूक में हमने इल्म के एतिबार से बाज़े को बाज़े पर बरतरी दी है, बड़े से बड़े अ़ल्लिम के मुक़ाबले में कोई उससे ज़्यादा इल्म रखने वाला होता है, और अगर कोई शख्स ऐसा है कि पूरी मख़्लूक़ात में कोई उससे ज़्यादा इल्म नहीं रखता तो फिर रब्बुल-इज़ज़त जल्ल शानुहू का इल्म तो सबसे बालातर (ज़्यादा और बढ़कर) है ही।

अहकाम व मसाईल

मजकूरा आयतों से चन्द अहकाम व मसाईल हासिल हुए:

अव्वल आयत:

وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٌ

(यानी आयत नम्बर 72) से साबित हुआ कि किसी निर्धारित काम के करने पर कोई उजरत या इनाम मुकर्रर करके सार्वजनिक ऐलान कर देना कि जो शख्स यह काम करेगा उसको इस कद्र इनाम या उजरत मिलेगी, जैसे इश्तिहारी मुजरिमों के गिरफ्तार करने पर या गुमशुदा चीजों की वापसी पर इस तरह के इनामी ऐलानात का आम तौर पर रिवाज है, अगरचे मामले की इस सूरत पर फिक्ही इजारे की तारीफ सादिक नहीं आती, मगर इस आयत के एतिबार से इसका भी जायज होना साबित हो गया। (तफ्सीरे कर्तुबी)

दूसरे 'अ-न बिही ज़मीम' (मैं इसका जिम्मेदार हूँ) से मालूम हुआ कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ से माली हक का ज़मानती बन सकता है, और इस सूरत का हुक्म उम्मत के फुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के नजदीक यह है कि हक वाले को इख्तियार होता है कि वह अपना माल असल कर्जदार से या ज़मानती से जिससे भी चाहे वसूल कर सकता है, हौं! अगर ज़मानती से वसूल किया गया तो ज़मानती को हक होगा कि जिस कद्र माल उससे लिया गया है वह असल कर्जदार से वसूल करे। (तफ्सीरे कर्तुबी, इसमें इमाम मालिक की राय अलग है)

तीसरे 'कज़ालि-क किदना लियूसु-फ.....' से मालूम हुआ कि किसी शरई मस्लेहत की बिना पर मामले की सूरत में कोई ऐसी तब्दीली इख्तियार करना जिससे अहकाम बदल जायें, जिसको फुक़हा की इस्तिलाह (परिभाषा) में हीला-ए-शरई कहा जाता है, यह शरई तौर पर जायज है, शर्त यह है कि उससे शरई अहकाम का बातिल और कण्डम करना लाज़िम न आता हो, वरना ऐसे बहाने तमाम फुक़हा (कुरआन व हदीस और मसाईल के माहिर उलेमा) की सर्वसम्मति से हराम हैं। जैसे ज़कात से बचने के लिये कोई हीला करना या रमज़ान से पहले कोई ग़ैर-ज़रूरी सफ़र सिर्फ इसलिये इख्तियार करना कि रोज़े न रखने की गुन्जाईश निकल आये, यह सब हज़रात के नजदीक हराम है। ऐसे ही बहाने करने पर पहली कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया है, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे बहानों से मना फरमाया है, और पूरी उम्मत इस पर सहमत है कि ऐसे बहाने हराम हैं, उन पर अमल करने से कोई काम जायज नहीं हो जाता बल्कि दोहरा गुनाह लाज़िम आता है, एक तो असल नाजायज काम का दूसरे यह नाजायज बहाना जो एक हैसियत से अल्लाह और उसके रसूल के साथ चालबाज़ी के बराबर है। इसी तरह के हीलों के नाजायज होने को इमाम बुख़ारी रह. ने किताबुल-हियल में साबित किया है।

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُونُسُ
 فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ؛ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ قَالُوا يَا أَيُّهَا
 الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ. إِنَّا نُرَاكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ
 اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ بِلِئَامٍ مِنَ وَاثِقَاتٍ مَا وَعَدَنَا عِنْدَكَ وَإِنَّا لَظَالِمُونَ ۝ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ حَاكَمُوا
 نَحِييَاهُ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ
 مَا فَرَطْتُمْ فِي يُونُسَ. فَلَنْ أَبْرَهُ الْآمِرَ مِنْ حَتَّى يَأْتِيَ بِلِئَامٍ مِنَ اللَّهِ لِي. وَهُوَ خَيْرُ
 الْحَكِيمِينَ ۝ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَا نَارٍ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا
 وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ۝ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا
 لَصَادِقُونَ ۝

कालू इय्यस्त्रिक् फ़-क़द् स-र-क
 अख़ुल्लहू मिन् क़ब्लु, फ़-असररहा
 यूसुफ़ु फी नफिसही व लम् युब्दिहा
 लहुम् का-ल अन्तुम् शरुम्-मकानन्
 वल्लाहु अज़लमु बिमा तसिफून (77)
 कालू या अय्युहल्-अज़ीज़ु इन्-न
 लहू अबन् शैखान् कबीरन् फ़ख़ुज़्
 अ-ह-दना मकानहू इन्ना नरा-क
 मिनल्-मुहिसनीन (78) का-ल
 मज़ाज़ल्लाहि अन् नअख़ु-ज़ इल्ला
 मंव्वजदना मता-अना अिन्दहू इन्ना
 इज़ल्-लज़ालिमून (79) ❀
 फ़ लम्मस्तै-असू मिन्हु ख़ा-लसू
 नजिय्यन्, का-ल कबीरुहुम् अलम्

कहने लगे अगर इसने चुराया तो चोरी
 की थी इसके भाई ने भी इससे पहले,
 तब आहिस्ता से कहा यूसुफ़ ने अपने जी
 में और उनको न जताया, कहा जी में कि
 तुम बदतर हो दर्जे में, और अल्लाह ख़ूब
 जानता है जो तुम बयान करते हो। (77)
 कहने लगे ऐ अज़ीज़! इसका एक बाप है
 बहुत बूढ़ा बड़ी उम्र का, सो रख ले एक
 को हम में से इसकी जगह, हम देखते हैं
 तू है एहसान करने वाला। (78) बोला
 अल्लाह पनाह दे कि हम किसी को पकड़ें
 मगर जिसके पास पाई हमने अपनी चीज़,
 तो तो हम ज़रूर बेइन्साफ़ हुए। (79) ❀
 फिर जब नाउम्मीद हुए उससे अकेले हो
 बैठे मशिवरा करने को, बोला उनका बड़ा

तञ्जलमू अन्-न अबाकुम् कद
अ-छा-ज अलैकुम् मौसिकम्-
मिनल्लाहि व मिन् कब्बु मा फरत्तुम्
फी यूसु-फ फ-लन् अब्रहल्-अर्-ज
हत्ता यअज-न ली अबी औ
यस्कूमल्लाहु ली व हु-व खैरुल्-
हाकिमीन (80) इर्जिअु इला अबीकुम्
फकूलू या अबाना इन्नब्न-क स-र-क,
व मा शहिदना इल्ला बिमा अलिमुना
व मा कुन्ना लिल्लैबि हाफिजीन (81)
वसअलिन्-करय-तल्लती कुन्ना फीहा
वलज़ीरल्लती अकबल्ला फीहा, व
इन्ना लसादिकून (82)

क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप
ने लिया है तुमसे अहद अल्लाह का और
पहले जो कसूर कर चुके हो यूसुफ के
हक में, सो मैं तो हरगिज न सरकूंगा इस
मुल्क से जब तक कि हुक्म दे मुझको
मेरा बाप या कज़िया चुका दे अल्लाह
मेरी तरफ, और वह है सबसे बेहतर
चुकाने वाला। (80) फिर जाओ अपने
बाप के पास और कहो ऐ बाप! तेरे बेटे
ने तो चोरी की, और हमने वही कहा था
जो हमको खबर थी और हमको ग़ैब की
बात का ध्यान न था। (81) और पूछ ले
उस बस्ती से जिसमें हम थे और उस
काफिले से जिसमें हम आये हैं, और हम
बेशक सच कहते हैं। (82)

खुलासा-ए-तफसीर

कहने लगे (साहिब) अगर इसने चोरी की तो (ताज्जुब नहीं, क्योंकि) इसका एक भाई (या वह) भी (इसी तरह) इससे पहले चोरी कर चुका है (जिसका किस्सा दुर्-मन्सूर में इस तरह लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की उनकी फूफी परवरिश करती थीं, जब होशियार हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने लेना चाहा, वह उनको चाहती बहुत थीं, उन्होंने उनको रखना चाहा इसलिये उन्होंने उनकी कमर पर एक पटका कपड़ों के अन्दर बाँधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया और सब की तलाशी ली तो उनकी कमर में निकला, और उस शरीअत के कानून के मुवाफिक उनको फूफी के कब्जे में रहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी फूफी ने वफात पाई। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गये। और मुम्किन है कि गुलाम बनाने की यह सूरत की भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की रज़ामन्दी से हुई हो, इसलिये यहाँ भी आज़ाद का गुलाम बनाना लाज़िम नहीं आया, और हर चन्द कि इशारात व परिस्थितियों और यूसुफ अलैहिस्सलाम के अख़्ताक में ज़रा से विचार करने से आपकी बराअत इस फेल से यकीनन मालूम थी मगर बिनयामीन पर जो भाईयों को गुस्सा था उसमें यह बात भी कह दी)।

पस यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने इस बात को (जो आगे आती है) अपने दिल में छुपा रखा और इसको उनके सामने (ज़बान से) ज़ाहिर नहीं किया, यानी (दिल में) यूँ कहा कि इस (चोरी) के मामले

में तुम तो और भी ज़्यादा बुरे हो (यानी हम दोनों भाईयों से तो हकीकत में चोरी का काम नहीं हुआ और तुमने तो इतना बड़ा काम किया कि कोई माल गायब करता है तुमने आदमी गायब कर दिया कि मुझको बाप से बिछड़ा दिया, और ज़ाहिर है कि आदमी की चोरी माल की चोरी से ज़्यादा सख्त ज़ुर्म है) और जो कुछ तुम (हम दोनों भाईयों के बारे में) बयान कर रहे हो (कि हम चोर हैं) इस (की हकीकत) का अल्लाह ही को खूब इल्म है (कि हम चोर नहीं हैं। जब भाईयों ने देखा कि इन्होंने बिनयामीन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर काबिज़ हो गये तो खुशामद के तौर पर) कहने लगे कि ऐ अज़ीज़! इस (बिनयामीन) का एक बहुत बूढ़ा बाप है (और इसको बहुत चाहता है इसके गुम में खुदा जाने क्या हाल हो, और हम से इस कद्र मुहब्बत नहीं) सो आप (ऐसा कीजिए कि) इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिये (और अपना गुलाम बना लीजिये), हम आपको नेक-मिज़ाज देखते हैं (उम्मीद है कि इस दरख्वास्त को मन्ज़ूर फरमा लेंगे)। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐसी (बेइन्साफ़ी की) बात से खुदा बचाये कि जिसके पास हमने अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ कर रख लें (अगर हम ऐसा करें तो) इस हालत में तो हम बड़े बेइन्साफ़ समझे जाएंगे (किसी आज़ाद आदमी को गुलाम बना लेना और गुलामों का मामला करना उसकी रज़ामन्दी से भी हाराम है)।

फिर जब उनको यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) से तो (उनके साफ़ जवाब के सबब) बिल्कुल उम्मीद न रही (कि बिनयामीन को देंगे) तो (उस जगह से) अलग होकर आपस में मशिवरा करने लगे (कि क्या करना चाहिये, फिर अक्सर की यह राय हुई कि मजबूरी है सब को वापस चलना चाहिये, मगर) उन सब में जो बड़ा था उसने कहा कि (तुम जो सब के सब वापस चलने की सलाह कर रहे हो तो) क्या तुमको मालूम नहीं तुम्हारे बाप तुमसे खुदा की कसम खिलाकर पक्का कौल ले चुके हैं (कि तुम इसको अपने साथ लाना, लेकिन अगर घिर जाओ तो मजबूरी है। सो हम सब के सब तो घिरे नहीं कि तदबीर की गुंजाईश न रहती, इसलिये जहाँ तक मुश्किल हो कुछ तदबीर करनी चाहिये) और इससे पहले यूसुफ़ के बारे में तुम किस कद्र कोताही कर ही चुके हो (कि उनके साथ जो कुछ बर्ताव हुआ उससे बाप के हुक्कू बिल्कुल ज़ाया हुए। सो वह पुरानी शर्मिन्दगी क्या कम है जो एक नई शर्मिन्दगी लेकर जायें) सो मैं तो इस ज़मीन से टलता नहीं जब तक कि मेरे बाप मुझको (हाज़िरी की) इजाज़त न दें, या अल्लाह तआला मेरे लिये इस मुश्किल को सुलझा दे, और वही खूब सुलझाने वाला है (यानी किसी तदबीर से बिनयामीन छूट जायें। गुर्ज़ कि मैं या तो इसको लेकर जाऊँगा या बुलाया हुआ जाऊँगा, सो मुझको तो यहाँ छोड़ो और) तुम वापस अपने बाप के पास जाओ, और (जाकर उनसे) कहो कि ऐ अब्बा! आपके बेटे (बिनयामीन) ने चोरी की, (इसलिये गिरफ्तार हुए) और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको (देखने से) मालूम हुआ है, और हम (कौल व करार देने के वक़्त) ग़ैब की बातों के तो हाफ़िज़ नहीं थे (कि यह चोरी करेगा वरना हम कभी कौल न देते)। और (अगर हमारे कहने का यकीन न हो तो) उस बस्ती (यानी मिस्र) वालों से (किसी अपने भरोसेमन्द के ज़रिये) पूछ लीजिये जहाँ हम (उस वक़्त) मौजूद थे (जब चोरी बरामद हुई है) और उस काफ़िले वालों से पूछ

लीजिये जिनमें हम शामिल होकर (यहाँ) आये हैं। (मालूम होता है कि और भी किनआन के या आस पास के लोग गुल्ला लेने गये होंगे) और यकीन जानिये कि हम बिल्कुल सच कहते हैं (चुनाँचे सब ने बड़े को वहाँ छोड़ा और खुद आकर सारा माजरा बयान किया)।

मअारिफ व मसाईल

इनसे पहली आयतों में जिक्र हुआ था कि मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिनयामीन के सामान में एक शाही बरतन छुपाकर और फिर उनके सामान से तदबीर के साथ बरामद करके उन पर चोरी का जुर्म आघद कर दिया गया था।

उक्त आयतों में सैं पहली आयत में यह है कि जब यूसुफ के भाईयों के सामने बिनयामीन के सामान से चोरी का माल बरामद हो गया और शर्म से उनकी आँखें झुक गईं तो झुंझलाकर कहने लये:

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ

यानी "अगर इसने चोरी कर ली तो कुछ ज़्यादा ताज्जुब नहीं, इसका एक भाई था उसने भी इसी तरह इससे पहले चोरी की थी।" मतलब यह था कि यह हमारा सगा भाई नहीं, बाप-शरीक है, इसका एक सगा भाई था उसने भी चोरी की थी।

यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने उस वक़्त खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जिसमें एक वाक़िए की तरफ़ इशारा है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में पेश आया था, जिसमें ठीक इसी तरह जैसे यहाँ बिनयामीन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने की साज़िश की गई है, उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनकी बेख़बरी में ऐसी ही साज़िश की गई थी, और यह सब भाईयों को पूरी तरह मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस इल्ज़ाम से बिल्कुल बरी हैं मगर इस वक़्त बिनयामीन पर गुस्से की वजह से उस वाक़िए को भी चोरी करार देकर उसका इल्ज़ाम उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया।

वह वाक़िआ क्या था, इसमें रिवायतें अलग-अलग हैं। इमाम इब्ने कसीर रह. ने मुहम्मद बिन इस्हाक़, इमाम मुजाहिद रह. इमामे तफ्सीर के हवाले से नक़ल किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाईश के थोड़े ही अरसे बाद बिनयामीन पैदा हुए तो यह पैदाईश ही वालिदा की मौत का सबब बन गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिनयामीन दोनों भाई बगैर माँ के रह गये तो उनका पालन-पोषण उनकी फूफी की गोद में हुआ, अल्लाह तअाला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन ही से कुछ ऐसी शान अता फरमाई थी कि जो देखता उनसे बेहद मुहब्बत करने लगता था, फूफी का भी यही हाल था कि किसी वक़्त उनको नज़रों से गायब करने पर कादिर न थीं। दूसरी तरफ़ वालिदे बुज़ुर्गवार हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का भी कुछ ऐसा ही हाल था मगर बहुत छोटा होने की वजह से इसकी ज़रूरत थी कि किसी औरत की निगरानी में रखा जाये, इसलिये फूफी के हवाले कर दिया था। अब जबकि वह चलने फिरने के काबिल हो गये तो

याक़ूब अलैहिस्सलाम का इरादा हुआ कि यूसुफ़ को अपने साथ रखें, फूफी से कहा तो उन्होंने उज़्र किया, फिर ज़्यादा ज़ोर देने पर मजबूर होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद के हवाले तो कर दिया मगर एक तदबीर उनको वापस लेने की यह कर दी कि फूफी के पास एक पटका था जो हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ से उनको पहुँचा था और उसकी बड़ी कद्र व कीमत समझी जाती थी, यह पटका फूफी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे कमर पर बाँध दिया।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यह शोहरत कर दी कि मेरा पटका चोरी हो गया, फिर तलाशी ली गई तो वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास निकला, याक़ूब अलैहिस्सलाम की शरीअत के हुक्म के मुताबिक़ अब फूफी को यह हक़ हो गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना गुलाम बनाकर रखें। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि शरई हुक्म के इख़्तियार करने से फूफी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मालिक बन गई तो उनके हवाले कर दिया, और जब तक फूफी जिन्दा रहें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हीं की तरबियत में रहे।

यह वाक़िआ था जिसमें चोरी का इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर लगा और फिर हर शख़्स पर असल हकीक़त खुल गई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चोरी के मामूली शुब्हे से भी बरी हैं, फूफी की मुहब्बत ने उनसे यह साज़िश का जाल फैलवाया था, भाईयों को भी यह हकीक़त मालूम थी इसकी बिना पर किसी तरह मुनासिब न था कि उनकी तरफ़ चोरी को मन्सूब करते मगर उनके हक़ में भाईयों की जो ज़्यादती और ग़लत रविश अब तक होती चली आई थी यह भी उसी का एक आख़िरी हिस्सा था।

فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَأَنَّهُ يُبْدِيهَا لَهُمْ

यानी “यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की यह बात सुनकर अपने दिल में रखी कि ये लोग अब तक भी मेरी मुखालफ़त पर लगे हैं कि चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर इसका इज़हार भाईयों पर नहीं होने दिया कि यूसुफ़ ने उनकी यह बात सुनी है और इससे कुछ असर लिया है।

قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

“यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने (अपने दिल में) कहा कि तुम लोग ही बुरे दर्जे और बुरे हाल में हो कि भाई पर चोरी की तोहमत जान-बूझकर लगाते हो, और फ़रमाया कि अल्लाह तआला ही ज़्यादा जानने वाले हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सही है या ग़लत।” पहला जुमला तो दिल में कहा गया है यह दूसरा जुमला मुश्क़िन है कि भाईयों के जवाब में ऐलानिया कह दिया हो।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. إِنَّا نَرُكَّ مِنَ الْمُخْسِرِينَ

यूसुफ़ के भाईयों ने जब देखा कि कोई बात चलती नहीं और बिनयामीन को यहाँ छोड़ने के सिवा चारा नहीं तो अज़ीजे मिस्र की खुशामद की और यह दरख़्वास्त की कि इसके वालिद बहुत बूढ़े और जर्इफ़ हैं (इसकी जुदाई उनसे बरदाश्त न होगी) इसलिये आप इसके बदले में हममें से किसी को गिरफ़्तार कर लें, यह दरख़्वास्त आपसे हम इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि हम यह महसूस करते हैं कि

आप बहुत एहसान करने वाले हैं या यह कि आपने इससे पहले भी हमारे साथ एहसान का सुलूक फरमाया है।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ

यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों की दरख्वास्त का जवाब क़ानून के मुताबिक़ यह दिया कि यह बात तो हमारे इख़्तियार में नहीं कि जिसको चाहें पकड़ लें, बल्कि जिसके पास चोरी का माल बरामद हुआ अगर उसके सिवा किसी दूसरे को पकड़ लें तो हम तुम्हारे ही फतवे और फैसले के मुताबिक़ ज़ालिम हो जायेंगे, क्योंकि तुमने ही यह कहा है कि जिसके पास चोरी का माल बरामद हो वही उसकी जज़ा है।

فَلَمَّا اسْتَيْسُرُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا

यानी जब यूसुफ़ के भाई बिनयामीन की रिहाई से मायूस हो गये तो आपस में मशिवरे के लिये अलग जगह में जमा हो गये।

قَالَ كَبِيرُهُمْ..... الخ

उनके बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे बिनयामीन के वापस लाने का पुख़्ता अ़हद लिया था, और यह कि तुम इससे पहले भी यूसुफ़ के मामले में एक कोताही और ग़लती कर चुके हो, इसलिये मैं तो अब मिस्र की ज़मीन को उस वक़्त तक न छोड़ूंगा जब तक मेरे वालिद खुद ही मुझे यहाँ से वापस आने का हुक्म न दें, या अल्लाह तआला की तरफ़ से वही के ज़रिये मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म हो और अल्लाह तआला ही बेहतरीन हुक्म करने वाले हैं।

यह बड़े भाई जिनका कलाम बयान हुआ है कुछ हज़रात ने फरमाया कि यहूदा हैं, और यह अगरचे उम्र में सबसे बड़े नहीं मगर इल्म व फ़ज़ल में बड़े थे। और कुछ मुफ़स्सिरान ने कहा कि रोबील हैं जो उम्र में सबसे बड़े हैं, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़त्ल न करने का मशिवरा इन्होंने ही दिया था। और कुछ ने कहा कि यह बड़े भाई शमऊन हैं जो रुतबे व मक़ाम के एतिबार से सब भाईयों में बड़े समझे जाते थे।

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ

यानी बड़े भाई ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा, आप सब लोग अपने वालिद के पास वापस जायें और उनको बतलायें कि आपके बेटे ने चोरी की, और हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपने चश्मदीद हालात हैं कि चोरी का माल उनके सामान से हमारे सामने बरामद हुआ है।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

यानी हमने जो आप से अ़हद किया था कि हम बिनयामीन को ज़रूर वापस लायेंगे यह अ़हद ज़ाहिरी हालात के एतिबार से था, ग़ैब का हाल तो हम न जानते थे कि यह चोरी करके गिरफ़्तार और हम मजबूर हो जायेंगे। और इस जुमले के यह मायने भी हो सकते हैं कि हमने अपने भाई बिनयामीन की पूरी हिफ़ाज़त की कि कोई ऐसा काम उनसे न हो जाये जिसके सबब वह तकलीफ़ में

पढ़ें, मगर हमारी यह कौशिश ज़ाहिरी हालात ही की हद तक हो सकती थी, हमारी नज़रों से ग़ायब ना-जानकारी में उनसे यह काम हो जायेगा इसका हमको कोई इल्म न था।

चूँकि यूसुफ़ के भाई इससे पहले एक फ़रेब अपने वालिद को दे चुके थे और यह जानते थे कि हमारे ऊपर वाले बयान से वालिद को हरगिज़ इत्मीनान न होगा और वह हमारी बात पर यकीन न करेंगे इसलिये मज़ीद ताकीद के लिये कहा कि आपको हमारा यकीन न आये तो आप उस शहर के लोगों से तहकीक कर लें जिसमें हम थे, यानी मिस्र शहर, और आप उस काफ़िले से भी तहकीक कर लें जो हमारे साथ ही मिस्र से किनज़ान आया है, और हम इस बात में बिल्कुल सच्चे हैं।

तफ़्सीर मज़हरी में इस जगह इस सवाल को दोहराया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वालिद के साथ इस क़द्र बेरहमी का मामला कैसे गवारा कर लिया कि खुद अपने हालात से भी इत्तिला नहीं दी, फिर छोटे भाई को भी रोक लिया जबकि बार-बार ये भाई मिस्र आते रहे, न उनको अपना राज़ बताया न वालिद के पास इत्तिला भेजी। इन सब बातों का जवाब तफ़्सीर मज़हरी ने यही दिया है:

إِنَّهُ عَمِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِيُرِيدَ فِي بَلَاءٍ يَعْقُوبُ.

“यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम अल्लाह तअाला के हुकम से किये जिनका मंशा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान और आजमाईश को पूरा करना था।

अहकाम व मसाईल

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا

(और हमने वही कहा जिसकी हमको ख़बर थी.....) से साबित हुआ कि इनसान जब किसी से कोई मामला और अ़हद व इकरार करता है तो वह ज़ाहिरी हालात ही पर महमूल होता है, ऐसी चीज़ों पर हावी नहीं होता जो किसी के इल्म में नहीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने वालिद से जो भाई की हिफ़ाज़त का वायदा किया था वह अपने इख़्तियारी मामलात के बारे में था और यह मामला कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम आ गया और उसमें पकड़े गये इससे मुआहदे पर कुछ असर नहीं पड़ता।

दूसरा मसला तफ़्सीर क़ुर्तुबी में इस आयत से यह निकाला गया है कि इस जुमले से यह साबित हुआ कि शहादत (गवाही) का मदार इल्म पर है, इल्म चाहे किसी तरीके से हासिल हो उसके मुताबिक़ शहादत दी जा सकती है। इसलिये किसी वाक़िअ की शहादत जिस तरह उसको अपनी आँख से देखकर दी जा सकती है इसी तरह किसी मोतबर से सुनकर भी दी जा सकती है। शर्त यह है कि असल मामले को छुपाये नहीं, बयान कर दे कि यह वाक़िआ खुद नहीं देखा, फ़ुलौँ मोतबर आदमी से सुना है, इसी उसूल की बिना पर मालिकी फ़ुक़ह ने अंधे की गवाही को भी जायज़ करार दिया है।

मसला: उक्त आयतों से यह भी साबित हुआ कि अगर कोई शख़्स हक़ और सही रास्ते पर है मगर मौक़ा ऐसा है कि देखने वालों को नाहक़ या गुनाह का शुक़्हा हो सकता है तो उसको चाहिये कि इस संदेह व धोखे में पड़ने को दूर कर दे ताकि देखने वाले बदगुमानी के गुनाह में मुक्ताला न हों। जैसे

बिनयामीन के इस वाकिए में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पिछले वाकिए की बिना पर तोहमत और शुब्हे का मौका पैदा हो गया था इसलिये इसकी सफ़ाई के लिये बस्ती वालों की गवाही और काफिले वालों की गवाही पेश की गई।

रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने अमल से भी इसकी ताकीद फरमाई है, जबकि आप उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मस्जिद से एक गली में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस गली के सिरे पर दो शख्स नज़र पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दूर ही से फरमा दिया कि मेरे साथ सफ़िया बिनते हुथिय हैं। उन दोनों हज़रत ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या आपके बारे में किसी को कोई बदगुमानी हो सकती है? तो फरमाया कि हाँ शैतान इनसान की रग-रग में घुस जाता है, हो सकता है कि किसी के दिल में शुब्हा डाल दे। (बुधारी, मुस्लिम व हूर्तबी)

كَالْبَلِّ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَفْرَادًا

فَصَبِّرْ حَوِيلَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدِي عَلَى يُونُسَ وَأَبِصْرَتِ عَيْنِهِ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُونََنَا بِقُرْآنِ يُونُسَ حَتَّى تَكُونُ كَحَرْصَا أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَلْبِثِي أذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَجِيبُهُ وَلَا تَأْتِيَنَّ سَوَاءً مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنَ رَوْحٍ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ۝

का-ल बल् सव्वलत् लकुम्
अन्फुसुकुम् अम्रन्, फ-सबरुन्
जमीलुन्, असल्लाहु अन्ध्यअत्ति-यनी
बिहिम् जमीअन्, इन्नहू हुवल-
अलीमुल्-हकीम (83) व तवल्ला
अन्हुम् व का-ल या अ-सफा अला
यूसु-फ वब्यज़त् ज़ैनाहु मिनल्-हुज़्जि
फहु-व कज़ीम (84) कालू तल्लाहि
तफ्ततउ तज़्कुरु यूसु-फ हत्ता तकू-न
ह-रज़न् औ तकू-न मिनल्-हालिकीन
(85) का-ल इन्नमा अश्कू बस्ती व

बोला कोई नहीं, बना ली है तुम्हारे जी ने एक बात, अब सब ही बेहतर है, शायद अल्लाह ले आये मेरे पास उन सब को, वही है ख़ाबरदार हिकमतों वाला। (83) और उल्टा फिरा उनके पास से और बोला ऐ अफसोस! यूसुफ पर, और सफ़ेद हो गई आँखें उसकी गुम से, सो वह खुद को घोंट रहा था। (84) कहने लगे कसम है अल्लाह की तू न छोड़ेगा यूसुफ की याद को जब तक कि घुल जाये या हो जाये मुर्दा। (85) बोला मैं तो खोलता हूँ अपनी बेकरारी और गुम अल्लाह के

हुज़्नी इलल्लाहि व अज़्लमु मिनल्लाहि
 मा ला तज़्लमून (86) या बनिव्यज़्हबू
 फ़-तहंस्सू मिंव्यूसु-फ़ व अख़ीहि व
 ला तै-असू मिर्रौहिल्लाहि, इन्नहू ला
 यै-असू मिर्रौहिल्लाहि इल्लल्
 कौमुल्-काफ़िरून (87)

सामने और जानता हूँ अल्लाह की तरफ
 से जो तुम नहीं जानते। (86) ऐ बेटो!
 जाओ और तलाश करो यूसुफ़ की, और
 उसके भाई की और नाउम्मीद मत हो
 अल्लाह के फ़ैज़ से, बेशक नाउम्मीद नहीं
 होते अल्लाह के फ़ैज़ से मगर वही लोग
 जो काफ़िर हैं। (87)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

याक़ूब (अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में उन सबसे असंतुष्ट हो चुके थे तो उनके पहले मामले पर अन्दाज़ा करके) फ़रमाने लगे (कि बिनयामीन चोरी में गिरफ़्तार नहीं हुआ) बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो (ख़ैर पहले की तरह) सब ही करूँगा, जिसमें शिकायत का नाम न होगा (मुझको) अल्लाह से उम्मीद है कि उन सब को (यानी यूसुफ़ और बिनयामीन और जो बड़ा भाई अब मिस्र में रह गया है उन तीनों को) मुझ तक पहुँचा देगा, (क्योंकि) वह (असल हकीकत से) ख़ूब वाकिफ़ है (इसलिये उसको सब की ख़बर है कि कहाँ-कहाँ और किस-किस हाल में हैं, और वह) बड़ी हिम्मत वाला है (जब मिलाना चाहेगा तो हज़ारों असबाब व तदबीरें दुरुस्त कर देगा)। और (यह जवाब देकर इस वजह से कि उनसे रंज पहुँचा था) उनसे दूसरी तरफ़ रुख़ कर लिया और (इस वजह से कि इस नये ग़म से वह पुराना ग़म और ताज़ा हो गया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद करके) कहने लगे कि हाय यूसुफ़ अफ़सोस! और ग़म से (रोते-रोते) उनकी आँखें सफ़ेद पड़ गई (क्योंकि ज़्यादा रोने से आँखों की सियाही कम हो जाती है और आँखें बेरौनक़ या बिल्कुल बेनूर हो जाती हैं)। और वह (ग़म से जी ही जी में) घुटा करते थे (क्योंकि ग़म की ज़्यादती के साथ जब बरदाश्त में बहुत ज़्यादा होगी जैसा कि साबिर लोगों की शान है तो घुटने की कैफ़ियत पैदा होगी)।

बेटे कहने लगे- खुदा की कसम (मालूम होता है) तुम हमेशा-हमेशा यूसुफ़ की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक कि धुल-धुलकर जान होंटों पर आ जायेगी या यह कि बिल्कुल मर ही जाओगे (तो इतने ग़म से फ़ायदा क्या)। याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (तुमको मेरे रोने से क्या बहस) मैं तो अपने रंज व ग़म की सिर्फ़ अल्लाह से शिकायत करता हूँ (तुमसे तो कुछ नहीं कहता) और अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते (बातों से मुराद या तो लुफ़ व करम व कामिल रहमत है और या मुराद उन सबसे मिलने का इल्हाम है जो बिना किसी माध्यम के हो या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़्वाब के द्वारा हो, जिसकी ताबीर अब तक ज़ाहिर नहीं हुई थी, और उसका ज़ाहिर होना और सामने आना ज़रूरी है)। ऐ मेरे बेटो! (मैं अपने ग़म का इज़हार सिर्फ़ अल्लाह की जनाब में करता हूँ, वही तमाम असबाब को पैदा करने और बनाने वाला है लेकिन ज़ाहिरी तदबीर तुम

भी करो कि एक बार फिर सफ़र में) जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो (यानी उस फ़िक्र व तदबीर की जुस्तजू करो जिससे यूसुफ का निशान मिले और बिनयामीन को रिहाई हो) और अल्लाह तआला की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफ़िर हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बिनयामीन की मिस्र में गिरफ्तारी के बाद उनके भाई वतन वापस आये और याक़ूब अलैहिस्सलाम को यह माजरा सुनाया, और यक़ीन दिलाना चाह कि हम इस वाक़िफ़ में बिल्कुल सच्चे हैं आप इस बात की तस्दीक़ मिस्र के लोगों से भी कर सकते हैं, और जो काफ़िला हमारे साथ मिस्र से किनआन आया है उससे भी मालूम कर सकते हैं कि बिनयामीन की चोरी पकड़ी गई इसलिये वह गिरफ्तार हो गये। याक़ूब अलैहिस्सलाम को चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में इन बेटों का झूठ साबित हो चुका था इसलिये इस मर्तबा भी यक़ीन नहीं आया, अगरचे वास्तव में इस वक़्त उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था, इसलिये इस मौक़े पर भी वही कलिमात फ़रमाये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी के वक़्त फ़रमाये थे:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا، فَصَبِّرْ صَبِيرًا.

यानी यह बात जो तुम कह रही हो सही नहीं, तुमने खुद बात बनाई है, मगर मैं अब भी सब्र ही करता हूँ, वही मेरे लिये बेहतर है।

इमाम कुर्तुबी ने इसी से यह नतीजा निकाला है कि मुज्तिहद जो बात अपने इज्तिहाद से कहता है उसमें ग़लती भी हो सकती है यहाँ तक कि पैग़म्बर भी जो बात अपने इज्तिहाद से कहें उसमें शुरू में ग़लती हो जाना मुम्किन है, जैसे इस मामले में पेश आया कि बेटों के सच को झूठ करार दे दिया मगर अम्बिया की खुसूसियत यह है कि उनको अल्लाह की तरफ़ से ग़लती पर आगाह करके उससे हटा दिया जाता है और अन्जामकार वे हक़ को पा लेते हैं।

यहाँ यह भी मुम्किन है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के जेहन में बात बनाने से मुराद वह बात बनाना हो जो मिस्र में बनाई गई कि एक ख़ास गर्ज के मातहत जालसाज़ी चोरी दिखलाकर बिनयामीन को गिरफ्तार किया गया, जिसका अन्जाम आईन्दा बेहतररीन सूरत में खुलकर सामने आने वाला था, इस आयत के अगले जुमले से इस तरफ़ इशारा भी हो सकता है जिसमें फ़रमाया:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا.

यानी करीब है कि अल्लाह तआला उन सब को मुझसे मिला देगा।

खुलासा यह है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा जो बेटों की बात को तस्लीम नहीं किया इसका हासिल यह था कि दर हकीक़त न कोई चोरी हुई है और न बिनयामीन गिरफ्तार हुए हैं, बात कुछ और है, यह अपनी जगह सही था मगर बेटों ने अपनी जानकारी के मुताबिक़ जो कुछ कहा था वह भी ग़लत न था।

وَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَأَبِصْرَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ لَهُمْ كَظِيمٌ ۝

यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस दूसरे सदमे के बाद बेटों से इस मामले में बातचीत को छोड़कर अपने रब के सामने फरियाद शुरू की, और फरमाया कि मुझे सख्त रंज व ग़म है यूसुफ पर, और इस रंज व ग़म में रोते-रोते उनकी आँखें सफ़ेद हो गईं यानी बीनाई जाती रही या बहुत कमज़ोर हो गई। इमाम मुक़ातल ने फरमाया कि यह कैफ़ियत याक़ूब अलैहिस्सलाम की छह साल रही कि बीनाई (आँखों की रोशनी) तक़रीबन जाती रही थी। 'फ़हु-व कज़ीम' यानी फिर वह ख़ामोश हो गये, किसी से अपना दुख न कहते थे। 'कज़ीम', कज़्म से बना है, जिसके मायने बन्द हो जाने और भर जाने के हैं। मुराद यह है कि रंज व ग़म से उनका दिल भर गया और ज़बान बन्द हो गई कि किसी से अपना रंज व ग़म बयान न करते थे।

इसलिये कज़्म के मायने गुस्सा पी जाने के आते हैं कि गुस्सा दिल में भरा हुआ होने के बावजूद ज़बान या हाथ से कोई चीज़ गुस्से के तकाज़े के मुताबिक़ ज़ाहिर न हुई, हदीस में है:

وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ.

“यानी जो शख्स अपने गुस्से को पी जाये और उसके तकाज़े पर बावजूद ताक़त के अमल न करे, अल्लाह तआला उसको बड़ा अज़्र देंगे।”

एक हदीस में है कि हश्र के दिन अल्लाह तआला ऐसे लोगों को आ़ाम मजमे के सामने लाकर जन्नत की नेमतों में इख़्तियार देंगे कि जो चाहें ले लें।

इमाम इब्ने जरीर रह. ने इस जगह एक हदीस नक़ल की है कि मुसीबत के वक़्त 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रजिज़ुन' पढ़ने की तालीम इस उम्मत की खुसूसियात में से है, और यह कलिमा इनसान को रंज व ग़म की तकलीफ़ से निजात देने में बड़ा असरदार है। उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियत इससे मालूम हुई कि इस सख्त ग़म व सदमे के वक़्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस कलिमे के बजाय 'या अ-सफ़ा अला यूसु-फ़' फरमाया। इमाम बैहकी ने शअबुल-ईमान में भी यह हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल की है।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हद से ज़्यादा मुहब्बत क्यों थी?

इस मक़ाम पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ग़ैर-मामूली (बहुत ज़्यादा) मुहब्बत और उनके गुम होने पर इतना असर कि उस जुदाई की सारी मुहत में जो कुछ रिवायतों की बिना पर चालीस साल और कुछ की बिना पर अस्सी साल बतलाई जाती है मुसलसल रोते रहना, यहाँ तक कि बीनाई जाती रही, बज़ाहिर उनकी पैग़म्बराना शान के लायक़ नहीं कि औलाद से इतनी मुहब्बत करें जबकि कुरआने करीम ने औलाद को फितना करार दिया है। इरशाद है:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“यानी तुम्हारे माल और औलाद फितने और आजमाईश हैं।” और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शान कुरआने करीम ने यह बतलाई है कि:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ

यानी “हमने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को एक ख़ास सिफ़त का मालिक बना दिया है, वह सिफ़त है आख़िरत के जहान की याद।” मालिक बिन दीनार रह. ने इसके मायने यह बयान फ़रमाये हैं कि हमने उनके दिलों से दुनिया की मुहब्बत निकाल दी और सिर्फ़ आख़िरत की मुहब्बत से उनके दिलों को भर दिया, किसी चीज़ के लेने या छोड़ने में उनकी निगाह और मक़सद सिर्फ़ आख़िरत होती है।

इस मजमूए से यह इश्काल मज़बूत होकर सामने आता है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का औलाद की मुहब्बत में ऐसा मशगूल होना किस तरह सही हुआ?

हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीर-ए-मज़हरी में इस इश्काल को ज़िक्र करके हज़रत मुजहिद अल्फ़े सानी रह. की एक ख़ास तहकीक़ नक़ल फ़रमाई है, जिसका खुलासा यह है कि बेशक दुनिया और दुनिया से संबन्धित चीज़ों की मुहब्बत बुरी और नापसन्दीदा है, कुरआन व हदीस की बेशुमार वज़ाहतें इस पर गवाह और सुबूत हैं मगर दुनिया में जो चीज़ें आख़िरत से मुताल्लिक़ हैं उनकी मुहब्बत दर हकीक़त आख़िरत ही की मुहब्बत में दाख़िल है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमालात सिर्फ़ जाहिरी हुस्न ही नहीं बल्कि पैग़म्बराना पाक़दामनी और सीरत का हुस्न भी हैं, इस मजमूए की वजह से उनकी मुहब्बत किसी दुनियावी सामान की मुहब्बत न थी बल्कि दर हकीक़त आख़िरत ही की मुहब्बत थी।

यहाँ यह बात भी ध्यान देने के काबिल है कि यह मुहब्बत अगरचे हकीक़त में दुनिया की मुहब्बत न थी मगर बहरहाल इसमें एक हैसियत दुनियावी भी थी, इसी वजह से यह मुहब्बत हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का ज़रिया बनी, और चालीस साल की जुदाई का नाकाबिले बरदाश्त सदमा सहन करना पड़ा। और इस वाक़िए के पहले हिस्सों से लेकर आख़िर तक इस पर सुबूत हैं कि अल्लाह तआला ही की तरफ़ से कुछ ऐसी सूरतें बनती चली गईं कि यह सदमा लम्बे से लम्बा होता चला गया, वरना वाक़िए के शुरू में इतनी ज़्यादा मुहब्बत वाले बाप से यह मुम्किन न होता कि वह बेटों की बात सुनकर घर में बैठे रहते, बल्कि मौक़े पर पहुँचकर तफ़्तीश व तलाश करते तो उसी वक़्त पता चल जाता, मगर अल्लाह तआला ही की तरफ़ से ऐसी सूरतें बन गईं कि उस वक़्त यह ध्यान न आया, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये इससे रोक दिया गया कि वह अपने हाल की अपने वालिद को ख़बर भेजें, यहाँ तक कि मिस्र की हुकूमत व सत्ता मिलने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा क़दम नहीं उठाया।

और इससे भी ज़्यादा सब्र की आजमाईश करने वाले वे वाक़िआत थे जो बार-बार उनके भाईयों के मिस्र जाने के मुताल्लिक़ पेश आते रहे, उस वक़्त भी न भाईयों पर इज़हार फ़रमाया

न वालिद को ख़बर भेजने की कोशिश फ़रमाई बल्कि दूसरे भाई को भी अपने पास एक तदबीर के ज़रिये रोककर वालिद के सदमे को दोहरा कर दिया। ये सब चीज़ें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे मक़बूल व ख़ास पैग़म्बर से उस वक़्त तक मुम्किन नहीं जब तक उनको वही (अल्लाह की तरफ़ से पैग़ाम) के ज़रिये इससे न रोक दिया गया हो, इसी लिये इमाम कुर्तुबी वगैरह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस सारे अमल को अल्लाह की वही की हिदायत क़रार दिया है और 'कज़ालि-क किदना लियूसु-फ.....' के कुरआनी इरशाद में भी इस तरफ़ इशारा मौजूद है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفَعَّلُوا تَدَّكَّرُ يُوْسُفَ .

यानी बेटे वालिद साहिब के इस सख़्त रंज व ग़म, परेशानी व बेक़रारी उस पर सब्रे-जमील को देखकर कहने लगे कि खुदा की क़सम आप तो यूसुफ़ को हमेशा याद ही करते रहेंगे यहाँ तक कि आप बीमार पड़ जायें और हलाक होने वालों में दाख़िल हो जायें (आख़िर हर सदमे और ग़म की कोई इन्तिहा होती है, वक़्त गुज़रने से इनसान उसको भूल जाता है, मगर आप इतना लम्बा अरसा गुज़र जाने के बाद भी उसी पहले दिन में हैं, और आपका ग़म उसी तरह ताज़ा है)।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बेटों की बात सुनकर फ़रमाया:

إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحَزَنِي إِلَى اللّٰهِ .

यानी मैं तो अपनी फ़रियाद और रंज व ग़म का इज़हार तुम से या किसी दूसरे से नहीं करता, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात से करता हूँ इसलिये मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और साथ ही यह भी ज़ाहिर फ़रमाया कि मेरा यह याद करना ख़ाली न जायेगा, मैं अपने अल्लाह तआला की तरफ़ से वह चीज़ जानता हूँ जिसकी तुमको ख़बर नहीं। यानी अल्लाह तआला ने मुझसे वायदा फ़रमाया हुआ है कि वह फिर मुझे उन सब से मिलायेंगे।

بِنِيِّ إِذْهَبُوا فَتَحَسُّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ

“यानी ऐ मेरे बेटो! जाओ, यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह तआला की रहमत से मायूस न हो क्योंकि उसकी रहमत से सिधाय काफ़िरों के कोई मायूस नहीं होता।”

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इतने समय के बाद बेटों को यह हुक्म दिया कि जाओ यूसुफ़ और उनके भाई को तलाश करो, और उनके मिलने से मायूस न हो। इससे पहले कभी इस तरह का हुक्म न दिया था, ये सब चीज़ें अल्लाह की तक्दीर व फ़ैसले के ताबे थीं, इससे पहले मिलना मुक़द्दर में न था, इसलिये ऐसा कोई काम भी नहीं किया गया, और अब मुलाक़ात का वक़्त आ चुका था इसलिये अल्लाह तआला ने उसके मुनासिब तदबीर दिल में डाली।

और दोनों की तलाश का रुख़ मिस्त्र ही की तरफ़ क़रार दिया, जो बिनयामीन के हक़ में तो मालूम और मुतैयन था मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्त्र में तलाश करने की ज़ाहिरी हालात के एतिबार से कोई वजह न थी, लेकिन अल्लाह तआला जब किसी काम का इरादा फ़रमाते हैं

तो उसके मुनासिब असबाब जमा फरमा देते हैं, इसलिये इस मर्तबा तलाश व तफ़्तीश के लिये फिर बेटों को मिस्र जाने की हिदायत फरमाई।

कुछ हज़रत ने फरमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा अज़ीज़े मिस्र के इस मामले से कि उनकी पूँजी भी उनके सामान में वापस कर दी, इस तरफ़ ख़्याल हो गया था कि यह अज़ीज़ कोई बहुत ही शरीफ़ व करीम है, शायद यूसुफ़ ही हों।

अहकाम व मसाईल

इमाम क़ुर्तुबी ने फरमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम के वाक़िफ़ से साबित हुआ कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि जब उसको कोई मुसीबत और तकलीफ़ अपनी जान या औलाद या माल के बारे में पेश आये तो उसका इलाज सब्र-जमील (यानी अच्छे सब्र से करे जिसमें न तो शिकवा शिकायत हो और न नाशुकी व नाफरमानी) और अल्लाह तआला की तक़दीर व फ़ैसले पर राज़ी होने से करे, और याक़ूब अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया की पैरवी करे।

हज़रत हसन बसरी रह. ने फरमाया कि इनसान जिस क़द्र घूँट पीता है उन सब में अल्लाह तआला के नज़दीक दो घूँट ज़्यादा महबूब हैं एक मुसीबत पर सब्र और दूसरे गुस्से को पी जाना।

और हदीस में हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

مَنْ بَثَّ لَمْ يَضُرَّ

यानी जो शख़्स अपनी मुसीबत सब के सामने बयान करता फिरे उसने सब्र नहीं किया।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इस सब्र पर शहीदों का सवाब अता फरमाया, और इस उम्मत में भी जो शख़्स मुसीबत पर सब्र करेगा उसको ऐसा ही अज़्र मिलेगा।

इमाम क़ुर्तुबी ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इस सख़्त इम्तिहान व आज़माईश की एक वजह यह बयान की है जो कुछ रिवायतों में आई है कि एक दिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तहज़ुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके सामने सो रहे थे, अचानक यूसुफ़ से कुछ ख़रटे की आवाज़ निकली तो उनकी तवज्जोह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ चली गई। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा ऐसा ही हुआ तो अल्लाह तआला ने अपने फ़रिशतों से फरमाया देखो यह मेरा दोस्त और मक़बूल बन्दा मुझसे ख़िताब और अर्ज़-मारूज़ करने के बीच मेरे ग़ैर की तरफ़ तवज्जोह करता है, क़सम है मेरी इज़्ज़त व जलाल की कि मैं इनकी यह दोनों आँखें निकाल लूँगा जिनसे मेरे ग़ैर की तरफ़ तवज्जोह की है, और जिसकी तरफ़ तवज्जोह की है उसको इनसे लम्बी मुद्दत के लिये जुदा कर दूँगा।

इसी लिये बुख़ारी की हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से आया है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि नमाज़ में किसी दूसरी तरफ़

देखना कैसा है? तो आपने फरमाया कि इस जरिये से शैतान बन्दे की नमाज़ को उचक लेता है। अल्लाह तआला हमें इस शैतानी वस्त्रसे से अपनी पनाह में रखे।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا

الصُّرُورُ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيهِ الْمَصْدِقِينَ ۝
 قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝ قَالُوا أَرَأَيْتَ إِذْ أَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَتَا
 يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ۚ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيُصْئِرْ فَإِنِ اللَّهُ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝
 قَالُوا تَأْتِيهِ الْغَدَاةُ لَفُؤًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا لَمَّا أَتَى اللَّهُ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَدَاةِ إِذِ انبَغَضُوا عَنْكَ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ
 وَهَوَّارًا مِّنَ الرَّحِيمِينَ ۝

फ-लम्मा द-खालू अलैहि कालू या
 अय्युहल्-अजीज़ु मस्सना व
 अह्ल-नज़्ज़ुरु व जिअना
 बिबिज़ा-अतिम्-मुज़्जातिन् फऔफि
 लनल्कै-ल व तसद्क अलैना,
 इन्नल्ला-ह यज़्जिल् मु-तसदिकीन
 (88) का-ल हल् अलिम्तुम् भा
 फअल्लुम् बियूसु-फ व अख्रीहि इज़्
 अन्तुम् जाहिलून (89) कालू
 अ-इन्न-क ल-अन्-त यूसुफु, का-ल
 अ-न यूसुफु व हाज़ा अख्री, कद्
 मन्नल्लाहु अलैना, इन्नहू मय्यत्तकि
 व यस्बिर् फ-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु
 अज़ल्-मुत्सिनीन (90) कालू तल्लाहि
 ल-कद् आस-रकल्लाहु अलैना व इन्
 कुन्ना लख्रातिईन (91) का-ल ला

फिर जब दाखिल हुए उसके पास बोले ऐ
 अजीज़! पड़ी हम पर और हमारे घर पर
 सख्ती और लाये हैं हम पूँजी नाकिस, सो
 पूरी दे हमको भरती और ख़ैरात कर हम
 पर, अल्लाह बदला देता है ख़ैरात करने
 वालों को। (88) कहा कुछ तुमको ख़बर
 है कि क्या किया तुमने यूसुफ से और
 उसके भाई से जब तुमको समझ न थी।
 (89) बोले क्या सच में तू ही है यूसुफ?
 कहा मैं यूसुफ हूँ और यह है मेरा भाई,
 अल्लाह ने एहसान किया हम पर यकीनन
 जो कोई डरता है और सब्र करता है तो
 अल्लाह ज़ाया नहीं करता हक़ नेकी वालों
 का। (90) बोले कसम अल्लाह की ज़रूर
 पसन्द कर लिया तुझको अल्लाह ने हमसे
 और हम थे चूकने वाले। (91) कहा कुछ

तसरी-ब अलै कुमुल्-यौ-म,
यग़फ़िरुल्लाहु लकुम् व हु-व
अहमुर-राहिमीन (92)

इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज, बख़्शो अल्लाह
तुमको और वह है सब मेहरबानों से
ज़्यादा मेहरबान। (92)

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुवाफ़िक़ जो कि उन्होंने फरमाया था:

تَحَسُّوْا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ.

“तलाश करो यूसुफ़ की और उसके भाई की” मिस्र को चले, क्योंकि बिनयामीन को मिस्र ही में छोड़ा था, यह ख़्याल हुआ होगा कि जिसका निशान मालूम है पहले उसके लाने की तदबीर करनी चाहिये कि बादशाह से माँगें, फिर यूसुफ़ के निशान को ढूँढ़ेंगे। गर्ज कि मिस्र पहुँचकर) जब वे यूसुफ़ के पास (जिसको अज़ीज़ समझ रहे थे) पहुँचे (और ग़ल्ले की भी ज़रूरत थी, पस यह ख़्याल हुआ कि ग़ल्ले के बहाने से अज़ीज़ के पास चलेंगे और उसकी ख़रीद के ज़िमान में खुशामद की बातें करेंगे। जब उसकी तबीयत में नर्मी देखेंगे और मिज़ाज खुश पायेंगे तो बिनयामीन की दरख़्वास्त करेंगे, इसलिये पहले ग़ल्ला लेने के बारे में बातचीत शुरू की और) कहने लगे ऐ अज़ीज़! हमको और हमारे घर वालों को (सूखे की वजह से) बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है, और (चूँकि हमको ग़रीबी ने घेर रखा है इसलिये ग़ल्ला ख़रीदने के लिये खरे दाम भी मयस्सर नहीं हुए) हम कुछ यह निकम्मी “यानी बेकार-सी और मामूली” चीज़ लाये हैं, सो आप (इसके निकम्मे होने को अनदेखा करके) पूरा ग़ल्ला दे दीजिए (और इस निकम्मे होने से ग़ल्ले की मात्रा में कमी न कीजिये) और (हमारा कुछ हक़ नहीं) हमको ख़ैरात (समझकर) दे दीजिये, बेशक अल्लाह तआला ख़ैरात देने वालों को (चाहे हकीकत में ख़ैरात दें चाहे सहूलत व रियायत करें कि यह भी ख़ैरात करने के जैसा ही है, बेहतरीन) बदला देता है (अगर मोमिन है तो आख़िरत में भी वरना दुनिया ही में)।

यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने (जो उनके ये अज़िज़ाना और गुर्बत को दर्शाने वाले अलफ़ाज़ सुने तो रहा न गया और बेइख़्तियार चाहा कि उनसे खुल जाऊँ, और अज़ब नहीं कि दिल के नूर से मालूम हो गया हो कि अब की बार उनको तलाश और तफ़्तीश भी मकसूद है, और यह भी खुल गया हो कि अब जुदाई का ज़माना ख़त्म हो चुका, पस परिचय की शुरूआत के तौर पर) फरमाया- (कहो) वह भी तुमको याद है जो कुछ तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ (बर्ताव) किया था? जबकि तुम्हारी जहालत का ज़माना था (और बुरे-भले की समझ न थी। यह सुनकर पहले तो चकराये कि अज़ीज़े मिस्र को यूसुफ़ के किस्से से क्या वास्ता, उधर उस शुरू ज़माने के ख़्याब से ग़ालिब गुमान था ही कि शायद यूसुफ़ किसी बड़े रतबे को पहुँचें कि हम सब को उनके सामने गर्दन झुकानी पड़े, इसलिये इस कलाम से शक़ हुआ और ग़ौर किया तो कुछ-कुछ पहचाना और मज़ीद तहकीक़ के लिये) कहने लगे- क्या सचमुच तुम ही यूसुफ़ हो? उन्होंने फरमाया- (हाँ) मैं यूसुफ़ हूँ और यह (बिनयामीन) मेरा (सगा)

भाई है (यह इसलिये बढ़ा दिया कि अपने यूसुफ होने की और ताकीद हो जाये, या उनकी तलाश व खोज की कामयाबी की खुशखबरी है कि जिनको तुम ढूँढ़ने निकले हो हम दोनों एक जगह जमा हैं)। हम पर अल्लाह तआला ने बढ़ा एहसान किया (कि हम दोनों को पहले सब्र व तक़वे की तौफ़ीक़ अता फरमाई फिर उसकी बरकत से हमारी तकलीफ़ को राहत से और जुदाई को मिलन से और माल व रुतबे की कमी को माल व इज़्ज़त की ज़्यादती से बदल दिया), वाक़ई जो शख्स गुनाहों से बचता है और (तकलीफ़ों व मुसीबतों पर) सब्र करता है तो अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों का अज़्र ज़ाया नहीं किया करता। वे (पिछले तमाम किस्सों को याद करके शर्मिन्दा हुए और खेद जताने के तौर पर) कहने लगे कि खुदा की क़सम कुछ शक नहीं कि तुमको अल्लाह तआला ने हम पर फज़ीलत अता फरमाई (और तुम इसी लायक़ थे), और (हमने जो कुछ किया) बेशक़ हम (उसमें) ख़तावार थे (अल्लाह के लिये माफ़ कर दो)। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि नहीं! तुम पर आज (मेरी तरफ़ से) कोई इज़ाम नहीं (बेफ़िक़्र रहो, मेरा दिल साफ़ हो गया), अल्लाह तआला तुम्हारा क़सूर माफ़ करे, और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है (तौबा करने वाले का क़सूर माफ़ कर ही देता है, इसी दुआ से यह भी समझ में आ गया कि मैंने भी माफ़ कर दिया)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयतों में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाईयों का बाकी किस्सा ज़िक्र हुआ है कि उनके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको यह हुक़म दिया कि जाओ यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो तो उन्होंने तीसरी मर्तबा मिस्र का सफ़र किया, क्योंकि बिनयामीन का तो वहाँ होना मालूम था, पहली कोशिश उसके रिहा होने की करनी थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वजूद अगरचे मिस्र में मालूम न था मगर जब किसी काम का वक़्त आ जाता है तो इनसान की तदबीरें ग़ैर-महसूस तौर पर भी दुरुस्त होती चली जाती हैं, जैसा कि एक हदीस में है कि जब अल्लाह तआला किसी काम का इरादा फरमा लेते हैं तो उसके असबाब खुद-ब-खुद जमा कर देते हैं, इसलिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तलाश के लिये भी ग़ैर-शऊरी तौर पर मिस्र ही का सफ़र मुनासिब था, और ग़ल्ले की ज़रूरत भी थी और यह बात भी थी कि ग़ल्ला तलब करने के बहाने से अज़ीज़े मिस्र से मुलाक़ात होगी और उनसे अपने भाई बिनयामीन की रिहाई के बारे में दरख़्वास्त कर सकेंगे।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا.....الآية

यानी जब यूसुफ़ के भाई वालिद के हुक़म के मुताबिक़ मिस्र पहुँचे और अज़ीज़े मिस्र से मिले तो खुशामद की गुफ़्तगू शुरू की, अपनी मोहताजी और बेकसी का इज़हार किया कि ऐ अज़ीज़! हमको और हमारे घर वालों को कहत (सूखा पड़ने) की वजह से सख़्त तकलीफ़ पहुँच रही है, यहाँ तक कि अब हमारे पास ग़ल्ला ख़रीदने के लिये भी कोई मुनासिब क़ीमत मौजूद नहीं है, हम मजबूर होकर कुछ निकम्मी (बेकार-सी) चीज़ें ग़ल्ला ख़रीदने के लिये ले आये हैं, आप अपने करीमाना अख़्लाक़ से उन्हीं बेकार चीज़ों को कुबूल कर लें और उनके बदले में ग़ल्ला

पूरा उतना ही दे दें जितना अच्छी कीमती चीजों के मुकाबले में दिया जाता है। यह ज़ाहिर है कि हमारा कोई हक़ नहीं आप हमको ख़ैरात समझकर दे दीजिये, बेशक अल्लाह तआला ख़ैरात देने वालों को जज़ा-ए-ख़ैर (बेहतरीन बदला) देता है।

ये निकम्मी चीजें क्या थीं? कुरआन व हदीस में इनकी कोई वज़ाहत नहीं। मुफ़स्सरीन के अक़वाल अलग-अलग हैं, कुछ ने कहा कि खोटे दिरहम थे जो बाज़ार में न चल सकते थे, कुछ ने कहा कि कुछ धरेलू सामान था। यह लफ़ज़ 'मुजजातिनू' का तर्जुमा है, इसके असल मायने ऐसी चीज़ के हैं जो खुद न चले बल्कि उसको ज़बरदस्ती चलाया जाये।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब भाईयों के ये अज़ीज़ी व लाचारी भरे अलफ़ाज़ सुने और शिकस्ता हालत देखी तो तबई तौर पर अब असल हकीकत ज़ाहिर कर देने पर मजबूर हो गये और वाकिआत की रफ़्तार का अन्दाज़ यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो अपने हाल के इज़हार की पाबन्दी अल्लाह की तरफ़ से थीं अब उसके ख़ास्मे का वक़्त भी आ चुका था, और तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि उस मौक़े पर याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़े मिस्र के नाम एक ख़त लिखकर दिया था जिसका मजमून यह था:

“याक़ूब सफीयुल्लाह पुत्र इस्हाक़ ज़बीहुल्लाह (1) पुत्र इब्राहीम ख़लीलुल्लाह की ओर से, अज़ीज़े मिस्र की ख़िदमत में! अम्मा बाद। हमारा पूरा ख़ानदान बलाओं और आज़माईशों में परिचित है, मेरे दादा इब्राहीम ख़लीलुल्लाह का नमस्सुद की आग से इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे वालिद इस्हाक़ का सख़्त इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे एक लड़के के ज़रिये मेरा इम्तिहान लिया गया जो मुझको सबसे ज़्यादा प्यारा था, यहाँ तक कि उसकी जुदाई में मेरी बीनाई (आँखों की रोशनी) जाती रही। उसके बाद उसका एक छोटा भाई मुझ ग़मज़दा की तसल्ली का सामान था जिसको आपने चोरी के इज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया और मैं बतलाता हूँ कि हम नबियों की औलाद हैं, न हमने कभी चोरी की है न हमारी औलाद में कोई चोर पैदा हुआ। वस्सलाम ”

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब यह ख़त पढ़ा तो काँपे गये और बेइख़्तवास रोने लगे, और अपने राज़ को ज़ाहिर कर दिया, और परिचय की भूमिका के तौर पर भाईयों से यह सवाल किया कि तुमको कुछ यह भी याद है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था जबकि तुम्हारी जहालत का ज़माना था, कि भले-बुरे की सोच और अन्जाम पर नज़र करने की फ़िक्र से ग़ाफ़िल थे।

भाईयों ने जब यह सवाल सुना तो चकरा गये कि अज़ीज़े मिस्र को यूसुफ़ के किस्से से क्या वास्ता? फिर उधर भी ध्यान गया कि यूसुफ़ ने जो बचपन में ख़्वाब देखा था उसकी ताबीर यही थी कि उनको कोई बुलन्द मर्तबा हासिल होगा कि हम सब को उसके सामने झुकना पड़ेगा, कहीं यह अज़ीज़े मिस्र खुद यूसुफ़ ही न हों। फिर जब ग़ौर व ध्यान किया तो कुछ निशानियों से

(1) ज़बीह कौन हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम थे या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसकी पूरी तहकीक सातवीं जिल्द सूर: साफ़ात की आयत नम्बर 107 की तफ़सीर में देखिये। प्रकाशक

पहचान लिया और मज़ीद तहकीक के लिये उनसे कहा:

وَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ.

“क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो?” तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ! मैं ही यूसुफ हूँ, और यह बिनयामीन मेरा सगा भाई है। भाई का जिक्र इसलिये बढ़ा दिया कि उनको अच्छी तरह यकीन आ जाये, साथ ही इसलिये भी कि उन पर उस वक़्त अपने मक़सद की मुकम्मल कामयाबी वाज़ेह हो जाये कि जिन दो की तलाश में तुम निकले थे वे दोनों एक जगह तुम्हें मिल गये। फिर फरमाया:

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

“यानी अल्लाह तआला ने हम पर एहसान व करम फरमाया कि पहले हम दोनों को सब्र व परहेज़गारी की दो सिफ़तें अता फरमाई जो कामयाबी की कुन्जी और हर मुसीबत से अमान हैं, फिर हमारी तकलीफ़ को राहत से, जुदाई को मिलन से, माल व रूतबे की कमी को इन सब की कसरत (अधिकता) से तब्दील फरमा दिया, बेशक जो शख्स गुनाहों से बचता और मुसीबतों पर सब्र करता है तो अल्लाह तआला ऐसे नेक काम करने वालों का अज़्र ज़ाया नहीं किया करते हैं।

अब तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों के पास सिवाय जुर्म व ख़ता के इफ़रार और यूसुफ अलैहिस्सलाम के फज़ल व कमाल के मान लेने के चारा न था, सब ने एक ज़बान होकर कहा:

تَاللّٰهِ لَقَدْ آتٰكَ الْاَلٰهُ عَلَيْنَا وَاَنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝

“ख़ुदा की क़सम! अल्लाह तआला ने आपको हम सब पर फज़ीलत और बरतरी अता फरमाई और आप इसी के हक़दार थे, और हमने जो कुछ किया बेशक हम उसमें ख़तावार थे, अल्लाह के लिये माफ़ कर दीजिये।” यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में अपनी पैगम्बराना शान के मुताबिक़ फरमाया:

لَا تَتْرِبْ عَلَيَّكَمُ الْيَوْمَ

“यानी मैं तुमसे तुम्हारे ज़ुल्मों का बदला तो क्या लेता, आज तुम पर कोई मलामत भी नहीं करता।” यह तो अपनी तरफ़ से माफ़ी की खुशख़बरी सुना दी फिर अल्लाह तआला से दुआ की:

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

“यानी अल्लाह तआला तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दें, वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान हैं।”

फिर फरमाया:

اٰهْمُوا بِقِيَمَتِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يٰتَ بَصِيْرًا، وَاَتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اٰجْمَعِيْنَ ۝

“यानी मेरा यह कुर्ता ले जाओ और इसको मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, इससे उनकी आँखें रोशन हो जायेंगी, जिससे वह यहाँ तशरीफ़ ला सकेंगे और अपने बाकी घर वालों को भी सब को मेरे पास ले आओ ताकि सब मिलें और खुश हों, और अल्लाह तआला की दी हुई

नेमतों से फायदा उठायें और शुक्रगुज़ार हों।”

अहकाम व हिदायतें

उक्त आयतों से बहुत से अहकाम व मसाले और इनसानी जिन्दगी के लिये अहम हिदायतें हासिल हुईं:

अब्वल लफ़ज़ 'तसदूदक् अलैना' से यह सवाल पैदा होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई नबियों की औलाद हैं, उनके लिये सदका ख़ैरात कैसे हलाल था? दूसरे अगर सदका हलाल भी हो तो सवाल करना कैसे जायज़ था? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अगर नबी भी न हों तो भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो पैग़म्बर थे, उन्होंने इस ग़लती पर क्यों सचेत नहीं फ़रमाया?

इसका एक स्पष्ट जवाब तो यह है कि यहाँ लफ़ज़ सदके से असली सदका मुराद नहीं बल्कि मामले में रियायत करने को सदका ख़ैरात करने से ताबीर कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त ग़ले का सवाल तो उन्होंने किया ही नहीं था, बल्कि कुछ निकम्मी चीज़ें पेश की थीं और दरख़्वास्त का हासिल यह था कि इन क़म-क़ीमत चीज़ों को रियायत करके क़बूल फ़रमा लें। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि नबियों की औलाद के लिये सदका व ख़ैरात का हराम होना सिर्फ़ उम्मेते मुहम्मदिया के साथ मख़सूस हो, जैसा कि तफ़सीर के इमामों में से इमाम मुजाहिद रह. का यही क़ौल है। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَلِّينَ ۝

से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला सदका ख़ैरात करने वालों को जज़ा-ए-ख़ैर (बेहतरीन बदला) देते हैं, मगर इसमें तफ़सील यह है कि सदका व ख़ैरात की एक जज़ा तो आम है जो हर मोमिन काफ़िर को दुनिया में मिलती है, वह है बलाओं और मुसीबतों का दूर होना, और एक जज़ा आख़िरत के साथ मख़सूस है यानी जन्नत, वह सिर्फ़ ईमान वालों का हिस्सा है। यहाँ चूँकि मुख़ताब अज़ीज़े मिस्र है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों को अभी तक यह मालूम नहीं था कि यह मोमिन है या नहीं, इसलिये ऐसा आम जुमला इख़्तियार किया जिसमें दुनिया व आख़िरत दोनों की जज़ा (बदला) शामिल है। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

इसके अलावा बज़ाहिर मौक़ा तो इस जगह इसका था कि चूँकि अज़ीज़े मिस्र से ख़िताब था इसलिये इस जुमले में भी ख़िताब ही के लफ़ज़ से यह कहा जाता कि तुमको अल्लाह तआला जज़ा-ए-ख़ैर देंगे, लेकिन चूँकि उनका तो मोमिन होना मालूम न था इसलिये आम उनवान इख़्तियार किया और खुसूसी तौर पर उनको जज़ा मिलने का ज़िक्र नहीं किया। (तफ़सीर कुतुबी)

فَدَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا.

से साबित हुआ कि जब इनसान किसी तकलीफ़ व मुसीबत में गिरफ़्तार हो और फिर अल्लाह तआला उससे निजात अता फ़रमाकर अपनी नेमत से नवाज़ें तो अब उसको पिछली मुसीबतों का ज़िक्र करने के बजाय अल्लाह तआला के उस इनाम व एहसान ही का ज़िक्र करना

चाहिये जो अब हासिल हुआ हो, मुसीबत से निजात और अल्लाह के इनाम के हासिल होने के बाद भी पिछली तकलीफ व मुसीबत को रोते रहना नाशुक्री है, ऐसे ही नाशुक्री को कुरआने करीम में 'कनूद' कहा गया है:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

कनूद कहते हैं, उस शख्स को जो एहसानात को याद न रखे सिर्फ तकलीफों और मुसीबतों को याद रखे।

इसी लिये यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाईयों के अमल से लम्बे समय तक जिन मुसीबतों से साबक़ा पड़ा था उनका इस वक़्त कोई ज़िक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहु के इनामात ही का ज़िक्र फ़रमाया।

सब्र व परहेज़गारी हर मुसीबत का इलाज है

إِنَّهُ مِنْ تَقَىٰ وَصَبْرٍ

से मालूम हुआ कि तक्वा यानी गुनाहों से बचना और तकलीफों पर सब्र व साबित-क़दमी, ये दो सिफ़तें ऐसी हैं जो इनसान को हर बला व मुसीबत से निकाल देती हैं। कुरआने करीम ने बहुतों से मौकों पर इन्हीं दो सिफ़तों पर इनसान की फ़लाह व कामयाबी का मदार रखा है। इरशाद है:

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

“यानी अगर तुमने सब्र व तक्वा इख़्तियार कर लिया तो दुश्मनों की मुखातिफ़ाना तदबीरें तुम्हें कोई तकलीफ़ और नुक़सान न पहुँचा सकेंगी।”

यहाँ बज़ाहिर यह दावा मालूम होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने मुत्तकी और साबिर होने का दावा कर रहे हैं कि हमारे सब्र व तक्वे की वजह से हमें मुश्किलों से निजात और बुलन्द दर्जे नसीब हुए मगर किसी को खुद अपने तक्वे का दावा करना कुरआनी हिदायत के अनुसार वर्जित और मना है:

فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أُتْفَىٰ

“यानी अपनी पाकी न जतलाओ, अल्लाह ही ज़्यादा जानता है कि कौन मुत्तकी है।”

मगर यहाँ दर हकीक़त दावा नहीं बल्कि अल्लाह तआला की नेमत व एहसानात का ज़िक्र है कि उसने अव्वल हमको सब्र व तक्वे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई फिर उसके ज़रिये तमाम नेमतें अता फ़रमाई।

لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

“यानी आज तुम पर कोई मलामत नहीं।” यह उम्दा और बेहतरीन अज़्लाक़ का आला मक़ाम है कि ज़ालिम को सिर्फ़ माफ़ ही नहीं कर दिया बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब तुम पर कोई मलामत भी नहीं।

اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوَّةَ عَلَى وَجْهِ اِنِّي يَا تَبَصِّرًا وَاَنْتُوْنِي بِاَهْلِكُمْ
 اَجْمَعِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمُ رَّبِّي لَا جِدُ رَيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفْتِدُوْنِي ۝
 قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرَ الْغَمَّهُ عَلَى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بِصِيْرًا
 قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ ۙ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يَا اَبَانَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّكَ كُنَّا
 خٰطِيْنَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْٓ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَى يُوْسُفَ اَوَّلَهٗ
 اِلَيْهٖ اَبُوْيهٖ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرًا نَّ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنٌ ۝ وَرَفَعَ اَبُوْيهٖ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ
 سُجَّدًا ۝ وَقَالَ يَا بَيْتَ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ رَقَدْ جَعَلْتُمْ بَيْنِيْٓ اَحْسَنَ مِنْ اِذِ
 اٰخَرَجْتَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَعَنَا مِنَ السِّجْنِ بَيْنِيْٓ وَبَيْنَ اٰخُوْتِيْٓ ۙ اِنَّ
 رَبِّيْٓ لَطِيْفٌ لِّمَآ يَشَآءُ ۙ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

इज़हबू बि-कमीसी हाज़ा फ़अल्कूहु
 अला वजिह-अबी यअत्ति
 बसीरन् वअतूनी बिअह्लिकुम्
 अज्मजीन (93) ❁
 व लम्मा फ-स-लतिल्-अीरु का-ल
 अबूहुम् इन्नी ल-अजिदु री-ह यूसु-फ
 लौ ला अन् तुफन्निदून (94) कालू
 तल्लाहि इन्न-क लफी ज़लालिकल्-
 कदीम (95) ❁ फ-लम्मा अन्
 जाअल्-बशीरु अल्काहु अला वजिहही
 फ़रतद्-द बसीरन्, का-ल अलम्
 अकुल् लकुम् इन्नी अअ्लमु
 मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून (96)
 कालू या अबानस्तग़फ़िर् लना

ले जाओ यह कुर्ता मेरा और डालो इसको
 मुँह पर मेरे बाप के कि चला आये आँखों
 से देखता हुआ, और ले आओ मेरे पास
 घर अपना सारा। (93) ❁
 और जब जुदा हुआ काफिला कहा उनके
 बाप ने मैं पाता हूँ बू (गंध) यूसुफ की
 अगर न कहो मुझको कि बूढ़ा बहक गया।
 (94) लोग बोले कसम अल्लाह की तू तो
 अपनी उसी पुरानी ग़लती में है। (95) ❁
 फिर जब पहुँचा ख़ुशख़बरी वाला डाला
 उसने वह कुर्ता उसके मुँह पर फिर लौट
 कर हो गया देखने वाला, बोला मैंने यह न
 कहा था तुमको कि मैं जानता हूँ अल्लाह
 की तरफ से जो तुम नहीं जानते। (96)
 बोले ऐ बाप! बख़्शवा हमारे गुनाहों को

जुनुबना इन्ना कुन्ना ख्रातिईन (97)
 काल सौ-फ अस्तगिफिरु लकुम् रब्बी,
 इन्नहू हुवल गुफूररहीम (98)
 फ-लम्मा द-खलू अला यूसु-फ आवा
 इलैहि अ-बवैहि व कालदखुलू
 मिस्र-र इन्शा-अल्लाहु आमिनीन (99)
 व र-फ-अ अ-बवैहि अलल्-अरिंश व
 हारू लहू सुज्जदन् व काल या
 अ-बति हाजा तअवीलु रुअ्या-य
 मिन् कब्लु, कद् ज-अ-लहा रब्बी
 हक्कन्, व कद् अह्स-न बी इज़्
 अरुर-जनी मिनस्सिज्जि व जा-अ
 बिकुम् मिनल्बद्वि मिम्-बअदि अन्
 न-जगशैतानु बैनी व बै-न इख्वती,
 इन्-न रब्बी लतीफुल्लिमा यशा-उ,
 इन्नहू हुवल अलीमुल्-हकीम (100)

बेशक हम थे चूकने वाले। (97) कहा दम
 लो बख्शवाऊंगा तुमको अपने रब से,
 वही है बख्शाने वाला मेहरबान। (98) फिर
 जब दाखिल हुए यूसुफ के पास जगह दी
 अपने पास अपने माँ-बाप को और कहा
 दाखिल होओ मिस्र में अल्लाह ने चाहा
 तो दिल के सुकून के साथ। (99) और
 ऊँचा बिठाया अपने माँ बाप को तख्त पर
 और सब गिरे उसके आगे सज्दे में और
 कहा- ऐ बाप! यह बयान है मेरे उस
 पहले ख़ाब का, उसको मेरे रब ने सच
 कर दिया और उसने इनाम किया मुझ पर
 जब मुझको निकाला कैदख़ाने से और
 तुमको ले आया गाँव से इसके बाद कि
 झगड़ा डाल चुका था शैतान मुझ में और
 मेरे भाईयों में, मेरा रब तदबीर से करता
 है जो चाहता है, बेशक वही है ख़बरदार
 हिक्मत वाला। (100)

खुलासा-ए-तफसीर

अब तुम (मेरे बाप को जाकर खुशख़बरी दो और खुशख़बरी के साथ) मेरा यह कुर्ता (भी) लेते जाओ और इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो (इससे) उनकी आँखें रोशन हो जाएँगी (और यहाँ तशरीफ़ ले आयेंगे), और अपने (बाकी) घर वालों को (भी) सब को मेरे पास ले आओ (कि सब मिलें और खुश हों, क्योंकि मौजूदा हालत में मेरा जाना मुश्किल है, इसलिये घर वाले ही चले आयें)।

और जब (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बातचीत हो चुकी और आपके फरमाने के मुताबिक़ कुर्ता लेकर चलने की तैयारी की और) काफ़िला (मिस्र शहर से) चला (जिसमें ये लोग भी थे) तो उनके बाप ने (अपने पास वालों से) कहना शुरू किया कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाला न समझो तो एक बात कहूँ कि मुझको तो यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की खुशबू

आ रही है (मोजिज़ा इस्त्रियारी नहीं होता इसलिये इससे पहले यह एहसास व इल्म न हुआ)। वे (पास वाले) कहने लगे कि खुदा की कसम! आप तो अपने उसी पुराने ग़लत ख्याल में मुब्तला हैं (कि यूसुफ़ जिन्दा हैं और मिलेंगे, उसी ख्याल के ग़लबे से अब खुशबू का वहम हो गया और वास्तव में न खुशबू है न कुछ और है। याक़ूब अलैहिस्सलाम ख़ामोश हो गये)। पस जब (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सही सलामत होने की) खुशख़बरी लाने वाला (मय कुर्ते के यहाँ) आ पहुँचा तो (आते ही) उसने वह कुर्ता उनके मुँह पर लाकर डाल दिया। पस (आँखों को लगना था और दिमाग़ में खुशबू पहुँचना कि) फ़ौरन ही उनकी आँखें खुल गईं (और उन्होंने सारा माज़रा आप से बयान किया) आपने (बेटों से) फ़रमाया, क्यों! मैंने तुमसे कहा न था कि अल्लाह तआला की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते (और इसलिये मैंने तुमको यूसुफ़ की तलाश के लिये भेजा था, देखो आख़िर अल्लाह तआला ने मेरी उम्मीद पूरी की। उनका यह कौल इससे ऊपर के रुकूअ में आ चुका है, उस वक़्त) सब बेटों ने कहा कि ऐ हमारे बाप! हमारे लिये (खुदा से) हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए (हमने जो कुछ आपको यूसुफ़ के मामले में तकलीफ़ दी) हम बेशक ख़तावार थे (मतलब यह है कि आप भी माफ़ कर दीजिये क्योंकि आदतन किसी के लिये इस्तिग़फ़ार वही करता है जो खुद भी पकड़ करना नहीं चाहता)।

याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया जल्द ही तुम्हारे लिये अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, बेशक वह बख़्शाने वाला, रहम करने वाला है (और इसी से उनका माफ़ कर देना भी मालूम हो गया और जल्द ही का मतलब यह है कि तहज़ुद का वक़्त आने दो जो कि कुबूलियत की घड़ी है, जैसा कि किताब दुर्रे मन्सूर में मरफ़ूअन नक़ल किया गया है)।

(ग़र्ज़ कि सब मिस्त्र को तैयार होकर चल दिये और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़बर सुनकर स्वागत के लिये मिस्त्र से बाहर तशरीफ़ लाये और बाहर ही मुलाकात का सामान किया गया) फिर जब ये सब-के-सब यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे तो उन्होंने (सबसे मिल-मिलाकर) अपने माँ-बाप को (अदब के तौर पर) अपने पास जगह दी, और (बातचीत से फ़ारिग़ होकर) कहा कि सब मिस्त्र में चलिये (और) खुदा को मन्ज़ूर है तो (वहाँ) अमन-चैन से रहिये (जुदाई का ग़म और सूखा पड़ने की परेशानी सब दूर हो गये)। ग़र्ज़ कि सब मिस्त्र में पहुँचे) और (वहाँ पहुँचकर अदब के तौर पर) अपने माँ-बाप को (शाही) तख़्त पर ऊँचा बिठाया, और (उस वक़्त सब के दिलों पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बड़ाई ऐसी ग़ालिब हुई कि) सब-के-सब उनके आगे सज्दे में गिर गये, और (यह हालत देखकर) वह कहने लगे कि ऐ अब्बा! यह है मेरे ख़्वाब की ताबीर जो पहले ज़माने में देखा था (कि सूरज व चाँद और ग्यारह सितारे मुझको सज्दा करते हैं) मेरे रब ने उस (ख़्वाब) को सच्चा कर दिया (यानी उसकी सच्चाई का ज़हूर कर दिया) और (इस सम्मान के सिवा मेरे रब ने मुझ पर और इनामात भी फ़रमाये, चुनाँचे) मेरे साथ (एक) उस वक़्त एहसान फ़रमाया जिस वक़्त मुझको कैद से निकाला (और इस बादशाहत के मर्तबे तक पहुँचाया) और (दूसरा यह इनाम फ़रमाया कि) इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाईयों के बीच फ़साद डलवा दिया था (जिसका तकाज़ा तो यह था कि उम्र भर भी इकट्ठे और मुत्तफ़िक़ न होते

मगर अल्लाह तअ़ाला की इनायत है कि (यह) तुम सब को (जिनमें मेरे भाई भी हैं) बाहर से (यहाँ) ले आया (और सब को मिला दिया)। बेशक मेरा रब जो चाहता है उसकी उम्दा तदबीर कर देता है, बेशक वह बड़ा इल्म वाला और हिक्मत वाला है (अपने इल्म व हिक्मत से सब मामलात की तदबीर दुरुस्त कर देता है)।

मअरिफ़ व मसाईल

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से मुताल्लिक पहले गुज़री आयतों में यह मालूम हो चुका है कि जब अल्लाह की मंशा के मुताबिक़ इसका वक़्त आ गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना राज़ भाईयों पर ज़ाहिर कर दें तो उन्होंने हकीकत ज़ाहिर कर दी, भाईयों ने माफ़ी माँगी, उन्होंने न सिर्फ़ यह कि माफ़ कर दिया बल्कि पिछले वाकिआत पर कोई मलामत करना भी पसन्द नहीं किया। उनके लिये अल्लाह तअ़ाला से दुआ की और अब वालिद से मुलाकात की फ़िक्र हुई। हालात के लिहाज़ से मुनासिब यह समझा कि वालिद साहिब ही मय ख़ानदान के यहाँ तशरीफ़ लायें, मगर मालूम हो चुका था कि उनकी बीनाई (आँखों की रोशनी) इस जुदाई में जाती रही, इसलिये सबसे पहले इसकी फ़िक्र हुई और भाईयों से कहा:

اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوَةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا.

“यानी तुम मेरा यह कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जायेगी।” यह ज़ाहिर है कि किसी के कुर्ते का चेहरे पर डाल देना बीनाई के वापस आने का कोई माद्दी सबब नहीं हो सकता, बल्कि यह एक मोजिज़ा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि उनको अल्लाह के हुक्म से मालूम हो गया कि जब उनका कुर्ता वालिद के चेहरे पर डाला जायेगा तो अल्लाह तअ़ाला उनकी बीनाई बहाल फ़रमा देंगे।

और इमाम ज़ह्राक और इमाम मुजाहिद वगैरह तफ़्सीर के इमामों ने फ़रमाया कि यह उस कुर्ते की ख़ुसूसियत थी, क्योंकि यह आ़ाम कपड़ों की तरह न था बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये जन्नत से उस वक़्त लाया गया था जब उनको नंगा करके नमरूद ने आग में डाला था, फिर यह जन्नत का लिबास हमेशा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास महफूज़ रहा और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के पास रहा, उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मिला, आपने इसको एक बड़ी तबरुक (बरकत) वाली चीज़ की हैसियत से एक नुल्की में बन्द करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गले में तावीज़ के तौर पर डाल दिया था ताकि बुरी नज़र से महफूज़ रहें, और उनके भाईयों ने जब उनका कुर्ता वालिद को धोखा देने के लिये उतार लिया और वह नंगा बदन करके कुएँ में डाल दिये गये तो जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और गले में पड़ी हुई नुल्की खोलकर उससे यह कुर्ता बरामद किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहना दिया, और यह उनके पास बराबर महफूज़ चला आया, इस वक़्त भी जिब्रीले अमीन ही ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह मशियरा दिया कि यह जन्नत का लिबास

है इसकी खासियत यह है कि नाबीना के चेहरे पर डाल दो तो वह बीना (देखने वाला) हो जाता है, और फरमाया कि इसको अपने वालिद के पास भेज दीजिये तो वह बीना हो जायेंगे।

और हज़रत मुजहिद अल्फे सानी रह. की तहकीक़ यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल (सुन्दरता) और उनका वजूद खुद जन्म ही की एक चीज़ थी इसलिये उनके जिस्म से लग जाने की वजह से हर कुर्ते में यह खासियत हो सकती है। (तफसीरे मज़हरी)

وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

“यानी तुम सब भाई अपने सब बाल-बच्चों और घर वालों को मेरे पास मिस्र ले आओ।”

असल मक़सद तो वालिद मोहतरम को बुलाने का था मगर यहाँ स्पष्ट रूप से वालिद के बजाय ख़ानदान को लाने का ज़िक्र किया, शायद इसलिये कि वालिद को यहाँ लाने के लिये कहना अदब के खिलाफ़ समझा, और यह यकीन था ही कि जब वालिद की बीनाई वापस आ जायेगी और यहाँ आने से कोई उज़्र (मजबूरी) रुकावट नहीं रहेगा तो वह खुद ही ज़रूर तशरीफ़ लायेंगे। इमाम क़ुर्तुबी ने एक रिवायत नक़ल की है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से यहूदा ने कहा कि यह कुर्ता मैं ले जाऊँगा, क्योंकि इनके कुर्ते पर झूठा खून लगाकर भी मैं ही ले गया था जिससे वालिद को सदमे पहुँचे, अब उसकी तलाफ़ी भी मेरे ही हाथ से होना चाहिये।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ

“यानी जब काफ़िला शहर से बाहर निकला ही था” तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास वालों से कहा कि अगर तुम मुझे बेवक़ूफ़ न कहो तो मैं तुम्हें बतलाऊँ कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक़ शहर मिस्र से किनआन तक आठ दिन के सफ़र का रास्ता था, और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अस्सी फ़र्सख़ यानी तक़रीबन अढ़ाई सौ मील का फ़ासला था, अल्लाह तआला ने इतनी दूर से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ के ज़रिये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू याक़ूब अलैहिस्सलाम के दिमाग़ तक पहुँचा दी, और यह अजीब बातों में से है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वतन किनआन ही के एक कुएँ में तीन दिन तक पड़े रहे तो उस वक़्त यह खुशबू महसूस नहीं हुई। यहीं से मालूम होता है कि कोई मोज़िज़ा पैग़म्बर के इख़्तियार में नहीं होता, बल्कि दर हकीकत मोज़िज़ा पैग़म्बर का अपना फ़ेल व अमल भी नहीं होता, वह डायरेक्ट अल्लाह तआला का फ़ेल होता है, जब अल्लाह तआला इरादा फरमाते हैं तो मोज़िज़ा ज़ाहिर कर देते हैं और जब अल्लाह की इजाज़त नहीं होती तो क़रीब से क़रीब भी दूर हो जाता है।

قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝

“यानी मज्लिस में मौजूद लोगों ने याक़ूब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा कि बखुदा! आप तो अपने उसी पुराने ख़्याल में मुब्तला हैं” कि यूसुफ़ ज़िन्दा हैं और वह फिर मिलेंगे।

لَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرُ

“यानी जब यह खुशाखबरी देने वाला किनआन पहुँचा” और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया तो फौरन उनकी बीनाई वापस आ गई। खुशाखबरी देने वाला वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा था जो उनका कुर्ता मिस्र से लाया था।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

“यानी क्या मैं न कह रहा था कि मुझे अल्लाह तआला की तरफ से वह इल्म हासिल है जिसकी आप लोगों को खबर नहीं, कि यूसुफ ज़िन्दा हैं और वह फिर मिलेंगे।”

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝

अब जबकि असल हकीकत स्पष्ट होकर सामने आ गई तो यूसुफ के भाईयों ने वालिद से अपनी खताओं की माफ़ी इस शान से माँगी कि वालिद से दरखास्त की कि हमारे लिये अल्लाह तआला से मग़फ़िरत की दुआ करें, और यह ज़ाहिर है कि जो शख्स अल्लाह तआला से उनकी खता माफ़ करने की दुआ करेगा वह खुद भी उनकी खता माफ़ कर देगा।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي.

यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अल्लाह तआला से माफ़ी की दुआ करूँगा।

यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ करने के बजाय वादा किया कि जल्द ही दुआ करूँगा। इसकी वजह आम मुफ़स्सिरिन ने यह लिखी है कि इससे मक़सद यह था कि एहतिमाम के साथ रात के आखिरी हिस्से में दुआ करें, क्योंकि उस वक़्त की दुआ खुसूसियत से कुबूल की जाती है, जैसा कि सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआला हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब आसमान पर अपनी तवज्जोह नाज़िल फ़रमाते हैं और यह ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ माँगे तो मैं उसको कुबूल कर लूँ। कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ

कुछ रिवायतों में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा अपने भाईयों के साथ दो सौ ऊँटों पर लदा हुआ बहुत-सा सामान कपड़ों और दूसरी ज़रूरतों का भेजा था, ताकि पूरा खानदान मिस्र आने के लिये उम्दा तैयारी कर सके, उसके मुताबिक़ याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और तमाम मुताल्लिकीन मिस्र के लिये तैयार होकर निकले, तो एक रिवायत में उनकी संख्या 72 और दूसरी में 93 मर्द व औरत आदमियों पर मुश्तमिल थी।

दूसरी तरफ़ जब मिस्र पहुँचने का वक़्त करीब आया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मिस्र मुल्क के लोग स्वागत के लिये शहर से बाहर तशरीफ़ लाये, और चार हज़ार सिपाही उनके साथ सलामी देने के लिये निकले। जब ये हज़रत मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकान में दाख़िल हुए तो उन्होंने अपने माँ-बाप को अपने पास ठहराया।

यहाँ ज़िक्र माँ-बाप का है, हालाँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इन्तिकाल बचपन ही में हो चुका था, मगर उनके बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने मरहूमा की बहन लय्या से निकाह कर लिया था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़ाला होने की हैसियत से भी माँ के जैसी थीं, और वालिद के निकाह में होने की हैसियत भी वालिदा ही कहलाने की हक़दार थीं। (1)

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنًا ۝

यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़ानदान के सब लोगों से कहा कि आप सब अल्लाह की इजाज़त से मिस्र में बिना किसी ख़ौफ़ व ख़तरे और बिना किसी पाबन्दी के दाख़िल हो जायें। मतलब यह था कि दूसरे मुल्क में दाख़िल होने वाले मुसाफ़िरों पर जो पाबन्दियाँ आदतन हुआ करती हैं आप उन सब पाबन्दियों से आज़ाद हैं।

وَرَفَعَ اَبُوهُ عَلٰى الْعَرْشِ

यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ-बाप को अपने शाही तख़्त पर बैठाया।

وَخَرُّوا لَهٗ سُجَّدًا

यानी माँ-बाप और सब भाईयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सज्दा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि यह सज्दा-ए-शुक्र अल्लाह तआला के लिये किया गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं था। और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि इबादत का सज्दा तो हर पैग़म्बर की शरीअत में गैरुल्लाह के लिये हराम था लेकिन ताज़ीम (सम्मान) के तौर पर सज्दा पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतों में जायज़ था जो इस्लामी शरीअत में शिर्क का ज़रिया होने की वजह से ममनू (वर्जित) हो गया है, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में ज़िक्र किया गया है कि किसी गैरुल्लाह के लिये सज्दा हलाल नहीं।

وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاوِيْلٌ رُّءُۤىٓاۤى

यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब दोनों माँ-बाप और ग्यारह भाईयों ने एक साथ सज्दा किया तो उनको अपना वह बचपन का ख़्वाब याद आ गया और फ़रमाया कि ऐ अब्बा जान!

(1) यह स्पष्टता उस रिवायत के मुताबिक़ है जिसमें कहा गया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा बिनयामीन की विलादत के वक़्त वफ़ात पा गई थीं, इस बिना पर यहाँ हज़रत मुसन्निफ़ रह. की यह इबारत पहले गुज़री (आयत नम्बर 7-20 की तफ़सीर में) इबारत से टकराने वाली मालूम होती है, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील को करार दिया गया है, लेकिन दर असल इस मामले में कोई मोतबर रिवायत तो है नहीं, इस्राईली रिवायतें हैं और उनमें भी विरोधाभास है, खुद तफ़सीर रूहुल-मज़ानी के लेखक ने लिखा है कि यहूदी हज़रत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा के बिनयामीन की विलादत के वक़्त इन्तिकाल के कायल नहीं हैं, अगर इस रिवायत को लिया जाये तो कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। इस सूरत में शाही तख़्त पर माँ-बाप को बैठाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी वालिदा मुराद होंगी। इमाम इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रह. ने इसी को ज़्यादा सही करार दिया है। चुनौचे इमाम इब्ने कसीर रह. इस पर बहस करते हुए फ़रमाते हैं:

قال ابن جرير ولم يحم دليل على موت امه (ای ام یوسف علیہ السلام) وظاهر القرآن يدل علی حیاتها.

मुहम्मद तक़ी उस्मानी।

यह मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो बचपन में देखा था कि सूरज व चाँद और ग्यारह सितारे मुझे सज्दा कर रहे हैं, अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने उस ख्वाब की सच्चाई को जाँखों से दिखला दिया।

अहकाम व मसाईल

1. हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बेटों की माफी व दुआ-ए-इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त पर जो यह फ़रमाया कि “जल्द ही तुम्हारे लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करूँगा” और फ़ौरन दुआ नहीं की, इस देरी की एक वजह कुछ हज़रात ने यह भी बयान की है कि मन्ज़ूर यह था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलकर पहले यह तहकीक़ हो जाये कि उन्होंने इनकी ख़ता माफ़ कर दी है या नहीं, क्योंकि जब तक मज़लूम माफी न दे अल्लाह के नज़दीक भी माफी नहीं होती, ऐसी हालत में दुआ-ए-मग़फ़िरत भी मुनासिब न थी।

यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही और उसूली है कि बन्दों के हुक्क की तौबा बग़ैर इसके माफ़ नहीं होती कि हक़ वाला अपना हक़ वसूल कर ले या माफ़ कर दे, महज़ ज़बानी तौबा व इस्तिग़फ़ार काफ़ी नहीं।

2. हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. की रिवायत है कि जब यहूदा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेकर आये और याक़ूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो पूछा कि यूसुफ़ कैसे हैं? उन्होंने बतलाया कि वह मिस्र के बादशाह हैं। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं इसको नहीं पूछता कि वह बादशाह हैं या फ़कीर, पूछना यह है कि ईमान और अमल के एतिबार से क्या हाल है? तब उन्होंने उनके तक्वे व पाकीज़गी के हालात बतलाये। यह है नबियों की मुहब्बत और ताल्लुक़ कि औलाद की जिस्मानी राहत से ज़्यादा उनकी रूहानी हालत की फ़िक़र करते हैं, हर मुसलमान को इसी की पैरवी करनी चाहिये।

3. हज़रत हसन रह. से रिवायत है कि जब खुशख़बरी देने वाला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर पहुँचा तो याक़ूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उसको कुछ इनाम दें मगर हालात साज़गार न थे, इसलिये उज़्र किया कि सात दिन से हमारे घर में रोटी नहीं पकी, इसलिये मैं कुछ माही इनाम तो नहीं दे सकता, मगर यह दुआ देता हूँ कि अल्लाह तआला तुम पर मौत की सख़्ती को आसान कर दें। इमाम कुर्तुबी रह. ने फ़रमाया कि यह दुआ उनके लिये सबसे बेहतर इनाम था।

4. इस वाकिए से यह भी मालूम हुआ कि खुशख़बरी देने वाले को इनाम देना नबियों की सुन्नत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकिआ मशहूर है कि ग़ज़वा-ए-तबूक में शिक़त न करने पर जब उन पर नाराज़गी पड़ी और बाद में तौबा कुबूल की गई तो जो शख़्स तौबा कुबूल होने की खुशख़बरी लाया था आपने अपना जोड़ा कपड़ों का उतार कर उसको पहना दिया।

और इससे यह भी साबित हुआ कि खुशी के मौके पर खुशी के इज़हार के लिये दोस्तों

वगैरह को खाने की दावत देना भी सुन्नत है। हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सूर: ब-करह पढ़कर ख़त्म की तो खुशी में एक ऊँट जिबह करके लोगों को खिलाया।

5. हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने वाक़िए की हक़ीक़त ज़ाहिर हो जाने के बाद अपने वालिद और भाई से माफ़ी माँगी। इससे मालूम हुआ कि जिस शख़्स के हाथ या ज़बान से किसी शख़्स को तकलीफ़ पहुँची या उसका कोई हक़ उसके जिम्मे रहा तो उस पर लाज़िम है कि फ़ौरन उस हक़ को अदा कर दे या उससे माफ़ करा ले।

बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के जिम्मे दूसरे का कोई माली हक़ वाजिब हो या उसको कोई तकलीफ़ हाथ या ज़बान से पहुँचाई हो तो उसको चाहिये कि आज उसको अदा कर दे, या माफ़ी माँगकर उससे छुटकारा हासिल कर ले, इससे पहले कि क़ियामत का दिन आ जाये जहाँ किसी के पास कोई माल हक़ अदा करने के लिये न होगा, इसलिये उसके नेक आमाल मज़लूम को दे दिये जायेंगे, यह ख़ाली रह जायेगा, और अगर उसके आमाल भी नेक नहीं तो दूसरे के जो गुनाह हैं उसके सर पर डाल दिये जायेंगे। अल्लाह तआला हमें इससे अपनी पनाह में रखे।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र व शुक्र

इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माँ-बाप के सामने कुछ अपनी आप बीती बयान करनी शुरू की। यहाँ एक मिनट ठहरकर गौर कीजिये कि आज अगर किसी को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े जितनी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुज़री और माँ-बाप से इतनी लम्बी जुदाई और मायूसी के बाद मिलने का इत्तिफ़ाक़ हो तो वह माँ-बाप के सामने अपनी आप बीती क्या बयान करेगा, कितना रोयेगा और रुलायेगा, और कितने दिन रात मुसीबतों की दास्तान सुनाने में ख़र्च करेगा, मगर यहाँ दोनों तरफ़ अल्लाह तआला के रसूल और पैग़म्बर हैं, उनका तर्ज अमल देखिये। याक़ूब अलैहिस्सलाम के बिछड़े हुए बेटे हज़ारों मुसीबतों के दौर से गुज़रने के बाद जब वालिद से मिलते हैं तो क्या फ़रमाते हैं:

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذَا أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَمِنْ بُعْدِ أَنْ تُرْعَ الشَّيْطَانُ نِسِيَّ وَبَيْنَ إِخْوَتِي.

“यानी अल्लाह तआला ने मुझ पर एहसान फ़रमाया जबकि मुझे कैदख़ाने से निकाल दिया, और आपको बाहर से यहाँ ले आया, इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाईयों के बीच फ़साद डलवा दिया था।”

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुसीबतें तरतीबवार तीन हिस्सों में तक़सीम होती हैं- अव्वल भाईयों का जुल्म व ज़्यादती, दूसरे माँ-बाप से लम्बी जुदाई, तीसरे कैदख़ाने की तकलीफ़ें। खुदा तआला के इस मक़बूल पैग़म्बर ने अपने बयान में पहले तो वाक़िआत की तरतीब को बदलकर कैद से बात शुरू की और इसमें कैदख़ाने में दाख़िल होने और वहाँ की तकलीफ़ों का नाम नहीं

लिया बल्कि कैदखाने से निकलने का ज़िक्र अल्लाह तआला के शुक्र के साथ बयान किया, कैदखाने से निजात और उस पर अल्लाह का शुक्र के ज़िम्न में यह भी बतला दिया कि मैं किसी वक्त कैदखाने में भी रहा हूँ।

यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेलखाने से निकलने का ज़िक्र किया, भाईयों ने जिस कुएँ में डाला था उसका इस हैसियत से भी ज़िक्र नहीं किया कि अल्लाह तआला ने मुझे उस कुएँ से निकाला, वजह यह है कि भाईयों की ख़ता पहले माफ़ कर चुके थे, और फरमा चुके थे 'आज तुम पर कोई मलामत नहीं' इसलिये मुनासिब न समझा कि अब उस कुएँ का किसी तरह से भी ज़िक्र आये, ताकि भाई शर्मिन्दा न हों। (तफसीरी क़ुर्तुबी)

उसके बाद माँ-बाप की लम्बी और सब्र का इम्तिहान लेने वाली जुदाई और उसके अनुभवों और पेश आने वाले हालात को ज़िक्र करना था तो इन सब बातों को छोड़कर उसके आखिरी अन्जाम और माँ-बाप से मुलाकात का ज़िक्र अल्लाह तआला के शुक्र के साथ किया कि आपको देहात से भिन्न शहर में पहुँचा दिया। इसमें इस नेमत की तरफ़ भी इशारा है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम का वतन देहात में था, जहाँ रोज़गार की सहूलतें और आसानियाँ कम होती हैं अल्लाह तआला ने शहर में शाही सम्मान के साथ अन्दर पहुँचा दिया।

अब पहली बात रह गई 'भाईयों का जुल्म व ज़्यादती' सो उसको भी शैतान के हवाले करके इस तरह बेबाक़ कर दिया कि मेरे भाई तो ऐसे न थे जो यह काम करते, शैतान ने उनको धोखे में डालकर यह फसाद करा दिया।

यह है नुबुव्वत की शान कि मुसीबतों और तकलीफों पर सिर्फ़ सब्र ही नहीं बल्कि हर जगह शुक्र का पहलू निकाल लेते हैं, इसी लिये उनका कोई हाल ऐसा नहीं होता जिसमें वे अल्लाह तआला के शुक्रगुज़ार न हों, बख़िलाफ़ आम इनसानों के कि उनका यह हाल होता है कि अल्लाह तआला की हज़ारों नेमतें बरसती रहें तो भी किसी का ज़िक्र न करें और किसी वक्त कोई मुसीबत पड़ जाये तो उसको उम्र भर गाते रहें। कुरआन में इसी की शिकायत की गई है:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

"यानी इनसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है।"

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुसीबतों की दास्तान को तीन लफ़्ज़ों में मुख़्तसर करने के बाद फरमाया:

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"यानी मेरा परवर्दिगार जो चाहता है उसकी बारीक तदबीर कर देता है, बिना शुब्हा वह बड़ा इल्म वाला हिक्मत वाला है।"

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَالِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَنْتَ وَآلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

रब्बि कद् आतैतनी मिनल्मुल्कि व
अल्लम्तनी मिन् तअवीलिल्-
अहादीसि फातिरस्समावाति वल्अर्जि,
अन्-त वलिय्यी फिद्दुन्या
वल्आखिरति तवफ्फनी मुस्लिमं-व
अल्हिकनी बिस्सालिहीन (101)

ऐ रब! तूने दी मुझको कुछ हुकूमत और
सिखाया मुझको कुछ फेरना बातों का, ऐ
पैदा करने वाले आसमान और ज़मीन के
तू ही मेरा कारसाज़ है दुनिया में और
आखिरत में, मौत दे मुझको इस्ताम पर
और मिला मुझको नेकबख्तों में। (101)

खुलासा-ए-तफसीर

(इसके बाद सब हंसी-खुशी रहते रहे यहाँ तक कि याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र खत्म पर पहुँची और वफ़ात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक़ मुल्के शाम में लेजाकर अपने बुजुर्गों के पास दफ़न किये गये। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी आखिरत का शौक़ बढ़ा और दुआ की कि) ऐ मेरे परवर्दिगार! आपने मुझको (हर तरह की नेमतें दीं, ज़ाहिरी भी बातिनी भी, ज़ाहिरी यह कि जैसे) सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया, और (बातिनी यह कि जैसे) मुझको ख़्वाबों की ताबीर देना तालीम फ़रमाया (जो कि एक बड़ा इल्म है, खुसूसन जबकि वह यकीनी हो जो मौक़ूफ़ है वही पर, पस उसका वजूद जुड़ा होगा नुबुव्वत के अता करने को) ऐ आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले! आप मेरे कारसाज़ हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी (पस जिस तरह दुनिया में मेरे सारे काम बना दिये कि सल्तनत दी, इल्म दिया, उसी तरह आखिरत के काम भी बना दीजिये कि) मुझको फ़रमाँबरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिये और ख़ास नेक बन्दों में शामिल कर दीजिये (यानी मेरे बुजुर्गों में जो बड़े-बड़े नबी हुए हैं उनमें मुझको भी पहुँचा दीजिये)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में तो वालिदे बुजुर्गवार से ख़िताब था, उसके बाद जबकि माँ-बाप और भाईयों की मुलाक़ात से एक अहम मक़सद हासिल होकर सुकून मिला तो डायरेक्ट हक़ तआला की तारीफ़ व सना और दुआ में मशगूल हो गये। फ़रमाया:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ. تَوْفَىٰ مُسْلِمًا وَآلِحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

“यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! आपने ही मुझको सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया, और मुझको ख़्वाबों की ताबीर देना तालीम फ़रमाया। ऐ आसमान व ज़मीन के ख़ालिक! आप ही दुनिया व आखिरत में मेरे कारसाज़ हैं, मुझको पूरी फ़रमाँबरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिये, और

मुझको कामिल नेक बन्दों में शामिल रखिये।" कामिल नेक बन्दे अब्बिया अलैहिमुस्सलाम ही हो सकते हैं जो हर गुनाह से मासूम (सुरक्षित) हैं। (तफ़सीरे मजहरी)

इस दुआ में अच्छे ख़ात्मे की दुआ खास तौर पर गौर करने के काबिल है कि अल्लाह तआला के मक़बूल बन्दों का रंग यह होता है कि कितने ही बुलन्द दर्जे दुनिया व आखिरत के उनको नसीब हों और कितने ही रुतबे व पद उनके कदमों में हों वे किसी वक़्त उन पर मगरूर (इतराने वाले) नहीं होते, बल्कि हर वक़्त इसका खटका लगा रहता है कि कहीं ये हालात छिन न जायें या कम न हो जायें। इसकी दुआयें माँगते रहते हैं कि अल्लाह तआला की दी हुई ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें मौत तक बरक़रार रहें, बल्कि उनमें इज़ाफ़ा होता रहे।

यहाँ तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अजीब व ग़रीब किस्सा और इसके ज़िम्न में आई हुई हिदायतों का सिलसिला जो कुरआने करीम में बयान हुआ है पूरा हो गया, इसके बाद का किस्सा कुरआने करीम या किसी मरफ़ूअ हदीस में मन्कूल नहीं, तफ़सीर के अक्सर उलेमा ने तारीख़ी या इस्माईली रिवायतों के हवाले से नक़ल किया है।

तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत हसन रह. की रिवायत से नक़ल किया है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त भाईयों ने कुएँ में डाला था तो उनकी उम्र सत्रह साल की थी, फिर अस्सी साल वालिद से ग़ायब रहे और माँ-बाप की मुलाकात के बाद तेईस साल ज़िन्दा रहे, और एक सौ बीस साल की उम्र में वफ़ात पाई।

और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने फ़रमाया कि अहले किताब की रिवायत में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम की जुदाई का ज़माना चालीस साल का था, फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम मिस्र में तशरीफ़ लाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ सत्रह साल ज़िन्दा रहे, इसके बाद उनकी वफ़ात हो गई।

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इतिहासकारों के हवाले से मजकूर है कि मिस्र में चौबीस साल रहने के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, और वफ़ात से पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह वसीयत फ़रमाई थी कि मेरी लाश को मेरे घतन भेजकर मेरे वालिद इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के पास दफ़न किया जाये।

सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को साल की लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुत्तकिल किया गया, इसी वजह से आ़म यहूदियों में यह रस्म चल गई कि अपने मुर्दों को दूर-दूर से बैतुल-मुक़द्दस में लेजाकर दफ़न करते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की उम्र वफ़ात के वक़्त एक सौ सैंतालीस साल थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम मय अपनी औलाद के जब मिस्र में दाख़िल हुए तो उनकी तादाद तिरानवे मर्द व औरत पर मुशतमिल थी, और जब याक़ूब की यह औलाद यानी बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो इनकी तादाद छह लाख सत्तर हज़ार थी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व इब्ने कसीर)

यह पहले ज़िक्र हो चुका है कि पूर्व अज़ीजे मिस्र के इन्तिकाल के बाद मिस्र के बादशाह ने

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी जुलैखा के साथ करा दी थी।

तौरात और अहले किताब की तारीख़ में है कि उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दो लड़के इफ़राईम और मंशा और एक लड़की रहमत बिनते यूसुफ़ पैदा हुए। रहमत का निकाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, और इफ़राईम की औलाद में यूशा बिन नून पैदा हुए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। (तफ़सीरी मज़हरी)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इन्तिकाल एक सौ बीस साल की उम्र में हुआ और दरिया-ए-नील के किनारे पर दफ़न किये गये।

इब्ने इस्हाक़ ने हज़रत उरवा इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इस्राईल को साथ लेकर मिस्र से निकल जायें, तो वही के द्वारा अल्लाह तआला ने उनको हुक्म दे दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाश को मिस्र में न छोड़ें, उसको अपने साथ लेकर मुल्के शाम चले जायें, और उनके बाप दादा के पास दफ़न करें। इस हुक्म के मुताबिक़ मूसा अलैहिस्सलाम ने तलाश करके उनकी कब्र खोजी जो एक संगे मरमर के ताबूत में थी, उसको अपने साथ किनआन की ज़मीन फिलिस्तीन में ले गये और हज़रत इस्हाक़ और याक़ूब अलैहिमस्सलाम के बराबर में दफ़न कर दिया। (तफ़सीरी मज़हरी)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद अमालिक़ कौम के फ़िरऔन मिस्र पर काबिज़ हो गये और बनी इस्राईल उनकी हुक्मत में रहते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे, मगर इनको विदेशी समझकर तरह-तरह की तकलीफ़ें दी जाने लगीं, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिये अल्लाह तआला ने इनको इस अज़ाब से निकाला। (तफ़सीरी मज़हरी)

हिदायतें व अहकाम

बयान हुई आयतों में एक मसला तो यह मालूम हुआ कि माँ-बाप का अदब व सम्मान वाजिब है जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाकिफ़ से साबित हुआ। दूसरा मसला यह मालूम हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शरीअत में अदब व सम्मान का सच्चा जायज़ था, इसी लिये माँ-बाप और भाईयों ने सच्चा किया, मगर शरीअते मुहम्मदिया में सच्चे को खास इबादत की निशानी करार देकर ग़ैरुल्लाह के लिये हराम करार दिया गया। कुरआन मजीद में फ़रमाया:

لَا تَسْجُدْ وَاللشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

(कि सूरज को सच्चा न करो और न चाँद को) और हदीस में है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुल्के शाम गये और वहाँ देखा कि ईसाई लोग अपने बुजुर्गों को सच्चा करते हैं तो वापस आकर-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने सच्चा करने लगे, आपने मना फ़रमाया और फ़रमाया कि अगर मैं किसी को सच्चा करना जायज़ समझता तो औरत को कहता कि अपने शौहर को सच्चा किया करे। इसी तरह हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सच्चा करना चाहा तो आपने मना

फरमाया:

لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

“यानी ऐ सलमान! मुझे सज्दा न करो, बल्कि सज्दा सिर्फ उस ज़ात को करो जो हमेशा ज़िन्दा व कायम रहने वाली है, जिसको कभी फना नहीं।” (इब्ने कसीर)

इससे मालूम हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये अदब व सम्मान का सज्दा जायज़ नहीं तो और किसी बुजुर्ग या पीर के लिये कैसे जायज़ हो सकता है।

هَذَا تَأْوِيلُ رَأْيِي

से मालूम हुआ कि कई बार ख़्वाब की ताबीर लम्बे ज़माने के बाद ज़ाहिर होती है, जैसे इस वाकिए में चालीस या अस्सी साल के बाद ज़हूर हुआ। (इब्ने जरीर व इब्ने कसीर)

قَدْ أَحْسَنَ بِي

(और उसने मुझ पर इनाम फरमाया) से साबित हुआ कि जो शख्स किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला हो फिर उससे निजात हो जाये तो पैगम्बरों वाली सुन्नत यह है कि निजात पर शुक्र अदा करे और बीमारी व मुसीबत के ज़िक्र को भूल जाये।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ

से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला जिस काम का इरादा फरमाते हैं उसकी ऐसी लतीफ़ और छुपी तदबीरें और सामान कर देते हैं कि किसी को उसका वहम व गुमान भी नहीं हो सकता।

تَوَكَّلْ عَلَىٰ مُسْلِمًا

(मौत दे मुझको इस्लाम पर) में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ईमान व इस्लाम पर मौत की दुआ माँगी है। इससे मालूम हुआ कि खास हालात में मौत की दुआ करना मना नहीं, और सही हदीसों में जो मौत की तमन्ना को मना फरमाया है उसका हासिल यह है कि दुनिया की तकलीफ़ों से घबराकर बेसब्री से मौत माँगने लगे, यह दुरुस्त नहीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना न करे, अगर कहना ही है तो यूँ कहे कि या अल्लाह! मुझे जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी बेहतर है उस वक़्त तक ज़िन्दा रख और जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِيَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اٰمْرَهُمْ

وَهُمْ يَنْكُرُوْنَ ۗ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَمَا تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۗ وَكَاتِبِيْنَ مِنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَنْتَرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۗ وَمَا يُؤْمِنُ اَلَّهْم بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۗ اَقَامِنَا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ

عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ
عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَا مِنَ الشَّرِّ يَكُونُ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِ مِنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ مَا كُنُوا يَعْلَمُونَ مَا كُنُوا يَنْظُرُونَ ۝ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ज़ालि-क मिन् अम्बाइल्लैबि नूहीहि
इलै-क व मा कुन्-त लदैहिम् इज़्
अज्मअू अम्रहुम् व हुम् यम्कुरून
(102) व मा अक्सरुन्नासि व लौ
हरस्-त बिमुअ्मिनीन (103) व मा
तस्अलुहुम् अलैहि मिन् अज़िन्,
इन् हु-व इल्ला जिक्रुल्-लिल्-
आलमीन (104) ●

व क-अद्यियम्-मिन् आयतिन्
फिस्समावाति वल्अर्जि यमुरू-न
अलैहा व हुम् अन्हा मुअ्रिज़्ज़ून
(105) व मा युअ्मिनु अक्सरुहुम्
बिल्लाहि इल्ला व हुम् मुशिरकून
(106) अ-फ-अमिन् अन् तअ्ति-यहुम्
गाशि-यतुम् मिन् अज़ाबिल्लाहि औ
तअ्ति-यहुमुस्साअतु बग़-तंव-व हुम्
ला यश्अुरून (107)कुल् हाज़िही
सबीली अदूअू इलल्लाहि, अला
बसीरतिन् अ-न व मनिन्त-ब-अनी, व

ये ख़बरें हैं ग़ैब की हम भेजते हैं तेरे
पास और तू नहीं था उनके पास जब वे
ठहराने लगे अपना काम और फरेब करने
लगे। (102) और अक्सर लोग नहीं हैं
यकीन करने वाले अगरचे तू कितना ही
चाहे। (103) और तू माँगता नहीं उनसे
इस पर कुछ बदला, यह तो और कुछ
नहीं मगर नसीहत है सारे आलम के
लिये। (104) ●

और बहुत निशानियाँ हैं आसमान और
ज़मीन में जिन पर गुज़र होता रहता है
उनका और वे उन पर ध्यान नहीं करते।
(105) और नहीं ईमान लाते बहुत लोग
अल्लाह पर मगर साथ ही शरीक भी
करते हैं। (106) क्या निडर हो गये इससे
कि आ ढाँके उनको एक आफ़त अल्लाह
के अज़ाब की, या आ पहुँचे कियामत
अचानक और उनको ख़बर न हो। (107)
कह दे यह मेरी राह है, बुलाता हूँ अल्लाह
की तरफ़, समझ बूझकर मैं और जो मेरे

सुब्हानल्लाहि व मा अ-न मिनल्-
मुश्रीकीन (108) व मा अर्सल्ला
मिन् कब्बिल-क इल्ला रिजालन् नूही
इलैहिम् मिन् अहलिल्कुरा, अ-फलम्
यसीरु फिल्अर्जि फ-यन्जुरु कै-फ
का-न आकि-बतुल्लजी-न मिन्
कब्बिलहिम्, व लदारुल्-आखिरति
खौरुल्-लिल्लजीनत्तकौ, अ-फला
तज़्किलून (109)

साथ है, और अल्लाह पाक है, और मैं
नहीं शरीक बनाने वालों में। (108) और
जितने भेजे हमने तुझसे पहले वे सब मर्द
ही थे कि वही भेजते थे हम उनको
बस्तियों के रहने वाले, सो क्या उन लोगों
ने नहीं सैर की मुल्क की कि देख लेते
कैसा हुआ अन्जाम उन लोगों का जो
उनसे पहले थे, और आखिरत का घर तो
बेहतर है परहेज करने वालों को, क्या
अब भी नहीं समझते? (109)

खुलासा-ए-तफ्सीर

यह किस्सा (जो ऊपर बयान किया गया आपके एतिबार से) गैब की खबरों में से है
(क्योंकि आपके पास कोई ज़ाहिरी ज़रिया और माध्यम इसके जानने का नहीं था सिर्फ़) हम (ही)
वही के ज़रिये से आपको यह किस्सा बतलाते हैं, और (यह ज़ाहिर है कि) आप उन (यूसुफ के
भाईयों) के पास उस वक़्त मौजूद न थे जबकि उन्होंने अपना इरादा (यूसुफ अलैहिस्सलाम को
कुएँ में डालने का) पुख्ता कर लिया था और वे (उसके मुताल्लिक) तदबीरें कर रहे थे (कि आप
से यूँ कहें कि आप उनको ले जायें, इसी तरह और दूसरी बातें। और इस तरह यह मामला
यकीनी है कि आपने किसी से यह किस्सा सुना सुनाया भी नहीं पस यह साफ़ दलील है नुबुव्वत
की और वही वाला होने की)। और (बावजूद नुबुव्वत पर दलीलें कायम होने के) अक्सर लोग
ईमान नहीं लाते चाहे आपका कैसा ही जी चाहता हो। और (उनके ईमान न लाने से आपका तो
कोई नुक़सान ही नहीं, क्योंकि) आप उनसे इस (कुरआन) पर कुछ मुआवज़ा तो चाहते नहीं
(जिसमें यह शुब्हा व गुमान हो कि अगर ये कुरआन को कुबूल न करेंगे तो आपका मुआवज़ा
जाता रहेगा)। यह (कुरआन) तो तमाम जहान वालों के लिये सिर्फ़ एक नसीहत है (जो न मानेगा
उसी का नुक़सान होगा)।

और (जैसे ये लोग नुबुव्वत के इनकारी हैं इसी तरह दलीलों के बावजूद तौहीद के भी
इनकारी हैं चुनौचे) बहुत-सी निशानियाँ हैं (कि तौहीद पर दलालत करने वाली) आसमानों में
(जैसा कि सितारे वगैरह) और ज़मीन में (जैसे तत्व और मख़्लूक़ात) जिन पर उनका गुज़र होता
रहता है (यानी उनको देखते रहते हैं), और वे उनकी तरफ़ (ज़रा) तबज्जोह नहीं करते (यानी
उनसे दलील हासिल नहीं करते)। और अक्सर लोग जो खुदा को मानते भी हैं तो इस तरह कि

शिरक भी करते जाते हैं (पस बिना तौहीद खुदा का मानना न मानने के जैसा है, पस ये लोग अल्लाह के साथ भी कुफ़ करते हैं और नुबुव्वत के साथ भी कुफ़ करते हैं)। सो क्या (अल्लाह व रसूल के इनकारी होकर) फिर भी इस बात से मुल्ईन हुए बैठे हैं कि उन पर खुदा के अज़ाब की कोई ऐसी आफत आ पड़े जो उनको घेर ले या उन पर अचानक क़ियामत आ जाये और उनको (पहले से) ख़बर भी न हो (मतलब यह है कि कुफ़ का नतीजा सज़ा व अज़ाब है चाहे दुनिया में नाज़िल हो जाये या क़ियामत के दिन वाक़े हो, उनको डरना और कुफ़ को छोड़ देना चाहिये)।

आप फ़रमा दीजिये कि मैं खुदा की तरफ़ इस अन्दाज़ से बुलाता हूँ कि मैं (तौहीद की और अपने अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला होने की) दलील पर कायम हूँ, मैं भी और मेरे साथ वाले भी (यानी मेरे पास भी दलील है तौहीद व रिसालत की और मेरे साथ वाले भी दलील से संतुष्ट होकर मुझ पर ईमान लाये हैं, मैं बिना दलील की बात की तरफ़ किसी को नहीं बुलाता, दलील सुनो और समझो। पस रास्ते का हासिल यह हुआ कि खुदा एक है और मैं उसकी तरफ़ दावत देने वाला हूँ), और अल्लाह (शिरक से) पाक है और मैं (इस तरीके को क़ुबूल करता हूँ और) मुश्रिकों में से नहीं हूँ।

और (ये जो नुबुव्वत पर शक करते हैं कि नबी फ़रिश्ता होना चाहिये यह बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि) हमने आप से पहले अनेक बस्ती वालों में से जितने (रसूल) भेजे सब आदमी ही थे जिनके पास हम वही भेजते थे (कोई भी फ़रिश्ता न था, जिन्होंने उनको न माना और ऐसे ही बेकार के शुब्हात करते रहे उनको सज़ायें दी गईं, इसी तरह इनको भी सज़ा होगी चाहे दुनिया में चाहे आख़िरत में। और ये लोग जो बेफ़िक़्र हैं) तो क्या ये लोग मुल्क में (कहीं) चले-फिरे नहीं कि (अपनी आँखों से) देख लेते कि उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जो इनसे पहले (काफ़िर) हो गुज़रे हैं, और (याद रखो कि जिस दुनिया की मुहब्बत में मदहोश होकर तुमने कुफ़ इख़्तियार किया है यह दुनिया फ़ानी और बेहकीक़त है) अलबत्ता आख़िरत की दुनिया उन लोगों के लिये बहुत ही बेहतरी व कामयाबी की चीज़ है जो (शिरक वगैरह से) एहतियात रखते हैं (और तौहीद व इताअत इख़्तियार करते हैं) सो क्या तुम इतना भी नहीं समझते (कि फ़ानी और बेहकीक़त चीज़ अच्छी है या बाकी और हमेशा रहने वाली)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा बयान फ़रमाने के बाद पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ اِلَيْكَ

“यानी यह किस्सा ग़ैब की उन ख़बरों में से है जो हमने वही के ज़रिये आपको बताया है।” आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के पास मौजूद न थे, जबकि वे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को

कुछों में डालना तय कर चुके थे और उनके लिये तदबीरों कर रहे थे।

इस इज़हार का मक़सद यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस क़िस्से को पूरी तफ़्तील के साथ सही-सही बयान कर देना आपकी नुबुव्वत और वही (अल्लाह की तरफ़ से आप पर उसका पैग़ाम व हिदायत उतरने) की स्पष्ट दलील है, क्योंकि यह क़िस्सा आपके ज़माने से हज़ारों साल पहले का है, न आप वहाँ मौजूद थे कि देखकर बयान फ़रमा दिया हो और न आपने कहीं किसी से तालीम हासिल की कि इतिहास की किताबें देखकर या किसी से सुनकर बयान फ़रमा दिया हो, इसलिये सिवाय अल्लाह की वही होने के और कोई रास्ता इसके इल्म का नहीं।

क़ुरआने करीम ने इस जगह सिर्फ़ इतनी बात पर बस फ़रमाया है कि आप वहाँ मौजूद न थे, किसी दूसरे शख्स या किताब से इसका इल्म हासिल न होने का ज़िक्र इसलिये ज़रूरी नहीं समझा कि पूरा अरब जानता था कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) हैं, आपने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। और यह भी सब को मालूम था कि आपकी पूरी उम्र मक्का में गुज़री है, मुक्के शाम का एक सफ़र तो अपने चचा अबू तालिब के साथ किया था, जिसमें रास्ते ही से वापस तशरीफ़ ले आये, दूसरा सफ़र तिजारत के लिये किया, चन्द दिनों में काम करके वापस तशरीफ़ ले आये, उस सफ़र में भी किसी अ़ालिम से मुलाक़ात या किसी इल्मी संस्था से ताल्लुक़ का कोई गुमान नहीं था, इसलिये इस जगह इसके ज़िक्र करने की ज़रूरत न समझी गई और क़ुरआने करीम में दूसरी जगह इसका भी ज़िक्र फ़रमा दिया है:

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا.

“यानी क़ुरआन नाज़िल होने से पहले इन वाक़िआत को न आप जानते थे और न आपकी कौम।”

इमाम बग़वी रह. ने फ़रमाया कि यहूद और क़ुरैश ने मिलकर आज़माईश और इम्तिहान के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह सवाल किया था कि अगर आप अपने नुबुव्वत के दावे में सच्चे हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िआ बतलाईये कि क्या और किस तरह हुआ? जब आपने वही की मदद से यह सब बतला दिया और वे फिर भी अपने कुफ़्र व इनकार पर जमे रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सदमा पहुँचा, इस पर अगली आयत में फ़रमाया गया कि आपकी नुबुव्वत व रिसालत की निशानियाँ स्पष्ट होने के बावजूद बहुत-से लोग ईमान लाने वाले नहीं, आप कितनी ही कोशिश करें। मतलब यह है कि आपका काम तब्तीगी और इस्लाह की कोशिश है, उसका कामयाब बनाना न आपके इख़्तियार में है न आपके ज़िम्मे है, न आपको इसका कोई रंज होना चाहिये। इसके बाद फ़रमाया:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

यानी आप जो कुछ इनको तब्तीगी करने और सही रास्ते पर लाने के लिये कोशिश करते हैं उस पर इन लोगों से कुछ मुआवज़ा तो नहीं माँगते, जिसकी वजह से इनको उसके सुनने या मानने में कोई दुश्चारी हो, बल्कि आपका काम तो ख़ालिस हमदर्दी, नसीहत और उनकी भलाई

है, तमाम जहान वालों के लिये इसमें इस तरफ़ भी इशारा पाया जाता है कि जब इस कोशिश से आपका मकसद कोई दुनियावी फायदा नहीं, बल्कि आखिरत के सवाब और कौम की खैरख्वाही (हमददी) है तो वह मकसद आपका हासिल हो चुका फिर आप क्यों गुमगीन होते हैं।

وَكَايِنَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

“यानी ये लोग सिर्फ़ यही नहीं कि किसी नसीहत करने वाले की नसीहत ज़िद और हठधर्मी से नहीं सुनते, बल्कि इनका तो हाल यह है कि अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की जो खुली खुली निशानियाँ आसमान व ज़मीन में हर वक़्त सामने रहती हैं उन पर भी ये ग़फ़लत व हठधर्मी से गुज़रे चले जाते हैं, ज़रा भी ध्यान नहीं देते कि यह किसकी क़ुदरत व बड़ाई की निशानियाँ हैं, आसमान व ज़मीन में हक़ तआला शानुहू की खुदाई और हिक्मत व क़ुदरत की निशानियाँ बेशुमार हैं उनमें से यह भी है कि पिछली कौमों पर जो अज़ाब आये और उनकी उल्टी हुई या बरबाद की हुई बस्तियाँ इनकी नज़रों से गुज़रती हैं मगर उनसे भी कोई नसीहत नहीं पकड़ते।

यह बयान तो ऐसे लोगों का था जो खुदा तआला के वजूद और उसकी हिक्मत व क़ुदरत ही के कायल नहीं थे, आगे उनका बयान है जो अल्लाह तआला के वजूद के तो कायल हैं मगर उसकी खुदाई में दूसरी चीज़ों को शरीक करार देते हैं। फरमाया:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

“यानी उनमें जो लोग अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं तो वे भी शिर्क के साथ, यानी अल्लाह तआला के इल्म व क़ुदरत वगैरह सिफ़तों में दूसरों को शरीक ठहराते हैं जो सरासर जुल्म और जहालत है।

अल्लामा इब्ने कसीर ने फरमाया कि इस आयत के मफ़हूम में वे मुसलमान भी दाख़िल हैं जो ईमान के बावजूद विभिन्न किस्म के शिर्क में मुक्ता हैं। मुस्वद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम पर जिस चीज़ का ख़तरा है उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक छोटा शिर्क है। सहाबा के पूछने पर फरमाया कि रिया (दिखावा) छोटा शिर्क है। इसी तरह एक हदीस में ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा किसी) की क़सम खाने को शिर्क फरमाया है। (इब्ने कसीर तिर्मिज़ी के हवाले से)

अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे के नाम की मन्त और नियाज़ मानना भी तमाम फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के नज़दीक इसमें दाख़िल है।

इसके बाद उनकी ग़फ़लत व जहालत पर अफ़सोस और ताज्जुब का इज़हार है कि ये लोग अपने इनकार व सरकशी के बावजूद इस बात से कैसे बेफ़िक़्र हो गये कि इन पर अल्लाह तआला की तरफ़ से अज़ाब कोई हादसा आ पड़े, या अचानक उन पर क़ियामत आ जाये और वे उसके लिये तैयार न हों।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“यानी आप उन लोगों से कह दें कि (तुम मानो या न मानो) मेरा तो यही तरीका और मस्लक है कि लोगों को समझ और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ़ दावत देता रहूँ, मैं भी और वे लोग भी जो मेरी पैरवी करने वाले हैं।”

मतलब यह है कि मेरी यह दावत किसी सरसरी नज़र पर आधारित नहीं बल्कि पूरी बसीरत (दिली तसल्ली, इल्मीनान) और अक्ल व हिक्मत का नतीजा है। इस दावत व दीनी समझ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने मानने वालों और पैरोकारों को भी शामिल फ़रमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं जो रिसालत के उलूम के ख़ज़ाने और अल्लाह तआला के सिपाही हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा इस तमाम उम्मत के बेहतरीन अफ़रद हैं जिनके दिल पाक और इल्म गहरा है, तकल्लुफ़ का उनमें नाम नहीं, अल्लाह तआला ने उनको अपने रसूल की सोहबत व ख़िदमत के लिये चुन लिया है, तुम उन्हीं के अख़्लाक, आदतों और तरीकों को सीखो, क्योंकि वही सीधे रास्ते पर हैं।

और यह भी मायने हो सकते हैं कि ‘मनित्त-ब-अनी’ (जो मेरी पैरवी करे) आ़म हो हर उस शख़्स के लिये जो क़ियामत तक रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को उम्मत तक पहुँचाने की ख़िदमत में मशगूल हो। इमाम कलबी और इब्ने ज़ैद ने फ़रमाया कि इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी का दावा करे उस पर लाज़िम है कि आपकी दावत को लोगों में फैलाये और क़ुरआन की तालीम को आ़म करे। (तफ़्सीरे मज़हरी)

وَسَيُخَنِّ اللَّهُ وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

“यानी शिर्क से पाक है अल्लाह, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं।” ऊपर चूँकि यह ज़िक्र आया था कि अक्सर लोग जब अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं तो उसके साथ खुला या छुपा शिर्क मिला देते हैं इसलिये पूर्ण रूप से शिर्क से अपनी बराअत का ऐलान फ़रमाया। खुलासा यह है कि मेरी दावत का यह मतलब नहीं कि मैं लोगों को अपना बन्दा बनाऊँ बल्कि मैं खुद भी अल्लाह का बन्दा हूँ और लोगों को भी उसी की बन्दगी की तरफ़ दावत देता हूँ, अलबत्ता दाअी (अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाला) होने की हैसियत से मुझ पर ईमान लाना फ़र्ज़ है।

इस पर जो मक्का के मुशिरक यह शुब्हा पेश किया करते थे कि अल्लाह तआला का रसूल और कासिद तो इनसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता होना चाहिये, इसका जवाब अगली आयत में इस तरह इरशाद फ़रमाया:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقُرَىٰ

यानी उनका यह ख़्याल बेबुनियाद और बेहूदा है कि अल्लाह का रसूल और पैग़म्बर फ़रिश्ता

होना चाहिये, इनसान नहीं हो सकता, बल्कि मामला उल्टा है कि इनसानों के लिये अल्लाह का रसूल हमेशा इनसान ही होता चला आया है, अलबत्ता आम इनसानों से उसको यह विशेषता हासिल होती है कि उसकी तरफ डायरेक्ट हक़ तआला की वही और पैग़ाम आता है और वह किसी की कोशिश व अमल का नतीजा नहीं होता, अल्लाह तआला खुद ही अपने बन्दों में से जिसको मुनासिब समझते हैं इस काम के लिये चुन लेते हैं, और यह चयन कमाल की ऐसी खास सिफ़ात की बिना पर होता है जो आम इनसानों में नहीं होतीं।

आगे उन लोगों को तंबीह है जो अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले और रसूल की हिदायतों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करके अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं, फ़रमाया:

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَرُوا الْأَخْرَجَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَلَّا تَعْلَمُونَ

“यानी क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि इनको पिछली क़ौमों के हालात का इल्म हो कि रसूलों के इनकार ने उनको कैसे बुरे अन्जाम में मुब्तला किया, मगर ये लोग दुनिया की ज़ाहिरी जीनत व राहत में मस्त होकर आख़िरत को भुला बैठे हैं हालाँकि परहेज़गारों के लिये आख़िरत इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्या उन लोगों को इतनी भी अक़ल नहीं कि दुनिया की चन्द दिन की राहत को आख़िरत की हमेशा वाली और मुकम्मल नेमतों और राहतों पर तरजीह (वरीयता) देते हैं।

अहकाम व हिदायतें

ग़ैब की ख़बर देने और ग़ैब के इल्म में फ़र्क़

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

“यह सब कुछ ग़ैब की ख़बरों में से है जो हम आपको वही के ज़रिये बतलाते हैं।”

यही मज़मून तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सूर: आले इमरान आयत 44 में हज़रत मरियम के किस्से में आया है:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

और सूर: हूद आयत नम्बर 49 में नूह अलैहिस्सलाम के वाक़िए के बारे में आया है:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

इन आयतों से एक तो यह बात मालूम हुई कि हक़ तआला अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को बहुत-सी ग़ैब की ख़बरों पर वही के ज़रिये बाख़बर कर देते हैं, खुसूसन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन ग़ैब की ख़बरों का ख़ास हिस्सा अता फ़रमाया है जो तमाम पिछले नबियों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को क़ियामत तक होने वाले बहुत-से वाक़िआत का विस्तार से या संक्षिप्त रूप से पता दिया है, हदीस की किताबों में ‘किताबुल-फ़ितन’ की तमाम हदीसों से भरी हुई हैं।

आम लोग चूँकि इल्म-ए-ग़ैब सिर्फ़ इसी को जानते हैं कि कोई शख्स ग़ैब की ख़बरों से किसी तरह वाकिफ़ हो जाये, और यह वस्फ़ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में मुकम्मल हैसियत से मौजूद है, इसलिये ख्याल करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आलिमुल-ग़ैब (ग़ैब के जानने वाले) थे, मगर कुरआने करीम ने साफ़ लफ़्ज़ों में ऐलान फरमा दिया है कि:

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

जिससे मालूम होता है कि आलिमुल-ग़ैब सिवाय खुदा तआला के और कोई नहीं हो सकता, इल्मे-ग़ैब अल्लाह जल्ल शानुहू की ख़ास सिफ़त है, उसमें किसी रसूल या फ़रिश्ते को शरीक समझना उनको अल्लाह के बराबर बनाने के जैसा और ईसाईयों का अमल है जो रसूल को खुदा का बेटा और खुदाई का शरीक करार देते हैं। कुरआने करीम की उक्त आयतों से मामले की पूरी हकीकत खुलकर सामने आ गई कि इल्मे-ग़ैब तो सिर्फ़ अल्लाह तआला की ख़ास सिफ़त है और आलिमुल-ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू ही हैं, अलबत्ता ग़ैब की बहुत-सी ख़बरें अल्लाह तआला अपने रसूलों को वही के ज़रिये से बतला देते हैं। यह कुरआने करीम की इस्तिलाह (परिभाषा) में इल्मे ग़ैब नहीं कहलाता, और अवाम चूँकि इस बारीक फ़र्क़ को नहीं समझते तो ग़ैब की ख़बरों ही को इल्मे ग़ैब कह देते हैं, और जब कुरआनी इस्तिलाह के मुताबिक़ ग़ैरुल्लाह से इल्मे-ग़ैब की नफ़ी का ज़िक्र किया जाता है तो उससे इख़्तिलाफ़ (मतभेद और विवाद) करने लगते हैं जिसकी हकीकत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि यह अलफ़ाज़ का फेर है जब हकीकत में ग़ौर करेंगे तो मालूम होगा कि इख़्तिलाफ़ व विवाद की तो कोई बात ही नहीं।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقُرْاٰی

इस आयत में अल्लाह तआला के रसूलों के बारे में लफ़्ज़ 'रिजालन' से मालूम हुआ कि रसूल हमेशा मर्द ही होते हैं औरत नबी या रसूल नहीं हो सकती।

इमाम इब्ने कसीर ने उलेमा की अक्सरियत का यही कौल नकल किया है कि अल्लाह तआला ने किसी औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया। कुछ उलेमा ने चन्द औरतों के बारे में नबी होने का इकरार किया है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, क्योंकि इन तीनों औरतों के बारे में कुरआने करीम में ऐसे अलफ़ाज़ मौजूद हैं जिनसे समझा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने इनसे कलाम किया और खुशख़बरी सुनाई या खुद इनको अल्लाह की वही से कोई बात मालूम हुई, मगर उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक इन आयतों से इन तीनों औरतों की बुज़ुर्गी और अल्लाह तआला के नज़दीक इनका बड़ा दर्जा होना तो साबित होता है, मगर वे फरमाते हैं कि सिर्फ़ ये अलफ़ाज़ इनकी नुबुव्वत व रिसालत के सबूत के लिये काफ़ी नहीं।

और इसी आयत में लफ़्ज़ 'अहलिल-कुरा' से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला अपने रसूल

उम्मन शहरों और कसबों के रहने वालों में से भेजते हैं, देहात और जंगल के बाशिन्दों में से रसूल नहीं होते। क्योंकि देहात और जंगल के बाशिन्दे आम तौर पर सख्त मिजाज वाले होते हैं और अक़ल व समझ में कामिल (पूरे) नहीं होते। (इब्ने कसीर, कुर्तुबी वगैरह)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ فَنُجِّيَ
مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُ ۖ وَلَكِن تَصَدِّقُ الْاِلٰهِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَنُفِّصِلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ
رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

हत्ता इजस्तै-असर्-रुसुलु व जन्नु
अन्नहुम् कद् कुजिबू जा-अहुम्
नसरुना फनुज्जि-य मन् नशा-उ, व
ला युरद्दु बअसुना अनिल् कौमिल्-
मुज्जिमीन (110) ल-कद् का-न फी
क-ससिहिम् अिब्तुल्-लिउलिल्-
अल्बाबि, मा का-न हदीसंयुफ़तरा
व लाकिन् तस्दीक़ल्लज़ी बै-न यदैहि
व तपसी-ल कुल्लि शैइव्-व हुदव्-व
रस्मतल् लिक्ौमिंय्युअमिनून (111) ❀

यहाँ तक कि जब नाउम्मीद होने लगे
रसूल और झुवाल करने लगे कि उनसे
झूठ कहा गया था, पहुँची उनको हमारी
मदद, फिर बचा दिया जिनको हमने चाहा
और फिरता नहीं हमारा अज़ाब गुनाहगार
कौम से। (110) अलबत्ता उनके अहवाल
से अपना हाल कियास करना है अक़ल
वालों को, कुछ बनाई हुई बात नहीं
लेकिन मुवाफ़िक है उस कलाम के जो
इससे पहले है, और बयान हर चीज़ का
और हिदायत और रहमत उन लोगों के
लिये जो ईमान लाते हैं। (111) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

(अगर तुमको काफ़िरों पर अज़ाब आने में देरी से शुब्हा इसका हो कि उन पर अज़ाब ही न
आयेगा तो तुम्हारी ग़लती है, इसलिये कि पिछली उम्मतों के काफ़िरों को भी बड़ी-बड़ी मोहलतें
दी गई थीं) यहाँ तक कि (मोहलत की मुद्दत लम्बी होने की वजह से) जब पैग़म्बर (इस बात से)
मायूस हो गये (कि हमने अल्लाह की तरफ से काफ़िरों पर अज़ाब आने के वायदे का जो वक़्त
अपने कियास और अन्दाज़े से मुक़र्र कर लिया था कि उस वक़्त में काफ़िरों पर अज़ाब आकर
हमारा ग़लबा और हक़ पर होना वाज़ेह हो जायेगा) और उन (पैग़म्बरों) को ग़ालिब गुमान हो
गया कि (अल्लाह के वायदे का वक़्त मुक़र्र करने में) हमारी समझ ने ग़लती की (कि बिना
स्पष्ट हुक्म के सिर्फ़ हालात व अन्दाज़ों या अल्लाह की मदद के जल्द आने की इच्छा से क़रीब

का वक़्त मुतैयन कर लिया हालाँकि वायदा आम था जिसमें कोई कैद व शर्त नहीं है, ऐसी मायूसी की हालत में) उनको हमारी मदद पहुँची (वह मदद यह कि काफ़िरों पर अज़ाब आया), फिर (उस अज़ाब से) हमने जिसको चाह्य वह बचा लिया गया (मुराद इससे मोमिन लोग हैं), और (उस अज़ाब में काफ़िर हलाक किये गये, क्योंकि) हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता (बल्कि उन पर ज़रूर पड़कर रहता है चाहे देर से ही सही। पस ये मक्का के काफ़िर भी इस धोखे में न रहें)। इन (नबियों और पहली उम्मतों) के किस्से में समझदार लोगों के लिये (बड़ी) इबत है (जो इससे इबत हासिल करते हैं कि इताअत का यह अन्जाम है और नाफ़रमानी का यह अन्जाम है)। यह कुरआन (जिसमें किस्से हैं) कोई गद्दी हुई बात तो है नहीं (कि इससे इबत और नसीहत न होती) बल्कि इससे पहले जो आसमानी किताबें (नाज़िल) हो चुकी हैं यह उनकी तस्दीक़ करने वाला है और हर (ज़रूरी) बात का खुलासा करने वाला है, और ईमान वालों के लिये हिदायत व रहमत का ज़रिया है (पस ऐसी किताब में जो इबत व सबक़ लेने वाले मज़ामीन होंगे उनसे तो इबत हासिल करनी लाज़िम ही है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के भेजने और हक़ की दावत देने का ज़िक्र और नबियों के मुताल्लिक़ कुछ शुब्हात का जवाब दिया गया था। इन ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में इस पर तंबीह है कि ये लोग अम्बिया की मुख़ालफ़त के बुरे अन्जाम पर नज़र नहीं करते, अगर ये ज़रा भी गौर करें और अपने आस-पास के शहरों और स्थानों की तारीख़ पर नज़र डालें तो इन्हें मालूम हो जायेगा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मुख़ालफ़त करने वालों का बुरा अन्जाम इस दुनिया में भी किस क़द्र सख़्त हुआ है। कौमे लूत की बस्ती उलट दी गई, कौमे आद व समूद को तरह-तरह के अज़ाबों से नेस्त व नाबूद कर दिया गया, और आख़िरत का अज़ाब इससे ज़्यादा सख़्त है।

दूसरी आयत में हिदायत की गई कि दुनिया की तकलीफ़ व राहत तो बहरहाल चन्द दिन की है असल फ़िक्र आख़िरत की होनी चाहिये, जहाँ का रहना हमेशा के लिये और रंज या राहत भी हमेशा वाली है, और फ़रमा दिया कि आख़िरत की दुरुस्ती (सही होना) तक़वे पर मौकूफ़ है जिसके मायने शरीअत के तमाम अहक़ाम की पाबन्दी करने के हैं।

इस आयत में पिछले रसूलों और उनकी उम्मतों के हालात से मौजूदा लोगों को चेताना था इसलिये अगली आयत में उनके एक शुब्हे को दूर किया गया, वह यह कि अक्सर लोग रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अल्लाह के अज़ाब से डराने का ज़िक्र अरसे से सुन रहे थे और कोई अज़ाब आता नज़र नहीं आता था, इससे उनकी हिम्मतें बढ़ रही थीं कि कोई अज़ाब आना होता तो अब तक आ चुका होता, इसलिये फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू अपनी रहमत और कामिल हिक्मत से कई बार मुजरिमों को मोहलत देते रहते हैं, और यह मोहलत कई बार बड़ी लम्बी भी हो जाती है, जिसकी वजह से नाफ़रमानों की ज़ुरत बढ़ जाती है और पैगम्बरों

को एक दर्जे में परेशानी पेश आती है। इरशाद फरमाया:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْفَسَ الرُّسُلُ وَطَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَآ يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ

الْمُجْرِمِينَ ۝

“यानी पिछली उम्मतों के नाफरमानों को बड़ी-बड़ी मोहलतें दी गई, यहाँ तक कि लम्बी मुद्दत तक उन पर अज़ाब न आने से पैगम्बर यह ख्याल करके मायूस हो गये कि अल्लाह तआला के मुख्तार और संक्षिप्त अज़ाब के वादे का जो वक़्त हमने अपने अन्दाज़े से अपने जेहनों में मुक़रर कर रखा था उस वक़्त में काफ़िरों पर अज़ाब न आवेगा और हक़ का ग़लबा ज़ाहिर न होगा, और उन पैगम्बरों को ग़ालिब गुमान हो गया कि अल्लाह के वादे का अपने अन्दाज़ से वक़्त मुक़रर करने में हमारी समझ ने ग़लती की है कि अल्लाह तआला ने तो कोई निर्धारित वक़्त बतलाया नहीं था, हमने कुछ ख़ास कारणों, हालात और इशारों से एक मुद्दत मुतैयन कर ली थी, इसी मायूसी की हालत में उनको हमारी मदद पहुँची, वह यह कि वायदे के मुताबिक़ काफ़िरों पर अज़ाब आया। फिर उस अज़ाब से हमने जिसको चाहा उसको बचा लिया गया। मुराद इससे यह है कि नबियों के मानने वाले मोमिनों को बचा लिया गया और काफ़िरों को हलाक किया गया, क्योंकि हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता, बल्कि ज़रूर आकर रहता है इसलिये मक्का के काफ़िर लोगों को चाहिये कि अज़ाब में देर होने से धोखे में न रहें।

इस आयत में लफ़्ज़ ‘कुज़िबू’ मशहूर किराअत के मुताबिक़ पढ़ा गया है और इसकी जो तफसीर हमने इख़्तियार की है वह सबसे ज़्यादा मानी हुई और बेगुबार है कि लफ़्ज़ कुज़िबू का हासिल अपने अन्दाज़े और ख्याल का ग़लत होना है जो एक किस्म की वैचारिक ग़लती है और अम्बिया अलैहिस्सलाम से कोई ऐसी इज्तिहादी (वैचारिक) ग़लती हो सकती है, अलबत्ता अम्बिया और दूसरे मुज्ताहिदीन (दीनी मामलात में ग़ौर व फ़िक्र करने वालों) में यह फर्क़ है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से जब कोई इज्तिहादी ग़लती (वैचारिक चूक) हो जाती है तो अल्लाह तआला उनको उस ग़लती पर कायम नहीं रहते देते, बल्कि उनको बाख़बर करके हकीक़त खोल देते हैं, दूसरे मुज्ताहिदीन का यह मक़ाम नहीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सुलह हुदैबिया का वाक़िआ इस मज़मून के लिये काफ़ी सुबूत है, क्योंकि कुरआने करीम में बयान हुआ है कि इस वाक़िआ की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह ख़्वाब है जो आपने देखा कि आप सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख़्वाब भी वही के हुक्म में होता है इसलिये इस वाक़िआ का होना यकीनी हो गया, मगर ख़्वाब में उसका कोई ख़ास वक़्त और मुद्दत नहीं बतलाई गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने अन्दाज़े से यह ख्याल फरमाया कि इसी साल ऐसा होगा, इसलिये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में यह ऐलान करके उनकी अच्छी-खासी तादाद को साथ लेकर उमरे के लिये मक्का मुअज़्ज़मा को रवाना हो गये, मगर मक्का के कुरैश ने रुकावट डाली और उस वक़्त तवाफ़ व उमरे की नौबत न आई बल्कि उसका मुकम्मल ज़हूर दो साल

बाद सन् 8 हिजरी में मक्का फतह होने की सूत से हुआ। और इस वाकिए से मालूम हो गया कि जो ख़्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा था वह हक़ और यकीनी था, मगर उसका वक़्त जो हालात व इशारात या अन्दाज़े से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुकर्रर फ़रमा लिया था उसमें ग़लती हुई, मगर उस ग़लती को दूर उसी वक़्त कर दिया गया।

इसी तरह उक्त आयत में 'क़द् कुज़िबू' का भी यही मतलब है कि काफ़िरों पर अज़ाब आने में देर हुई, और जो वक़्त अन्दाज़े से अम्बिया ने अपने ज़हन में मुकर्रर किया था उस वक़्त अज़ाब न आया तो उनको यह गुमान हुआ कि हमने वक़्त तय करने में ग़लती की है। यह तफ़सीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल की गयी है और अल्लामा तथिबी ने कहा कि यह रिवायत सही है क्योंकि सही बुख़ारी में ज़िक्र की गई है। (मज़हरी)

और कुछ किराअतों में यह लफ़्ज़ ज़ाल की तशदीद के साथ 'क़द् कुज़िबू' भी आया है जो तकज़ीब से निकला है। इस सूत में मायने यह होंगे कि नबियों ने जो अन्दाज़े से अज़ाब का वक़्त मुकर्रर कर दिया था उस वक़्त पर अज़ाब न आने से उनको यह ख़तरा हो गया कि अब जो मुसलमान हैं वे भी हमको झुठलाने न लगे कि जो कुछ हमने कहा था वह पूरा नहीं हुआ, ऐसी हालत में अल्लाह तआला ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, इनकारियों पर अज़ाब आ पड़ा और मोमिनों को उससे निजात मिली। इस तरह उनका ग़लबा ज़ाहिर हो गया।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

“यानी इन हज़रात के किस्सों में अक़ल वालों के लिये बड़ी इबत है।”

इससे मुराद तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से जो कुरआन में बयान हुए हैं वो भी हो सकते हैं और ख़ास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो इस सूत में बयान हुआ है वह भी, क्योंकि इस वाकिए में यह बात पूरी तरह खुलकर सामने आ गई कि अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार बन्दों की किस-किस तरह से ताईद व मदद होती है कि कुएँ से निकालकर बादशाहत की कुर्सी पर और बदनामी से निकाल कर नेकनामी की इन्तिहा (बुलन्दी) पर पहुँचा दिये जाते हैं, और मक़ व फ़रेब करने वालों का अन्जाम ज़िल्लत व रुस्वाई होता है।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

“यानी नहीं है यह किस्सा कोई ग़दी हुई बात, बल्कि तस्दीक़ (पुष्टि) है उन किताबों की जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं।” क्योंकि तौरात व इन्जील में भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह किस्सा बयान हुआ है, और हज़रत वहब बिन मुनब्बेह फ़रमाते हैं कि जितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े नाज़िल हुए हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से कोई ख़ाली नहीं। (तफ़सीर मज़हरी)

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“यानी यह कुरआन तफ़सील (खुलासा और स्पष्ट बयान) है हर चीज़ की। मुराद यह है कि कुरआने करीम में हर उस चीज़ की तफ़सील मौजूद है जिसकी दीन में इनसान को ज़रूरत है इबादतें, मामलात, अख़लाक़, सामाजिक ज़िन्दगी, हुकूमत, सियासत वगैरह इनसानी ज़िन्दगी के हर

व्यक्तिगत और सामूहिक हाल से संबन्धित अहकाम व हिदायतें इसमें मौजूद हैं। और फ़रमाया कि: "यह कुरआन हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिये।" इसमें ईमान लाने वालों की विशेषता इसलिये की गई कि इसका नफ़ा ईमान वालों ही को पहुँच सकता है, काफ़िरो के लिये भी अगरचे कुरआन रहमत और हिदायत ही है मगर उनकी अपनी बद-अमली और नाफ़रमानी के सबब यह रहमत व हिदायत उनके लिये वबाल बन गई।

शैख़ अबू मन्सूर ने फ़रमाया कि पूरी सूर: यूसुफ़ और इसमें दर्ज हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के बयान से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देना मकसूद है कि आपको जो कुछ तकलीफ़ें अपनी कौम के हाथों पहुँच रही हैं पिछले नबियों को भी पहुँचती रहीं, मगर अन्जामकार (अंततः) अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बरों को ग़ालिब फ़रमाया आपका मामला भी ऐसा ही होने वाला है।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: यूसुफ़ की तफ़सीर पूरी हुई।)

Maktab_e_Ashraf



* सूरः रअद *

यह सूरत मक्की है। इसमें 43 आयतें
और 6 रुकूअ हैं।

सूर: रजद

सूर: रजद मक्का में नाजिल हुई। इसमें 43 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الرَّجْدِ مَكِّيَّةٌ (13)

آيَاتُهَا ٤٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّتِي تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۝
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَدَّدٍ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
 مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۝ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى
 الْبَلْبَلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَّحِرَاتٌ وَجَنَّتْ مِنْ عُنَابٍ وَ
 زَرَعٌ وَنَجِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَنَفْضُلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۝
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रस्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

आलिफ्-लाम्-मीम्-रा। तिल्-क
 आयातुल्-किताबि, वल्लज़ी उन्ज़ि-ल
 इलै-क मिर्रब्बिकल्-हक्कु व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला युअ्मिन्नुन (1)
 अल्लाहुल्लज़ी र-फ़अस्समावाति बिगैरि
 अ-मदिन् तरौनहा सुम्मस्तवा अलल्-
 अर्शि व सख़्ररश्शम्-स वल्फ़-म-र,
 कुल्लुंय्यज़ी लि-अ-जलिम्-मुसम्मन्,
 युदब्बिरुल्-अम्-र युफ़सिलुल्-आयाति

अलिफ्-लाम्-मीम्-रा। ये आयतें हैं
 किताब की, और जो कुछ उतरा तुझ पर
 तेरे रब से सो हक़ है लेकिन बहुत लोग
 नहीं मानते। (1) अल्लाह वह है जिसने
 ऊँचे बनाये आसमान बगैर सुतून के
 देखते हो तुम उनको, फिर कायम हुआ
 अर्श पर और काम में लगा दिया सूरज
 और चाँद को, हर एक चलता है मुकर्र
 वक़्त पर, तदबीर करता है काम की
 जाहिर करता है निशानियाँ कि शायद तुम

लअल्लकुम् बिलिका-इ रब्बिकुम्
 तूकिनून (2) व हुवल्लज़ी मदल्अर्-ज़
 व ज-अ-ल फ़ीहा रवासि-य व
 अन्हारन्, व मिन् कुल्लिस्स-मराति
 ज-अ-ल फ़ीहा ज़ौजैनिस्नैनि युशिल्-
 -लैलन्नहा-र, इन्-न फ़ी ज़ालि-क
 लआयातिल्-लिकौमिय-य-तफक्करून
 (3) व फिल्अर्ज़ि कि-तअुम्
 मु-तजाविरातुं-व-व जन्नातुम्-मिन्
 अज़्नाबिं-व-व ज़रअुं-व-व नख़ीलुन्
 सिन्वानुं-व-व गैरु सिन्वानिं-युस्का
 बिमाइं-व्वाहिदिन्, व नुफ़िज़्लु
 बज़्ज़हा अला बज़्ज़िन् फिल्उकुलि,
 इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-
 लिकौमिय-य-अकिलून (4)

अपने रब से मिलने का यकीन करो। (2)
 और वही है जिसने फैलाई ज़मीन और
 रखे उसमें बोज़ और नदियाँ और हर मेवे
 के रखे उसमें जोड़े दो-दो किस्म, ढाँकता
 है दिन पर रात को, इसमें निशानियाँ हैं
 उनके वास्ते जो कि ध्यान करते हैं। (3)
 और ज़मीन में खेत हैं मुख़्तलिफ़ एक दूसरे
 से मिले हुए और बाग़ हैं जंगूर के और
 खेतियाँ और खजूरें हैं एक की जड़ दूसरी
 से मिली हुई, और बाज़ी बिन मिली, उन
 को पानी भी एक ही दिया जाता है, और
 हम हैं कि बढ़ा देते हैं उनमें से एक को
 एक से मेवों में, इन चीज़ों में निशानियाँ
 हैं उनके लिये जो गौर करते हैं। (4)

खुलासा-ए-तफसीर

अलिफ्-लाम्-मीम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह (जो आप सल्ल. सुन रहे हैं) आयतें हैं एक बड़ी किताब (यानी कुरआन) की, और जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ़ से नाज़िल किया जाता है यह बिल्कुल सच है, और (इसका तकाज़ा तो यह था कि सब ईमान लाते) लेकिन बहुत-से आदमी ईमान नहीं लाते (इस आयत में तो कुरआन की हकीकत का मज़मून था, आगे तौहीद का मज़मून है जो कि कुरआन के मक़ासिद में से सबसे बड़ा मक़सद है)। अल्लाह ऐसा (कादिर) है कि उसने आसमानों को बिना सुतून के ऊँचा खड़ा कर दिया, चुनौचे तुम इन (आसमानों) को (इसी तरह) देख रहे हो, फिर अर्श पर (जो बादशाही तख़्त के जैसा है, इस तरह) कायम (और जलवा-फरमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक है) और सूरज व चाँद को काम में लगा दिया (इन दोनों में से) हर एक (अपने चलने के दायरे पर) तयशुदा वक़्त पर चलता रहता है (चुनौचे सूरज अपने मदार को साल भर में पूरा कर लेता है और चाँद महीने भर में) वही (अल्लाह) हर काम की (जो कुछ आलम में ज़ाहिर व उत्पन्न होता

है) तदबीर करता है, (और क़ानूनी व क़ुदरती) दलीलों को साफ़-साफ़ बयान करता है ताकि तुम अपने रब के पास जाने का (यानी क़ियामत का) यक़ीन कर लो (उसके मुम्किन होने का तो इस तरह कि जब अल्लाह तआला ऐसी बड़ी और विशाल चीज़ों के बनाने पर क़ादिर है तो मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क्यों नहीं क़ादिर होगा? और इसके वाक़े और ज़ाहिर होने का यक़ीन इस तरह कि सच्चे ख़बर देने वाले ने एक संभव मामले के वाक़े होने की ख़बर दी, लाज़िमी तौर पर वह सच्ची और सही है)। और वह ऐसा है कि उसने ज़मीन को फैलाया और उस (ज़मीन) में पहाड़ और नहरें पैदा कीं, और उसमें हर किस्म के फलों से दो-दो किस्म के पैदा किये (जैसे खट्टे और मीठे या छोटे और बड़े। कोई किसी रंग का और किसी रंग का और) रात (की अंधेरी) से दिन (की रोशनी) को छुपा देता है (यानी रात की अंधेरी से दिन की रोशनी छुप जाती और ख़त्म हो जाती है)। इन (ज़िक्र हुए) मामलों में सोचने वालों के (समझने के) वास्ते (तौहीद पर) दलीलें (मौजूद) हैं (जिसकी तक़रीर दूसरे पारे के चौथे रुकूअ के शुरू में गुज़री है)। और (इसी तरह और भी दलीलें हैं तौहीद की, चुनौचे) ज़मीन में पास-पास (और फिर) मुख़्तलिफ़ टुकड़े हैं (जिनमें बाक़जूद एक-दूसरे से मिला हुआ होने के विभिन्न असर होना अज़ीब बात है) और अंगूरों के बाग़ हैं और (विभिन्न प्रकार की) खेतियाँ हैं और खजूर (के पेड़) हैं, जिनमें बाजे तो ऐसे हैं कि एक तने से ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं और बाज़ों में दो तने नहीं होते (बल्कि जड़ से शाख़ों तक एक ही तना चला जाता है और) सब को एक ही तरह का पानी दिया जाता है, और (बावजूद इसके फिर भी) हम एक को दूसरे पर फलों में फ़ौक़ियत "यानी बरतरी" देते हैं। इन (ज़िक्र हुई) चीज़ों में (भी) समझदारों के (समझने के) वास्ते (तौहीद यानी अल्लाह के एक होने और उसी के लायके इबादत होने की) दलीलें (मौजूद) हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

यह सूरत मक्की है और इसकी कुल आयतें 43 हैं। इस सूरत में भी कुरआन मजीद का सच्चा कलाम होना, और तौहीद व रिसालत का बयान और शुब्हात के जवाबत बयान हुए हैं।

अलिफ़-लाम्-मीम्-रा। यह हुरूफ़-ए-मुक़्ततआ हैं जिनके मायने अल्लाह तआला ही जानते हैं उम्मत को इनके मायने नहीं बतलाये गये, आ़म उम्मत को इसकी तहकीक़ (खोजबीन) में पड़ना भी मुनासिब नहीं।

रसूल की हदीस भी कुरआन की तरह अल्लाह की वही है

पहली आयत में कुरआने करीम के अल्लाह का कलाम और हक़ होने का बयान है, किताब से मुराद कुरआन है और:

وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

(जो कुछ उतरा है तेरी तरफ़ तेरे रब की तरफ़) से भी हो सकता है कि कुरआन ही मुराद हो, लेकिन हर्फ़-ए-अत्फ़ वाव बज़ाहिर यह चाहता है कि किताब और:

الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ

(जो कुछ उतरा है तेरी तरफ) दो चीजें अलग-अलग हों। इस सूरत में किताब से मुराद कुरआन और:

الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ

(जो कुछ उतरा है तेरी तरफ) से मुराद वह वही होगी जो कुरआने करीम के अलावा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आई है, क्योंकि इसमें तो कोई कलाम नहीं हो सकता कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आने वाली वही सिर्फ कुरआन में सीमित नहीं, खुद कुरआने करीम में है:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुछ कहते हैं वह किसी अपनी गर्ज से नहीं कहते बल्कि एक वही (अल्लाह की तरफ से आया हुआ पैगाम व हिदायत) होती है जो अल्लाह तआला की तरफ से उनको भेजी जाती है। इससे साबित हुआ कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुरआन के अलावा दूसरे अहकाम देते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाले अहकाम ही हैं, फर्क सिर्फ यह है कि कुरआन की तिलावत की जाती है और उसकी तिलावत नहीं की जाती, और इस फर्क की वजह यह है कि कुरआन के मायने और अलफाज़ दोनों अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से होते हैं, और कुरआन के अलावा हदीस में जो अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम देते हैं उनके भी मायने अगरचे अल्लाह तआला की तरफ से ही नाज़िल होते हैं मगर अलफाज़ अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुए नहीं होते। इसी लिये नमाज़ में उनकी तिलावत नहीं की जा सकती।

आयत के मायने यह हो गये कि यह कुरआन और जो कुछ अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल किये जाते हैं वो सब हक हैं जिनमें किसी शक व शुब्हे की गुन्जाईश नहीं, लेकिन अक्सर लोग गौर व फिक्र (सोच-विचार) न करने की वजह से इस पर ईमान नहीं लाते।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला के वजूद और उसकी तौहीद की दलीलें बयान हुई हैं कि उसकी मख्लूकात और बनाई हुई चीजों को ज़रा गौर से देखो तो यह यकीन करना पड़ेगा कि इनको बनाने वाली कोई ऐसी हस्ती है जो पूरी कुदरत रखने वाली है और तमाम मख्लूकात व कायनात उसके कब्जे में हैं।

इरशाद फरमाया:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

“यानी अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों के इतने बड़े, फैले हुए और बुलन्द कुब्बे (गुंबद) को बगैर किसी सुतून के ऊँचा खड़ा कर दिया, जैसा कि तुम इन आसमानों को इसी हालत में देख रहे हो।”

क्या आसमान का जिस्म आँखों से नज़र आता है?

आम तौर से यह कहा जाता है कि यह नीला रंग जो हमें ऊपर नज़र आता है आसमान का रंग है, मगर फ़ल्सफ़ी हज़रात कहते हैं कि यह रंग रोशनी और अंधेरे की मिलावट से महसूस होता है, क्योंकि नीचे सितारों की रोशनी और उसके ऊपर अंधेरा है, तो बाहर से नीला रंग महसूस होता है। जैसे गहरे पानी पर रोशनी पड़ती है तो वह नीला नज़र आता है। कुरआने करीम की चन्द आयतें ऐसी हैं जिनमें आसमान के देखने का ज़िक्र है जैसे इसी ऊपर बयान हुई आयत में 'तरौनहा' (तुम उसको देखते हो) के अलफ़ाज़ हैं और दूसरी आयत में:

إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

के अलफ़ाज़ हैं। फ़ल्सफ़ी हज़रात की यह तहकीक़ (शोध) अब्वल तो इस के विरुद्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मुम्किन है कि आसमान का रंग भी नीलेपन पर हो या कोई दूसरा रंग हो मगर बीच की रोशनी और अंधेरी की मिलावट से नीला नज़र आता हो। इससे इनकार की कोई दलील नहीं कि इस फ़िज़ा के रंग में आसमान का रंग भी शामिल हो, और यह भी मुम्किन है कि कुरआने करीम में जहाँ आसमान के देखने का ज़िक्र है, वह ज़ाहिरी नहीं बल्कि हुक्मी और इस मायने में हो कि आसमान का वजूद ऐसे यकीनी दलाईल से साबित है गोया उसको देख ही लिया। (तफ़सीर रुहुल-मअानी)

इसके बाद फ़रमाया:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

“यानी फिर अर्श पर जो एक तरह से बादशाही तख़्त है कायम और उस तरह जलवा-फ़रमा हुआ जो उसकी शान के लायक है। इस जलवा फ़रमाने की कैफ़ियत को कोई नहीं समझ सकता, इतना एतिकाद व यकीन रखना काफी है कि जिस तरह का कायम होना अल्लाह की शान के लायक व मुनासिब है वही मुराद है।

وَسَعَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

“यानी अल्लाह तआला ने सूरज और चाँद को क़ब्ज़े में और हुक्म के ताबे किया हुआ है, इनमें से हर एक, एक निर्धारित रफ़्तार से चलता है।”

मुसद्दख़र करने (क़ब्ज़े में करने और हुक्म के ताबे होने) से मुराद यह है कि दोनों को जिस जिस काम पर लगा दिया गया है बराबर लगे हुए हैं। हज़ारों साल गुज़र गये हैं लेकिन न कभी इनकी रफ़्तार में कमी-बेशी होती है, न थकते हैं, न कभी अपने तयशुदा काम के खिलाफ़ किसी दूसरे काम में लगते हैं। और निर्धारित मुद्दत की तरफ़ चलने के यह मायने भी हो सकते हैं कि पूरे आलमे दुनिया के लिये जो क़ियामत की आख़िरी मुद्दत मुतैयन है, सब उसी की तरफ़ चल रहे हैं, उस मन्ज़िल पर पहुँचकर इनका यह सारा निज़ाम ख़त्म हो जायेगा।

और यह मायने भी हो सकते हैं कि अल्लाह तआला ने हर एक सय्यारे (चलने वाले तारे

और ग्रह) के लिये एक खास रफ़्तार और खास मदार (चलने का दायरा) मुक़र्र कर दिया है, वह हमेशा अपने मदार पर अपनी निर्धारित रफ़्तार के साथ चलता रहता है। चाँद अपने मदार को एक माह में पूरा कर लेता है और सूरज साल भर में पूरा करता है।

इन सव्यारों का अज़ीमुश़ान और विशाल वजूद फिर एक खास मदार पर खास रफ़्तार के साथ हज़ारों साल से बराबर अन्दाज़ में इसी तरह चलते रहना कि न कभी इनकी मशीन घिसती है न टूटती है, न उसको ग़िसींग की ज़रूरत होती है, इनसान की बनाई हुई चीज़ों में साईंस की इस इन्तिहाई तरक्की के बाद भी इसकी नज़ीर तो क्या इसका हज़ारवाँ हिस्सा भी मिलना नामुम्किन है। कुदरत का यह निज़ाम बुलन्द आवाज़ से पुकार रहा है कि इसको बनाने और चलाने वाली कोई ऐसी हस्ती ज़रूर है जो इनसान के इल्म व शऊर से ऊपर है।

हर चीज़ की तदबीर दर हकीक़त अल्लाह तआला ही का काम है, इनसानी तदबीर नाम के लिये है

يَذَرُ الْأَمْرَ

“यानी अल्लाह तआला ही हर काम की तदबीर करता है।” इनसान जो अपनी तदबीरों पर नाज़ व घमंड करता है, ज़रा आँख खोलकर देखे तो मालूम होगा कि इसकी तदबीर किसी चीज़ को न पैदा कर सकती है न बना सकती है, इसकी सारी तदबीरों का हासिल इससे ज़्यादा नहीं कि अल्लाह तआला की पैदा की हुई चीज़ों का सही इस्तेमाल समझ ले। दुनिया की तमाम चीज़ों के इस्तेमाल का निज़ाम भी इसकी ताक़त से बाहर की चीज़ है, क्योंकि इनसान अपने हर काम में दूसरे हज़ारों इनसानों, जानवरों और दूसरी मख़्लूक़ात का मोहताज़ है, जिनको अपनी तदबीर से अपने काम में नहीं लगा सकता, अल्लाह की कुदरत ही ने हर चीज़ की कड़ी दूसरी चीज़ से इस तरह जोड़ी है कि हर चीज़ खिंची चली आती है। आपको मकान बनाने की ज़रूरत पेश आती है नक़्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट से लेकर रंग व रोगन करने वालों तक सैंकड़ों इनसान अपनी जान और अपना हुनर लिये हुए आपकी ख़िदमत को तैयार नज़र आते हैं, तामीर का सामान जो बहुत सी दुकानों में बिखरा हुआ है सब आपको तैयार मिल जाता है, क्या आपकी ताक़त में था कि अपने माल या तदबीर के ज़ोर से ये सारी चीज़ें मुहैया और सारे इनसानों को अपनी ख़िदमत के लिये हाज़िर कर लेते? आप तो क्या बड़ी से बड़ी हुकूमत भी क़ानून के ज़ोर से यह निज़ाम कायम नहीं कर सकती, बिला शुब्हा यह तदबीर और दुनिया के निज़ाम को कायम रखना सिर्फ़ हय्यु व कय्यूम (यानी अल्लाह तआला) ही का काम है, इनसान अगर इसको अपनी तदबीर करार दे तो जहालत के सिवा क्या है।

يَقْضِي الْأَمْرَ

यानी वह अपनी आयतों को तफ़सील के साथ बयान करता है। इससे मुराद कुरआनी

आयतें भी हो सकती हैं जिनको इक तअ़ाला ने तफसील के साथ नाज़िल फरमाया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये और ज़्यादा उनका बयान और तफसीर फरमाई।

और आयात से मुराद कुदरत की आयतें यानी अल्लाह जल्ल शानुहु की कामिल कुदरत की निशानियाँ जो आसमान और ज़मीन और खुद इनसान के वजूद में मौजूद हैं, वो भी हो सकती हैं, जो बड़ी तफसील के साथ हर वक़्त हर जगह इनसान की नज़र के सामने हैं।

لَقَدْ كُنْتُمْ يَلْفَاءً رَبِّكُمْ فَوَقُونُوا

यानी यह सब कायनात और इनका अज़ीब व ग़रीब निज़ाम व तदबीर अल्लाह तअ़ाला ने इसलिये कायम फरमाये हैं कि तुम इसमें ग़ौर करो तो तुम्हें आख़िरत और कियामत का यकीन हो जाये, क्योंकि इस अज़ीब निज़ाम और दुनिया के बनाने पर नज़र करने के बाद यह शक व शुब्हा तो रह नहीं सकता कि आख़िरत में इनसान के दोबारा पैदा करने को अल्लाह तअ़ाला की कुदरत से ख़ारिज समझें, और जब कुदरत में दाख़िल और मुम्किन होना मालूम हो गया, और एक ऐसी हस्ती ने इसकी ख़बर दी जिसकी ज़बान पूरी उम्र में कभी झूठ पर नहीं चली, तो इसके ज़ाहिर व मौजूद और साबित होने में क्या शक रह सकता है।

وَهَذَا الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا

और वही वह ज़ात है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें बोझल पहाड़ और नहरें बनाई।”

ज़मीन का फैलाना इसके कुर्रा और गोल होने के विरुद्ध नहीं, क्योंकि गोल चीज़ जब बहुत बड़ी हो तो उसका हर हिस्सा अलग-अलग फैली हुई सतह ही नज़र आता है, और कुरआने करीम का ख़िताब आम लोगों से उन्हीं की नज़रों के मुताबिक़ होता है। ज़ाहिर देखने वाला इसको एक फैली हुई सतह देखता है इसलिये इसको फैलाने से ताबीर कर दिया गया, फिर इसका सन्तुलन कायम रखने के लिये साथ ही और बहुत-से दूसरे फ़ायदों के लिये इस पर ऊँचे-ऊँचे भारी पहाड़ कायम फरमा दिये, जो एक तरफ़ ज़मीन का सन्तुलन कायम रखते हैं दूसरी तरफ़ सारी मख़्लूक़ को पानी पहुँचाने का इन्तिज़ाम करते हैं। पानी का बहुत बड़ा भण्डार उनकी चोटियों पर जमे हुए समन्दर (बर्फ़) की शक़ल में रख दिया जाता है जिसके लिये न कोई हौज़ और न टंकी बनाने की ज़रूरत है, न नापाकी होने का शुब्हा व गुमान, न सड़ने की संभावना, फिर उसको ज़मीन के नीचे मौजूद एक कुदरती पाईप लाइन के ज़रिये सारी दुनिया में फैलाया जाता है, उससे कहीं तो खुली हुई नदियाँ और नहरें निकलती हैं और कहीं ज़मीन के नीचे छुपे रहकर कुँओं के ज़रिये इस पाईप लाइन का सुराग़ लगाया और पानी हासिल किया जाता है।

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا رُوحِينَ النَّعِيمِ

यानी फिर इस ज़मीन से तरह-तरह के फल निकाले और हर एक फल दो-दो किस्म के पैदा किये- छोटे-बड़े, सुर्ख़-सफ़ेद, खट्टे-मीठे। और यह भी मुम्किन है कि जौज़ैन (जोड़ों) से मुराद सिर्फ़ दो न हों बल्कि अनेक प्रजातियाँ व किस्में मुराद हों जिनकी तादाद कम से कम दो होती

हो, इसलिये जौजैन्सैनि से ताबीर कर दिया गया। और कुछ बर्ड नहीं कि जौजैन से मुराद नर व मादा हों जैसा कि बहुत-से दरख्तों के बारे में तो तजुर्बा गवाह हो चुका है कि उनमें नर व मादा होते हैं, जैसे खजूर, पपीता वगैरह, दूसरे दरख्तों में भी इसकी संभावना है अगरचे अभी तक तहकीकात वहाँ तक न पहुँची हों।

يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ

यानी अल्लाह तआला ही ढॉप देता है रात को दिन पर। मुराद यह है कि दिन की रोशनी के बाद रात ले आता है। जैसे किसी रोशन चीज को किसी पर्दे पर ढॉप दिया जाये।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

इसमें कोई शुब्हा नहीं कि इस तमाम कायनात की तख्लीक (पैदाईश) और इसकी तदबीर व निज़ाम में गौर व फ़िक्र करने वालों के लिये अल्लाह तआला शानुहू की कामिल कुदरत की बहुत-सी निशानियाँ मौजूद हैं।

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ مَّجْدُورَةٍ وَحِثٌّ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَجِيلٌ صَوَانٌ وَغَيْرُ صَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْمَالِ.

यानी फिर ज़मीन में बहुत से टुकड़े आपस में मिले हुए होने के बावजूद मिज़ाज और ख़ासियत में भिन्न और अलग हैं, कोई अच्छी ज़मीन है कोई खारी, कोई नर्म कोई सख्त, कोई खेती के काबिल कोई बाग के काबिल, और इन टुकड़ों में बागात हैं अंगूर के और खेती है और खजूर के पेड़ हैं, जिनमें बाजे ऐसे हैं कि एक तने से ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं, और बाजों में एक ही तना रहता है।

और ये सारे फल अगरचे एक ही ज़मीन से पैदा होते हैं, एक ही पानी से सैराब किये जाते हैं, और सूरज व चाँद की किरणों और विभिन्न प्रकार की हवायें भी इन सब को एक ही तरह की पहुँचती हैं मगर फिर भी इनके रंग और जायके अलग-अलग और छोटे-बड़े का स्पष्ट और ख़ासा फर्क होता है।

आपस में मिले हुए होने के बावजूद फिर ये तरह-तरह के इख़्तिलाफ़ात (विविधतायें) इस बात की मज़बूत और स्पष्ट दलील है कि यह सब कारोबार किसी हकीम व मुदब्विर के फ़रमान के ताबे चल रहा है, महज़ मादे की तब्दीलियाँ नहीं, जैसा कि कुछ जाहिल लोग समझते हैं। क्योंकि मादे के बदलाव होते तो सब मवाद के साझा होने के बावजूद यह भिन्नतायें कैसे होतीं, एक ही ज़मीन से एक फल एक मौसम में निकलता है दूसरा दूसरे मौसम में एक ही दरख्त की एक ही शाख पर विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े और अलग-अलग जायके के फल पैदा होते हैं।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“इसमें कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआला की कुदरत व बड़ाई और उसके वाहिद व अकेला होने पर दलालत करने वाली बहुत सी निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिये।” इसमें इशारा

है कि जो लोग इन चीज़ों में ग़ौर नहीं करते वे अक़्त वाले नहीं चाहे दुनिया में उनको कैसा ही अक़्तमन्द समझा और कहा जाता हो।

وَأَن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا مَّا كُنَّا لِنَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَحْقَالُ فِي أَعْيُنِهِمْ ۝ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ النَّارُ ۝
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْكَ إِنزِيلٌ عَلَيْكَ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ مَآءًا أَنْتَ مُنذِرٌ وَإِكْرَامٌ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقْدَانٍ ۝

व इन् तअजब् फ-अ-जबुन् कौलहुम्
अ-इजा कुन्ना तुराबन् अ-इन्ना लफी
ख़ल्किन् जदीदिन्, उलाइ-कल्लजी-न
क-फरू विरब्बिहिम् व उलाइकल्-
अग़लालु फी अअनाकिहिम् व
उलाइ-क अस्थाबुन्नारि हुम् फीहा
ख़ालिदून् (5) व यस्तअजिलून्-क
बिस्सय्यि-अति क़ब्लल्-ह-सनति व
कद् ख़लत् मिन् क़ब्लिहिमुल्-भसुलातु,
व इन्-न रब्ब-क लजू मग़फि-रतिल्
लिन्नासि अला जुल्मिहिम् व इन्-न
रब्ब-क ल-शदीदुल्-अिकाब (6) व
यकूलुल्लजी-न क-फरू लौ ला
उन्ज़ि-ल अलैहि आयतुम्-मिर्बिब्ही,
इन्नमा अन्-त मुन्ज़िरुव्-व लिक्ुल्लि
कौमिन् हाद (7) ●

और अगर तू अजीब बात चाहे तो अजब
है उनका कहना कि क्या जब हो गये हम
मिट्टी क्या नये सिरे से बनाये जायेंगे? वही
हैं जो इनकारी हो गये अपने रब से और
वही हैं कि तौक हैं उनकी गर्दनों में, और
वे हैं दोजड़ा वाले वे उसी में रहेंगे
बराबर। (5) और जल्द माँगते हैं तुझसे
बुराई को पहले भलाई से, और गुज़र चुके
हैं उनसे पहले बहुत से अज़ाब और तेरा
रब माफ़ भी करता है लोगों को बाक़ूद
उनके ज़ुल्म के, और तेरे रब का अज़ाब
भी सख़्त है। (6) और कहते हैं काफ़िर
क्यों न उतरी उस पर कोई निशानी उसके
रब (की तरफ़) से, तेरा काम तो डर सुना
देना है, और हर कौम के लिये हुआ है
राह बताने वाला। (7) ●

अल्लाहु यज़ल्लमु मा तस्मिलु कुल्लु
उन्सा व मा तगीज़ुल-अरहामु व मा
तज़दादु, व कुल्लु शैइन् अिन्दहू
बिमिक़दार (8)

अल्लाह जानता है जो पेट में रखती है
हर मादा और जो सिकुड़ते हैं पेट और
बढ़ते हैं, और हर चीज़ का उसके यहाँ
अन्दाज़ा है। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) अगर आपको (उन लोगों के कियामत के इनकार से) ताज़्जुब हो तो (वाक़ई) उनका यह कौल ताज़्जुब के लायक़ है कि जब हम (मरकर) खाक हो गये तो क्या (खाक होकर) हम फिर (कियामत के दिन) नये सिरे से पैदा होंगे? (ताज़्जुब के लायक़ इसलिये कि जो ज़ात ऐसी ज़िक्र हुई चीज़ों के पैदा करने पर पहले यानी शुरू में कादिर है उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। और इसी से जवाब हो गया मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने को मुहाल समझने का और नुबुव्वत का इनकार करने का भी, जिसका आधार वही मुहाल व नामुम्किन समझना था। एक के जवाब से दूसरे का जवाब हो गया। आगे उनके लिये वईद और धमकी है कि) ये वे लोग हैं कि उन्होंने अपने रब के साथ कुफ़्र किया (क्योंकि मरने के बाद ज़िन्दा होने के इनकार से उसकी कुदरत का इनकार किया और कियामत के इनकार से नुबुव्वत का इनकार लाज़िम आता है) और ऐसे लोगों की गर्दनों में (दोज़ख़ में) तौक़ डाले जाएँगे, और ऐसे लोग दोज़ख़ी हैं (और) वे उसमें हमेशा रहेंगे। और ये लोग आफ़ियत (की मियाद खत्म होने) से पहले आप से मुसीबत (के नाज़िल होने) का तकाज़ा करते हैं (कि अगर आप नबी हैं तो जाईये अज़ाब मंगा दीजिये, जिससे मालूम होता है कि ये अज़ाब के पड़ने और होने को बहुत ही दूर की बात समझते हैं) हालाँकि इनसे पहले (और काफ़िरों पर सज़ाओं के) वाकिआत गुज़र चुके हैं (तो इन पर आ जाना क्या मुहाल और दूर की बात है)। और (अल्लाह तआला के ग़फ़ूर व रहीम होने को सुनकर ये लोग धमंडी न हो जायें कि अब हमको अज़ाब न होगा, क्योंकि वह सिर्फ़ ग़फ़ूर व रहीम ही नहीं है और फिर सब के लिये ग़फ़ूर व रहीम नहीं है बल्कि दोनों बातें अपने-अपने मौके पर ज़ाहिर होती हैं यानी) यह बात भी यकीनी है कि आपका रब लोगों की ख़ताएँ बावजूद उनकी (एक खास दर्जे की) बेजा हरकतों के माफ़ कर देता है, और यह बात भी यकीनी है कि आपका रब सख़्त सज़ा देता है (यानी उसमें दोनों सिफ़तें हैं और हर एक के ज़ाहिर होने की शर्तें और असबाब हैं। पस उन्होंने बिना सबब के अपने को रहमत व मग़फ़िरत का हक़दार कैसे समझ लिया, बल्कि कुफ़्र की वजह से उनके लिये तो अल्लाह तआला सख़्त अज़ाब देने वाला है)। और ये काफ़िर लोग (नुबुव्वत का इनकार करने की गर्ज़ से) यूँ (भी) कहते हैं कि उन पर वह खास मोज़िज़ा (जो हम चाहते हैं) क्यों नाज़िल नहीं किया गया (और यह एतिराज़ कोरी बेवक़ूफी है क्योंकि आप मोज़िज़ों के मालिक नहीं

बल्कि) आप सिर्फ़ (अल्लाह के अज़ाब से काफ़िरों को) डराने वाले (यानी नबी) हैं (और नबी के लिये सिर्फ़ मोज़िज़े की ज़रूरत है जो कि जाहिर हो चुका है न कि किसी खास मोज़िज़े की) और (कोई आप अनोखे नबी नहीं हुए बल्कि पहले गुज़री हुई कौमों में) हर कौम के लिये हादी (सही राह बताने वाले यानी पैग़म्बर) होते चले आये हैं (उनमें भी यही कायदा चला आया है कि नुबुव्वत के दावे के लिये आम दलील को काफ़ी करार दिया गया, खास दलील की पाबन्दी नहीं की गयी)।

अल्लाह तआला को सब खबर रहती है जो कुछ किसी औरत को हमल "यानी गर्भ" रहता है, और जो कुछ रहम "यानी बच्चेदानी" में कमी व बेशी होती है। और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक खास अन्दाज़े से (मुकर्रर) है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों की पहली तीन आयतों में काफ़िरों के शुब्हात का जवाब है जो नुबुव्वत के बारे में थे और इसके साथ इनकार करने वालों के लिये अज़ाब की वईद (डॉट और धमकी) बयान हुई है।

उनके शुब्हात तीन थे- एक यह कि वे लोग मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने और मेहशर के हिसाब व किताब को मुहाल व ख़िलाफ़े अक्ल समझते थे, इसी बिना पर आख़िरत की ख़बर देने वाले नबियों को झुठलाते और उनकी नुबुव्वत का इनकार करते थे, जैसा कि कुरआने करीम ने उनके शुब्हे का बयान इस आयत में फ़रमाया है:

هَلْ نَدْلِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ نَّبِيَّتُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَرْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلِيدٍ

इसमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मज़ाक उड़ाने के लिये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें एक ऐसा आदमी बतायें जो तुम्हें यह बतलाता है कि जब तुम मरने के बाद रेज़ा-रेज़ा हो जाओगे और तुम्हारी मिट्टी के ज़र्र भी सारे जहान में फैल जायेंगे तुम उस वक़्त फिर दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे।

मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का सुबूत

وَإِن تَعَجَبَ لَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا مَاتْنَا تَرَابًا إِنَّا لَفِي حَلِيدٍ

इसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है कि अगर आपको इस पर ताज्जुब है कि ये काफ़िर लोग आपके लिये खुले हुए मोज़िज़े और आपकी नुबुव्वत पर अल्लाह तआला की खुली निशानियाँ देखने के बावजूद आपकी नुबुव्वत का इनकार करते हैं, और मानते हैं तो ऐसे बेजान पत्थरों को मानते हैं जिनमें न एहसास है न शऊर, खुद अपने नफे व नुकसान पर भी कादिर नहीं, दूसरों को क्या नफ़ा पहुँचा सकते हैं।

लेकिन इससे ज़्यादा ताज्जुब के काबिल उनकी यह बात है कि वह कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जायेंगे तो हमें दोबारा पैदा किया जायेगा? कुरआन

ने इस ताज्जुब की स्पष्ट तौर पर वजह बयान नहीं की, क्योंकि पिछली आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल कुदरत के अजीब अजीब नमूने बयान करके यह साबित कर दिया गया है कि वह ऐसा कादिर मुतलक है जो सारी मख़्लूक को अदम से वजूद में लाया, और फिर हर चीज़ के वजूद में कैसी-कैसी हिक्मतें रखीं कि इनसान उनका इल्म व इहाता भी नहीं कर सकता, और यह जाहिर है कि जो ज़ात पहली मर्तबा बिल्कुल अदम से एक चीज़ को मौजूद कर सकती है उसको दोबारा मौजूद करना क्या मुश्किल है। इनसान भी जब कोई नई चीज़ बनाना चाहता है तो पहली मर्तबा उसको मुश्किल पेश आती है और उसी को दोबारा बनाना चाहता है तो आसान हो जाता है।

तो ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग इसके तो कायल हैं कि पहली मर्तबा तमाम कायनात को बेशुमार हिक्मतों के साथ उसी ने पैदा फ़रमाया है, फिर दोबारा पैदा करने को कैसे मुहाल और ख़िलाफ़े अक्ल समझते हैं।

शायद उन इनकार करने वालों के नज़दीक बड़ा इश्काल (शुब्हे का कारण) यह है कि मरने और खाक हो जाने के बाद इनसान के अंग और ज़र्रें दुनिया भर में बिखर जाते हैं, हवायें उनको कहीं से कहीं ले जाती हैं, और दूसरे असबाब व माध्यमों से भी ये ज़र्रें सारे जहान में फैल जाते हैं, फिर क़ियामत के दिन उन तमाम ज़र्रों को जमा किस तरह किया जायेगा और फिर उनको जमा करके दोबारा ज़िन्दा कैसे किया जायेगा?

मगर वे नहीं देखते कि इस वक़्त जो वजूद उनको हासिल है उसमें क्या सारे जहान के ज़र्रें जमा नहीं, दुनिया के पूरब व पश्चिम की चीज़ें पानी हवा और उनके लाये हुए ज़र्रें इनसान की गिज़ा में शामिल होकर उसके बदन का हिस्सा बनते हैं। इस ग़रीब को कई बार ख़बर भी नहीं होती कि एक लुक़्मा जो मुँह तक लेजा रहा है उसमें कितने ज़र्रें अफ़्रीका के कितने अमेरिका के और कितने पूर्वी मुल्कों के हैं। तो जिस ज़ात ने अपनी कामिल हिक्मत और मामलात की व्यवस्था के ज़रिये इस वक़्त एक-एक इनसान और जानवर के वजूद को सारे जहान के बिखरे हुए ज़र्रें जमा करके खड़ा कर दिया है, कल उसके लिये यह क्यों मुश्किल हो जायेगा कि इन सब ज़र्रों को जमा कर डाले, जबकि दुनिया की सारी ताक़तें हवा और पानी और दूसरी कुव्वतें सब उसके हुक्म के ताबे और अधीन हैं, उसके इशारों पर हवा अपने अन्दर के, और पानी अपने अन्दर के और फ़िज़ा अपने अन्दर के सब ज़र्रों को जमा कर दें इसमें क्या शक व शुब्हा है?

हकीकत यह है कि उन्होंने अल्लाह तआला की कुदरत और क़द्र को पहचाना ही नहीं, उसकी कुदरत को अपनी कुदरत पर गुमान व अन्दाज़ा करते हैं, हालाँकि आसमान व ज़मीन और इनके बीच की सब चीज़ें अपनी-अपनी हैसियत का इल्म व शऊर रखते हैं, और अल्लाह के हुक्म के ताबे चलते हैं:

खाक व बाद व आब व आतिश बन्दा अन्द
बा-मन व तू मुर्दा बा-हक् ज़िन्दा अन्द

“यानी मिट्टी, हवा, पानी और आग फरमावरदार हैं। अगरचे हमें तुम्हें ये बेजान और मुर्दा मालूम होते हैं मगर अल्लाह तआला के साथ इनका जो मामला है वह ज़िन्दों की तरह है, कि ज़िन्दों की तरह उसके हुक्म की तामील करते हैं।” मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

खुलासा यह है कि खुली हुई निशानियों को देखने के बावजूद जिस तरह उनका नुबुव्वत से इनकार काबिले ताज़्जुब है इससे ज़्यादा कियामत में दोबारा ज़िन्दा होने और हज़र के दिन से इनकार ताज़्जुब की चीज़ है।

इसके बाद उन विरोधी इनकारियों की सज़ा का ज़िक्र किया गया है कि ये लोग सिर्फ़ आप ही का इनकार नहीं करते बल्कि दर हकीकत अपने रब का इनकार करते हैं। इनकी सज़ा यह होगी कि इनकी गर्दनो में तौक डाले जायेंगे और हमेशा-हमेशा दोज़ख में रहेंगे।

इनकार करने वाले लोगों का दूसरा शुब्हा यह था कि अगर वास्तव में आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो नबी की मुखालफ़त पर जो अज़ाब की वदईं (वायदे और धमकियाँ) आप सुनाते हैं वह अज़ाब आता क्यों नहीं। इसका जवाब दूसरी आयत में यह दिया गया:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْحَسَنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.

“यानी ये लोग हमेशा आफ़ियत (चैन व सुकून) की मियाद ख़त्म होने से पहले आप से मुसीबत के नाज़िल होने का तकाज़ा करते हैं (कि अगर आप नबी हैं तो फ़ौरी अज़ाब मंगा दीजिये, जिससे मालूम होता है कि ये लोग अज़ाब के आने को बहुत ही दूर की या नामुम्किन बात समझते हैं, हालाँकि इनसे पहले दूसरे काफ़िरोँ पर अज़ाब के बहुत से वाकिआत गुज़र चुके हैं जिनकी सब लोगों ने देखा और मालूम किया है, तो इन पर अज़ाब आ जाना क्या मुहाल और नामुम्किन चीज़ है? यहाँ लफ़ज़ ‘मसुलात’ ‘मसुला’ की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं ऐसी सज़ा जो इनसान को सब के सामने रुखा कर दे, और दूसरोँ के लिये इब्त का सबब बने।

फिर फरमाया कि बेशक आपका रब लोगों के गुनाहों और नाफ़रमानियों के बावजूद बड़ी मग़फ़िरत व रहमत वाला भी है और जो लोग इस मग़फ़िरत व रहमत से फ़ायदा न उठायें, अपनी सरकशी व नाफ़रमानी पर जमे रहें, उनके लिये सख्त अज़ाब देने वाला भी है। इसलिये अल्लाह तआला के ग़फ़ूर व रहीम होने से किसी ग़लत-फ़हमी में न पड़ें कि हम पर अज़ाब आ ही नहीं सकता।

तीसरा शुब्हा उन काफ़िरोँ का यह था कि अगरचे रसूल के बहुत से मोजिज़े हम देख चुके हैं लेकिन जिन ख़ास-ख़ास किस्म के मोजिज़ों का हमने मुतालबा किया है वो क्यों ज़ाहिर नहीं करते? इसका जवाब तीसरी आयत में यह दिया गया है:

وَقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

“यानी ये काफ़िर लोग आप पर एतिराज़ करने के लिये यह कहते हैं कि इन पर ख़ास मोजिज़ा जिसको हम तलब करते हैं वह क्यों नाज़िल नहीं किया गया।” सो इसका जवाब स्पष्ट

हे कि मोजिज़ा ज़ाहिर करना पैगम्बर और नबी के इख्तियार में नहीं होता, बल्कि वह डायरेक्ट हक़ तआला का काम होता है, वह अपनी हिक्मत से जिस वक़्त जिस तरह का मोजिज़ा ज़ाहिर करना पसन्द फ़रमाते हैं उसको ज़ाहिर कर देते हैं, वह किसी के मुतालबे और इच्छा के पाबन्द नहीं, इसी लिये फ़रमाया:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

यानी आप काफ़िरो को खुदा के अज़ाब से सिर्फ़ डराने वाले हैं, मोजिज़ा ज़ाहिर करना आपका काम नहीं।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

यानी हर क़ौम के लिये पिछली उम्मतों में हादी होते चले आये हैं, आप कोई अनोखे नबी नहीं, सब ही नबियों का काम और फ़रीज़ा यह था कि वे क़ौम को हिदायत करें, अल्लाह के अज़ाब से डरायें, मोजिज़ों का ज़ाहिर करना किसी के इख्तियार में नहीं दिया गया, अल्लाह तआला जब और जिस तरह का मोजिज़ा ज़ाहिर करना पसन्द फ़रमाते हैं ज़ाहिर कर देते हैं।

क्या हर क़ौम और हर मुल्क में नबी आना ज़रूरी है?

इस आयत में जो यह इरशाद है कि हर क़ौम के लिये एक हादी है। इससे साबित हुआ कि कोई क़ौम और किसी मुल्क का कोई इलाक़ा अल्लाह तआला की तरफ़ दावत देने और हिदायत करने वालों से ख़ाली नहीं हो सकता, चाहे वह कोई नबी हो या उसके कायम-मक़ाम नबी की दावत को फैलाने वाला हो जैसा कि सूर: यासीन में नबी की तरफ़ से किसी क़ौम की तरफ़ पहले दो शख्सों को दावत व हिदायत के लिये भेजने का ज़िक्र है जो खुद नबी नहीं थे, और फिर तीसरे आदमी को उनकी ताईद व मदद के लिये भेजने का ज़िक्र है।

इसलिये इस आयत से यह लाज़िम नहीं आता कि हिन्दुस्तान में भी कोई नबी व रसूल पैदा हुआ हो, अलबत्ता रसूल की दावत पहुँचाने और फैलाने वाले उलेमा का कसरत से यहाँ आना भी साबित है, और फिर यहाँ बेशुमार ऐसे हादियों का पैदा होना भी हर शख्स को मालूम है।

यहाँ तक तीन आयतों में नुबुव्वत का इनकार करने वालों के शुक़ों का जवाब था। चौथी आयत में फिर वही तौहीद का असल मज़मून बयान हुआ है जिसका ज़िक्र इस सूरत के शुरूआत से चला आ रहा है। इरशाद है:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقِّدَارٍ

यानी अल्लाह को सब ख़बर रहती है जो कुछ किसी औरत को हमल (गर्भ) रहता है लड़का है या लड़की, हसीन या बद-शक़ल, नेक है या बद, और जो कुछ उन औरतों के रहम (गर्भ) में कभी-वेशी होती है, कि कभी एक बच्चा पैदा होता है कभी ज़्यादा और कभी जल्दी पैदा होता है कभी देर में।

इस आयत में हक़ तआला की एक मख़सूस सिफ़त का बयान है कि वह अल्लिमुल-ग़ैब हैं।

तमाम कायनात व मख्लूक़ात के ज़र्रे-ज़र्रे से वाकिफ़ और हर ज़र्रे के बदलते हुए हालात से बाख़बर हैं। इसके साथ ही इनसान की पैदाईश के हर दौर और हर तब्दीली और हर सिफ़्त से पूरी तरह वाकिफ़ होने का जिक्क़ है, कि हमल (गर्भ) का यकीनी और सही इल्म सिर्फ़ उसी को होता है कि लड़का है या लड़की, या दोनों या कुछ भी नहीं सिर्फ़ पानी या हवा है। हालात, इशारात और अन्दाज़ों से कोई हकीम या डॉक्टर जो कुछ इस मामले में राय देता है उसकी हैसियत एक गुमान और अन्दाज़े से ज़्यादा नहीं होती, कई बार हकीक़त उसके खिलाफ़ निकलती है। एक्सरे की नई मशीन भी इस हकीक़त को खोलने से मजबूर है। इसका वास्तविक और यकीनी इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को हो सकता है, इसी का बयान एक दूसरी आयत में है:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

यानी अल्लाह तआला ही जानता है जो कुछ रहमों (गर्भों) में है।

लफ़ज़ 'तंगीज़' अरबी भाषा में कम होने और खुश्क़ होने के मायने में आता है। उक्त आयत में इसके मुक़ाबिल 'तज़दादु' के लफ़ज़ ने मुतैयन कर दिया कि इस जगह मायने कम होने के हैं। मतलब यह है कि माँ के पेट में जो कुछ कमी या बेशी होती है उसका सही इल्म भी सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को है। इस कमी और बेशी से मुराद यह भी हो सकता है कि पैदा होने वाले बच्चे की संख्या में कमी-बेशी हो कि गर्भ में सिर्फ़ एक बच्चा है या ज़्यादा, और यह भी हो सकता है कि पैदाईश के समय की कमी-बेशी मुराद हो कि यह हमल (गर्भ) कितने महीने कितने दिन और कितने घंटों में पैदा होकर एक इनसान को ज़ाहिरी वजूद देगा, इसका यकीनी इल्म भी सिवाय अल्लाह तआला के किसी को नहीं हो सकता।

तफ़सीर के इमाम मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि गर्भ के समय में जो खून औरत को आ जाता है वह गर्भ के आकार (बनावट) व सेहत के एतितवार से कमी का सबब होता है।

فَيْضُ الْأَرْحَامِ

(और जो सिकुड़ते हैं पेट) से मुराद यह कमी है, और हकीक़त यह है कि कमी होने की जितनी किस्में हैं आयत के अलफ़ाज़ उन सब को शामिल हैं, इसलिये कोई इख़्तिलाफ़ नहीं।

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

यानी अल्लाह तआला के पास हर चीज़ का एक ख़ास अन्दाज़ा और पैमाना मुकरर है, न उससे कम हो सकती है न ज़्यादा। बच्चे के तमाम हालात भी इसमें दाख़िल हैं कि उसकी हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक मुतैयन है, कि कितने दिन हमल में रहेगा, फिर कितने ज़माने तक दुनिया में ज़िन्दा रहेगा, कितना रिज़क़ उसको हासिल होगा, अल्लाह जल्ल शानुहू का यह बेमिसाल इल्म उसकी तौहीद (तन्हा और अकेला माबूद होने) की स्पष्ट दलील है।

عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ
 الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مَعْقِبَةٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ
 خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ ۝ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَلًا مَرَدًّا لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَاقًا فَخُوفًا
 وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيَسْتَبِشِرُ الرِّعْدَ بِمُنَادٍ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ
 الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَجَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ
 وَالَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ أَيْمَانُهُمْ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ ۚ وَمَا
 هُوَ بِأَلَيْحِهِمْ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَرَبُّهُ يَتَّبِعُهُمْنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ
 كَرْهًا وَيَظْلِمُهُم بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ ۝

السجدة (2)

आलिमुल्-गै बि वशहादतिल्
 कबीरुल्-मु-तआल (9) सवाउम्-
 मिन्कुम् मन् अ-सरर्ल्-कौ-ल व मन्
 ज-ह-र बिही व मन् हु-व मुस्तख्रिफ्म्
 बिल्लैलि व सारिबुम्-बिन्नहार (10)
 लहू मुअक्किबातुम् मिम्-बैनि यदैहि
 व मिन् खाल्फिही यहफज़ूनहू मिन्
 अमिल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला युगय्यिरु
 मा बिकौमिन् हत्ता युगय्यिरु मा
 बिअन्फुसिहिम्, व इज़ा अरादल्लाहु
 बिकौमिन् सूअन् फला म-रद्-द लहू
 व मा लहुम् मिन् दूनिही मिंब्वाल
 (11) हुवल्लजी युरीकुमुल्-बर्-क
 खौफ्व्-व त-म-अंव्-व युन्शिउस्-

जानने वाला छुपे और ज़ाहिर का, सबसे
 बड़ा बरतार। (9) बराबर है तुम में जो
 आहिस्ता बात कहे और जो कहे पुकारकर
 और जो छुप रहा है रात में और जो
 गलियों में फिरता है दिन को। (10)
 उसके पहरे वाले हैं बन्दे के आगे से और
 पीछे से उसकी निगहबानी करते हैं
 अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह नहीं बदलता
 किसी क़ौम की हालत को जब तक वे न
 बदलें जो उनके जियों (दिलों) में है, और
 जब चाहता है अल्लाह किसी क़ौम पर
 आफत फिर वह नहीं फिरती, और कोई
 नहीं उनका उसके सिवा मददगार। (11)
 वही है तुमको दिखलाता है बिजली डरने
 के लिये और उम्मीद के लिये और जब

-सहाबस्-सिकाल (12) व युसबिहुर-
-रज़्दु बिहम्दिही वल्मलाइ-कतु मिन्
छीफ़तिही व युसिलुस्सवाज़ि-क
फ़युसीबु बिहा मय्यशा-उ व हुम्
युजादिलू-न फ़िल्लाहि व हु-व
शदीदुल्-मिहाल (13) लहू दअवतुल्-
हक्कि, वल्लजी-न यदअ-न मिन्
दूनिही ला यस्तजीबू-न लहुम् बिशैइन्
इल्ला कबासिति कफ़फ़ैहि इलल्-मा-इ
लियब्लु-ग़ फ़ाहु व मा हु-व
बिबालिग़िही, व मा दुआउल्-काफ़िरी-न
इल्ला फ़ी ज़लाल (14) व लिल्लाहि
यस्ज़ुदु मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि
तौअव-व करहव-व ज़िलालुहुम्
बिल्गुदुव्वि वल्आसाल। (15) ❀

उठता है बादल भारी। (12) और पढ़ता
है गरजने वाला खूबियाँ उसकी और सब
फ़रिश्ते उसके डर से और मेजता है
कड़क बिजलियाँ फिर डालता है जिस पर
चाहे, और ये लोग झगड़ते हैं अल्लाह की
बात में और उसकी आन सज़्ज़त है। (13)
उसी का पुकारना सच है, और जिन
लोगों को कि पुकारते हैं उसके सिवा वे
नहीं काम आते उनके कुछ भी मगर जैसे
किसी ने फैला दिये दोनों हाथ पानी की
तरफ़ कि आ पहुँचे उसके मुँह तक, और
वह कभी न पहुँचेगा उस तक, और
जितनी पुकार है काफ़िरी की सब गुमराही
है। (14) और अल्लाह को सज्दा करता
है जो कोई है आसमान और ज़मीन में
ख़ुशी से और जोर से, और उनकी
परछाईयाँ सुबह और शाम। (15) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

वह तमाम छुपी और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है, सबसे बड़ा (और) आलीशान है। तुम
में से जो शख्स कोई बात चुपके से कहे और जो पुकारकर कहे, और जो शख्स रात में कहीं छुप
जाये और जो दिन में चले-फिरे, ये सब (खुदा के इल्म में) बराबर हैं (यानी सब को बराबर
जानता है, और जैसे तुम में से हर शख्स को जानता है इसी तरह हर एक की हिफ़ाज़त भी
करता है। चुनाँचे तुम में से) हर शख्स (की हिफ़ाज़त) के लिये कुछ फ़रिश्ते (मुकर्रर) हैं जिनकी
बदली होती रहती है, कुछ उसके आगे और कुछ उसके पीछे कि वे अल्लाह के हुक्म से (बहुत
बलाओं से) उसकी हिफ़ाज़त करते हैं (और इससे कोई यूँ न समझ जाये कि जब फ़रिश्ते हमारे
मुहाफ़िज़ हैं फिर जो चाहो करो नाफ़रमानी चाहे कुफ़्र, किसी तरह अज़ाब नाज़िल ही न होगा,
यह समझना बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि) वाकई अल्लाह तआला (शुरूआत में तो किसी को
अज़ाब देता नहीं, चुनाँचे उसकी आदत यह है कि वह) किसी कौम की (अच्छी) हालत में

बदलाव नहीं करता जब तक कि वे लोग खुद अपनी (सलाहियत की) हालत को नहीं बदल देते (मगर इसके साथ यह भी है कि जब वे अपनी सलाहियत में ख़लल डालने लगते हैं तो फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से उन पर मुसीबत व सज़ा तजवीज़ की जाती है)। और जब अल्लाह किसी क़ौम पर मुसीबत डालना तजवीज़ कर लेता है तो फिर उसके हटने की कोई सूरत ही नहीं (यह उन पर पड़ जाती है), और (ऐसे वक़्त में) कोई खुदा के सिवा (जिनकी हिफ़ाज़त का उनको नाज़ है) उनका मददगार नहीं रहता है (यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी उनकी हिफ़ाज़त नहीं करते, और अगर करते भी तो हिफ़ाज़त उनके काम न आ सकती)।

वह ऐसा (बड़ी शान वाला) है कि तुमको (बारिश के वक़्त) बिजली (घमकती हुई) दिखलाता है जिससे (उसके गिरने का) डर भी होता है और (उससे बारिश की) उम्मीद भी होती है, और वह बादलों को (भी) ऊँचा करता है जो पानी से भरे होते हैं। और रज़द (फ़रिश्ता) उसकी तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान करता है और (दूसरे) फ़रिश्ते भी उसके ख़ौफ़ से (उसकी तारीफ़ व पाकी बयान करते हैं) और वह (ज़मीन की तरफ़) बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है। और वे लोग अल्लाह के बारे में (यानी उसकी तौहीद में बावजूद उसके ऐसे अज़ीमुशान होने के) झगड़ते हैं, हालाँकि वह बड़ा ज़बरदस्त कुव्वत वाला है (कि जिससे डरना चाहिये मगर ये लोग डरते नहीं और उसके साथ शरीक ठहराते हैं। और वह ऐसा दुआओं का कुबूल करने वाला है) कि सच्चा पुकारना उसी के लिये खास है (क्योंकि उसको कुबूल करने की क़ुदरत है) और खुदा के सिवा जिनको ये लोग (अपनी ज़रूरतों व मुसीबतों में) पुकारते हैं वे (क़ुदरत न होने की वजह से) इनकी दरख़्वास्त को उससे ज़्यादा मन्ज़ूर नहीं कर सकते जितना पानी उस शख्स की दरख़्वास्त को मन्ज़ूर करता है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ़ फैलाए हुए हो (और उसको इशारे से अपनी तरफ़ बुला रहा हो) ताकि वह (पानी) उसके मुँह तक (उड़कर) आ जाये, और वह (अपने आप) उसके मुँह तक (किसी तरह) आने वाला नहीं (पस जिस तरह पानी उनकी दरख़्वास्त कुबूल करने से अज़िज़ है इसी तरह उनके माबूद अज़िज़ हैं, इसलिये) काफ़िरों का (उनसे) दरख़्वास्त करना बिल्कुल बेअसर है।

और अल्लाह ही (ऐसा मुकम्मल क़ुदरत का मालिक है कि उसी) के सामने सब सर झुकाये हुए हैं जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं, (बाज़े) खुशी से और (बाज़े) मजबूरी से (खुशी से यह कि अपने इख़्तियार से इबादत करते हैं, और मजबूरी के यह मायने हैं कि अल्लाह तआला जिस मख़्रूफ़ में जो इख़्तियार चलाना चाहते हैं वह उसका विरोध नहीं कर सकता) और उन (ज़मीन वालों) के साथे भी (सर झुकाये हुए हैं) सुबह और शाम के वक़्तों में (यानी साथे की जितना चाहें बढ़ायें जितना चाहें घटायें, और सुबह व शाम के वक़्त चूँकि लम्बा होने और घटने का ज़्यादा ज़हूर होता है इसलिये इन वक़्तों को विशेष तौर पर बयान किया वरना मतलब यह है कि साया भी हर तरह उसका फ़रमाँबरदार है)।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों से पहले अल्लाह जल्ल शानुहु की विशेष कामिल सिफ़तों के बयान का सिलसिला चल रहा है जो हकीकत में तौहीद (अल्लाह के एक होने और उसी के लायके इबादत होने) की दलीलें हैं। इस आयत में फ़रमाया:

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝

ग़ैब से मुराद वह चीज़ है जो इनसानी हवास से ग़ायब हो यानी न आँखों से उसको देखा जा सके, न कानों से सुना जा सके, न नाक से सूँघा जा सके, न ज़बान से चखा जा सके, न हाथों से छूकर मालूम किया जा सके।

शहादत इसके मुक़ाबले में वो चीज़ें हैं जिनको उक्त इनसानी हवास के ज़रिये मालूम किया जा सके। मायने यह है कि अल्लाह तआला ही की ख़ास सिफ़ते कमाल यह है कि वह हर ग़ैब को इसी तरह जानता है जिस तरह हाज़िर व मौजूद को जानता है।

अल्-कबीर के मायने बड़ा और मुतआल के मायने बाला व बुलन्द। मुराद इन दोनों लफ़्ज़ों से यह है कि वह मख़्लूक़ात की सिफ़ात से बाला व बुलन्द और बड़ा है। काफ़िर व मुश्रिक लोग संक्षिप्त तौर पर अल्लाह तआला की बड़ाई और किब्रियाई का तो इक़रार करते थे मगर अपनी कम-समझी से अल्लाह तआला को भी आम इनसानों पर क़ियास करके अल्लाह के लिये ऐसी सिफ़ात साबित करते थे जो उसकी शान से बहुत दूर हैं। जैसे यहूदियों व ईसाईयों ने अल्लाह के लिये बेटा साबित किया, किसी ने अल्लाह के लिये इनसान की तरह जिस्म और अंग साबित किये, किसी ने रुख़ और दिशा को साबित किया, हालाँकि वह इन तमाम हालात व सिफ़ात से बाला व बुलन्द और पाक है। कुरआने करीम ने उनकी बयान की हुई इन सिफ़ात से बराअत के लिये बार-बार फ़रमाया:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

“यानी पाक है अल्लाह उन सिफ़ात से जो ये लोग बयान करते हैं।”

पहले जुमले:

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝

में तथा इससे पहली आयत:

اللَّهُ يَغْلِبُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ ۝

में अल्लाह जल्ल शानुहु के इल्मी कमाल का बयान था, इस दूसरे जुमले:

الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝

में कुदरत व बड़ाई के कमाल का ज़िक्र है कि उसकी ताक़त व कुदरत इनसानी तसव्वुरात (सोच और कल्पनाओं) से बालातर है। इसके बाद की आयत में भी इसी इल्मी कमाल और

कमाले कुदरत को एक ख़ास अन्दाज़ से बयान फ़रमाया है:

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

‘असरत्-कौल’ असरार से बना है जिसके मायने खुफिया कलाम और जहर के मायने ऐलानिया कलाम के हैं। जो कलाम इनसान किसी दूसरे को सुनाने के लिये करता है उसे जहर कहते हैं, और जो खुद अपने आपको सुनाने के लिये करता है उसको सिर्र कहा जाता है। मुस्तख़फ़ के मायने छुपने वाला, सारिब के मायने आज़ादी और बेफ़िक्री से रास्ते पर चलने वाला।

आयत के मायने यह हैं कि अल्लाह तआला शानुहू के कामिल इल्म की वजह से उसके नज़दीक खुफिया कलाम करने वाला और बुलन्द आवाज़ से कलाम करने वाला दोनों बराबर हैं, वह दोनों के कलाम को बराबर तौर पर सुनता और जानता है। इसी तरह जो शख्स रात की अंधेरी में छुपा हुआ है और जो दिन के उजाले में खुले रास्ते पर चल रहा है, ये दोनों उसके इल्म और कुदरत के एतिबार से बराबर हैं, कि दोनों के अन्दरूनी और ज़ाहिरी सब हालत उसको बराबर मालूम हैं, और दोनों पर उसकी कुदरत बराबर हावी है, कोई उसकी कुदरत से बाहर नहीं। इसी का और अधिक बयान अगली आयत में इस तरह है:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِنْ أَيْنَ يَدْرِيهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

‘मुअक्किबातुन’ मुअक्किबा की जमा (बहुवचन) है, उस जमाअत को जो दूसरी जमाअत के पीछे साथ लगकर आये उसको मुअक्किबा या मुतअक्किबा कहा जाता है।

مِنْ أَيْنَ يَدْرِيهِ

के लफ़्ज़ी मायने हैं दोनों हाथों के दरमियान। मुराद इनसान के सामने की दिशा है।

وَمَنْ خَلْفَهُ

पीछे की जानिब।

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

में ‘मिन्’ सबब के मायने बयान करने के लिये है और ‘बिअम्रिल्लाहि’ के मायने में आया है। कुछ किराअतों में यह लफ़्ज़ बिअम्रिल्लाहि मन्कूल भी है। (रूहुल-मआनी)

आयत के मायने यह हैं कि हर शख्स चाहे अपने कलाम को छुपाता है या ज़ाहिर करना चाहता है, इसी तरह अपने चलने फिरने को रात की अंधेरियों के ज़रिये छुपाना चाहता है या खुलेआम सड़कों पर फिरे, इन सब इनसानों के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़रिश्तों की जमाअतें मुकर्रर हैं, जो उनके आगे और पीछे से घेरा डाले हुए हैं, जिनकी ख़िदमत और इयूटी बदलती रहती है और वे एक के बाद एक आती रहती हैं। उनके ज़िम्मे यह काम है कि वे अल्लाह के हुक्म से इनसानों की हिफ़ाज़त करें।

सही बुख़ारी की हदीस में है कि फ़रिश्तों की दो जमाअतें हिफ़ाज़त के लिये मुकर्रर हैं- एक

रात के लिये, दूसरी दिन के लिये। और ये दोनों जमाअतें सुबह और असर की नमाजों में जमा होती हैं, सुबह की नमाज के बाद रात के मुहाफिज़ (निगराँ) रुख़्त हो जाते हैं, दिन के मुहाफिज़ काम संभाल लेते हैं, और असर की नमाज के बाद ये रुख़्त हो जाते हैं, रात के फरिश्ते इयूदी पर आ जाते हैं।

हदीस शरीफ की किताब अबू दाऊद की एक हदीस में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि हर इनसान के साथ कुछ हिफ़ाज़त करने वाले फरिश्ते मुकर्र हैं जो उसकी हिफ़ाज़त करते रहते हैं कि उसके ऊपर कोई दीवार वगैरह न गिर जाये, या किसी गढ़े और गार में न गिर जाये, या कोई जानवर या इनसान उसको तकलीफ न पहुँचाये, अलाबत्ता जब अल्लाह का हुक्म किसी इनसान को बला व मुसीबत में मुब्तला करने के लिये नाफिज़ हो जाता है तो मुहाफिज़ फरिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। (तफसीर रूहुल-मआनी)

इब्ने जरीर की एक हदीस से जो हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से है यह भी मालूम होता है कि उन मुहाफिज़ फरिश्तों का काम सिर्फ़ दुनियावी मुसीबतों और तकलीफों ही से हिफ़ाज़त नहीं बल्कि वे इनसान को गुनाहों से बचाने और महफूज़ रखने की भी कोशिश करते हैं। इनसान के दिल में नेकी और ख़ौफ़े खुदा का जन्बा जगाते रहते हैं, जिसके ज़रिये वह गुनाह से बचे। और अगर फिर भी वह फरिश्तों के इल्हाम (दिल में बात डालने) से गुफ़लत बरत कर गुनाह में मुब्तला ही हो जाये तो वे इसकी दुआ और कोशिश करते हैं कि यह जल्द तौबा करके गुनाह से पाक हो जाये, फिर अगर वह किसी तरह सचेत नहीं होता तब वे उसके नामा-ए-आमाल में गुनाह का काम लिख देते हैं।

ख़ुलासा यह है कि ये मुहाफिज़ फरिश्ते दीन व दुनिया दोनों की मुसीबतों और आफ़तों से इनसान की सोते जागते हिफ़ाज़त करते रहते हैं। हज़रत कअबे अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर इनसान से अल्लाह की हिफ़ाज़त का यह पहरा हटा दिया जाये तो जिन्नात इनकी जिन्दगी वबाल कर दें, लेकिन ये सब हिफ़ाज़ती पहरे उसी वक़्त तक काम करते हैं जब तक अल्लाह की लिखी हुई तक्दीर उनकी हिफ़ाज़त की इजाज़त देती है, और जब अल्लाह तआला ही किसी बन्दे को मुब्तला करना चाहें तो यह हिफ़ाज़ती पहरा हटा दिया जाता है।

इसी का बयान अगली आयत में इस तरह किया गया है:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَرْأَىٰ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَمَّ رَدَّهُ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَمْرِ

“यानी अल्लाह तआला किसी कौम की अमन व आफ़ियत की हालत को आफ़त व मुसीबत में उस वक़्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वह कौम खुद ही अपने आमाल व हालात को बुराई और फ़साद में तब्दील न कर ले। और जब वह अपने हालात को सरकशी और नाफरमानी से बदलती है तो अल्लाह तआला भी अपना तरीका बदल देते हैं। और यह ज़ाहिर है कि जब अल्लाह तआला ही किसी का बुरा चाहें और अज़ाब देना चाहें तो न फिर कोई उसको टाल सकता है और न कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ़ उनकी मदद को पहुँच सकता है।

हासिल यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से इनसानों की हिफाज़त के लिये फ़रिश्तों का पहरा लगा रहता है, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र और उसकी इताअत छोड़कर बुरे आमाल, ग़लत किरदार और सरकशी ही इख़्तियार कर ले तो अल्लाह तआला भी अपना हिफाज़ती पहरा उठा लेते हैं, फिर खुदा तआला का क़हर व अज़ाब उन पर आता है, जिससे बचने की कोई सूरत नहीं रहती।

इस वज़ाहत व तफसील से मालूम हुआ कि उक्त आयत में हालात के बदलने से मुराद यह है कि जब कोई कौम इताअत और शुक्रगुज़ारी छोड़कर अपने हालात में बुरी तब्दीली पैदा करे तो अल्लाह तआला भी अपना रहमत व हिफाज़त का मामला बदल देते हैं।

इस आयत का जो आम तौर पर यह मफहूम (मतलब) बयान किया जाता है कि किसी कौम में अच्छा इन्क़लाब उस वक़्त तक नहीं आता जब तक वह खुद उस अच्छे इन्क़लाब के लिये अपने हालात को दुरुस्त न कर ले, इसी मफहूम में यह शेर मशहूर है:

खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
न हो जिसको ख़्याल खुद अपनी हालत के बदलने का

यह बात अगरचे एक हद तक सही है मगर इस आयत का यह मफहूम नहीं, और इसका सही होना भी एक आम क़ानून की हैसियत से है कि जो शख्स खुद अपने हालात की इस्लाह (सुधार) का इरादा नहीं करता अल्लाह तआला की तरफ से भी उसकी इमदाद व नुसरत का वादा नहीं, बल्कि यह वादा उसी हालत में है जब कोई खुद भी इस्लाह की फ़िक्र करे जैसा कि आयते करीमा:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

से मालूम होता है कि अल्लाह तआला की तरफ से भी हिदायत के रास्ते तब ही खुलते हैं जब खुद हिदायत की तलब मौजूद हो, लेकिन अल्लाह के इनामात इस क़ानून के पाबन्द नहीं, कई बार इसके बग़ैर भी अता हो जाते हैं:

दादे हक् रा काबलियत शर्त नेस्त

बल्कि शर्ते काबलियत दाद हस्त

खुद हमारा वजूद और इसमें बेशुमार नेमतें न हमारी कोशिश का नतीजा हैं न हमने कभी इसके लिये दुआ माँगी थी कि हमें ऐसा वजूद अता किया जाये जिसकी आँख, नाक, कान और सब कुव्वतें व अंग दुरुस्त हों, ये सब नेमतें बिना माँगे ही मिलती हैं:

मा नबूदेम व तकाज़ा-ए-मा न बूद

लुत्फे तू नागुफ़ता-ए-मा मी शनवद

न हमारा कोई वजूद था और न हमारी कुछ माँग और तकाज़ा था। यह तेरा लुत्फ व करम है कि तू हमारी बिना माँगी ज़रूरत व तकाज़े सुन लेता और अपनी रहमत से उसे क़बूल फ़रमाता है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

अलबत्ता इनामात का हक़दार बनना और उनका वायदा बग़ैर अपनी कोशिश के हासिल नहीं होता, और किसी कौम का बग़ैर कोशिश व अमल के इनामात का इन्तिज़ार करते रहना अपने आपको धोखा देने के बराबर है।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الْبِقَالِ ۝

यानी अल्लाह तआला ही की ज़ात पाक है, जो तुम्हें बर्फ़ व बिजली दिखलाता है, जो इनसान के लिये ख़ौफ़ भी बन सकती है कि जिस जगह गिर पड़े सब को खाक कर डाले, और उम्मीद व इच्छा भी होती है कि बिजली की चमक के बाद बारिश आयेगी जो इनसान और हैवानात की जिन्दगी का सहारा है। और वही पाक ज़ात है जो बड़े-बड़े भारी बादल समन्दर से मानसून बनाकर उठाता है और फिर उन पानी से भरे हुए बादलों को फ़िज़ा में बड़ी तेज़ी के साथ कहीं से कहीं ले जाता है, और अपने तयशुदा हुक़्म के मुताबिक़ जिस ज़मीन पर चाहता है बरसाता है।

وَيَسْبِغُ الرُّعْدُ بِحَمِيمِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

यानी तस्बीह पढ़ता है रज़द अल्लाह तआला की तारीफ़ व शुक्र की, और तस्बीह पढ़ते हैं फ़रिश्ते उसके ख़ौफ़ की। रज़द उर्फ़ व मुहावरे में बादल की आवाज़ को कहा जाता है जो बादलों के आपसी टकराव से पैदा होती है। उसके तस्बीह पढ़ने से मुराद वही तस्बीह है जिसके बारे में क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में आया है कि ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न करती हो, लेकिन यह तस्बीह आम लोग सुन नहीं सकते।

और हदीस की कुछ रिवायतों में है कि रज़द उस फ़रिश्ते का नाम है जो बारिश बरसाने पर मुसल्लत और लगाया हुआ है। इस मायने के एतिबार से तस्बीह पढ़ना ज़ाहिर है।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ.

सवाअिक़ साअिका की जमा (बहुवचन) है, ज़मीन पर गिरने वाली बिजली को साअिका कहा जाता है। आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ही ये बिजलियाँ ज़मीन पर भेजता है जिनके ज़रिये जिसको चाहता है जला देता है।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝

लफ़्ज़ मिहाल हीला व तदबीर के मायने में है, और अज़ाब व सज़ा के मायने में भी, और क़ुदरत के मायने में भी। आयत के मायने यह हैं कि ये लोग अल्लाह तआला की तौहीद के मामले में आपसी झगड़े और विवाद में मुब्तला हैं, हालाँकि अल्लाह तआला बड़ी मज़बूत तदबीर करने वाले हैं, जिनके सामने किसी की चाल नहीं चलती।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا خَلْقًا قَلِيلًا قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا أَرَابِيًّا وَمِمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ أُبْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ كِبْرًا أَتَشَاءُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هَ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

कुल् मर्बुस्समावाति वल् अर्जि,
कुलिल्लाह, कुल् अ-फत्तख्रज्जुम् मिन्
दूनिही औलिया-अ ला यम्मिलकू-न
लिअन्फुसिहिम् नफअं-व ला जर्न,
कुल् हल् यस्तविल्-अज्मा वल्बसीरु
अम् हल् तस्तविज्जुलुमातु वन्नूरु,
अम् ज-अलू लिल्लाहि शु-रका-अ
ख-लकू क-खल्किही फ-तशाबहल्-
खल्कु अलैहिम्, कुलिल्लाहु खालिकु
कुल्लि शैइव्-व हुवल् वाहिदुल्-
कह्हार (16) अन्ज-ल मिनस्समा-इ
माअन् फ सालत् औदि-यतुम्
बि-क-दरिहा फहत-मलस्सैलु ज-बदर्-
राबियन्, व मिम्मा यूकिदू-न अलैहि
फिन्नारिब्तिगा-अ हिल्यतिन् औ
मताजिन् ज-बदुम्-मिस्लुह्, कजालि-क
यजिर्बुल्लाहुल्-हक्-क् वल्बाति-ल,

पूछ कौन है रब आसमान और जमीन
का, कह दे अल्लाह। कह फिर क्या तुमने
पकड़े हैं उसके सिवा ऐसे हिमायती जो
मालिक नहीं अपने भले और बुरे के। कह
क्या बराबर होता है अंधा और देखने
वाला? या कहीं बराबर है अंधेरा और
उजाला? क्या ठहराये हैं उन्होंने अल्लाह
के लिये शरीक कि उन्होंने कुछ पैदा
किया है जैसे पैदा किया अल्लाह ने, फिर
संदिग्ध हो गई पैदाईश उनकी नजर में,
कह अल्लाह है पैदा करने वाला हर चीज
का, और वही है अकेला ज़बरदस्त। (16)
उतारा उसने आसमान से पानी, फिर
बहने लगे नाले अपनी-अपनी मात्रा के
मुवाफिक, फिर ऊपर ले आया वह नाला
झाग फूला हुआ, और जिस चीज को
घोंकते हैं आग में जेवर के या असबाब
के वास्ते, उसमें भी झाग है वैसा ही, यूँ
बयान करता है अल्लाह हक़ और बातिल
को, सो वह झाग तो जाता रहता है सूख

फ-अम्मज़्ज-बदु फ-यज़्हबु जुफा-अन्
व अम्मा मा यन्फजुन्ना-स फयम्कुसु
फिल्अर्जि, कज़ालि-क यज़िर्बुल्लाहुल्
-अम्साल (17)

कर और वह जो काम जाता है लोगों के
सो बाकी रहता है ज़मीन में, इस तरह
बयान करता है अल्लाह मिसालें। (17)

खुलासा-ए-तफसीर

आप (उनसे यूँ) कहिये कि आसमानों और ज़मीन का परवर्दिगार (यानी बनाने और बाकी रखने वाला अर्थात् ख़ालिक व हाफिज़) कौन है? (और चूँकि इसका जवाब मुतैयन है इसलिये जवाब भी) आप (ही) कह दीजिये कि अल्लाह है। (फिर) आप यह कहिये कि क्या (ये तौहीद की दलीलें सुनकर) फिर भी तुमने खुदा के सिवा दूसरे मददगार (यानी माबूद) करार दे रखे हैं जो (पूरी तरह बेबस होने की वजह से) खुद अपनी ज़ात के नफ़े-नुक़सान का भी इख़्तियार नहीं रखते (और फिर शिर्क के रद्द और तौहीद के साबित करने के बाद ईमान वालों और शिर्क वालों और खुद ईमान व शिर्क के दरमियान फर्क के इज़हार के लिये) आप यह (भी) कहिये कि क्या अन्धा और आँखों वाला बराबर हो सकता है? (यह मिसाल है मुशिरक और ईमान वाले की) या कहीं अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकती है? (यह मिसाल है शिर्क और तौहीद की), या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक करार दे रखे हैं कि उन्होंने भी (किसी चीज़ को) पैदा किया हो जैसे कि खुदा (उनके मानने के मुवाफ़िक़ भी) पैदा करता है, फिर (इस वजह से) उनको (दोनों का) पैदा करना एक सा मालूम हुआ हो (और उससे दलील पकड़ी हो कि जब दोनों बराबर तौर पर ख़ालिक हैं तो दोनों बराबर तौर पर माबूद भी होंगे। इसके मुताल्लिक़ भी) आप (ही) कह दीजिये कि अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही (अपनी ज़ात और कामिल सिफ़ात में) वाहिद है (और सब मख़्लूक़ात पर) ग़ालिब है।

अल्लाह तआला ने आसमानों से पानी नाज़िल फ़रमाया, फिर (उस पानी से) नाले (भरकर) अपनी भिक्दार "यानी मात्रा" के मुवाफ़िक़ चलने लगे (यानी छोटे नाले में थोड़ा पानी और बड़े नाले में ज़्यादा पानी) फिर वह सैलाब (का पानी) कूड़े-कबाड़ को बहा लाया जो उस (पानी) की (सतह) के ऊपर (आ रहा) है। (एक कूड़ा करकट तो यह है) और जिन चीज़ों को आग के अन्दर (रखकर) ज़ेवर और असबाब (बरतन वगैरह) बनाने की गर्ज़ से तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही मैल-कुचैल (ऊपर आ जाता) है (पस इन दो मिसालों में दो चीज़ें हैं, एक कारामद चीज़ कि असल पानी और असल माल है और एक नाकारा चीज़ कि कूड़ा-करकट मैल-कुचैल है। गर्ज़ कि) अल्लाह तआला हक़ (यानी तौहीद व ईमान वगैरह) और बातिल (यानी कुफ़ व शिर्क वगैरह) की इसी तरह की मिसाल बयान कर रहा है (जिसकी तकमील अगले मज़मून से होती है) सो (इन दोनों ज़िक़्र हुई मिसालों में) जो मैल-कुचैल था वह तो फेंक दिया जाता है और जो चीज़

लोगों के लिये कारामद है वह दुनिया में (नफ़ा पहुँचाने के साथ) रहती है (और जिस तरह हक़ व बातिल की मिसाल बयान की गई अल्लाह तआला इसी तरह (हर ज़रूरी मज़मून में) मिसालें बयान किया करते हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

हासिल दोनों मिसालों का यह है कि जैसे इन मिसालों में मैल-कुचैल कुछ ही वक़्त के लिये असली चीज़ के ऊपर नज़र आता है लेकिन अन्जामकार वह फेंक दिया जाता है और असली चीज़ रह जाती है, इसी तरह बातिल (ग़ैर-हक़) अगरचे चन्द दिन हक़ के ऊपर ग़ालिब नज़र आये, लेकिन आख़िरकार बातिल मिट जाता और झुक जाता है, और हक़ बाकी और साबित रहता है। यही मज़मून तफ़सीरे जलालैन में बयान किया गया है।

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِمَّا
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَعِهِ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۗ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ
 بِئْسَ الْيَهَادُ ۗ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْيَىٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
 أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۗ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۗ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
 بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَعْتَفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۗ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى
 الدَّارِ ۗ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا ۗ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّ عَقِبِ الدَّارِ ۗ

लिल्लज़ीनस्तज़ाबू लिरब्बिहिमुल्-
 हुस्ना, वल्लज़ी-न लम् यस्तज़ीबू लहु
 लौ अन्-न लहुम् मा फ़िल्अज़ि
 जमीअव्-व मिस्ताहू म-अहू लफ़तदौ
 बिही, उलाइ-क लहुम् सूउल्-हिसाबि
 व मअ्वाहुम् ज-हन्नमु, व बिअ्सल्-
 मिहाद। (18) ● ●

जिन्होंने माना अपने रब का हुक़म उनके
 वास्ते भलाई है, और जिन्होंने उसका
 हुक़म न माना अगर उनके पास हो जो
 कुछ कि ज़मीन में है सारा और इतना ही
 उसके साथ और तो सब देवें अपने बदले
 में, उन लोगों के लिये है बुरा हिसाब,
 और ठिकाना उनका दोज़ख़ है, और वह
 बुरी आराम की जगह है। (18) ● ●

अ-फ्मंय्यज़लमु अन्नमा उन्जिल-ल
 इलै-क मिर्रबिकल्-हक्कु क-मन्
 हु-व अज़्मा, इन्नमा य-तजक्करु
 उलुल्-अल्बाब (19) अल्लजी-न
 यूफू-न बिअहिदल्लाहि व ला
 यन्कुज़ूनल्-मीसाक (20) वल्लजी-न
 यसिलू-न मा अ-मरल्लाहु बिही
 अंय्यूस-ल व यद्दशौ-न रब्बहुम् व
 यख्राफू-न सूअल्-हिसाब (21)
 वल्लजी-न स-बरुव्तिशा-अ वज्हि
 रब्बिहिम् व अकामुस्सला-त व
 अन्फक्कू मिम्मा रज़क़्नाहुम् सिर्रं-व
 अ लानि-यतं-व-व यद्दरऊ-न
 बिल्ह-स-नतिस्सय्यि-अ-त उलाइ-क
 लहुम् अक्बद्दार (22) जन्नातु
 अद्रनिंय-यद्दखुलू-नहा व मन् स-ल-ह
 मिन् आबइहिम् व अज़्वाजिहिम् व
 ज़ुरिय्यातिहिम् वल्मलाइ-कतु
 यद्दखुलू-न अलैहिम् मिन् कुल्लि बाब
 (23) सलामुन् अलैकुम् बिमा
 सबरतुम् फनिज़्-म अक्बद्दार (24)

मला जो शख्त जानता है कि जो कुछ
 उतरा तुझ पर तेरे रब से हक है, बराबर
 हो सकता है उसके जो कि अंधा हो,
 समझते वही हैं जिनको अक्ल है। (19)
 वे लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के
 अहद को और नहीं तोड़ते उस अहद
 को। (20) और वे लोग जो मिलाते हैं
 जिसको अल्लाह ने फरमाया मिलाना और
 डरते हैं अपने रब से, और अन्देशा रखते
 हैं बुरे हिसाब का। (21) और वे लोग
 जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रज़ा के
 लिये और कायम रखी नमाज़ और खर्च
 किया हमारे दिये में से छुपे और जाहिर,
 और करते हैं बुराई के मुकाबले में भलाई,
 उन लोगों के लिये है आखिरत का घर।
 (22) बाग हैं रहने के दाखिल होंगे उनमें,
 और जो नेक हुए उनके बाप-दादाओं में
 और बीवियों में और औलाद में, और
 फरिश्ते आवेंगे उनके पास हर दरवाज़े
 से। (23) कहेंगे सलामती तुम पर बदले
 में इसके कि तुमने सब्र किया, सो खूब
 मिला आकिबत का घर। (24)

खुलासा-ए-तफसीर

जिन लोगों ने अपने रब का कहना मान लिया (और ईमान और फरमाँबरदारी को इख्तियार
 कर लिया) उनके वास्ते अच्छा बदला (यानी जन्नत मुकर्रर) है, और जिन लोगों ने उसका कहना
 न माना (और कुफ़ व नाफ़रमानी पर कायम रहे) उनके पास (क़ियामत के दिन) अगर तमाम

दुनिया भर की चीजें (मौजूद) हों और (बल्कि) उसके साथ उसी के बराबर और भी (माल व दौलत) हो, तो वह सब अपनी रिहाई के लिये दे डालें। उन लोगों का सख्त हिसाब होगा (जिसको दूसरी आयत में 'हिसाब-ए-असीर' फरमाया है) और उनका ठिकाना (हमेशा के लिये) दोज़ख है, और वह बुरा ठिकाना है।

जो शख्स यह यकीन रखता हो कि जो कुछ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रब की तरफ से आप पर नाज़िल हुआ है वह सब हक़ है, क्या ऐसा शख्स उसकी तरह हो सकता है जो कि (इस इल्म से बिल्कुल) अन्धा है (यानी काफ़िर व मोमिन बराबर नहीं), पस नसीहत तो समझदार लोग ही क़बूल करते हैं। (और) ये (समझदार) लोग ऐसे हैं कि अल्लाह से जो कुछ इन्होंने अहद किया है उसको पूरा करते हैं और (उस) अहद को तोड़ते नहीं। और ये ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने जिन ताल्लुकात के कायम रखने का हुक्म किया है उनको कायम रखते हैं, और अपने रब से डरते रहते हैं, और सख्त अज़ाब का अन्देशा रखते हैं (जो काफ़िरों के साथ खास होगा, इसलिये कुफ़्र से बचते हैं)। और ये लोग ऐसे हैं कि अपने रब की रज़ामन्दी को ढूँढते हुए (दीने हक़ पर) मज़बूत रहते हैं, और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनकी रोज़ी दी है उसमें से चुपके से भी और जाहिर करके भी (जैसा मौक़ा होता है) खर्च करते हैं। और (लोगों के) बुरे व्यवहार को (जो उनके साथ किया जाये) अच्छे सुलूक से टाल देते हैं (यानी कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करे तो कुछ ख्याल नहीं करते बल्कि उसके साथ अच्छा सुलूक करते हैं), उस जहान में (यानी आख़िरत में) नेक अन्जाम उन्हीं लोगों के वास्ते है, यानी हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वे लोग भी दाख़िल होंगे और उनके माँ-बाप और बीवियाँ और औलाद में से जो (जन्नत के) लायक़ (यानी मोमिन) होंगे (अगरचे वे उनके दर्जे के न हों) वे भी (जन्नत में उनकी बरकत से उन्हीं के दर्जों में) दाख़िल होंगे, और फ़रिश्ते उनके पास हर (तरफ़ के) दरवाज़े से आते होंगे (और यह कहते होंगे) कि तुम (हर आफ़त और ख़तरे से) सही-सलामत रहोगे इसकी बदौलत कि तुम (दीने हक़ पर) मज़बूत रहे थे, सो इस जहान में तुम्हारा अन्जाम बहुत अच्छा है।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हक़ व बातिल को मिसालों के ज़रिये वाज़ेह किया गया था। इन आयतों में हक़ वालों और ग़ैर-हक़ वालों की निशानियों व सिफ़ात और उनके अच्छे और बुरे आमाल और उनकी जज़ा व सज़ा का बयान है।

पहली आयत में अल्लाह के अहक़ाम की तामील व इताअत करने वालों के लिये अच्छे बदले का और नाफ़रमानी करने वालों के लिये सख्त अज़ाब का ज़िक़्र है।

दूसरी आयत में इन दोनों की मिसाल बीना (देखने वाले) और नाबीना (अंधे) से दी गई है, और इसके आख़िर में फ़रमाया:

إِنَّمَا يَنْدَرُ أَوْلُوا الْأَنْبِيَاءِ

यानी अगरचे बात स्पष्ट है मगर इसको वही समझ सकते हैं जो अक्ल वाले हैं, जिनकी अक्लें लापरवाही और नाफरमानी ने बेकार कर रखी हैं वे इतने बड़े स्पष्ट फ़र्क को भी नहीं समझते।

तीसरी आयत से इन दोनों फ़रीक़ों के खास-खास आमाल और निशानियों का बयान शुरू हुआ है। पहले अल्लाह के अहकाम के मानने वालों की सिफ़ात यह ज़िक्र फ़रमाई हैं:

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

यानी ये वे लोग हैं जो अल्लाह तआला से किये हुए अहद को पूरा करते हैं। इससे मुराद वो तमाम अहद व पैमान हैं जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों से लिये हैं, जिनमें सबसे पहला अपने रब होने का वह अहद है जो कायनात के पहले दिन में तमाम रूहों को हाज़िर करके लिया गया था:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

यानी “क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?” जिसके जवाब में सब ने एक ज़बान होकर कहा था:

بلى

यानी “क्यों नहीं” आप ज़रूर हमारे रब हैं। इसी तरह तमाम अल्लाह के तमाम अहकाम की इताअत, तमाम फ़राईज़ की अदायेगी और नाजायज़ चीज़ों से बचने की अल्लाह की तरफ़ से वसीयत और बन्दों की तरफ़ से उसका इक़रार कुरआन की अनेक आयतों में बयान हुआ है।

दूसरी सिफ़त:

وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَاقَ

है। यानी वे किसी अहद व पैमान की ख़िलाफ़वर्जी (उल्लंघन) नहीं करते। इसमें वो अहद व पैमान भी दाख़िल हैं जो बन्दे और अल्लाह तआला के बीच हैं, जिनका ज़िक्र अभी पहले जुमले में ‘अहदुल्लाहि’ के अलफ़ाज़ से किया गया है, और वो अहद भी जो उम्मत के लोग अपने नबी व रसूल से करते हैं, और वे मुआहदे भी जो एक इनसान दूसरे इनसान के साथ करता है।

इमाम अबू दाऊद ने हज़रत औफ़ इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह हदीस नक़ल की है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम से इस पर अहद और बैअत ली कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे और पाँच वक़्त नमाज़ को पाबन्दी से अदा करेंगे, और अपने अमीरों की इताअत करेंगे और किसी इनसान से किसी चीज़ का सवाल न करेंगे।

जो लोग इस बैअत में शरीक थे उनका हाल अहद की पाबन्दी में यह था कि अगर घोड़े पर सवारी के वक़्त उनके हाथ से कोड़ा गिर जाता तो किसी इनसान से न कहते कि यह कोड़ा उठा दो, बल्कि खुद सवारी से उतरकर उठाते थे।

यह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत व अज़मत और फरमाँबरदारी के जज़्बे का असर था, वरना यह ज़ाहिर था कि इस तरह के सबाल से मना फरमाना मकसूद न था। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे देखा कि आप सल्ल। खुतबा दे रहे हैं और इतिफ़ाक से उनके मस्जिद में दाखिल होने के वक़्त आपकी ज़बाने मुबारक से यह कलिमा निकला कि "बैठ जाओ" अब्दुल्लाह बिन मसऊद जानते थे कि इसका यह मतलब नहीं कि सड़क पर या बेमौका किसी जगह कोई है तो वहीं बैठ जाये, मगर फरमाँबरदारी और हुक्म मानने के जज़्बे ने उनको आगे क़दम बढ़ाने न दिया, दरवाज़े से बाहर ही जहाँ यह आवाज़ कानों में पड़ी उसी जगह बैठ गये।

तीसरी सिफ़त अल्लाह तआला के फरमाँबरदारों की यह बतलाई गई:

وَالَّذِينَ يَصُلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

"यानी ये लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने जिन ताल्लुकात के कायम रखने का हुक्म दिया है उनको कायम रखते हैं।" इसकी मशहूर तफ़सीर तौ। यही है कि रिश्तेदारी के ताल्लुकात कायम रखने और उनके तकाज़ों पर अमल करने का अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया है ये लोग उन ताल्लुकात को कायम रखते हैं। कुछ मुफ़सिरीन हज़रात ने फरमाया कि इससे मुराद यह है कि ये लोग ईमान के साथ नेक अमल को या आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआने करीम पर ईमान के साथ पिछले नबियों और उनकी किताबों पर ईमान को मिला देते हैं।

चौथी सिफ़त यह बयान फरमाई:

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

यानी ये लोग अपने रब से डरते हैं। यहाँ लफ़ज़ ख़ौफ़ के बजाय ख़शियत का लफ़ज़ इस्तेमाल करने में इस तरफ़ इशारा है कि अल्लाह तआला से उनका ख़ौफ़ इस तरह का नहीं जैसे फाड़ खाने वाले जानवर या तकलीफ़ देने वाले इनसान से तबई तौर पर ख़ौफ़ हुआ करता है, बल्कि ऐसा ख़ौफ़ है जैसे औलाद को माँ-बाप का, शागिर्द को उस्ताद का ख़ौफ़ आदतन होता है, कि उसका मंशा किसी तकलीफ़ पहुँचाने का ख़ौफ़ नहीं होता बल्कि सम्मान व मुहब्बत की वजह से ख़ौफ़ इसका होता है कि कहीं हमारा कोई कौल व फ़ैल अल्लाह तआला के नज़दीक नापसन्द और मक्रूह न हो जाये। इसी लिये तारीफ़ के मक़ाम में जहाँ कहीं अल्लाह तआला के ख़ौफ़ का ज़िक्र है उमूमन वहाँ यही लफ़ज़ यानी ख़शियत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ख़शियत उसी ख़ौफ़ को कहा जाता है जो बड़ाई व मुहब्बत की वजह से पैदा होता है। इसी लिये अग़ले जुमले में जहाँ हिसाब की सख़्ती का ख़ौफ़ बयान किया गया है वहाँ ख़शियत का लफ़ज़ नहीं बल्कि ख़ौफ़ ही का लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है। इरशाद फरमाया:

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

"यानी ये लोग बुरे हिसाब से डरते हैं।" बुरे हिसाब से मुराद हिसाब में सख़्ती और गहन

पूछताछ है। हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि इनसान की निजात तो अल्लाह की रहमत से हो सकती है, कि आमाल के हिसाब के वक़्त सरसरी तौर पर और माफ़ी व दरगुज़र से काम लिया जाये, वरना जिस शख़्स से भी पूरा-पूरा ज़र्रे-ज़र्रे का हिसाब ले लिया जाये उसका अज़ाब से बचना मुम्किन नहीं। क्योंकि ऐसा कौन है जिससे कोई गुनाह व ख़ता कभी न हुआ हो? यह हिसाब की सख़्ती का ख़ौफ़ नेक व फ़रमाँबरदार लोगों की पाँचवीं सिफ़त है।

छठी सिफ़त यह बयान फ़रमाई:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالْبِغَاءِ وَجُورِهِمْ

“यानी वे लोग जो ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ा तलब करने के लिये सब्र करते हैं।”

सब्र के मायने अरबी भाषा में उस मफ़हूम से बहुत आम हैं जो उर्दू भाषा में समझा जाता है कि किसी मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र करें। क्योंकि इसके असली मायने ख़िलाफ़े तबीयत चीज़ों से परेशान न होना, बल्कि साबित-क़दमी के साथ अपने काम पर लगे रहना है, इसी लिये इसकी दो किस्में बयान की जाती हैं- एक ‘सब्र अलल्-इताअत’ यानी अल्लाह तआला के अहकाम की तामील पर जमे रहना, दूसरे ‘सब्र अनिल्-मासियत’ यानी गुनाहों से बचने पर साबित-क़दम रहना।

सब्र के साथ ‘इब्तिगा-अ वज्हि रब्बिहिम’ की क़ैद (शर्त) ने यह बतलाया कि आम सब्र कोई फ़ज़ीलत की चीज़ नहीं, क्योंकि कभी न कभी तो बेसब्रे इनसान को भी अन्जामकार एक मुद्दत के बाद सब्र आ ही जाता है, जो सब्र ग़ैर-इख़्तियारी हो उसकी कोई ख़ास फ़ज़ीलत नहीं, न ऐसी ग़ैर-इख़्तियारी कैफ़ियत का अल्लाह तआला किसी को हुक्म देते हैं। इसी लिये हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

الْصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

“यानी असली और मोतबर सब्र तो वही है जो सदमे की शुरुआत के वक़्त इख़्तियार कर लिया जाये, वरना बाद में तो कभी न कभी जबरी (ग़ैर-इख़्तियारी) तौर पर इनसान को सब्र आ ही जाता है। बल्कि क़ाबिले तारीफ़ व प्रशंसा वह सब्र है कि अपने इख़्तियार से ख़िलाफ़े तबीयत चीज़ों को बरदाश्त करे, चाहे वह फ़राईज़ व वाजिबात की अदायेगी हो या हराम व नापसन्दीदा चीज़ों से बचना हो।

इसी लिये अगर कोई शख़्स चोरी की नीयत से किसी मकान में दाख़िल हो गया मगर वहाँ चोरी का मौक़ा न मिला, सब्र करके वापस आ गया तो यह ग़ैर-इख़्तियारी सब्र कोई तारीफ़ व सवाब की चीज़ नहीं, सवाब जब है कि गुनाह से बचना खुदा के ख़ौफ़ और उसकी रज़ा चाहने के सबब से हो।

सातवीं सिफ़त है:

أَقَامُوا الصَّلَاةَ

‘इक़ामत-ए-सलात’ के मायने नमाज़ को उसके पूरे आदाब व शर्तों और दिली तवज्जोह के

साथ अदा करना है, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना नहीं। इसी लिये कुरआने करीम में उमूमन नमाज़ का हुक्म 'इक़ामत-ए-सलात' के अलफ़ाज़ से दिया गया है।

आठवीं सिफ़त है:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

“यानी वे लोग जो अल्लाह के दिये हुए रिज़क़ में से कुछ अल्लाह के नाम पर भी ख़र्च करते हैं।” इसमें इशारा किया गया कि तुम से ज़कात वगैरह के जिस माल का मुतालबा अल्लाह तआला करता है वह कुछ तुम से नहीं माँगता बल्कि अपने ही दिये हुए रिज़क़ का कुछ हिस्सा वह भी सिर्फ़ अढ़ाई फीसद जैसी मामूली व हकीर मात्रा में आप से माँगा जाता है, जिसके देने में आपकी तबई तौर पर कोई परसोपेश (संकोच और दुविधा) न होनी चाहिये।

माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करने के साथ 'सिर्रुव-व अलानियतनु' (चुपके से और खुलेआम) की कैद से मालूम हुआ कि सदका व ख़ैरात में हर जगह छुपाकर देना ही मुराद नहीं बल्कि कई बार इसका इज़हार भी दुरुस्त और सही होता है। इसीलिये उलेमा ने फ़रमाया कि ज़कात और वाजिब सदकों का ऐलान व इज़हार ही अफ़ज़ल व बेहतर है, उसका छुपाना मुनासिब नहीं, ताकि दूसरे लोगों को भी शौक़ व दिलचस्पी और तालीम व हिदायत हो, अलबत्ता नफ़ली सदकों का खुफ़िया देना अफ़ज़ल व बेहतर है। जिन हदीसों में छुपाकर देने की फ़जीलत आई है वो नफ़ली सदकों ही के बारे में हैं।

नवीं सिफ़त है:

يَنْزِعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

यानी ये लोग बुराई को भलाई से, दुश्मनी को दोस्ती से, जुल्म को माफ़ी व दरगुज़र से दूर करते हैं। बुराई के जवाब में बुराई से नहीं पेश आते। और कुछ हज़रात ने इसके यह मायने बयान फ़रमाये हैं कि गुनाह को नेकी से दूर करते हैं, यानी अगर किसी वक़्त कोई ख़ता व गुनाह हो जाता है तो उसके बाद नेकी व इबादत की कसरत और एहतियाम इतना करते हैं कि उससे पिछला गुनाह मिट जाता है। हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत फ़रमाई कि “बदी के बाद नेकी कर लो तो वह बदी को मिटा देगी।” मुराद यह है कि जब उस बदी और गुनाह पर नादिम होकर तौबा कर ली और उसके बाद नेक अमल किया तो यह नेक अमल पिछले गुनाह को मिटा देगा, बगैर शर्मिन्दगी और तौबा के गुनाह के बाद कोई नेक अमल कर लेना गुनाह की माफ़ी के लिये काफी नहीं होता।

अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदारों की ये नौ सिफ़तें बयान करने के बाद उनकी जज़ा यह बयान फ़रमाई:

أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ

दार से मुराद आख़िरत का घर है। यानी उन्हीं लोगों के लिये आख़िरत के घर की फ़लाह है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इस जगह दार से मुराद दुनिया का घर है, और मुराद यह

है कि नेक लोगों को अगरचे इस दुनिया में तकलीफें भी पेश आती हैं मगर अन्जामकार दुनिया में भी फ़लाह व कामयाबी उन्हीं का हिस्सा होता है।

आगे इसी 'उक्बद्दारि' यानी आख़िरत के घर की फ़लाह का बयान है कि वो "जन्नाते अ़दन" होंगी जिनमें वे दाख़िल होंगे। अ़दन के मांयने ठहरने और करार पकड़ने के हैं, मुराद यह है कि उन जन्मतों से किसी वक़्त उनको निकाला न जायेगा बल्कि उनमें उनका रहना और बसना हमेशा के लिये होगा। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अ़दन जन्मत के बीच के हिस्से का नाम है जो जन्मत के मक़ामात में भी आला मक़ाम है।

इसके बाद उन हज़रात के लिये एक और इनाम यह ज़िक्र फ़रमाया गया कि अल्लाह का यह इनाम सिर्फ़ उन लोगों की ज़ात तक सीमित नहीं होगा बल्कि उनके बाप-दादा और उनकी बीवियों और औलाद को भी उसमें हिस्सा मिलेगा, शर्त यह है कि वे नेक हों, जिसका अदना दर्जा यह है कि मुसलमान हों, और मुराद यह है कि उन लोगों के बाप-दादा और उनकी बीवियों का अपना अमल अगरचे इस मक़ाम पर पहुँचने के काबिल न था मगर अल्लाह के मक़बूल बन्दों की रियायत और बरक़त से उनको भी इसी ऊँचे मक़ाम पर पहुँचा दिया जायेगा।

इसके बाद आख़िरत के ज़हान में उनकी फ़लाह व कामयाबी का मज़ीद बयान यह है कि फ़रिश्ते हर दरवाज़े से उनको सलाम करते हुए दाख़िल होते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे सब्र की वजह से तमाम तकलीफों से सलामती है, और यह कैसा अच्छा अन्जाम है आख़िरत के घर का।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَسْطُرُ الْوِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُهُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نُرَىٰ آيَةً مِنْ رَبِّهِمْ لَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ يَصُدُّ مِنْ رَبِّهِمْ آيَةً مِنْ رَبِّهِمْ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝ قَلِيلٌ مِمَّا حَسِبْتُمْ ۝ اللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَحْتَسِبُوا ۝ وَتَذَكَّرُوا عِبَادَةً لِرَبِّكُمْ تَخْضِعُونَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَحْتَسِبُوا ۝ وَتَذَكَّرُوا عِبَادَةً لِرَبِّكُمْ تَخْضِعُونَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَحْتَسِبُوا ۝ وَتَذَكَّرُوا عِبَادَةً لِرَبِّكُمْ تَخْضِعُونَ ۝

वल्लज़ी-न यन्कुज़ू-न अहदल्लाहि
मिम्-बज़्दि मीसाकिही व यक्त्ज़ू-न
मा अ-मरल्लाहु बिही अय्यूस-ल व

और जो लोग तोड़ते हैं अहद अल्लाह का
मज़बूत करने के बाद और काटते हैं उस
चीज़ को जिसको फ़रमाया अल्लाह ने
जोड़ना, और फ़साद उठाते हैं मुल्क में,

युफ़िसदू-न फ़िल्अज़ि उलाइ-क
 लहुमुल्लज़-नतु व लहुम् सूउददार
 (25) अल्लाहु यब्सुतुरिज़-क
 लिमय्यशा-उ व यक्दिरु, व फ़रिहू
 बिल्हयातिदुदुन्या, व मल्हयातुदुदुन्या
 फ़िल्-आख़िरति इल्ला मताज़ (26) ●
 व यकूलुल्लज़ी-न क-फ़रू लौ ला
 उन्ज़ि-ल अलैहि आयतुम् मिरिबिही,
 कुल् इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मय्यशा-उ
 व यस्दी इलैहि मन् अनाब (27)
 अल्लज़ी-न आमनू व तत्मइन्नु
 कुलूबहुम् बिज़िकिरल्लाहि, अला
 बिज़िकिरल्लाहि तत्मइन्नुल्-कुलूब
 (28) अल्लज़ी-न आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम् व
 हुस्नु मआब (29) कजालि-क
 अर्सल्ला-क फ़ी उम्मतिन् कद् ख़लत्
 मिन् कब्लिहा उ-ममुल्-लिततलु-व
 अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलै-क व हुम्
 यक्फ़ुरू-न बिररस्मानि, कुल् हु-व
 रब्बी ला इला-ह इल्ला हु-व अलैहि
 तवक्कल्लु व इलैहि मताब (30)

ऐसे लोग उनके वास्ते है लानत और उनके लिये है बुरा घर। (25) और अल्लाह कुशादा करता है रोज़ी जिसको चाहे और तंग करता है, और फ़िदा हैं दुनिया की जिन्दगी पर, और दुनिया की जिन्दगी कुछ नहीं आख़िरत के आगे मगर मामूली से फ़ायदे की चीज़। (26) ● और कहते हैं काफ़िर- क्यों न उतरी उस पर कोई निशानी उसके रब से? कह दे अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहे, और राह दिखलाता है अपनी तरफ़ उसको जो रुजू हुआ। (27) वे लोग जो ईमान लाये और चैन पाते हैं उनके दिल अल्लाह की याद से। सुनता है! अल्लाह की याद ही से चैन पाते हैं दिल। (28) जो लोग ईमान लाये और काम किये अच्छे, ख़ुशहाली है उनके वास्ते और अच्छा ठिकाना। (29) इसी तरह तुझको भेजा हमने एक उम्मत में कि गुज़र चुकी उससे पहले बहुत उम्मतें ताकि सुना दे तू उनको जो हुक्म भेजा हमने तेरी तरफ़, और वे इनकारी होते हैं रहमान से, तू कह दे वही मेरा रब है, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवा, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ़ आता हूँ रुजू करके। (30)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग खुदा तआला के मुआहदों को उनकी मज़बूती के बाद तोड़ते हैं, और खुदा

तअ़ाला ने जिन ताल्लुकात "और रिश्तों" के कायम रखने का हुक्म फ़रमाया है उनको तोड़ते हैं, और दुनिया में फ़साद करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत होगी, और उनके लिये उस जहान में ख़राबी होगी (यानी जाहिरी माल व दौलत को देखकर यह धोखा न खाना चाहिये कि इन लोगों पर रहमत बरस रही है, क्योंकि रिज़्क की तो यह कैफ़ियत है कि) अल्लाह जिसको चाहे रिज़्क ज़्यादा देता है (और जिसके लिये चाहता है) तंगी कर देता है (और रहमत व ग़ज़ब का यह मेयार नहीं)। और ये (काफ़िर) लोग दुनियावी ज़िन्दगी पर (और इसके ऐश व आराम पर) इतराते हैं, और (इनका इतराना बिल्कुल फ़ुज़ूल और ग़लती है, क्योंकि) यह दुनियावी ज़िन्दगी (और इसकी ऐश व मस्ती) आख़िरत के मुक़ाबले में सिवाय एक मामूली फ़ायदे के और कुछ भी नहीं।

और ये काफ़िर लोग (आपकी नुबुव्वत में ताने देने और एतिराज़ करने के लिये यूँ) कहते हैं कि उन (पैग़म्बर) पर कोई मोज़िज़ा (हमारे फ़रमाईशी मोज़िज़ों में से) उनके रब की तरफ़ से क्यों नाज़िल नहीं किया गया? आप कह दीजिये कि वाकई (तुम्हारी इन बेहूदा फ़रमाईशों से साफ़ मालूम होता है कि) अल्लाह तअ़ाला जिसको चाहें गुमराह कर देते हैं (मालूम होने की वजह जाहिर है कि बावजूद काफ़ी मोज़िज़ों के जिनमें सबसे अज़ीम क़ुरआन है फिर फ़ुज़ूल बातें करते हैं, जिससे मालूम होता है कि किस्मत ही में गुमराही लिखी है) और (जिस तरह उन इनकार करने वालों को क़ुरआन जो अज़ीम मोज़िज़ों में से है हिदायत के लिये काफ़ी न हुआ और गुमराही उनका नसीब बनी, इसी तरह) जो श़ख़्स उनकी तरफ़ मुतवज्जह होता है (और हक़ रास्ते का तालिब होता है जिसका ज़िक्र अभी आगे आयत 28 व 29 में आता है) उसको अपनी तरफ़ (रसाई देने के लिये) हिदायत कर देते हैं (और गुमराही से बचा लेते हैं)। इससे मुराद वे लोग हैं जो ईमान लाये और अल्लाह के ज़िक्र से (जिस ज़िक्र में क़ुरआन अहम मक़ाम रखता है) उनके दिलों को इत्मीनान होता है (जिसकी बड़ी फ़र्द ईमान है, यानी वे क़ुरआन के बेमिसाल होने को नुबुव्वत के लिये काफ़ी दलील समझते हैं और उल्टी-सीधी फ़रमाईश नहीं करते। फिर खुदा की याद और उसकी फ़रमाँबरदारी में उनको ऐसी रुचि होती है कि काफ़िरों की तरह दुनियावी ज़िन्दगी के मामूली फ़ायदे और बेहकीक़त चीज़ों की तरफ़ उन्हें दिलचस्पी और मैलान नहीं होता। और) ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र (की ऐसी ही ख़ासियत है कि इस) से दिलों को इत्मीनान हो जाता है (यानी जिस दर्जे का ज़िक्र हो उसी दर्जे का इत्मीनान। चुनाँचे क़ुरआन से ईमान और नेक आमाल से नेकी करने का गहरा ताल्लुक और अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह मयस्सर होती है। गुज़ कि) जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये (जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ) उनके लिये (दुनिया में) खुशहाली और (आख़िरत में) नेक अन्जाम होना है (जिसको दूसरी आयत में 'उम्दा और बेहतरीन ज़िन्दगी और उनके बेहतरीन अन्न' से ताबीर फ़रमाया है)।

(इसी तरह) हमने आपको एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है कि उस (उम्मत) से पहले और बहुत-सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं (और आपको उनकी तरफ़ इसलिये रसूल बनाकर भेजा है) ताकि आप उनको वह किताब पढ़कर सुना दें जो हमने आपके पास वही के ज़रिये भेजी है,

और (उनको चाहिये था कि इस ज़बरदस्त नेमत की कद्र करते और इस किताब पर जो कि मोजिज़ा भी है ईमान ले आते, मगर) वे लोग ऐसे बड़े रहमत वाले की नाशुक्री करते हैं (और कुरआन पर ईमान नहीं लाते)। आप फरमा दीजिये कि (तुम्हारे ईमान न लाने से मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मुख़ालफ़त करोगे, सो इससे मुझको इसलिये अन्देशा नहीं कि) वह मेरा पालने वाला (और निगहबान) है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं (पस लाज़िमी तौर पर वह कामिल सिफ़तों वाला होगा और हिफ़ाज़त के लिये काफी होगा इसलिये) मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझको जाना है (खुलासा यह कि मेरी हिफ़ाज़त के लिये तो अल्लाह तआला ही काफी है तुम मुख़ालफ़त करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर यकीनन तुम्हारा ही नुकसान है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

रुकूअ के शुरू में तमाम इनसानों की दो किस्म करके बतलाया गया था कि उनमें कुछ लोग अल्लाह तआला के फरमाँबरदार हैं कुछ नाफरमान। फिर फरमाँबरदार बन्दों की चन्द सिफ़तें व निशानियाँ बयान की गईं और आखिरत में उनके लिये बेहतरीन जज़ा का ज़िक्र किया गया।

अब दूसरी किस्म के लोगों की निशानियाँ और सिफ़तें और उनकी सज़ा का बयान इन आयतों में है। इसमें उन सरकश और नाफरमान बन्दों की एक ख़स्लत तो यह बतलाई गई:

الَّذِينَ يَتَفَضُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْكُمْ بَعْدَ مِيثَاقِهِ

“यानी ये लोग अल्लाह तआला के अ़हद को पुख़्ता करने के बाद तोड़ देते हैं।” अल्लाह तआला के अ़हद में वह अ़हद भी दाख़िल है जो अज़ल (कायनात के पहले दिन) में हक़ तआला के रब और अकेला माबूद होने के मुताल्लिक़ तमाम पैदा होने वाली रूहों से लिया गया था, जिसको काफ़िरो व मुशिरको ने दुनिया में आकर तोड़ डाला और अल्लाह के साथ सैंकड़ों हज़ारों रब और माबूद बना बैठे।

और वो तमाम अ़हद भी इसमें दाख़िल हैं जिनकी पाबन्दी ‘ला इला-ह इल्लल्लाहु’ के अ़हद के सबब इनसान पर लाज़िम हो जाती है। क्योंकि कलिमा-ए-तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुररसूलुल्लाहि दर असल एक ज़बरदस्त मुआहदे (इकरार) का उनवान है, जिसके तहत अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बतलाये हुए तमाम अहकाम की पाबन्दी और जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे परहेज़ का अ़हद भी आ जाता है। इसलिये जब कोई इनसान अल्लाह के किसी हुक्म या रसूल के किसी हुक्म से मुँह मोड़ता है तो इस ईमान वाले अ़हद को तोड़ता है।

दूसरी ख़स्लत उन नाफरमान बन्दों की यह बतलाई गई:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

“यानी ये लोग उन ताल्लुकात को काट देते और तोड़ देते हैं जिनको कायम रखने का

अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था। इनमें इनसान का वह ताल्लुक भी शामिल है जो उसको अल्लाह जल्ल शानुहु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से है। इस ताल्लुक का तोड़ना यही है कि उनके अहकाम की खिलाफवर्जी की जाये, और रिश्तेदारी के वो ताल्लुकात भी इसमें शामिल हैं जिनको कायम रखने और उनके हुक्क अदा करने की कुरआने करीम में जगह जगह हिदायत की गई है।

अल्लाह तआला की नाफरमानी करने वाले इन हुक्क व ताल्लुकात को भी तोड़ डालते हैं जैसे मौं-बाप, भाई-बहन, पड़ोसी और दूसरे संबन्धियों के जो हुक्क अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनसान पर लागू किये हैं, ये लोग उनको अदा नहीं करते।

तीसरी ख़स्तत यह बतलाई है:

وَيَفْسِدُونَ لِي الْأَرْضِ

“यानी ये लोग ज़मीन में फ़साद मचाते हैं।” और यह तीसरी ख़स्तत दर हकीकत पहली ही दो ख़स्ततों का नतीजा है, कि जो लोग अल्लाह तआला और बन्दों के अ़हद की परवाह नहीं करते और किसी के हुक्क व ताल्लुकात की रियायत नहीं करते, ज़ाहिर है कि उनके आमाल और काम दूसरे लोगों के लिये नुक़सान और तकलीफ़ का सबब बनेंगे, लड़ाई झगड़े, क़त्ल व क़िताल के बाज़ार गर्म होंगे, यही ज़मीन का सबसे बड़ा फ़साद है।

विमुख और नाफरमान बन्दों की ये तीन ख़स्ततें बतलाने के बाद उनकी सज़ा यह बतलाई गई है:

أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

“यानी उनके लिये लानत है और बुरा ठिकाना है।”

लानत के मायने अल्लाह की रहमत से दूर और मेहरूम होने के हैं, और ज़ाहिर है कि उसकी रहमत से दूर होना सब अज़ाबों से बड़ा अज़ाब और सारी मुसीबतों से बड़ी मुसीबत है।

अहकाम व हिदायतें

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इनसानी ज़िन्दगी के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ख़ास-ख़ास अहकाम व हिदायतें आई हैं। कुछ स्पष्ट रूप से और कुछ इशारे से। जैसे:

(1) الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْوَعْدَ

से साबित हुआ कि जो मुआहदा किसी से लिया जाये उसकी पाबन्दी फ़र्ज़ और उसकी खिलाफवर्जी (उल्लंघन करना) हराम है, चाहे वह मुआहदा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हो जैसे ईमान का अ़हद, या मख़्लूकात में से किसी से हो, चाहे मुसलमान से या काफ़िर से, अ़हद का तोड़ना बहरहाल हराम है।

(2) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

से मालूम हुआ कि इस्लाम की तालीम दुनिया से बिल्कुल कट जाने और तमाम ताल्लुकात को खत्म करने की नहीं, बल्कि ज़रूरी ताल्लुकात को कायम रखने और उनके हक़ अदा करने की ज़रूरी करार दिया गया है। माँ-बाप के हुक्क, औलाद, बीवी और बहन-भाईयों के हुक्क, दूसरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुक्क अल्लाह तआला ने हर इनसान पर लाज़िम किये हैं, इनको नज़र-अन्दाज़ करके नफ़्ती इबादत में या किसी दीनी ख़िदमत में लग जाना भी जायज़ नहीं, दूसरे कामों में लगकर इनको भुला देना तो कैसे जायज़ होता।

सिला-रहमी और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को कायम रखने और उनकी ख़बरगीरी और हक़ अदा करने की ताकीद कुरआने करीम की बेशुमार आयतों में बयान हुई है।

और बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स यह चाहता है कि अल्लाह तआला उसके रिज़्क में वुस्अत (ज़्यादती) और कामों में बरकत अता फ़रमा दें तो उसको चाहिये कि सिला-रहमी करे, सिला-रहमी के मायने यही हैं कि जिनसे रिश्तेदारी के खुसूसी ताल्लुकात हैं उनकी ख़बरगीरी और गुन्जाईश के मुताबिक़ इमदाद व सहयोग करे।

और हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक गाँव वाला देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान पर हाज़िर हुआ और सवाल किया कि मुझे यह बतला दीजिये कि वह अमल कौनसा है जो मुझे जन्नत से करीब और जहन्नम से दूर कर दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला-रहमी करो। (तफ़सीरे बग़वी)

और सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सिला-रहमी (रिश्तों का जोड़ना और उनका ख़्याल रखना) इतनी बात का नाम नहीं कि तुम दूसरे रिश्तेदार के एहसान का बदला अदा करो और उसने तुम्हारे साथ कोई एहसान किया है तो तुम उस पर एहसान कर दो, बल्कि असल सिला-रहमी (रिश्ता जोड़ना) यह है कि तुम्हारा रिश्तेदार अज़ीज़ तुम्हारे हुक्क में कोताही करे, तुम से ताल्लुक न रखे, तुम फिर भी महज़ अल्लाह के लिये उससे ताल्लुक को कायम रखो और उस पर एहसान करो।

रिश्तेदारों के हुक्क अदा करने और उनके ताल्लुकात को निभाने ही के ख़्याल से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपने नसब नामों (ख़ानदानी शजरो) को महफूज़ रखो, जिनके ज़रिये तुम्हें अपनी रिश्तेदारियाँ याद रह सकें, और तुम उनके हुक्क अदा कर सको। फिर इरशाद फ़रमाया कि सिला-रहमी के फ़ायदे ये हैं कि इससे आपस में मुहब्बत पैदा होती है और माल में बरकत और ज़्यादती होती है, और उम्र में बरकत होती है (यह हदीस इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत की है)।

और सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फ़रमाया- बड़ी सिला-रहमी यह है कि आदमी अपने बाप के इन्तिकाल के बाद उनके दोस्तों से वही ताल्लुकात कायम रखे जो बाप के सामने थे।

(३) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

से मालूम हुआ कि सब्र के जो फ़ज़ाईल कुरआन व हदीस में आये हैं कि सब्र करने वाले को अल्लाह जल्ल शानुहु का साथ और मदद व हिमायत हासिल होती है, और बेहिसाब अज़्र व सवाब मिलता है, वह सब उसी वक़्त है जबकि अल्लाह तआला की रज़ा को तलब करने के लिये सब्र इख़्तियार किया हो, वरना यूँ तो हर शख्स को कभी न कभी सब्र आ ही जाता है।

सब्र के असली मायने अपने नफ़्स को काबू में रखने और साबित-क़दम रहने के हैं। जिसकी विभिन्न और अनेक सूरतें हैं। एक यह कि मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र करे घबराये नहीं और मायूस न हो, अल्लाह तआला पर नज़र रखे और उसी से उम्मीदवार रहे। दूसरे यह कि नेकी पर सब्र करे कि अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी अगरचे नफ़्स को दुश्वार मालूम हो उस पर कायम रहे। तीसरे यह कि नाफ़रमानी और बुराईयों से सब्र करे कि अगरचे नफ़्स का तकाज़ा बुराई की तरफ़ चलने का हो लेकिन खुदा तआला के ख़ौफ़ से उस तरफ़ न चले।

(३) وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करना छुपे और खुले तौर पर दोनों तरह से दुरुस्त है। अलबलता बेहतर और अच्छा यह है कि वाजिब सदक़ात जैसे ज़कात और फ़िन्ना वगैरह को ऐलानिया अदा करे ताकि दूसरे मुसलमानों को भी अदायेगी की तरगीब हो, और नफ़्ती सदक़े जो वाजिब नहीं उनको गोपनीय अदा करे, ताकि रियाकारी और दिखावे व नाम के शुब्हे से निजात हो।

(५) يَذُرُّهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

से मालूम हुआ कि हर बुराई को दूर करना जो अक़ली और तबई तकाज़ा है इस्लाम में उसका तरीक़ा यह नहीं कि बुराई का जवाब बुराई से देकर दूर किया जाये, बल्कि इस्लामी तालीम यह है कि बुराई को भलाई के ज़रिये दूर करो। जिसने तुम पर जुल्म किया है तुम उसके साथ इन्साफ़ का मामला करो, जिसने तुम्हारे ताल्लुक का हक़ अदा नहीं किया तुम उसका हक़ अदा करो, जिसने तुम पर गुस्सा किया तुम उसका जवाब हिल्म व बुर्दबारी से दो, जिसका लाज़िमी नतीजा यह होगा कि दुश्मन भी दोस्त हो जायेगा, और शरीर भी आपके सामने नेक बन जायेगा।

और इस जुमले के एक मायने यह भी हैं कि गुनाह का बदला ताअत (नेकी) से अदा करो कि अगर कभी कोई गुनाह हो जाये तो फ़ौरन तौबा करो और उसके बाद अल्लाह तआला की इबादत में लग जाओ, तो इससे तुम्हारा पिछला गुनाह भी माफ़ हो जायेगा।

हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब तुम से कोई बुराई या गुनाह हो जाये तो उसके बाद तुम नेक

अमल कर लो, इससे वह गुनाह मिट जायेगा। (अहमद सही सनद से, तफ़सीरे मज़हरी)

इस नेक अमल की शर्त यह है कि पिछले गुनाह से तौबा करके नेक अमल इस्तिहार करे।

جَنَّتْ عَدَنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ

इससे मुराद यह है कि अल्लाह तआला के मकबूल और नेक बन्दों को खुद भी जन्नत में मकाम मिलेगा और उनकी रियायत से उनके माँ-बाप, बीवी और औलाद को भी, शर्त यह है कि ये लोग नेक यानी मोमिन और मुसलमान हों, काफिर न हों। अगरचे नेक आमाल में अपने उस बुजुर्ग के बराबर न हों, मगर अल्लाह तआला उस बुजुर्ग की बरकत से इन लोगों को भी जन्नत के उसी मकाम में पहुँचा देंगे जो उस बुजुर्ग का मकाम है। जैसे एक दूसरी आयत में मज़कूर है:

الْحَقَابِيهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ

यानी हम अपने नेक बन्दों की नस्ल और औलाद को भी उन्हीं के साथ कर देंगे।

इससे मालूम हुआ कि बुजुर्गों के साथ ताल्लुक चाहे नसब और रिश्तेदारी का हो या दोस्ती का वह आखिरत में भी नफ़ा देने वाला होगा शर्त यह है उसके साथ ईमान भी हो।

(٦) سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

से मालूम हुआ कि आखिरत की निजात और बुलन्द दर्जे सब इसका नतीजा होते हैं कि इनसान दुनिया में सब्र से काम ले, अल्लाह तआला और बन्दों के हुक्क को अदा करने और उसकी नाफ़रमानियों से बचने पर अपने नफ़स को मजबूर करता रहे।

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

जिस तरह पहली आयतों में अल्लाह के फ़रमाँबरदार बन्दों की जज़ा यह ज़िक्र फ़रमाई है कि उनका मकाम जन्नत में बुलन्द है, फ़रिश्ते उनको सलाम करेंगे और बतलायेंगे कि ये जन्नत की हमेशा वाली नेमतें सब तुम्हारे सब्र व जमाव और फ़रमाँबरदारी का नतीजा हैं, इसी तरह इस आयत में नाफ़रमान व सरकश लोगों का बुरा अन्जाम यह बतलाया है कि उन पर अल्लाह की लानत है, यानी वे रहमत से दूर हैं और उनके लिये जहन्नम का ठिकाना मुकरर है। इससे यह मालूम हुआ कि अहद का तोड़ना और रिश्तेदारों व अज़ीजों से ताल्लुक ख़त्म करना लानत और जहन्नम का सबब है। नऊज़ु बिल्लाह

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ، بَلَّغَ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا، أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا، وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصَيِّبُهُمْ بِمَا صَعَوْا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرْيَبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بُرْسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَاصْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلَّ سَعُوهُمْ، أَمْ

تَبَيَّنَتْ بِمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَطَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ لَيْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿31﴾

व लौ अन्-न कुरआनन् सुय्यिरत्
बिहिल्-जिबालु औ कुत्तिअत् बिहिल्-
अर्-जु औ कुल्लि-म बिहिल्-मौता,
बल् लिल्लाहिल्-अम्फु जमीअन्,
अ-फलम् यै-असिल्लजी-न आमन्
अल्-लौ यशाउल्लाहु ल-हदन्ना-स
जमीअन्, व ला यज़ालुल्लजी-न
क-फरू तुसीबुहुम् बिमा स-नअ
कारि-अतुन् औ तहुल्लु करीबम् मिन्
दारिहिम् हत्ता यअति-य वअदुल्लाहि,
इन्नल्ला-ह ला युख्लिफुल्-
मीअद (31) ●

व ल-कदिस्तुहिज़-अ बिरुसुलिम् मिन्
कब्लि-क फ-अम्लैतु लिल्लजी-न
क-फरू सुम्-म अख्रज्तुहूम, फकै-फ
का-न अिकाब (32) अ-फ-मन् हु-व
काइमुन् अला कुल्लि नफिसम्-बिमा
क-सबत् व ज-अल् लिल्लाहि
शु-रका-अ, कुल् सम्मूहुम् अम्
तुनब्बिऊनहू बिमा ला यअल्लमु
फिल्अर्जि अम् बिज़ाहिरिम्-मिनल्-
कौलि, बल् जुय्यि-न लिल्लजी-न

और अगर कोई कुरआन हुआ होता कि
चलें उससे पहाड़ या टुकड़े हो उससे
जमीन या बोलें उससे मुर्दे तो क्या होता,
बल्कि सब काम तो अल्लाह के हाथ में
हैं, सो क्या दिली तसल्ली नहीं ईमान
वालों को इस पर कि अगर चाहे अल्लाह
तो राह पर लाये सब लोगों को, और
बराबर पहुँचता रहेगा मुन्किरों को उनके
करतूत पर सदमा, या उतरेगा उनके घर
से नजदीक, जब तक कि पहुँचे वादा
अल्लाह का, बेशक अल्लाह ख़िलाफ़ नहीं
करता अपने वादे के। (31) ●

और ठड़ा कर चुके (यानी मजाक़ उड़ा
चुके) हैं कितने रसूलों से तुझसे पहले, सो
ढील दी मैंने इनकारियों को, फिर उनको
पकड़ लिया, सो कैसा था मेरा बदला।
(32) भला जो लिये खड़ा है हर किसी के
सर पर जो कुछ उसने किया है, और
मुकर्रर करते हैं अल्लाह के लिये शरीक,
कह कि उनका नाम लो, या अल्लाह को
बतलाते हो जो वह नहीं जानता जमीन
में? या करते हो ऊपर ही ऊपर बातें?
यह नहीं बल्कि भले सुझा दिये हैं
इनकारियों को उनके फरेब और वे रोक

क-फ़रू मकरुहुम् व सुददू
अनिस्सबीलि, व मय्युज़िलिल्लिहाहु
फ़मा लहू मिन् हाद (33)

दिये गये हैं राह से, और जिसको गुमराह
करे अल्लाह सो कोई नहीं उसको राह
बतलाने वाला। (33)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ पैग़म्बर और ऐ मुसलमानो! इन काफ़िरो की दुश्मनी व मुख़ालफ़त की यह कैफ़ियत है कि क़ुरआन की जो मौजूदा हालत है कि इसका मोजिज़ा होना ग़ौर व फ़िक्र पर मौकूफ़ है, बजाय इसके) अगर कोई ऐसा क़ुरआन होता जिसके ज़रिये से पहाड़ (अपनी जगह से) हटा दिये जाते या उसके ज़रिये से ज़मीन जल्दी-जल्दी तय हो जाती, या उसके ज़रिये से मुर्दों के साथ किसी को बातें करा दी जातीं (यानी मुर्दा ज़िन्दा हो जाता और कोई उससे बातें कर लेता, और ये वो मोजिज़े हैं जिनकी फ़रमाईश अक्सर काफ़िर लोग किया करते थे। बाज़े तो उमूमी तौर पर और बाज़े इस तरह से कि क़ुरआन को मौजूदा हालत में तो हम मोजिज़ा मानते नहीं, अलबत्ता अगर क़ुरआन से इन असाधारण और चमत्कारिक चीज़ों का ज़हूर हो तो हम इसको मोजिज़ा (बेमिसाल और दूसरों को अज़िज़ कर देने वाला) मान लें। मतलब यह है कि क़ुरआन से ऐसे मोजिज़ों का भी ज़हूर होता जिससे दोनों तरह के लोगों की फ़रमाईशें पूरी हो जातीं, यानी जो उक्त चमत्कारिक बातों का मुतालबा करने वाले थे और जो इनका ज़हूर क़ुरआन से चाहते थे) तब भी ये लोग ईमान न लाते (क्योंकि वास्तव में ये चीज़ें प्रभावी नहीं) बल्कि सारा इख़्तियार ख़ास अल्लाह ही को है (वह जिसको तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाते हैं वही ईमान लाता है और उनकी आदत है कि तालिब को तौफ़ीक़ देते हैं और इनकार करने वालों को मेहरूम रखते हैं। और चूँकि बाज़े मुसलमानों का जी चाहता था कि इन मोजिज़ों का ज़हूर हो जाये तो शायद ईमान ले आये, इसलिये आगे उनका जवाब है कि) क्या (यह सुनकर ये इनकार करने वाले ईमान ले आयेगे और यह कि सब इख़्तियार खुदा ही को है और यह कि असबाब अपनी ज़ात के एतिबार से अपने अन्दर असर रखने वाले नहीं हैं, क्या यह सुनकर) फिर भी ईमान वालों को इस बात में तसल्ली नहीं हुई कि अगर खुदा तआला चाहता तो तमाम (दुनिया भर के) आदमियों को हिदायत कर देता (मगर कुछ हिक्मतों के सबब उसकी मर्ज़ी व चाहत नहीं हुई, तो सब ईमान ले आयेगे जिसकी बड़ी वजह दुश्मनी व बैर है, फिर उन विरोधियों और दुश्मनी रखने वालों के ईमान लाने की फ़िक्र में क्यों लगे हैं)।

और (जब यह साबित हो गया कि ये लोग ईमान न लायेंगे तो इस बात का ख़्याल आ सकता है कि फिर इनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती, इसके बारे में इश़ाद है कि) ये (मक्का के) काफ़िर तो हमेशा (हर दिन) इस हालत में रहते हैं कि इनके (बुरे) किरदारों के सबब इन पर कोई न कोई हादसा पड़ता रहता है (कहीं क़त्ल, कहीं कैद, कहीं पराजय व शिकस्त), या (बाज़ा

हादसा अगर इन पर नहीं भी पड़ता मगर) इनकी बस्ती के क़रीब नाज़िल होता रहता है (जैसे किसी कौम पर आफ़त आई और इनको ख़ौफ़ पैदा हो गया कि कहीं हम पर भी बला न आये) यहाँ तक कि (उसी हालत में) अल्लाह का वायदा आ जायेगा (यानी आख़िरत के अज़ाब का सामना हो जायेगा, जो कि मरने के बाद शुरू हो जायेगा और) यकीनन अल्लाह तआला वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते (पस इन पर अज़ाब का पड़ना यकीनी है अगरचे कई बार कुछ देर से सही)।

और (उन लोगों का यह झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने का मामला कुछ आपके साथ ख़ास नहीं बल्कि पहले रसूलों और उनकी उम्मतों के साथ भी ऐसा हो चुका है। चुनोंचे) बहुत-से पैग़म्बरों के साथ जो आप से पहले हो चुके हैं (काफ़िरों की तरफ़ से) हंसी-उठ्ठा हो चुका है, फिर मैं उन काफ़िरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उन पर पकड़ की, सो (समझने की बात है कि) मेरी सज़ा किस तरह की थी (यानी निहायत सख़्त थी। जब अल्लाह तआला की शान मालूम हो गई कि वही मुख़्तारे कुल हैं तो इसके मालूम और साबित होने के बाद), फिर (भी) क्या जो (खुदा) हर शख्स के आमाल पर बाख़बर हो और उन लोगों के शरीक क़रार दिए हुए बराबर हो सकते हैं? और (बावजूद इसके) उन लोगों ने खुदा के लिये शरीक तजवीज़ किए हैं। आप कहिये कि (ज़रा) उन (शरीकों) का नाम तो लो (मैं भी सुनूँ कौन हैं और कैसे हैं), क्या (तुम हकीकत में उनको खुदा का शरीक समझकर दावा करते हो? तब तो यह लाज़िम आता है कि) तुम अल्लाह तआला को ऐसी बात की ख़बर देते हो कि दुनिया (भर) में उस (के वजूद) की ख़बर अल्लाह तआला को न हो (क्योंकि अल्लाह तआला उसी को मौजूद जानते हैं जो वास्तव में मौजूद हो, और जो मौजूद ही न हो उसको मौजूद नहीं जानते, क्योंकि इससे इल्म का ग़लत होना लाज़िम आता है अगरचे खुलकर सामने आने में दोनों बराबर हैं। गर्ज़ कि उनको वास्तविक शरीक कहने से यह नामुम्किन बात लाज़िम आती है, पस उनका शरीक होना भी नामुम्किन है), या (यह कि उनको वास्तव में शरीक नहीं कहते बल्कि) ख़ाली ज़ाहिरी लफ़्ज़ के एतिबार से उनको शरीक कहते हो (और हकीकत में उसका मिस्ताक़ कहीं नहीं है। अगर यह दूसरी सूत है तो उनके शरीक न होने को खुद ही मानते हो, पस मतलूब यानी खुदा की खुदाई में किसी का शरीक होने का बातिल और बेज़ुनियाद होना दोनों सूतों में साबित हो गया, पहली सूत में दलील से, दूसरी सूत में तुम्हारे मान लेने से। और यह तक्रीर इसके बावजूद कि हर तरह मुकम्मल और काफ़ी है मगर ये लोग न मानेंगे) बल्कि इन काफ़िरों को अपनी धोखे भरी बातें (जिनको अपनाकर ये शिर्क में मुक्ताला हैं) पसन्दीदा मालूम होती हैं, और (इसी वजह से) ये लोग (हक़) रास्ते से मेहरूम रह गये हैं। और (असल वही बात है जो ऊपर बताई जा चुकी कि सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है यानी) जिसको खुदा तआला गुमराही में रखे उसको कोई राह पर लाने वाला नहीं (अलबत्ता वह उसी को गुमराह रखता है जो बावजूद हक़ के खुल जाने और स्पष्ट होने के दुश्मनी व मुख़ालफ़त करता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

मक्का के मुश्रिक लोगों के सामने इस्लाम का सच्चा और हक़ होना स्पष्ट दलीलों और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चे रसूल होने की खुली हुई निशानियाँ आपकी जिन्दगी के हर हिस्से और शोबे से, फिर हैरत-अंगेज़ मोजिज़ों से पूरी तरह रोशन हो चुकी थी, और उनका सरदार अबू जहल यह कह चुका था कि बनू हाशिम (हाशिम की औलाद) से हमारा खानदानी मुकाबला है, हम उनकी इस बरतरी को कैसे कुबूल कर लें कि खुदा का रसूल उनमें से आया, इसलिये वे कुछ भी कहें और कैसी ही निशानियाँ दिखलायें हम उन पर किसी हाल में ईमान नहीं लायेंगे। इसी लिये वे हर मौके पर इस ज़िद का प्रदर्शन बेहूदा किस्म के सवालात और फ़रमाईशों के ज़रिये किया करते थे। ऊपर ज़िक्र हुई आयतों भी अबू जहल और उसके साथियों के एक सवाल के जवाब में नाज़िल हुई हैं।

तफ़सीर-ए-बग़वी में है कि मक्का के मुश्रिक लोग जिनमें अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह इब्ने उमैया खुसूसियत से काबिले ज़िक्र हैं, एक दिन बैतुल्लाह के पीछे जाकर बैठ गये और अब्दुल्लाह इब्ने उमैया को रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भेजा, उसने कहा कि अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी कौम और हम सब आपको रसूल तस्लीम कर लें और आपकी पैरवी करें, तो हमारे चन्द मुतालबे हैं, अपने कुरआन के ज़रिये उनको पूरा कर दीजिये तो हम सब इस्लाम कुबूल कर लेंगे।

मुतालबों में एक तो यह था कि मक्का शहर की ज़मीन बड़ी तंग है, सब तरफ़ पहाड़ों से घिरा एक लम्बा ज़मीनी टुकड़ा है जिसमें न काश्तकारी व खेती की गुन्जाईश है न बाग़ों और दूसरी ज़रूरतों की, आप मोजिज़े (खुदाई चमत्कार) के ज़रिये इन पहाड़ों को दूर हटा दीजिये ताकि मक्का की ज़मीन खुल जाये, आख़िर आप ही के कहने के मुताबिक़ दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये पहाड़ उनके ताबे कर दिये गये थे, जब वह तस्बीह पढ़ते तो पहाड़ भी साथ-साथ तस्बीह करते थे, आप अपने कौल के मुताबिक़ अल्लाह के नज़दीक़ दाऊद अलैहिस्सलाम से कमतर तो नहीं हैं।

दूसरा मुतालबा यह था कि जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये आपके कौल के मुताबिक़ अल्लाह तआला ने हवा को ताबेदार करके ज़मीन के बड़े-बड़े फ़ासलों को मुख़्तसर कर दिया था, आप भी हमारे लिये ऐसा ही कर दें कि हमें शाम व यमन वगैरह के सफ़र आसान हो जायें।

तीसरा मुतालबा यह था कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिन्दा कर देते थे आप उनसे कुछ कम तो नहीं, आप भी हमारे लिये हमारे दादा कुसई को जिन्दा कर दीजिये, ताकि हम उनसे यह मालूम कर सकें कि आपका दीन सच्चा है या नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी, बग़वी व इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदूया के हवाले से)

उपरोक्त आयतों में इन मुख़ालफ़त भरे मुतालबों का यह जवाब दिया गया:

وَلَوْ أَنَّا فُرْنَا سِيرَتِ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى، بَلْ لِيْلَهُ الْأَمْرُ جَمِيْعًا.

इसमें पहाड़ों को अपनी जगह से हटाने और मुखासर वक़्त में बड़ी दूरी और फासले को तय करने और मुर्दों को ज़िन्दा करके कलाम करने के बारे में बयान हुआ है। और यह बताया गया है कि ये लोग ईमान लाने के लिये ये मुतालबे नहीं कर रहे हैं। बल्कि यह इनका मुख़ालफ़त भरा कलाम है। जैसा कि कुरआन मजीद में एक दूसरी जगह ऐसा ही मज़मून और उसका यही जवाब बयान हुआ है:

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَرْجِعُونَ.

और मायने यह है कि अगर कुरआन के ज़रिये मोजिज़े के तौर पर उनके ये मुतालबे पूरे कर दिये जायें तब भी वे ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि वे इन मुतालबों से पहले ऐसे मोजिज़ों को देख चुके हैं जो उनके मतलूबा मोजिज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इशारे से चाँद के दो टुकड़े हो जाना पहाड़ों के अपनी जगह से हट जाने से और हवा के आपके ताबे होने से कहीं ज़्यादा हैरत-अंगेज़ है। इसी तरह बेजान कंकरियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ मुबारक में बोलना और तस्बीह करना किसी मुर्दा इनसान के दोबारा ज़िन्दा होकर बोलने से कहीं ज़्यादा बड़ा मोजिज़ा है। मेराज की रात में मस्जिदे-अक़सा और फिर वहाँ से आसमानों का सफ़र और बहुत मुखासर वक़्त में वापसी हवा के ताबे होने और तख़्ते सुलैमानी के चमत्कार से कितना ज़्यादा अज़ीम है, मगर ये ज़ालिम यह सब कुछ देखने के बाद भी जब ईमान न लाये तो अब इन मुतालबों से भी इनकी नीयत मालूम है कि सिर्फ़ वक़्ती तौर पर बात को टालना है, कुछ मानना और करना नहीं है।

मुशिरकों के इन मुतालबों का मक़सद चूँकि यही था कि हमारे मुतालबे पूरे न किये जायेंगे तो हम कहेंगे कि मज़ाज़ल्लाह, अल्लाह तआला ही को इन कामों पर कुदरत नहीं, या फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात अल्लाह तआला के यहाँ सुनी नहीं जाती और न मक़बूल होती है, जिससे समझा जाता है कि वह अल्लाह के रसूल नहीं। इसलिये इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

بَلْ لِيْلَهُ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

यानी अल्लाह ही के लिये है इख़्तियार सब का सब। मतलब यह है कि उक्त मुतालबों का पूरा न करना इस वजह से नहीं कि वो अल्लाह की कुदरत से ख़ारिज हैं, बल्कि हकीक़त यह है कि इस ज़हान की मस्लेहतों को वही जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी हिक्मत से इन मुतालबों को पूरा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुतालबा करने वालों की हठधर्मी और बुरी नीयत उनको मालूम है। वह जानते हैं कि ये सब मुतालबे पूरे कर दिये जायेंगे तब भी ये ईमान न लायेंगे।

أَلَمْ يَأْتِسْ بِالْبَلِيْنِ اٰمَنُوْا اِنَّ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدٰى النَّاسَ جَمِيْعًا.

इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब मक्का के मुशिरकों के ये मुतालबे सुने तो यह तमन्ना करने लगे कि मौजिजे के तौर पर ये मुतालबे पूरे कर दिये जायें तो बेहतर है, सारे मक्के वाले मुसलमान हो जायेंगे और इस्लाम को बड़ी ताक़त हासिल हो जायेगी। इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसके मायने यह हैं कि क्या ईमान वाले उन मुशिरकों की बहानेबाज़ी और दुश्मनी भरी बहसों को देखने और जानने के बावजूद अब तक उनके ईमान लाने से मायूस नहीं हुए कि ऐसी तमन्नायें करने लगे, जबकि वे यह भी जानते हैं कि अगर अल्लाह तआला चाहता तो सब ही इनसानों को ऐसी हिदायत दे देता कि वे मुसलमान बने बग़ैर न रह सकते थे, मगर हिकमत का तकाज़ा यह न था कि सब को इस्लाम व ईमान पर मजबूर कर दिया जाये, बल्कि हिकमत यही थी कि हर शख्स का अपना इख़्तियार बाकी रहे अपने इख़्तियार से इस्लाम को क़बूल करे या कुफ़्र को।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि 'कारिआ' के मायने मुसीबत और आफ़त के हैं। आयत के मायने यह हैं कि इन मुशिरकों के मुतालबे तो इसलिये मन्ज़ूर नहीं किये गये कि इनकी बद-नीयती और हठधर्मी मालूम थी कि मुतालबे पूरे करने पर भी ये ईमान लाने वाले नहीं, ये तो अल्लाह के नज़दीक इसी के मुस्तहिक हैं कि इन पर दुनिया में भी आफ़तें और मुसीबतें आयें जैसा कि मक्का वालों पर कभी क़हत (सूखे) की मुसीबत आई, कभी इस्लामी जंगों बदर व उहुद वग़ैरह में उन पर क़त्ल और कैद होने की आफ़त नाज़िल हुई, किसी पर बिजली गिर गई, कोई और किसी बला में मुब्तला हुआ।

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ

यानी कभी ऐसा भी होगा कि मुसीबत डायरेक्ट उन पर नहीं आयेगी बल्कि उनके क़रीब वाली बस्तियों पर आयेगी जिससे उनको इबत (सबक) हासिल हो और उनको अपना बुरा अन्जाम भी नज़र आने लगे।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

यानी इन मुसीबतों व आफ़तों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि अल्लाह तआला का वादा पूरा न हो जाये, क्योंकि अल्लाह तआला का वादा कभी टल नहीं सकता। मुराद इस वादे से मक्का के फ़तह हो जाने का वादा है। मतलब यह है कि उन लोगों पर विभिन्न प्रकार की आफ़तें आती रहेंगी यहाँ तक कि आख़िर में मक्का मुकर्रमा फ़तह होगा, और ये सब लोग पराजित व पस्त और मातहत हो जायेंगे।

उक्त आयत में:

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ

से मालूम हुआ कि जिस कौम और बस्ती के आस-पास कोई अज़ाब या आफ़त व मुसीबत आती है तो उसमें हक़ तआला शानुहू की यह हिकमत भी छुपी होती है कि आस-पास की

बस्तियों को भी तंबीह (चेतावनी) हो जाये और वे दूसरों से इब्त हासिल करके अपने आमाल दुरुस्त कर लें तो यह दूसरों का अज़ाब उनके लिये रहमत बन जाये, वरना फिर एक दिन उनका भी वही अन्जाम होना है जो दूसरों का देखने में आया है।

आज हमारे मुल्क में हमारे आस-पास में रोज़-रोज़ किसी जमाअत, किसी बस्ती पर विभिन्न किस्म की आफतें आती रहती हैं, कहीं सैलाब की तबाहकारी, कहीं हवा के तूफ़ान, कहीं जलजले का अज़ाब, कहीं कोई और आफत, कुरआने करीम के इस इरशाद के मुताबिक यह सिर्फ़ उन बस्तियों और कौमों ही की सज़ा नहीं होती बल्कि आस-पास के लोगों को चेतावनी भी होती है। पिछले ज़माने में अगरचे इल्म व फ़न की इतनी धूमधाम न थी मगर लोगों के दिलों में खुदा का ख़ौफ़ था, किसी जगह इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता तो वे लोग भी और उसके आस-पास वाले भी सहम जाते, अल्लाह तआला की तरफ़ रूजू करते, अपने गुनाहों की तौबा करते, और इस्तिग़फ़ार सदक़ा व ख़ैरात को निजात का ज़रिया समझते थे, और आँखों से देखने में आता था कि उनकी मुसीबतें बड़ी आसानी से टल जाती थीं। आज हमारी ग़फ़लत का यह अ़लम है कि मुसीबत के वक़्त भी खुदा ही याद नहीं आता और सब कुछ याद आता है, दुनिया के आ़म ग़ैर-मुस्लिमों की तरह हमारी नज़रें भी सिर्फ़ मादी असबाब पर जमकर रह जाती हैं, असबाब के बनाने वाले मुख्तारे-कुल की तरफ़ तक्ज़ोह की उस वक़्त भी तौफीक़ कम लोगों को होती है। इसी का नतीजा इस तरह के लगातार हादसे हैं जिनसे दुनिया हमेशा दोचार रहती है।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

यानी उन काफ़िरों व मुशिरकों पर दुनिया में भी मुख़लिफ़ अज़ाबों और आफ़तों का यह सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह तआला का वादा आ पहुँचे, क्योंकि अल्लाह तआला अपने वादे के कभी ख़िलाफ़ नहीं करते।

वादे से मुराद इस जगह मक्के का फ़तह होना है जिसका वादा हक़ तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया हुआ था। और आयत का मतलब यह हुआ कि आख़िर में तो मक्का फ़तह होकर इन सब मुशिरकों को तबाह व पस्त और ताबेदार होना ही है, उससे पहले भी इनके जुर्मों की कुछ-कुछ सज़ा इनको मिलती रहेगी, और यह भी हो सकता है कि 'अल्लाह के वादे' से मुराद इस जगह क़ियामत का दिन हो, जिसका वादा सब पैग़म्बरों से किया हुआ है, और हमेशा से किया हुआ है, उस दिन तो हर काफ़िर मुजरिम अपने किये की पूरी-पूरी सज़ा भुगतेगा।

उपर्युक्त वाक़िए में मुशिरकों के दुश्मनी व मुख़ालफ़त भरे सवालात और उनकी हठधर्मी से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रंज व तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा था, इसलिये अगली आयत में आपकी तसल्ली के लिये फ़रमाया गया:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَاْخُذَهُمْ لَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ये हालात जो आपको पेश आ रहे हैं कुछ आप ही को पेश नहीं आये, आप से पहले नबियों

को भी इसी तरह के हालात से साबका पड़ता रहा है, कि मुजरिमों और मुन्किरों को उनके जुर्म पर फौरन नहीं पकड़ा गया और वे नबियों के साथ हंसी-ठट्टा करते रहे, जब वे इन्तिहा को पहुँच गये तो फिर उनको अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ लिया और कैसा पकड़ा कि किसी को मुकाबले की ताकत न रही।

أَقْمَنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ

इस आयत में मुशिरक लोगों की जहालत और बेअदली को इस तरह वाज़ेह फरमाया है कि ये कैसे बेवकूफ हैं कि बेजान व बेशऊर बुतों को उस ज़ाते पाक के बराबर ठहराते हैं जो हर नफ़स पर निगराँ और उनके आमाल व कामों का हिसाब लेने वाली हैं। फिर फरमाया कि असल सबब इसका यह है कि शैतान ने इनकी इस जहालत ही को इनकी नज़र में सजाया हुआ और अच्छा बना रखा है, वे इसी को बड़ा कमाल और कामयाबी समझते हैं।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝ مَثَلُ الْجِنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْهَلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا أُصْرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مآبٌ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَهْوَاءٌ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَأْكَوٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ وَلَا وَاقٍ ۝

लहुम् अज़ाबुन् फ़िल्हयातिददुन्या व ल-अज़ाबुल्-आख़िरति अशक्कु व मा लहुम् मिनल्लाहि मिन्वाक् (34) म-सलुल्-जन्नतिल्लती वुअिदल्-मुत्तकू-न, तज़्री मिन् तहिहल्-अन्हारु, उकुलुहा दाइमुव्-व ज़िल्लुहा, तिल्-क अुकबल्लजीनत्तकौ व उक्बल् काफ़िरीनन्नार (35) वल्लजी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब यफरहू-न बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मिनल्-अहज़ाबि

उनको मार पड़ती है दुनिया की ज़िन्दगी में और आख़िरत की मार तो बहुत ही सख्त है, और कोई नहीं उनको अल्लाह से बचाने वाला। (34) हाल जन्नत का जिसका वादा है परहेज़गारों से, बहती हैं उसके नीचे नहरें, मेवा उसका हमेशा है और साया भी, यह बदला है उनका जो डरते रहे, और बदला इनकारियों का आग है। (35) और वे लोग जिनको हमने दी है किताब खुश होते हैं उससे जो नाज़िल हुआ तुज़्ज पर और बाज़े फिर्के नहीं मानते

मंयुन्किरु बज़्जहू, कुल् इन्नमा
उमिरतु अन् अज़्बुदल्लाह व ला
उशिर-क बिही, इलैहि अदज़ू व इलैहि
मआब (36) व कज़ालि-क अन्ज़ल्लाहु
हुक्मन् अ-रबिय्यन्, व ल-इनित्तबज़्-त
अह्वा-अहुम् बज़्-द मा जाअ-क
मिनल्-अिल्मि मा ल-क मिनल्लाहि
मिंव्वलिथियिं-व ला वाक् (37) ❀

उसकी बाज़ी बात, कह मुझको यही हुक्म
हुआ है कि बन्दगी करूँ अल्लाह की और
शरीक न करूँ उसका, उसी की तरफ़
बुलाता हूँ और उसी की तरफ़ है मेरा
ठिकाना। (36) और इसी तरह उतारा
हमने यह कलाम हुक्म अरबी भाषा में,
और अगर तू चले उनकी इच्छा के
मुवाफ़िक़ बाद उस इल्म के जो तुझको
पहुँच चुका (तो) कोई नहीं तेरा अल्लाह से
हिमायती और न बचाने वाला। (37) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

उन काफ़िरों के लिये दुनियावी ज़िन्दगी में (भी) अज़ाब है (वह क़त्ल व कैद, ज़िल्लत व बीमारियाँ और मुसीबतें हैं), और आख़िरत का अज़ाब इससे कई दर्जे ज़्यादा सख़्त है (क्योंकि सख़्त भी है और हमेशा रहने वाला भी है) और अल्लाह (के अज़ाब) से उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। (और) जिस जन्नत का मुत्तकियों से (यानी शिर्क व कुफ़्र से बचने वालों से) वायदा किया गया है उसकी कैफ़ियत यह है कि उस (की इमारतों व पेड़ों) के नीचे से नहरें जारी होंगी, उसका फल और उसका साया हमेशा रहने वाला रहेगा। यह तो अन्जाम होगा मुत्तकियों का, और काफ़िरों का अन्जाम दोज़ख़ होगा। और जिन लोगों को हमने (आसमानी) किताब (यानी तौरात व इन्जील) दी है (और वे उसको पूरे तौर से मानते थे) वे इस (किताब) से खुश होते हैं जो आप पर नाज़िल की गई है (क्योंकि इसकी ख़बर अपनी किताबों में पाते हैं और खुश होकर मान लेते हैं और ईमान ले आते हैं, जैसे यहूदियों में अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी और ईसाईयों में नजाशी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके भेजे हुए हज़रात, जिनका ज़िक्र दूसरी आयतों में भी है) और उन्हीं के ग़िरोह में बाज़े ऐसे हैं कि इस (किताब) के कुछ हिस्से का (जिसमें उनकी किताब के ख़िलाफ़ अहक़ाम हैं) इनकार करते हैं (और कुफ़्र करते हैं)। आप (उनसे) फ़रमाइये कि (अहक़ाम दो किस्म के हैं- बुनियादी और ऊपर के, अगर तुम उसूली और बुनियादी चीज़ों में मुख़ालिफ़ हो सो वो सब शरीअतों में साझा हैं, चुनौचे) मुझको (तौहीद के मुताल्लिक़) सिर्फ़ यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह तज़ाला की इबादत करूँ और किसी को उसका शरीक न ठहराऊँ (और नुबुव्वत के मुताल्लिक़ यह बात है कि) मैं (लोगों को) अल्लाह ही की तरफ़ बुलाता हूँ (यानी, नुबुव्वत का हासिल यह है कि मैं अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाला हूँ) और (आख़िरत के मुताल्लिक़ मेरा यह अक्दीदा है कि) उसी की तरफ़ मुझको (दुनिया से

लौटकर) जाना है (यानी उसूल ये तीन हैं तो इनमें से एक बात भी क़ाबिले इनकार नहीं, चुनाँचे तौहीद सब के नज़दीक मानी हुई है, जैसा कि यही मज़मून एक दूसरी आयत में है:

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَاللَّهِ..... الخ

(यानी सूर: आले इमरान की आयत 64) और नुबुव्वत में अपने लिये माल व रुतबा नहीं चाहता जिस पर इनकार की गुन्जाईश हो, महज़ अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ, सो ऐसे लोग पहले भी हुए हैं जिसको तुम भी मानते हो। जैसा यही मज़मून एक दूसरी जगह भी है:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ..... الخ

(यानी सूर: आले इमरान की आयत 79) इसी तरह आख़िरत का अक़ीदा साझा, माना हुआ और नाक़ाबिले इनकार है। और अगर ऊपर के अहकाम में मुख़ालिफ़ हो तो इसका जवाब अल्लाह तआला यँ देते हैं कि हमने जिस तरह और रसूलों को ख़ास-ख़ास भाषाओं में ख़ास अहकाम दिये) और इसी तरह हमने इस (क़ुरआन) को इस तौर पर नाज़िल किया कि वह एक ख़ास हुक्म है अरबी भाषा में (अरबी की वज़ाहत से इशारा हो गया दूसरे नबियों की दूसरी भाषाओं की तरफ़, और भाषाओं की भिन्नता और विविधता से इशारा हो गया उम्मतों के भिन्न और अलग-अलग होने की तरफ़, तो हासिल जवाब का यह हुआ कि ऊपर के अहकाम में इख़्तिलाफ़ उम्मतों के भिन्न और अलग-अलग होने से हुआ, क्योंकि उम्मतों की मस्तेहतें हर ज़माने में अलग-अलग हैं, पस शरीअतों का यह इख़्तिलाफ़ (भिन्न और कुछ अलग होना) मुख़ालफ़त को नहीं चाहता, चुनाँचे खुद तुम्हारी मानी हुई शरीअत में भी ऊपर के अहकाम में ऐसा इख़्तिलाफ़ हुआ है, फिर तुम्हारी मुख़ालफ़त व इनकार की क्या गुंजाईश है)।

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) अगर आप (मान लो, अगरचे ऐसा होना नामुम्किन है) उनके नफ़्सानी ख़्यालात की (यानी निरस्त व रद्द हुए या परिवर्तित अहकाम की) पैरवी करने लगें इसके बाद कि आपके पास (ज़रूरी और मतलूब अहकाम का सही) इल्म पहुँच चुका है, तो अल्लाह के मुक़ाबले में न कोई आपका मददगार होगा और न कोई बचाने वाला (और जब नबी को ऐसा ख़िताब किया जा रहा है तो और लोग इनकार करके कहाँ रहेंगे, सो इसमें इशारा और कटाक्ष है अहले किताब पर। पस दोनों सूरतों पर इनकार करने वाले और मुख़ालिफ़ लोगों का जवाब हो गया)।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿١﴾
 يَنْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُفْتِتُ ۗ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٢﴾ وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
 أَوْ تَتَّقِيئِكَ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَدُ ۗ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٣﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
 مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَمْ عَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ

قَبِيْهِمْ فَلِيْهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتَسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعْيَكُمْ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ۝ وَيَقُوْلُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ لِّغِيْ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَہٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

व ल-कद् अरसल्ला रुसुलम् मिन्
क़बिल-क व जअल्ला लहुम् अज्वाजं
-व ज़ुरिय-तन्, व मा का-न
लि-रसूलिन् अय्यअति-य बिआयतिन्
इल्ला बि-इज़िनल्लाहि, लिकुल्लि
अ-जलिन् किताब (38) यम्हुल्लाहु
मा यशा-उ व युस्बितु व अिन्दहू
उम्मुल्-किताब (39) व इम्मा
नुरियन्न-क बअज़ल्लजी नअिदुहुम्
औ न-तवप्रफयन्न-क फ-इन्नमा
अलैकल्-बलागु व अलैनल्-हिसाब
(40) अ-व लम् यरौ अन्ना नअतिल
-अर-ज़ नन्कुसुहा मिन् अतराफिहा,
वल्लाहु यहकुमु ला मुअविक-ब
लिहुक्मिही, व हु-व सरीअुल्-हिसाब
(41) व कद् म-करल्लजी-न मिन्
क़बिलहिम् फ़िलिल्लाहिल्-मकर
जमीअन्, यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु
नफिसन्, व स-यअलमुल्-कुफ़ारु
लिमन् अक्बददार (42) व
यकूलुल्लजी-न क-फ़रु लसू-त
मुर्सलन्, कुल् कफा बिल्लाहि

और भेज चुके हैं हम कितने रसूल तुझसे
पहले और हमने दी थीं उनको बीवियाँ
और औलाद, और नहीं हुआ किसी रसूल
से कि वह ले आये कोई निशानी मगर
अल्लाह की इज़ाजत से, हर एक वादा है
लिखा हुआ। (38) मिटाता है अल्लाह जो
चाहे और बाकी रखता है, और उसी के
पास है असल किताब। (39) और अगर
दिखलायें हम तुझको कोई वादा जो हमने
किया उनसे, या तुझको उठा लें सो तेरे
ज़िम्मे तो पहुँचा देना है और हमारे ज़िम्मे
है हिसाब लेना। (40) क्या वे नहीं देखते
कि हम चले आते हैं ज़मीन को घटाते
उसके किनारों से, और अल्लाह हुक्म
करता है, कोई नहीं कि पीछे डाले उसका
हुक्म, और वह जल्द लेता है हिसाब।
(41) और फ़रेब कर चुके हैं जो उनसे
पहले थे, सो अल्लाह के हाथ में है सब
फ़रेब, जानता है जो कुछ कमाता है हर
एक जी, और अब मालूम किये लेते हैं
काफ़िर कि किसका होता है पिछला घर।
(42) और कहते हैं काफ़िर कि तू भेजा
हुआ नहीं आया। कह दे अल्लाह काफ़ी

शहीदम्-बैनी व बैनकुम् व मन्
ज़िन्दहू ज़िल्मुल्-किताब (43) ❁

है गवाह मेरे और तुम्हारे बीच में, और
जिसको ख़बर है किताब की। (43) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

और (अहले किताब में से बाजों का जो नुबुव्वत पर यह ताना है कि उनके पास कई बीवियाँ हैं सो इसका जवाब यह है कि) हमने यकीनन आप से पहले बहुत-से रसूल भेजे, और हमने उनको बीवियाँ और बच्चे भी दिये (यह रसूल होने के विरुद्ध कौनसी बात है। ऐसा ही मजमून दूसरी आयत यानी सूरः निसा की आयत 54 में है) और (चूँकि शरीज़तों के मुख़्तलिफ़ और भिन्न होने का शुब्हा दूसरे शुब्हात से ज़्यादा मशहूर और ऊपर की आयतों में बहुत सक्षिप्त रूप में जिक्र हुआ था इसलिये इसको आगे दोबारा और विस्तार से इश़ाद फ़रमाते हैं, कि जो श़ख्स नबी पर शरीज़तों के अलग-अलग और भिन्न होने का शुब्हा करता है वह दर पर्दा नबी को अहकाम का मालिक समझता है, हालाँकि) किसी पैग़म्बर के इख़्तियार में यह बात नहीं कि एक आयत (यानी एक हुक्म) भी बिना खुदा तआला के हुक्म के (अपनी तरफ़ से) ला सके (बल्कि अहकाम का मुक़रर होना अल्लाह की इजाज़त व इख़्तियार पर मौक़ूफ़ है, और खुदा तआला की हिक्मत व मस्लेहत के एतिबार से यह मामूल मुक़रर है कि) हर ज़माने के मुनासिब खास-खास अहकाम होते हैं (फिर दूसरे ज़माने में कुछ मामलात में दूसरे अहकाम आते हैं और पहले अहकाम ख़त्म हो जाते हैं और बाज़े अपने हाल पर बाकी रहते हैं। पस) खुदा तआला (ही) जिस हुक्म को चाहें मौक़ूफ़ कर देते हैं और जिस हुक्म को चाहें कायम रखते हैं, और असल किताब (यानी लौह-ए-महफ़ूज़) उन्हीं के पास (रहती) है (और ये सब अहकाम एक-दूसरे को निरस्त करने वाले, निरस्त होने वाले और कायम व बाकी रहने वाले उसमें दर्ज हैं, वह सब की जामे और गोया मीज़ानुल-कुल है, यानी जहाँ से ये अहकाम आते हैं वह अल्लाह ही के कब्ज़े में है, पस पहले अहकाम के मुवाफ़िक़ या उनके विपरीत अहकाम लाने की किसी को गुन्जाइश और हिम्मत ही नहीं हो सकती)।

और (ये लोग जो इस बिना पर नुबुव्वत का इनकार करते हैं कि अगर आप नबी हैं तो नुबुव्वत के इनकार पर जिस अज़ाब का वादा किया जाता है वह अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं होता, इसके बारे में सुन लीजिये कि) जिस बात का (यानी अज़ाब का) हम उनसे (नुबुव्वत का इनकार करने पर) वायदा कर रहे हैं उसमें का बाज़ा वाफ़िआ अगर हम आपको दिखला दें (यानी आपकी ज़िन्दगी में कोई अज़ाब उन पर नाज़िल हो जाये) चाहे (उस अज़ाब के नाज़िल होने से पहले) हम आपको वफ़ात दे दें (फिर बाद में वह अज़ाब आये चाहे दुनिया में या आख़िरत में दोनों हालतों में, आप फ़िक्र व एहतियाम न करें त्रयोंकि) बस आपके जिम्मे तो सिर्फ़ (अहकाम का) पहुँचा देना है और दारोगीर “यानी पूछताछ और पकड़” करना तो हमारा काम है (आप इस

फ़िक्र में क्यों पड़ें कि अगर वाक़े हो जायें तो बेहतर है, शायद ईमान ले आयें। और उन लोगों पर भी ताज़ुब है कि कुफ़्र पर अज़ाब के आने का एक दम से कैसे इनकार कर रहे हैं। क्या (अज़ाब आने की निशानियों और शुरूआती चीज़ों में से) इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हम (इस्लाम की फ़तह के ज़रिये से उनकी) ज़मीन को चारों तरफ़ से लगातार कम करते चले आते हैं (यानी इस्लामी फ़तूहात के सबब उनकी हुकूमत व सरदारी दिन-ब-दिन घटती जा रही है, सो यह भी तो एक किस्म का अज़ाब है जो असली अज़ाब आने से पहले का एक नमूना और निशाती है जैसा कि एक दूसरी आयत यानी सूर: सज्दा आयत 21 में है) और अल्लाह (जो चाहता है) हुक्म करता है, उसके हुक्म को कोई हटाने वाला नहीं (पस छोटा अज़ाब हो या बड़ा अज़ाब जो भी हो उसको कोई उसके शरीकों या गैर-शरीकों में से रद्द नहीं कर सकता)। और (अगर उनको थोड़ी मोहलत भी हो गई तो क्या है) वह बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है (वक़्त की देर है, फिर फ़ौरन ही वायदा की गयी सज़ा शुरू हो जायेगी)।

और (ये लोग जो रसूल को तकलीफ़ पहुँचाने या इस्लाम में कमी व ऐब निकालने में तरह तरह की तदबीरें करते हैं तो इनसे कुछ नहीं होता। चुनाँचे) इनसे पहले जो (काफ़िर) लोग हो चुके हैं उन्होंने (भी इन ही उद्देश्यों के लिये बड़ी-बड़ी) तदबीरें कीं, सो (कुछ भी न हुआ क्योंकि) असल तदबीर तो खुदा ही की है (उसके सामने किसी की नहीं चलती, सो अल्लाह ने उनकी वो तदबीरें चलने न दीं और) उसको सब ख़बर रहती है जो शख़्स जो कुछ भी करता है (फिर उसको वक़्त पर सज़ा देता है)। और (इसी तरह) इन काफ़िरों (के आमाल की भी उसको सब ख़बर है सो इन) को (भी) अभी मालूम हुआ जाता है कि उस आ़लम “यानी आख़िरत” में नेक अन्जामी किसके हिस्से में है (आया इनके या मुसलमानों के, जल्द ही इनको अपने बुरे अन्जाम और आमाल की सज़ा मालूम हो जायेगी)।

और ये काफ़िर लोग (सज़ाओं को भूले हुए) यूँ कह रहे हैं कि (नज़्जु बिल्लाह) आप पैग़म्बर नहीं। आप फ़रमा दीजिये कि (तुम्हारे बेमायने इनकार से क्या होता है) मेरे और तुम्हारे दरमियान (मेरी नुबुव्वत पर) अल्लाह तआ़ला और वह शख़्स जिसके पास (आसमानी) किताब का इल्म है (जिसमें मेरी नुबुव्वत की तस्दीक़ है) काफ़ी गवाह हैं (इससे मुराद अहले किताब के वे इन्साफ़-पसन्द उलेमा हैं जो नुबुव्वत की भविष्यवाणी देखकर ईमान ले आये थे। मतलब यह हुआ कि मेरी नुबुव्वत की दो दलीलें हैं- अक्ली और किताबी। अक्ली तो यह कि हक़ तआ़ला ने मुझको मोज़िज़े अता फ़रमाये जो नुबुव्वत की दलील हैं, और अल्लाह तआ़ला के गवाह होने के यही मायने हैं। और किताबी यह है कि पिछली आसमानी किताबों में इसकी ख़बर मौजूद है अगर यकीन न आये तो इन्साफ़-पसन्द और सही उलेमा से पूछ लो वे ज़ाहिर कर देंगे। पस अक्ली व नक्ली (किताबी व रिवायती) दलीलों के होते हुए नुबुव्वत का इनकार करना सिवाय बदबख़्ती के और क्या है, किसी अक्ल रखने वाले को इससे शुब्हा न होना चाहिये)।

मकारिफ़ व मसाईल

काफ़िरो व मुशिरको की रसूल व नबी के मुताल्लिक़ एक आम धारणा यह थी कि वह बशर और इनसान के अलावा कोई मख़्लूक जैसे फ़रिश्ते होनी चाहियें, जिसकी वजह से आम इनसानों से उनकी बरतरी स्पष्ट हो जाये। क़ुरआने करीम ने उनके इस ग़लत ख़्याल का जवाब कई आयतों में दिया है कि तुमने नुबुव्वत व रिसालत की हकीक़त और हिक़मत ही को नहीं पहचाना, इसलिये ऐसे ख़्यालों और धारणाओं के शिकार हुए। क्योंकि रसूल को हक़ तअ़ाला एक नमूना बनाकर भेजते हैं कि उम्मत के सारे इनसान उनकी पैरवी करें, उन्हीं जैसे आमाल व अख़्लाक सीखें, और ज़ाहिर है कि कोई इनसान अपने हमजिन्स इनसान ही की पैरवी और इत्तिबा कर सकता है, जो उसकी जिन्स का न हो उसकी पैरवी इनसान से नामुम्किन है। जैसे फ़रिश्ते को न भूख लगे न प्यास न नफ़साना इच्छाओं से उसको कोई वास्ता, न उसको नींद आये न थकान हो, अब अगर इनसानों को उनके इत्तिबा और पैरवी का हुक्म दिया जाता तो उनके लिये उनकी कुदरत से ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती। इस जगह भी मुशिरकों का यही एतिराज़ पेश हुआ, खुसूसन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कई बीवियाँ रखने से उनका यह शुब्हा और बढ़ा, इसका जवाब पहली आयत के शुरूआती जुमलों में यह दिया गया कि एक या एक से ज़्यादा निकाह करने और बीवी बच्चों वाला होने को तुमने किस दलील से नुबुव्वत व रिसालत के ख़िलाफ़ समझ लिया? अल्लाह तअ़ाला की तो दुनिया की शुरूआत ही से यही सुन्नत (तरीका) रही है कि वह अपने पैग़म्बरों को बीवी-बच्चों वाले बनाते हैं, जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पहले गुज़रे हैं और उनमें से कुछ की नुबुव्वत के तुम भी कायल हो, वे सब अनेक बीवियाँ रखते थे, और औलाद वाले थे। इसको नुबुव्वत व रिसालत या बुज़ुर्गी और विलायत के ख़िलाफ़ समझना नादानी है।

सही बुखारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और इफ़तार भी करता हूँ (यानी ऐसा नहीं कि हमेशा रोज़े ही रखा करूँ) और फ़रमाया कि मैं रात में सोता भी हूँ और नमाज़ के लिये खड़ा भी होता हूँ (यानी ऐसा नहीं कि सारी रात इबादत ही करूँ) और गोश्त भी खाता हूँ, औरतों से निकाह भी करता हूँ। जो शख्स मेरी इस सुन्नत को काबिले एतिराज़ समझे वह मुसलमान नहीं।

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

यानी किसी रसूल को इख़्तियार नहीं कि वह एक आयत भी खुदा तअ़ाला के हुक्म के बग़ैर खुद ला सके।

काफ़िर व मुशिरक लोग जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सामने मुख़ालफ़त व दुश्मनी भरे सवालात पेश करते आये हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने भी उस ज़माने के मुशिरकों ने पेश किये, उनमें दो सवाल बहुत आम हैं- एक यह कि अल्लाह की किताब

में हमारी इच्छा व मर्जी के मुताबिक अहकाम नाजिल हुआ करें, जैसे सूर: यूनुस में उनकी यह दरखास्त बयान हुई है कि:

إِنِّي بَعْرَانٌ غَيْرٌ هَذَا أَوْ يَدُلُّهُ

यानी बा तो आप इस मौजूदा कुरआन के बजाय बिल्कुल ही कोई दूसरा कुरआन ले आईये जिसमें हमारे बुतों की इबादत को मना न किया गया हो, या फिर आप खुद ही इसके लाये हुए अहकाम को बदल दीजिये, अज़ाब की जगह रहमत और हराम की जगह हलाल कर दीजिये।

दूसरा सवाल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के खुले मोजिजे देखने के बावजूद नये-नये मोजिजों का मुतालबा करना कि फुल्लों किस्म का मोजिजा दिखाईये तो हम मुसलमान हों। कुरआने करीम के इस जुमले में लफ़्ज़ आयत से दोनों चीजें मुराद हो सकती हैं, क्योंकि कुरआनी परिभाषा में कुरआनी आयतों को भी आयत कहा जाता है, और मोजिजे को भी। इसी लिये इस आयत की तफसीर में मुफ़्तिस्तीन हज़रात में से कुछ ने कुरआनी आयत मुराद लेकर यह मतलब बयान किया कि किसी पैग़म्बर को यह इख़्तियार नहीं होता कि अपनी तरफ़ से अपनी किताब में कोई आयत बना ले, और कुछ ने इस आयत से मुराद मोजिजा लेकर यह मायने करार दिये कि किसी रसूल व नबी को अल्लाह ने यह इख़्तियार नहीं दिया कि जिस वक़्त चाहे और जिस तरह का चाहे मोजिजा ज़ाहिर कर दे। तफसीर रूहुल-मअ़ानी में फ़रमाया कि यहाँ कायदे के मुताबिक़ गुंजाईश होने के सबब ये दोनों मुराद हो सकते हैं और दोनों तफ़्सीरें सही हो सकती हैं।

इस लिहाज़ से इस आयत के मज़मून का खुलासा यह हुआ कि हमारे रसूल से कुरआनी आयतों के बदलने का मुतालबा बेजा और ग़लत है, हमने ऐसा इख़्तियार किसी रसूल को नहीं दिया। इसी तरह यह मुतालबा कि फुल्लों किस्म का मोजिजा (करिश्मा और असाधारण काम) दिखलाईये, यह भी नुबुव्वत की हकीकत से अज्ञानता की दलील है। क्योंकि किसी नबी व रसूल के इख़्तियार में नहीं होता कि लोगों की इच्छा के मुताबिक़ जो वे चाहें मोजिजा ज़ाहिर कर दें।

لِكُلِّ آخِلٍ كِتَابٌ

अजल के मायने निर्धारित मुद्दत और मुकर्ररा मियाद के आते हैं, और किताब इस जगह मस्दर के मायने में है यानी तहरीर। मायने यह है कि हर चीज़ की मियाद और मात्रा अल्लाह तअ़ाला के पास लिखी हुई है, उसने कायनात के पहले दिन में लिख दिया है कि फुल्लों शख़्स फुल्लों वक़्त पैदा होगा और इतने दिन ज़िन्दा रहेगा, कहाँ-कहाँ जायेगा, क्या-क्या करेगा, किस वक़्त और कहाँ मरेगा।

इसी तरह यह भी लिखा हुआ है कि फुल्लों ज़माने में फुल्लों पैग़म्बर पर क्या वही और अहकाम नाजिल होंगे, क्योंकि अहकाम हर ज़माने और हर कौम के हाल के मुनासिब आते रहना ही अक्ल व इन्ताफ़ का तकाज़ा है, और यह भी लिखा हुआ है कि फुल्लों पैग़म्बर से फुल्लों वक़्त किस-किस मोजिजे का ज़हूर होगा।

इसलिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह मुतालबा कि फुल्लों किस्म के

कुरआनी अहकाम में तब्दीली करायें या यह मुतालबा कि फ़ुलॉ ख़ास मोजिज़ा दिखलायें एक मुख़ालफ़त भरा और ग़लत मुतालबा है जो रिसालत व नुबुव्वत की हक़ीक़त से बेख़बर होने पर आधारित है।

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

उम्मुल-किताब के लफ़्ज़ी मायने असल किताब के हैं। इससे मुराद वह लौह-ए-महफ़ूज़ है जिसमें कोई हेर-फेर और तब्दीली नहीं हो सकती।

आयत के मायने यह हैं कि हक़ तआला अपनी कामिल क़ुदरत और पूर्ण हिक्मत से जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है, और जिस चीज़ को चाहता है साबित और बाकी रखता है। और इस मिटाने व बाकी रखने के बाद जो हुक्म बाक़े होता है वह अल्लाह तआला के पास महफ़ूज़ है, जिस पर न किसी की पहुँच है न उसमें कोई कमी-बेशी हो सकती है।

तफ़सीर के इमामों में से हज़रत सईद बिन जुबैर और क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा वग़ैरह ने इस आयत को भी शरीअतों और अहकाम के मिटाने व साबित रखने यानी नसख़ (अहकाम में तब्दीली, उनके पूरी तरह समाप्त हो जाने या निरस्त व रद्द होने) के मसले के मुताल्लिक़ करार दिया है, और आयत का मतलब यह बयान फ़रमाया कि अल्लाह तआला जो हर ज़माने और हर क़ौम के लिये मुख़लिफ़ रसूलों के ज़रिये अपनी किताबें भेजते हैं, जिनमें शरीअत के अहकाम और फ़राईज़ का बयान होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि ये सब अहकाम हमेशा के लिये हों और हमेशा बाकी रहें, बल्कि क़ौमों के हालात और ज़माने के बदलाव के अनुकूल अपनी हिक्मत के ज़रिये जिस हुक्म को चाहते हैं मिटा देते हैं और जिसको चाहते हैं साबित और बाकी रखते हैं, और असल किताब बहरहाल उनके पास महफ़ूज़ है जिसमें पहले ही से यह लिखा हुआ है कि फ़ुलॉ हुक्म जो फ़ुलॉ क़ौम के लिये नाज़िल किया गया है यह एक ख़ास मियाद के लिये या ख़ास हालात की बिना पर है, जब वह मियाद गुज़र जायेगी या वो हालात बदल जायेंगे तो यह हुक्म भी बदल जायेगा। उस उम्मुल-किताब में उसकी मियाद और निर्धारित वक़्त भी पूरी निश्चितता के साथ दर्ज है, और यह भी कि इस हुक्म को बदलकर कौनसा हुक्म लाया जायेगा।

इससे यह शुब्हा भी जाता रहा कि अल्लाह के अहकाम कभी मन्सूख़ (निरस्त व रद्द) न होने चाहियें, क्योंकि कोई हुक्म जारी करने के बाद मन्सूख़ करना इसकी निशानी है कि हुक्म जारी करने वाले को हालात का अन्दाज़ा न था, इसलिये हालात देखने के बाद उसको मन्सूख़ (निरस्त व रद्द) करना पड़ा, और ज़ाहिर है कि हक़ तआला की शान इससे बुलन्द व बाला है कि कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर हो, क्योंकि ऊपर बयान हुई इबारत से मालूम हो गया कि जिस हुक्म को मन्सूख़ किया जाता है अल्लाह तआला के इल्म में पहले से होता है कि यह हुक्म सिर्फ़ इतनी मुद्दत के लिये जारी किया गया है, उसके बाद बदला जायेगा। इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे किसी मरीज़ का हाल देखकर कोई हकीम या डॉक्टर एक दवा उस वक़्त के मुनासिबे हाल तजवीज़ करता है और वह जानता है कि इस दवा का असर यह होगा, उसके बाद

इस दवा को बदलकर फुलौं दवा दी जायेगी। खुलासा यह है कि इस तफ़सीर के मुताबिक़ आयत में मिटाने और साबित व कायम रखने से मुराद अहक़ाम का मन्सूख़ होना और बाकी रहना है।

और तफ़सीर के इमामों की एक जमाअत- हज़रत सुफ़ियान सौरी इमाम वकीअ रह. वग़ैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की दूसरी तफ़सीर नक़ल की है जिसमें आयत के मज़मून को तफ़दीर के लिखे से संबन्धित करार दिया है और आयत के मायने यह बयान किये गये हैं कि कुरआन व हदीस की वज़ाहतों के मुताबिक़ मख़्लूक़ात की तफ़दीरों और हर शख़्स की उम्र और जिन्दगी भर में मिलने वाला रिज़्क़ और पेश आने वाली राहत व मुसीबत और इन सब चीज़ों की मिक्दारों (मात्राओं और अन्दाज़े) अल्लाह तआला ने कायनात के पहले दिन में मख़्लूक़ात की पैदाईश से भी पहले लिखी हुई हैं, फिर बच्चे की पैदाईश के वक़्त फ़रिश्तों को भी लिखवा दिया जाता है और हर साल शबे-क़द्र में उस साल के अन्दर पेश आने वाले मामलात का चिह्न फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है।

खुलासा यह है कि मख़्लूक़ के हर फ़र्द की उम्र, रिज़्क़ और उसके तमाम काम मुतैयन और लिखे हुए हैं, मगर अल्लाह तआला तफ़दीर के उस लिखे में से जिसको चाहते हैं मिटा देते हैं और जिसको चाहते हैं बाकी रखते हैं।

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

यानी असल किताब जिसके मुताबिक़ मिटाने और साबित व बाकी रखने के बाद अंततः अमल होना है वह अल्लाह के पास है, उसमें कोई तब्दीली व बदलाव नहीं हो सकता।

इसकी तफ़सील यह है कि बहुत-सी सही हदीसों से मालूम होता है कि कुछ आमाल से इनसान की उम्र और रिज़्क़ बढ़ जाते हैं, कुछ से घट जाते हैं। सही बुख़ारी में है कि सिला-रहमी उम्र में ज़्यादाती का सबब बनती है, और मुन्नद अहमद की रिवायत में है कि कई बार आदमी कोई ऐसा गुनाह करता है कि उसके सबब रिज़्क़ से मेहरूम कर दिया जाता है, और माँ-बाप की ख़िदमत व इताअत से उम्र बढ़ जाती है, और अल्लाह की तफ़दीर को कोई चीज़ सिवाय दुआ के टाल नहीं सकती।

इन तमाम रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने जो उम्र या रिज़्क़ वग़ैरह किसी की तफ़दीर में लिख दिये हैं वो बाज़े आमाल की वजह से कम या ज़्यादा हो सकते हैं और दुआ की वजह से भी तफ़दीर बदली जा सकती है।

इस आयत में इसी मज़मून का बयान इस तरह किया गया कि तफ़दीर की किताब में लिखी हुई उम्र या रिज़्क़ या मुसीबत या राहत वग़ैरह में जो तब्दीली या बदलाव किसी अमल या दुआ की वजह से होता है उससे मुराद तफ़दीर की वह किताब है जो फ़रिश्तों के हाथ में या उनके इल्म में है, उसमें कई बार कोई हुक्म किसी ख़ास शर्त पर लटका होता है, जब वह शर्त न पाई जाये तो यह हुक्म भी नहीं रहता, और फिर यह शर्त कई बार तो तहरीर में लिखी हुई फ़रिश्तों के इल्म में होती है, कई बार लिखी हुई नहीं होती सिर्फ़ अल्लाह तआला के इल्म में होती है।


जब वह हुक्म बदला जाता है तो सब हैरत में रह जाते हैं, इस तरह की तकदीर मुअल्लक कहलाती है जिसमें इस आयत की वज़ाहत के मुताबिक़ मिटाने या बाकी व साबित रखने का अमल होता रहता है, लेकिन आयत के आख़िरी जुमले 'व अिन्दहू उम्मुल-किताबि' ने बतला दिया कि इस मुअल्लक तकदीर के ऊपर एक मुब्यम तकदीर है जो उम्मुल-किताब में लिखी हुई अल्लाह तआला के पास है, वह सिर्फ़ अल्लाह के इल्म के लिये मख़सूस है, उसमें वो अहक़ाम लिखे जाते हैं तो आमाल या दुआ की शर्तों के बाद आख़िरी नतीजे के तौर पर होते हैं, इसी लिये वह मिटाने व साबित रखने और कमी-बेशी से बिल्कुल बरी है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمُ أَوْ نَتَوَكَّلُكَ

इस आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने और मुत्मईन रखने के लिये इरश़ाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने जो वायदे आप से किये हैं कि इस्लाम की मुकम्मल फ़तह होगी, और कुफ़र व काफ़िर ज़लील व रुस्वा होंगे, तो यह होकर रहेगा, मगर आप इस फ़िक्र में न पड़ें कि यह मुकम्मल फ़तह कब होगी, मुम्किन है कि आपकी ज़िन्दगी में हो जाये और यह भी मुम्किन है कि वफ़ात के बाद हो। और आपके इल्मीनान के लिये तो यह भी काफ़ी है कि आप बराबर देख रहे हैं कि हम काफ़िरों की ज़मीनों को उनके किनारों से घटाते चले जाते हैं, यानी ज़मीन के वो किनारे (या इलाके व हिस्से) मुसलमानों के कब्जे में आ जाते हैं, इस तरह उनके कब्जे वाली ज़मीन घटती जा रही है और मुसलमानों के लिये कुशादगी व आसानी होती जाती है। इस तरह एक दिन उस फ़तह की तकमील भी हो जायेगी। हुक्म अल्लाह तआला ही के हाथ में है, उसके हुक्म को कोई टालने वाला नहीं, वह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: रज़द की तफ़सीर पूरी हुई।)

Maktab_e_Ashraf



Maktab_e_Ashraf

* सूरः इब्राहीम *

यह सूरत मक्की है। इसमें 52 आयतें
और 7 रुकूअ हैं।

सूर: इब्राहीम

सूर: इब्राहीम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 52 आयतें और 7 रुकूअ हैं।

أَيُّهَا ۞ سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ (۱۴) لِكُوْنَتْهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الرَّسْكُتْبُ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ يٰۤاٰدِمْ رَبِّيْهِمْ اِلَى صِرٰطِ الْعَزِيْزِ
الْحَنِيدِ ۗ اللّٰهُ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَّوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِيْنَ مِنْ عَذٰبٍ شَدِيْدٍ ۗ
الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۗ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَعُوْذُوْنَ بِاَعْوَابِهَا ۗ وَلِلّٰهِ
فِي ضَلٰلٍ يَعْبُدُوْنَ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-ताम्-रा। किताबुन् अन्ज़ल्नाहु
इलै-क लिख्रिजन्ना-स मिनज़्जुलुमाति
इलन्नूरि बि-इज़िन रब्बिहिम् इला
सिरातिल्-अज़ीजिल्-हमीद (1)
अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति
व मा फिल्-अर्ज़ि, व वैलुल्-
लिल्-काफ़िरी-न मिन् अज़ाबिन्
शदीद (2) अल्लज़ी-न यस्तहिब्बूनल्-
हयातददुन्या अलल्-आख़िरति व
यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व
यब्बूनहा अि-वजन्, उलाइ-क फ़ी
ज़लालिम्-बअ़ीद (3)

यह एक किताब है कि हमने उतारी तेरी
तरफ़ कि तू निकाले लोगों को अंधेरों से
उजाले की तरफ़, उनके रब के हुक्म से
रस्ते पर उस ज़बरदस्त खूबियों वाले (1)
अल्लाह के, जिसका है जो कुछ कि मौजूद
है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन
में, और मुसीबत है काफ़िरो को एक
सख्त अज़ाब से (2) जो कि पसन्द रखते
हैं ज़िन्दगी दुनिया की आख़िरत से, और
रोकते हैं अल्लाह की राह से, और तलाश
करते हैं उसमें कज़ी (ऐब और कमी), वे
रास्ता भूलकर जा पड़े हैं दूर। (3)

खुलासा-ए-तफसीर

अलिफ्-लाम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह (कुरआन) एक किताब है जिसको हमने आप पर नाज़िल फ़रमाया है ताकि आप (इसके ज़रिये से) तमाम लोगों को उनके परवर्दिगार के हुक्म से (तब्दीग के दर्जे में कुफ़्र के) अंधकार से निकालकर (ईमान व हिदायत की) रोशनी की तरफ़ यानी खुदा-ए-ग़ालिब तारीफ़ वाले की राह की तरफ़ लाएँ (रोशनी में लाने का मतलब यह है कि वह राह बतला दें)। जो ऐसा खुदा है कि उसी की मिल्क है जो कुछ कि आसमानों में है और जो कुछ कि ज़मीन में है, और (जब यह किताब खुदा का रास्ता बतलाती है तो) बड़ी ख़राबी यानी बड़ा सख़्त अज़ाब है उन काफ़ि़रों को जो (इस राह को न तो खुद कुबूल करते हैं बल्कि) दुनियावी ज़िन्दगानी को आख़िरत पर तरज़ीह देते हैं (इसलिये दीन की जुस्तजू व तहकीक़ नहीं करते) और (न दूसरों को यह राह इख़्तियार करने देते हैं बल्कि) अल्लाह की (ज़ि़क़्र हुई) इस राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़ (यानी शुब्हात) को ढूँढते रहते हैं (जिनके ज़रिये से दूसरों को गुमराह कर सकें) ऐसे लोग बड़ी दूर की गुमराही में हैं (यानी वह गुमराही हक़ से बड़ी दूर है)।

मअरिफ़ व मसाईल

सूरत और इसके मजामीन

यह कुरआने करीम की चौदहवीं सूरत सूर: इब्राहीम शुरू होती है। यह सूरत मक्की है, हिज़रत से पहले नाज़िल हुई, सिवाय चन्द आयतों के जिनके बारे में मतभेद है कि मदनी हैं या मक्की।

इस सूरत के शुरू में रिसालत व नुबुव्वत और उनकी कुछ विशेषताओं का बयान है, फिर तौहीद का मज़मून और उसके सुबूतों का ज़ि़क़्र है, इसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़ि़क़्र किया गया है और इसी की मुनासबत से सूरत का नाम सूर: इब्राहीम रखा गया है।

الرّم كَسَبَ اَنْوَلْنَهٗ اِيْكَ لِتُخْرَجَ النَّاسُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ.

'अलिफ़-लाम्-रा' उन हुरूफ़े मुक़त्ताआत में से हैं जिनके बारे में बार-बार ज़ि़क़्र किया जा चुका है कि इसमें ज़्यादा बेहतर और बेगुबार तरीका पहले बुजुर्गों का है कि इस पर ईमान व यकीन रखें कि जो कुछ इसकी मुराद है वह हक़ है, लेकिन इसके मायने की तहकीक़ व तफ़तीश के पीछे न पड़ें।

كَسَبَ اَنْوَلْنَهٗ اِيْكَ

में नहवी तरकीब के लिहाज़ से ज़्यादा स्पष्ट और साफ़ बात यह है कि इसको लफ़्ज़ हाज़ा जो यहाँ पोशीदा है की ख़बर करार दी जाये, और जुमले के मायने यह हों कि यह वह किताब है

जिसको हमने आपकी तरफ़ नाज़िल किया है। इसमें नाज़िल करने की निस्वत हक़ तआला शानुहू की तरफ़ और ख़िताब की निस्वत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ करने में दो चीज़ों की तरफ़ इशारा पाया गया- एक यह कि यह किताब बहुत ही ऊँचे मक़ाम व मर्तबे वाली है, कि इसको खुद ज़ाते हक़ तआला ने नाज़िल फ़रमाया है। दूसरे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बुलन्द मक़ाम व मर्तबे वाला होने की तरफ़ इशारा है कि आपको इसका पहला मुखातब बनाया है।

لُتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ.

लफ़ज़ 'नास' आ़म इनसानों के लिये बोला जाता है। इससे मुराद तमाम आ़लम के मौजूदा और आईन्दा आने वाले इनसान हैं। 'जुलुमात' जुल्मत की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने अंधेरे के परिचित व मशहूर हैं। यहाँ 'जुलुमात' से मुराद कुफ़्र व शिर्क और बुरे आमाल की जुल्मत है, और नूर से मुराद ईमान की रोशनी है। इसलिये लफ़ज़ जुलुमात को बहुवचन के लफ़ज़ के साथ लाया गया, क्योंकि कुफ़्र व शिर्क की बहुत-सी किस्में हैं इसी तरह बुरे आमाल भी बेशुमार हैं, और लफ़ज़ नूर को एक वचन के कलिमे से लाया गया क्योंकि ईमान और हक़ वाहिद (सिर्फ़ एक ही) है। आयत के मायने यह हैं कि यह किताब हमने इसलिये आपकी तरफ़ नाज़िल की है कि आप इसके ज़रिये तमाम आ़लम के इनसानों को कुफ़्र व शिर्क और बुरे कामों की अंधेरियों से निजात दिलाकर ईमान और हक़ की रोशनी में ले आयें उनके रव की इजाज़त से। यहाँ लफ़ज़ 'रब' लाने में इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि अल्लाह तआला का आ़म इनसानों पर यह इनाम कि अपनी किताब और पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये उनको अंधेरियों से निजात दिलायें, इसका सबब और मंशा सिवाय उस लुत्फ़ और मेहरबानी के और कुछ नहीं, जो तमाम इनसानों के ख़ालिक व मालिक ने अपनी शाने रबूबियत से उन पर मुतवज्जह कर रखी है, वरना अल्लाह तआला के जिम्मे न किसी का कोई हक़ लाज़िम है न किसी का ज़ोर उस पर चलता है।

हिदायत सिर्फ़ खुदा का फ़ैल है

इस आयत में अंधेरी से निजात देकर रोशनी में लाने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़ैल (काम) करार दिया गया है, हालाँकि हिदायत देना हकीकत में हक़ तआला ही का फ़ैल है, जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

“यानी आप अपने इख़्तियार से किसी को हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह तआला ही जिसको चाहता है हिदायत देता है।” इसी लिये इस आयत में:

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

का लफ़ज़ बढ़ाकर यह शुब्हा ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आयत के मायने यह हो गये कि

यह कुफ़ व शिर्क की अंधेरियों से निकालकर ईमान व नेक अमल की रोशनी में लाना, अगरचे असल हकीकत के एतिबार से आपके हाथ में नहीं मगर अल्लाह तआला के हुक्म व इजाज़त से आप कर सकते हैं।

अहकाम व हिदायतें

इस आयत से मालूम हुआ कि आदम की तमाम औलाद और तमाम इनसानी नस्ल की बुराईयों की अंधेरियों से निकालने और रोशनी में लाने का एकमात्र ज़रिया और इनसान व इनसानियत को दुनिया व आखिरत की बरबादी और हलाकत से निजात दिलाने का वाहिद रास्ता क़ुरआने करीम है, जितना जितना लोग इसके करीब आयेंगे उसी अन्दाज़ से उनको दुनिया में भी अमन व अमान और अफ़ियत व इत्मीनान नसीब होगा और आखिरत में भी फ़लाह व कामयाबी हासिल होगी, और जितना इससे दूर होंगे उतना ही दोनों जहान की ख़राबियों, बरबादियों, मुसीबतों और परेशानियों के गड़ढ़े में गिरेंगे।

आयत के अलफ़ाज़ में यह नहीं खोला गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़ुरआन के ज़रिये किस तरह लोगों को अंधेरियों से निजात देकर रोशनी में लायेंगे, लेकिन इतनी बात ज़ाहिर है कि किसी किताब के ज़रिये किसी कौम को दुरुस्त करने का तरीका यही होता है कि उस किताब की तालीमात व हिदायात को उस कौम में फैलाया जाये और उनको उसका पाबन्द किया जाये।

क़ुरआने करीम की तिलावत भी मुस्तफ़िल मक़सद है

मगर क़ुरआने करीम की एक अतिरिक्त ख़ुसूसियत यह भी है कि उसकी तिलावत और बग़ैर समझे हुए उसके अलफ़ाज़ का पढ़ना भी ख़ुसूसियत से इनसान के नफ़स पर असर डालता है और उसको बुराईयों से बचने में मदद देता है। कम से कम कुफ़ व शिर्क के कैसे ही ख़ूबसूरत जाल हों क़ुरआन पढ़ने वाला अगरचे बेसमझे ही पढ़ता हो उनके फन्दे में नहीं आ सकता। हिन्दुओं के आंदोलन शुद्धि संगठन के ज़माने में इसको देखा जा चुका है कि उनके जाल में सिर्फ़ कुछ वे लोग आये जो क़ुरआन की तिलावत से भी बेगाने थे, आज ईसाई मिशनरियाँ मुसलमानों के हर ख़िलते में तरह-तरह के सब्ज़ बाग़ और सुनहरे जाल लिये फिरती हैं, लेकिन उनका अगर कोई असर पड़ता है तो सिर्फ़ उन घरानों पर जो क़ुरआन की तिलावत से भी ग़ाफ़िल हैं, चाहे जाहिल होने की वजह से या नई तालीम के ग़लत असर से।

शायद इसी अन्दरूनी असर की तरफ़ इशारा करने के लिये क़ुरआने करीम में जहाँ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने के मक़सिद बतलाये गये हैं वहाँ मायनों की तालीम से पहले तिलावत का अलग से ज़िक्र किया गया है:

تَلَوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَتَزَكَّيْهِمْ وَبِعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तीन कामों के लिये भेजा गया है- पहला काम कुरआने मजीद की तिलावत है, और ज़ाहिर है कि तिलावत का ताल्लुक अलफ़ाज़ से है, मायने समझे जाते हैं उनकी तिलावत नहीं होती। दूसरा काम लोगों को बुराईयों से पाक करना, और तीसरा काम कुरआने करीम और हिकमत यानी सुन्नते रसूल की तालीम देना है।

खुलासा यह है कि कुरआने करीम एक ऐसा हिदायत नामा है जिसके मायने समझकर उस पर अमल करना तो असल मक़सद ही है, और इसका इनसानी जिन्दगी की इस्लाह (सुधार) में असरदार होना भी वाज़ेह है। इसके साथ इसके अलफ़ाज़ की तिलावत करना भी ग़ैर-शऊरी तौर पर इनसान के नफ़्स की इस्लाह में स्पष्ट असर रखता है।

इस आयत में 'अल्लाह के हुक़म से' अंधेरियों से निकालकर रोशनी में लाने की निस्बत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ करके यह भी बतला दिया गया है कि अगरचे हिदायत का पैदा करना हकीकत में हक़ तअ़ाला का काम है मगर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते के बग़ैर इसको हासिल नहीं किया जा सकता। कुरआने करीम का मफ़हूम (मतलब और मायने) और ताबीर भी वही मोतबर है जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़ौल या अमल से बतला दी है, उसके खिलाफ़ कोई ताबीर मोतबर नहीं।

إلى صراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

इस आयत के शुरू में जो जुलमत व नूर (अंधेरी व रोशनी) का ज़िक्र आया है, ज़ाहिर है कि यह वह अंधेरी और रोशनी नहीं जो आम आँखों से नज़र आ जाये, इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये इस जुमले में इरशाद फ़रमाया कि वह रोशनी अल्लाह का रास्ता है जिस पर अग्रसर होने वाला न अंधेरे में चलने वाले की तरह भटकता है न उसको ठोकर लगती है, न वह मक़सद तक पहुँचने में नाकाम होता है। अल्लाह के रास्ते से मुराद वह रास्ता है जिस पर चलकर इनसान खुदा तक पहुँच सके, और उसकी रज़ा का दर्जा हासिल कर सके।

इस जगह लफ़ज़ अल्लाह तो बाद में लाया गया, इससे पहले उसकी दो सिफ़तें अज़ीज़ और हमीद ज़िक्र की गई हैं। अज़ीज़ के मायने अरबी लुग़त के एतिबार से ताक़तवर और ग़ालिब के हैं, और हमीद के मायने वह ज़ात जो तारीफ़ की हक़दार हो। इन दो सिफ़तों को असल नाम (यानी अल्लाह) से पहले लाने में इस तरफ़ इशारा है कि यह रास्ता जिस पवित्र ज़ात की तरफ़ ले जाने वाला है वह ताक़तवर और ग़ालिब भी है और हर तारीफ़ की पात्र भी, इसलिये इस पर चलने वाला न कहीं ठोकर खायेगा न उसकी कोशिश बेकार होगी, बल्कि उसका मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचना यकीनी है, शर्त यह है कि इस रास्ते को न छोड़े।

अल्लाह तअ़ाला की ये दो सिफ़तें पहले बयान करने के बाद फ़रमाया:

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

यानी यह वह ज़ात है कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वह सब उसी का पैदा किया हुआ और उसी की ख़ास मिल्क है, जिसमें कोई उसका शरीक नहीं।

وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

लफ़्ज़ 'वैल' सख़्त अज़ाब और हलाकत के मायने में आता है। मायने यह है कि जो लोग कुरआन की इस नेमत के इनकारी हैं और कुफ़्र व शिर्क के अंधेरे ही में रहने को पसन्द करते हैं, उनके लिये बड़ी बरबादी और हलाकत है उस सख़्त अज़ाब से जो उन पर आने वाला है।

मजमून का खुलासा

आयत का खुलासा यह है कि कुरआने करीम इसलिये नाज़िल किया गया है कि सब इनसानों को अंधेरे से निकालकर अल्लाह के रास्ते की रोशनी में ले आये, मगर जो बदनसीब कुरआन ही के मुन्किर हो जायें तो वे अपने हाथों अपने आपको अज़ाब में डाल रहे हैं। जो लोग कुरआन के अल्लाह का कलाम होने ही के मुन्किर (इनकारी) हैं वे तो इस अज़ाब के पात्र बनने के मुराद हैं ही, मगर जो एतिकाद व यकीन के तौर पर मुन्किर नहीं मगर अमली तौर पर कुरआन को छोड़े हुए हैं, न तिलावत से कोई वास्ता है न इसके समझने और अमल करने की तरफ़ कोई तवज्जोह है वे बदनसीब भी मुसलमान होने के बावजूद इस सख़्त धमकी से बिल्कुल बरी नहीं।

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَىٰ الْأٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍۭۢ مّبِينٍ

इस आयत में कुरआन के मुन्किरों काफ़िरों के तीन जाल (फन्दे) बतलाये गये हैं- एक यह कि वे दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत के मुक़ाबले में ज़्यादा पसन्द करते और वरीयता देते हैं, इसी लिये दुनिया के नफ़े या आराम की ख़ातिर आख़िरत का नुक़सान करना ग़वारा कर लेते हैं। इसमें उनके रोग की पहचान की तरफ़ इशारा है, कि ये लोग कुरआने करीम के स्पष्ट मोज़िज़ों (निशानियों और करिश्मों) को देखने के बावजूद उससे मुन्किर (इनकार करने वाले) क्यों हैं। वजह यह है कि उनको दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी की मुहब्बत ने आख़िरत के मामलात से अंधा कर रखा है, इसलिये उनको अपनी अंधेरी ही पसन्द है, रोशनी की तरफ़ आने से कोई रग़बत (दिलचस्पी) नहीं।

दूसरी ख़स्लत उनकी यह बयान फ़रमाई है कि वे खुद तो अंधेरियों में रहने को पसन्द करते ही हैं, ऊपर से ज़ुल्म यह है कि वे अपनी ग़लती पर पर्दा डालने के लिये दूसरों को भी रोशनी के रास्ते यानी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं।

कुरआन समझने में कुछ ग़लतियों की निशानदेही

तीसरी ख़स्लत 'यबानूना अि-वजन्' में बयान की गई है। इसके दो मायने हो सकते हैं- एक यह कि ये लोग अपनी बुरी फ़ितरत और बद-अमली के सबब इस फ़ि़क़्र में लगे रहते हैं कि अल्लाह तज़ाला के रोशन और सीधे रास्ते में कोई टेढ़ और ख़राबी नज़र आये तो उनको एतिराज़ और ताना देने का मौका मिले। इमाम इब्ने कसीर ने यही मायने बयान फ़रमाये हैं।

और इस जुमले के यह मायने भी हो सकते हैं कि ये लोग इस फ़ि़क़्र में लगे रहते हैं कि

अल्लाह के रास्ते यानी कुरआन व सुन्नत में कोई चीज उनके ख्यालात और इच्छाओं के मुवाफिक मिल जाये तो उसको अपने सही और हक राह पर होने की दलील में पेश करें, तफसीर-ए-कूर्तुबी में इसी मायने को इख्तियार किया गया है। जैसे आजकल बेशुमार इल्म रखने वाले इसमें मुब्तला हैं कि अपने दिल में एक ख्याल कभी गलती से कभी दूसरी कौम से प्रभावित होकर गढ़ लेते हैं, फिर कुरआन व हदीस में उसकी ताईद करने वाले मजमून तलाश करते हैं और कहीं कोई लफज़ उस ख्याल की मुवाफकत में नज़र पड़ गया तो उसको अपने हक में कुरआनी दलील समझते हैं, हालाँकि यह तरीका और चलन उसूल तौर पर ही गलत है, क्योंकि मोमिन का काम यह है कि अपने ख्यालात व इच्छाओं से खाली ज़ेहन होकर किताब व सुन्नत को देखे, जो कुछ उनसे स्पष्ट तौर पर साबित हो जाये उसी को अपना मसलक (तरीका और जिन्दगी गुज़ारने का रास्ता) करार दे।

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدَةٍ

इस जुमले में उन काफ़िरों के बुरे अन्जाम का जिक्र है जिनकी तीन सिफ़तें ऊपर बयान हुई हैं, और हासिल इसका यह है कि ये लोग अपनी गुमराही में बड़ी दूर जा पहुँचे हैं, कि अब इनका सही राह पर आना मुश्किल है।

अहकाम व मसाईल

तफसीर-ए-कूर्तुबी में है कि अगरचे इस आयत में स्पष्ट तौर पर ये तीन ख़स्ततें काफ़िरों की बयान की गई हैं और इन्हीं का यह अन्जाम जिक्र किया गया है कि वे गुमराही में दूर चले गये हैं, लेकिन उसूल के एतिबार से जिस मुसलमान में भी ये तीन ख़स्ततें मौजूद हों वह भी इस वर्ग (सज़ा के वायदे) का हक़दार है। इन तीन ख़स्ततों का खुलासा यह है:

1. दुनिया की मुहब्बत को आख़िरत पर गालिब रखें, यहाँ तक कि दीन की रोशनी में न आयें।
2. दूसरों को भी अपने साथ शरीक रखने के लिये अल्लाह तआला के रास्ते से रोकें।
3. कुरआन व सुन्नत को हेरफेर करके अपने ख्यालात पर फिट करने की कोशिश करें। अल्लाह तआला हमें इससे अपनी पनाह में रखे।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

व मा अर्सलना मिरसूलिन् इल्ला
बिलिसानि-कौमिही लियुबयिय-न
लहुम्, फयुजिल्लुल्लाहु मय्यशा-उ व

और कोई रसूल नहीं भेजा हमने मगर
बोली बोलने वाला अपनी कौम की, ताकि
उनको समझाये, फिर रास्ता मुलाता है

यहदी मय्यशा-उ, व हुवल अजीजुल्-
हकीम (4)

अल्लाह जिसको चाहे और रास्ता दिखता
देता है जिसको चाहे, और वह है ज़बरदस्त
हिक्मतों वाला। (4)

खुलासा-ए-तफसीर

और (इस किताब के अल्लाह की तरफ से उतरी हुई होने में कुछ काफ़िरों को जो यह शुब्ह है कि यह अरबी क्यों है, जिससे शुब्हा व गुमान होता है कि खुद पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ से तैयार कर लिया होगा, ग़ैर-अरबी भाषा में क्यों नहीं ताकि यह शुब्ह ही न होता, और कुरआन दूसरी आसमानी किताबों से ग़ैर-अरबी होने में समान भी होता, तो यह शुब्हा बिल्कुल बेहूदा है, क्योंकि हमने (पहले) तमाम पैग़म्बरों को (भी) उन्हीं की क़ौम की भाषा में पैग़म्बर बनाकर भेजा है ताकि (उनकी भाषा में) उनसे (अल्लाह के अहकाम को) बयान करें (क्योंकि असल मक़सद बात का स्पष्ट तौर पर बयान करना है, तो सब किताबों का एक भाषा में होना कोई मक़सद नहीं)। फिर (बयान करने के बाद) जिसको अल्लाह तआला चाहें गुमराह करते हैं (कि वह उन अहकाम को कुबूल नहीं करता) और जिसको चाहें हिदायत करते हैं (कि वह उन अहकाम को कुबूल कर लेता है), और वही (सब मामलात पर) ग़ालिब है (और) हिक्मत वाला है (पस ग़ालिब होने के सबब सब को हिदायत कर सकता था मगर बहुत-सी हिक्मतों के सबब ऐसा न हुआ)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पहली आयत में अल्लाह तआला की इस नेमत और सहूलत का ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह तआला ने जब भी कोई रसूल किसी क़ौम की तरफ भेजा है तो उस क़ौम की भाषा वाला ही भेजा है, ताकि वह अल्लाह के अहकाम उन्हीं की भाषा और उन्हीं के मुहावरों में बतलाये और उनको उसका समझना आसान हो। अगर रसूल की भाषा उम्मत की भाषा से अलग और भिन्न होती तो ज़ाहिर है कि उसके अहकाम समझने में उम्मत को अनुवाद करने कराने की मशक्कत भी उठानी पड़ती, और फिर भी अहकाम को सही समझना संदिग्ध रहता, इसलिये अगर इब्रानी भाषा बोलने वालों की तरफ कोई रसूल भेजा तो रसूल की भाषा भी इब्रानी ही थी, फ़ारसियों के रसूल की भाषा भी फ़ारसी, बरबरियों के रसूल की भाषा बरबरी रखी गई, चाहे इस सूरत से कि जिस शख्स को रसूल बनाया गया वह खुद उसी क़ौम का फ़र्द (सदस्य) हो और मातृभाषा उसी क़ौम की भाषा हो, या यह कि उसकी पैदाईशी और मादरी भाषा अगरचे कुछ और हो मगर अल्लाह तआला ने ऐसे असबाब पैदा फ़रमाये कि उसने उस क़ौम की भाषा सीख ली, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अगरचे असल बाशिन्दे इराक़ के थे, जहाँ की भाषा फ़ारसी थी लेकिन मुल्के शाम की तरफ़ हिजरत करने के बाद उन्हीं लोगों में

शादी की और शानियों की भाषा ही उनकी भाषा बन गई, तब अल्लाह तआला ने उनको शाम के एक इलाके का नबी बनाया।

और हमारे रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिनकी नुबुव्वत जगह और स्थान के एतिबार से पूरी दुनिया के लिये और ज़माने के एतिबार से क़ियामत तक के लिये आम है, दुनिया की कोई कौम किसी मुल्क की रहने वाली, किसी भाषा की बोलने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दायरा-ए-रिसालत व नुबुव्वत से बाहर नहीं, और क़ियामत तक जितनी कौमों और भाषायें नई पैदा होंगी वो भी सब की सब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत-दावत में दाखिल होंगी, जैसा कि कुरआने करीम में इरशाद है:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

“यानी ऐ लोगो! मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ़।”

और सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तमाम अम्बिया के दरमियान अपनी पाँच विशेष खुसूसियत का जिक्र करते हुए फ़रमाया कि मुझसे पहले हर रसूल व नबी ख़ास अपनी कौम व बिरादरी की तरफ़ भेजा जाता था, अल्लाह तआला ने मुझे आदम की औलाद की तमाम कौमों की तरफ़ नबी व रसूल बनाकर भेजा।

हक़ तआला ने इस आलम में इनसानी आबादी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फ़रमाया और उन्हीं को इनसानों का सबसे पहला नबी और पैग़म्बर बनाया। फिर इनसानी आबादी जिस तरह अपने बसने और आर्थिक हैसियत से फैलती और तरक्की करती रही, उसी की मुनासबत से हिदायत व रहनुमाई के इन्तिज़ामात भी अल्लाह तआला की तरफ़ से मुज्तलिफ़ रसूलों पैग़म्बरों के ज़रिये होते रहे। ज़माने के हर दौर और हर कौम के हाल के मुनासिब अहकाम और शरीअतें नाज़िल होती रहीं, यहाँ तक कि इनसानी दुनिया की तरक्की व बढ़ोतरी अपने कमाल (शिखर) को पहुँची तो अल्लाह तआला ने तमाम अगले-पिछलों के सरदार, नबियों और रसूलों के इमाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस पूरी दुनिया का रसूल बनाकर भेजा, और जो किताब व शरीअत आपको दी वह पूरे आलम और क़ियामत तक के पूरे ज़माने के लिये कामिल व मुकम्मल कर दी, और इरशाद फ़रमाया:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.

“यानी मैंने आज तुम्हारे लिये दीन को मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमत तुम्हारे लिये पूरी कर दी।”

पिछले नबियों की शरीअतें भी अपने वक़्त और अपने इलाके के एतिबार से कामिल व मुकम्मल थीं, उनको भी नाकिस नहीं कहा जा सकता, लेकिन शरीअत-ए-मुहम्मदिया का कमाल किसी ख़ास वक़्त और ख़ास ख़िलते (इलाके व क्षेत्र) के साथ मज़सूस नहीं, यह उमूमी और सार्वजनिक रूप से कामिल है, इसी हैसियत से दीन को कामिल करना इस शरीअत के साथ

मख़सूस है, और इसी वजह से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नुबुव्वत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया।

कुरआने करीम अरबी भाषा में क्यों है?

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह पिछली उम्मतों के रसूल उनके हम-जुबान (उन्हीं की भाषा वाले) भेजे गये, उनको अनुवाद करने की मेहनत की ज़रूरत न रही, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिर्फ़ अरब में अरबी भाषा के साथ क्यों भेजे गये? और आपकी किताब कुरआन भी अरबी भाषा ही में क्यों नाज़िल हुई? लेकिन ग़ौर व फ़िक्र से काम लिया जाये तो जवाब साफ़ है, हर शख्स समझ सकता है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और दावत दुनिया की तमाम क़ौमों के लिये आ़म हुई जिनमें सैकड़ों भाषायें प्रचलित हैं तो उन सब की हिदायत के लिये दो ही सूरतें मुम्किन थीं- एक यह कि कुरआन हर क़ौम की भाषा में अलग-अलग नाज़िल होता और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात व हिदायात भी हर क़ौम की भाषा में अलग-अलग होतीं, अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत के सामने इसका इन्तिज़ाम कोई दुश्वार न था, लेकिन दुनिया की तमाम क़ौमों के लिये एक रसूल एक किताब एक शरीअत भेजने का जो एक अज़ीम मक़सद दुनिया की इन तमाम क़ौमों में हज़ारों तरह के मतभेदों के बावजूद दीनी, अख़्लाकी, सामाजिक एकता और एकजुटता पैदा करना है, वह इस सूरत से हासिल न होता।

इसके अलावा जब हर क़ौम और हर मुल्क का कुरआन व हदीस अलग भाषा में होते तो इसमें कुरआन के अलफ़ाज़ या मायनों में रद्दोबदल और कमी-बेशी के बेशुमार रास्ते खुल जाते और कुरआने करीम के कलाम का महफ़ूज़ होना जो इसकी ऐसी खुसूसियत है कि ग़ैर और कुरआन का इनकार करने वाले भी इसको मानने से गुरेज़ नहीं कर सकते, यह मोजिज़ाना खुसूसियत (चमत्कारी और बेमिसाल विशेषता) कायम न रहती, और एक ही दीन एक ही किताब के होते हुए इसके मानने वालों की इतनी अलग-अलग और भिन्न राहें हो जातीं कि कोई एकता का बिन्दू ही बाकी न रहता। इसका अन्दाज़ा इससे हो सकता है कि कुरआने करीम के एक अरबी भाषा में नाज़िल होने के बावजूद इसकी ताबीर व तफ़सीर (मतलब व मायने बयान करने) में किस क़द्र मतभेद और विविधतायें जायज़ हदों में पेश आईं और नाजायज़ व बातिल तरीक़ों से इख़िलाफ़ (मतभेद) की तो कोई हद नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमानों की क़ौमी एकता और अलग पहचान व विशेषता उन सब लोगों में मौजूद है जो कुरआन पर किसी दर्जे में भी अमल करने वाले हों।

खुलासा यह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत का दुनिया की पूरी क़ौमों के लिये आ़म होने की सूरत में उन सब की तालीम व हिदायत की यह सूरत कि कुरआन हर क़ौम की भाषा में अलग-अलग होता, इसको तो कोई मामूली समझ का आदमी भी दुरुस्त नहीं समझ सकता, इसलिये ज़रूरी हुआ कि कुरआन किसी एक ही भाषा में

आये और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भाषा भी वही कुरआन की भाषा हो। फिर दूसरी मुल्की और क्षेत्रीय भाषाओं में उसके तर्जुमे पहुँचाये और फैलाये जायें। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नायब उलेमा हर कौम हर मुल्क में आपकी दी हुई हिदायतों को अपनी-अपनी कौम व मुल्क की भाषा में समझायें और फैलायें। इसके लिये हक तअल्ला ने तमाम दुनिया की भाषाओं में से अरबी भाषा का चयन फरमाया जिसकी बहुत-सी वजुहात हैं।

अरबी भाषा की विशेषता और खूबी

अव्वल यह कि अरबी भाषा आसमान की दफ्तरी भाषा है, फरिश्तों की भाषा अरबी है, लौहे महफूज़ की भाषा अरबी है जैसा कि कुरआन की आयत:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ لِّى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

(यानी सूर: बरूज की आखिरी दो आयतों) से मालूम होता है। और जन्नत, जो इनसान का असली वतन है और जहाँ इसको लौटकर जाना है उसकी भाषा भी अरबी है। तबरानी, मुस्तदरक हाकिम, शुअबुल-ईमान और बैहकी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

أَجِبُوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ أَهْلِ الْحَيَّةِ عَرَبِيٌّ.

(इस रिवायत को हाकिम ने मुस्तदरक में सही कहा है। जामे सगीर में भी सही की निशानी बताई है। कुछ मुहद्दिसीन ने इसको कमज़ोर व मज़रूह कहा है) हाफिज़े हदीस इब्ने तैमिया रह. ने कहा है कि इस हदीस का मज़मून साबित है, हसन के दर्जे से कम नहीं।

(फैज़ुल-क़दीर शरह जामे सगीर पेज 179 जिल्द 1)

हदीस के मायने यह है कि “तुम लोग तीन वजह से अरब से मुहब्बत करो, एक यह कि मैं अरबी हूँ, दूसरे यह कि कुरआन अरबी है, तीसरे यह कि जन्नत वालों की भाषा अरबी है।”

तफसीरे कर्तुबी वगैरह में यह रिवायत भी नकल की गयी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भाषा जन्नत में अरबी थी, ज़मीन पर नाज़िल होने और तौबा कुबूल होने के बाद अरबी भाषा ही में कुछ बदलाव होकर सुरयानी भाषा पैदा हो गई।

इससे उन रिवायतों की भी पुष्टि होती और उनको मज़बूती मिलती है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह से मन्कूल हैं कि अल्लाह तअल्ला ने जितनी किताबें नबियों पर नाज़िल फरमाई हैं उनकी असली भाषा अरबी ही थी, जिब्रीले अमीन ने कौमी भाषा में तर्जुमा करके पैगम्बरों को बतलाया, और उन्होंने अपनी कौमी भाषा में उम्मतों को पहुँचाया। ये रिवायतें अल्लामा सुयूती रह. ने इतक़ान में और उक्त आयत के तहत में अक्सर मुफ़स्सरीन ने नकल की हैं। उसका खुलासा यह है कि सब आसमानी किताबों की असल भाषा अरबी है मगर कुरआने करीम के सिवा दूसरी किताबें मुल्की और कौमी भाषाओं में तर्जुमा करके दी गई हैं इसलिये उनके मायने तो सब अल्लाह तअल्ला की तरफ से हैं मगर अलफ़ाज़ बदले हुए हैं। यह सिर्फ़ कुरआन की खुसूसियत है कि इसके मायने की तरह अलफ़ाज़ भी हक़ तअल्ला ही की तरफ

से आये हैं, और शायद यही वजह है कि कुरआने करीम ने यह दावा किया कि इनसानों और जिन्नात का सारा जहान जमा होकर भी कुरआन की एक छोटी सूरत बल्कि एक आयत की मिसाल नहीं बना सकता। क्योंकि वह मानवी और लफ्ज़ी हैसियत से अल्लाह का कलाम और अल्लाह की एक सिफ़त है, जिसकी कोई नक़ल नहीं उतार सकता। मानवी हैसियत से तो दूसरी आसमानी किताबें भी अल्लाह का कलाम हैं, मगर उनमें शायद असल अरबी अलफ़ाज़ के बजाय तर्जुमा होने ही की वजह से यह दावा किसी दूसरी आसमानी किताब ने नहीं किया, वरना कुरआन की तरह अल्लाह का कलाम होने की हैसियत से हर किताब का बेमिसाल व बेनज़ीर होना यकीनी था।

अरबी भाषा के चयन की एक वजह खुद इस भाषा की ज़ाती सलाहियतें भी हैं कि एक मफ़हूम (मतलब व मायने) की अदायेगी के लिये इसमें बेशुमार अन्दाज़ और तरीक़े हैं।

और एक वजह यह भी है कि मुसलमान को अल्लाह तआला ने फ़ितरी तौर पर अरबी भाषा से एक ताल्लुक़ व मुनासबत अता फ़रमाई है, जिसकी वजह से हर शख़्स आसानी से अरबी भाषा ज़रूरत के मुताबिक़ सीख लेता है। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिस मुल्क में पहुँचे थोड़े ही अरसे में बग़ैर किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के पूरे मुल्क की भाषा अरबी हो गई। मिस्र, शाम, इराक़ सब में किसी की भाषा अरबी न थी जो आज अरब देश कहलाते हैं।

एक वजह यह भी है कि अरब लोग अगरचे इस्लाम से पहले सख़्त बुरे आमाल के शिकार थे मगर इस क़ौम की सलाहियतें, खूबियाँ और ज़ब्बात उन हालतों में भी बेनज़ीर थे, यही वजह थी कि हक़ तआला ने अपने सबसे बड़े और आख़िरी रसूल को उनमें पैदा फ़रमाया और उनकी भाषा को कुरआन के लिये इख़्तियार फ़रमाया, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सबसे पहले उन्हीं की हिदायत व तालीम का हुक्म दिया:

وَاللّٰهُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۝

और सबसे पहले इसी क़ौम के ऐसे अफ़सद अपने रसूल के आस-पास जमा फ़रमा दिये जिन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुरबान किया और आपकी तालीमात को जानों से ज़्यादा प्यारा समझा, और इस तरह उन पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत व तालीम का वह गहरा रंग चढ़ा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मिसाली समाज पैदा हो गया जिसकी नज़ीर उससे पहले आसमान व ज़मीन में नहीं देखी गई थी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस बेमिसाल जमाअत को कुरआनी तालीमात के फैलाने के लिये खड़ा कर दिया और फ़रमाया:

بَلِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ اَنۡةً ۙ

“यानी मुझसे सुनी हुई हर बात को उम्मत तक पहुँचा दो।” जान कुरबान करने वाले सहाबा ने इस हिदायत को पल्ले बाँधा और दुनिया के चप्पे-चप्पे में पहुँचकर कुरआन और इसकी

तालीमात को जहान में फैला दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात पर पच्चीस साल गुज़रने न पाये थे कि कुरआन की आवाज़ पूरब व पश्चिम में गूँजने लगी।

दूसरी तरफ़ हक़ तअ़ाला ने अपने हुक्म से तक्दीरी तौर पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत दावत जिसमें दुनिया के मुशिक और अहले किताब यहूदी व ईसाई सब दाख़िल हैं, उनमें एक ख़ास महारत व ख़ूबी और सीखने-सिखाने और किताबें लिखने व मुरत्तब करने, तब्लीग़ व प्रसार का ऐसा ज़ब्बा पैदा फ़रमा दिया कि उसकी नज़ीर दुनिया की पिछली तारीख़ में नहीं मिलती। इसके नतीजे में अज़मी (गैर-अरबी) कौमों में न सिर्फ़ कुरआन व सुन्नत के उलूम हासिल करने का मज़बूत ज़ब्बा पैदा हुआ बल्कि अरबी भाषा को हासिल करने और उसको रिवाज देने व फैलाने में अज़मियों का क़दम अरब वालों से पीछे नहीं रहा।

यह एक हैरत-अंगेज़ हकीकत है कि इस वक़्त अरबी लुगत, मुहावरों और उसके क़वाइद नह्व-सर्फ़ (ग्रामर) पर जितनी किताबें दुनिया में मौजूद हैं वो ज़्यादातर अज़मियों (गैर-अरबियों) की लिखी हुई हैं। कुरआन व हदीस के जमा करने, तरतीब देने, फिर तफ़सीर व व्याख्या में भी उनका हिस्सा अरब वालों से कम नहीं रहा।

इस तरह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भाषा और आपकी किताब अरबी होने के बावजूद पूरी दुनिया पर छा गयी और दावत व तब्लीग़ की हद तक अरब व अज़म का फ़र्क़ मिट गया। हर मुल्क व कौम और हर अज़मी भाषा के लोगों में ऐसे उलेमा पैदा हो गये जिन्होंने कुरआन व हदीस की तालीमात को अपनी कौमी भाषाओं में निहायत आसानी के साथ पहुँचा दिया और रसूल को कौम की भाषा में भेजने की जो हिकमत थी वह हासिल हो गई।

आयत के आख़िर में फ़रमाया कि हमने लोगों की आसानी के लिये अपने रसूलों को उनकी भाषा में इसलिये भेजा कि वे हमारे अहक़ाम उनको अच्छी तरह समझा दें, लेकिन हिदायत और गुमराही फिर भी किसी इनसान के बस में नहीं, अल्लाह तअ़ाला ही की कुदरत में है, वह जिसको चाहते हैं गुमराही में रखते हैं और जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, वही बड़ी कुव्वत व हिकमत वाले हैं।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ وَذَكَّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ مَرَّانَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيِّتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
 اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ
 أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
 لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تُكْفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

व ल-कद् अरसल्ला मूसा बिआयातिना
 अन् अख़िरज् कौम-क मिनज़्जुलुमाति
 इलन्नूरि व ज़िकरहुम्
 बिअय्यामिल्लाहि, इन्-न फी
 ज़ालि-क लआयातिल् लिकुल्लि
 सब्बारिन् शकूर (5) व इज़् का-ल
 मूसा लिक्वैमिहिज़्कुरू निअ्मतल्लाहि
 अलैकुम् इज़् अन्जाकुम् मिन् आलि
 फिरज़ौ-न यसूमूनकुम् सूअल्-
 अज़ाबि व युज़ब्बिहू-न अब्ना-अकुम्
 व यस्तह्यू-न निसा-अकुम्, व फी
 ज़ालिकुम् बलाउम्-मिररिब्बिकुम्
 अज़ीम (6) ●
 व इज़् तअज़्ज-न रब्बुकुम् ल-इन्
 श-करतुम् ल-अज़ीदन्नकुम् व ल-इन्
 क-फरतुम् इन्-न अज़ाबी ल-शदीद
 (7) व का-ल मूसा इन् तक्फुरू
 अन्तुम् व मन् फिल्अज़ि जमीअन्
 फ-इन्नल्ला-ह ल-गनिय्युन् हमीद (8)

और भेजा था हमने मूसा को अपनी
 निशानियाँ देकर कि निकाल अपनी कौम
 को अंधेरी से उजाले की तरफ और याद
 दिला उनको दिन अल्लाह के, अलबत्ता
 इसमें निशानियाँ हैं उसके लिये जो सब्र
 करने वाला है, शुक्रगुज़ार। (5) और जब
 कहा मूसा ने अपनी कौम को याद करो
 अल्लाह का एहसान अपने ऊपर जब झुड़ा
 दिया तुमको फिरज़ौन की कौम से, वे
 पहुँचाते थे तुमको बुरा अज़ाब, और
 ज़िबह करते तुम्हारे बेटों को और ज़िन्दा
 रखते तुम्हारी औरतों को, और इसमें मदद
 हुई तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। (6) ●
 और जब सुना दिया तुम्हारे रब ने अगर
 एहसान मानोगे तो और भी दूँगा तुमको
 और अगर नाशुकी करोगे तो मेरा अज़ाब
 यकीनन सख्त है। (7) और कहा मूसा ने
 अगर कुफ़्र करोगे तुम और जो लोग
 ज़मीन में हैं सारे, तो अल्लाह बेपरवाह है
 सब ख़ूबियों वाला। (8)

खुलासा-ए-तफ्सीर

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियाँ देकर भेजा कि अपनी कौम को
 (कुफ़्र व नाफ़रमानी की) अंधेरियों से (निकाल कर ईमान व फ़रमाँबरदारी की) रोशनी की तरफ़
 लाओ, और उनको अल्लाह तआला की (नेमत और सज़ा के) मामलात याद दिलाओ, बेशक उन
 मामलात में इबतें हैं हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिये (क्योंकि नेमत को याद
 करके शुक्र करेगा और अज़ाब व नाराज़गी को फिर उसके ज़वाल को याद करके आईन्दा हादसों

में सन्न करेगा)। और उस वक़्त को याद कीजिये कि जब (हमारे इस ऊपर वाले इरशाद के मुवाफ़िक़) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम अल्लाह तआला का इनाम अपने ऊपर याद करो, जबकि तुमको फिरज़ौन वालों से निजात दी, जो तुमको सख़्त तकलीफ़ें पहुँचाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते थे और तुम्हारी औरतों को (यानी लड़कियों को जो कि बड़ी होकर औरतें हो जाती थीं) ज़िन्दा छोड़ देते थे (ताकि उनसे काम और ख़िदमत लें, सो यह भी ज़िबह करने ही की तरह एक सज़ा थी), और इस (मुसीबत और निजात दोनों) में तुम्हारे रब की तरफ़ से एक बड़ा इम्तिहान है (यानी मुसीबत में बला थी और निजात में नेमत थी, और बला और नेमत दोनों बन्दे के लिये इम्तिहान हैं, पस इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने 'अल्लाह के दिनों' यानी नेमत व अज़ाब दोनों की याददेहानी फ़रमा दी)।

और मूसा (अलैहिस्सलाम ने यह भी फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम!) वह वक़्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने (मेरे ज़रिये से) तुमको इत्तिला फ़रमा दी कि अगर (मेरी नेमतों को सुनकर) तुम शुक्र करोगे तो तुमको (चाहे दुनिया में भी या आख़िरत में तो ज़रूर) ज़्यादा नेमत दूँगा और अगर तुम (इन नेमतों को सुनकर) नाशुक्री करोगे तो (यह अच्छी तरह समझ लो कि) मेरा अज़ाब बड़ा सख़्त है (नाशुक्री में उसका अन्देशा है)। और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (यह भी) फ़रमाया कि अगर तुम और दुनिया भर के आदमी सब-के-सब मिलकर भी नाशुक्री करने लगे तो अल्लाह तआला (का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि वह) बिल्कुल बेज़रूरत (और अपनी ज़ात में) तारीफ़ वाले हैं (दूसरों के ज़रिये कामिल होने का वहाँ शुब्हा व गुमान ही नहीं, इसलिये अल्लाह तआला का नुक़सान होने के बारे में सोचने वाली चीज़ ही नहीं, और तुम अपना नुक़सान सुन चुके हो कि 'बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख़्त है' इसलिये शुक्र करना, नाशुक्री मत करना)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पहली आयात में यह ज़िक्र हुआ है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतें देकर भेजा कि वह अपनी क़ौम को कुफ़्र व नाफ़रमानी की अंधेरियों से ईमान व फ़रमाँबरदारी की रोशनी में ले आयें।

लफ़ज़ आयात से तौरात की आयतें भी मुराद हो सकती हैं कि उनके नाज़िल करने का मक़सद ही हक़ की रोशनी फैलाना था, और आयात के दूसरे मायने मोज़िज़ों के भी आते हैं, वो भी इस जगह मुराद हो सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने नौ मोज़िज़े ख़ास तौर से अता फ़रमाये थे जिनमें लाठी का साँप बन जाना और हाथ का रोशन हो जाना कई जगह क़ुरआन में बयान हुआ है। आयात को मोज़िज़ों के मायने में लिया जाये तो मतलब यह होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे खुले हुए मोज़िज़े देकर भेजा गया जिनको देखने के बाद कोई शरीफ़ समझदार इनसान अपने इनकार और नाफ़रमानी पर क़ायम नहीं रह सकता।

एक नुक्ता

इस आयत में लफ़्ज़ कौम आया है कि अपनी कौम को अंधेरी से रोशनी में लायें, लेकिन यही मज़मून इसी सूरत की पहली आयत में जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब करके बयान किया गया तो वहाँ कौम के बजाय लफ़्ज़ नास इस्तेमाल किया गया:

لُتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

इसमें इशारा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत व रिसालत सिर्फ़ अपनी कौम बनी इस्राईल और मिस्री कौमों की तरफ़ थी और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और भेजा जाना तमाम जहान के इनसानों के लिये है।

फिर इरशाद फ़रमाया:

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ

यानी हक़ तअ़ाला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक़म दिया कि अपनी कौम को अय्यामुल्लाह याद दिलाओ।

अय्यामुल्लाह

अय्याम 'यौम' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने दिन के मशहूर हैं। लफ़्ज़ अय्यामुल्लाहि दो मायने के लिये बोला जाता है और वे दोनों यहाँ मुराद हो सकते हैं- अब्वल वो ख़ास दिन जिनमें कोई जंग या इन्क़िलाब आया है, जैसे ग़ज़वा-ए-बदर व उहुद और अहज़ाब व हुनैन वगैरह के वाकिआत, या पिछली उम्मतों पर अज़ाब नाज़िल होने के वाकिआत हैं जिनमें बड़ी-बड़ी कौमों अस्त-व्यस्त या नेस्त व नाबूद हो गईं। इस सूरत में अय्यामुल्लाह याद दिलाने से उन कौमों को कुफ़्र के बुरे अन्जाम से डराना और सचेत करना मक़सूद होगा।

दूसरे मायने अय्यामुल्लाह के अल्लाह तअ़ाला की नेमतों और एहसानात के भी आते हैं, तो उनको याद दिलाने का मक़सद यह होगा कि शरीफ़ इनसान को जब किसी मोहसिन का एहसान याद दिलाया जाये तो वह उसकी मुख़ालफ़त और नाफ़रमानी से शर्मा जाता है।

क़ुरआन मजीद का अन्दाज़ और इस्लाह का तरीक़ा उमूमन यह है कि जब कोई हुक़म दिया जाता है तो साथ ही उस हुक़म पर अमल आसान करने की तदबीरें भी बतलाई जाती हैं, यहाँ पहले जुमले में मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक़म दिया गया है कि अल्लाह की आयतें सुनाकर या मोज़िजे दिखाकर अपनी कौम को कुफ़्र की अंधेरी से निकालो, और ईमान की रोशनी में लाओ। इसकी तदबीर इस जुमले में यह इरशाद फ़रमाई कि नाफ़रमानों को सही रास्ते पर लाने की दो तदबीरें हैं- एक सज़ा से डराना, दूसरे नेमतों और एहसानात को याद दिलाकर फ़रमाँबरादारी की तरफ़ बुलाना। 'ज़किरहुम बिअय्यामिल्लाहि' में ये दोनों चीज़ें मुराद हो सकती हैं कि पिछली उम्मतों के नाफ़रमानों का बुरा अन्जाम, उन पर आने वाले अज़ाब और जिहाद में उनका मक़तूल या ज़लील व रुस्वा होना उनको याद दिलायें ताकि वे इब्रत हासिल करके उससे

बच जायें। इसी तरह उस कौम पर जो अल्लाह तआला की आम नेमतें दिन रात बरसती हैं और जो खास नेमतें हर मौक़े पर उनके लिये नाज़िल हुई हैं, जैसे तीह की घाटी में उनके सरो पर बादल का साया, खुराक के लिये मन्न व सलवा का उतरना, पानी की ज़रूरत हुई तो पत्थर से चश्मों का बह निकलना वगैरह, उनको याद दिलाकर खुदा तआला की फ़रमाँबरदारी और तौहीद की तरफ़ बुलाया जाये।

إِنْفِي ذَلِكَ لَأَيِّبٌ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

इसमें आयात से मुराद निशानियाँ और दलीलें हैं, और सब्बार सब्र से मुबालग़े का कलिमा है जिसके मायने हैं बहुत सब्र करने वाला और शकूर शुक्र से मुबालग़े का सीगा है, जिसके मायने हैं बहुत शुक्रगुज़ार। जुमले के मायने यह हैं कि अय्यामुल्लाह यानी पिछले वाकिआत चाहे वो जो इनकार करने वालों की सज़ा और अज़ाब से संबन्धित हों या अल्लाह तआला के इनामात व एहसानात से संबन्धित बहरहाल अतीत के वाकिआत में अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत और आला हिक्मत की बड़ी निशानियाँ और दलीलें मौजूद हैं उस शख्स के लिये जो बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला हो।

मतलब यह है कि ये खुली हुई निशानियाँ और दलीलें अगरचे हर ग़ौर करने वाले की हिदायतों के लिये हैं मगर बदनसीब काफ़िर लोग इनमें ग़ौर व फ़िक्र ही नहीं करते, इनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाते, फ़ायदा सिर्फ़ वे लोग उठाते हैं जो सब्र व शुक्र करने वाले हैं। मुराद इससे मोमिन हैं क्योंकि इमाम बैहकी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया कि ईमान के दो हिस्से हैं- आधा सब्र और आधा शुक्र। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सब्र आधा ईमान है और सही मुस्लिम और मुसन्द अहमद में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया कि मोमिन का हर हाल ख़ैर ही ख़ैर और भला ही भला है, और यह बात सियाय मोमिन के और किसी को नसीब नहीं। क्योंकि मोमिन को अगर कोई राहत, नेमत या इज़्ज़त मिलती है तो वह उस पर अल्लाह तआला का शुक्रगुज़ार होता है जो उसके लिये दीन व दुनिया में ख़ैर और भलाई का सामान हो जाता है (दुनिया में तो अल्लाह के वायदे के अनुसार नेमत और ज़्यादा बढ़ जाती और कायम रहती है, और आख़िरत में उसके शुक्र का बड़ा बदला उसको मिलता है) और अगर मोमिन को कोई तकलीफ़ या मुसीबत पेश आ जाये तो वह उस पर सब्र करता है, उसके सब्र की वजह से वह मुसीबत भी उसके लिये नेमत व राहत का सामान हो जाती है (दुनिया में इस तरह कि सब्र करने वालों को अल्लाह तआला का साथ नसीब होता है, क़ुरआन का इरशाद है 'इन्ल्ला-ह मअस्साबिरीन' और अल्लाह जिसके साथ हो अन्जामकार उसकी मुसीबत राहत से बदल जाती है और आख़िरत में इस तरह कि सब्र का बड़ा अन्न और बदला अल्लाह तआला के नज़दीक बेहिसाब है जैसा कि क़ुरआने

करीम का इरशाद है:

إِنَّمَا يُوفَى الضُّرُوفَ أَخْرَجَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

खुलासा यह है कि मोमिन का कोई हाल बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा है, वह गिरने में भी उभरता है और बिगड़ने में भी बनता है।

न शोखी चल सकी बादे सबा की
बिगड़ने में भी जुल्फ उसकी बना की

ईमान वह दौलत है जो मुसीबत व तकलीफ को भी राहत व नेमत में तब्दील कर देती है। हज़रत अबूदरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपके बाद एक ऐसी उम्मत पैदा करने वाला हूँ कि अगर उनकी दिली मुराद पूरी हो और काम उनकी मंशा के मुताबिक हो जाये तो वे शुक्र अदा करेंगे, और अगर उनकी इच्छा और मर्जी के खिलाफ नागवार और नापसन्दीदा सूरतेहाल पेश आ जाये तो वे उसको सवाब का ज़रिया समझकर सन्न करेंगे और यह अक्लमन्दी और बुर्दबारी उनकी अपनी जाती अक्ल व बरदाश्त का नतीजा नहीं बल्कि हम उनको अपने इल्म व बरदाश्त का एक हिस्सा अता फरमायेंगे। (तफसीरे मज़हरी)

शुक्र की हकीकत का खुलासा यह है कि अल्लाह तआला की दी हुई नेमतों को उसकी नाफरमानी और हराम व नाजायज़ कामों में खर्च न करे, और ज़ुबान से भी अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे और अपने कामों व आमाल को भी उसकी मर्जी के मुताबिक बनाये।

और सन्न का खुलासा यह है कि खिलाफे तबीयत कामों पर परेशान न हो, अपने कौल व फेल में नाशुक्री से बचे और अल्लाह तआला की रहमत का दुनिया में भी उम्मीदवार रहे और आखिरत में सन्न के बड़े अन्न का यकीन रखे।

दूसरी आयत में पहले गुज़रे मज़मून की और अधिक तफसील है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह अपनी कौम बनी इस्राईल को अल्लाह तआला की यह ख़ास नेमत याद दिलायें कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फ़िरज़ौन ने उनको नाजायज़ तौर पर गुलाम बनाया हुआ था, और फिर उन गुलामों के साथ भी इनसानियत का सुलूक न था, उनके लड़कों को पैदा होते ही क़त्ल कर दिया जाता था, और सिर्फ लड़कियों को अपनी ख़िदमत के लिये पाला जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी बनने के बाद उनकी बरकत से अल्लाह तआला ने उनको इस फ़िरज़ौनी अज़ाब से निजात दे दी।

शुक्र और नाशुक्री के नतीजे

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

लफज़ तअजज़-न इत्तिला देने और ऐतान करने के मायने में है। मतलब आयत का यह है

कि यह बात याद रखने की है कि अल्लाह तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया कि उनको मेरी नाफरमानियों और नाजायज़ कार्यों में खर्च न किया और अपने आमाल व कार्यों को मेरी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश की तो मैं उन नेमतों को और ज्यादा कर दूँगा। यह ज्यादाती नेमतों की मात्रा में भी हो सकती है और उनके बाकी और हमेशा के लिये रहने में भी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को शुक्र अदा करने की तौफीक हो गई वह कभी नेमतों में बरकत और ज्यादाती से मेहरूम न होगा। (इब्ने मरदूया, इब्ने अब्बास की रिवायत से, मज़हरी)

और फरमाया कि अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुकी की तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। नाशुकी का हासिल यही है कि अल्लाह तआला की नेमतों को उसकी नाफरमानी और नाजायज़ कार्यों में खर्च करे, या उसके फ़राईज़ व वाजिबात की अदायेगी में सुस्ती करे, और नेमत की नाशुकी का सख्त अज़ाब दुनिया में भी यह हो सकता है कि वह नेमत छीन ली जाये, या ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाये कि नेमत का फ़ायदा न उठा सके, और आख़िरत में भी अज़ाब में गिरफ़्तार हो।

यहाँ यह बात याद रखने के काबिल है कि इस आयत में हक़ तआला ने शुक्रगुजारों के लिये तो अज़्र व सवाब और नेमत की ज्यादाती का वादा और वह भी ताकीद के लफ़्ज़ के साथ वादा फरमाया है 'ल-अज़ीदन्नकुम' (यानी मैं ज़रूर और भी दूँगा) लेकिन इसके मुकाबिल नाशुकी करने वालों के लिये यह नहीं फरमाया कि 'ल-उअज़िबन्नकुम' यानी मैं तुम्हें ज़रूर अज़ाब दूँगा, बल्कि सिर्फ़ इतना फरमाकर डराया है कि मेरा अज़ाब भी जिसको पहुँचे वह बड़ा सख्त होता है। इस ख़ास अन्दाज़ में इशारा है कि हर नाशुके का अज़ाब में गिरफ़्तार होना कुछ ज़रूरी नहीं, माफ़ी की भी संभावना है।

قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تُكْفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَىٰ جَمِيعَهُمْ ۗ

यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम से फरमाया कि अगर तुम सब और जितने आदमी ज़मीन पर आबाद हैं वे सब के सब अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुकी करने लगे तो याद रखो कि इसमें अल्लाह तआला का कोई नुक़सान नहीं, वह तो सब की तारीफ़ व सना और शुक्र की व नाशुकी से बेनियाज़ (बेपरवाह) और ऊपर है, और वह अपनी ज़ात में हमीद यानी तारीफ़ का हक़दार है, और उसकी तारीफ़ तुम न करो तो अल्लाह के सारे फ़रिश्ते और कायनात का ज़र्ज़र्रा कर रहा है।

शुक्र का फ़ायदा जो कुछ है वह तुम्हारे ही लिये है, इसलिये शुक्रगुजारी की ताकीद अल्लाह तआला की तरफ़ से कुछ अपने फ़ायदे के लिये नहीं, बल्कि रहमत के सबब से तुम्हें ही फ़ायदा पहुँचाने के लिये है।

اللَّهُ يَا كُفْرًا نَبُؤًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدِمْنَا نَوْمًا وَعَادٍ وَشُؤدُهُ
 وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي
 أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝
 قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ يَا كُفْرًا نَبُؤًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدِمْنَا نَوْمًا وَعَادٍ وَشُؤدُهُ
 أَجَلٍ مُسْتَعْتَبٍ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ
 قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ يَا كُفْرًا نَبُؤًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدِمْنَا نَوْمًا
 وَعَادٍ وَشُؤدُهُ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ يَا كُفْرًا نَبُؤًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 قَدِمْنَا نَوْمًا وَعَادٍ وَشُؤدُهُ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ يَا كُفْرًا نَبُؤًا
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدِمْنَا نَوْمًا وَعَادٍ وَشُؤدُهُ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ
 يَا كُفْرًا نَبُؤًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدِمْنَا نَوْمًا وَعَادٍ وَشُؤدُهُ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي
 لَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ يَا كُفْرًا نَبُؤًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدِمْنَا نَوْمًا وَعَادٍ وَشُؤدُهُ ۝

अलम् यअत्तिकुम् न-बउल्लज्जी-न
 मिन् कब्लिकुम् कौमि नूहिं-व-व
 आदिं-व-व समू-द, वल्लज्जी-न
 मिम्-बअदिहिम्, ला यअलमुहुम्
 इल्लल्लाहु, जाअत्हुम् रुसुलुहुम्
 बिल्बयिनाति फ-रददू ऐदि-यहुम्
 फी अफ्रवाहिहिम् व कालू इन्ना
 क-फरना बिमा उर्सिल्लुम् बिही व
 इन्ना लफी शक्किम् मिम्मा तदअूनना
 इलैहि मुरीब (9) ▲ कालत् रुसुलुहुम्
 अफिल्लाहि शक्कुन् फातिरिस्सामावाति
 वल्अर्जि, यदअुकुम् लियगुफि-र

क्या नहीं पहुँची तुमको खबर उन लोगों
 की जो पहले थे तुमसे कौम नूह की और
 आद और समूद और जो उनके बाद हुए,
 किसी को उनकी खबर नहीं मगर अल्लाह
 को, आये उनके पास उनके रसूल
 निशानियाँ लेकर फिर लौटाये उन्होंने
 अपने हाथ अपने मुँह में और बोले हम
 नहीं मानते जो तुमको देकर भेजा गया,
 और हमको तो शुब्हा है उस राह में जिस
 की तरफ तुम हमको बुलाते हो शक व
 दुविधा में डालने वाला। (9) ▲ बोले
 उनके रसूल क्या अल्लाह में शुब्हा है
 जिसने बनाये आसमान और ज़मीन, वह
 तुमको बुलाता है ताकि बख़्शो तुमको कुछ

लकुम् मिन् जुनूबिकुम् व यु-अख़िख़-रकुम् इला अ-जलिम्-मुसम्मन्, कालू इन् अन्तुम् इल्ला ब-शरुम्-मिस्तुना, तुरीदू-न अन् तसुददूना अम्मा का-न यअब्दु आबाउना फ़अतूना बिसुल्लानिम्-मुबीन (10) कालत् लहुम् रुसुलुहुम् इन् नह्नु इल्ला ब-शरुम्-मिस्तुकुम् व लाकिन्नल्ला-ह यमुन्नु अला मय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही, व मा का-न लना अन् नअतियकुम् बिसुल्लानिन् इल्ला बिइज़िन्नल्लाहि, व अलल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल्- मुअ्मिनून (11) व मा लना अल्ला न-तवक्क-ल अलल्लाहि व कद् हदाना सुबु-लना, व लनस्बिरन्-न अला मा आजैतुमूना, व अलल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल् मु-तवक्किलून (12) ● व कालल्लज्जी-न क-फ़ रु लिरुसुलिहिम् लनुख़्रिजन्नकुम् मिन् अरज़िना औ ल-तअदुदून्-न फ़ी मिल्लतिना, फ़-औहा इलैहिम् रब्बुहुम् लनुद्लिकन्नज़्-ज़ालिमीन (13) व लनुस्किनन्न-कुमुल्-अर-ज़

गुनाह तुम्हारे और ढील दे तुमको एक वायदे तक जो ठहर चुका है, कहने लगे तुम तो यही आदमी हो हम जैसे, तुम चाहते हो कि रोक दो हमको उन चीज़ों से जिनको पूजते रहे हमारे बाप-दादा, सो लाओ कोई सनद खुली हुई। (10) उनको कहा उनके रसूलों ने कि हम तो यही आदमी हैं जैसे तुम लेकिन अल्लाह एहसान करता है अपने बन्दों में जिस पर चाहे, और हमारा काम नहीं कि ले आये तुम्हारे पास सनद मगर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। (11) और हमको क्या हुआ कि भरोसा न करें अल्लाह पर और वह सुझा चुका हमको हमारी राहें, और हम सब करेंगे तकलीफ़ पर जो तुम हमको देते हो और अल्लाह पर भरोसा चाहिए भरोसा करने वालों को। (12) ● और कहा काफ़िरों ने अपने रसूलों को कि हम निकाल देंगे तुमको अपनी ज़मीन से या लौट आओ हमारे दीन में, तब हुक्म भेजा उनको उनके रब ने- हम गारत करेंगे उन ज़ालिमों को। (13) और आबाद करेंगे तुमको उस ज़मीन में उनके

मिम-बज़्दिहिम्, जालि-क लिमन्
 छा-फ़ मक़ामी व छा-फ़ वज़ीद
 (14) वस्तफ़तहू व छा-ब कुल्लु
 जब्बारिन् अनीद (15)

बाद, यह भिलता है उसको जो डरता है
 खड़े होने से मेरे सामने, और डरता है
 मेरे अज़ाब के वायदे से। (14) और
 फ़ैसला लगे माँगने पैग़म्बर और नामुराद
 हुआ हर एक सरकश जिद्दी। (15)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

(ऐ मक्का के काफ़िरो!) क्या तुमको उन लोगों (के वाकिआत की) ख़बर (अगरचे सक्षिप्त ही में सही) नहीं पहुँची जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, यानी नूह की कौम, और (हूद की कौम) आद, और (सालेह की कौम) समूद, और जो लोग उनके बाद हुए हैं जिन (की तफसीली हालत) को सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता (क्योंकि उनके हालात और तफसीलात लिखे नहीं गये और न मन्कूल हुए, और वो वाकिआत ये हैं कि) उनके पैग़म्बर उनके पास दलीलें लेकर आये, सो उन कौमों (में जो काफ़िर लोग थे उन्हों) ने अपने हाथ उन पैग़म्बरों के मुँह में दे दिये (यानी मानते तो क्या यह कोशिश करते थे कि उनको बात तक न करने दें), और कहने लगे कि जो हुक्म तुमको (तुम्हारे गुमान के मुताबिक) देकर भेजा गया है (यानी तौहीद व ईमान) हम उसके इनकारी हैं, और जिस चीज़ की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो (यानी वही तौहीद व ईमान) हम उसकी तरफ़ से बहुत बड़े शुब्हे में हैं जो (हमको) शक व दुविधा में डाले हुए है (मक़सद इससे तौहीद व रिसालत दोनों का इनकार है। तौहीद का तो ज़ाहिर है और रिसालत का 'जिसकी तरफ़ तुम हमें बुलाते हो.....' में। जिसका हासिल यह है कि तुम खुद अपनी राय से तौहीद यानी एक खुदा को मानने की दावत दे रहे हो, अल्लाह की तरफ़ से भेजे हुए और उसके पाबन्द नहीं हो)।

उनके पैग़म्बरों ने (इस बात के जवाब में) कहा, क्या तुमको अल्लाह तआला के बारे में (यानी उसकी तौहीद में) शक (व इनकार) है जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है (यानी उसका इन चीज़ों को पैदा करना खुद दलील उसकी हस्ती और अकेला माबूद होने की है फिर इस दलील के होते हुए शक करना बड़े ताज़्जुब की बात है। और तुम जो तौहीद की दावत को मुस्तक़िल तौर पर हमारी तरफ़ मन्सूब करते हो यह भी बिल्कुल ग़लत है, अगरचे तौहीद हक़ होने की वजह से इस काबिल है कि अगर कोई अपनी राय से भी उसकी दावत दे तो भी मुनासिब है, लेकिन इस विवादित मौक़े में तो हमारी दावत अल्लाह तआला के हुक्म से है पस) वह (ही) तुमको (तौहीद की तरफ़) बुला रहा है ताकि (उसके कुबूल करने की बरकत से) तुम्हारे (पिछले) गुनाह माफ़ कर दे, और (तुम्हारी उम्र की) मुक़ररा मुदत तक तुमको (ख़ैर व

खूबी के साथ) जिन्दगी दे (मतलब यह है कि तौहीद अलावा इसके कि अपने आप में हक है तुम्हारे लिये दोनों जहान में फायदेमन्द भी है। और इस जवाब में दोनों मामलों के मुताल्लिक जवाब हो गया है, तौहीद के मुताल्लिक भी 'क्या अल्लाह के बारे में शुब्हा है.....' और रिसालत के बारे में भी 'वह तुमको बुलाता है ताकि तुमको बख़्शो.....' में जैसा कि तर्जुमे की इबारात से जाहिर है)। फिर उन्होंने (फिर दोनों मामलों के बारे में गुफ्तगू शुरू की और) कहा कि तुम (पैगम्बर नहीं हो बल्कि) सिर्फ एक आदमी हो जैसे हम हैं (और इनसान होना रसूल बनने के विरुद्ध है, तुम जो कहते हो वह अल्लाह की तरफ से नहीं है बल्कि) तुम (अपनी राय ही से) यूँ चाहते हो कि हमारे बाप और दादा जिस चीज़ की इबादत करते थे (यानी बुत) उससे हमको रोक दो, सो (अगर रसूल होने के दावेदार हो तो इन दलीलों व निशानियों के अलावा और) कोई साफ़ मोजिजा दिखलाओ (जो इन सबसे ज़्यादा स्पष्ट हो। इसमें नुबुव्वत पर तो कलाम "यानी शुब्हा व एतिराज़" जाहिर है और 'यअ़बुदु आबाउना' में तौहीद पर कलाम की तरफ़ इशारा है जिसका हासिल यह है कि शिर्क के हक़ होने की दलील यह है कि हमारे बुज़ुर्ग़ इसको करते थे)। उनके रसूलों ने (इसके जवाब में) कहा कि (तुम्हारी तक़ीर के कई भाग हैं, तौहीद का इनकार इस दलील से कि हमारे बाप-दादा इसको करते थे, नुबुव्वत का इनकार इस तरह कि उस पर मौजूदा और पहले से मौजूद खुली निशानियों व मोजिज़ों के अलावा किसी और ज़्यादा स्पष्ट मोजिजे व निशानी का मुतालबा करके, सो पहले मामले के मुताल्लिक 'फ़ातिरिस्समावाति वल्-अज़ि' में जवाब हो गया, क्योंकि अक्ती दलील के सामने रस्म व रिवाज और उर्फ़ कोई चीज़ नहीं। दूसरे मामले के मुताल्लिक यह कि हम अपने बशर और इनसान होने को मानते हैं कि वाकई हम भी तुम्हारे जैसे आदमी ही हैं, लेकिन (बशर होने और नुबुव्वत में कोई ज़िद और टकराव नहीं, क्योंकि नुबुव्वत अल्लाह तआला का एक आला दर्जे का एहसान है और) अल्लाह (को इख़्तियार है कि) अपने बन्दों में से जिस पर चाहे (वह) एहसान फ़रमा दे (और एहसान के ग़ैर-बशर के साथ ख़ास होने की कोई दलील नहीं), और (तीसरे मामले के मुताल्लिक यह है कि दावे के लिये जिसमें नुबुव्वत का दावा भी दाख़िल है सिर्फ़ दलील और बिना किसी शर्त के कोई भी निशानी जो नुबुव्वत के दावे की सूत में मोजिजा होगा लाज़िमी है, जो कि पेश की जा चुकी है, रहा कोई ख़ास और विशेष दलील व मोजिजा पेश करना जिसको साफ़ दलील से ताबीर कर रहे हो, सो अब्वल तो मुनाज़रे के उसूल के एतिबार से यह ज़रूरी नहीं, दूसरे) यह बात हमारे कब्ज़े की नहीं कि हम तुमको बिना खुदा के हुक्म के कोई मोजिजा दिखला सकें (पस तुम्हारे सारे के सारे शुब्हात का जवाब हो गया। फिर अगर इस पर भी तुम न मानो और मुख़ालफ़त किये जाओ तो ख़ैर हम तुम्हारी मुख़ालफ़त से नहीं डरते बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हैं), और अल्लाह ही पर सब ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए (चूँकि हम भी ईमान वाले हैं और ईमान का तकाज़ा है भरोसा करना इसलिये हम भी इसको इख़्तियार करते हैं)।

और हमको अल्लाह पर भरोसा न करने का कौनसी चीज सबब हो सकती है, हालाँकि उसने (हमारे हाल पर बड़ा फ़ज़ल किया कि) हमको हमारे (दोनों जहान के फ़ायदों के) रास्ते बतला दिये (जिसका इतना बड़ा फ़ज़ल हो उस पर तो ज़रूर भरोसा करना चाहिये), और (बाहरी नुकसान से तो यूँ बेफ़िक्र हो गये, रहा अन्दरूनी नुकसान कि तुम्हारी मुखा़लफ़त का रंज व ग़म होता हो) तुमने (इनकार व मुखा़लफ़त करके) जो कुछ हमको तकलीफ़ पहुँचाई है हम उस पर सब्र करेंगे (पस इससे भी हमको नुकसान न रहा, और हासिल इस सब्र का भी वही अल्लाह पर भरोसा है) और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर (हमेशा) भरोसा रखना चाहिए।

और (इस मुकम्मल तौर पर हुज़्जत पूरी करने के बाद भी काफ़िर नर्म न हुए बल्कि) काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुमको अपनी सरज़मीन से निकाल देंगे, या यह हो कि तुम हमारे मज़हब में फिर लौट आओ (फिर आना इसलिये कहा कि नबी बनाये जाने से पहले उनकी हालत पर ख़ामोश रहने से वे भी यही समझते थे कि इनका एतिकाद भी हम ही जैसा होगा)। पस उन रसूलों पर उनके रब ने (तसल्ली के लिये) वही नाज़िल फ़रमाई कि (ये बेचारे तुमको क्या निकालेंगे) हम (ही) इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। और इनके (हलाक करने के) बाद तुमको इस सरज़मीन में आबाद रखेंगे। (और) यह (आबाद रखने का वायदा कुछ तुम्हारे साथ ख़ास नहीं बल्कि) हर उस शख्स के लिये (आम) है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे और मेरी वईद "यानी सज़ा के वायदे और धमकी" से डरे (मुराद यह कि जो मुसलमान हो, जिसकी निशानी कियामत और सज़ा की धमकी का ख़ौफ़ है, सब के लिये अज़ाब से निजात देने का यह वायदा आम है)।

और (पैग़म्बरों ने जो यह मज़मून काफ़िरों को सुनाया कि तुमने दलीलों के फ़ैसले को न माना, अब अज़ाब से फ़ैसला होने वाला है, यानी अज़ाब आने वाला है तो) काफ़िर लोग (चूँकि अपनी हद दर्जा जहालत और दुश्मनी में डूबे हुए थे, इससे भी न डरे बल्कि बिल्कुल निडर होकर वह) फ़ैसला चाहने लगे (जैसा कि उनके इस कौल से मालूम होता है कि ले आओ जिसका तुम हमसे वायदा करते हो.....) और (जब वह फ़ैसला आया तो) जितने नाफ़रमान (और) जिद्दी लोग थे वे सब (उस फ़ैसले में) नाकाम हुए (यानी हलाक हो गये और जो उनकी मुराद थी कि अपने को हक़ वाला समझकर फ़तह व कामयाबी चाहते थे वह हासिल न हुई)।

مَنْ وَرَّأَيْهِ جَهَنَّمُ وَيُسَفِّئُ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ
المَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝

मिंक्वराइही जहन्नमु व युस्का

पीछे उसके दोजख़ है, और पिलायेंगे

मिम्-माइन् सदीद (16) य-तजर्अुहू

उसको पानी पीप का। (16) घूँट घूँट

व ला यकादु युसीगुहू व यजूतीहिल्ल-
मौतु मिन् कुल्लि मकानिन्-व मा
हु-व बि-मय्यतिन्, व मिंच्चराइही
अज़ाबुन ग़लीज़ (17)

पीता है उसको और गले से नहीं उतार
सकता, और चली आती है उस पर मौत
हर तरफ़ से और वह नहीं मरता, और
उसके पीछे अज़ाब है सख्त। (17)

खुलासा-ए-तफ्सीर

(जिस सरकश व जिद्दी का ऊपर आयत नम्बर 15 में जिक्र हुआ है दुनियावी अज़ाब के अज़ावा) उसके आगे दोज़ख़ (का अज़ाब आने वाला) है और उसको (दोज़ख़ में) ऐसा पानी पीने को दिया जायेगा जो कि पीप-लहू (के जैसा) होगा। जिसको (हृद से ज़्यादा प्यास की वजह से) घूँट-घूँट करके पियेगा और (उसके हृद से ज़्यादा गर्म व नापसन्दीदा होने की वजह से) गले से आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत न होगी, और हर (चारों) तरफ़ से उस पर मौत (के सामान) की आमद होगी और वह किसी तरह से मरेगा नहीं (बल्कि यूँ ही सिसकता रहेगा), और (फिर यह भी नहीं कि यही उक्त अज़ाब एक हालत पर रहे बल्कि) उस (शख्स) को और (ज़्यादा) सख्त अज़ाब का सामना (बराबर) हुआ करेगा (जिससे आदत पड़ने का शुब्हा व गुमान ही नहीं हो सकता, जैसा कि अल्लाह तज़ाला का कौल है (आयत नम्बर 56 सूर: निसा):

كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا.

कि 'जिस वक़्त जल जायेगी खाल उनकी तो हम बदल देंगे उनको और (दूसरी) खाल।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
يَوْمِ عَاصِفٍ، لَا يَفْقِدُونَ مِنْهَا كَسْبًا عَلَى شَيْءٍ، ذَلِكَ هُوَ الصُّلْبُ الْبَعِيدُ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
بِعَزِيزٍ ۗ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ
عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ سَبَرْنَا، مَا
لَنَا مِنْ مَّجْبُوعٍ ۗ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، وَوَعَدْتُكُمْ
فَأَخَفْتُكُمْ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، فَلَا تَلْوُصُونِي، وَلِوُصُوءِ
أَنْفُسِكُمْ، مَا أَنَا بِبَصِيرَةٍ، وَمَا أَنْتُمْ بِعَصْرِي، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ، إِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

म-सलुल्लजी-न क-फरू बिरब्बिहिम्
 अज़्मालुहुम् क-रमादि-निशतद्दत्
 बिहिर्हीहु फी यौमिन् आसिफिन्, ला
 यकिदरू-न मिम्मा क-सबू अला
 शैइन्, ज़ालि-क हुवज़्जलालुल्-बज़ीद
 (18) अलम् त-र अन्नल्ला-ह
 ह्ज़ा-लकस्-समावाति वल्-अर्-ज
 बिल्-हक्कि, इय्यशअ् युज़्हिब्कुम् व
 यअ्ति बिख़ाल्किन् जदीद (19) व
 मा ज़ालि-क अलल्लाहि बि-अज़ीज
 (20) व ब-रजू लिल्लाहि जमीअन्
 फ़क़ालज़्जु-अफ़ा-उ लिल्लजीनस्-
 तक्बरू इन्ना कुन्ना लकुम् त-बअन्
 फ-हल् अन्तुम् मुग्नू-न अन्ना मिन्
 अज़ाबिल्लाहि मिन् शैइन्, कालू लौ
 हदानल्लाहु ल-हदैनाकुम्, सवाउन्
 अलैना अ-जज़िअ्ना अम् सबर्ना
 मा लना मिम्-महीस (21) ●
 व कालशैतानु लम्मा कुज़ियल्-अम्ह
 इन्नल्ला-ह व-अ-दकुम् वअ्दल्-
 हक्कि व व-अत्तुकुम् फ-अख़्लफ्तुकुम्,
 व मा का-न लि-य अलैकुम् मिन्
 सुल्तानिन् इल्ला अन् दअीतुकुम्
 फस्त-जब्तुम् ली फला तलूमूनी

हाल उन लोगों का जो मुन्किर हुए अपने
 रब से, उनके अमल हैं जैसे वह राख कि
 जोर की चले उस पर हवा आँधी के दिन,
 कुछ उनके हाथ में न होगा अपनी कमाई
 में से, यही है बहक कर दूर जा पड़ना।
 (18) क्या तुने नहीं देखा कि अल्लाह ने
 बनाये आसमान और जमीन जैसी चाहिए,
 अगर चाहे तुमको ले जाये और लाये
 कोई नई पैदाईश। (19) और यह अल्लाह
 को कुछ मुश्किल नहीं। (20) और सामने
 खड़े होंगे अल्लाह के सारे फिर कहेंगे
 कमजोर बड़ाई वालों को- हम तो तुम्हारे
 ताबे थे, सो क्या बचाओगे हमको अल्लाह
 के किसी अज़ाब से कुछ, वे कहेंगे अगर
 हिदायत करता हमको अल्लाह तो अलबत्ता
 हम तुमको हिदायत करते, अब बराबर है
 हमारे हक में कि हम बेकरारी करें या
 सब्र करें, हमको नहीं छुटकारा। (21) ●
 और बोला शैतान जब फैसल हो चुका
 सब काम बेशक अल्लाह ने तुमको दिया
 था सच्चा वायदा और मैंने तुमसे वायदा
 किया फिर झूठा किया, मेरी तुम पर कुछ
 हुकूमत न थी मगर यह कि मैंने बुलाया
 तुमको फिर तुमने मान लिया मेरी बात
 को, सो इल्ज़ाम न दो मुझको और

व लूमू अन्फु-सकुम्, मा अन-
बिमुस्त्रिख़िकुम् व मा अन्तुम्
बिमुस्त्रिख़िय-य, इन्नी क-फरतु बिमा
अशरक्तु मूनी मिन् क व्लु,
इन्ज़ालिमी-न लहुम् अज़ाबुन्
अलीम (22)

इल्ज़ाम दो अपने आपको, न मैं तुम्हारी
फरियाद को पहुँचूँ और न तुम मेरी
फरियाद को पहुँचो, मैं इनकारी हूँ जो
तुमने मुझको शरीक बनाया था इससे
पहले, अलबत्ता जो ज़ालिम हैं उनके लिये
है दर्दनाक अज़ाब। (22)

खुलासा-ए-तफसीर

(इन काफ़िरों को अगर अपनी निजात के बारे में यह ख्याल व गुमान हो कि हमारे आमाँल हमको फ़ायदेमन्द होंगे तो इसका मुस्तक़िल उसूल तो यह सुन लो कि) जो लोग अपने परवर्दिगार के साथ कुफ़र करते हैं उनकी हालत अमल के एतिबार से यह है (यानी उनके आमाँल की ऐसी मिसाल है) कि जैसे कुछ राख हो (जो उड़ने में बहुत हल्की होती है) जिसको तेज़ आँधी के दिन में तेज़ी के साथ हवा उड़ा ले जाये (कि इस सूत्र में उस राख का नाम व निशान भी न रहेगा, इसी तरह) इन लोगों ने जो कुछ अमल किये थे उनका कोई हिस्सा (यानी असर व फ़ायदा) इनको हासिल न होगा (उस राख की तरह ज़ाया व बरबाद हो जायेगा), यह भी बड़ी दूर-दराज़ की गुमराही है (कि गुमान तो हो कि हमारे अमल नेक और नाफ़ा देने वाले हैं और फिर ज़ाहिर हों बुरे और नुक़सान देने वाले, जैसे बुतों की पूजा या नाफ़ा न देने वाले आमाँल जैसे किसी को आज़ाद करना या सिला-रहमी करना, और चूँकि हक़ से इसको बहुत दूरी है इसलिये कहा गया पस इस तरीक़े से तो निजात का गुमान व संभावना न रही, और अगर उनका यह गुमान हो कि कियामत ही का वजूद मुहल है और इस सूत्र में अज़ाब की संभावना व सदेह नहीं, तो इसका जवाब यह है कि) क्या (ऐे मुख़ातब!) तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने आसमानों को और ज़मीन को बिल्कुल ठीक-ठीक (यानी फ़ायदों और मस्तेहतों पर आधारित) पैदा किया है (और इससे उसका कादिर होना भी मालूम हो गया। पस जब वह मुकम्मल कुदरत वाला है तो) अगर वह चाहे तो तुम सब को फ़ना कर दे और एक दूसरी नई मख़्लूक को पैदा कर दे। और यह खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं (पस जब नई मख़्लूक पैदा करना आसान है तो तुमको दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल है)।

और (अगर यह ख्याल व गुमान हो कि हमारे बड़े हमको बचा लेंगे तो इसकी हकीकत सुन लो कि कियामत के दिन) खुदा के सामने सब पेश होंगे, फिर छोटे दर्जे के लोग (यानी अ़वाम और पैरवी करने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से (यानी ख़ास लोगों और मुक़्तदाओं से) मलामत व

नाराज़गी के तौर पर) कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे ताबे थे (यहाँ तक कि दीन की जो राह तुमने हमको बतलाई हम उसी पर हो लिये, और आज हम पर मुसीबत है) तो क्या तुम खुदा के अज़ाब का कुछ हिस्सा हम से हटा सकते हो (यानी अगर बिल्कुल न बचा सको तो क्या थोड़ा-बहुत भी बचा सकते हो)। वे (जवाब में) कहेंगे कि (हम तुमको क्या बचाते खुद ही नहीं बच सकते हैं, अलबत्ता) अगर अल्लाह हमको (कोई) राह (बचने की) बतलाता तो हम तुमको भी (वह) राह बतला देते, (और अब तो) हम सब के हक़ में दोनों सूरतें बराबर हैं, चाहे हम परेशान हों (जैसा कि तुम्हारी परेशानी 'तो क्या तुम हमको अल्लाह के किसी अज़ाब से बचा सकते हो' से ज़ाहिर है और हमारी परेशानी तो 'अगर अल्लाह हमको बचने की कोई राह बतलाता तो हम तुमको भी वह राह बतला देते' से ज़ाहिर ही है) चाहे संयम से काम लें (दोनों हालतों में) हमारे बचने की कोई सूरत नहीं (पस इस सवाल व जवाब से यह मालूम हो गया कि कुफ़्र के रास्ते के बड़े भी अपने पैरोकारों के कुछ काम न आयेंगे, निजात व छुटकारे के इस रास्ते की भी उम्मीद व गुंजाईश न रही)।

और (अगर इसका भरोसा हो कि अल्लाह के अज़ाबा जिनकी इबादत की है वे काम आयेंगे तो इसका हाल इस गुफ्तगू से मालूम हो जायेगा कि) जब (क़ियामत में) तमाम मुकद्दमों का फैसला हो चुकेगा (यानी ईमान वाले जन्नत और काफ़िर दोज़ख़ में भेज दिये जायेंगे) तो (तमाम दोज़ख़ वाले शैतान के पास कि वह भी वहाँ होगा जाकर मलामत करेंगे कि कमबख़्त तू तो डूबा ही था हमको भी अपने साथ डुबो दिया। उस वक़्त) शैतान (जवाब में) कहेगा कि (मुझ पर तुम्हारी मलामत अनुचित है, क्योंकि) अल्लाह तअ़ाला ने तुमसे (जितने वायदे किये थे सब) सच्चे वायदे किए थे (कि क़ियामत होगी और कुफ़्र से हलाकत होगी और ईमान से निजात होगी) और मैंने भी तुमसे कुछ वायदे किए थे (कि क़ियामत न होगी और तुम्हारा तरीक़ा कुफ़्र का भी निजात का तरीक़ा है) सो मैंने वे वायदे तुमसे ख़िलाफ़ किये थे (और अल्लाह तअ़ाला के वायदों के हक़ होने पर और मेरे वायदों के बातिल व झूठ होने पर मज़बूत और न कटने वाली दलीलें कायम थीं, सो बावजूद इसके तुमने मेरे वायदों को सही और खुदा तअ़ाला के वायदों को ग़लत समझा, तो अपने हाथों तुम डूबे) और (अगर तुम यूँ कहो कि आख़िर सच्चे वायदों को झूठा समझने और झूठे वायदों को सच्चा समझने का सबब भी तो मैं ही हूँ तो यह बात है कि वाक़ई मैं बहकाने के दर्जे में सबब ज़रूर हुआ लेकिन यह देखो कि मेरे बहकाने के बाद तुम इख़्तियार रखते थे या मजबूर व बेइख़्तियार थे, सो ज़ाहिर है कि) मेरा तुम पर और तो कुछ ज़ोर चलता न था, सिवाय इसके कि मैंने तुमको (गुमराही की तरफ़) बुलाया था। सो तुमने (अपने इख़्तियार से) मेरा कहना मान लिया (अगर न मानते तो मैं ज़बरदस्ती तुमको गुमराह न कर सकता था। जब यह बात साबित है) तो मुझ पर (सारी) मलामत मत करो (इस तरह से कि अपने को बिल्कुल बरी समझने लगे) और (ज़्यादा) मलामत अपने आपको करो (क्योंकि अज़ाब का असल सबब

और कारण तुम्हारा ही अमल है, और मेरा फ़ैल तो केवल सबब है जो दूर की चीज़ और उससे हटकर एक चीज़ है, पस मलामत का तो यह जवाब है।)

(और अगर तुम्हारे इस कहने से मक़सद मदद तलब करना और फरियाद करना है तो मैं किसी की क्या मदद करूँगा, खुद ही मुसीबत में मुबला और इमदाद का मोहताज हो रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ कि कोई मेरी मदद न करेगा, वरना मैं भी तुमसे अपने लिये मदद चाहता, क्योंकि ज़्यादा मुनासबत तुम से है, बस अब तो) न मैं तुम्हारा मददगार (हो सकता) हूँ और न तुम मेरे मददगार (हो सकते) हो, (अलबत्ता अगर मैं तुम्हारे शिकं वाले तरीक़े को हक़ समझता तो भी इस ताल्लुक़ की वजह से मदद का मुतालबा करने की गुंजाइश थी, लेकिन) मैं खुद तुम्हारे इस काम से बेज़ार हूँ (और इसको बातिल समझता हूँ) कि तुम इससे पहले (दुनिया में) मुझको (खुदा का) शरीक़ करार देते थे (यानी बुतों की इबादत वग़ैरह के मामले में मेरी ऐसी इताअत करते थे जो इताअत कि हक़ तअला के लिये ख़ास है, पस बुतों और मूर्तियों को शरीक़ ठहराना इस मायने में शैतान को शरीक़ ठहराना है, पस मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, न तुमको मुझसे मदद तलब करने का कोई हक़ है। पस) यकीनन ज़ालिमों के लिये दर्दनाक अज़ाब (मुकरर) है (पस अज़ाब में पड़े रहो. न मुझ पर मलामत करने से फ़ायदे की उम्मीद रखो और न मदद चाहने से, जो तुमने ख़त्म किया था तुम भुगतो जो मैंने किया था मैं भुगतूँगा। पस बातचीत ख़त्म करो। यह हासिल हुआ शैतान के जवाब का। पस इससे अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की थी उनसे भी भरोसा और उम्मीद ख़त्म हुई क्योंकि जो इन माबूदों की इबादत का असल संस्थापक और प्रेरक है और दर हकीक़त ग़ैरुल्लाह की इबादत से ज़्यादा राज़ी वही होता है, चुनाँचे इसी वजह से क़ियामत के दिन दोज़ख़ में दोज़ख़ वाले उसी से कहें-सुनेंगे और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की थी उनमें से किसी से कुछ भी न कहेंगे, जब उसने साफ़ जवाब दे दिया तो औरों से क्या उम्मीद हो सकती है, पस काफ़िरों की निजात और अज़ाब से छुटकारे के सब रास्ते बन्द हो गये और यही मजमून उद्देश्य था)।

وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحَيُّوْنَ فِيهَا سَلَامٌ

व उद्दख़ालल्लजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा बि-इज़्नि रब्बिहिम्, तहिय्यतुहुम् फ़ीहा सलाम (23)

और दाख़िल किये गये जो लोग इमान लाये थे और काम किये थे नेक, बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें, हमेशा रहें उनमें अपने रब के हुक़म से, उनकी मुलाक़ात है वहाँ सलाम। (23)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये वे ऐसे बाग़ों में दाख़िल किये जाएँगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, (और) वे उनमें अपने परवरिगार के हुक्म से हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) वहाँ उनकी सलाम इस लफ़्ज़ से किया जायेगा- अस्सलामु अलैकुम (यानी आपस में भी और फ़रिश्तों की तरफ़ से भी। जैसा कि क़ुरआन पाक की कई आयतों में इसका बयान है कि आपस में वहाँ वे सलाम करेंगे, फ़रिश्ते जिस दरवाज़े से भी उन पर दाख़िल होंगे तो सलाम करेंगे, अल्लाह तआला की तरफ़ से भी उन पर सलाम पेश किया जायेगा और कहा जायेगा कि यह तुम्हारे सब्र के नतीजे में है)।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

अलम् त-र कै-फ़ ज़-रबल्लाहु
म-सलन् कलि-मतन् तय्यि-बतन्
क-श-ज-रतिन् तय्यि-बतिन् अस्तुहा
साबितुं-व-व फ़रुहा फ़िस्समा-इ
(24) तुअती उकु-लहा कुल्-ल
हीनिम्-बि-इज़िन रब्बिहा, व
यज़िर्बुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि
लअल्लहुम् य-तज़क्करुन (25)

तूने न देखा कैसी बयान की अल्लाह ने एक मिसाल बात सुथरी जैसे एक दरख़्त सुथरा उसकी जड़ मज़बूत है और टहनी है आसमान में। (24) लाता है फल अपना हर वक़्त पर अपने रब के हुक्म से, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के वास्ते ताकि वे फ़िक्र करें। (25)

खुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपको मालूम नहीं (यानी अब मालूम हो गया) कि अल्लाह तआला ने कैसी (अच्छी और मौक़े की) मिसाल बयान फ़रमाई है, कलिमा-ए-तय्यिबा (यानी कलिमा-ए-तौहीद व ईमान की) कि वह एक पाकीज़ा दरख़्त के जैसा है (मुराद खजूर का दरख़्त है), जिसकी जड़ (ज़मीन के अन्दर) ख़ूब गड़ी हुई हो और उसकी शाखें "यानी टहनियाँ" ऊँचाई में जा रही हों। (और) वह (दरख़्त) खुदा के हुक्म से हर फ़सल में (यानी जब उसकी फ़सल आ जाये) अपना फल देता हो (यानी ख़ूब फलता हो, कोई फ़सल मारी न जाती हो। इसी तरह कलिमा-ए-तौहीद यानी ला

इला-ह इल्लल्लाहु की एक जड़ है यानी एतिकाद जो मोमिन के दिल में मजबूती के साथ जगह पकड़े हुए है, और उसकी कुछ शाखें हैं यानी नेक आमाल जो ईमान पर मुरततब होते हैं जो कुबूलियत की बारगाह में आसमान की तरफ ले जाये जाते हैं, फिर उन पर हमेशा की रज़ा का फल मुरततब होता है), और अल्लाह तआला (इस किस्म की) मिसालें लोगों (को बतलाने) के वास्ते इसलिये बयान फरमाते हैं ताकि वे (लोग मायने-मकसद को) खूब समझ लें (क्योंकि मिसाल से मकसद की खूब वज़ाहत हो जाती है)।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۖ اجْتُثَّتْ مِنْ

فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا
وَآحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا وَيَمْسَسُ الْقَرَارَ ۗ

व स-सलु कलि-मतित्नु ख़ाबिसतिन्
क-श-ज-रतिन् ख़बीसति-निज्जुस्सत्
मिन् फौकिल्-अर्जि मा लहा मिन्
करार (26) युसब्बितुल्लाहुल्लजी-न
आमनु बिल्क़ैलिस-साबिति
फिल्हयातिददुन्या व फिल्-आख़िरति
व युजिल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमी-न व
यफ़ज़लुल्लाहु मा यशा-उ (27) ❀

अलम् त-र इलल्लजी-न बददलू
निज़्मतल्लाहि कुफ़रं-व-व अ-हल्लू
कौमहुम् दारल्-बवार (28) जहन्न-म
यसलौनहा, व बिअ्सल्-करार (29)

और मिसाल गन्दी बात की जैसे दरख्त
गन्दा उखाड़ लिया उसको ज़मीन के ऊपर
से, कुछ नहीं उसको ठहराव। (26)
मजबूत करता है अल्लाह ईमान वालों को
मजबूत बात से दुनिया की जिन्दगी में
और आख़िरत में, और बिचला देता है
अल्लाह बेइन्साफ़ों को, और करता है
अल्लाह जो चाहे। (27) ❀

तूने न देखा उनको जिन्होंने बदला किया
अल्लाह के एहसान का नाशुक्री, और
उतारा अपनी कौम को तबाही के घर में।
(28) जो दोख़ है, दाख़िल होंगे उसमें,
और वह बुरा ठिकाना है। (29)

खुलासा-ए-तफसीर

और गन्दे कलिमे की (यानी कुफ़ व शिर्क के कलिमे की) मिसाल ऐसी है जैसे एक ख़राब
दरख्त हो (मुराद इद्राणी का पेड़ है) कि वह ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाये और
उसको (ज़मीन में) कुछ जमाव "और मजबूती" न हो (ख़राब फ़रमाया उसकी गंध, मजे और रंग

के एतिबार से, या उसके फल की बू और मजे और रंग के एतिबार से, यह सिफ़्त पहले बयान हुए अच्छे और पाक कलिमे की तय्यिबा के मुकाबिल हुई, और ऊपर से उखाड़ने का मतलब यह है कि उसकी जड़ दूर तक नहीं होती, ऊपर ही रखी होती है, यह 'जड़ जमी हुई और गहरी' के मुकाबिल फरमाया, और 'उसको कुछ ठहराव और मजबूती नहीं' इसी की ताकीद के लिये फरमाया। और उसकी शाखों का ऊँचा न जाना और उसके फल का 'फल के तौर पर' मतलूब न होना ज़ाहिर है, यही हाल कलिमा-ए-कुफ़्र का है कि अगरचे काफ़िर के दिल में उसकी जड़ है मगर हक के सामने उसका कमजोर व पस्त हो जाना ऐसा ही है जैसे उसकी जड़ ही नहीं। जैसा कि अल्लाह तआला ने एक दूसरी जगह पर काफ़िरों की दलील को बेजान व बातिल करार दिया है। और शायद 'मा लहा मिन् करार' की स्पष्टता से कुफ़्र का यही कमजोर व पस्त होना बतलाना मकसद हो। और चूँकि उसके आमाल मकबूल नहीं होते, इसलिये गोया उस दरख्त की शाखें भी फिज़ा में नहीं फैलतीं, और चूँकि उसके आमाल पर अल्लाह की रज़ा मुरत्तब नहीं होती इसलिये फल की नफ़ी भी ज़ाहिर है, और चूँकि आमाल के क़बूल और अल्लाह की रज़ा हासिल होने का काफ़िर में बिल्कुल शुब्हा व गुंजाईश ही नहीं, इसी लिये जिस चीज़ से उसको तशबीह व मिसाल दी गयी है उस चीज़ की शाखों और फल का जिक्र बिल्कुल ही छोड़ दिया है। बख़िलाफ़ कुफ़्र की ज़ात के कि इसका जिक्र इसलिये किया गया कि इसका वजूद महसूस भी है और जिहाद वगैरह के अहकाम में मोतबर भी है, यह तो दोनों की मिसाल हो गई आगे असर का बयान है कि) अल्लाह तआला ईमान वालों को इस पक्की बात (यानी कलिमा-ए-तय्यिबा की बरकत) से दुनिया और आख़िरत (दोनों जगहों) में (दीन में और इम्तिहान में) मजबूत रखता है, और (इस बुरे कलिमे की नहूसत से) जालिमों (यानी काफ़िरों) को (दोनों जगह दीन में और इम्तिहान में) बिचला देता है, और (किसी को जमाव वाला रखने और किसी को बिचला देने में हज़ारों हिक्मतें हैं पस) अल्लाह तआला (अपनी हिक्मत से) जो चाहता है करता है।

क्या आपने उन लोगों (मक्का वालों) को नहीं देखा (यानी उनका अज़ीब हाल है) जिन्होंने अल्लाह की नेमत पर बजाय (शुक्र करने के) कुफ़्र किया (मुराद इससे मक्का के काफ़िर हैं, जैसा कि दुर्-मन्सूर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है) और जिन्होंने अपनी क़ौम को तबाही के घर यानी जहन्म में पहुँचा दिया (यानी उनको भी कुफ़्र की तालीम की जिससे) वे उस (जहन्म) में दाख़िल होंगे, और वह रहने की बुरी जगह है (इसमें इशारा हो गया कि उनका दाख़िल होना वहाँ ठहरने और हमेशा रहने के लिये होगा)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन ऊपर बयान हुई आयतों से पहले एक आयत में हक़ तआला ने काफ़िरों के आमाल की यह मिसाल बयान फरमाई है कि वो राख की मानिंद हैं, जिस पर तेज़ और सख़्त हवा चल जाये तो उसका ज़र्रा-ज़र्रा हवा में बिखरकर बेनिशान हो जाये। फिर कोई उसको जमा करके उससे

कोई काम लेना चाहे तो नामुम्किन है:

مَنْ لَدَيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ لِيَوْمٍ عَاصِفٍ

मतलब यह है कि काफिर के आमाल जो बज़ाहिर अच्छे भी हों वो भी अल्लाह तआला के नज़दीक मकबूल नहीं, इसलिये सब ज़ाया और बेकार हैं।

इसके बाद यहाँ बयान हुई आयतों में पहले मोमिन और उसके आमाल की एक मिसाल दी गई है फिर काफिरों व मुनाफिकों के आमाल की। पहली आयत में मोमिन और उसके आमाल की मिसाल एक ऐसे दरख्त (पेड़) से दी गई है जिसका तना मज़बूत और ऊँचा हो और उसकी जड़ें ज़मीन में गहरी गई हुई हों, और ज़मीन के नीचे पानी के चश्मों से सैराब होती हों। गहरी जड़ों की वजह से उस पेड़ को मज़बूती व स्थिरता भी हासिल हो कि हवा के झोंके से गिर न जाये, और ज़मीन की सतह से दूर होने की वजह से उसका फल गन्दगी से पाक-साफ़ रहे। दूसरी सिफ़्त उस पेड़ की यह है कि उसकी शाखें ऊँचाई पर आसमान की तरफ़ हों। तीसरी सिफ़्त उस पेड़ की यह है कि उसका फल हर वक़्त हर हाल में खाया जाता हो।

यह पेड़ कौनसा और कहाँ है? इसके बारे में मुफ़्तिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) के अक़वाल मुख़्तलिफ़ हैं, मगर ज़्यादा करीब यह है कि वह खजूर का पेड़ है। इसकी ताईद तजुबे और देखने से भी होती है और हदीस की रिवायतों से भी। खजूर के पेड़ के तने का बुलन्द और मज़बूत होना तो देखने की चीज़ है, सब ही जानते हैं कि उसकी जड़ों का ज़मीन की दूर गहराई तक पहुँचना भी परिचित व मालूम है, और उसका फल भी हर वक़्त और हर हाल में खाया जाता है, जिस वक़्त से उसका फल पेड़ पर ज़ाहिर होता है उस वक़्त से पकने के ज़माने तक हर हाल और हर सूरत में उसका फल विभिन्न तरीकों से चटनी व अचार के तरीके से या दूसरे तरीके से खाया जाता है, फिर फल पक जाने के बाद उसका ज़ख़ीरा भी पूरे साल बाकी रहता है सुबह व शाम, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, गर्ज़ कि हर मौसम और हर वक़्त में काम देता है। इस पेड़ का गूदा भी खाया जाता है, उससे भीठा रस निकाला जाता है, उसके पत्तों से बहुत-सी मुफ़ीद चीज़ें चटाईयाँ वगैरह बनती हैं, उसकी गुठली जानवरों का चारा है, बख़िलाफ़ दूसरे पेड़ों के फलों कि वे खास मौसम में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उनको ज़ख़ीरा करके नहीं रखा जाता है और न उनकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाया जाता है।

और तिमिज़ी, नसाई, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि शजरा-ए-तय्यिबा (जिसका ज़िक्र कुरआने करीम में है) खजूर का पेड़ है और शजरा-ए-ख़बीसा हन्ज़ल (इन्द्राणी) का पेड़ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और मुस्नद अहमद में हज़रत मुजाहिद रह. की रिवायत से बयान हुआ है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक दिन हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे, कोई सज्जन आपके पास खजूर के पेड़ का गूदा लाये

उस वक़्त आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से एक सवाल किया कि पेड़ों में से एक ऐसा पेड़ भी है जो मोमिन आदमी की मिसाल है। (और बुख़ारी की रिवायत में इस जगह यह भी ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि उस पेड़ के पत्ते किसी मौसम में झड़ते नहीं) बतलाओ वह पेड़ कौनसा है? हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि कहूँ वह खजूर का पेड़ है, मगर मज्लिस में अबू बक्र व उमर और दूसरे बड़े सहाबा मौजूद थे उनको ख़ामोश देखकर मुझे बोलने की हिम्मत न हुई, फिर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि वह खजूर का पेड़ है।

मोमिन की मिसाल इस पेड़ से देने की एक वजह यह है कि क़लिमा-ए-तय्यिबा में ईमान उसकी जड़ है जो बहुत स्थिर और मज़बूत है। दुनिया के हादसे उसको हिला नहीं सकते। कामिल मोमिनों, सहाबा व ताबिदीन बल्कि हर ज़माने के पक्के मुसलमानों की ऐसी मिसालें कुछ कम नहीं कि ईमान के मुक़ाबले में न जान की परवाह की, न माल की और न किसी दूसरी चीज़ की। दूसरी वजह उनकी पाकीज़गी और सफ़ाई है कि दुनिया की गन्दगियों से मुतास्सिर नहीं होते, जैसे ऊँचे पेड़ पर ज़मीन की सतह से गन्दगी का कोई असर नहीं होता, ये दो वस्फ़ (खूबी और गुण) तो 'अस्तुहा साबितुन' की मिसाल हैं। तीसरी वजह यह है कि जिस तरह खजूर के पेड़ की शाखें (टहनियाँ) ऊँची आसमान की तरफ़ होती हैं, मोमिन के ईमान के फल यानी आमाल भी आसमान की तरफ़ उठाये जाते हैं। कुरआने करीम में है:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ

यानी अल्लाह तआला की तरफ़ उठाये जाते हैं पाकीज़ा कलिमे। मतलब यह है कि मोमिन जो अल्लाह तआला का ज़िक्र तस्वीह, तहलील, कुरआन की किराअत वगैरह करता है ये सुबह व शाम अल्लाह तआला के पास पहुँचते रहते हैं।

चौथी वजह यह है कि जिस तरह खजूर का फल हर वक़्त, हर हाल, हर मौसम में रात-दिन खाया जाता है, मोमिन के नेक आमाल भी हर वक़्त, हर मौसम और हर हाल में सुबह व शाम जारी हैं। और जिस तरह खजूर के पेड़ की हर चीज़ कारामद है, मोमिन का हर कौल व फ़ैल और हरकत व सुकून और उससे पैदा होने वाले आसार पूरी दुनिया के लिये नफ़ा देने वाले और मुफ़ीद होते हैं, बशर्तकि वह मोमिन कामिल और खुदा व रसूल की तालीमात का पाबन्द हो।

ऊपर बयान हुई तक़रीर से मालूम हुआ कि उपर्युक्त आयत नम्बर 25 में उकुल से मुराद फल और खाने के लायक चीज़ें हैं और ही-न से मुराद हर वक़्त हर हाल है, अक्सर मुफ़स्सरीन ने इसी को तरजीह दी है, कुछ हज़रत के दूसरे अक़वाल भी हैं।

काफ़िरों की मिसाल

इसके मुक़ाबले में दूसरी मिसाल काफ़िरों की 'गन्दे और ख़राब पेड़' से दी गई। जिस तरह 'क़लिमा-ए-तय्यिबा से मुराद 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' का कौल यानी ईमान है, इसी तरह 'बुरे और

गन्दे कलिमे' से मुराद कुफ़्र के कलिमात और कुफ़्र के आमाल हैं। शज़रा-ए-ख़बीसा (गन्दे और ख़राब पेड़) से मुराद मज़क़ूरा हदीस में हज़ल (इन्द्राणी) को करार दिया गया है, और कुछ हज़रात ने लहसुन वगैरह कहा है।

इस ख़बीस पेड़ का हाल कुरआन ने यह बयान किया है कि उसकी जड़ें ज़मीन के अन्दर ज़्यादा नहीं होतीं इसलिये जब कोई चाहे उस दरख़्त के पूरे वजूद को ज़मीन से उखाड़ सकता है।

أَجْتَثُ مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ.

के यही मायने हैं। क्योंकि "उज्तुस्तत" के असल मायने यह हैं कि किसी चीज़ के वजूद को पूरा-पूरा उठा लिया जाये।

काफ़िर के आमाल को इस पेड़ से तशबीह (मिसाल) देने की वजह जाहिर है कि अब्बल तो उसके अक़ीदों की कोई जड़ बुनियाद नहीं, ज़रा देर में लड़खड़ा जाता है, दूसरे दुनिया की गन्दगी से प्रभावित होते हैं, तीसरे उनके पेड़ के फल-फूल यानी आमाल और काम अल्लाह के नज़दीक कारामद नहीं।

ईमान का ख़ास असर

इसके बाद मोमिन के ईमान और कलिमा-ए-तय्यिबा का एक ख़ास असर दूसरी आयत में बयान फ़रमाया है:

يَبْتِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

यानी मोमिन का कलिमा-ए-तय्यिबा मज़बूत व स्थिर पेड़ की तरह एक जमाव वाला कौल है जिसको अल्लाह तज़ाला हमेशा कायम व बरकरार रखते हैं, दुनिया में भी और आख़िरत में भी, बशर्तकि यह कलिमा इज़्ज़ास के साथ कहा जाये, और ला इला-ह इल्लल्लाहु के मफ़हूम (मायने व मतलब) को पूरी तरह समझकर इख़्तियार किया जाये।

मतलब यह है कि इस कलिमा-ए-तय्यिबा पर ईमान रखने वाले की दुनिया में भी अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से ताईद होती है जिसकी वजह से वह मरते दम तक इस कलिमे पर कायम रहता है, चाहे उसके ख़िलाफ़ कितने ही हादसों से मुकाबला करना पड़े, और आख़िरत में इस कलिमे को कायम व बरकरार रखकर उसकी मदद की जाती है। सही बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि आख़िरत से मुराद इस आयत में बर्ज़ख़ यानी क़ज़्र का जहान है।

क़ज़्र का अज़ाब व सवाब कुरआन व हदीस से साबित है

हदीस यह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब क़ज़्र में मोमिन से सवाल किया जायेगा तो ऐसे हौलनाक मक़ाम और सख़्त हाल में भी वह अल्लाह की मदद व ताईद से इस कलिमे पर कायम रहेगा, और ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि की गवाही देगा। और फिर फ़रमाया कि कुरआन के इरशाद:

بَيَّنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 27) का यही मतलब है (यह रिवायत हज़रत बरबिन अज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नक़ल फ़रमाई)। इसी तरह तकरीबन चालीस सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोतबर सनदों के साथ इसी मज़मून की हदीसों नक़ल की गयी हैं जिनको इमाम इब्ने कसीर ने इस जगह अपनी तफ़सीर में जमा किया है। और शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रह. ने अपने रिसाले 'अल्तासबीत इन्दत-तबयीत' में और 'शरहुस्तुदूर' में सत्तर हदीसों का हवाला नक़ल करके उन रिवायतों को मुतवातिर (यानी एक जमाअत से लगातार नक़ल होने वाली) फ़रमाया है। इन सब हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसी आयत में आख़िरत से मुराद क़ब्र और इस आयत को क़ब्र के अज़ाब व सवाब से संबन्धित करार दिया है।

मरने और दफ़न होने के बाद क़ब्र में इनसान का दोबारा जिन्दा होकर फ़रिश्तों के सवालात का जवाब देना, फिर उस इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी पर सवाब या अज़ाब होना कुरआन मजीद की तकरीबन दस आयतों में इशारे के तौर पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सत्तर मुतवातिर हदीसों में बड़ी स्पष्टता और वज़ाहत के साथ बयान हुआ है, जिसमें मुसलमान को शक व शुब्हे की गुन्जाईश नहीं। रहे वो आम दर्जे के शुब्हात कि दुनिया में देखने वालों को ये सवाब व अज़ाब नज़र नहीं आते, सो इसके तफ़सीली जवाबात की तो यहाँ गुन्जाईश नहीं, मुख़्तसर तौर पर इतना समझ लेना काफी है कि किसी चीज़ का नज़र न आना उसके मौजूद न होने की दलील नहीं, जिन्नात और फ़रिश्ते भी किसी को नज़र नहीं आते मगर मौजूद हैं, हवा नज़र नहीं आती मगर मौजूद है, जिस कायनाती फ़िज़ा को इस ज़माने में रॉकेटों के ज़रिये देखा जा रहा है वह अब से पहले किसी को नज़र न आती थी, मगर मौजूद थी। सपना देखने वाला सपने में किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होकर सज़ा अज़ाब में बेचैन होता है मगर पास बैठने वालों को उसकी कुछ ख़बर नहीं होती।

उसूल की बात यह है कि एक आलम (जहान) को दूसरे आलम के हालात पर अन्दाज़ा करना खुद ग़लत है। जब कायनात के पैदा करने वाले ने अपने रसूल के ज़रिये दूसरे आलम में पहुँचने के बाद इस अज़ाब व सवाब की ख़बर दे दी तो इस पर ईमान व यकीन रखना लाज़िम है। आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ

यानी अल्लाह तआला मोमिनों को तो कलिमा-ए-तय्यिबा और मज़बूत कौल पर साबित-क़दम (जमे रहने वाला) रखते हैं और इसके नतीजे में क़ब्र ही से उनके लिये राहत के सामान जमा हो जाते हैं, मगर ज़ालिमों यानी काफ़िरों व मुशिरकों को यह खुदाई मदद नहीं मिलती, मुन्कर-नकीर के सवालों का सही जवाब नहीं दे सकते और अन्जामकार अभी से एक किस्म के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं।

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

“यानी अल्लाह तआला करता है जो चाहता है।” कोई ताकत नहीं जो उसके इरादे और मर्जी को रोक सके। हज़रत उबई इब्ने कअब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह सहाबा हज़रात ने फ़रमाया है कि मोमिन को इसका एतिकाद (यानी इस पर यकीन व ईमान लाना) लाज़िम है कि उसको जो-जो चीज़ हासिल हुई वह अल्लाह की मर्जी और इरादे से हासिल हुई, उसका टलना नामुम्किन था। इसी तरह जो चीज़ हासिल नहीं हुई उसका हासिल होना भी नामुम्किन था। और फ़रमाया कि अगर तुम्हें इस पर यकीन व भरोसा न हो तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

“यानी क्या आप उन लोगों को नहीं देखते जिन्होंने अल्लाह तआला की नेमतों के बदले में कुफ़ इख्तियार कर लिया, और अपनी कौम को जो उनके कहने पर चलती थी तबाही व बरबादी के मक़ाम में उतार दिया, वे जहन्नम में जलेंगे और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है।”

यहाँ ‘निअ़मतल्लाहि’ से अल्लाह तआला की अ़म नेमतें भी मुराद हो सकती हैं, जो देखी और महसूस की जाती हैं, और जिनका ताल्लुक इन्सान के ज़ाहिरी फ़ायदों से है जैसे खाने-पीने पहनने की चीज़ें, ज़मीन और मकान वगैरह, और वो ख़ास मानवी नेमतें भी हो सकती हैं जो इन्सान की रहनुमाई व हिदायत के लिये हक़ तआला की तरफ़ से आई हैं, जैसे नबी व रसूल और आसमानी किताबें, और जो निशानियाँ अल्लाह तआला की क़ुदरत व हिक्मत की अपने वजूद के हर जोड़ में फिर ज़मीन और उसकी बेशुमार मख़्लूक़ात में, आसमान और उसकी रसाई न होने वाली कायनात में इन्सान की हिदायत का सामान हैं।

इन दोनों किस्म की नेमतों का तकाज़ा यह था कि इन्सान अल्लाह तआला की बड़ाई व क़ुदरत को पहचानता, उसकी नेमतों का शुक्रगुज़ार होकर उसकी फ़रमाँबरदारी में लग जाता, मगर काफ़िरों व मुश्रिकों ने नेमतों का मुक़ाबला शुक्र के बजाय नेमत की नाशुक्री व इनकार और सरकशी व नाफ़रमानी से किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपनी कौम को तबाही व बरबादी के मक़ाम में डाल दिया और खुद भी हलाक़ हुए।

अहकाम व हिदायतें

इन तीनों आयतों में तौहीद (अल्लाह के अकेला और तन्हा माबूद होने को मानने) और क़लिमा-ए-तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु की अज़मत व फ़ज़ीलत और इसकी बरकतें व फल और इससे इनकार की नहूसत और बुरे अन्जाम का बयान हुआ है, कि तौहीद ऐसी हमेशा कायम रहने वाली दौलत है जिसकी बरकत से दुनिया में अल्लाह की मदद व ताईद साथ होती है, और आख़िरत और क़ब्र में भी, और इससे इनकार अल्लाह तआला की नेमतों को अज़ाब से बदल डालने के बराबर है।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَشْعَبُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۗ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا أَمْثَارًا رِزْقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمٌ لَا يَنْبِئُهُمْ فِيهِ وَلَا خَلْلٌ ۖ اللَّهُ الَّذِي حَقَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَاتَّكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدَّوْا زِعْمًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا تَحْصُوهُمَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَافِرٌ ۚ

व ज-अलू लिल्लाहि अन्दादल्-
लियुजिल्लू अन् सबीलही, कुल्
त-मत्तजू फ़-इन्-न मसीरकुम् इल-न्नार
(30) कुल् लिअिबादियल्लज़ी-न
आमनू युकीमुस्सला-त व युन्फिकू
मिम्मा रजकनाहुम् सिररंव-व
अलानि-यतम् मिन् कबिल
अय्यअति-य यौमुल्-ला बैअनु फीहि
व ला खिलाल (31) अल्लाहुल्लज़ी
छा-लकस्समावाति वलअर्-ज़ व
अन्ज-ल मिनस्समा-इ माअन्
फ़-अखर-ज बिही मिनस्स-मराति
रिज़कल्-लकुम् व सख़्खा-र
लकुमुल्फुल्-क लितजि-य फिल्-बदिर
बि-अमिही व सख़्ख-र लकुमुल्-
अन्हार (32) व सख़्ख-र लकुमुश्-
-शम्-स वलक-म-र दाइबैनि व

और ठहराये अल्लाह के लिये मुक़ाबिल
कि बहकायें लोगों को उसकी राह से, तू
कह- मज़ा उड़ा लो फिर तुमको लौटना है
आग की तरफ़। (30) कह दे मेरे बन्दों
को कि जो ईमान लाये हैं कायम रखें
नमाज़ और खर्च करें हमारी दी हुई रोज़ी
में से छुपे और जाहिर करके इससे पहले
कि आये वह दिन जिसमें न सौदा है न
दोस्ती। (31) अल्लाह वह है जिसने
बनाये आसमान और ज़मीन और उतारा
आसमान से पानी, फिर उससे निकाली
रोज़ी तुम्हारे भेवे, और तुम्हारे कहने में
किया क़श्ती को कि चले दरिया में उसके
हुक्म से, और तुम्हारे काम में लगा दिया
नदियों को। (32) और तुम्हारे काम में
लगा दिया सूरज और चाँद को एक दस्तूर
पर बराबर, और तुम्हारे काम में लगा दिया

सख़्ख-र लकुमुल्लै-ल वन्नहार (33) व
 आताकुम् भिन् कुल्लि मा स-अल्लुमुह,
 व इन् तख़ुददू निज़्मतल्लाहि ला
 तुस्सूहा, इन्नल्-इन्सा-न ल-जलूमुन्
 कफ़फ़ार (34) ●

रात और दिन को। (33) और दिया
 तुमको हर चीज़ में से जो तुमने माँगी,
 और अगर गिनो एहसान अल्लाह के (तो)
 न पूरे कर सको, बेशक आदमी बड़ा
 बेइन्साफ़ है, नाशुक्रा। (34) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और (ऊपर जो कहा गया है कि उन लोगों ने नेमत के शुक्र की जगह कुफ़ किया और अपनी कौम को जहन्नम में पहुँचाया, इस कुफ़ और पहुँचाने का बयान यह है कि) उन लोगों ने अल्लाह के साझी करार दिये ताकि (दूसरों को भी) उसके दीन से गुमराह करें (पस साझी करार देना कुफ़ है और दूसरों को गुमराह करना जहन्नम में पहुँचाना है)। आप (इन सबसे) कह दीजिये कि थोड़ी और ऐश कर लो, क्योंकि तुम्हारा अखीर अन्जाम दोज़ख़ में जाना है (ऐश से मुराद कुफ़ की हालत में रहना है, क्योंकि हर शख्स को अपने मज़हब में लज़्जत होती है, यानी और चन्द दिन कुफ़ कर लो यह धमकी है, और मतलब "क्योंकि" का यह है कि चूँकि जहन्नम में जाना तो तुम्हारा ज़रूरी है इस वास्ते कुफ़ से बाज़ आना तुम्हारा मुश्किल है, ख़ैर और थोड़ा वक़्त गुज़ार लो, फिर तो उस मुसीबत का सामना ही होगा। और) जो मेरे खास ईमान वाले बन्दे हैं (उनको इस नेमत की नाशुक्रा के वबाल पर सचेत करके उससे महफ़ूज़ रखने के लिये) उनसे कह दीजिये कि वे (अल्लाह की नेमत के इस तरह शुक्रगुज़ार रहें कि) नमाज़ की पाबन्दी रखें और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से (शरीअत के कानून के मुताबिक) छुपे और खुले तौर पर (जैसा मौक़ा हो) खर्च किया करें, ऐसे दिन के आने से पहले-पहले कि जिसमें न ख़रीद व बेच होगी और न दोस्ती (मतलब यह कि बदनी और माली इबादतों को अदा करते रहें कि यही शुक्र है नेमत का)।

अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी (यानी बारिश को) बरसाया, फिर उस पानी से फलों की किस्म से तुम्हारे लिये रिज़्क पैदा किया और तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते क़त्ती (और जहाज़) को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया ताकि वह खुदा के हुक्म (व क़ुदरत) से दरिया में चले (और तुम्हारी तिजारत और सफ़र की गर्ज़ हासिल हो), और तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते नहरों को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया (ताकि उसी से पानी पियो और सिंचाई करो, और उसमें क़त्ती चलाओ)। और तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते सूरज और चाँद को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया जो हमेशा चलने ही में रहते हैं (ताकि तुमको रोशनी और गर्मी वगैरह का फ़ायदा हो) और तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते रात और दिन को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया (ताकि तुमको रोज़ी और राहत व आराम का

नफ़ा हासिल हो)। और जो-जो चीज़ तुमने माँगी (और वह तुम्हारे हाल के मुनासिब हुई) तुमको हर चीज़ दी और (ज़िक्र हुई चीज़ों ही तक यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता) अल्लाह तआला की नेमतों (तो इस क़द्र बेशुमार हैं कि) अगर (उनको) शुमार करने लगे तो शुमार में नहीं ला सकते, (मगर) सच यह है कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ़, बड़ा ही नाशुक्रा है (अल्लाह तआला की नेमतों की क़द्र और शुक्र नहीं करता, बल्कि और इसके उलट कुफ़्र व नाफ़रमानी करने लगता है, जैसा कि ऊपर आयत नम्बर 28 में आया है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: इब्राहीम के शुरू में रिसालत व नुबुव्वत और अन्जाम व आखिरत के बारे में मज़ामीन थे, इसके बाद तौहीद (अल्लाह को एक और अकेला लायक़े इबादत मानने) की फ़ज़ीलत और कलिमा-ए-कुफ़्र व शिर्क की बुराई का बयान मिसालों के ज़रिये किया गया। फिर मुशिरकों की बुराई और निंदा इस बात पर की गई कि उन्होंने अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्रा और कुफ़्र का रास्ता इख़्तियार किया।

ऊपर बयान हुई आयतों में से पहली आयत में काफ़िरों व मुशिरकों की बुराई और उनके बुरे अन्जाम का ज़िक्र है। दूसरी आयत में मोमिनों की फ़ज़ीलत और उनको शुक्र अदा करने के लिये अल्लाह के कुछ अहक़ाम की ताकीद की गई है। तीसरी, चौथी और पाँचवीं आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की अज़ीम नेमतों का ज़िक्र फ़रमाकर इस पर आमादा किया गया कि वे इन नेमतों को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में ख़र्च न करें।

तफ़सीर व खुलासा

अन्दाद निद्द की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने मिस्तल और बराबर के हैं। बुतों को अन्दाद इसलिये कहा जाता है कि मुशिरकों ने उनको अपने अमल में खुदा की मिस्तल (जैसा) या बराबर करार दे रखा था। तमत्तो के मायने किसी चीज़ से चन्द दिन का वक़्ती फ़ायदा हासिल करने के हैं। इस आयत में मुशिरकों के इस ग़लत नज़रिये पर नकीर है कि उन्होंने बुतों को खुदा के मिस्तल (जैसा) और उसका शरीक ठहरा दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया कि उन लोगों को जतला दें कि उनका अन्जाम क्या होने वाला है। फ़रमाया कि दुनिया की चन्द दिन की नेमतों से फ़ायदा उठा लो, मगर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की आग है।

दूसरी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद है कि (मक्का के काफ़िरों ने तो अल्लाह की नेमत को कुफ़्र से बदल डाला अब) “आप मेरे मोमिन बन्दों से फ़रमा दें कि नमाज़ की पाबन्दी रखें और हमने जो रिज़्क़ उनको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च किया करें, छुपे और खुले तौर पर।” इस आयत में मोमिन बन्दों के लिये बड़ी खुशाख़बरी और सम्मान है, अब्बल तो अल्लाह तआला ने उनको अपना बन्दा कहकर पुकारा, फिर ईमान की सिफ़त के साथ जोड़ा, फिर उनको हमेशा की राहत और सम्मान देने की तरकीब बतलाई कि

नमाज़ की पाबन्दी करें, न उसके वक्तों में सुस्ती करें, न आदाब में कोताही, और अल्लाह ही के दिये हुए रिज़्क में से कुछ उसकी राह में भी खर्च किया करें। खर्च करने की दोनों सूरतों को जायज़ करार दिया कि छुपे तौर पर सदका ख़ैरात करें या ऐलान व इज़हार के साथ करें।

कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि फ़र्ज़ ज़कात और सदका-ए-फ़िज़्र वगैरह ऐलानिया होने चाहियें ताकि दूसरों को भी शौक व दिलचस्पी और तवज्जोह हो और नफ़ली सदके ख़ैरात को छुपाकर देना बेहतर है ताकि नाम व नमूद का ख़तरा न रहे। और असल मदार नीयत और हालात पर है, अगर ऐलान व इज़हार में नाम व नमूद का शुब्हा आ जाये तो सदके की फ़ज़ीलत ख़त्म हो जाती है चाहे फ़र्ज़ हो या नफ़िल, और अगर नीयत यह हो कि दूसरों को भी तवज्जोह व दिलचस्पी हो तो फ़र्ज़ और नफ़िल दोनों में ऐलान व इज़हार जायज़ है।

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَنْبَغُ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ.

लफ़ज़ ख़िलाल ख़ुल्लतुन की जमा (बहुवचन) भी हो सकती है जिसके मायने बेग़र्ज़ दोस्ती के हैं, और इस लफ़ज़ को बाब-ए-मुफ़ाअलत का मस्दर भी कह सकते हैं जैसे किताल, दिफ़ाअ वगैरह, इस सूरत में इसके मायने दो शख्सों के आपस में दोनों तरफ़ से सच्चे दिल से बिना किसी गर्ज़ के दोस्ती करने के होंगे। इस जुमले का ताल्लुक ऊपर बयान किये हुए दोनों हुक्म यानी नमाज़ और सदके के साथ है।

मतलब यह है कि आज तो अल्लाह तआला ने फ़ुर्सत व ताकत अता फ़रमा रखी है कि नमाज़ अदा करें, और पिछली उम्र में ग़फ़लत से कोई नमाज़ रह गई हो तो उसकी कज़ा करें। इसी तरह आज माल तुम्हारी मिल्क और कब्ज़े में है उसको अल्लाह के लिये खर्च करके हमेशा की जिन्दगी का काम बना सकते हो, लेकिन वह दिन करीब आने वाला है जबकि ये दोनों ताकतें और कुदरतें तुम से ले ली जायेंगी, न तुम्हारे बदन नमाज़ पढ़ने के काबिल रहेंगे, न तुम्हारी मिल्क और कब्ज़े में कोई माल रहेगा, जिससे ज़ाया हुए हुक्क की अदायेगी कर सको, और उस दिन में ख़रीद व बेच (यानी किसी तरह की सौदेबाज़ी) भी न हो सकेगी कि आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लें जिसके ज़रिये अपनी कोताहियों और गुनाहों का कफ़ारा (बदला) कर सकें, और उस दिन में आपस की दोस्तियाँ और ताल्लुकात भी काम न आ सकेंगे, कोई अज़ीज़ दोस्त किसी के गुनाहों का बोझ न उठा सकेगा, और न उसके अज़ाब को किसी तरह हटा सकेगा।

“उस दिन” से मुराद बज़ाहिर हश्र व कियामत का दिन है, और यह भी कहा जा सकता है कि मौत का दिन हो, क्योंकि ये सब आसार मौत ही के वक़्त से ज़ाहिर हो जाते हैं, न बदन में किसी अमल की सलाहियत रहती है न माल ही उसकी मिल्क में रहता है।

अहकाम व हिदायतें

इस आयत में जो यह इरशाद है कि कियामत के दिन किसी की दोस्ती किसी के काम न आयेगी, इसका मतलब यह है कि महज़ दुनियावी दोस्तियाँ उस दिन काम न आयेंगी, लेकिन

जिन लोगों की दोस्ती और ताल्लुकात अल्लाह के लिये और उसके दीन के कामों के लिये हों उनकी दोस्ती उस वक़्त भी काम आयेगी, कि अल्लाह के नेक और मकबूल बन्दे दूसरों की शफ़ाअत करेंगे जैसा कि बहुत-सी हदीसों में इसका बयान है, और कुरआने पाक में इरशाद है:

الْأَحْلَاءُ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝

“यानी वे लोग जो दुनिया में आपस में दोस्त थे, उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जायेंगे कि यह चाहेंगे कि दोस्त पर अपना गुनाह डालकर खुद बरी हो जायें, मगर वे लोग जो तक़वे वाले हैं।” क्योंकि तक़वे वाले वहाँ भी एक दूसरे की मदद सिफ़ारिश के रास्ते से कर सकेंगे।

तीसरी, चौथी और पाँचवीं आयतों में अल्लाह तआला की बड़ी-बड़ी नेमतों की याददेहानी कराकर इनसान को उसकी इबादत व इताअत की तरफ़ दावत दी गई है। इरशाद है कि अल्लाह तआला ही की ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किये जिस पर इनसानी वजूद की शुरूआत और बाकी रहना मौक़ूफ़ है। फिर आसमान से पानी उतारा जिसके ज़रिये तरह-तरह के फल पैदा किये ताकि वो तुम्हारा रिज़्क बन सकें। लफ़ज़ समरात समर की जमा (बहुवचन) है, हर चीज़ से हासिल होने वाले नतीजे को उसका समरा कहा जाता है, इसलिये लफ़ज़ समरात में वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो इनसान की ग़िज़ा बनती हैं, और वो चीज़ें भी जो उसका लिबास बनती हैं, और वो चीज़ें भी जो उसके रहने-सहने का मकान बनती हैं, क्योंकि लफ़ज़ रिज़्क जो इस आयत में बयान हुआ है वह इन तमाम इनसानी ज़रूरतों पर छाया हुआ और शामिल है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

फिर फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने ही कश्तियों और जहाज़ों को तुम्हारे काम में लगा दिया कि वो अल्लाह के हुक़म से दरियाओं में चलते फिरते हैं। लफ़ज़ सख़्ख़-र जो इस आयत में आया है इससे मुराद यही है कि अल्लाह तआला ने इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम्हारे लिये आसान कर दिया है। लकड़ी लोहा और उनसे कश्ती जहाज़ बनाने के औज़ार व उपकरण और उनसे सही काम लेने की अक्ल व समझ ये सब चीज़ें उसी की दी हुई हैं, इसलिये इन चीज़ों के आविष्कारक इस पर नाज़ न करें कि यह हमने ईजाद की या बनाई है, क्योंकि जिन चीज़ों से इनमें काम लिया गया है उनमें से कोई चीज़ भी न तुमने पैदा की है न कर सकते हो, कायनात के पैदा करने वाले की बनाई हुई लकड़ी लोहे, ताँबे और पीतल ही में उलट-पुलट करके यह ईजाद (किसी नई चीज़ के बनाने) का सेहरा आपने अपने सर ले लिया है वरना हकीकत देखो तो खुद आपका अपना वजूद अपने हाथ पाँव, अपना दिमाग़ और अक्ल भी तो आपकी बनाई हुई नहीं।

इसके बाद फ़रमाया कि हमने तुम्हारे लिये सूरज और चाँद को ताबे कर दिया कि ये दोनों हमेशा एक हालत पर चलते ही रहते हैं। यानी हर वक़्त और हर हाल में चलना इन दोनों सय्यारों (ग्रहों) की आदत बना दी गई कि कभी इसके खिलाफ़ नहीं होता। ताबे करने के यह

मायने नहीं कि वो तुम्हारे हुक्म और इशारों पर चला करें, क्योंकि अगर सूरज व चाँद को इस तरह इनसान के इख़्तियार में और हुक्म के ताबे कर दिया जाता कि वो इनसानी हुक्म के ताबे चला करते तो इनसानों के आपसी झगड़ों और विवादों का यह नतीजा होता कि एक इनसान कहता कि आज सूरज दो घन्टे बाद निकले, क्योंकि रात में काम ज़्यादा है, दूसरा चाहता कि दो घन्टे पहले निकले कि दिन के काम ज़्यादा हैं। इसलिये रब्बुल-इज़्ज़त ने आसमान और सितारों को इनसान का ताबेदार तो बनाया मगर इस मायने में ताबेदार बनाया कि वो हर वक़्त हर हाल में अल्लाह की हिक्मत के मातहत इनसान के काम में लगे हुए हैं, यह नहीं कि उनका निकलना और छुपना और रफ़्तार इनसान की मर्जी के ताबे हो जाये।

इसी तरह यह इरशाद कि हमने रात और दिन को तुम्हारे लिये ताबेदार कर दिया। इसका मतलब भी यही है कि इन दोनों को इनसान की ख़िदमत और राहत के काम में लगा दिया।

وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ

“यानी अल्लाह तआला ने दिया तुमको हर उस चीज़ में से जो तुमने माँगी।” अगरचे अल्लाह तआला की अता और बख़्शिश किसी के माँगने पर निर्भर नहीं, हमने तो अपना वजूद भी नहीं माँगा था, उसी ने अपने फ़ज़ल से बिना माँगे अता फ़रमाया:

مَا نَبُودُكُمْ
لَوْ تَرَىٰ نَارًا
تُوقَدُ مِنْ دُونِ
نَارٍ فَالْتَرَىٰ مِنْهَا
تُوقَدُ نَارًا
لَوْ تَرَىٰ مِنْهَا
تُوقَدُ نَارًا

न हमारा कोई वजूद था और न हमारी कुछ माँग और तकाज़ा था। यह तेरा लुत्फ़ व करम है कि तू हमारी बिना माँगी ज़रूरत व तकाज़े सुन लेता और अपनी रहमत से उसे कुबूल फ़रमाता है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज़ानवी

इसी तरह आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज वगैरह पैदा करने की दुआ किसने माँगी थी? यह सब कुछ मालिक ने बिना माँगे ही दिया है। इसी लिये काज़ी बैज़ावी रह. ने इस लफ़्ज़ के यह मायने बयान किये हैं कि अगर अलफ़ाज़ के जाहिरी मायने ही मुराद हों तो इनमें भी कुछ शुब्हे वाली बात नहीं क्योंकि उमूमन इनसान जो कुछ माँगता और तलब करता है अक्सर तो उसको दे ही दिया जाता है, और जहाँ कहीं उसका सवाल अपनी जाहिरी सूरत में पूरा नहीं किया जाता उसमें उस शख्स के लिये या पूरे आ़लम के लिये कोई मस्लेहत होती है जिसका उसको इल्म नहीं होता मगर अलीम व ख़बीर (यानी अल्लाह तआला) जानते हैं कि अगर इसका यह सवाल पूरा कर दिया गया तो खुद इसके लिये या इसके ख़ानदान के लिये या पूरे आ़लम के लिये वबाले जान बन जायेगा। ऐसी सूरत में सवाल का पूरा न करना ही बड़ी नेमत होती है, मगर इनसान अपनी कम-इल्मी (अधूरे ज्ञान) की वजह से इसको नहीं जानता इसलिये गुमगीन होता है।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

“यानी अल्लाह तआला की नेमतेँ इनसान पर इस क़द्र हैं कि सब इनसान मिलकर उनको

शुमार करना (गिनना) चाहें तो शुमार में भी नहीं आ सकती। इनसान का अपना वजूद खुद एक छोटी-सी दुनिया है। इसकी आँख, नाक, कान और हाथ-पाँव और बदन के हर जोड़ बल्कि हर रंग व रेशे में अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें छुपी हैं, जिनसे यह चलती फिरती सैंकड़ों नाजुक मशीनों की अजीब व ग़रीब फैक्ट्री हर वक़्त अपने काम में मशगूल है। फिर आसमान व ज़मीन और दोनों की मख़्लूक़ात, समन्दरों पहाड़ों की मख़्लूक़ात कि आजकी नई तहकीक़ात (तलाश व खोज और शोध) और इसमें उभ्रें खपाने वाले हज़ारों विशेषज्ञ भी उनको नहीं घेर सके। फिर नेमतें सिर्फ़ वही नहीं जो सकारात्मक सूरत में आम तौर पर नेमत समझी जाती हैं, बल्कि हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत हर रंज व ग़म से महफ़ूज़ रहना अलग-अलग मुस्तक़िल नेमत है। एक इनसान को कितनी किस्म की बीमारियाँ और कितने प्रकार की बदनी और मानसिक तकलीफ़ें दुनिया में पेश आ सकती हैं, उन्हीं की गिनती एक इनसान से नहीं हो सकती, इससे अन्दाज़ा हो सकता है कि अल्लाह तआला की दी हुई पूरी चीज़ों और नेमतों का शुमार (गिनती) किस तरह हो सकता है।

इन्साफ़ का तकाज़ा यह था कि बेशुमार नेमतों के बदले में बेशुमार इबादत और बेशुमार शुक्र लाज़िम होता, मगर अल्लाह तआला ने कमज़ोर व ज़ईफ़ बुनियाद और वजूद वाले इनसान की रियायत फ़रमाई। जब वह हकीक़त पर नज़र करके यह स्वीकार कर ले कि वाजिब शुक्र से भारमुक्त होना उसकी क़ुदरत में नहीं तो इसी स्वीकार करने को शुक्र अदा करने के कायम-मक़ाम (बराबर) क़रार दिया है, जैसा कि हक़ तआला ने हज़रत दाऊद ज़लैहिस्सलाम के ऐसे ही इक़रार पर इरशाद फ़रमाया कि:

إِنَّا لَنَدْرُكُكَ يَادَاوُدُ

यानी ऐ दाऊद! यह इक़रार और मान लेना ही शुक्र अदा करने के लिये काफी है।
आयत के आख़िर में फ़रमाया:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ

“यानी इनसान बहुत बेइन्साफ़ और बड़ा नाशुक्रा है।” यानी इन्साफ़ का तकाज़ा तो यह था कि कोई तकलीफ़ व मुसीबत पेश आये तो सब्र व सुकून से काम ले, ज़बान और दिल को शिकायत से पाक रखे, और समझे कि यह जो कुछ पेश आया है एक हाकिम व हकीम की तरफ़ से आया है, वह भी हिक्मत के तकाज़े के तहत होने की बिना पर एक नेमत ही है, और जब कोई राहत व नेमत मिले तो दिल और ज़बान हर अमल से उसका शुक्रगुज़ार हो, मगर आम इनसानों की आदत इससे अलग और भिन्न है कि ज़रा-सी मुसीबत व तकलीफ़ पेश आ जाये तो बेसब्री में मुब्तला हो जायें, और कहते फिरें, और ज़रा-सी नेमत व दौलत मिल जाये तो उसमें मस्त होकर खुदा तआला को भुला दें। इसी लिये सच्चे और मुख़्लिस मोमिनों की सिफ़त पिछली आयत (यानी इसी सूरत की आयत नम्बर 5) में ‘सब्बार’ और ‘शकूर’ (बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला और बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला) बतलाई गई है।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَتَّبِعُنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَافِرٌ بَدِيعٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٥﴾
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا مِثْلَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَا اجْعَلْنَاهُمْ آيَاتٍ لِّلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ ۖ
 فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ۖ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا
 تُخْفِي ۖ وَمَا تُعْلِنُ ۖ وَمَا يُخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَكَبِيرٌ دُونَهُ ۖ رَبَّنَا اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٣٧﴾

व इज़् का-ल इब्राहीमु रब्बिज्जल्
 हाज़ल्-ब-ल-द आमिनव्-वजनुब्नी व
 बनिय्-य अन् नज़् बुदल्-अस्नाम
 (35) रब्बि इन्नहुन्-न अज़लल्-न
 कसीरम्-मिनन्नासि फ-मन् तबि-अनी
 फ-इन्नहू मिन्नी व मन् असानी
 फइन्न-क गफ़ूर-रहीम (36) रब्बना
 इन्नी अस्कन्तु मिन् ज़ुरिय्यती
 बिवादिन् गैरि जी ज़रिज़िन् अिन्-द
 बैतिकल्-मुहरमि रब्बना लियुकीमुस्-
 सला-त फज़ल् अफ़इ-दतम्
 मिनन्नासि तस्वी इलैहिम् वरज़ुकहुम्
 मिनस्स-मराति लज़ल्लहुम् यशकुरुन
 (37) रब्बना इन्न-क तज़ल्मु मा
 नुख्फ़ी व मा नुज़लिनु, व मा यख्फ़ा
 अलल्लाहि मिन् शैइन् फिल्अर्जि व
 ला फिस्समा-इ (38) अल्हम्दु.

और जिस वक़्त कहा इब्राहीम ने ऐ रब!
 कर दे इस शहर को अमन वाला और दूर
 रख मुझको और मेरी औलाद को इस
 बात से कि हम पूजें मूरतों को। (35) ऐ
 रब! उन्होंने गुमराह किया बहुत लोगों को
 सो जिसने पैरवी की मेरी सो वह तो मेरा
 है और जिसने मेरा कहना न माना सो तू
 बख़्शाने वाला मेहरबान है। (36) ऐ रब!
 मैंने बसाया है अपनी एक औलाद को
 मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे इज़्जत
 वाले (सम्मानित) घर के पास, ऐ हमारे
 रब! ताकि कायम रखें नमाज़ को, सो
 रख बाज़े लोगों के दिल कि माईल हों
 इनकी तरफ़ और रोज़ी दे इनको मेवों से,
 शायद वे शुक्र करें। (37) ऐ हमारे रब!
 तू तो जानता है जो कुछ हम करते हैं
 छुपाकर और जो कुछ करते हैं दिखाकर,
 और छुपी नहीं अल्लाह पर कोई चीज़
 ज़मीन में और न आसमान में। (38) शुक्र

लिल्लाहिललजी व-ह-ब ली अलल-
कि-बरि इस्माज़ी-ल व इस्हा-क,
इन्-न रब्बी ल-समीअुद्-दुआ-इ
(39) रब्बिज्जअल्नी मुकीमस्सलाति व
मिन् ज़ुरिय्यती रब्बना व तकब्बल्
दुआ-इ (40) रब्बनग़फ़िर ली व
लिवालिदय्-य व लिल्-मुअ्मिनी-न
यौ-म यकूमल्-हिसाब (41) ●

है अल्लाह का जिसने बख़्शा मुझको इतनी
बड़ी उम्र में इस्माईल और इस्हाक, बेशक
मेरा रब सुनता है दुआ को। (39) ऐ मेरे
रब! कर मुझको कि कायम रखूँ नमाज़
और मेरी औलाद में से भी, ऐ मेरे रब!
और कुबूल कर मेरी दुआ। (40) ऐ हमारे
रब! बख़्श मुझको और मेरे माँ-बाप को
और सब ईमान वालों को जिस दिन कायम
हो हिसाब। (41) ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी याद करने के काबिल है) जबकि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को अल्लाह के हुक़्म से मक्का के मैदान में लाकर रखने के वक़्त दुआ के तौर पर) कहा कि ऐ मेरे रब! इस शहर (यानी मक्का) को अमन वाला बना दीजिये (कि इसके रहने वाले अमन के हक़दार रहें, यानी हरम बना दीजिये) और मुझको और मेरे खास फ़रज़न्दों को बुतों की इबादत से (जो कि इस वक़्त जाहिल लोगों में प्रचलित है) बचाये रखिये (जैसा कि अब तक बचाये रखा)। ऐ मेरे परवर्दिगार! (मैं बुतों की इबादत से बचने की दुआ इसलिये करता हूँ कि) उन बुतों ने बहुत-से आदमियों को गुमराह कर दिया (यानी उनकी गुमराही का सबब हो गये, इसलिये डरकर आपकी पनाह चाहता हूँ और मैं जिस तरह औलाद के बचने की दुआ करता हूँ इसी तरह उनको भी कहता सुनता रहूँगा), फिर (मेरे कहने सुनने के बाद) जो शख़्स मेरी राह पर चलेगा वह तो मेरा है (और उसके लिये मग़फ़िरत का वायदा है ही) और जो शख़्स (इस बारे में) मेरा कहना न माने (सो उसको आप हिदायत फ़रमाईये क्योंकि) आप तो बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाले (और) बहुत ज़्यादा रहमत फ़रमाने वाले हैं (उनकी मग़फ़िरत और रहमत का सामान भी कर सकते हैं कि उनको हिदायत दें। इस दुआ से मक़सद मोमिनों के लिये शफ़ाज़त और गैर-मोमिनों के लिये हिदायत को तलब करना है)।

ऐ हमारे रब! मैं अपनी औलाद को (यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनके वास्ते से उनकी नस्ल को) आपके अज़मत वाले "यानी सम्मानित" घर (यानी ख़ाना काबा) के करीब (जो कि पहले से यहाँ बना हुआ था और हमेशा से लोग उसका अदब करते थे) एक (छोटे से) मैदान में जो (पथरीला होने की वजह से) काश्तकारी के काबिल (भी) नहीं, आबाद करता हूँ। ऐ हमारे रब (बैतुल-हराम के पास इसलिये आबाद करता हूँ) ताकि वे लोग नमाज़ का (खास) एहतिमाम "यानी पाबन्दी" रखें (और चूँकि यह इस वक़्त छोटा सा मैदान है) तो आप कुछ लोगों के दिल

इनकी तरफ़ माईल कर दीजिये (कि यहाँ आकर रहें-सहें, ताकि रौनक़ वाली आबादी हो जाये), और (चूँकि यहाँ काश्तकारी वगैरह नहीं है इसलिये) इनको (महज़ अपनी क़ुदरत से) फल खाने को दीजिये ताकि ये लोग (इन नेमतों का) शुक्र करें।

ऐं हमारे रब! (ये दुआयें महज़ अपनी बन्दगी और आवश्यकता के इज़हार के लिये हैं आपको अपनी ज़रूरत की इत्तिला के लिये नहीं, क्योंकि) आपको तो सब कुछ मालूम है जो हम अपने दिल में रखें और जो ज़ाहिर कर दें। और (हमारे ज़ाहिर व बातिन ही का क्या ज़िक्र है) अल्लाह तआला से (तो) कोई चीज़ भी छुपी नहीं, न ज़मीन में और न आसमान में (कुछ दुआयें आगे आयेंगी और बीच में कुछ पहले से हासिल नेमतों पर तारीफ़ व शुक्र किया ताकि शुक्र की बरकत से ये दुआयें क़ुबूल होने के ज़्यादा निकट हो जायें। चुनाँचे फ़रमाया) तमाम तारीफ़ (और प्रशंसा) खुदा के लिये (लायक) है जिसने मुझको बुढ़ापे में इस्माईल और इस्हाक़ (दो बेटे) अता फ़रमाये। हकीकत में मेरा रब दुआ का बड़ा सुनने वाला (यानी क़ुबूल करने वाला) है (कि औलाद अता करने के बारे में मेरी यह दुआ 'रब्बि हब् ली मिनस्सालिहीन' क़ुबूल कर ली। फिर इस नेमत का शुक्र अदा करके आगे बाकी की दुआयें पेश करते हैं कि) ऐ मेरे रब! (जो मेरी नीयत है अपनी औलाद को सम्मानित घर "काबा शरीफ़" के पास बसाने से कि वे नवाज़ों की पाबन्दी रखें इसको पूरा कर दीजिये, और जैसे उनके लिये नमाज़ की पाबन्दी मेरा मक़सद व चाहत है इसी तरह अपने लिये भी मैं यही चाहता हूँ, इसलिये अपने और उनके दोनों के लिये दुआ करता हूँ। और चूँकि मुझको वही से मालूम हो गया है कि उनमें बाज़े ग़ैर-मोमिन भी हो जायेंगे इसलिये दुआ सब के लिये नहीं कर सकता हूँ। पस इन मज़ामीन पर नज़र करके यह दुआ करता हूँ कि) मुझको भी नमाज़ का (ख़ास) एहतिमाम करने वाला रखिये और मेरी औलाद में भी बाज़ों को (नमाज़ का एहतिमाम करने वाला कीजिये)। ऐ हमारे रब! और मेरी (यह) दुआ क़ुबूल कीजिये। (और) ऐ हमारे रब! मेरी मग़फ़िरत कर दीजिये और मेरे माँ-बाप की भी और तमाम मोमिनों की भी हिसाब के कायम होने के दिन (यानी क़ियामत के दिन इन सब ज़िक्र हुए लोगों की मग़फ़िरत कर दीजिये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में तौहीद के अ़कीदे की मक़बूलियत व अहमियत का और शिर्क की जहालत और बुराई का बयान था। तौहीद के मामले में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत में सबसे ज़्यादा कामयाब जिहाद हज़रत ख़लीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिहाद था, इसी लिये दीन-ए-इब्राहीमी को ख़ास तौर पर दीन-ए-हनीफ़ का नाम दिया जाता है।

इसी मुनासबत से यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से का ज़िक्र उक्त आयतों में किया गया है। एक वजह यह भी है कि पिछली एक आयत यानी आयत नम्बर 28 में मक्का के क़ुरैश के उन लोगों की बुराई बयान की गई थी जिन्होंने बाप-दादा की पैरवी की बिना पर ईमान को कुफ़्र से और तौहीद को शिर्क से बदल डाला था। इन आयतों में उनको बतलाया गया कि

तुम्हारे पूर्वज इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा और अमल क्या था, ताकि बाप-दादा की पैरवी के आदी इसी पर नज़र करके अपने कुफ़ से बाज़ आ जायें। (तफसीर बहर-ए-मुहीत)

और यह ज़ाहिर है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्सों और हालत के बयान करने से कुरआने करीम का मक़सद सिर्फ़ उनका इतिहास बयान करना नहीं होता, बल्कि उनमें इनसानी जिन्दगी के हर क्षेत्र के मुताल्लिक़ हिदायती उसूल होते हैं, उन्हीं को जारी रखने के लिये ये वाकिआत कुरआन में बार-बार दोहराये जाते हैं।

इस जगह पहली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो दुआयें बयान हुई हैं। पहली:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

“यानी ऐ मेरे परवरिगार! इस (मक्का) शहर को अमन की जगह बना दीजिये।”

सूर: ब-करह में भी यही दुआ जिक्र हुई है, मगर उसमें लफ़्ज़ बलद् बग़ैर अलिफ़-लाम के ‘ब-लदन्’ फ़रमाया है जिसके मायने ग़ैर-निर्धारित शहर के हैं। वजह यह है कि वह दुआ उस वक़्त की थी जबकि मक्का शहर की बस्ती आबाद न थी, इसलिये आम अलफ़ाज़ में यह दुआ की कि इस जगह को एक अमन वाला शहर बना दीजिये।

और दूसरी दुआ उस वक़्त की है जबकि मक्का की बस्ती बस चुकी थी तो मक्का शहर को मुतैयन करके दुआ फ़रमाई कि इसको अमन की जगह बना दीजिये। दूसरी दुआ यह फ़रमाई कि मुझको और मेरी औलाद को बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) से बचाइये।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अगरचे मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) होते हैं, उनसे शिर्क व बुत-परस्ती बल्कि कोई गुनाह नहीं हो सकता, मगर यहाँ हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में अपने आपको भी शामिल फ़रमाया है। इसकी वजह या तो यह है कि तबई ख़ौफ़ के असर से नबी व रसूल भी हर वक़्त अपने को ख़तरे में महसूस करते रहते हैं, या यह कि असल मक़सद अपनी औलाद को शिर्क व बुत-परस्ती से बचाने की दुआ करना था, औलाद को इसकी अहमियत समझाने के लिये अपने आपको भी दुआ में शामिल फ़रमा लिया।

अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने खलील (दोस्त) की दुआ क़बूल फ़रमाई, उनकी औलाद शिर्क व बुत-परस्ती से महफ़ूज़ रही। इस पर यह सवाल हो सकता है कि मक्का वाले तो उमूमन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उनमें तो बुत-परस्ती मौजूद थी। तफसीर बहर-ए-मुहीत में इसका जवाब हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना के हवाले से यह दिया है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में किसी ने दर हकीकत बुत-परस्ती नहीं की, बल्कि जिस वक़्त मक्का पर ज़रहुम क़ौम के लोगों ने क़ब्ज़ा करके इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को हरम से निकाल दिया तो ये लोग हरम से बेइन्तिहा मुहब्बत और उसकी अज़मत की बिना पर यहाँ के कुछ पत्थर अपने साथ उठा ले गये थे, उनको सम्मानित हरम और बैतुल्लाह की यादगार के तौर पर सामने रखकर इबादत और उसके गिर्द तवाफ़ किया करते थे, जिसमें किसी ग़ैरुल्लाह की तरफ़ कोई रुख़ न था, बल्कि जिस तरह बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना या

बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करना अल्लाह तआला ही की इबादत है, इसी तरह वे उन पत्थरों की तरफ़ रुख़ और उनके गिर्द तवाफ़ को अल्लाह तआला की इबादत के खिलाफ़ न समझते थे, इसके बाद यही तरीका-ए-कार बुत-परस्ती का सबब बन गया।

दूसरी आयत में अपनी इस दुआ की यह वजह बयान फ़रमाई कि बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) से हम इसलिये पनाह माँगते हैं कि इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराही में डाल दिया है, यह इसलिये फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद और कौम का तजुर्बा कर चुके थे कि बुत-परस्ती की रस्म ने उनको हर ख़ैर व बेहतरी से मेहरूम कर दिया।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَّحِيمٌ

“यानी उनमें से जो शख़्स मेरी पैरवी करे यानी ईमान और नेक अमल का पाबन्द हो जाये वह तो मेरा ही है। मतलब यह है कि उस पर फ़ज़ल व करम की उम्मीद तो ज़ाहिर है, और जो शख़्स मेरी नाफ़रमानी करे तो आप बहुत मग़फ़िरत करने वाले, बड़ी रहमत करने वाले हैं।”

इसमें नाफ़रमानी से अगर सिर्फ़ अमली नाफ़रमानी यानी बुरे आमाल में मुब्तला होना मुराद ली जाये तो मायने ज़ाहिर हैं कि आप के फ़ज़ल से उनकी भी मग़फ़िरत की उम्मीद है, और अगर नाफ़रमानी से मुराद कुफ़्र व इनकार लिया जाये तो यह ज़ाहिर है कि काफ़िर व मुश्रिक की मग़फ़िरत न होने और उनकी शफ़ाअत न करने का हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले हो चुका था, फिर उनकी मग़फ़िरत की उम्मीद का इज़हार करना दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिये तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में फ़रमाया कि इस जगह हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनकी सिफ़ारिश या दुआ के अलफ़ाज़ नहीं इख़्तियार किये, यह नहीं फ़रमाया कि आप उनकी मग़फ़िरत कर दें, अलबत्ता पैग़म्बराना शफ़क़त जिसके दामन में काफ़िर भी रहते हैं और हर पैग़म्बर की दिली इच्छा यही होती है कि कोई काफ़िर भी अज़ाब में मुब्तला न हो, अपनी इसी तबई इच्छा का इज़हार इस उनवान से कर दिया कि “आप तो बड़े ग़फ़ूर व रहीम हैं।” यूँ नहीं फ़रमाया कि उनके साथ मग़फ़िरत व रहमत का मामला फ़रमायें, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के काफ़िरों के बारे में फ़रमाया:

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“यानी अगर आप उनकी मग़फ़िरत फ़रमायें तो आप ग़ालिब और हिक़मत वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं।”

इन दोनों बुजुर्गों ने काफ़िरों के मामले में सिफ़ारिश के लिये क़दम तो इसलिये नहीं बढ़ाया कि वह हक़ के अदब के खिलाफ़ था, मगर यह भी नहीं फ़रमाया कि उन काफ़िरों पर आप अज़ाब नाज़िल कर दें, बल्कि अदब के साथ एक ख़ास उनवान से उनके भी बख़्शे जाने की तबई इच्छा का इज़हार कर दिया।

अहकाम व हिदायतें

दुआ तो हर इनसान माँगता है मगर माँगने का सलीका हर एक को नहीं आता। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दुआयें सबक लेने वाली होती हैं, उनसे अन्दाज़ा होता है कि क्या चीज़ माँगने की है। इस दुआ-ए-इब्राहीमी के दो भाग हैं- एक मक्का शहर को ख़ौफ़ व ख़तरे से आज़ाद अमन की जगह बना देना, दूसरे अपनी औलाद को बुत-परस्ती से हमेशा के लिये निजात दिलाना।

ग़ौर से काम लिया जाये तो इनसान की बेहतरी व कामयाबी के यही दो बुनियादी उसूल हैं, क्योंकि इनसानों को अगर अपने रहने-सहने की जगह में ख़ौफ़ व ख़तरा और दुश्मनों के हमलों से अमन व इत्मीनान न हो तो न दुनियावी और माही एतिबार से उनकी ज़िन्दगी खुशगवार हो सकती है और न दीनी और रूहानी एतिबार से। दुनिया के सारे कामों और राहतों का मदार तो अमन व इत्मीनान पर होना ज़रूरी ही है। जो शख्स दुश्मनों के घेरे, हमलों और विभिन्न प्रकार के ख़तरों में घिरा हुआ हो उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत, खाने पीने, सोने जागने की बेहतरीन आसानियाँ, आला किस्म के महल और बंगले, माल व दौलत की अधिकता सब बेमज़ा हो जाती हैं।

दीनी एतिबार से भी हर नेकी व इबादत और अल्लाह के अहकाम की तामील इनसान उसी वक़्त कर सकता है जब उसको कुछ सुकून व इत्मीनान नसीब हो।

इसलिये हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पहली दुआ में इनसानी कामयाबी की तमाम ज़रूरतें आर्थिक व माली और दीनी व आख़िरत की सब दाख़िल हो गईं। इस एक जुमले से हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिये दुनिया की तमाम अहम चीज़ें माँग ली हैं।

इस दुआ से यह भी मालूम हुआ कि औलाद की हमदर्दी और उनकी आर्थिक व माली राहत का इन्तिज़ाम भी अपनी ताक़त व हिम्मत के मुताबिक़ बाप की ज़िम्मेदारियों में से है, इसकी कोशिश बुजुर्गी और दुनिया से ताल्लुक तोड़ने के विरुद्ध नहीं।

दूसरी दुआ भी बड़ी कामिल व जामे है, क्योंकि वह गुनाह जिसकी मग़फ़िरत (माफ़ी होने) की संभावना नहीं वह शिर्क व बुत-परस्ती है, उससे महफ़ूज़ रहने की दुआ फ़रमा दी। इसके बाद अगर कोई गुनाह हो भी जाये तो उसका कफ़़ारा दूसरे आमाल से भी हो सकता है, और किसी की शफ़ाअत से भी माफ़ किये जा सकते हैं, और बुतों की पूजा व इबादत का लफ़ज़ सूफ़िया किराम (बुजुर्गी) के अक़वाल के मुताबिक़ अपने विस्तृत मफ़हूम में लिया जाये कि हर वह चीज़ जो इनसान को अल्लाह से गाफ़िल करे वह उसका बुत है, और उसकी मुहब्बत से मग़लूब होकर खुदा तआला की नाफ़रमानी की तरफ़ क़दम बढ़ा लेना एक तरह से उसकी इबादत है, तो इस दुआ यानी बुतों की इबादत व पूजा से महफ़ूज़ रहने में तमाम गुनाहों से हिफ़ाज़त का मज़मून आ जाता है। कुछ बुजुर्गी ने इसी मायने में अपने नफ़्स को ख़िताब करके ग़फ़लत व नाफ़रमानी

पर मलामत की है।

(उन्होंने अश्शर में अपने इस मफहूम को अदा किया है। जिनका हासिल यही है जो ऊपर के मज़मून में बयान हुआ कि जो चीज़ इनसान को अल्लाह से गाफिल कर दे और उसकी वजह से वह गुनाह में मुब्तला हो जाये, या नेकी और अल्लाह की फरमाँवरदारी में कोताही करे तो वह चीज़ एक तरह से उसका बुत है जिसका वह कहना मान रहा है, और यह कहना मानना एक तरह से उसकी इबादत करना है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी) तीसरी आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और हकीमाना दुआ़ा इस तरह बयान हुई है कि:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ..... الآية

ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने अपनी कुछ नस्ल यानी अहल व अयाल को पहाड़ के दामन में एक ऐसे मक़ाम में ठहरा दिया है जिसमें कोई खेती वगैरह नहीं हो सकती (और बज़ाहिर वहाँ जिन्दगी का कोई सामान नहीं) यह पहाड़ी मक़ाम आपके सम्मानित घर के पास है, ताकि ये लोग नमाज़ कायम करें, इसलिये आप कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ माईल कर दें, कि उनके दिल लगने और आबाद होने का सामान हो जाये, और उनको फल अता फरमाइये ताकि ये लोग शुक्रगुज़ार हों।

हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इस दुआ़ा का वाकिआ यह है कि बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर जो तूफ़ाने नूह में बेनिशान हो गई थी, जब अल्लाह तआला ने उसकी दोबारा तामीर का इरादा फरमाया तो अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके लिये चुनकर उनको मुल्क शाम से हिजरत करके हज़रत हाजरा अलैहस्सलाम और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ इस बिना पानी वाले गैर-आबाद मक़ाम को ठिकाना बनाने के लिये मामूर फरमाया।

सही बुख़ारी में है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त दूध पीते बच्चे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक़ उनको और उनकी वालिदा हाजरा को मौजूदा बैतुल्लाह और जमज़म के कुएँ के करीब ठहरा दिया। उस वक़्त यह जगह पहाड़ों से घिरी हुई एक चटियल मैदान थी, दूर-दूर तक न पानी न आबादी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिये एक तोशेदान में कुछ खाना और एक मशकीज़े में पानी रख दिया था।

इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम की तरफ़ वापस होने का हुक्म मिला। जिस जगह हुक्म मिला था वहीं से हुक्म के पालन के लिये रवाना हो गये। बीबी और दूध पीते बच्चे को उस सुनसान जगह और जंगल में छोड़ने का जो तबई और फ़ितरी असर था उसका इज़हार तो उस दुआ़ा से होगा जो बाद में की गई, मगर अल्लाह के हुक्म की तामील में इतनी देर भी गवारा नहीं फरमाई कि हज़रत हाजरा को ख़बर दे दें और कुछ तसल्ली के अलाफ़ाज़ कह दें।

नतीजा यह हुआ कि जब हज़रत हाजरा ने उनको जाते हुए देखा तो बार-बार आवाज़ें दीं

कि इस जंगल में आप हमें किस पर छोड़कर जा रहे हैं? जहाँ न कोई इनसान है न ज़िन्दगी का सामान, मगर ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा। तब हज़रत हाजरा को ख़्याल आया कि अल्लाह का ख़लील ऐसी बेवफ़ाई नहीं कर सकता, शायद अल्लाह तआला ही का हुक्म मिला है, तो आवाज़ देकर पूछा कि क्या आपको अल्लाह तआला ने यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर जवाब दिया कि हाँ। हज़रत हाजरा ने यह सुनकर फ़रमाया:

إِذَا لَیْضَعِنَا

“यानी अब कोई परवाह नहीं, जिस मालिक ने आपको यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है वह हमें भी ज़ाया न करेगा।”

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक पहाड़ी के पीछे पहुँच गये जहाँ हाजरा व इस्माईल अलैहिस्सलाम आँखों से ओझल हो गये तो उस वक़्त बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर यह दुआ माँगी जो इस आयत में ज़िक्र हुई है। हज़रत इब्राहीम की उक्त दुआ के तहत में बहुत-सी हिदायतें और मसाईल हैं, उनका बयान यह है:

दुआ-ए-इब्राहीमी के भेद और हिक्मत

1. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरफ़ तो अपने बुलन्द मक़ाम का हक़ अदा किया कि जिस वक़्त और जिस जगह उनको यह हुक्म मिला कि आप मुल्के शाम वापस चले जायें, उस ग़ैर-आबाद मक़ाम, सुनसान जंगल और चटियल मैदान में बीवी और दूध पीते बच्चे को छोड़कर चले जाने और अल्लाह के हुक्म के पालन में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं फ़रमाई, उसकी तामील में इतनी देर लगाना भी ग़वारा नहीं फ़रमाया कि बीवी मोहतरमा के पास जाकर तसल्ली कर दें, और कह दें कि मुझे यह हुक्म मिला है, आप घबरायें नहीं, बल्कि जिस वक़्त जिस जगह हुक्म मिला फ़ौरन हुक्म रब्बानी की तामील के लिये चल खड़े हुए।

दूसरी तरफ़ बीवी-बच्चों के हक़ूक और उनकी मुहब्बत का यह हक़ अदा किया कि पहाड़ी के पीछे उनसे ओझल होते ही हक़ तआला की बारगाह में उनकी हिफ़ाजत और अमन व इत्मीनान के साथ रहने की दुआ फ़रमाई। उनकी राहत का सामान कर दिया क्योंकि वह अपनी जगह मुत्मईन थे कि अल्लाह के हुक्म की तामील के साथ जो दुआ की जायेगी वह उसकी बारगाह से हरगिज़ रद्द न होगी, और ऐसा ही हुआ कि यह बेसहारा व बेबस औरत और बच्चा न सिर्फ़ खुद आबाद हुए बल्कि इनके तुफ़ैल में एक शहर आबाद हो गया, और न सिर्फ़ यह कि इनको ज़िन्दगी की ज़रूरतें इत्मीनान के साथ नसीब हुईं बल्कि इनके तुफ़ैल में आज तक मक्का वालों पर हर तरह की नेमतों के दरवाज़े खुले हुए हैं।

यह है पैग़म्बराना साबित-क़दमी और बेहतरीन इन्तिज़ाम कि एक पहलू की रियायत के वक़्त दूसरा पहलू कभी नज़र-अन्दाज़ नहीं होता। वे आम सूफ़िया-ए-किराम की तरह अपनी हालत से मग़लूब नहीं होते, और यही वह तालीम है जिसके ज़रिये एक इनसान कामिल इनसान

बनता है।

2. 'गैरि जी ज़रअिन्' (बिना खेती वाले मक़ाम)। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हक़ तअ़ाला की तरफ़ से यह हुक्म मिला कि दूध पीते बच्चे और उसकी बालिदा को इस सूखे मैदान में छोड़कर मुल्के शाम चले जायें तो इस हुक्म से इतना तो यकीन हो चुका था कि अल्लाह तअ़ाला इनको ज़ाय़ा न फ़रमायेंगे, बल्कि इनके लिये पानी ज़रूर मुहैया किया जायेगा, इसलिये 'बिवादिन् गैरि जी माइन्' (बिना पानी वाली वादी में) नहीं कहा, बल्कि 'गैरि जी ज़रअिन्' फ़रमाकर दरख्वास्त यह की कि इनको फल और मेवे अ़ता हों, चाहे किसी दूसरी जगह ही से लाये जायें। यही वजह यह है कि मक्का मुकर्रमा में आज तक भी काश्त का कोई ख़ास इन्तिज़ाम नहीं, मगर दुनिया भर के फल और हर चीज़ के मेवे वहाँ इतने पहुँचते हैं कि दूसरे बहुत से शहरों में उनका मिलना मुश्किल है। (तफ़सीर बहर-ए-मुहीत)

3. 'अिन्-द बैतिकल्-मुहर्रमि' (तेरे सम्मानित घर के पास) से साबित हुआ कि बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हो चुकी थी, जैसा कि इमाम कुर्तुबी रह. ने तफ़सीर सूर: ब-क़रह में कई रिवायतों से साबित किया है कि सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने की है, जब उनको ज़मीन पर उतारा गया तो मोजिज़े के तौर पर सरान्दीप पहाड़ से इस जगह तक उनको पहुँचाया गया, और जिब्रीले अमीन ने बैतुल्लाह की जगह की निशानदेही भी की, उसके मुताबिक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, वह खुद और उनकी औलाद इसके गिर्द तवाफ़ करते थे, यहाँ तक कि तूफ़ाने नूह में बैतुल्लाह को उठा लिया गया और उसकी बुनियादें ज़मीन में मौजूद रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की नई तामीर का हुक्म मिला। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पुरानी बुनियादों की निशानदेही की, फिर यह इब्राहीमी बुनियाद अरब के जाहिली दौर में गिर गई तो क़ुरैश ने नये सिरे से तामीर की, जिसकी तामीर में अबू तालिब के साथ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी नुबुव्वत से पहले हिस्सा लिया।

इसमें बैतुल्लाह की सिफ़त मुहर्रम ज़िक्र की गई है। मुहर्रम के मायने इज़ज़त व सम्मान वाले के भी हो सकते हैं और सुरक्षित के भी। बैतुल्लाह शरीफ़ में ये दोनों सिफ़तें मौजूद हैं कि हमेशा सम्मानित व एहतितराम वाला रहा है, और हमेशा दुश्मनों से महफूज़ भी रहा है।

4. 'लियुकीमुस्सला-त'। हज़रत ख़लील अलैहिस्सलाम ने दुआ के शुरु में अपने बच्चे और उसकी बालिदा की बेबसी और ख़स्ता हालत का ज़िक्र करने के बाद सबसे पहले जो दुआ की वह यह कि उनको नमाज़ का पाबन्द बना दे, क्योंकि नमाज़ दुनिया व आख़िरत की तमाम भलाईयों और बरकतों के लिये जामे है। इससे मालूम हुआ कि औलाद के हक़ में इससे बड़ी कोई हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही नहीं कि उनको नमाज़ का पाबन्द बना दिया जाये, और अगरचे वहाँ उस वक़्त सिर्फ़ एक औरत और बच्चे को छोड़ा था मगर दुआ में बहुवचन का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो चुका था कि यहाँ शहर आबाद होगा और इस बच्चे की नस्ल चलेगी, इसलिये दुआ में उन सब को शरीक

कर लिया।

5. 'अफइ-दतिम् मिनन्नासि'। 'अफइदा' फुवाद की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने दिल के हैं। मायने यह हैं कि कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ माईल कर दीजिये। इमामे तफसीर हज़रत मुजाहिद रह. फरमाते हैं कि अगर इस दुआ में 'कुछ' के मायने वाला हर्फ न होता बल्कि यह कह दिया जाता कि लोगों के दिल इनकी तरफ माईल कर दीजिये तो सारी दुनिया के मुस्लिम व गैर-मुस्लिम, यहूदी व ईसाई और पूरब व पश्चिम के सब आदमी मक्का पर टूट पड़ते, जो मक्का वालों के लिये परेशानी और मुसीबतों का सबब हो जाता। इस हकीकत को सामने रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ में ये अलफाज़ फरमाये कि कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माईल कर दीजिये।

6. 'वरजुक्हुम मिनस्स-मराति'। 'समरात' समरतुन की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं फल। और आदतन यह उन फलों को कहा जाता है जो खाये जाते हैं। इस एतिबार से दुआ का हासिल यह होगा कि इन लोगों को खाने के लिये हर तरह के फल अता फरमाईये।

और कभी लफ़्ज़ समरा नतीजे और पैदावार के मायने में भी आता है जो खाने की चीज़ों से ज्यादा आम है। हर नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ के नतीजे और निचोड़ को उसका समरा कहा जा सकता है। मशीनों और उद्योगिक कारख़ानों के फल उनकी बनाई हुई चीज़ें कहलायेंगे, नौकरी और मज़दूरी का समरा वह उजरत और तन्ज़ाह कहलायेगी जो उसके नतीजे में हासिल हुई। कुरआने करीम की एक आयत में इस दुआ में 'स-मरातु कुल्लि शैइन्' का लफ़्ज़ भी आया है, इसमें लफ़्ज़ 'शजर' (पेड़) के बजाय लफ़्ज़ 'शैइन्' (चीज़) लाया गया है, जिससे इस तरफ़ इशारा हो सकता है कि हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिये सिर्फ़ खाने के फलों ही की दुआ नहीं फरमाई बल्कि हर चीज़ के समरात और हासिल होने वाले नतीजों की दुआ माँगी है, जिसमें दुनिया भर की बनी हुई चीज़ें और हर तरह की फायदा उठाने के क़ाबिल चीज़ें सब दाख़िल हैं। शायद इस दुआ का यह असर है कि मक्का मुकर्रमा इसके बावजूद कि न कोई खेती-बाड़ी वाला मुल्क है न तिजारती न औद्योगिक, लेकिन दुनिया भर की सारी चीज़ें पूरब व पश्चिम से पहुँचकर मक्का मुकर्रमा में आती हैं, जो ग़ालिबन दुनिया के किसी बड़े से बड़े शहर को भी नसीब नहीं।

7. हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिये यह दुआ नहीं फरमाई कि मक्का की ज़मीन को खेती-बाड़ी के क़ाबिल बना दें, वरना कुछ मुश्किल न था कि मक्का की वादी और सारे पहाड़ सरसब्ज़ (हरेभरे) कर दिये जाते, जिनमें बागात और खेत होते। मगर ख़लीलुल्लाह ने अपनी औलाद के लिये यह खेती-बाड़ी का काम पसन्द न किया, इसलिये दुआ फरमाई कि कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ माईल कर दिये जायें जो पूरब व पश्चिम और दुनिया के कोने-कोने से यहाँ आया करें। उनका यह जमा होना पूरी दुनिया के लिये हिदायत व रहनुमाई का और मक्का वालों की खुशहाली का ज़रिया बने। दुनिया के हर इलाक़े की चीज़ें भी यहाँ पहुँच जायें और मक्का वालों को माल कमाने के साधन भी हाथ आ जायें। अल्लाह तआला

ने यह दुआ क़ुबूल फ़रमाई और आज तक मक्का वाले खेती-बाड़ी और काश्त से बेनियाज़ होकर ज़िन्दगी की तमाम ज़रूरतों से मालामाल हैं।

8. 'लअल्लहुमु यश्कुरून' में इशारा कर दिया कि औलाद के लिये आर्थिक राहत व सुकून की दुआ भी इसलिये की गई कि ये शुक्रगुज़ार बनकर उस पर भी अज़्र हासिल करें। इस तरह दुआ की शुरुआत नमाज़ की पाबन्दी से हुई और अंत शुक्रगुज़ारी पर। बीच में आर्थिक राहत व सुकून का जिक्र आया। इसमें यह तालीम है कि मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिये कि उसके आमाल व हालात, ख़्यालात व विचार पर आख़िरत की फ़लाह व कामयाबी का ग़लबा हो, और दुनिया का काम ज़रूरत के अनुसार हो।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

इस आयत में अल्लाह जल्ल शानुहू के कामिल और हर चीज़ पर हावी इल्म का हवाला देकर दुआ को पूरी की गयी है और अपने अज़िज़ी बरतने और गिड़गिड़ाने को ज़ाहिर करने के लिये लफ़्ज़ रब्बना को दोबारा लाया गया है। मायने यह हैं कि आप हमारे हर हाल से वाकिफ़ और हमारी दिली व अन्दरूनी हालतों और ज़ाहिरी फ़रियाद व अर्ज़ सबसे बाख़बर हैं।

अन्दरूनी हालतों से मुराद वह रंज व ग़म और फ़िक्र है जो दूध पीते बच्चे और उसकी वालिदा को एक खुले मैदान में बे-सर व सामान फ़रियाद करते हुए छोड़ने और उनकी जुदाई से फ़ितरी तौर पर लगा हुआ था, और ज़ाहिरी अर्ज़ व फ़रियाद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत हाजरा के वो कलिमात मुराद हैं जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की ख़बर सुनकर कहे कि जब अल्लाह तआला ने आपको हुक्म किया है तो वह हमारे लिये भी काफ़ी है, वह हमें भी जाया नहीं करेगा। आयत के आख़िर में अल्लाह के इल्म की इसी वुस्अत (बेपनाह होने) का मज़ीद बयान है कि हमारा ज़ाहिर व बातिन ही क्या, तमाम ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ अल्लाह तआला पर छुपी नहीं।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

इस आयत का मज़मून भी इस दुआ का पूरक है, क्योंकि यह दुआ के आदाब में से है कि उसके साथ अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना की जाये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने विशेष तौर पर इस जगह अल्लाह तआला की इस नेमत का शुक्र अदा किया कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह तआला ने उनकी दुआ क़ुबूल फ़रमाकर नेक औलाद हज़रत इस्माईल व इस्हाक अलैहिमस्सलाम अता फ़रमाये।

इस तारीफ़ व सना में इस तरफ़ भी इशारा है कि यह बच्चा जो बेसहारा व बेमददगार चटियल मैदान में छोड़ा है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही इसकी हिफ़ाज़त फ़रमायेंगे। आख़िर में तारीफ़ व सना को 'इन्-न रब्बी ल-समीउददुआ-इ' से किया गया। यानी बेशक मेरा परवर्दिगार दुआओं का सुनने वाला और क़ुबूल करने वाला है।

इस तारीफ़ व सना के बाद फिर दुआ में मशगूल हो गये और फ़रमाया:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

जिसमें अपने लिये और अपनी औलाद के लिये नमाज़ की पाबन्दी पर कायम रहने की दुआ की और आखिर में फिर गिड़गिड़ाये और फरियाद की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी यह दुआ कुबूल फरमाइये।

आखिर में एक जामे दुआ (यानी मुकम्मल जिसमें कई बातों को शामिल किया) फरमाई:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

“यानी ऐ हमारे परवर्दिगार! मेरी और मेरे माँ-बाप की और तमाम मोमिनों की मगफिरत फरमा, उस दिन जबकि मेहशर में तमाम ज़िन्दगी के आमाल का हिसाब लिया जायेगा।”

इसमें माँ-बाप के लिये भी मगफिरत की दुआ फरमाई, हालाँकि वालिद यानी आजर का काफिर होना कुरआन में बयान हुआ है, हो सकता है कि यह दुआ उस वक़्त की हो जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफिरों की सिफारिश और दुआ-ए-मगफिरत से मना नहीं किया गया था। जैसे एक दूसरी जगह कुरआने करीम में है:

وَاعْفِرْ لِي يَا رَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

(कि माफ़ कर दीजिये मेरे बाप को बेशक वह गुमराहों में था।)

जरूरी बात

ऊपर बयान हुई आयतों से दुआ के आदाब यह मालूम हुए कि बार-बार रोने-गिड़गिड़ाने आह व फरियाद करने के साथ दुआ की जाये और उसके साथ अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना भी की जाये, इस तरह दुआ के कुबूल होने की बड़ी उम्मीद हो जाती है।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فَاقِدًا عَنَّا يَعْزِلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا أَلْبَابٌ وَمِنْهَا يُخْرِجُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَأَقْبَلَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ وَنَدْوَى النَّاسِ يَوْمَ يَقْبَلُهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ أَسْأَلُكَ بِرِسْمِكَ يَا رَبِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ مِن قَبْلِ مَا كُفَرْنَا مِن زَوَالٍ ۚ وَسَكَنَّاكُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَكَبُرَتْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفًا وَعْدَهُ ۚ رُسُلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سُرَابِيحُهُمْ ۚ مَنْ قَطَرًا ۚ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۚ لِيُجْزَىٰ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ

व ला तहस-बन्नल्ला-ह गाफिलन्
 अम्मा यज़्मलुज़्जालिमू-न, इन्नमा
 युअद्विखारुहुम् लियौमिन् तश्खासु
 फीहिल्-अब्सार (42) मुह्तिज़ी-न
 मुक्निज़ी रुऊसिहिम् ला यरतददु
 इलैहिम् तरफुहुम् व अपइ-दतुहुम्
 हवा-अ (43) व अन्ज़िरिन्ना-स
 यौ-म यअतीहिमुल्-अज़ाबु
 फ-यकूलुल्लज़ी-न ज़-लमू रब्बना
 अख़िब्रना इला अ-जलिन् करीबिन्
 नुजिब् दज़्ब-त-क व नत्तबिअिरुसु-ल,
 अ-व लम् तकूनू अक्सन्तुम् मिन्
 कब्बु मा लकुम् मिन् ज़वाल (44)
 व सकन्तुम् फी मसाकिनिल्लज़ी-न
 ज़-लमू अन्फु-सहुम् व तबय्य-न लकुम्
 कै-फ़ फ़अल्ना बिहिम् व ज़रब्ना
 लकुमुल्-अम्साल (45) व कद् म-करु
 मकरहुम् व अिन्दल्लाहि मकरहुम्, व
 इन् का-न मकरहुम् लि-तजू-ल मिन्हुल्-
 जिबाल (46) फ़ला तहस-बन्नल्ला-ह
 मुद्विल-फ़ वअ्दिही रुसु-लहू,
 इन्नल्ला-ह अज़ीजुन् जुन्तिकाम (47)
 यौ-म तुबदलुल्-अरज़ु गैरल्-अर्जि
 वस्समावातु व ब-रजू लिल्लाहिल्

और हरगिज़ मत ख्याल कर कि अल्लाह
 बेख़बर है उन कामों से जो करते हैं
 बेइन्साफ़, उनको तो ढील दे रखी है उस
 दिन के लिये कि पथरा जायेंगी आँखें।
 (42) दौड़ते होंगे ऊपर उठाये अपने सर,
 फिरकर नहीं आयेंगी उनकी तरफ़ उनकी
 आँखें, और दिल उनके उड़ गये होंगे।
 (43) और डरा दे लोगों को उस दिन से
 कि आयेगा उन पर अज़ाब, तब कहेंगे
 ज़ालिम ऐ हमारे रब! मोहलत दे हमको
 थोड़ी मुद्दत तक, कि हम क़बूल कर लें
 तेरे बुलाने को और पैरवी कर लें रसूलों
 की, क्या तुम पहले क़सम न खाते थे कि
 तुमको नहीं दुनिया से टलना। (44) और
 आबाद थे तुम बस्तियों में उन्हीं लोगों
 की जिन्होंने जुल्म किया अपनी जान पर
 और खुल चुका था तुमको कि कैसा
 किया हमने उनसे और बतलाये हमने
 तुमको सब किस्से। (45) और ये बना
 चुके हैं अपने दाव और अल्लाह के आगे
 है उनका दाव, और न होगा उनका दाव
 कि टल जायें उससे पहाड़। (46) सो
 ख्याल मत कर कि अल्लाह ख़िलाफ़ कर
 लेगा अपना वादा अपने रसूलों से, बेशक
 अल्लाह ज़बरदस्त है बदला लेने वाला।
 (47) जिस दिन बदली जाये इस ज़मीन से
 और ज़मीन और बदले जायें आसमान
 और लोग निकल खड़े हों अल्लाह अकेले

वाह्दिल्-कह्हार (48) व तरल्-
मुज़्ज़िमी-न यौ-मइज़िम् मुकर्रनी-न
फिल्-अस्फ़ाद (49) सराबीलुहुम् मिन्
क़तिरानिं-व तशशा वुजू-हहुमुन्नार
(50) लियजूजियल्लाहु कुल्-ल
नफ़िसम् मा क-सबत्, इन्नल्ला-ह
सरीअुल्-हिसाब (51) हाजा
बलागुल्-लिन्नासि व लियुन्ज़रू बिही
व लि-यअ़्लमू अन्नमा हु-व इलाहुं-व
वाहिदुं-व लि-यज़्ज़क्क-र उलुल्-
अल्बाब (52) ❁

जबरदस्त के सामने। (48) और देखे तू
गुनाहगारों को उस दिन आपस में जकड़े
हुए जन्जीरों में। (49) कुर्ते उनके हैं
गंधक के और ढाँके लेती है आग उनके
मुँह को। (50) ताकि बदला दे अल्लाह
हर एक जी को उसकी कमाई का, बेशक
अल्लाह जल्द करने वाला है हिसाब। (51)
यह ख़बर पहुँचा देनी है लोगों को और
ताकि चौंक जायें इससे, और ताकि जान
लें कि माबूद वही एक है, और ताकि
सोच लें अक्ल वाले। (52) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

और (ऐ मुखातब!) जो कुछ ये ज़ालिम (काफिर) लोग कर रहे हैं उससे खुदा तआला को (जल्दी अज़ाब न देने की बिना पर) बेख़बर मत समझ (क्योंकि) इनको सिर्फ़ उस दिन तक मोहलत दे रखी है जिसमें उन लोगों की निगाहें (हैरत व दहशत के मारे) फटी रह जाएँगी (और वे बुलाये जाने के मुताबिक़ हिसाब की जगह की तरफ़) दौड़ते होंगे (और बहुत ज़्यादा हैरानी व परेशानी से) अपने सर ऊपर उठा रखे होंगे, (और) उनकी नज़र उनकी तरफ़ हटकर न आएगी (यानी ऐसी टिकटिकी बंधेगी कि आँख न झपकेंगे) और उनके दिल (बहुत ज़्यादा घबराहट के सबब) बिल्कुल बदहवास होंगे। और (जब वह दिन आ जायेगा फिर मोहलत न होगी। पर) आप इन लोगों को उस दिन (के आने) से डराइये जिस दिन इन पर अज़ाब आ पड़ेगा। फिर ये ज़ालिम लोग कहेंगे कि: ऐ हमारे रब! एक थोड़ी-सी मुद्दत तक हमको (और) मोहलत दे दीजिये (और दुनिया में फिर भेज दीजिये) हम (उस वक़्त में) आपका सब कहना मान लेंगे और पैग़म्बरों की इत्तिबा "यानी पैरवी" करेंगे। (जवाब में इरशाद होगा कि क्या हमने दुनिया में तुमको एक लम्बी मोहलत न दी थी और) क्या तुमने (उस मोहलत के लम्बा होने ही के सबब) इससे पहले (दुनिया में) क़समें न खाई थीं कि तुमको (दुनिया से) कहीं जाना ही नहीं है (यानी क्रियामत के इनकारी थे, और इस पर क़सम खाते थे। जैसा कि कुरआन में खुद उनके इस कौल का ज़िक्र आया है, देखिये सूर: नहल की आयत नम्बर 38) हालाँकि (इनकार से बाज़ आ जाने के असबाब सब जमा थे, चुनाँचे) तुम उन (पहले) लोगों के रहने की जगहों में रहते थे जिन्होंने (कुफ़्र और

कियामत का इनकार करके) अपनी जात का नुकसान किया था, और तुमको (निरंतर ख़बरों से) यह भी मालूम हो गया था कि हमने उनके साथ किस तरह का मामला किया था (कि उनके कुफ़ व इनकार पर उनको सज़ायें दीं। इससे तुमको मालूम हो सकता था कि इनकार करना ग़ज़ब का सबब है; पस तस्दीक़ "व ईमान" वाजिब है। और उनके रहने की जगहों में रहना हर वक़्त उनके हालात की याद दिलाने का सबब हो सकता था, पस इनकार की किसी वक़्त गुंजाईश न थी)।

और (उन वाकिआत के सुनने के अलावा जो कि इबत के लिये काफ़ी थे) हमने (भी) तुमसे मिसालें बयान कीं (यानी आसमानी किताबों में हमने भी उन वाकिआत को मिसाल के तौर पर बयान किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी ऐसे ही ग़ज़ब व अज़ाब के मुस्तहिक़ होगे, पस वाकिआत का पहले ख़बरों से सुनना फिर हमारा उनको बयान करना, फिर उनके जैसी हालात पेश आना फिर चेतावनी देना, इन सब असबाब का तकाज़ा तो यह था कि कियामत का इनकार न करते)।

और (हमने जिन पहले लोगों को उनके कुफ़ व इनकार पर सज़ायें दीं) उन लोगों ने (सच्चे दीन के मिटाने में) अपनी-सी बहुत ही बड़ी-बड़ी तदबीरों की थीं, और उनकी (ये सब) तदबीरें अल्लाह के सामने थीं (उसके इल्म से छुपी न रह सकती थीं)। और वाकई उनकी तदबीरें ऐसी थीं कि (अज़ब नहीं) उनसे पहाड़ भी (अपनी जगह से) टल जाएँ (मगर फिर भी हक़ ही ग़ालिब रहा और उनकी सारी तदबीरें बेकार हो गईं और वे हलाक किये गये। इससे भी मालूम हो गया कि हक़ वही है जो पैग़म्बर फ़रमाते थे और उसका इनकार ग़ज़ब व अज़ाब का सबब है। जब कियामत में उनका मग़लूब होना मालूम हो गया) पस (ऐ मुखातब!) अल्लाह तअ़ाला को अपने रसूलों से वायदा-ख़िलाफ़ी करने वाला न समझना (चुनाँचे कियामत के दिन उनके इनकार करने वालों के अज़ाब का वादा था सो वह पूरा होगा, जैसा कि ऊपर बयान हुआ), बेशक अल्लाह तअ़ाला बड़ा ज़बरदस्त (और) पूरा बदला लेने वाला है (कि उसको कोई बदला लेने से नहीं रोक सकता। पस क़ुदरत भी कामिल फिर मर्ज़ी का ताल्लुक़ ऊपर मालूम हुआ, फिर वादे के ख़िलाफ़ होने का क्या शुब्हा रहा)।

(और यह बदला उस दिन होगा) जिस दिन दूसरी ज़मीन बदल दी जायेगी इस ज़मीन के अलावा, और आसमान भी (दूसरे बदल दिये जायेंगे इन आसमानों के अलावा, क्योंकि पहली बार के सूर फूँकने से सब ज़मीन व आसमान टूट-फूट जायेंगे, फिर दूसरी बार में नये सिरे से ज़मीन व आसमान बनेंगे), और सब-के-सब एक (और) ज़बरदस्त अल्लाह के सामने पेश होंगे (मुराद इससे कियामत का दिन है। यानी कियामत में बदला लिया जायेगा)। और (उस रोज़ ऐ मुखातब!) तू मुजरिमों को (यानी काफ़िरों को) जन्जीरों में जकड़े हुए देखेगा। (और) उनके कुर्ते क़तिरान के होंगे (यानी सारे बदन को क़तिरान लिपटी होगी कि उसमें आग जल्दी और तेज़ी के साथ लगे, और क़तिरान चीड़ के पेड़ का रोगन होता है जैसा कि लुगात व तिब की किताबों में इसकी वज़ाहत है) और आग उनके चेहरों पर (भी) लिपटी होगी (यह सब कुछ इसलिये होगा)

ताकि अल्लाह तआला हर (मुजरिम) शाख्स को उसके किये की सज़ा दे (और अगरचे ऐसे मुजरिम बेइन्तिहा होंगे मगर) यकीनन अल्लाह तआला (को उनका हिसाब व किताब कुछ दुश्वार नहीं, क्योंकि वह) बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है (सब का फ़ैसला शुरू करके फ़ौरन ही खत्म कर देगा)। यह (कुरआन) लोगों के लिये अहकाम का पहुँचाना है (ताकि पहुँचाने वाले यानी रसूल की तस्दीक करें) और ताकि इसके ज़रिये से (अज़ाब से) डराये जाएँ, और ताकि इस बात का यकीन कर लें कि वही एक सच्चा माबूद है, और ताकि समझदार लोग नसीहत हासिल करें।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: इब्राहीम में नबियों व रसूलों और उनकी कौमों के कुछ हालात व मामलात की तफ़सील और अल्लाह के अहकाम की मुखालफ़त करने वालों के बुरे अन्जाम और आख़िर में हज़रत ख़लीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तजक़िरा था जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की, और जिनकी औलाद के लिये अल्लाह तआला ने मक्का मुकर्रमा की बस्ती बसाई, और उसमें बसने वालों को हर तरह का अमन व अमान और ग़ैर-मामूली (असाधारण) तौर पर आर्थिक सहूलतें अता फ़रमाई, उन्हीं की औलाद 'बनी इस्माईल' कुरआने अज़ीम और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पहले मुखातब हैं।

सूर: इब्राहीम के इस आख़िरी रुकूअ में खुलासे के तौर पर उन्हीं मक्का वालों को पिछली कौमों के हालात से इब्त हासिल करने की हिदायत और अब भी होश में न आने की सूरत में कियामत के हीलनाक अज़ाबों से डराया गया है।

पहली आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हर मज़लूम की तसल्ली और ज़ालिम के लिये सज़ा अज़ाब की धमकी है कि ज़ालिम और मुजरिम लोग अल्लाह तआला की ढील देने से बेफ़िक्र न हो जायें और यह न समझ लें कि अल्लाह तआला को उनके जुर्मों की ख़बर नहीं, इसलिये बावजूद जुर्मों के वे फल-फूल रहे हैं, कोई अज़ाब व मुसीबत उन पर नहीं आती, बल्कि वे जो कुछ कर रहे हैं सब अल्लाह तआला की नज़र में है मगर वह अपनी रहमत और हिक्मत के तकाज़े से ढील दे रहे हैं।

لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا

यानी न समझो अल्लाह तआला को ग़ाफ़िल। यह ख़िताब बज़ाहिर हर उस शाख्स के लिये है जिसको उसकी ग़फलत और शैतान ने इस धोखे में डाला हुआ है। और अगर इसके मुखातब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हों तो भी मक़सद इससे उम्मत के ग़ाफ़िलों को सुनाना और चेताना है, क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसकी संभावना ही नहीं कि वह मज़ाज़ल्लाह अल्लाह तआला को हालात से बेख़बर या ग़ाफ़िल समझें।

दूसरी आयत में बतलाया कि उन ज़ालिमों पर फ़ौरी तौर पर अज़ाब न आना उनके लिये कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि इसका अन्जाम यह है कि ये लोग अचानक कियामत और आख़िरत के

अज़ाब में पकड़ लिये जायेंगे। आगे सूर: के खत्म तक आख़िरत के उस अज़ाब की तफ़सीलात और हौलनाक वाकिआत का बयान है।

لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝

“यानी उस दिन जबकि फटी रह जायेंगी आँखें।”

مُهْطِعِينَ مُقْنِبِينَ رُءُوسِهِمْ ۝

“यानी ख़ौफ़ व हैरत के सबब सर ऊपर उठाये हुए तेज़ी से बदहवासी की हालत में दौड़ रहे होंगे।”

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۝

“उनकी पलकें न झपकेंगी।”

وَأَلْفَيْتَهُمْ هَوَاءَ ۝

“उनके दिल ख़ाली बदहवास होंगे।”

ये हालात बयान करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है कि आप अपनी क़ौम को उस दिन के अज़ाब से डराईये जिसमें ज़ालिम और मुजरिम लोग मजबूर होकर पुकारेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमें कुछ और मोहलत दे दीजिये। यानी फिर दुनिया में चन्द दिन के लिये भेज दीजिये ताकि हम आपकी दावत कुबूल कर लें और आपके रसूलों की पैरवी करके इस अज़ाब से निजात हासिल कर सकें। अल्लाह तआला की तरफ़ से उनकी दरख्वास्त का यह जवाब होगा कि अब तुम यह कह रहे हो, क्या तुमने इससे पहले कसमें नहीं खाई थीं कि हमारी दौलत और शान व शौकत को ज़वाल (ख़ात्मा और पतन) न होगा, हम हमेशा दुनिया में यूँ ही ऐश व मस्ती में रहेंगे और दोबारा ज़िन्दा होने और आख़िरत के जहान का इनकार किया था।

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكِينٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ لَعْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝

ज़ाहिर यह है कि यह ख़िताब अरब के मुशिरकों को है जिनके लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म हुआ है:

أَلْبِرِ النَّاسَ

“यानी डराओ उन लोगों को।”

इस ख़िताब में उनको चेताया गया है कि पहली क़ौमों के हालात व इन्क़िलाबात तुम्हारे लिये बेहतरीन नसीहत हैं, ताज्जुब है कि तुम उनसे इब्त हासिल नहीं करते, हालाँकि तुम उन्हीं हलाक होने वाली क़ौमों के घरों में बसते और चलते फिरते हो, और तुम्हें कुछ हालात के देखने, अनुभव से और कुछ लगातार ख़बरों से यह भी मालूम हो चुका है कि अल्लाह तआला ने उनकी नाफ़रमानियों की वजह से उन पर कैसा सख़्त अज़ाब नाज़िल किया, और हमने भी तुम्हारे राह पर लाने के लिये बहुत-सी मिसालें बयान कीं, फिर भी तुम होश में नहीं आते।

रिवायतों में है कि पूरी ज़मीन एक बराबर सतह की बना दी जायेगी, जिसमें न किसी मकान की आड़ होगी न पेड़ वगैरह की, न कोई पहाड़ और टीला रहेगा न गड़्ढा और गहराई। कुरआने करीम में इसी हाल का ज़िक्र इस तरह फरमाया है:

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

यानी इमारतों और पहाड़ों की वजह से जो आजकल रास्ते और सड़कें मुड़कर गुज़रती हैं और कहीं ऊँचाई है कहीं गहराई, यह सूरत न रहेगी, बल्कि सब साफ़ मैदान हो जायेगा। और कहीं ऊँचाई है कहीं गहराई, यह सूरत न रहेगी, बल्कि सब साफ़ मैदान हो जायेगा। और ज़मीन व आसमान की तब्दीली के यह मायने भी हो सकते हैं कि बिल्कुल ही इस ज़मीन के बदले में दूसरी ज़मीन और इस आसमान की जगह दूसरे आसमान बना दिये जायें। हदीस की रिवायतें जो इसके बारे में बयान हुई हैं उनमें भी कुछ से सिर्फ़ सिफ़ात की तब्दीली मालूम होती है, कुछ से ज़ात की तब्दीली।

इमाम-ए-हदीस बैहकी ने सही सनद से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में यह नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेहशर की ज़मीन बिल्कुल नई ज़मीन चाँदी की तरह सफ़ेद होगी, और यह ज़मीन ऐसी होगी जिस पर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा, जिस पर किसी का नाहक खून नहीं गिराया गया होगा। इसी तरह मुस्नद अहमद और तफसीर इब्ने जरीर की हदीस में यही मज़मून हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है। (तफसीर मज़हरी)

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन लोग एक ऐसी ज़मीन पर उठाये जायेंगे जो ऐसी साफ़ व सफ़ेद होगी जैसे मेदे की रोटी, उसमें किसी की कोई अज़ामत (मकान, बाग़, पेड़, पहाड़, टीला वगैरह की) कुछ न होगी। यही मज़मून इमाम बैहकी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर में नक़ल किया है।

और हाकिम ने मज़बूत सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन यह ज़मीन इस तरह खींची जायेगी जैसे चमड़े को खींचा जाये, जिससे इसकी सलवटें और शिकन निकल जायें (इसकी वजह से ज़मीन के गार (खोह और गड़्ढे) और पहाड़ सब बराबर होकर एक बराबर की सतह बन जायेगी और उस वक़्त आदम की तमाम औलाद उस ज़मीन पर जमा होगी। इस हुजूम की वजह से एक इनसान के हिस्से में सिर्फ़ उतनी ही ज़मीन होगी जिस पर वह खड़ा हो सके। फिर मेहशर में सबसे पहले मुझे बुलाया जायेगा, मैं रब्बुल-इज़ज़त के सामने सज्दे में गिर पड़ूंगा, फिर मुझे शफ़ाअत की इजाज़त दी जायेगी तो मैं तमाम मख़्लूक के लिये शफ़ाअत करूँगा कि उनका हिसाब-किताब जल्द हो जाये।

इस आख़िरी रिवायत से तो बज़ाहिर यह मालूम होता है कि ज़मीन में तब्दीली सिर्फ़ सिफ़ात की होगी कि गार और पहाड़ और इमारत और पेड़ न रहेंगे, मगर ज़मीन की ज़ात (वजूद) यही

रिवायतों में है कि पूरी ज़मीन एक बराबर सतह की बना दी जायेगी, जिसमें न किसी मकान की आड़ होगी न पेड़ वगैरह की, न कोई पहाड़ और टीला रहेगा न गड़ड़ा और गहराई। कुरआने करीम में इसी हाल का जिक्र इस तरह फरमाया है:

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

यानी इमारतों और पहाड़ों की वजह से जो आजकल रास्ते और सड़कें मुड़कर गुज़रती हैं और कहीं ऊँचाई है कहीं गहराई, यह सूरत न रहेगी, बल्कि सब साफ़ मैदान हो जायेगा। और ज़मीन व आसमान की तब्दीली के यह मायने भी हो सकते हैं कि बिल्कुल ही इस ज़मीन के बदले में दूसरी ज़मीन और इस आसमान की जगह दूसरे आसमान बना दिये जायें। हदीस की रिवायतें जो इसके बारे में बयान हुई हैं उनमें भी कुछ से सिर्फ़ सिफ़ात की तब्दीली मालूम होती है, कुछ से ज़ात की तब्दीली।

इमाम-ए-हदीस बैहकी ने सही सनद से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में यह नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेहशर की ज़मीन बिल्कुल नई ज़मीन चाँदी की तरह सफ़ेद होगी, और यह ज़मीन ऐसी होगी जिस पर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा, जिस पर किसी का नाहक खून नहीं गिराया गया होगा। इसी तरह मुस्नद अहमद और तफ़सीर इब्ने जरीर की हदीस में यही मज़मून हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन लोग एक ऐसी ज़मीन पर उठायें जायेंगे जो ऐसी साफ़ व सफ़ेद होगी जैसे मेदे की रोटी, उसमें किसी की कोई अलामत (मकान, बाग़, पेड़, पहाड़, टीला वगैरह की) कुछ न होगी। यही मज़मून इमाम बैहकी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफ़सीर में नक़ल किया है।

और हाकिम ने मज़बूत सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन यह ज़मीन इस तरह खींची जायेगी जैसे चमड़े को खींचा जाये, जिससे इसकी सलवटें और शिकन निकल जायें (इसकी वजह से ज़मीन के ग़ार (खोह और गड़ड़े) और पहाड़ सब बराबर होकर एक बराबर की सतह बन जायेगी और उस वक़्त आदम की तमाम औलाद उस ज़मीन पर जमा होगी। इस हुजूम की वजह से एक इनसान के हिस्से में सिर्फ़ उतनी ही ज़मीन होगी जिस पर वह खड़ा हो सके। फिर मेहशर में सबसे पहले मुझे बुलाया जायेगा, मैं रब्बुल-इज़्ज़त के सामने सज्दे में गिर पड़ूँगा, फिर मुझे शफ़ाअत की इजाज़त दी जायेगी तो मैं तमाम मख़लूक के लिये शफ़ाअत करूँगा कि उनका हिसाब-किताब जल्द हो जाये।

इस आख़िरी रिवायत से तो बज़ाहिर यह मालूम होता है कि ज़मीन में तब्दीली सिर्फ़ सिफ़ात की होगी कि ग़ार और पहाड़ और इमारत और पेड़ न रहेंगे, मगर ज़मीन की ज़ात (वजूद) यही

बाकी रहेगी, और पहली सब रिवायतों से मालूम होता है कि मेहशर की ज़मीन इस मौजूदा ज़मीन के अलावा कोई और होगी, और जिस तब्दीली का ज़िक्र इस आयत में है उससे ज़ात (वजूद) की तब्दीली मुराद है।

तफसीर बयानुल-कुरआन में हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अली धानवी) रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इन दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, हो सकता है कि पहले सूर फूँकने के वक़्त इसी मौजूदा ज़मीन की सिफ़ात तब्दील की जायें और फिर हिसाब-किताब के लिये उनको किसी दूसरी ज़मीन की तरफ़ मुन्तकिल किया जाये।

तफसीरे मज़हरी में मुस्नद अब्द इब्ने हुमैद से हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल नक़ल किया है जिससे इसकी ताईद होती है। उसके अलफ़ाज़ का तर्जुमा यह है कि यह ज़मीन सिमट जायेगी और इसके पहलू (बराबर) में एक दूसरी ज़मीन होगी जिस पर लोगों को हिसाब किताब के लिये खड़ा किया जायेगा।

सही मुस्लिम में हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक यहूदी आलिम आया और यह सवाल किया कि जिस दिन यह ज़मीन बदली जायेगी तो आदमी कहाँ होंगे? आपने इरशाद फ़रमाया कि पुलसिरात के पास एक अंधेरे में होंगे।

इससे यह भी मालूम होता है कि मौजूदा ज़मीन से पुल-सिरात के ज़रिये दूसरी तरफ़ मुन्तकिल किये जायेंगे। और इब्ने जरिर ने अपनी तफसीर में अनेक सहाबा व ताबिईन के ये अक़वाल नक़ल किये हैं कि उस वक़्त मौजूदा ज़मीन और इसके सब दरिया आग हो जायेंगे, गोया यह सारा इलाका जिसमें अब दुनिया आबाद है उस वक़्त जहन्नम का इलाका हो जायेगा, और असल हकीकत अल्लाह तआला ही को मालूम है, बन्दे के लिये इसके सिवा चारा नहीं:

जुबाँ ताज़ा करदन् ब-इफ़रारे तू ☆ न-यंगख़्तन इल्लत अज़ कारे तू
यानी जिस चीज़ का हुक्म हो उसका इफ़रार करे और सर झुकाकर दिल व जान से मान ले,
उसके सबब और इल्लत की खोज में न पड़े। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

आख़िरी आयतों में जन्मत वालों का यह हाल बतलाया गया है कि मुजरिम लोगों को एक जन्जीर में बाँध दिया जायेगा। यानी हर जुर्म के मुजरिम अलग-अलग जमा करके एक साथ बाँध दिये जायेंगे और उनको जो लिबास पहनाया जायेगा वह कतिरान का होगा जिसको तारकूल कहा जाता है, और वह एक आग पकड़ने वाला माद्दा है कि आग फ़ौरन पकड़ लेता है।

आख़िरी आयत में इरशाद फ़रमाया कि कियामत के हालात का यह सब बयान करना लोगों को तंबीह करने के लिये है ताकि वे अब भी समझ लें कि इबादत व फ़रमाँबरदारी के काबिल सिर्फ़ एक ज़ात अल्लाह तआला की है, और ताकि जिनमें कुछ भी अक्ल व होश है वे शिर्क से बाज़ आ जायें।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: इब्राहीम की तफसीर पूरी हुई।)

एक याददाश्त और इत्तिला

अहक़र नाकारा न इसका अहल था कि कुरआन की तफ़सीर लिखने की ज़रत करे, न कभी इस ख़्याल की हिम्मत करता था, अलबत्ता अपने मुशिद हज़रत हकीमुल-उम्मत धानवी रस्मतुल्लाहि अलैहि की तफ़सीर बयानुल-कुरआन को जो इस ज़माने की बेनज़ीर दरमियानी तफ़सीर है, न बहुत मुख़्तसर कि कुरआन के मज़मून को समझना मुश्किल हो, न बहुत विस्तृत कि पढ़ना मुश्किल हो। फिर अल्लाह तआला के अता किये हुए इल्म व ज़हानत और तफ़्वा व तहारत की बरकत से विभिन्न अक्वाल में से एक को तरज़ीह देकर लिख देने का जो ख़ास ज़ौक हक़ तआला ने आपको अता फ़रमाया था वह बड़ी तफ़्सीरों से भी हासिल होना मुश्किल था, मगर यह तफ़्सीर हज़रत-ए-वाला रह. ने अहले इल्म के लिये उन्हीं की ज़बान और इल्मी परिभाषाओं में लिखी है, अ़वाम और खुसूसन इस ज़माने के अ़वाम जो अ़रबी भाषा और उसकी इस्तिलाहों (परिभाषाओं) से बहुत दूर हो चुके हैं उनको इस तफ़्सीर से लाभ उठाना मुश्किल था।

इसलिये यह ख़्याल अक्सर रहा करता था कि इसके उम्दा मज़ामीन को आजकल की आसान ज़बान में लिखा जाये, मगर यह भी कोई आसान काम न था।

अल्लाह का हुक्म और तफ़दीर का फैसला कि इसकी शुरूआत इस तरह हो गई कि रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर साहिब ने मुझ पर ज़ोर डाला कि रेडियो पर एक सिलसिला कुरआन की ख़ास-ख़ास आयतों का "मज़ारिफ़ुल-कुरआन" के उनवान से जारी किया जाये। उनका तकाज़ा व इसरार इस काम के आगाज़ का सबब बन गया और रेडियो पाकिस्तान पर हर जुमे के दिन, जुमा 3 शव्वाल सन् 1373 हिजरी मुताबिक 2 जौलाई सन् 1954 ई. से शुरू होकर 15 सफ़र सन् 1384 हिजरी मुताबिक 25 जून सन् 1964 ई. तक जारी रहा, जो सूर: इब्राहीम के समापन पर रेडियो पाकिस्तान के महक़मे की तरफ़ से ख़त्म कर दिया गया।

हक़ तआला ने इसको मेरे वहम व गुमान से ज़्यादा मक़बूलियत अता फ़रमाई, और दुनिया के कोने-कोने से इसको किताबी सुरत में छापने का तकाज़ा हुआ। इसका इरादा किया तो जितना काम उस वक़्त हो चुका था वह भी इस लिहाज़ से नामुकम्मल था कि यह सिलसिला ख़ास-ख़ास और चुनिन्दा आयतों का था, बीच की आयतों को जो ख़ालिस इल्मी थीं रेडियो पर अ़वाम को उनकी तफ़्सीर समझाना आसान न था, वो रह गई थीं। किताबी शक़्ल में छापने के लिये उनका सिलसिला भी पूरा करना था जो वक़्ती कामों की वजह से पूरा करना मुश्किल था।

कुदरत की अ़ज़ीब कार्रवाई और निशानियों में से है कि रमज़ान सन् 1388 हिजरी में अहक़र सख़्त बीमार होकर चलने-फिरने से माज़ूर होकर बिस्तर का हो रहा, और मौत सामने महसूस होने लगी, तो इसका अफ़सोस सताने लगा कि ये मुसौदे यूँ ही जाया हो जायेंगे। हक़ तआला ने दिल में यह ज़ब्बा व तकाज़ा पैदा फ़रमा दिया कि लेटे-बैठे "मज़ारिफ़ुल-कुरआन" के मसौदों पर नज़र-ए-सानी और बीच की जो आयतें रह गई हैं उनकी तकमील किसी तरह इसी हालत में कर दी जाये।


उधर बीमारी का सिलसिला लम्बा होता चला गया, बीमारी ने तमाम दूसरे काम तो पहले ही छुड़ा दिये थे अब सिर्फ यही मशगला रह गया, इसलिये कुदरत के अजीब व गरीब इन्तिज़ाम ने इसी बीमारी में अल्लाह के फज़ल से यह काम 29 रजब सन् 1390 हिजरी तक पूरा करा दिया। यहाँ तक कि सूर: इब्राहीम का समापन और कुरआन पाक के तेरह पारे उसी रेडियो से प्रसारित सबकों के ज़रिये पूरे हो गये।

अब अल्लाह तआला ने अगले हिस्से के लिखने की तौफ़ीक़ व हिम्मत भी अता फ़रमा दी। चलने-फिरने से माज़ूरी की तकलीफ़ भी दूर फ़रमा दी, अगरवे विभिन्न और अनेक बीमारियों का सिलसिला तकरीबन लगातार रहा और कमजोरी भी बढ़ती रही मगर अल्लाह तआला के फज़ल व करम और उसी की इमदाद से 30 शाबान सन् 1390 हिजरी से कुरआन के अगले पारों की तफसीर का लिखना शुरू होकर इस वक़्त जबकि "मज़ारिफुल-कुरआन" की तीन जिल्दें छपकर प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी 25 सफ़र सन् 1391 हिजरी में इस तफसीर का मुसौदा कुरआने करीम की चौथी मन्ज़िल सूर: फ़ुरक़ान उन्नवीसवें पारे तक अल्लाह तआला की मदद से मुकम्मल हो चुका है।

इस वक़्त भी अनेक बीमारियों और कमजोरी का सिलसिला है और अल्लाह का शुक्र है कि यह काम भी जारी है, कुछ बर्इद नहीं कि अल्लाह तआला अपने फज़ल व करम से इसकी तकमील (पूरा करने) की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है उसके लिये कोई काम मुश्किल नहीं।

बन्दा मुहम्मद शफ़ी
25 सफ़र सन् 1391 हिजरी

Maktab_e_Ashraf



* सूरः हिज़्र *

यह सूरत मक्की है। इसमें 99 आयतें
और 6 रुकूअ हैं।

सूर: हिज्र

सूर: हिज्र मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 99 आयतें और 6 रुकूज़ हैं।

سُورَةُ الْحَجْرِ مَكِّيَّةٌ (15) اِيَّاهَا ۝ ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِيْ تِلْكَ آيٰتِ الْكِتٰبِ وَقُرْآنٍ مُّبِیْنٍ ۝

رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ ذَرُوْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَمْتَعُوْا بِمُلْكِهِمْ اِلَّا مَلَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَكُنَّا بِهَا مُعْلُوْمًا ۝ مَا تَسْبِيْحٌ مِنْ اُمَّةٍ اَجْلَآهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ़-लाम्-रा। तिल्-क आयातुल्-किताबि व कुरआनिम्-मुबीन। (1)

ये आयतें हैं किताब की और स्पष्ट कुरआन की। (1)

पारा (14) रु-बमा

रु-बमा यवददुल्लज़ी-न क-फ़रु लौ कानू मुस्लिमीन (2) ज़रहुम् यज़कुलू व य-तमतज़ू व युल्हिहिमुल्-अ-मलु फ़सौ-फ़ यज़लमून (3) व मा अह्लक्ना मिन् कर्यतिन् इल्ला व लहा किताबुम्-मज़लूम (4) मा तस्बिक्ु मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा यस्तज़्खिरून (5)

किसी वक़्त आरज़ू करेंगे ये लोग जो मुन्किर हैं- क्या अच्छा होता जो होते मुसलमान। (2) छोड़ दे इनको खा लें और बरत लें और उम्मीद में लगे रहें, सो आईन्दा मालूम कर लेंगे। (3) और कोई बस्ती हमने ग़ारत नहीं की मगर उसका वक़्त लिखा हुआ था मुकरर। (4) न आगे बढ़ता है कोई फ़िर्का अपने निर्धारित वक़्त से और न पीछे रहता है। (5)

ख़ुलासा-ए-तफ्सीर

अलिफ़-ताम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये आयतें हैं एक कामिल किताब और स्पष्ट कुरआन की (यानी इसकी दोनों सिफ़तें हैं- कामिल किताब होना भी और स्पष्ट कुरआन होना भी। इन कलिमात से कुरआने करीम का सच्चा कलाम होना वाज़ेह करने के बाद उन लोगों की मायूसी व हसरत और अज़ाब का बयान है जो कुरआन पर ईमान नहीं लाते, या इसके अहकाम की तामील नहीं करते। फ़रमाया:

رَبَّمَانِوُذَالَّذِينَ كَفَرُواوَالَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝

(यानी जब कियामत के हशर व नशर के मैदान में काफ़िरों पर तरह-तरह का अज़ाब होगा तो) काफ़िर लोग बार-बार तमन्ना करेंगे कि क्या अच्छा होता अगर वे (यानी हम दुनिया में) मुसलमान होते। (बार-बार इसलिये कि जब कोई नई सख़्ती और मुसीबत देखेंगे तो हर मर्तबा अपने इस्लाम न लाने पर अफ़सोस व हसरत ताज़ा होती रहेगी)। आप (दुनिया में उनके कुफ़्र पर गुम न कीजिये और) उनको उनके हाल पर रहने दीजिये कि वे (ख़ूब) खा लें और चैन उड़ा लें और ख़्याली मन्सूबे उनको गुफ़लत में डाले रखें, उनको अभी (मरने के साथ ही) हकीकत मालूम हुई जाती है (और दुनिया में जो उनको उनके कुफ़्र और बुरे आमाल की फ़ौरन सज़ा नहीं मिलती इसकी वजह यह है कि अल्लाह तज़ाला ने सज़ा का वक़्त मुक़र्र कर रखा है, अभी वह वक़्त नहीं आया)। और हमने जितनी बस्तियाँ (कुफ़्र की वजह से) हलाक की हैं उन सब के लिये एक निर्धारित वक़्त लिखा हुआ होता रहा है। और (हमारा उसूल है कि) कोई उम्मत अपनी तयशुदा भियाद से न पहले हलाक हुई है और न पीछे रही है (बल्कि तयशुदा वक़्त पर हलाक हुई है। इसी तरह जब इनका वक़्त आ जायेगा उनको भी सज़ा दी जायेगी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ذُرَّهُمْ يَأْكُلُوا..... الخ

(यानी इस सूरात की आयत नम्बर 3) से मालूम हुआ कि खाने-पीने को मक़सद और असली धंधा बना लेना और दुनियावी ऐश व आराम के सामान में मौत से बेफ़िक्र होकर लम्बी-लम्बी योजनाओं में लगे रहना काफ़िरों ही से हो सकता है, जिनका आख़िरत और उसके हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा पर ईमान नहीं। मोमिन भी खाता-पीता है, और ज़रूरत के मुताबिक़ रोज़ी कमाने का सामान करता है, और आईन्द्या के कारोबार की योजनायें भी बनाता है, मगर मौत और आख़िरत की फ़िक्र से गुफ़िल होकर यह काम नहीं करता। इसी लिये हर काम में हलाल व हराम की फ़िक्र रहती है और बेकार की योजनायें बनाने को अपना मशग़ला (धंधा और व्यस्तता) नहीं बनाता। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि चार चीज़ें बदबख़्ती और बदनसीबी की निशानियाँ हैं- आँखों से आँसू जारी न होना (यानी अपने गुनाहों

और गुफ़लतों पर शर्मिन्दा होकर न रोना), दिल का सख्त होना, उम्मीदों का लम्बा होना और दुनिया की हिर्स। (तफसीरी कूर्तुबी, मुस्नदे बज़्ज़ार के हवाले और हज़रत अनस रज़ि. की रिवायत से)

और उम्मीदों के लम्बा होने का मतलब यह है कि दुनिया की मुहब्बत और हिर्स में खोकर और मौत व आखिरत से बेफिक्री के साथ दूर-दराज़ की योजनायें बनाई जायें। (तफसीरी कूर्तुबी) जो योजनायें दीनी मक़ासिद के लिये या किसी कौम व मुल्क के आइन्दा के फ़ायदे के लिये बनाई जाती हैं वे इसमें दाख़िल नहीं, क्योंकि वो आखिरत की फ़िक्र ही की एक सुरत है।

और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस उम्मत के पहले तब्क़े की निजात कामिल ईमान और दुनिया से मुँह मोड़ लेने की वजह से होगी, और इस उम्मत के आखिरी तब्क़े के लोग कन्ज़ूसी और लम्बी उम्मीद की वजह से हलाक होंगे।

और हज़रत अबूदरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि वह जामा मस्जिद दमिश्क के मिम्बर पर खड़े हुए और फ़रमाया- ऐ दमिश्क़ वालो! क्या तुम अपने एक हमदर्द भला चाहने वाले भाई की बात सुनोगे? सुन लो! कि तुम से पहले बहुत बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं जिन्होंने माल व मत्ता बहुत जमा किया और बड़े-बड़े शानदार महल तामीर किये और दूर-दराज़ के लम्बे मन्सूबे बनाये, आज वे सब हलाक हो चुके हैं, उनके मकानात उनकी क़ब्रें हैं, और उनकी लम्बी उम्मीदें सब धोखा और फ़रेब साबित हुईं। आद कौम तुम्हारे करीब थी जिसने अपने आदमियों से और हर तरह के माल व असबाब और हथियारों व घोड़ों से मुल्क को भर दिया था, आज कोई है जो उनकी विरासत मुझसे दो दिरहम में ख़रीदने को तैयार हो जाये।

हज़रत हसन बसरी रस्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि जो शख्स अपनी जिन्दगी में लम्बी उम्मीदें बाँधता है उसका अमल ज़रूर ख़राब हो जाता है। (तफसीरी कूर्तुबी)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا إِذَا مُنظَرِيْنَ ۝

व कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़िज़-ल
अलैहिज़िज़क़रु इन्न-क ल-मज़नून
(6) लौ मा तअतीना बिल्मलाइ-कति
इन् कुन्-त मिनस्सादिकीन (7) मा
नुनज़िज़लुल्-मलाइ-क-त इल्ला बिल्-
हक्किक् व मा कानू इज़म्-मुन्ज़रीन (8)

और लोग कहते हैं- ऐ वह शख्स कि तुझ पर उतरा है कुरआन, तू बेशक दीवाना है। (6) क्यों नहीं ले आता हमारे पास फ़रिश्तों को अगर तू सच्चा है। (7) हम नहीं उतारते फ़रिश्तों को मगर काम पूरा करके, और उस वक़्त न मिलेगी उनको मोहलत। (8)

खुलासा-ए-तफसीर

(‘इल्ला बिल्हक्किक्’ में लफज़ हक् से मुराद अज़ाब का फ़ैसला है और कुछ मुफ़स्सरीन ने

कुरआन या रिसालत को इससे मुराद लिया है। तफसीर बयानुल-कुरआन में पहले मायने को तरजीह दी है, यह मायने हज़रत हसन बसरी रह. से मन्कूल हैं। आयतों की तफसीर यह है:-)

और उन (मक्का के) काफिरों ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से) यूँ कहा कि ऐ वह शख्स! जिस पर (उसके दावे के मुताबिक) कुरआन नाज़िल किया गया है, तुम (नऊयु विल्लाह) मजनुँ हो (और नुबुव्वत का ग़लत दावा करते हो, वरना) अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाते (जो हमारे सामने तुम्हारे सच्चा होने की गवाही दें जैसा कि उनकी इस बात को सूर: फुरक़ान की आयत नम्बर 7 में भी बयान किया है। अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) हम फरिश्तों को (जिस अन्दाज़ से वे दरख्वास्त करते हैं) सिर्फ़ फ़ैसले ही के लिये नाज़िल किया करते हैं, और (अगर ऐसा होता तो) उस वक़्त उनको मोहलत भी न दी जाती (बल्कि जब उनके आने पर भी ईमान न लाते जैसा कि उनके हालात से यही यकीनी है तो फ़ौरन हलाक कर दिये जाते, जैसा कि सूर: अन्ज़ाम के पहले रुकूअ की आख़िर की आयतों में इसकी वजह बयान हो चुकी है)।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

इन्ना नहनु नज़ज़लूनज़िज़कूर व इन्ना लहू लहाफिज़ून (9)

हमने आप उतारी है यह नसीहत और हम आप इसके निगहबान हैं। (9)

खुलासा-ए-तफसीर

हमने कुरआन को नाज़िल किया है और (यह दावा बिना दलील के नहीं बल्कि इसका मोजिज़ा होना इस पर दलील है। और कुरआन के एक कमाल व करिश्मे का बयान तो दूसरी सूरतों में बयान हुआ है कि कोई इनसान इसकी एक सूरत के जैसी नहीं बना सकता, दूसरा बेमिसाल कमाल यह है कि) हम इस (कुरआन) के मुहाफिज़ (और निगहबान) हैं (इसमें कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, जैसा कि और किताबों में होता है। यह ऐसा खुला मोजिज़ा है जिसको हर आ़म व ख़ास समझ सकता है। पहला मोजिज़ा कि कुरआन की भाषा और अन्दाज़े बयान की ख़ूबी और जामे होने का कोई मुक़ाबला नहीं कर सकता, इसको तो इल्म वाले ही समझ सकते हैं मगर कमी-बेशी न होने को एक अनपढ़ जाहिल भी देख सकता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

मामून के दरबार का एक वाकिआ

इमाम क़ुर्तुबी रह. ने इस जगह निरंतर सनद के साथ एक वाकिआ अमीरुल-मोमिनीन मामून के दरबार का नक़ल किया है, कि मामून की आदत थी कि कभी-कभी उसके दरबार में इल्मी विषयों पर बहस व मुबाहसे और मुज़ाकरे हुआ करते थे, जिसमें हर आलिम को आने की

इजाज़त थी। ऐसे ही एक मुज़ाकरे में एक यहूदी भी आ गया जो सूरत शक्स और लिबास वगैरह के एतिबार से भी एक नुमार्यो आदमी मालूम होता था। फिर बातचीत की तो वह भी आला दर्जे की और अक्ल व बुद्धि वाली बातचीत थी। जब मज्लिस ख़त्म हो गई तो मामून ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम इस्राईली हो? उसने इकरार किया। मामून ने (इम्तिहान लेने के लिये) कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सुलूक करेंगे।

उसने जवाब दिया कि मैं तो अपने और अपने बाप-दादा के दीन को नहीं छोड़ता। बात ख़त्म हो गई, यह शख्स चला गया। फिर एक साल के बाद यही शख्स मुसलमान होकर आया और मुज़ाकरे की मज्लिस में इस्लामी फ़िके (इस्लामी क़ानून) के विषय पर बेहतरीन तक़रीर और उम्दा तहकीकात पेश कीं। मज्लिस ख़त्म होने के बाद मामून ने उसको बुलाकर कहा कि तुम यही शख्स हो जो पिछले साल आये थे? उसने जवाब दिया हाँ मैं वही हूँ। मामून ने पूछा कि उस वक़्त तो तुमने इस्लाम कुबूल करने से इनकार कर दिया था, फिर अब मुसलमान होने का क्या सबब हुआ?

उसने कहा मैं यहाँ से लौटा तो मैंने मौजूदा धर्मों की तहकीक करने का इरादा किया। मैं एक कातिब और लिखने के फ़न में आर्टिस्ट आदमी हूँ, किताबें लिखकर फ़रोख़्त करता हूँ तो अच्छी कीमत से बिक जाती हैं। मैंने आजमाने के लिये तौरात के तीन नुस्खे (प्रतियाँ) लिखे जिनमें बहुत जगह अपनी तरफ़ से कमी-बेशी कर दी और वो नुस्खे (प्रतियाँ) लेकर मैं कनीसा में पहुँचा, यहूदियों ने बड़ी दिलचस्पी से उनको ख़रीद लिया। फिर इसी तरह इन्जील के तीन नुस्खे कमी-बेशी के साथ लिख करके ईसाईयों के इबादत ख़ाने में ले गया वहाँ भी ईसाईयों ने बड़ी कद्र व सम्मान के साथ वो नुस्खे मुझे ख़रीद लिये। फिर यही काम मैंने क़ुरआन के साथ किया, उसके भी तीन नुस्खे उम्दा लिखाई के तैयार किये जिनमें अपनी तरफ़ से कमी-बेशी की थी, उनको लेकर जब मैं फ़रोख़्त करने के लिये निकला तो जिसके पास ले गया उसने देखा कि सही भी है या नहीं, जब कमी-बेशी नज़र आई तो उसने मुझे वापस कर दिया।

इस वाक़िए से मैंने यह सबक़ लिया कि यह किताब महफूज़ (सुरक्षित) है और अल्लाह तआला ही ने इसकी हिफ़ाज़त की हुई है, इसलिये मैं मुसलमान हो गया। काज़ी यहया बिन अक्सम इस वाक़िए के रिवायत करने वाले कहते हैं कि इतिफ़ाक़ से उसी साल मुझे हज की तौफ़ीक़ हुई, वहाँ सुफ़ियान बिन उयैना से मुलाक़ात हुई तो मैंने यह किस्सा उनको सुनाया, उन्होंने फ़रमाया कि बेशक़ ऐसा ही होना चाहिये, क्योंकि इसकी तस्दीक़ क़ुरआन में मौजूद है।

यहया बिन अक्सम ने पूछा कि क़ुरआन की कौनसी आयत में? तो फ़रमाया कि क़ुरआने अज़ीम ने जहाँ तौरात व इन्जील का ज़िक़्र किया है उसमें तो फ़रमाया:

بِمَا سَخَفْتُمْ مِنَ كِتَابِ اللَّهِ

यानी यहूदियों व ईसाईयों को अल्लाह की किताब तौरात व इन्जील की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, यही वजह हुई कि जब यहूदियों व ईसाईयों ने हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी को अदा न किया तो ये किताबें अपनी असली हालत से बदल कर ज़ाया हो गईं, बख़िलाफ़ क़ुरआने करीम के कि इसके बारे में हक़ तआला ने फ़रमाया:

إِنَّا لَهُ لَحَفِيظُونَ

यानी हम ही इसके मुहाफिज़ हैं। इसलिये इसकी हिफ़ाज़त हक़ तआला ने खुद फ़रमाई तो दुश्मनों की हज़ारों कोशिशों के बावजूद इसके एक नुक्ते (बिन्दू) और एक ज़ेर व ज़बर (मात्रा) में फ़र्क़ न आ सका। आज हज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर को भी तक़रीबन चौदह सौ बरस हो चुके हैं, तमाम दीनी और इस्लामी मामलात में मुसलमानों की कोताही और ग़फलत के बावजूद क़ुरआने करीम के हिफ़ज़ करने का सिलसिला तमाम दुनिया के पूरब व पश्चिम में इसी तरह कायम है। हर ज़माने में लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमान जवान, बूढ़े, लड़के और लड़कियाँ ऐसे मौजूद रहते हैं जिनके सीनों में पूरा क़ुरआन महफ़ूज़ है, किसी बड़े से बड़े आलिम की भी मजाल नहीं कि एक हर्फ़ ग़लत पढ़ दे, उसी वक़्त बहुत से बड़े और बच्चे उसकी ग़लती पकड़ लेंगे।

क़ुरआन की हिफ़ाज़त के वायदे में हदीस शरीफ़ की हिफ़ाज़त भी दाख़िल है

तमाम उलेमा इस पर एक-राय हैं कि क़ुरआन न सिर्फ़ क़ुरआनी अलफ़ाज़ का नाम है न सिर्फ़ क़ुरआन मायनों का, बल्कि दोनों के मज़मूए को क़ुरआन कहा जाता है। वजह यह है कि क़ुरआन के मायने और मज़ामीन तो दूसरी किताबों में भी मौजूद हैं और इस्लामी किताबों में तो उमूमन क़ुरआनी मज़ामीन ही होते हैं, मगर उनको क़ुरआन नहीं कहा जाता, क्योंकि अलफ़ाज़ क़ुरआन के नहीं हैं। इसी तरह अगर कोई शख़्स क़ुरआने करीम के अलग-अलग जगह के अलफ़ाज़ और जुमले लेकर एक मज़मून या किताब लिख दे तो उसको भी कोई क़ुरआन नहीं कहेगा अगरचे उसमें एक लफ़ज़ भी क़ुरआन से बाहर का न हो। इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन सिर्फ़ उस मुस्हफ़े रब्बानी का नाम है जिसके अलफ़ाज़ और मायने साथ-साथ महफ़ूज़ हैं।

इसी से यह मसला भी मालूम हो गया कि किसी भाषा उर्दू या अंग्रेज़ी वग़ैरह में जो सिर्फ़ क़ुरआन का तर्जुमा प्रकाशित करके लोग उसको उर्दू या अंग्रेज़ी क़ुरआन का नाम देते हैं यह हरगिज़ जायज़ नहीं, क्योंकि वह क़ुरआन नहीं। और जब यह मालूम हुआ कि क़ुरआन सिर्फ़ क़ुरआन के अलफ़ाज़ का नाम नहीं बल्कि मायने भी उसका एक हिस्सा हैं तो क़ुरआन की हिफ़ाज़त की जो ज़िम्मेदारी इस आयत में हक़ तआला ने खुद अपने ज़िम्मे करार दी है उसमें जिस तरह क़ुरआनी अलफ़ाज़ की हिफ़ाज़त का वायदा और ज़िम्मेदारी है इसी तरह क़ुरआन के मायनों और मज़ामीन की हिफ़ाज़त और मानवी रद्दोबदल से इसके महफ़ूज़ रहने की भी ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला ही ने ले ली है।

और यह ज़ाहिर है कि क़ुरआन के मायने वही हैं जिनके तालीम देने के लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा गया जैसा कि क़ुरआने करीम में फ़रमाया है:

لُجِبْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“यानी आपको इसलिये भेजा गया है कि आप बतला दें लोगों को मतलब उस कलाम का जो उनके लिये नाज़िल किया गया है।” और यही मायने इस आयत के हैं:

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

और इसी लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

यानी मैं तो मुअल्लिम (सिखाने वाला अर्थात शिक्षक) बनाकर भेजा गया हूँ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुरआन के मायनों को बयान करने और उनकी तालीम के लिये भेजा गया तो आपने उम्मत को जिन बातों और कामों के ज़रिये तालीम दी उन्हीं बातों और कामों का नाम हदीस है।

रसूले पाक की हदीसों को उमूमी तौर पर ग़ैर-महफूज़ कहने वाला दर हकीकत कुरआन को ग़ैर-महफूज़ कहता है

जो लोग आजकल दुनिया को इस मुग़ालते (धोखे) में डालना चाहते हैं कि हदीसों का ज़ख़ीरा जो काबिले एतिमाद किताबों में मौजूद है वह इसलिये काबिले एतिबार नहीं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने से बहुत बाद में जमा किया गया और तरतीब दिया गया है।

अब्वल तो उनका यह कहना भी सही नहीं, क्योंकि हदीस की हिफ़ाज़त व लिखाई खुद रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में शुरू हो चुकी थी, बाद में उसकी तकमील हुई। इसके अलावा हदीसे रसूल दर हकीकत कुरआन की तफसीर और उसके मायने हैं। उनकी हिफ़ाज़त अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे ली है। फिर यह कैसे हो सकता है कि कुरआन के सिर्फ अलफ़ाज़ महफूज़ रह जायें मायने (यानी रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों) ज़ाया हो जायें?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ۖ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يُسْتَهْزَءُونَ ۗ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْجَرِيمِينَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ
سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۖ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۗ

व ल-क़द् अर्सलना मिन् क़ब्लि-क
फी शि-यज़िल्-अब्वलीन (10) व मा

और हम भेज चुके हैं रसूल तुझसे पहले
अगले फ़िक्रों में। (10) और नहीं आता

यज़्तीहिम् मिरर्सूलिन् इल्ला कानू
 बिही यस्तहिज़रून (11) कज़ालि-क
 नस्तुकुहू फ़ी कुलूबिल्-मुज़िमीन
 (12) ला युज़्मिन्-न बिही व कद्
 ख़लत् सुन्नतुल्-अव्वलीन (13) व
 लौ फ़तह्ना अलैहिम् बाबम्-
 मिनस्समा-इ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यज़्रुजून
 (14) लक़ालू इन्नमा सुक्किरत्
 अब्सारुना बल् नस्तु कौमुम्-
 मसहूरून (15) ●

उनके पास कोई रसूल मगर करते रहे हैं
 उससे हंसी। (11) इसी तरह बिठा देते हैं
 हम उसको दिल में गुनाहगारों के। (12)
 यकीन न लायेंगे इस पर और होती आई
 है रस्म पहलों की। (13) और अगर हम
 खोल दें उन पर-दरवाज़ा आसमान से
 और सारे दिन उसमें चढ़ते रहें (14) तो
 भी यही कहेंगे कि बाँध दिया है हमारी
 निगाह को, नहीं! बल्कि हम लोगों पर
 जादू हुआ है। (15) ●

लुगात

‘शियज़्’ जमा (बहुवचन) है शीआ की, जिसके मायने किसी शख्स के पैरोकार व मददगार के भी आते हैं और ऐसे फ़िर्क़े को भी शीआ (शिया) कहा जाता है जो विशेष अकीदों व नज़रियात पर इत्तिफ़ाक़ रखते हों। मुराद यह है कि हमने हर फ़िर्क़े और हर गिरोह के अन्दर रसूल भेजे हैं, इसमें लफ़ज़ इला (तरफ़) के बजाय ‘फ़ी शि-यज़िज़् अव्वलीन’ फ़रमाकर इस तरफ़ भी इशारा कर दिया कि हर गिरोह का रसूल उसी गिरोह के लोगों में से भेजा गया ताकि लोगों को उस पर एतिमाद (भरोसा व यकीन) करना आसान हो, और वह भी उनकी तबीयतों और मिज़ाज से वाकिफ़ होकर उनकी इस्लाह (सुधार) के लिये मुनासिब प्रोग्राम बना सके।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम! आप उनके झुठलाने से गुम न कीजिये, क्योंकि यह मामला नबियों के साथ हमेशा से होता चला आया है। चुनाँचे) हमने आप से पहले भी पैगम्बरों को पहले लोगों के गिरोहों में भेजा था (और उनकी हालत यह थी कि) कोई रसूल उनके पास ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने हंसी-ठड्डा न किया हो (जो कि झुठलाने ही की बहुत बुरी किस्म है। पस जिस तरह उन लोगों के दिलों में यह हंसी-मज़ाक़ पैदा हुआ था) इसी तरह हम यह हंसी और मज़ाक़ उड़ाया इन मुज़रिमों (यानी मक्का के काफ़िरों) के दिलों में डाल देते हैं (जिसकी वजह से) ये लोग इस कुरआन पर ईमान नहीं लाते, और यह दस्तूर पहलों ही से होता आया है (कि नबियों को झुठलाते रहे हैं, पस आप गुमगीन न हों) और (इनकी दुश्मनी व मुखाबफ़त की यह कैफ़ियत है कि फ़रिश्तों का आसमान से आना तो दरकिनार इससे बढ़कर)

अगर (खुद इनको आसमान पर भेज दिया जाये इस तरह से कि) हम इनके लिये आसमान में कोई दरवाजा खोल दें फिर ये दिन के वक़्त (जिसमें नौद और ऊँध वगैरह का भी शुब्हा न हो) उस (दरवाजे) में (से आसमान को) चढ़ जाएँ। तब भी यूँ कह दें कि हमारी नज़रबन्दी कर दी गई थी (जिससे हम अपने को आसमान पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं और वास्तव में चढ़ नहीं रहे हैं, और नज़रबन्दी कुछ इसी वाकिए की विशेषता नहीं) बल्कि हम लोगों पर तो बिल्कुल जादू कर रखा है (अगर हमको इससे बढ़कर भी कोई मोजिज़ा दिखलाया जायेगा वह भी हकीकत में मोजिज़ा न होगा)।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَاتٍ لِّلنَّظِيرِينَ ۝

व ल-कद् जज़ल्ना फ़िस्समा-इ बुरूज्व्-

व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन (16)

और हमने बनाये हैं आसमानों में बुर्ज और रौनक दी उसको देखने वालों की नज़र में। (16)

खुलासा-ए-तफसीर

(पिछली आयतों में इनकार करने वालों की हठधर्मी और दुश्मनी का ज़िक्र था, इन आयतों में जो आगे आ रही हैं अल्लाह जल्ल शानुहू के वजूद, तौहीद, इल्म और क़ुदरत की स्पष्ट दलीलें, आसमान और ज़मीन और इनके बीच की मख़रूक़ात के हालत और दिखाई देने वाली चीज़ों का बयान किया गया है, जिनमें ज़रा भी ग़ौर किया जाये तो किसी अक्लमन्द को इनकार की मजाल नहीं रहती। इरशाद फ़रमायाः)

और बेशक हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे पैदा किये, और देखने वालों के लिये आसमान को (सितारों से) सजाया।

मज़ारिफ़ व मसाईल

'बुरूजन' बुर्ज की जमा (बहुवचन) है, जो बड़े महल और किले वगैरह के लिये बोला जाता है। तफसीर के इमामों मुजाहिद, क़तादा और अबू सालेह रह. वगैरह ने इस जगह बुरूज की तफसीर बड़े सितारों से की है। और इस आयत में जो उन बड़े सितारों का आसमान में पैदा करना इरशाद है, यहाँ आसमान से मुराद आसमानी फ़िज़ा है, जिसको आजकल की परिभाषा में ख़ला (SPACE) कहा जाता है। और लफ़ज़ समा (आसमान) को दोनों मायने में बोला और इस्तेमाल किया जाना आम और परिचित है। आसमान के जिर्म (जिस्म व पदार्थ) को भी समा कहा जाता है और आसमान से बहुत नीचे जो आसमानी फ़िज़ा है उसको भी क़ुरआने करीम में जगह-जगह लफ़ज़ समा से ताबीर किया गया है। और सय्यारों और सितारों का आसमानों के अन्दर नहीं बल्कि आसमानी फ़िज़ा (आसमान व ज़मीन के बीच के ख़ाली हिस्से) में होना इसकी

मुकम्मल तहकीक कुरआने करीम की आयतों से तथा पुराने व नये आसमान व फिज़ा के इल्म की तहकीक से इन्शा-अल्लाह सूर: फुरकान की आयत 61:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

की तफसीर में आयेगी।

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيبٍ ۝ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَيْطَانٌ مُبِينٌ ۝

व हफिज़्नाहा मिन् कुल्लि शैतानिर्-
रजीम (17) इल्ला मनिस्त-रक़स्साम्-अ
फअत्व-अहू शिहाबुम्-मुबीन (18)

और महफूज़ रखा हमने उसको हर शैतान
मरदूद से। (17) मगर जो चोरी से सुन
भागा उसके पीछे पड़ा अंगारा चमकता
हुआ। (18)

खुलासा-ए-तफसीर

आसमान को (सितारों के ज़रिये) हर शैतान मरदूद से महफूज़ फ़रमा दिया (कि वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होने पाती) हाँ मगर कोई बात (फ़रिश्तों की) चोरी-छुपे सुन भागे तो उसके पीछे एक चमकता हुआ शोला होता है (और उसके असर से वह शैतान हलाक या बदहवास हो जाता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

शिहाब-ए-साकिब

इन आयतों से एक तो यह साबित हुआ कि शैतानों की पहुँच आसमानों तक नहीं हो सकती। इब्लीस मरदूद का आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के वक़्त आसमानों में होना और आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम को धोखे में मुब्तला करना वगैरह यह सब आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने से पहले के वाक़िआत हैं, उस वक़्त जिन्नात व शैतानों का दाख़िला आसमान में वर्जित और प्रतिबन्धित नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में उतरने और शैतान के निकाले जाने के बाद से यह दाख़िला वर्जित हुआ। सूर: जिन्न की आयतों में जो यह बयान हुआ है:

إِنَّا كُنَّا نَعْتَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدَلُهُ شَيْطَانًا رَصَدًا

इससे यह मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनाकर भेजे जाने से पहले तक शैतान आसमानों की ख़बरें फ़रिश्तों की आपसी बातचीत से सुन लिया करते थे, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि शैतान आसमानों में दाख़िल होकर सुनते थे।

نَعْتَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

के अलफ़ाज़ से भी यह मालूम होता है कि चोरों की तरह आसमानी फ़िज़ा में जहाँ-जहाँ बादल होते हैं छुपकर बैठ जाते और सुन लिया करते थे। इन अलफ़ाज़ से खुद भी यही अन्दाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पहले भी जिन्नात व शयातीन का दाख़िला आसमानों में वर्जित ही था मगर आसमानी फ़िज़ा तक पहुँचकर चोरी से कुछ सुन लिया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के बाद वही (अल्लाह के तरफ़ से आने वाले पैग़ाम) की हिफ़ाज़त का यह अतिरिक्त सामान हुआ कि शैतानों को इस चोरी से भी शिहाब-साकिब के ज़रिये से रोक दिया गया।

रहा यह सवाल कि आसमानों के अन्दर फ़रिश्तों की बातचीत को आसमानों से बाहर शैतान किस तरह सुन सकते थे? सो यह कोई नामुम्किन चीज़ नहीं, बहुत मुम्किन है कि आसमानी अजराम (आकाशीय जिस्म व पदार्थ) आवाज़ों के सुनने से रुकावट न हों, और यह भी कोई दूर की बात नहीं कि फ़रिश्ते किसी वक़्त आसमानों से नीचे उतरकर आपस में ऐसी गुप्तगू करते हों जिसको शैतान सुन भागते थे। सही बुख़ारी में हज़रत सिद्दीका आग़शआ रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से इसी की ताईद होती है कि फ़रिश्ते आसमान से नीचे जहाँ बादल होते हैं, कभी किसी वक़्त यहाँ उतरते हैं, और आसमानी ख़बरों का आपस में तज़क़िरा करते हैं, शैतान उसी आसमानी फ़िज़ा में छुपकर ये ख़बरें सुनते थे जिनको शिहाबे-साकिब के ज़रिये बन्द किया गया। इसकी पूरी तफ़्सील इन्शा-अल्लाह सूर: जिन्न में:

إِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

(सूर: जिन्न आयत 9) की तफ़्सीर में आयेगी।

दूसरा मसला इन आयतों में शिहाबे-साकिब का है। कुरआने करीम के इरशादात से मालूम होता है कि ये शिहाबे-साकिब वही की हिफ़ाज़त के लिये शैतानों को मारने के वास्ते पैदा होते हैं, इनके ज़रिये शैतानों को दफ़ा किया जाता है ताकि वे फ़रिश्तों की बातें न सुन सकें।

इसमें एक मज़बूत इश्काल यह है कि आसमानी फ़िज़ा में शिहाबों का वजूद कोई नई चीज़ नहीं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजे जाने से पहले भी सितारे टूटने को देखा जाता था, और बाद में भी यह सिलसिला जारी है, तो यह कैसे हो सकता है कि शिहाबे साकिब शैतानों को दफ़ा करने के लिये पैदा होते हैं, जो कि हुज़ुरे पाक के दौर की ख़ुसूसियत है। इससे तो बज़ाहिर उसी बात को मज़बूती मिलती है जो फ़ल्सफ़ी लोगों का ख़्याल है कि शिहाबे-साकिब की हक़ीक़त इतनी है कि सूरज की गर्मी से जो बुख़ारात (भाप) ज़मीन से उठते हैं उनमें कुछ आग़ पकड़ने वाले माद्दे भी होते हैं, ऊपर जाकर जब उनको सूरज या किसी दूसरी वजह से और अधिक गर्मी पहुँचती है तो वो सुलग उठते हैं और देखने वालों को यह महसूस होता है कि कोई सितारा टूटा है। इसी लिये मुहावरों में इसको सितारा टूटने ही से ताबीर किया जाता है। अरबी भाषा में भी इसके लिये 'इन्किज़ाज़-ए-कौकब' (सितारा टूटने) का लफ़ज़ इस्तेमाल होता है जो इसी के जैसे मायनों वाला है।

जवाब यह है कि इन दोनों बातों में कोई टकराव व इख़िलाफ़ नहीं, ज़मीन से उठने वाले बुखारात सुलग जायें यह भी मुम्किन है और यह भी कोई दूर की बात नहीं कि किसी सितारे या सय्यारे से कोई शोला निकल कर गिरे, और ऐसा होना आम आदात के मुताबिक़ हमेशा से जारी हो, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजे जाने से पहले उन शोलों से कोई ख़ास काम नहीं लिया जाता था, आपकी नुबुव्वत के बाद इन शिहाबी शोलों से यह काम लिया गया कि शैतान जो फ़रिश्तों की बातें चोरी से सुनना चाहें उनको उस शोले से मारा जाये।

अल्लामा आलूसी रह. ने तफसीर रूहुल-मआनी में यही वज़ाहत बयान फरमाई है और नक़ल किया है कि इमामे हदीस जोहरी रह. से किसी ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रसूल बनाकर भेजे जाने से पहले भी सितारे टूटते थे? फरमाया कि हाँ। इस पर उसने सूर: जिन्न की ऊपर जिक्र हुई आयत इसकी काट के लिये पेश की तो फरमाया कि शिहाबे साकिब तो पहले भी थे मगर हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद जब शैतानों पर सज़्ज़ा की गयी तो उनसे शैतानों के दफ़ा करने का काम लिया गया।

सही मुस्लिम की एक हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरश़ाद मौजूद है कि आप सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के एक मजमे में तशरीफ़ रखते थे कि सितारा सूटा, आपने लोगों से पूछा कि तुम जाहिलीयत के ज़माने में यानी इस्लाम से पहले इस सितारा टूटने को क्या समझा करते थे? लोगों ने कहा कि हम यह समझा करते थे कि दुनिया में कोई बड़ा ह्यदसा पैदा होना वाला है या कोई बड़ा आदमी मरेगा, या पैदा होगा। आपने फरमाया कि यह ग़लत ख़्याल है, इसका किसी के मरने जीने से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये शोले तो शैतानों को दफ़ा करने के लिये फेंके जाते हैं।

कलाम का खुलासा यह है कि शिहाबे साकिब के बारे में जो कुछ फ़ल्सफी हज़रत ने कहा है वह भी कुरआन के ख़िलाफ़ नहीं, और यह भी कुछ बईद नहीं कि ये शोले डायरेक्ट कुछ सितारों से टूटकर गिराये जाते हैं। कुरआन का मक़सद दोनों सूत्रों में साबित और स्पष्ट है।

وَالْأَرْضُ مَدَدُهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَابِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۝ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَشْرَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

वल्ल-ज़ मददनाहा व अल्लैना	और ज़मीन को हमने फैलाया और रख
फीहा रवासि-य व अम्बत्ना फीहा	दिये उस पर बोझ और उगाई उसमें हर

मिन् कुल्लि शैडम्-मौज़ून (19) व
 जअल्ना लकुम् फीहा मज़ायि-श व
 मल्लस्तुम् लहू बिराज़िक्कीन (20) व
 इम्मिन् शैडन् इल्ला ज़िन्दना
 खज़ाइनुहू व मा नुनज़िज़लुहू इल्ला
 बि-क-दरिम्-मज़्लूम (21) व
 अरसल्लरिया-ह लवाकि-ह फ-अन्ज़ल्ना
 भिनस्समा-इ माअन् फ-अस्कैनाकुमुहु
 व मा अन्तुम् लहू बिस्वाज़िनीन (22)
 व इन्ना ल-नस्तु नुह्यी व नुमीतु व
 नस्तुल्-वारिसून (23) व ल-कद्
 अलिम्नल्-मुस्तक्दिमी-न मिन्कुम् व
 ल-कद् अलिम्नल्-मुस्तअख़िरीन (24)
 व इन्-न रब्ब-क हु-व यहशुरुहुम्,
 इन्हू हकीमुन् अलीम (25) ●

चीज़ अन्दाजे से। (19) और बना दिये
 तुम्हारे वास्ते उसमें गुज़ारे के असबाब
 और वो चीज़ें जिनको तुम रोज़ी नहीं
 देते। (20) और हर चीज़ के हमारे पास
 खज़ाने हैं, और उतारते हैं हम निर्धारित
 अन्दाजे पर। (21) और चलाई हमने हवायें
 रस भरी, फिर उतारा हमने आसमान से
 पानी फिर तुमको वह पिलाया और तुम्हारे
 पास नहीं उसका खज़ाना। (22) और हम
 ही हैं जिलाने वाले और मारने वाले और
 हम ही हैं पीछे रहने वाले। (23) और
 हमने जान रखा है आगे बढ़ने वालों को
 तुम में से और जान रखा है पीछे रहने
 वालों को। (24) और तेरा रब वही इक़्दा
 कर लायेगा उनको, बेशक वही है हिक्मतों
 वाला ख़बरदार। (25) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने ज़मीन को फैलाया और उस (ज़मीन) में भारी-भारी पहाड़ डाल दिये और उसमें
 हर किस्म की (ज़रूरत की पैदावार) एक निर्धारित मिक्दार "मात्रा" से उगाई है। और हमने
 तुम्हारे वास्ते उस (ज़मीन) में रोज़ी के सामान बनाये (जिसमें ज़िन्दगी की ज़रूरतों की तमाम
 चीज़ें दाख़िल हैं जो खाने-पीने, पहनने और रहने-सहने से संबन्धित हैं) और (यह रोज़ी हासिल
 करने और गुज़ारे का सामान और ज़िन्दगी की ज़रूरतें सिर्फ़ तुमको ही नहीं दी बल्कि) उनको भी
 दिया जिनको तुम रोज़ी नहीं देते (यानी वो तमाम मख़्लूक़त जो ज़ाहिर में भी तुम्हारे हाथ से
 खाने-पीने और ज़िन्दगी गुज़ारने का सामान नहीं पाते। ज़ाहिर इसलिये कहा गया कि घर के
 पालतू जानवर बकरी, गाय, बैल, घोड़ा, गधा वगैरह भी अगरचे हकीक़त के एतिवार से अपनी
 रोज़ी और गुज़ारे की ज़रूरतें हकीक़त में अल्लाह तआला ही की तरफ़ से पाते हैं मगर ज़ाहिरी
 तौर पर उनके खाने-पीने और रिहाईश का इन्तिज़ाम इनसानों के हाथों होता है। इनके अलावा
 तमाम दुनिया के ख़ुश्की और पानी के जानवर, परिन्दे और दरिन्दे ऐसे हैं जिनके गुज़ारे और

रोज़ी के सामान में किसी इनसानी इरादे और अमल का कोई दखल और शुब्ह भी नहीं पाया जाता, और ये जानवर इतने बेहद व बेशुमार हैं कि इनसान न उन सब को पहचान सकता है न गिन सकता है।

और जितनी चीज़ें (ज़िन्दगी की ज़रूरतों से संबन्धित) हैं हमारे पास सब ख़जाने के ख़जाने (भरे पड़े) हैं। और हम (अपनी ख़ास हिक्मत के मुताबिक) उस (चीज़) को एक निर्धारित मिक्दार "यानी मात्रा" से उतारते रहते हैं। और हम ही हवाओं को भेजते रहते हैं जो कि बदलों को पानी से भर देती हैं, फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर वह पानी तुमको पीने को देते हैं, और तुम उसको ज़ख़ीरा करके रखने वाले न थे (कि अगली बारिश तक उस ज़ख़ीरे को इस्तेमाल करते रहते)। और हम ही हैं कि ज़िन्दा करते हैं और मारते हैं, और (सब के भरने के बाद) हम ही बाकी रह जाँएँगे। और हम ही जानते हैं तुम में से आगे बढ़ जाने वालों को और हम जानते हैं पीछे रह जाने वालों को, और बेशक आपका ख़ब ही उन सब को (कियामत में) जमा फरमायेगा (यह इसलिये फरमाया कि ऊपर तौहीद साबित हुई है, इसमें तौहीद के इनकार की सज़ा की तरफ़ इशारा कर दिया) बेशक वह हिक्मत वाला है (हर शख्स को उसके मुनासिब बदला देगा और) इल्म वाला है (सब के आमाल की उसको पूरी ख़बर है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अल्लाह की हिक्मत, गुज़ारे की ज़रूरतों में संतुलन व उचितता

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا

(हर चीज़ उसके निर्धारित अन्दाज़े से) का एक मतलब तो वही है जो तर्जुमे में लिया गया है, कि हिक्मत के तफ़ाज़े के तहत हर उगने वाली चीज़ की एक निर्धारित मात्रा उगाई, जिससे कम हो जाती तो ज़िन्दगी में दुश्वारियाँ पैदा हो जातीं और ज़्यादा हो जाती तो भी मुश्किलें पैदा करती। इनसानी ज़रूरत के गेहूँ और चावल वगैरह और बेहतर से बेहतर उम्दा फल अगर इतने ज़्यादा पैदा हो जायें जो इनसानों और जानवरों से खाने-पीने के बाद भी बहुत बचे रहें तो ज़ाहिर है कि वो सड़ेंगे, उनका रखना भी मुश्किल होगा और फेंकने के लिये जगह भी न रहेगी।

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की कुदरत में तो यह भी था कि जिन दानों और फलों पर इनसान की ज़िन्दगी मौकूफ़ (टिकी हुई) है उनको इतना ज़्यादा पैदा कर देते कि हर शख्स को हर जगह मुफ्त मिल जाया करते, और बेफिक्री से इस्तेमाल करने के बाद भी उनके बड़े ज़ख़ीरे पड़े रहते, लेकिन यह इनसान के लिये अज़ाब हो जाता, इसलिये एक ख़ास मात्रा में नाज़िल किये गये कि उनकी कद्र व कीमत भी बाकी रहे और बेकार भी न बचें।

और 'मिन् कुल्लि शैइम् मौज़ून' का एक मतलब यह भी हो सकता है कि तमाम उगने वाली चीज़ों को अल्लाह तआला ने एक ख़ास मात्रा और संतुलन के साथ पैदा किया है जिससे उसमें हुस्न और दिलकशी पैदा होती है। विभिन्न पेड़ों के तने, शाख़ें, पत्ते, फूल और फल, विभिन्न

साईज़ और विभिन्न शकल, विभिन्न रंग और ज़ायके के पैदा किये गये जिसके संतुलन और हसीन मन्ज़र से तो इनसान फायदा उठाता है मगर उनकी तफसीली हिक्मतों को जानना किसी इनसान के बस की बात नहीं।

तमाम मख़्लूक के लिये पानी पहुँचाने और सिंचाई का अल्लाह का अजीब व ग़रीब निज़ाम

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ مَا تُمْنُ لَهُ يَغْرِبُونَ ۝

(यानी आयत नम्बर 22 में) अल्लाह की कुदरत के उस हकीमाना निज़ाम की तरफ़ इशारा है जिसके ज़रिये रू-ए-ज़मीन पर बसने वाले तमाम इनसान और जानवर, चरिन्दों, परिन्दों, दरिन्दों के लिये ज़रूरत के मुताबिक़ पानी पहुँचाने का ऐसा स्थिर निज़ाम किया गया है कि हर शख्स को हर जगह हर हाल में अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ पीने, नहाने, घोने और खेतियों, दरख़्तों को सींचने के लिये पानी बिना किसी कीमत के मिल जाता है, और जो कुछ किसी को कुआँ बनाने या पाईप लगाने पर खर्च करना पड़ता है वह अपनी सहूलतें हासिल करने की कीमत है, पानी के एक कतरे की कीमत भी कोई अदा नहीं कर सकता, न किसी से माँगी जाती है।

इस आयत में पहले तो इसका ज़िक्र किया गया कि किस तरह अल्लाह की कुदरत ने समन्दर के पानी को पूरी ज़मीन पर पहुँचाने का अजीब व ग़रीब निज़ाम बनाया है कि समन्दर में बुख़ारात (भाप व बादल) पैदा फ़रमाये जिनसे बारिश का मवाद (मानसून) पैदा हुआ, ऊपर से हवायें चलाई, फिर पानी से भरे हुए उन हवाई जहाज़ों (यानी बादलों) को दुनिया के हर गोशे में जहाँ-जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दें। फिर अल्लाह के फ़रमान के ताबे जिस ज़मीन पर जितना पानी डालने का हुक्म है उसके मुताबिक़ यह अपने आप काम करने वाले हवाई जहाज़ (बादल) वहाँ पानी बरसा दें।

इस तरह यह समन्दर का पानी ज़मीन के हर गोशे (कोने और इलाके) में बसने वाले इनसानों और जानवरों को घर बैठे मिल जाये। इसी निज़ाम (व्यवस्था) में एक अजीब व ग़रीब तब्दीली पानी के ज़ायके और दूसरी कैफ़ियतों में पैदा कर दी जाती है, क्योंकि समन्दर के पानी को अल्लाह तआला ने अपनी कामिल हिक्मत से इन्तिहाई खारा और ऐसा नमकीन बनाया है कि हज़ारों टन नमक उससे निकाला और इस्तेमाल किया जाता है। हिक्मत इसमें यह है कि यह अज़ीमुश्शान पानी का कुरा जिसमें करोड़ों किस्म के जानवर रहते हैं और उसी में मरते और सड़ते हैं और सारी ज़मीन का गन्दा पानी आखिरकार उसी में जाकर पड़ता है, अगर यह पानी मीठा होता तो एक दिन में सड़ जाता, और इसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती कि खुशकी में रहने वालों की तन्दुरुस्ती और ज़िन्दगी भी मुश्किल हो जाती। इसलिये कुदरत ने इसको ऐसा तेज़ाबी खारा बना दिया कि दुनिया भर की ग़िलाज़तें (गंदगियाँ और कूड़ा-करकट) उसमें पहुँचकर भस्म हो जाती हैं। गर्ज़ कि इस हिक्मत की बिना पर समन्दर का पानी खारा बल्कि कड़वा बनाया

गया जो न पिया जा सकता है और न उससे प्यास बुझ सकती है। क़ुदरत के निज़ाम ने जो पानी के हवाई जहाज़ बादलों की शक्ल में तैयार किये उनको सिर्फ़ समन्दरी पानी का ख़जाना ही नहीं बनाया बल्कि मानूसन उठने से लेकर ज़मीन पर बरसने तक उसमें ऐसे बदलाव बग़ैर किसी ज़ाहिरी मशीन के पैदा कर दिये कि उस पानी का नमक अलग होकर मीठा पानी बन गया। सूर: मुर्सलात में इसकी तरफ़ इशारा फरमाया है:

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا

इसमें लफ़्ज़ फ़ुरात के मायने हैं ऐसा मीठा पानी जिससे प्यास बुझे। मायने यह हैं कि हम ने बादलों को क़ुदरती मशीनों से गुज़ार कर समन्दर के खारे और कड़वे पानी को तुम्हारे पीने के लिये शीरीं. (मीठा) बना दिया।

सूर: वाफ़िआ में इसी मजमून को इरशाद फरमाया है:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا

تَشْكُرُونَ

“भला देखो तो पानी को जो तुम पीते हो। क्या तुमने उतारा उसको बादल से या हम हैं उतारने वाले। अगर हम चाहें कर दें उसको खारा फिर क्यों नहीं एहसान मानते।”

यहाँ तक तो अल्लाह की क़ुदरत की यह करिश्मा साज़ी देखी कि समन्दर के पानी को मीठे पानी में तब्दील करके पूरे रू-ए-ज़मीन पर बादलों के ज़रिये किस बेहतरीन व्यवस्था के साथ पहुँचाया कि हर ख़िल्ले के न सिर्फ़ इनसानों को बल्कि उन जानवरों को भी जो इनसानों की मालूमात व खोज से बाहर हैं घर बैठे पानी पहुँचा दिया, और बिल्कुल मुफ्त बल्कि मजबूर करके ज़बरदस्ती के साथ पहुँचा।

लेकिन इनसान और जानवरों का मसला सिर्फ़ इतनी बात से हल नहीं हो जाता, क्योंकि पानी उनकी ऐसी ज़रूरत है जिसकी आवश्यकता हर दिन बल्कि हर वक़्त है, इसलिये उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने का एक तरीका तो यह था कि हर जगह साल के बारह महीने हर दिन बारिश हुआ करती, लेकिन इस सूरत में उनकी पानी की ज़रूरत तो दूर हो जाती मगर दूसरी आर्थिक ज़रूरतों में कितना ख़लल आता, इसका अन्दाज़ा किसी तजुर्बेकार के लिये मुश्किल नहीं। साल भर के हर दिन की बारिश तन्दुरुस्ती पर क्या असर डालती और कारोबार और चलने-फिरने व सफ़र करने में क्या बाधा पैदा करती।

दूसरा तरीका यह था कि साल भर के ख़ास-ख़ास महीनों में इतनी बारिश हो जाये कि उसका पानी बाकी महीनों के लिये काफ़ी हो जाये, मगर इसके लिये ज़रूरत होती कि हर शख्स का एक कोटा मुक़रर करके उसके सुपर्द किया जाये कि वह अपने कोटे और हिस्से का पानी खुद अपनी हिफ़ाज़त में रखे।

अन्दाज़ा लगाइये कि अगर ऐसा किया जाता तो हर इनसान इतनी टँकियाँ या बरतन बग़ैरह कहीं से लाता जिनमें तीन या छह महीने की ज़रूरत का पानी जमा करके रख ले। और अगर

वह किसी तरह ऐसा कर भी लेता तो जाहिर है कि चन्द दिन के बाद यह पानी सड़ जाता और पीने बल्कि इस्तेमाल करने के भी काबिल न रहता, इसलिये अल्लाह की क़ुदरत ने इसके बाकी रखने और ज़रूरत के वक़्त हर जगह मिल जाने का एक दूसरा अज़ीब व ग़रीब निज़ाम बनाया कि जो पानी बरसाया जाता है उसका कुछ हिस्सा तो फ़ौरी तौर पर पेड़-पौधों, खेतियों और इनसानों व जानवरों को सैराब करने में काम आ ही जाता है, कुछ खुले तालाबों, झीलों में महफ़ूज़ हो जाता है, और उसके बहुत बड़े हिस्से को बर्फ़ की शक्त में जमा हुआ समन्दर बनाकर पहाड़ों की चोटियों पर लाद दिया जाता है, जहाँ तक न गर्द व गुबार की पहुँच है न किसी गन्दगी की। फिर अगर वह पानी बहने वाला होने की सूरत में रहता तो हवा के ज़रिये कुछ गर्द व गुबार या दूसरी ख़राब चीज़ें उसमें पहुँच जाने का ख़तरा रहता, मगर क़ुदरत ने उस पानी के बड़े और विशाल भण्डार को एक जमा हुआ समन्दर (बर्फ़) बनाकर पहाड़ों पर लाद दिया जहाँ से थोड़ा-थोड़ा रिस कर वह पहाड़ों की रंगों में जम जाता है, और फिर चश्मों की सूरत में हर जगह पहुँच जाता है और जहाँ ये चश्मे भी नहीं हैं तो वहाँ ज़मीन की तह में यह पानी इनसानी रंगों की तरह ज़मीन के हर ख़िल्ले पर बहता है और कुआँ खोदने से बरामद होने लगता है।

खुलासा यह है कि पानी पहुँचाने का यह क़ुदरती निज़ाम हज़ारों नेमतें अपने अन्दर लिये हुए है। अब्बल तो पानी को पैदा करना एक बड़ी नेमत है, फिर बादलों के ज़रिये उसको ज़मीन के हर ख़िल्ले पर पहुँचाना दूसरी नेमत है, फिर उसको इनसान के पीने के काबिल बना देना तीसरी नेमत है, फिर इनसान को उसके पीने का मौक़ा देना चौथी नेमत है, फिर उस पानी को ज़रूरत के मुताबिक़ जमा और महफ़ूज़ रखने की स्थिर व्यवस्था पाँचवीं नेमत है, फिर इनसान को उससे पीने और सैराब होने का मौक़ा देना छठी नेमत है, क्योंकि पानी के मौजूद होते हुए भी ऐसी आफ़तें हो सकती हैं कि उनकी वजह से आदमी पीने पर कादिर न हो। क़ुरआने करीम की आयत:

فَأَسْقِيكُمْ مَوَاءَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَيْرِينَ ۝

में अल्लाह की इन्हीं नेमतों की तरफ़ इशारा और तंबीह की गई है। वाकई अल्लाह तआला क्या ही उम्दा पैदा करने और बनाने वाला है।

नेक कामों में आगे बढ़ने और पीछे रहने में दर्जों का फ़र्क़

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

(यानी आयत नम्बर 24) के बारे में मुस्तक़िदमीन (आगे बढ़ने वालों) और मुस्तअख़िरीन (पीछे रहने वालों) की चन्द तफ़सीरें सहाबा व ताबिईन और तफ़सीर के इमामों से अलग-अलग मन्कूल हैं:

1. मुस्तक़िदमीन (आगे बढ़ने वाले) वे लोग हैं जो अब तक पैदा हो चुके हैं और

मुस्तअख़िरीन (पीछे रहने वाले) वे जो अभी पैदा नहीं हुए। (क़तादा व इक्रिमा)

2. मुस्तअ़िदमीन से मुराद मौत पा जाने वाले हैं और मुस्तअ़िख़िरीन से वे लोग जो अब जिन्दा हैं। (इब्ने अब्बास, ज़ह्राक)

3. मुस्तअ़िदमीन से मुराद उम्मत मुहम्मदिया से पहले हज़रत हैं और मुस्तअ़िख़िरीन से उम्मत मुहम्मदिया। (मुजाहिद)

4. मुस्तअ़िदमीन से मुराद नेकी व भलाई करने वाले हैं और मुस्तअ़िख़िरीन से नाफ़रमान व गाफ़िल लोग। (हसन व क़तादा)

5. मुस्तअ़िदमीन वे लोग हैं जो नमाज़ की सफ़ों या जिहाद की सफ़ों और दूसरों नेक कामों में आगे रहने वाले हैं, और मुस्तअ़िख़िरीन वे जो इन चीज़ों में पिछली सफ़ों में रहने वाले और देर करने वाले हैं। हसन बसरी, सईद बिन मुसैयब, क़ुर्तुबी, शज़बी वगैरह तफसीर के इमामों की यही तफसीर है। और यह ज़ाहिर है कि दर हक़ीक़त इन अक़वाल में कोई ख़ास भिन्नता और टकराव नहीं, सब जमा हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानुहु का कामिल और हर चीज़ को घेरने वाला इल्म इन तमाम क़िस्मों के 'मुस्तअ़िदमीन' व 'मुस्तअ़िख़िरीन' पर हावी है।

इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी तफसीर में फ़रमाया कि इसी आयत से नमाज़ में पहली सफ़ और शुरू वक़्त में नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत साबित होती है, जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाता कि अज़ान कहने और नमाज़ की पहली सफ़ में खड़े होने की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है तो तमाम आदमी इसकी कोशिश में लग जाते कि पहली ही सफ़ में खड़े हों और सब के लिये जगह न होती तो कुरा-अन्दाज़ी करना (यानी पर्ची निकालनी) पड़ती।

इमाम क़ुर्तुबी ने इसके साथ हज़रत कअ़ब का यह कौल भी नक़ल किया है कि इस उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब वे सज्दे में जाते हैं तो जितने आदमी उनके पीछे हैं सब की मग़फ़िरत हो जाती है। इसी लिये हज़रत कअ़ब रज़ियल्लाहु अन्हु आख़िरी सफ़ में रहना पसन्द करते थे कि शायद अगली सफ़ों में अल्लाह का कोई बन्दा इस शान का हो तो उसकी बरक़त से मेरी मग़फ़िरत भी हो जाये।

और ज़ाहिर यह है कि असल फ़ज़ीलत तो पहली सफ़ ही में है, जैसा कि कुरआन की आयत और हदीस की वज़ाहतों से साबित हुआ, लेकिन जिस शख़्स को किसी वजह से पहली सफ़ में जगह न मिली तो उसको भी एक दर्जे में फ़ज़ीलत यह हासिल रहेगी कि शायद अगली सफ़ों के किसी नेक बन्दे की बदीलत उसकी भी मग़फ़िरत हो जाये, और इस ज़िक्र हुई आयत में जैसे नमाज़ की पहली सफ़ की फ़ज़ीलत साबित हुई इसी तरह जिहाद की पहली सफ़ की अफ़ज़लियत भी साबित हो गई।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝
 وَالْحِجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ وَأَذَى قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ
 صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ
 كُلُّهُمْ أَسْجُودًا ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ ۝ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ
 السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا
 وَإِنِّي أَخَافُكَ ۝ وَإِن عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝
 قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَرِيَنَّهُمْ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝
 إِنَّ عِبَادِي لَكِن لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
 أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

व ल-कद् खालकनल्-इन्सा-न मिन्
 सल्सालिम् मिन् ह-मइम्-मसूनन
 (26) वल्जान्-न खालकनाहु मिन्
 कब्बु मिन्-नारिस्समूम (27) व इज़्
 का-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी
 ख़ालिकुम् ब-शरम्-मिन् सल्सालिम्
 मिन् ह-मइम्-मसूनन (28) फ-इज़ा
 सव्वैतुहू व नफ़्दतु फ़ीहि मिरूही
 फ-कज़ू लहू साजिदीन (29)
 फ-स-जदल्-मलाइ-कतु कुल्लुहुम्
 अज्मज़ून (30) इल्ला इब्ली-स, अबा
 अय्यकू-न मज़स्साजिदीन (31) का-ल
 या इब्लीसु मा ल-क अल्ला तकू-न

और बनाया हमने आदमी को खनखनाते
 सने हुए गारे से। (26) और जिन्न को
 बनाया हमने उससे पहले लू की आग से।
 (27) और जब कहा तेरे रब ने फ़रिश्तों
 को मैं बनाऊँगा एक बशर खनखनाते सने
 हुए गारे से। (28) फिर जब ठीक करूँ
 उसको और फूँक दूँ उसमें अपनी जान से
 तो गिर पड़ो उसके आगे सज्दा करते
 हुए। (29) तब सज्दा किया उन फ़रिश्तों
 ने सब ने मिलकर (30) मगर इब्लीस ने
 न माना कि साथ हो सज्दा करने वालों
 के। (31) फ़रमाया- ऐ इब्लीस! क्या हुआ
 तुझको कि साथ न हुआ सज्दा करने

मअस्साजिदीन (32) का-ल लम्
 अकुल्-लिअस्जु-द लि-ब-शरिन्
 छालकतहू मिन् सल्लालिम्-मिन्
 ह-मइम्-मसून (33) का-ल फर्रुज्
 मिन्हा फ-इन्न-क रजीम (34) व
 इन्-न अलैकल्लअन-त इला यौमिदीन
 (35) का-ल रब्बि फ-अन्ज़िरीनी इला
 यौमि युब्असून (36) का-ल
 फ-इन्न-क मिनल्-मुन्ज़रीन (37)
 इला यौमिल् वक़ितल्-मअलूम (38)
 का-ल रब्बि बिमा अरवैतनी
 ल-उज़य्थिनन्-न लहुम् फिल्अर्ज़ि व
 ल-उग्दियन्नहुम् अज्मज़ीन (39)
 इल्ला जिबाद-क मिन्हुमुल्-मुख़लसीन
 (40) का-ल हाज़ा सिरातुन् अलय-य
 मुस्तकीम (41) इन्-न जिबादी लै-स
 ल-क अलैहिम् सुल्लानुन् इल्ला
 मनिन्न-ब-अ-क मिनल्-गावीन (42)
 व इन्-न जहन्न-म लमौअिदुहुम्
 अज्मज़ीन (43) लहा सब्-अतु
 अब्बाबिन्, लिकुल्लि बाबिम् मिन्हुम्
 जुज्जुम्-मक्सूम (44) ●

वालों के? (32) बोला मैं वह नहीं कि
 सच्चा करूँ एक बशर को जिसको तूने
 बनाया खनखनाते सने हुए गारे से। (33)
 फरमाया तो तू निकल यहाँ से तुझ पर
 मार है। (34) और तुझ पर फटकार है
 उस दिन तक कि इन्साफ़ हो। (35)
 बोला ऐ रब! तू मुझको ढील दे उस दिन
 तक कि मुर्दे जिन्द हों। (36) फरमाया
 तो तुझको ढील दी (37) उसी मुकर्ररा
 वक़्त के दिन तक। (38) बोला ऐ रब!
 जैसा कि तूने मुझको राह से खो दिया मैं
 भी उन सब को बहारें दिखलाऊँगा ज़मीन
 में, और राह से खो दूँगा उन सब को
 (39) मगर जो तेरे चुने हुए बन्दे हैं।
 (40) फरमाया यह राह है मुझ तक
 सीधी। (41) जो मेरे बन्दे हैं तेरा उन पर
 कुछ जोर नहीं, मगर जो तेरी राह चला
 बहके हुआओं में। (42) और दोजख़ पर
 वादा है उन सब का। (43) उसके सात
 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के वास्ते उनमें से
 एक फ़िर्का है बाँटा हुआ। (44) ●

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और हमने इनसान को (यानी इस नस्ल की जड़ आदम अलैहिस्सलाम को) बजती हुई मिट्टी

से जो कि सड़े हुए गारे की बनी हुई थी, पैदा किया (यानी पहले गारे को खूब खमीर किया कि उसमें बू आने लगी, फिर वह खुश्क हो गया कि वह खुश्क होने से खन-खन बोलने लगा जैसा कि मिट्टी के बरतन चुटकी मारने से बजा करते हैं, फिर उस खुश्क गारे से आदम का पुतला बनाया जो बड़ी कुदरत की निशानी है)। और जिन्न को (यानी इस नस्ल की असल जिन्नों के बाप को) उससे पहले (यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले) आग से कि वह (अपनी बहुत ज्यादा नमी व बारीकी की वजह से) एक गर्म हवा थी, पैदा कर चुके थे (मतलब यह कि चूँकि उस आग में धुएँ के अंश और हिस्से न थे इसलिये वह हवा की तरह नज़र न आती थी, क्योंकि आग का नज़र आना गाढ़े और भारी अंगों के उसमें मिलने से होता है, इसको दूसरी आयत में इस तरह फरमाया है 'व ख-लकल् जानून मिम्-मारिजिम् मिन्-नार')।

और वह वक़्त याद करने के काबिल है जब आपके रब ने फ़रिश्तों से (इरशाद) फरमाया कि मैं एक बशर को (यानी उसके पुतले को) बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे से बनी होगी, पैदा करने वाला हूँ। सो जब मैं उसको (यानी उसके बदनी हिस्सों को) पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी (तरफ़ से) जान डाल दूँ तो तुम सब उसके सामने सज्दे में गिर पड़ना। सो (जब अल्लाह तआला ने उसको बना लिया तो) सारे के सारे फ़रिश्तों ने (आदम अलैहिस्सलाम को) सज्दा किया, मगर इब्लीस ने, कि उसने इस बात को क़बूल नहीं किया कि सज्दा करने वालों में शामिल हो (यानी सज्दा न किया)। अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ इब्लीस! तुझको कौनसी बात इसका कारण बनी कि तू सज्दा करने वालों में शामिल न हुआ? कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कि बशर "आदमी" को सज्दा करूँ जिसको आपने बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी है, पैदा किया है (यानी ऐसे हकीर व ज़लील मादे से बनाया गया है क्योंकि मैं आग के नूरानी मादे से पैदा हुआ हूँ तो नूरानी होकर अंधेरे वाली चीज़ को कैसे सज्दा करूँ)। इरशाद हुआ कि तो (अच्छा फिर) आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया। और बेशक तुझ पर (मेरी) लानत क़ियामत तक रहेगी (जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'अलै-क लज़ूनती' यानी क़ियामत तक तू मेरी रहमत से दूर रहेगा, तौबा की तौफीक़ न होगी और मक़बूल व मरहूम न होगा। और ज़ाहिर है कि क़ियामत तक जो रहमत का हक़दार न हो तो फिर क़ियामत में तो रहम व करम को पाने वाला होने का गुमान व संभावना ही नहीं। पस जिस वक़्त तक गुंजाईश व संभावना थी उसकी नफी कर दी, और इसमें यह शुब्हा न किया जाये कि इसमें तो मोहलत माँगने से पहले ही मोहलत देने का वायदा हो गया, बात यह है कि मक़सद क़ियामत तक उम्र देना नहीं है कि यह शुब्हा हो, बल्कि मतलब यह है कि दुनिया की जिन्दगी में तो मलऊन है अगरचे वह क़ियामत तक न खिंचे)।

कहने लगा (कि अगर मुझको आदम की वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझको (मरने से) मोहलत दीजिये क़ियामत के दिन तक (ताकि उनसे और उनकी औलाद से खूब बदला लूँ)। इरशाद हुआ (जब तू मोहलत माँगता है) तो (जा) तुझको निर्धारित वक़्त की तारीख़ तक मोहलत दी गई। कहने लगा कि ऐ मेरे रब! इस सबब से कि आपने मुझको (एक तक्दीरी हुक्म

के तहत) गुमराह किया है मैं कसम खाता हूँ कि मैं दुनिया में उनकी (यानी आदम और औलादे आदम की) नज़र में गुनाहों को पसन्दीदा और अच्छा करके दिखलाऊँगा, और उन सब को गुमराह करूँगा, सिवाय आपके उन बन्दों के जो उनमें से चुन लिये गये हैं (यानी आपने उनको मेरे असर से महफूज़ कर रखा है)। इरशाद हुआ कि (हाँ) यह (चुना जाना जिसका तरीका नेक आमात और अल्लाह की कामिल फरमाँबरदारी है) एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है (यानी इस पर चलकर हमारा ख़ास और नज़दीकी हो जाता है)। वाकई मेरे इन (ज़िक्र हुए) बन्दों पर तेरा ज़रा भी बस न चलेगा, हाँ मगर जो गुमराह लोगों में से तेरी राह पर चलने लगे (तो चले)। और (जो लोग तेरी राह पर चलेंगे) उन सब का ठिकाना जहन्नम है। जिसके सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े (में से जाने) के लिये उन लोगों के अलग-अलग हिस्से हैं (कि कोई किसी दरवाज़े से जायेगा कोई किसी दरवाज़े से)।

मअरिफ़ व मसाईल

इनसानी बदन में रूह का फूँकना और उसको फ़रिश्तों के लिये

काबिले सज़्दा बनाने की मुख़्तसर तहकीक़

रूह कोई जिस्म है या जौहर-ए-मुजर्द (सिर्फ़ माददा) इसमें उलेमा व फ़ल्सफ़ी हज़रात का मतभेद पुराने ज़माने से चला आता है। शैख़ अब्दुरऊफ़ मुनावी ने फ़रमाया कि इसमें विद्वानों, विज्ञानियों और फ़ल्सफ़ी हज़रात के अक़वाल एक हज़ार तक पहुँचते हैं, मगर सब अन्दाज़े और क़ियास ही हैं, किसी को यकीनी नहीं कहा जा सकता। इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी और उमूमन सूफ़िया और फ़ल्सफ़ी हज़रात का कौल यह है कि वह जिस्म नहीं बल्कि जौहर-ए-मुजर्द है। इमाम राज़ी ने इसकी बारह दलीलें पेश की हैं।

मगर उम्मत के उलेमा की अक्सरियत और बड़ी जमाअत रूह को एक लतीफ़ जिस्म करार देती है। नफ़्ख़ के मायने फूँक मारने के हैं अगर अक्सर उलेमा के कौल को लिया जाये और रूह को एक लतीफ़ जिस्म करार दिया जाये तो उसको फूँकना ज़ाहिर है, और जौहर-ए-मुजर्द मान लिया जाये तो फूँकने के मायने उसका बदन से ताल्लुक़ पैदा कर देना होगा।

(तफसीर बयानुल-कुरआन)

रूह और नफ़्स के मुताल्लिक़ हज़रत काज़ी

सनाउल्लाह रह. की तहकीक़

यहाँ इस लम्बी-चौड़ी बहस को छोड़कर एक ख़ास तहकीक़ को काफ़ी समझा जाता है जो तफसीर-ए-मज़हरी में काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तहरीर फ़रमाई है।

हज़रत काज़ी साहिब फ़रमाते हैं कि रूह की दो किस्म हैं- उलवी और सिफ़ली। उलवी रूह

मादे से मुजरद (खाली) अल्लाह तआला की एक मख्लूक है क्योंकि वह अंश से ज्यादा लतीफ है और उलवी रूह कश्फी नजर से ऊपर नीचे पाँच दर्जों में महसूस की जाती है, वो पाँच ये हैं: दिल, रूह, सिर, खफ़ी, अड्फ़ा और ये सब आलम-ए-अमूर के सताईफ़ में से हैं, जिसकी तरफ़ कुरआने करीम ने इशारा फ़रमाया है:

لِلرُّوحِ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي.

(कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। सूर: बनी इस्राईल आयत 85)

और सिफली रूह वह लतीफ़ बुखार है जो इनसानी बदन के चारों तत्व आग, पानी, मिट्टी, हवा से पैदा होता है, और इसी सिफली रूह को नफ़्स कहा जाता है।

अल्लाह तआला ने इस सिफली रूह को जिसे नफ़्स कहा जाता है ऊपर ज़िक्र हुई उलवी रूहों का आईना बना दिया है। जिस तरह आईना जब सूरज के सामने किया जाये तो सूरज के बहुत दूर होने के बावजूद उसमें सूरज का अक्स आ जाता है और रोशनी की वजह से वह भी सूरज की तरह चमक उठता है और सूरज की हरारत भी उसमें आ जाती है जो कपड़े को जला सकती है। इसी तरह उलवी रूहें अगरचे अपने तजरूद (मादूदे से खाली होने) की वजह से बहुत बुलन्द व बाला और बहुत दूरी पर हैं मगर उनका अक्स इस सिफली रूह के आईने में आकर उलवी रूहों की कैफ़ियतों व आसार इसमें मुत्तकिल कर देता है और यही आसार जो नफ़्सों में पैदा हो जाते हैं हर-हर फ़र्द के लिये रूहों के अंश और हिस्से कहलाते हैं।

फिर यह सिफली रूह जिसको नफ़्स कहते हैं अपनी उन कैफ़ियतों व आसार के साथ जिनको उलवी रूहों से हासिल किया है, इसका ताल्लुक़ इनसानी बदन में सबसे पहले गोशत के लोथड़े दिल से होता है और इस ताल्लुक़ ही का नाम हयात और ज़िन्दगी है। सिफली रूह के ताल्लुक़ से सबसे पहले इनसान के दिल में ज़िन्दगी और वे उलूम व एहसासात पैदा होते हैं जिनको नफ़्स ने उलवी रूहों से हासिल किया है। यह सिफली रूह पूरे बदन में फैली हुई बारीक रगों में घुस जाती है, जिनको शराईन कहा जाता है, और इस तरह वह पूरे इनसानी बदन के हर हिस्से में पहुँच जाती है।

सिफली रूह के इनसानी बदन में समा जाने ही को रूह फूँकने से ताबीर किया गया है क्योंकि यह किसी चीज़ में फूँक भरने से बहुत मुशाबा (मिलती-जुलती) है।

और ऊपर बयान हुई इस आयत में अल्लाह तआला ने रूह को अपनी तरफ़ मन्सूब करके 'मिरूही' इसलिये फ़रमाया है कि तमाम मख्लूक़ात में इनसानी रूह का सम्मानित व आला रुतबे वाला होना वाज़ेह हो जाये। क्योंकि वह बग़ैर मादे के सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई है, तथा इसमें अल्लाह की तजल्लियात (नूरानी किरनों) को क़ुबूल करने की ऐसी क़ाबलियत है जो इनसान के अलावा किसी दूसरे जानदार की रूह में नहीं है।

और इनसान की पैदाईश में अगरचे ग़ालिब तत्व मिट्टी का है और इसी लिये कुरआने करीम में इनसान की पैदाईश को मिट्टी की तरफ़ मन्सूब किया गया है, लेकिन हकीकत में वह दस चीज़ों का जामे है, जिनमें पाँच आलम-ए-ख़ल्क़ की हैं और पाँच आलम-ए-अमूर की। आलम-ए-

खल्क के चार तत्व आग, पानी, मिट्टी, हवा और पाँचवाँ इन चारों से पैदा होने वाला लतीफ बुखार जिसको सिफली रूह या नफ्स कहा जाता है, और आलम-ए-अमर की पाँच चीज़ें वो हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया है यानी दिल, रूह, सिर, ख़फी, अज़्फ़ा।

इसी पूर्णता के सबब इनसान अल्लाह की खिलाफ़त का पात्र बना, और मारिफ़त के नूर और इश्क़ व मुहब्बत की आग का बरदाश्त करने वाला हुआ, जिसका नतीजा बिना कैफ़ियत के अल्लाह के साथ (यानी ताईद व मदद) का हासिल होना है, क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

“यानी हर इनसान उस फ़र्द के साथ होगा जिससे उसको मुहब्बत है।”

और इनसान में अल्लाह की तजल्लियों (मारिफ़त व नूर) की काबलियत और अल्लाह का साथ (यानी उसकी मदद व ताईद) नसीब होने का जो दर्जा इसको हासिल है उसी की वजह से अल्लाह की हिक्मत का तकाज़ा यह हुआ कि इसको फ़रिश्तों से सज्दा कराया जाये। चुनाँचे इरशाद हुआ:

فَقَرَأَ لَهُ سَجِدِينَ ۝

सज्दे का हुक्म फ़रिश्तों को हुआ था इब्लीस उनके साथ होने की वजह से उसमें शामिल करार दिया गया

सूर: आराफ़ में इब्लीस को ख़िताब करके इरशाद फ़रमाया है:

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۝

इससे मालूम होता है कि सज्दे का हुक्म फ़रिश्तों के साथ इब्लीस को भी दिया गया था, इसी लिये इस सूरत की जो आयतें अभी आपने पढ़ी हैं जिनसे बज़ाहिर इस हुक्म का फ़रिश्तों के लिये ख़ास होना मालूम होता है, इसका मतलब यह हो सकता है कि डायरेक्ट तौर पर यह हुक्म फ़रिश्तों को दिया गया है मगर इब्लीस भी चूँकि फ़रिश्तों के अन्दर मौजूद था इसलिये उन्हीं के ताबे करार देकर वह भी इस हुक्म में शामिल था। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के सम्मान व इकराम के लिये जब अल्लाह तआला की इतनी बड़ी बुजुर्ग़ मख़्लूक़ फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया तो दूसरी मख़्लूक़ का उनके ताबे होकर उस हुक्म में दाख़िल होना बिल्कुल ज़ाहिर था, इसी लिये इब्लीस ने जवाब में यह नहीं कहा कि मुझे सज्दे का हुक्म दिया ही नहीं गया तो तामील न करने का जुर्म मुझ पर अ़ायद नहीं होता। और शायद कुरआने करीम के अलफ़ाज़:

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

(कि सज्दा करने वालों के साथ सज्दा करने से मना कर दिया) में भी इसकी तरफ़ इशारा हो कि यह नहीं फ़रमाया कि उसने सज्दा नहीं किया, बल्कि यह फ़रमाया कि सज्दा करने वालों

के साथ रहने और हुक्म की तामील करने से उसने इनकार कर दिया।

जिससे इसकी तरफ़ इशारा प्राया जाता है कि असल सज्दा करने वाले तो फ़रिश्ते ही थे, मगर अक्ली तौर पर लाज़िम था कि इब्लीस भी जब उनमें मौजूद था तो वह भी सज्दा करने वाले फ़रिश्तों के साथ शामिल हो जाता, उसके शामिल न होने पर नाराज़गी व गुस्से का इज़हार फ़रमाया गया।

अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों पर शैतान का बस न चलने के मायने

إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 42) से मालूम होता है कि अल्लाह तआला के मख़सूस और चुनिन्दा बन्दों पर शैतानी फ़रेब का असर नहीं होता, मगर आदम अलैहिस्सलाम के इसी वाक़िए में यह भी बयान हुआ है कि आदम व हव्वा पर उसका फ़रेब चल गया। इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में क़ुरआने करीम का इरशाद है:

إِنَّمَا سَتَرْنَاهُمُ الشَّيْطٰنُ بَعْضَ مَا كَسَبُوا. (آل عمران)

जिससे मालूम होता है कि सहाबा पर भी शैतान का फ़रेब उस मौक़े पर चल गया।

इसलिये उक्त आयत में अल्लाह के मख़सूस बन्दों पर शैतान का क़ब्ज़ा व इख़्तियार न होने का मतलब यह है कि उनके दिलों व अक्लों पर शैतान का ऐसा क़ब्ज़ा नहीं होता कि वे अपनी गुलती पर किसी वक़्त सचेत व आगाह ही न हों, जिसकी वजह से उनको तौबा नसीब न हो, या कोई ऐसा गुनाह कर बैठें जिसकी मग़फ़िरत न हो सके।

और ऊपर बयान हुए वाक़िआत इसके विरुद्ध नहीं, क्योंकि आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम ने तौबा की और यह तौबा क़ुबूल हुई। इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी तौबा कर ली थी और शैतान के फ़रेब से जिस गुनाह में मुब्तला हुए वह माफ़ कर दिया गया।

जहन्नम के सात दरवाज़े

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ

इमाम अहमद, इब्ने जरीर तबरी और इमाम बैहकी ने हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू की रिवायत से लिखा है कि जहन्नम के सात दरवाज़े ऊपर नीचे सात तबकों (दर्जों) के एतिबार से हैं, और कुछ हज़रात ने उनको आ़ाम दरवाज़ों की तरह करार दिया है, हर दरवाज़ा ख़ास किस्म के मुजरिमों के लिये रिज़र्व होगा। (तफसीरे क़ुर्तुबी)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوهُمْ بِسَلَامٍ ۖ إِنَّهُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ۖ وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۖ

इन्नल्-मुत्तकी-न फी जन्नातिव्-व
अयून (45) उदखूलूहा बि-सलामिन्
आमिनीन (46) व नजअना मा फी
सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन् इख्वानन्
अला सुरुरिम् मु-त्तकाबिलीन (47)
ला यमस्सुहुम् फीहा न-सबुव्-व मा
हुम् मिन्हा बिमुख्रजीन (48) नब्बिअ
अिबादी अन्नी अनल्-गफूर-रहीम
(49) व अन-न अजाबी हुवल-
अजाबुल् अलीम (50)

परहेजगार हैं बागों में और चश्मों में।
(45) कहेंगे उनको जाओ उनमें सलामती
से दिल के इत्मीनान के साथ। (46) और
निकाल डाली हमने जो उनके जियों में
थी नाराजगी, भाई हो गये तख्तों पर बैठे
आमने सामने। (47) न पहुँचेगी उनको
वहाँ कुछ तकलीफ और न उनको वहाँ से
कोई निकाले। (48) खबर सुना दे मेरे
बन्दों को कि मैं हूँ असल बख्शने वाला
मेहरबान। (49) और यह भी कि मेरा
अजाब वही अजाब है दर्दनाक। (50)

खुलासा-ए-तफसीर

वेशक खुदा से डरने वाले (यानी ईमान वाले) बागों और चश्मों में (बसते) होंगे (चाहे शुरू ही से अगर नाफरमानी न हो, या माफ हो गई हो, और चाहे नाफरमानी की सज़ा भुगतने के बाद। उनसे कहा जायेगा कि) तुम इन (बागों और चश्मों) में सलामती और अमन के साथ दाखिल हो (यानी इस वक़्त भी हर नापसन्द चीज़ से सलामती है और आइन्दा भी कभी किसी शर का अन्देशा नहीं)। और (दुनिया में तबई तकाज़े से) उनके दिलों में जो कीना था हम वह सब (उनके दिलों से जन्नत में दाखिल होने के पहले ही) दूर कर देंगे कि सब भाई-भाई की तरह (उलफ़त व मुहब्बत से) रहेंगे, तख्तों पर आमने-सामने बैठ करेंगे। वहाँ उनको ज़रा भी तकलीफ न पहुँचेगी और न वे वहाँ से निकाले जाएँगे। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप मेरे बन्दों को इतिला दे दीजिये कि मैं बड़ा मग़फ़िरत और रहमत वाला भी हूँ और (साथ ही) यह कि मेरी सज़ा (भी) दर्दनाक सज़ा है (ताकि इससे अवगत होकर ईमान और तक्वे की तरफ़ रुचि लें और कुफ़ व नाफरमानी से ख़ौफ़ पैदा हो)।

मआरिफ व मसाईल

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले उनके सामने पानी के दो चश्मे पेश किये जायेंगे। पहले चश्मे से वे पानी पियेंगे तो उन सब के दिलों से आपसी रज़िश जो कभी दुनिया में पेश आई थी और तबई तौर पर उसका असर आखिर तक मौजूद रहा, वह सब धुल जायेगा और सब के दिलों में आपसी मुहब्बत व उलफत पैदा हो जायेगी, क्योंकि आपसी रज़िश भी एक तकलीफ़ व अज़ाब है और जन्नत हर तकलीफ़ से पाक है।

और सही हदीस में जो यह आया है कि जिस शख्स के दिल में ज़रा बराबर भी कीना किसी मुसलमान से होगा वह जन्नत में न जायेगा, इससे मुराद वह कीना और बुग़ज़ है जो दुनियावी गर्ज़ से और अपने इरादे व इख़्तियार से हो, और इसकी वजह से वह शख्स उसके पीछे लगा रहे कि जब मौका पाये अपने दुश्मन को तकलीफ़ और नुक़सान पहुँचाये, तबई नागवारी जो इनसानी ख़ासियत में से और ग़ैर-इख़्तियारी है वह इसमें दाख़िल नहीं। इसी तरह जो किसी शरई बुनियाद पर आधारित हो ऐसे ही बुग़ज़ व दिली नागवारी का ज़िक्र इस आयत में है कि जन्नत वालों के दिलों से हर तरह का आपसी मनमुटाव और रज़िश दूर कर दी जायेगी।

इसी के बारे में हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू ने फरमाया कि “मुझे उम्मीद है कि मैं और तल्हा और जुबैर उन्हीं लोगों में से होंगे जिनके दिलों का गुबार जन्नत में दाख़िले के वक़्त दूर कर दिया जायेगा।”

इशारा उन मतभेदों और आपसी विवादों की तरफ़ है जो इन हज़रात और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच पेश आये थे।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

इस आयत से जन्नत की दो विशेषतायें मालूम हुई- अब्तल यह कि किसी को कभी थकान और कमज़ोरी महसूस न होगी, बख़िलाफ़ दुनिया के कि यहाँ मेहनत व मशक्कत के कामों से तो कमज़ोरी व थकान होती ही है ख़ालिस आराम और तफ़रीह से भी किसी न किसी वक़्त आदमी थक जाता है और कमज़ोरी महसूस करने लगता है, चाहे वह कितना ही लज़ीज़ (मजेदार) काम और मशग़ला हो।

दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो आराम व राहत और नेमतें वहाँ किसी को मिल जायेंगी फिर वो हमेशा के लिये होंगी, न वे नेमतें कभी कम होंगी और न उनमें से उस शख्स को निकाला जायेगा। सूर: सौद में इरशाद है:

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَائِدٍ ۝

यानी यह हमारा रिज़क़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और इस आयत में फरमाया:

وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

यानी उनको कभी उन नेमतों व राहतों से निकाला नहीं जायेगा। बखिलाफ़ दुनियावी मामलात के कि यहाँ अगर कोई किसी को बड़े से बड़ा इनाम व राहत दे भी दे तो यह खतरा हर वक़्त लगा रहता है कि जिसने ये इनामात दिये हैं वह किसी वक़्त नाराज़ होकर यहाँ से निकाल देगा।

एक तीसरा शुद्ध व गुमान जो यह था कि न जन्नत की नेमतें ख़त्म हों और न उसको वहाँ से निकाला जाये मगर वह खुद ही वहाँ रहते-रहते उकता जाये और बाहर जाना चाहे, कुरआने करीम ने इस शुद्धे व संभावना को भी एक जुमले में इन अलफ़ाज़ से ख़त्म कर दिया है कि:

لَا يَبْعَثُونَ عَنْهَا حَوْلًا

यानी ये लोग भी वहाँ से पलट कर आने की कभी इच्छा न करेंगे।

وَكَيْفَ يُعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَكْرَهُمْ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَكْرَهُمْ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَكْرَهُمْ
 لَا تَوَجَّلْ أَنَا نَبِيُّكَ يَغْلِبُ عَلَيَّ ۖ قَالَ ابْتَزُّمُونِي ۖ عَلَيَّ أَنْ مَسَرَّتْ رِجْلِي بَعْدَ مَا نَبَّيْتُكُمْ ۖ قَالَوا
 بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِئِينَ ۖ قَالَ وَمَنْ يَقْطَعُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ ۖ قَالَ فَسَا
 حَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۖ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ
 ائْجَمِينَ ۖ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَائِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
 مُّكَدَّرُونَ ۖ قَالَوا بَلْ جُنْدِكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ ۖ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ
 فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَاكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ
 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُوَلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدْيَنَةِ
 لِيَسْتَبْشِرُونَ ۖ قَالَ إِنَّ هُوَلَاءِ صِيفِي فَلَا تَفْضَحُون ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذَلُونَ ۖ قَالَوا أَوَلَمْ نُنْهَكْ
 عَنِ الْعُلَمِيْنَ ۖ قَالَ هُوَلَاءِ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ۖ لَعَنَّا إِيَّاهُمْ لَنَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۖ
 فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۖ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۖ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۖ وَإِنَّهَا لَئِيسِيرٌ يُّقِيمُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ

व नब्बिअहुम् अन् ज़ैफि इब्राहीम।
 (51) इज़् द-ख़लू अलैहि फ़क़ालू
 सलामन्, क़ा-ल इन्ना मिन्कुम्
 वजिलून (52) कालू ला तौजलू इन्ना

और हाल सुना दे उनको इब्राहीम के
 मेहमानों का। (51) जब चले आये उसके
 घर में और बोले सलाम, वह बोला हमको
 तुमसे डर मालूम होता है। (52) बोले डर

नबुशिशरु-क बिगुलामिन् अलीम
 (53) का-ल अ-बशशरतुमूनी अला
 अम्मस्सनियल्-कि-बरु फ़ि-म
 तुबशिशरुन (54) कालू बशशरना-क
 बिल्हकिक् फ़ला तकुम् मिनल्-
 कानितीन (55) का-ल व मय्यक्नतु
 मिरह्मति रब्बिही इल्लज़्जाल्लून
 (56) का-ल फ़मा छात्बुकुम्
 अय्युहल्-मुर्सलून (57) कालू इन्ना
 उसिल्ना इला कौमिम्-मुज़्जिमीन
 (58) इल्ला आ-ल लूतिन्, इन्ना
 लमुनज़्ज़हुम् अज्मज़ीन (59)
 इल्लम्-र-अ-तहू कदरनां इन्नहा
 लमिनल्-गाबिरीन (60) ●
 फ़-लम्मा जा-अ आ-ल लूति-निल्-
 -मुर्सलून (61) का-ल इन्नकुम्
 कौमुम्-मुन्करून (62) कालू बल्
 जिअना-क बिमा कानू फ़ीहि यम्तरून
 (63) व अतैना-क बिल्हकिक् व इन्ना
 लसादिकून (64) फ़-असिर बिअस्लि-क
 बिकित्तिअम् मिनल्लैलि वत्तबिअ
 अद्बारहुम् व ला यल्लफित् मिन्कुम्
 अ-हदुंव्वम्जू हैसु तुअ्मरून (65) व
 कज़ैना इलैहि ज़ालिकल्-अम्-र

मत हम तुझको खुशख़बरी सुनाते हैं एक
 होशियार लड़के की। (53) बोला क्या
 खुशख़बरी सुनाते हो मुझको जब पहुँच
 चुका मुझको बुढ़ापा, अब किस चीज़ पर
 खुशख़बरी सुनाते हो? (54) बोले हमने
 तुझको खुशख़बरी सुनाई सच्ची, सो मत
 हो तू नाउम्मीदों में। (55) बोला और
 कौन आस तोड़े अपने रब की रहमत से
 मगर जो गुमराह हैं। (56) बोला फिर क्या
 मुहिम है तुम्हारी ऐ अल्लाह के भेजे हुआ।
 (57) बोले हम भेजे हुए आये हैं एक
 गुनाहगार कौम पर। (58) मगर लूत के
 घर वाले, हम उनको बचा लेंगे सब को
 (59) मगर एक उसकी औरत, हमने ठहरा
 लिया, वह है रह जाने वालों में। (60) ●
 फिर जब पहुँचे लूत के घर वे भेजे हुए।
 (61) बोला तुम लोग हो ओपरे
 (अजनबी)। (62) बोले नहीं! पर हम
 लेकर आये हैं तेरे पास वह चीज़ जिसमें
 वे झगड़ते थे। (63) और हम लाये हैं तेरे
 पास पक्की बात और हम सच कहते हैं।
 (64) सो ले निकल अपने घर वालों को
 कुछ रात रहे से, और तू चल उनके पीछे
 और मुड़कर न देखे तुममें से कोई, और
 चले जाओ जहाँ तुमको हुक्म है। (65)
 और मुक़रर कर दी हमने उसको यह बात

अन्-न दाबि-र हाउला-इ मक्तूअुम्-
मुस्बिहीन (66) व जा-अ अस्तुल्-
मदीनति यस्तब्शिरून (67) का-ल
इन्-न हाउला-इ जैफी फला तफजहून
(68) वक्तकुल्ला-ह व ला तुख्ज़ून
(69) कालू अ-व लम् नन्ह-क अनिल्-
आलमीन (70) का-ल हाउला-इ
बनाती इन् कुन्तुम् फाज़िलीन (71)
ल-अम्रु-क इन्नहुम् लफी सक्कतिहिम्
यअूमहून (72) फ-अ-खज़हुमुस्सैहतु
मुशिक्रीन (73) फ-जअल्ला आलि-यहा
साफि-लहा व अमर्ना अलैहिम्
हिजा-रतम् मिन् सिज्जील (74)
इन्-न फी ज़ालि-क लआयातिल्
लिल्-मु-तवस्सिमीन (75) व इन्नहा
लबि-सबीलिम् मुकीम (76) इन्-न
फी ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्-
मुअ्मिनीन (77)

कि उनकी जड़ कटेगी सुबह होते। (66)
और आये शहर के लोग खुशियाँ करते।
(67) लूत ने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं
सो मुझको रुखा मत करो। (68) और
डरो अल्लाह से और मेरी आबरू मत
खोओ। (69) बोले क्या हमने तुझको
मना नहीं किया जहान की हिमायत से।
(70) बोला ये हाज़िर हैं मेरी बेटियाँ
अगर तुमको करना है। (71) कसम है
तेरी जान की वे अपनी मस्ती में मदहोश
हैं। (72) फिर आ पकड़ा उनको चिंघाड़
ने सूरज निकलते वक्त। (73) फिर कर
डाली हमने वह बस्ती ऊपर तले और
बरसाये उन पर पत्थर खिंगर के। (74)
बेशक इसमें निशानियाँ हैं ध्यान करने
वालों को। (75) और वह बस्ती स्थित है
सीधी राह पर। (76) यकीनन उसमें
निशानी है ईमान वालों के लिये। (77)

खुलासा-ए-तफसीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम!) आप उन (लोगों) को इब्राहीम (अलैहिस्सलाम)
के मेहमानों (के किस्से) की भी इतिला दीजिये (वह किस्सा उस वक्त पेश आया था) जबकि वे
(मेहमान जो कि हकीकत में फरिश्ते थे और इनसानी शकल में होने की वजह से हज़रत इब्राहीम
अलैहिस्सलाम ने उनको मेहमान समझा) उनके (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के) पास आये।
फिर (आकर) उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, (इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मेहमान समझकर
फौरन उनके लिये खाना तैयार कर लाये, मगर चूँकि वे फरिश्ते थे, उन्होंने खाया नहीं, तब)

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम दिल में डरे कि ये लोग खाना क्यों नहीं खाते। क्योंकि वे फ़रिश्ते इनसानी शकल में थे, उनको इनसान ही समझा और खाना न खाने से शुब्हा हुआ कि ये लोग कहीं मुखालिफ़ न हों, और) कहने लगे कि हम तो तुम से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप डरें नहीं, हम (फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ़ से एक खुशख़बरी लेकर आये हैं और) आपको एक फ़रज़न्द “यानी लड़के” की खुशख़बरी देते हैं जो बड़ा आलिम होगा (मतलब यह कि नबी होगा, क्योंकि आदमियों में सबसे ज़्यादा इल्म अम्बिया को होता है। मुराद उस बेटे से इस्हाक़ अलैहिस्सलाम हैं और दूसरी आयतों में हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के साथ याक़ूब अलैहिस्सलाम की खुशख़बरी भी ज़िक्र हुई है)।

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) कहने लगे कि क्या तुम मुझको इस हालत में (बेटे) की खुशख़बरी देते हो कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया। सो (ऐसी हालत में मुझको) किस चीज़ की खुशख़बरी देते हो (मतलब यह कि यह बात अपने आप में अजीब है, न यह कि कुदरत से दूर है)। वे (फ़रिश्ते) बोले कि हम आपको हक़ चीज़ की खुशख़बरी देते हैं (यानी बेटे का पैदा होना यकीनन होने वाला है) सो आप नाउम्मीद न-हों (यानी अपने बुढ़ापे पर नज़र न कीजिये कि ऐसे आदी असबाब पर नज़र करने से नाउम्मीदी के वस्वसे ग़ालिब होते हैं)। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि भला अपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद होता है सिवाय गुमराह लोगों के (यानी मैं नबी होकर गुमराहों की सिफ़त अपने अन्दर कैसे रख सकता हूँ। मक़सद सिर्फ़ इस मामले के अजीब होने को बयान करना है, बाकी अल्लाह का वायदा सच्चा और मुझको उम्मीद से बढ़कर उसका कामिल यकीन है। उसके बाद नुबुख़्त की समझ से आपको मालूम हुआ कि इन फ़रिश्तों के आने से खुशख़बरी के अलावा और भी कोई बड़ी मुहिम मक़सूद है, इसलिये) फ़रमाने लगे कि (जब हालात व अन्दाज़े और इशारात से मुझको यह मालूम हो गया कि तुम्हारे आने का कुछ और भी मक़सद है) तो (यह बतलाओ कि) अब तुमको क्या मुहिम पेश आई है ऐ फ़रिश्तो! फ़रिश्तों ने कहा कि हम एक मुजरिम क़ौम की तरफ़ (उनको सज़ा देने के लिये) भेजे गये हैं (इससे मुराद क़ौम-ए-लूत है)। मगर लूत (अलैहिस्सलाम) का ख़ानदान, कि हम उन सब को (अज़ाब से) बचा लेंगे (यानी उनको बचने का तरीक़ा बतला देंगे कि उन मुजरिमों से अलग हो जायें) सिवाय उनकी (यानी लूत अलैहिस्सलाम की) बीवी के कि हमने उसके बारे में तय कर रखा है कि वह ज़रूर उसी मुजरिम क़ौम में रह जायेगी (और उनके साथ अज़ाब में गिरफ़्तार और मुब्तला होगी)।

फिर जब वे फ़रिश्ते लूत (अलैहिस्सलाम) के ख़ानदान के पास आये (तो चूँकि इनसानी शकल में थे इसलिये) कहने लगे, तुम तो अजनबी आदमी (मालूम होते) हो (दिखिये शहर वाले तुम्हारे साथ क्या सुलूक करते हैं, क्योंकि ये अजनबी लोगों को परेशान किया करते हैं)। उन्होंने कहा, नहीं! (हम आदमी नहीं) बल्कि हम (फ़रिश्ते हैं) आपके पास वह चीज़ (यानी वह अज़ाब) लेकर आये हैं जिसमें ये लोग शक़ किया करते थे। और हम आपके पास यकीनी होने वाली

चीज़ (यानी अज़ाब) लेकर आये हैं और हम (इस ख़बर देने में) बिल्कुल सच्चे हैं। सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर (यहाँ से) चले जाइये, और आप सब के पीछे हो लीजिये (ताकि कोई रह न जाये, या लौट न जाये। और आपके रौब और डर की वजह से कोई पीछे मुड़कर न देखे जिसकी मनाही कर दी गई है), और तुम में से कोई पीछे फिरकर भी न देखे (यानी सब जल्दी चले जायें) और जिस जगह (जाने का) तुमको हुक्म हुआ है उस तरफ़ सब चले जाओ। (तफसीर दुर्-मन्सूर में सुददी के हवाले से नक़ल किया है कि वह जगह मुल्के शाम है, जिसकी तरफ़ हिजरत करने का उन हज़रात को हुक्म दिया गया था)।

और हमने (उन फ़रिश्तों के वास्ते से) लूत (अलैहिस्सलाम) के पास यह हुक्म भेजा कि सुबह होते ही उनकी बिल्कुल जड़ ही कट जाएगी (यानी बिल्कुल हलाक व बरबाद हो जायेंगे। फ़रिश्तों की यह बातचीत तरतीब के एतिबार से उस किस्से के बाद हुई है जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है, लेकिन इसको ज़िक्र करने में इसलिये पहले लाया गया कि किस्सा बयान करने से जो बात मफ़सद है यानी नाफ़रमानों पर अज़ाब और फ़रमाँबरदारों की निजात व कामयाबी, वह पहले ही एहतिमाम के साथ मालूम हो जाये। अगला किस्सा यह है)।

और शहर के लोग (यह ख़बर सुनकर कि लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ हसीन लड़के आये हैं) ख़ूब खुशियाँ करते हुए (अपनी बुरी नीयत और बुरे इरादे के साथ लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे)। लूत (अलैहिस्सलाम) ने (जो अब तक उनकी आदमी और अपना मेहमान ही समझ रहे थे उनके बुरे इरादों का एहसास करके) फ़रमाया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं (इनको परेशान करके) मुझको (आम लोगों में) रुस्वा न करो (क्योंकि मेहमान की तौहीन मेज़बान की तौहीन होती है, अगर तुम्हें इन परदेसियों पर रहम नहीं आता तो कम से कम मेरा ख़्याल करो कि मैं तुम्हारी बस्ती का रहने वाला हूँ। इसके अलावा जो इरादा तुम कर रहे हो वह अल्लाह तआला के क़हर व ग़ज़ब का सबब है)। तुम अल्लाह तआला से डरो और मुझको (इन मेहमानों की नज़र में) रुस्वा मत करो (कि मेहमान यह समझेंगे कि अपनी बस्ती के लोगों में भी इनकी कोई वक़अत नहीं)। वे कहने लगे (कि यह रुस्वाई हमारी तरफ़ से नहीं आपने खुद अपने हाथों ख़रीदी है कि इनको मेहमान बनाया) क्या हम आपकी दुनिया भर के लोगों (को अपना मेहमान बनाने) से (कई बार) मना नहीं कर चुके (न आप इनको मेहमान बनाते न इस रुस्वाई की नौबत आती)। लूत (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (यह बतलाओ कि इस बेहूदा हरकत की क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें किसी को मेहमान बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती, जिन्सी इच्छा को पूरी करने के तबई तकाज़े के लिये) ये मेरी (बहू-) बेटियाँ (जो तुम्हारे घरों में मौजूद हैं, अगर तुम मेरा कहना करो (तो शरीफ़ाना तौर पर अपनी औरतों से अपना मतलब पूरा करो मगर वे किसकी सुनते थे)। आपकी जान की क़सम! वे अपनी मस्ती में मदहोश थे। पस सूरज निकलते-निकलते उनको सख़्त आवाज़ ने आ दबाया (यह तर्जुमा मुश्रिकीन का है, इससे पहले जो मुस्बिहीन का लफ़ज़ आया है जिसके मायने सुबह होते-होते के हैं, इन दोनों को इस तरह जमा किया जाना मुम्किन है कि सुबह से शुरूआत हुई और इश्राक़ तक ख़ात्मा हुआ)।

फिर (उस सख्त आवाज़ के बाद) हमने उन बस्तियों (की ज़मीन को उलट कर उन) का ऊपर का तख़्ता (तो) नीचे कर दिया (और नीचे का तख़्ता ऊपर कर दिया) और उन लोगों पर कंकर के पत्थर बरसाने शुरू किये। इस वाकिए में कई निशानियाँ हैं अक़्तल रखने वालों के लिये (जैसे एक तो यह कि बुरे फ़ेल का नतीजा आख़िरकार बुरा होता है, अगर कुछ दिन मोमलत और ढील मिल जाये तो उससे घोछा न खाना चाहिये। दूसरे यह कि हमेशा की और बाकी रहने वाली राहत व इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह तआला पर ईमान और उसकी फ़रमाँबरदारी पर मौकूफ़ है। तीसरे यह कि अल्लाह तआला की कुदरत को इनसानी कुदरत पर अन्दाज़ा व गुमान करके घोछे में मुब्तला न हों, अल्लाह तआला के कम्बा-ए-कुदरत में सब कुछ है, वह जाहिरी असबाब के खिलाफ़ भी जो चाहे कर सकता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विशेष सम्मान व इकराम

अल्लाह तआला ने फ़रमाया- 'ल-अमूरु-क'। तफ़सीर रूहुल-मज़ानी में मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत का कौल यह नक़ल किया है कि 'ल-अमूरु-क' के मुखातब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। अल्लाह तआला ने आपकी जिन्दगी की क़सम खाई है। इमाम बैहकी ने 'दलाईलुन्नुबुव्वत' में और अबू नुऐम व इब्ने मरदूया वगैरह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह तआला ने तमाम मख़्लूक़ात व कायनात में किसी को मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा इज़्ज़त व मर्तबा अता नहीं फ़रमाया, यही वजह है कि अल्लाह तआला ने किसी पैग़म्बर या किसी फ़रिश्ते की जिन्दगी पर कभी क़सम नहीं खाई और इस आयत में रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्र व जिन्दगी की क़सम खाई है जो आप सल्ल. का इन्तिहाई सम्मान व इकराम है।

गैरुल्लाह की क़सम खाना

किसी इनसान के लिये जायज़ नहीं कि अल्लाह तआला के नामों और सिफ़ात के अलावा किसी और चीज़ की क़सम ख़ाये। क्योंकि क़सम उसकी खाई जाती है जिसको सबसे ज़्यादा बड़ा समझा जाये, और ज़ाहिर है कि सब से ज़्यादा बड़ा सिर्फ़ अल्लाह तआला ही हो सकता है।

हदीस में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपनी माँओं और बापों की और बुतों की क़सम न ख़ाओ, और अल्लाह के सिवा किसी की क़सम न ख़ाओ, और अल्लाह की क़सम भी सिर्फ़ उस वक़्त ख़ाओ जब तुम अपने कौल में सच्चे हो।

(अबू दाऊद व नसाई, हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से)

और बुखारी व मुस्लिम में है कि एक मर्तबा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि अपने बाप की कसम खा रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पुकारकर फरमाया कि “ख़बरदार रहो अल्लाह तआला बापों की कसम खाने से मना फरमाता है, जिसको हलफ़ करना हो अल्लाह के नाम का हलफ़ करे वरना ख़ामोश रहे। (तफसीरे क़ुर्तुबी, मायदा)

लेकिन यह हुक्म आम मख़्ज़ूक़ात के लिये है, अल्लाह जल्ल शानुहू खुद अपनी मख़्ज़ूक़ात में से विभिन्न चीज़ों की कसम खाते हैं, यह उनके लिये मख़्सूस है, जिसका मक़सद किसी ख़ास एतिबार से उस चीज़ का सम्मानित और ज़्यादा लाभदायक होना बयान करना है। और आ़म मख़्ज़ूक़ को ग़ैरुल्लाह की कसम खाने से रोकने का जो सबब है वह यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला के कलाम में इसकी कोई संभावना नहीं कि वह अपनी किसी मख़्ज़ूक़ को सबसे बड़ा और अफ़ज़ल समझें, क्योंकि बड़ाई तो मुक़म्मल तौर पर, सिर्फ़ अल्लाह तआला की ज़ात के साथ ख़ास है।

जिन बस्तियों पर अज़ाब नाज़िल हुआ उनसे इब्रत हासिल करनी चाहिये

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَأَنَّهَا لَبَسِيلٌ مُّقِيمٌ ۝

इसमें हक़ तआला ने उन बस्तियों का स्थान बयान फरमाया जो अरब से शाम तक जाने वाले रास्ते पर हैं, और साथ ही इरशाद फरमाया कि उनमें अक्ल व समझ रखने वालों के लिये अल्लाह तआला की कामिल कुदरत की बड़ी निशानियाँ हैं।

एक दूसरी आयत में उनके बारे में यह भी इरशाद हुआ है:

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

“यानी ये बस्तियाँ अल्लाह के अज़ाब के ज़रिये वीरान होने के बाद फिर दोबारा आबाद नहीं हुईं सिवाय चन्द बस्तियों के।”

इस मजमूए से मालूम होता है कि हक़ तआला ने उन बस्तियों और उनके मकानात को आने वाली नस्लों के लिये इब्रत (सीख) का सामान बनाया है।

यही वजह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब उन मकामात से गुज़रे हैं तो आप पर अल्लाह के डर और हैबत का एक ख़ास हाल होता था जिससे सर मुबारक झुक जाता था और आप अपनी सवारी को उन मकामात में तेज़ करके जल्द पार करने की कोशिश फरमाते। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस अमल ने यह सुन्नत कायम कर दी कि जिन मकामात पर अल्लाह तआला का अज़ाब आया है उनको तमाशे की जगह बनाना बड़ी सख़्त-दिली है बल्कि उनसे इब्रत हासिल करने का तरीका यही है कि वहाँ पहुँचकर अल्लाह

तअलाला की काभिल क़ुदरत को ध्यान में रखें और उसके अज़ाब का ख़ौफ़ तारी हो।

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियाँ जिनका तख़्ता उलटा गया है, क़ुरआने करीम के इरशाद के मुताबिक़ अरब से शाम को जाने वाले रास्ते पर उर्दुन के इलाके में आज भी यह स्थान समन्दर की सतह से काफी गहराई में एक विशाल जंगल और वीराने की सुरत में मौजूद है। इसके एक बहुत बड़े रक़बे पर एक खास किस्म का पानी दरिया की सुरत इख़्तियार किये हुए है, उस पानी में कोई मछली मेंढक वगैरह जानवर जिन्दा नहीं रह सकता, इसी लिये उस दरिया को 'बहर-ए-मय्यित' और 'बहर-ए-लूत' के नाम से जाना जाता है, और तहकीक़ से मालूम हुआ कि दर हकीकत उसमें पानी के अजज़ा (हिस्से व अंश) बहुत कम और तेल की किस्म के अजज़ा ज़्यादा हैं, इसलिये उसमें कोई दरियाई जानवर जिन्दा नहीं रह सकता।

आजकल आसार-ए-क़दीमा के महकमे (पुरातत्व विभाग) ने कुछ रिहाईशी इमारतें होटल वगैरह भी बना दिये हैं और आख़िरत से ग़ाफ़िल मादापरस्त तबीयतों ने आजकल उसको एक सैरगाह बनाया हुआ है, लोग तमाशे के तौर पर उसे देखने जाते हैं। क़ुरआने करीम ने इसी ग़फ़लत बरतने के चलन पर तंबीह के लिये आख़िर में फ़रमाया:

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

यानी हकीकत में तो ये वाकिआत व मक़ामात हर अक्ल व समझ रखने वाले के लिये इबत लेने और सीख लेने के लिये हैं लेकिन इस इबत से फ़ायदा उठाने वाले मोमिन ही होते हैं, दूसरे लोग उन मक़ामात को एक तमाशाई की हैसियत से देखकर रवाना हो जाते हैं।

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝ فَانظُرْنَا

وَمِنْهُمْ مَّرْءَانَهُمَا لِبِأْسٍ مِّنْ مَّوْبِقِينَ ۝ وَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجُّورِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَأَتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لِامْتِنِينَ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْجِعِينَ ۝ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفِرِ الصُّفْرَ الْجَمِيلَ ۝

व इन् का-न अस्हाबुल्-ऐ-कति लज़ालिमीन (78) फन्त-कम्ना मिन्हुम। व इन्नहुमा लबि-इमामिम्-मुबीन (79) ❁

व ल-क़द् कज़्ज-ब अस्हाबुल्-हिज़िल्-मुर्सलीन (80) व आतैनाहुम्

और तहकीक़ कि ये वन के रहने वाले गुनाहगर। (78) सो हमने बदला लिया उनसे और ये दोनों बस्तियाँ स्थित हैं खुले रास्ते पर। (79) ❁

और बेशक झुठलाया हिज़्र वालों ने रसूलों को। (80) और दीं हमने उनको अपनी

आयातिना फकानू अन्हा मुज़रिज़ीन
 (81) व कानू यन्हितून मिनल्-
 जिबालि बुयूतन् आभिनीन (82)
 फ-अ-खज़ल्हुमुस्सैहतु मुस्बिहीन (83)
 फमा अग्ना अन्हुम् मा कानू यक्सिबून
 (84) व मा झालक्नस्समावाति
 वल्अर्-ज़ व मा बैनुहुमा इल्ला
 बिल्हकिक्, व इन्नस्सा-अ-त
 लआति-यतुन् फस्फहिस्सफहल्-जमील
 (85) इन्-न रब्ब-क हुवल
 ख़ल्लाकुल्-अलीम (86)

निशानियाँ, सो रहे उनसे मुँह फेरते।
 (81) और थे कि तराशते थे पहाड़ों के
 घर इत्मीनान के साथ। (82) फिर पकड़ा
 उनको चिंघाड़ ने सुबह होने के वक़्त।
 (83) फिर काम न आया उनके जो कुछ
 कमाया था। (84) और हमने बनाये नहीं
 आसमान और ज़मीन और जो उनके बीच
 में है बग़ैर हिक्मत, और किया मत बेशक
 आने वाली है सो किनारा कर अच्छी तरह
 किनारा। (85) तेरा रब जो है वही है
 पैदा करने वाला ख़बर रखने वाला। (86)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

एका वालों और हिज़्र वालों का फ़िस्सा

और बन वाले (यानी शुऐब अलैहिस्सलाम की उम्मत भी) बड़े ज़ालिम थे। हमने उनसे (भी) बदला लिया (और उनको अज़ाब से हलाक किया), और दोनों (क़ौम की) वस्तियाँ साफ़ सड़क पर (स्थित) हैं (और मुल्क शाम को जाते हुए राह में नज़र आती हैं)।

और हिज़्र वालों ने (भी) पैग़म्बरों को झूठा बतलाया (क्योंकि जब सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा और सब पैग़म्बरों का असल दीन एक ही है तो गोया सब को झूठा बतलाया)। और हमने उनको अपनी (तरफ़ से) निशानियाँ दीं (जिससे अल्लाह तआला की तौहीद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत साबित होती थी जैसे तौहीद की दलीलें और ऊँटनी जो कि सालेह अलैहिस्सलाम का मोज़िज़ा था) सो वे लोग उन (निशानियों) से मुँह (ही) मोड़ते रहे। और वे लोग पहाड़ों को तराश-तराशकर उनमें घर बनाते थे कि (उनमें सब आफ़तों से) अमन में रहें। सो उनको सुबह के वक़्त (चाहे सुबह ही सुबह या दिन चढ़े, दोनों सूरतें हो सकती हैं) सख़्त आवाज़ ने आन पकड़ा। सो उनके (दुनियावी) हुनर उनके कुछ भी काम न आये (उन्हीं मज़बूत घरों में अज़ाब से काम तमाम हो गया। इस आफ़त से उनके घरों ने न बचाया बल्कि इस आफ़त का गुमान व ख़्याल भी न था, और अगर होता भी तो क्या करते)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

एका वन यानी घने जंगल को कहते हैं। कुछ हज़रात कहते हैं कि मद्यन के पास एक वन था इसलिये एका मद्यन वालों ही का लक़ब है। कुछ ने कहा है कि एका वाले और मद्यन वाले दो अलग-अलग क़ौमों थीं, एक क़ौम की हलाकत के बाद शुऐब अलैहिस्सलाम दूसरी क़ौम की तरफ़ भेजे गये।

तफ़सीर रूहुल-मआनी में इब्ने असाकिर के हवाले से यह मरफ़ूअ हदीस नक़ल की गई है:

إِنَّ مَدْيَنَ وَأَصْحَابَ الْاَيْكَةِ اٰمَنَانٌ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِمَا سَعِيًّا

(कि मद्यन वाले और एका वाले दो अलग-अलग उम्मतें हैं, इन दोनों की तरफ़ अल्लाह तआला ने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

और असल व सही इल्म अल्लाह ही को है।

और हिज्र एक वादी (घाटी) है जो हिजाज़ व शाम के बीच स्थित है, उसमें समूद क़ौम आबाद थी।

सूरत के शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मक्का के काफ़िरों को जो सख़्त दुश्मनी व मुख़ालफ़त थी उसका बयान था, उसके साथ सक्षिप्त तौर पर आपकी तसल्ली का मज़मून भी ज़िक्र किया था, अब सूरत के ख़त्म पर उसी दुश्मनी व मुख़ालफ़त के बारे में आपकी तसल्ली के लिये तफ़सीली मज़मून बयान किया जा रहा है। चुनौचे इरशाद होता है:

ख़ूलासा-ए-तफ़सीर का बाकी हिस्सा

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप उन लोगों की दुश्मनी व मुख़ालफ़त से ग़म न कीजिये क्योंकि उसका एक दिन फ़ैसला होने वाला है, और वह क़ियामत का दिन है, जिसके आने के बारे में हम आप से तज़क़िरा करते हैं कि) हमने आसमानों को और ज़मीन को और इनके बीच की चीज़ों को बग़ैर मस्लेहत के पैदा नहीं किया (बल्कि इस मस्लेहत से पैदा किया कि इनको देखकर इनके बनाने और पैदा करने वाले के वजूद और उसके अकेला व अज़ीम होने पर दलील कायम करके उसके अहक़ाम की फ़रमाँबरदारी करें, और इस हुज़्जत को कायम करने के बाद जो ऐसा न करे वह अज़ाब का शिकार हो), और (दुनिया में पूरा अज़ाब होता नहीं तो और कहीं होना चाहिये, इसके लिये क़ियामत मुक़र्रर है। पस) ज़रूर क़ियामत आने वाली है (वहाँ सब को भुगतया जायेगा)। सो आप (कुछ ग़म न कीजिये बल्कि) ख़ूबी के साथ (उनकी शरारतों से) दरगुज़र कीजिये (दरगुज़र का मतलब यह है कि इस ग़म में न पड़िये इसका ख़्याल न कीजिये, और ख़ूबी यह कि शिकवा-शिकायत भी न कीजिये, क्योंकि) बेशक आपका रब (चूँकि) बड़ा ख़ालिक् (यानी पैदा करने वाला है, इससे साबित हुआ कि) बड़ा आलिम (भी) है (सब का हाल उसको मालूम है, आपके सब्र का भी, उनकी शरारत का भी, इसलिये उनसे पूरा-पूरा बदला ले लेगा)।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْحَانَ الثَّانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا حَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَل�نَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الشُّرَكِيِّنَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

व ल-कद् आतैना-क सबअम्
मिनल्-मसानी वल्कुरआनल्-अज़ीम
(87) ला तमुद्दन्-न अैनै-क इला
मा मत्तज़्ना बिही अज़्वाजम् मिन्हुम्
व ला तहज़न् अलैहिम् वद्विफज़्
जनाह-क लिल्मुअ्मिनीन (88) व
कुल् इन्नी अनन्-नज़ीरुल्-मुबीन
(89) कमा अन्ज़ल्ना अलल्-
मुक्त्सिमीन (90) अल्लज़ी-न
ज-अलुल्-कुरआ-न अज़ीन (91)
फ-वरबिब-क लनस्-अलन्नहुम्
अज्मज़ीन (92) अम्मा कानू
यज़्मलून (93) ❖ फ़स्दज़् बिमा
तुज़्मरु व अज़्रिज़् अनिल्-
मुशिरकीन (94) इन्ना कफैनाकल्-
मुस्तहिज़् ईन (95) अल्लज़ी-न
यज़्अलू-न मअल्लाहि इलाहन्
आ-ख़-र फ़सौ-फ़ यज़्मलून (96) व

और हमने दी हैं तुझको सात आयतें
वज़ीफ़ा और कुरआन बड़े दर्जे का। (87)
मत डाल अपनी आँखें उन चीज़ों पर जो
बरतने को दीं हमने उनमें से कई तरह के
लोगों को, और न ग़म खा उन पर, और
झुका अपने बाजू ईमान वालों के वास्ते।
(88) और कह कि मैं वही हूँ डराने वाला
खोलकर। (89) जैसा कि हमने भेजा है
उन बाँटने वालों पर (90) जिन्होंने किया
है कुरआन को बोटियाँ। (91) सो कसम
है तेरे रब की हमको पूछना है उन सब से
(92) जो कुछ वे करते थे। (93) ❖ सो
सुना दे खोलकर जो तुझको हुक्म हुआ
और परवाह न कर मुशिरकों की। (94)
हम बस (काफ़ी) हैं तेरी तरफ़ से ठट्टे
करने वालों को। (95) जो कि ठहराते हैं
अल्लाह के साथ दूसरे की बन्दगी, सो
जल्द ही मालूम कर लेंगे। (96) और हम

ल-कद् नज़लमु अन्न-क यज़ीकु
सदरु-क बिमा यकूलून (97)
फ-सब्बिह बिहमिद रब्बि-क व कुम्
मिनस्साजिदीन (98) वज़बुद रब्ब-क
हत्ता यज़ति-यकल्-यकीन (99) ●

जानते हैं कि तेरा जी रुकता है उनकी
बातों से। (97) सो तू याद कर खूबियाँ
अपने रब की और हो सज्दा करने वालों
में से। (98) और बन्दगी किये जा अपने
रब की जब तक आये तेरे पास यकीनी
बात। (99) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और (आप उनके मामले को न देखिये कि ग़म का सबब होता है, हमारा मामला अपने साथ देखिये कि हमारी तरफ़ से आपके साथ किस कद्र लुत्फ़ व इनायत है चुनाँचे) हमने आपको (एक बड़ी भारी नेमत यानी) सात आयतें दीं जो (नमाज़ में) बार-बार पढ़ी जाती हैं और वह (अज़ीम मज़ामीन की जामे होने के वजह से इस काबिल है कि उसके देने को यूँ कहा जाये कि) कुरआन-ए-अज़ीम दिया (मुराद इससे सूरः फ़ातिहा है, जिसकी बड़ाई की वजह से उसका नाम उम्मुल-कुरआन भी है। पर इस नेमत और नेमत देने वाले की तरफ़ निगाह रखिये ताकि आपका दिल खुश और मुल्मईन हो। उन लोगों की दुश्मनी व मुख़ालफ़त की तरफ़ तवज्जोह न कीजिये और) आप अपनी आँख उठाकर उस चीज़ को न देखिए (न अफ़सोस करने के लिहाज़ से न नाराज़गी के लिहाज़ से) जो कि हमने उन विभिन्न किस्म के काफ़िरों को (जैसे यहूदियों व ईसाईयों, आग के पुजारियों और मुश्रिकों को) बरतने के लिये दे रखी है (और बहुत जल्द उनसे अलग हो जायेगी), और उन (की कुफ़ की हालत) पर (कुछ) ग़म न कीजिये (नाराज़गी के लिहाज़ से नज़र करने से यह मुराद है कि चूँकि वे अल्लाह के दुश्मन हैं इसलिये अल्लाह के लिये गुस्सा आये कि ऐसी नेमतें उनके पास न होतीं, इसके जवाब की तरफ़ मत्तअ़ना में इशारा है कि यह कोई बड़ी भारी दौलत नहीं कि उन नाराज़गी का शिकार और नापसन्दीवा लोगों के पास न होतीं, यह तो फ़ना होने वाली दौलत है, बहुत जल्द जाती रहेगी। और अफ़सोस के लिहाज़ से नज़र करने का मतलब यह होगा कि अफ़सोस ये चीज़ें उनको ईमान से रुकावट और बाधा हो रही हैं, अगर ये न हों तो ग़ालिबन ईमान ले आयें। इसका जवाब ला तहज़न् में है, जिसकी तफ़सील यह है कि उनकी फ़ितरत में हद दर्जे का बैर व दुश्मनी है, उनसे किसी तरह अपेक्षा नहीं, और रंज व ग़म होता है अपेक्षा और उम्मीद के ख़िलाफ़ होने पर, जब उम्मीद नहीं तो फिर रंज व ग़म बे-वजह है। और हिर्स के लिहाज़ से नज़र करने का तो आपकी तरफ़ से गुमान व शुब्हा ही नहीं।

(ग़र्ज़ यह कि आप किसी भी तरह उन काफ़िरों के फ़िक्र व ग़म में न पड़िये) और मुसलमानों पर शफ़क़त रखिये (यानी मस्तेहत व शफ़क़त की फ़िक्र के लिये मुसलमान काफ़ी हैं कि उनको इससे नफ़ा भी है)। और (काफ़िरों के लिये चूँकि मस्तेहत की फ़िक्र का कोई नतीजा

नहीं इसलिये उनकी तरफ़ तवज़ोह भी न कीजिये। अलबत्ता तब्बीग़ जो आपका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है उसको अदा करते रहिये, और इतना कह दीजिये कि मैं खुल्लाम-खुल्ला (तुमको खुदा के अज़ाब से) डराने वाला हूँ (और खुदा की तरफ़ से तुमको यह मज़मून पहुँचाता हूँ कि वह अज़ाब जिससे हमारा नबी डराता है हम तुम पर किसी वक़्त ज़रूर नाज़िल करेंगे) जैसा कि हमने (वह अज़ाब) उन लोगों पर (गुज़रे हुए मुख़्तलिफ़ वक़्तों में) नाज़िल किया है जिन्होंने (अल्लाह के अहकाम के) हिस्से कर रखे थे, यानी आसमानी किताब के मुख़्तलिफ़ हिस्से करार दिये थे (उनमें जो मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हुआ मान लिया जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ उससे इनकार कर दिया। इससे मुराद पहले के यहूदी व ईसाई हैं जिन पर नबियों की मुख़ालफ़त की वजह से अज़ाबों का होना जैसे शक़ल बदलकर बन्दर व ख़िन्ज़ीर बन जाना, कैद, क़त्ल और ज़िल्लत मशहूर व परिचित था। मतलब यह कि अज़ाब का नाज़िल होना कोई दूर की बात नहीं, पहले हो चुका है, अगर तुम पर भी हो जाये तो ताज़्जुब की कौनसी बात है, चाहे वह अज़ाब दुनिया में हो या आख़िरत में। और जब ऊपर की तफ़्तीर से यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस तरह पिछले लोग नबियों की मुख़ालफ़त की वजह से अज़ाब के हक़दार थे इसी तरह मौजूदा लोग भी अज़ाब के हक़दार हो गये हैं)।

सो (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हमको) आपके परवर्दिगार की (यानी अपनी) क़सम! हम उन सब (अग़लों और पिछलों) से उनके आमाल की (क़ियामत के दिन) ज़रूर पूछताछ करेंगे (फिर हर एक को उसके मुनासिब सज़ा देंगे)। गर्ज़ (कलाम का हासिल यह है कि) आपको जिस बात (के पहुँचाने) का हुक्म किया गया है उसको (तो) साफ़-साफ़ सुना दीजिये और (अगर ये न मानें तो) इन मुशिरकों (के न मानने) की (बिल्कुल भी) परवाह न कीजिए (यानी ग़म न कीजिये जैसा कि ऊपर आया है 'ला तहज़न्' और न तबई तौर पर ख़ौफ़ कीजिये कि ये मुख़ालिफ़ बहुत सारे हैं क्योंकि) ये लोग जो (आपके और खुदा के मुख़ालिफ़ हैं, चुनाँचे आप पर तो) हंसते हैं (और) अल्लाह के साथ दूसरा माबूद करार देते हैं, उन (की बुराई और तकलीफ़ पहुँचाने) से आप (को महफ़ूज़ रखने) के लिये (और उनसे बदला लेने के लिये) हम काफी हैं, सो उनको अभी मालूम हुआ जाता है (कि उनके मज़ाक़ उड़ाने और शिर्क़ का क्या अन्जाम होता है। गर्ज़ कि जब हम काफी हैं फिर किस चीज़ का डर है)।

और वाक़ई हमको मालूम है कि ये लोग जो (कुफ़्र व मज़ाक़ उड़ाने की) बातें करते हैं इनसे आप तंगदिल होते हैं (कि यह तबई बात है)। सो (इसका इलाज़ यह है कि) आप अपने परवर्दिगार की तस्बीह व तारीफ़ करते रहिये, और नमाज़ें पढ़ने वालों में रहिये। और अपने रब की इबादत करते रहिये यहाँ तक कि (उसी हालत में) आपको मौत आ जाये (यानी मरते दम तक ज़िक्र व इबादत में मशगूल रहिये, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में आख़िरत के अज़्र व सवाब के अलावा यह ख़ासियत भी है कि दुनिया में जब इनसान इस तरफ़ लग जाता है तो दुनिया के रंज व ग़म और तकलीफ़ व मुसीबत हल्की हो जाती है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: फ़ातिहा पूरे कुरआन का मतन और खुलासा है

इन आयतों में सूर: फ़ातिहा को कुरआने करीम कहने में इस तरफ़ इशारा है कि सूर: फ़ातिहा एक हैसियत से पूरा कुरआन है, क्योंकि इस्लाम के सब उसूल उसमें समोये हुए हैं।

मेहशर में सवाल किस चीज़ का होगा?

ऊपर ज़िक्र हुई आयत में हक़ तआला ने अपनी पाक ज़ात की क़सम खाकर फ़रमाया है कि इन सब अग़लों-पिछलों से ज़रूर सवाल और पूछगछ होगी।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि यह सवाल किस मामले के मुताल्लिक़ होगा? तो आपने फ़रमाया कौल ला इला-ह इल्लल्लाहु के मुताल्लिक़। तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया है कि हमारे नज़दीक़ इससे मुराद उस अहद को अमली तौर पर पूरा करना है जिसकी अलामत कलिमा तथ्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु है, महज़ ज़बानी कौल मक़सूद नहीं। क्योंकि ज़बान से इक़रार तो मुनाफ़िक़ लोग भी करते थे। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि ईमान किसी ख़ास शक़ल व सूरत बनाने से और दीन महज़ तमन्नार्थे कारने से नहीं बनता, बल्कि ईमान उस यकीन का नाम है जो दिल में डाल दिया गया हो, और आमाल ने उसकी तस्दीक़ की हो जैसा कि एक हदीस में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शरख़ इख़्लास के साथ ला इला-ह इल्लल्लाहु कहेगा वह ज़रूर जन्नत में जायेगा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह! इस कलिमे में इख़्लास का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया कि जब यह कलिमा इनसान को अल्लाह के हराम किये हुए और नाजायज़ कार्मों से रोक दे तो वह इख़्लास के साथ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

तब्लीग़ व दावत में गुंजाईश के मुताबिक़ चरणबद्धता हो

لَا ضَرْعَ بِمَا تَوَمَّرُ

इस आयत के नाज़िल होने से पहले रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम छुप-छुपकर इबादत और तिलावत करते थे और तब्लीग़ व रहनुमाई का सिलसिला भी खुफ़िया ही एक-एक दो-दो फ़र्द के साथ जारी था, क्योंकि इज़हार व ऐलान में काफ़िरों की तरफ़ से तकलीफ़ पहुँचाने का ख़तरा था। इस आयत में हक़ तआला ने मज़ाक़ करने वालों और तकलीफ़ देने वाले काफ़िरों की तकलीफ़ से महफ़ूज़ रखने की खुद ज़िम्मेदारी ले ली, इसलिये उस वक़्त बेफ़िक़्री के साथ ऐलान व इज़हार के ज़रिये तिलावत व इबादत और तब्लीग़ व दावत का सिलसिला शुरू हुआ।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝

(यानी आयत नम्बर 95) में जिन लोगों का ज़िक्र है उनके लीडर पाँच आदमी थे, आस बिन वाईल, अस्वद बिन अल-मुत्तलिब, अस्वद बिन अब्दे यगूस, वलीद बिन मुगीरा, हारिस बिन अल्लुलातिला। ये पाँचों चमत्कारी तौर पर एक ही वक़्त में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इशारे से हलाक कर दिये गये। इस वाकिए से तब्लीग़ व दावत के मामले में यह हासिल हुआ कि अगर इनसान किसी ऐसे मक़ाम या ऐसे हाल में मुब्तला हो जाये कि वहाँ हक़ बात को खुल्लम खुल्ला कहने से उन लोगों को तो कोई फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद न हो और अपने आपको नुक़सान व तंक्लीफ़ पहुँचने का अन्देशा हो तो ऐसी हालत में यह काम ख़ुफ़िया तौर पर करना भी दुरुस्त और जायज़ है, अलबत्ता जब इज़हार व ऐलान की कुदरत हो जाये तो फिर ऐलान में कोताही न की जाये।

दुश्मनों के सताने से तंगदिली का इलाज

وَلَقَدْ نَعَلَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الرَّسُولُ ۝

(यानी आयत नम्बर 97-99) से मालूम होता है कि जब इनसान को दुश्मनों की बातों से रंज पहुँचे और तंगदिली पेश आये तो उसका रूहानी इलाज यह है कि अल्लाह तआला की तस्बीह व इबादत में मशगूल हो जाये, अल्लाह तआला खुद उसकी तकलीफ़ को दूर फ़रमा देंगे।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: हिज्र की तफ़सीर पूरी हुई।)

Maktab_e_Ashraf



* सूरः नहल *

यह सूरत मक्की है। इसमें 128 आयतें
और 16 रुकूअ हैं।

सूर: नहल

सूर: नहल मक्का में नाजिल हुई। इसमें 128 आयतों और 16 रुकूज हैं।

إِنشَاءهَا ۱۱۸ (۱۶) السُّورَةُ النَّحْلُ مَكِّيَّةٌ (۷۰) وَكُلُّهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَنزَلَ اللّٰهُ فَلَاسْتَعْجِلُوهُ، وَسُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يُنزِلُ السَّلْطَنَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِہِ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوْا أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह,
सुब्हानहू व तअलाला अम्मा युशिरकून
(1) युनज़िलुल्-मलाइ-क-त बिरूहि
मिन् अमिही अला मय्यशा-उ मिन्
अिबादिही अन् अन्ज़िरु अन्नहू ला
इला-ह इल्ला अ-न फत्तकून (2)

आ पहुँचा हुकम अल्लाह का सो उसकी जल्दी मत करो, वह पाक है और बरतार है उनके शरीक बतलाने से। (1) उतारता है फरिश्तों को भेद देकर अपने हुकम से जिस पर चाहे अपने बन्दों में कि खबरदार कर दो कि किसी की बन्दगी नहीं सिवाय मेरे, सो मुझसे डरो। (2)

इस सूरत का नाम 'नहल' होने की वजह

इस सूरत का नाम सूर: नहल इस मुनासबत से रखा गया है कि इसमें नहल यानी शहद की मक्खियों का जिक्र कुदरत की अजीब व गरीब कारीगरी के बयान के सिलसिले में हुआ है। इस का दूसरा नाम सूर: निअम् भी है। (तफसीरे कुर्तुबी)

निअम् नेमत की जमा (बहुवचन) है। इसलिये कि इस सूरत में खास तौर पर अल्लाह जल्ल शानुहू की बड़ी नेमतों का जिक्र है।

खुलासा-ए-तफसीर

खुदा तअलाला का हुकम (यानी कुफ़ की सज़ा का वक़्त) आ पहुँचा, सो तुम उसमें (इनकार

करने वाली) जल्दी मत मचाओ (बल्कि तौहीद इख़्तियार करो और उसकी हकीकत सुनो कि) वह लोगों के शिर्क से पाक और बरतर है। वह अल्लाह तआला फ़रिश्तों (की जिन्स यानी जिब्रील) को वही यानी अपना हुक्म देकर अपने बन्दों में से जिस पर चाहें (यानी नबियों पर) नाज़िल फ़रमाते हैं (और वह हुक्म) यह (है) कि लोगों को ख़बरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सी मुझसे डरते रहो (यानी मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ वरना सज़ा होगी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इस सूरात को बग़ैर किसी ख़ास प्रारंभिका के एक सख़्त सज़ा की धमकी और डरावने उनवान से शुरू किया गया, जिसकी वजह से मुश्रिकों का कहना यह था कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमें कियामत से और अल्लाह के अज़ाब से डराते रहते हैं और बतलाते हैं कि अल्लाह तआला ने उनको ग़ालिब करने और मुख़ालिफ़ों को सज़ा देने का वायदा किया है, हमें तो यह कुछ भी होता नज़र नहीं आता। इसके जवाब में इरशाद फ़रमाया कि "आ पहुँचा हुक्म अल्लाह का, तुम जल्दबाज़ी न करो।"

अल्लाह के हुक्म से इस जगह मुराद वह वायदा है जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया है कि उनके दुश्मनों को पस्त व पराजित किया जायेगा और मुसलमानों को फ़तह व मदद और इज़्ज़त व दबदबा हासिल होगा। इस आयत में हक़ तआला ने डरावने और ख़ौफ़ दिलाने के लहजे में इरशाद फ़रमाया कि हुक्म अल्लाह का आ पहुँचा, यानी पहुँचने ही वाला है, जिसको तुम बहुत जल्द देख लोगे।

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इसमें अल्लाह के हुक्म से मुराद कियामत है, उसके आ पहुँचने का मतलब भी यही है कि वह जल्द ही कायम होगी और पूरी दुनिया की उग्र के एतिबार से देखा जाये तो कियामत का करीब होना या आ पहुँचना भी कुछ दूर नहीं रहता। (बहरे-मुहीत)

इसके बाद एक जुमले में जो यह इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला शिर्क से पाक है, इससे मुराद यह है कि ये लोग जो हक़ तआला के वायदे को ग़लत करार दे रहे हैं यह कुफ़्र व शिर्क है, अल्लाह तआला उससे पाक हैं। (बहरे-मुहीत)

इस आयत का खुलासा एक सख़्त वईद (सज़ा के वायदे और धमकी) के ज़रिये तौहीद की दावत देना है। दूसरी आयत में रिवायती व नक़ली दलील से तौहीद को साबित करना है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक दुनिया के विभिन्न ख़िस्तों, विभिन्न ज़मानों में जो भी रसूल आया है उसने यही तौहीद का अक़ीदा पेश किया है, हालाँकि एक को दूसरे के हाल और तालीम की ज़ाहिरी असबाब के दर्जे में कोई इत्तिला भी न थी। ग़ौर करो कि कम से कम एक लाख चौबीस हज़ार अक्लमन्द हज़रात (यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम) जो विभिन्न वक़्तों, विभिन्न मुल्कों, विभिन्न ख़िस्तों में पैदा हों और वे सब एक ही बात के कायल हों तो फ़ितरी तौर पर इनसान यह समझने पर मजबूर हो जाता है

कि यह बात ग़लत नहीं हो सकती, ईमान लाने के लिये अकेली यह दलील भी काफी है।

लफ़ज़ रूह से मुराद इस आयत में बकौल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वही और बकौल कुछ दूसरे मुफ़स्सिरीन हिदायत है। (बहरे-मुहीत) इस आयत में तौहीद का रिवायती और नक़ली सुबूत पेश करने के बाद अगली आयतों में इसी तौहीद के अक़ीदे को अक़ली तौर से हक़ तअ़ाला की नेमतें सामने पेश करके साबित किया जाता है। इरशाद है:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ
إِنسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ
لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بِيْشِقَ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْمَلُونَ ۝

छा-लक़-स्तमावाति वल्-अर-ज
बिल्हक़िक, तअ़ाला अम्मा युशिरकून
(3) ख-लक़ल्-इन्सा-न मिन् नुत्फ़तिन्
फ़-इज़ा हु-व खासीमुम्-मुबीन (4)
वल्-अन्ज़ा-म छा-ल-क़हा लकुम्
फीहा दिफ़उंव-व मनाफ़िअु व मिन्हा
तअ़कुलून (5) व लकुम् फ़ीहा
जमालुन् ही-न तुरीहू-न व ही-न
तस्रहून (6) व तस्मिलु अस्का-लकुम्
इला ब-लदिल्-लम् तकूनू बालिगीहि
इल्ला बिशिक़िल्-अन्फ़ुसि, इन्-न
रब्बकुम् ल-रकुफ़ुर्-रहीम (7) वल्लै-ल
वल्बिगा-ल वल्हमी-र लितर्कबूहा व
ज़ी-नतन्, व यख़्लुक़ु मा ला
तअ़ल्मून (8)

बनाये आसमान और ज़मीन ठीक-ठीक,
वह बरतर है उनके शरीक बतलाने से।
(3) बनाया आदमी को एक बूँद से फिर
जब ही हो गया झगड़ा करने वाला बोलने
वाला। (4) और चौपाये बना दिये तुम्हारे
वास्ते उनमें जड़ावल है और कितने
फ़ायदे, और बाजों को खाते हो। (5)
और तुमको उनसे इज़ज़त है जब शाम को
चराकर लाते हो और जब चराने ले जाते
हो। (6) और उठा ले चलते हैं तुम्हारे
बोझ उन शहरों तक कि तुम न पहुँचते
वहाँ मगर जान मारकर। बेशक तुम्हारा
रब बड़ा शफ़क़्त करने वाला मेहरबान
है। (7) और घोड़े पैदा किये और ख़च्चर
और गधे कि उन पर सवार हो और
ज़ीनत के लिये, और पैदा करता है जो
तुम नहीं जानते। (8)

खुलासा-ए-तफसीर

(अल्लाह तआला ने) आसमानों को और ज़मीन को हिवमत से बनाया, वह उनके शिर्क से पाक है। (और) इनसान को नुत्फे से बनाया फिर वह अचानक खुल्लम-खुल्ला (खुदा ही की ज़ात व सिफ़ात में) झगड़ने लगा (यानी बाज़े ऐसे भी हुए। मतलब यह है कि हमारी ये नेमतें और इनसान की तरफ से नाशुक्की)। और उसी ने चौपायों को बनाया, उनमें तुम्हारे जाड़े का भी सामान है (जानवरों के बाल और खाल से इनसान के पोस्तीन और कपड़े बनते हैं) और भी बहुत-से फ़ायदे हैं (दूध, सवारी, बोझ लेजाना वगैरह) और उनमें (जो खाने के काबिल हैं उनको) खाते भी हो। और उनकी वजह से तुम्हारी रैनक भी है, जबकि शाम के वक़्त (जंगल से घर) लाते हो और जबकि सुबह के वक़्त (घर से जंगल को) छोड़ देते हो। और वे तुम्हारे बोझ भी (लादकर) ऐसे शहर को लेजाते हैं जहाँ तुम जान को मेहनत में डाले बिना नहीं पहुँच सकते थे, वाकई तुम्हारा रब बड़ी शफ़क़त वाला, बड़ी रहमत वाला है (कि तुम्हारे आराम के लिये क्या-क्या सामान पैदा किये)। और घोड़े और ख़च्चर और गधे भी पैदा किये ताकि तुम उन पर सवार हो और यह कि ज़ीनत (रैनक व सजावट) के लिये भी, और वह ऐसी-ऐसी चीज़ें (तुम्हारी सवारी वगैरह के लिये) बनाता है जिनकी तुमको ख़बर भी नहीं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में कायनात की पैदाईश की अज़ीम निशानियों से हक़ तआला की तौहीद (एक और तन्हा लायके इबादत होने) को साबित करना है। अब्बल तो आसमान व ज़मीन की सबसे पहली मख़्लूक का ज़िक्र फ़रमाया, उसके बाद इनसान की पैदाईश का ज़िक्र फ़रमाया, जिसको अल्लाह तआला ने कायनात का मख़दूम (सेव्य) बनाया है। इनसान की शुरूआत एक हकीर नुत्फे से होना बयान करके फ़रमाया:

وَإِذَا هُوَ خَصَمٌ مِّمِّينٌ ۝

यानी जब इस पैदाईशी कमज़ोर इनसान को ताक़त और बोलने की कुव्वत अता हुई तो खुदा ही की ज़ात व सिफ़ात में झगड़े निकालने लगा।

इनसान के बाद उन चीज़ों की पैदाईश और बनाने का ज़िक्र फ़रमाया जो इनसान के फ़ायदे के लिये खुसूसी तौर पर बनाई गई हैं, और कुरआन के सबसे प्रहले मुखातब चूँकि अरब वाले थे और अरब वालों की रोज़ी-रोटी और गुज़ारे का बड़ा मदार पालतू चौपायों ऊँट, गाय, बकरी पर था इसलिये पहले उनका ज़िक्र फ़रमाया:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۝

फिर मवेशी जानवरों से जो फ़ायदे इनसान को हासिल होते हैं उनमें से दो फ़ायदे ख़ास तौर से बयान कर दिये, एक—

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ

यानी उन जानवरों की ऊन से इनसान अपने कपड़े और खाल से पोस्तीन और टोपियाँ वगैरह तैयार करके जाड़े के मौसम में गरमाई हासिल करता है।

दूसरा फ़ायदा—

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

यानी इनसान उन जानवरों को ज़िबह करके अपनी खुराक भी बना सकता है, और जब तक जिब्दा है उनके दूध से अपनी बेहतरीन गिज़ा पैदा करता है। दूध, दही, मक्खन, घी और इनसे बनने वाली तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं।

और बाकी आम फ़ायदों के लिये फ़रमा दिया 'व मनाफ़िअु' यानी बेशुमार नफ़े व फ़ायदे इनसान के जानवरों के गोशत, चमड़े, हड्डी और बालों से जुड़े हुए हैं, इस संक्षिप्तता और अस्पष्ट बयान में उन सब नई से नई ईजादात (आविष्कारों) की तरफ़ भी इशारा है जो जानवरों के अंगों से इनसान की गिज़ा, लिबास, दवा और इस्तेमाली चीज़ों के लिये अब तक ईजाद हो चुकी हैं, या आगे क़ियामत तक होंगी।

इसके बाद उन चौपाये जानवरों का एक और फ़ायदा अरब वालों के मिज़ाज व पसन्द के मुताबिक़ यह बयान किया गया कि वे तुम्हारे लिये ख़ूबसूरती और रौनक का ज़रिया हैं। ख़ुसूसन जब वे शाम को चरागाहों से तुम्हारे मवेशी ख़ानों (बाड़ों) की तरफ़ आते हैं या सुबह को घरों से चरागाहों की तरफ़ जाते हैं, क्योकि उस वक़्त मवेशी से उनके मालिकों की ख़ास शान व शौकत का इज़हार व प्रदर्शन होता है।

आख़िर में इन जानवरों का एक और अहम फ़ायदा यह बयान किया कि ये जानवर तुम्हारे बोझल सामान दूर-दराज़ शहरों तक पहुँचा देते हैं, जहाँ तुम्हारी और तुम्हारे सामान की रसाई जान जोखिम में डाले वगैर मुम्किन न थी। ऊँट और बैल ख़ास तौर से इनसान की यह ख़िदमत बड़े पैमाने पर अन्जाम देते हैं। आज रेल गाड़ियों, ट्रकों, हवाई जहाज़ों के ज़माने में भी इनसान जानवरों से बेपरवाह नहीं, कितने मक़ामात दुनिया में ऐसे हैं जहाँ ये तमाम नई ईजाद होने वाली सवारियाँ बोझ ढोने का काम नहीं दे सकतीं, वहाँ फिर इन्हीं की सेवायें हासिल करने पर इनसान मजबूर होता है।

चौपाये जानवरों यानी ऊँट और बैल वगैरह के बोझ उठाने का ज़िक्र आया तो इसके बाद उन चौपाये जानवरों का ज़िक्र भी मुनासिब मालूम हुआ जिनकी पैदाईश ही सवारी और बोझ ढोने के लिये है, उनके दूध या गोशत से इनसान का फ़ायदा जुड़ा हुआ नहीं, क्योकि शरीअत के के हुक्म के मुताबिक़ वे अख़्ताकी बीमारियों का सबब होने की वजह से वर्जित और मना हैं। फ़रमाया—

وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوها وَرِزْنَةً

“यानी हमने घोड़े, ख़च्चर, गधे पैदा किये ताकि तुम उन पर सवार हो सको, इसमें बोझ

उठाना भी ज़िम्नी तौर पर आ गया और उनको इसलिये भी पैदा किया कि ये तुम्हारे लिये जीनत बनें।" जीनत से यही शान व शौकत मुराद है जो उर्फ़ में इन जानवरों के मालिकों को दुनिया में हासिल होती है।

क़ुरआन में रेल, मोटर, हवाई जहाज़ का ज़िक्र

आखिर में सवारी के तीन जानवर घोड़े, ख़च्चर, गधे का ख़ास तौर से बयान करने के बाद दूसरी किस्म की सवारियों के बारे में भविष्यकाल का कलिमा फ़रमाया:

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

“यानी अल्लाह तआला पैदा करेगा वो चीज़ें जिनको तुम नहीं जानते।”

इसमें वो तमाम नई ईजाद होने वाली सवारी गाड़ियाँ भी दाखिल हैं जिनका पुराने ज़माने में न वजूद था न कोई कल्पना, जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज़ वगैरह जो अब तक ईजाद हो चुके हैं, और वो तमाम चीज़ें भी इसमें दाखिल हैं जो आने वाले ज़माने में ईजाद होंगी, क्योंकि उन सब चीज़ों की पैदाईश और ईजाद दर हकीकत अल्लाह तआला ही का फ़ैल है, नये व पुराने विज्ञान का इसमें सिर्फ़ इतना ही काम है कि क़ुदरत की पैदा की हुई धातुओं में क़ुदरत ही की दी हुई अक्ल व समझ के ज़रिये जोड़-तोड़ करके उनके विभिन्न कल-पुर्जे बना ले, और फिर उसमें अल्लाह की क़ुदरत की बख़्शी हुई हवा, पानी, आग वगैरह से ऊर्जा पैदा कर ले, या क़ुदरत ही के दिये हुए ख़ज़ानों में से पेट्रोल निकालकर उन सवारियों में इस्तेमाल कर ले। पुराना और नया विज्ञान मिलकर भी न कोई लोहा पैदा कर सकता है न एल्यूमिनियम किस्म की हल्की धातें बना सकता है, न लकड़ी पैदा कर सकता है, न हवा और पानी पैदा करना उसके बस में है, उसका काम इससे ज़्यादा नहीं कि अल्लाह की क़ुदरत की पैदा की हुई क़ुव्वतों का इस्तेमाल सीख ले, दुनिया की सारी ईजादात सिर्फ़ इसी इस्तेमाल की तफ़सील हैं, इसलिये जब ज़रा भी कोई ग़ौर व फ़िक्र से काम ले तो इन सब नई ईजादों को अल्लाह पैदा करने वाले की कारीगरी कहने और तस्लीम करने के सिवा चारा नहीं।

यहाँ यह बात ख़ास तौर से ध्यान देने के क़ाबिल है कि पिछली तमाम चीज़ों की तख़्तिक (बनाने) में भूतकाल का लफ़ज़ ख़-ल-क़ इस्तेमाल फ़रमाया गया है, और परिचित सवारियों का ज़िक्र करने के बाद भविष्यकाल का लफ़ज़ यख़्लुक़ इरशाद हुआ है। उनवान की इस तब्दीली से वाज़ेह हो गया कि यह लफ़ज़ उन सवारियों और चीज़ों के बारे में है जो अभी वजूद में नहीं आईं, और अल्लाह तआला के इल्म में है कि आने वाले ज़माने में क्या-क्या सवारियाँ और दूसरी चीज़ें पैदा करनी हैं, उनका इज़हार इस मुख़्तसर जुमले में फ़रमा दिया।

हक़ तआला शानुहू यह भी कर सकते थे कि आगे चलकर वजूद में आने वाली तमाम नई ईजादों का नाम लेकर ज़िक्र फ़रमा देते, मगर उस ज़माने में अगर रेल, मोटर, जहाज़ वगैरह के अलफ़ाज़ ज़िक्र भी कर दिये जाते तो इससे सिवाय ज़ेहनी परेशानी के कोई फ़ायदा न होता क्योंकि इन चीज़ों का उस वक़्त तसव्वुर (कल्पना) करना भी लोगों के लिये आसान न था और

न ये अलफाज़ इन चीज़ों के लिये किसी वक़्त कहीं इस्तेमाल में आते थे कि इससे कुछ मलतब समझा जा सके।

भेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुहम्मद यासीन साहिब रस्मतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहिब नानौतवी रस्मतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि कुरआने करीम में रेल का ज़िक्र मौजूद है और इसी आयत से दलील दिया करते थे। उस वक़्त तक मोटरें आम न हुई थीं और हवाई जहाज़ ईजाद न हुए थे, इसलिये रेल के ज़िक्र पर बस फरमाया।

मसला: कुरआने करीम ने पहले अन्आम यानी ऊँट, गाय, बकरी का ज़िक्र फरमाया और उनके फ़ायदों में से एक अहम फ़ायदा उनका गोश्त खाना भी करार दिया, फिर इससे अलग करके फरमाया:

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

उनके फ़ायदों में सवारी लेने और उनसे अपनी जीनत हासिल करने का तो ज़िक्र किया मगर गोश्त खाने का यहाँ ज़िक्र नहीं किया। इसमें यह दलालत पाई जाती है कि घोड़े, खच्चर, गधे का गोश्त हलाल नहीं, खच्चर और गधे का गोश्त हराम होने पर तो फुक़हा की अक्सरियत का इत्तिफ़ाक़ है और एक मुस्तफ़िल हदीस में इनके हराम होने का खुलकर भी ज़िक्र आया है, मगर घोड़े के मामले में हदीस की दो रिवायतें एक दूसरे से टकराने वाली आई हैं, एक से हलाल और दूसरी से हराम होना मालूम होता है, इसी लिये उम्मत के फुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा) के अक़वाल इस मसले में भिन्न और अलग-अलग हो गये, कुछ ने हलाल करार दिया कुछ ने हराम। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रस्मतुल्लाहि अलैहि ने दलीलों के इसी टकराने की वजह से घोड़े के गोश्त को गधे और खच्चर की तरह हराम तो नहीं कहा मगर मक्रूह करार दिया।

(अहकामुल-कुरआन जस्सास)

मसला: इस आयत से जमाल और जीनत (बनाव-सिंघार) का जायज़ होना मालूम होता है अगरचे इतराना और तकब्बुर हराम हैं, फ़र्क़ यह है कि जमाल और जीनत का हासिल अपने दिल की खुशी या अल्लाह तआला की नेमत का इज़हार होता है, न दिल में अपने को उस नेमत का मुस्तहिक़ समझता है और न दूसरों को हक़ीर जानता है, बल्कि हक़ तआला का अतीया और इनाम होना उसके सामने होता है। और तकब्बुर व बड़ाई में अपने आपको उस नेमत का मुस्तहिक़ समझना, दूसरों को हक़ीर समझना पाया जाता है, वह हराम है। (बयानुल-कुरआन)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

व अलल्लाहि कस्दुस्सबीलि व मिन्हा जा-इरुनु, व लौ शा-अ ल-हदाकुम् अज्मज़ीन (9) ●

और अल्लाह तक पहुँचती है सीधी राह और बाज़ी राह टेढ़ी भी है, और अगर वह चाहे तो सीधी राह दे तुम सब को। (9) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और (पीछे बयान हुए और आगे आने वाले दलाईल से जो) सीधा रास्ता (दीन का साबित होता है वह ख़ास) अल्लाह तआला तक पहुँचता है, और बाज़े रास्ते (जो कि दीन के खिलाफ़ हैं) टेढ़े भी हैं (कि उनसे अल्लाह तक रसाई मुम्किन नहीं। पस बाज़े तो सीधे रास्ते पर चलते हैं और बाज़े टेढ़े पर) और अगर खुदा तआला चाहता तो तुम सब को (मन्ज़िले) मकसूद तक पहुँचा देता (मगर वह उसी को पहुँचाते हैं जो सही राह का तालिब भी हो जैसा कि क़ुरआन पाक में एक जगह फ़रमाया है— 'वल्लज़ी-न जाहदू फीना ल-नहदियन्नहुम् सुबु-लना' इसलिये तुमको चाहिये कि दलीलों में गौर करो और उनसे हक़ को तलब करो, ताकि तुमको मन्ज़िले मकसूद तक रसाई और पहुँच अता हो)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में अल्लाह तआला शानुहू की अज़ीमुश्शान नेमतों का ज़िक्र फ़रमाकर तौहीद की अक्ली दलीलें जमा की गयी हैं, आगे भी उन्हीं नेमतों का ज़िक्र है, बीच में यह आयत बयान हो रहे मज़मून से हटकर एक दूसरा मज़मून बयान करने के लिये इस बात पर तंबीह के लिये लाई गई है कि अल्लाह तआला ने अपने पुराने वायदे की बिना पर अपने ज़िम्मे ले लिया है कि लोगों के लिये वह सिरात-ए-मुस्तकीम (सीधा रास्ता) स्पष्ट कर दे जो अल्लाह तआला तक पहुँचाने वाला है, इसी लिये अल्लाह की नेमतों को पेश करके अल्लाह तआला के वजूद और तौहीद की दलीलें जमा की जा रही हैं।

लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों ने दूसरे टेढ़े रास्ते भी इख़्तियार कर रखे हैं, वे इन तमाम स्पष्ट आयतों और दलीलों से कुछ फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि गुमराही में भटकते रहते हैं।

फिर इरशाद फ़रमाया कि अगर अल्लाह तआला चाहते कि सब को सीधे रास्ते पर मजबूर करके डाल दें तो उनके इख़्तियार में था, मगर हिकमत व मस्लेहत का तकाज़ा यह था कि ज़बरदस्ती न की जाये, दोनों रास्ते सामने कर दिये जायें, चलने वाला जिस रास्ते पर चलना चाहे चला जाये, सिरात-ए-मुस्तकीम अल्लाह तआला और जन्नत तक पहुँचायेगा और टेढ़े रास्ते जहन्नम पर पहुँचायेंगे। इनसान को इख़्तियार दे दिया कि जिसको चाहे चुन ले।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ الزَّوْرَةِ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَ
الْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ
السَّنْسَنَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيبًا وَلَسْتُمْ مِنْهَا شَاكِرِينَ ۝ وَكَرِهَ اللَّهُ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَؤُوفٌ ۝ وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا ۝ عَلَّامٌ لِّسِّرَاتِهِمْ ۝ وَعَلَمٌ لِّمَا تَعْمُرُونَ ۝

हुवल्लजी अन्ज-ल मिनस्समा-इ
माअल्लकुम् मिन्हु शराबुव्-व मिन्हु
श-जरुन् फीहि तुसीमून (10) युम्बितु
लकुम् बिहिज़्जर-अ वज़्जैतू-न
वन्नखी-ल वल्-अज़्ना-ब व मिन्
कुल्लिस्स-मराति, इन्-न फी ज़ालि-क
लआ-यतल्-लिकौमिय्य-तफक्करून
(11) व सख़्ख़ा-र लकुमुल्लै-ल
वन्नहा-र वशशम्-स वल्क-म-र,
वन्नुजूमु मुसख़्ख़ारातुम्-बिअम्रिही,
इन्-न फी ज़ालि-क लआयातिल्
-लिकौमिय्यज़्किलून (12) व मा
ज़-र-अ लकुम् फिल्अर्जि मुख़्तलिफन्
अल्वानुहू, इन्-न फी ज़ालि-क
लआ-यतल्-लिकौमिय्य-यज़्जक्करून
(13) व हुवल्लजी सख़्ख़ारल्-बह-र
लितअकुलू मिन्हु लह्मन् तरिय्यव्-व
तस्तख़िजू मिन्हु हिल्य-तन् तल्बसूनहा
व तरल्फुल्-क मवाख़ि-र फीहि व
लितब्तागू मिन् फज़्लिही व अल्लकुम्
तश्कुरून (14) व अल्का फिल्अर्जि

वही है जिसने उतारा आसमान से तुम्हारे
लिये पानी, उससे पीते हो और उसी से
पेड़ होते हैं जिसमें चराते हो। (10)
उगाता है तुम्हारे वास्ते उससे खेती और
जैतून और खजूरें और अंगूर और हर
किस्म के मेवे, इसमें यकीनन निशानी है
उन लोगों के लिये जो गौर करते हैं।
(11) और तुम्हारे काम में लगा दिया रात
और दिन और सूरज और चाँद को, और
सितारे काम में लगे हैं उसके हुक्म से,
इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये
जो समझ रखते हैं। (12) और जो चीजें
फैलाई तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रंग-बिरंग
की, इसमें निशानी है उन लोगों के लिये
जो सोचते हैं। (13) और वही है जिसने
काम में लगा दिया दरिया को कि खाओ
उसमें से गोश्त ताज़ा और निकालो उसमें
से गहना जो पहनते हो, और देखता है तू
कशितियों को चलती हैं पानी फाड़कर उसमें
और इस वास्ते कि तलाश करो उसके
फज़ल से और ताकि एहसान मानो। (14)

रवासि-य अन् तमी-द बिकुम् व
अन्हारं-व-व सुबुलल्-लअल्लकुम्
तस्तदून (15) व अलामातिन्, व
बिन्नज्मि हुम् यस्तदून (16)

और रख दिये ज़मीन पर बोझ कि कमी
शुक्र पड़े तुमको लेकर और बनाई नदियाँ
और रास्ते ताकि तुम राह पाओ। (15)
और बनाई निशानियाँ, और सितारों से
लोग राह पाते हैं। (16)

खुलासा-ए-तफसीर

वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फ़ायदे के) वास्ते आसमान से पानी बरसाया, जिससे तुमको पीने को मिलता है और जिस (के सबब) से पेड़ (पैदा होते) हैं जिनमें तुम (अपने मवेशियों को) चरने छोड़ देते हो। (और) उस (पानी) से तुम्हारे (फ़ायदे के) लिये खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल (ज़मीन से) उगाता है, बेशक इस (ज़िक्र हुई बात) में सोचने वालों के लिये (तौहीद की) दलील (मौजूद) है। और उस (अल्लाह) ने तुम्हारे (फ़ायदे के) लिये रात और दिन और सूरज और चाँद को (अपनी कुदरत के) ताबे बनाया, और (इसी तरह और) सितारे (भी) उसके हुक्म से (उसकी कुदरत के) ताबे हैं। बेशक इस (ज़िक्र हुई बात) में (भी) अक्ल रखने वाले लोगों के लिये (तौहीद की) चन्द दलीलें (मौजूद) हैं।

और (इसी तरह) उन चीज़ों को भी (अपनी कुदरत के) ताबे बनाया जिनको तुम्हारे (फ़ायदे के लिये) इस तौर पर पैदा किया कि उनकी किस्में (यानी जिन्तें, प्रजातियाँ और वर्ग) मुख़ालिफ़ "यानी अलग-अलग और विविध" हैं (इसमें तमाम जानवर, पेड़-पौधे, बेजान चीज़ें, मुफ़रदात व मुक्कबात दाख़िल हो गये) बेशक इस (ज़िक्र हुए) में (भी) समझदार लोगों के लिये (तौहीद की) दलील (मौजूद) है। और वह (अल्लाह) ऐसा है कि उसने दरिया को (भी अपनी कुदरत के) ताबे बनाया ताकि उसमें से ताज़ा-ताज़ा गोश्त (यानी मछली निकाल-निकालकर) खाओ, और (ताकि) उसमें से (मोतियों का) गहना निकालो जिसको तुम (मर्द व औरत सब) पहनते हो। और (ऐ) मुख़ालिफ़! इस दरिया का एक यह भी फ़ायदा है कि तू कश्तियों को (चाहे छोटी हों या बड़ी जैसे बड़े जहाज़, तू उनको) देखता है कि उस (दरिया) में (उसका) पानी चीरती हुई चली जा रही हैं। और (इसलिये भी दरिया को अपनी कुदरत के ताबे बनाया) ताकि तुम (उसमें व्यापार का माल लेकर सफ़र करो और उसके ज़रिये से) खुदा की रोज़ी तलाश करो और ताकि (इन सब फ़ायदों को देखकर उसका) शुक्र (अदा) करो।

और उसने ज़मीन में पहाड़ रख दिये ताकि वह (ज़मीन) तुमको लेकर डगमगाने (और हिलने) न लगे, और उसने (छोटी-छोटी) नहरें और रास्ते बनाये ताकि (उन रास्तों के ज़रिये से अपनी) मन्ज़िले-मक़सूद तक पहुँच सको। और (उन रास्तों की पहचान के लिये) बहुत-सी निशानियाँ बनाई (जैसे पहाड़, पेड़, इमारतें वगैरह जिनसे रास्ता पहचाना जाता है, वरना अगर तमाम ज़मीन की सतह एक जैसी और बराबर हालत पर होती तो रास्ता हरगिज़ न पहचाना

जाता), और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं (चुनोंचे यह बात ज़ाहिर और मालूम है)।

मकारिफ व मसाईल

بِنَةِ شَجَرٍ فِيهِ تُسْمُونَ

लफ़्ज़ शजर अक्सर उस दरख्त के लिये बोला जाता है जो तने पर खड़ा होता है और कभी बिना खास किये ज़मीन से उगने वाली हर चीज़ को भी शजर कहते हैं। घास और बेल वगैरह भी इसमें दाखिल होती हैं। इस आयत में यही मायने मुराद हैं, क्योंकि आगे जानवरों के चराने का ज़िक्र है, इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर घास ही से है।

तुसीमून के मायने हैं जानवर को चरागाह में चरने के लिये छोड़ना।

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يُشْكُرُونَ

इन तमाम आयतों में अल्लाह तआला की नेमतों और अजीब व ग़रीब हिक्मत के साथ कायनात के पैदा करने और बनाने का ज़िक्र है, जिसमें गौर व फ़िक्र करने वालों को ऐसी दलीलें और सबूत मिलते हैं कि उनसे हक़ तआला की तौहीद (एक और तन्हा लायक़े इबादत होने) का गोया मुशाहदा होने लगता है। इसी लिये इन नेमतों का ज़िक्र करते-करते बार-बार इस पर सचेत किया गया है। इस आयत के आख़िर में फ़रमाया कि इसमें सोचने वालों के लिये दलील है क्योंकि खेती और दरख्त और उनके फल-फूल वगैरह का ताल्लुक़ अल्लाह जल्ल शानुहू की कारीगरी व हिक्मत के साथ किसी कद्र गौर व फ़िक्र चाहता है, कि आदमी यह सोचे कि दाना या गुठली ज़मीन के अन्दर डालने से और पानी देने से तो खुद-ब-खुद यह नहीं हो सकता कि उसमें एक विशाल दरख्त (पेड़) निकल आये और उस पर रंग-बिरंगे फूल लगने लगे, इसमें किसी काश्तकार ज़मीनदार के अमल का कोई दख़ल नहीं, यह सब मुकम्मल इख़्तियार रखने वाले यानी अल्लाह तआला की कारीगरी व हिक्मत से वाबस्ता है, और इसके बाद रात, दिन और सितारों का अल्लाह तआला के हुक्म के ताबे चलने का ज़िक्र आया तो आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

यानी "इन चीज़ों में चन्द दलीलें हैं अक़ल वालों के लिये।"

इसमें इशारा इसकी तरफ़ है कि इन चीज़ों का अल्लाह के हुक्म के ताबे होना ऐसा ज़ाहिर है कि इसमें बहुत कुछ गौर व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, जिसको ज़रा भी अक़ल होगी वह समझ लेगा। क्योंकि पेड़-पौधों और दरख्तों से उगाने में तो बज़ाहिर कुछ न कुछ इनसानी अमल का दख़ल था भी, यहाँ वह भी नहीं।

इसके बाद ज़मीन की दूसरी विभिन्न प्रकार की पैदावार की किस्मों का ज़िक्र फ़रमाकर फ़रमाया:

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

“कि इसमें दलील है उन लोगों के लिये जो नसीहत पकड़ते हैं।”

मुराद यह है कि यहाँ भी बहुत गहरे फ़िक्र व नज़र (अध्ययन और गहन विचार) की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी दलालत बिल्कुल खुली हुई है, मगर शर्त यह है कि कोई उसकी तरफ़ तवज्जोह से देखे और नसीहत हासिल करे, वरना बेवकूफ़ बेफ़िक्र आदमी जो इधर ध्यान ही न दे उसको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।

سَخَّرْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

रात और दिन को ताबे बनाने का मतलब यह है कि उनको इनसान के काम में लगाने के लिये अपनी क़ुदरत का ताबे बना दिया कि रात इनसान को आराम के सामान मुहैया करती है और दिन उसके काम के रास्ते हमवार करता है। इनके ताबे करने के यह मायने नहीं कि रात और दिन इनसान के हुक्म के ताबे चलें।

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَلْوًا

आसमान व ज़मीन की मख़्लूक़ात और उनमें इनसान के मुनाफ़े और फ़ायदे बयान करने के बाद बहरे-मुहीत (यानी समन्दर) के अन्दर हक़ तज़ाला की आला हिक्मत से इनसान के लिये क्या-क्या फ़ायदे हैं उनका बयान है कि दरिया में इनसान की ख़ुराक का कैसा अच्छा इन्तिज़ाम किया गया है कि मछली का ताज़ा गोश्त उसको मिलता है।

لِنَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

के अलफ़ाज़ में मछली को ताज़ा गोश्त क़रार देने से इस तरफ़ भी इशारा पाया जाता है कि दूसरे जानवरों की तरह उसमें जिबह करने की शर्त नहीं, वह गोया बना बनाया गोश्त है।

وَتَسَخَّرُ جَوْلًا مِنْهُ حَلِيَةً تَلْبَسُونَهَا.

यह दरिया का दूसरा फ़ायदा बतलाया गया है कि उसमें गोता लगाकर इनसान अपने लिये हिल्या निकाल लेता है। हिल्या के लफ़्ज़ी मायने ज़ीनत के हैं, मुराद वो मोती, मूँगा और जवाहिरात हैं जो समन्दर से निकलते हैं, और औरतें उनके हार बनाकर गले में या दूसरे तरीक़ों से कानों में पहनती हैं। ये ज़ेवर अगरचे औरतें पहनती हैं लेकिन क़ुरआन ने मुज़क्कर (पुल्लिंग) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है ‘तल्बसूनहा’ यानी तुम लोग पहनते हो। इशारा इस बात की तरफ़ है कि औरतों का ज़ेवर पहनना दर हकीक़त मर्दों ही के फ़ायदे के लिये है, औरत की ज़ीनत (बनाव-सिंघार) दर हकीक़त मर्द का हक़ है, वह अपनी बीवी को ज़ीनत का लिबास और ज़ेवर पहनने पर मजबूर भी कर सकता है, इसके अज़ावा जवाहिरात का इस्तेमाल मर्द भी अंगूठी वग़ैरह में कर सकते हैं।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرْفِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ قَضْيِهِ

यह तीसरा फ़ायदा दरिया का बतलाया गया है। ‘फ़ुल्क’ के मायने कश्ती और मवाख़िर, माख़िरा की जमा (बहुवचन) है, मख़्र के मायने पानी को चीरने के हैं, मुराद वो कश्तियाँ और

समुद्री जहाज़ हैं जो पानी की मौजों को चीरते हुए रास्ता तय करते हैं।

आयत का मतलब यह है कि दरिया को अल्लाह तआला ने दूर-दराज़ के शहरों के सफ़र का रास्ता बनाया है। दूर-दराज़ के मुल्कों में दरिया ही के ज़रिये सफ़र करना और तिजारती माल का मंगाना व भेजना आसान फ़रमा दिया है, और इसको रोज़ी के हासिल करने का उम्दा माध्यम फ़रार दिया, क्योंकि दरिया के रास्ते से तिजारत सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाली होती है।

وَأَلْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

रवासिया, रासिया की जमा (बहुवचन) है, भारी पहाड़ को कहा जाता है। तमीद मेद मस्दर से निकला है जिसके मायने डगमगाना या बेवैनी के अन्दाज़ की हरकत करना है।

आयत के मायने यह हैं कि ज़मीन के कुर्रों को हक़ तआला ने बहुत-सी हिक़मतों के सबब ठोस और संतुलित हिस्सों से नहीं बनाया इसलिये वह किसी तरफ़ से भारी किसी तरफ़ से हल्की वाफ़े हुई है, इसका लाज़िमी नतीजा यह था कि ज़मीन को आम फ़लों-सफ़रों की तरह साकिन (अपनी जगह ठहरी हुई) माना जाये या कुछ पुराने व नये फ़लों-सफ़रों (वैज्ञानिकों) की तरह गोल घूमने वाली फ़रार दिया जाये, दोनों हाल में ज़मीन के अन्दर एक इज़्तिराबी हरकत होती जिसको उर्दू हिन्दी में काँपने या डगमगाने से ताबीर किया जाता है। इस इज़्तिराबी हरकत को रोकने और ज़मीनी हिस्सों (भागों) को संतुलन में रखने के लिये हक़ तआला ने ज़मीन पर पहाड़ों का वज़न रख दिया ताकि वह इज़्तिराबी (डगमगाने वाली) हरकत न कर सके, बाक़ी रहा मसला इसके गोल घूमने का जैसे कि तमाम सय्यारे (ग्रह) करते हैं और पुराने फ़लों-सफ़रों में से फ़ीसा गौरस की यही तहकीक़ थी, और नये फ़लों-सफ़र सब इस पर एकमत हैं और नये अनुभवों व तहकीक़ात ने इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है, कुरआने करीम में न कहीं इसको साबित किया गया है न इसकी नफ़ी की गयी है, बल्कि यह काँपने और डोलने की हरकत जिसको पहाड़ों के ज़रिये बन्द किया गया है उस गोल घूमने वाली हरकत के लिये और ज़्यादा सहयोगी होगी जो सय्यारों (ग्रहों) की तरह ज़मीन के लिये साबित की जाती है। वल्लाहु आलम

وَعَلَمْتَ. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

ऊपर चूँकि व्यापारिक सफ़र का ज़िक्र आया है तो मुनासिब हुआ कि उन आसानियों का भी ज़िक्र किया जाये जो हक़ तआला ने मुसाफ़िरों के लिये रास्ता तय करने और मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँचाने के लिये ज़मीन व आसमान में पैदा फ़रमाई हैं। इसलिये फ़रमाया 'व अलामातिन्' यानी हमने ज़मीन में रास्ते पहचानने के लिये बहुत सी निशानियाँ पहाड़ों, दरियाओं, दरख़्तों, मकानों वग़ैरह के ज़रिये कायम कर दी हैं। ज़ाहिर है कि अगर ज़मीन एक सपाट कुर्रा होती तो इनसान किसी मन्ज़िल तक पहुँचने के लिये किस तरह रास्ते में भटकता।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

यानी सफ़र करने वाले जैसे ज़मीनी निशानियों से रास्ता पहचानते हैं इसी तरह सितारों के ज़रिये भी दिशा व रुख़ मालूम करके रास्ता पहचान लेते हैं। इस उनवान में इस तरफ़ भी इशारा

मालूम होता है कि सितारों की तख्लीक (बनाने) का असल मकसद तो कुछ और है, उसके साथ एक यह भी फायदा है कि इनसे रास्ते भी पहचाने जाते हैं।

أَفَلَا تَدَّكَّرُونَ ۝ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ
 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
 لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَتَىٰ أَن يُبْعَثُونَ ۚ
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ لَا جَرَمَ
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

अ-फमंय्यख्लुकु कमल्-ला यख्लुकु,
 अ-फला तज़क्करून (17) व इन्
 तख़ुददू निज़मतल्लाहि ला तुह्सूहा,
 इन्नल्ला-ह ल-गफूरूर-रहीम (18)
 वल्लाहु यज़लमु मा तुसिरू-न व मा
 तुज़लिनून (19) वल्लज़ी-न यदज़ू-न
 मिन् दूनिल्लाहि ला यख्लुकू-न
 शैअव्व-व हुम् युख्लकून (20)
 अम्वातुन् गौरु अह्याइन्, वमा
 यशज़ुरू-न अय्या-न युब्ज़सून (21) ●
 इलाहुकुम् इलाहुंवाहिदुन् फल्लज़ी-न
 ला युज़्मिन्-न बिल्आख़िरति
 कुलूबुहुम् मुन्कि-रतुव्व-व हुम्
 मुस्तक्बिरून (22) ला ज-र-म
 अन्नल्ला-ह यज़लमु मा युसिरू-न व
 मा युज़लिनू-न, इन्नहू ला युहिब्बुल्-
 मुस्तक्बरीन (23)

मला जो पैदा करे बराबर है उसके जो
 कुछ न पैदा करे? क्या तुम सोचते नहीं।
 (17) और अगर शुमार करो अल्लाह की
 नेमतों को न पूरा कर सकोगे उनको।
 (18) बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान
 है। (19) और अल्लाह तज़ाला जानता है
 जो तुम छुपाते हो और जो ज़ाहिर करते
 हो, और जिनको पुकारते हैं अल्लाह के
 सिवाय कुछ पैदा नहीं करते, और वे खुद
 पैदा किए हुए हैं। (20) मुर्दे हैं जिनमें
 जान नहीं, और नहीं जानते कि कब
 उठाये जायेंगे। (21) ●
 माबूद तुम्हारा माबूद है अकेला, सो
 जिनको यकीन नहीं आख़िरत की ज़िन्दगी
 का उनके दिल नहीं मानते और वे
 घमण्डी हैं। (22) ठीक बात है कि अल्लाह
 जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो
 कुछ ज़ाहिर करते हैं, बेशक वह नहीं
 पसन्द करता गुरूर करने वालों को। (23)

खुलासा-ए-तफसीर

सो (जब अल्लाह तआला का उक्त चीजों का बनाने वाला और पैदा करने वाला होना और इसमें उसका अकेला व तन्हा होना साबित हो चुका तो) क्या जो शख्स पैदा करता हो (यानी अल्लाह तआला) वह उस जैसा हो जायेगा जो पैदा नहीं कर सकता (कि तुम दोनों को माबूद समझने लगे, तो इसमें अल्लाह तआला का अपमान है कि उसको बुतों के बराबर कर दिया) फिर क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते। और (अल्लाह तआला ने जो ऊपर तौहीद की दलीलों में अपनी नेमतें बतलाई हैं उन्हीं में क्या सीमित है वे तो इस कसरत से हैं कि) अगर तुम अल्लाह तआला की (उन) नेमतों को गिनने लगे तो (कभी) न गिन सको (मगर मुशरिक लोग शुक्र और कद्र नहीं करते, और यह जुर्म इतना बड़ा था कि न माफ़ कराने से माफ़ होता और न इस पर अड़े और जमे रहने से आगे को ये नेमतें मिलतीं, लेकिन) वाकई अल्लाह तआला बड़ी मग़फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं (कि कोई शिक़ से तौबा करे तो मग़फ़िरत हो जाती है, और न करे तब भी तमाम नेमतें जिन्दगी रहने तक ख़त्म नहीं होतीं) और (हाँ नेमतों के मिलने और जारी रहने से कोई यह न समझे कि कभी सज़ा न होगी, बल्कि आख़िरत में सज़ा होगी क्योंकि) अल्लाह तआला तुम्हारे छुपे और ज़ाहिरी हालात सब जानते हैं (पस उनके मुवाफ़िक़ सज़ा देंगे। यह तो हक़ तआला के ख़ालिक़ और नेमत देने वाला होने का बयान था)। और जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं वे किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वे खुद ही मख़्रूक़ “यानी पैदा किये हुए” हैं (और ऊपर कायदा-ए-कुल्लिया साबित हो चुका है कि ग़ैर-ख़ालिक़ और ख़ालिक़ “यानी पैदा न करने वाला और पैदा करने वाला” बराबर नहीं, पस ये जिनकी इबादत की जा रही है कैसे इबादत के हक़दार हो सकते हैं, और) वे (जिनकी इबादत की जा रही है) मुर्दे (बेजान) हैं (चाहे मुस्तक़िल तौर पर जैसे बुत, या फिलहाल जैसे वे लोग जो मर चुके हैं, या नतीजे और आईन्दा के एतिबार से जो मरेंगे जैसे जिन्नात और ईसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह) जिन्दा (रहने वाले) नहीं (पस ख़ालिक़ तो क्या होते) और उन (माबूदों) को (इतनी भी) ख़बर नहीं कि (क़ियामत में) मुर्दे कब उठाये जाएँगे (यानी कुछ को तो इल्म ही नहीं और कुछ को उसका निर्धारित वक़्त मालूम नहीं, और माबूद के लिये इल्म तो हर चीज़ का पूरा चाहिये, खास तौर से क़ियामत का कि उस पर बदला मिलेगा इबादत करने और न करने का तो उसका इल्म तो माबूद के लिये बहुत ही मुनासिब है। पस खुदा के बराबर तो इल्म में क्या होंगे इस तकरीर से साबित हुआ कि) तुम्हारा सच्चा माबूद एक ही माबूद है, तो (इस हक़ के स्पष्ट होने पर भी) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं लाते (और इसी लिये उनको डर नहीं कि तौहीद को कुबूल करें मालूम हुआ कि) उनके दिल (ही ऐसे नाक़ाबिल हैं कि माक़ूल बात के) मुन्किर हो रहे हैं और (मालूम हुआ कि) वे हक़ के कुबूल करने से तकब्बुर करते हैं। (और) ज़रूरी बात है कि अल्लाह तआला उनके छुपे व ज़ाहिरी सब हालात जानते हैं (और यह भी) यकीनी बात है कि अल्लाह तआला तकब्बुर करने वालों को पसन्द नहीं करते (पस जब उनका तकब्बुर मालूम है तो उनको

भी नापसन्द करेंगे और सज़ा देंगे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की नेमतों का और कायनात की पैदाईश का ज़िक्र करने के बाद उस बात पर तंबीह फ़रमाई जिसके लिये इन सब नेमतों की तफ़सील बयान की गई है, और वह है हक़ तअ़ाला की तौहीद, कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। इसलिये फ़रमाया कि जब यह साबित हो गया कि अकेले और तन्हा अल्लाह तअ़ाला ने ही ज़मीन व आसमान बनाये, पहाड़ व दरिया बनाये, पेड़-पौधे और हैवानात बनाये, दरख़्त और उनके फूल-फल बनाये, तो क्या वह पाक ज़ात जो इन सब चीज़ों की ख़ालिफ़ (बनाने और पैदा करने वाली) है उन बुतों के जैसी और उनके बराबर हो जायेगी जो कुछ पैदा नहीं कर सकते? तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَا ذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ لِيَحْمِلُوْا
 اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضَلُّوْنَ اَنْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْاَسَاءَ مَا يَنْزُرُوْنَ ۝
 قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُدْيَانَهُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ فَنَزَلَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
 وَهُمْ الْعٰدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخَذُّوْنَ مِنْ يَدَيْهِمْ ۖ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ
 بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ فَيَوْمَ ذٰلِكَ اَقْبَلُ الْاَلْمَانَةَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ اِنَّ الْخٰزِيْنَ يَوْمَ وَالسُّوءَ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ۝
 الَّذِيْنَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوْا السَّلٰمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ ۚ بَلَا
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَاَدْخَلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلَيْسَ مَخْرٰجَ
 الْمَشْكُوْرِيْنَ ۝

व इज़ा की-ल लहुम् माज़ा अन्ज़-ल
 रब्बुकुम् क़ालू असातीरुल्-अव्वलीन
 (24) लियहिमलू औज़ारहुम्
 कामि-लतय्-यौमल्-क़ियामति व मिन्
 औज़ारिल्लज़ी-न युज़िल्लूनहुम् बिगैरि
 अिल्मिन्, अला सा-अ मा
 यज़िरून (25) ❁

और जब कहे उनसे कि क्या उतारा है
 तुम्हारे रब ने तो कहें कहानियाँ हैं पहलों
 की। (24) ताकि उठायें बोझ अपने पूरे
 दिन कियामत के, और कुछ बोझ उनके
 जिनको बहकाते हैं बिना तहकीक़। सुनता
 है! बुरा बोझ है जो उठाते हैं। (25) ❁

कद् म-करल्लाजी-न मिन् कब्लिहिम्
 फ-अतल्लाहु बुन्यानहुम् मिनल्-
 क्वाअिदि फ-ख़र-र अलैहिमुस्सक्फु
 मिन् फौकिहिम् व अताहुमुल्-अज़ाबु
 मिन् हैसु ला यश्शुरून (26) सुम्-म
 यौमल्-कियामति युज़्ज़ीहिम् व यकूलु
 ऐ-न शु-रकाइ-यल्लाजी-न कुन्तुम्
 तुशाक्कू-न फीहिम्, कालल्लाजी-न
 ऊतुल्-अ़िल्-म इन्नल् ख़िज्यल्-यौ-म
 वस्सू-अ अलल्-काफ़िरीन (27)
 अल्लाजी-न त-तवफ़ाहुमुल्-मलाइ-कतु
 ज़ालिमी अन्फ़ुसिहिम् फ-अल्कवुस्-
 स-ल-म मा कुन्ना नज़्-मलु मिन्
 सूइन्, बला इन्नल्ला-ह अलीमुम्-
 बिमा कुन्तुम् तज़्मलून (28)
 फ़दख़्लू अब्वा-ब जहन्न-म
 ख़ालिदी-न फीहा, फ-लबिअ-स
 मस्वल्-मु-तकब्बिरीन (29)

अलबत्ता दगाबाज़ी कर चुके हैं जो थे
 इनसे पहले, फिर पहुँचा हुक्म अल्लाह का
 उनकी इमारत पर बुनियादों से, फिर गिर
 पड़ी उन पर छत ऊपर से और आया उन
 पर अज़ाब जहाँ से उनको ख़बर न थी।
 (26) फिर कियामत के दिन रुस्वा करेगा
 उनको और कहेगा कहाँ हैं मेरे शरीक
 जिन पर तुमको बड़ी जिद थी, बोलेंगे
 जिनको दी गई थी ख़बर, बेशक रुस्वाई
 आज के दिन और बुराई मुन्किरों पर है।
 (27) जिनकी जान निकालते हैं फ़रिश्ते
 और वे बुरा कर रहे हैं अपने हक में, तब
 ज़ाहिर करेंगे फ़रमाँबरदारी कि हम तो
 करते न थे कुछ बुराई, क्यों नहीं! अल्लाह
 ख़ूब जानता है जो तुम करते थे। (28)
 सो दाख़िल हो दरवाज़ों में दोज़ख़ के, रहा
 करो सदा उसी में, सो क्या बुरा ठिकाना
 है घमण्ड करने वालों का। (29)

खुलासा-ए-तफसीर

और जब उनसे कहा जाता है (यानी कोई नावाकिफ़ शख्स तहकीक़ के लिये या कोई वाकिफ़ शख्स इम्तिहान के लिये उनसे पूछता है) कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल फ़रमाई है (यानी कुरआन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला का नाज़िल किया हुआ फ़रमाते हैं, आया यह सही है) तो कहते हैं कि (साहिब वह रब का नाज़िल किया हुआ कहाँ है) वो तो बिल्कुल बेसनद बातें हैं जो पहलों से (मन्कूल) चली आ रही हैं (यानी दूसरी मिल्लतों वाले पहले से तौहीद व नुबुव्वत और आख़िरत के मुद्दई होते चले आये हैं उन्हीं से यह भी नक़ल करने लगे, बाकी ये दांवे खुदा के तालीम दिये हुए नहीं)। नतीजा इस (कहने) का

यह होगा कि उन लोगों को क़ियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिनको ये लोग बेइल्मी से गुमराह कर रहे थे उनके गुनाहों का भी कुछ बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा (गुमराह करने से मुराद यही कहना है कि ये तो पहले लोगों की बेसनद बातें हैं, क्योंकि इससे दूसरे आदमी का एतिकाद ख़राब होता है, और जो शख्स किसी को गुमराह किया करता है उस गुमराह को तो गुमराही का गुनाह होता है और उस गुमराह करने वाले को उसकी गुमराही का सबब बन जाने का, इस सबब बनने में जो हिस्सा उसको मिलेगा उसको 'कुछ बोझ' फ़रमाया गया, और अपने गुनाह का पूरा बोझ उठाना ज़ाहिर है)। ख़ूब याद रखो कि जिस गुनाह को ये अपने ऊपर लाद रहे हैं वह बुरा बोझ है।

(और इन्होंने जो गुमराह करने की यह तदबीर निकाली है कि दूसरों को ऐसी बातें करके बहकाते हैं, सो ये तदबीरों हक़ के मुक़ाबले में न चलेंगी, बल्कि खुद इन्हीं पर उनका वबाल व मुसीबत पड़ेगी, चुनाँचे) जो लोग इनसे पहले हो गुज़रे हैं उन्होंने (अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुक़ाबले और मुख़ालफ़त में) बड़ी-बड़ी तदबीरों की, सो अल्लाह तआला ने उन (की तदबीरों) का बना-बनाया घर जड़-बुनियाद से ढहा दिया, फिर (वे ऐसे नाकाम हुए जैसे गोया) ऊपर से उन पर (उस घर की) छत आ पड़ी (हो, यानी जिस तरह छत आ पड़ने से सब दबकर रह जाते हैं इसी तरह वे लोग बिल्कुल नाकाम व घाटा उठाने वाले हुए) और (नाकामी के अलावा) उन पर (खुदा का) अज़ाब ऐसी तरह आया कि उनको ख़्याल भी न था (क्योंकि उम्मीद तो उस तदबीर में कामयाबी की थी, ख़िलाफ़े उम्मीद उन पर नाकामी से बढ़कर अज़ाब आ गया जो कोसों भी उनके ज़ेहन में न था। पिछले काफ़िरों पर अज़ाबों का आना मालूम व जाना-पहचाना है, यह हालत तो उनकी दुनिया में हुई)। फिर क़ियामत के दिन (उनके वास्ते यह होगा कि) अल्लाह तआला उनको रुस्वा करेगा और (उसमें से एक रुस्वाई यह होगी कि उमसे) यह कहेगा कि (तुमने जो) मेरे शरीक (बना रखे थे) जिनके बारे में तुम (नबियों और ईमान वालों से) लड़ाई झगड़ा करते थे (वे अब) कहाँ हैं (उस हालत को देखकर हक़ के) जानने वाले कहेंगे कि आज काफ़िरों पर पूरी रुस्वाई और अज़ाब है। जिनकी जान फ़रिश्तों ने कुफ़्र की हालत में निकाली थी (यानी आख़िर वक़्त तक काफ़िर रहे। शायद उन इल्म रखने वालों का कौल बीच में इसलिये बयान हो कि काफ़िरों की रुस्वाई का आ़म और ऐलानिया होना मालूम हो जाये) फिर वे काफ़िर लोग (अपने शरीकों के जवाब में) सुलह का पैग़ाम डालेंगे (और कहेंगे) कि (शिरक जो आला दर्जे की बुराई और हक़ तआला की मुख़ालफ़त है हमारी क्या मजाल थी कि हम, उसके करने वाले होते) हम तो कोई बुरा काम (जिसमें हक़ तआला की मामूली सी मुख़ालफ़त भी हो) न करते थे (इसको सुलह का मज़मून इसलिये कहा गया कि दुनिया में शिरक का जो कि यकीनी मुख़ालफ़त है बड़े जोश व ख़रोश से इक़रार था जैसा कि अल्लाह तआला के कौल में इसका ज़िक़्र है 'लौ शाअल्लाहु मा अशरक्ना' और शिरक का इक़रार मुख़ालफ़त का इक़रार था, खुसूसन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ, तो खुद खुली मुख़ालफ़त के दावेदार थे वहाँ उस शिरक के इनकार से मुख़ालफ़त का इनकार करेंगे, इसलिये इसको सुलह फ़रमाया और यह इनकार ऐसा है जैसा कि

एक दूसरी आयत में है:

وَاللّٰوِيْنَآ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝

हक़ तअ़ाला उनके इस क़ौल को रद्द न फ़रमायेंगे कि) क्यों नहीं? (बल्कि वाकई तुमने बड़े काम मुख़ालफ़त के किये) बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है। सो (अच्छा) जहन्नम के दरवाज़ों में (से जहन्नम में) दाख़िल हो जाओ, (और) उसमें हमेशा-हमेशा को रहो। गर्ज (हक़ से) तकब्बुर (और मुख़ालफ़त व मुक़ाबला) करने वालों का वह बुरा ठिकाना है (यह आख़िरत के अज़ाब का ज़िक्र हो गया। पस आयतों का खुलासा यह हुआ कि तुमने अपने से पहले काफ़िरों का हाल घाटे में रहने और दुनिया व आख़िरत के अज़ाब का सुन लिया, इसी तरह जो तदबीर व फ़रेब दीन-ए-हक़ के मुक़ाबले में तुम कर रहे हो और मख़्लूक को गुमराह करना चाहते हो, यही अन्जाम तुम्हारा होगा)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह तअ़ाला की नेमतें और कायनात के बनाने में तन्हा व अकेला होने का ज़िक्र करके मुशिरकों की अपनी गुमराही का बयान था, इन आयतों में दूसरों को गुमराह करने और उसके अज़ाब का बयान है। और इससे पहले एक सवाल कुरआने करीम के बारे में है, और उस सवाल के मुखातब यहाँ तो मुशिरक लोग हैं और उन्हीं का जाहिलाना जवाब यहाँ ज़िक्र करके उन पर वर्द (डॉट और सज़ा का वायदा) बयान की गई है, और पाँच आयतों के बाद यही सवाल नेक व परहेज़गार मोमिनों को ख़िताब करके किया गया और उनका जवाब और उस पर इनामात के वायदे का ज़िक्र है।

कुरआने करीम ने यह नहीं खोला कि सवाल करने वाला कौन था, इसलिये मुफ़स्सिरान (कुरआन के व्याख्यापकों) के इसमें विभिन्न अक़वाल हैं, किसी ने काफ़िरों को सवाल करने वाला क़रार दिया, किसी ने मुसलमानों को, किसी ने एक सवाल मुशिरकों का और दूसरा मोमिनों का क़रार दिया, लेकिन कुरआने करीम ने इसको अस्पष्ट और गुप्त रखकर इस तरफ़ इशारा कर दिया है कि इस बहस में जाने की ज़रूरत ही क्या है कि सवाल किसकी तरफ़ से था, देखना तो जवाब और उसके नतीजे का है जिनका कुरआन ने खुद बयान कर दिया है।

मुशिरकों की तरफ़ से जवाब का खुलासा यह है कि उन्होंने इसी को तस्लीम नहीं किया कि कोई कलाम अल्लाह तअ़ाला की तरफ़ से नाज़िल हुआ भी है, बल्कि कुरआन को पिछले लोगों की कहानियाँ क़रार दिया। कुरआने करीम ने इस पर यह वर्द (सज़ा की धमकी) सुनाई कि ये ज़ालिम कुरआन को कहानियाँ बतलाकर दूसरों को भी गुमराह करते हैं, इसका यह नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा कि कियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा वबाल तो उन पर पड़ना ही है, जिनको ये गुमराह कर रहे हैं उनका भी कुछ वबाल इन पर पड़ेगा। और फिर फ़रमाया कि गुनाहों के जिस बोझ को ये लोग अपने ऊपर लाद रहे हैं वह बहुत बुरा बोझ है।

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَشْرَلْتُمْ رَبِّكُمْ قَالُوا خَيْرًا الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
الَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِذْ خَلَوْا بِجَنَّتِهِمْ ۖ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۖ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَاصْبِرْ لَهُمْ سِنَيَاتٍ مَا عَمِلُوا وَخَافُوا بِهِنَّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

व की-ल लिल्लज़ीनत्तकौ माज़ा
अन्ज़-ल रब्बुकुम्, कालू ख़ैरन्,
लिल्लज़ी-न अह्सनू फी हाज़िहिद्दुन्या
ह-स-नतुन्, व लदारुल्-आख़िरति
ख़ैरुन्, व लनिज़्-म दारुल्-मुत्तकीन
(30) जन्नातु अदनिंय-यदख़लूनहा
तज़री मिन् तस्तिहल्-अन्हारु लहुम्
फ़ीहा मा यशाऊ-न, कज़ालि-क
यज़्जिल्लाहुल्-मुत्तकीन (31)
अल्लज़ी-न त-तवप्फ़ाहुमुल्-मलाइ-कतु
तय्यिबी-न यकूलू-न सलामुन्
अलैकुमुदख़लुल्-जन्न-त बिमा
कुन्तुम् तज़्मलून (32) हल् यन्ज़ुरू-न
इल्ला अन् तअत्ति-यहुमुल्-मलाइ-कतु
औ यअत्ति-य अम्रु रब्बि-क,
कज़ालि-क फ़-अलल्लज़ी-न मिन्
कब्लिहिम्, व मा ज़-ल-महुमुल्लाहु

और कहा परहेज़गारों को— क्या उतारा
तुम्हारे रब ने, बोले नेक बात, जिन्होंने
भलाई की इस दुनिया में उनको भलाई है
और आख़िरत का घर बेहतर है, और
क्या ख़ूब घर है परहेज़गारों का। (30)
बाग़ हैं हमेशा रहने के जिनमें वे जायेंगे,
बहती हैं उनके नीचे से नहरें, उनके वास्ते
वहाँ है जो चाहें, ऐसा बदला देगा अल्लाह
परहेज़गारों को। (31) जिनकी जान कब्ज़
करते हैं फ़रिश्ते और वे सुथरी हैं, कहते
हैं फ़रिश्ते सलामती तुम पर, जाओ
जन्नत में, बदला है उसका जो तुम करते
थे। (32) क्या काफ़िर अब इसके मुन्तज़िर
हैं कि आयें उन पर फ़रिश्ते या पहुँचे हुक्म
तेरे रब का, इसी तरह किया था इनसे
अगलों ने, और अल्लाह ने जुल्म न किया

व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज़िल्लिमुन
(33) फ़-असाबहुम् सय्यिआतु मा
अमिलू व हा-क़ बिहिम् मा कानू
बिही यस्तद्विज़ऊन (34) ●

उन पर लेकिन वे छुद अपना बुरा करते
रहे। (33) फिर पड़े उनके सर उनके बुरे
काम और उलट पड़ा उन पर जो ठग्न
करते थे। (34) ●

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और जो लोग शिर्क से बचते हैं उनसे (जो कुरआन के बारे में) कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल फरमाई है, वे कहते हैं कि बड़ी ख़ैर (और बरकत की चीज़) नाज़िल फरमाई है। जिन लोगों ने नेक काम किये हैं (जिसमें यह ऊपर कही हुई बात और तमाम नेक आमाल आ गये) उनके लिये इस दुनिया में भी भलाई है (वह भलाई सयाब का वायदा व खुशख़बरी है) और आख़िरत की दुनिया तो (इस वजह से कि वहाँ इस वायदे का ज़हूर हो जायेगा) और ज़्यादा बेहतर (और खुशी का सबब) है, और वाक़ई वह शिर्क से बचने वालों का अच्छा घर है। वह घर (क्या है) हमेशा रहने के बाग़ हैं जिनमें वे दाख़िल होंगे, उन बाग़ों के (पेड़ और इमारतों के) नीचे से नहरें जारी होंगी। जिस चीज़ को उनका जी जाहेगा वहाँ उनको मिलेगी (और ख़ास उन्हीं की क्या विशेषता है जिनका कौल इस मक़ाम पर बयान हुआ है बल्कि) इसी तरह का बदला अल्लाह सब शिर्क से बचने वालों को देगा। जिनकी रूह फ़रिश्ते इस हालत में निकालते हैं कि वे (शिर्क से) पाक (साफ़) होते हैं (मतलब यह कि मरते दम तक तौहीद पर कायम रहते हैं और) वह (फ़रिश्ते) कहते जाते हैं— अस्तलामु अलैकुम, तुम (रूह क़ब्ज़ होने के बाद) जन्नत में चले जाना अपने आमाल के सबब।

ये लोग (जो अपने कुफ़्र व दुश्मनी और जहालत पर अड़े हुए हैं और बावजूद हक़ की दलीलें और निशानियाँ वाज़ेह होने के बावजूद ईमान नहीं लाते, तो मालूम होता है कि ये सिर्फ़) इसी बात के मुन्तज़िर हैं कि इनके पास (मौत के) फ़रिश्ते आ जाएँ या आपके परबर्दिगार का हुक्म (यानी क़ियामत) आ जाये (यानी क्या मौत के वक़्त या क़ियामत में ईमान लायेंगे जबकि ईमान क़ुबूल न होगा, अगरचे उस वक़्त तमाम काफ़िर लोग हक़ीक़त का पर्दा उठने की वजह से तौबा करेंगे, जैसी हठधर्मी और अड़ना कुफ़्र पर ये लोग कर रहे हैं) ऐसा ही इनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी (कुफ़्र पर अड़े रहना) किया था, और (अड़ने व हठधर्मी की बदौलत सज़ा पाने वाले हुए। सो) उन पर अल्लाह ने ज़रा भी जुल्म न किया लेकिन वे आप ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे (कि सज़ा के काम जान-जानकर करते थे)। आख़िर उनको उनके बुरे आमाल की सज़ाएँ मिलीं, और जिस अज़ाब (की ख़बर पाने) पर वे हंसते थे उनको उसी (अज़ाब) ने आन घेरा (पस ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा)।

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ
 مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَقَدْ بَعَثْنَا
 فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
 حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ۝ إِنْ
 تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمِينِ رَسُولٍ تُدْعَى عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ
 إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

व कालल्लजी-न अशरकू लौ
 शाअल्लाहु मा अबदना मिन् दूनिही
 मिन् शैइन्-नहनु व ला आबाउना व
 ला हरम्ना मिन् दूनिही मिन् शैइन्,
 कज़ालि-क फ-अलल्लजी-न मिन्
 कब्लिहिम् फ-हल् अलरुसुलि इल्लल्
 बलागुल्-मुबीन (35) व ल-कद्
 बअस्ना फी कुल्लि उम्मतिरसूलन्
 अनिअबुदुल्ला-ह वज्तिनिबुत्तागू-त
 फमिन्हुम् मन् हदल्लाहु व मिन्हुम्
 मन् हक्कत् अलैहिज्जलालतु, फसीरु
 फिल्अजि फन्जुरु कै-फ का-न
 आकि-बतुल्-मुकज्जिबीन (36) इन्
 तहिस् अला हुदाहुम् फ-इन्नल्ला-ह
 ला यहदी मय्युज़िल्लु व मा लहुम्
 मिन्-नासिरीन (37) व अक्समू

और बोले शिर्क करने वाले, अगर चाहता
 अल्लाह न पूजते हम उसके सिवा किसी
 चीज को और न हमारे बाप, और न
 हराम ठहरा लेते हम बिना उसके हुक्म के
 किसी चीज को, इसी तरह किया इनसे
 अगलों ने, रसूलों के ज़िम्मे नहीं मगर
 पहुँचा देना साफ-साफ। (35) और हमने
 उठाये हैं हर उम्मत में रसूल कि बन्दगी
 करो अल्लाह की और बचो हुड़दंगे से,
 फिर किसी को उनमें से हिदायत की
 अल्लाह ने और किसी पर साबित हुई
 गुमराही, सो सफ़र करो मुल्कों में फिर
 देखो कैसा हुआ अन्जाम झुठलाने वालों
 का। (36) अगर तू लालच (तमन्ना) करे
 उनको राह पर लाने की तो अल्लाह राह
 नहीं देता जिसको बिचलाता है और कोई
 नहीं उनका मददगार। (37) और कसमें

बिल्लाहि जह्द ऐमानिहिम् ला
 यब्असुल्लाहु मय्यमूतु, बला वअदन्
 अलैहि हक्क्-व-व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला यअ्लमून (38)
 लियुबय्यि-न लहुमुल्लजी यख़्तलिफू-न
 फीहि व लियअ-लमल्लजी-न क-फरु
 अन्नहुम् कानू काजिबीन (39) इन्नमा
 कौलुना लिशैइन् इज़ा अरदनाहु अन्-
 नकू-ल लहू कुन् फ-यकून् (40) ❁

खाते हैं अल्लाह की सख़्त कसमें कि न
 उठायेगा अल्लाह जो कोई मर जाये, क्यों
 नहीं! वादा हो चुका है इस पर पक्का
 लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (38)
 उठायेगा ताकि जाहिर कर दे उन पर
 जिस बात में झगड़ते हैं और ताकि मालूम
 कर लें काफ़िर कि वे झूठे थे। (39) हमारा
 कहना किसी चीज़ को जब हम उसको
 करना चाहें यही है कि कहेँ उसको हो जा
 तो वह हो जाये। (40) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

और मुशिरक लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला को (बतौर रज़ा के यह मामला)
 मन्ज़ूर होता (कि हम गैरुल्लाह की इबादत न करें जो हमारे तरीक़ों के उसूल यानी बुनियादी बातों
 में से है, और बाज़ी चीज़ों को हराम करार न दें जो हमारे तरीक़ों के ऊपर की चीज़ों में से है।
 मतलब यह कि अगर अल्लाह तआला हमारे मौजूदा अक़ीदों व आमाल को नापसन्द करते) तो
 खुदा के सिवा किसी चीज़ की न हम इबादत करते और न हमारे बाप-दादा, और न हम उसके
 (हुक्म के) बग़ैर किसी चीज़ को हराम कह सकते (इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला को
 हमारा तरीक़ा पसन्द है वरना हमको क्यों करने देते। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!
 आप उनसे ग़मगीन न हों, क्योंकि यह बेहूदा बहस व झगड़ा कोई नई बात नहीं, बल्कि) जो
 (काफ़िर) लोग इनसे पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी (यानी बेहूदा झगड़े और
 बहसेँ अपने पैग़म्बरों से की थीं) सो पैग़म्बरों (का उससे क्या बिगड़ा और वे जिस तरीक़े की
 तरफ़ बुलाते हैं उसको क्या नुक़सान पहुँचा, उन) के ज़िम्मे तो (अहकाम का) सिर्फ़ साफ़-साफ़
 पहुँचा देना है (साफ़-साफ़ यह कि दावा स्पष्ट हो और सही दलील उस पर कायम हो, इसी तरह
 आपके ज़िम्मे भी यही काम था जो आप कर रहे हैं, फिर अगर दुश्मनी व मुख़ालफ़त के तौर पर
 दावे और दलील में ग़ौर न करें तो आपकी बला से)। और (जिस तरह उनका मामला आपके
 साथ यानी यह झगड़ना और बहस करना कोई नई बात नहीं इसी तरह आपका मामला उनके
 साथ यानी तौहीद व दीने हक् की तरफ़ बुलाना कोई नई बात नहीं, बल्कि इसकी तालीम भी
 पहले से चली आई है, चुनाँचे पहली उम्मतों में से) हम हर उम्मत में कोई न कोई पैग़म्बर (इस
 बात की तालीम के लिये) भेजते रहे हैं कि तुम (खास) अल्लाह तआला की इबादत करो और

शैतान (के रास्ते) से (कि वह शिर्क व कुफ़्र है) बचते रहो (इसमें चीज़ों का वह हराम ठहरा लेना भी आ गया जो मुश्कि लोग अपनी राय से किया करते थे, क्योंकि वह शिर्क व कुफ़्र का एक हिस्सा था)। सो उनमें बाज़े वे हुए हैं कि जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत दी (कि उन्होंने हक़ को कुबूल कर लिया) और बाज़े उनमें वे हुए जिन पर गुमराही साबित हो गई।

(मतलब यह कि काफ़िरों और अम्बिया में यह मामला इसी तरह चला आ रहा है और हिदायत देने व गुमराह करने के बारे में अल्लाह तआला का मामला भी हमेशा से यूँ ही जारी है कि झगड़ना व बहस करना काफ़िरों का भी पुराने ज़माने से और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तालीम करना भी पुराने ज़माने से, और सब का हिदायत न पाना भी पुराने ज़माने से, फिर आपको क्यों गुम हो? यहाँ तक तसल्ली फ़रमाई गई जिसमें आख़िर के मज़मून में उनके शुब्हे का मुख़्तसर जवाब भी हो गया कि ऐसी बातें करना गुमराही है जिसके गुमराही होने की आगे ताईद और जवाब की ज़्यादा स्पष्टता है, यानी अगर रसूल के साथ झगड़ने और बेकार की बहस करने का गुमराही होना तुमको मालूम न हो) तो (अच्छा) ज़मीन में चलो-फ़िरो (निशानात से) देखो कि (पैग़म्बरों के) झुठलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ (पस अगर वे गुमराह न थे तो उन पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ और इत्तिफ़ाकी वांकिआत उनको इसलिये कह सकते कि ख़िलाफ़े आदत हुए और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की भविष्यवाणी के बाद हुए और मोमिन हज़रात उससे बचे रहे, फिर उसके अज़ाब होने में क्या शक़ है)।

(और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उम्मत के किसी फ़र्द की गुमराही से भी सख़्त सदमा पहुँचता था इसलिये आगे फिर आपको ख़िताब है कि जैसे पहले बाज़े लोग हुए हैं जिन पर गुमराही कायम हो चुकी थी इसी तरह ये लोग भी हैं सो) इनके सही रास्ते पर आने की अगर आपको तमन्ना हो तो (कुछ नतीजा नहीं, क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को हिदायत नहीं किया करता जिसको (उस शख़्स के मुँह फेरने और दुश्मनी के सबब) गुमराह करता है (अलबत्ता अगर वह दुश्मनी व मुख़ालफ़त को छोड़ दे तो हिदायत कर देता है, लेकिन ये दुश्मनी व मुख़ालफ़त को छोड़ेंगे नहीं इसलिये इनको हिदायत भी न होगी)।

और (गुमराही व अज़ाब के बारे में अगर इनका यह गुमान हो कि हमारे माबूद इस हालत में भी अज़ाब से बचा लेंगे तो वे समझ लें कि खुदा तआला के मुक़ाबले में) उनका कोई हिमायती न होगा (यहाँ तक उनके पहले शुब्हे के जवाब की तक़रीर थी, आगे दूसरे शुब्हे के बारे में कलाम है)। और ये लोग बड़े जोर लगा-लगाकर अल्लाह की क़समें खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा ज़िन्दा न करेगा (और क़ियामत न आयेगी, आगे जवाब है) क्यों नहीं ज़िन्दा करेगा! (ज़रूर ज़िन्दा करेगा) इस वायदे को तो अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे लाज़िम कर रखा है, लेकिन अक्सर लोग (बावजूद सही दलील कायम होने के इस पर) यकीन नहीं लाते (और यह दोबारा ज़िन्दा करना इसलिये होगा) ताकि (दीन के बारे में) जिस चीज़ में ये लोग (दुनिया में) झगड़ा किया करते थे (और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के फ़ैसले से रास्ते पर न आते थे) उनके सामने उस (की हकीक़त) का (आँखों से दिखाकर) इज़हार कर दे, और ताकि (इस

हकीकत के इज़हार के वक़्त) काफ़िर लोग (पूरा) यकीन कर लें कि वाकई वही झूठे थे (और नबी व मोमिन हज़रत सच्चे थे। पस क़ियामत का आना यकीनी और अज़ाब से फैसला होना ज़रूरी है, यह जवाब हो गया उनकी इस बात का कि अल्लाह तआला मरने के बाद ज़िन्दा न करेगा, चूँकि वे लोग क़ियामत का इसलिये इनकार करते थे कि मरकर ज़िन्दा होना उनके ख़्याल में किसी के बस में न था, इसलिये आगे अपनी कामिल क़ुदरत को साबित करके उनके इस शुब्हे को दूर फ़रमाते हैं कि हमारी क़ुदरत ऐसी अज़ीम है कि) हम जिस चीज़ को (पैदा करना) चाहते हैं (हमें उसमें कुछ मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ती) बस हमारा उससे इतना ही कहना (काफी) होता है कि तू (पैदा) हो जा, पस वह (मौजूद) हो जाती है (तो इतनी बड़ी कामिल क़ुदरत के सामने बेजान चीज़ों में दोबारा जान का पड़ जाना कौनसा दुश्वार है, जैसे पहली बार उनमें जान डाल चुके हैं। अब दोनों शुब्हों का पूरा जवाब हो चुका। अल्हम्दु लिल्लाह)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उन काफ़िरों का पहला शुब्हा (या एतिराज़) तो यह था कि अल्लाह तआला को अगर हमारा कुफ़्र व शिर्क और नाजायज़ काम करना पसन्द नहीं तो वह हमें ज़बरदस्ती इससे रोक क्यों नहीं देते।

इस शुब्हे का बेहूदा होना तो स्पष्ट था इसलिये इसका जवाब देने के बजाय सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली पर बस किया गया कि ऐसे बेहूदा सवालात से आप गुमगीन न हों, और शुब्हे के बेहूदा होने की वजह ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला ने दुनिया के इस आलम का निज़ाम ही इस बुनियाद पर कायम फ़रमाया है कि इनसान को बिल्कुल मजबूर नहीं रखा गया, एक किस्म का इख़्तियार इसको दिया गया है, उसी इख़्तियार को वह अल्लाह की इताअत (फ़रमाँबंदारी) में इस्तेमाल करे तो सवाब और नाफ़रमानी में इस्तेमाल करे तो अज़ाब के वायदे और वईद फ़रमाई, इसी के नतीजे में क़ियामत और हशर व नशर के सारे हंगामे हैं। अगर अल्लाह तआला चाहते कि सब को मजबूर करके अपनी इताअत करायें तो किसकी मजाल थी कि इताअत से बाहर जाता, मगर हिक्मत के तकाज़े के तहत मजबूर कर देना दुरुस्त न था इसलिये इनसान को इख़्तियार दिया गया। तो अब काफ़िरों का यह कहना कि अगर अल्लाह को हमारा तरीका पसन्द न होता तो हमें मजबूर क्यों न कर देते, एक अहमक़ाना और दुश्मनी भरा सवाल है।

क्या हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में भी अल्लाह का

कोई रसूल आया है?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

इस आयत (यानी आयत 36) से तथा दूसरी आयत:

وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

(सूर: फ़ातिर आयत 24) से ज़ाहिर में यही मालूम होता है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के इलाकों में भी अल्लाह के पैग़म्बर ज़रूर आये होंगे, चाहे वे यहीं के बाशिन्दे हों या किसी दूसरे मुल्क में हों, और उनके नायब और प्रचारक यहाँ पहुँचें हों, और आयत:

لِنَذِيرٍ لِّوَمَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ

से जो यह समझ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस उम्मत की तरफ़ भेजे गये हैं उनकी तरफ़ आप से पहले कोई रसूल नहीं आया, इसका जवाब यह हो सकता है कि इससे मुराद बज़ाहिर अरब की वह कौम है जो आपकी बेसत व नुबुव्वत की सबसे पहले मुखातब हुई कि उनमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद से कोई रसूल नहीं आया था, इसी लिये उन लोगों का लक़ब कुरआने करीम में 'उम्मिय्यीन' रखा गया है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि बाकी दुनिया में भी आप से पहले कोई रसूल न आया हो। वल्लाहु आलम

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

वल्लज़ी-न हाज़रु फ़िल्लाहि मिम्-
बज़्दि मा जुलिम् लनुबव्विअन्नहुम्
फिद्दुन्या ह-स-नतन्, व लअज़्फल्-
आख़िरति अक्बरु। लौ कानू
यज़्लमून (41) अल्लज़ी-न स-बरु व
अला रब्बिहिम् य-तवक्कलून (42)

और जिन्होंने धर छोड़ा अल्लाह के वास्ते बाद इसके कि जुल्म उठाया ज़रूर उनको हम ठिकाना देंगे दुनिया में अच्छा और आख़िरत का सवाब तो बहुत बड़ा है अगर उनको मालूम होता (41) जो साबित-क़दम रहे और अपने रब पर धरोसा किया। (42)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपना वतन (मक्का) छोड़ दिया (और हब्शा चले गये) उसके बाद कि उन पर (काफ़िरों की तरफ़ से) जुल्म किया गया (क्योंकि ऐसी मजबूरी में वतन छोड़ना बड़ा भारी गुज़रता है), हम उनकी दुनिया में ज़रूर अच्छा ठिकाना देंगे (यानी उनको मदीना पहुँचाकर ख़ूब अमन व राहत देंगे, चुनाँचे कुछ ही समय के बाद मदीना में अल्लाह तआला ने पहुँचा दिया और उसको असली वतन करार दिया गया, इसलिये उसको ठिकाना कहा और हर तरह की वहाँ तरक्की हुई, इसलिये हसना "अच्छा" कहा गया और हब्शा का क़ियाम

वक्ती और अस्थायी था इसलिये उसको ठिकाना नहीं फरमाया), और आखिरत का सवाब (इससे) तो कई दर्जे बड़ा है (कि खैर भी है और हमेशा बाकी रहने वाला भी) काश (उस आखिरत के अज़्र की) इन (बेख़बर काफ़िरों) को (भी) ख़बर होती (और उसके हासिल करने की दिलचस्पी व चाहत से मुसलमान हो जाते)। वे ऐसे हैं जो (नागवार वाकिआत पर) सब्र करते हैं (चुनाँचे वतन का छोड़ना अगरचे उनको नागवार है लेकिन बग़ैर इसके दीन पर अमल नहीं कर सकते थे, दीन के लिये वतन छोड़ा और सब्र किया) और (वह हर हाल में) अपने ख़ब पर भरोसा रखते हैं (वतन छोड़ने के वक़्त यह ख़्याल नहीं करते कि खायें पिपेंगे कहाँ से)।

मअरिफ़ व मसाईल

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

हिजरत से बना है, हिजरत के लुगवी भायने वतन को छोड़ने के हैं। वतन का छोड़ना जो अल्लाह के लिये किया जाता है वह इस्लाम में बड़ी नेकी व इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

الْهِجْرَةُ تَهْدِيكُمْ مَا كَانَ قَبْلَهَا

यानी हिजरत उन तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देती है जो इनसान ने हिजरत से पहले किये हों।

यह हिजरत कुछ सूरतों में फर्ज़ व वाजिब और कुछ सूरतों में मुस्तहब व अफज़ल (पसन्दीदा और बेहतर) होती है, इसके तफ़्सीली अहकाम तो सूर: निसा की आयत नम्बर 97:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

के तहत में बयान हो चुके हैं, इस जगह सिर्फ़ उन वायदों का बयान है जो अल्लाह तआला ने मुहाजिरों (अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों) से किये हैं।

क्या हिजरत दुनिया में भी आसानी व ऐश का सबब होती है?

उक्त आयतों में चन्द शर्तों के साथ मुहाजिरों के लिये दो अज़ीमुशशान वायदे किये गये हैं- अब्वल तो दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देने का, दूसरे आखिरत के बेहिसाब बड़े सवाब का। "दुनिया में अच्छा ठिकाना" एक निहायत जामे तफ़्ज़ है, इसमें यह भी दाख़िल है कि मुहाजिर को रहने के लिये मकान और पड़ोसी अच्छे मिलें, यह भी दाख़िल है कि उसको रिज़्क अच्छा मिले, दुश्मनों पर फ़तह व ग़लबा नसीब हो, आ़म लोगों की ज़बान पर उनकी तारीफ़ और भलाई हो, इज़्ज़त व सम्मान मिले, जो उनके ख़ानदान और औलाद तक चले। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

आयत का शाने नुज़ूल (उतरने का मौक़ा और सबब) असल में यह पहली हिजरत है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हब्शा की तरफ़ की, और यह भी हो सकता है कि हब्शा

वाली हिजरत और उसके बाद की मदीने वाली हिजरत दोनों इसमें दाखिल हों। आयत में यहाँ हब्शा के उन्हीं मुहाजिरों या मदीना के मुहाजिरों का जिक्र है, इसलिये कुछ उलेमा ने फरमाया कि यह वायदा उन्हीं हज़रते सहाबा के लिये था, जिन्होंने हब्शा की तरफ़ या फिर मदीना की तरफ़ हिजरत की थी, और अल्लाह तआला का यह वायदा दुनिया में पूरा हो चुका जिसको सब ने अपनी आँखों से देखा और उसका अनुभव कर लिया कि अल्लाह तआला ने मदीना मुनव्वरा को उनका कैसा अच्छा ठिकाना बना दिया, तकलीफ़ देने वाले पड़ोसियों के बजाय गुमख़्तार, हमदर्द व जान क़ुरबान कर देने वाले पड़ोसी मिले, दुश्मनों पर फतह व ग़लबा नसीब हुआ, हिजरत के थोड़े ही अरसा गुज़रने के बाद उन पर रिज़क के दरवाज़े खोल दिये गये, फ़कीर व मिस्कीन मालदार हो गये, दुनिया के मुल्क फतह हुए, उनके अच्छे अख़्लाक, अच्छे अमल के कारनामे रहती दुनिया तक हर मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ की जुबान पर हैं, उनको और उनकी नस्लों को अल्लाह तआला ने बड़ी इज़्ज़त व सम्मान बख़्शा। ये तो दुनिया में होने वाली चीज़ें थीं जो हो चुकीं, और आख़िरत का वायदा पूरा होना भी यकीनी है, लेकिन तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान कहते हैं:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا عَامًّا فِي الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا كَانُوا فَشَمَلُوا لَهُمْ وَاجِرُهُمْ. (58: 49)

“अल्लजी-न हाज़रू का लफ़्ज़ दुनिया के तमाम मुहाजिरीन के लिये आम और सब को शामिल है, किसी भी इलाक़े और ज़माने के मुहाजिर हों, इसलिये यह लफ़्ज़ शुरू के मुहाजिरीन को भी शामिल है और क़ियामत तक अल्लाह के लिये हिजरत करने वाला इसमें दाख़िल है।”

आम तफ़सीरी क़ानून का तकाज़ा भी यही है कि आयत का उतरने का मौक़ा और सबब अगरचे कोई ख़ास वाक़िआ और ख़ास जमाअत हो मगर एतिबार लफ़्ज़ों के आम होने का होता है, इसलिये इस वायदे में तमाम दुनिया के और हर ज़माने के मुहाजिरीन भी शामिल हैं, और ये दोनों वायदे तमाम मुहाजिरों के लिये पूरा होना यकीनी बात है।

इसी तरह का एक वायदा मुहाजिरों के लिये सूर: निसा की इस आयत में किया गया है:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً.

जिसमें ठिकाने की आसानी व सहूलत और चैन सुकून की ज़िन्दगी ख़ास तौर से वायदा की गयी है, मगर क़ुरआने करीम ने इन वायदों के साथ मुहाजिरों के कुछ औसाफ़ (ख़ूबी व गुण) और हिजरत की कुछ शर्तें भी बयान फरमाई हैं, इसलिये उन वायदों के मुस्तहिक् वही मुहाजिर लोग हो सकते हैं जो उन गुणों व सिफ़्तों वाले हों और जिन्होंने मतलूबा शर्तें पूरी कर दी हों।

उनमें सबसे पहली शर्त तो फ़िल्लाहि की है, यानी हिजरत करने का मक़सद सिर्फ़ अल्लाह तआला को राज़ी करना हो, उसमें दुनियावी फ़ायदे तिजारत, नौकरी वग़ैरह और नफ़सानी फ़ायदे पेशे नज़र (उद्देश्य) न हों।

दूसरी शर्त उन मुहाजिरों का मजलूम होना है जैसा कि फरमाया ‘मिम्बअदि मा जुलिमू’।

तीसरा गुण व सिफ़्त शुरू की तकलीफ़ों व मुसीबतों पर सन्न और साबित-क़दम रहना है

जैसा कि फ़रमाया 'अल्लाज़ी-न स-बरू'।

चौथा गुण व ख़ूबी तमाम माही तदबीरों का एहतिमाम करते हुए भी भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर रखना है, कि फ़तह व मदद और हर कामयाबी सिर्फ़ उसी के हाथ में है जैसा कि फ़रमाया 'व अला रब्बिहिम् य-तवक्कलून'।

इससे मालूम हुआ कि शुरू की मुश्किलें व तकलीफ़ें तो हर काम में हुआ ही करती हैं उनको सहन करने के बाद भी अगर किसी मुहाजिर को अच्छा ठिकाना और अच्छे हालात नहीं मिलते तो कुरआन के वायदे में शुब्हा करने के बजाय अपनी नीयत व इख़्लास और अमल की अच्छाई का जायज़ा ले, जिस पर ये वायदे किये गये हैं, तो उसको मालूम होगा कि कसूर अपना ही था, कहीं नीयत में ख़ोट होता है कहीं सब्र व जमाव और तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसे) की कमी होती है।

वतन छोड़ने और हिजरत की विभिन्न किस्में और उनके अहकाम

इमाम क़ुर्तुबी ने इस जगह हिजरत और वतन छोड़ने की किस्में और उनके कुछ अहकाम पर एक मुफ़ीद मज़मून तहरीर फ़रमाया है, फ़ायदे को पूर्ण करने के लिये उसको नक़ल करता हूँ।

इमाम क़ुर्तुबी ने इब्ने अरबी के हवाले से लिखा है कि वतन से निकलना और ज़मीन में सफ़र करना कभी तो किसी चीज़ से भागने और बचने के लिये होता है, और कभी किसी चीज़ की तलब व जुस्तजू के लिये, पहली किस्म का सफ़र जो किसी चीज़ से भागने और बचने के लिये हो उसको हिजरत कहते हैं, और उसकी छह किस्में हैं:

अव्वलः यानी दारुल-कुफ़्र (कुफ़्र के मक़ाम) से दारुल-इस्लाम (इस्लामी हुकूमत) की तरफ़ जाना। सफ़र की यह किस्म रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में भी फ़र्ज़ थी और क़ियामत तक अपनी हिम्मत व ताक़त के अनुसार फ़र्ज़ है (जबकि दारुल-कुफ़्र में अपने जान व माल और आबरू का अमन न हो, या दीनी फ़राईज़ की अदायेगी मुश्किन न हो), इसके बावजूद दारुल-हरब (मुसलमानों से लड़ने वालों और दुश्मनों) में मुक़ीम रहा तो गुनाहगार होगा।

दूसराः दारुल-बिदअत (दीन के नाम पर ग़लत रस्मों और खुराफ़ात के मक़ाम) से निकल जाना। इब्ने क़ासिम कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से सुना है कि किसी मुसलमान के लिये उस जगह में रहना और ठहरना हलाल नहीं जिसमें पहले बुजुर्गों और नेक लोगों पर लान-तान और बुरा-भला कहने का अमल किया जाता हो। इब्ने अरबी यह कौल नक़ल करके लिखते हैं कि यह बिल्कुल सही है क्योंकि अगर तुम किसी मुन्कर (बुराई) को दूर नहीं कर सकते तो तुम पर लाज़िम है कि खुद वहाँ से अलग हो जाओ, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ.

तीसरा सफ़र वह है कि जिस जगह पर हराम का ग़लबा हो, वहाँ से निकल जाना। क्योंकि हलाल का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है।

चौथा सफ़र जिस्मानी तकलीफ़ों से बचने के लिये। यह सफ़र जायज़ और अल्लाह तआला की तरफ़ से इनाम है कि इनसान जिस जगह दुश्मनों से जिस्मानी तकलीफ़ व सताने का ख़तरा महसूस करे वहाँ से निकल जाये, ताकि उस ख़तरे से निजात हो। यह चौथी किस्म का सफ़र सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, जबकि कौम की तकलीफ़ों से निजात हासिल करने के लिये इराक़ से मुल्के शाम की तरफ़ रवाना हुए और फ़रमाया 'इन्नी मुहाजिरुन् इला रब्बी'। उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा-ही एक सफ़र मिस्र से मद्यन की तरफ़ किया जैसा कि कुरआन पाक में है:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ.

पाँचवाँ सफ़र हवा पानी की ख़राबी और रोगों के ख़तरे से बचने के लिये है। इस्लामी शरीअत ने इसकी भी इजाज़त दी है जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ चरवाहों को मदीने से बाहर जंगल में ठहरने के लिये इरशाद फ़रमाया, क्योंकि शहरी हवा पानी उनको मुवाफ़िक़ न था। इसी तरह हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक़म भेजा था कि दारुल-ख़िलाफ़ा (राजधानी) उर्दुन से मुन्तक़िल करके किसी ऊँचे मक़ाम पर ले जायें जहाँ हवा पानी ख़राब न हो।

लेकिन यह उस वक़्त में है जब किसी मक़ाम पर ताऊन या वबाई बीमारियाँ फैली हुई न हों, और जिस जगह कोई वबा (महामारी) फैल जाये उसके लिये हुक़म यह है कि जो लोग उस जगह पहले से मौजूद हैं वे तो वहाँ से भागें नहीं, और जो बाहर हैं वे उसके अन्दर न जायें, जैसा कि हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को मुल्क शाम के सफ़र के वक़्त पेश आया कि शाम की सरहद पर पहुँचकर भालूम हुआ कि मुल्के शाम में ताऊन फैला हुआ है, तो आपको उस मुल्क में दाख़िल होने में पसोपेश हुआ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से निरंतर मशिवरों के बाद आख़िर में जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

إِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهَيِّطُوا عَلَيْهَا.

(رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح)

“जब किसी ख़िल्ले में ताऊन फैल जाये और तुम वहाँ मौजूद हो तो अब वहाँ से न निकलो और जहाँ तुम पहले से मौजूद नहीं वहाँ ताऊन फैलने की ख़बर सुनो तो उसमें दाख़िल न हो।”

उस वक़्त फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस के हुक़म पर अमल करते हुए पूरे काफ़िले को लेकर वापसी का ऐतान कर दिया।

कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि हदीस शरीफ़ के इस हुक़म में एक ख़ास हिक्मत यह भी है कि जो लोग उस जगह मुक़ीम हैं जहाँ कोई वबा फैल चुकी है वहाँ के लोगों में वबा के जरासीम का

मौजूद होने का ग़ालिब गुमान है, वे अगर यहाँ से भागेंगे तो जिसमें यह वबा का मादा दाखिल हो चुका है वह तो बचेगा नहीं, और जहाँ यह जायेगा वहाँ के लोग उससे ग्रस्त व प्रभावित होंगे, इसलिये यह हकीमाना (समझदारी का) फैसला फरमाया।

छठा सफ़र अपने माल की हिफ़ाज़त के लिये है। जब कोई शख्स किसी मक़ाम में चोरों, डाकुओं का ख़तरा महसूस करे तो वहाँ से मुन्तकिल हो जाये। इस्लामी शरीज़त ने इसकी भी इजाज़त दी है, क्योंकि मुसलमान के माल का भी ऐसा ही एहतियार है जैसा उसकी जान का है।

ये छह किस्में तो वतन को छोड़ने और उससे सफ़र करने की वो हैं जो किसी चीज़ से भागने और बचने के लिये किया गया हो, और जो सफ़र किसी चीज़ की तलब व जुस्तजू के लिये किया जाये उसकी नौ किस्में हैं:

1. इब्त लेने के लिये सफ़र: यानी दुनिया की सैर व सफ़र इस काम के लिये करना कि अल्लाह तआला की मख़जूक़त और कामिल क़ुदरत और पहली कौमों को देख करके इब्त (सबक व नसीहत) हासिल करे। कुरआने करीम ने ऐसे सफ़र की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है:

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

हज़रत जुल्करनैन के सफ़र को भी कुछ उलेमा ने इसी किस्म का सफ़र क़रार दिया है और कुछ ने फ़रमाया कि उनका सफ़र ज़मीन पर अल्लाह का क़ानून नाफ़िज़ करने के लिये था।

2. हज का सफ़र: इसका चन्द शर्तों के साथ इस्लामी फ़रीज़ा होना सब को मालूम है।

3. जिहाद का सफ़र: इसका फ़र्ज़ या वाजिब या मुस्तहब होना भी सब मुसलमानों को मालूम है।

4. रोज़गार के लिये सफ़र: जब किसी शख्स को अपने वतन में ज़रूरत के मुताबिक़ रोज़ी कमाने का मौक़ा हासिल न हो सके तो उस पर लाज़िम है कि वहाँ से सफ़र करके दूसरी जगह रोज़गार की तलाश करे।

5. व्यापारिक सफ़र: यानी ज़रूरत की मात्रा से ज़्यादा माल हासिल करने के लिये सफ़र करना यह भी शरई तौर पर जायज़ है। हक़ तआला का इरशाद है:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने से मुराद इस आयत में तिजारत है, अल्लाह तआला ने हज के सफ़र में भी तिजारत की इजाज़त दे दी है, तो तिजारत के लिये ही सफ़र करना कहीं बढ़कर जायज़ हुआ।

6. इल्म हासिल करने के लिये सफ़र: इसका दीन के ज़रूरत के मुताबिक़ फ़र्ज़-ए-ऐन (हर एक के लिये लाज़िमी फ़र्ज़) होना, और ज़रूरत से ज़्यादा का फ़र्ज़-ए-किफ़ाय़ा होना मालूम व परिचित है।

7. किसी मक़ाम को पवित्र और बरकत वाला समझकर उसकी तरफ़ सफ़र करना: यह सिवाय तीन मस्जिदों के दुरुस्त नहीं—

- (1) मस्जिद-ए-हराम (मक्का मुकर्रमा)।
- (2) मस्जिद-ए-नबवी (मदीना तथ्यिया)।
- (3) मस्जिद-ए-अक्सा (बैतुल-मुकद्दस)।

(यह अल्लामा कर्तुबी और इब्ने अरबी की राय है, दूसरे पहले और बाद के महान उलेमा ने अ़ाम वक्तिर और बरकत वाले भक़ामात की तरफ़ सफ़र करने को भी जायज़ करार दिया है। मुहम्मद शफ़ी)

8. इस्लामी सरहदों की हिफ़ाज़त के लिये सफ़र: जिसको रबात कहा जाता है, बहुत हदीसों में इसकी बड़ी फ़ज़ीलत बयान हुई है।

9. रिश्तेदारों, प्यारों और दोस्तों से मुलाक़ात के लिये सफ़र: हदीस में इसको भी अज़्र व सवाब का ज़रिया करार दिया गया है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में क़रीबी लोगों और दोस्तों की मुलाक़ात के लिये सफ़र करने वाले के लिये फ़रिश्तों की दुआ का ज़िक्र फ़रमाया गया है (यह जब है कि उनकी मुलाक़ात से अल्लाह तआला की रज़ा मक़सूद हो, कोई मादी गर्ज न हो) वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे कर्तुबी, पेज 349 से 351 जिल्द 5, सूर: निसा)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

व मा अरसल्ला मिन् क़ब्लि-क इल्ला
रिजालन्-नूही इलैहिम् फ़स्अलू
अह्लज़िज़िक्वि इन् कुन्तुम् ला तअलमून
(43) बिल्-बय्यिनाति वज़्जुबुरि, व
अन्ज़ल्ला इलैक़िज़िक्-र लितुबय्यि-न
लिन्नासि मा नुज़िज़-ल इलैहिम् व
लअल्लहुम् य-तफ़क्करुन (44) ●

और तुझसे पहले भी हमने यही मर्द भेजे थे कि हुक्म भेजते थे हम उनकी तरफ़ सो पूछो याद रखने वालों से अगर तुमको मालूम नहीं। (43) भेजा था उनको निशानियाँ देकर और पन्ने, और उतारी हमने तुझ पर यह याददाश्त कि तू खोल दे लोगों के सामने वह चीज़ जो उतारी उनके वास्ते ताकि वे ग़ौर करें। (44) ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ये मुन्किर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत का इस बुनियाद पर इनकार कर रहे हैं कि आप बशर और इनसान हैं, और नबी व रसूल उनके नज़दीक कोई इनसान व बशर न होना चाहिये, यह उनका जाहिलाना ख़्याल है क्योंकि) हमने आप से पहले सिर्फ़ आदमी ही रसूल बनाकर मोजिज़े और किताबें देकर भेजे हैं, कि हम उन पर वही भेजा करते थे (तो ऐ मक्का वालो इनकारियो!) अगर तुमको इल्म नहीं तो दूसरे जानने वालों से पूछ लो (जिनको पिछले नबियों के हालात का इल्म हो और वे तुम्हारे ख़्याल में भी मुसलमानों

की तरफ़दारी न करें, और इसी तरह आपको भी रसूल बनाकर) आप पर भी यह क़ुरआन उतारा है, ताकि जो हिदायतें (आपके माध्यम से) लोगों के पास भेजी गई हैं वो हिदायतें आप उनको स्पष्ट करके समझा दें, और ताकि वे ग़ौर व फ़िक्र (सोच-विचार) किया करें।

मज़ारिफ़ व मसाईल

तफ़सीर रूहुल-मआनी में है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद मक्का के मुशिरकों ने अपने कासिद (प्रतिनिधि) मदीना तय्यिबा के यहूदियों के पास असल बात मालूम करने के लिये भेजे कि क्या वाकई यह बात है कि पहले भी तमाम नबी इनसानी नस्ल से ही होते आये हैं।

अगरचे लफ़ज़ अह्लज़िज़िक्किर में अहले किताब (यहूदी व ईसाई) और मोमिन हज़रत सब दाख़िल थे मगर यह ज़ाहिर है कि मुशिरकों का इत्मीनान ग़ैर-मुस्लिमों ही के बयान से हो सकता था क्योंकि वे खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात पर मुत्मइन नहीं थे तो दूसरे मुसलमानों की बात कैसे मान सकते थे।

अह्लज़िज़िक्कः लफ़ज़ जि़क़ चन्द मायनों के लिये इस्तेमाल होता है, उनमें से एक मायने इल्म के भी हैं, इसी मुनासबत से क़ुरआने करीम में तौरात को भी जि़क़ फ़रमाया है:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ

और क़ुरआने करीम को भी जि़क़ के लफ़ज़ से ताबीर फ़रमाया है जैसा कि इसके बाद वाली आयत 'अन्ज़ल्ला इलैकज़िज़्कूर' में क़ुरआन मुराद है। इसलिये अहले जि़क़ के लफ़ज़ी मायने इल्म वालों के हुए, और यहाँ इल्म वालों से कौन लोग मुराद हैं इसमें ज़ाहिर यह है कि अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) के उलेमा मुराद हैं। यह कौल हज़रत इब्ने अब्बास, हसन बसरी, सुददी वग़ैरह का है, और कुछ हज़रत ने इस जगह भी जि़क़ से क़ुरआन मुराद लेकर अहले जि़क़ की तफ़सीर अहले क़ुरआन (क़ुरआन वालों) से की है। इसमें ज़्यादा स्पष्ट बात रमानी, जुजाज, अज़हरी की है, वे कहते हैं:

المراد باهل الذكر علماء اخبار الامم السالفة كانوا من كان فالذکر بمعنى الحفظ كانه قيل اسالوا

المطالعین علی اخبار الامم يعلمو کم بذلك.

तर्जुमा: अहले-जि़क़ से मुराद पहले गुज़री उम्मतों और कौमों के हालात से वाकिफ़ लोग हैं, वह कोई भी हो, तो यहाँ जि़क़ याददाश्त और जानकारी के मायने में है और गोया यह कहा गया है कि पहली उम्मतों के हालात के जानकारों से मालूम कर लो वे तुमको इसके बारे में बतला देंगे। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

इस तहकीक़ की बिना पर इसमें अहले किताब भी दाख़िल हैं और क़ुरआन वाले भी।

बय्यिनात के मायने मारूफ़ व परिचित के हैं और यहाँ इससे मुराद मोजिजे हैं, जुबुर दर असल ज़-बरह की जमा (बहुवचन) है जो लोहे के बड़े टुकड़ों के लिये बोला जाता है जैसा कि क़ुरआन पाक में फ़रमाया:

أَتَى زَيْرَ الْحَلِيدِ.

दुकड़ों को जोड़ने की मुनासबत से लिखने को ज़बर कहा जाता है और लिखी हुई किताब को जिब्र और ज़बूर बोलते हैं। यहाँ इससे मुराद अल्लाह तआला की किताब है, जिसमें तौरात, इन्जील, ज़बूर, कुरआन सब दाखिल हैं।

गैर-मुज्ताहिद पर मुज्ताहिद इमामों की पैरवी वाजिब है

उक्त आयत का यह जुमला:

فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(जानने वालों से मालूम कर लो अगर तुमको इल्म न हो) इस जगह अगरचे एक ख़ास मज़मून के बारे में आया है मगर अलफ़ाज़ आम हैं जो तमाम मामलात को शामिल हैं। इसलिये कुरआनी अन्दाज़ के एतिबार से दर हकीकत यह एक अहम उसूल व नियम है जो अक्ली भी है और रिवायती व किताबी भी, कि जो लोग अहकाम को नहीं जानते वे जानने वालों से पूछकर अमल करें, और न जानने वालों पर फ़र्ज़ है कि जानने वालों के बतलाने पर अमल करें, इसी का नाम तकलीद (पैरवी और अनुसरण) है, यह कुरआन का स्पष्ट हुक्म भी है और अक्ली तौर पर भी इसके सिवा अमल को आम करने की कोई सूरत नहीं हो सकती।

उम्मत में सहाबा के दौर से लेकर आज तक बिना मतभेद इसी उसूल व नियम पर अमल होता आया है, जो तकलीद (पैरवी) के इनकारी हैं वे भी इस तकलीद का इनकार नहीं करते कि जो लोग अज़लिम नहीं वे उलेमा से फतवा लेकर अमल करें, और यह ज़ाहिर है कि नावाकिफ़ अ़वाम को उलेमा अगर कुरआन व हदीस की दलीलें बतला भी दें तो वे उन दलीलों को भी उन्हीं उलेमा के भरोसे और विश्वास पर क़बूल करेंगे, उनमें खुद दलीलों को समझने और परखने की काबलियत तो है नहीं, और तकलीद इसी का नाम है कि न जानने वाला किसी जानने वाले के एतिमाद (भरोसे) पर किसी हुक्म को शरीअत का हुक्म क़रार देकर अमल करे, यह तकलीद वह है जिसके जायज़ होने बल्कि वाजिब होने में किसी मतभेद की गुन्जाईश नहीं, अलबत्ता वे उलेमा जो खुद कुरआन व हदीस को और इजमा के मौकों को समझने की काबलियत रखते हैं उनको ऐसे अहकाम में जो कुरआन व हदीस में स्पष्ट और खुले तौर पर बयान हुए हैं और सहाबा व ताबिईन में के उलेमा के बीच उन मसाईल में कोई मतभेद भी नहीं, उन अहकाम में वे उलेमा डायरेक्ट कुरआन व हदीस और इजमा पर अमल करें, उनमें उलेमा को किसी मुज्ताहिद की पैरवी की ज़रूरत नहीं। लेकिन वे अहकाम व मसाईल जो कुरआन व सुन्नत में स्पष्ट तौर पर बयान नहीं या जिनमें कुरआनी आयतों और हदीस की रिवायतों में बज़ाहिर कोई टकराव नज़र आता है, या जिनमें सहाबा व ताबिईन के बीच कुरआन व सुन्नत के मायने मुतैयन करने में मतभेद पेश आया है, ये मसाईल व अहकाम इज्तिहाद और गहरे गौर व फ़िक्र के मोहताज़ होते हैं, उनको इस्तिलाह (परिभाषा) में मुज्ताहद फ़ीह मसाईल कहा जाता है। उनका हुक्म यह

है कि जिस अल्लिम को दर्जा-ए-इज्तिहाद (कुरआन व हदीस से मसाईल व अहकाम निकालने की महारत व सलाहियत) हासिल नहीं उसको भी उन मसाईल में किसी मुज्ताहिद इمام की पैरवी करना ज़रूरी है, सिर्फ अपनी जाती राय के भरोसे पर एक आयत या रिवायत को तरजीह देकर अपना लेना और दूसरी आयत या रिवायत को ग़ैर-वरीयता प्राप्त करार देकर छोड़ देना उसके लिये जायज़ नहीं।

इसी तरह जो अहकाम कुरआन व सुन्नत में स्पष्ट रूप से ज़िक्र नहीं किये गये उनको कुरआन व सुन्नत के बयान किये हुए उसूल के मुताबिक़ निकालना और उनका शर्इ हुक्म मुतैयन करना यह भी उन्हीं उम्मत के मुज्ताहिदों का काम है जिनको अरबी भाषा, अरबी लुग़त और मुहावरों और इस्तेमाल के तरीकों का तथा कुरआन व सुन्नत से संबन्धित तमाम उलूम का मेयारी इल्म और तक्वा व परहेज़गारी का ऊँचा मक़ाम हासिल हो, जैसे इمام-ए-आज़म अबू हनीफ़ा रस्मतुल्लाहि अलैहि, इمام शाफ़ई रस्मतुल्लाहि अलैहि, इمام मालिक, रस्मतुल्लाहि अलैहि, इمام अहमद बिन हंबल रस्मतुल्लाहि अलैहि या इمام औज़ाई रस्मतुल्लाहि अलैहि, फकीह अबुल्लैस रस्मतुल्लाहि अलैहि वगैरह, जिनमें हक़ तआला ने नुबुव्वत के ज़माने की निकटता और सहाबा व ताबिईन की सोहबत की बरकत से शरीअत के उसूल व मक़ासिद समझने का ख़ास जौक़ (तबई सलाहियत और महारत) और स्पष्ट तौर पर बयान हुए अहकाम से ग़ैर-स्पष्ट अहकाम को क़ियास करके हुक्म निकालने का ख़ास सलीक़ा अता फ़रमाया था, ऐसे इज्तिहादी मसाईल में आम उलेमा को भी मुज्ताहिद इमामों में से किसी की पैरवी करना लाज़िम है, मुज्ताहिद इमामों के खिलाफ़ कोई नई राय इख़्तियार करना ख़ता (ग़लती और चूक) है।

यही वजह है कि उम्मत के बड़े उलेमा, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा इمام ग़ज़ाली, इمام तिर्मिज़ी, इمام तहावी, इمام मुज़नी, इمام इब्ने हम्माम, इمام इब्ने किदामा और इसी मेयार के लाखों पहले और बाद के उलेमा बावजूद अरबी और शर्इ उलूम की आला महारत हासिल होने के ऐसे इज्तिहादी मसाईल पर हमेशा मुज्ताहिद इमामों की पैरवी ही के पाबन्द रहे हैं, सब मुज्ताहिदीन के खिलाफ़ अपनी राय से कोई फ़तवा देना जायज़ नहीं समझा।

अलबत्ता इन हज़रात को इल्म व तक्वे का वह मेयारी दर्जा हासिल था कि मुज्ताहिदीन के अक़वाल और रायों को कुरआन व सुन्नत की दलीलों से जाँचते और परखते थे, फिर मुज्ताहिद इमामों में से जिस इمام के कौल को वे किताब व सुन्नत के क़रीब पाते उसको इख़्तियार कर लेते थे, मगर मुज्ताहिद इमामों के मस्तक से बाहर निकलना और उन सब के खिलाफ़ कोई राय कायम करना हरगिज़ जायज़ न जानते थे, तक़लीद (पैरवी) की असल हकीक़त इतनी ही है।

उसके बाद दिन-ब-दिन इल्म का मेयार घटता गया और तक्वा व खुदातर्सी के बजाय नफ़्सानी स्वार्थ ग़ालिब आने लगे, ऐसी हालत में अगर यह आज़ादी दी जाये कि जिस मसले में चाहें किसी दूसरे का कौल ले लें तो इसका लाज़िमी असर यह होना था कि लोग शरीअत की पैरवी का नाम लेकर अपनी इच्छा की पैरवी में मुब्तला हो जायें, कि जिस इمام के कौल में अपनी नफ़्सानी गर्ज़ पूरी होती नज़र आये उसको इख़्तियार कर लें, और यह ज़ाहिर है कि ऐसा

करना कोई दीन व शरीअत की पैरवी नहीं होगी बल्कि अपनी इच्छा और गुर्जों की पैरवी होगी जो उम्मत की सर्वसम्मति से हराम है। अल्लामा शातबी ने मुवाफ़क़ात में इस पर बड़ी तफ्सील से कलाम किया है, और इमाम इब्ने तैमिया ने भी आ़म तकलीद की मुख़ालफ़त के बावजूद इस तरह के इतिबा (पैरवी) को अपने फ़तावा में तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से हराम कहा है, इसलिये बाद के फ़ुक़हा (मसाईल और क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) ने यह ज़रूरी समझा कि अमल करने वालों को किसी एक ही मुज्ताहिद इमाम की पैरवी का पाबन्द करना चाहिये, यहीं से व्यक्तिगत पैरवी का आगाज़ हुआ जो दर हकीक़त एक इन्तिज़ामी हुक़म है, जिससे दीन का इन्तिज़ाम कायम रहे और लोग दीन की आड़ में नफ़स व इच्छा की पैरवी के शिकार न हो जायें। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है जो हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा की सर्वसम्मति से क़ुरआन के सात लुगात में से सिर्फ़ एक लुगत को ख़ास कर देने में किया, कि अगरचे सातों लुगात क़ुरआन ही के लुगात थे, जिब्रीले अमीन के ज़रिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इच्छा के अनुसार नाज़िल हुए मगर जब क़ुरआने करीम अज़म (अरब से बाहर के इलाकों) में फैला और विभिन्न लुगात में पढ़ने से क़ुरआन में रद्दोबदल का ख़तरा महसूस किया गया तो तमाम सहाबा की राय से मुसलमानों पर लाज़िम कर दिया गया कि सिर्फ़ एक ही लुगत में क़ुरआन लिखा और पढ़ा जाये। हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी एक लुगत के मुताबिक़ तमाम मुसाहिफ़ (क़ुरआन की प्रतियाँ) लिखवाकर दुनिया के कोने-कोने में भिजवा दिये, और आज तक पूरी उम्मत उसी की पाबन्द है। इसके यह मायने नहीं कि दूसरे लुगात हक़ नहीं थे, बल्कि दीन के इन्तिज़ाम और क़ुरआन की रद्दोबदल से हिफ़ाज़त की बिना पर सिर्फ़ एक लुगत इख़्तियार कर लिया गया। इसी तरह मुज्ताहिद इमाम सब हक़ पर हैं उनमें से किसी एक को तकलीद (पैरवी) के लिये मुक़र्रर करने का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि जिस मुक़र्रर इमाम की पैरवी किसी ने इख़्तियार की है उसके नज़दीक़ दूसरे इमाम पैरवी के काबिल नहीं, बल्कि अपनी बेहतरी व आसानी जिस इमाम की पैरवी में देखी उसी को इख़्तियार कर लिया और दूसरे इमामों को भी इसी तरह वाजिबुल-एहतिराम (सम्मानिय) समझा।

और यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीमार आदमी को शहर के हकीम और डॉक्टरों में से किसी एक ही को अपने इलाज के लिये मुतैयन करना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बीमार अपनी राय से कभी किसी डॉक्टर से पूछकर दवा इस्तेमाल करे कभी किसी दूसरे से पूछकर यह उसकी हलाक़त का सबब होता है। वह जब किसी डॉक्टर का चयन अपने इलाज के लिये करता है तो उसका यह मतलब हरगिज़ नहीं होता कि दूसरे डॉक्टर माहिर नहीं, या उनमें इलाज की सलाहियत नहीं।

हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हंबली की जो तक़सीम उम्मत में कायम हुई इसकी हकीक़त इससे ज़्यादा कुछ न थी। इसमें फ़िर्का बन्दी और ग़िरोह बन्दी का रंग और आपसी झगड़े व बिख़राव की गर्म बाज़ारी न कोई दीन का काम है न कभी दीनी समझ रखने वाले और हक़ परस्त उलेमा ने इसे अच्छा समझा है। कुछ उलेमा के कलाम में इल्मी बहस व तहकीक़ ने मुनाज़रे का रंग

इख्तियार कर लिया, और बाद में ताने व कटाक्ष तक की नौबत आ गई, फिर जाहिलाना लड़ाई व झगड़े ने वह नौबत पहुँचा दी जो आज उमूमन दीनदारी और मज़हब पसन्दी का निशान बन गया। अब किस से शिकायत की जाये बस अल्लाह ही की तरफ़ फ़रियाद के हाथ उठाये जा सकते हैं और तमाम ताक़त व कुव्वत उसी बुलन्द व अज़ीम ज़ात के हाथ में है।

तंबीह: तफ़लीद व इज्तिहाद. (किसी दूसरे इमाम व अ़ल्लिम की पैरवी या खुद कुरआन व हदीस में ग़हरे गौर व फ़िक्र करके मसाईल व अहकाम निकालने) के बारे में जो कुछ यहाँ लिखा गया वह इस मसले का बहुत मुख़्तसर खुलासा है जो आम मुसलमानों के समझने के लिये काफी है, अ़ल्लिमाना तहकीकात व तफ़सीलात उसूले फ़िक्का (मसाईल) की किताबों में विस्तृत मौजूद हैं, ख़ुसूसन 'किताबुल-मुवाफ़कात' अ़ल्लामा शातबी जिल्द चार बाबुल-इज्तिहाद, और अ़ल्लामा सैफ़ुद्दीन आमदी की किताब 'अहकामुल-अहकाम' जिल्द तीन, मुज्ताहिदीन के बारे में तीसरा कायदा, हज़रत शाह वलीयुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि की किताबें 'हुज्जतुल्लाहिल-बालिगा' और 'रिसाला अ़क़दुल-जीद' और आख़िर में हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि की 'किताबुल-इक़िताद फिल्लक़लीद वल-इज्तिहाद' इस मसले में ख़ास तौर से पढ़ने के काबिल हैं, उलेमा इनकी तरफ़ रज़ू फ़रमायें।

कुरआन समझने के लिये हदीसे रसूल ज़रूरी है, हदीस का इनकार दर हकीकत कुरआन का इनकार है

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

इस आयत में ज़िक्र से मुराद सबके नज़दीक कुरआने करीम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस आयत में पाबन्द फ़रमाया है कि आप कुरआन की नाज़िल हुई आयतों का बयान और वज़ाहत (व्याख्या) लोगों के सामने कर दें। इसमें इस बात का ख़ुला सुबूत है कि कुरआने करीम के मायनों, मतलब, तथ्यों और अहकाम का सही समझना रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बयान पर मौक़ूफ़ है, अगर हर इनसान सिर्फ़ अरबी भाषा और अरबी साहित्य से वाकिफ़ होकर कुरआन के अहकाम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक़ समझने पर कादिर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बयान व खुलासे की ख़िदमत सुपर्द करने के कोई मायने नहीं रहते।

अ़ल्लामा शातबी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने मुवाफ़कात में पूरी तफ़सील से साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नत पूरी की पूरी अल्लाह की किताब का बयान (तफ़सीर व व्याख्या) है, क्योंकि कुरआने करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में फ़रमाया है:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

और हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस ख़ुलुक-ए-अज़ीम की तफ़्सीर यह फ़रमाई 'का-न ख़ुलुकुहुल-कुरआनु'। इसका हासिल यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो भी कोई कौल व फ़ैल साबित है वो सब कुरआन ही के इरशादात हैं। कुछ तो ज़ाहिरी तौर पर किसी आयत की तफ़्सीर व वज़ाहत होते हैं, जिनको आम इल्म वाले जानते हैं और कुछ जगह बज़ाहिर कुरआन में उसका कोई ज़िक्र नहीं होता मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल मुबारक में वही (अल्लाह के पैग़ाम) के तौर पर उसको डाला जाता है, वह भी एक हैसियत से कुरआन ही के हुक्म में होता है, क्योंकि कुरआन के बयान के अनुसार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई बात अपनी इच्छा से नहीं होती बल्कि हक़ तआला की तरफ़ से वही होती है, जैसा कि कुरआने पाक में फ़रमाया:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमाम इबादतें, मामलात, अख़्लाक, आदतें सब की सब अल्लाह की वही और कुरआन के हुक्म में हैं, और जहाँ कहीं आपने अपने इज्तिहाद (ग़ौर व फ़ि़क़, ज़ेहनी कोशिश) से कोई काम किया है तो आख़िरकार अल्लाह की वही (पैग़ाम) से या तो उस पर कोई नकीर न करने से उसको सही करार दिया और उसकी ताईद कर दी जाती है, इसलिये वह भी अल्लाह की वही के हुक्म में हो जाता है।

ख़ुलासा यह है कि इस आयत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने का मक़सद कुरआन की तफ़्सीर व बयान को करार दिया है, जैसा कि सूर: जुमुआ वग़ैरह की अनेक आयतों में किताब की तालीम के अलफ़ाज़ से नुबुव्वत के इस मक़सद को ज़िक्र किया गया है। अब हदीस का वह ज़ख़ीरा जिसको सहाबा व ताबिईन से लेकर बाद के उलेमा व बुजुर्गों और मुहद्दीसीन तक उम्मत के बा-कमाल अफ़राद ने अपनी जानों से ज़्यादा हिफ़ाज़त करके उम्मत तक पहुँचाया है, और उसकी छान-बीन में उम्रें ख़र्च करके हदीस की रिवायतों के दर्जे कायम कर दिये हैं, और जिस रिवायत को सनद की हैसियत से इस दर्जे का नहीं पाया कि उस पर शरीअत के अहक़ाम की बुनियाद रखी जाये उसको हदीस के ज़ख़ीरे से अलग करके सिर्फ़ उन रिवायतों पर मुस्तक़िल किताबें लिख दी हैं जो उम्र भर की तन्कीदों (छान-बीन, आलोचनाओं) और तहकीकात के बाद सही और काबिले एतिमाद साबित हुई हैं।

अगर आज कोई शख्स हदीस के इस ज़ख़ीरे को किसी हीले-बहाने से नाकाबिले विश्वास कहता है तो इसका साफ़ मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुरआन के इस हुक्म की ख़िलाफ़वर्जी (उल्लंघन) की कि कुरआन के मज़ामीन को बयान नहीं किया, या यह कि आपने तो बयान किया था मगर वह कायम व महफूज़ नहीं रहा, दोनों सूरतों में कुरआन बहैसियत मायने के महफूज़ न रहा, जिसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी खुद हक़ तआला ने अपने ज़िम्मे रखी है, जैसा कि फ़रमाया:

وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۖ

उसका यह दावा इस कुरआनी बयान व दज़ाहत के खिलाफ़ है। इससे साबित हुआ कि जो शरख़ सुन्नते रसूल (यानी हदीसे पाक) को इस्लाम की हुज्जत मानने से इनकार करता है वह दर हकीकत कुरआन ही का इनकारी है। नऊजु बिल्लाह।

أَقَامَنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۗ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرْؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

अ-फ़-अमिनल्लज़ी-न म-करुस-
सटियआति अंटयख़िसफ़ ल्लाहु
बिहिमुल्-अर-ज़ औ यअति-यहुमुल्-
अज़ाबु मिन् हैसु ला यश्रुसुन (45)
औ यअख़ु-ज़हुम् फी तकल्लुबिहिम्
फ़मा हुम् बिमुज़्जिज़ीन (46) औ
यअख़ु-ज़हुम् अला तख़ाव्वुफ़िन्
फ़इन्-न रब्बकुम् ल-रऊफ़ुरहीम (47)

सो क्या निडर हो गये वे लोग जो बुरे
फ़रेब करते हैं इससे कि धंसा देवे
अल्लाह उनको ज़मीन में या आ पहुँचे
उनपर अज़ाब जहाँ से ख़बर न रखते हों।
(45) या पकड़ ले उनको चलते फिरते सो
वे नहीं हैं अज़िज़ करने वाले। (46) या
पकड़ ले उनको डराने के बाद, सो
तुम्हारा रब बड़ा नर्म है, मेहरबान। (47)

खुलासा-ए-तफ्सीर

जो लोग (दीने हक़ के बातिल करने को) बुरी-बुरी तदबीरें करते हैं (कि कहीं इसमें शुब्हे व एतिराज़ निकालते हैं और हक़ का इनकार करते हैं जो कि गुमराह होना है, कहीं दूसरों को रोकते हैं जो कि गुमराह करना है) क्या ऐसे लोग (ये कार्रवाईयाँ करके) फिर भी इस बात से बेफ़िक़्र (बैठे हुए) हैं कि अल्लाह तआला उनको (उनके कुफ़्र के वबाल में) ज़मीन में धंसा दे, या उन पर ऐसी जगह से अज़ाब आ पड़े जहाँ से उनको गुमान भी न हो (जैसे जंगे-बदर में ऐसे बिना हथियार व सामान वाले मुसलमानों के हाथ से उनको सज़ा मिली कि कभी उनके दिमाग़ व अक्ल में भी इसका गुमान न होता कि ये हम पर ग़ालिब आ सकेंगे)। या उनको चलते-फिरते (किसी आफ़त में) पकड़ ले (जैसे कोई बीमारी ही अचानक आ खड़ी हो) सो (अगर इन बातों में से कोई बात हो जाये तो) ये लोग खुदा को हरा (भी) नहीं सकते। या उनको घटाते-घटाते पकड़ ले (जैसे सूखा और महामारी का शिकार होकर धीरे-धीरे ख़ात्मा हो जाये। यानी निडर होना नहीं चाहिये, खुदा को सब कुदरत है, मगर मोहलत जो दे रखी है) सो (इसकी वजह यह है कि) तुम्हारा रब बड़ा शफ़ीक़ व मेहरबान है (इसलिये मोहलत दी है कि अब भी समझ जाओ और

कामयाबी और निजात का तरीका इस्तियार कर लो)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में काफ़िरों को आख़िरत के अज़ाब से डराया गया था:

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزَوْنَہُمْ

इन आयतों में उनको इससे डराया गया है कि यह भी हो सकता है कि आख़िरत के अज़ाब से पहले दुनिया में भी अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाओ, जिस ज़मीन पर बैठे हो उसी के अन्दर धसा दिये जाओ, या और किसी बेगुमान रास्ते से अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाओ, जैसे जंगे बदर में एक हजार हथियार बन्द बहादुर नौजवानों को चन्द बिना सामान व हथियार के मुसलमानों के हाथ से ऐसी सज़ा मिली जिसका उनको कभी वहम व गुमान भी न हो सकता था, या यह भी हो सकता है कि चलते-फिरते अल्लाह के किसी अज़ाब में पकड़े जाओ कि कोई जानलेवा बीमारी आ खड़ी हो या किसी ऊँची जगह से गिरकर या किसी सख्त चीज़ से टकराकर हलाक हो जाओ, और अज़ाब की यह सूरत भी हो सकती है कि अचानक अज़ाब न आये मगर माल व सेहत, तन्दुरुस्ती और राहत व सुकून के सामान घटते चले जायें, इसी तरह घटाते-घटाते उस कौम का ख़ात्मा हो जाये।

लफ़्ज़ तख़व्वुफ़ जो इस आयत में आया है बज़ाहिर ख़ौफ़ से निकला है, और कुछ हज़रते मुफ़स्सिरान ने इसी मायने के एतिबार से यह तफ़सीर की है कि एक जमाअत को अज़ाब में पकड़ा जाये ताकि दूसरी जमाअत डर जाये, इसी तरह दूसरी जमाअत को अज़ाब में पकड़ा जाये जिससे तीसरी जमाअत डर जाये, यँ ही डराते-डराते सब का ख़ात्मा हो जाये।

मगर मुफ़स्सिर-ए-कुरआन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह तफ़सीर के इमामों ने यहाँ लफ़्ज़ तख़व्वुफ़ को तन्क्कुस के मायने में लिया है और इसी मायने के एतिबार से तर्जुमा घटाते-घटाते किया गया है।

हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस लफ़्ज़ के मायने में दुविधा पेश आई तो आपने मिम्बर पर खड़े होकर सहाबा को खिताब करके फ़रमाया कि लफ़्ज़ तख़व्वुफ़ के आप क्या मायने समझते हैं? आ़म मजमा ख़ामोश रहा मगर कबीला हुज़ैल के एक शख़्स ने अर्ज किया कि अमीरुल् मोमिनीन! यह हमारे कबीले का ख़ास लुगत है, हमारे यहाँ यह लफ़्ज़ तन्क्कुस (घटाने और कमी करने) के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी धीरे-धीरे घटाना। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि क्या अरब के लोग अपनी कविताओं में यह लफ़्ज़ तन्क्कुस के मायने में इस्तेमाल करते हैं, उसने अर्ज किया कि हाँ, और अपने कबीले के शायर अबू कबीर हज़ली का एक शेर पेश किया, जिसमें यह लफ़्ज़ आहिस्ता-आहिस्ता घटाने के मायने में लिया गया है। इस पर हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि लोगो! तुम जाहिलीयत के दौर का

इल्म हासिल करो क्योंकि उसमें तुम्हारी किताब की तफ्सीर और तुम्हारे कलाम के मायने का फैसला होता है।

क़ुरआन समझने के लिये मामूली अरबी जानना काफी नहीं

इससे एक बात तो यह साबित हुई कि मामूली तौर पर अरबी भाषा बोलने लिखने की काबिलियत क़ुरआन समझने के लिये काफी नहीं, बल्कि उसमें इतनी महारत और वाकफ़ियत ज़रूरी है जिससे पुराने अरब जाहिलीयत के कलाम को पूरा समझा जा सके, क्योंकि क़ुरआने करीम उसी भाषा और उन्हीं के मुहावरों में नाज़िल हुआ है। इस दर्जे का अरबी अदब (साहित्य) सीखना मुसलमानों पर लाज़िम है।

अरबी अदब सीखने के लिये जाहिलीयत के शायरों का कलाम

पढ़ना जायज़ है अगरचे वह ख़ुराफ़ात पर आधारित हो

इससे यह भी मालूम हुआ कि क़ुरआने करीम को समझने के लिये ज़माना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले दौर) की अरबी भाषा और उसका लुगत व मुहावरे समझने के लिये जाहिलीयत के शायरों का कलाम पढ़ना जायज़ है, अगरचे यह ज़ाहिर है कि जाहिलीयत के शायरों का कलाम जाहिलाना रस्मों और ख़िलाफ़े इस्लाम जाहिलाना कामों व आमाल को शामिल होगा मगर क़ुरआन समझने की ज़रूरत से उसको पढ़ना-पढ़ाना जायज़ करार दिया गया।

दुनिया का अज़ाब भी एक तरह की रहमत है

उक्त आयतों में दुनिया के विभिन्न प्रकार के अज़ाबों का ज़िक्र करने के बाद आयत के समापन पर फ़रमाया:

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ

इसमें अब्बल तो लफ़्ज़ रब से इस तरफ़ इशारा किया गया है कि दुनिया के अज़ाब इनसान को सचेत करने के लिये रब होने की शान के तकाज़े से हैं, फिर लामे ताकीद के साथ हक़ तअ़ाला का मेहरबान होना बतलाकर इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि दुनिया की चेतावनियाँ दर हकीकत शफ़क़त ही के तकाज़े से हैं ताकि ग़ाफ़िल इनसान सचेत होकर अपने आमाल की इस्ताह (सुधार) कर ले।

«أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّهُ إِظْلَمَ لَهُ عَيْنَ الْبُيُوتِ وَالشَّمَاكِلِ مُجْتَدًا يَلْتَوِي
وَهُمْ ذُرِّيُّونَ ۗ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكِرُونَ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لِلْهِنِ اثْنَيْنِ إِنَّهَا هُوَالَةُ

अन्कुम् इजा फरीकुम्-मिन्कुम्
 विरब्बिहिम् युशिरकून (54) लियक्फुरू
 बिमा आतैनाहुम्, फ-तमत्तअ
 फसौ-फ तअलमून (55) व
 यजअलून लिमा लौ यअलमून
 नसीबम् मिम्मा रजकनाहुम्, तल्लाहि
 लतुसअलुनून अम्मा कुन्तुम् तफतरून
 (56) व यजअलून लिल्लाहिल्-
 बनाति सुब्हानहू व लहुम् मा
 यशतहून (57)

उसी वक़्त एक फ़िर्का तुम में से अपने
 रब के साथ लगता है शरीक बतलाने।
 (54) ताकि इनकारी हो जायें उस चीज़
 से जो कि उनको दी है, सो मजे उड़ा लो
 आझिर मालूम कर लोगे। (55) और
 ठहराते हैं उनके लिये जिनकी ख़बर नहीं
 रखते एक हिस्सा हमारी दी हुई रोज़ी में
 से, कसम अल्लाह की तुमसे पूछना है जो
 तुम बोहतान बाँधते हो। (56) और
 ठहराते हैं अल्लाह के लिये बेटियाँ वह
 इससे पाक है, और अपने लिये जो दिल
 चाहता है। (57)

खुलासा-ए-तफसीर

क्या (उन) लोगों ने अल्लाह की उन पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखा (और देखकर तौहीद
 पर दलील नहीं पकड़ी) जिनके साये कभी एक तरफ़ को कभी दूसरी तरफ़ को इस अन्दाज़ से
 झुक जाते हैं कि (बिल्कुल) खुदा के (हुक्म के) ताबे "अधीन" हैं (यानी साये के असबाब जो
 कि सूरज का नूरानी होना और सायेदार जिस्म का कसीफ़ होना है और साये की हरकत का
 सबब जो कि सूरज की हरकत है, फिर साये की विशेषतायें, यह सब अल्लाह के हुक्म से हैं),
 और वो (सायेदार) चीज़ें भी (अल्लाह के रू-ब-रू) आज़िज़ (और हुक्म के ताबे) हैं। और (जिस
 तरह ये ज़िक्र हुई चीज़ें जिनमें इरादी हरकत नहीं जैसा कि 'ढलने' की निस्बत साये की तरफ़
 इसका इशारा है, क्योंकि इरादी हरकत में साये की हरकत खुद उस इरादे से हरकत करने वाले
 की हरकत से होती है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, इसी तरह) अल्लाह तआला ही के (हुक्म के)
 ताबे हैं जितनी चीज़ें (अपने इरादे से) चलने वाली आसमानों में (जैसे फ़रिश्ते) और ज़मीन में
 (जैसे जानदार) मौजूद हैं, और (ख़ास तौर पर) फ़रिश्ते (भी), और वे (फ़रिश्ते बावजूद अपने
 रुतबे और मक़ाम की बुलन्दी के अल्लाह की फ़र्माँबरदारी से) तकब्बुर नहीं करते (और इसी
 लिये ख़ास तौर पर उनका ज़िक्र किया गया जबकि वे 'मा फ़िस्समावाति' "यानी जो कुछ
 आसमानों में है" में दाख़िल थे)। वे अपने रब से डरते हैं जो कि उन पर हाकिम है, और उनको
 जो कुछ (खुदा की तरफ़ से) हुक्म किया जाता है वे उसको करते हैं।

और अल्लाह ने (शरई कानून के पाबन्द तमाम लोगों को रसूलों के वास्ते से) फरमाया है कि दो (या ज़्यादा) माबूद मत बनाओ, पस एक माबूद ही है (और जब यह बात है) तो तुम लोग ख़ास मुझ ही से डरा करो (क्योंकि जब माबूद होना मेरे साथ ख़ास है तो जो-जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं जैसे कामिल कुदरत वाला होना वगैरह वो भी मेरे ही साथ ख़ास होंगी, तो इन्तिकाम वगैरह का ख़ौफ़ मुझ ही से होना चाहिये, और शिर्क इन्तिकाम को दावत देने वाली चीज़ है, पस शिर्क न करना चाहिये)। और उसी की (मिल्क) हैं सब चीज़ें जो कुछ कि आसमानों और ज़मीन में हैं, और लाज़िमी तौर पर इताअत बजा लाना उसी का हक़ है (यानी वही इस बात का मुस्तहिक़ है कि सब उसकी इताअत बजा लायें, जब यह बात साबित है) तो क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो (और उनसे डरकर उनको पूजते हो)?

और (जैसे कि डरने के काबिल सिवाय खुदा के कोई नहीं ऐसे ही नेमत देने वाला और उम्मीद के काबिल सिवाय खुदा के कोई नहीं, चुनाँचे) तुम्हारे पास जो कुछ (किसी किस्म की) भी नेमत है वह सब अल्लाह ही की तरफ़ से है, फिर जब तुमको (ज़रा भी) तकलीफ़ पहुँचती है तो (उसके दूर होने के लिये) उसी (अल्लाह) से फरियाद करते हो (और कोई बुत वगैरह उस वक़्त याद नहीं रहता जिससे तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा हाकिम व माबूद होने) का हक़ होना उस वक़्त तुम्हारी हालत के इकरार से भी मालूम हो जाता है लेकिन) फिर जब (अल्लाह तआला) तुमसे उस तकलीफ़ को हटा देता है तो तुम में की एक जमाअत (और वही बड़ी जमाअत है) अपने रब के साथ (पहले की तरह) शिर्क करने लगती है। जिसका हासिल यह है कि हमारी दी हुई नेमत की (कि वह तकलीफ़ को दूर करना है) नाशुक्री करते हैं (जो कि अक्ली तौर पर भी बुरा है)। ख़ैर कुछ दिन ऐश उड़ा लो (दिखो) अब जल्दी (मरते ही) तुमको ख़बर हुई जाती है (और एक जमाअत इसलिये कहा गया कि बाज़े उस हालत को याद रखकर तौहीद व ईमान पर कायम हो जाते हैं जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

فَلَمَّا نَسَبْنَاهُمْ إِلَىٰ آلِهِمْ فَمَنَّهُمْ مَّفْضِلُونَ.

और (उनके जो अनेक शिर्क हैं उनमें से एक यह है कि) ये लोग हमारी दी हुई चीज़ों में से उन (माबूदों) का हिस्सा लगाते हैं जिनके (माबूद होने के) मुताल्लिक़ उनको कुछ इल्म (और उनके माबूद होने की कोई दलील व सनद) नहीं (जैसा कि इसकी तफ़सील आठवें पारे के रुकूअ नम्बर तीन की आयत 137 में गुज़री है)।

कसम है खुदा की! तुमसे तुम्हारी इन बोहतान-बाज़ियों की (क़ियामत में) ज़रूर बाज़पुरस "यानी पूछताछ" होगी। (और एक शिर्क उनका यह है कि) अल्लाह तआला के लिये बेटियाँ सजवीज़ करते हैं, सुब्हानल्लाह! (कैसी बेकार की बात है) और (इससे बढ़कर यह कि) अपने लिये पसन्दीदा चीज़ (यानी बेटे पसन्द करते हैं)।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝
 يَكْوَارِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَكْتُمُهُ فِي الثَّرَابِ ۝ أَلَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ۝ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۝ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝

व इज़ा बुशिश-र अ-हदुहुम् बिल्-उन्सा
 ज़ल्-ल वज्हुहू मुस्वददं-व-व हु-व
 कज़ीम (58) य-तवारा मिनल्-कौमि
 मिन् सू-इ मा बुशिश-र बिही,
 अयुम्सिकुहू अला हूनिन् अम्
 यदुस्सुहू फित्तुराबि, अला सा-अ मा
 यह्कुमून (59) लिल्लज्जी-न ला
 युज़्मिन्-न बिल्जाखिरति म-सलुस्सौइ
 व लिल्लाहिल् म-सलुल्-अज़्ज़ला व
 हुवल् अज़्ज़िज़ुल् हकीम (60) ❀

और जब ख़ुशख़बरी मिले उनमें किसी
 को बेटी की, सारे दिन रहे मुँह उसका
 सियाह और जी में घुटता रहे। (58)
 छुपता फिरे लोगों से मारे बुराई उस
 ख़ुशख़बरी के जो सुनी, उसको रहने दे
 ज़िल्लत कुबूल करके या उसको दाब दे
 मिट्टी में। सुनता है! बुरा फैसला करते
 हैं। (59) जो नहीं मानते आख़िरत को
 उनकी बुरी मिसाल है, और अल्लाह की
 मिसाल है सब से ऊपर, और वही है
 ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (60) ❀

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और जब उनमें से किसी को (बेटी पैदा होने की) ख़बर दी जाये (जिसको अल्लाह के लिये तजवीज़ करते हैं) तो (इस क़द्र नाराज़ हो कि) सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक़ रहे, और वह दिल ही दिल में घुटता रहे। (और) जिस चीज़ की उसको ख़बर दी गई है (यानी बेटी पैदा होने की) उसकी शर्म से लोगों से छुपा-छुपा फिरे (और दिल में उतार-चढ़ाव करे) कि आया उस (नवजात) को ज़िल्लत (की हालत) पर लिये रहे या उसको (ज़िन्दा या मारकर) मिट्टी में गाड़ दे। ख़ूब सुन लो! उनकी यह तजवीज़ बहुत ही बुरी है (कि अब्बल तो ख़ुदा के लिये औलाद साबित करना यही किस क़द्र बुरी बात है, फिर औलाद भी वह जिसको ख़ुदा इस क़द्र ज़लील व शर्मिन्दगी का सबब समझे, पस) जो लोग आख़िरत पर यकीन नहीं रखते उनकी बुरी हालत है (दुनिया में भी कि ऐसी जहालत में मुब्तला हैं, और आख़िरत में भी कि सज़ा व ज़िल्लत में मुब्तला होंगे), और अल्लाह तआला के लिये तो बड़े आला दर्जे की सिफ़तें साबित हैं (न कि वो जो ये मुश्रिक लोग बकते हैं) और वह बड़े ज़बरदस्त हैं (अगर इनको दुनिया में शिर्क की सज़ा देना चाहें तो कुछ

मुश्किल नहीं, लेकिन साथ ही) बड़ी हिक्मत वाले (भी हैं, हिक्मत के तफ़ाज़े के तहत मौत के बाद तक सज़ा को टाल दिया है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में अरब के काफ़िरों की दो ख़स्तलतों की निंदा की गई है कि अव्वल तो वे अपने घर में लड़की पैदा होने को इतना बुरा समझते हैं कि शर्मिन्दगी के सबब लोगों से छुपते फिरें और इस सोच में पड़ जायें कि लड़की पैदा होने से जो मेरी ज़िल्लत हो चुकी है उस पर सब्र करूँ या उसको ज़िन्दा दफ़न करके पीछा छुड़ाऊँ, और इस से आगे बढ़कर जहालत यह है कि जिस औलाद को अपने लिये पसन्द न करें अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ उसी को मन्सूब करें, कि फ़रिश्तों को अल्लाह तआला की बेटियाँ करार दें।

दूसरी आयत के आख़िर में 'अला सा-अ मा यहकुमून' का मफ़हूम तफ़सीर बहरे-मुहीत में इब्ने अतीया के हवाले से यही दोनों ख़स्तलतें करार दी हैं कि अव्वल तो उनका यह फैसला ही बुरा फैसला है कि लड़कियों को एक अज़ाब और ज़िल्लत समझें, दूसरे फिर जिस चीज़ को अपने लिये ज़िल्लत समझें उसी को अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब करें।

तीसरी आयत के आख़िर में 'व हुवल-अज़ीजुल-हकीम' में भी इसकी तरफ़ इशारा है कि लड़की पैदा होने को मुसीबत व ज़िल्लत समझना और छुपते फिरना अल्लाह की हिक्मत का मुकाबला करना है, क्योंकि मख़्लूक में नर व मादा की पैदाईश हिक्मत के क़ानून के पूरी तरह मुताबिक़ है। (तफ़सीर रूहुल-बयान)

मसला: इन आयतों में स्पष्ट इशारा पाया गया कि घर में लड़की पैदा होने को मुसीबत व ज़िल्लत समझना जायज़ नहीं, यह काफ़िरों का काम है। तफ़सीर रूहुल-बयान में शिरआ के हवाले से लिखा है कि मुसलमान को चाहिये कि लड़की पैदा होने से ज़्यादा खुशी का इज़हार करे ताकि जाहिलीयत के लोगों के फ़ैल पर रद्द हो जाये। और एक हदीस में है कि वह औरत मुबारक होती है जिसके पहले पेट से लड़की पैदा हो। क़ुरआने करीम की आयत:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

में भी इनास (औरत) को पहले बयान करने से इसकी तरफ़ इशारा पाया जाता है कि पहले पेट से लड़की पैदा होना अफ़ज़ल है।

और एक हदीस में इरशाद है कि जिसको इन लड़कियों में से किसी के साथ साबक़ा पड़े और फिर वह इनके साथ एहसान का बर्ताव करे तो ये लड़कियाँ उसके लिये जहन्नम के बीच पर्दा (आड़) बनकर रोक हो जायेंगी। (रूहुल-बयान)

ख़ुलासा यह है कि लड़की के पैदा होने को बुरा समझना जाहिलीयत की बुरी रस्म है मुसलमानों को इससे परहेज़ करना चाहिये और इसके मुकाबले में जो अल्लाह का वायदा है उस पर संतुष्ट और खुश होना चाहिये। वल्लाहु आलम

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ ذَاتِ بِيٍّ وَالْكَفْرِ يُؤَخِّرُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ
لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتُصَفُّ السُّنَنُ الْكُذِبُ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ وَلَا جُرْمَ إِنَّ لَهُمُ النَّاسِرَ وَأَلَّهُمْ
مُفْرَضُونَ ۝ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اختلفوا فيه، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

व लौ युआखिज़ुल्लाहुन्ना-स
बिजुल्मिहिम् मा त-र-क अलैहा मिन्
दाब्बतिं-व-व लाकिंय्युअखिद्धारुहुम्
इला अ-जलिम्-मुसम्मन् फ-इजा
जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअखिरु-न
सा-अतं-व-व ला यस्तकिदमून (61) व
यज्अलू-न लिल्लाहि मा यकरहू-न व
तसिफ़ु अल्सिनतुहुमुल्-कज़ि-ब अन्-न
लहुमुल्-हुस्ना, ला ज-र-म अन्-न
लहुमुन्ना-र व अन्नहुम् मुफरतून (62)
तल्लाहि ल-कद् अर्सलना इला
उ-ममिम् मिन् कब्लि-क फ-जय्य-न
लहुमुशशैतानु अज़्मालहुम् फ़हु-व
वलि्य्युहुमुल्-यौ-म व लहुम् अज़ाबुन्
अलीम (63) व मा अन्जल्ना
अलैकल्-किता-ब इल्ला लितुबय्यि-न

और अगर पकड़े अल्लाह लोगों को
उनकी बेइन्साफी पर न छोड़े ज़मीन पर
एक चलने वाला, लेकिन ढील देता है
उनको एक निर्धारित वक़्त तक, फिर जब
आ पहुँचेगा उनका वायदा न पीछे सरक
सकेंगे एक घड़ी और न आगे सरक
सकेंगे। (61) और करते हैं अल्लाह के
वास्ते जिसको अपना जी न चाहे, और
बयान करती हैं जुबानें उनकी झूठ कि
उनके वास्ते ख़ूबी है, ख़ुद साबित है कि
उनके वास्ते आग है और वे बढ़ाये जा
रहे हैं। (62) क़सम अल्लाह की हमने
रसूल भेजे विभिन्न फ़िर्कों में तुझसे पहले,
फिर अच्छे करके दिखलाये उनको शैतान
ने उनके काम, सो वही है उनका साथी
आज, और उनके वास्ते दर्दनाक अज़ाब
है। (63) और हमने उतारी तुझ पर
किताब इसी वास्ते कि खोलकर सुना दे

लहुमुल्लजिख्त-तफू फीहि व हुदव-व
रस्म-तल् तिकौमिंय्युअमिनून (64)
वल्लाहु अन्ज-ल मिनस्समा-इ मा-अन्
फ-अस्या बिहिलुअर्-ज बज़-द मौतिहा,
इन्-न फी ज़ालि-क लआ-यतल्
लिकौमिंय-यस्मअून (65) ❀

तू उनको वह चीज़ कि जिसमें झगड़ रहे हैं, और सीधी राह सुझाने को और वास्ते बख़्शिश ईमान लाने वालों को। (64) और अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी फिर उससे जिन्दा किया ज़मीन को उसके मरने के बाद, इसमें निशानी है उन लोगों के लिये जो सुनते हैं। (65) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और अगर अल्लाह तआला (ज़ालिम) लोगों पर उनके जुल्म (यानी शिक व कुफ़) के सबब (फौरी तौर पर दुनिया में पूरी) दारोगीर "यानी पकड़" फ़रमाते तो ज़मीन के ऊपर कोई (हिस व) हरकत करने वाला न छोड़ते (बल्कि सब को हलाक कर देते), लेकिन (फौरी तौर पर पकड़ नहीं फ़रमाते बल्कि) एक मुक़र्ररा वक़्त तक मोहलत दे रहे हैं (ताकि अगर कोई तौबा करना चाहे तो गुंजाईश हो)। फिर जब उनका (वह) मुक़र्ररा वक़्त (नज़दीक) आ पहुँचेगा उस वक़्त एक घड़ी न (उससे) पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे (बल्कि फ़ौरन सज़ा हो जायेगी)। और अल्लाह तआला के लिये वे चीज़ें तजवीज़ करते हैं जिनको खुद (अपने लिये) नापसन्द करते हैं (जैसा कि ऊपर आया है कि अल्लाह के लिये बेटियाँ होना तजवीज़ करते हैं) और (फिर) उस पर अपनी जुबान से झूठे दावे करते जाते हैं कि उनके (यानी हमारे) लिये (अगर मान लो कियामत कायम भी हुई तो) हर तरह की भलाई है (अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि भलाई कहाँ से आई थी, बल्कि) लाज़िमी बात है कि उनके लिये (कियामत के दिन) दोज़ख़ है, और बेशक वे लोग (दोज़ख़ में) सबसे पहले भेजे जाएँगे।

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप उनके कुफ़ व जहालत पर कुछ गुम न कीजिये क्योंकि) खुदा तआला की क़सम! आप (के ज़माने) से पहले जो उम्मतें हो गुज़री हैं उनके पास भी हमने रसूलों को भेजा था (जैसा कि आपको इनके पास भेजा है) सो (जिस तरह ये लोग अपनी कुफ़्रिया बातें और आमाल को पसन्द करते हैं और उस पर कायम हैं, इसी तरह) उनको भी शैतान ने उनके (कुफ़्रिया) आमाल को अच्छे बना करके दिखलाये, पस वह (शैतान) आज (यानी दुनिया में) उनका रफ़ीक़ है (यानी साथी था कि उनको बहकाता सिखाता था, पस दुनिया में तो उनको यह ख़सारा हुआ) और (फिर कियामत में) उनके वास्ते दर्दनाक सज़ा (मुक़र्रर) है (गुर्ज़ कि यह बाद वाले भी उन पहलों की तरह कुफ़ कर रहे हैं और उन्हीं की तरह इनको सज़ा भी होगी। आप क्यों गुम में पड़े)।

और हमने आप पर यह किताब (जिसका नाम कुरआन है इस वास्ते नाज़िल नहीं की कि

सब को हिदायत पर लाना आपके जिम्मे होता कि कुछ के हिदायत पर न आने से आप दुखी व रंजीदा हों, बल्कि) सिर्फ इसलिये नाजिल की है कि (दीन की) जिन बातों में लोग इख़िताफ़ (झगड़ा व मतभेद) कर रहे हैं (जैसे तौहीद व आख़िरत और हलाल व हराम के अहकाम) आप (आम) लोगों पर उसको जाहिर फ़रमा दें (यह फ़ायदा तो क़ुरआन का आम है) और ईमान वालों की (विशेष व खुसूसी) हिदायत और रहमत की गर्ज़ से (नाजिल फ़रमाया है, सो ये बातें अल्लाह तआला के फ़ज़ल से हासिल हैं)। और अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद ज़िन्दा किया (यानी उसकी उपज व बढ़ोतरी की कुव्वत को इसके बाद कि खुश्क हो जाने से कमज़ोर हो गई थी मजबूती व ताक़त दी), इस (उक्त मामले) में ऐसे लोगों के लिये (अल्लाह के एक होने और असल नेमतें देने वाला होने की) बड़ी दलील है जो (दिल से इन बातों को) सुनते हैं।

وَإِنَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَوْعَبْرَةٌ ۖ
نَسْفَتِكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَذُرْبَيْنَا خَالِصًا سَائِقًا لِلشَّرِيبِينَ ۝

व इन्-न लकुम् फिल्-अन्-आमि
लअ़िब-तन् नुस्कीकुम् मिम्मा फी
बुतूनिही मिम्-बैनि फ़र्सिन्-व
दमिल्-ल-बनन् ख़ालिसन् साइगल्-
लिशशारिबीन (66)

और तुम्हारे वास्ते चौपायों में सोचने की
जगह है, पिलाते हैं हम तुमको उसके पेट
की चीजों में से गोबर और खून के बीच
में से सुधरा ख़ुशगवार दूध, पीने वालों
के लिये। (66)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और (साथ ही) तुम्हारे लिये मवेशियों में गौर करने का मक़ाम है (देखो) उनके पेट में जो गोबर और खून (का मादा) है उसके बीच में से (दूध का मादा जो कि खून का एक हिस्सा है, हज़म के बाद अलग करके धन के मिज़ाज से उनका रंग बदलकर उसको) साफ़ और गले में आसानी से उतरने वाला दूध (बनाकर) हम तुमको पीने को देते हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

गोबर और खून के बीच से साफ़ दूध निकालने के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जानवर जो घास खाता है जब वह उसके मेदे में जमा हो जाती है तो मेदा उसको पकाता है, मेदे के इस अमल से गिज़ा का फ़ुज़ला (बेकार हिस्सा) नीचे बैठ जाता है, ऊपर दूध हो जाता है, और उसके ऊपर खून। फिर कुदरत ने यह काम जिगर के सुपुर्द

किया कि इन तीनों किस्मों को अलग-अलग उनके स्थानों में तकसीम कर देता है, खून को अलग करके रगों में मुन्तकिल कर देता है, दूध को अलग करके जानवर के धनों में पहुँचा देता है और अब मेदे में सिर्फ फुज़ला (मल और विष्ठा) बाकी रह जाता है जो गोबर की सूत में निकलता है।

मसला: इस आयत से मालूम हुआ कि मजेदार, उम्दा और मीठे खाने का इस्तेमाल जुहुद (बुर्गी और दुनिया से ताल्लुक तोड़ने) के खिलाफ नहीं है जबकि उसको हलाल तरीके से हासिल किया गया हो और उसमें फुज़लाखर्ची न की गई हो। हज़रत हसन बसरी ने ऐसा ही फरमाया है।
(तफसीर कर्तुबी)

मसला: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई खाना खाओ तो यह कहो:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

अल्लाहुम्-म बारिक् लना फीहि व अतूइम्ना खैरम् मिन्हु

(यानी या अल्लाह! इसमें हमारे लिये बरकत अता फरमा और आईन्दा इससे अच्छा खाना नसीब फरमा) और फरमाया कि जब दूध पियो तो यह कहो:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

अल्लाहुम्-म बारिक् लना फीहि व जिद्ना मिन्हु

(यानी या अल्लाह! हमारे लिये इसमें बरकत दीजिये और ज़्यादा अता फरमाइये।)

इससे बेहतर का सवाल इसलिये नहीं किया कि इनसानी गिज़ा में दूध से बेहतर कोई दूसरी गिज़ा नहीं है, इसीलिये क़ुदरत ने हर इनसान व हैवान की पहली गिज़ा दूध ही बनाई है जो माँ की छातियों से उसे मिलती है। (तफसीर कर्तुबी)

وَمِنْ شَرَايِطِ التَّخْيِيلِ وَالْأَعْتَابِ تَتَجَدَّدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَ

رُزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

व मिन् स-मरातिन्नख़ील वल्अज़्नाबि
तत्तख़िज़्ज़-न मिन्हु स-करंव-व रिज़्कन्
ह-सनन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क
लजा-यतल्-लिकौमिन्व्यज़्किलून (67)

और मेवों से खजूर के और अंगूर के
बनाते हो उससे नशा और रोज़ी खासी,
इसमें निशानी है उन लोगों के वास्ते जो
समझते हैं। (67)

खुलासा-ए-तफसीर

और (साथ ही) खजूर और अंगूरों (की हालत में ग़ौर करना चाहिये कि) के फलों से तुम

लोग नशे की चीज़ और उम्दा खाने की चीज़ें (जैसे छुहारा, किशमिश, शर्बत और सिरका) बनाते हो। बेशक इसमें (भी अल्लाह की तौहीद और उसके नेमतें देने वाला होने की) उन लोगों के लिये बड़ी दलील है जो (सही) अक्ल रखते हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हक़ तज़ाला की उन नेमतों का ज़िक्र था जो इनसानी ग़िज़ायें पैदा करने में अजीब व ग़रीब कारीगरी व कुदरत का प्रतीक हैं। इसमें पहले दूध का ज़िक्र किया जिसको कुदरत ने हैवान के पेट में खून और गोबर की गंदगियों से अलग करके साफ़-सुथरी इनसान की ग़िज़ा के लिये अ़ता कर दी जिसमें इनसान को किसी और हुनर मन्दी और काम करने की ज़रूरत नहीं, इसी लिये यहाँ लफ़्ज़ 'नुस्कीकुम' इस्तेमाल फ़रमाया कि हमने पिलाया तुमको दूध।

इसके बाद फ़रमाया कि ख़जूर और अंगूर के कुछ फलों में से भी इनसान अपनी ग़िज़ा और नफे की चीज़ें बनाता है। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि ख़जूर और अंगूर के फलों से अपनी ग़िज़ा और फ़ायदे की चीज़ें बनाने में इनसानी हुनर व कारीगरी का भी कुछ दख़ल है और उसी दख़ल के नतीजे में दो तरह की चीज़ें बनाई गई— एक नशा लाने वाली चीज़ जिसको ख़मूर या शराब कहा जाता है, दूसरी उम्दा रिज़्क़ कि ख़जूर और अंगूर को तरोताज़ा खाने में इस्तेमाल करें या खुश्क़ करके भण्डार कर लें। मक़सद यह है कि अल्लाह तज़ाला ने अपनी कामिल कुदरत से ख़जूर और अंगूर के फल इनसान को दे दिये, और इससे अपनी ग़िज़ा वग़ैरह बनाने का इस्तिथार भी दे दिया, अब यह उसका चयन है कि उससे क्या बनाये, नशे वाली चीज़ बनाकर अक्ल को ख़राब करे या ग़िज़ा बनाकर कुव्वत हासिल करे।

इस तफ़सीर के मुताबिक़ इस आयत से नशा लाने वाली चीज़ यानी शराब के हलाल होने पर कोई दलील नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ मक़सद कुदरत की दी हुई चीज़ें और उनके इस्तेमाल की विभिन्न सूरतों का बयान है, जो हर हाल में अल्लाह की नेमत है, जैसे तमाम ग़िज़ायें और इनसानी फ़ायदे की चीज़ें कि उनको बहुत से लोग नाजायज़ तरीकों पर भी इस्तेमाल करते हैं मगर किसी के ग़लत इस्तेमाल से असल नेमत तो नेमत होने से नहीं निकल जाती, इसलिये यहाँ यह तफ़सील बतलाने की ज़रूरत नहीं कि उनमें कौनसा इस्तेमाल हलाल है कौनसा हराम, लेकिन एक बारीक इशारा इसमें भी इस तरफ़ कर दिया गया कि "सकर" के मुक़ाबिल "रिज़्क़े हसन" रखा, जिससे मालूम हुआ कि "सकर" अच्छा रिज़्क़ नहीं है, "सकर" के मायने मुफ़स्सिरान की अक्सरियत के नज़दीक नशा लाने वाली चीज़ के हैं। (1)

(तफ़सीर रूहुल-मज़ानी, कुर्तुबी, ज़सास)

उम्मत की इतिफ़ाकी राय यह है कि ये आयतें मक्की हैं और शराब की हुर्मत (हराम होने का हुक्म) इसके बाद मदीना तय्यिबा में नाज़िल हुई, आयत के नाज़िल होने के वक़्त अगरचे

(1) कुछ उलेमा ने इसके मायने सिरका या बग़ैर नशे वाली नबीज़ के भी लिये हैं (तफ़सीरे ज़सास व कुर्तुबी) मगर इस जगह इस इस्तिलाफ़ (मतभेद) के नक़ल करने की ज़रूरत नहीं। मुहम्मद शफ़ी

शराब हलाल थी और मुसलमान आम तौर पर पीते थे, मगर उस वक़्त भी इस आयत में इशारा इस तरफ़ कर दिया गया कि इसका पीना अच्छा नहीं, बाद में खुलकर शराब को सख़्ती के साथ हराम करने के लिये कुरआनी अहकाम नाज़िल हो गये (यह मज़मून तफ़सील से तफ़सीरी जस्तास और तफ़सीरी क़ुर्तुबी में बयान किया गया है)।

وَأَوْسَىٰ رَبِّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

व औहा रब्बु-क इलन्नहिल अनित्ताख़िाज़ी मिनल्-जिबालि बुयूतव्-व मिनशश-जरि व मिम्मा यज़्रिशून (68) सुम्-म कुली मिन् कुल्लिस्स-मराति फ़स्तुकी सुबु-ल रब्बिकि ज़ुलुलन्, यख़रुजु मिम्-बुतूनिहा शराबुम्-मुख्तलिफुन् अल्वानुहू फ़ीहि शिफ़ाउल्-लिन्नासि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिक्वैमिन्थ्य-तफ़क्करून (69)

और हुक़्म दिया तेरे रब ने शहद की मक्खी को कि बनाये पहाड़ों में घर और दरख़्तों में और जहाँ टटियाँ बाँधते हैं। (68) फिर खा हर तरह के मेवों से, फिर चल रास्तों में अपने रब के साफ़ पड़े हैं, निकलती है उनके पेट में से पीने की चीज़ जिसके मुख्तलिफ़ रंग हैं उसमें रोग अच्छे होते हैं लोगों के, इसमें निशानी है उन लोगों के लिये जो ध्यान करते हैं। (69)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (यह बात भी गौर करने के क़ाबिल है कि) आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह बात डाली की तू पहाड़ों में घर (यानी छत्ता) बना ले और दरख़्तों में (भी) और जो लोग इमारतें बनाते हैं उनमें (भी) छत्ता लगा ले, चुनौचे इन सब जगहों पर वह छत्ता लगाती है। फिर हर किस्म के (विभिन्न और अनेक) फूलों से (जो) तुझको पसन्द हों) चूसती फिर, फिर (चूसकर छत्ते की तरफ़ वापस आने के लिये) अपने रब के रास्तों में चल जो (तेरे लिये चलने के और याद रहने के एतिबार से) आसान हैं (चुनौचे बड़ी-बड़ी दूर से बिना रास्ता भूले हुए अपने छत्ते में लौट आती है। फिर जब चूसकर अपने छत्ते की तरफ़ लौटती है तो) उसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है (यानी शहद) जिसकी रंगतें विभिन्न होती हैं, कि उसमें लोगों (की बहुत-सी बीमारियों) के लिये शिफ़ा है, इसमें (भी) उन लोगों के लिये (अल्लाह के एक होने और उसी

के नेमतें देने वाला होने की) बड़ी दलील है जो सोचते हैं।

मजारीफ़ व मसाईल

औहा। वही यहाँ अपने इस्तिलाही मायने में नहीं, बल्कि तुगवी मायने में है। वह यह कि कलाम करने वाला मुखातब को कोई खास बात छुपे तौर पर और धीरे से इस तरह समझा दे कि दूसरा शख्स उस बात को न समझ सके।

अन्नहल: शहद की मक्खी अपनी अक्ल व होशियारी और उम्दा तदबीर के लिहाज से तमाम जानवरों में नुमायाँ और अलग जानवर है, इसी लिये अल्लाह तआला ने उसको खिताब भी विशेष और अलग अन्दाज़ का किया है। बाकी हैवानों के बारे में तो कुल्ली क़ानून के तरीके पर:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نَمًّا هَدَىٰ

(हमारा रब वह है जिसने) “हर चीज़ को वह बनावट (शकल व सूरत और हालत) अता की जो उसके मुनासिब थी, फिर (उसकी) रहनुमाई भी फ़रमाई।” फ़रमाया लेकिन इस नन्ही-सी मख़्लूक के बारे में खास करके:

أَوْحَىٰ رَيْثًا

फ़रमाया, जिससे इशारा इस बात की तरफ़ कर दिया कि यह दूसरे हैवानों से अक्ल व शऊर और सूझ-बूझ के मामले में एक अलग और नुमायाँ हैसियत रखती है।

शहद की मक्खियों की समझ व शऊर का अन्दाज़ा उनकी व्यवस्था और निज़ामे हुकूमत से बाख़ूबी होता है। इस कमज़ोर जानवर का ज़िन्दगी गुज़ारने का तरीका इनसानी सियासत व हुकमरानी के उसूल पर चलता है, तमाम व्यवस्था एक बड़ी मक्खी के हाथ में होती है, जो तमाम मक्खियों की हाकिम होती है। उसके प्रबंधन और कामों की तफ़सीम की वजह से पूरा निज़ाम सही सालिम चलता रहता है। उसके अजीब व ग़रीब सिस्टम और स्थिर क़ानून व नियमों को देखकर इनसानी अक्ल दंग रह जाती है। खुद यह “मलिका” तीन हफ़्तों के समय में छह हज़ार से बारह हज़ार तक अण्डे देती है, यह अपने वजूद, रंग-ढंग और ज़ाहिरी रख-रखाव के लिहाज से दूसरी मक्खियों से अलग और नुमायाँ होती है। यह मलिका (रानी) कामों के बंटवारे के उसूल पर अपनी रियाया (प्रजा) को विभिन्न कामों पर लगाती है, उनमें से कुछ दरबानी के फ़राईज़ अन्जाम देती हैं और किसी नामालूम और बाहरी फ़र्द को अन्दर दाख़िल होने नहीं देती, कुछ अण्डों की हिफ़ाज़त करती हैं, कुछ नाबालिग़ बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, कुछ छत्ते के निर्माण और इन्जीनियरिंग के फ़राईज़ अदा करती हैं, उनके तैयार किये हुए अक्सर छत्तों के खाने बीस हज़ार से तीस हज़ार तक होते हैं, कुछ मोम जमा करके निर्माण का कार्य करने वालों के पास पहुँचाती रहती हैं जिससे वे अपने मकानात तामीर करते हैं। यह मोम पेड़-पौधों पर जमे हुए सफ़ेद किस्म के सफ़ूफ़ (पावडर) से हासिल करती हैं। गन्ने पर यह मादा बहुत नज़र आता

है। उनमें से कुछ विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों पर बैठकर उसको चूसती हैं जो उनके पेट में शहद में तब्दील हो जाता है, यह शहद उनकी और उनके बच्चों की गिज़ा है और यही हम सब के लिये भी लफ़्ज़त व गिज़ा का जौहर (सत) और दवा व शिफा का नुस्खा है, यह विभिन्न और अनेक टुकड़ियाँ निहायत सक्रियता से अपने-अपने फ़राईज़ (इयूटियाँ) अच्छी तरह अन्जाम देती हैं और अपनी "मलिका" (रानी) के हुक्म को दिल व जान से कुबूल करती हैं। उनमें से अगर कोई गन्दगी पर बैठ जाये तो छत्ते के दरबान उसको बाहर रोक लेते हैं और रानी उसको कत्ल कर देती है, उनके इस हैरत-अंगेज़ सिस्टम और काम की उम्दगी को देखकर इनसान हैरत में पड़ जाता है। (अज़ जवाहिर)

बुयूतन्: रब्बे करीम की तरफ़ से जो हिदायतें दी गई हैं उनमें से यह पहली हिदायत है जिसमें घर बनाने का ज़िक्र है। यहाँ यह बात ध्यान देने के काबिल है कि हर जानवर अपने रहने सहने के लिये घर तो बनाता ही है फिर इस विशेषता से "घरों" के निर्माण का हुक्म मक्खियों को देने में क्या खास बात है। फिर यहाँ लफ़्ज़ भी "बुयूत" का इस्तेमाल फरमाया जो उमूमन इनसानी रहने की जगहों के लिये बोला जाता है। इसमें एक इशारा तो इस तरफ़ कर दिया कि मक्खियों को चूँकि शहद तैयार करना है, उसके लिये पहले से एक सुरक्षित घर बना लें, दूसरा इस तरफ़ इशारा कर दिया कि जो घर ये बनायेंगी वो आम जानवरों के घरों की तरह नहीं होंगे, बल्कि उनकी साख़्त व बनावट असाधारण किस्म की होगी, चुनाँचे उनके घर आम जानवरों के घरों से अलग और नुमायाँ होते हैं, जिनको देखकर इनसानी अक्ल भी हैरान रह जाती है। उनके घर छह खानों वाले होते हैं, परकार और मिस्तर से भी अगर उनकी पैमाईश की जाये तो बाल बराबर भी फर्क नहीं रहता। छह खानों वाली शक़ल के अलावा वो दूसरी किसी शक़ल जैसे चार खानों और पाँच खानों वगैरह की शक़ल को इसलिये नहीं अपनाती कि उनके कुछ कोने बेकार रह जाते हैं।

अल्लाह तआला ने मक्खियों को केवल घर बनाने का हुक्म नहीं दिया बल्कि उसका स्थान भी बतला दिया कि वह किसी बुलन्दी पर होना चाहिये, क्योंकि ऐसे मक़ामात पर शहद को ताज़ा और साफ़ छनी हुई हवा पहुँचती रहती है, वह गंदी हवा से बचा रहता है, और तोड़-फोड़ से भी सुरक्षित रहता है। चुनाँचे फ़रमाया:

مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتُوا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

यानी उन घरों की तामीर पहाड़ों, दरख़्तों और बुलन्द इमारतों पर होनी चाहिये ताकि शहद बिल्कुल सुरक्षित तरीक़े से तैयार हो सके।

لَمْ تَكُنْ مِنْ كَلِّ النَّمْرِ

यह दूसरी हिदायत है जिसमें मक्खी को हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी रुचि और पसन्द के मुताबिक़ फल-फूल से रस चूसे, यहाँ 'मिन् कुल्लिस्स-मराति' फ़रमाया, लेकिन बज़ाहिर यहाँ लफ़्ज़ 'कुल' से दुनिया भर के फल-फूल मुराद नहीं हैं बल्कि जिन तक आसानी से उसकी पहुँच

हो सके और मतलब हासिल हो सके। “कुल” का यह लफ़्ज़ मुल्क सबा की रानी के वाकिए में भी आया है, जैसा कि फरमाया:

وَأَوْرَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

और ज़ाहिर है कि वहाँ भी हर चीज़ मुराद नहीं है कि सबा की रानी के पास हवाई जहाज़ और रेल मोटर होना भी लाज़िम आये, बल्कि उस वक़्त की तमाम ज़रूरी और मुनासिब चीज़ें मुराद हैं। यहाँ भी “मिन् कुल्लिस्स-मराति” से यही मुराद है। यह मक्खी ऐसे-ऐसे लतीफ़ और कीमती हिस्से चूसती है कि आज के वैज्ञानिक दौर में मशीनों से भी वह जौहर नहीं निकाला जा सकता।

فَأَسْكَبِيْ سَيْلَ رَبِّكَ ذَلَّلًا

यह मक्खी को तीसरी हिदायत दी जा रही है कि अपने रब के हमवार किये हुए रास्तों पर चल पड़। यह जब घर से दूर-दराज़ मक़ामात पर फल-फूल का रस चूसने के लिये कहीं जाती है तो बज़ाहिर इसका अपने घर में वापस आना मुश्किल होना चाहिये था लेकिन अल्लाह तआला ने इसके लिये राहों को आसान बना दिया है, चुनौचे वह मीलों दूर जाती है और बग़ैर भूले-भटके अपने घर वापस पहुँच जाती है, अल्लाह तआला ने फ़िज़ा में उसके लिये रास्ते बना दिये हैं क्योंकि ज़मीन के पैचदार रास्तों में भटकने का ख़तरा होता है, अल्लाह तआला ने फ़िज़ा को उस हकीर व नातवाँ मक्खी के लिये ताबेदार कर दिया ताकि वह किसी रोक-टोक के बग़ैर अपने घर आसानी से आ-जा सके।

इसके बाद वही के इस हुक़म का जो असली फल और नतीजा था उसको बयान फरमाया:

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

“कि उसके पेट में से विभिन्न रंग का मशरूब (पय पदार्थ) निकलता है, जिसमें तुम्हारे लिये शिफ़ा है।”

रंग का भिन्न होना और विविधता गिज़ा और मौसम की भिन्नता की बिना पर होता है, यही वजह है कि अगर किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास फल-फूल की अधिकता हो तो उस इलाके के शहद में उसका असर व जायका ज़रूर होता है, शहद उमूमन चूँकि बहने वाले मादे की शकल में होता है इसलिये उसको शराब (पीने की चीज़) फरमाया। इस जुमले में भी अल्लाह तआला की वहदानियत (एक और तन्हा माबूद होने) और कामिल क़ुदरत की न कटने वाली दलील मौजूद है कि एक छोटे से जानवर के पेट से कैसा लाभदायक और मज़ेदार मशरूब (पीने की चीज़) निकलता है, हालाँकि वह जानवर खुद ज़हरीला है, ज़हर में से यह तिरयाक़ वाकई अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की अज़ीब मिसाल है, फिर क़ुदरत की यह भी अज़ीब कारीगरी है कि दूध देने वाले हैवानों का दूध मौसम और गिज़ा के इख़्तिलाफ़ (भिन्नता) से सुख़्क़ व ज़र्द (लाल और पीला) नहीं होता और मक्खी का शहद विभिन्न रंगों का होता है।

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

शहद जहाँ कुच्चत देने वाला, गिज़ा व लज़ज़त और खाने का ज़रिया है वहाँ रोगों के लिये नुस्खा-ए-शिफा भी है, और क्यों न हो खालिके कायनात की यह लतीफ़ घूमती-फिरती मशीन जो हर किस्म के फल-फूल से ताक़त देने वाला अर्क और पाकीज़ा जौहर (सत) खींच करके अपने महफूज़ घरों में जखीरा करती है, अगर जड़ी-बूटियों में शिफा व दवा का सामान है तो उनके जौहर में क्यों न होगा, बलग़मी रोगों में डायरेक्ट और दूसरे रोगों में दूसरे अजज़ा के साथ मिलकर बतौर दवा शहद का इस्तेमाल होता है। माज़नों में ख़ास तौर पर इसको शामिल करते हैं, इसकी एक ख़ासियत यह भी है कि खुद भी ख़राब नहीं होता और दूसरी चीज़ों की भी लम्बे समय तक हिफ़ाज़त करता है। यही वजह है कि हज़ारों साल से तबीब व हकीम हज़रात इसको अल्कोहल की जगह इस्तेमाल करते आये हैं, शहद दस्त लाने वाला है और पेट से फ़ासिद व ख़राब मादा निकालने में बहुत मुफ़ीद है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक सहाबी ने अपने भाई की बीमारी का हाल बयान किया तो आपने उसको शहद पिलाने का मशिवरा दिया, दूसरे दिन फिर आकर बतलाया कि यह बीमारी बदस्तूर है, आपने फिर वही मशिवरा दिया, तीसरे दिन जब उसने कहा कि अब भी कोई फ़र्क़ नहीं है तो आपने फ़रमाया:

صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ

“यानी अल्लाह का कौल बेशक़ सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है।”

मुराद यह है कि दवा का कसूर नहीं मरीज़ के ख़ास मिज़ाज की वजह से जल्दी असर ज़ाहिर नहीं हुआ, उसके बाद फिर पिलाया तो बीमार तन्दुरुस्त हो गया।

यहाँ कुरआने करीम में लफ़ज़ ‘शिफाउन’ जिस अन्दाज़ से आया है अरबी भाषा के ग्रामर के मुताबिक़ इसका हर मर्ज़ के लिये तो शिफा होना मालूम नहीं होता लेकिन इस बात का इशारा ज़रूर मिलता है कि शहद की शिफा अज़ीम और विशेष किस्म की है, और अल्लाह तआला के कुछ अहले दिल बन्दे वे भी हैं जिनको शहद के किसी भी मर्ज़ के लिये शिफा होने में कोई शुब्हा नहीं, उनको अपने रब के कौल के इस ज़ाहिर ही पर इस कद्र मज़बूत यकीन और पक्का एतिकाद है कि वे फोड़े और आँख का इलाज भी शहद से करते हैं और जिस्म के दूसरे रोगों का भी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ रिवायतों में है कि उनके बदन पर अगर फोड़ा भी निकल आता तो उस पर शहद का लेप करके इलाज करते, कुछ लोगों ने उनसे इसकी वजह पूछी तो जवाब में फ़रमाया कि क्या अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में इसके बारे में यह नहीं फ़रमाया कि:

يُوشِفَاءُ لِلنَّاسِ. (قرطبي)

अल्लाह तआला अपने बन्दों के साथ वैसा ही मामला करते हैं जैसा उन बन्दों का अपने रब के मुताल्लिक़ एतिकाद होता है। हदीस-ए-कुदसी में फ़रमाया:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّي عَبْدِي بِي

यानी हक़ तआला ने फ़रमाया कि बन्दा जो कुछ मुझसे गुमान रखता है मैं उसके पास होता

हैं (यानी उसी के मुताबिक कर देता हूँ)।

إِنِّى ذَلِكْ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

अल्लाह तआला ने अपनी कामिल क़ुदरत की उक्त मिसालें बयान फ़रमाने के बाद इनसान को फिर गौर व फ़िक्र की दावत दी है कि क़ुदरत की इन मिसालों में गौर व फ़िक्र करके तो देख लो, अल्लाह तआला मुर्दा ज़मीन को पानी बरसाकर जिन्दा कर देता है, वह गन्दगी व नापाकी के दरमियान तुम्हारे लिये साफ़ व सुथरी और खुशगवार दूध की नालियाँ बहाता है, वह अंगूर के दरख़्तों पर भीठे फल पैदा करता है, जिनसे तुम मज़ेदार शरबतें और मज़ेदार मुर्ब्बे बनाते हो। वह एक छोटे से ज़हरीले जानदार के ज़रिये तुम्हारे लिये लज़्ज़त व खाने और गिज़ा व शिफ़ा का बेहतरीन सामान मुहैया करता है, क्या अब भी तुम देवी-देवताओं को पुकारोगे? क्या अब भी तुम्हारी इबादत व वफ़ा अपने ख़ालिक व मालिक के बजाय पत्थर और लकड़ी की बेजान मूर्तियों के लिये होगी? और ख़ूब समझ लो! क्या यह भी तुम्हारी अक्ल में आ सकता है कि यह सब कुछ अंधे, बहरे और बेशक़र मादे की करिश्मा साज़ी हो? कारीगरी व क़माल के ये बेशुमार नमूने, हिक्मत व तदबीर के ये हैरतअंगेज़ कारनामे और अक्ल व समझ के ये बेहतरीन फ़ैसले अपनी जुबाने हाल से पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा एक ख़ालिक है, बेमिसाल व हिक्मत वाला ख़ालिक, वही इबादत व वफ़ा का हक़दार है, वही मुश्किलों को दूर करने वाला है और शुक्र व तारीफ़ का पात्र वही है।

फ़ायदे

1. आयत से मालूम हुआ कि अक्ल व शक़र इनसानों के अलावा दूसरे जानदारों में भी है, जैसा कि क़ुरआन पाक में फ़रमाया है:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ بِحَمْدِهِ

अलबत्ता अक्ल के दर्जे अलग-अलग हैं, इनसानों की अक्ल तमाम जानदार चीज़ों की अक्लों से ज़्यादा कामिल है, इसी वजह से वह शरीअत के अहक़ाम का पाबन्द है। यही वजह है कि अगर जुनून (पागलपन) की वजह से इनसान की अक्ल में फ़तूर आ जाये तो दूसरी मख़्लूक़ात की तरह वह भी शरई अहक़ाम का पाबन्द नहीं रहता।

2. शहद की मक्खी की एक खुसूसियत यह भी है कि उसकी फ़ज़ीलत में हदीस बयान हुई है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

الذُّبَابُ كُلُّهَا فِي النَّارِ يَجْعَلُهَا عَذَابًا لِأَهْلِ النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ. (نوادير الاصول بحواله قرطبي)

“यानी दूसरे तकलीफ़ देने वाले जानदारों की तरह मक्खियों की भी तमाम किस्में जहन्नम में जायेंगी जो वहाँ जहन्नमियों पर मुसल्लत कर दी जायेंगी मगर शहद की मक्खी जहन्नम में नहीं जायेगी।” (नवादिरुल-उसूल, क़ुर्तबी के हवाले से)

साथ ही यह कि एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको मारने से

मना फरमाया है। (अबू दाऊद)

3. हकीमों और तबीबों का इसमें कलाम है कि शहद मक्खी का फुज़ला (मल और विष्ठा) है या उसका लुआब (मुखझाव) है। अरस्ता तालीस ने शीशे का एक उमदा छत्ता बनाकर मक्खियों को उसमें बन्द कर दिया था, वह उनके काम करने के तरीके को जानना चाहता था लेकिन उन मक्खियों ने सबसे पहले बर्तन के अन्दरूनी हिस्से पर मोम और कीचड़ का पर्दा चढ़ा दिया और जब तक पूरी तरह वो पर्दे में नहीं हो गई उस वक़्त तक अपना काम शुरू नहीं किया।

हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू ने दुनिया के बेहकीकत व ज़लील होने की मिसाल देते हुए फरमाया:

أَشْرَفَ لِيَاسٍ نَبِيٍّ أَدَمَ فِيهِ لَعَابُ دُوْدُوٍّ وَأَشْرَفَ شَرًّا بِهِ رَجِيعٌ نَحْلِيَّةٍ

“इनसान का बेहतरीन रेशमी लिबास इस कायनात के एक छोटे से कीड़े का लुआब है और उसका नफीस मजेदार मशरूब (पीने की चीज़) मक्खी का फुज़ला (मल व विष्ठा) है।”

4. 'फीहि शिफ़ाउल्-लिन्नासि' से यह भी मालूम हुआ कि दवा से रोग का इलाज करना जायज़ है इसलिये कि अल्लाह तआला ने इसे इनाम के तौर पर ज़िक्र किया है।

दूसरी जगह इरशाद है:

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

हदीस में दवा इस्तेमाल करने और इलाज करने की तरफ़ रुचि दिलाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ हज़रत ने सवाल किया कि क्या हम दवा इस्तेमाल करें? आपने फरमाया क्यों नहीं! इलाज कर लिया करो, इसलिये कि अल्लाह तआला ने जो भी मर्ज़ पैदा किया है उसके लिये दवा भी पैदा फरमाई है, मगर एक मर्ज़ का इलाज नहीं। उन्होंने सवाल किया कि वह मर्ज़ कौनसा है? आपने फरमाया बुढ़ापा। (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी, कुर्तुबी के हवाले से)

हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत है, वह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि यह जो हम झाड़-फूँक का अमल करते हैं या दवा से अपना इलाज करते हैं, इसी तरह बचाव और हिफ़ाज़त के जो इन्तिज़ामात करते हैं क्या ये अल्लाह तआला की तक्दीर को बदल सकते हैं? आपने फरमाया ये भी तो अल्लाह की तक्दीर ही की सुरतें हैं।

गुर्ज़ यह कि इलाज करने और दवा इस्तेमाल करने के जायज़ होने पर तमाम उलेमा एकमत हैं और इस सिलसिले में बेशुमार हदीसों व अक़वाल बयान हुए हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में अगर किसी को बिच्छू काट लेता था तो उसे तिरयाक़ पिलाते थे, और झाड़ फूँक से उसका इलाज फरमाते। आपने लक़वे के रोगी पर दाग़ लगाकर उसका इलाज किया।

(तफसीरे कुर्तुबी)

कुछ बुजुर्गों के बारे में नक़ल किया गया है कि वे इलाज को पसन्द नहीं करते थे और हज़रते सहाबा में से भी कुछ के अमल से यह ज़ाहिर होता है जैसे रिवायत है कि हज़रत इब्ने

मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गये, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये तशरीफ लाये और उनसे पूछा— आपको क्या शिकायत है? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अपने गुनाहों की फ़िक्र है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया फिर किस चीज़ की इच्छा है? फरमाया मैं अपने रब की रहमत का तलबगार हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप पसन्द करें तो मैं तबीब (इलाज करने वाले) को बुलवा लेता हूँ? उन्होंने जवाब दिया तबीब ही ने तो मुझे लिटाया है (यहाँ इशारे के तौर पर तबीब से मुयाद अल्लाह तज़ाला शानुहू हैं)।

लेकिन इस किस्म के वाकिआत इस बात की दलील नहीं कि ये हज़रत इलाज को मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) समझते थे, हो सकता है कि उस वक़्त उनके ज़ौक को गवारा नहीं था इसलिये तबीयत के क़बूल न करने की वजह से उन्होंने पसन्द न किया हो, यह वक़्ती तौर पर हालत के ग़लबे की एक कैफ़ियत होती है जिसको इलाज के नाजायज़ या मक्रूह होने की दलील नहीं बनाया जा सकता। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त करना कि मैं आपके लिये तबीब ले आता हूँ खुद इस बात की दलील है कि इलाज जायज़ है, बल्कि कुछ सूरतों में यह वाजिब भी हो जाता है।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلَىٰ اَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

वल्लाहु छा-ल-ककुम् सुम्-म
य-तवप्फाकुम् व मिन्कुम् मंय्युरददु
इला अरज़लिल्-अुमुरि लिक्कै ला
यज़्ज़ल-म बज़्-द अ़िल्मिन् शैअन्,
इन्नल्ला-ह अ़लीमुन् कदीर (70) ❀

और अल्लाह ने तुमको पैदा किया फिर तुमको मौत देता है, और कोई तुम में से पहुँच जाता है निकम्पी उम्र को ताकि समझने के बाद अब कुछ न समझे, अल्लाह ख़बरदार है, कुदरत वाला। (70) ❀

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और (अपनी हालत भी सोचने के काबिल है कि) अल्लाह तज़ाला ने तुमको (पहले) पैदा किया, फिर (उम्र ख़त्म होने पर) तुम्हारी जान निकालता है (जिनमें कुछ तो होश व हवास में चलते हाथ-पाँव उठ जाते हैं) और बाज़े तुम में वे हैं जो नाकारा उम्र तक पहुँचाए जाते हैं (जिनमें न जिस्मानी क़ुव्वत रहे न अक़ली-क़ुव्वत रहे), जिसका यह असर होता है कि एक चीज़ से बाख़बर होकर फिर बेख़बर हो जाता है (जैसा कि अक्सर ऐसे बूढ़ों को देखा जाता है कि अभी उनको एक बात बतलाई और अभी भूल गये और फिर उसको पूछ रहे हैं) बेशक अल्लाह तज़ाला बड़े इल्म वाले, बड़ी कुदरत वाले हैं (इल्म से हर एक मस्तेहत जानते हैं, और कुदरत से

वैसा ही कर देते हैं, इसलिये जिन्दगी व वफ़ात की हालतें अलग-अलग कर दीं, पस यह भी दलील है तौहीद की)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इससे पहले अल्लाह तआला ने पानी, पेड़-पौधों, चौपायों और शहद की मक्खी के विभिन्न अहवाल बयान फ़रमाकर इनसान को अपनी कामिल कुदरत और मख़्लूक के लिये अपने इनामों पर आगाह किया, अब इन आयतों से उसको अपने अन्दरूनी हालतों पर ग़ौर व फ़िक्र की दावत देते हैं कि इनसान कुछ न था अल्लाह तआला ने इसको वजूद की दौलत से नवाज़ा, फिर जब चाहा मौत भेजकर वह नेमत ख़त्म कर दी, और बाज़ों को तो मौत से पहले ही बुढ़ापे के ऐसे दर्जे में पहुँचा देते हैं कि उनके होश व हवास ठिकाने नहीं रहते, उनके हाथ-पाँव की ताक़त ख़त्म हो जाती है, न वे कोई बात समझ सकते हैं और न समझी हुई बात याद रख सकते हैं। यह उमूमी और व्यक्तिगत बदलाव और उलट-फेर इस बात पर दलालत करता है कि इल्म व कुदरत उसी ज़ात के ख़ज़ाने में है जो ख़ालिक व मालिक है।

وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ

मंय्यरददु के लफ़्ज़ से इशारा इस बात की तरफ़ है कि इनसान पर पहले भी एक कमजोरी का वक़्त गुज़र चुका है, यह उसके बचपन का शुरूआती दौर था जिसमें यह किसी सूझ-बूझ का मालिक न था, इसकी कुव्वतें बिल्कुल कमजोर व नातवाँ थीं, यह अपनी भूख-प्यास को दूर करने और अपने उठने-बैठने में ग़ैरों का मोहताज था। फिर अल्लाह तआला ने इसको जवानी अता की यह इसकी तरक्की का ज़माना है, फिर धीरे-धीरे इसको बुढ़ापे के ऐसे दर्जे में पहुँचा देते हैं जिसमें यह बिल्कुल उसी तरह कमजोरी और मोहताजी की तरफ़ लौटा दिया जाता है जैसा कि बचपन में था।

أَرْدَلِ الْعُمْرِ

(उम्र के निकम्मे हिस्से) इससे मुराद बुढ़ापे की वह उम्र है जिसमें इनसान की तमाम जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों में ख़लल और बेतरतीबी आ जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस उम्र से पनाह माँगते थे। इरशाद है:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ لِي رَوَايَةٌ مِنْ أَنَّ أَرْدَلِي إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ.

“यानी या अल्लाह! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ बुरी उम्र से, और एक रिवायत में है कि पनाह माँगता हूँ उम्र के निकम्मे दौर से।”

उम्र के घटिया और निकम्मे हिस्से की परिभाषा में कोई निर्धारण नहीं है, अलबत्ता उक्त परिभाषा ज़्यादा बेहतर भालूम होती है जिसकी तरफ़ कुरआन ने भी:

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا

से इशारा किया है, कि वह ऐसी उम्र है जिसमें होश व हवास बाकी नहीं रहते, जिसका नतीजा यह होता है कि वह अपनी तमाम मालूमात भूल जाता है।

'निकम्मी उम्र' की परिभाषा में और भी कौल हैं, कुछ हज़रत ने अस्सी साल की उम्र को उम्र का निकम्मा हिस्सा करार दिया है, और कुछ ने नब्बे साल को। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी पछत्तर साल का कौल मन्कूल है। (बुखारी व मुस्लिम, तफ्सीरी मज़हरी)

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا

उम्र के ज्यादा होने की आखिरी हद को पहुँचने के बाद आदमी में न जिस्मानी ताकत रहती है और न ही अक्ली, जिसका असर यह होता है कि एक चीज़ से बाखबर होकर फिर बेखबर हो जाता है, वह तमाम मालूमात भूलकर बिल्कुल कल के बच्चे की तरह हो जाता है, जिसको न इल्म व खबर है और न ही समझ व शऊर। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरआन पढ़ने वाले की यह हालत नहीं होगी।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

बेशक अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले, बड़ी क़ुरत वाले हैं। (इल्म से हर शख्स की उम्र को जानते हैं और क़ुरत से जो चाहते हैं करते हैं। अगर चाहें तो ताक़तवर नौजवान पर बुढ़ापे के आसार तारी कर देते हैं और चाहें तो सौ साल का उम्र रसीदा इनसान भी ताक़तवर जवान रहे, यह सब कुछ उसी ज़ात के हाथ और इस्त्रियार में है जिसका कोई शरीक नहीं)।

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّشْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِشْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَلَا يَعْلَمُونَ ۝

वल्लाहु फज़ज़-ल बअज़कुम् अला बअज़िन् फिरिर्ज़िक् फ-मल्लज़ी-न फ़ुज़्ज़िलू बिराददी रिज़्किहिम् अला मा म-लकत् ऐमानुहुम् फहुम् फीहि सवाउन्, अ-फ़बिनिअ-मतिल्लाहि यज़्हुदून् (71)

और अल्लाह ने बड़ाई दी तुम में एक को एक पर रोज़ी में, सो जिनको बड़ाई दी वे नहीं पहुँचा देते अपनी रोज़ी उनको जिनके मालिक उनके हाथ हैं, कि वे सब उसमें बराबर हो जायें। क्या अल्लाह की नेमत के इनकारी हैं? (71)

ख़ुलासा-ए-तफ्सीर

और (तौहीद के साबित करने के साथ शिर्क की बुराई एक आपसी मामले के तहत में सुनो कि) अल्लाह तआला ने तुम में बाज़ों को बाज़ों पर रिज़्क (के मामले) में फ़ज़ीलत दी है (जैसे किसी को मालदार और गुलामों का मालिक बनाया कि उनके हाथ से उन गुलामों को भी रिज़्क

पहुँचता है, और किसी को गुलाम बना दिया कि उसको मालिक ही के हाथ से रिज़्क पहुँचता है, और किसी को न ऐसा मालदार बनाया कि दूसरे गुलामों को दे न गुलाम बनाया कि उसको किसी मालिक के हाथ से पहुँचे। सो जिन लोगों को (रिज़्क में खास) फ़ज़ीलत दी गई है (कि उनके पास माल भी है और गुलाम भी हैं) वे (लोग) अपने हिस्से का माल अपने गुलामों को इस तरह कभी देने वाले नहीं कि वे (मालिक व मन्तूक) सब उसमें बराबर हो जाएँ (क्योंकि अगर गुलाम होने की हालत में दिया तो माल उनकी मिल्क ही न होगा, बल्कि बदस्तूर यही मालिक रहेंगे, और अगर आज़ाद करके दिया तो बराबरी मुम्किन है मगर वे गुलाम न रहेंगे। पस गुलामी और बराबरी मुम्किन नहीं। इसी तरह ये बुत व ग़ैरह जब मुश्रिक लोगों के इक़रार के अनुसार खुदा तआला के मन्तूक “बन्दे व गुलाम” हैं तो बावजूद मन्तूक होने के माबूद होने में खुदा के जैसे और बराबर कैसे हो जायेंगे? इसमें शिर्क की बुराई को बिल्कुल स्पष्ट अन्दाज़ में बयान करना है कि जब तुम्हारे गुलाम तुम्हारी रोज़ी व माल में शरीक नहीं हो सकते तो अल्लाह तआला के गुलाम उसकी खुदाई व इबादत में कैसे शरीक हो सकते हैं) क्या (ये मज़ामीन सुनकर) फिर भी (खुदा तआला के साथ शिर्क करते हैं? जिससे अक्ली तौर पर यह लाज़िम आता है कि) खुदा तआला की नेमत का (यानी इस बात का कि खुदा ने नेमत दी है) इनकार करते हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में हक़ तआला ने अपने इल्म व क़ुदरत की अहम निशानियों और इनसान पर होने वाली नेमतों का तज़क़िरा फ़रमाकर अपनी तौहीद (एक तन्हा माबूद होने) की फ़ितरी दलीलें बयान फ़रमाई हैं, जिनको देखकर मामूली समझ-बूझ वाला आदमी भी किसी मख़्लूक को हक़ तआला के साथ उसकी इल्म व क़ुदरत व ग़ैरह की सिफ़ात में शरीक नहीं मान सकता। इस आयत में इसी तौहीद के मज़मून को एक आपसी मामले की मिसाल से वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह तआला ने अपनी कामिल हिक्मत से इनसानी मस्तेहतों को देखते हुए रिज़्क में सब इनसानों को बराबर नहीं किया, बल्कि कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत (बरतरी) दी है और विभिन्न दर्जे कायम फ़रमाये। किसी को ऐसा मालदार बना दिया जो साज़ व सामान का मालिक है, नौकर-चाकर, गुलाम व ख़िदमतगार रखता है, वह खुद भी अपनी मंशा के मुताबिक़ खर्च करता है और गुलामों, ख़िदमतगारों को भी उसके हाथ से रिज़्क पहुँचता है, और किसी को गुलाम व ख़िदमतगार बना दिया कि वे दूसरों पर तो क्या खर्च करते उनका खर्च भी दूसरों के ज़रिये पहुँचता है, और किसी को दरमियानी हालत वाला बनाया, न इतना मालदार कि दूसरों पर खर्च करे न इतना फ़कीर व मोहताज कि अपनी ज़रूरतों में भी दूसरों का मोहताज हो।

इसी क़ुदरती तक़सीम का यह असर सब के सामने है कि जिसको रिज़्क में फ़ज़ीलत दी गई और मालदार बनाया गया वह कभी इसको ग़वारा नहीं करता कि अपने माल को अपने गुलामों और ख़ादिमों में इस तरह तक़सीम कर दे कि वे भी माल में उसके बराबर हो जायें।

इस मिसाल से समझो कि जब मुश्रिक लोग भी यह तस्लीम करते हैं कि ये बुत और दूसरी मख्लूक़ात जिनकी वे पूजा करते हैं सब अल्लाह तआला की मख्लूक़ व मन्लूक़ हैं, तो यह कैसे तजवीज़ करते हैं कि ये मख्लूक़ व मन्लूक़ अपने ख़ालिफ़ व मालिक के बराबर हो जायें? क्या ये लोग ये सब निशानियाँ देखकर और ये मज़ामीन सुनकर फिर भी खुदा तआला के साथ किसी को शरीक और बराबर करार देते हैं, जिसका लाज़िमी नतीजा यह है कि वे खुदा तआला की नेमतों का इनकार करते हैं, क्योंकि अगर यह इकरार होता कि ये सब नेमतें सिर्फ़ अल्लाह तआला की दी हुई हैं, इनमें किसी खुद बनाये और तैयार किये हुए बुत का या किसी इनसान और जिन्न का कोई दख़ल नहीं है तो फिर इन चीज़ों को अल्लाह तआला के बराबर कैसे करार देते? यही मज़मून सूरः रूम की इस आयत में भी इरशाद हुआ है:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

“तुम्हारे लिये तुम ही में से एक मिसाल दी है जो लोग तुम्हारे हाथ के नीचे (यानी तुम्हारे मातहत) हैं, क्या वे हमारे दिये हुए रिज़क़ में तुम्हारे शरीक हैं कि तुम उसमें बराबर हो गये हो।”

(सूरः रूम आयत 28)

इसका हासिल भी यही है कि तुम अपने मन्लूक़ (मिल्कियत वाले) गुलामों और ख़िदमतगारों को अपने बराबर करना पसन्द नहीं करते, तो अल्लाह के लिये यह कैसे पसन्द करते हो कि वह और उसकी मख्लूक़ व मन्लूक़ (मिल्कियत वाली) चीज़ें उसके बराबर हो जायें।

रोज़ी व रोज़गार में दर्जों की भिन्नता इनसानों के लिये रहमत है

इस आयत में स्पष्ट तौर पर यह भी बतलाया गया है कि ग़रीबी व अमीरी और रोज़ी कमाने में इनसानों के विभिन्न दर्जे होना, कि कोई ग़रीब है कोई अमीर कोई दरमियानी दर्जे का यह कोई इतिफ़ाक़िया घटना नहीं, हक़ तआला की कामिल हिक्मत (आला दर्जे की दानिशमन्दी) का तकाज़ा है और इनसानी मस्लेहत्तों का तकाज़ा और इनसानों के लिये रहमत है, अगर यह सूरत न रहे और माल व सामान में सब इनसान बराबर हो जायें तो दुनिया के सिस्टम में ख़लल और ख़राबी पैदा हो जायेगी, इसी लिये जब से दुनिया आबाद हुई किसी दौर और किसी ज़माने में सब इनसान माल व मता के एतिबार से बराबर नहीं हुए और न हो सकते हैं, अगर कहीं ज़बरदस्ती ऐसी बराबरी पैदा कर भी दी जाये तो चन्द ही दिन में तमाम इनसानी कारोबार में ख़लल और फ़साद जाहिर हो जायेगा। हक़ तआला ने जैसे तमाम इनसानों को अक्ल व दिमाग़, कुव्वत व ताक़त और काम करने की सलाहियत में मुख़लिफ़ मिज़ाजों पर तक्सीम किया है और उनमें अदना, आला, दरमियानी की किस्में हैं जिसका कोई अक्ल वाला इनकार नहीं कर सकता, इसी तरह यह भी लाज़िमी है कि माल व मता में भी ये मुख़लिफ़ दर्जे कायम हों कि हर शख़्स

अपनी-अपनी सलाहियत के एतिबार से उसका सिला पाये, और अगर सलाहियत वाले और ना-अहल (यानी काबिल व नाकाबिल) को बराबर कर दिया गया तो वह कौनसा जज्बा है जो उसे मेहनत व काशिश और फ़िक्र व अमल पर मजबूर करे, इसका लाज़िमी नतीजा काम करने की सलाहियत (कार्यक्षमता) को बरबाद करना होगा।

दौलत को कुछ हाथों में समेटने और इकट्ठा करने के ख़िलाफ़ कुरआनी अहकाम

अलबत्ता कायनात के पैदा करने वाले ने जहाँ अक्ली और जिस्मानी ताकतों में कुछ लोगों को कुछ पर फज़ीलत दी और उसके ताबे रिज़्क और माल में फ़र्क कायम फरमाया, वहीं रोज़ी कमाने का यह स्थिर निज़ाम भी कायम फरमाया कि ऐसा न होने पाये कि दौलत के खज़ानों और रोज़ी कमाने के मर्कज़ों पर चन्द अफ़राद या कोई ख़ास जमाअत कब्ज़ा कर ले, दूसरे काबिल व सलाहियत वालों के काम करने का मैदान ही बाकी न रहे, कि वे अपनी अक्ली और जिस्मानी सलाहियतों से काम लेकर रोज़गार में तरक्की कर सकें, इसके लिये कुरआने करीम ने सूर: हशर में इरशाद फरमाया:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.

“यानी हमने दौलत की तकसीम (बंटवारे) का क़ानून इसलिये बनाया कि दौलत सिर्फ़ सरमायेदारों (पूँजीपतियों) में सीमित होकर न रह जाये।”

आजकल दुनिया के आर्थिक सिस्टमों में जो अफ़रा-तफ़री फैली हुई है वह इस खुदाई क़ानूने हिक्मत को नज़र-अन्दाज़ करने ही का नतीजा है। एक तरफ़ सरमायेदारी का निज़ाम है जिसमें दौलत के मर्कज़ों पर सूद व जुए के रास्ते से चन्द अफ़राद या जमाअतें काबिज़ होकर बाकी सारी मख़्रूक को अपना आर्थिक गुलाम बनाने पर मजबूर कर देती हैं, उनके लिये सिवाय गुलामी और मजदूरी के कोई रास्ता अपनी ज़रूरतें हासिल करने के लिये नहीं रह जाता। वे अपनी आला सलाहियतों के बावजूद उद्योग व तिज़ारत के मैदान में क़दम नहीं रख सकते।

पूँजीपतियों के इस जुल्म व ज़्यादती के रद्दे-अमल (प्रतिक्रिया) के तौर पर एक विपरीत व्यवस्था कम्यूनियज़म या सोशलियज़म के नाम से वजूद में आती है, जिसका नारा अमीर व ग़रीब के फ़र्क को ख़त्म करना और सब में बराबरी पैदा करना है, ज़ालिमाना सरमायेदारी के अत्याचारों से तंग आये हुए अ़वाम इस नारे के पीछे लग जाते हैं, मगर चन्द ही दिन में वे देख लेते हैं कि यह नारा महज़ फ़रेब था, आर्थिक बराबरी का ख़्वाब कभी शर्मिन्दा-ए-ताबीर न हुआ, और ग़रीब अपनी गुर्बत और फ़क़ व फ़ाक़े के साथ भी जो एक इनसाननी इज़ज़त रखता था, अपनी मर्ज़ी का मालिक था, यह मानवीय सम्मान भी हाथ से जाता रहा, कम्यूनियज़म सिस्टम में इनसान की कोई क़द्र व कीमत मशीन के एक पुर्ज़े से ज़्यादा नहीं, किसी जायदाद की मिल्कियत की तो वहाँ

कल्पना ही नहीं हो सकती, और जो मामला वहाँ एक मजदूर के साथ किया जाता है उस पर गौर करें तो वह किसी चीज़ का मालिक नहीं, उसकी औलाद और बीवी भी उसकी नहीं, बल्कि सब हुकूमत की मशीन के कल्पपुत्र हैं जिनको मशीन स्टार्ट होते ही अपने काम पर लग जाने के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत व रियासत के तय किये उद्देश्यों के सिवा न उसका कोई जमीर (अन्तरात्मा) है न आवाज़, हुकूमत व रियासत के दबाव व सख्ती और नाक़ाबिले बरदाश्त मेहनत से कराहना एक बगावत शुमार होता है, जिसकी सज़ा मौत है। खुदा तआला और धर्म की मुख़ालफ़त और ख़ालिस माद्दा परस्ती कम्प्यूनिज़म सिस्टम का बुनियादी उसूल है।

ये वो तथ्य हैं जिनसे कोई कम्प्यूनिस्ट इनकार नहीं कर सकता। उनके पेशवाओं (लीडरों और विचारकों) की किताबें और आमाल नामे इसके गवाह हैं कि उनके हवालों को जमा करना भी एक मुस्तक़िल किताब बनाने के बराबर है।

कुरआने हकीम ने ज़ालिमाना सरमायेदारी और अहमक़ाना कम्प्यूनिज़म की दोनों हदों के बीच कमी-ज़्यादती से पाक एक ऐसा निज़ाम (सिस्टम) बनाया है कि रिज़्क और दौलत में प्राकृतिक फ़र्क और भेद के बावजूद कोई फ़र्द या जमाअत आम मख़्लूक को अपना गुलाम न बना सके, और बनावटी महंगई और सूखे व महामारी में मुत्तला न कर सके। सूद और जुए को हराम करार देकर नाजायज़ सरमायेदारी की बुनियादी गिरा दी, फिर हर मुसलमान के माल में ग़रीबों का हक़ मुतैयन करके शरीक कर दिया, जो ग़रीबों पर एहसान नहीं बल्कि फ़र्ज़ की अदायेगी है, कुरआन की आयत:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

इस पर सुबूत व गवाह है। फिर मरने के बाद मरने वाले की तमाम मिल्कियत को ख़ानदान के अफ़राद में तक़सीम करके दौलत को जमा करने और रोक कर रखने का ख़ात्मा कर दिया। कुदरती चश्मों, समन्दरों और पहाड़ी जंगलों की अपने आप होने वाली पैदावार को अल्लाह की तमाम मख़्लूक का साझा सरमाया करार दे दिया, जिस पर किसी फ़र्द या जमाअत का मालिक बनकर कब्ज़ा जायज़ नहीं, जबकि सरमायेदारी के निज़ाम में ये सब चीज़ें सिर्फ़ सरमायेदारों की मिल्कियत करार दी गई हैं।

चूँकि इल्मी और अमली सलाहियतों का एक दूसरे से अलग और भिन्न होना एक फ़ितरी चीज़ है, और रोज़ी व माल कमाना भी इन्हीं सलाहियतों के ताबे है, इसलिये माल व दौलत की मिल्कियत का कम ज़्यादा होना भी ऐन तकाज़ा-ए-हिक्मत है, जिसको दुनिया का कुछ भी अक्ल व शऊर है वह इसका इनकार नहीं कर सकता और बराबरी का नारा लगाने वाले भी चन्द क़दम चलने के बाद इस बराबरी के दावे को छोड़ने और आर्थिक हालत में भेद व फ़र्क़ और कमी-ज़्यादती पैदा करने पर मजबूर हो गये।

खुर्द शैफ़ ने 5 मई सन् 1960 ई. को सुप्रीम स्वीट के सामने तक़रीर करते हुए कहा: "हम उजरतों में फ़र्क़ मिटाने की तहरीक (आंदोलन) के सख्ती से मुख़ालिफ़ हैं, हम उजरतों

में बराबरी कायम करने और उनके एक स्तर पर लाने के खुलेबन्दों मुखालिफ हैं, यह लेनन की तालीम है, उसकी तालीम यह थी कि सोशलिस्ट समाज में माही तकाजों का पूरा लिहाज रखा जायेगा।" (स्वीट वर्ल्ड, पेज 346)

आर्थिक बराबरी के सपने की नाबराबरी वाली यह ताबीर तो शुरू ही से सामने आ गई थी, मगर देखते ही देखते यह नाबराबरी और अमीर व गरीब का फर्क कम्युनिस्ट हुकूमत रूस में आम सरमायेदार मुल्कों से भी आगे बढ़ गया है।

ल्योन शेडो लिखता है:

"शायद ही कोई विकसित सरमायेदार मुल्क ऐसा हो जहाँ मजदूरों की उजरतों में इतना फर्क और भेद हो जितना रूस में है।"

वाकिआत की इन चन्द मिसालों ने उक्त आयत:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

की लाज़िमी और क़ुदरती तस्दीक इनकारियों की जुबानों से करा दी। बेशक अल्लाह तआला जो चाहता है वह करता है।

यहाँ इस आयत के तहत तो सिर्फ़ इतना ही बयान करना था कि रिज़क़ व माल में फर्क और कमी-बेशी क़ुदरती, प्राकृतिक और इन्सानी मस्लेहतों के पूरी तरह मुताबिक़ है, बाकी दौलत की तकसीम (बंटवारे) के इस्लामी उसूल और सरमायेदारी और कम्युनिज़म दोनों से इसका अलग और नुमायाँ होना, तो यह इन्शा-अल्लाह तआला सूर: जुल्फ़ पारा नम्बर 25 आयत 32 के तहत में आयेगा, और इस विषय पर मेरा का एक मुस्तकिल रिसाला "इस्लाम का निज़ामे तकसीमे दौलत" के नाम से छप चुका है उसका पढ़ लेना भी काफी है।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا
مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ فَلَا تَضْرِبُوا اللّٰهَ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا اٰمَنًا وَّكَانَ يَفْقِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اٰحَدَهُمَا اَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۗ اَيُّمَا
يُوجِبُهُ لآيَاتٍ يَخِزِيهِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

वल्लाहु ज-अ-ल लकुम् मिन्
 अन्फुसिकुम् अज्वाजंव-व ज-अ-ल
 लकुम् मिन् अज्वाजिकुम् बनी-न व
 ह-फ-दतं व-व र-ज-क कुम्
 मिनत्तय्यिबाति, अ-फबिल्बातिलि
 युअमिन्-न व बिनिअ-मतिल्लाहि
 हुम् यक्फुरून (72) व यअबुदू-न
 मिन् दूनिल्लाहि मा ला यम्तिकु
 रिज्कम्-मिनस्समावाति वल्अर्जि
 शैअं व-व ला यस्ततीअून (73) फला
 तज्जिर्बू लिल्लाहिल्-अम्सा-ल,
 इन्नल्ला-ह यअलमु व अन्तुम् ला
 तअलमून (74) ज-रबल्लाहु म-सलन्
 अब्दम्-मम्लूकल्-ला यक्दिदरु अला
 शैइं व-व मरजकनाहु मिन्ना रिज्कन्
 ह-सनन् फहु-व युन्फिकु मिन्हु
 सिररं व-व जहरन्, हल् यस्तवू-न,
 अल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम्
 ला यअलमून (75) व ज-रबल्लाहु
 म-सलरजुलैनि अ-हदुहुमा अब्कमु ला
 यक्दिदरु अला शैइं व-व हु-व कल्लुन्
 अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिह्हु ला
 यअति बिद्वैरिन्, हल् यस्तवी हु-न्न
 व मय्यअमुरु बिल्-अदलि व हु-व
 अला सिरातिम्-मुस्तकीम (76) ●

और अल्लाह ने पैदा कीं तुम्हारे वास्ते
 तुम्हारी ही किस्म से औरतें और दिये
 तुमको तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते
 और खाने को दीं तुमको सुधरी चीजें, सो
 क्या झूठी बातें मानते हैं और अल्लाह के
 फज़ल को नहीं मानते। (72) और पूजते
 हैं अल्लाह के सिवाय ऐसों को जो मुछ्तार
 नहीं उनकी रोजी के आसमान और
 ज़मीन से कुछ भी, और न कुदरत रखते
 हैं। (73) सो मत फिट करो अल्लाह पर
 मिसलें, बेशक अल्लाह जानता है और तुम
 नहीं जानते। (74) अल्लाह ने बतलाई
 एक मिसाल एक बन्दा पराया माल नहीं
 कुदरत रखता किसी चीज़ पर, और एक
 जिसको हमने रोजी दी अपनी तरफ से
 खासी रोजी, सो वह खर्च करता है उसमें
 से छुपाकर और सब के सामने, कहीं
 बराबर होते हैं? सब तारीफ अल्लाह को
 है, पर बहुत लोग नहीं जानते। (75) और
 बताई अल्लाह ने एक दूसरी मिसाल- दो
 मर्द हैं एक गूँगा कुछ काम नहीं कर
 सकता, और वह भारी है अपने साहिब
 पर, जिस तरफ उसको भेजे न करके लाये
 कुछ भलाई, कहीं बराबर है वह और एक
 वह शख्स जो हुक्म करता है इन्साफ से
 और है सीधी राह पर। (76) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और (अल्लाह की क़ुदरत की दलीलों और नेमतों में से एक बड़ी नेमत और दलील खुद तुम्हारा वजूद और नस्ली व जाती बका है कि) अल्लाह तआला ने तुम ही में से (यानी तुम्हारी जिन्स और नस्ल से) तुम्हारे लिये बीवियाँ बनाई, और (फिर) तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये (कि यह नस्ल की बका है) और तुमको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने (पीने) को दीं (कि यह शख़्सी और जाती बका है, और चूँकि बका "बाकी रहना" मौक़ूफ़ है वजूद पर तो इसमें उसकी तरफ़ भी इशारा हो गया), क्या (ये सब दलीलें व नेमतें सुनकर) फिर भी बेबुनियाद चीज़ पर (यानी बुतों वगैरह पर जिनके माबूद होने की कोई दलील नहीं, बल्कि ख़िलाफ़े दलील है) ईमान रखेंगे और अल्लाह तआला की नेमत की नाशुक़ी (बेक़द्री) करते रहेंगे। और (मतलब इस नाशुक़ी का यह है कि) अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते रहेंगे जो उनको न आसमान में से रिज़्क पहुँचाने का इख़्तियार रखती हैं और न ज़मीन में से (यानी न बारिश बरसाने का उनको इख़्तियार है न ज़मीन से कुछ पैदा करने का) और न (इख़्तियार हासिल करने की) क़ुदरत रखते हैं (इसकी नफ़ी से और ज़्यादा मुबालगा हो गया, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि एक शख़्स मौजूदा हालत में तो इख़्तियार वाला नहीं है लेकिन जिद्दोज़हद से वह इख़्तियारात हासिल कर लेता है, इसलिये इसकी भी नफ़ी फ़रमा दी)। सो (जब शिर्क का बातिल होना साबित हो गया तो) तुम अल्लाह तआला के लिये मिसालें मत गढ़ो (कि अल्लाह तआला की मिसाल दुनिया के बादशाहों के जैसी है कि हर शख़्स उनसे अपनी ज़रूरत व हाजत पेश नहीं कर सकता, इसलिये उसके नायब होते हैं कि ज़वाम उनसे अपनी हाजत बताते हैं, फिर वे बादशाहों से अर्ज़ करते हैं। जैसा कि यही वज़ाहत 'तफ़सीर-ए-कबीर' में काफ़िरों के इस क़ौल की बुनियाद पर की गयी है कि हम तो उनको सिर्फ़ इसलिये पूजते हैं ताकि वे हमें अल्लाह के यहाँ खास और क़रीबी बना दें और उसके दरबार में हमारी सिफ़ारिश करें) अल्लाह तआला (ख़ूब) जानते हैं (कि ऐसी मिसालें बिल्कुल बेकार और बकवास हैं) और तुम (सोच-विचार न करने के सबब) नहीं जानते (इसलिये जो चाहते हो बक डालते हो)।

(और) अल्लाह तआला (शिर्क के बातिल होने को ज़ाहिर करने के लिये) एक मिसाल बयान फ़रमाते हैं कि (फ़र्ज़ करो) एक (तो) गुलाम है (किसी का) जो दूसरे की मिल्क में है कि (माल और अपनी मर्जी चलाने में से) किसी चीज़ का (आफ़ा की इजाज़त के बग़ैर) इख़्तियार नहीं रखता। और (दूसरा) एक शख़्स है जिसको हमने अपने पास से ख़ूब रोज़ी दी है, तो वह उसमें से छुपे और खुले तौर पर (जिस तरह चाहता है जहाँ चाहता है) खर्च करता है (उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं) क्या इस किस्म के शख़्स आपस में बराबर हो सकते हैं? (बस जब ग़ैर-असली मालिक व मन्तूक बराबर नहीं हो सकते, तो असली और वास्तविक मालिक व मन्तूक तो कब बराबर हो सकते हैं, और इबादत का हक़दार होना मौक़ूफ़ है बराबरी पर, और वह है नहीं) सारी तारीफ़ें अल्लाह तआला ही के लिये लायक़ हैं (क्योंकि ज़ात व सिफ़ात में

कामिल वही है, पस माबूद भी वही हो सकता है मगर फिर भी मुशिरक लोग ग़ैरुल्लाह की इबादत नहीं छोड़ते), बल्कि उनमें से अक्सर तो (सोच-समझ से काम न लेने की वजह से) जानते ही नहीं (और चूँकि इल्म व जानकारी न होने का सबब खुद उनका सोच-समझ और ग़ौर व फ़िक्र से काम न लेना है इसलिये माज़ूर न होंगे)।

और अल्लाह तआला (इसकी वज़ाहत के लिये) एक और मिसाल बयान फरमाते हैं कि (फर्ज़ करो) दो शख्स हैं जिनमें एक तो (गुलाम होने के साथ-साथ) गूंगा (बहरा भी) है, (और अंधा, बहरा और बेअक्ल होने की वजह से) कोई काम नहीं कर सकता और (इस वजह से) वह अपने मालिक पर एक वबाले जान है (कि वह मालिक ही उसके सारे काम करता है और) वह (मालिक) उसको जहाँ भेजता है कोई काम दुरुस्त करके नहीं लाता (खुद तो क्या करता दूसरों की तालीम से भी उससे कोई काम दुरुस्त नहीं होता, सो) क्या यह शख्स और ऐसा शख्स आपस में बराबर हो सकते हैं जो अच्छी बातों की तालीम करता हो (जिससे उसका बोलने वाला, अक्ल मन्द, इल्म रखने वाला होना मालूम होता है) और खुद भी (हर मामले में) एक सही तरीके पर (चलता) हो (जिससे उसकी इन्तिज़ामी और अमली कुव्वत मालूम होती है। जब मख्लूक में हकीकत व सिफ़ात के साज़ा होने के बावजूद यह फर्क व भेद है तो कहाँ मख्लूक व ख़ालिक। और 'ला यक्दिरु' के तर्जुमे में 'आका की इजाज़त के बग़ैर' की कैद लगाने से जो पहले बयान हुई आयतों में फ़िक्ही शुब्हात थे वे दूर हो गये। और कोई इस ख़्याल और ज़ेहनी दुविधा में न पड़े कि शायद अल्लाह के अलावा जो माबूद है उसको भी इजाज़त हो गयी हो, जवाब यह है कि रब होने के लिये किसी को इजाज़त नहीं हुई और न हो सकती है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

(अल्लाह ने पैदा कीं तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स से बीवियाँ) इस आयत में एक अहम नेमत का ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी ही जिन्स और कौम में तुम्हारी बीवियाँ बनाई, ताकि आपसी ताल्लुक व लगाव भी पूरा हो और इनसानी नस्ल की शराफ़त व बड़ाई भी कायम रहे।

दूसरा इशारा इस तरफ़ भी हो सकता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी ही जिन्स की हैं, उनकी ज़रूरतें और ज़ब्बात भी तुम्हारे ही जैसे हैं, उनकी रियायत तुम पर लाज़िम है।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَدًّا

“यानी तुम्हारी बीवियों से हमने तुम्हारे बेटे पोते पैदा किये।”

यहाँ यह बात ग़ौर करने के काबिल है कि औलाद तो माँ-बाप दोनों ही से मिलकर पैदा होती है, इस आयत में इसको सिर्फ़ माँओं से पैदा करने का ज़िक्र फरमाया है। इसमें इशारा है कि बच्चे की पैदाईश और बनावट में बाप की तुलना में माँ का दख़ल ज़्यादा है, बाप से तो

सिर्फ एक बेजान कतरा निकलता है, उस कतरे पर विभिन्न प्रकार के दौर गुजरते हुए इनसानी शक्त में तब्दील होना और उसमें जान पड़ना कुदरत के इन सारे तख्खीकी कारनामों का स्थान तो माँ का पेट ही है, इसी लिये हदीस में माँ के हक को बाप के हक पर आगे रखा गया है।

इस जुमले में बेटों के साथ पोतों का जिक्र फरमाने में इस तरफ भी इशारा पाया जाता है कि इस जोड़े बनाने का असल मकसद इनसानी नस्ल को बाकी रखना है कि औलाद फिर औलाद की औलाद होती रहे, तो यह इनसान की नस्ली बका का सामान हुआ।

फिर 'र-ज-ककुम् मिनल्लय्यिबाति' में इसकी व्यक्तिगत और जाती बका के सामान का जिक्र फरमा दिया, कि इनसान पैदा हो जाये तो फिर उसकी जात की बका के लिये गिजा की जरूरत है वह भी हक तअाला ने मुहैया फरमा दी। आयत में लफज़ 'ह-फ-दतन्' के असल मायने मददगार और खिदमतगार के हैं, औलाद के लिये यह लफज़ इस्तेमाल करने में इस तरफ इशारा है कि औलाद को अपने माँ-बाप का खादिम होना चाहिये। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

में एक अहम हकीकत को स्पष्ट फरमाया है, जिससे ग़लत बरतना ही तमाम काफ़िराना शुक्क व शुब्हात को जन्म देता है। वह यह है कि आम तौर पर लोग हक तअाला को अपनी इनसानी नस्ल पर क़ियास करके उनमें से उच्च स्तरीय इनसान जैसे बादशाह व हाकिम को अल्लाह तअाला की मिसाल करार देते हैं, और फिर इस ग़लत बुनियाद पर अल्लाह तअाला के कुदरती निज़ाम को भी इनसानी बादशाहों के निज़ाम (सिस्टम) पर क़ियास (अन्दाज़ा और तुलना) करके यह कहने लगते हैं कि जिस तरह किसी सल्तनत व हुकूमत में अकेला बादशाह सारे मुल्क का इन्तिज़ाम नहीं कर सकता, बल्कि अपने मातहत वज़ीरों और दूसरे अफसरों को अधिकार सुपुर्द करके उनके ज़रिये हुकूमत का निज़ाम चलाया जाता है, इसी तरह यह भी होना चाहिये कि खुदा तअाला के मातहत कुछ और माबूद भी हों जो अल्लाह तअाला के कारनामों में उसका हाथ बटायें, यही तमाम बुत परस्त और मुश्रिकों का आम नज़रिया है। इस जुमले ने उनके शुब्हात (शंकाओं और एतिराज़ों) की जड़ काट दी कि अल्लाह तअाला के लिये मख़्लूक की मिसालें पेश करना खुद बेअक्ली है, उसकी जात मिसाल व नज़ीर और हमारे वहम व गुमान से ऊँची व बरतर है।

आखिरी दो आयतों में इनसान की जो दो मिसालें दी गई हैं, उनमें से पहली मिसाल में तो आका और गुलाम यानी मालिक और मन्लूक की मिसाल देकर बतलाया कि जब ये दोनों एक ही जिन्स, एक ही नस्ल व प्रजाति के होते हुए आपस में बराबर नहीं हो सकते तो किसी मख़्लूक को खुदा तअाला के साथ कैसे बराबर ठहराते हो।

और दूसरी मिसाल में एक तरफ एक इनसान है जो लोगों को अदल व इन्साफ और अच्छी बातें सिखाता है, जो उसकी इल्मी काबलियत व कुव्वत का कमाल है, और खुद भी सही दरमियानी और सीधे रास्ते पर चलता है जो उसकी अमली कुव्वत का कमाल है, इस इल्मी और

अमली ताकत में मुकम्मल इन्सान के मुकाबले में वह इन्सान है जो न खुद अपना काम कर सकता है न किसी दूसरे का कोई काम ठीक से कर सकता है, ये दोनों किस्म के इन्सान एक ही जिन्स, एक ही नस्ल, एक ही बिरादरी के होने के बावजूद आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो कायनात का खालिक व मालिक जो मुकम्मल इख्तियार व कुदरत और कामिल हिकमत वाला और हर चीज़ को कामिल व मुकम्मल जानने और खबर रखने वाला है उसके साथ कोई मख़्लूक कैसे बराबर हो सकती है।

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا

كَلِمَةٍ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اِلَّا الظُّلُمُ سَحْرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُبْسِكُنَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُدُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَابِهَا ۙ وَاَوْبَارِهَا ۙ وَاَشْعَارِهَا اَنَّا نَا وَنَمَتَا اِلَىٰ حَبِيْبٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مَّتَاخِذًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْمًا تَجْمَعُكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْمًا تَجْمَعُكُمْ بِاسْمِكُمْ ۙ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِن تَوَلَّوْا فَاِنَّآ عَلَیْكَ الْبَلَدُ الْمَيْدِيْنُ ۝ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يَنْكُرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمْ الْكٰفِرُوْنَ ۝

व लिल्लाहि गैबुस्समावाति वल्लअर्जि
व मा अमरुस्सा-अति इल्ला
क-लमिहल-ब-सरि औ हु-व अकरबु,
इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् कदीर
(77) वल्लाहु अख्र-जकुम् मिम्-बुतूनि
उम्महातिकुम् ला तअलमू-न शैअंव-व
ज-अ-ल लकुमुस्साम्-अ वल्लअब्सा-र
वल्लअफइ-द-त लअल्लकुम् तशकुरुन
(78) अलम् यरौ इलत्तैरि
मुसख़रतिन् फी जव्विस्समा-इ, मा

और अल्लाह ही के पास हैं भेद आसमानों
और ज़मीन के, और कियामत का काम
तो ऐसा है जैसे लपक निगाह की या
उससे भी करीब, अल्लाह हर चीज़ पर
कादिर है। (77) और अल्लाह ने तुमको
निकाला तुम्हारी माँ के पेट से, न जानते
थे तुम किसी चीज़ को, और दिये तुमको
कान और आँखें और दिल, ताकि तुम
एहसान मानो। (78) क्या नहीं देखे उड़ते
जानवर हुक्म के बाँधे हुए आसमान की

युम्सिकुहुन्-न इल्लल्लाहु, इन्-न फी
 ज़ालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय-
 युअ्मिन्नू (79) वल्लाहु ज-अ-ल
 लकुम् मिम्-बुयूतिकुम् स-कनं-व-व
 ज-अ-ल लकुम् मिन् जुलूदिल्-
 अन्-अमि बुयूतन् तस्तद्धिफ्फूनहा
 यौ-म जअ्निकुम् व यौ-म
 इकामतिकुम् व मिन् अस्वाफिहा व
 औबारिहा व अश्रारिहा असासं-व-व
 मताअन् इला हीन (80) वल्लाहु
 ज-अ-ल लकुम् मिम्मा झा-ल-क
 जिलालं-व-व ज-अ-ल लकुम् मिनल्
 जिबालि अक्नानं-व-व ज-अ-ल लकुम्
 सराबी-ल तक्रीकुमुल्हूर-र व सराबी-ल
 तक्रीकुम् बअ्सकुम्, कज़ालि-क
 युतिम्मु निअ-मतहू अलैकुम्
 लअल्लकुम् तुस्लिमून (81) फ-इन्
 तवल्लौ फ-इन्नमा अलैकल्-
 बलागुल्-मुबीन (82) यअ्रिफ्फू-न
 निअ-मतल्लाहि सुम्-म युन्किरूनहा
 व अवसरुहुमुल्-काफिरून (83) ❀

हवा में, कोई नहीं धाम रहा उनको सिवाय
 अल्लाह के, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों
 के लिये जो यकीन लाते हैं। (79) और
 अल्लाह ने बना दिये तुमको तुम्हारे घर
 बसने की जगह, और बना दिये तुमको
 चौपायों की खाल से डेरे, जो हल्के रहते
 हैं तुम पर जिस दिन सफर में हो और
 जिस दिन घर में हो, और भेड़ों की ऊन
 से और ऊँटों की बबरियों (रुओं, बालों)
 से और बकरियों के बालों से कितने
 असबाब और इस्तेमाल की चीजें एक
 मुक़ररा वक़्त तक। (80) और अल्लाह ने
 बना दिये तुम्हारे वास्ते अपनी बनाई हुई
 चीजों के साथे, और बना दीं तुम्हारे
 वास्ते पहाड़ों में छुपने की जगहें, और
 बना दिये तुमको कुर्ते जो बचाव हैं गर्मी
 में और कुर्ते जो बचाव हैं लड़ाई में, इसी
 तरह पूरा करता है अपना एहसान तुम पर
 ताकि तुम हुक्म मानो। (81) फिर अगर
 फिर जायें तो तेरा काम तो यही है खोल
 कर सुना देना। (82) पहचानते हैं अल्लाह
 का एहसान फिर मुन्किर हो जाते हैं और
 बहुत उनमें नाशुक्रे हैं। (83) ❀

खुलासा-ए-तफ्तीर

और आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी बातें (जो किसी को मालूम नहीं इल्म के
 एतिबार से) अल्लाह ही के साथ खास हैं (तो इल्म की सिफ़्त में वह कामिल हैं) और (कुदरत में

ऐसे कामिल हैं कि उन ग़ैबों में से जो एक बड़ा मामला है यानी) कियामत (उस) का मामला बस ऐसा (झटपट) होगा जैसे आँख झपकना, बल्कि इससे भी जल्दी। (कियामत के मामले से मुराद है मुर्दों में जान पड़ना और इसका आँख झपकने के मुकाबले में जल्दी होना ज़ाहिर है क्योंकि आँख झपकना हरकत है और हरकत ज़मानी "वक़्त से संबन्धित" होती है और जान पड़ना आनी "लम्हे और क्षण से संबन्धित" है, और आनी ज़ाहिर है कि ज़मानी से ज़्यादा तेज़ है, और इस पर ताज्जुब न किया जाये क्योंकि) यकीनन अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं (और क़ुदरत को साबित करने के लिये कियामत की विशेषता शायद इस वजह से की हो कि वह ग़ैब की तमाम बातों में से भी ख़ास है इसलिये वह इल्म और क़ुदरत दोनों की दलील है, वाक़े व ज़ाहिर होने से पहले तो इल्म की और ज़ाहिर होने के बाद क़ुदरत की)।

और (अल्लाह की क़ुदरत की दलीलों और नेमत की वुजूहात में से यह चीज़ है कि) अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी न जानते थे (इस दर्जे का नाम फ़र्लास्फ़ा की परिभाषा में अक़ले हयूलानी है), और उसने तुमको कान दिये और आँख और दिल ताकि तुम शुक्र करो। (क़ुदरत पर दलील के लिये) क्या लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा कि आसमान के (नीचे) फ़िज़ा में (क़ुदरत के) ताबे हो रहे हैं (यानी) उनको (इस जगह) सिवाय अल्लाह के कोई नहीं थामता (वरना उनके जिस्म का भारी होना और हवा के माद्रे का लतीफ़ व पतला होने का तबई तौर पर तकाज़ा यह है कि नीचे गिर पड़ें, इसलिये इस बात में) ईमान वाले लोगों के लिये (अल्लाह की क़ुदरत की) कई दलीलें (यानी निशानियाँ मौजूद) हैं (कई निशानियाँ इसलिये फ़रमाया कि परिन्दों को ख़ास हालत व सूरत पर पैदा करना जिससे उड़ना मुम्किन हो एक दलील है, फिर फ़िज़ा को ऐसे अन्दाज़ पर पैदा करना जिसमें उड़ना मुम्किन हो दूसरी दलील है, फिर मौजूदा हालत में इस उड़ने का वाक़े होना तीसरी दलील है, और जिन असबाब को उड़ने में दख़ल है वो सब अल्लाह ही के पैदा किये हुए हैं, फिर उन असबाब पर मुसबब यानी उड़ान का मुरत्तब हो जाना यह भी अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत है वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ के असबाब मौजूद होते हुए भी वह वजूद में नहीं आती, इसलिये 'मा युम्सिकुहुन्-न.....' फ़रमाया गया)।

(और नेमत की वुजूहात और क़ुदरत की दलीलों में से यह चीज़ है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे वास्ते (वतन में रहने की हालत में) तुम्हारे घरों में रहने की जगह बनाई (और सफ़र की हालत में) तुम्हारे लिये जानवरों की खाल के घर (यानी ख़ेमे) बनाये जिनको तुम अपने कूच के दिन और ठहरने के दिन हल्का (-फुल्का) पाते हो (और इस वजह से उसका लादना और गाड़ना सब आसान मालूम होता है) और उन (जानवरों) की ऊन और उनके रुओं और उनके बालों से (तुम्हारे) घर का सामान और फ़ायदे की चीज़ें एक मुदत तक के लिये बनाई (मुदत तक इसलिये फ़रमाया कि आदतन यह सामान रूई के कपड़ों के मुकाबले में देर तक रहने वाला होता है)।

(और नेमत की वुजूहात और क़ुदरत की दलीलों में से यह चीज़ है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये अपनी कुछ मख़्लूक़ात के साथे बनाये (जैसे दरख़्त व मकानात वग़ैरह) और तुम्हारे

लिये पहाड़ों में पनाह की जगहों बनाई (यानी गुफा बगैरह, जिसमें गर्मी सर्दी, बारिश, तकलीफ़ देने वाले दुश्मन जानवर व आदमी से महफूज़ रह सकते हो) और तुम्हारे लिये ऐसे कुर्त बनाये जो गर्मी से तुम्हारी हिफाज़त करें, और ऐसे कुर्त (भी) बनाये जो तुम्हारी आपस की लड़ाई (में ज़ख़्म लगने) से तुम्हारी हिफाज़त करें (इससे मुराद लोहे की जैकिट और लिबास हैं)। अल्लाह तुम पर इसी तरह अपनी नेमतें पूरी करता है ताकि तुम (उन नेमतों के शुक्रिये में) फ़रमाँबरदार रहो (और अगरचे इन ज़िक्र हुई नेमतों में कुछ बन्दों की बनाई हुई भी हैं मगर उनका माहदा और उनके बनाने का सलीका तो अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है, इसलिये असल नेमत देने वाले वही हैं, फिर इन नेमतों के बाद भी) अगर ये लोग ईमान से मुँह मोड़ें (तो आप गुम न करें आपका कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) आपके ज़िम्मे तो साफ़-साफ़ पहुँचा देना है (और उनके मुँह मोड़ने की वजह यह नहीं कि वे इन नेमतों को पहचानते नहीं बल्कि वे लोग) खुदा की नेमत को पहचानते हैं मगर पहचान कर फिर (बर्ताव में) उसके इनकारी होते हैं (कि जो बर्ताव नेमत देने वाले के साथ होना चाहिये था यानी इबादत व फ़रमाँबरदारी वह दूसरे के साथ करते हैं) और ज़्यादा उनमें ऐसे ही नाशुक्रे हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अल्लाह तआला का कौल है:

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

(कि तुम किसी चीज़ को न जानते थे) इसमें इशारा है कि इल्म इनसान का ज़ाती हुनर नहीं, पैदाईश के वक़्त वह कोई इल्म व हुनर नहीं रखता, फिर इनसानी ज़रूरत के मुताबिक़ उसको कुछ-कुछ इल्म अल्लाह तआला की तरफ़ से बिना वास्ते के सिखाया जाता है जिसमें न माँ-बाप का दख़ल है न किसी शिक्षक का। सबसे पहले उसको रोना सिखाया, उसकी यही सिफ़त उस वक़्त उसकी तमाम ज़रूरतें मुहैया करती है। भूख-प्यास लगे तो वह रोता है, सर्दी-गर्मी लगे तो रो देता है, कोई और तकलीफ़ पहुँचे तो रो देता है, क़ुदरत ने उसकी ज़रूरतों के लिये माँ-बाप के दिलों में ख़ास उलफ़त डाल दी कि जब बच्चे की आवाज़ सुनें तो वे उसकी तकलीफ़ के पहचानने और उसके दूर करने के लिये तैयार हो जाते हैं। अगर बच्चे को अल्लाह की तरफ़ से यह रोने की तालीम न दी जाती तो उसको कौन यह काम सिखा सकता कि जब कोई ज़रूरत पेश आये तो इस तरह चिल्लाया करे। इसके साथ ही उसको अल्लाह तआला ने इल्हामी तौर पर यह भी सिखा दिया कि अपनी ग़िज़ा को माँ की छाती से हासिल करने के लिये अपने मसूढ़ों और होंठों से काम ले, अगर यह तालीम फ़ितरी और बिना वास्ते के न होती तो किस सिखाने वाले की मजाल थी जो उस नवजात को मुँह चलाना और छाती को चूसना सिखा देता। इसी तरह जैसे-जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई क़ुदरत ने उसको माँ-बाप के वास्ते के बगैर खुद-ब-खुद सिखा दिया, कुछ अरसे के बाद उसमें यह सलीका पैदा होने लगता है कि माँ-बाप और दूसरे

आस-पास के आदमियों की बात सुनकर या कुछ चीज़ें देखकर कुछ सीखने लगता है और फिर उन सुनी हुई आवाज़ों और देखी हुई चीज़ों को सोचने-समझने का सलीका पैदा होता है।

इसी लिये उक्त आयत में 'ला तज़ल्लमून शैअन्' के बाद फ़रमाया:

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

यानी अगरचे पैदाईश की शुरूआत में इनसान को किसी चीज़ का इल्म नहीं था, मगर क़ुदरत ने उसके वजूद में इल्म हासिल करने के अजीब व ग़रीब किस्म के माध्यम और मशीनें फिट कर दी थीं, उन माध्यमों में सबसे पहले सुनने की ताकत का ज़िक्र फ़रमाया जिसको पहले लाने की वजह शायद यह है कि इनसान का सबसे पहला इल्म और सबसे ज़्यादा इल्म कानों ही के रास्ते से आता है, शुरू में आँख तो बन्द होती है मगर कान सुनते हैं, और इसके बाद भी अगर गौर किया जाये तो इनसान को अपनी पूरी उम्र में जिस क़द्र मालूमात हासिल होती है उनमें सबसे ज़्यादा कानों से सुनी हुई होती है, आँख से देखी हुई मालूमात उसकी तुलना में बहुत कम होती हैं।

इन दोनों के बाद नम्बर उन मालूमात का है जिनको इनसान अपनी सुनी और देखी हुई चीज़ों में ग़ौर व फ़िक्र (सोच-विचार) करके मालूम करता है और यह काम क़ुरआनी इरशादात के मुताबिक़ इनसान के दिल का है, इसलिये तीसरे नम्बर में 'अफ़इ-द-त' फ़रमाया, जो फ़ुआद की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने दिल के हैं। फ़ल्लफ़ियों ने आम तौर पर समझ-बूझ और एहसास व इल्म का मर्कज़ इनसान के दिमाग़ को करार दिया है, मगर क़ुरआनी इरशाद से मालूम हुआ कि दिमाग़ को अगरचे इस इल्म व एहसास में दख़ल ज़रूर है मगर इल्म व समझ का असली मर्कज़ दिल है।

इस मौक़े पर हक़ तज़ाला ने सुनने, देखने और समझने की ताकतों का ज़िक्र फ़रमाया है, बोलने की ताकत और ज़बान का ज़िक्र नहीं फ़रमाया, क्योंकि बोलने को इल्म हासिल करने में दख़ल नहीं, बल्कि वह इल्म के इज़हार का ज़रिया है, इसके अलावा इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि सुनने के लफ़ज़ के साथ बोलना भी एक तरह से इसके अन्दर ही आ गया, क्योंकि तजुर्बा गवाह है कि जो शख्स सुनता है वह बोलता भी है, गूँगा जो बोलने पर कादिर नहीं वह कानों से भी बहरा होता है, शायद उसके न बोलने का सबब ही यह होता है कि वह कोई आवाज़ सुनता नहीं जिसको सुनकर बोलना सीखे। वल्लाहु आलम

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

बुयूत बैत की जमा (बहुवचन) है, जिस मकान में रात गुज़ारी जा सके उसको बैत कहते हैं। इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया:

كُلُّ مَا عَلَكَ فَاطَّلَكَ فَهُوَ سَفْتٌ وَسَمَاءٌ، وَكُلُّ مَا أَفَلَكَ فَهُوَ أَرْضٌ وَكُلُّ مَا سَتَرَكَ مِنْ جِهَاتِكَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ

جِدَارٌ فَإِذَا انْتَضَمَتْ وَاتَّصَلَتْ فَهُوَ بَيْتٌ.

“जो चीज़ तुम्हारे सर से ऊँची हो और तुम पर साया करे वह छत या समा कहलाती है, और जो चीज़ तुम्हारे वजूद को अपने ऊपर उठाये वह ज़मीन है और जो चीज़ चारों तरफ से तुम्हारा पर्दा कर दे वो दीवारें हैं, और जब ये सब चीज़ें जमा हो जायें तो वह बैत है।”

घर बनाने का असल मक़सद दिल व जिस्म का सुकून है

इसमें हक् तअ़ाला ने इनसान के बैत यानी घर को सकन् फ़रमाकर घर बनाने का फ़लसफ़ा और वज़ह स्पष्ट फ़रमा दी, कि उसका असल मक़सद जिस्म और दिल का सुकून है, आदतन इनसान का काम-धंधा घर से बाहर होता है जो उसकी हरकत से वजूद में आता है, उसके घर का असली मंशा यह है कि जब काम-धंधे और भाग-दौड़ से थक जाये तो उसमें जाकर आराम करे और सुकून हासिल करे, अगरचे कई बार इनसान अपने घर में भी हरकत व अमल में मशगूल रहता है मगर यह आदतन कम है।

इसके अलावा सुकून असल में दिल व दिमाग का सुकून है, वह इनसान को अपने घर में ही हासिल होता है। इससे यह भी मालूम हो गया कि इनसान के मकान की सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि उसमें सुकून मिले, आजकी दुनिया में तामीरों का सिलसिला अपने शिखर पर है और उनमें जाहिरी टिप-टॉप पर बेहद खर्च भी किया जाता है लेकिन उनमें ऐसे मकानात बहुत कम हैं जिनमें दिल और जिस्म का सुकून हासिल हो। कई बार तो बनावटी और दिखावे के तकल्लुफ़ात खुद ही आराम व सुकून को बरबाद कर देते हैं, और वह भी न हो तो घर में जिन लोगों से वास्ता पड़ता है वे उस सुकून को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे अ़ालीशान मकानात से वह झुग्गी और झोंपड़ी अच्छी है जिसके रहने वाले के दिल व जिस्म को सुकून हासिल रहा हो।

क़ुरआने करीम हर चीज़ की रूह और असल को बयान करता है, इनसान के घर का असली मक़सद और सबसे बड़ी गर्ज़ व उद्देश्य सुकून को करार दिया, इसी तरह दाम्पत्य जीवन का असल मक़सद भी सुकून करार दिया है, फ़रमाया— ‘लितस्कून इलैहा’, जिस दाम्पत्य जीवन और घरेलू जिन्दगी से यह मक़सद हासिल न हो वह उसके असल फ़ायदे से मेहरूम है, आजकी दुनिया में इन चीज़ों में रस्मी और ग़ैर-रस्मी तकल्लुफ़ात और जाहिरी टिप-टॉप की हद नहीं रही, और पश्चिमी संस्कृति व रहन-सहन ने इन चीज़ों में जाहिरी टिप-टॉप के सारे सामान जमा कर दिये, मगर दिल व जिस्म के सुकून से बिल्कुल मेहरूम कर डाला।

अल्लाह तअ़ाला के क़ौल ‘मिन् जुलूदिल्-अन्अमि’ और ‘मिन् अस्वाफ़िहा व औ बारिहा’ से साबित हुआ कि जानवरों की खाल और बाल और ऊन सब का इस्तेमाल इनसान के लिये हलाल है। इसमें यह भी क़ैद नहीं कि जानवर जिबह किया हुआ हो या मुर्दार, और न यह क़ैद है कि उसका गोश्त हलाल है या हराम, इन सब किस्म के जानवरों की खाल दबाग़त देकर (यानी उसको परिचित तरीके से तैयार करके) इस्तेमाल करना हलाल है, और बाल और ऊन पर तो जानवर की मौत का कोई असर ही नहीं होता, वहां बग़ैर किसी ख़ास कारीगरी के हलाल और जायज़ है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का यही मज़हब है, अलबत्ता ख़िन्ज़ीर

(सुअर) की खाल और उसके तमाम बदनी हिस्से (अंग) हर हाल में नापाक हैं उनसे किसी हाल में फायदा नहीं उठाया जा सकता।

سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ

यहाँ इनसान को कुर्ते की गर्ज (मकसद व उद्देश्य) गर्मी से बचाने को फरमाया है, हालाँकि कुर्ता इनसान को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाता है। इसका एक जवाब तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि और दूसरे मुफस्सिरिन ने यह दिया है कि कुरआने हकीम अरबी भाषा में आया है, इसके सबसे पहले मुखातब अरब के लोग हैं, इसलिये इसमें अरब वालों की आदतों व जरूरतों का लिहाज़ रखकर कलाम किया गया है। अरब एक गर्म मुल्क है वहाँ बर्फबारी और सर्दी का तसव्वुर ही मुश्किल है, इसलिये गर्मी से बचाने के जिक्र को काफी समझा गया। हज़रत धानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफसीर बयानुल-कुरआन में फरमाया कि कुरआने करीम ने इसी सूरत के शुरू में 'लकुम् फीहा दिफ्उन्' फरमाकर लिबास के जरिये सर्दी से बचने और गर्मी हासिल करने का जिक्र पहले कर दिया था, इसलिये यहाँ सिर्फ गर्मी से बचाव का जिक्र किया गया है।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَدُّنَ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۖ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَائِهِمْ قَالَ أَرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دُونِكَ
فَالْقَوْلُ أَلَيْهِمْ أَلَّا يَكْفُرُوا لَكُمْ كَذِبُونَ ۝ وَالْقَوْلُ أَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْسِدُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى
هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ۝

व यौ-म नब्असु मिन् कुल्लि उम्मतिन्
शहीदन् सुम्-म ला युअ्जनु
लिल्लज़ी-न क-फरू व ला हुम्
युस्तअ्तबून (84) व इज़ा
रअल्लज़ी-न ज़-लमुल्-अज़ा-ब फला
युख्फफु अन्हुम् व ला हुम् युन्ज़रुन
(85) व इज़ा रअल्लज़ी-न अशरकू

और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर फ़िर्क
में एक बतलाने वाला, फिर हुक्म न मिले
मुन्किरो को और न उनसे तौबा ली
जाये। (84) और जब देखेंगे जालिम
अज़ाब को फिर हल्का न होगा उनसे
और न उनको ढील मिले। (85) और जब
देखें मुशिरक अपने शरीकों को बोलें- ऐ

शु-रका-अहुम् कालू रब्बना हाउला-इ
 शु-रकाउनल्लज़ी-न कुन्ना नदअ
 मिन् दूनि-क फ़अल्कौ इलैहिमुल्-
 कौ-ल इन्नकुम् लकाज़िबून (86) ▲
 व अल्कौ इलल्लाहि यौमइज़ि-
 -निस्स-ल-म व जल्-ल अन्हुम् मा
 कानू यफ़तरून (87) अल्लज़ी-न
 क-फरू व सददू अन् सबीलिल्लाहि
 ज़िदनाहुम् अज़ाबन् फौकल्-
 अज़ाबि बिमा कानू युफिसदून (88)
 व यौ-म नब्असु फी कुल्लि उम्मतिन्
 शहीदन् अलैहिम् मिन् अन्फुसिहिम्
 व जिअना बि-क शहीदन् अला
 हाउला-इ, व नज़ज़ल्ला अलैकल्-
 किता-ब तिब्यानल्-लिकुल्लि शैइव्-
 व हुदव्-व रस्मतव्-व बुशरा लिल्-
 मुस्लिमीन (89) ●

हमारे रब! ये शरीक हैं जिनको हम
 पुकारते थे तेरे सिवा, तब वे उन पर
 डालेंगे बात कि तुम झूठे हो। (86) ▲
 और आ पड़ें अल्लाह के आगे उस दिन
 अज़िज़ होकर और मूल जायें जो झूठ
 बाँधते थे। (87) जो लोग मुन्किर हुए हैं
 और रोकते रहे हैं अल्लाह की राह से
 उनको हम बढ़ा देंगे अज़ाब पर अज़ाब,
 बदला उसका जो शरारत करते थे। (88)
 और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर फ़िर्क
 में एक बतलाने वाला उन पर उन्हीं में
 का और तुझको लायें बतलाने को उन
 लोगों पर, और उतारी हमने तुझ पर
 किताब खुला बयान हर चीज़ का, और
 हिदायत और रहमत और खुशख़बरी हुक्म
 मानने वालों के लिये। (89) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और (वह दिन याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह
 (जो कि उस उम्मत का पैग़म्बर होगा) खड़ा करेंगे (जो उनके बुरे आमाल की गवाही देंगे), फिर
 उन काफ़िरों को (उज़्र व माज़िरत करने की) इज़ाज़त न दी जायेगी और न उनसे हक़ तज़ाला के
 राज़ी करने की फ़रमाईश की जायेगी (यानी उनसे यँ न कहा जायेगा कि तुम तौबा या कोई
 अमल करके अल्लाह को खुश कर लो, वजह इसकी जाहिर है कि आख़िरत बदले की जगह है
 अमल की जगह नहीं)। और जब ज़ालिम (यानी काफ़िर) लोग अज़ाब को देखेंगे (यानी उसमें
 पड़ेंगे) तो वह अज़ाब न उनसे कुछ हल्का किया जायेगा और न वे (उसमें) कुछ मोहलत दिये
 जाएँगे (कि घन्द दिन के बाद वह अज़ाब जारी किया जाये)। और जब वे मुश्रिक लोग अपने

शरीकों को (जिनको खुदा के सिवा पूजते थे) देखेंगे तो (जुर्म के इकरार के तौर पर) कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! वे हमारे शरीक यही हैं कि आपको छोड़कर हम इनको पूजा करते थे। सो वे (शरीक डरेंगे कि कहीं हमारी कमबख्ती न आ जाये इसलिये) वे उनकी तरफ बात को मुतबज्जह करेगे "यानी फेर देंगे" कि तुम झूठे हो (असल मतलब उनका यह होगा कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं जिससे मकसद अपना बंधाव है, अब चाहे यह मतलब उनका सही हो जैसा कि अगर मकबूल हजरात जैसे फरिश्ते व अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यह बात कहें तो सही है जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है:

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

"कि बल्कि वे शैतान की इबादत करते थे" और चाहे यह ग़लत हो जैसे खुद शैतान कहने लगे और चाहे उनको सही ग़लत होने की ख़बर ही न हो जैसे बुत व पेड़-पौधे वगैरह कहने लगे। और ये मुशिरक और काफिर लोग उस दिन अल्लाह के सामने इताअत की बातें करने लगेंगे और जो कुछ (दुनिया में) बोहतान बाज़ियाँ करते थे (उस वक़्त) वे सब गुम हो जाएँगी (और उनमें) जो लोग (खुद भी) कुफ़्र करते थे और (दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी दीन) से रोकते थे उनके लिये हम एक सज़ा पर (जो कि कुफ़्र के मुकाबले में होगी) दूसरी सज़ा उनके फ़साद के मुकाबले में (कि अल्लाह की राह से रोकते थे) बढ़ा देंगे।

और (वह दिन भी याद करने और लोगों के डरने का है) जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह जो उन्हीं में का होगा, उनके मुकाबले में खड़ा करेंगे (मुराद उस उम्मत का नबी है, और उन्हीं में का होना अ़ाम है चाहे ख़ानदान में शरीक होने के एतिबार से हो चाहे साथ रहने में शरीक होने के एतिबार से हो), और उन लोगों के मुकाबले में आपको गवाह बनाकर लाएँगे (और इस गवाही की ख़बर देने से जो आपकी रिसालत का ख़बर देना समझ में आता है उसकी दलील यह है कि) हमने आप पर कुरआन उतारा है जो (मोजिज़ा होने के अलावा रिसालत के सुबूत का मदार है, इन ख़ूबियों का जामे है) कि तमाम (दीन की) बातों का (प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अ़ाम लोगों के लिये) बयान करने वाला है, और (खास) मुसलमानों के वास्ते बड़ी हिदायत और बड़ी रहमत और (ईमान पर) खुशख़बरी सुनाने वाला है।

मकारिफ़ व मसाईल

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ

इसमें किताब यानी कुरआने करीम को हर चीज़ का बयान फरमाया गया है, मुराद इससे दीन की सब चीज़ें और बातें हैं, क्योंकि वही और नुबुव्वत का मकसद इन्हीं चीज़ों से संबन्धित है, इसलिये आर्थिक और रोज़गार से मुताल्लिक़ फ़ुनून और उनके मसाईल को कुरआने करीम में दूँदना ही ग़लत है, अगर कहीं कोई जिमवी इशारा आ जाये तो वह इसके खिलाफ़ नहीं। रहा यह सवाल कि कुरआने करीम में दीन के भी तो तमाम मसाईल ज़िक्र नहीं हुए हैं तो 'तिब्यानल

लिकुल्लि शैडन् (यानी हर चीज़ का बयान फ़रमाना) कहना कैसे दुरुस्त होगा? इसका जवाब यह है कि क़ुरआने करीम में उसूल (बुनियादी बातें) तो तमाम मसाईल के मौजूद हैं उन्हीं की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों उन मसाईल का बयान करती हैं और कुछ तफसीलात को इजमा व शरई क़ियास के सुपर्द कर दिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों और इजमा व क़ियास से जो मसाईल निकले हैं वो भी एक हैसियत से क़ुरआन ही के बयान किये हुए हैं।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظَكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

इन्नल्ला-ह यअमुरु बिल्-अद्लि
वल्-इस्सानि व ईता-इ ज़िल्कुरबा व
यन्हा अनिल्-फहशा-इ वल्मुन्करि
वल्बग्यि यज़िज़ुकुम् लअल्लकुम्
तज़क्करून (90)

अल्लाह हुक्म करता है इन्साफ़ करने का और भलाई करने का और रिश्तेदारों को देने का, और मना करता है बेहयाई से और नामाकूल काम से और सरकशी से, और तुमको समझाता है ताकि तुम याद रखो। (90)

खुलासा-ए-तफसीर

बेशक अल्लाह तआला (क़ुरआन में) एतिदाल "इन्साफ़ करने" और एहसान "भलाई करने" और कराबत वालों "रिश्तेदारों व संबन्धियों" को देने का हुक्म फ़रमाते हैं और खुली बुराई और हर तरह की बुराई और (किसी पर) जुल्म (और ज़्यादती) करने से मना फ़रमाते हैं (और इन हुक्म की गयी और मना की गयी चीज़ों में तमाम अच्छे-बुरे आमाल आ गये, इस पूर्णता व कामिल होने की वजह से क़ुरआन का खोलकर बयान करने वाला होना साफ़ ज़ाहिर है, और) अल्लाह तआला तुमको (उक्त बातों की) इसलिये नसीहत फ़रमाते हैं ताकि तुम नसीहत कुबूल करो (और अमल करो, क्योंकि हिदायत, रहमत और खुशख़बरी होना इसी पर मौकूफ़ है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

यह आयत क़ुरआने करीम की बहुत जामे (यानी जो अपने अन्दर बहुत उम्दगी से कई बातों को समोने वाली है वह) आयत है, जिसमें पूरी इस्लामी तालीमात को चन्द अलफ़ाज़ में समो दिया गया है, इसी लिये पहले बुजुर्गों के मुबारक दौर से आज तक दस्तूर चला आ रहा है कि जुमा व ईदों के खुतबे के आख़िर में यह आयत पढ़ी जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि क़ुरआने करीम की बहुत ही जामे आयत सूर: नहल में यह है:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الخ. (अब कहीं)

(यानी यही आयत नम्बर 90 जिसका बयान चल रहा है)।

और हज़रत अक्सम बिन सैफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु तो इसी आयत की बिना पर इस्लाम में दाख़िल हुए। इमाम इब्ने कसीर ने हाफ़िज़े हदीस अबू यज़ली की किताब 'मारिफ़तुस्सहाबा' में सनद के साथ यह वाक़िआ नक़ल किया है कि अक्सम बिन सैफ़ी अपनी कौम के सरदार थे, जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दावा-ए-नुबुव्वत और इस्लाम के प्रचार की ख़बर मिली तो इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हों मगर कौम के लोगों ने कहा कि आप हम सब के बड़े हैं, आपका खुद जाना मुनासिब नहीं। हज़रत अक्सम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा तो कबीले के दो आदमी चुनो जो वहाँ जायें और हालात का जायज़ा लेकर मुझे बतायें। ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि हम अक्सम बिन सैफ़ी की तरफ़ से दो बातें पूछने के लिये आये हैं। अक्सम के दो सवाल ये हैं:

مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ.

“आप कौन हैं और क्या हैं?”

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरश़ाद फ़रमाया कि पहले सवाल का जवाब तो यह है कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूर: नहल की यह आयत तिलावत फ़रमाई:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الآية

(यानी यही आयत नम्बर 90 जिसका बयान चल रहा है)।

उन दोनों कासिदों ने दरख़्वास्त की कि ये जुमले हमें फिर सुनाईये। आप इस आयत की तिलावत करते रहे यहाँ तक कि उन कासिदों को आयत याद हो गई।

कासिद वापस अक्सम बिन सैफ़ी के पास आये और बतलाया कि हमने पहले सवाल में यह चाहा था कि आपका नसब मालूम करें, मगर आपने इस पर ज़्यादा तवज्जोह नहीं दी सिर्फ़ बाप का नाम बयान कर देने पर बस किया, मगर जब हमने दूसरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नसब (ख़ानदान) की तहकीक़ की तो मालूम हुआ कि वह बड़े ऊँचे ख़ानदान वाले शरीफ़ हैं, और फिर बतलाया कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें कुछ कलिमात भी सुनाये थे वो हम बयान करते हैं।

उन कासिदों ने यह ऊपर बयान हुई आयत अक्सम बिन सैफ़ी को सुनाई। आयत सुनते ही अक्सम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इससे मालूम होता है कि वह उम्दा और ऊँचे अख़्लाक़ की हिदायत करते हैं और बुरे और घटिया अख़्लाक़ से रोकते हैं, तुम सब उनके दीन में जल्द दाख़िल

हो जाओ ताकि तुम दूसरे लोगों से मुक़द्दम और आगे रहो, पीछे ताबे बनकर न रहो।

(तफसीर इब्ने कसीर)

इसी तरह हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि शुरू में मैंने लोगों के कहने सुनने से शर्मा शर्मा इस्लाम कुबूल कर लिया था, मगर मेरे दिल में इस्लाम जमा नहीं था यहाँ तक कि एक दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था अचानक आप पर वही नाज़िल होने के आसार (निशानियाँ) ज़ाहिर हुए और कुछ अज़ीब हालात के बाद आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला का कासिद मेरे पास आया और यह आयत मुझ पर नाज़िल हुई। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि इस वाक़िफ़ को देखकर और आयत सुनकर मेरे दिल में ईमान मज़बूत व पुख़्ता हुआ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत मेरे दिल में घर कर गई (इब्ने कसीर ने यह वाक़िआ नक़ल करके फ़रमाया कि इसकी सनद उम्दा है)।

और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत वलीद बिन मुगीरा के सामने तिलावत फ़रमाई तो उसकी राय यह थी जो उसने अपनी क़ौम कुरैश के सामने बयान की:

وَاللّٰهُ اِنَّ لَهُ لِحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَاِنَّ اَصْلَهُ لَمُورِقٌ وَاِعْلَاهُ لَمَشْرُومٌ وَاَوْقُولُ بَشَرٌ

“खुदा की क़सम! उसमें एक खास मिठास है और उसके ऊपर एक ख़स रौनक और नूर है, उसकी जड़ से शाख़ें और पत्ते निकलने वाले हैं और शाख़ों पर फल लगने वाला है, यह किसी इन्सान का कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता।”

तीन चीज़ों का हुक्म और तीन चीज़ों से मनाही

इस आयत में हक़ तआला ने तीन चीज़ों का हुक्म दिया है— अदल, एहसान और रिश्तेदारों को बख़्शिश, और तीन चीज़ों से मना फ़रमाया है— बेहयाई और हर बुरा काम, और ज़ुल्म व ज़्यादती, इन छह अलफ़ाज़ के शरई मफ़हूम और उसकी हदों की वज़ाहत यह है:

अदल: इस लफ़ज़ के असली मायने और लुगवी मायने बराबर करने के हैं, इसी की मुनासबत से हाकिमों का लोगों के विवादित मुक़द्दमों में इन्साफ़ के साथ फ़ैसला अदल कहलाता है। कुरआने करीम में ‘अन् तह्कूमू बिल्अद्लि’ इसी मायने के लिये आया है। और इसी लिहाज़ से लफ़ज़ अदल कमी व ज़्यादती के बीच एतितदाल को भी कहा जाता है, और इसी की मुनासबत से तफ़सीर के कुछ इमामों ने इस जगह लफ़ज़ अदल की तफ़सीर ज़ाहिर व बातिन की बराबरी से की है, यानी जो क़ील या फ़ेल इन्सान के ज़ाहिरी बदनी अंगों से सर्जद हो और बातिन में भी उसका वही एतिकाद और हाल हो। और असल हकीक़त यही है कि यहाँ लफ़ज़ अदल अपने आम मायने में है जो उन सब सूरतों को शामिल है जो तफ़सीर के मुख़्तलिफ़ इमामों से मन्कूल हैं, उनमें कोई टकराव या इख़्तिलाफ़ नहीं।

और अल्लामा इब्ने अरबी ने फ़रमाया कि लफ़ज़ अदल के असली मायने बराबरी करने के

हैं, फिर विभिन्न निस्वतों से इसका मफ़हूम मुख़लिफ़ हो जाता है, जैसे एक मफ़हूम अदल का यह है कि इनसान अपने नफ़्स और अपने रब के बीच अदल करे, तो इसके मायने यह होंगे कि अल्लाह तआला के हक़ को अपने नफ़्स के हिस्से पर और उसकी रज़ा तलब करने को अपनी इच्छाओं पर आगे जाने और उसके अहक़ाम की तामील और उसकी मना और हराम की हुई बातों और चीज़ों से पूरी तरह परहेज़ करे।

दूसरा अदल यह है कि आदमी खुद अपने नफ़्स के साथ अदल का मामला करे। वह यह है कि अपने नफ़्स को ऐसी तमाम चीज़ों से बचाये जिसमें उसकी जिस्मानी या रूहानी तबाही हो, उसकी ऐसी इच्छाओं को पूरा न करे जो उसके लिये अन्जाम के एतिबार से नुक़सानदेह हों, और क़नाअत व सब्र से काम ले, नफ़्स पर बिना वजह ज़्यादा बोझ न डाले।

तीसरा अदल अपने नफ़्स और तमाम मख़्लूक़ात के बीच है, इसकी हकीक़त यह है कि तमाम मख़्लूक़ात के साथ ख़ैरख़वाही और हमदर्दी का मामला करे, और किसी छोटे बड़े के मामले में किसी से ख़ियानत न करे, सब लोगों के लिये अपने नफ़्स से इन्साफ़ का मुतालबा करे, किसी इनसान को उसके किसी कौल व फ़ैल से ज़ाहिरी या बातिनी तौर पर कोई दुख और तकलीफ़ न पहुँचे।

इसी तरह एक अदल यह है कि जब दो फ़रीक़ अपने किसी मामले का फ़ैसला कराने के लिये उसके पास लायें तो फ़ैसले में किसी की तरफ़ मैतान (झुकाव और तरफ़दारी) के बग़ैर हक़ के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और एक अदल यह भी है कि हर मामले में कमी व ज़्यादती की राहों को छोड़कर दरमियानी राह इख़्तियार करे। अबू अब्दुल्लाह राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यही मायने इख़्तियार करके फ़रमाया है कि लफ़ज़ अदल में अकीदे का एतिदाल, अमल का एतिदाल, अख़्लाक़ का एतिदाल (दरमियानी और सही रास्ता) सब शामिल हैं। (बहरे मुहीत)

इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अदल के मफ़हूम में इस तफ़सील का ज़िक़्र करके फ़रमाया कि यह तफ़सील बहुत बेहतर है। इससे यह भी मालूम हुआ कि इस आयत का सिर्फ़ लफ़ज़ अदल तमाम आमाल व अच्छे अख़्लाक़ की पाबन्दी और बुरे आमाल व अख़्लाक़ से बचने को हावी और अपने अन्दर समोने वाला है।

अल्-एहसान: इसके असल लुग़वी मायने अच्छा करने के हैं, और इसकी दो किस्में हैं एक यह कि काम या अख़्लाक़ व आदात को अपनी ज़ात में अच्छा और मुकम्मल करे, दूसरे यह कि किसी दूसरे शख्स के साथ अच्छा सुलूक़ और बेहतरीन मामला करे। और दूसरे मायने के लिये अरबी भाषा में लफ़ज़ एहसान के साथ हर्फ़ इला इस्तेमाल होता है, जैसे एक आयत में:

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

फ़रमाया है।

इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि आयत में यह लफ़ज़ अपने आ़ाम मफ़हूम के लिये इस्तेमाल हुआ है, इसलिये एहसान की दोनों किस्मों को शामिल है। फिर पहली किस्म का

एहसान यानी किसी काम को अपनी ज़ात में अच्छा करना यह भी आ़ाम है इबादतों को अच्छा करना, आमा़ल व अख़्लाक को अच्छा करना, मामलात को अच्छा करना।

हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एहसान के जो मायने बयान फरमाये हैं वह एहसान इबादत के लिये है। उस इरशाद का खुलासा यह है कि अल्लाह तआ़ला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम खुदा तआ़ला को देख रहे हो, और अगर ख़्याल व ध्यान का यह दर्जा नसीब न हो तो इतनी बात का यकीन तो हर शख़्स को होना ही चाहिये कि हक़ तआ़ला उसके अमल को देख रहे हैं, क्योंकि यह तो इस्लामी अक़ीदे का अहम हिस्सा है कि हक़ तआ़ला की जानकारी व देखने से कायनात का कोई ज़र्रा बाहर नहीं रह सकता।

खुलासा यह है कि दूसरा हुक्म इस आयत में एहसान का आया है, इसमें इबादत का एहसान हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ भी दाख़िल है, और तमाम आमा़ल, अख़्लाक, आदतों का एहसान यानी उनको मतलूबा सूरत के मुताबिक़ बिल्कुल सही दुरुस्त करना भी दाख़िल है, और तमाम मख़्लूक़ात के साथ अच्छा सुलूक करना भी दाख़िल है चाहे वह मुसलमान हो या काफ़िर, इनसान हों या जानवर।

इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जिस शख़्स के घर में उसकी बिल्ली को उसकी ख़ुराक और ज़रूरतें न मिलें और जिसके पिंजरे में बन्द परिन्दों की पूरी देखभाल न होती हो वह कितनी ही इबादत करे मोहसिनों (अच्छा अमल करने वालों) में शुमार नहीं होगा।

इस आयत में पहले अदल का हुक्म दिया गया फिर एहसान का। तफसीर के कुछ इमामों ने फरमाया कि अदल तो यह है कि दूसरे का हक़ पूरा-पूरा उसको दे दे और अपना वसूल कर ले, न कम न ज़्यादा और कोई तकलीफ़ तुम्हें पहुँचाये तो ठीक उतनी ही तकलीफ़ तुम उसको पहुँचाओ, न कम न ज़्यादा, और एहसान यह है कि दूसरे को उसके असल हक़ से ज़्यादा दो और खुद अपने हक़ से नज़र बचाने से काम लो, कि कुछ कम हो जाये तो खुशी से क़बूल कर लो, इसी तरह दूसरा कोई तुम्हें हाथ या ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाये तो तुम बराबर का इन्तिकाम (बदला) लेने के बजाय उसको माफ़ कर दो, बल्कि बुराई का बदला भलाई से दो। इसी तरह अदल का हुक्म तो फ़र्ज़ व वाजिब के दर्जे में हुआ और एहसान का हुक्म नफ़ली और एहसान के तौर पर हुआ।

إِنْسَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ

तीसरा हुक्म जो इस आयत में दिया गया है वह 'ईता-इ जिल्क़ुर्बा' है। ईता के मायने अता यानी कोई चीज़ देने के हैं, और लफ़्ज़ कुर्बा के मायने कराबत और रिश्तेदारी के हैं। ज़ी कुर्बा के मायने रिश्तेदार, ज़ी रहम। ईता-इ ज़ी कुर्बा के मायने हुए रिश्तेदार को कुछ देना। यहाँ इसका खुलासा नहीं फरमाया कि क्या चीज़ देना, लेकिन एक दूसरी आयत में उस दी जाने वाली चीज़ का भी ज़िक्र है:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

“यानी रिश्तेदार को उसका हक्” जाहिर यही है कि यहाँ भी यही चीज़ मुराद है, कि रिश्तेदार को उसका हक् दिया जाये। इस हक् में रिश्तेदार को माल देकर माली खिदमत करना भी दाखिल है और जिस्मानी खिदमत भी, बीमार का हल पूछना और खबरगिरी करना भी, जबानी तसल्ली व हमदर्दी का इज़हार भी। और अगरचे लफ़्ज़ एहसान में रिश्तेदारों का हक् अदा करना भी दाखिल था मगर इसकी ज़्यादा अहमियत बतलाने के लिये इसको अलग से बयान फरमाया गया।

ये तीन बातें वो थीं जिनका हुक्म किया गया था आगे तीन अहकाम वो हैं जिनसे मना किया गया और उनका हराम होना बताया गया है:

رَبِّهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ.

यानी अल्लाह तआला मना करता है फहशा और मुन्कर और बग्य से। फ़हशा हर ऐसे बुरे काम या कौल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली हुई और स्पष्ट हो, हर शख्स उसको बुरा समझे। और मुन्कर वह कौल व फ़ेल है जिसके हराम व नाजायज़ होने पर शरीअत वालों का इत्तिफाक (सर्वसम्मति) हो, इसलिये वैचारिक और इज्तिहादी मतभेदों में किसी एक दिशा को मुन्कर नहीं कहा जा सकता, और लफ़्ज़ मुन्कर में तमाम गुनाह खुले और छुपे, अमली और अख्लाकी सब दाखिल हैं। और बग्य के असली मायने हद से निकलने के हैं, मुराद इससे जुल्म व ज़्यादाती है। यहाँ अगरचे लफ़्ज़ मुन्कर के मतलब में फ़हशा (बेहयाई) भी दाखिल है और बग्य (नाफरमानी) भी, लेकिन फ़हशा को उसकी हद से ज़्यादा बुराई और खराबी की वजह से अलग करके बयान फरमाया और पहले रखा। और बग्य को इसलिये अलग बयान किया कि इसका असर दूसरों तक पहुँचाता है, और कई बार यह दूसरों तक पहुँचना आपसी लड़ाई झगड़े या उससे भी आगे वैश्विक फ़साद तक पहुँच जाती है।

हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जुल्म के सिवा कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका बदला और अज़ाब जल्द दिया जाता हो। इससे मालूम हुआ कि जुल्म पर आखिरत का सख्त अज़ाब तो होना ही है उससे पहले दुनिया में भी अल्लाह तआला जालिम को सज़ा देते हैं, अगरचे वह यह न समझे कि यह फुलों जुल्म की सज़ा है और अल्लाह तआला ने मज़लूम की मदद करने का वायदा फरमाया है।

इस आयत ने जो छह हुक्म (तीन करने के और तीन न करने के) दिये हैं, अगर गौर किया जाये तो वो इनसान की व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िन्दगी की मुकम्मल कामयाबी का अचूक नुस्खा हैं। अल्लाह तआला हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाये।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ

قَدْ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَذَّبَتْ عِزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّتِهِمْ أَنْ كَانُوا آيْمَانَكُمْ دَخَلُوا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُ مِنْ أُمَّةٍ ۗ

إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ، وَكَيِّبِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّتُمْ عَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِكُمْ فَتَبْذُرُوا قَدْرَهُمْ بَعْدَ تَبْوِئِهِمْ وَتَذُقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْ يُخْزِبَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

व औफू बि-अहिदल्लाहि इज़ा
आहत्तुम् व ला तन्कुज़ुल्-ऐमा-न
बअ-द तौकीदिहा व कद्
जअल्लुमुल्ला-ह अलैकुम् कफीलन्,
इन्नल्ला-ह यअलमु मा तप्रअलून
(91) व ला तकूनू कल्लती न-कज़त्
गज़लहा मिम्-बअदि कुव्वतिन्
अन्कासन्, तत्तख़िज़ू-न ऐमानकुम्
द-ख़ालम्-बैनकुम् अन् तकू-न
उम्मतुन् हि-य अरबा मिन् उम्मतिन्,
इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिही, व
लयुबय्यिनन्-न लकुम् यौमल्-
क़ियामति मा कुन्तुम् फीहि
तख़लिफून् (92) व लौ शा-अल्लाहु
ल-ज-अ-लकुम् उम्मतं-व वाहि-दतं-व
व लाकिं-य-युजिल्लु मंय्यशा-उ व
यहदी मंय्यशा-उ, व लतुस्अलुन्-न
अम्मा कुन्तुम् तअमलून (93)

और पूरा करो अहद अल्लाह का जब
आपस में अहद करो और न तोड़ो
कसमों को पक्का करने के बाद, और तुम
ने किया है अल्लाह को अपना ज़मानती,
अल्लाह जानता है जो तुम करते हो।
(91) और मत रहो जैसे वह औरत कि
तोड़ा उसने अपना सूत काता हुआ मेहनत
के बाद टुकड़े-टुकड़े, कि ठहराओ अपनी
कसमों को दख़ल देने का बहाना एक
दूसरे में, इस वास्ते कि एक फ़िर्का हो
चढ़ा हुआ दूसरे से, यह तो अल्लाह
परखता है तुमको उससे, और आईन्दा
खोल देगा अल्लाह तुमको क़ियामत के
दिन, जिस बात में तुम झगड़ रहे थे।
(92) और अल्लाह चाहता तो सबको एक
ही फ़िर्का कर देता लेकिन राह भुलाता है
जिसको चाहे और सुझाता है जिसको
चाहे, और तुमसे पूछ होगी जो काम तुम
करते थे। (93)

व ला तलख़िज़ू ऐमानकुम् द-ख़लम्
 बैनकुम् फ-तज़िल्-ल क-दमुम्-बज़्-द
 सुबूतिहा व तज़ूकुस्सू-अ बिमा
 सदत्तुम् अन् सबीलिल्लाहि व लकुम्
 अज़ाबुन् अज़ीम (94) व ला तशतरू
 बि-अस्दिल्लाहि स-मनन् क़लीलन्,
 इन्नमा अिन्दल्लाहि हु-व ख़ैरुल्लकुम्
 इन् कुन्तुम् तज़़लमून (95) मा
 अिन्दकुम् यन्फ़दु व मा अिन्दल्लाहि
 बाकिन्, व ल-नज़ज़ियन्नल्लज़ी-न
 स-बरू अज़हुम् बि-अस्सनि मा कानू
 यज़्मलून (96)

और न ठहराओ अपनी कसमों को धोखा
 आपस में कि डिग न जाये किसी का पाँव
 जमने के बाद, और तुम चखो सज़ा इस
 बात पर कि तुमने रोका अल्लाह की राह
 से, और तुमको बड़ा अज़ाब हो। (94)
 और न लो अल्लाह के अ़हद पर मोल
 थोड़ा सा, बेशक जो अल्लाह के यहाँ है
 वही बेहतर है तुम्हारे हक़ में अगर तुम
 जानते हो। (95) जो तुम्हारे पास है ख़त्म
 हो जायेगा और जो अल्लाह के पास है
 कमी ख़त्म न होगा, और हम बदले में
 देंगे सब करने वालों को उनका हक़ अच्छे
 कामों पर जो करते थे। (96)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अ़हद पूरा करने का हुक्म और अ़हद तोड़ने की निंदा

और तुम अल्लाह के अ़हद को (यानी जिस अ़हद के पूरा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको) पूरा करो (इससे ब़ह-निकल गया जो ख़िलाफ़े शरीअत अ़हद हो, और बाकी सब जायज़ और शरीअत के ज़रिये हुक्म किये गये अ़हद चाहे वो अल्लाह के हुक्क़ से संबन्धित हों या बन्दों के हुक्क़ से, वो इसमें दाख़िल हो गये) जबकि तुम उसको (विशेष तौर पर या उमूमी तौर पर) अपने ज़िम्मे कर लो (विशेष तौर पर यह कि स्पष्ट रूप से किसी काम की ज़िम्मेदारी ली और उमूमी तौर पर यह कि ईमान लाये तो तमाम वाजिब अहक़ाम की ज़िम्मेदारी उसके ज़िम्मे में आ गई) और (खासकर जिन अ़हदों में कसम भी खाई हो वे ज़्यादा पाबन्दी और ध्यान करने के काबिल हैं, सो उनमें) कसमों को उनके मज़बूत करने के बाद (यानी अल्लाह का नाम लेकर कसम खाने के बाद) मत तोड़ो, और तुम (उन कसमों की वजह से उन अ़हदों में) अल्लाह तआला को गवाह भी बना चुके हो (ये कैदें कि पक्का करने के बाद और अल्लाह को गवाह बनाने के बाद, अ़हद पर जोर डालने और उसकी पाबन्दी की तरफ़ ख़ास तवज़्जोह दिलाने के लिये हैं), बेशक अल्लाह तआला को मालूम है जो कुछ तुम करते हो (चाहे अ़हद पूरा करो या

उसको तोड़ो उसी के मुवाफिक़ तुमको जज़ा व सज़ा देगा)।

और तुम (अहद तोड़ करके) उस (मक्का में रहने वाली पागल) ज़ौरत के जैसे मत बनो जिसने अपना सूत कातने के बाद बोटी-बोटी करके नोच डाला, कि (उसकी तरह) तुम (भी) अपनी कसमों को (सही व दुरुस्त करने के बाद तोड़कर उनको) आपस में फ़साद डालने का ज़रिया बनाने लगे (क्योंकि कसम व अहद तोड़ने से मुवाफिक़ और समर्थकों में अविश्वास और मुख़ालिफों व विरोधियों में उत्तेजना व आक्रोश पैदा होता है और यह जड़ है फ़साद की, और तोड़ना भी महज़ इस वजह से कि) एक गिरोह दूसरे गिरोह से (माल या संख्या में) बढ़ जाये (यानी जैसे काफ़िरों के दो गिरोहों में आपस में मुख़ालफ़त हो और तुम्हारी एक से सुलह हो जाये फिर दूसरी तरफ़ पल्ला झुकता हुआ देखकर जिस गिरोह से सुलह की थी उससे उज़्र करके दूसरे गिरोह से साज़िश कर ले। या जैसे कोई मुसलमान होकर मुसलमानों में शामिल हो और फिर काफ़िरों की तरफ़ ज़ोर देखा तो इस्लाम के अहद को तोड़कर दीन इस्लाम से फिर जाये, और यह जो एक गिरोह दूसरे से बढ़ा हुआ होता है या दूसरी किसी जमाअत के शामिल हो जाने से बढ़ जाता है तो) बस इस (ज़्यादा होने) से अल्लाह तआला तुम्हारी आजमाईश करता है (कि देखें अहद को पूरा करते हो या झुकता पल्ला देखकर उधर ढल जाते हो), और जिन चीज़ों में तुम झगड़ा करते रहे (और विभिन्न राहें चलते रहे) क़ियामत के दिन उन सब (की हकीकत) को तुम्हारे सामने (अमली तौर पर) ज़ाहिर कर देगा (कि हक़ वालों को जज़ा और बातिल वालों को सज़ा हो जायेगी। आगे असल मज़मून को बीच में रोककर उस झगड़े की हिकमत मुख़तसर तौर पर बयान फरमाते हैं)।

और (अल्लाह तआला को अगरचे पूरी तरह यह भी कुदरत थी कि विवाद व झगड़ा न होने देते, चुनाँचे) अगर अल्लाह को मन्ज़ूर होता तो तुम सब को एक ही तरीके का बना देते, लेकिन (हिकमत के तकाज़े के तहत जिसकी वज़ाहत और निर्धारण यहाँ ज़रूरी नहीं) जिसको चाहते हैं राह से हटा देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं (चुनाँचे हिदायत और राह पर डाल देने में से अहद का पूरा करना भी है और गुमराही और राह से हटा देने में दूसरी बातों के अलावा अहद का तोड़ना भी है। और यह न समझना चाहिये कि जैसे दुनिया में गुमराहों को पूरी सज़ा नहीं होती ऐसे ही आख़िरत में आज़ाद और खुले मुझर रहेंगे, हरगिज़ नहीं! बल्कि क़ियामत में) तुमसे तुम्हारे सब आमाल की ज़रूर पूछताछ और सवाल होगा। और (जैसा कि अहद व कसम के तोड़ने से महसूस नुकसान होता है जिसका ऊपर बयान या इसी तरह इससे मानवी नुकसान भी होता है। आगे उसी का जिक्र है, यानी) तुम अपनी कसमों को आपस में फ़साद डालने का ज़रिया मत बनाओ (यानी कसमों और अहदों को मत तोड़ो, कभी इसको देखकर और किसी का क़दम जमने के बाद न फिसल जाये, यानी दूसरे भी तुम्हारी पैरवी करें और अहद तोड़ने लगे) फिर तुमको इस सबब से कि तुम (दूसरों के लिये) अल्लाह की राह से रुकावट हुए, तकलीफ़ भुगतनी पड़े (क्योंकि अहद का पूरा करना अल्लाह की राह है, तुम उसके तोड़ने का सबब बन गये, और यही है वह मानवी नुकसान कि दूसरों को भी अहद तोड़ने वाला बनाया

और तकलीफ़ यह होगी कि इस हालत में तुमको बड़ा अज़ाब होगा।

और (जिस तरह ग़ालिब गिरोंह में शामिल होकर रुतबा व इज़्ज़त हासिल करने की गर्ज से अहद का तोड़ना मना है जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ इसी तरह माल हासिल करने की गर्ज से जो अहद तोड़ा हो उसकी भनाही फ़रमाते हैं कि) तुम लोग अल्लाह के अहद के बदले में (दुनिया का) थोड़ा-सा फ़ायदा मत हासिल करो (अल्लाह के अहद के मायने तो आयत के शुरू में मासूम हुए और थोड़े फ़ायदे से मुराद दुनिया है, कि ज़्यादा होने के बावजूद भी कम ही है। इसकी हकीकत इस तरह बयान फ़रमाई कि) बस अल्लाह के पास की जो चीज़ है (यानी आख़िरत का ख़जीरा) वह तुम्हारे लिये (दुनियावी फ़ायदे से) कई दर्जे और बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझना चाहो (पस आख़िरत की दौलत ज़्यादा हुई और दुनियावी दौलत और फ़ायदा चाहे कितना भी हो कम हुआ)। और (कम ज़्यादा होने के फ़र्क के अलावा दूसरा फ़र्क यह भी है कि) जो कुछ तुम्हारे पास (दुनिया में) है वह (एक दिन) ख़त्म हो जायेगा (चाहे उसके हाथ से जाते रहने से या मौत से) और जो कुछ अल्लाह के पास है वह हमेशा रहेगा। और जो लोग (अहद पूरा करने वगैरह दीन के अहकाम पर) साबित-कदम हैं हम उनके अच्छे कामों के बदले उनका अज़्र (यानी ऊपर बयान हुई हमेशा बाकी रहने वाली नेमत) उनको ज़रूर देंगे (पस अहद पूरा करके हमेशा बाकी रहने वाली ज़्यादा दौलत को हासिल करो और फ़ना होने वाली मामूली और कम दौलत और फ़ायदे के लिये अहद तोड़ने की हरकत मत करो)।

मकारिफ़ व मसाईल

अहद को तोड़ना हराम है

लफ़ज़ अहद उन तमाम मामलों और समझौतों व संधियों को शामिल है जिनका ज़बान से इस्तिज़ाम किया जाये यानी उसकी जिम्मेदारी ली जाये, चाहे उस पर कसम खाये या न खाये, चाहे वह किसी काम के करने से संबन्धित हो या न हो।

और ये आयतें दर हकीकत पहले बयान हुई आयत की वज़ाहत व पूरक हैं, पहले बयान हुई आयत में अदल व इन्साफ़ का हुकम था, लफ़ज़ अदल के मफ़हूम में अहद का पूरा करना भी दाख़िल है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

किसी से अहद व समझौता करने के बाद अहद तोड़ना बड़ा गुनाह है, मगर उसके तोड़ने पर कोई कफ़फ़ारा मुकरर नहीं, बल्कि आख़िरत का अज़ाब है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि कियामत के दिन अहद तोड़ने और समझौते के ख़िलाफ़ करने वाले की पीठ पर एक झण्डा गाड़ दिया जायेगा जो मैदाने हशर में उसकी रुस्वाई का सबब बनेगा।

इसी तरह जिस काम की कसम खाई है उसके ख़िलाफ़ करना भी बड़ा गुनाह है, आख़िरत में उसका भारी ववाल है और दुनिया में भी उसकी कुछ ख़ास सूरतों में कफ़फ़ारा (बदला) लाज़िम होता है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

इस आयत में मुसलमानों को यह हिदायत की गई है कि जिस जमाअत से तुम्हारा समझौता व मुआहदा हो जाये उस मुआहदे को दुनियावी स्वार्थों व फायदों के लिये न तोड़ो, जैसे तुम्हें यह महसूस हो कि जिस जमाअत या पार्टी से समझौता हुआ है वह कमजोर और संख्या में थोड़ी है, या माल के एतिबार से गरीब व निर्धन है और उसके मुकाबले में दूसरी जमाअत ज़्यादा भारी और ताकतवर है या माल व दौलत वाली है तो सिर्फ इस लालच से कि ताकतवर और मालदार पार्टी में शामिल हो जाने से ज़्यादा फायदे होंगे पहली जमाअत का अहद तोड़ना जायज़ नहीं बल्कि अपने अहद पर कायम रहें और नफे व नुकसान को खुदा तआला के सुपर्द कर दे, अलबत्ता जिस जमाअत या पार्टी से अहद किया है वह अगर शरीअत के खिलाफ काम और बातें करे और कराये तो उसका अहद तोड़ देना वाजिब है, बशर्तकि स्पष्ट तौर पर उनको जतला दिया जाये कि हम अब इस अहद के पाबन्द नहीं रहेंगे जैसा कि आयत 'फम्बिज़् इलैहिम् अला सवाइन्' में बयान हुआ है।

आयत के आखिर में उक्त स्थिति को मुसलमानों की आजमाईश का सबब बतलाया गया है कि हक़ तआला इसका इम्तिहान लेते हैं कि यह अपने नफ़स के स्वार्थों व इच्छाओं का ताबे होकर अहद को तोड़ डालता है या अल्लाह तआला के हुक्म की तामील में नफ़सानी ज़बात को कुरबान करता है।

किसी को धोखा देने के लिये क़सम खाने में ईमान के छिन जाने का ख़तरा है

وَلَا تَجِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا..... الخ

इस आयत में एक और भारी गुनाह और वबाल से बचाने की हिदायत है, वह यह कि क़सम खाते वक़्त ही से उस क़सम के खिलाफ़ करने का इरादा हो, सामने वाले को सिर्फ़ फ़रेब देने के लिये क़सम खाई जाये तो यह आम क़सम तोड़ने से ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह है, जिसके नतीजे में यह ख़तरा है कि ईमान की दौलत ही से मेहरूम हो जाये, 'फ-तज़िल्-ल क-दमुम् बज़्द-द सुबूतिहा' का यही मतलब है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

रिश्वत लेना सख़्त हराम और अल्लाह से किये अहद को तोड़ना है

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا لّٰلِيًا

यानी अल्लाह के अहद को थोड़ी-सी कीमत के बदले में न तोड़ो। यहाँ थोड़ी-सी कीमत से

मुराद दुनिया और इसके फायदे हैं, वो मात्रा में कितने भी बड़े हों, आखिरत के नफों के सामने सारी दुनिया और इसकी सारी चीज़ें भी थोड़ी ही हैं। जिसने आखिरत के बदले में दुनिया ले ली उसने बहुत ही घाटे का सौदा किया है क्योंकि हमेशा रहने वाली आला तरीन नेमत व दौलत को बहुत जल्द फना होने वाली घटिया किस्म की चीज़ के बदले में बेच डालना कोई समझ-बूझ वाला इनसान गवारा नहीं कर सकता।

इन्ने अतीया ने फरमाया कि जिस काम का पूरा करना किसी शख्स के ज़िम्मे वाजिब हो वह अल्लाह का अहद उसके ज़िम्मे है, उसके पूरा करने पर किसी से मुआवज़ा लेना और बगैर लिये न करना अल्लाह का अहद तोड़ना है। इसी तरह जिस काम का न करना किसी के ज़िम्मे वाजिब है, किसी से मुआवज़ा लेकर उसको कर देना यह भी अल्लाह का अहद तोड़ना है।

इससे मालूम हुआ कि रिश्वत की प्रचलित किस्में सब हराम हैं, जैसे कोई सरकारी मुलाज़िम किसी काम की तन्ज़्याह हुक्मत से पाता है तो उसने अल्लाह से अहद कर लिया है कि यह तन्ज़्याह लेकर सौंपी गयी ख़िदमत पूरी करूँगा, अब अगर वह उसके करने पर किसी से मुआवज़ा माँगे और बगैर मुआवज़ा लिये उसको टलाये तो यह अल्लाह के अहद को तोड़ रहा है। इसी तरह जिस काम का उसको महकमे की तरफ से इख़्तियार नहीं उसको रिश्वत लेकर कर डालना भी अल्लाह से किये गये अहद को तोड़ना है। (तफसीर बहरे मुहीत)

रिश्वत की पूर्ण परिभाषा

इन्ने अतीया के इस कलाम में रिश्वत की पूर्ण परिभाषा भी आ गई जो तफसीर बहरे मुहीत के अलफाज़ में यह है:

أخذ الاموال على فعل ما يجب على الأخذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه.

“यानी जिस काम का करना उसके ज़िम्मे वाजिब है उसके करने पर मुआवज़ा लेना या जिस काम का छोड़ना उसके ज़िम्मे लाज़िम है उसके करने पर मुआवज़ा लेना रिश्वत है।

(तफसीर बहरे मुहीत पेज 533 जिल्द 5)

और पूरी दुनिया की सारी नेमतों का थोड़ा होना अगली आयत में इस तरह बयान फरमाया:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ.

यानी जो कुछ तुम्हारे पास है (मुराद इससे दुनियावी फायदे और मुनाफे हैं) वह सब ख़त्म और फना होने वाला है, और जो कुछ अल्लाह तआला के पास है (मुराद इससे आखिरत का सवाब व अज़ाब है) वह हमेशा बाकी रहने वाला है।

दुनिया की ख़त्म होने वाली और आखिरत की बाकी

रहने वाली चीज़ें

दुनिया की राहत व तकलीफ़, दोस्ती व दुश्मनी सब फना होने वाली हैं और उनके परिणाम

व फल जो अल्लाह के पास हैं वो बाकी रहने वाले हैं। 'मा जिन्दकुम्' के लफ्ज़ से आम तौर पर ज़ेहन सिर्फ़ माल व मता की तरफ़ जाता है, मेरे उस्तादे मोहतरम मौलाना सैयद असगुर हुसैन साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि लफ्ज़ मा लुगत के एतिबार से आम है और आम होने के मायने मुराद लेने से कोई शरई हुक्म रुकावट नहीं, इसलिये इसमें दुनिया का माल व मता भी दाखिल है और इसमें पेश आने वाले तमाम हालात व मामलात, खुशी व ग़म, रंज और राहत, बीमारी और सेहत, नफ़ा और नुक़सान, किसी की दोस्ती या दुश्मनी ये सब चीज़ें शामिल हैं कि सब की सब फ़ना होने वाली हैं, अलबत्ता इन हालात व मामलात पर जो परिणाम व असरात मुरत्तब होने वाले हैं और कियामत में उन पर अज़ाब व सवाब होने वाला है वो सब बाकी रहने वाले हैं। फ़ना हो जाने वाले हालात व मामलात की धुन में लगा रहना और अपनी जिन्दगी और इसकी ताक़त को उसी की फ़िक्र में लगाकर हमेशा के अज़ाब व सवाब से ग़फलत बरतना किसी अक़लमन्द का काम नहीं।

दौराने बका चू बादे सेहरा बगुज़िशत तलख़ी व खुशी व ज़शत व ज़ेबा बगुज़िशत
पिन्दाशत सितमगर कि जफ़ा बरमा कर्द बर गर्दने वे बमानद् व बरमा ब-गुज़िशत
जिन्दगी का समय जंगल की हवा की तरह गुज़र गया, खुशी व नाखुशी, पसन्दीदा और नापसन्दीदा कुछ बाकी नहीं रहा। हम पर जुल्म करने वाले सितमगर अच्छी तरह जान ले कि तेरे सितम का वार हम पर से तो गुज़र गया मगर तेरी गर्दन पर उसका वार होना बाकी है।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٠

मन् अमि-ल सालिहम्-मिन् ज़-करिन्
औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनुन्
फ-लनुहिय-यन्नहू हयातन्
तय्यि-बतन् व लनज्ज़ियन्नहुम्
अजरहुम् बिअहसनि मा कानू
यअ्मलून (97)

जिसने किया नेक काम मर्द हो या औरत
और वह ईमान पर है तो उसको हम
जिन्दगी देंगे एक अच्छी जिन्दगी, और
बदले में देंगे उनको हक़ उनका बेहतर
कामों पर जो करते थे। (97)

खुलासा-ए-तफसीर

(इससे पहली आयतों में अहद के पूरा करने की ताकीद और अहद तोड़ने की निंदा का बयान था जो एक खास अमल है। इस आयत में तमाम नेक आमाल और नेक काम करने वालों

का उमूमी बयान है। आयत का मजमून यह है कि आखिरत का अज़्र व सवाब और दुनिया की बरकतें सिर्फ अहद को पूरा करने में सीमित नहीं और न किसी अमल करने वाले की खुसूसियत है बल्कि एक आम कायदा यह है कि जो शख्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि ईमान वाला हो (क्योंकि काफिर के नेक आमाल मकबूल नहीं) तो हम उस शख्स को (दुनिया में तो) मजेदार जिन्दगी देंगे और (आखिरत में) उनके अच्छे कामों के बदले में उनका अज़्र देंगे।

मजारिफ व मसाईल

अच्छी और मजेदार जिन्दगी क्या चीज़ है?

मुफस्सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) की बड़ी जमाअत के नज़दीक यहाँ 'हयात-ए-तय्यिबा' से मुराद दुनिया की पाकीज़ा और लुत्फ वाली जिन्दगी है, और तफ्सीर के कुछ इमामों ने इससे आखिरत की जिन्दगी मुराद ली है, और जमहूर की तफ्सीर के मुताबिक भी इससे यह मुराद नहीं कि उसको कभी फ़क़ व फ़ाका या बीमारी पेश न आयेगी, बल्कि मुराद यह है कि मोमिन को अगर कभी आर्थिक तंगी या कोई तकलीफ़ भी पेश आती है तो दो चीज़ें उसको परेशान नहीं होने देती— एक क़नाअत और सादा जिन्दगी की आदत जो तंगदस्ती में भी चल जाती है, दूसरे उसका यह अक़ीदा कि मुझे इस तंगी और बीमारी के बदले में आखिरत की अज़ीमुशान हमेशा की नेमतें मिलने वाली हैं, बख़िलाफ़ काफ़िर व बदकार के कि अगर उसको तंगदस्ती और बीमारी पेश आती है तो उसके लिये कोई तसल्ली का सामान नहीं होता, अक्ल व होश खो बैठता है, कई बार खुदकुशी की नौबत आ जाती है, और अगर उसको खुशहाली व ऐश भी नसीब हो तो उसको ज़्यादती की हिर्स किसी वक़्त चैन से नहीं बैठने देती, वह करोड़पति हो जाता है तो अरबपति बनने की फ़िक्क उसके ऐश (आराम और चैन-सुकून) को ख़राब करती रहती है।

इन्हे अतीया रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि नेक मोमिनों को हक़ तअाला दुनिया में भी वह खुशी व सुरूर और लुत्फ़ भरी जिन्दगी अता फ़रमाते हैं जो किसी हाल में तब्दील नहीं होती, तन्दुरुस्ती और खुशहाली के वक़्त तो उनकी जिन्दगी का लुत्फ़ भरा होना ज़ाहिर है ही, खुसूसन इस बिना पर कि बिना ज़रूरत माल को बढ़ाने की हिर्स उनमें नहीं होती जो इनसान को हर हाल में परेशान रखती है, और अगर तंगदस्ती या बीमारी भी पेश आये तो अल्लाह तअाला के वायदों पर उनका मुकम्मल यकीन और मुश्किल के बाद आसानी, परेशानी के बाद राहत मिलने की प्रबल उम्मीद उनकी जिन्दगी को बेलुत्फ़ नहीं होने देती। जैसे काश्तकार खेत बो ले और उसकी परवरिश के वक़्त उसको कितनी ही तकलीफ़ें पेश आ जायें सब को इसलिये राहत महसूस करता है कि चन्द दिन के बाद उसका बड़ा सिला उसको मिलने वाला है। ताजिर अपनी तिजारत में, मुलाज़िम अपनी इयूटी अदा करने में कैसी-कैसी मेहनत व मशक़क़त बल्कि कभी-कभी ज़िल्लत भी बरदाश्त करता है मगर इसलिये खुश रहता है कि चन्द दिन के बाद उसको तिजारत का बड़ा

नफा या मुलाजिमत की तन्ज्वाह मिलने का यकीन होता है। मोमिन का भी यह अकीदा होता है कि मुझे हर तकलीफ पर अज़्र मिल रहा है और आखिरत में उसका बदला हमेशा बाकी रहने वाली अज़ीमुशशान नेमतों की सूरत में मिलेगा, और दुनिया की जिन्दगी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिये यहाँ के रंज व राहत और सर्द व गर्म सब को आसानी से बरदाश्त कर लेता है, उसकी जिन्दगी ऐसे हालात में भी परेशानी वाली और बेमज़ा नहीं होती, यही वह 'हयात-ए-तय्यिबा' है जो मोमिन को दुनिया में नक़द मिलती है।

وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُ كَيْسٌ لَّهُ

سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

फ-इज़ा करअतल्-कुरआ-न फस्तज़िज़्
बिल्लाहि मिनशैतानिररजीम (98)
इन्नहू लै-स लहू सुल्तानुन्
अलल्लज़ी-न आमनू व अला रब्बिहिम्
य-तवक्कलून (99) इन्नमा सुल्तानुहू
अलल्लज़ी-न य-तवल्लौनहू वल्लज़ी-न
हुम् बिही मुशिरकून (100) ●

सो जब तू पढ़ने लगे कुरआन तो पनाह ले अल्लाह की शैतान मरदूद से। (98) उसका ज़ोर नहीं चलता उन पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। (99) उसका ज़ोर तो उन्हीं पर है जो उसको रफ़ीक् (साथी) समझते हैं और जो उसको शरीक मानते हैं। (100) ●

इन आयतों का पीछे के मज़मून से संबन्ध

पहले गुजरी आयतों में पहले अहद को पूरा करने की ताकीद और उमूमी तौर पर नेक आमाल की ताकीद व तरगीब का बयान आया है। इनसान को इन अहकाम में गुफ़लत शैतानी बहकावे से पैदा होती है, इसलिये इस आयत में शैतान मरदूद से पनाह माँगने की तालीम दी गई है, जिसकी ज़रूरत हर नेक अमल में है, मगर इस आयत में इसको खास तौर से कुरआन के पढ़ने के साथ ज़िक्र किया गया है, इस खास करने की वजह यह भी हो सकती है कि कुरआन की तिलावत (पढ़ना) एक ऐसा अमल है जिससे खुद शैतान भागता है:

देव बगुरेज़द अज़ौं कौम कि कुरआँ ख़वानंद

जिन्न (यानी शैतान) उस कौम से दूर रहता और भागता है जो कुरआन पढ़ते हैं।

मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

और कुछ खास आयतें और सूरतें विशेष तौर पर शैतानी असरात को दूर करने के लिये मुज़रब हैं जिनका असरदार व मुफ़ीद होना शरई वज़ाहतों से साबित है। (बयानुल-कुरआन)

इसके बावजूद जब कुरआन की तिलावत के साथ शैतान से पनाह माँगने का हुक्म दिया गया तो दूसरे आमात्र के साथ और भी ज्यादा ज़रूरी हो गया।

इसके अलावा खुद कुरआन की तिलावत में शैतानी वस्वों का भी खतरा रहता है कि तिलावत के आदाब में कमी हो जाये, उसमें सोचने-समझने और दिली ध्यान व अज़िज़ी न रहे, तो इसके लिये भी शैतानी वस्वों (ख़्यालात दिल में आने) से पनाह माँगना ज़रूरी समझा गया।

(इब्ने कसीर, मज़हरी वगैरह)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और जब नेक अमल की फ़जीलत मालूम हुई और कभी-कभी शैतान उसमें खलल डालता है, कभी अहद के पूरा करने में भी खलल डालता है और कभी दूसरे अमल जैसे कुरआन के पढ़ने में भी) तो (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप और आपके माध्यम से आपकी उम्मत सुन लें कि) जब आप (कैसा ही नेक काम करना चाहें यहाँ तक कि) कुरआन पढ़ना चाहें तो शैतान मरदूद (के शर) से अल्लाह की पनाह माँग लिया करें (असल में तो दिल से खुदा पर नज़र रखना है, और यहीं हकीक़त पनाह माँगने की वाजिब है, और कुरआन पढ़ने में अज़ुज़ बिल्लाह का पढ़ लेना ज़बान से भी मस्नून है और पनाह माँगने का हुक्म हम इसलिये देते हैं कि) यकीनन उसका काबू उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर (दिल से) भरोसा रखते हैं। बस उसका काबू तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों पर (चलता है) जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुक़दिमा-ए-तफ़सीर में फरमाया कि इनसान के दुश्मन दो किस्म के हैं— एक खुद इनसानी नस्ल में से जैसे आम काफ़िर लोग, दूसरे जिन्नात में से जो शैतान व नाफ़रमान हैं। पहली किस्म के दुश्मन के साथ इस्लाम ने जंग व जिहाद के ज़रिये अपनी रक्षा का हुक्म दिया है, मगर दूसरी किस्म के लिये सिर्फ़ अल्लाह से पनाह माँगने का हुक्म है। इसकी वजह यह है कि पहली किस्म का दुश्मन अपनी ही जिन्स व प्रजाति से है उसका हमला ज़ाहिर होकर होता है इसलिये उससे जंग व जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया, और शैतानी दुश्मन नज़र नहीं आता, उसका हमला भी इनसान पर आमने सामने नहीं होता, इसलिये उससे बचाव के लिये एक ऐसी जात की पनाह लेना वाजिब किया गया जो न इनसान को नज़र आती है न शैतान को, और शैतान से बचाव को अल्लाह तआला के हवाले करने में यह भी मस्लेहत है कि जो उससे मग़लूब (पराजित) हो जाये वह अल्लाह के नज़दीक मरदूद, ठुकराया हुआ और अज़ाब का मुस्तहिक़ है, बख़िलाफ़ इनसानी दुश्मन यानी काफ़िरों के कि उनके मुक़ाबले में जो शख़्स मग़लूब हो जाये या मारा जाये तो वह शहीद और सवाब का मुस्तहिक़ है,

इसलिये इनसानी दुश्मन का मुक़ाबला हाथ-पैर और बदनी अंगों के साथ हर हाल में नफ़ा ही नफ़ा है, या तो दुश्मन पर ग़ालिब आकर उसकी ताक़त को ख़त्म कर देगा या फिर खुद शहीद होकर अल्लाह के यहाँ अज़्र व सवाब का हक़दार होगा।

मसला: कुरआन की तिलावत से पहले 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम' का पढ़ना इस आयत के हुक़म पर अमल करने के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है मगर कभी-कभी इसका छोड़ देना भी सही हदीसों से साबित है, इसलिये उलेमा-ए-उम्मत की अक्सरियत ने इस हुक़म को वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत करार दिया है, और इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर उम्मत की सहमति नक़ल की है, इस मामले में कौली व अमली हदीस की रिवायतें तिलावत से पहले अक्सर हालात में अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ने की और कुछ हालात में न पढ़ने की ये सब इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर के शुरू में तफ़सील के साथ ज़िक्र की हैं।

मसला: नमाज़ में तअव्जुज़ (यानी अऊज़ु बिल्लाह.....) सिर्फ़ पहली रक़अत के शुरू में पढ़ा जाये या हर रक़अत के शुरू में, इसमें फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के अक़वाल अलग-अलग हैं, इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक सिर्फ़ पहली रक़अत में पढ़ना चाहिये, और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि हर रक़अत के शुरू में पढ़ने को मुस्तहब करार देते हैं, दोनों की दलीलें तफ़सीर मज़हरी में विस्तार से लिखी गयी हैं। (पेज 49 जिल्द 5)

मसला: कुरआन की तिलावत नमाज़ में हो या नमाज़ से बाहर दोनों सूरातों में तिलावत से पहले अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ना सुन्नत है, मगर एक दफ़ा पढ़ लिया तो आगे जितना पढ़ता रहे वही एक तअव्जुज़ काफ़ी है, अलबत्ता तिलावत को बीच में छोड़कर किसी दुनियावी काम में मशगूल हो गया और फिर दोबारा शुरू किया तो उस वक़्त दोबारा तअव्जुज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिये।

मसला: कुरआन की तिलावत के अलावा किसी दूसरे कलाम या किताब पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ना सुन्नत नहीं, वहाँ सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिये। (दुर्रे मुख्तार, शामी)

अलबत्ता मुख़्तलिफ़ आमाल और हालात में तअव्जुज़ (अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ने) की तालीम हदीस में मन्कूल है, जैसे जब किसी को गुस्सा ज़्यादा आये तो हदीस में है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम पढ़ने से गुस्से का जोश ख़त्म हो जाता है। (इब्ने कसीर)

और हदीस में यह भी है कि बैतुलख़ला (लैट्रीन) में जाने से पहले:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَيْبِ وَالْخَبَائِثِ

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल् ख़ुब्सि वल्-ख़बाइसि'

पढ़ना मुस्तहब है। (शामी)

अल्लाह तआला पर ईमान व भरोसा शैतानी शिकंजे और कब्जे से मुक्ति का रास्ता है

इस आयत में यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह तआला ने शैतान को ऐसी ताकत नहीं दी कि वह किसी भी इनसान को बुराई पर मजबूर व बेइख्तियार कर दे, इनसान खुद अपने इख्तियार व ताकत को गुफ़लत या किसी नपसानी गर्ज़ से इस्तेमाल न करे तो यह उसका कसूर है। इसी लिये फरमाया कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अपने हालात व आमाल में अपनी इरादी ताकत के बजाय अल्लाह तआला पर भरोसा करते हैं कि वही हर ख़ैर की तौफ़ीक़ देने वाला और हर शर (बुराई) से बचाने वाला है, ऐसे लोगों पर शैतान का कब्ज़ा नहीं होता, हाँ जो अपनी नपसानी गर्ज़ों के सबब शैतान ही से दोस्ती करते हैं, उसी की बातों को पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला के साथ ग़ैरों को शरीक ठहराते हैं उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है कि किसी ख़ैर की तरफ़ नहीं जाने देता, और हर बुराई में वे आगे-आगे होते हैं।

यही मज़मून सूर: हिज़्र की आयत का है जिसमें शैतान के दावे के मुक़ाबले में खुद हक़ तआला ने यह जवाब दे दिया है:

إِنِّي بَدَأْتُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰٓ مِنْ لَدُوْنِ ۗ

“यानी मेरे खास बन्दों पर तेरा तसल्लुत (कब्ज़ा व इख्तियार) नहीं हो सकता, हाँ! उस पर होगा जो खुद ही गुमराह हो और तेरी पैरवी करने लगे।”

وَ اِذَا بَدَلْنَا اٰیةً مَّكَانَ اٰیَةٍ ۙ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنۡزِلُ ۗ قَالُوۡا اِنَّمَا اُنۡزِلَتْ مُفۡرَٔٓٔ
بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعْلَمُوۡنَ ۙ قُلۡ نَزَّلَهُ رُوۡهُ الْقُدۡسِ مِنْ رَبِّكَ بِالۡحَقِّ لِیُنۡذِرَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا
وَهَدٰٓءَ وَ بُشِّرَ السُّلٰٓمِیۡنَ ۙ وَ لَقَدْ عَلِمۡۤ اَنۡهَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ اِنَّمَا یُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِسَانَ الَّذِیۡ
یُلۡحِدُوۡنَ اِلَیۡهِ اَعۡجَبِیۡ وَ هٰذَا لِسَانَ عَرَبِیٍّ مُّبِیۡنٍ ۙ اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ
لَا یَهۡدِیۡهُمۡ اللّٰهُ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۙ اِنۡتَ اِنۡتَ اِفۡتَرٰۤیۡ الْكُذۡبَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ
بِآیٰتِ اللّٰهِ ۙ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوۡنَ ۙ

व इज़्ज़ा बददल्ला आ-यतम् मका-न
आयतिव्-वल्लाहु अज़्ज़लमु विमा
युनिज़्ज़लु कालू इन्नमा अन्-त
मुफ्तरिन्, बल् अक्सरुहुम् ता

और जब हम बदलते हैं एक आयत की जगह दूसरी आयत और अल्लाह ख़ूब जानता है जो उतारता है तो कहते हैं तू तो बना लाता है यह बात, नहीं! पर उनमें से अक्सरों को ख़बर नहीं। (101)

यज़्लमून (101) कुल् नफ़्ज-लहू
 रूहुल्-कुदुसि मिर्रब्बि-क बिल्हकिक्
 लियुसब्बितल्लज़ी-न आमनू व हुदव्-
 व बुश्रा लिल्-मुस्लिमीन (102) व
 ल-कद् नज़्लमु अन्नहुम् यकूलू-न
 इन्नमा युज़ल्लिमुहू ब-शरून्,
 लिसानुल्लज़ी युल्हिदू-न इलैहि
 अज़्-जमिय्युव्-व हाज़ा लिसानुन्
 अ-रबिय्युम् मुबीन (103)
 इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिन्-न
 बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु
 व लहुम् अज़्राबुन् अलीम (104)
 इन्नमा यफ़तरिल्-कज़िबल्लज़ी-न ला
 युअ्मिन्-न बिआयातिल्लाहि व
 उलाइ-क हुमुल्-काज़िबून् (105)

तू कह इसको उतारा है पाक फरिस्ते ने
 तेरे रब की तरफ से बेशक, ताकि साबित
 करे "जमाये" ईमान वालों को और
 हिदायत और ख़ुशख़बरी मुसलमानों के
 वास्ते। (102) और हमको ख़ूब मालूम है
 कि वे कहते हैं— इसको सिखलाता है
 एक आदमी, जिसकी तरफ़ तारीज
 "इशारा और निस्वत" करते हैं उसकी
 भाषा है अज़मी और यह कुरआन अरबी
 भाषा है साफ़। (103) वे लोग जिनको
 अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं उनको
 अल्लाह राह नहीं देता और उनके लिये
 दर्दनाक अज़ाब है। (104) झूठ तो वे
 लोग बनाते हैं जिनको यकीन नहीं
 अल्लाह की बातों पर और वही लोग झूठे
 हैं। (105)

इन आयतों का पीछे के मज़मून से ताल्लुक

इससे पहली आयत में कुरआन की तिलावत के वक़्त अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की हिदायत थी
 जिसमें इशारा है कि शैतान तिलावत के वक़्त इनसान के दिल में वस्वसे (बुरे ख़्यालात) डालता
 है, अब इन आयतों में इसी तरह के शैतानी वस्वसों का जवाब है।

ख़ुलासा-ए-तफसीर

नुबुव्वत पर काफ़िरो के शुब्हात का जवाब मय डरावे के

और जब हम किसी आयत को दूसरी आयत की जगह बदलते हैं (यानी एक आयत को
 लफ़्ज़ी या मानवी तौर पर निरस्त करके उसकी जगह दूसरा हुक्म भेज देते हैं) और हालाँकि
 अल्लाह तआला जो हुक्म (पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा) भेजता है (उसकी मस्लेहत व हिक्मत
 को) वही ख़ूब जानता है (कि जिनको यह हुक्म दिया गया है उनके हालात के एतिबार से एक

वक़्त में मस्लेहत कुछ थी, फिर हालत बदल जाने से मस्लेहत और हिक्मत दूसरी हो गई तो ये लोग कहते हैं कि (मज़ाज़ल्लाह) आप (खुदा पर) गढ़ने वाले हैं (कि अपने कलाम को अल्लाह की तरफ मन्सूब कर देते हैं, वरना अल्लाह का हुक्म होता तो उसके बदलने की क्या ज़रूरत थी, क्या अल्लाह तआला को पहले इल्म न था, और ये लोग इस पर गौर नहीं करते कि कई बार सब हालात का इल्म होने के बावजूद पहली हालत पेश आने पर पहला हुक्म दिया जाता है और दूसरी हालत पेश आने का अगरचे उस वक़्त भी इल्म है मगर मस्लेहत के तकाज़े के तहत उस दूसरी हालत का हुक्म उस वक़्त बयान नहीं किया जाता, बल्कि जब वह हालत पेश आ जाती है उस वक़्त बयान किया जाता है। जैसे तबीब डॉक्टर एक दवा तजवीज़ करता है और वह जानता है कि इसके इस्तेमाल से हालत बदलेगी और फिर दूसरी दवा दी जायेगी, मगर मरीज़ को शुरु ही में सब तफ़सील नहीं बताता, यही हकीकत अहकाम के बदलने और निरस्त होने की है जो कुरआन व सुन्नत में होता है, जो हकीकत से वाकिफ़ नहीं वह शैतानी बहकावे से अहकाम के बदलने और निरस्त होने का इनकार करने लगते हैं, इसी लिये इसके जवाब में हक़ तआला ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की तरफ़ झूठी निस्बत करने वाले और कलाम को गढ़ने वाले नहीं बल्कि उन्हीं में के अक्सर लोग जाहिल हैं (कि अहकाम में रद्दोबदल को बिना किसी दलील के अल्लाह का कलाम होने के खिलाफ़ समझते हैं)। आप (उनके जवाब में) फ़रमा दीजिये (कि यह कलाम मेरा बनाया हुआ नहीं बल्कि इसको) रूहुल-कुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) आपके रब की तरफ़ से हिक्मत के मुवाफ़िक़ लाये हैं (इसलिये यह कलाम अल्लाह का कलाम है, और इसमें अहकाम की तब्दीली हिक्मत व मस्लेहत के तकाज़े के मुताबिक़ है, और यह कलाम इसलिये भेजा गया है) ताकि ईमान वालों को (ईमान पर) साबित-क़दम रखे और मुसलमानों के लिये हिदायत और खुशख़बरी (का ज़रिया) हो जाये।

(इसके बाद काफ़िरों के एक और बेहूदा शुब्हे का जवाब है) और हमको मालूम है कि ये लोग (एक दूसरी ग़लत बात) यह भी कहते हैं कि इनको तो आदमी सिखला जाता है (इससे मुराद एक अज़मी रूम का बाशिन्दा लुहार है, जिसका नाम बलआम या मकीस था, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातें जी लगाकर सुनता तो हुज़ूर पाक कभी उसके पास जा बैठते और वह कुछ इन्जील वगैरह को भी जानता था, इस पर काफ़िरों ने यह बात चलती की कि यही शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुरआन का कलाम सिखाता है। इसका ज़िक्र किताब दुरै मन्सूर में है। अल्लाह तआला ने इसका जवाब दिया कि कुरआन मजीद तो अलफ़ाज़ व मायनों के मजमूए का नाम है, तुम लोग अगर कुरआने करीम के मायनों और उलूम को नहीं पहचान सकते तो कम से कम अरबी भाषा के मेयारी स्तर और आला ख़ूबी व कमाल से तो नावाकिफ़ नहीं हो, तो इतना तो तुम्हें समझना चाहिये कि अगर फ़र्ज़ करो कुरआन के मायने उस शख्स ने सिखला दिये हों तो कलाम के अलफ़ाज़ और उनकी ऐसी आला मेयारी जिसका मुक़ाबला करने से पूरा अरब अज़िज़ हो गया यह कहाँ से आ गई, क्योंकि) जिस शख्स की तरफ़ उसकी निस्बत करते हैं उसकी भाषा तो अज़मी "यानी ग़ैर-अरबी" है, और यह

कुरआन साफ अरबी है (कोई अजमी बेचारा ऐसी इबारत कैसे बना सकता है। और अगर कहा जाये कि इबारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनाई होगी तो इसका खुला जवाब उस चुनौती से पूरी तरह हो चुका है जो सूर: ब-करह में आ चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी नुबुव्वत और कुरआन की हक्कानियत का मेयार इसी को करार दिया था, कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक यह इनसान का कलाम है तो तुम भी इनसान हो और अरबी भाषा में आला महारत और बड़ी फसाहत व बलागत के दावेदार हो तो तुम इस जैसा कलाम ज्यादा नहीं तो एक आयत ही के बराबर लिख लाओ, मगर सारा अरब इसके बायजूद कि आपके मुकाबले में अपना सब कुछ जान व माल कुरबान करने को तैयार था मगर इस चैलेंज को क़बूल करने की किसी को हिम्मत न हुई। इसके बाद नुबुव्वत के इनकारियों और कुरआन पर ऐसे एतिराज़ करने वालों पर वईद और सज़ा की धमकी है कि) जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह तआला कभी राह पर न लाएँगे, और उनके लिये दर्दनाक सज़ा होगी (और ये लोग जो नऊज़ु बिल्लाह आपको अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाला कहते हैं तो) झूठ गढ़ने वाले तो यही लोग हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और ये लोग हैं पूरे झूठे।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَ

قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَالْحَنِمَنَّ شَرَّ بِالْكَفْرِ صَدًّا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اشْتَبَهُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَتَمَعَوْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

मन् क-फ-र बिल्लाहि मिम्-बअदि ईमानिही इल्ला मन् उकिर-ह व कल्बुहू मुत्मइन्नुम्-बिल्ईमानि व लाकिम्-मन् श-र-ह बिल्कुफिर सदरन् फ-अलैहिम् ग-ज़बुम्-मिनल्लाहि व लहुम् अज़ाबुन् अज़ीम (106) ज़ालि-क बिअन्नहुमुस्त-हब्बुल्-हयातदुन्या अलल्-आखिरति व

जो कोई मुन्किर हुआ अल्लाह से यकीन लाने के बाद मगर वह नहीं जिस पर ज़बरदस्ती की गई और उसका दिल बरकरार है ईमान पर, व लेकिन जो कोई दिल खोल मुन्किर हुआ सो उन पर ग़ज़ब है अल्लाह का और उनको बड़ा अज़ाब है। (106) यह इस वास्ते कि उन्होंने अज़ीज़ "पसन्दीदा" रखा दुनिया की जिन्दगी को आखिरत से और अल्लाह

अन्नल्ला-ह ला यस्दिल् कौमल-
काफिरीन (107) उलाइ-कल्लज़ी-न
त-बअल्लाहु अला कुलूबिहिम् व
सम्ज़िहिम् व अब्सारिहिम् व उलाइ-क
हुमुल्-गाफिलून (108) ला ज-र-म
अन्नहुम् फिल्आख़िरति हुमुल्-
ख़ासिरून (109)

रस्ता नहीं देता मुन्किर लोगों को। (107)
ये वही हैं कि मुहर कर दी अल्लाह ने
इनके दिलों पर और कानों पर और
आँखों पर और यही हैं बेहोश। (108)
ख़ुद जाहिर है कि आख़िरत में यही लोग
छ़राब हैं। (109)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

जो शख़्त ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ़ करे (इसमें रसूल के साथ कुफ़ करना और कियामत वगैरह का इनकार करना सब दाख़िल हैं) मगर जिस शख़्त पर (काफ़िरों की तरफ़ से) ज़बरदस्ती की जाये (जैसे कि अगर तू कुफ़ का फ़ुलाँ कलाम या फ़ुलाँ बात नहीं करेगा तो हम तुझको कत्ल कर देंगे और हालात से इसका अन्दाज़ा भी हो कि वे ऐसा कर सकते हैं) शर्त यह है कि उसका दिल ईमान पर मुत्सईन हो (यानी अक्कीदे में कोई ख़राबी न आये और उस कौल व फ़ैल को सख़्त गुनाह और बुरा समझता हो तो वह इस हुक्म से बाहर है कि उसका ज़ाहिरी तौर पर कलिमा-ए-कुफ़ या कुफ़ के काम में मुब्तला हो जाना एक उज़्र की बिना पर है, इसलिये जो सज़ा की वईद इस्लाम से फिर जाने और विमुख हो जाने की आगे आ रही है वह ऐसे शख़्त के लिये नहीं) लेकिन हाँ जो जी खोलकर (यानी उस कुफ़ को सही और अच्छा समझकर) कुफ़ करे तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तज़ाला का ग़ज़ब होगा और उनको बड़ी सज़ा होगी। (और) यह (ग़ज़ब व अज़ाब) इस सबब से होगा कि उन्होंने दुनियावी ज़िन्दगी को आख़िरत के मुक़ाबले में अज़ीज़ "पसन्दीदा और प्यारा" रखा, और इस सबब से होगा कि अल्लाह ऐसे काफ़िरों को (जो दुनिया को हमेशा आख़िरत पर तरजीह दें) हिदायत नहीं किया करता (ये दो सबब अलग-अलग नहीं बल्कि सबब का मजमूआ है। हासिल इसका यह है कि किसी काम के इरादे के बाद अल्लाह की आदत यह है कि उस काम का वजूद में आना होता है जिस पर उस काम का सादिर व ज़ाहिर होना मुरत्तब होता है, यहाँ पर 'अज़ीज़ रखने' से इरादा और 'हिदायत नहीं करता' से उसके वजूद में आने की तरफ़ इशारा है, और इस मजमूए पर उस बुरे फ़ैल का सादिर व ज़ाहिर होना मुरत्तब है)। ये वे लोग हैं कि (दुनिया में इनके कुफ़ पर अड़े और जमे रहने की हालत यह है कि) अल्लाह तज़ाला ने इनके दिलों पर और कानों पर और आँखों पर मुहर लगा दी है, और ये लोग (अन्जाम से) बिल्कुल गाफ़िल हैं (इसलिये) लाज़िमी बात है कि आख़िरत में ये लोग बिल्कुल घाटे में रहेंगे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

मसला: इस आयत से साबित हुआ कि जिस शख्स को कलिमा-ए-कुफ़्र कहने पर इस तरह मजबूर कर दिया गया कि यह कलिमा न कहे तो उसको क़त्ल कर दिया जाये, और यह भी ग़ालिब गुमान से मालूम हो कि धमकी देने वाले को इस पर पूरी कुदरत हासिल है, तो ऐसे मजबूर करने की हालत में अगर वह ज़बान से कुफ़्र का कलिमा कह दे मगर उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो और उस कलिमे को बातिल और बुरा जानता हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं और न उसकी बीवी उस पर हराम होगी। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

यह आयत उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाज़िल हुई जिनको मुशिरकों ने गिरफ़्तार कर लिया था और कहा था कि या तो वे कुफ़्र इस्तिज़ार करें वरना क़त्ल कर दिये जायेंगे।

ये गिरफ़्तार होने वाले हज़रत हज़रत अम्मार और उनके माँ-बाप यासिर और सुमैया और सुहैब और बिलाल और ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, जिनमें से हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुफ़्र का कलिमा बोलने से क़तई इनकार किया, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को क़त्ल कर दिया गया और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को दो ऊँटों के बीच बाँधकर दौड़ाया गया जिससे उनके दो टुकड़े अलग-अलग होकर शहीद हुई, और यही दो जुबुर्ग हैं जिनको इस्लाम की ख़ातिर सबसे पहले शहादत नसीब हुई। इसी तरह हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफ़्र का कलिमा बोलने से क़तई इनकार करके बड़े इत्मीनान के साथ क़त्ल किये जाने को क़बूल किया, उनमें से हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने जान के ख़ौफ़ से ज़बानी कुफ़्र का इफ़रार कर लिया मगर दिल उनका ईमान पर मुल्मईन और जमा हुआ था। जब ये दुश्मनों से रिहाई पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो बड़े रंज व गुम के साथ इस वाकिए का इज़हार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि जब तुम यह कलिमा बोल रहे थे तो तुम्हारे दिल का क्या हाल था, उन्होंने अर्ज़ किया कि दिल तो ईमान पर मुल्मईन और जमा हुआ था, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको मुल्मईन किया कि तुम पर उसका कोई वबाल नहीं। आपके इस फैसले की तस्दीक में यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

मजबूर और ज़बरदस्ती करने का मतलब और उसकी हद

इकराह के लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि किसी शख्स को ऐसे कौल व फ़ेल पर मजबूर किया जाये जिसके कहने या करने पर वह राज़ी नहीं। फिर उसके दो दर्जे हैं— एक दर्जा इकराह का यह है कि वह दिल से तो उस पर आमादा नहीं मगर ऐसा बेइस्तिज़ार व बेकाबू भी नहीं कि इनकार न कर सके, यह फ़ुक़हा की इस्तिलाह में 'इकराह ग़ैर-मुलजी' कहलाता है, ऐसे इकराह से कोई कुफ़्र का कलिमा कहना या किसी हराम फ़ेल को करना जायज़ नहीं होता, अलबत्ता कुछ

आशिक अहकाम में इस पर भी कुछ आसार मुत्तब होते हैं जो मसाईल की किताबों में तफ्सील से बयान हुए हैं।

दूसरा दर्जा इक्राह (मजबूर करने) का यह है कि वह बिल्कुल बेइख्तियार कर दिया जाये कि अगर वह मजबूर करने वालों के कहने पर अमल न करे तो उसको क़ल्ल कर दिया जायेगा, या उसका कोई बदनी हिस्सा काट दिया जायेगा, यह फ़ुक़हा की इस्तिलाह में 'इक्राह मुलजी' कहलाता है, जिसके मायने हैं ऐसा इक्राह (मजबूर करना) जो इनसान को बेइख्तियार और पूरी तरह मजबूर कर दे, ऐसे इक्राह (मजबूर करने) की हालत में कुफ़्र का कलिमा ज़बान से कह देना बशर्तकि दिल ईमान पर मुत्मईन हो जायज़ है। इसी तरह दूसरे इनसान को क़ल्ल करने के अलावा और कोई हराम फ़ेल करने पर मजबूर कर दिया जाये तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं।

मगर दोनों किस्म के इक्राह (मजबूर करने) में शर्त यह है कि इक्राह करने वाला जिस काम की धमकी दे रहा है वह उस पर क़ादिर भी हो, और जो शख्स फंसा हुआ है उसको ग़ालिब गुमान यह हो कि अगर मैं इसकी बात न मानूँगा तो जिस चीज़ की धमकी दे रहा है वह उसको ज़रूर कर डालेगा। (तफ्सीरी मज़हरी)

मसला: मामलात दो किस्म के हैं— एक वो जिनमें दिल से रज़ामन्द होना ज़रूरी है, जैसे ख़रीद व फ़रोख़्त और हिबा वग़ैरह कि उनमें दिल से रज़ामन्द होना मामले के लिये शर्त है कुरआन के हुक्म व बयान के मुताबिक़:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“यानी किसी दूसरे शख्स का माल हलाल नहीं होता जब तक तिजारत वग़ैरह का मामला दोनों पक्षों की रज़ामन्दी से न हो।” और हदीस में है:

لَا يَجِلُّ مَالٌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“यानी किसी मुसलमान का माल उस वक़्त तक हलाल नहीं जब तक वह दिल की खुशी से उसके देने पर राज़ी न हो।”

ऐसे मामलात अगर इक्राह के साथ करा लिये जायें तो शर्ई तौर पर उनका कोई एतिबार नहीं। इक्राह (मजबूर करने) की हालत से निकलने के बाद उसको इख्तियार होगा कि मजबूर करने की हालत में जो ख़रीद व बेच या हिबा वग़ैरह किया था उसको अपनी रज़ा से बाकी रखे या ख़त्म कर दे।

और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ़ ज़बान से अलफ़ाज़ कह देने पर मदर है, दिल का इरादा व क़स्द या रज़ा व खुशी शर्त नहीं, जैसे निकाह, तलाक़, रजई तलाक़ के बाद बीवी को वापस लौटा लेना, गुलाम-बाँदी वग़ैरह आज़ाद करना वग़ैरह, ऐसे मामलात के मुताबिक़ हदीस में इरशाद है:

ثَلَاثُ جِدْهَنْ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ (رواه ابو داؤد والترمذى وحسنه)

(यानी अगर दो शख्स ज़बान से निकाह का ईजाब व कुबूल शर्तों के मुताबिक़ कर लें या

कोई शौहर अपनी बीवी को ज़बान से तलाक़ दे दे या तलाक़ के बाद ज़बान से रज़ूअत करे चाहे वह हंसी-मज़ाक़ के तौर पर हो दिल में इरादा निकाह या तलाक़ या रज़ूअत का न हो, फिर भी महज़ अलफ़ाज़ के कहने से निकाह आयोजित हो जायेगा और तलाक़ पड़ जायेगी, तथा रज़ूअत सही हो जायेगी। (तफ़सीर मजहरी)

इमामे आजम अबू हनीफ़ा, इमाम शज़बी, इमाम जोहरी, इमाम नख़ई और इमाम क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक मजबूर किये गये शख़्स की तलाक़ का भी यही हुक्म है कि इकराह (मजबूर करने) की हालत में अगरचे वह तलाक़ देने पर दिल से आमादा नहीं था, मजबूर होकर तलाक़ के अलफ़ाज़ कह दिये, और तलाक़ के वाक़े होने का ताल्लुक़ सिर्फ़ तलाक़ के अलफ़ाज़ अदा कर देने से है, दिल का क़स्द व इरादा शर्त नहीं, जैसा कि उक्त हदीस से साबित है, इसलिये यह तलाक़ वाक़े हो जायेगी।

मगर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत अली और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक मजबूर करने की हालत की तलाक़ वाक़े न होगी क्योंकि हदीस में है:

رُفِعَ عَنْ أُمَّي الخَطَاءِ وَالْيَسِيَانِ وَمَا سَتَكُرِهُوا عَلَيْهِ (رواه الطبرانی عن ثوبان)

“यानी मेरी उम्मत से ख़ता और भूल और जिस चीज़ पर उनको बेकरार व मजबूर कर दिया जाये सब उठा दिये गये।”

इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक यह हदीस आख़िरत के अहकाम से संबन्धित है कि ख़ता या भूल से या इकराह (मजबूर करने) की हालत में जो कोई कौल व फ़ेल शरीअत के खिलाफ़ कर लिया उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, बाकी रहे दुनिया के अहकाम और वो परिणाम जो उस फ़ेल पर मुरत्तब हो सकते हैं उनका वाक़े व उत्पन्न होना तो महसूस और आँखों देखा है, और दुनिया में इस वाक़े होने पर जो आसार व अहकाम मुरत्तब होते हैं वो होकर रहेंगे। जैसे किसी ने किसी को ग़लती से क़त्ल कर दिया तो उसको क़त्ल का गुनाह और आख़िरत की सज़ा तो बेशक न होगी मगर जिस तरह क़त्ल का महसूस असर मक्तूल की जान का चला जाना वाक़े है इसी तरह उसका यह शरई असर भी साबित होगा कि उसकी बीवी इदत के बाद दूसरा निकाह कर सकेगी, उसका माल विरासत में तक़सीम हो जायेगा। इसी तरह जब तलाक़ या निकाह या रज़ूअत के अलफ़ाज़ ज़बान से अदा कर दिये तो उनका शरई असर भी साबित हो जायेगा। (तफ़सीर मजहरी व क़ुर्तबी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ كُلُّ نَفْسٍ سَعَادِلٌ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَقَّ كُلُّ نَفْسٍ مَعَاصِدَةً وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوْمًا كَانَتْ أَمْنُهُمْ مَطْمَئِنَةً بِآيَاتِهَا رَزَقَهَا رِزْقًا وَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

सुम्-म इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न
हाजरु मिम्-बज़्दि मा फ़ुतिनू सुम्-म
जाहदू व स-बरु इन्-न रब्ब-क मिम्-
बज़्दिहा ल-गफ़ूररहीम (110) ❁

यौ-म तअती कुल्लु नफ़िसन् तुजादिलु
अन् नफ़िसहा व तुवफ़फ़ा कुल्लु
नफ़िसम्-मा अमिलत् व हुम् ला
युज़लमून (111) व ज़-रबल्लाहु
म-सलन् कर-यतन् कानत्
आमि-नतम्-मुत्मइन्नतय-यअतीहा
रिज़्कुहा र-गदम्-मिन् कुल्लि मकानिन्
फ़-क-फ़ रत् बिअन्ज़ु मिल्लाहि
फ़-अज़ा-कहल्लाहु लिबासल्-जूज़ि
वल्लहौफ़ि बिमा कानू यस्नज़ून
(112) व ल-कद् जाअहुम् रसूलुम्-
मिन्हुम् फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़-ज़हुमुल्
-अज़ाबु व हुम् ज़ालिमून (113)

फिर बात यह है कि तेरा रब उन लोगों पर
कि उन्होंने वतन छोड़ा है बाद उसके कि
मुसीबत उठाई फिर जिहाद करते रहे और
कायम रहे, बेशक तेरा रब इन बातों के
बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। (110) ❁

जिस दिन आयेगा हर जी जवाब-सवाल
करता अपनी तरफ़ से और पूरा मिलेगा
हर किसी को जो उसने कमाया और उन
पर जुल्म न होगा। (111) और बतलाई
अल्लाह ने एक मिसाल एक बस्ती थी,
चैन अमन से चली आती थी उसको रोज़ी
फ़रागत की हर जगह से, फिर नाशुकी
की अल्लाह के एहसानों की, फिर चखाया
उसको अल्लाह ने मज़ा कि उनके तन के
कपड़े हो गये भूख और डर, बदला उस
का जो वे करते थे। (112) और उनके
पास पहुँच चुका रसूल उन्हीं में का फिर
उसको झुठलाया, फिर आ पकड़ा उनको
अज़ाब ने और वे गुनाहगार थे। (113)

इन आयतों का पीछे के मज़मून से संबन्ध

पिछली आयतों में कुफ़्र पर वईद (सज़ा के ऐलान) का ज़िक्र था, चाहे कुफ़्र असली हो या
दीन इस्लाम कुबूल कर लेने के बाद उससे फिर जाने का कुफ़्र। इसके बाद की ज़िक्र होने वाली
तीन आयतों में से पहली आयत में यह बतलाया गया है कि ईमान ऐसी दौलत है कि जो काफ़िर
या मुर्तद सच्चा ईमान ले आये उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

दूसरी आयत में कियामत का ज़िक्र इसलिये किया गया कि यह जज़ा व सज़ा सब कियामत
के बाद ही होने वाली है। तीसरी आयत में यह बतलाया गया कि कुफ़्र व नाफ़रमानी की असली
सज़ा तो कियामत के बाद ही मिलेगी मगर कुछ गुनाहों की सज़ा दुनिया में भी कुछ मिल जाती
है। तीनों आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफसीर

फिर (अगर कुफ्र के बाद ये लोग ईमान ले आये तो) बेशक आपका रब ऐसे लोगों के लिये कि जिन्होंने कुफ्र में मुब्तला होने के बाद (ईमान लाकर) हिजरत की, फिर जिहाद किया और (ईमान पर) कायम रहे, तो आपका रब (ऐसे लोगों के लिये) इन (आमाल) के बाद बड़ी मगफिरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है (यानी ईमान और नेक आमाल की बरकत से सब पिछले गुनाह माफ हो जायेंगे और अल्लाह तआला की रहमत से उनको जन्नत में बड़े-बड़े दर्जे मिलेंगे। कुफ्र से पहले के गुनाह तो सिर्फ ईमान से माफ हो जाते हैं, जिहाद वगैरह नेक आमाल माफी की शर्त नहीं, लेकिन नेक आमाल जन्नत के दर्जे मिलने के असबाब हैं, इसलिये इसके साथ जिक्र कर दिया गया)।

(और यह उक्त जज़ा व सज़ा उस दिन वाके होगी) जिस दिन हर शख्स अपनी-अपनी तरफदारी में गुप्तगू करेगा (और दूसरों को न पूछेगा) और हर शख्स को उसके किये का पूरा बदला मिलेगा (यानी नेकी के बदले में कमी न होगी, अगरचे अल्लाह की रहमत से ज्यादाती हो जाने की संभावना है, और बदी के बदले में ज्यादाती न होगी हाँ यह मुम्किन है कि रहमत से उसमें कुछ कमी हो जाये। यही मतलब है इसका कि) उन पर जुल्म न किया जायेगा। (इसके बाद यह बतलाया गया है कि अगरचे कुफ्र व नाफरमानी की पूरी सज़ा हज़र के बाद होगी मगर कभी दुनिया में भी उसका वबाल अज़ाब की सूरत में आ जाता है)। और अल्लाह तआला एक बस्ती वालों की अजीब हालत बयान फरमाते हैं कि वे (बड़े) अमन व इल्मीनान में रहते थे (और) उनके खाने-पहनने की चीज़ें बड़ी फराग़त से चारों तरफ़ से उनके पास पहुँचा करती थीं (उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा न किया बल्कि) उन्होंने खुदा की नेमतों की बेकद्री की (यानी कुफ्र व शिर्क और नाफरमानी में मुब्तला हो गये)। इस पर अल्लाह तआला ने उनको उनकी हरकतों के सबब एक घेरने वाले कहत और ख़ौफ़ का मज़ा चखाया (कि माल व दौलत की फरावानी छिनकर कहत “सूखे) और भूख में मुब्तला हो गये, और दुश्मनों का ख़ौफ़ मुसल्लत करके उनकी बस्तियों का अमन व इल्मीनान भी छीन लिया)। और (इस सज़ा में हक़ तआला की तरफ़ से कुछ जल्दी नहीं की गई बल्कि पहले इसकी चेतावनी व इस्लाह के वास्ते) उनके पास उन्हीं में का एक रसूल भी (अल्लाह की तरफ़ से) आया (जिसकी सच्चाई व ईमानदारी का हाल खुद अपनी कौम में होने की वजह से उनको पूरी तरह मालूम था)। सो उस (रसूल) को (भी) उन्होंने झूठा बतलाया तब उनको अज़ाब ने आन पकड़ा, जबकि वे बिल्कुल ही जुल्म पर कमर बाँधने लगे।

मअरिफ़ व मसाईल

आखिरी आयत में भूख और ख़ौफ़ का मज़ा चखाने के लिये लफ़्ज़ लिबास इस्तेमाल

फरमाया कि लिबास भूख और ख़ौफ का उनको चखाया गया, हालाँकि लिबास चखने की चीज़ नहीं, मगर यहाँ लिबास का लफ़्ज़ पूरी तरह घेरने और समेटने वाला होने के लिये तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कि यह भूख और ख़ौफ उन सब के सब पर ऐसा छा गया कि जिस तरह लिबास बदन के साथ एक अनिवार्य और लाज़िमी चीज़ बन जाता है, ये भूख और ख़ौफ भी उन पर इसी तरह मुसल्लत कर दिये गये।

यह मिसाल जो इस आयत में बयान की गई है तफसीर के कुछ इमामों के नज़दीक तो आम मिसाल है, किसी खास बस्ती से इसका ताल्लुक नहीं, और अक्सर हज़रात ने इसको मक्का मुकर्रमा का वाकिआ करार दिया कि वे सात साल तक सख़्त सूखे में मुब्तला रहे, कि मुदर जानवर और कुत्ते और गन्दगियाँ खाने पर मजबूर हो गये, और मुसलमानों का ख़ौफ उन पर मुसल्लत हो गया। फिर मक्का के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि कुफ़्र व नाफरमानी के क्रसूरवार तो मर्द हैं औरतें, बच्चे तो बेकसूर हैं, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये मदीना तथ्यिबा से खाने वगैरह का सामान भिजवा दिया। (तफसीरे मज़हरी)

और अबू सुफियान ने कुफ़्र की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरख्वास्त की कि आप तो सिला-रहमी और माफी व दरगुज़र की तालीम देते हैं, यह आपकी कौम तबाह हुई जाती है, अल्लाह तअाला से दुआ कीजिये कि यह कहत (सूखा) हम से दूर हो जाये, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये दुआ फरमाई और कहत खत्म हुआ। (तफसीरे कुर्तुबी)

فَكُلُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمُ إِنِّيَاءً تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّمَا
 حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
 عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ
 هَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 لَا يُفْلِحُونَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
 لِلَّذِينَ عَلِمُوا السُّوءَ بِجَهَالَتِهِمْ لَنَابٍ ۖ وَمَنْ بَعُدْ ذَلِكُمْ وَأَصْلَحُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

फ़कुलू मिम्मा र-ज़-क़कुमुल्लाहु
 हलालन् तथ्यिबन्-वशकुरु

सो खाओ जो रोज़ी दी तुमको अल्लाह ने
 हलाल और पाक, और शुक्र करो अल्लाह

निज़्-मतल्लाहि इन् कुन्तुम् इय्याहु
 तज़्बुदून (114) इन्नमा हर-म
 अलैकुमुल्-मैत-त वदद-म व लह्मल्-
 खिन्ज़ीरि व मा उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि
 बिही फ-मनिज़्तुर-र गै-र बागिंव-व
 ला आदिन् फ-इन्नल्ला-ह गफ़ूररहीम
 (115) व ला तकूलू लिमा तसिफ़ु
 अल्लि-नतुकुमुल्-कज़ि-ब हाज़ा
 हलालुंव-व हाज़ा हरामुल्-लितफ़तरू
 अलल्लाहिल्-कज़ि-ब, इन्नल्लज़ी-न
 यफ़तरू-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब ला
 युफ़िलहून (116) मताज़ुन् कलीलुंव-व
 लहुम् अज़ाबुन् अलीम (117) व
 अलल्लज़ी-न हादू हरमना मा
 कसस्ना अलै-क मिन् कब्लु व मा
 ज़लम्नाहुम् व लाकिन् कानू
 अन्फु-सहुम् यज़िलमून (118) सुम्-म
 इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न अमिलुस्-
 सू-अ बि-जहालतिन् सुम्-म ताबू
 मिम्-बज़्दि ज़ालि-क व अस्लहू
 इन्-न रब्ब-क मिम्-बज़्दिहा
 ल-गफ़ूररहीम (119) ❀

के एहसान का अगर तुम उसी को पूजते
 हो। (114) अल्लाह ने तो यही हराम
 किया है तुम पर मुर्दार और लहू और
 सुअर का गोश्त और जिस पर नाम
 पुकारा अल्लाह के सिवा किसी और का,
 फिर जो कोई मजबूर हो जाये न जोर
 करता हो न ज़्यादती तो अल्लाह बख़्शने
 वाला मेहरबान है। (115) और मत कहो
 अपनी ज़बानों के झूठ बना लेने से कि
 यह हलाल है और यह हराम है कि
 अल्लाह पर बोहतान बाँधो, बेशक जो
 बोहतान बाँधते हैं अल्लाह पर उनका
 भला न होगा। (116) थोड़ा सा फ़ायदा
 उठा लें, और उनके वास्ते दर्दनाक अज़ाब
 है। (117) और जो लोग यहूदी हैं उन
 पर हराम किया था जो तुझको पहले सुना
 चुके, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया
 पर वे अपने ऊपर आप जुल्म करते थे।
 (118) फिर बात यह है कि तेरा रब उन
 लोगों पर जिन्होंने बुराई की नादानी से
 फिर तौबा की उसके बाद और संवारा
 अपने आपको, सो तेरा रब इन बातों के
 बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। (119) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पिछली आयत में अल्लाह जल्ल शानुहू की नेमतों पर काफ़िरों की नाशुक्री और उसके

अज़ाब का ज़िक्र था, इन ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में पहले तो मुसलमानों को इसकी हिदायत की गई कि वे नाशुक्री न करें, अल्लाह तआला ने जो हलाल नेमतें उनको दी हैं उनको शुक्र के साथ इस्तेमाल करें, उसके बाद यह इरशाद फरमाया कि काफ़िरो व मुश्रिकों ने अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुक्री की एक खास शक्त यह भी इख़्तियार कर रखी थी कि बहुत-सी चीज़ें जिनको अल्लाह तआला ने उनके लिये हलाल किया था अपनी तरफ से उनको हराम कहने लगे, और बहुत-सी चीज़ें जिनको अल्लाह ने हराम कहा था उनकी हलाल कहने लगे, मुसलमानों को इस पर तबीह फरमाई कि वे ऐसा न करें, किसी चीज़ का हलाल या हराम करना सिर्फ़ उस ज़ात का हक़ है जिसने उनको पैदा किया है, अपनी तरफ से ऐसा करना खुदाई इख़्तियारात में दख़ल देना और अल्लाह तआला पर बोहतान बाँधना है।

आख़िर में यह भी इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने जहालत से इस तरह के अपराध किये हैं वे भी अल्लाह तआला की रहमत से माफ़ूस न हों, अगर वे तौबा कर लें और सही ईमान ले आयें तो अल्लाह तआला सब गुनाह बख़्श देंगे। आयतों की मुज़ासर तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

सो जो चीज़ें अल्लाह तआला ने तुमको हलाल और पाक दी हैं उनको (हराम न समझो कि यह मुश्रिकों की जाहिलाना रस्म है, बल्कि) खाओ और अल्लाह तआला की नेमत का शुक्र करो अगर तुम (अपने दावे के मुताबिक) उसी की इबादत करते हो। तुम पर तो (उन चीज़ों में से जिनको तुम हराम कहते हो, अल्लाह तआला ने) सिर्फ़ मुद्दर को हराम किया है, और खून को और सुअर के गोश्त (वगैरह) को, और जिस चीज़ को अल्लाह के अलावा किसी और के लिये नामज़द कर दिया गया हो। फिर जो शख़्स कि (फाके के सबब) बिल्कुल बेकरार हो जाये, शर्त यह है कि लज़ज़त का तालिब न हो और न (ज़रूरत की) हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो अल्लाह तआला (उसके लिये अगर वह चीज़ों को खा ले) बख़्श देने वाला, मेहरबानी करने वाला है। और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हारा महज़ झूठा ज़बानी दावा है (और उस पर कोई सही दलील कायम नहीं) उनके बारे में यूँ मत कह दिया करो कि फुलों चीज़ हलाल है और फुलों चीज़ हराम है (जैसा कि पारा नम्बर आठ में सूर: अन्आम के अन्दर आयत 136 में उनके ऐसे झूठे दावे आ चुके हैं) जिसका हासिल यह होगा कि अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाओगे (क्योंकि अल्लाह तआला ने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि इसके ख़िलाफ़ फरमाया है) बिला शुब्हा जो लोग अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाते हैं वे फ़लाह न पाएँगे (चाहे दुनिया व आख़िरत दोनों में या सिर्फ़ आख़िरत में)।

यह (दुनिया में) कुछ दिन का ऐश है (और आगे मरने के बाद) उनके लिये दर्दनाक सज़ा है। और (ये मुश्रिक लोग इब्राहीमी शरीअत की पैरवी करने वाला होने का दावा करते हैं हालाँकि उनकी शरीअत में तो ये चीज़ें हराम न थीं जिनको इन्होंने हराम करार दे दिया है, अलबत्ता बहुत ज़माने के बाद इन चीज़ों में से) सिर्फ़ यहूदियों पर हमने वे चीज़ें हराम कर दी थीं

जिनका बयान हम इससे पहले (सूरः अन्आम में) आप से कर चुके हैं (और उनके हराम करने में भी) हमने उन पर (बज़ाहिर भी) कोई ज़्यादाती नहीं की, लेकिन वे खुद ही अपने ऊपर (नबियों की मुख़ालफ़त करके) ज़्यादाती किया करते थे (तो मालूम हुआ कि हलाल चीज़ों को इरादतन् तो कभी हराम नहीं किया गया और इब्राहीमी शरीअत में किसी वक्ती ज़रूरत की वजह से भी नहीं हुई, फिर यह तुमने कहाँ से गढ़ लिया)।

फिर आपका रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुरा काम (चाहे कुछ भी हो) कर लिया, फिर उसके बाद तौबा कर ली और (आईन्दा के लिये) अपने आमाल दुरुस्त कर लिये, तो आपका रब उसके बाद बड़ी मग़फ़िरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है।

मअरिफ़ व मसाईल

हराम चीज़ें ऊपर बयान हुई चीज़ों के अलावा भी हैं

इस आयत में लफ़्ज़ इन्नमा से मालूम होता है कि हराम चीज़ें सिर्फ़ यही चार हैं जो आयत में बयान हुई हैं, और इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से आयतः

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرُومًا..... الآية

(यानी सूरः अन्आम की आयत 145) से मालूम होता है कि इन चीज़ों के सिवा कोई चीज़ हराम नहीं, हालाँकि कुरआन व सुन्नत की वज़ाहत व बयान के मुताबिक़ उम्मत की सर्वसम्मति से और भी बहुत-सी चीज़ें हराम हैं। इस इश्काल का जवाब खुद इन्हीं आयतों के आगे-पीछे के मज़मून पर गौर करने से मालूम हो जाता है कि इस जगह आम हराम व हलाल का बयान करना मक़सद नहीं बल्कि इस्लाम से पहले ज़माने के मुशिरकों ने जो बहुत-सी चीज़ों को अपनी तरफ़ से हराम कर लिया था हालाँकि अल्लाह तआला ने उनकी हुर्मत (हराम होने) का हुक्म नहीं दिया था, उनका बयान करना मक़सूद है, कि तुम्हारी हराम की हुई चीज़ों में से अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ यही चीज़ें हराम हैं, इस आयत की मुकम्मल तफ़्सीर और इन चारों हराम की गयी चीज़ों के अहकाम का विस्तृत बयान सूरः ब-करह की आयत नम्बर 173 में "मअरिफ़ुल-कुरआन" जिल्द अब्वल में आ चुका है, वहाँ देख लिया जाये।

तौबा से गुनाह का माफ़ होना आम है चाहे बेसमझी से करे

या जान-बूझकर

ऊपर बयान हुई आयत 119 में लफ़्ज़ जहल नहीं बल्कि जहालत इस्तेमाल फ़रमाया है। जहल तो इल्म के मुक़ाबले में आता है और बेइल्मी बेसमझी के मायने में है, और जहालत का लफ़्ज़ जहालत भरी हरकत के लिये बोला जाता है, अगरचे जान-बूझकर करे। इससे मालूम हो गया कि तौबा से गुनाह की माफ़ी बेसमझी या बेइख़्तियारी के साथ मुक़ैयद नहीं।

لَٰنْ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اٰمَةً قٰرِنًا لِلّٰهِ حٰنِفًا وَاَكْرَمًا مِنَ الشُّرِكِيْنَ ۝ شٰكِرًا
 لِاٰنْعٰمِهِ ۝ اٰجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ اِلَى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَاَتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝ وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ
 لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ ثُمَّ اَوْحٰيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حٰنِفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الشُّرِكِيْنَ ۝
 اِنْتَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الْاٰدِيْمِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۝ وَاِنْ رَبُّكَ لَيَخْكُمۡ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا
 كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

इन्-न इब्राही-म का-न उम्म-तन्
 कानितल्-लिल्लाहि हनीफन्, व लम्
 यकु मिनल्-मुशिरकीन (120)
 शाकिरल्-लिअन्-जुमिही, इज्जतबाहु व
 हदाहु इला सिरातिम्-मुस्तकीम (121)
 व आतैनाहु फिद्दुन्या ह-स-नतन्, व
 इन्नहू फिल्-आखिरति लमिनस्-
 सालिहीन (122) सुम्-म औहैना
 इलै-क अनित्तबिअ् मिल्ल-त
 इब्राही-म हनीफन्, व मा का-न
 मिनल्-मुशिरकीन (123) इन्नमा
 जुअिलस्सब्तु अलल्लज़ीनरुत-लफ्
 फीहि, व इन्-न रब्ब-क ल-यस्कुमु
 बैनुहुम् यौमल्-कियामति फीमा कानू
 फीहि यस्त्रलिफ्फून (124)

असल में इब्राहीम था राह डालने वाला
 फरमाँबरदार अल्लाह का सबसे एक तरफ
 होकर, और न था शिर्क करने वालों में।
 (120) हक मानने वाला उसके एहसानों
 का, उसको अल्लाह ने चुन लिया और
 चलाया सीधी राह पर। (121) और दी
 हमने दुनिया में उसको खूबी और वह
 आखिरत में अच्छे लोगों में है। (122)
 फिर हुक्म भेजा तुझको हमने कि चल
 देने इब्राहीम पर जो एक तरफ का था
 और न था वह शिर्क करने वालों में।
 (123) हफ्ते "शनिवार" का दिन जो
 मुकर्रर किया सो उन्हीं पर जो उसमें
 झगड़ते थे, और तेरा रब हुक्म करेगा
 उनमें कियामत के दिन जिस बात में
 झगड़ते थे। (124)

इन आयतों के मज़मून की पीछे से संबन्ध

पिछली आयतों में शिर्क व कुफ़ के उसूल यानी तौहीद व रिसालत के इनकार पर रद्द और
 कुफ़ व शिर्क के कुछ फुरूअ (अर्थात ऊपर के अहकाम) यानी हराम को हलाल कर लेना और
 हलाल को हराम कर लेने पर रद्द और इसको बातिल करार देने की तफसील थी और मक्का

मुकर्रमा के मुशिरक जो कुरआने करीम के पहले और डायरेक्ट मुखातब थे, अपने कुफ़ व बुत-परस्ती के बावजूद दावा यह करते थे कि हम इब्राहीमी तरीके और मज़हब के पाबन्द हैं, और हम जो कुछ करते हैं यह सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। इसलिये उक्त चार आयतों में उनके इस दावे की तरदीद और उन्हीं की मानी हुई बातों से उनके जाहिलाना ख्यालात का रद्द और बातिल होना इस तरह बयान किया गया कि ऊपर बयान हुई पाँच आयतों में से पहली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुनिया की तमाम कौमों का मुसल्लम मुक्तदा (माना हुआ धार्मिक पेशवा) होना बयान फरमाया, जो नुबुव्वत व रिसालत का ऊँचा मक़ाम है, इससे उनका अज़ीमुश्शान नबी व रसूल होना साबित हुआ। इसके साथ ही 'मा का-न मिनल् मुशिरकीन' से उनका पूर्ण तौहीद पर होना बयान फरमाया।

और दूसरी आयत में उनका शुक्रगुज़ार और सिरात-ए-मुस्तकीम (सही और सीधे रास्ते) पर होना बयान फरमाकर उनको तंबीह की कि तुम अल्लाह तआला की नाशुक्री करते हुए अपने को उनका ताबेदार (पैरवी करने वाला) किस ज़बान से कहते हो?

तीसरी आयत में उनका दुनिया व आख़िरत में कामयाब व बामुराद होना और चौथी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत को साबित करने के साथ आपका सही इब्राहीमी तरीके का पाबन्द होना बयान फरमाकर यह हिदायत की गई कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने और आपकी इताअत के बग़ैर यह दावा सही नहीं हो सकता।

पाँचवीं आयत यानी आयत नम्बर 124 में इशारतन यह बयान फरमाया कि इब्राहीमी तरीके और मज़हब में हलाल व पाक चीज़ें हराम नहीं थीं जिनको तुमने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया है। उक्त आयतों की मुखासर तफ़्सीर यह है:

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

वेशक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम जिनको तुम भी मानते हो) बड़े मुक्तदा "यानी पेशवा और रहनुमा" थे अल्लाह तआला के (पूरे) फरमाँबरदार थे (उनका कोई अक्कीदा या अमल अपनी नपसानी इच्छा से न था, फिर तुम उसके खिलाफ़ महज़ अपने नपस की पैरवी से अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम क्यों ठहराते हो, और वह) बिल्कुल एक (खुदा) की तरफ़ के हो रहे थे (और मतलब एक तरफ़ होने का यह है कि) वह शिर्क करने वालों में से न थे (तो फिर तुम शिर्क कैसे करते हो, और वह) अल्लाह की नेमतों के (बड़े) शुक्रगुज़ार थे (फिर तुम शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला होकर नाशुक्री क्यों करते हो। गर्ज़ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह शान और तरीका था और वह ऐसे मक़बूल थे कि) अल्लाह तआला ने उनको चुन लिया था और उनको सीधे रास्ते पर डाल दिया था। और हमने उनको दुनिया में भी ख़ूबियाँ (जैसे नुबुव्वत व रिसालत में चुनिन्दा होना और हिदायत पर होना वगैरह) दी थीं और वह आख़िरत में भी (आला

दर्जे के) अच्छे लोगों में होंगे (इसलिये तुम सब को उन्हीं का तरीका इख़्तियार करना चाहिये और वह तरीका अब सीमित है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीके में जिसका बयान यह है कि) फिर हमने आपके पास वही भेजी कि आप इब्राहीम के तरीके पर जो कि बिल्कुल एक (खुदा की) तरफ के हो रहे थे चलिये (और चूँकि उस ज़माने के वे लोग जो मिल्लते इब्राहीमी के दावेदार थे कुछ न कुछ शिर्क में मुब्तला थे, इसलिये दोबारा फ़रमाया कि) वह शिर्क करने वालों में से न थे (ताकि बुत-परस्तों के साथ यहूदियों व ईसाईयों के मौजूदा तरीके पर रद्द हो जाये जो शिर्क से ख़ाली नहीं, और चूँकि ये लोग हलाल व पाक चीज़ों को हराम करने की जाहिलाना व मुशिरकाना रस्मों में मुब्तला थे, इसलिये फ़रमाया कि) बस हफ़्ते की ताज़ीम (यानी शनिवार के दिन मछली के शिकार की मनाही जो हलाल चीज़ों को हराम करने में से एक है वह तो) सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर लाज़िम की गई थी जिन्होंने उसमें (अमलन) ख़िलाफ़ किया था (कि किसी ने माना और अमल किया और किसी ने उसके ख़िलाफ़ किया। मुराद इससे यहूदी हैं कि पाक व हलाल चीज़ों को हराम करने की यह सूत दूसरी सूतों की तरह सिर्फ़ यहूदियों के साथ मख़सूस थी, मिल्लते इब्राहीमी में ये चीज़ें हराम नहीं थीं। आगे अल्लाह के अहकाम में झगड़ा करने के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं) बेशक आपका रब कियामत के दिन इनमें आपस में (अमली तौर पर) फ़ैसला कर देगा जिस बात में ये (दुनिया में) झगड़े किया करते थे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

लफ़ज़ उम्मत कई मायनों के लिये इस्तेमाल होता है, मशहूर मायने जमाअत और कौम के हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जगह यही मायने मन्कूल हैं, और मुराद यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा एक फ़र्द एक उम्मत और कौम के कमालात व फ़ज़ाईल के मालिक हैं। और एक मायने लफ़ज़ उम्मत के कौम के मुक्तदा (पेशवा और रहनुमा) और कमालात वाले के भी आते हैं, कुछ मुफ़रिसरीन ने इस जगह यही मायने लिये हैं, और क़ानित के मायने फ़रमान के ताबेदार के हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों गुणों में ख़ास विशेषता रखते हैं, मुक्तदा होने का तो यह आलम है कि पूरी दुनिया के तमाम मशहूर धर्मों के लोग सब आप पर एतिकाद रखते हैं, और आपकी मिल्लत की पैरवी को इज़ज़त व फ़ख़्र जानते हैं। यहूद, ईसाई, मुसलमान तो उनका अदब व सम्मान करते ही हैं, अरब के मुशिरक लोग बुत-परस्ती के बावजूद बुतों को तोड़नी वाली इस हस्ती के मोतकिद और उनकी मिल्लत पर चलने को अपना फ़ख़्र जानते हैं। और क़ानित व फ़रमाँबरदार होने की ख़ास विशेषता उन इम्तिहानों और आजमाईशों से स्पष्ट हो जाती है जिनसे अल्लाह के यह ख़लील गुज़रे हैं। नमरूद की आग, बीबी-बच्चे को एक सुनसान बयाबान जंगल में छोड़कर चले जाने का हुक्म, फिर आरज़ुओं से हासिल होने वाले बेटे की क़ुरबानी पर तैयार हो जाना, ये सब वो खुसूसियतें और विशेषतायें हैं जिनकी वजह से अल्लाह तआला ने उनको इन उपाधियों से सम्मानित फ़रमाया है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मिल्लते इब्राहीमी की पैरवी

हक तआला ने जो शरीअत व अहकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाये थे, खातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत भी कुछ खास अहकाम के अलावा उसके मुताबिक़ रखी गई, और अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम अम्बिया व रसूलों से अफज़ल हैं मगर यहाँ अफज़ल (आला दर्जे वाले) को मफज़ूल (कम दर्जे वाले) की पैरवी का हुक़्म देने में दो हिक़्मतें हैं— अब्बल तो यह कि वह शरीअत पहले दुनिया में आ चुकी है और मालूम व मारूफ़ हो चुकी है, आखिरी शरीअत भी चूँकि उसके मुताबिक़ होने वाली थी इसलिये इसको इत्तिबा (पैरवी और अनुसरण) के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है। दूसरे अल्लामा ज़मरख़शरी के कौल के मुताबिक़ यह कि यह हुक़्म पैरवी का हुक़्म भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सम्मानों में से एक खास सम्मान है और इसकी खुसूसियत की तरफ़ लफ़्ज़ सुम्-म से इशारा कर दिया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम फ़ज़ाईल व कमालात एक तरफ़ और इन सब पर बढ़ा हुआ यह कमाल है कि अल्लाह तआला ने अपने सबसे अफज़ल रसूल व हबीब को उनकी मिल्लत की पैरवी का हुक़्म फरमाया।

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِشْرٍ مَّا عَوْقَبْتُمْ بِهِ ؕ وَلَكُمْ صَبْرٌ لَّهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

उद् अ इला सबील रब्बि-क
बिल् हिक़्मति वल्मौ अि-ज़ तिल्-
ह-स-नति व जादिल्हुम् बिल्लती
हि-य अह्सनु, इन्-न रब्ब-क हु-व
अज़लमु बिमन् ज़ल्-ल अन् सबीलिही
व हु-व अज़लमु बिल्मुह्तदीन (125)

बुला अपने रब की राह पर पक्की बातें
समझाकर और नसीहत सुनाकर भली तरह
और इज़ाम दे उनको जिस तरह बेहतर
हो, तेरा रब ही बेहतर जानता है उसको
जो भूल गया उसकी राह से और वही
बेहतर जानता है उनको जो राह पर हैं।
(125) और अगर बदला लो तो बदला

व इन् आकबुम् फज़ाकिबू बिमिस्ति
 मा अ़किबुम् बिही, व ल-इन्
 सबरतुम् लहु-व ख़ैरुल्-लिस्साबिरीन
 (126) वस्बिर् व मा सब्क-क इल्ला
 बिल्लाहि व ला तहज़न् अ़लैहिम् व
 ला तकु फ़ी ज़ैकिम्-मिम्मा यम्कुरुन
 (127) इन्नल्ला-ह मअ़ल्लज़ीनत्तकौ
 वल्लज़ी-न हुम् मुत्सिनून (128) ❀

लो उसी क़द्र कि (जितनी) तुमको
 तकलीफ़ पहुँचाई जाये, और अगर सब्र
 करो तो यह बेहतर है सब्र करने वालों
 को। (126) और तू सब्र कर और तुझसे
 सब्र हो सके अल्लाह ही की मदद से,
 और न उन पर गुम खा, और तंग मत हो
 उनके फ़रेब से। (127) अल्लाह साथ है
 उनके जो परहेज़गार हैं और जो नेकी
 करते हैं। (128) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से संबन्ध

इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत के साबित करने से मक़सद यह था कि उम्मत आपके अहकाम की तामील करके रिसालत के हुक्क अदा करें, अब इन ऊपर ज़िक्र की गयी आयतों में खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रिसालत के हुक्क अदा करने और उसके आदाब की तालीम है, चूँकि हुक्म और ख़िताब आम है इसलिये इसमें तमाम मोमिन शरीक हैं। मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

आप अपने रब की राह (यानी दीने इस्लाम) की तरफ़ (लोगों को) हिक्मत और अच्छी नसीहत के जरिये से बुलाईये (हिक्मत से दावत का वह तरीका मुराद है जिसमें मुखातब के हालत की रियायत से ऐसी तदबीर इख़्तियार की गई हो जो मुखातब के दिल पर असर डालने वाली हो सके, और नसीहत से मुराद यह है कि ख़ैरख़ाही व हमदर्दी के ज़ब्बे से बात कही जाये, और अच्छी नसीहत से मुराद यह है कि अन्दाज़ व तरीका भी नर्म हो, दिल को दुखाने वाला अपमान भरा न हो) और उनके साथ अच्छे तरीके से बहस कीजिये (यानी अगर बहस-मुबाहसे की नौबत आ जाये तो वह भी सख़्ती और अख़्खड़ मिज़ाजी और और मुखातब पर इज़ाम लगाने और बेइन्साफी से ख़ाली होना चाहिये। बस इतना काम आपका है, फिर इस तहकीक़ में न पड़िये कि किसने माना किसने नहीं माना, यह काम खुदा तआला का है। पस) आपका रब ख़ूब जानता है उस शख्स को भी जो उसके रास्ते से गुम हो गया और वही राह पर चलने वालों को भी ख़ूब जानता है। और (अगर कभी मुखातब इल्मी बहस व मुबाहसे की हद से आगे बढ़कर अमली झगड़े और हाथ या ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाने लगे तो इसमें आपको और आपके पैरोकारों को बदला लेना भी जायज़ है और सब्र करना भी। पस) अगर (पहली सूत इख़्तियार

करो यानी) बदला लेने लगे तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया है (उससे ज्यादाती न करो), और अगर (दूसरी सूरात यानी तकलीफों पर) सब्र करो तो वह (सब्र करना) सब्र करने वालों के हक़ में बहुत ही अच्छी बात है (कि मुख़ालिफ़ पर भी अच्छा असर पड़ता है और देखने वालों पर भी, और आख़िरत में बड़े अज़्र का ज़रिया है)।

और (सब्र करना अगरचे सभी के लिये बेहतर है मगर आपकी बड़ी शान के लिहाज़ से आपको विशेष तौर पर हुक्म है कि आप बदला लेने की सूरात इख़्तियार न करें बल्कि) आप सब्र कीजिए और आपका सब्र करना खुदा ही की खास तौफ़ीक़ से है (इसलिये आप इल्मीनान रखें कि सब्र में आपको दुश्चारी न होगी) और उन लोगों (यानी उनके ईमान न लाने पर या मुसलमानों को सताने) पर गुम न कीजिये। और जो कुछ ये तदबीरें किया करते हैं उससे तंगदिल न होईये (उनकी मुख़ालिफ़ तदबीरों से आपका कोई नुक़सान न होगा, क्योंकि आपको एहसान और तक्वे की सिफ़ात हासिल हैं, और) अल्लाह तज़ाला ऐसे लोगों के साथ होता है (यानी उनका मददगार होता है) जो परहेज़गार होते हैं और जो नेक काम करने वाले होते हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

दावत व तब्लीग़ के उसूल और मुकम्मल निसाब

इस आयत में दावत व तब्लीग़ का मुकम्मल निसाब, उसके उसूल और आदाब की पूरी तफ़सील चन्द कलिमात में समोई हुई है। तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि हज़रत हरम इब्ने हय्यान रहमतुल्लाहि अलैहि की मौत का वक़्त आया तो परिजनों ने दरख़्वास्त की कि हमें कुछ वसीयत फ़रमाईये, तो फ़रमाया कि वसीयत तो लोग मालों की किया करते हैं वह मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं तुमको अल्लाह की आयतों विशेष तौर पर सूर: नहल की आख़िरी आयतों की वसीयत करता हूँ कि उन पर मज़बूती से कायम रहो, वो आयतें यही हैं जो ऊपर बयान हुईं।

दावत के लफ़्ज़ी मायने बुलाने के हैं, अम्बिया अलैहिमुसलाम का पहला फ़र्ज़ मन्सबी (ज़िम्मेदारी और कर्तव्य) लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाना है, फिर नुबुव्वत व रिसालत तमाम तालीमात इसी दावत की वज़ाहत्तें और व्याख्यायें हैं, कुरआने करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खास सिफ़त दाअी इलल्लाह (अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला) होना है। जैसा कि इन आयतों में आया है:

وَدَاعِيَآ إِلَى اللّٰهِ بِآذِنِهِ وَسِرَآجًا مُّبِينًا ۝ (٢١/١٦)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَاعِيَآ إِلَى اللّٰهِ (٢١/١٦)

(यानी सूर: अहज़ाब की आयत 46 और सूर: अहक़ाफ़ की आयत 31)

उम्मत पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नक्शे-क़दम पर दावत इलल्लाह (अल्लाह की तरफ़ बुलाने और दावत देने) को फ़र्ज़ किया गया है, सूर: आले इमरान में इरशाद है:

وَلَنُكْنِ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (آل عمران 104)

“तुम में से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिये जो लोगों को ख़ैर की तरफ़ दावत दें (यानी) नेक कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से रोकें।” (सूर: आले इमरान आयत 104)

और एक आयत में इरशाद है:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

“बात कहने के एतिबार से उस शख्स से अच्छा कौन हो सकता है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाया।”

ताबीर में कभी इस लफ़्ज़ को दावत इलल्लाह का उनवान दिया जाता है और कभी दावत इलल-ख़ैर का और कभी दावत इला सबीलिल्लाह का। हासिल सब का एक है, क्योंकि अल्लाह की तरफ़ बुलाने से उसके दीन और सिराते मुस्तकीम ही की तरफ़ बुलाना मकसूद है।

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ

इसमें अल्लाह जल्ल शानुहू की ख़ास सिफ़त रब होना, और फिर उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ निस्वत में इशारा है कि दावत का काम रबूबियत और तरबियत की सिफ़त से ताल्लुक रखता है, जिस तरह हक़ तआला शानुहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरबियत फ़रमाई, आपको भी तरबियत के अन्दाज़ से दावत देनी चाहिये जिसमें मुखातब के हालात की रियायत करके वह तरीक़ा और अन्दाज़ इख़्तियार किया जाये कि मुखातब पर बोझ न हो, और उसकी तासीर (प्रभाव और असर) ज़्यादा से ज़्यादा हो। खुद लफ़्ज़ दावत भी इस मफ़हूम को अदा करता है कि पैग़म्बर का काम सिर्फ़ अल्लाह के अहकाम पहुँचा देना और सुना देना नहीं बल्कि लोगों को उनकी तामील की तरफ़ दावत देना है, और ज़ाहिर है कि किसी को दावत देने वाला उसके साथ ऐसा ख़िताब नहीं किया करता जिससे मुखातब को घबराहट व नफ़रत हो, या जिसमें उसके साथ मज़ाक़ व अपमान किया गया हो।

“बिल्-हिक्मत” लफ़्ज़ हिक्मत क़ुरआने करीम में बहुत से मायने के लिये इस्तेमाल हुआ है, इस जगह तफ़सीर के कुछ इमामों ने हिक्मत से मुराद क़ुरआने करीम, कुछ ने क़ुरआन व सुन्नत, कुछ ने मज़बूत व कामिल दलील को क़रार दिया है, और तफ़सीर रूहुल-मआनी ने बहरे-मुहीत के हवाले से हिक्मत की तफ़सीर यह की है:

إنها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع. (روح)

“यानी हिक्मत उस दुरुस्त कलाम का नाम है जो इनसान के दिल में उतर जाये।”

इस तफ़सीर में तमाम अक़वाल जमा हो जाते हैं और रूहुल-बयान के लेखक ने भी तफ़रीबन यही मतलब इन अलफ़ाज़ में बयान फ़रमाया है कि “हिक्मत से मुराद वह शऊर व समझ है जिसके ज़रिये इनसान, हालात के तफ़ाज़ों को मालूम करके उसके मुनासिब कलाम करे, वक़्त और मौक़ा ऐसा तलाश करे कि मुखातब पर नागवार व बोझ न हो, नर्मी की जगह नर्मी

और सख्ती की जगह सख्ती इख्तियार करे, और जहाँ यह समझे कि खुलकर कहने में मुखातब को शर्मिन्दगी होगी वहाँ इशारों से कलाम करे, या कोई ऐसा उनवान इख्तियार करे कि मुखातब को न शर्मिन्दगी हो और न उसके दिल में अपने ख्याल पर जमने की हठधर्मी पैदा हो।

“अल्-मौअिज़तु” मौअिज़त और वअिज़ के लुगवी मायने यह हैं कि किसी ख़ैरख्वाही (हमददी) की बात को इस तरह कहा जाये कि उससे मुखातब का दिल कुबूल करने के लिये नर्म हो जाये, मसलन उसके साथ कुबूल करने के सवाब व फ़ायदे और न करने के अज़ाब व ख़राबियों ज़िक्र की जायें। (कामूस व मुफ़दात, रागिब)

“अल्ह-स-न्तु” के मायने यह हैं कि बयान और उनवान भी ऐसा हो जिससे मुखातब (जिससे संबोधन किया जा रहा है उस) का दिल मुत्मईन हो, उसके शुक्क व शुक्कत दूर हों और मुखातब यह महसूस कर ले कि आपकी इसमें कोई गर्ज नहीं सिर्फ़ उसकी ख़ैरख्वाही (भलाई और हमददी) के लिये कह रहे हैं।

“मौअिज़तुन” के लफ़्ज़ से ख़ैरख्वाही की बात असरदार अन्दाज़ में कहना तो स्पष्ट हो गया था, मगर ख़ैरख्वाही (हमददी) की बात कई बार दिल दुखाने वाले उनवान से या इस तरह भी कही जाती है जिससे मुखातब अपनी बेइज़्जती महसूस करे। (रुहुल-मअानी) इस तरीक़े को छोड़ने के लिये लफ़्ज़ हसना का इज़ाफ़ा कर दिया गया।

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

लफ़्ज़ मुजादला के मायने अगरवे झगड़ने के भी आते हैं मगर इस जगह मुजादले से मुराद बहस व मुनाज़रा है, और ‘बिल्लती हि-य अहसनु’ से मुराद यह है कि अगर दावत में कहीं बहस व मुनाज़रे की सूरत पेश आ जाये तो वह मुबाहसा (बहस करना) भी अच्छे तरीक़े से होना चाहिये। तफ़सीर रुहुल-मअानी में है कि अच्छे तरीक़े से मुराद यह है कि बातचीत में लुत्फ़ और नर्मी इख्तियार की जाये, दलीलें ऐसे पेश की जायें जो मुखातब आसानी से समझ सके, दलील में वो तर्क दिये जायें जो मशहूर व परिचित हों ताकि मुखातब के शक दूर हों और हठधर्मी के रास्ते पर न पड़ जाये। और कुरआने करीम की दूसरी आयतें इस पर सबूत हैं कि बहस व मुबाहसे में यह अच्छा तरीक़ा इख्तियार करना सिर्फ़ मुसलमानों के साथ मख़सूस नहीं अहले किताब (यानी जो किसी आसमानी मज़हब पर अमल करने के दावेदार हैं) के बारे में तो खुसूसियत के साथ कुरआन का इरंशाद है:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

और एक दूसरी आयत में हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम को नर्मी से बात करने की हिदायत देकर यह भी बतला दिया कि फ़िरज़ौन जैसे सरकश काफ़िर के साथ भी यही मामला करना है।

दावत के उसूल व आदाब

ऊपर बयान हुई आयत में दावत के लिये तीन चीज़ों का ज़िक्र है:

अव्वल हिक्मत (मुखातब के दिल में उतर जाने वाले तरीके से बात करना और हालात की रियायत करके कलाम करना) दूसरे मौअिज़ते हसना (अच्छी नसीहत) तीसरे मुजादला बिल्लती हि-य अहसनु (यानी अगर दावत में कहीं बहस व मुबाहसे की नौबत आ जाये तो नर्मी और बेहतर अन्दाज़ में सामने वाले को समझाना और अपनी दलील रखना)।

कुरआन पाक के मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि ये तीन चीज़ें मुखातबों (संबोधित लोगों) की तीन किस्मों की बिना पर हैं। हिक्मत के साथ दावत इल्म व समझ रखने वालों के लिये, मौअिज़ते हसना यानी अच्छी बात के ज़रिये दावत अ़वाम के लिये, मुजादला (यानी बहस व मुनाज़रा) उन लोगों के लिये जिनके दिलों में शक व शुब्हात हों, या जो मुख़ालफ़त और हठधर्मी के सबब बात मानने से मुन्किर हों।

सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने बयानुल-कुरआन में फ़रमाया कि इन तीन चीज़ों के मुखातब अलग-अलग तीन किस्म की जमाअतें होना आयत के मज़मून के लिहाज़ से दूर की बात मालूम होता है।

ज़ाहिर यह है कि दावत के ये आदाब हर एक के लिये इस्तेमाल करने हैं कि दावत में सबसे पहले हिक्मत से मुखातब के हालात का जायज़ा लेकर उसके मुनासिब कलाम तजवीज़ करना है, फिर उस कलाम में ख़ैरख़्वाही व हमदर्दी के ज़ब्बे के साथ ऐसे तथ्य और सुबूत सामने लाना है जिनसे मुखातब मुत्मईन हो सके और बयान व कलाम का अन्दाज़ ऐसा शफ़क़त भरा और नर्म रखना है कि मुखातब को इसका यकीन हो जाये कि यह जो कुछ कह रहे हैं मेरी ही मस्तेहत और हमदर्दी के लिये कह रहे हैं, मुझे शर्मिन्दा करना या मेरी हैसियत को कम करना इनका मक़सद नहीं।

अलबत्ता तफ़सीर रूहुल-मअानी के लेखक ने इस जगह एक बहुत ही बारीक नुक्ता यह बयान फ़रमाया कि आयत के अन्दाज़ व तरतीब से मालूम होता है कि दावत के उसूल असल में दो ही चीज़ें हैं— हिक्मत और मौअिज़त, तीसरी चीज़ मुजादला दावत के उसूल में दाख़िल नहीं, हैं दावत के तरीके में कभी इसकी भी ज़रूरत पेश आ जाती है।

रूहुल-मअानी के लेखक का तर्क इस पर यह है कि अगर ये तीनों चीज़ें दावत के उसूल होतीं तो इस मक़ाम का तकाज़ा यह था कि तीनों चीज़ों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर इस तरह बयान किया जाता:

بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الاحسن.

मगर कुरआने करीम ने हिक्मत और मौअिज़ते हसना को तो मिलाकर एक ही तरतीब में बयान फ़रमाया और मुजादले के लिये अलग जुमला:

جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

इख़्तियार किया। इससे मालूम होता है कि मुजादला (यानी बहस व मुनाज़रा करना) दर असल अल्लाह की तरफ़ दावत देने का रुकन या शर्त नहीं बल्कि दावत के रास्ते में पेश आने

वाले मामलात से संबन्धित एक हिदायत है, जैसा कि इसके बाद की आयत में सब्र की तालीम फ़रमाई है, क्योंकि दावत के तरीके और रास्ते में लोगों के तकलीफ़ देने और सताने पर सब्र करना एक लाज़िमी चीज़ है।

ख़ुलास्र यह है कि दावत के उसूल दो चीज़ें हैं— हिक्मत और मौज़िज़त। जिनसे कोई दावत ख़ाली न होनी चाहिये, चाहे उलेमा व ख़ास लोगों को हो या आम लोगों को, अलबत्ता दावत में किसी वक़्त ऐसे लोगों से भी साबक़ा पड़ जाता है जो शक व शुब्हे और ग़लत फ़हमियों में मुक्ताला और दावत देने वाले के साथ बहस-मुबाहसे पर आमादा हैं, तो ऐसी हालत में मुजादले (बहस-मुबाहसे) की तालीम दी गई मगर उसके साथ 'बिल्ती हि-य अहसनु' की क़ैद लगाकर बतला दिया कि जो मुजादला इस शर्त से ख़ाली हो इसकी शरीअत में कोई हैसियत नहीं।

अल्लाह की तरफ़ दावत देने के पैग़म्बराना आदाब

अल्लाह की तरफ़ दावत देना दर असल अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम का मक़ाम व फ़रीज़ा है, उम्मत के उलेमा इस मन्सब को उनका नायब होने की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं तो लाज़िम यह है कि इसके आदाब और तरीके भी उन्हीं से सीखें, जो दावत उन तरीकों पर न रहे वह दावत के बजाय अ़दावत (दुश्मनी) और जंग व जदाल (झगड़ों) का कारण बन जाती है।

पैग़म्बराना दावत के उसूल में जो हिदायत कुरआने करीम में हज़रत मूसा व हारून अल्लैहिमुस्सलाम के लिये नक़ल की गई है कि:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝

“यानी फिरज़ौन से नर्म बात करो शायद वह समझ ले या डर जाये।”

यह हर हक़ के दावत देने वाले को हर वक़्त सामने रखनी ज़रूरी है कि फिरज़ौन जैसा सरकश काफ़िर जिसकी मौत भी अल्लाह के इल्म में कुफ़्र ही पर होने वाली थी उसकी तरफ़ भी जब अल्लाह तआला अपने दाअी को भेजते हैं तो जो नर्म गुफ़्तार की हिदायत के साथ भेजते हैं। आज हम जिन लोगों को दावत देते हैं वे फिरज़ौन से ज़्यादा गुमराह नहीं, और हम में से कोई मूसा व हारून अल्लैहिमुस्सलाम के बराबर हादी व दाअी नहीं, तो जो हक़ अल्लाह तआला ने अपने दोनों पैग़म्बरों को नहीं दिया कि मुख़ातब से सख़्त कलामी करें, उस पर फ़िकरे करें, उसकी तौहीन करें, वह हक़ हमें कहाँ से हासिल हो गया।

कुरआने करीम अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम की दावत व तब्लीग़ और काफ़िरों के मुजादलों (बहस-मुबाहसों और झगड़ा करने) से भरा हुआ है, इसमें कहीं नज़र नहीं आता कि किसी अल्लाह के रसूल ने हक़ के खिलाफ़ उन पर ताने मारने वालों के जवाब में कोई सख़्त कलामा भी बोला हो, इसकी चन्द मिसालें देखिये:

सूरः आराफ़ के सातवें रुकूअ में आयात 59 से 67 तक दो पैग़म्बर हज़रत नूह और हज़रत हूद अल्लैहिमुस्सलाम के साथ उनकी कौम के झगड़ने और सख़्त-सुस्त इल्ज़ामात के जवाब में इन

बुजुर्गों के कलिमात सुनने और ध्यान देने के काबिल हैं।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के वह बुलन्द रुतबे वाले पैग़म्बर हैं जिनकी लम्बी उम्र दुनिया में मशहूर है, साढ़े नौ सौ बरस तक अपनी कौम की दावत व तब्लीग़, इस्लाह व इरशाद में दिन-रात मशगूल रहे, मगर इस बदबख़्त कौम में से थोड़े से अफ़राद के अलावा किसी ने उनकी बात न मानी, और तो और खुद उनका एक लड़का और बीवी काफ़िरों के साथ लगे रहे। उनकी जगह आजका कोई दावत व इस्लाह का दावेदार होता तो उस कौम के साथ उसका बात करने का तरीका व रवैया कैसा होता अन्दाज़ा लगाईये, फिर देखिये कि उनकी तमाम हमदर्दी व ख़ैरख्वाही की दावत के जवाब में कौम ने क्या कहा:

إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (अरफ)

“हम तो आपको खुली हुई गुमराही में पाते हैं।” (सूर: अरफ)

उधर से अल्लाह के पैग़म्बर बजाय इसके कि उस सरकश कौम की गुमराहियों, बदकारियों का पर्दा चाक करते जवाब में क्या फ़रमाते हैं:

يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

“मेरे भाईयो! मुझमें कोई गुमराही नहीं, मैं तो रब्बुल-आलमीन का रसूल और कासिद हूँ (तुम्हारे फ़ायदे की बातें बतलाता हूँ)।”

उनके बाद आने वाले दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने मोजिज़े देखने के बावजूद दुश्मनी व मुख़ालफ़त के तौर पर कहा कि आपने अपने दावे पर कोई दलील पेश नहीं की और हम आपके कहने से अपने माबूदों (बुतों) को छोड़ने वाले नहीं, हम तो यही कहते हैं कि तुमने जो हमारे माबूदों की शान में बेअदबी की है उसकी वजह से तुम जुनून (पागलपन) में मुब्तला हो गये हो।

हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ सुनकर जवाब दिया:

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

“यानी मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन बुतों से बरी और बेज़ार हूँ जिनको तुम अल्लाह का शरीक मानते हो।” (सूर: हूद)

और सूर: अरफ़ में है कि उनकी कौम ने उनको कहा:

إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (अरफ)

“हम तो आपको बेवक़ूफी में मुब्तला समझते हैं और हमारा ख़्याल यह है कि आप झूठ बोलने वालों में से हैं।”

कौम के इस दिल दुखाने वाले ख़िताब के जवाब में अल्लाह के रसूल हूद अलैहिस्सलाम न उन पर कोई फ़िक़रा कसते हैं, न उनकी गुमराही और अल्लाह पर झूठ व बोहतान बाँधने की कोई बात कहते हैं, जवाब क्या है सिर्फ़ यह कि:

يَقَوْمَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ (अरफ)

“ऐ मेरी बिरादरी के लोगो! मुझ में कोई बेवकूफी या कम-अक़ली नहीं, मैं तो रब्बुल-आलमीन का रसूल हूँ।”

हज़रत शूऐब अलैहिस्सलाम ने कौम को नबियों के दस्तूर के मुताबिक़ अल्लाह की तरफ़ दावत दी, उनमें जो बड़ा ऐब नाप-तौल में कमी करने का था उससे बाज़ आने की हिदायत फ़रमाई तो उनकी कौम ने मज़ाक़ उड़ाया और अपमान जनक अन्दाज़ में ख़िताब किया:

يَسْتَعْجِبُ أَصْلَابُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤَنَا وَأَنْ نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّحِيمُ

“ऐ शूऐब! क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बाप-दादा के माबूदों को छोड़ दें और यह कि जिन मालों के हम मालिक हैं उनमें अपनी मर्जी के मुवाफ़िक़ जो चाहें न करें, वाकई आप हैं बड़े अक़लमन्द दीन पर चलने वाले।”

उन्होंने एक तो यह ताना दिया कि तुम जो नमाज़ पढ़ते हो यही तुम्हें बेवकूफी के काम सिखाती है, दूसरे यह कि माल हमारे हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त के मामलात में तुम्हारा या खुदा का क्या दख़ल है, हम जिस तरह चाहें उनमें इख़्तियार चलाने और ख़र्च करने का हक़ रखते हैं। तीसरा जुमला मज़ाक़ उड़ाने और अपमान करने का यह कहा कि आप हैं बड़े अक़लमन्द बहुत दीन पर चलने वाले।

मालूम हुआ कि ये अधर्मी और इस्लाम के ख़िलाफ़ आर्थिक निज़ाम के पुजारी सिर्फ़ आज नहीं पैदा हुए इनके भी कुछ पूर्वज हैं जिनका नज़रिया वही था जो आजके कुछ नाम के मुसलमान कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, मगर कारोबारी और आर्थिक मामलात में हम सोशलिज़म को इख़्तियार करते हैं, इसमें इस्लाम का क्या दख़ल है। बहरहाल! इस ज़ालिम कौम के इस मज़ाक़ उड़ाने और दिल दुखाने वाली गुफ़्तगू का जवाब अल्लाह का रसूल क्या देता है, देखिये:

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ

عَنْهُ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٧﴾ (سورة هود آیت ٨٨)

“ऐ मेरी कौम! भला यह तो बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ़ से दलील पर कायम हूँ और उसने मुझको अपनी तरफ़ से उम्दा दौलत यानी नुबुव्वत दी हो तो फिर मैं कैसे उसकी तब्लीग़ न करूँ, और मैं खुद भी तो उसके ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करता जो तुम्हें बतलाता हूँ, मैं तो सिर्फ़ इस्लाह चाहता हूँ जहाँ तक मेरी ताक़त में है, और मुझको जो कुछ इस्लाह और अमल की तौफ़ीक़ हो जाती है वह सिर्फ़ अल्लाह ही की मदद से है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और तमाम मामलात में उसी की तरफ़ रुजू करता हूँ।”

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की तरफ़ भेजने के वक़्त जो नर्म गुफ़्तार की हिदायत अल्लाह की तरफ़ से दी गई थी उसकी पूरी तामील करने के बावजूद फ़िरऔन का

وَتِلْكَ بَعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ (سورة شعراء)

“(रइहा एहसान जतलाना परवरिश का) सो यह वह नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है कि तूने बनी इस्राईल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था।”

इसके बाद फिरऔन ने जब सवाल किया:

وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

यानी रब्बुल-आलमीन कौन है और क्या है? तो जवाब में फरमाया कि वह रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके बीच है उस सब का। इस पर फिरऔन ने वहाँ मौजूद लोगों से बतौर मज़ाक के कहा:

أَلَا تَسْمَعُونَ ۝

यानी तुम सुन रहे हो कि यह कैसी बेज़क्ती की बातें कह रहे हैं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया:

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ۝

“यानी तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादों का भी वही रब परवर्दिगार है।”

इस पर फिरऔन ने झुंझलाकर कहा:

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝

“यानी यह जो तुम्हारी तरफ अल्लाह के रसूल होने का दावेदार है यह दीवाना है।”

मजनुँ दीवाने का खिताब देने पर भी मूसा अलैहिस्सलाम बजाय इसके कि उनका दीवाना होना और अपना अक्लमन्द होना साबित करते इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल-आलमीन की एक और सिफ़त बयान फरमा दी:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَنْهَمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (شعراء)

“वह रब है पूरब व पश्चिम का और जो कुछ उनके बीच है अगर तुमको कुछ अक्ल हो।”

यह एक लम्बी गुफ्तगू है जो फिरऔन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन के दरमियान हो रही है, जो सूर: शु-अरा के तीन रुकूअ में बयान हुई है। अल्लाह के मक़बूल रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बातचीत को अब्बल से आख़िर तक देखिये, न कहीं ज़ब्बात का इज़हार है न उसकी बदगोई का जवाब है, न उसकी सख्त-कलामी के जवाब में कोई सख्त कलिमा है बल्कि बराबर अल्लाह जल्ल शानुहू की कमाल वाली सिफ़ात का बयान है, और तब्तीग़ का सिलसिला जारी है।

यह मुख़्तसर नमूना है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुजादलों (बहस-मुबाहसों) का जो अपने दुश्मन और जिद्दी कौम के मुक़ाबले में किये गये हैं, और अच्छे अन्दाज़ से बहस-मुबाहसा और समझाना जो कुरआन की तालीम है उसकी अमली वज़ाहत है।

मुजादलों (बहस-मुबाहसों) के अलावा दावत व तब्तीग़ में हर मुख़ातब और हर मौके के

मुनासिब कलाम करने में हकीमाना उसूल और उनवान व ताबीर में हिक्मत व मस्लेहत की रियायतें भी जो अम्बिया अलैहिमुससलाम ने इख्तियार फरमाई हैं, और अल्लाह की तरफ बुलाने को मक्बूल व असरदार और पायेदार बनाने के लिये जो तरीका और व्यवहार इख्तियार फरमाया है वही दर असल दावत की रूह है। इसकी तफसीलात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमाम तालीमात में फैली हुई हैं। नमूने के तौर पर चन्द चीजें देखिये:

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दावत व तब्लीग और वअज़ व नसीहत में इसका बड़ा लिहाज़ रहता था कि मुखातब पर भार न होने पाये। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे आशिकाने रसूल जिनसे किसी वक्त भी इसका शुब्हा व गुमान न था कि वे आपकी बातें सुनने से उकता जायेंगे उनके लिये भी आपकी आदत यह थी कि वअज़ व नसीहत रोज़ाना नहीं बल्कि हफ़्ते के कुछ दिनों में फरमाते थे ताकि लोगों के कारोबार का हर्ज और उनकी तबीयत पर बोझ न हो।

सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हफ़्ते के कुछ दिनों ही में वअज़ फरमाते थे ताकि हम उकता न जायें, और दूसरों को भी आपकी तरफ से यही हिदायत थी।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا. (صحيح بخاری، كتاب العلم)

“लोगों पर आसानी करो दुश्वारी पैदा न करो, और उनको अल्लाह की रहमत की खुशख़बरी सुनाओ, मायूस या नफरत करने वाला न बनाओ।”

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिये कि रब्बानी, अक्लमन्द, उलेमा और फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर) बनो। सही बुखारी में यह कौल नक़ल करके लफ़्ज़ रब्बानी की यह तफसीर फरमाई है कि जो शख्स दावत व तब्लीग और तालीम में तरबियत के उसूल को ध्यान में रखकर पहले आसान-आसान बातें बतलाये, जब लोग उसके आदी हो जायें तो उस वक्त वो दूसरे अहकाम बतलाये जो शुरू के मरहले में मुश्किल होते, वह आलिमे रब्बानी है। आजकल जो वअज़ व तब्लीग का असर बहुत कम होता है इसकी बड़ी वजह यह है कि उमूमन इस काम के करने वाले इन उसूल व आदाब की रियायत नहीं करते। लम्बी तक़रीरें, वक्त बेवक्त नसीहत, मुखातब के हालात को मालूम किये बगैर उसको किसी काम पर मजबूर करना उनकी आदत बन गई है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दावत व इस्ताह के काम में इसका भी बड़ा एहतिमाम था कि मुखातब का अपमान या रुस्वाई न हो, इसी लिये जब किसी शख्स को देखते कि किसी ग़लत और बुरे काम में मुब्तला है तो उसको डायरेक्ट संबोधित करने के बजाय आम मजमे को मुखातब करके फरमाते थे:

مَا بَالُ أَهْرَامٍ يُفْعَلُونَ كَذًا.

“लोगों को क्या हो गया कि फुलों काम करते हैं।”

इस आम खिताब में जिसको सुनाना असल मकसद होता वह भी सुन लेता, और दिल में शर्मिन्दा होकर उसके छोड़ने की फिक्र में लग जाता था।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आ़ाम आ़दत यही थी कि मुखातब को शर्मिन्दगी से बचाते थे, इसी लिये कई बार जो काम मुखातब से सर्जद हुआ है उसको अपनी तरफ मन्सूब करके इस्लाह की कोशिश फरमाते। सूर: यासीन में है:

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ إِلَهِي فَطَرَنِي.

“यानी मुझे क्या हो गया कि मैं अपने पैदा करने वाले की इबादत न करूँ।”

जाहिर है कि रसूल के यह कासिद तो हर वक़्त इबादत में मशगूल थे, सुनाना उस मुखातब को था जो इबादत में मशगूल नहीं है, मगर इस काम को अपनी तरफ मन्सूब फरमाया।

और दावत के मायने दूसरे को अपने पास बुलाना है, महज़ उसके ऐब बयान करना नहीं, और यह बुलाना उसी वक़्त हो सकता है जबकि संबोधित करने वाले और मुखातब में कोई ताल्लुक और कुछ एक जैसा मामला हो। इसी लिये कुरआने करीम में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत का उनवान अक्सर “या क़ौमि” से शुरू होता है, जिसमें बिरादराना रिश्ते का साझा होना पहले जतलाकर आगे इस्लाही कलाम किया जाता है कि हम तुम तो एक ही बिरादरी के आदमी हैं, कोई बेताल्लुकी या दूरी नहीं होनी चाहिये। यह कहकर उनकी इस्लाह का काम शुरू फरमाते हैं।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो दावत का ख़त रूम के बादशाह हिरक़्ल के नाम भेजा उसमें पहले तो रूम के बादशाह को “रूम के महान” के लक़ब से याद फरमाया जिसमें उसका जायज़ सम्मान है, क्योंकि इसमें उसके महान होने का इकरार भी है, मगर रोमियों के लिये, अपने लिये नहीं। इसके बाद ईमान की दावत इस उनवान से दी गई:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مِّبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. (سورة آل عمران)

“ऐ अहले किताब! उस कलिमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच साझा है, यानी यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे।”

जिसमें पहले आपस का एक साझा एकता का बिन्दू ज़िक्र किया कि तौहीद का अक़ीदा हमारे और तुम्हारे बीच मुश्तरक (साझा) है, इसके बाद ईसाईयों की ग़लती पर चेताया।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात पर ध्यान दिया जाये तो हर तालीम व दावत में इसी तरह के आदाब व उसूल मिलेंगे, आजकल अव्वल तो दावत व इस्लाह और ‘अग्र बिल्-मारूफ व नही अनिल्-मुन्कर’ (यानी अच्छे कामों का हुक्म देने, उनकी तरफ तयज्जोह दिलाने और बुरे कामों से रोकने) की तरफ ध्यान ही न रहा, और जो इसमें मशगूल भी हैं उन्होंने सिर्फ बहस व मुबाहसे और मुखालिफ़ पर इल्ज़ाम लगाने, फ़िकरे कसने और उसका अपमान व

तौहीन करने को दावत व तब्लीग समझ लिया है जो खिलाफे सुन्नत होने की वजह से कभी असरदार व मुफीद नहीं होता। वे समझते रहते हैं कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की और हकीकत में वे लोगों को दीन से नफरत दिलाने और दूर करने का सबब बन रहे हैं।

प्रचलित और रिवाजी बहस-मुबाहसों के दीनी और दुनियावी नुकसानात

ऊपर बयान हुई आयत की तफसीर में यह मालूम हो चुका है कि शरीअत का असल मकसद अल्लाह तआला की तरफ दावत देना है, जिसके दो उसूल हैं— हिकमत और मौअिज़ते हसना, मुजादले की सूरत कभी सर आ पड़े तो उसके लिये भी अहसन की क़ैद लगाकर इजाज़त दे दी गई है, मगर वह हकीकत में दावत का कोई हिस्सा और विभाग नहीं बल्कि उसके मनफ़ी (नकारात्मक) पहलू की एक तदबीर है, जिसमें कुरआने करीम ने 'बिल्लती हि-य अहसनु' की क़ैद लगाकर जिस तरह यह बतला दिया है कि वह नर्मी, ख़ैरख़ाही और हमदर्दी के ज़ब्बे से होना चाहिये और उसमें स्पष्ट दलीलें मुखातब के हाल की रियायत करते हुए बयान करना चाहिये, मुखातब की तौहीन व अपमान से पूरी तरह परहेज़ करना चाहिये। इसी तरह उसके अहसन होने के लिये यह भी ज़रूरी है कि वह खुद मुतकल्लिम (कलाम करने वाले) के लिये नुक़सानदेह न हो जाये, कि उसमें बुरे अख़्लाक़ हसद, बुग़ज़, तकब्बुर, बड़ाई चाहना वगैरह पैदा न हो जायें, जो अन्दर के बड़े गुनाह हैं और आजकल के बहस व मुबाहसे मुनाज़िरे, मुजादले में शायद ही कोई अल्लाह का बन्दा इनसे निजात पाये तो मुम्किन है वरना आदतन इनसे बचना सख़्त दुश्वार है।

इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि जिस तरह शराब तमाम ख़राबियों की जड़ है कि खुद भी बड़ा गुनाह है और दूसरे बड़े-बड़े जिस्मानी गुनाहों का ज़रिया भी है, इसी तरह बहस व मुबाहसे में जब उद्देश्य मुखातब पर ग़लबा पाना और अपनी इल्मी बरतरी लोगों पर ज़ाहिर करना हो जाये तो वह भी बातिन के लिये तमाम बुराईयों की जड़ है जिसके नतीजे में बहुत-से रूहानी रोग और बुराईयाँ पैदा होती हैं, जैसे हसद, बुग़ज़, तकब्बुर, गीबत, दूसरे के ऐबों की तलाश, उसकी बुराई से खुश और भलाई से रंजीदा होना, हक़ के क़ुबूल करने से घमंड के तौर पर इनकार, दूसरे के क़ौल पर इन्साफ़ व एतिदाल के साथ ग़ौर करने के बजाय जवाब देने की फ़िक्क, चाहे उसमें कुरआन व सुन्नत में कैसी ही तावीलें (दूर का मतलब बयान) करना पड़ें।

ये तो वो हलाक़ करने वाली और घातक चीज़ें हैं जिनमें बा-वकार व सन्जीदा उलेमा ही मुब्तला होते हैं और मामला जब उनके पैरोकारों में पहुँचता है तो हाथा-पाई और झगड़े व फ़साद के मैदान गर्म हो जाते हैं, इन्ना लिल्लाह। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया:

“इल्म तो इल्म व क़माल वालों के बीच भाईचारे और बिरादरी का रिश्ता है तो ये लोग जिन्होंने इल्म ही को दुश्मनी बना लिया है, वे दूसरों को अपने मज़हब की पैरवी की दावत

किस तरह देते हैं, उनका मकसद तो दूसरे पर ग़लबा पाना ही है, तो फिर उनसे आपसी ताल्लुक व मुहब्बत और मुरब्बत का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। और एक इनसान के लिये इससे बढ़कर शर और बुराई और क्या होगी कि वह उसको मुनाफ़िकों के अख़्ताक में मुब्तला कर दे और मोमिनों व मुत्तकी लोगों के अख़्ताक से मेहरूम कर दे।”

इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि दीन के इल्म और हक़ की दावत में मशगूल रहने वाला या तो सही उसूलों के ताबे और तबाह करने वाले ख़तरों से बचने वाला रहकर हमेशा की सआदत (नेकबख़्ती व कामयाबी) हासिल कर लेता है या फिर इस मक़ाम से गिरता है तो हमेशा की बदबख़्ती की तरफ़ जाता है, उसका दरमियान में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इल्म नफ़ा देने वाला न हो वह अज़ाब ही है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का इरशाद है:

أَخَذَ النَّاسُ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ.

“सबसे ज़्यादा सज़ा अज़ाब में क़ियामत के दिन वह आलिम होगा जिसके इल्म से अल्लाह तआला ने उसको नफ़ा न बख़्शा हो।”

एक दूसरी सही हदीस में है:

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلِتَمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلِتَصْرِفُوا بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

فَهُوَ فِي النَّارِ. (ابن ماجه من حديث جابر بن سناد صحیح كذا فی تخریج العرانی علی الاحیاء)

“इल्मे दीन को इस गर्ज से न सीखो कि उसके ज़रिये दूसरे उलेमा के मुकाबले में फ़ख़्र व इज़्ज़त हासिल करो, या कम-इल्म लोगों से झगड़े करो, या उसके ज़रिये लोगों की तवज्जोह अपनी तरफ़ कर लो, और जो ऐसा करेगा वह आग में है।”

इसी लिये फ़कीह इमामों और अहले हक़ का मस्तक इस मामले में यह था कि इल्मी मसाईल में झगड़ा और बहस हरगिज़ जायज़ नहीं समझते थे, हक़ की दावत के लिये इतना काफ़ी है कि जिसको ख़ता (ग़लती) पर समझे उसको नर्मी और खैरख़्वाही के उनवान से दलीलों के साथ उसकी ख़ता पर आगाह कर दे, फिर वह कुबूल कर ले तो बेहतर वरना ख़ामोशी इख़्तियार करे, झगड़े और बुरा कहने से पूरी तरह बचे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का इरशाद है:

كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ الْمَرْءَ وَالْجِدَالَ فِي الْعِلْمِ يَذْهَبُ بِنُورِ الْعِلْمِ عَنِ الْقَلْبِ الْعَبْدِ وَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ عِلْمٌ بِالسُّنَّةِ

فَهَلْ يُجَادِلُ عَنْهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ يُخْبِرُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ وَالْأَسْكَتَ. (اوجز المسالك شرح مؤطا ص 185)

“इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इल्म में झगड़ा और बेकार की बहस इल्म के नूर को इनसान के दिल से निकाल देता है। किसी ने अर्ज़ किया कि एक शख्स जिसको सुन्नत का इल्म हो क्या वह सुन्नत की हिफ़ाज़त के लिये बहस व मुनाज़रा कर सकता है? फ़रमाया नहीं! बल्कि उसको चाहिये कि मुखातब को सही बात से आगाह कर दे फिर वह कुबूल कर ले तो बेहतर वरना ख़ामोशी इख़्तियार करे।”

इस ज़माने में दावत व इस्लाह का काम पूरी तरह असरदार न होने के दो सबब हैं— एक तो यह कि ज़माने के बिगाड़ और हराम चीज़ों की अधिकता के सबब आम तौर पर लोगों के दिल सख्त और आखिरत से गाफिल हो गये हैं और हक के खुबूल करने की तौफ़ीक कम हो गई है। और बाज़ तो उस कहर में मुब्तला हैं जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने दी थी कि आखिरी ज़माने में बहुत-से लोगों के दिल औंधे हो जायेंगे, भले-बुरे की पहचान और जायज़ व नाजायज़ का फ़र्क उनके दिल से उठ जायेगा।

और दूसरा सबब यह कि 'अम्र बिल्-मारूफ़ और नही अनिल्-मुन्कर' (यानी अच्छे काम का हुक्म करना और बुरे काम से रोकना) और हक की दावत के फ़राईज़ से ग़फलत आम हो गई है, अ़वाम का तो क्या ज़िक्र ख़ास उलेमा और नेक लोगों में इस ज़रूरत का एहसास बहुत कम है। यह समझ लिया गया है कि अपने आमाल दुरुस्त कर लिये जायें तो यह काफी है, चाहे उनकी औलाद, बीवी, भाई, दोस्त अहबाब कैसे ही गुनाहों में मुब्तला रहें, उनकी इस्लाह की फ़िक्र गोया इनके ज़िम्मे ही नहीं, हालाँकि कुरआन व हदीस के स्पष्ट बयानात हर शख्स के ज़िम्मे अपने अहल व अ़याल और संबन्धित अफ़राद की इस्लाह (सुधार) को फ़र्ज़ करार दे रहे हैं। जैसा कि कुरआन पाक का इरशाद है— 'कू अन्फुसकुम् व अहलीकुम् नारन्' यानी अपने और अपने अहल को दोज़ख़ की आग से बचाओ।

और फिर अगर कुछ लोग दावत व इस्लाह के फ़रीजे की तरफ़ तवज्जोह देते भी हैं तो वे कुरआनी तालीमात और पैगम्बराना दावत के उसूल व आदाब से नावाकिफ़ हैं, बिना सोचे समझे जिसको जिस वक़्त जो चाहा कह डाला और यह समझ बैठे कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, हालाँकि यह तरीक़ा और अ़मल नबियों की सुन्नत के ख़िलाफ़ होने की वजह से लोगों को दीन और दीन के अहक़ाम पर अ़मल करने से और ज़्यादा दूर फेंक देता है।

ख़ास तौर पर जहाँ किसी दूसरे पर तन्कीद (आलोचना) की नौबत आये तो तन्कीद का नाम लेकर उसकी बुराई करने और अपमान करने व मज़ाक़ उड़ाने तक पहुँच जाते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया:

“जिस शख्स को किसी ग़लती पर आगाह व सचेत करना है अगर तुमने उसको तन्हाई में नर्मी के साथ समझाया तो यह नसीहत है और अगर ऐलानिया लोगों के सामने उसको रुखा किया तो यह फ़ज़ीहत है।”

आजकल तो एक दूसरे के ऐबों को अख़बारों, इश्तिहारों के ज़रिये सबके सामने लाने को दीन की ख़िदमत समझ लिया गया है, अल्लाह तआला हम सब को अपने दीन और उसकी दावत की सही समझ और आदाब के मुताबिक़ उसकी ख़िदमत की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमायें।

यहाँ तक दावत के उसूल और आदाब का बयान हुआ इसके बाद फ़रमाया:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

यह जुमला दीन की दावत देने वालों की तसल्ली के लिये इरशाद फ़रमाया है, क्योंकि दावत

के उपरोक्त आदाब को इस्तेमाल करने के बावजूद जब मुखातब हक़ बात को कुबूल न करे तो तबई तौर पर इनसान को सख्त सदमा पहुँचता है और कई बार उसका यह असर भी हो सकता है कि दावत का फायदा न देखकर आदमी पर मायूसी तारी हो जाये और काम ही छोड़ बैठे, इसलिये इस जुमले में यह फरमाया कि आपका काम सिर्फ़ सही उसूलों के मुताबिक़ हक़ की दावत को अदा कर देना है, आगे उसको कुबूल करना या न करना इसमें न आपका कोई दख़ल है न आपकी जिम्मेदारी, वह सिर्फ़ अल्लाह तआला ही का काम है, वही जानता है कि कौन गुमराह रहेगा और कौन हिदायत पायेगा, आप इस फ़िक्र में न पड़ें, अपना काम करते रहें। इसमें हिम्मत न हारें, मायूस न हों। इससे मालूम हुआ कि यह जुमला भी दावत के आदाब ही का हिस्सा और पूरक है।

हक़ के दाजी को कोई तकलीफ़ पहुँचाये तो बदला लेना भी जायज़ है मगर सब्र बेहतर है

इसके बाद की तीन आयतों में हक़ के दावत देने वालों के लिये एक और अहम हिदायत है, वह यह कि कई बार ऐसे सख्त-दिल जाहिलों से साबका पड़ता है कि उनको कितनी ही नमी और ख़ैरख्वाही से बात समझाई जाये वे उस पर भी आग बगूला हो जाते हैं, बुरा-भला कहकर तकलीफ़ पहुँचाते हैं, और कभी-कभी इससे भी आगे बढ़कर उनको जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाते हैं बल्कि क़त्ल तक से भी गुरेज़ नहीं करते, ऐसे हालात में हक़ की दावत देने वालों को क्या करना चाहिये।

इसके लिये 'व इन् आक़बुलुम.....' (यानी आयत नम्बर 126) में एक तो उन हज़रत को कानूनी हक़ दिया गया कि जो आप पर जुल्म करे आपको भी उससे अपना बदला लेना जायज़ है मगर इस शर्त के साथ कि बदला लेने में जुल्म की मात्रा और हद से आगे बढ़ना न हो, जितना जुल्म उसने किया है उतना ही बदला लिया जाये, उसमें ज़्यादाती न होने पाये।

और आयत के आख़िर में मशिवरा दिया कि अगरचे आपको बदला लेने का हक़ है लेकिन सब्र करें और बदला न लें तो यह बेहतर है।

इन आयतों का शाने नुज़ूल और रसूले करीम सल्ल.

और सहाबा की तरफ़ से हुक्म की तामील

कुरआन के मुफ़सिरीन (व्याख्यापकों) की अक्सरियत और बड़ी जमाअत के नज़दीक यह आयत मदनी है, जग़े-उहुद में सत्तर सहाबा की शहादत और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को क़त्ल करके मुसला करने (नाक-कान वग़ैरह काटकर बेपहचान करने) के वाक़िए में नाज़िल हुई। सही बुख़ारी की रिवायत इसी के मुताबिक़ है। इमाम दारे कुतनी ने हज़रत इब्ने अब्बास

रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि:

“उहुद की जंग में जब मुशिरक लोग लौट गये तो सहाबा किराम में से सत्तर बड़े सहाबा की लाशें सामने आईं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा मोहतरम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। चूँकि मुशिरकों को उन पर बहुत गुस्सा था इसलिये उनको क़त्ल करने के बाद उनकी लाश पर अपना गुस्सा इस तरह निकाला कि उनकी नाक, कान और दूसरे बदनी अंग काटे गये, पेट चाक किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस मन्ज़ूर से सख़्त सदमा पहुँचा और आपने फ़रमाया कि मैं हमज़ा के बदले में मुशिरकों के सत्तर आदमियों का इसी तरह मुसला करूँगा जैसा उन्होंने हमज़ा को किया है। इस वाकिए में ये तीन आयतें नाज़िल हुईं, यानी आयत नम्बर 126 से 128 तक जिनकी यह तफ़सीर बयान हो रही है। कुछ रिवायतों में है कि दूसरे हज़रते सहाबा के साथ भी इन ज़ालिमों ने इसी तरह का मामला मुसला करने का किया था। (जैसा कि इमाम तिरमिज़ी, अहमद, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने अपनी हदीस की किताबों में हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है)

इसमें चूँकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़म की शिद्दत से संख्या का लिहाज़ किये बग़ैर उन सहाबा के बदले में सत्तर मुशिरकों के मुसला करने का इरादा फ़रमाया था जो अल्लाह के नज़दीक अदल व बराबरी के उस उसूल के मुताबिक़ न था जिसको आपके ज़रिये दुनिया में कायम करना मन्ज़ूर था, इसलिये एक तो इस पर सचेत फ़रमाया गया कि बदला लेने का हक़ तो है मगर उसी मात्रा और पैमाने पर जिस मात्रा का जुल्म है, संख्या का लिहाज़ किये बग़ैर सत्तर से बदला लेना दुरुस्त नहीं है। दूसरे आपको आला और उम्दा अख़्लाक़ का नमूना बनाना मक़सूद था इसलिये यह नसीहत की गई कि बराबर-सराबर बदला लेने की अगरचे इजाज़त है मगर वह भी छोड़ दो और मुजरिमों पर एहसान करो तो यह ज़्यादा बेहतर है।

इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अब हम सब्र ही करेंगे किसी एक से भी बदला नहीं लेंगे, और अपनी क़सम का कफ़ारा अदा कर दिया।

(तफ़सीर मज़हरी बग़वी के हवाले से)

मक्का फ़तह होने के मौक़े पर जब ये तमाम मुशिरक लोग पराजित होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के कब्ज़े में थे, यह मौक़ा था कि अपना वह इरादा पूरा कर लेते जो जंगे-उहुद के वक़्त किया था, मगर ऊपर बयान हुई आयतों के नाज़िल होने के वक़्त ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने इरादे को छोड़कर सब्र करने का फ़ैसला फ़रमा चुके थे, इसलिये मक्का फ़तह होने के वक़्त इन आयतों के मुताबिक़ सब्र का अमल इख़्तियार किया गया। शायद इसी बिना पर कुछ रिवायतों में यह नक़ल किया गया है कि ये आयतें मक्का फ़तह होने के वक़्त नाज़िल हुई थीं, और यह भी कुछ बर्दद नहीं कि इन आयतों का नुज़ूल दोबारा हुआ हो, पहले जंगे-उहुद में नाज़िल हुईं और फिर मक्का फ़तह होने के वक़्त दोबारा नाज़िल हुईं। (जैसा कि तफ़सीर मज़हरी में इब्ने हिसार से नक़ल किया गया है)

मसला: इस आयत ने बदला लेने में बराबरी का क़ानून बताया है, इसी लिये फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) हज़रात ने फ़रमाया कि जो शख़्स किसी को क़त्ल कर दे उसके बदले में क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा, जो ज़ख्मी कर दे तो उतना ही ज़ख्म उस कत्ले वाले को लगाया जायेगा, जो किसी का हाथ-पाँव काट डाले फिर क़त्ल कर डाले तो मक्तूल के वली को हक़ दिया जायेगा कि वह भी पहले क़ातिल का हाथ या पाँव काटे फिर क़त्ल कर दे।

अलबत्ता अगर किसी ने पत्थर मारकर किसी को क़त्ल किया या तीरों से ज़ख्मी करके क़त्ल किया तो इसमें क़त्ल के अन्दाज़ और तरीक़े की सही हालत व अन्दाज़ा मुतैयन नहीं किया जा सकता कि कितनी चोटों से यह क़त्ल वाक़े हुआ है, और मक्तूल को कितनी तकलीफ़ पहुँची है, इस मामले में पूरी तरह बराबरी का कोई पैमाना नहीं है, इसलिये उसको तलवार ही से क़त्ल किया जायेगा। (तफसीरे जस्सास)

मसला: आयत का जुज़ूल (उतरना) अगरचे जिस्मानी तकलीफ़ और जिस्मानी नुक़सान पहुँचाने के संबन्ध में हुआ है मगर अलफ़ाज़ आ़म हैं, जिसमें माली नुक़सान पहुँचाना भी दाख़िल है, इसी लिये फ़ुक़हा हज़रात ने फ़रमाया कि जो शख़्स किसी से उसका माल छीन ले तो उसको भी हक़ हासिल है कि अपने हक़ के मुताबिक़ उससे माल छीन ले, या चोरी करके ले ले, बशर्तेकि जो माल लिया है वह अपने हक़ की जिन्स से हो, जैसे नक़द रुपया लिया है तो उसके बदले में उतना ही नक़द रुपया उससे छीन ले या चोरी के ज़रिये ले सकता है, गुल्ला कपड़ा वगैरह लिया है तो उसी तरह का गुल्ला कपड़ा ले सकता है, मगर एक जिन्स के बदले में दूसरी जिन्स नहीं ले सकता, जैसे रुपये के बदले में कपड़ा या कोई दूसरी इस्तेमाल की चीज़ ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। और कुछ उलेमा ने उमूमी इजाज़त दी है कि चाहे हक़ वाली जिन्स से हो या किसी दूसरी जिन्स से, इस मसले की कुछ तफ़सील इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में लिखी है और तफ़सीली बहस मसाईल की किताबों में बयान हुई है।

आयत 'व इन् आक़बुम.....' (यानी आयत नम्बर 126) में आ़म क़ानून बयान हुआ था जिसमें सब मुसलमानों के लिये बराबर का बदला लेना जायज़ मगर सब्र करना अफ़ज़ल व बेहतर बतलाया गया है, इसके बाद की आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खुसूसी ख़िताब फ़रमाकर सब्र करने की हिदायत व तरगीब दी गई है, क्योंकि आपकी बड़ी शान और ऊँचे मक़ाम के लिये दूसरों के मुक़ाबले में वही ज़्यादा उचित व मुनासिब है इसलिये फ़रमाया:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ

यानी आप तो इन्तिक़ाम (बदला लेने) का इरादा ही न करें, सब्र ही को इख़्तियार करें। और साथ ही यह भी बतला दिया कि आपका सब्र अल्लाह ही की मदद से होगा, यानी सब्र करना आपके लिये आसान कर दिया जायेगा।

आख़िरी आयत में फिर एक आ़म कायदा अल्लाह तआला की नुसरत व मदद हासिल होने का यह बतला दिया:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

जिसका हासिल यह है कि अल्लाह तआला की मदद उन लोगों के साथ होती है जो दो सिफ्तों को अपने अन्दर रखते हों— एक तक्वा दूसरे एहसान। तक्वे का हासिल नेक अमल करना और एहसान का मफहूम इस जगह अल्लाह तआला की मख्जूक के साथ अच्छा सुलूक करना है, यानी जो लोग शरीअत के मुताबिक नेक आमांल के पाबन्द हों और दूसरों के साथ एहसान का मामला करते हों हक तआला उनके साथ है, और यह ज़ाहिर है कि जिसको अल्लाह तआला का साथ (मदद) हासिल हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: नहल की तफ्सीर आज 25 शबाबान सन् 1389 हिजरी शनिवार की रात में पूरी हुई।

* सूरः बनी इस्राईल *

यह सूरत मक्की है। इसमें 111 आयतें
और 12 रुकूअ हैं।

सूर: बनी इस्राईल (पारा 15)

सूर: बनी इस्राईल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 111 आयतें और 12 रुकूअ हैं।

أَيُّهَا ۞ (۱۷) سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ (۵۰) ذِكْرًا ۞

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرُکْنَا حَوْلَهٗ لِیُرِیَہٗ مِنْ اَیْتِنَا اَدْرَاکُهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सुब्हानल्लजी अस्रा बिअब्दिही
लैलम् मिनल्-मस्जिदिल्-हरामि इलल्
मस्जिदिल्-अक्सल्लजी बारकना
हौलहू लिनुरियहू मिन् आयातिना
इन्नहू हुवस्समीअुल्-बसीर (1)

पाक ज़ात है जो ले गया अपने बन्दे को रातों रात मस्जिद-ए-हराम से मस्जिद-ए-अक्सा तक, जिसको घेर रखा है हमारी बरकत ने ताकि दिखलायें उसको कुछ अपनी कुदरत के नमूने, वही है सुनने वाला देखने वाला। (1)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

वह पाक ज़ात है जो अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को रात के वक़्त मस्जिदे हराम (यानी काबे की मस्जिद) से मस्जिदे अक्सा (यानी बैतुल-मुक़द्दस) तक, जिसके आस-पास (कि मुल्के शाम है) हमने (दीनी और दुनियावी) बरकतें कर रखी हैं (दीनी बरकत यह है कि वहाँ कसरत से अम्बिया हज़रात दफ़न हैं, और दुनियावी बरकत यह है कि वहाँ बाग़ों और नहरों, चश्मों और पैदावार की अधिकता है, गर्ज़ कि उस मस्जिदे अक्सा तक अज़ीब तौर पर इस वास्ते ले गया ताकि हम उनको अपनी कुदरत के कुछ नमूने और करिश्मे दिखला दें (जिनमें कुछ तो खुद वहाँ से संबन्धित हैं जैसे इतनी बड़ी दूरी को बहुत थोड़े से वक़्त में तय कर लेना और तमाम नबियों से मुलाकात करना और उनकी बातें सुनना वगैरह, और कुछ आगे से संबन्धित हैं जैसे आसमानों पर जाना और वहाँ की अज़ीब व ग़रीब चीज़ों को देखना) बेशक

अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं (चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की बातों को सुनते और हालात को देखते थे उसके मुनासिब उनको यह ख़ास विशेषता और सम्मान बख़्शा और अपनी निकटता का वह ख़स मक़ाम अता किया जो किसी को नहीं मिला)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस आयत में मेराज के वाकिए का बयान है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक खुसूसी सम्मान और इम्तियाज़ी मोजिज़ा है। लफ़्ज़ असूरा इस्रा से निकला है जिसके लुग़वी मायने रात को लेजाना हैं, इसके बाद लैलन के लफ़्ज़ से स्पष्ट रूप से भी इस मफ़हूम को वाजेह कर दिया, और लफ़्ज़ लैलन से इस तरफ़ भी इशारा कर दिया कि इस तमाम वाकिए में पूरी रात भी ख़र्च नहीं हुई बल्कि रात का एक हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक का सफ़र जिसका ज़िक्र इस आयत में है इसको इस्रा कहते हैं, और यहाँ से जो सफ़र आसमानों की तरफ़ हुआ उसका नाम मेराज है। इस्रा इस आयत की क़तई दलील व स्पष्ट बयान से साबित है और मेराज का ज़िक्र सूर: नज्म की आयतों में है, और निरन्तर हदीसों से साबित है।

“बि-अब्दिही” इकराम व सम्मान के इस मक़ाम में लफ़्ज़ बि-अब्दिही एक ख़ास महबूबियत की तरफ़ इशारा है, क्योंकि हक़ तआला किसी को खुद फ़रमा दें कि यह मेरा बन्दा है इससे बढ़कर किसी बशर का बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। हज़रत हसन देहलवी ने ख़ूब फ़रमाया:

बन्दा हसन ब-सद् जुबान गुफ्त कि बन्दा-ए-तू अम्

तू ब-जुबाने खुद बगो बन्दा-नवाज़ कीस्ती

यह ऐसा ही है जैसे एक दूसरी आयत में “अिबादुर्हमानिल्लजी-न.....” फ़रमाकर अपनी बारगाह के मक़बूल बन्दों का सम्मान व इज़्ज़त बढ़ाना मक़सूद है। इससे यह भी मालूम हुआ कि इनसान का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वह अल्लाह का कामिल बन्दा बन जाये, इसलिये कि खुसूसी सम्मान के मक़ाम पर आपकी बहुत सी कमाल वाली सिफ़ात में से बन्दगी की सिफ़ात को इख़्तियार किया गया। और इस लफ़्ज़ से एक बड़ा फ़ायदा यह भी मक़सूद है कि इस हैरत-अंगेज़ सफ़र से जिसमें अब्बल से आख़िर तक सब आ़म इनसानी आ़दत व ताक़त से ऊपर की बातें यानी मोजिज़े ही हैं किसी को खुदाई का वहम न हो जाये, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाये जाने से ईसाईयों को धोखा लगा है, इसलिये लफ़्ज़ अब्द कहकर यह बतला दिया कि इन तमाम सिफ़ात व कमालात और मोजिज़ों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे ही हैं, खुदा नहीं।

मेराज के जिस्मानी होने पर कुरआन व सुन्नत की

दलीलें और उम्मत का इजमा

कुरआन मजीद के इरशादात और मुतवातिर हदीसों से जिनका ज़िक्र आगे आता है साबित

है कि इस्रा व मेराज का तमाम सफर सिर्फ रूहानी नहीं था बल्कि जिस्मानी था, जैसे आप इनसान सफर करते हैं। कुरआने करीम के पहले ही लफ़्ज़ सुब्हा-न में इस तरफ़ इशारा मौजूद है, क्योंकि यह लफ़्ज़ ताज्जुब और किसी अज़ीमुश्शन काम के लिये इस्तेमाल होता है। अगर मेराज सिर्फ़ रूहानी ख़्वाब के तौर पर होती तो इसमें कौनसी अजीब बात है, ख़्वाब तो हर मुसलमान बल्कि हर इनसान देख सकता है कि मैं आसमान पर गया, फुल्लौ-फुल्लौ काम किये।

दूसरा इशारा लफ़्ज़ अब्द से इसी तरफ़ है, क्योंकि अब्द (बन्दा) सिर्फ़ रूह नहीं बल्कि जिस्म व रूह के मजमूए का नाम है। इसके अलावा मेराज का वाकिआ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने हज़रत उम्मे हनी रज़ियल्लाहु अन्हा को बतलाया तो उन्होंने हुज़ूर पाक को यह मश्विरा दिया कि आप इसका किसी से ज़िक्र न करें वरना लोग और ज़्यादा आपको झुठलायेंगे, अगर मामला ख़्वाब का होता तो इसमें झुठलाने की क्या बात थी।

फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने लोगों पर इसका इजहार किया तो मक्का के काफ़िरों ने झुठलाया और मज़ाक़ उड़ाया, यहाँ तक कि कुछ नौमुस्लिम इस ख़बर को सुनकर मुर्तद हो गये (यानी इस्लाम से फिर गये) अगर मामला ख़्वाब का होता तो इन मामलात की क्या संभावना थी और यह बात इसके विरुद्ध नहीं कि आपको इससे पहले और बाद में कोई रूहानी मेराज ख़्वाब की सूरत में भी हुई हो, उम्मत के उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक कुरआन की आयत:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

में 'अरैना-क' से मुराद 'रूयत' है मगर इसको 'रुअ्या' लफ़्ज़ के साथ (जो अक्सर ख़्वाब देखने के मायने में इस्तेमाल होता है) ताबीर करने की वजह यह हो सकती है कि इस मामले को तशबीह (मिसाल देने) के तौर पर 'रुअ्या' कहा गया हो, कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ख़्वाब देख ले। और अगर 'रुअ्या' के मायने ख़्वाब ही के लिये जायें तो यह भी कुछ दूर की बात नहीं कि मेराज के जिस्मानी वाकिए के अलावा उससे पहले या बाद में यह रूहानी मेराज ख़्वाब के तौर पर भी हुई हो, इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो इस वाकिए का ख़्वाब होना मन्कूल है वह भी अपनी जगह सही है मगर इससे यह लाज़िम नहीं आता कि जिस्मानी मेराज न हुई हो।

तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि 'इस्रा' (यानी मेराज वाली) हदीसें मुतवातिर हैं और नक्काश ने बीस सहाबा किराम की रिवायतें इस बारे में नक़ल की हैं, और काज़ी अयाज़ ने शिफ़ा में और ज़्यादा तफ़सील दी है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में इन तमाम रिवायतों को पूरी छान-पिछोड़ के साथ नक़ल किया है, फिर पच्चीस सहाबा किराम के नाम ज़िक्र किये हैं जिनसे ये रिवायतें मन्कूल हैं। उनके नाम ये हैं: 1. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब। 2. असी मुर्तज़ा। 3. इब्ने मसऊद। 4. अबूज़र गिफ़ारी। 5. मालिक बिन सअसआ। 6. अबू हुरैरह। 7. अबू सईद। 8. इब्ने अब्बास।

9. शदाद बिन औस। 10. उबई बिन कअब। 11. अब्दुरहमान बिन करज़। 12. अबू हय्या। 13. अबू लैला। 14. अब्दुल्लाह बिन उमर। 15. जाबिर बिन अब्दुल्लाह। 16. हुज़ैफ़ा बिन यमान। 17. बरीदा। 18. अबू अय्यूब अन्सारी। 19. अबू उमामा। 20. समुरा बिन जुन्दुब। 21. अबू हमरा। 22. सुहैब रूमी। 23. उम्मे हानी। 24. उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा। 25. अस्मा बिनते अबी बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन। इसके बाद इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया:

فَحَدِيثُ الْأَسْرَاءِ أَجْمَعِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمَلْحَدُونَ. (ابن كثير)

कि इस्रा के वाकिए की हदीस पर तमाम मुसलमानों का इजमा (एक राय) है, सिर्फ़ गुमराह व बेदीन लोगों ने इसको नहीं माना।

मेराज का मुख़्तसर वाक़िआ

इमाम इब्ने कसीर रस्मतुल्लाहि अ़लैहि की रिवायत से

इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने अपनी तफ़सीर में उपरोक्त आयत की तफ़सीर और संबन्धित हदीसों की तफ़सील बयान करने के बाद फ़रमाया कि हक़ बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस्रा का सफ़र जागने की हालत में पेश आया, ख़ाब में नहीं। मक्का मुकर्रमा से बैतुल-मुक़द़स तक यह सफ़र बुराक़ पर हुआ। जब बैतुल-मुक़द़स के दरवाज़े पर पहुँचे तो बुराक़ को दरवाज़े के करीब बाँध दिया और आप मस्जिदे बैतुल-मुक़द़स में दाख़िल हुए और उसके किब्ले की तरफ़ तहिय्यतुल-मस्जिद की दो रकअतें अदा फ़रमाई, उसके बाद एक ज़ीना लाया गया जिसमें नीचे से ऊपर जाने के दर्जे बने हुए थे, उस ज़ीने के ज़रिये आप पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गये। उसके बाद बाकी आसमानों पर तशरीफ़ ले गये (उस ज़ीने की हकीकत तो अल्लाह तआला को ही मालूम है कि क्या और कैसा था, आजकल भी ज़ीने की बहुत सी किस्में दुनिया में राज़ हैं, ऐसे ज़ीने भी हैं जो खुद हरकत करने में लिफ़्ट की सूरत के हैं। इस मोजिज़े वाले ज़ीने के मुताल्लिक़ किसी शक व शुब्हे में पड़ने का कोई मक़ाम नहीं। हर आसमान में वहाँ के फ़रिश्तों ने आपका स्वागत किया और हर आसमान में उन नबियों से मुलाकात हुई जिनका मक़ाम किसी निर्धारित आसमान में है, जैसे छठे आसमान पर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और सातवें आसमान में हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर आप उन तमाम नबियों के मक़ामात से भी आगे तशरीफ़ ले गये और एक ऐसे मैदान में पहुँचे जहाँ तक्दीर के क़लम के लिखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और आपने सिद्रतुल-मुन्ताहा को देखा जिस पर अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से सोने के परवाने और विभिन्न रंग के परवाने गिर रहे थे, और जिसको अल्लाह के फ़रिश्तों ने घेरा हुआ था, उसी जगह हज़रत जिब्रीले अमीन को आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी असल शक़्ल में देखा जिनके छह सौ बाज़ू (पंख) थे और वहीं पर एक रफ़रफ़ हरे रंग का देखा जिसने आसमान के किनारे को घेरे हुए था। रफ़रफ़ एक हरे रंग की पालकी के जैसा था।

और आपने बैतुल-मामूर को भी देखा जिसके पास काबे का निर्माण करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार से कमर लगाये हुए बैठे थे। उस बैतुल-मामूर में रोज़ाना सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दाख़िल होते हैं जिनकी बारी दोबारा दाख़िल होने की क़ियामत तक नहीं आती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन्नत और दोज़ख़ को खुद अपनी आँख से देखा, उस वक़्त आपकी उम्मत पर शुरू में पचास नमाज़ों के फ़र्ज़ होने का हुक्म मिला फिर कमी करके पाँच कर दी गई, इससे तमाम इबादतों के अन्दर नमाज़ की ख़ास अहमियत और फ़ज़ीलत साबित होती है।

उसके बाद आप वापस बैतुल-मुक़द्दस में उतरे और जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ मुख़लिफ़ आसमानों में मुलाकात हुई थी वे भी आपके साथ उतरे (गोया) आपको रुख़सत करने के लिये बैतुल-मुक़द्दस तक साथ आये, उस वक़्त आपने नमाज़ का वक़्त हो जाने पर तमाम अम्बिया के साथ नमाज़ अदा फ़रमाई, यह भी हो सकता है कि यह नमाज़ उसी दिन की सुबह की नमाज़ हो। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि नबियों की इमामत का यह वाकिआ कुछ हज़रत के नज़दीक आसमान पर जाने से पहले पेश आया है, लेकिन ज़ाहिर यह है कि यह वाकिआ वापसी के बाद हुआ, क्योंकि आसमानों पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात के वाकिए में यह नक़ल किया गया है कि सब अम्बिया से जिब्रीले अमीन ने आपका परिचय कराया। अगर इमामत का वाकिआ पहले हो चुका होता तो यहाँ परिचय की ज़रूरत न होती, और यँ भी ज़ाहिर यही है कि इस सफ़र का असल मक़सद 'मला-ए-आला' में जाने का था, पहले उसी को पूरा करना ज़्यादा सही मालूम होता है, फिर जब इस असल काम से फ़राग़त हुई तो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आपके साथ रुख़सत करने के लिये बैतुल-मुक़द्दस तक आये और आपको जिब्रीले अमीन के इशारे से सब का इमाम बनाकर आपकी सरदारी और सब पर फ़ज़ीलत का अमली सुबूत दिया गया।

इसके बाद आप बैतुल-मुक़द्दस से रुख़सत हुए और बुराक़ पर सवार होकर अंधेरे वक़्त में मक्का मुकर्रमा पहुँच गये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

मेराज के वाकिए के मुताल्लिक़ एक ग़ैर-मुस्लिम की गवाही

तफ़सीर इब्ने कसीर में है कि हाफ़िज़ अबू नुऐम अस्बहानी ने अपनी किताब 'दलाईल-ए-नुबुव्वत' में मुहम्मद बिन उमर वाकिदी (1) की सनद से मुहम्मद बिन कअब करज़ी की रिवायत से यह वाकिआ नक़ल किया है कि:

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रूम के बादशाह के पास अपना पत्र मुबारक देकर हज़रत दहया इब्ने ख़लीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, उसके बाद हज़रत दहया के ख़त

(1) वाकिदी रहमतुल्लाहि अलैहि को हदीस की रिवायत में मुहम्मदीन ने ज़ईफ़ कहा है लेकिन इमाम इब्ने कसीर जैसे एहतियात-यसन्द मुहद्दिस ने उनकी रिवायत को नक़ल किया है इसलिये कि इस मामले का ताल्लुक़ अज़ाइद या इलाल व हराम से नहीं और ऐसे तारीख़ी मामलात में उनकी रिवायत मोतबर है।

पहुँचाने और रूम के बादशाह तक पहुँचने और उसके अक्ल व समझ वाला होने का तफसीली वाकिआ बयान किया (जो सही बुखारी और हदीस की सब मोतबर किताबों में मौजूद है, जिसके आखिर में है कि रूम के बादशाह हिरक्ल ने खत मुबारक पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हालात की तहकीक करने के लिये अरब के उन लोगों को जमा किया जो उस वक्त उनके मुल्क में तिजारत के मकसद से आये हुए थे, शाही हुक्म के मुताबिक अबू सुफियान इब्ने हरब और उनके साथी जो उस वक्त मशहूर तिजारती काफिला लेकर शाम में आये हुए थे वे हाज़िर किये गये। बादशाह हिरक्ल ने उनसे वे सवालात किये जिनकी तफसील सही बुखारी व मुस्लिम वगैरह में मौजूद है। अबू सुफियान की दिली इच्छा यह थी कि वह इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान करें जिनसे आपका हकीर और बेहैसियत होना जाहिर हो, मगर अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अपने इस इरादे से कोई चीज़ इसके सिवा बाधा नहीं थी कि कहीं मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल जाये जिसका झूठ होना खुल जाये और मैं बादशाह की नज़र में गिर जाऊँ और मेरे साथी भी हमेशा मुझे झूठा होने का ताना दिया करें। अलबत्ता मुझे उस वक्त ख्याल आया कि इसके सामने मेराज का वाकिआ बयान करूँ जिसका झूठ होना बादशाह खुद समझ लेगा, तो मैंने कहा कि मैं उनका एक मामला आप से बयान करता हूँ जिसके मुताल्लिक आप खुद मालूम कर लेंगे कि वह झूठ है। हिरक्ल ने पूछा वह क्या वाकिआ है? अबू सुफियान ने कहा कि वह नुबुव्वत के दावेदार कहते हैं कि वह एक रात में मक्का मुकर्रमा से निकले और आपकी इस मस्जिद बैतुल-मुकद्दस में पहुँचे और फिर उसी रात में सुबह से पहले मक्का मुकर्रमा में हमारे पास पहुँच गये।

ईलिया (बैतुल-मुकद्दस) का सबसे बड़ा आलिम उस वक्त रूम के बादशाह हिरक्ल के सिरहाने पर क़रीब खड़ा हुआ था, उसने बयान किया कि मैं उस रात से वाकिफ़ हूँ। रूम का बादशाह उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ और पूछा कि आपको उसका इल्म कैसे और क्योंकर हुआ? उसने अर्ज़ किया कि मेरी आदत थी कि मैं रात को उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक बैतुल-मुकद्दस के तमाम दरवाज़े बन्द न कर दूँ। उस रात मैंने आदत के अनुसार तमाम दरवाज़े बन्द कर दिये मगर एक दरवाज़ा मुझसे बन्द न हो सका तो मैंने अपने अमले के लोगों को बुलाया, उन्होंने मिलकर कोशिश की मगर वह उनसे भी बन्द न हो सका। दरवाज़े के किवाड़ अपनी जगह से हरकत न कर सके, ऐसा मालूम होता था कि जैसे हम किसी पहाड़ को हिला रहे हैं। मैंने आजिज़ आकर कारीगरों और मिस्त्रियों को बुलवया, उन्होंने देखकर कहा कि इन किवाड़ों के ऊपर इमारत का बोझ पड़ गया है अब सुबह से पहले इसके बन्द होने की कोई तदबीर नहीं, सुबह को हम देखेंगे कि किस तरह किया जाये। मैं मजबूर होकर लौट आया और दोनों किवाड़ उस दरवाज़े के खुले रहे। सुबह होते ही मैं फिर उस दरवाज़े पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मस्जिद के दरवाज़े के पास एक पत्थर की चट्टान में सूरख़ किया हुआ है, और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई जानवर बाँधा गया है। उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा था कि आज इस दरवाज़े को अल्लाह तअ़ाला ने शायद इसलिये बन्द होने से रोका है कि कोई नबी यहाँ आने

वाले थे और फिर बयान किया कि उस रात आपने हमारी मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ी है, इसके बाद और तफसीलात बयान की हैं। (तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 3)

इस्रा व मेराज की तारीख

इमाम कुतुबी ने अपनी तफसीर में फ़रमाया कि मेराज की तारीख में रिवायतें बहुत मुख़ालिफ़ (भिन्न) हैं— मूसा बिन उक्बा की रिवायत यह है कि यह वाकिअ़ा मदीना की हिज़रत से छह माह पहले पेश आया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि हज़रत ख़दीजा उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नमाज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले हो चुकी थी, इमाम जोहरी फ़रमाते हैं कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात का वाकिअ़ा नुबुव्वत मिलने के सात साल बाद हुआ है।

कुछ रिवायतों में है कि मेराज का वाकिअ़ा नुबुव्वत मिलने से पाँच साल बाद में हुआ है। इब्ने इस्हाक कहते हैं कि मेराज का वाकिअ़ा उस वक़्त पेश आया जबकि इस्लाम अरब के आम कबीलों में फैल चुका था, इन तमाम रिवायतों का हासिल यह है कि मेराज का वाकिअ़ा मदीने की हिज़रत से कई साल पहले का है।

हरबी कहते हैं कि इस्रा व मेराज का वाकिअ़ा रबीउस्सानी की सत्ताईसवीं रात में हिज़रत से एक साल पहले हुआ है, और इब्ने कासिम ज़हबी कहते हैं कि नुबुव्वत मिलने से अद्वारह महीने के बाद यह वाकिअ़ा पेश आया है। हज़रते मुहद्दिसीन ने विभिन्न और अनेक रिवायतें ज़िक्र करने के बाद कोई निर्णायक बात नहीं लिखी और मशहूर आम तौर पर यह है कि रजब के महीने की सत्ताईसवीं रात शब-ए-मेराज है। वल्लाहु सुब्हानहू व तअ़ाला आलम

मस्जिद-ए-हराम और मस्जिद-ए-अक्सा

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौनसी है? तो आपने फ़रमाया कि “मस्जिद-ए-हराम”। फिर मैंने अर्ज़ किया कि उसके बाद कौनसी? तो आपने फ़रमाया “मस्जिद-ए-अक्सा”। मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच कितनी मुद्दत का फ़ासला है? तो आपने फ़रमाया वालीस साल। फिर फ़रमाया कि (मस्जिदों की तरतीब तो यह है) लेकिन अल्लाह तअ़ाला ने हमारे लिये सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है, जिस जगह नमाज़ का वक़्त हो जाये वहीं नमाज़ अदा कर लिया करो। (मुस्लिम शरीफ़)

इमामे तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि अल्लाह तअ़ाला ने बैतुल्लाह की जगह को पूरी ज़मीन से दो हज़ार साल पहले बनाया है और इसकी बुनियादें सातवीं ज़मीन के अन्दर तक पहुँची हुई हैं, और मस्जिद-ए-अक्सा को हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है।

(नसाई, सही सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. की रिवायत से, तफसीर कुतुबी पेज 137 जिल्द 4) और मस्जिद-ए-हराम उस मस्जिद का नाम है जो बैतुल्लाह के गिर्द बनी हुई है, और कई

बार पूरे हरम को भी मस्जिद-ए-हराम से तोबीर किया जाता है। इस दूसरे मायने के एतिबार से दो रिवायतों का यह टकराव भी खत्म हो जाता है कि कुछ रिवायतों में आपका इस्रा के लिये तशरीफ़ ले जाना हज़रत उम्मे हानी के मकान से मन्कूल है और कुछ में बैतुल्लाह के हतीम से, अगर मस्जिद-ए-हराम के आग़ मायने लिये जायें तो हो सकता है कि पहले आप उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में हों, वहाँ से चलकर काबा के हतीम में तशरीफ़ लाये, फिर वहाँ से इस्रा के सफ़र की शुरूआत हुई। वल्लाहु आलम

मस्जिद-ए-अक्सा और मुल्के शाम की बरकतें

आयत में 'बारकना हौलहू' में हौल से मुराद मुल्क शाम की पूरी ज़मीन है। एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने अर्श से फ़ुरात के दरिया तक मुबारक ज़मीन बनाई है और उसमें से फ़िलिस्तीन की ज़मीन को खास पाकीज़गी अता फ़रमाई है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

उसकी बरकतें दीनी भी हैं और दुनियावी भी। दीनी बरकतें तो ये हैं कि वह तमाम पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का क़िब्बा और तमाम नबियों का ठिकाना व मद्फ़न (दफ़न होने का स्थान) है, और दुनियावी बरकतें उसकी ज़मीन का सरसब्ज़ (हरा-भरा और उपजाऊ) होना और उसमें उम्दा चश्मे, नहरें बागात वग़ैरह का होना है।

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया— ऐ मुल्के शाम! तू तमाम शहरों में से मेरा चुनिन्दा ख़िल्ला है, और मैं तेरी तरफ़ अपने चुने हुए और खास बन्दों को पहुँचाऊँगा। (क़ुर्तुबी)

और मुस्नद अहमद में हदीस है कि दज्जाल सारी ज़मीन में फिरेगा मगर चार मस्जिदों तक उसकी पहुँच न होगी— 1. मस्जिद-ए-मदीना। 2. मस्जिद-ए-मक्का मुकर्रमा। 3. मस्जिद-ए-अक्सा। 4. मस्जिद-ए-नूर।

وَإِنِّي نَامُوسَةَ الْكِتَابِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن

دُونِي وَكَيْلًا ۖ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعْرُورًا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

व आतैना मूसल्-किता-ब व
जअल्लाहु हुदल् लि-बनी इस्राई-ल
अल्ला तत्तख़िज़ू मिन् दूनी वकीला
(2) जुर्रिय्य-त मन् हमल्ला म-अ
नूहिन् इन्नहू का-न अब्दन् शकूरा (3)

और दी हमने मूसा को किताब और
किया उसको हिदायत बनी इस्राईल के
वास्ते, कि न ठहराओ मेरे सिवा किसी
को कारसाज़। (2) तुम जो औलाद हो
उन लोगों की जिनको चढ़ाया हमने नूह
के साथ, बेशक वह था बन्दा हक़ मानने
वाला। (3)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरात) दी, और हमने उसको बनी इस्राईल के लिये हिदायत (कां ज़रिया) बनाया (जिसमें और अहकाम के साथ यह तौहीद का अज़ीमुश्शान हुक्म भी था) कि तुम मेरे सिवा (अपना) कोई कारसाज़ मत करार दो। ऐ उन लोगों की नस्ल! जिनको हमने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कश्ती में) सवार किया था (हम तुम से ख़िताब कर रहे हैं ताकि इस नेमत को याद करो कि अगर हम उनको कश्ती पर सवार करके न बचाते तो आज तुम उनकी नस्ल कहाँ होते, और नेमत को याद करके उसका शुक्र करो जिसकी बड़ी इकाई तौहीद है और) वह नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुज़ार बन्दे थे (पस जब अम्बिया शुक्र करते रहे तो तुम कैसे उसके छोड़ने वाले हो सकते हो)।

وَقَضَيْنَا لِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَنْفُسِنَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَمَلَن
عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۗ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ رِجَالًا وَنَبِينَ وَجَعَلْنَا كَثْرَ تَفْسِيرًا ۖ
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنَّا لَكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوتُوا ۚ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
السُّجُودَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَمَلُوا ۚ تَثْبِيرًا ۖ عَلَىٰ رِبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عَلِمْتُمْ
عُدَاوَاتَنَا وَجَعَلْنَا جِهَتَكُمْ لِلْكَافِرِينَ حَاصِرًا ۖ

व कज़ैना इला बनी इस्राईल-ल फिल्-
किताबि लतुफ़िसदुन्-न फिल्अर्जि
मरतैनि व ल-तज़लुन्-न अलुव्वन्
कबीरा (4) फ़-इज़ा जा-अ वज़दु
ऊलाहुमा बज़स्ना अलैकुम् अिबादल्
-लना उली बअसिन् शदीदिन् फ़जासू
ख़िलालदियारि, व का-न वज़दम्-
मफ़ज़ूला (5) सुम्-म रददना लकुमुल्-
क र-त अलैहिम् व अम्ददनाकुम्
बिअम्वालिव्-व बनी-न व जज़ल्लाकुम्

और साफ़ कह सुनाया हमने बनी इस्राईल
को किताब में कि तुम छ़राबी करोगे
मुल्क में दो बार और सरकशी करोगे
बड़ी सरकशी। (4) फिर जब आया पहला
वायदा भेजे हमने तुम पर अपने बन्दे
सख्त लड़ाई वाले, फिर फैल पड़े शहरों
के बीच और वह वायदा होना ही था।
(5) फिर हमने फेर दी तुम्हारी बारी उन
पर और कुव्वत दी तुमको माल से और
बेटों से और उससे ज़्यादा कर दिया

अक्स-र नफीरा (6) इन् अह्सन्तुम्
 अह्सन्तुम् लिअन्फुसिकुम्, व इन्
 अ-सअतुम् फ-लहा, फ-इज़ा जा-अ
 वअद्दुल्-आद्धारति लि-यसूऊ
 तुजू-हकुम् व लियदख़ुलुल्-मस्जि-द
 कमा द-ख़ालूहु अव्व-ल मर्रतिव्-व
 लियुतब्बिरु मा अलौ तत्बीरा (7)
 ज़सा रब्बुकुम् अय्यरूह-मकुम् व इन्
 अुत्तुम् अुदना। व जज़ल्ना जहन्न-म
 लिल्काफिरी-न हसीरा (8)

तुम्हारा लश्कर। (6) अगर भलाई की
 तुमने तो भला किया अपना, और अगर
 बुराई की तो अपने लिये, फिर जब पहुँचा
 वायदा दूसरा भेजे और बन्दे कि उदास
 कर दें तुम्हारे मुँह और घुस जायें मस्जिद
 में जैसे घुस गये थे पहली बार और
 ख़राब कर दें जिस जगह ग़ालिब हों पूरी
 ख़राबी। (7) बर्द नहीं तुम्हारे रब से कि
 रहम करे तुम पर और अगर फिर वही
 करोगे तो हम फिर वही करेंगे, और किया
 है हमने दोजख़ को कैदख़ाना काफ़िरों
 का। (8)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और हमने बनी इस्राईल को किताब में (चाहे तौरात में या बनी इस्राईल के दूसरे नबियों के सहीफ़ों में) यह बात (भविष्यवाणी के तौर पर) बतला दी थी कि तुम (मुल्क शाम की) सरज़मीन में दो बार (गुनाहों की कसरत से) ख़राबी करोगे (एक मर्तबा मूसा की शरीअत की मुख़ालफ़त और दूसरी मर्तबा इसाई शरीअत की मुख़ालफ़त) और दूसरों पर भी बड़ा जोर चलाने लगोगे (यानी जुल्म व ज़्यादती करोगे, इसी तरह ख़राबी करने में अल्लाह के हुक्क के ज़ाया करने की तरफ़ और सरकशी करने में बन्दों के हुक्क ज़ाया करने की तरफ़ इशारा है, और यह भी बतला दिया था कि दोनों मर्तबा सख़्त सज़ाओं में मुब्तला किये जाओगे)। फिर जब उन दो बार में से पहली बार की मियाद आएगी हम तुम पर अपने ऐसे बन्दों को मुसल्लत कर देंगे जो बड़े लड़ाकू होंगे, फिर वे (तुम्हारे) घरों में घुस पड़ेंगे (और तुमको क़त्ल व कैद और ग़ारत कर देंगे) और यह (सज़ा का वायदा) एक वायदा है जो ज़रूर होकर रहेगा। फिर (जब तुम अपने किये पर शर्मिन्दा और तौबा करने वाले हो जाओगे) तो फिर हम उन पर तुम्हारा ग़लबा कर देंगे (चाहे दूसरों के वास्ते ही सही, कि जो क़ौम उन पर ग़ालिब आयेगी वह तुम्हारी हिमायती हो जायेगी)। इसी तरह तुम्हारे दुश्मन उस क़ौम से और तुमसे दोनों से पराजित हो जायेंगे) और माल और बेटों से (जो कि बन्दी बनाये गये और ग़ारत किये गये थे) हम तुम्हारी मदद करेंगे (यानी ये चीज़ें तुमको वापस मिल जायेंगी जिनसे तुम्हें ताक़त पहुँचेगी) और हम तुम्हारी जमाअत (यानी तुम्हारे पैरोकारों) को बढ़ा देंगे (पस माल व इज़त और औलाद व पैरोकारों सब में तरक्की होगी और उस किताब में नसीहत के तौर पर यह भी लिखा था कि) अगर (अब आईन्दा) अच्छे काम करते

रहोगे तो अपने ही नफ़े के लिये अच्छे काम करोगे (यानी दुनिया व आख़िरत में उसका नफ़ा हासिल होगा) और अगर (फिर) तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिये (बुराई करोगे, यानी फिर सज़ा होगी। चुनौचे ऐसा ही हुआ जिसका आगे बयान है कि) फिर जब (ज़िक्र हुए दो मर्तबा के फ़साद में से) आख़िरी मर्तबा का वक़्त आयेगा (और उस वक़्त तुम ईसाई दीन की मुख़ालफ़त करोगे) तो हम फिर दूसरों को मुसल्लत कर देंगे ताकि (वे मार-मारकर) तुम्हारे मुँह बिगाड़ दें, और जिस तरह वे (पहले) लोग मस्जिद (बैतुल-मुक़द़स) में (लूट-मार के साथ) घुसे थे वे (पिछले) लोग भी उसमें घुस पड़ेंगे और जिस-जिस पर उनका ज़ोर चले सब को (हलाक व) बरबाद कर डालें।

(और उस किताब में यह भी लिखा था कि अगर इस दूसरी मर्तबा के बाद जब शरीज़ते मुहम्मदिया का दौर हो तुम मुख़ालफ़त व नाफ़रमानी से बाज़ आकर शरीज़ते मुहम्मदिया की पैरवी कर लो तो) अज़ब नहीं (यानी उम्मीद वायदे के मायने में है) कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फ़रमा दे (और तुमको ज़िल्लत व बरबादी से निकाल ले) और अगर फिर वही (शरारत) करोगे तो हम भी फिर वही (सज़ा का बर्ताव) करेंगे (चुनौचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में उन्होंने आपकी मुख़ालफ़त की तो फिर क़त्ल व कैद और ज़लील हुए। यह तो दुनिया की सज़ा हो गई) और (आख़िरत में) हमने जहन्नम को (ऐसे) काफ़िरों का जेलख़ाना बना ही रखा है।

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहली आयतों यानी आयत नम्बर 2 और 3 में शरीज़त के अहक़ाम और अल्लाह की हिदायतों के पालन और फ़रमाँबरदारी की तरगीब थी, और अब ऊपर बयान हुई इन आयतों में उनकी मुख़ालफ़त से डरावा और डाँट का मज़मून है। इन आयतों में बनी इस्राईल के दो वाकिफ़ इब्नत व नसीहत के लिये ज़िक्र किये गये कि वे एक मर्तबा गुनाहों और अल्लाह के हुक्म की मुख़ालफ़त में मशगूल हुए तो अल्लाह तआला ने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया जिन्होंने उनको तबाह किया, फिर उनको कुछ तंबीह हो गई और शरारत कम कर दी तो संभल गये, मगर कुछ समय के बाद फिर वही शरारतें और बुरे आमाल उनमें फैल गये तो फिर अल्लाह तआला ने उनको उनके दुश्मन के हाथ से सज़ा दिलाई। कुरआने करीम में दो वाकिफ़ों का ज़िक्र है मगर तारीख़ (इतिहास) में इस तरह के छह वाकिफ़ात बयान हुए हैं।

पहला वाकिफ़ा

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम (संस्थापक मस्जिदे अक्सा) की वफ़ात के कुछ समय के बाद पेश आया कि बैतुल-मुक़द़स के हाकिम ने बेदीनी और बुरे आमाल इख़्तियार कर लिये तो मिस्र का एक बादशाह उस पर चढ़ आया और बैतुल-मुक़द़स का सामान सोने-चाँदी का लूटकर ले गया मगर शहर और मस्जिद को गिराया नहीं।

दूसरा वाकिआ

इससे तकरीबन चार सौ साल बाद का है कि बैतुल-मुकद्दस में बसने वाले कुछ यहूदियों ने बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) शुरू कर दी और बाकियों में नाइतिफाकी और आपसी झगड़े होने लगे इसकी नहूसत से फिर मिस्र के किसी बादशाह ने उन पर चढ़ाई कर दी और किसी क़द्र शहर और मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुँचाया, फिर उनकी हालत कुछ संभल गई।

तीसरा वाकिआ

इसके चन्द साल बाद जब बुख़्ते नस्सर बाबिल के बादशाह ने बैतुल-मुकद्दस पर चढ़ाई कर दी और शहर को फतह करके बहुत-सा माल लूट लिया और बहुत-से लोगों को कैदी बनाकर ले गया और पहले बादशाह के ख़ानदान के एक फ़र्द को अपने जानशीन और उत्तराधिकारी की हैसियत से उस शहर का हाकिम बना दिया।

चौथा वाकिआ

इस नये बादशाह ने जो बुत-परस्त और बुरे आमाल वाला था, बुख़्ते नस्सर से बगावत की तो बुख़्ते नस्सर दोबारा चढ़ आया और मार-काट और क़त्ल व ग़ारत की कोई हद न रही, शहर में आग लगाकर मैदान कर दिया, यह हादसा मस्जिद के निर्माण से तकरीबन चार सौ पन्द्रह साल के बाद पेश आया। इसके बाद यहूदी यहाँ से जिलावतन होकर बाबिल चले गये जहाँ बहुत ही ज़िल्लत व ख़्तारी से रहते हुए सत्तर साल गुजर गये। इसके बाद ईरान के बादशाह ने बाबिल के बादशाह पर चढ़ाई करके बाबिल फ़तह कर लिया, फिर ईरान के बादशाह को उन जिलावतन यहूदियों पर रहम आया और उनको वापस मुल्के शाम में पहुँचा दिया और उनका लूटा हुआ सामान भी वापस कर दिया। अब यहूद अपने बुरे आमाल और गुनाहों से तौबा कर चुके थे यहाँ नये सिरे से आबाद हुए तो ईरान के बादशाह ने उनके सहयोग से फिर मस्जिद अक्सा को पहले नमूने के तौर पर बना दिया।

पाँचवाँ वाकिआ

यह पेश आया कि जब यहूद को यहाँ इत्मीनान और खुशहाली दोबारा हासिल हो गई तो अपने अतीत को भूल गये और फिर बदकारी और बुरे आमाल में मशगूल हो गये, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाईश से एक सौ सत्तर साल पहले यह वाकिआ पेश आया कि जिस बादशाह ने अन्ताकिया आबाद किया था उसने चढ़ाई कर दी और चालीस हज़ार यहूदियों को क़त्ल किया, चालीस हज़ार को कैदी और गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया और मस्जिद की भी बहुत बेहुमती की मगर मस्जिद की इमारत बच गई, लेकिन फिर उस बादशाह के जानशीनों ने शहर और मस्जिद को बिल्कुल मैदान कर दिया, उसके कुछ समय के बाद बैतुल-मुकद्दस पर रूम के बादशाहों की हुकूमत हो गई उन्होंने मस्जिद को फिर दुरुस्त किया और उसके आठ साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए।

छठा वाकिआ

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिये जाने के चालीस बरस बाद यह वाकिआ पेश आया कि यहूदियों ने अपने हुक्मरॉं रूम के बादशाहों से बगावत इख्तियार कर ली रूमियों ने फिर शहर और मस्जिद को तबाह करके वही हालत बना दी जो पहले थी, उस वज़्त के बादशाह का नाम तीतस था जो न यहूदी था न ईसाई, क्योंकि उसके बहुत दिन के बाद कुस्तुनतीन पहले ईसाई हुआ है और उसके बाद से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक यह मस्जिद वीरान पड़ी रही, यहाँ तक कि आपने इसकी तामीर कराई। ये छह वाकिआत तफसीर बयानुल-कुरआन में तफसीरे हक्कानी के हवाले से लिखे गये हैं।

अब यह बात कि कुरआने करीम ने जिन दो वाकिआँ का ज़िक्र किया है वे इनमें से कौनसे हैं, इसका निश्चित तौर पर निर्धारण तो मुश्किल है लेकिन ज़ाहिर यह है कि इनमें से जो वाकिआत ज़्यादा संगीन और बड़े हैं जिनमें यहूदियों की शरारतें भी ज़्यादा हुईं और सज़ा भी सख्त मिली उन पर महमूल किया जाये और वह चौथा और छठा वाकिआ है। तफसीरे क़र्तुबी में यहाँ एक लम्बी मरफूअ हंदीस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल की है, उससे भी इसका निर्धारण होता है कि इन दो वाकिआत से मुराद चौथा और छठा वाकिआ है। उस लम्बी हदीस का तर्जुमा यह है।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि बैतुल-मुक़द्दस अल्लाह तआला के नज़दीक बड़ी शान व रुतबे वाली मस्जिद है। आपने फरमाया कि वह दुनिया के सब घरों में एक विशेष बड़ाई वाला घर है जिसको अल्लाह तआला ने सुलैमान बिन दाऊद अलैहिमस्सलाम के लिये सोने चाँदी और जवाहिरात याक़ूत व ज़मरूद से बनाया था, और यह इस तरह कि जब सुलैमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर शुरू की तो हक् तआला ने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, जिन्नात ने ये तमाम जवाहिरात और सोना-चाँदी जमा करके उनसे मस्जिद बनाई। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि फिर बैतुल-मुक़द्दस से यह सोना-चाँदी और जवाहिरात कहाँ और किस तरह गये? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब बनी इस्राइल ने अल्लाह तआला की नाफरमानी की और गुनाहों और बुरे आमाल में मुब्तला हो गये, नबियों को क़त्ल किया तो अल्लाह तआला ने उन पर बुख़्ते नस्सर को मुसल्लत कर दिया जो मजूसी (आग को पूजने वाला) था, उसने सात सौ बरस बैतुल-मुक़द्दस पर हुकूमत की और कुरआने करीम में आयत:

لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَدُوٌّ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يُبَدِّلُ سَوَابِغَ ۙ وَلَا يُعَدِّىءُ وَجْهًا لِّوَجْهٍ ؕ لِّلَّذِينَ يَدِينُونَ ۖ لِيُتَّخَذُوا ۙ سَوَابِغًا ۗ لَّيْسَ بِإِلهٍ إِلاَّ هُوَ ۗ عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكُم مِّنْ عِندِ هُوَ خَبْرٌ ۚ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 5) से यही वाकिआ मुराद है। बुख़्ते नस्सर का लश्कर मस्जिदे-अक्सा में दाख़िल हुआ, मर्दों को क़त्ल और औरतों व बच्चों को कैद किया और बैतुल-मुक़द्दस के तमाम माल और सोने-चाँदी जवाहिरात को एक लाख सत्तर हज़ार गाड़ियों में

भरकर ले गया, और अपने मुल्क बाबिल में रख लिया, और सौ बरस तक उन बनी इस्राईल को अपना गुलाम बनाकर तरह-तरह की मशक़त भरी ख़िदमत ज़िल्लत के साथ उनसे लेता रहा।

फिर अल्लाह तआला ने फारस (ईरान) के बादशाहों में से एक बादशाह को उसके मुक़ाबले के लिये खड़ा कर दिया जिसने बाबिल को फ़तह किया और बाकी बचे बनी इस्राईल को बुझे नस्सर की कैद से आज़ाद कराया और जितने माल वह बैतुल-मुक़द्दस से लाया था वो सब वापस बैतुल-मुक़द्दस में पहुँचा दिये और फिर बनी इस्राईल को हुक्म दिया कि अगर तुम फिर नाफरमानी और गुनाहों की तरफ़ लौट जाओगे तो हम भी फिर क़त्ल व कैद का अज़ाब तुम पर लौटा देंगे। क़ुरआन की आयत—

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرَحِّمَكُمُ وَإِنَّ عُنْدَنَا

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 8) से यही मुराद है।

फिर जब बनी इस्राईल बैतुल-मुक़द्दस में लौट आये (और सब माल व सामान भी कब्जे में आ गया) तो फिर अल्लाह की नाफरमानी और बुरे आमाल की तरफ़ लौट गये, उस वक़्त अल्लाह तआला ने उन पर रूम के बादशाह कैसर को मुसल्लत कर दिया, आयत:

فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وَاوْجُوهَكُمْ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 7) से यही मुराद है। रूम के बादशाह ने उन लोगों से थल और जल के दोनों रास्तों पर जंग की और बहुत-से लोगों को क़त्ल और कैद किया और फिर बैतुल-मुक़द्दस के उन तमाम मालों को एक लाख सत्तर हज़ार गाड़ियों पर लादकर ले गया और अपने 'कनीसतुज्ज़हब' (धार्मिक स्थल) में रख दिया, ये सब माल अभी तक वही हैं और वहीं रहेंगे यहाँ तक कि हज़रत मेहदी रस्मतुल्लाहि अलैहि फिर इनको बैतुल-मुक़द्दस में एक लाख सत्तर हज़ार कश्तियों में वापस लायेंगे और उसी जगह अल्लाह तआला पहले और बाद के तमाम लोगों को जमा कर देंगे। (हदीस का मज़मून काफी लम्बा है जिसको इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में नक़ल किया है)

तफ़सीर 'बयानुल-क़ुरआन' में है कि दो वाक़िए जिनका ज़िक्र क़ुरआन में आया है इससे मुराद दो शरीअतों की मुख़ालफ़त है, पहले भूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की मुख़ालफ़त और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने के बाद उनकी शरीअत की मुख़ालफ़त है। इसी तरह पहली मुख़ालफ़त में वे सब वाक़िअत दर्ज हो सकते हैं जो ऊपर बयान किये गये हैं, वाक़िअत की तफ़सील के बाद ऊपर दर्ज हुई आयतों की तफ़सीर देखिये।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उपरोक्त वाक़िअत का हासिल यह है कि बनी इस्राईल के बारे में हक़ तआला ने यह फ़ैसला फ़रमा दिया था कि वे जब तक अल्लाह तआला की इताअत करेंगे दीन व दुनिया में बामुराद और कामयाब रहेंगे, और जब कभी दीन से मुँह मोड़ेंगे तो ज़लील व ख़्वार किये जायेंगे

और दुश्मनों काफ़िरों के हाथों उन पर मार डाली जायेगी, और सिर्फ़ यही नहीं कि दुश्मन उन पर ग़ालिब होकर उनकी जान व माल को नुक़सान पहुँचायें बल्कि उनके साथ उनका क़िब्ला जो बैतुल-मुक़द्दस है वह भी उस दुश्मन की ज़ुद से महफ़ूज़ नहीं रहेगा। उनके काफ़िर दुश्मन मस्जिद बैतुल-मुक़द्दस में घुसकर उसकी बेहर्मती और तोड़-फोड़ करेंगे, यह भी बनी इस्राईल की सज़ा ही का एक हिस्सा होगा। क़ुरआने करीम ने उनके दो वाक़िए बयान फ़रमाये— पहला वाक़िआ मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के ज़माने का है दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के ज़माने का, इन दोनों में बनी इस्राईल ने अपने वक़्त की खुदाई शरीअत से मुँह मोड़कर सरकशी इस्त्रियार की तो पहले वाक़िए में एक मजूसी (आग को पूजने वाले) काफ़िर बादशाह को उन पर और बैतुल-मुक़द्दस पर मुसल्लत कर दिया गया जिसने तबाही मचाई, और दूसरे वाक़िए में एक रूमी बादशाह को मुसल्लत किया जिसने उनको क़त्ल व ग़ारत किया और बैतुल-मुक़द्दस को गिराया और वीरान किया। इसी के साथ यह भी ज़िक्र कर दिया गया है कि दोनों मर्तबा जब बनी इस्राईल अपने बुरे आमाँल पर शर्मिन्दा होकर ताइब (तौबा करने वाले) हुए तो फिर अल्लाह तआला ने उनके मुल्क व दौलत और आल व औलाद को बहाल कर दिया।

इन दोनों वाक़िआत के ज़िक्र के बाद आख़िर में अल्लाह तआला ने इन मामलात में अपना उसूल व नियम बयान फ़रमा दिया:

وَإِنْ عَدْتُمْ عَدَا

यानी अगर तुम फिर नाफ़रमानी और सरकशी की तरफ़ लौटोगे तो हम फिर इसी तरह की सज़ा व अज़ाब तुम पर लौटा देंगे। यह उसूल क़ियामत तक के लिये इरशाद हुआ है और इसके मुखातब वे बनी इस्राईल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में मौजूद थे, जिसमें इशारा कर दिया गया है कि जिस तरह पहले मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की मुख़ालफ़त से और दूसरी मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की मुख़ालफ़त से तुम लोग सज़ा व अज़ाब में गिरफ़्तार हुए थे अब तीसरा दौर शरीअते मुहम्मदिया का है जो क़ियामत तक चलेगा, इसकी मुख़ालफ़त करने का भी वही अन्जाम होगा। चुनौचे ऐसा ही हुआ कि उन लोगों ने शरीअते मुहम्मदिया और इस्लाम की मुख़ालफ़त की तो मुसलमानों के हाथों ज़िलावतन और ज़लील व ख़्वार हुए और आख़िरकार उनके क़िब्ले बैतुल-मुक़द्दस पर भी मुसलमानों का क़ब्ज़ा हुआ। फ़र्क़ यह रहा कि पिछले बादशाहों ने उनको भी ज़लील व ख़्वार किया था और उनके क़िब्ले बैतुल-मुक़द्दस की बेहर्मती (बेक़द्री) भी की थी, अब मुसलमानों ने बैतुल-मुक़द्दस फ़तह किया तो मस्जिदे बैतुल-मुक़द्दस जो सदियों से गिरी और ग़ैर-आबाद पड़ी थी, उसको नये सिरे से तामीर किया और नबियों के इस क़िब्ले के एहतियाम को बहाल किया।

बनी इस्राईल के वाकिआत मुसलमानों के लिये इब्रत हैं, बैतुल-मुक़द्दस का मौजूदा वाकिआ इसी सिलसिले की एक कड़ी है

बनी इस्राईल के ये वाकिआत कुरआने करीम में बयान करने और मुसलमानों को सुनाने से बज़ाहिर मक़सद यही है कि मुसलमान भी अल्लाह के इस क़ानून से बाहर नहीं हैं, दुनिया व दीन में उनकी इज़्ज़त व शान और माल व दौलत अल्लाह की इताअत के साथ जुड़ी हैं, जब वे अल्लाह व रसूल की इताअत से मुँह मोड़ेंगे तो उनके दुश्मनों और काफ़ि़रों को उन पर ग़ालिब और मुसल्लत कर दिया जायेगा जिनके हाथों उनके इबादत ख़ानों और मस्जिदों की बेहुर्मती भी होगी।

आजकल जो बैतुल-मुक़द्दस पर यहूदियों के क़ब्ज़े की दुखद घटना और फिर उसको आग लगाने की पूरी इस्लामी दुनिया को परेशान किये हुए है हकीकत यह है कि यह इसी कुरआनी इरशाद की तस्दीक़ हो रही है, मुसलमानों ने खुदा व रसूल को भुलाया, आख़िरत से ग़ाफ़िल होकर दुनिया की शान व शौकत में लग गये और कुरआन व सुन्नत के अहक़ाम से बेग़ाना हो गये तो अल्लाह का वही कायदा व उसूल सामने आया कि करोड़ों अरब वालों पर चन्द लाख यहूदी ग़ालिब आ गये, उन्होंने उनकी जान व माल को भी नुक़सान पहुँचाया और इस्लामी शरीअत की रू से दुनिया की तीन अज़ीमुशान मस्जिदों में से एक जो तमाम नबियों का क़िल्बा रहा है वह उनसे छीन लिया गया और एक ऐसी क़ौम ग़ालिब आ गई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लील व ख़्वार समझी जाती है यानी यहूदी। इस पर अतिरिक्त यह देखा जा रहा है कि वह क़ौम न संख्या में मुसलमानों के मुक़ाबले में कोई हैसियत रखती है और न मुसलमानों के मजमूई मौजूदा लड़ाई के सामान और हथियारों के मुक़ाबले में उसकी कोई हैसियत है, इससे यह भी मालूम हो गया कि यह वाकिआ यहूदियों को कोई इज़्ज़त का मक़ाम नहीं देता अलबत्ता मुसलमानों के लिये उनकी नाफ़रमानी की सज़ा ज़रूर है, जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि यह जो कुछ हुआ हमारे बुरे आमाल की सज़ा के तौर पर हुआ, और इसका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि हम फिर अपने बुरे आमाल पर शर्मिन्दा होकर सच्ची तौबा करें, अल्लाह के अहक़ाम की इताअत में लग जायें, सच्चे मुसलमान बनें, ग़ैरों की नक़ल करने और ग़ैरों पर भरोसा करने के ज़बरदस्त गुनाह से बाज़ आ जायें तो अल्लाह के वायदे के अनुसार इन्शा-अल्लाह तआला बैतुल-मुक़द्दस और फ़िलिस्तीन फिर हमारे क़ब्ज़े में आयेगा, मगर अफ़सोस है कि आजकल के अरब शासक और वहाँ के आम मुसलमान अब तक भी इस हकीकत पर सचेत नहीं हुए, वे अब भी ग़ैरों की इमदाद पर सहारा लगाये हुए बैतुल-मुक़द्दस की वापसी के प्लान और नक्शे बना रहे हैं जिसकी बज़ाहिर कोई संभावना नज़र नहीं आती।

वह असलेहा और सामान जिससे बैतुल-मुक़द्दस और फ़िलिस्तीन फिर मुसलमानों को वापस मिल सकता है सिर्फ़ अल्लाह तआला की तरफ़ तयज्जोह व रज़ू, आख़िरत पर यकीन, शरीअत के अहक़ाम की पैरवी, अपने रहन-सहन, सामाजिक जिन्दगी और सियासत में ग़ैरों पर भरोसा और उनकी नक़ल करने से परहेज़ और फिर अल्लाह तआला पर भरोसा करके ख़ालिस इस्लामी और शरई जिहाद है, अल्लाह तआला हमारे अरब हुकमरानों और दूसरे मुसलमानों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमायें।

एक अजीब मामला

अल्लाह तआला ने इस ज़मीन में अपनी इबादत के लिये दो जगहों को इबादत करने वालों का किब्ला बनाया है— एक बैतुल-मुक़द्दस, दूसरा बैतुल्लाह। मगर क़ानून क़ुदरत दोनों के बारे में अलग-अलग है, बैतुल्लाह की हिफ़ाज़त और काफ़िरों का उस पर ग़ालिब न आना यह अल्लाह तआला ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है, इसका नतीजा वह हाथी वालों का वाकिआ है जो क़ुरआने करीम की सूर: फ़ील में ज़िक्र किया गया है, कि यमन के ईसाई बादशाह ने बैतुल्लाह पर चढ़ाई की तो अल्लाह तआला ने मय उसके हाथियों की फ़ौज के बैतुल्लाह के करीब तक जाने से पहले ही परिन्दे जानवरों के ज़रिये हलाक व बरबाद कर दिया।

लेकिन बैतुल-मुक़द्दस के मुताल्लिक़ यह क़ानून नहीं बल्कि उपरोक्त आयतों से मालूम हुआ है कि जब मुसलमान गुमराही और नाफ़रमानी में मुक्ताला होंगे तो उनकी सज़ा के तौर पर उनसे यह किब्ला भी छीन लिया जायेगा और काफ़िर लोग इस पर ग़ालिब आ जायेंगे।

काफ़िर भी अल्लाह के बन्दे हैं मगर उसके मक़बूल नहीं

उपर्युक्त पहले वाकिए में क़ुरआने करीम ने इरशाद फ़रमाया है कि जब दीनदार लोग फ़ितने व फ़साद पर उतर आयेंगे तो अल्लाह तआला उन पर अपने ऐसे बन्दों को मुसल्लत कर देंगे जो उनके घरों में घुसकर उनको क़त्ल व ग़ारत करेंगे। इस जगह क़ुरआने करीम ने लफ़ज़ 'अ़िबादतु लना' फ़रमाया है, 'अ़िबादना' नहीं कहा, हालाँकि वह मुख़्तसर था। हिक्मत यह है कि किसी बन्दे की इज़ाफ़त व निस्बत अल्लाह की तरफ़ हो जाना उसके लिये सबसे बड़ा सम्मान है जैसा कि इसी सूरत के शुरू में 'अस्रा बिअ़ब्दिही' के तहत में यह बतलाया जा चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो हद से ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा निकटता मेराज की रात में नसीब हुई क़ुरआने करीम ने इस वाकिए के बयान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम या कोई सिफ़त बयान करने के बजाय सिर्फ़ 'अ़ब्दिही' कहकर यह बतला दिया कि इनसान का आख़िरी कमाल और सबसे ऊँचा मक़ाम यह है कि अल्लाह तआला उसको अपना बन्दा कहकर नवाज़ें। मज़क़ूरा आयत में जिन लोगों से बनी इस्राईल की सज़ा का काम लिया गया ये खुद भी काफ़िर थे इसलिये हक़ तआला ने उनको "इबादना" के लफ़ज़ से ताबीर फ़रमाने के बजाय इज़ाफ़त व निस्बत को तोड़कर "अ़िबादतु लना" फ़रमाया जिसमें इस तरफ़

इशारा है कि कायनात का पैदा करने वाला होने के तौर पर तो सारे ही इन्सान अल्लाह के बन्दे हैं मगर बगैर ईमान के मकबूल बन्दे नहीं होते जिनकी निस्बत व इज़ाफ़त अल्लाह तआला की तरफ़ की जा सके।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُعْذِرُ الْكَافِرِينَ هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤَهُ بِالْخَيْرِ ۝ وَالْإِنْسَانُ كَنُجُومًا ۝

इन्-न हाज़ल्-क़ुरआ-न यस्दी लिल्लती हि-य अक्वमु व युबशिशरुल्-मुअ्मिनीनल्लज़ी-न यअ्मलूनस्-सालिहाति अन्-न लहुम् अजरन् कबीरा (9) व अन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनु-न बिल्आख़िरति अज़तदना लहुम् अज़ाबन् अलीमा (10) ●

व यद्अुल्-इन्सानु बिशशरिर् दुआ-अहू बिल्ख़ैरि, व कानल्-इन्सानु अज़ूला (11)

यह कुरआन बतलाता है वह राह जो सब से सीधी है और खुशख़बरी सुनाता है ईमान वालों को जो अमल करते हैं अच्छे कि उनके लिये है बड़ा सवाब। (9) और यह कि जो नहीं मानते आख़िरत को उनके लिये तैयार किया है हमने दर्दनाक अज़ाब। (10) ●

और माँगता है आदमी बुराई जैसे माँगता है भलाई और है इन्सान जल्द बाज़। (11)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

सूरत के शुरू में मेराज के मोजिजे से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने रिसालत का बयान था, इन् आयतों में क़ुरआन के मोजिजे से उसको साबित किया गया है।

खुलासा-ए-तफ़्सीर

बेशक यह क़ुरआन ऐसे तरीके की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है (यानी इस्लाम) और (उस तरीके के मानने और न मानने वालों की जज़ा व सज़ा भी बतलाता है कि) उन ईमान वालों को जो कि नेक काम करते हैं यह खुशख़बरी देता है कि उनको बड़ा भारी सवाब मिलेगा। और यह भी बतलाता है कि जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके लिये एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है।

और (बाज़ा) इन्सान (जैसे काफ़िर लोग हैं) बुराई (यानी अज़ाब) की ऐसी दुआ करता है

जिस तरह भलाई की दुआ (की जाती है) और इनसान कुछ (कुछ तबई तौर पर ही) जल्दबाज़ (होता) है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

कौमों का तरीका

कुरआन जिस तरीके की हिदायत करता है उसको 'अक्वम' कहा जाता है। अक्वम की तफसीर यह है कि वह रास्ता जो मन्जिले मकसूद तक पहुँचाने में करीब भी हो, आसान भी हो और खतरों से खाली भी हो। (तफसीरे कुरुबी)

इससे मालूम हुआ कि कुरआने करीम इनसानी जिन्दगी के लिये जो अहकाम देता है वह इन तीनों खूबियों और सिफ्तों को अपने अन्दर रखते हैं, अगरचे इनसान अपनी कम-समझी की वजह से कई बार उस रास्ते को दुश्वार या खतरे से भरा समझने लगे लेकिन रब्बुल-आलमीन जो कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे का इल्म रखता है और अतीत व भविष्य उसके सामने बराबर है, वही इस हकीकत को जान सकता है कि इनसान का नफा किस काम और किस सूरत में ज़्यादा है, और खुद इनसान चूँकि मजमूई हालात से वाकिफ़ नहीं वह अपने भले-बुरे को भी पूरी तरह नहीं पहचान सकता।

शायद इसी ताल्लुक से उपर्युक्त आयतों में से आखिरी आयत में यह ज़िक्र फरमाया है कि इनसान तो कई बार जल्दबाज़ी में अपने लिये ऐसी दुआ माँग लेता है जो उसके लिये तबाही व बरबादी का सबब है, अगर अल्लाह तआला उसकी ऐसी दुआ को कुबूल फरमा लें तो यह बरबाद हो जाये। मगर अल्लाह तआला अक्सर ऐसी दुआओं को फ़ौरन कुबूल नहीं फरमाता यहाँ तक कि खुद इनसान समझ लेता है कि मेरी यह दरख्वास्त ग़लत और मेरे लिये सख्त नुकसान देने वाली थी, और आयत के आखिरी जुमले में इनसान की एक तबई कमज़ोरी को ज़ाबते के तौर पर भी ज़िक्र फरमाया कि इनसान अपनी तबीयत ही से जल्दबाज़ वाफ़े हुआ है, सरसरी नफे-नुकसान पर नज़र रखता है अन्जाम पर निगाह करने और परिणाम के बारे में सोचने में कोताही करता है, फ़ौरी राहत चाहे थोड़ी हो उसको बड़ी और हमेशा की राहत पर तरजीह देने लगता है। इस तक़रीर का हासिल यह है कि इस आयत में आम इनसानों की एक तबई कमज़ोरी का बयान है।

और तफसीर के कुछ इमामों ने इस आयत को एक खास वाकिफ़ के संबन्धित करार दिया है, वह यह कि नज़र बिन हारिस ने इस्लाम की मुख़ालफ़त में एक मर्तबा यह दुआ कर डाली:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

यानी या अल्लाह! अगर आपके नज़दीक यह इस्लाम ही हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई और दर्दनाक अज़ाब भेज दे। इस सूरत में इनसान से यह खास इनसान या जो इसके जैसी तबीयत वाले हों मुराद होंगे।

وَجَعَلْنَا الْآيَةَ وَالنَّهَارَ آيَةً مَّحَوَّرًا آيَةَ الْآيِلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
 لِكِتَابِنَا فَضَلَّ مَنْ رَجَعُكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ۗ وَكُلُّ
 إِنْسَانٍ أَلْمَنَهُ ظَلْمَةٌ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُحْرِمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْوَرًا ۗ أَقْرَأْ كِتَابَكَ ۗ كَفَى
 بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۗ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

व जअल्लल्लै-ल वन्नहा-र आयतैनि
 फ़-महौना आयतल्लैलि व जअल्ला
 आयतन्नहारि मुब्सि-रतल्-लितब्तगू
 फज़लम् मिररब्बिकुम् व लितअ-लमू
 अ-ददस्सिनी-न वल्-हिसा-ब, व
 कुल्-ल शैइन् फ़स्सल्लाहु तफ़सीला
 (12) व कुल्-ल इन्सानिन् अलज्जम्ना
 ताइ-रहू फ़ी अुनुकिही, व नुख़िरजु
 लहू यौमल्-कियामति किताबंय-
 यल्काहु मन्शूरा (13) इन्नरअ
 किताब-क, कफ़ा बिनफ़िसकल्-यौ-म
 अल्लै-क हसीबा (14) मनिस्तदा
 फ़-इन्नमा यस्तदी लिनफ़िसही व मन्
 ज़ल्-ल फ़-इन्नमा यजिल्लु अल्लैहा, व
 ला तज़िरु वाज़ि-रतुं-व-विज़-र उख़्रा,
 व मा कुन्ना मुअज़िज़बी-न हत्ता
 नबूअ-स रसूला (15)

और हमने बनाये रात और दिन दो नमूने
 फिर मिटा दिया रात का नमूना और बना
 दिया दिन का नमूना देखने को ताकि
 तलाश करो फज़ल अपने रब का और
 ताकि मालूम करो गिनती बरसों की और
 हिसाब, और सब चीज़ें सुनाई हमने
 खोलकर। (12) और जो आदमी है लगा
 दी है हमने उसकी बुरी किस्मत उसकी
 गर्दन से, और निकाल दिखायेंगे उसको
 कियामत के दिन एक किताब कि देखेगा
 उसको खुली हुई। (13) पढ़ ले किताब
 अपनी, तू ही बस है आज के दिन अपना
 हिसाब लेने वाला। (14) जो कोई राह
 पर आया तो आया अपने ही भले को
 और जो कोई बहका रहा तो बहका रहा
 अपने ही बुरे को, और किसी पर नहीं
 पड़ता बोझ दूसरे का, और हम नहीं डालते
 बला जब तक न भेजें कोई रसूल। (15)

खुलासा-ए-तफ़सीर

हमने रात और दिन को (अपनी क़ुदरत की) दो निशानियाँ बनाया, सो रात की निशानी

(यानी खुद रात) को तो हमने धुंधला बना दिया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया (कि उसमें सब चीज़ें बेतकल्लुफ़ दिखाई दें) ताकि (दिन में) तुम अपने रब की रोज़ी तलाश करो और (रात और दिन के आने-जाने और दोनों के रंग में फ़र्क़ व पहचान कि एक रोशन दूसरा अंधेरा है, और दोनों की मात्राओं में भिन्नता से) बरसों का झुमार और (दूसरे छोटे-छोटे) हिसाब मालूम कर लो (जैसा कि सूर: यूनुस के पहले रूकूअ में बयान हुआ है)। और हमने हर चीज़ को ख़ूब तफ़सील के साथ बयान किया है (लौह-ए-महफ़ूज़ में तो तमाम कायनात की मुकम्मल तफ़सील बग़ैर किसी चीज़ को अलग किये है और क़ुरआने करीम में ज़रूरत के हिसाब से तफ़सील है, इसलिये यह बयान दोनों की तरफ़ मन्सूब हो सकता है)।

और हमने हर (अमल करने वाले) इन्सान का अमल (नेक हो या बुरा) उसके गले का हार बना रखा है (यानी हर शख्स का अमल उसके साथ जुड़ा और चिपका हुआ है) और (फिर) कियामत के दिन हम उसका आमाल नामा उसके (देखने के) वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे, जिसको वह खुला हुआ देख लेगा (और उससे कहा जायेगा कि ले) अपना आमाल नामा (खुद) पढ़ ले, आज तू खुद ही अपना हिसाब जाँचने के लिये काफ़ी है (यानी इसकी ज़रूरत नहीं कि तेरे आमाल को कोई दूसरा आदमी गिनाये बल्कि तू खुद ही अपना आमाल नामा पढ़ता जा और हिसाब लगाता जा कि तुझे कितनी सज़ा और कितनी जज़ा मिलनी चाहिये। मतलब यह है कि अगरचे अभी अज़ाब सामने नहीं आया मगर वह टलने वाला नहीं, एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि इन्सान अपने सब आमाल को खुली आँखों देख लेगा, और अज़ाब की हुज्जत उस पर कायम हो जायेगी। और) जो शख्स (दुनिया में सीधी) राह पर चलता है वह अपने ही नफ़े के लिये चलता है, और जो शख्स ग़लत रास्ता इख़्तियार करता है वह भी अपने ही नुक़सान के लिये गुमरा होता है (वह उस वक़्त इसका ख़मियाज़ा भुगतेंगा किसी दूसरे का कुछ नुक़सान नहीं क्योंकि हमारा क़ानून यह है कि) और कोई शख्स किसी (के गुनाह) का बोझ न उठायेगा (और जिस किसी को कोई सज़ा दी जाती है वह उस पर हुज्जत पूरी करने के बाद दी जाती है क्योंकि हमारा क़ानून यह है कि) हम (कभी) सज़ा नहीं देते जब तक किसी रसूल को (उसकी हिदायत के लिये) नहीं भेज लेते।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों में पहले रात और दिन के अलग-अलग होने और विविधता को अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की निशानी क़रार दिया और फिर बतलाया कि रात को अंधेरी और दिन को रोशन करने में बड़ी हिक्मतें हैं। रात को अंधेरी करने की हिक्मत तो इस जगह बयान नहीं फ़रमाई दूसरी आयतों में बयान हुई है कि रात का अंधेरा नींद और आराम के लिये मुनासिब है और क़ुदरत ने ऐसा निज़ाम बना दिया है कि हर इन्सान और जानवर को इसी रात की अंधेरी में नींद आती है, पूरा आलम एक साथ नींद में होता है अगर विभिन्न लोगों की नींद के विभिन्न वक़्त होते तो जागने वालों के शोर-शराबे और काम-काज की वजह से सोने वालों

की नींद भी हराम हो जाती।

और दिन को रोशन करने की इस जगह दो हिक्मतेँ बयान फरमाई हैं— पहली यह कि दिन की रोशनी में आदमी अपनी रोजी तलाश कर सकता है, मेहनत मज़दूरी, कारीगरी व उद्योग सब के लिये रोशनी की ज़रूरत है। दूसरे यह कि रात दिन के आने जाने से सालों और बरसों की तादाद मालूम की जा सके जैसे कि तीन सौ साठ दिन पूरे होने पर एक साल पूरा हो गया।

इसी तरह दूसरे हिसाबात भी रात दिन के आने-जाने से जुड़े हुए हैं, अगर रात दिन का यह अलग-अलग होना न हो तो मज़दूर की मज़दूरी, मुलाज़िम की मुलाज़मत, मामलात की मियादें मुतैयन (निर्धारित) करना सब मुश्किल हो जायेगा।

‘नामा-ए-आमाल’ गले का हार होने का मतलब

इसका मतलब यह है कि इनसान किसी जगह किसी हाल में रहे उसके आमाल की किताब उसके साथ रहती है, उसका अमल लिखा जाता रहता है। जब वह मरता है तो वह किताब बन्द करके रख दी जाती है, फिर कियामत के दिन यह आमाल नामा हर एक के हाथ में दे दिया जायेगा कि खुद पढ़कर खुद ही अपने दिल में फ़ैसला कर ले कि वह सवाब का हक़दार है या अज़ाब का हक़दार। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि से मन्ज़ूल है कि उस दिन अनपढ़ आदमी भी नामा-ए-आमाल पढ़ लेगा। इस मौक़े पर अस्बहानी ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन कुछ लोगों का नामा-ए-आमाल जब उनके हाथ में दिया जायेगा, वह देखेगा कि उसके कुछ नेक आमाल उसमें लिखे हुए नहीं हैं तो अर्ज़ करेगा कि मेरे परवर्दिगार इसमें मेरे फुल्लौ-फुल्लौ अमल दर्ज नहीं हैं तो हक़ तज़ाला की तरफ़ से जवाब मिलेगा कि हमने उन आमाल को इसलिये मिटा दिया कि तुम लोगों की ग़ीबत किया करते थे। (तफसीर मज़हरी)

रसूलों के भेजे बग़ैर अज़ाब न होने की वज़ाहत

इस आयत की बिना पर कुछ फुक़हा (दीनी मसाईल और कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) के नज़दीक उन लोगों को कुफ़्र के बावजूद कोई अज़ाब नहीं होगा जिनके पास किसी नबी और रसूल की दावत नहीं पहुँची, और कुछ इमामों के नज़दीक जो इस्लामी अक़ीदे अक़ल से समझे जा सकते हैं जैसे खुदा का वजूद, उसकी तौहीद वग़ैरह, पस जो लोग इसके मुन्किर होंगे उनको कुफ़्र पर अज़ाब होगा अगरचे-उनको किसी नबी व रसूल की दावत न पहुँची हो, अलबत्ता आ़म नाफ़रमानी और गुनाहों पर नबियों की दावत व तब्लीगे के बग़ैर सज़ा नहीं होगी, और कुछ हज़रत ने इस जगह रसूल से मुराद आ़म ली है चाहे वह रसूल व नबी हो चाहे इनसानी अक़ल कि वह भी एक हैसियत से अल्लाह का रसूल (पैग़ाम पहुँचाने वाली) ही है।

मुशिरकों की औलाद को अज़ाब न होगा

आयत 'ला तजिरु वाफिरतुव-विज़र उख़्रा' (किसी पर नहीं पड़ता बोझ दूसरे का) के तहत तफसीरे मज़हरी में लिखा है कि इस आयत से साबित होता है कि मुशिरकों व काफिरों की औलाद जो बालिग होने से पहले मर जायें उनको अज़ाब न होगा, क्योंकि माँ-बाप के कुफ़्र से वे सज़ा के पात्र नहीं होंगे, इस मसले में फ़ुक़हा व इमामों के अक़वाल अलग-अलग हैं जिनकी तफसील की यहाँ ज़रूरत नहीं।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادٍ خَمِيئًا
بَصِيرًا ۝

व इज़ा अरदना अन्नुहिल-क
क़-यतन् अमरना मुत्-रफीहा
फ-फ-सकू फीहा फ-हक्-क
अलैहल्कौलु फ-दम्मरनाहा तद्मीरा
(16) व कम् अह्लकना मिनल्कुरूनि
मिम्-बअदि नूहिन्, व कफा
बिरब्बि-क बिज़्नुबि अिबादिही
ख़बीरम्-बसीरा (17)

और जब हमने चाहा कि ग़ारत करें किसी बस्ती को हुक्म भेज दिया उसके ऐश करने वालों को फिर उन्होंने नाफरमानी की उसमें तब साबित हो गई उन पर बात फिर आखड़ मारा हमने उनको उठाकर। (16) और बहुत ग़ारत कर दिये हमने कर्न नूह के पीछे और काफ़ी है तेरा रब अपने बन्दों के गुनाह जानने वाला देखने वाला। (17)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इससे पहली आयतों में इसका बयान था कि हक् तआला की आदत यह है कि जब तक किसी कौम के पास अम्बिया अलैहिमुसलाम के ज़रिये अल्लाह तआला की हिदायतें न पहुँच जायें और फिर भी वे इताअत न करें उस वक़्त तक उन पर अज़ाब नहीं भेजते। उक्त आयतों में इसके दूसरे रुख़ का बयान है कि जब किसी कौम के पास रसूल और अल्लाह के पैग़ाम पहुँच गये और फिर भी उन्होंने नाफरमानी से काम लिया तो उस पर आ़ाम अज़ाब भेज दिया जाता है।

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और जब हम किसी बस्ती को (जो अपने कुफ़्र व नाफरमानी की वजह से अल्लाह की हिक्मत के तकाज़े के तहत हलाक करने के काबिल हो) हलाक करना चाहते हैं तो (उसको

रसूलों के भेजने से पहले हलाक नहीं करते बल्कि पहले किसी रसूल के ज़रिये उस (बस्ती) के खुशाहाल (यानी अमीर व सरदार) लोगों को (खुसूसन और दूसरे अ़वाम को उमूमन ईमान व इताअत का) हुक्म देते हैं, फिर (जब) वे लोग (कहना नहीं मानते बल्कि) वहाँ शरारत मचाते हैं तो उन पर हुज्जत पूरी हो जाती है। फिर हम उस बस्ती को तबाह और ग़ारत कर डालते हैं। और (इसी आदत के मुवाफ़िक) हमने बहुत-सी उम्मतों को नूह (अलैहिस्सलाम) के (ज़माने के) बाद (उनके कुफ़ व नाफरमानी के सबब) हलाक किया है (जैसे आद व समूद वगैरह और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का गर्फ़ होकर हलाक होना मशहूर व परिचित है इसलिये 'मिम्-बअ़्दि नूहिन्' पर बस किया गया, खुद नूह की कौम का ज़िक्र नहीं किया। और यह भी कहा जा सकता है कि सूरत के शुरू में आयत 'ज़ुरिय्य-त मन् हमलूना म-अ नूहिन्' में लफ़्ज़ 'हमलूना' से तूफ़ाने नूह की तरफ़ इशारा मौजूद है उसको कौमे नूह की हलाकत का बयान करार देकर यहाँ नूह अलैहिस्सलाम के बाद के हालात का ज़िक्र फ़रमाया गया) और आपका रब अपने बन्दों के गुनाहों को जानने वाला, देखने वाला काफी है (तो जैसा किसी कौम का गुनाह होता है वैसी ही सज़ा देता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

एक शुब्हा और उसका जवाब

आयत के अलफ़ाज़ 'इज़ा अरदना' और इसके बाद 'अमरना' के ज़ाहिर से यह शुब्हा हो सकता था कि उन लोगों का हलाक करना ही अल्लाह का मक़सद था इसलिये उनको पहले नबियों के द्वारा ईमान व फ़रमाँबरदारी का हुक्म देना, फिर उनके बुरे आमाल व नाफरमानी को अज़ाब का सबब बनाना यह सब अल्लाह तआला ही की तरफ़ से हुआ, तो इस सूरत में ये बेचारे माज़ूर व मजबूर हुए। इसके जवाब की तरफ़ तर्जुमे और खुलासा-ए-तफ़सीर के तहत यह इशारा आ चुका है कि अल्लाह तआला ने इनसान को अक्ल व इख़्तियार दिया और अज़ाब व सवाब के रास्ते मुतैयन कर दिये, जब कोई अपने इख़्तियार से अज़ाब ही के काम का इरादा करे तो अल्लाह का क़ानून यह है कि वह उसी अज़ाब के असबाब मुहैया कर देते हैं, तो अज़ाब का असली सबब खुद उनका कुफ़ व नाफरमानी का इरादा है न कि केवल इरादा, इसलिये वे माज़ूर नहीं हो सकते।

उक्त आयत की एक दूसरी तफ़सीर

लफ़्ज़ 'अमरना' का मशहूर मफ़हूम व मतलब वही है जो ऊपर बयान किया गया है, यानी हुक्म दिया हमने, लेकिन इस आयत में इस लफ़्ज़ की किराअतें भिन्न हैं, एक किराअत में जिसको अबू उस्मान नहदी, अबू रजा, अबुल-आलिया और मुजाहिद ने इख़्तियार किया है यह लफ़्ज़ 'अम्मरना' आया है, जिसके मायने यह होते हैं कि हमने अमीर व हाकिम बना दिया

खुशहाल और सरमायेदार लोगों को जो बुराई और गुनाहों में मुत्तला हो गये और सारी कौम के लिये अज़ाब का सबब बने।

हज़रत अली और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक किराअत में यह लफ़्ज़ 'आमरुना' पढ़ा गया जिसकी तफ़सीर उन्हीं हज़रत से 'अक्सरुना' नक़ल की गई है, यानी जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अज़ाब भेजते हैं तो उसकी शुरूआती निशानी यह होती है कि उस कौम में खुशहाल सरमायेदार लोगों की अधिक संख्या कर दी जाती है और वे अपने गुनाहों और बदकारियों के ज़रिये पूरी कौम को अज़ाब में मुत्तला करने का सबब बन जाते हैं।

इनमें से पहली किराअत का हासिल तो यह हुआ कि ऐसे खुशहाल सरमायेदारों को कौम का हाकिम बना दिया जाता है, और दूसरी किराअत का हासिल यह है कि कौम में ऐसे लोगों की कसरत और अधिकता कर दी जाती है। इन दोनों से यह मालूम हुआ कि ऐश-पसन्द लोगों की हुकूमत या ऐसे लोगों की कौम में अधिकता कुछ खुशी की चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह के अज़ाब की निशानी है। हक़ तआला जब किसी कौम पर नाराज़ होते हैं और उसको अज़ाब में मुत्तला करना चाहते हैं तो उसकी शुरूआती पहचान यह होती है कि उस कौम के हाकिम व सरदार ऐसे लोग बना दिये जाते हैं जो ऐश-पसन्द, अय्याश हों, या हाकिम भी न बनें तो उस कौम के अफ़राद में ऐसे लोगों की अधिक संख्या कर दी जाती है। दोनों सूरतों का नतीजा यह होता है कि ये लोग इच्छा पूर्ति और लज़्ज़तों में मस्त होकर अल्लाह की नाफ़रमानियाँ खुद भी करते हैं और दूसरों के लिये भी उसकी राह हमवार करते हैं, आख़िरकार उन पर अल्लाह तआला का अज़ाब आ जाता है।

मालदार लोगों का कौम पर असर होना एक तबई चीज़ है

आयत में खुशहाल, अय्याशी में डूबे हुए और मालदारों का खुसूसियत से जिक्र करना इस तरफ़ इशारा है कि फ़ितरी तौर पर अ़वाम अपने मालदारों और हाकिमों के अख़्लाक व आमाल से प्रभावित होते हैं, जब ये लोग बुरे आमाल वाले हो जायें तो पूरी कौम बुरे आमाल वाली हो जाती है, इसलिये जिन लोगों को अल्लाह तआला ने माल व दौलत दिया है उनको इसकी ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिये कि अपने आमाल व अख़्लाक की इस्लाह (सुधार) करते रहें, ऐसा न हो कि ये ऐश-परस्ती में पड़कर इससे गाफ़िल हो जायें और पूरी कौम इनकी वजह से ग़लत रास्ते पर पड़ जाये, तो कौम के बुरे आमाल का ववाल भी उन पर पड़ेगा।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يُضِلُّهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝ وَمَنْ آرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نُبَدِّلُهُمْ لَآءَ وَهُولًا ۝ مَنْ عَطَاءَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

मन् का-न युरीदुल्-अजि-ल-त
 अज्जल्ना लहू फीहा मा नशा-उ
 लिमन्-नुरीदु सुम्-म जअल्ना लहू
 जहन्न-म यस्ताहा मजूममम्-मदहूरा
 (18) व मन् अरादल्-आखिर-त व
 सअा लहा सअ-यहा व हु-व
 मुअ्मिनुन् फ-उलाइ-क का-न
 सअ्युहुम् मश्कूरा (19) कुल्लन्-
 नुमिददु हाउला-इ व हाउला-इ मिन्
 अता-इ रब्बि-क, व मा का-न अता-उ
 रब्बि-क महज़ूरा (20) उन्जुर कै-फ
 फज्जल्ना बअ-ज़हुम् अला बअज़िन्,
 व लल्आखिरतु अक्बरु द-रजातिंव-व
 अक्बरु तफज़ीला (21)

जो कोई चाहता हो पहला घर जल्द दे दें
 हम उसको उसी में जितना चाहें जिसको
 चाहें, फिर ठहराया है हमने उसके वास्ते
 दोजख़, दाख़िल होगा उसमें अपनी बुराई
 सुनकर धकेला जाकर। (18) और जिसने
 चाहा पिछला घर और दौड़ की उसके
 वास्ते जो उसकी दौड़ है और वह यकीन
 पर है सो ऐसों की दौड़ ठिकाने लगी है।
 (19) हर एक को हम पहुँचाये जाते हैं
 उनको और उनको तेरे रब की बख़्शिश
 में से, और तेरे रब की बख़्शिश किसी ने
 नहीं रोक ली। (20) देख कैसा बढ़ा
 दिया हमने एक को एक से, और पिछले
 घर में तो और बड़े दर्जे हैं और बड़ी
 फज़ीलत। (21)

खुलासा-ए-तफसीर

जो शख़्स (अपने नेक आमाल से सिर्फ़) दुनिया (के नफ़े) की नीयत रखेगा (चाहे इसलिये कि वह आख़िरत का इनकारी है या इसलिये कि आख़िरत से गाफ़िल है) हम ऐसे शख़्स को दुनिया ही में जितना चाहेंगे (फिर यह भी सब के लिये नहीं बल्कि) जिसके वास्ते चाहेंगे फ़िलहाल ही दे देंगे (यानी दुनिया ही में कुछ जज़ा मिल जायेगी) फिर (आख़िरत में ख़ाक न मिलेगा बल्कि वहाँ) हम उसके लिये जहन्नम तजवीज़ कर देंगे, वह उसमें बदहाल (बारगाह से) निकाला हुआ होकर दाख़िल होगा। और जो शख़्स (अपने आमाल में) आख़िरत (के सवाब) की नीयत रखेगा और उसके लिये जैसी कोशिश करनी चाहिए वैसी ही कोशिश भी करेगा (मतलब यह है कि हर कोशिश भी मुफ़ीद नहीं बल्कि कोशिश सिर्फ़ वही मुफ़ीद है जो शरीअत और सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो, क्योंकि हुक्म ऐसी ही कोशिश का दिया गया है जो अमल और कोशिश शरीअत व सुन्नत के खिलाफ़ हो वह मक़बूल नहीं) शर्त यह है कि वह शख़्स मोमिन भी हो, सो ऐसे लोगों की यह कोशिश मक़बूल होगी (ग़र्ज़ कि अल्लाह तअ़ाला के यहाँ कामयाबी की शर्तें चार हुईं— अव्वल नीयत का सही होना यानी ख़ालिस आख़िरत के सवाब की नीयत होना, जिसमें नफ़्सानी ग़र्ज़ें

शामिल न हों, दूसरे उस नीयत के लिये अमल और कोशिश करना, सिर्फ़ नीयत व इरादे से कोई काम नहीं होता जब तक उसके लिये अमल न करे, तीसरे अमल का सही होना यानी कोशिश व अमल का शरीअत और सुन्नत के मुताबिक़ होना, क्योंकि मक़सद के खिलाफ़ दिशा में दौड़ना और कोशिश करना बजाय मुफ़ीद होने के मक़सद से और दूर कर देता है, चौथी शर्त जो सबसे अहम और सब की असल है वह अक़ीदे का सही होना यानी ईमान है। इन शर्तों के बग़ैर कोई अमल अल्लाह के नज़दीक़ मक़बूल नहीं, और काफ़िरों को दुनिया की नेमतें हासिल होना उनके आमाल की मक़बूलियत की निशानी नहीं, क्योंकि दुनिया की नेमतें अल्लाह की बारगाह के मक़बूल लोगों के लिये मख़सूस नहीं बल्कि आपके रब की (इस दुनियावी) अता में से तो हम उन (मक़बूल लोगों) की भी इमदाद करते हैं और उन (ग़ैर-मक़बूल लोगों) की भी (इमदाद करते हैं) और आपके रब की (यह दुनियावी) अता (किसी पर) बन्द नहीं। आप देख लीजिए कि हमने (इस दुनियावी अता में ईमान व कुफ़ की शर्त के बग़ैर) एक को दूसरे पर किस तरह बरतरी दी है (यहाँ तक कि अक्सर काफ़िर अक्सर मोमिनों से ज़्यादा नेमत व दौलत रखते हैं क्योंकि ये चीज़ें वक़अत के काबिल नहीं) और अलबत्ता आख़िरत (जो अल्लाह की बारगाह के मक़बूल बन्दों के साथ ख़ास है वह) दर्जों के एतिबार से भी बहुत बड़ी है और फ़ज़ीलत के एतिबार से भी (इसलिये एहतिमाम उसी का करना चाहिये)।

मअरिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में अपने अमल से सिर्फ़ दुनिया का इरादा करने वालों का और उनकी सज़ा का जो बयान फ़रमाया है उसके लिये तो अलफ़ाज़:

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ

इस्तेमाल फ़रमाये, जो किसी काम के लगातार और पाबन्दी से करते रहने पर दलालत करते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह जहन्नम की सज़ा सिर्फ़ उस सूरत में है कि उसके हर अमल में हर वक़्त सिर्फ़ दुनिया ही की गुर्ज़ छ़ाई हुई हो, आख़िरत की तरफ़ कोई ध्यान ही न हो। और आख़िरत का इरादा करने और उसकी जज़ा के बयान में लफ़ज़:

أَرَادَ الْآخِرَةَ

का इस्तेमाल फ़रमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि मोमिन जिस वक़्त भी जिस अमल में आख़िरत का इरादा और नीयत कर लेगा उसका वह अमल मक़बूल हो जायेगा, चाहे किसी दूसरे अमल की नीयत में कोई फ़साद (ख़राबी) भी शामिल हो गया हो।

पहला हाल सिर्फ़ काफ़िर और आख़िरत के मुन्किर का हो सकता है इसलिये उसका कोई भी अमल मक़बूल नहीं, और दूसरा हाल मोमिन का है उसका वह अमल जो सही और ख़ालिस नीयत के साथ आख़िरत के लिये हो और बाकी शर्तें भी मौजूद हों वह मक़बूल हो जायेगा, और उसके भी जिस अमल में इख़्लास न हो या दूसरी शर्तें न पाई जायें वह मक़बूल नहीं होगा।

बिदअत और अपनी राय का अमल कितना ही अच्छा नज़र आये मकबूल नहीं

इस आयत में कोशिश व अमल के साथ लफज़ 'सअ्यहा' बढ़ाकर यह बतला दिया गया है कि हर अमल और हर कोशिश न मुफीद होती है न अल्लाह के यहाँ मकबूल, बल्कि अमल व कोशिश वही मोतबर है जो मकसद (आखिरत) के मुनासिब हो, और मुनासिब होना या न होना यह सिर्फ अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान से ही मालूम हो सकता है, इसलिये जो नेक आमाल अपनी राय से और मन-गढ़त तरीकों से किये जाते हैं जिनमें बिदअतों की रस्में शामिल हैं वो देखने में कितने ही भले और मुफीद नज़र आये मगर आखिरत के लिये मुनासिब कोशिश नहीं, इसलिये ने वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल हैं और न आखिरत में कारामद।

और तफसीर रूहुल-मआनी ने 'सअ्यहा' की व्याख्या में कोशिश के सुन्नत के मुताबिक होने के साथ यह भी लिखा है कि उस अमल में इस्तिफामत (जमाव) भी हो, यानी अमल मुफीद सुन्नत के मुताबिक भी हो और उस पर जमाव और पाबन्दी भी हो, बद-नज़मी के साथ कभी कर लिया कभी न किया, इससे पूरा फायदा नहीं होता।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُعَدُّ دُونَهُمْ أَكْفَانًا ۖ وَقَصَىٰ رَبِّكَ آلَ عَبْدِ وَاللَّيَالِيٰ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ۗ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ رَبِّكُمْ أََعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۖ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۖ

ला तजअल् मअल्लाहि इलाहन
आख्र-र फ-तकअु-द मजूमम-
मरज़ूला (22) ❀

व कज़ा रब्बु-क अल्ला तअबुदू इल्ला
इय्याहु व बिल्-वालिदैनि इहसानन्,
इम्मा यब्लुगन्-न अिन्द-कल्-कि-बर
अ-हदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तकुल्-

मत ठहरा अल्लाह के साथ दूसरा हाकिम
फिर बैठ रहेगा तू इज़ाम खाकर बेकस
होकर। (22) ❀

और हुक्म कर चुका तेरा रब कि न पूजा
उसके सिवाय और माँ बाप के साथ
भलाई करो अगर पहुँच जाये तेरे सामने
बुढ़ापे को एक उनमें से या दोनों तो न
कह उनको 'हूँ' और न झिड़क उनको,

लहुमा उफिफ्व-व ला तन्हरहुमा व
कुल्- लहुमा कौलन् करीमा (23)
वखिफज़् लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि
मिनरस्मति व कुर्रिब्बिर्हम्हुमा कमा
रब्बयानी सगीरा (24) रब्बुकुम्
अज़लमु बिमा फी नुफूसिकुम् इन्
तकूनू सालिही-न फ-इन्नहू का-न
लिल्-अव्वाबी-न ग़फ़ूरा (25)

और कह उनसे बात अदब की। (23)
और झुका दे उनके आगे कन्धे अज़िज़ी
कर कर नियाज़ मन्दी से, और कह ऐ
रब! इन पर रहम कर जैसा कि पाला
इन्होंने मुझको छोटा-सा। (24) तुम्हारा
रब खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है
अगर तुम नेक होगे तो वह रज़ू करने
वालों को बख़्शाता है। (25)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहली आयतों में आमाज़ के क़बूल होने के लिये चन्द शर्तों का बयान आया है जिनमें एक शर्त यह भी थी कि मक़बूल अमल वही हो सकता है जो ईमान के साथ हो और शरीअत व सुन्नत के मुताबिक़ हो। इन आयतों में ऐसे ही ख़ास-ख़ास आमाज़ की हिदायत की गई है जो शरीअत के बतलाये हुए अहकाम हैं, उन पर अमल करना आख़िरत की फ़लाह और उनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी आख़िरत की हलाकत का सबब है, और चूँकि उक्त शर्तों में सबसे अहम शर्त ईमान की है इसलिये सबसे पहला हुक्म भी तौहीद का बयान फ़रमाया उसके बाद बन्दों के हुक्क से संबन्धित अहकाम हैं।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

पहला हुक्म तौहीद:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ.

(ऐ मुखातब!) अल्लाह के साथ कोई और माबूद मत तजवीज़ कर (यानी शिर्क न कर) वरना तू बदहाल, बेमददगार होकर बैठ रहेगा। (आगे फिर इसकी ताकीद है) तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि सिवाय उस (माबूदे बरहक) के किसी और की इबादत मत कर (यह आख़िरत की कोशिश के तरीके की तफ़सील है)।

दूसरा हुक्म माँ-बाप के हुक्क अदा करना:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

और तुम (अपने) माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो, अगर (वे) तेरे पास (हों और)

उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे (की उम्र) को पहुँच जाएँ (जिसकी वजह से खिदमत के मोहताज हो जायें और जबकि तबई तौर पर उनकी खिदमत करना भारी मालूम हो) तो (उस वक़्त भी इतना अदब करो कि) उनको कभी (हाँ से) हूँ भी मत करना और न उनको झिड़कना, और उनसे खूब अदब से बात करना। और उनके सामने मेहरबानी से आजिजी के साथ झुके रहना, और (उनके लिये हक़ तआला से) यूँ दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरिगार! इम दोनों पर रहमत फरमाइये जैसा कि इन्होंने मुझको बचपन (की उम्र) में पाला, परवरिश किया है (और सिर्फ़ इस जाहिरी अदब व सम्मान पर बस मत करना, दिल में भी उनका अदब और इताअत का इरादा रखना, क्योंकि) तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों की बात को खूब जानता है (और इसी वजह से तुम्हारे लिये इस पर अमल करने को आसान करने के वास्ते एक आसानी का हुक्म भी सुनाते हैं कि) अगर तुम (हकीकत में दिल ही से) सआदत मन्द हो (और ग़लती या तुनक-मिज़ाजी या दिली तंगी से कोई जाहिरी कोताही हो जाये और फिर नादिम होकर माज़िरत कर लो) तो वह तौबा करने वालों की ख़ता माफ़ कर देता है।

मअरिफ़ व मसाईल

माँ-बाप के अदब व एहतिराम और इताअत की बड़ी अहमियत

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस आयत में हक़ तआला ने माँ-बाप के अदब व एहतिराम और उनके साथ अच्छा सुलूक करने को अपनी इबादत के साथ मिलाकर वाजिब फरमाया है जैसा कि सूर: लुक़मान में अपने शुक्र के साथ माँ-बाप के शुक्र को मिलाकर लाज़िम फरमाया है:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِرَبِّكَ

(यानी मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ-बाप का भी) इससे साबित होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की इबादत के बाद माँ-बाप की फरमाँबरदारी सबसे अहम और अल्लाह तआला के शुक्र की तरह माँ-बाप का शुक्रगुज़ार होना वाजिब है। सही बुख़ारी की यह हदीस भी इसी पर सुबूत है जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक शख़्स ने सवाल किया कि “अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल क्या है?” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि “नमाज़ अपने (मुस्तहब) वक़्त में।” उसने फिर मालूम किया, उसके बाद कौनसा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आपने फरमाया “माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक।” (तफ्सीरे कुर्तुबी)

माँ-बाप की फरमाँबरदारी व खिदमत के फ़ज़ाईल हदीस की रिवायतों में

1. मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुस्तदरक हाकिम में सही सनद से हज़रत अबू दर्दा रिज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि “बाप

जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, अब तुम्हें इख़्तियार है कि उसकी हिफ़ाज़त करो या जाया कर दो।" (तफ़्सीर मज़हरी)

2. जामे तिमिज़ी व मुस्तद्दक हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रिवायत है और हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी बाप की नाराज़ी में।"

3. इब्ने माजा ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि औलाद पर माँ-बाप का क्या हक़ है? आपने फ़रमाया कि "वे दोनों ही तेरी जन्नत या दोज़ख़ हैं। मतलब यह है कि उनकी इताअत व ख़िदमत जन्नत में ले जाती है और उनकी बेअदबी और नाराज़ी दोज़ख़ में।

4. बैहकी ने शुअबुल-ईमान में और इब्ने असाकिर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स अल्लाह के लिये अपने माँ-बाप का फ़रमाँबरदार रहा उसके लिये जन्नत के दो दरवाज़े खुले रहेंगे, और जो उनका नाफ़रमान हुआ उसके लिये जहन्नम के दो दरवाज़े खुले रहेंगे, और अगर माँ या बाप में से कोई एक ही था तो एक दरवाज़ा (जन्नत या दोज़ख़ का खुला रहेगा)।" इस पर एक शख़्स ने सवाल किया कि (यह जहन्नम की वईद) क्या उस सूरत में भी है कि माँ-बाप ने उस शख़्स पर जुल्म किया हो? तो आपने तीन मर्तबा फ़रमाया:

وَأَنْ ظَلَمْنَا، وَأَنْ ظَلَمْنَا، وَأَنْ ظَلَمْنَا

(यानी माँ-बाप की नाफ़रमानी और उनको तकलीफ़ पहुँचाने पर जहन्नम की वईद है चाहे माँ-बाप ने ही लड़के पर जुल्म किया हो। जिसका ह्यसिल यह है कि औलाद को माँ-बाप से बदला लेने का हक़ नहीं कि उन्होंने जुल्म किया तो यह भी उनकी ख़िदमत व इताअत से हाथ खींच लें)।

5. बैहकी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो ख़िदमतगार बेटा अपने माँ-बाप पर रहमत व शफ़क़त की नज़र डालता है तो हर नज़र के बदले में एक मक़बूल हज़ का सवाब पाता है। लोगों ने अर्ज़ किया कि अगर वह दिन में सौ मर्तबा इस तरह नज़र कर ले? आपने फ़रमाया कि "हाँ सौ मर्तबा भी (हर नज़र पर यह सवाब मिलता रहेगा), अल्लाह तआला बड़ा है (उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं आती)।"

माँ-बाप की हक़-तल्फ़ी की सज़ा आख़िरत से पहले

दुनिया में भी मिलती है

6. बैहकी ने शुअबुल-ईमान में अबी बकरा की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि और सब गुनाहों की सज़ा तो अल्लाह तज़ाला जिसको चाहते हैं क़ियामत तक टाल देते हैं सिवाय माँ-बाप की हक़-तल्फ़ी और नाफ़रमानी के कि इसकी सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी दी जाती है (ये सब रिवायतें तफ़सीरे मज़हरी से नक़ल की गई हैं)।

माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी किन चीज़ों में वाजिब है और कहाँ मुख़ालफ़त की गुंजाईश है

इस पर उलेमा व फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है कि माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी सिर्फ़ जायज़ कामों में वाजिब है, नाजायज़ या गुनाह के काम में फ़रमाँबरदारी वाजिब तो क्या जायज़ भी नहीं। हदीस में है:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

(यानी ख़ालिफ़ की नाफ़रमानी में किसी मख़्लूक की इताअत जायज़ नहीं।)

माँ-बाप की ख़िदमत और अच्छे सुलूक के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं

इमाम कुतुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस मसले की शहादत में हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह वाकिआ सही बुख़ारी से नक़ल किया है कि हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी माँ जो मुश्रिका है मुझसे मिलने के लिये आती है, क्या मेरे लिये जायज़ है कि मैं उसकी ख़ातिर मुदारात करूँ? आपने फ़रमाया:

صلى أمك

(यानी अपनी माँ की सिला-रहमी और ख़ातिर-मुदारात करो) और काफ़िर माँ-बाप के बारे में खुद क़ुरआने करीम का यह इरशाद मौजूद है:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

यानी जिसके माँ-बाप काफ़िर हों और उसको भी काफ़िर होने का हुक्म दें तो उनका इस मामले में हुक्म मानना जायज़ नहीं, मगर दुनिया में उनके साथ परिचित तरीक़े से बर्ताव किया जाये। ज़ाहिर है कि परिचित तरीक़े से यही मुराद है कि उनके साथ मुदारात का मामला करें।

मसला: जब तक जिहाद फ़र्ज़-ऐन (हर एक पर लाज़िमी फ़र्ज़) न हो जाये, फ़र्ज़-किफ़ाया के दर्जे में रहे उस वक़्त तक किसी लड़के के लिये बग़ैर उनकी इजाज़त के जिहाद में शरीक होना जायज़ नहीं। सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में जिहाद में शरीक होने की इजाज़त

लेने के लिये हाज़िर हुआ, आपने उससे पूछा कि "क्या तुम्हारे माँ-बाप जिन्दा हैं?" उसने अर्ज़ किया कि हाँ जिन्दा हैं। आपने फरमाया:

فهموا لجاهد

यानी बस तो अब तुम माँ-बाप की ख़िदमत में रहकर जिहाद करो। मतलब यह है कि उनकी ख़िदमत ही में तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जायेगा। दूसरी रिवायत में इसके साथ यह भी बयान हुआ है कि उस शख्स ने यह बयान किया कि मैं अपने माँ-बाप को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि "जाओ उनको हंसाओ जैसा कि उनको रुलाया है।" यानी उनसे जाकर कह दो कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ़ जिहाद में नहीं जाऊँगा। (तफसीरे क़ुर्तुबी)

मसला: इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब कोई चीज़ फ़र्जे-ऐन या वाजिबुल-ऐन न हो किफ़ायत के दर्जे में हो तो औलाद के लिये वह काम बग़ैर माँ-बाप की इजाज़त के जायज़ नहीं। इसमें दीन का मुकम्मल इल्म हासिल करना और दीन की तब्लीग़ के लिये सफ़र करने का हुक्म भी शामिल है, कि दीन का इल्म फ़र्ज़ हिस्से के बराबर जिसको हासिल हो वह आलिम बनने के लिये सफ़र करे या लोगों को तब्लीग़ व दावत के लिये सफ़र करे तो बग़ैर माँ-बाप की इजाज़त के जायज़ नहीं।

मसला: माँ-बाप के साथ जो अच्छे सुलूक का हुक्म क़ुरआन व हदीस में आया है इसमें यह भी दाख़िल है कि जिन लोगों से माँ-बाप की रिश्तेदारी या दोस्ती थी उनके साथ भी अच्छे सुलूक का मामला करे, खुसूसन उनकी वफ़ात के बाद। सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि "बाप के साथ बड़ा सुलूक यह है कि उसके मरने के बाद उसके दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करे। और हज़रत अबू उसैद बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नक़ल किया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बैठा था एक अन्सारी शख्स आया और सवाल किया या रसूलुल्लाह! माँ-बाप के इन्तिकाल के बाद भी उनका कोई हक़ मेरे जिम्मे बाकी है? आपने फरमाया हाँ! उनके लिये दुआ और इस्तिग़फ़ार करना और जो अहद उन्होंने किसी से किया था उसको पूरा करना और उनके दोस्तों का अदब व सम्मान करना और उनके ऐसे रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी का बर्ताव करना जिनकी अज़ीज़ दारी का रिश्ता सिर्फ़ उन्हीं के वास्ते से है। माँ-बाप के ये हुक्कू हैं जो उनके बाद भी तुम्हारे जिम्मे बाकी हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदत थी कि हज़रत ख़दीजा उम्मुल-भोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद उनकी सहेलियों के पास हदिया भेजा करते थे, जिससे हज़रत ख़दीजा का हक़ अदा करना मक़सद था।

माँ-बाप के अदब की रियायत खुसूसन बुढ़ापे में

माँ-बाप की ख़िदमत व फ़रमाँबरदारी माँ-बाप होने की हैसियत से किसी ज़माने में और

किसी उम्र के साथ मुकैयद नहीं, हर हाल और हर उम्र में माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक वाजिब है, लेकिन वाजिबात व फ़राईज़ की अदायेगी में जो हालात आदतन रुकावट बना करते हैं उन हालात में कुरआने करीम का आम अन्दाज़ यह है कि अहकाम पर अमल को आसान करने के लिये विभिन्न पहलुओं से ज़ेहनों की तरबियत भी करता है और ऐसे हालात में अहकाम पर अमल करने की पाबन्दी की और अधिक ताकीद भी।

माँ-बाप के बुढ़ापे का ज़माना जबकि वे औलाद की ख़िदमत के मोहताज हो जायें, उनकी ज़िन्दगी औलाद के रहम व करम पर रह जाये, उस वक़्त अगर औलाद की तरफ़ से ज़रा-सी बेरुख़ी भी महसूस हो तो वह उनके दिल का ज़ख़्म बन जाती है। दूसरी तरफ़ बुढ़ापे के अवारिज़ तबई तौर पर इनसान को चिड़चिड़ा बना देते हैं। तीसरे बुढ़ापे के आख़िरी दौर में जब अक्ल व समझ भी जवाब देने लगते हैं तो उनकी इच्छायें व मुतालबे कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जिनका पूरा करना औलाद के लिये मुशिकल होता है, कुरआने करीम ने इन हालात में माँ-बाप की दिलजोई और राहत पहुँचाने के अहकाम देने के साथ इनसान को उसका बचपन का ज़माना याद दिलाया कि किसी वक़्त तुम भी अपने माँ-बाप के इससे ज़्यादा मोहताज थे जिस क़द्र आज वे तुम्हारे मोहताज हैं, तो जिस तरह उन्होंने अपनी राहत व इच्छाओं को उस वक़्त तुम पर कुरबान किया और तुम्हारी बेअक़ली की बातों को प्यार के साथ बरदाश्त किया, अब जबकि उन पर मोहताजी का यह वक़्त आया तो अक्ल व शराफ़त का तकाज़ा है कि उनके इस पहले वाले एहसान का बदला अदा करो। आयत में:

كَمَارَبْنِي صَغِيرًا

से इसी तरफ़ इशारा किया गया है और उक्त आयतों में माँ-बाप के बुढ़ापे की हालत को पहुँचने के वक़्त चन्द ताकीदी अहकाम दिये गये हैं।

अब्वल यह कि उनको उफ़ भी न कहे। लफ़ज़ उफ़ से मुराद ऐसा लफ़ज़ और बात है जिससे अपनी नागवारी का इज़हार हो, यहाँ तक कि उनकी बात सुनकर इस तरह लम्बा साँस लेना जिससे उन पर नागवारी का इज़हार हो वह भी इसी कलिमे उफ़ में दाख़िल है। एक हदीस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि तकलीफ़ पहुँचाने में उफ़ कहने से भी कम कोई दर्जा होता तो यकीनन वह भी ज़िक्र किया जाता (हासिल यह है कि जिस चीज़ से माँ-बाप को कम से कम भी तकलीफ़ पहुँचे वह भी मना है)।

दूसरा हुक्म है 'व ला तन्हरहुमा'। लफ़ज़ 'नहर' के मायने झिड़कने डाँटने के हैं, इसका तकलीफ़ का सबब होना ज़ाहिर है।

तीसरा हुक्म है 'कुलू लहुमा कौलन्-करीमा'। पहले दो हुक्म मनफ़ी पहलू से संबन्धित थे जिनमें माँ-बाप की मामूली से मामूली उस चीज़ को रोका गया है जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। इस तीसरे हुक्म में सकारात्मक अन्दाज़ से माँ-बाप के साथ बातचीत का अदब सिखलाया

गया है कि उनसे मुहब्बत व शफकत के नर्म लहजे में बात की जाये। हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया जिस तरह कोई गुलाम अपने सख्त-मिजाज आका से बात करता है।

चौथा हुक्म है 'वख़िफ़ज़ लहुमा जनाहज़्जुल्लि मिनरस्मति'। जिसका हासिल यह है कि उनके सामने अपने आपको आजिज़ व ज़लील आदमी की सूरत में पेश करे, जैसे गुलाम आका के सामने। जनाह के मायने बाज़ू के हैं, लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि माँ-बाप के लिये अपने बाज़ू आजिज़ी और ज़िल्लत के साथ झुकाये। आख़िर में 'मिनरस्मति' के लफ़्ज़ से एक तो इस पर सचेत किया कि माँ-बाप के साथ यह मामला महज़ दिखावे का न हो बल्कि दिली रहमत व इज़्ज़त की बुनियाद पर हो, दूसरे शायद इशारा इस तरफ भी है कि माँ-बाप के सामने ज़िल्लत के साथ पेश आना असली इज़्ज़त का पहला क़दम है, क्योंकि यह वास्तविक ज़िल्लत नहीं बल्कि इसका सबब शफकत व रहमत है।

पाँचवाँ हुक्म है 'व क़ुरबिर्हम्हुमा'। जिसका हासिल यह है कि माँ-बाप को पूरी राहत पहुँचाना तो इनसान के बस की बात नहीं, अपनी हिम्मत भर राहत पहुँचाने की फ़ि़क़ के साथ उनके लिये अल्लाह तज़ाला से भी दुआ करता रहे कि अल्लाह तज़ाला अपनी रहमत से उनकी सब मुश्किलों को आसान और तकलीफ़ों को दूर फरमाये। यह आख़िरी हुक्म ऐसा विस्तृत और आ़म है कि माँ-बाप की वफ़ात के बाद भी जारी है, जिसके ज़रिये वह हमेशा माँ-बाप की ख़िदमत कर सकता है।

मसला: माँ-बाप अगर मुसलमान हों तो उनके लिये रहमत की दुआ ज़ाहिर है, लेकिन अगर वे मुसलमान न हों तो उनकी ज़िन्दगी में यह दुआ इस नीयत से जायज़ होगी कि उनको दुनियावी तकलीफ़ से निजात हो और ईमान की तौफ़ीक़ हो, मरने के बाद उनके लिये रहमत की दुआ जायज़ नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, संक्षिप्तता के साथ)

एक अजीब वाकिअ

इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी मुत्तसिल सनद के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आपने फरमाया कि अपने वालिद (बाप) को बुलाकर लाओ।-उसी वक़्त हज़रत जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि जब इसका बाप आ जाये तो आप उससे पूछें कि वो कलिमात क्या हैं जो उसने दिल में कहे हैं, खुद उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना? जब यह शख्स अपने वालिद को लेकर पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है। क्या आप चाहते हैं कि इसका माल छीन लें? वालिद ने अर्ज़ किया कि आप इसी से यह सवाल फरमायें कि मैं इसकी फूफी ख़ाला या अपने नफ़स के सिवा कहाँ ख़र्च करता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि 'ईह' (जिसका मतलब यह था कि बस हकीकत मालूम हो गई अब

और कुछ कहने-सुनने की ज़रूरत नहीं।

इसके बाद उसके वालिद से दरियाफ्त किया कि वे कलिमात क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! हमें हर मामले में अल्लाह तआला आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा देते हैं (जो बात किसी ने नहीं सुनी उसकी आपको इतिला हो गई जो एक मौजिज़ा है) फिर उसने अर्ज किया कि यह एक हकीकत है कि मैंने चन्द अश्आर दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना। आपने फरमाया कि वो हमें सुनाओ, उस वक़्त उसने ये निम्नलिखित अश्आर सुनाये।

عَذْرَتُكَ مَوْلُودًا وَمَنْتَكَ يَا لَعْنًا ☆ تَعْلُ بِمَا أَجْنَيْ عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

“मैंने तुझे बचपन में गिज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था।”

إِذَا لَيْلَةٌ ضَاغَتْكَ بِالْقَسَمِ لَمْ أَبْتَ ☆ لَسَقَمَكَ إِلَّا سَاهِرًا التَّمْلَمَلُ

“जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब जागने और बेकरारी में गुज़ार दी।”

كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِاللَّيِّ ☆ طُرُقْتُ بِهِ دُونِي فَعَبِنِي نَهْمَلُ

“गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं तमाम रात रोता रहा।”

تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنِّهَا ☆ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُ مَوْجَلُ

“मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा हालाँकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुक़र्र है आगे पीछे नहीं हो सकती।”

فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْعَايَةَ أَلْتَنِي ☆ إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتَ لِيكَ أَوْجَلُ

“फिर जब तुम उस उम्र और हद तक पहुँच गये जिसकी मैं तमन्ना किया करता था।”

جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفِظَاظَةً ☆ كَانَتْ أَنْتَ الْمَنْعَمُ الْمَفْضِلُ

“तो तुमने मेरा बदला सख़्त और सख़्त-कलामी बना दिया, गोया कि तुम्हीं मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो।”

فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرَعْ حَقِّي أَبُوتِي ☆ فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمَصَالِبُ يَفْعَلُ

“काश! अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा ही कर लेते जैसा एक शरीफ़ पड़ोसी किया करता है।”

فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ ☆ عَلَيَّ بِمَالِ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ

“तो कम से कम मुझे पड़ोसी का हक़ तो दिया होता और खुद मेरे ही माल में मेरे हक़ में कन्ज़ूसी से काम न लिया होता।”

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये अश्आर सुने तो बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया:

أَنْتَ وَمَالِكَ لِأَبِيكَ.

यानी जा तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। (तफसीरे कुर्तुबी पेज 246 जिल्द 10) ये अश्आर अरबी अदब (साहित्य) की मशहूर किताब हमासा में भी नकल किये गये मगर इनको उमैया बिन अबिस्सुलत शायर की तरफ मन्सूब किया है और कुछ लोगों ने कहा है कि यह अबुल-अज़ला के अश्आर हैं। बाज़ लोगों ने इनकी निस्बत अबुल-अब्बास अज़मा की तरफ की है। (हाशिया तफसीरे कुर्तुबी)

उपर्युक्त आयतों में से आखिरी आयत:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

(यानी आयत नम्बर 25) में उस दिली तंगी को दूर फरमा दिया गया है जो माँ-बाप के अदब व सम्मान से सम्बन्धित उक्त अहकाम से औलाद के दिल में पैदा हो सकती है, कि माँ-बाप के साथ हर वक्त रहना है, उनके और अपने हालत भी हर वक्त एक जैसे और बराबर नहीं होते, किसी वक्त ज़बान से कोई कलिमा ऐसा निकल गया जो उपरोक्त आदाब के खिलाफ हो तो उस पर जहन्नम की वईद (सज़ा की घमकी) है, इस तरह गुनाह से बचना सख्त मुश्किल होगा। इस आयत में इस शुब्हे और इसे दिली तंगी को दूर करने के लिये फरमाया कि बगैर इरादे के बेअदबी के कभी किसी परेशानी या ग़फ़लत से कोई कलिमा निकल जाये और फिर उससे तौबा कर ले तो अल्लाह तआला दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं कि वह कलिमा बेअदबी या तकलीफ़ पहुँचाने के लिये नहीं कहा था वह माफ़ फरमाने वाले हैं। लफ़्ज़ अव्वाबीन तव्वाबीन के मायने में है। हदीस में मगरिब के बाद की छह रकअतों और इश्राक़ की नवाफ़िल को 'सलात-ए-अव्वाबीन' कहा गया है जिसमें इशारा है कि इन नमाज़ों की तौफीक़ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अव्वाबीन और तव्वाबीन (अल्लाह की तरफ़ रुजू करने वाले और तौबा करने वाले) हैं।

وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَالْمُسْكِينِ

وَأَنَّ السَّبِيلَ وَلَا تَبْدُرُ تَبْدِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

व आति जल्कुरबा हक्कहू वल्-
मिस्की-न वबनस्सबीलि व ला
तुबज़िर् तब्ज़ीरा (26) इन्नल्-
मुबज़िरी-न कानू इख्वानशशयातीनि,
व कानशैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा (27)

और दे कराबत वाले को उसका हक् और
मोहताज को और मुसाफिर को, और मत
उड़ा बेजा। (26) बेशक अड़ाने वाले भाई
हैं शैतानों के, और शैतान है अपने रब
का नाशुका। (27)

इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से ताल्लुक

इन दोनों आयतों में बन्दों के हुक्क के बारे में दो और हुक्म बयान हुए हैं— पहला माँ-बाप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों और आम मुसलमानों के हुक्क। दूसरा खर्च करने में फ़ुज़ूलखर्ची की मनाही। मुख्तसर तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

और कराबतदार “यानी रिश्तेदार” को उसका (माली और ग़ैर-माली) हक़ देते रहना और मोहताज व मुसाफ़िर को भी (उनके हुक्क) देते रहना और (माल को) बेमौका मत उड़ाना, बेशक बेमौका उड़ाने वाले शैतानों के भाई-बन्द हैं (यानी उनके जैसे हैं) और शैतान अपने परवर्दिगार का बड़ा नाशुक्रा है (कि हक़ तआला ने उसको अक्ल की दौलत दी उसने उस अक्ल की दौलत को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में खर्च किया। इसी तरह फ़ुज़ूलखर्ची करने वालों को अल्लाह तआला ने माल की दौलत दी मगर वे उसको अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में खर्च करते हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

आम रिश्तेदारों के हुक्क का ख़ास ख़्याल

पिछली आयतों में माँ-बाप के हुक्क और उनके अदब व एहतिराम की तालीम थी, इस आयत में आम रिश्तेदारों के हुक्क का बयान है कि हर रिश्ते का हक़ अदा किया जाये जो कम से कम उनके साथ अच्छा बर्ताव और उम्दा सुलूक है। और अगर वे ज़रूरत मन्द हों तो उनकी माली इमदाद भी अपनी गुंजाईश के मुताबिक़ इसमें दाख़िल है। इस आयत से इतनी बात तो साबित हो गई कि हर शख्स पर उसके आम रिश्तेदार अजीजों का भी हक़ है, वह क्या और कितना है इसकी तफ़सील बयान नहीं हुई, मगर आम सिला-रहमी और अच्छे बर्ताव का इसमें दाख़िल होना वाज़ेह है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक़ इसी फ़रमान के तहत जो रिश्तेदार जी-रहम मेहरम हो, अगर वह औरत या बच्चा है जिनके पास अपने गुज़ारे का सामान नहीं और कमाने पर भी क़ुदरत नहीं, इसी तरह जो रिश्तेदार जी-रहम मेहरम अपाहिज या अंधा हो और उसकी मिल्क में इतना माल नहीं जिससे उसका गुज़ारा हो सके तो उनके जिन रिश्तेदारों में इतनी गुंजाईश है कि वे उनकी मदद कर सकते हैं उन पर उन सब का नफ़का (खाना-खर्ची) फ़र्ज़ है, और अगर एक ही दर्जे के कई रिश्तेदार गुंजाईश वाले हों तो उन सब पर तक़सीम करके उनका गुज़ारा नफ़का दिया जायेगा। सूर: ब-क़रह की आयत:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

(यानी आयत नम्बर 233) से भी यह हुक्म साबित है। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस आयत में रिश्तेदारों, मिस्कीन और मुसाफ़िर को माली मदद देने और सिला-रहमी करने

को उनका हक फरमाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि देने वाले को उन पर एहसान जताने का कोई मौका नहीं, क्योंकि उनका हक उसके जिम्मे फर्ज है, देने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा है किसी पर एहसान नहीं कर रहा।

फुजूलखर्ची की मनाही

फुजूलखर्ची के मायने को कुरआने करीम ने दो लफ्जों से ताबीर फरमाया है— एक तब्ज़ीर और दूसरे इस्राफ़। तब्ज़ीर की मनाही तो इसी ऊपर बयान हुई आयत में वाज़ेह है, इस्राफ़ की मनाही 'व ला तुस्फ़ू' वाली आयत से साबित है। कुछ हज़रत ने फरमाया कि दोनों लफ्ज एक जैसे मायने वाले हैं। किसी नाफरमानी में या बेमौका ग़लत जगह खर्च करने को तब्ज़ीर व इस्राफ़ कहा जाता है, और कुछ हज़रत ने इसमें यह तफसील बयान की है कि किसी गुनाह में या बिल्कुल बेमौका बेमहल खर्च करने को तब्ज़ीर कहते हैं और जहाँ खर्च करने का जायज़ मौका तो हो मगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाये उसको इस्राफ़ कहते हैं। इसलिये तब्ज़ीर इस्राफ़ के मुकाबले में ज़्यादा सख्त है, मुबज़्ज़ीरिन (फुजूलखर्ची करने वालों) को शैतान का भाई करार दिया गया है।

इमामे तफसीर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई अपना सारा माल हक के लिये खर्च कर दे तो वह तब्ज़ीर नहीं, और अगर बातिल (ग़ैर-हक और ग़लत काम) के लिये एक मुद्द (आधा सैर) भी खर्च करे तो वह तब्ज़ीर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ग़ैर-हक में बेमौका खर्च करने का नाम तब्ज़ीर है। (तफसीरे मज़हरी) इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि तब्ज़ीर यह है कि इनसान माल को हासिल तो हक के मुताबिक करे मगर खिलाफे हक खर्च कर डाले, और इसका नाम इस्राफ़ भी है और यह हराम है। (तफसीरे कुर्तुबी)

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि हराम व नाजायज़ काम में तो एक दिरहम खर्च करना भी तब्ज़ीर है, और जायज़ व मुबाह इच्छाओं में हद से ज़्यादा खर्च करना जिससे आगे चलकर मोहताज फ़कीर हो जाने का खतरा हो जाये यह भी तब्ज़ीर में दाख़िल है, हाँ! अगर कोई शख्स अपनी असल जमा को महफूज़ रखते हुए उसके मुनाफ़े को अपनी जायज़ ज़रूरतों और इच्छाओं में वुस्अत के साथ खर्च करता है तो वह तब्ज़ीर में दाख़िल नहीं।

(तफसीरे कुर्तुबी पेज 248 जिल्द 10)

وَمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ أَيْقَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

व इम्मा तुअरिज़न्-न अन्हुमुब्तिगा-अ
रश्मतिम्-मिर्बिब-क तरजूहा फ़कुल्-
लहुम् कौलम्-मैसूरा (28)

और अगर कमी तू बेतवज्जोही करे
उनकी तरफ से इन्तिज़ार में अपने रब की
मेहरबानी के जिसकी तुझको उम्मीद है तो
कह दे उनको बात नर्मी की। (28)

इस आयत के मजमून का पीछे से संबन्ध

इस आयत में बन्दों के हुक्म से संबन्धित पाँचवाँ हुक्म यह दिया गया है कि अगर किसी वक़्त ज़रूरत मन्दों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक़ देने का इन्तिज़ाम न हो सके तो उस वक़्त भी उनको रूखा जवाब न दिया जाये बल्कि हमदर्दी के साथ आईन्दा सहूलत की उम्मीद दिलाई जाये। आयत की तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर (किसी वक़्त तुम्हारे पास उन लोगों को देने के लिये माल न हो और इसलिये) तुमको उस रिज़्क के इन्तिज़ार में जिसकी अपने परबर्दिगार की तरफ़ से आने की उम्मीद हो (उसके न आने तक) उनसे दामन बचाना पड़े तो (इतना ख़्याल रखना कि) उनसे नर्मी की बात कह देना (यानी दिलजोई के साथ उनसे वायदा कर लेना कि इन्शा-अल्लाह तआला कहीं से आयेगा तो देंगे, दिल दुखाने वाला जवाब मत देना)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके वास्ते से पूरी उम्मत की अज़ीब अख़्लाकी तरबियत है कि अगर किसी वक़्त ज़रूरत मन्द लोग सवाल करें और आपके पास देने को कुछ न हो इसलिये उन लोगों से मुँह फेरने पर मजबूर हो तो भी आपका यह बेतवज्जोही बरतना बेपरवाही या मुखातब के लिये अपमान जनक न होना चाहिये बल्कि यह किनारा करना अपनी अज़िज़ी व मजबूरी के इज़हार के साथ होना चाहिये।

इस आयत के शाने नुज़ूल में इब्ने ज़ैद की रिवायत यह है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से माल का सवाल किया करते थे और आपको मालूम था कि इनको दिया जायेगा तो ये फ़साद (ख़राबी फैलाने) में खर्च करेंगे इसलिये आप उनको देने से इनकार कर देते थे कि यह इनकार उनको फ़साद से रोकने का ज़रिया है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मुस्तद सईद बिन मन्सूर में सबा बिन हक़म की रिवायत से यह मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कुछ कपड़ा आया था, आपने उसको मुस्तहिक़ लोगों में तफ़सीम फ़रमा दिया, उसके बाद कुछ और लोग आये जबकि आप फ़ारिग़ हो चुके थे और कपड़ा ख़त्म हो चुका था, उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۗ

व ला तजूअल् य-द-क मग्लू-लतन्
इला अुनुकि-क व ला तब्सुत्हा
कुल्लल्बस्ति फ-तक्कु-द मलूमम्-
मह्सूरा (29) इन्-न रब्ब-क
यब्सुतुरिर्ज़-क् लिमंय्यशा-उ व
यक्दिदरु, इन्हू का-न बिअिबादिही
खबीरम्-बसीरा (30) ❀

और न रख अपना हाथ बंधा हुआ अपनी
गर्दन के साथ और न खोल दे उसको
बिल्कुल खोल देना, फिर तू बैठ रहे
इल्जाम खाया हारा हुआ। (29) तेरा रब
खोल देता है रोज़ी जिसके वास्ते चाहे और
तंग भी वही करता है, वही है अपने बन्दों
को जानने वाला देखने वाला। (30) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और न तो अपना हाथ गर्दन ही से बाँध लो (कि हद से ज्यादा कन्जूसी से बिल्कुल हाथ खर्च करने से रोक लो) और न बिल्कुल ही खोल देना चाहिए (कि ज़रूरत से ज्यादा खर्च करके फुजूलखर्ची की जाये) वरना इल्जाम लिये हुए (और) खाती हाथ होकर बैठ रहोगे (और किसी की ग़रीबी व तंगदस्ती से इतना असर कर लेना कि अपने को परेशानी में डाल लो कोई माक़ूल बात नहीं, क्योंकि) बेशक तेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रिज़्क देता है, और वही (जिस पर चाहे) तंगी कर देता है। बेशक वह अपने बन्दों (की हालत और उनकी मस्तेहत) को खूब जानता है, देखता है (सारे आलम की ज़रूरतों को पूरा करना तो रब्बुल-आलमीन ही का काम है, तुम इस फ़िक्र में क्यों पड़े कि अपने से हो सके या न हो सके अपने आपको मुसीबत में डालकर सब की ज़रूरतें पूरी ही करो। यह सूरत इसलिये बेकार है कि यह सब कुछ करने के बाद भी सब की ज़रूरतें पूरी कर देना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई किसी का गुम न करे, उसके लिये तदबीर न करे, बल्कि मतलब यह है कि सब की हाजतें पूरी करना किसी इनसान के बस में नहीं चाहे वह अपने ऊपर कितनी ही मुसीबत बरदाश्त करने के लिये तैयार भी हो क्योंकि यह काम तो सिर्फ़ मालिके कायनात ही का है कि सब की हाजतों को जानता भी है और सब की मस्तेहतों से भी वाकिफ़ है, कि किस वक़्त किस शख्स की किस हाजत को किस मात्रा में पूरा करना चाहिये, इसलिये इनसान का काम तो सिर्फ़ इतना ही है कि दरमियानी चाल से काम ले, न खर्च करने के मौक़े में कन्जूसी करे और न इतना खर्च करे कि कल को खुद ही फ़कीर हो जाये और बाल-बच्चे और घर वाले जिनके हुकूक उसके जिम्मे हैं उनके हुकूक अदा न हो सकें और बाद में पछताना पड़े।)

मआरिफ़ व मसाईल

खर्च करने में दरमियानी चाल की हिदायत

इस आयत में डायरेक्ट तौर पर मुखातब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम हैं

और आपके वास्ते से पूरी उम्मत मुखातब है, और मकसद आर्थिक स्थिति की ऐसी तालीम है जो दूसरों की इमदाद में रुकावट भी न हो और खुद अपने लिये भी मुसीबत न बने। इस आयत के शाने नुज़ूल में इब्ने मरदूया ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत से और इमाम बग़वी ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से एक वाक़िआ नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक लड़का हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा आप से एक कुर्ते का सवाल करती हैं, उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कोई कुर्ता उसके सिवा नहीं था जो आपके बदन मुबारक पर था। आपने लड़के को कहा कि फिर किसी वक़्त आओ जबकि हमारे पास इतनी गुंजाईश हो कि तुम्हारी वालिदा का सवाल पूरा कर सकें। लड़का घर गया, वापस आया और कहा कि मेरी वालिदा कहती हैं कि आपके बदन मुबारक पर जो कुर्ता है वही इनायत फ़रमा दें। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने बदन मुबारक से कुर्ता उतारकर उसके हवाले कर दिया, आप नंगे बदन रह गये, नमाज़ का वक़्त आया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी मगर आप आदत के अनुसार बाहर तशरीफ़ न लाये तो लोगों को फ़िक्र हुई, कुछ लोग अन्दर हाज़िर हुए तो देखा कि आप कुर्ते के बग़ैर नंगे बदन बैठे हैं, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

अल्लाह की राह में इतना खर्च करना कि खुद

परेशानी में पड़ जाये इसका दर्जा

इस आयत से बज़ाहिर इस तरह खर्च करने की मनाही मालूम होती है जिसके बाद खुद फ़कीर व मोहताज हो जाये और परेशानी में पड़ जाये। इमामे तफसीर कुर्तुबी रह. ने फरमाया कि यह हुक्म मुसलमानों के आम हालत के लिये है जो खर्च करने के बाद तकलीफ़ों से परेशान होकर पिछले खर्च किये हुए पर पछतायें और अफ़सोस करें। कुरआने करीम के लफ़्ज़ महसूरन में इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है। (जैसा कि तफसीरे मज़हरी में इसकी वज़ाहत है)

और जो लोग इतने बुलन्द हौसले वाले हों कि बाद की परेशानी से न घबरायें और हुकूक वालों के हुकूक भी अदा कर सकें उनके लिये यह पाबन्दी नहीं है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आम आदत यह थी कि कल के लिये कुछ ज़ख़ीरा न करते थे जो कुछ आज आया आज ही खर्च फरमा देते थे और बहुत-सी बार भूख और फाँके की तकलीफ़ भी पेश आती, पेट पर पत्थर बाँधने की नौबत भी आ जाती थी और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में भी बहुत-से ऐसे हज़रात हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, आपने न इसको मना फरमाया न उनको मलामत की। इससे मालूम हुआ कि इस आयत की मनाही उन लोगों के लिये है जो फ़क़ व फाँके की तकलीफ़ बरदाश्त न कर सकें और खर्च करने के बाद उनको अफ़सोस

हो कि काश! हम खर्च न करते। यह सूरत उनके पिछले अमल को फ़ासिद (ख़राब) कर देगी इसलिये इससे मना फ़रमाया गया।

खर्च में अव्यवस्था मना है

और असल बात यह है कि इस आयत ने बद-नज़्मी (अव्यवस्था) के साथ खर्च करने को मना किया है कि आगे आने वाले हालात को अनदेखा करके जो कुछ पास है उसे इस वक़्त खर्च कर डाले, कल को दूसरे ज़रूरत वाले लोग आयें और कोई अहम दीनी ज़रूरत पेश आ जाये तो अब उसके लिये कुदरत न रहे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

या अहल व अयाल (बीवी-बच्चे) जिनके हुक्कू इसके ज़िम्मे वाजिब हैं उनके हक़ अदा करने से आजिज़ हो जाये। (तफ़सीरे मज़हरी)

“मलूम महसूर” के अलफ़ाज़ के बारे में तफ़सीर-ए-मज़हरी में है कि ‘मलूम’ का ताल्लुक पहली हालत यानी कन्ज़ूसी से है कि अगर हाथ को कन्ज़ूसी से बिल्कुल रोक लेगा तो लोग मलामत करेंगे और महसूर का ताल्लुक दूसरी हालत से है कि खर्च करने में इतनी ज़्यादाती करे कि खुद फकीर हो जाये, तो यह महसूर यानी थका-माँदा आजिज़ या अफ़सोस का मारा हुआ हो जायेगा।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَاقٍ ۚ لَنْ تَحْنُوْا نَزُوْلًا مِّنْكُمْ ۚ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِلٰنَ فَكُلْتُمْ ۚ كَانَ خَطَاۗءً كَبِيْرًا ۙ

व ला तक्तुलू औलादकुम् ख़श्य-त इम्लाकिन्, नहनु नरज़ुकुहुम् व इय्याकुम्, इन्-न कत्लहुम् का-न ख़ित्अन् कबीरा (31)

और न मार डालो अपनी औलाद को मुफ़लिसी के ख़ौफ़ से, हम रोज़ी देते हैं उनको और तुमको, बेशक उनका मारना बड़ी ख़ता है। (31)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अपनी औलाद को मुफ़लिसी “तंगदस्ती व गुर्बत” के डर से क़त्ल न करो (क्योंकि सब के राज़िफ़ हम हैं) हम उनको भी रिज़्क देते हैं और तुमको भी (अगर राज़िफ़ तुम होते तो ऐसी बातें सोचते) बेशक उनका क़त्ल करना बड़ा भारी गुनाह है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इससे पहले की आयतों में इनसानी हुक्कू के बारे में हिदायतों का एक सिलसिला है, यह छठा हुक्म जाहिलीयत वालों (इस्लाम से पहले के ज़माने के लोगों) की एक ज़ालिमाना आदत की इस्लाह (सुधार) के लिये है। ज़माना-ए-जाहिलीयत में कुछ लोग पैदाईश के वक़्त अपनी

औलाद' खास तौर से बेटियों को इस ख़ौफ़ से क़त्ल कर डालते थे कि उनके ख़र्चों का बोझ हम पर पड़ेगा। उपर्युक्त आयत में हक़ तआला ने उनकी जहलत को वाज़ेह किया है कि रिज़्क देने वाले तुम कौन? यह तो ख़ालिस अल्लाह तआला के कब्ज़े में है, तुम्हें भी तो वही रिज़्क देता है, जो तुम्हें देता है वही उनको भी देगा, तुम क्यों इस फ़िक्र में औलाद को क़त्ल करने के मुजरिम बनते हो। बल्कि इस जगह अल्लाह तआला ने रिज़्क देने में औलाद का ज़िक्र पहले करके इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया है कि पहले उनको फिर तुम्हें देंगे, जिसका मतलब दर असल यह है कि अल्लाह तआला जिस बन्दे को देखते हैं कि वह अपने अहल व अयाल (बीवी-बच्चों) की परवरिश और ज़िम्मेदारी उठाता या दूसरे ग़रीबों ज़ईफ़ों की इमदाद करता है तो उसको उसी हिसाब से देते हैं कि वह अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सके और दूसरों की इमदाद भी कर सके। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का इरशाद है:

إِنَّمَا تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضَعْفِ أَنْكُمِ

यानी तुम्हारे ज़ईफ़ व कमज़ोर तबके ही की वजह से अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारी इमदाद होती है और तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि अहल व अयाल (बीवी-बच्चों) की ज़िम्मेदारी उठाने वाले माँ-बाप को जो कुछ मिलता है वह कमज़ोर औरतों बच्चों की खातिर ही मिलता है।

मसला: कुरआने करीम के इस इरशाद से उस मामले पर भी रोशनी पड़ती है जिसमें आज की दुनिया गिरफ़्तार है कि आबादी की अधिकता के ख़ौफ़ से बच्चों की पैदाईश को रोकने और ख़ानदानी मन्सूबा बन्दी (बर्थ कन्ट्रोल) को रिवाज दे रही है, इसकी बुनियाद भी इसी जाहिलाना सोच पर है कि रिज़्क का ज़िम्मेदार अपने आपको समझ लिया गया है, यह मामला औलाद के क़त्ल के बराबर गुनाह न सही मगर इसके बुरा और निंदनीय होने में कोई शुब्हा नहीं।

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

व ला तक़्रबुज़्ज़िना इन्नहू का-न
फ़ाहि-शतन, व सा-अ सबीला (32)

और पास न जाओ बदकारी के वह है
बेहयाई, और बुरी राह है। (32)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ज़िना के पास भी मत फटको (यानी जो चीज़ें उसकी तरफ़ दावत दें या जो उसकी पहली सीढ़ी हों उनसे भी बचो) बिला शुब्हा वह (खुद भी) बड़ी बेहयाई की बात है और (दूसरी ख़राबियों के एतिबार से भी) बुरी राह है (क्योंकि उससे दुश्मनियों, फितनों और नसब को ज़ाया व बरबाद करने की राहें खुलती हैं)।

मअरिफ व मसाईल

यह साँतवाँ हुक्म जिना की हुर्मत (हराम होने) के बारे में है, जिसके हराम होने की दो वजह बयान की गई हैं— अव्वल यह कि वह बेहयाई है और इनसान में हया न रही तो वह इनसानियत ही से मेहरूम हो जाता है। फिर उसके लिये किसी भले-बुरे काम का फर्क और भेद नहीं रहता। इसी मायने के लिये हदीस में इरशाद है:

إذا فأتك الحياء فافعل ما شئت

यानी जब तेरी हया ही जाती रही तो किसी बुराई से रुकावट का कोई पर्दा न रहा, तो जो चाहोगे करोगे। और इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हया को ईमान का एक अहम हिस्सा फ़रार दिया है:

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (بخاری)

दूसरी वजह सामाजिक बिगाड़ और खराबी है जो जिना की वजह से इतनी फैलती है कि उसकी कोई हद नहीं रहती और इसके बुरे नतीजे कभी-कभी पूरे कबीलों और कौमों को बरबाद कर देते हैं। फितने, चोरी, डांका, कल्ल की जितनी अधिकता आज दुनिया में बढ़ गई है उसके हालात की तहकीक की जाये तो आधे से ज़्यादा वाकिअत का सबब कोई औरत व मर्द निकलते हैं जो इस जुर्म के करने वाले हुए। इस जुर्म का ताल्लुक अगरचे डांगरेक्ट बन्दों के हुक्क से नहीं मगर इस जगह बन्दों के हुक्क से सम्बन्धित अहकाम के जिमन में इसका जिक्र करना शायद इसी बिना पर हो कि यह जुर्म बहुत से ऐसे जुर्मों को साथ लाता है जिससे बन्दों के हुक्क प्रभावित होते हैं और कल्ल व गारतगरी के हंगामे बरपा होते हैं, इसी लिये इस्लाम ने इस जुर्म को तमाम जुर्मों से ज़्यादा सख्त फ़रार दिया है, इसकी सज़ा भी सारे जुर्मों की सज़ाओं से ज़्यादा सख्त रखी है, क्योंकि यह एक जुर्म दूसरे सैंकड़ों जुर्मों को अपने में समोये हुए है।

हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जहन्नम वाले भी उससे परेशान होंगे और आग के अज़ाब के साथ उनकी रुखाई जहन्नम में भी होती रहेगी। (बज़ार, बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से, मज़हरी)

एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिना करने वाला जिना करने के वक़्त मोमिन नहीं होता, चोरी करने वाला चोरी करने के वक़्त मोमिन नहीं होता और शराब पीने वाला शराब पीने के वक़्त मोमिन नहीं होता। यह हदीस बुखारी व मुस्लिम में है, इसकी शरह अबू दाऊद की रिवायत में यह है कि इन जुर्मों को करने वाले जिस वक़्त जुर्म में मुब्तला होते हैं तो ईमान उनके दिलों से निकलकर बाहर आ जाता है और फिर जब उससे लौट जाते हैं तो ईमान वापस आ जाता है। (तफ्सीरे मज़हरी)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَكَمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ سُلْطَانًا فَلَا يَبْرَأُ فِي الْقَتْلِ إِذْ كَانَ مُنْصُودًا ۝

व ला तक्तुलू-न-पसल्लती हरमल्लाहु
इल्ला बिल्हक्कि, व मन् क़ुति-ल
मज़लूमन् फ-क़द् ज़अल्ला
लि-वलिदियही सुल्तानन् फ़ला
युस्तिफ़-फिल्क़त्लि, इन्नहू का-न
मन्सूरा (33)

और न मारो उस जान को जिसको मना
कर दिया है अल्लाह ने मगर हक़ पर,
और जो मारा गया जुल्म से तो दिया
हमने उसके वारिस को जोर सौ हद से न
निकल जाये क़त्ल करने में, उसको मदद
मिलती है। (33)

खुलासा-ए-तफ्सीर

और जिस शख्स (के क़त्ल करने) को अल्लाह तआला ने हराम फ़रमाया है उसको क़त्ल मत करो, हाँ मगर हक़ पर (क़त्ल करना दुरुस्त है यानी जब किसी शर्ई हुक्म से क़त्ल करना वाजिब या जायज़ हो जाये तो वह अल्लाह तआला के हराम करने में दाख़िल नहीं)। और जो शख्स नाहक़ क़त्ल किया जाए तो हमने उसके (असली या हुक्मी) वारिस को इख़्तियार दिया है (क़िसास लेने का) सो उसको क़त्ल के बारे में (शरीअत की) हद से आगे न बढ़ना चाहिए (यानी कातिल पर क़त्ल का यकीनी सुबूत मिले बग़ैर क़त्ल न करे और उसके रिश्तेदारों और परिजनों वग़ैरह को जो क़त्ल में शरीक नहीं हैं महज़ बदला लेने के जोश में क़त्ल न करे और कातिल को भी सिर्फ़ क़त्ल करे नाक कान या हाथ पाँव वग़ैरह काटकर मुसला न करे, क्योंकि) वह शख्स (क़िसास में हद से न निकलने की सूरात में तो शर्ई तौर से) मदद के काबिल है (और उसने ज़्यादाती की तो फिर दूसरा पक्ष मज़लूम होकर अल्लाह की मदद का मुस्तहक़ हो जायेगा, इसलिये मक्तूल के वली को चाहिये कि वह अपने अल्लाह की तरफ़ से मदद याफ़्ता होने की क़द्र करे, हद से बढ़कर अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया न करे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

यह आठवाँ हुक्म नाहक़ क़त्ल करने के हराम होने के बयान में है जिसका भारी जुर्म होना दुनिया की सारी जमाअतों, मज़हबों और फ़िक़ों में मुसल्लम (माना हुआ) है। हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सारी दुनिया की तबाही अल्लाह के नज़दीक़ इससे हल्की है कि किसी मोमिन को नाहक़ क़त्ल किया जाये (और कुछ रिवायतों में इसके साथ यह भी है कि) अगर अल्लाह तआला के सातों आसमानों और सातों ज़मीनों के

बाशिन्दे किसी मोमिन के नाहक् क़त्ल में शरीक हो जायें तो उन सब को अल्लाह तआला जहन्नम में दाखिल कर देंगे। (इब्ने माजा, हसन सनद के साथ, बैहकी, तफसीरे मज़हरी)

और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान के क़त्ल में कातिल की इमदाद एक बात से भी की तो मैदाने हज़र में जब वह अल्लाह तआला के सामने पेश होगा तो उसकी पेशानी पर लिखा होगा:

انس من رحمة الله

यानी यह शख्स अल्लाह तआला की रहमत से मायूस कर दिया गया है। (मज़हरी, इब्ने माजा व अस्बहानी के हवाले से)

और बैहकी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास व हज़रत मुआविया रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उम्मीद है कि अल्लाह तआला हर एक गुनाह को माफ़ कर दे मगर वह आदमी जो कुफ़्र की हालत में मर गया या जिसने जान-बूझकर किसी मुसलमान को नाहक् क़त्ल किया।

नाहक् क़त्ल की वज़ाहत

इमाम बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं जो अल्लाह के एक होने और मेरे रसूल होने की गवाही देता हो सिवाय तीन सूरतों के— एक यह कि उसने शादीशुदा होने के बावजूद जिना किया हो (कि इसकी शर्ई सज़ा यह है कि पथराव करके उसको मार दिया जाये), दूसरे वह जिसने किसी इनसान को नाहक् क़त्ल किया हो (कि उसकी सज़ा यह है कि मक्तूल का वली उसको किसास में क़त्ल कर सकता है), तीसरे वह शख्स जो दीने इस्लाम से मुर्तद हो गया (यानी इस्लाम से फिर गया) हो (कि उसकी सज़ा भी क़त्ल है)।

किसास लेने का हक् किसको है?

उक्त आयत में बतलाया गया है कि यह हक् मक्तूल (क़त्ल होने वाले) के वली का है। अगर नसबी वली कोई मौजूद नहीं तो इस्लामी हुक्मत के हाकिम को यह हक् हासिल होगा कि वह भी एक हैसियत से सब मुसलमानों का वली है, इसलिये खुलासा-ए-तफसीर में 'असली या हुक्मी वली' लिखा गया है।

ज़ुल्म का जवाब ज़ुल्म नहीं इन्साफ़ है, मुजरिम की सज़ा में भी
इन्साफ़ की रियायत

فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ

इस्लामी क़ानून की एक ख़ास हिदायत है जिसका हासिल यह है कि ज़ुल्म का बदला ज़ुल्म

से लेना जायज नहीं, बदले में भी इन्साफ़ की रियायत लाज़िम है। जब तक मक्तूल का वली इन्साफ़ के साथ अपने मक्तूल का बदला शरई कि़सास के साथ लेना चाहे तो शरीअत का क़ानून उसके हक़ में है, यह अल्लाह की तरफ़ से मदद पाने वाला है, अन्ताह तआला उसका मददगार है, और अगर उसने बदला लेने के जोश में शरई कि़सास की हद पार की तो अब यह मज़लूम के बजाय ज़ालिम हो गया और ज़ालिम इसका मज़लूम बन गया, अब मामला उन्टा हो जायेगा, अल्लाह तआला और उसका क़ानून अब इसकी मदद करने के बजाय दूसरे फ़रीक़ की मदद करेगा कि उसको ज़ुल्म से बचायेगा।

अरब के जाहिली दौर में यह बात आम थी कि एक शख्स क़त्ल हुआ तो उसके बदले में क़ातिल के ख़ानदान या साथियों में से जो भी हाथ लगे उसको क़त्ल कर देते थे। कुछ जगह यह सूरत होती कि जिसको क़त्ल किया गया वह क़ौम का कोई बड़ा आदमी है तो उसके बदले में सिर्फ़ एक क़ातिल को कि़सास के तौर पर क़त्ल करना काफ़ी न समझा जाता था बल्कि एक खून के बदले दो तीन या इससे भी ज़्यादा आदमियों की जान ली जाती थी। कुछ लोग बदले के जोश में क़ातिल के सिर्फ़ क़त्ल करने पर बस नहीं करते थे बल्कि उसके नाक कान वगैरह काटकर मुसला कर देते थे। ये सब चीज़ें इस्लामी कि़सास की हद से बाहर और हराम हैं इसलिये आयत 'फ़ला युस्लिफ़् फ़िल्क़त्लि' में इनको रोका गया है।

याद रखने के क़ाबिल एक वाक़िआ

बाज़ मुज्ताहिद इमामों के सामने किसी शख्स ने हज्जाज बिन यूसुफ़ पर कोई इल्ज़ाम लगाया, हज्जाज बिन यूसुफ़ इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा ज़ालिम और इन्तिहाई बदनाम शख्स है जिसने हज़ारों सहाबा व ताबिईन को नाहक क़त्ल किया है, इसलिये आम तौर पर उसको बुरा कहने की बुराई लोगों के ज़ेहन में नहीं रहती। जिस बुजुर्ग के सामने यह इल्ज़ाम हज्जाज बिन यूसुफ़ पर लगाया गया उन्होंने इल्ज़ाम लगाने वाले से पूछा कि तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम की कोई सनद या सुबूत मौजूद है? उन्होंने कहा नहीं। आपने फ़रमाया कि अगर अल्लाह तआला हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़ालिम से हज़ारों बेगुनाह मक्तूलों का बदला लेगा तो याद रखो कि जो शख्स हज्जाज पर कोई ज़ुल्म करता है उसको भी बदले से नहीं छोड़ा जायेगा, हज्जाज का बदला अल्लाह तआला उससे भी लेंगे, अल्लाह तआला की अदालत में कोई पक्षपात नहीं है कि बुरे और गुनाहगार बन्दों पर दूसरों को आज़ाद छोड़ दें और वे जो चाहें इल्ज़ाम या तोहमत लगा दिया करें।

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَارْتُوا بِالْقِسْطِ أَلْسِنَ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

व ला तकरबू मालल-यतीमि इल्ला
बिल्लती हि-य अह्सनु हत्ता यब्बु-ग
अशुदहू व औफू बिलअल्दि इन्नल-
अह-द का-न मस्कला (34) व
औफुल्कै-ल इज़ा किल्तुम् व ज़िनु
बिल्-किस्तासिल्-मुस्तकीमि, ज़ालि-क
खैरुव-व अह्सनु तअवीला (35)

और पास न जाओ यतीम के माल के
मगर जिस तरह कि बेहतर हो जब तक
वह पहुँचे अपनी जवानी को, और पूरा
करो अहद को बेशक अहद की पूछ
होगी। (34) और पूरा भर दो माप जब
मापकर देने लगे, और तौलो सीधी
तराजू से, यह बेहतर है और अच्छा है
इसका अन्जाम। (35)

खुलासा-ए-तफसीर

और यतीम के माल के पास न जाओ (यानी उसे खर्च व इस्तेमाल न करो) मगर ऐसे तरीके
से जो कि (शरई तौर पर) पसन्दीदा है, यहाँ तक कि वह अपने बालिग होने की उम्र को पहुँच
जाये, और (जायज़) अहद को पूरा किया करो, बेशक अहद की कियामत में पूछताछ और
बाज़पुर्स होने वाली है (अहद में वो तमाम अहद भी दाखिल हैं जो बन्दे ने अपने अल्लाह से
किये हैं और वो भी जो किसी इनसान से किये हैं)। और (नापने की चीज़ों को) जब
नाप-तौलकर दो तो पूरा नापो और (तौलने की चीज़ों को) सही तराजू से तौलकर दो। यह
(अपने आप में भी) अच्छी बात है और इसका अन्जाम भी अच्छा है (आखिरत में तो सवाब
और दुनिया में नेकनामी की शोहरत जो तिजारत में तरक्की का ज़रिया है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन दो आयतों में तीन हुक्म (नवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ) माली हुक्कू से संबन्धित बयान हुए हैं।
पहले गुज़री आयतों में बदनी और जिस्मानी हुक्कू का ज़िक्र था यह माली हुक्कू का बयान है।

यतीमों के माल में एहतियात

इनमें पहली आयत में नवाँ हुक्म यतीमों के मालों की हिफ़ाज़त और उनमें एहतियात का है
जिसमें बड़ी ताक़ीद से यह फ़रमाया कि यतीमों के माल के पास भी न जाओ यानी उनमें
ख़िलाफ़े शरीअत या बच्चों की मस्लेहत के ख़िलाफ़ कोई तसरूफ़ न होने पाये, यतीमों के माल
की हिफ़ाज़त और इन्तिज़ाम जिनके ज़िम्मे है उन पर लाज़िम है कि उनमें बड़ी एहतियात से
काम लें, सिर्फ़ यतीमों की मस्लेहत को देखकर खर्च करें, अपनी इच्छा या बेफ़िक्री से खर्च न करें
और यह सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहे जब तक कि यतीम बच्चे जवान होकर अपने माल
की हिफ़ाज़त खुद न कर सकें, जिसका मामूली दर्जा पन्द्रह साल की उम्र को पहुँचना और ज़्यादा

अड्डारह साल तक है।

नाजायज़ तरीके पर किसी का माल भी खर्च करना जायज़ नहीं, यहाँ यतीमों का विशेष रूप से ज़िक्र इसलिये किया कि वे खुद तो कोई हिसाब लेने के काबिल नहीं दूसरों को उसकी ख़बर नहीं हो सकती, जिस जगह कोई इनसान अपने हक़ का मुतालबा करने वाला न हो वहाँ हक़ तअ़ाला का मुतालबा ज़्यादा सख़्त हो जाता है, उसमें कोताही आम लोगों के हुकूक की तुलना में ज़्यादा गुनाह हो जाती है।

मुआहदों व समझौतों के पूरा करने और उनके पालन का हुक्म

दसवाँ हुक्म अहद पूरा करने की ताकीद है। अहद दो तरह के हैं, एक वो जो बन्दे और अल्लाह के दरमियान हैं जैसे कायनात के पहले दिन में बन्दे का यह अहद कि बेशक अल्लाह तअ़ाला हमारा रब है, इस अहद का लाज़िमी असर उसके अहकाम की इताअत और उसकी रज़ा तलब करना होता है, यह अहद तो इनसान ने अज़ल (कायनात के पहले दिन) में किया है चाहे दुनिया में वह मोमिन हो या काफ़िर। दूसरा अहद मोमिन का है जो 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' की गवाही के ज़रिये किया है, जिसका हासिल अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल पैरवी और उसकी रज़ा तलब करना है।

दूसरी किस्म अहद की वह है जो इनसान किसी इनसान से करता है जिसमें तमाम सियासी, व्यापारिक और सामाजिक समझौते और मुआहदे शामिल हैं जो व्यक्तियों या समूहों के बीच में दुनिया में होते हैं।

पहली किस्म के तमाम मुआहदों व समझौतों का पूरा करना इनसान पर वाजिब है और दूसरी किस्म में जो मुआहदे ख़िलाफ़े शरीअत न हों उनका पूरा करना वाजिब और जो ख़िलाफ़े शरीअत हों उनका दूसरे पक्ष को इत्तिला करके ख़त्म कर देना वाजिब है। जिस मुआहदे का पूरा करना वाजिब है अगर कोई फ़रीक़ पूरा न करे तो दूसरे को हक़ है कि अदालत से रुजू करके उसको पूरा करने पर मजबूर करे। मुआहदे की हकीकत यह है कि दो फ़रीकों के बीच किसी काम के करने या न करने का अहद हो और जो कोई शख्स किसी से एक तरफ़ा वायदा कर लेता है कि मैं आपको फ़ुल्लों चीज़ दूँगा या फ़ुल्लों वक़्त आपसे मिलूँगा या आपका फ़ुल्लों काम कर दूँगा उसका पूरा करना भी वाजिब है और कुछ हज़रात ने इसको भी अहद के इस मफहूम में दाख़िल किया है, लेकिन एक फ़र्क़ के साथ कि दोनों फ़रीकों मुआहदे की सूरत में अगर कोई ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) करे तो दूसरा फ़रीक़ उसको अदालत के ज़रिये मुआहदे को पूरा करने पर मजबूर कर सकता है, मगर एक तरफ़ा वायदे को अदालत के ज़रिये जबरन पूरा नहीं करा सकता, हाँ बिना शरई उज़्र के किसी से वायदा करके जो उसके ख़िलाफ़ करेगा वह शरई तौर पर गुनाहगार होगा, हदीस में इसको अमली निफ़ाक़ करार दिया गया है।

इस आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

यानी क्रियामत में जैसे और फ़राईज़ व वाजिबात और अल्लाह के अहकाम के पूरा करने या न करने का सवाल होगा ऐसे ही आपसी मुआहदों और समझौतों के मुताल्लिक भी सवाल होगा। यहाँ सिर्फ़ इतना कहकर छोड़ दिया गया कि इसका सवाल होगा, आगे सवाल के बाद क्या होना है इसको अस्पष्ट रखने में ख़तरे के बड़ा होने की तरफ़ इशारा है।

ग्यारहवाँ हुक्म लेन-देन के मामलों में नाप-तौल पूरा करने की हिदायत और उसमें कमी करने की मनाही का है, जिसकी पूरी तफ़सील सूर: मुतफ़िफ़ीन में बयान हुई है।

मसला: फ़ुकहा हज़रात ने फ़रमाया कि आयत में नाप-तौल में कमी का जो हुक्म है उसका हासिल यह है कि जिसका जितना हक़ है उससे कम देना हराम है, इसलिये इसमें यह भी दाख़िल है कि कोई मुलाज़िम अपने सुपुर्द किये हुए और तयशुदा काम में कमी करे या जितना वक़्त देना है उससे कम दे या मज़दूर अपनी मज़दूरी में कामचोरी करे।

नाप-तौल में कमी की मनाही

मसला: “औफ़ुल्कै-ल इज़ा किल्तुम”। तफ़सीर बहरे-मुहीत में अबू हय्यान रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इस आयत में नाप-तौल पूरा करने की ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर डाली गई है जिससे मालूम हुआ कि नापने-तौलने और उसको पूरा करने का ज़िम्मेदार बेचने वाला है।

आयत के आख़िर में नाप-तौल पूरी करने के बारे में फ़रमाया:

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

इसमें नाप-तौल सही और बराबर करने के बारे में दो बातें फ़रमाई— एक उसका ख़ैर (बेहतर) होना, इसका हासिल यह है कि ऐसा करना अपनी ज़ात में अच्छा और बेहतर है, शर्ई हुक्म के अलावा अक़ली और तबई तौर पर भी कोई शरीफ़ इनसान नाप-तौल में कमी को अच्छा नहीं समझ सकता। दूसरी बात यह फ़रमाई कि अन्जाम और आख़िर उसका बेहतर है जिसमें आख़िरत का अन्जाम और सवाब व जन्नत का हासिल करना तो दाख़िल है ही इसके साथ दुनिया के अन्जाम की बेहतरी की तरफ़ भी इशारा है कि किसी व्यापार को उस वक़्त तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक बाज़ार में उसकी साख़ और एतिबार कायम न हो, और वह इस तिजारती ईमानदारी के बग़ैर नहीं हो सकता।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلٌّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۗ وَلَا تَنْشُرْ فِي الْاَرْضِ مَرْحَاۗءَ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالَ طُوْلًا ۗ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۗ

व ला तक्फु मा लै-स ल-क बिही
ज़िल्मुनु, इन्नस्सम्-अ वल्ब-सर

और न पीछे पड़ जिस बात की छाबर
नहीं तुझको, बेशक कान और आँख और

वल्फु आ-द कुल्लु उलाइ-क कान-
अन्हु मसऊला (36) व ला तम्श
फिल् अर्जि म-रहन् इन्न-क लन्
तख्रिकल्-अर्-ज व लन् तब्लुगल्-
जिबा-ल तूला (37) कुल्लु जालि-क
का-न सय्यिउहू अिन्-द रबिब-क
मकरूहा (38)

दिल इन सब की उससे पूछ होगी। (36)
और मत चल ज़मीन पर इतराता हुआ, तू
फाइ न डालेगा ज़मीन को और न
पहुँचेगा पहाड़ों तक लम्बा होकर। (37)
ये जितनी बातें हैं इन सब में बुरी चीज़
है तेरे रब की बेजारी। (38)

खुलासा-ए-तफसीर

और जिस बात की तुझको तहकीक न हो उस पर अमल दरामद मत किया कर (क्योंकि) कान, आँख और दिल हर शख्स से इन सब की (कियामत के दिन) पूछ होगी (कि आँख और कान का इस्तेमाल किस-किस काम में किया, वो काम अच्छे थे या बुरे और बेदलील बात का ख्याल दिल में क्यों जमाया)। और ज़मीन पर इतराता हुआ मत चल (क्योंकि) तू (ज़मीन पर जोर से पाँव रखकर) न ज़मीन को फाइ सकता है और न (अपने बदन को तानकर) पहाड़ों की लम्बाई को पहुँच सकता है (फिर इतराना बेकार है), ये (ज़िक्र हुए) सारे बुरे काम तेरे रब के नज़दीक (बिल्कुल) नापसन्द हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में दो हुक्म बारहवाँ और तेरहवाँ आम सामाजिक ज़िन्दगी से संबन्धित हैं। बारहवें हुक्म में बगैर तहकीक के किसी बात पर अमल करने की मनाही फ़रमाई गई है।

यहाँ यह बात सामने रखना ज़रूरी है कि तहकीक के दर्जे मुख्तलिफ़ होते हैं, एक ऐसी तहकीक जो कि यकीने कामिल के दर्जे को पहुँच जाये विपरीत दिशा का कोई शुब्हा भी न रहे, दूसरे यह कि ग़ालिब गुमान के दर्जे में आ जाये अगरचे विपरीत दिशा का गुमान व संदेह भी मौजूद हो। इसी तरह अहकाम में भी दो किस्म हैं एक यकीनी और क़तई चीज़ें हैं जैसे अ़कीदे और दीन की बुनियादी बातें, इनमें पहले दर्जे की तहकीक मतलूब है उसके बगैर अमल करना जायज़ नहीं। दूसरे ग़ालिब गुमान वाली चीज़ें जैसे ऊपर के आमाal से संबन्धित अहकाम, इस तफसील के बाद उक्त आयत के मज़मून का तफ़ाज़ा यह है कि यकीनी और क़तई अहकाम में तहकीक भी अव्वल दर्जे की हो, यानी बिल्कुल क़तई और कामिल यकीन के दर्जे को पहुँच जाये और जब तक ऐसा न हो अ़कीदे और इस्लाम के उसूलों में उस तहकीक का एतिबार नहीं, उसके तफ़ाज़े और हुक्म पर अमल जायज़ नहीं, और ग़ालिब गुमान वाले और ऊपर के अहकाम

व मामलात में दूसरे दर्जे यानी ग़ालिब गुमान के दर्जे की तहकीक काफी है। (बयानुल-कुरआन)

कान, आँख और दिल के बारे में कियामत के दिन सवाल

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

इस आयत में बतलाया है कि कियामत के दिन कान, आँख और दिल से सवाल किया जायेगा। मतलब यह है कि कान से सवाल होगा कि तूने उम्र में क्या-क्या सुना? आँख से सवाल होगा कि तमाम उम्र में क्या-क्या देखा? दिल से सवाल होगा कि तमाम उम्र दिल में कैसे-कैसे ख्यालात पकाये और किन-किन चीज़ों पर यकीन किया? अगर कान से ऐसी बातें सुनीं जिनका सुनना शरई तौर पर जायज़ नहीं था जैसे किसी की ग़ीबत या हराम गाना बजाना वगैरह, या आँख से ऐसी चीज़ें देखीं जिनका देखना शरई तौर पर हलाल न था जैसे ग़ैर-मेहरम औरत या मर्द लड़के पर बुरी नज़र करना, या दिल में कोई ऐसा अक्कीदा जमाया जो कुरआन व सुन्नत के खिलाफ़ हो या किसी के मुताल्लिक़ अपने दिल में बिना दलील और सुबुत के कोई इल्ज़ाम कायम कर लिया तो इस सवाल के नतीजे में अज़ाब में गिरफ़्तार होगा, कियामत के दिन अल्लाह की दी हुई सारी ही नेमतों का सवाल होगा।

لَسْتُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

(यानी तुम से कियामत के दिन अल्लाह तआला की सब नेमतों का सवाल होगा।) कान, आँख, दिल इन नेमतों में सबसे ज़्यादा अहम हैं इसलिये यहाँ इनका खास तौर पर ज़िक्र फ़रमाया गया है।

तफसीर कुर्तुबी और तफसीर मज़हरी में इसका यह मतलब भी बयान किया गया है कि इससे पहले जुमले में जो यह इरशद आया है कि:

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“यानी जिस चीज़ का तुम्हें इल्म और तहकीक नहीं उस पर अमल न करो।” उसके साथ ही कान, आँख और दिल से सवाल का मतलब यह है कि जिस शख्स ने बिना तहकीक के जैसे किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगाया और बिना तहकीक के किसी बात पर अमल किया, अगर वह ऐसी चीज़ से मुताल्लिक़ है जो कान से सुनी जाती हो तो कान से सवाल होगा और आँख से देखने की चीज़ है तो आँख और दिल से समझने की चीज़ है तो दिल से सवाल होगा कि यह शख्स अपने इल्ज़ाम और अपने दिल में जमाये हुए ख्याल में सच्चा है या झूठा। उस पर इनसान के ये बदनी हिस्से खुद गवाही देंगे जो हज़र के मैदान में बिना तहकीक के इल्ज़ाम लगाने वाले और बिना तहकीक के बातों पर अमल करने वाले के लिये बड़ी रुस्वाई का सबब बनेगा, जैसा कि सूर: यासीन में है:

أَيُّومَ نُنَجِّمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

यानी आज कियामत के दिन हम मुजरिमों के मुँहों पर मुहर लगाकर बन्द कर देंगे और

उनके हाथ बोलेंगे और पाँव गवाही देंगे कि इसने इन बदनी हिस्सों से क्या-क्या काम अच्छे या बुरे लिये हैं।

यहाँ कान, आँख और दिल की विशेषता शायद इसी बिना पर की गई है कि अल्लाह तआला ने इनसान को यह हवास (महसूस करने वाली चीजें) और दिल का शऊर व एहसास इसी लिये बख्शा है कि जो ख्याल या अक़ीदा दिल में आये इन हवास और समझ के ज़रिये उसको जाँच सके कि यह सही है तो उस पर अमल करे और ग़लत है तो बाज़ रहे। जो शख्स इनसे काम लिये बग़ैर बिना तहकीक़ बातों की पैरवी में लग गया उसने अल्लाह तआला की इन नेमतों की नाशुक्री की।

फिर वो हवास (महसूस करने वाली कुव्वतें) जिनके ज़रिये इनसान विभिन्न चीजों को मालूम करता है पाँच हैं— कान, आँख, नाक, ज़बान की ताकतें और पूरे बदन में वह एहसास जिससे किसी चीज़ का ठंडा व गर्म वग़ैरह होना मालूम होता है, मगर आदतन ज़्यादा मालूमात इनसान को कान या आँख से होती हैं, नाक से सूँघने और ज़बान से चखने और हाथ वग़ैरह से छूने के ज़रिये जिन चीजों का इल्म होता है वो सुनने देखने वाली चीजों की तुलना में बहुत कम है। इस जगह पाँचों हवास में से सिर्फ़ दो के ज़िक्र को काफ़ी समझना शायद इसी वजह से हो, फिर इनमें भी कान को आँख से पहले रखा गया है और कुरआने करीम के दूसरे स्थानों में भी जहाँ कहीं इन दोनों चीजों का ज़िक्र आया है उनमें कान ही को पहले बयान किया गया है, इसका सबब भी ग़ालिबन यही है कि इनसान की मालूमात में सबसे बड़ा हिस्सा कान से सुनी हुई चीजों का होता है, आँख से देखी हुई चीजें उनके मुक़ाबले में बहुत कम हैं।

ज़िक्र हुई दो आयतों में से दूसरी आयत में तेहरवाँ हुक्म यह है कि ज़मीन पर इतराकर न चलो, यानी ऐसी चाल न चलो जिससे तकब्बुर और फ़ख़ व गुरूर जाहिर होता हो, कि यह अहमक़ाना काम है, गोया ज़मीन पर चलकर वह ज़मीन को फाड़ देना चाहता है जो उसके बस में नहीं, और तनकर चलने से बहुत ऊँचा होना चाहता है अल्लाह तआला के पहाड़ उससे बहुत ऊँचे हैं। तकब्बुर दर असल इनसान के दिल से संबन्धित सख़्त किस्म का बहुत बड़ा गुनाह है। इनसान की चाल-ढाल में जो चीजें तकब्बुर पर दलालत करने वाली हैं वो भी नाजायज़ हैं, घमंड भरे अन्दाज़ से चलना चाहे ज़मीन पर जोर से न चले और तनकर ऊँचा न बने बहरहाल नाजायज़ हैं, तकब्बुर के मायने अपने आपको दूसरों से बेहतर व आला समझना और दूसरों को अपने मुक़ाबले में कमतर व घटिया समझना है। हदीस में इस पर सज़ा के सख़्त वायदे बयान हुए हैं।

इमाम मुस्लिम ने हज़रत अयाज़ बिन अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मेरे पास वही के ज़रिये यह हुक्म भेजा है कि तवाज़ो और पस्ती (यानी विनम्रता) इख़्तियार करो, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी पर फ़ख़ और अपनी बड़ाई का तरीक़ा इख़्तियार न करे और कोई किसी पर

जुल्म न करे। (तफसीरे मज़हरी)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में दाख़िल नहीं होगा वह आदमी जिसके दिल में ज़र्' बराबर भी तकबुर होगा। (तफसीरे मज़हरी, सही मुस्लिम के हवाले से)

और एक हदीसे कुदसी में हज़रत अबू हु'रैह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं— बड़ाई मेरी चादर है और अज़मत मेरी इज़ार, जो शख्स मुझसे इनको छिनना चाहे तो मैं उसको जहन्नम में दाख़िल कर दूँगा (चादर और इज़ार से मुराद लिबास है और अल्लाह तआला न जिस्म है न जिस्म वाला जिसके लिये लिबास दरकार हो, इसलिये इससे मुराद इस जगह अल्लाह तआला की बड़ाई की सिफ़त है जो शख्स इस सिफ़त में अल्लाह तआला का शरीक बनना चाहे वह जहन्नमी है)। और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तकबुर करने वाले क़ियामत के दिन छोटी चींठियों के बराबर इनसानों की शक़्ल में उठाये जायेंगे जिन पर हर तरफ़ से ज़िल्लत व रुस्वाई बरसती होगी। उनको जहन्नम के एक जेलखाने की तरफ़ हाँका जायेगा जिसका नाम बौलस है, उन पर सब आगों से बड़ी तेज़ आग चढ़ी होगी और पीने के लिये उनको जहन्नम वालों के बदन से निकला हुआ पीप लहू दिया जायेगा। (तिर्मिज़ी अमर बिन शुऐब की रिवायत से, जो अपने बा-दादा से इसे रिवायत करते हैं, अज़ मज़हरी)

और हज़रत फ़ारुके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिम्बर पर खुतबा देते हुए फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख्स तवाज़ो (इन्किसारी और विनम्रता) इख़्तियार करता है अल्लाह तआला उसको सर-बुलन्द फ़रमाते हैं, तो वह अपने नज़दीक तो छोटा मगर सब लोगों की नज़रों में बड़ा होता है। और जो शख्स तकबुर करता है अल्लाह तआला उसको ज़लील करते हैं, वह खुद अपनी नज़रों में बड़ा होता है और लोगों की नज़रों में वह कुत्ते और सुअर से भी बदतर होता है। (तफसीरे मज़हरी)

ज़िक्र किये गये अहकाम की तफसील बयान करने के बाद आखिरी आयत में फ़रमाया:

كُلْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

यानी ज़िक्र किये गये तमाम बुरे काम अल्लाह तआला के नज़दीक मक्रूह व नापसन्द हैं।

इन ऊपर ज़िक्र हुए अहकाम में जो हराम और वर्जित चीज़ें हैं उनका बुरा और नापसन्द होना तो ज़ाहिर है मगर इनमें कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका हुक्म किया गया है जैसे माँ-बाप और रिश्तेदारों के हुक्कू अदा करना और अहद व समझौते का पूरा करना वगैरह, इनमें भी चूँकि मक़सद उनकी ज़िद (विपरीत दिशा) से बचना है कि माँ-बाप की तकलीफ़ से, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता ख़त्म करने के अमल से, अहद व समझौते को तोड़ने से परहेज़ करो, ये चीज़ें सब हराम व नापसन्द हैं, इसलिये सब को एक साथ मिलाकर मक्रूह फ़रमाया गया है। (बयानुल-कुरआन)

तंबीह

ऊपर ज़िक्र हुई पन्द्रह आयतों में जो अहकाम बयान किये गये हैं वो एक हैसियत से उस कोशिश व अमल की वजाहत व तफसील हैं जो अल्लाह तआला के नज़दीक मकबूल हों, जिसका ज़िक्र अद्वारह आयतों से पहले आया है 'व सआ लहा सअयहा' जिसमें यह बतलाया गया था कि हर कोशिश व अमल अल्लाह तआला के नज़दीक मकबूल नहीं बल्कि सिर्फ वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और तालीम के मुताबिक हो। इन अहकाम में उस मकबूल कोशिश व अमल के अहम अध्यायों और चीजों का ज़िक्र आ गया है जिसमें पहले अल्लाह के हुक्क का फिर बन्दों के हुक्क का बयान है।

ये पन्द्रह आयतें पूरी तौरात का खुलासा हैं

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि पूरी तौरात के अहकाम सूर: बनी इस्राईल की पन्द्रह आयतों में जमा कर दिये गये हैं। (तफसीरे मज़हरी)

ذٰلِكَ بِمَا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ الْاٰخَرَ فَتَلْقٰى فِيْ جِهَتِهِمْ مَّلٰوْمًا
 مَّلٰخُوْرًا ۝ اَقٰصُكُمْ رُبُّكُمْ بِالْبَيْنِيْنَ وَاَتَّخَذَ مِنَ السَّلٰبِكَةِ اٰنَاكًا لَكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝ وَاَقْرَبُ
 صَرَفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذْكُرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا ۝ قُلْ لَوْ كٰنَ مَعَهُ الْاِلٰهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ
 لَا يَسْتَعُوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَاَعْلٰى عَنَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ سُبْحٰنَ لَهٗ السَّمٰوٰتُ
 السَّبْعُ وَاَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۝ وَاَنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اِنْتَبِهٖ بِحَمْدِهِ ۝ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ سُبْحٰنَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ
 حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

ज़ालि-क मिम्मा औहा इलै-क रब्बु-क
 मिनल्-हिक्मति, व ला तज्ज़ल्
 मज़ल्लाहि इलाहन् आख्र-र फ-तुल्फा
 फी जहन्न-म मलूमम्-मद्हूरा (39)
 अ-फअस्फ़ाकुम् रब्बुकुम् बिल्बनी-न
 वत्त-छा-ज़ मिनल्-मलाइ-कति
 इनासन्, इन्नकुम् ल-तक्रूल-न कौलन्
 अजीमा (40) ❀

यह है उन बातों में से जो वही भेजी तेरे
 रब ने तेरी तरफ़ अद्वल के कामों से, और
 न ठहरा अल्लाह के सिवा किसी और की
 बन्दगी फिर पड़े तू दोज़ख़ में इज़ाम
 खाकर धकेला जाकर। (39) क्या तुमको
 चुनकर दे दिये तुम्हारे रब ने बेटे और
 अपने लिये कर लिया फ़रिश्तों को बेटियों,
 तुम कहते हो भारी बात। (40) ❀

व ल-क़द् सर्पना फी हाज़िल-
क़ुरआनि लि-यज़्जक्कहू, व मा
यज़ीदुहुम् इल्ला नुफ़ूरा (41) क़ुल
लौ-का-न म-अहू आलि-हतुन् कमा
यक़ूलू-न इज़ल्-लब्तागौ इला ज़िल्-
अर्शि सबीला (42) सुब्हानहू व
तअ़ाला अम्मा यक़ूलू-न अ़ुलुव्वन्
कबीरा (43) तुसब्बिहु लहुस्समावातुस्-
-सब्बु वल्अरज़ु व मन् फीहिन्-न,
व इम्-मिन् शौइन् इल्ला युसब्बिहु
बिहम्दिही व लाकिल्-ला तफ़क़हू-न
तस्बी-हहुम्, इन्नहू का-न हलीमन्
गफ़ूरा (44)

और फेर-फेरकर समझाया हमने इस
क़ुरआन में ताकि वे सोचें और उनको
ज़्यादा होता है वही बिदकना। (41) कह
अगर होते उसके साथ और हाकिम जैसा
कि ये बतलाते हैं तो निकालते अर्श वाले
की तरफ़ राह। (42) वह पाक है और
बरतर है उनकी बातों से बेइन्तिहा। (43)
उसकी पाकी बयान करते हैं सातों
आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें
है, और कोई चीज़ नहीं जो नहीं पढ़ती
ख़ूबियाँ उसकी, लेकिन तुम नहीं समझते
उनका पढ़ना, बेशक वह है बरदाश्त वाला
बड़्झाने वाला। (44)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) ये बातें (यानी ज़िक्र हुए अहकाम) उस हिक्मत
में की हैं जो खुदा तअ़ाला ने आप पर वही के ज़रिये से भेजी हैं (और ऐ मुखातब!) अल्लाह
बरहक के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत करना, वरना तू इज़्ज़ाम खाया हुआ और मरदूद
होकर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा (ज़िक्र हुए अहकाम को शुरू भी तौहीद के मज़मून से किया
गया था ख़त्म भी इसी पर किया गया, और आगे भी इसी तौहीद के मज़मून का बयान है कि
जब ऊपर शिर्क का बुरा और बातिल होना सुन लिया) तो क्या (फिर भी ऐसी बातों के कायल
होते हो जो तौहीद के ख़िलाफ़ हैं जैसे यह कि) तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ खास किया
है और खुद फ़रिश्तों को (अपनी) बेटियाँ बनाई हैं (जैसा कि अरब के जाहिल फ़रिश्तों को
अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे, जो दो वजह से बातिल है— अव्यल तो अल्लाह के लिये
औलाद करार देना, फिर औलाद भी लड़कियाँ जिनको लोग अपने लिये पसन्द नहीं करते, नाकारा
समझते हैं। इससे अल्लाह तअ़ाला की तरफ़ एक और नुक़्स की निस्वत होती है) बेशक तुम
बड़ी बात कहते हो।

और (अफ़सोस तो यह है कि इस तौहीद के मज़मून और शिर्क के बातिल होने को) हमने

इस कुरआन में तरह-तरह से बयान कर दिया है ताकि अच्छी तरह से समझ लें, और (विभिन्न तरीकों से बार-बार तौहीद के साबित करने और शिर्क के बातिल होने के बावजूद तौहीद से) उनको नफ़रत ही बढ़ती जाती है। आप (शिर्क के बातिल करने के लिये उनसे) फ़रमाइये कि अगर उस (माबूदे बरहक़) के साथ और माबूद भी (शरीक) होते जैसे कि ये लोग कहते हैं तो उस हालत में अर्श वाले (असली खुदा) तक उन्होंने (यानी दूसरे माबूदों ने कभी का) रास्ता ढूँढ लिया होता (यानी जिनको तुम अल्लाह के साथ खुदाई का शरीक करार देते हो अगर वे वाकई शरीक होते तो अर्श वाले खुदा पर चढ़ाई कर देते और रास्ता ढूँढ लेते, और जब खुदाओं में जंग हो जाती तो दुनिया का निज़ाम किस तरह चलता जिसका एक खास स्थिर निज़ाम के साथ चलना हर शाख़्स देख रहा है, इसलिये दुनिया के निज़ाम का सही तौर पर चलते रहना खुद इसकी दलील है कि एक खुदा के सिवा कोई दूसरा उसका शरीक नहीं है। इससे साबित हुआ कि) ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह तआला उससे पाक और बहुत ज़्यादा बुलन्द व बरतर है (वह ऐसा पाक है कि) तमाम सातों आसमान और ज़मीन और जितने (फ़रिश्ते आदमी और जिन्न) उनमें (मौजूद) हैं (सब के सब अपनी ज़बान या हाल से) उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, और (यह तस्बीह "यानी पाकी बयान करना" सिर्फ़ अक़ल वाले इनसान और जिन्नात के साथ मज़सूस नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान की) कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह (पाकी बयान करने को) समझते नहीं हो, बेशक वह बड़ा बरदाश्त वाला है, बड़ा मग़फ़िरत करने वाला है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

तौहीद की जो दलील आयत "इज़ल्लबग़ी इला ज़िल्-अर्शिल् सबीला" (यानी आयत नम्बर 42) में बयान फ़रमाई है अगर दुनिया की तमाम कायनात का ख़ालिफ़ व मालिक और हर तरह का इख़्तियार चलाने वाली सिर्फ़ एक ज़ात अल्लाह की न हो बल्कि इस खुदाई में और भी शरीक हों तो लाज़िमी है कि उनमें कभी मतभेद व विवाद भी होगा और मतभेद की सूत में दुनिया का सारा निज़ाम बरबाद हो जायेगा, क्योंकि उन सब में हमेशा सुलह होना और उस सुलह का हमेशा बाकी रहना आदतन नामुम्किन व मुहाल है। यह दलील यहाँ अगरचे नफी के अन्दाज़ में बयान की गई है मगर इल्मे कलाम की किताबों में इस दलील का बुरहानी और मन्तिकी होना भी वज़ाहत से बयान किया गया है अलिम हज़रात वहाँ देख सकते हैं।

ज़मीन व आसमान और इनमें मौजूद तमाम चीज़ों के तस्बीह करने का मतलब

इन चीज़ों में फ़रिश्ते सब के सब और इनसान व जिन्नात जो मोमिन हैं उनका अल्लाह की तस्बीह करना तो ज़ाहिर और आसानी से समझ में आने वाली बात है, सभी जानते हैं, काफ़िर

इनसान और जिन्न जो बज़ाहिर तस्बीह नहीं करते, इसी तरह दुनिया की दूसरी चीज़ें जिनको कहा जाता है कि उनमें अक्ल व शऊर नहीं है, उनके तस्बीह पढ़ने का मतलब क्या है? कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि उनकी तस्बीह से मुराद हाल की तस्बीह यानी उनके हालात की गवाही है क्योंकि अल्लाह तआला के सिवा हर चीज़ का मजमूई हाल बता रहा है कि वह न अपने वजूद में मुस्तकिल (स्वाधी) है न अपने बाकी रहने में, वह किसी बड़ी कुदरत के ताबे चल रहा है यही हाल की गवाही उसकी तस्बीह (पाकी बयान करना) है।

मगर दूसरे तहकीक वाले हज़रत का कौल यह है कि इख़्तियारी तस्बीह तो सिर्फ़ फ़रिश्ते और मोमिन जिन्नात व इनसानों के लिये मख़सूस है मगर कुदरती और ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर अल्लाह तआला ने कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे को अपना तस्बीह करने वाला बना रखा है, काफ़िर भी अव्वल तो उमूमन खुदा तआला को मानते और उसकी बड़ाई के कायल हैं और जो मादा-परस्त दहरिये (भौतिकवादी नास्तिक) या आजकल के कम्यूनिस्ट खुदा के वजूद के बज़ाहिर कायल नहीं मगर उनके वजूद का हर अंग जबरी तौर पर अल्लाह तआला की तस्बीह कर रहा है। जैसे दरख़्त और पत्थर मिट्टी वगैरह सब चीज़ें अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं मगर उनकी यह तस्बीह जो जबरी और तकवीनी (ग़ैर-इख़्तियारी और कुदरती वजूद के एतिबार से) है यह आम लोग सुनते नहीं, क़ुरआने करीम का इरशाद:

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

इस पर दलालत करता है कि यह हर ज़र्रे-ज़र्रे की जबरी तस्बीह कोई ऐसी चीज़ है जिसको आम इनसान समझ नहीं सकते, हाल की तस्बीह को तो अक्ल व समझ वाले जान सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि यह तस्बीह सिर्फ़ हाल की नहीं असली है मगर हमारी समझ व पहुँच से ऊपर है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

हदीस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मोजिज़ा बयान हुआ है कि आपकी मुट्ठी में कंकरोँ का तस्बीह करना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कानों से सुना, इसका मोजिज़ा होना तो ज़ाहिर है मगर किताब 'ख़साइस-ए-कुबरा' में शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि कंकरोँ का तस्बीह पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिज़ा नहीं, वो तो जहाँ कहीं भी हैं तस्बीह पढ़ती हैं, बल्कि मोजिज़ा आपका यह है कि आपके हाथ मुबारक में आने के बाद उनकी वह तस्बीह कानों से सुनी जाने लगी।

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी तहकीक को राजेह (ज्यादा सही) क़रार दिया है, और इस पर क़ुरआन व सुन्नत की बहुत-सी दलीलें पेश की हैं जैसे सूर: साँद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है:

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝

(यानी हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह व शाम तस्बीह करते हैं। और सूर: ब-क़रह में पहाड़ों के पत्थरों के मुताल्लिक इरशाद है:

إِنْ مِنْهَا لَمَنْ يَهْتَكِرُ مِنَ غَشْيَةِ اللَّهِ

(यानी पहाड़ों के कुछ पत्थर अल्लाह के ख़ौफ़ से नीचे गिर जाते हैं) जिससे पत्थरों में शऊर व समझ और खुदा का ख़ौफ़ होना साबित हुआ। और सूर: मरियम में ईसाईयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने की तरदीद में फ़रमाया:

تَعْرِفُ الْجِبَالَ هَذَا أَنْ دَعَا لِلرُّحْمَنِ وَلَدًا

“यानी ये लोग अल्लाह के लिये बेटा तजवीज़ करते हैं, इनके इस कलिमा-ए-कुफ़ से पहाड़ों पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है और वे गिरने लगते हैं।”

और ज़ाहिर है कि यह ख़ौफ़ उनके शऊर व समझ का पता देता है और शऊर व समझ के बाद तस्बीह करना कोई मुहाल चीज़ नहीं रहती।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से कहता है कि ऐ फ़ुलॉ! क्या तेरे ऊपर कोई ऐसा आदमी गुज़रा है जो अल्लाह को याद करने वाला हो? अगर वह कहता है कि हाँ, तो यह पहाड़ इससे खुश होता है। इस पर दलील देने के लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत पढ़ी:

وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

और फिर फ़रमाया कि जब इस आयत से यह साबित हुआ कि पहाड़ कुफ़ के कलिमात सुनने से प्रभावित होते हैं, उन पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है तो क्या तुम्हारा यह ख़्याल है कि वे बातिल (ग़लत और ग़ैर-हक़) कलिमात को सुनते हैं हक़ बात और ज़िक्रुल्लाह नहीं सुनते और उससे मुतासिर नहीं होते। (तफ्सीरे क़ुर्तुबी, दक़ाईक़ इब्ने मुबारक के हवाले से)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कोई जिन्न व इनसान और दरख्त और पत्थर और ढेला ऐसा नहीं जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ को सुनता है और क़ियामत के दिन उसके ईमान और नेक होने की गवाही न दे। (मुवत्ता इमाम मालिक व सुन्नन इब्ने माज़ा, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत से नक़ल किया है कि हम खाने की तस्बीह की आवाज़ सुना करते थे जबकि वह खाया जा रहा हो। और एक दूसरी रिवायत में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ खाना खाते तो खाने की तस्बीह की आवाज़ सुना करते थे। और सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं मक्का मुकर्रमा के उस पत्थर को पहचानता हूँ जो नुबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं अब भी उसको पहचानता हूँ। कुछ हज़रात ने कहा कि इससे मुराद हज़रे-अस्वद है। वल्लाहु आलम

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि हदीस की रिवायतें इस तरह के मामलात में बहुत हैं और उस्तुवाना हन्नाना की हिकायत तो आ़म मुसलमानों की ज़बानों पर है जिसके रोने की आवाज़

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सुनी जबकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुतबे के वक़्त उसको छोड़कर मिम्बर पर खुतबा देना शुरू किया।

इन रिवायतों के बाद इसमें क्या मुश्किल बात और शुब्हा रह जाता है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ में शऊर व समझ है और हर चीज़ वास्तविक तौर पर अल्लाह की तस्बीह करती है, और इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि यह तस्बीह ज़ाम है जानदार चीज़ों में भी और गैर-जानदार चीज़ों में भी, यहाँ तक कि दरवाज़े के किवाड़ों की आवाज़ में भी तस्बीह है। इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि अगर तस्बीह से मुराद हाल की तस्बीह होती तो उक्त आयत में हज़रत दाऊद की क्या विशेषता रहती, हाल वाली तस्बीह तो हर अक्ल व शऊर वाला इन्सान हर चीज़ से मालूम कर सकता है, इसलिये ज़ाहिर यही है कि यह तस्बीह कौल (जबान से अदा करने वाली) थी (और जैसा कि किताब 'ख़साइस-ए-कुबरा' के हवाले से ऊपर नक़ल किया है कि कंकरोँ का तस्बीह पढ़ना मोजिज़ा नहीं वह हर जगह हर हाल और हर वक़्त में आम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिज़ा यह था कि आपके हाथ मुबारक में आने के बाद उनकी तस्बीह इस तरह हो गई कि आम लोगों ने कानों से सुना, इसी तरह पहाड़ों की तस्बीह भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा इसी हैसियत से है कि उनके मोजिज़े से वह तस्बीह कानों से सुनने के काबिल हो गई। वल्लाहु आलम)।

وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْجُورًا ۝ وَ
 جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتِ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَّمَ
 آدْبَارَهُمْ نَقُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
 إِنْ تَسْمِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

व इज़ा करअतल्-कुरआन जअल्ला
 बैन-क व बैनल्लज़ीन ला युअ्मिनुन
 बिल्-आख़िरति हिजाबम्-मस्तूरा
 (45) व जअल्ला अला कुलूबिहिम्
 अकिन्नतन् अय्यंफ़कहूहु व फ़ी
 आज़ानिहिम् वक़रन्, व इज़ा ज़क़र-त
 रब्ब-क फ़िल्कुरआनि वस्दहू वल्लौ
 अला अद्बारिहिम् नुफ़ूरा (46) नस्तु

और जब तू पढ़ता है कुरआन कर देते हैं
 हम बीच में तेरे और उन लोगों के जो
 नहीं मानते आख़िरत को एक पर्दा छुपा
 हुआ। (45) और हम रखते हैं उनके
 दिलों पर पर्दा कि उसको न समझें और
 उनके कानों में बोझ, और जब ज़िक्र
 करता है तू कुरआन में अपने रब का
 अकेला कर-कर भागते हैं अपनी पीठ पर
 बिदक कर। (46) हम खूब जानते हैं

अज़लमु बिमा यस्तमिज़ून बिही
 इज़् यस्तमिज़ून इलै-क व इज़् हुम्
 नज्वा इज़् यकूलुज़्जालिमु-न इन्
 तत्तबिज़ून इल्ला रजुलम्-मसहूरा
 (47) उन्जुर कै-फ़ ज़-रबू लकल-
 अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू फ़ला यस्ततीज़ून
 सबीला। (48) ❖

जिस वास्ते वे सुनते हैं जिस वक़्त कान
 रखते हैं तेरी तरफ़ और जब वे मशिवरा
 करते हैं जबकि कहते हैं यह बेइन्साफ़
 जिसके कहने पर तुम चलते हो वह नहीं
 है मगर एक मर्द जादू का मारा। (47)
 देख ले कैसे जमाते हैं तुझ पर मिसालें
 और बंधकते फिरते हैं सो राह नहीं पा
 सकते। (48) ❖

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

इससे पहले की आयतों में यह ज़िक्र था कि तौहीद का मज़मून कुरआने करीम में विभिन्न और अनेक उनवानों और विभिन्न दलीलों के साथ बार-बार ज़िक्र होने के बावजूद ये बद-नसीब मुशिरक लोग इसको नहीं मानते। इन आयतों में उनके न मानने की वजह बतलाई गई है कि ये आयतों में गौर व फ़िक्र ही नहीं करते बल्कि उनसे नफ़रत और मज़ाक़ करते हैं, इसलिये इनको हकीकत के इल्म से अंधा कर दिया गया है। खुलासा-ए-तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जब आप (तब्तीग़ के लिये) कुरआन पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते उनके बीच एक पर्दा आड़ कर देते हैं (और वह पर्दा यह है कि) हम उनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं इससे कि वे इस (कुरआन के मक़सद) को समझें, और उनके कानों में डाट दे देते हैं (इससे कि वे इनको हिदायत हासिल करने के लिये सुनें। मतलब यह है कि वह पर्दा उनकी नासमझी का और इसका है कि वे समझने का इरादा ही नहीं करते जिससे वे आपकी नुबुव्वत की शान को पहचान सकें) और जब आप कुरआन में सिर्फ़ अपने रब (के कमालात और सिफ़तों) का ज़िक्र करते हैं (और ये लोग जिन माबूदों की इबादत करते हैं उनमें वो सिफ़तें हैं नहीं) तो वे लोग (अपनी नासमझी बल्कि टेढ़ी समझ के सबब इससे) नफ़रत करते हुए पीठ फेरकर चल देते हैं (आगे उनके इस बातिल अमल पर सज़ा की धमकी है कि) जिस वक़्त ये लोग आपकी तरफ़ कान लगाते हैं तो हम ख़ूब जानते हैं जिस गर्ज से ये (कुरआन को) सुनते हैं (कि वह गर्ज महज़ एतिराज़ करना, ताने देना और आलोचना करना है) और जिस वक़्त ये लोग (कुरआन सुनने के बाद) आपस में सरगोशियाँ “यानी चुपके-चुपके बातें” करते हैं (हम उसको भी ख़ूब जानते हैं) जबकि ये ज़ालिम यूँ कहते हैं कि तुम लोग (यानी उनकी बिरादरी में से जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ लग गये हैं) महज़ ऐसे शख़्स का

साथ दे रहे हो जिस पर जादू का (खास) असर (यानी जिन्नों का) हो गया है (यानी यह जो अजीब-अजीब बातें करते हैं यह सब जुनून और दिमागी खलल है। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ज़रा) आप देखिए तो ये लोग आपके लिये कैसे-कैसे लक़ब तजवीज़ करते हैं। सो ये लोग (बिल्कुल ही) गुमराह हो गये, तो (अब हक़ का) रास्ता नहीं पा सकते (क्योंकि ऐसी हठधर्मी, जिद और फिर अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा मामला इससे इनसान की समझ व हिदायत की काबलियत छिन जाती है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पैग़म्बर पर जादू का असर हो सकता है

किसी नबी और पैग़म्बर पर जादू का असर हो जाना ऐसे ही मुम्किन है जैसे बीमारी का असर हो जाना, इसलिये कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इनसानी ख़ासियतों से अलग नहीं होते। जैसे उनको ज़ख़्म लग सकता है, बुखार और दर्द हो सकता है, ऐसे ही जादू का असर भी हो सकता है, क्योंकि वह भी ख़ास तबई असबाब जिन्नात वग़ैरह के असर से होता है, और हदीस में साबित भी है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सेहर (जादू) का असर हो गया था। आख़िरी आयत में जो काफ़िरों ने आपको मसहूर (जादू का मारा हुआ) कहा और कुरआन ने उसकी तरदीद (खंडन) की इसका हासिल वह है जिसकी तरफ़ खुलासा-ए-तफ़सीर में इशारा कर दिया गया है कि उनकी मुराद दर हक़ीकत मसहूर कहने से मजन्नू कहना था, उसी की तरदीद कुरआन ने फ़रमाई है, इसलिये जादू वाली हदीस इसके खिलाफ़ और टकराने वाली नहीं।

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली व दूसरी आयत में जो मज्मून आया है उसके उतरने का एक ख़ास मौक़ा और सबब है जो इमाम क़ुर्तुबी ने सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किया है, कि जब कुरआन में सूर: लहब नाज़िल हुई जिसमें अबू लहब की बीवी की भी मज्मूत (निंदा) ज़िक्र हुई है तो उसकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में गई उस वक़्त सिद्दीके अक़बर मज्लिस में मौजूद थे, उसको दूर से देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अज़्र किया कि आप यहाँ से हठ जायें तो बेहतर है, क्योंकि यह औरत बड़ी ख़राब ज़बान वाली है, यह ऐसी बातें कहेगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। आपने फ़रमाया नहीं! इसके और मेरे बीच अल्लाह तआला पर्दा रोक कर देंगे, चुनाँचे वह मज्लिस में पहुँची मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न देख सकी तो सिद्दीके अक़बर से मुखातब होकर कहने लगी कि आपके साथी ने हमारी बुराई और निंदा की है। सिद्दीके अक़बर ने फ़रमाया कि अल्लाह की क़सम वह तो कोई शैर ही नहीं कहते, जिसमें आदतन बुराई की जाती है, तो वह यह कहती हुई चली गई कि तुम भी उनकी तस्दीक़ करने वालों में से हो। उसके चले जाने के बाद सिद्दीके अक़बर ने अज़्र किया कि क्या उसने आपको नहीं देखा? आपने फ़रमाया कि जब

तक वह यहाँ रही एक फ़रिश्ता मेरे और उसके बीच पर्दा करता रहा।

दुश्मनों की नज़र से छुपे रहने का एक अमल

हज़रत कअ़ब फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मुशिरकों की आँखों से छुपना चाहते तो कुरआन की तीन आयतें पढ़ लेते थे, इसके असर से काफ़िर लोग आपको देख न सकते थे। वो तीन आयतें ये हैं— एक आयत सूर: कहफ़ में है यानी:

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا.

(यानी आयत नम्बर 157) दूसरी आयत सूर: नहल में है:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ.

(यानी आयत नम्बर 108) और तीसरी आयत सूर: जासिया में है:

أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً.

(यानी आयत नम्बर 23)

हज़रत कअ़ब फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मामला मैंने मुल्के शाम के एक शख्स से बयान किया, उसको किसी ज़रूरत से रूम वालों के मुल्क में जाना था, वहाँ गया और एक ज़माने तक वहाँ मुक़ीम रहा, फिर रूम के काफ़िरों ने उसको सताया तो वह वहाँ से भाग निकला। उन लोगों ने उसका पीछा किया, उस शख्स को वह रिवायत याद आ गई और उक्त तीन आयतें पढ़ीं। क़ुदरत ने उनकी आँखों पर ऐसा पर्दा डाला कि जिस रास्ते पर ये चल रहे थे उसी रास्ते पर दुश्मन गुज़र रहे थे मगर वे इनको न देख सकते थे।

इमाम सालबी कहते हैं कि हज़रत कअ़ब से जो रिवायत नक़ल की गई है कि मैंने रै के रहने वाले एक शख्स को बतलाई। इतिफ़ाक़ से दैलम के काफ़िरों ने उसको गिरफ़्तार कर लिया कुछ मुददत उनकी क़ैद में रहा फिर एक दिन मौक़ा पाकर भाग खड़ा हुआ। ये लोग उसका पीछा करने निकले मगर उस शख्स ने भी ये तीन आयतें पढ़ लीं, इसका यह असर हुआ कि अल्लाह ने उनकी आँखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे उसको न देख सके हालाँकि साथ-साथ चल रहे थे और उनके कपड़े इनके कपड़ों से सू जाते थे।

इमाम क़ुर्तुबी कहते हैं कि इन तीनों के साथ सूर: यासीन की वो आयतें भी मिलाई जायें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिज़रत के वक़्त पढ़ा था जबकि मक्का के मुशिरकों ने आपके मकान का घेराव कर रखा था, आपने ये आयतें पढ़ीं और उनके बीच से निकलते हुए चले गये बल्कि उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए गये। उनमें से किसी को ख़बर नहीं हुई। वो आयतें सूर: यासीन की ये हैं:

يَسْ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ غَفَلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ غُمَّةً سَافِلًا فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

(यानी सूर: यासीन की शुरू की नौ आयतें)

इमाम कर्तुबी फरमाते हैं कि मुझे खुद अपने मुल्क उन्दुलुस में कर्तुबा के करीब क़िला मन्सूर में यह वाक़िआ पेश आया कि मैं दुश्मन के सामने भागा और एक कोने में बैठ गया, दुश्मन ने दो घोड़े सवार मेरा पीछा करने के लिये भेजे और मैं बिल्कुल खुले मैदान में था कोई चीज़ पर्दा करने वाली न थी, मगर मैं सूर: यासीन की ये आयतें पढ़ रहा था। वे दोनों सवार मेरे बराबर से गुज़रे फिर जहाँ से आये थे यह कहते हुए लौट गये कि यह शख्स कोई शैतान है, क्योंकि वह मुझे देख न सके अल्लाह तज़ाला ने उनको मुझसे अंधा कर दिया था। (तफसीरी कर्तुबी)

وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۗ إِنْ كُنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۗ ﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۗ أَوْ
خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۗ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۗ ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ﴿٥٢﴾

व कालू अ-इज़ा कुन्ना अ़िज़ामंव्-व
रुफातन् अ-इन्ना लमब्ज़ूसू-न
ख़ाल्कन् जदीदा (49) कुल् कूनू
हिजा-रतन् औ हदीदा (50) औ
ख़ल्कम्-मिम्मा यक्बुरु फी सुदूरिकुम्
फ-स-यकूलू-न मय्युज़्ज़िदुना,
कुलिल्लज़ी फ-त-रकुम् अच्च-ल
मरतिन् फ-सयुन्गिज़ू-न इलै-क
रुऊ-सहुम् व यकूलू-न मता हु-व,
कुल् अ़सा अय्यकू-न क़रीबा (51)
यौ-म यद्अ़ुकुम् फ-तस्तज़ीबू-न
बिहम्दिही व तज़ुन्नू-न इल्लबिस्तुम्
इल्ला क़लीला (52) ●

और कहते हैं कि जब हम हो जायें
हड्डियाँ और चूरा-चूरा फिर उठेंगे नये
बनकर? (49) तू कह तुम हो जाओ
पत्थर या लोहा, (50) या कोई ख़ल्कत
जिसको मुश्किल समझो अपने जी में।
फिर अब कहेंगे कौन लौटाकर लायेगा
हमको? कह जिसने पैदा किया तुमको
पहली बार, फिर अब मटकारेंगे तेरी तरफ़
अपने सर और कहेंगे कब होगा यह? तू
कह शायद नज़दीक ही होगा। (51) जिस
दिन तुमको पुकारेगा फिर चले आओगे
उसकी तारीफ़ करते हुए और अटकल
करोगे कि देर नहीं लगी तुमको मगर
थोड़ी। (52) ●

ख़ुलासा-ए-तफसीर

ये लोग कहते हैं कि जब हम (मरकर) हड्डियाँ और (हड्डियों का भी) चूरा (यानी रेज़ा-रेज़ा)

हो जाएंगे तो क्या (उसके बाद कियामत में) हम नये सिरे से पैदा और ज़िन्दा किए जाएंगे (यानी अब्बल तो मरकर ज़िन्दा होना ही मुश्किल है कि जिस्म में ज़िन्दगी की सलाहियत नहीं रही, फिर जबकि वह जिस्म भी रेज़ा-रेज़ा होकर उसके हिस्से बिखर जायें तो उसके ज़िन्दा होने को कौन मान सकता है)? आप (उनके जवाब में) फ़रमा दीजिए कि (तुम तो हड्डियों ही की ज़िन्दगी को दूर की और नामुम्किन बात समझते हो और हम कहते हैं कि) तुम पत्थर या लोहा या और कोई ऐसी मख़्लूक होकर देख लो जो तुम्हारे ज़ेहन में (ज़िन्दगी की सलाहियत से) बहुत ही दूर की चीज़ हो (फिर देखो कि ज़िन्दा किये जाओगे या नहीं। और पत्थर और लोहे को ज़िन्दगी से दूर की चीज़ करार देना इसलिये ज़ाहिर है कि इनमें किसी वक़्त भी हैवानी ज़िन्दगी नहीं आती, बख़िलाफ़ हड्डियों के कि उनमें पहले उस वक़्त तक ज़िन्दगी रह चुकी है तो जब पत्थर व लोहे का ज़िन्दा करना अल्लाह तआला के लिये मुश्किल नहीं तो इनसानी हिस्सों (अंगों) को दोबारा ज़िन्दगी बख़्श देना क्या मुश्किल होगा। और आयत में लफ़्ज़ क़ून् जो हुक्म का कलिमा है इससे मुराद यहाँ हुक्म नहीं बल्कि एक शर्त है, कि फ़र्ज़ करो अगर तुम पत्थर और लोहा भी हो जाओ तो अल्लाह तआला फिर भी तुम्हें दोबारा ज़िन्दा कर देने पर कादिर है। इस पर वे पूछेंगे कि वह कौन है जो हमको दोबारा ज़िन्दा करेगा? आप फ़रमा दीजिए कि वह वह है जिसने तुमको पहली बार पैदा किया था (असल बात यह है कि किसी चीज़ के वजूद में आने के लिये दो चीज़ें दरकार हैं— एक मादा और महल “मौफ़ा व स्थान” में वजूद की काबलियत दूसरे उसको वजूद में लाने के लिये काम करने वाली कुव्वत। पहला सवाल महल “जगह और मौफ़े” की काबलियत के मुताल्लिक़ था कि वह मरने के बाद ज़िन्दगी के काबिल नहीं रहा, इसका जवाब देकर महल की काबलियत साबित कर दी गई, तो यह दूसरा सवाल काम करने वाली ताक़त के मुताल्लिक़ किया गया कि ऐसा कौनसा ताक़त व कुदरत वाला है जो अपनी काम करने की कुव्वत से यह अजीब काम कर सके? इसके जवाब में फ़रमा दिया गया कि जिसने पहले तुम्हें ऐसे मादे से पैदा किया था जिसमें ज़िन्दगी की काबलियत का किसी को गुमान भी न था तो उसको दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल है। और जब काबिल (क़ुबूल करने और असर लेने वाला) व फ़ाज़िल (काम करने और असर करने वाला) दोनों का सवाल हल हो गया तो अब ये लोग उसके वाक़े व ज़ाहिर होने के वक़्त की तहकीक़ के लिये) आपके आगे सर हिला-हिलाकर कहेंगे कि (अच्छा बतलाईये कि) यह (ज़िन्दा होना) कब होगा? आप फ़रमा दीजिए कि अज़ब नहीं यह क़रीब ही आ पहुँचा हो (आगे उन हालात का बयान है जो इस नई ज़िन्दगी के वक़्त पेश आयेंगे)।

यह उस दिन होगा कि अल्लाह तुमको (ज़िन्दा करने और मैदाने हश्र में जमा करने के लिये फ़रिश्तों के ज़रिये) पुकारेगा और तुम (बिना इख़्तियार) उसकी तारीफ़ करते हुए हुक्म का पालन करोगे (यानी ज़िन्दा भी हो जाओगे और मैदाने हश्र में जमा भी हो जाओगे) और (उस दिन की हौल और हैबत देखकर तुम्हारा यह हाल हो जायेगा कि दुनिया की सारी उम्र और क़ब्र में रहने की सारी मुद्दत के बारे में) तुम यह ख़्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम (मुद्दत दुनिया में) रहे थे

(क्योंकि दुनिया और क़द्र में आजकी हौलनाकी के मुकाबले में फिर कुछ न कुछ राहत थी और राहत का ज़माना इनसान को मुसीबत पड़ने के वक़्त बहुत मुख़्तसर मालूम हुआ करता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَلِهِمْ

लफ़ज़ यद्क़ुम् दुआ से निकला है जिसके मायने आवाज़ देकर बुलाने के हैं, और मायने यह है कि जिस दिन अल्लाह तआला तुम सब को मेहशर की तरफ़ बुलायेगा और यह बुलाना फ़रिश्ते इब्राफील के ज़रिये होगा कि जब वह दूसरा सूर फूँकेंगे तो सब मुर्दे ज़िन्दा होकर मैदाने हशर में जमा हो जायेंगे, और यह भी हो सकता है कि ज़िन्दा होने के बाद सब को मैदाने हशर में जमा करने के लिये आवाज़ दी जाये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "क़ियामत के दिन तुमको तुम्हारे अपने और बाप के नाम से पुकारा जायेगा इसलिये अपने नाम अच्छे रखा करो, (बेहूदा नामों से परेहज़ करो)।" (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मेहशर में काफ़िर लोग भी अल्लाह की तारीफ़ व सना करते हुए उठेंगे

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَلِهِمْ

इस्तिजाबत के मायने किसी के बुलाने पर हुक्म की तामील करने और हाज़िर हो जाने के हैं। मायने यह हैं कि मैदाने हशर में जब तुमको बुलाया जायेगा तो तुम सब उस आवाज़ की इताअत करोगे और जमा हो जाओगे। बिहम्दिही इस लफ़ज़ से हुक्म की तामील करने वालों की हालत को बयान किया जा रहा है कि उस मैदान में आने के वक़्त तुम सब के सब अल्लाह की तारीफ़ व प्रशंसा करते हुए हाज़िर होंगे।

इस आयत के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि उस वक़्त मोमिन व काफ़िर सब का यही हाल होगा कि अल्लाह तआला की तारीफ़ करते हुए उठेंगे, क्योंकि इस आयत में असल ख़िताब काफ़िरों ही को है, उन्हीं के बारे में यह बयान हो रहा है कि सब तारीफ़ करते हुए उठेंगे। तफ़सीर के इमाम सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि काफ़िर लोग भी अपनी क़र्ज़ों से निकलते वक़्त 'सुब्हान-क व बिहम्दिही' के अलफ़ाज़ कहते हुए निकलेंगे, मगर उस वक़्त का तारीफ़ व सना करना उनको कोई नफ़ा नहीं देगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क्योंकि ये लोग जब मरने के बाद ज़िन्दगी देखेंगे तो ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर उनकी ज़बान से अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना के अलफ़ाज़ निकलेंगे, वह कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिस पर जज़ा मुरत्तब हो।

और कुछ मुफस्सिरीन हज़रात ने इस हाल को मोमिनों के लिये मख़सूस बतलाया है, उनकी दलील यह है कि काफ़िरो के मुताल्लिक तो क़ुरआने करीम में यह है कि जब वे ज़िन्दा किये जायेंगे तो यह कहेंगे:

يَوْمَئِذٍ نَسْنُوهُنَّ بِعَنَّا مِنْ مُرَقِدَانَا.

“ऐ अफ़सोस! हमें किसने हमारी क़ब्र से ज़िन्दा कर उठाया है।” और दूसरी आयत में है कि यह कहेंगे:

يَحْسُرُنِي عَلَىٰ مَا قَرَرْتُ لِي حَتَّىٰ لِلَّهِ.

“यानी ऐ हसरत व अफ़सोस! इस पर कि मैंने अल्लाह तआला के मामले में बड़ी कोताही की है।”

लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों अक़वाल में कोई टकराव नहीं हो सकता है कि शुरू में सब के सब तारीफ़ करते हुए उठें बाद में जब काफ़िरो को मोमिनों से अलग कर दिया जायेगा जैसा कि सूर: यासीन की आयत में है:

وَأَمَّا زُورَالْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

“ऐ मुजरिमो! तुम आज सब अलग अलग और नुमायों होकर जमा हो जाओ।” उस वक़्त उनकी ज़बानों से वो कलिमात भी निकलेंगे जो उक्त आयतों में आये हैं, और यह बात कुरआन व सुन्नत की बेशुमार वज़ाहतों से मालूम और साबित है कि मेहशर के लोगों के खड़े होने के मौक़े और स्थान अलग-अलग होंगे, हर स्थान और मौक़े में लोगों के हाल अलग-अलग होंगे। इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि हशर में उठने की शुरूआत भी तारीफ़ से होगी, सब के सब अल्लाह की तारीफ़ करते हुए उठेंगे और सब मामलात का ख़ात्मा भी अल्लाह की तारीफ़ पर होगा जैसा कि इरशाद है:

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“यानी सब मेहशर वालों का फैसला हक़ के मुताबिक़ कर दिया गया है और यह कहा गया है कि तारीफ़ व शुक्र है अल्लाह रब्बुल-आलमीन का।”

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يَعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذِكْرًا ۝

व क़ुल्-लिज़िबादी यक़ूलुल्लती हि-य
अह्सनु, इन्नशशैता-न यन्ज़गु बैनहुमु,

और कह दे मेरे बन्दों को कि बात वही
कहें जो बेहतर हो, शैतान झड़प करवाता

इन्नशैता-न का-न लिलइन्सानि
अदुव्वम्-मुबीना (53) रब्बुकुम्
अज़लमु बिकुम्, इय्यशअ् यरहम्कुम्
औ इय्यशअ् युअज़िज्बुकुम्, व मा
अर्सलना-क अलैहिम् वकीला (54) व
रब्बु-क अज़लमु बिमन् फिस्समावाति
वल्अर्जि, व ल-कद् फ़ज़लना
बअज़न्नबिय्यी-न अला बअज़िं-व
आतैना दावू-द ज़बूरा (55)

है उनमें, शैतान है इनसान का खुला
दुश्मन। (53) तुम्हारा रब ख़ूब जानता है
तुमको अगर चाहे तुम पर रहम करे और
अगर चाहे तुमको अज़ाब दे, और तुम्हको
नहीं भेजा हमने उन पर जिम्मा लेने
वाला। (54) और तेरा रब ख़ूब जानता है
उनको जो आसमानों में हैं और ज़मीन में
और हमने अफ़जल किया है बाज़े
पैग़म्बरों को बाज़ों से, और दी हमने
दाऊद को ज़बूर। (55)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और आप मेरे (मुसलमान) बन्दों से कह दीजिए कि (अगर काफ़िरों को जवाब दें तो) ऐसी बात कहा करें जो (अख़्लाक़ के एतिबार से) बेहतर हो (यानी उसमें ग़ाली-ग़लौज, बुरा-भला कहना, सख़्ती की बात और उल्लेखना शामिल न हो, क्योंकि) शैतान (सख़्त बात कहलवाकर) लोगों में फ़साद डलवा देता है, वाकई शैतान इनसान का खुला दुश्मन है (और वजह इस तालीम की यह है कि सख़्ती से कोई फ़ायदा नहीं होता और हिदायत व गुमराही तो अल्लाह के हुक्म और तक्दीर के ताबे है)। तुम सब का हल तुम्हारा परवर्दिगार ख़ूब जानता है (कि कौन किस काबिल है, बस) अगर वह चाहे तो तुम (में से जिस) पर (चाहे) रहमत फ़रमा दे (यानी हिदायत कर दे) या अगर वह चाहे तुम (में से जिस) को (चाहे) अज़ाब देने लगे (यानी उसको तौफ़ीक़ व हिदायत न दे)। और हमने आप (तक) को उन (की हिदायत) का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा (और जब बावजूद नबी होने के आप जिम्मेदार नहीं बनाये गये तो दूसरों की क्या मजाल है इसलिये किसी के पीछे पड़ जाना और सख़्ती करना बेफ़ायदा है)।

और आपका रब ख़ूब जानता है उनको (भी) जो कि आसमानों में हैं और (उनको भी जो कि) ज़मीन में हैं (आसमान वालों से मुराद फ़रिश्ते और ज़मीन वालों से मुराद इनसान और जिन्नात हैं। मतलब यह है कि हम ख़ूब वाकिफ़ हैं कि उनमें से किसको नबी और रसूल बनाना मुनासिब है किसको नहीं, इसलिये अगर हमने आपको नबी बना दिया तो इसमें ताज़्जुब की क्या बात है) और (इसी तरह अगर हमने आपको दूसरों पर फ़ज़ीलत दे दी तो ताज़्जुब क्या है क्योंकि) हमने (पहले भी) बाज़े नबियों को बाज़ों पर फ़ज़ीलत दी है (और इसी तरह अगर हमने आपको क़ुरआन दिया तो ताज़्जुब की क्या बात है क्योंकि आप से पहले) हम दाऊद को ज़बूर दे चुके हैं।

मआरिफ व मसाईल

बद-जुबानी और सख्त-कलामी काफिरों के साथ भी दुरुस्त नहीं

पहली आयत में जो मुसलमानों को काफिरों के साथ सख्त अन्दाज़ से कलाम करने से मना किया गया है उसकी मुराद यह है कि बिना ज़रूरत सख्ती न की जाये, और ज़रूरत हो तो कल तक करने की इजाज़त है:

कि बे हुक्मे-शरअ आब खुदन खतास्त
व गर खूँ ब-फतवा ब-रेजी रवास्त

यानी अगर शरीअत की इजाज़त न हो तो पानी तक का पीना मना और गुनाह है और शरीअत की तरफ से इजाज़त व हिदायत और हालात का तकाज़ा हो तो खून बहाना भी जायज़ है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

जंग व कल्ल के ज़रिये कुफ़ का दबदबा व ज़ोर और इस्लाम की मुखालफ़त को दबाया जा सकता है इसलिये इसकी इजाज़त है। गाली-गलौज और सख्त-कलामी से न कोई किला फतह होता है न किसी को हिदायत होती है इसलिये इससे मना किया गया है। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि यह आयत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के एक वाकिए में नाज़िल हुई जिसकी सूरत यह थी कि किसी शख्स ने हज़रत फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दी, उसके जवाब में उन्होंने भी उसको सख्त जवाब दिया और उसके कल्ल का इरादा किया, इसके नतीजे में खतरा पैदा हो गया कि दो कबीलों में जंग छिड़ जाये, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

और इमाम क़ुर्तुबी की तहकीक़ यह है कि इस आयत में मुसलमानों को आपस में खिताब करने के बारे में हिदायत है कि आपस के विवाद व झगड़े के वक़्त सख्त-कलामी न किया करें कि इसके ज़रिये शैतान उनमें आपस में जंग व फ़साद पैदा करा देता है।

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْوَا.

यहाँ ख़ास तौर पर ज़बूर का ज़िक्र शायद इसलिये किया गया है कि ज़बूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह ख़बर दी गई है कि आप रसूल व पैग़म्बर होने के साथ मुल्क व सल्लनत के मालिक भी होंगे जैसा कि कुरआने करीम में है:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

मौजूदा ज़बूर में भी कुछ हज़रात ने इसका उल्लेख होना साबित किया है। (तफ्सीर हक्कानी) इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफ्सीर में इस जगह लिखा है कि ज़बूर अल्लाह तआला की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसमें एक सौ पचास सूरेतें हैं और तमाम सूरेतें सिर्फ़ दुआ और अल्लाह की तारीफ़ व सना पर आधारित हैं, उनमें

हलाल व हराम और शरई क़ानूनों का बयान नहीं है।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَلَا تَكُونُ لِلضَّرِّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَحْزِنُوا
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا
عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّكَ فِي الْأَنْبِيَاءِ مَسْطُورًا ۝

कुलिद् अल्लजी-न ज़अम्तुम् मिन्
दूनिही फ़ला यम्लिक्-न कश्फ़ज़्ज़ुरि
अन्कुम् व ला तहवीला (56)
उलाइ-कल्लजी-न यद्ज़ू-न यब्तागू-न
इला रब्बिहिमुल्-वसील-त अय्युहुम्
अक्वरबु व यर्ज़ू-न रहम-तहू व
यस्त्राफू-न अज़ाबहू, इन्-न अज़ा-ब
रब्बि-क का-न महज़ूरा (57) व इम्-
मिन् कर्यतिन् इल्ला नहनु मुह्लिकूहा
कब्-ल यौमिल्-कि यामति औ
मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन् शदीदन्, का-न
ज़ालि-क फ़िल्किताबि मस्तूरा (58)

कह पुकारो जिनको तुम समझते हो
सिवाय उसके सो वे इस्तियार नहीं रखते
कि खोल दें तकलीफ़ को तुम से और न
(यह कि) बदल दें। (56) वे लोग जिनको
ये पुकारते हैं वे खुद ढूँढते हैं अपने रब
तक वसीला कि कौनसा बन्दा बहुत
नज़दीक है, और उम्मीद रखते हैं उसकी
मेहरबानी की और डरते हैं उसके अज़ाब
से, बेशक तेरे रब का अज़ाब डरने की
चीज़ है। (57) और कोई बस्ती नहीं जिस
को हम ख़राब न कर देंगे कियामत से पहले
या आफ़त डालेंगे उस पर सज़ा आफ़त।
यह है किताब में लिखा गया। (58)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

आप (उन लोगों से) फ़रमा दीजिये कि जिनको तुम अल्लाह तआला के सिवा (माबूद) करार
दे रहे हो (जैसे फ़रिश्ते और जिन्नात) ज़रा उनको (अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिये) पुकारो तो
सही। सो वे न तुमसे तकलीफ़ को दूर करने का इस्तियार रखते हैं और न उसके बदल डालने
का (जैसे तकलीफ़ को बिल्कुल दूर न कर सकें कुछ हल्का ही कर दें)। ये लोग कि जिनको ये
मुश्रिक लोग (अपनी ज़रूरत पूरी करने या मुश्किल को हल करने के लिये) पुकार रहे हैं, वे खुद
ही अपने रब की तरफ़ (पहुँचने का) ज़रिया ढूँढ रहे हैं, कि उनमें कौन ज़्यादा मुक़रब “यानी
अल्लाह का ख़ास और करीबी” बनता है (यानी वे खुद ही फ़रमाँबरदारी व इबादत में मशगूल हैं
ताकि अल्लाह तआला की निकटता मयस्सर हो जाये, और चाहते हैं कि अल्लाह की निकटता

का दर्जा और बढ़ जाये)। और वे उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अज़ाब से (नाफ़रमानी की सूरत में) डरते हैं। वाकई आपके रब का अज़ाब है भी डरने की चीज़ (मतलब यह है कि जब वे खुद इबादत में लगे हुए हैं तो माबूद कैसे हो सकते हैं, और जब वे खुद ही अपनी ज़रूरतों में और तकलीफ़ के दूर करने में अल्लाह तआला के मोहताज हैं तो वे दूसरों की हाजत पूरी करने और मुश्किल को हल करने में क्या कर सकते हैं)।

और (काफ़िरो की) ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको हम क़ियामत से पहले हलाक न करें (या क़ियामत के दिन) उसके रहने वालों को (दोज़ख़ का) सख़्त अज़ाब न दें। यह बात किताब (यानी लौह-ए-महफूज़) में लिखी हुई है (पस अगर कोई काफ़िर यहाँ हलाक होने से बच गया तो क़ियामत के दिन की बड़ी आफ़त से न बचेगा, और तबई मौत से हलाक होना तो काफ़िरो के साथ मख़सूस नहीं सभी मरते हैं, इसलिये बस्तियों के हलाक होने से इस जगह मुराद यह है कि किसी अज़ाब और आफ़त के ज़रिये हलाक किया जाये। तो खुलासा यह हुआ कि काफ़िरो पर कभी तो दुनिया में अज़ाब भेज दिया जाता है और आख़िरत का अज़ाब उसके अलावा होगा और कभी ऐसा भी होता है कि दुनिया में कोई अज़ाब न आया तो आख़िरत के अज़ाब से बहरहाल निजात नहीं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

يَسْتَعِينُ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ.

लफ़ज़ वसीला के मायने हर वह चीज़ जिसको किसी दूसरे तक पहुँचने का ज़रिया बनाया जाये। और अल्लाह के लिये वसीला यह है कि इल्म व अमल में अल्लाह तआला की मर्ज़ी की हर वक़्त रियायत रखे और शरीअत के अहकाम की पाबन्दी करे। मतलब यह है कि ये सब हज़रत अपने नेक अमल के ज़रिये अल्लाह तआला की रज़ा व खुशनुदी और निकटता की तलब में लगे हुए हैं।

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ.

हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह ने फ़रमाया कि उम्मीद और ख़ौफ़ यानी अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीदवार भी रहना और डरते भी रहना ये इनसान के दो अलग-अलग हाल हैं, जब ये दोनों बराबर दर्जे में रहें तो इनसान सही रास्ते पर चलता रहता है और अगर इनमें से कोई एक मग़लूब हो जाये तो उसी मात्रा से इनसान के हालात में ख़राबी आ जाती है। (क़ुर्वी)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا

الْأُولُونَ وَأَتَيْنَا شُعُوبَ النَّافَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۗ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۖ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ

رَبِّكَ أَحْسَبُ النَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۗ

وَخَوْفُهُمْ ۗ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۙ

व मा म-न-अ ना अन्नुसि-ल
बिल्आयाति इल्ला अन् कज़्ज-ब
बिहल्-अद्वलू-न, व आतै ना
समूदन्नाक-त मुब्सि-रतन् फ़-ज़-लमू
बिहा, व मा नुसिलु बिल्आयाति
इल्ला तख़्वीफ़ा (59) व इज़् कुल्ना
ल-क इन्-न रब्ब-क अहा-त बिन्नासि,
व मा जअल्नरुअयल्लती अरैना-क
इल्ला फि त् न-तल्-लिन्नासि
वशश-ज-रतल्-मल्ज़ून-त फ़िल्कुरआनि,
व नुख़व्विफ़ुहुम् फ़मा यज़ीदुहुम् इल्ला
तुग़यानन् कबीरा (60) ❁

और हमने इसलिए रोक दीं निशानियाँ
मेजनी कि अगलों ने उनको झुठलाया
और हमने दी समूद को ऊँटनी उनके
समझाने को फिर जुल्म किया उस पर,
और निशानियाँ जो हम मेजते हैं सो डराने
को। (59) और जब कह दिया हमने तुझ
से कि तेरे रब ने घेर लिया है लोगों को
और वह दिखलावा जो तुझको दिखलाया
हमने सो जाँचने को लोगों के और ऐसे
ही वह पेड़ जिस पर फटकार है कुरआन
में और हम उनको डराते हैं तो उनको
ज़्यादा होती है बड़ी शरारत। (60) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमको ख़ास (फ़रमाईशी) मोज़िज़ों के भेजने से यही बात रुकावट है कि पहले लोग
उन (के जैसे फ़रमाईशी मोज़िज़ों) को झुठला चुके हैं (और मिज़ाज व तबीयतें सब काफ़िरों की
मिलती-जुलती हैं तो जाहिर यह है कि ये भी झुठलायेंगे) और (नमूने के तौर पर एक किस्सा भी
सुन लो कि) हमने कौमै समूद को (उनकी फ़रमाईश के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के
मोज़िज़े के तौर पर) ऊँटनी दी थी (जो अज़ीब अन्दाज़ से पैदा हुई और) जो कि (मोज़िज़ा होने
के सबब अपने आप में) बसीरत “यानी समझ और दानाई” का ज़रिया थी, सो उन लोगों ने
(उससे समझ हासिल न की बल्कि) उसके साथ जुल्म किया (कि उसको क़त्ल कर डाला तो
जाहिर यह है कि अगर मौजूदा लोगों के फ़रमाईशी मोज़िज़े दिखलाये गये तो ये भी ऐसा ही
करेंगे) और हम ऐसे मोज़िज़ों को सिर्फ़ (इस बात से) डराने के लिये भेजा करते हैं (कि अगर ये
फ़रमाईशी मोज़िज़े देखकर भी ईमान न लाओगे तो फ़ौरन हलाक कर दिये जाओगे, और होता
यही रहा है कि जिन लोगों को फ़रमाईशी मोज़िज़े दिखलाये गये वे तो ईमान लाये ही नहीं यही
मामला उनकी हलाकत और सार्वजनिक अज़ाब का सबब बनेगा, और अल्लाह की हिक्मत का
तफ़ाज़ यह है कि ये लोग अभी हलाक न किये जायें इसलिये इनके फ़रमाईशी मोज़िज़े नहीं
दिखलाये जाते। इसकी ताईद उस वाकिए से होती है जो इन लोगों को पहले पेश आ चुका है
जिसका ज़िक्र यह है कि) आप वह वक़्त याद कर लीजिये जबकि हमने आप से कहा था कि
आपका रब (अपने इल्म से) तमाम लोगों (के जाहिरी व बालिनी, मौजूदा व आने वाले हालात)

को घेरे हुए है (और आने वाले हालात में उनका ईमान न लाना भी अल्लाह तआला को मालूम है जिसकी एक दलील उन्हीं का वाक़िआ यह है कि) हमने (मेराज के वाक़िए में) जो तमाशा (जागने की हालत में) आपको दिखलाया था, और जिस पेड़ की कुरआन में मज़म्मत "निंदा" की गई है (यानी ज़क़्कूम जो काफ़िरों का खाना है) हमने तो दोनों चीज़ों को उन लोगों के लिये गुमराही का सबब कर दिया (यानी उन लोगों ने इन दोनों बातों को सुनकर झुठलाया, मेराज को तो इस बिना पर झुठलाया कि एक रात की थोड़ी-सी मुदत में मुल्के शाम जाना और फिर आसमान पर जाना उनके नज़दीक मुम्किन न था, और ज़क़्कूम के पेड़ को इस वजह से झुठलाया कि उसको दोज़ख के अन्दर बतलाया जाता है कि आग में कोई पेड़ कैसे रह सकता है, अगर हो भी तो जल जायेगा, हालाँकि न एक रात में इतना लम्बा सफ़र तय करना अक़ली तौर पर मुहाल है न आसमान पर जाना नामुम्किन है, और आग के अन्दर पेड़ का वजूद उनकी समझ में न आया हालाँकि कोई मुहाल बात नहीं कि किसी पेड़ का मिज़ाज ही अल्लाह तआला ऐसा बना दें कि वह पानी के बजाय आग से परवरिश पाये। फिर फ़रमाया) और हम उन लोगों को डराते रहते हैं लेकिन उनकी बड़ी सरकशी बढ़ती ही चली जाती है (ज़क़्कूम के पेड़ के इनकार के साथ ये लोग मज़ाक़ भी करते थे जिसका बयान और अधिक तफ़सील व तहकीक़ के साथ सूर: साप्फ़ात में आयेगा)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُيَا الَّتِي آرَبْنَاكَ الْإِغْتِيءَ لِلنَّاسِ

“यानी मेराज की रात में जो तमाशा हमने आपको दिखलाया था वह लोगों के लिये एक फ़ितना था।”

तफ़ज़ फ़ितना अरबी भाषा में बहुत-से मायनों के लिये इस्तेमाल होता है। इसके मायने वह हैं जो, खुलासा-ए-तफ़सीर में लिये गये यानी गुमराही। एक मायने आज़माईश के भी आते हैं, एक मायने किसी हंगामे व फ़साद के बरपा होने के भी आते हैं, यहाँ इन सब मायनों की गुंजाईश है। हज़रत आयशा और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत हसन व हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहिमा वगैरह तफ़सीर के इमामों ने इस जगह फ़ितने से मुराद यही आख़िरी मायने लिये हैं और फ़रमाया कि यह फ़ितना दीन इस्लाम से फिर जाने का था, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेराज की रात में बैतुल-मुक़द्दस और वहाँ से आसमानों पर जाने और सुबह से पहले वापस आने का ज़िक्र किया तो बहुत-से नवमुस्लिम लोग जिनमें ईमान अच्छी तरह जमा नहीं था इस कलाम को झुठलाकर मुर्तद हो गये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसी वाक़िए से यह भी साबित हो गया कि तफ़ज़ 'रुअ्या' अरबी भाषा में अगरचे ख़्बाब के मायने भी आता है लेकिन इस जगह मुराद ख़्बाब (सपने) का किस्सा नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो लोगों के मुर्तद हो जाने (इस्लाम से फिर जाने) की कोई वजह नहीं थी, ख़्बाब तो हर शख़्स ऐसे

देख सकता है, बल्कि इस जगह 'रुजूया' से मुराद एक अज़ीब वाकिए का जागने की हालत में दिखलाना है। उक्त आयत की तफसीर में कुछ हज़रात ने इसको मेराज के वाकिए के अलावा दूसरे वाकिएगत पर भी महमूल किया है, मगर मजमूई एतिबार से वो यहाँ फिट नहीं बैठते इसलिये उलेमा की अक्सरियत ने मेराज के वाकिए ही को इस आयत की मुराद करा दिया है और बताया है यह उसी की तरफ़ इस आयत में इशारा है। (तफसीर कुरुबी)

وَاذْ ثَلَمْنَا بِالنَّبِيِّكَ اِسْمُجُدْ وَالْاَدْمَ فَسُجِدْ وَالْاِبْرٰهِيْمَ وَقَالَ

ءَاِسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۗ قَالَ اَنْزَيْتَنِيْكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلٰى اٰخَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا اَسْجُدْ لِمَنْ دَرَبْتَنِيْكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۗ قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاَنْ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤُكُمْ مَوْجُوْرًا ۗ وَاَسْتَغْرِزْ مِنْهُم مَّنْ سَطَعَتْ مِنْهُمْ يَصُوْنُوكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۗ وَمَا يَعُوْدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا عُرُوْرًا ۗ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّكَفٰى بِرَبِّكَ وَاِنْبِيَا ۗ

व इज़् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू
 लिआद-म फ-स-जदू इल्ला इब्नी-स,
 का-ल अ-अस्जुदु लिमन् खलक्-त
 तीना (61) का-ल अ-रऐत-क
 हाज़ल्लज़ी करम्-त अलय्-य, ल-इन्
 अख़्खरतनि इला यौमिल्-कियामति
 ल-अस्तनिकन्-न जुर्रिय्य-तहू इल्ला
 कलीला (62) कालज़हब् फ-मन्
 तबि-अ-क मिन्हुम् फ-इन्-न जहन्न-म
 जज़ाउकुम् जज़ाअम्-मौफूरा (63)
 वस्तफिज़्ज़् मनिस्त-तअ-त मिन्हुम्
 बिसौति-क व अज़िल्ब् अलैहिम्
 बिख़ैलि-क व रजिलि-क व शारिक्हुम्
 फिल्-अम्वालि वल्-औलादि व
 अिदहुम्, व मा यज़िदुहुमुश्-शैतानु

और जब हमने कहा फरिश्तों को कि सज्दा
 करो आदम को तो वे सज्दे में गिर पड़े
 मगर इब्नीस बोला क्या मैं सज्दा करूँ एक
 शख्स को जिसको तूने बनाया मिट्टी का।
 (61) कहने लगा भला देख तू यह शख्स
 जिसको तूने मुझसे बढ़ा दिया अगर तू
 मुझको ढील दे कियामत के दिन तक तो
 मैं इसकी औलाद को ढाँटी दे लूँ मगर धोड़े
 से। (62) फरमाया जा फिर जो कोई तेरे
 साथ हुआ उनमें से सो दोजख है तुम सब
 की सज़ा, पूरा बदला। (63) और घबरा ले
 उनमें से जिसको तू घबरा सके अपनी
 आवाज से, और ले आ उन पर अपने
 सवार और प्यादे और साज़ा कर उनसे माल
 और औलाद में, और वायदा दे उनको
 और कुछ नहीं वायदा देता उनको शैतान

इल्ला गुरुरा (64) इन्-न अ़िबादी
लै-स ल-क अ़लैहिम् सुल्तानुन्, व
कफ़ा बिरब्बि-क वकीला (65)

मगर दगाबाजी। (64) वे जो मेरे बन्दे हैं
उन पर नहीं तेरी हुकुमत, और तेरा रब
काफी है काम बनाने वाला। (65)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त याद रखने के काबिल है) जबकि हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो, तो उन सब ने सज्दा किया मगर इब्लीस "यानी शैतान" ने (न किया और) कहा कि क्या मैं ऐसे शख्स को सज्दा करूँ जिसको आपने मिट्टी से बनाया है (इस पर मरदूद हो गया। उस वक़्त) कहने लगा कि इस शख्स को जो आपने मुझ पर फ़ौकियत "यानी बरतरी" दी है (और इसी बिना पर इसको सज्दा करने का मुझे हुक्म दिया है) तो भला बताईये तो (इसमें क्या फज़ीलत है जिसकी वजह से मैं मरदूद हुआ) अगर आपने (मेरी दरखास्त के मुताबिक) मुझको क़ियामत के ज़माने तक (मौत से) मोहलत दे दी तो मैं (भी) सिवाय थोड़े-से लोगों के (जो नेक व परहेज़गार होंगे बाकी) इसकी तमाम औलाद को अपने काबू में कर लूँगा (यानी गुमराह कर दूँगा)। इरशाद हुआ— जा (जो तुझसे हो सके कर ले) जो शख्स उनमें से तेरे साथ हो लेगा तो तुम सब की संज़ा जहन्नम है, संज़ा पूरी। और उनमें से जिस-जिस पर तेरा काबू चले, अपनी चीख-पुकार से (यानी बहकाने और बुरे ख्यालात दिल में डालने से) उसका क़दम (सही रास्ते से) उखाड़ देना, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा लाना (कि तेरा सारा लश्कर मिलकर गुमराह करने में खूब ज़ोर लगाये) और उनके माल और औलाद में अपना साझा कर लेना (यानी माल व औलाद को गुमराही का ज़रिया बना देना जैसा कि यह चीज़ सामने आई), और उनसे (झूठे-झूठे) वायदे करना (कि क़ियामत में गुनाहों पर पकड़ न होगी और ये सब बातें शैतान को डॉट-डपट और चेतावनी के तौर पर कही गई हैं) और शैतान उन लोगों से बिल्कुल झूठे वायदे करता है (यह बयान हो रहे मज़मून से हटकर एक बात थी आगे फिर शैतान की खिताब है)। मेरे खास बन्दों पर तेरा ज़रा भी काबू न चलेगा और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! उसका काबू मुख़्लिस लोगों पर क्योंकि आपका रब (उनका) कारसाज़ काफी है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

'ल-अह्तनिकन्-न'। एहतिनाक के मायने हैं किसी चीज़ को तहस-नहस और फ़ना कर देना या पूरी तरह उस पर ग़ालिब आना। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) 'वस्तफ़ज़िज़'। इस्तिफ़ज़ाज़ के असल मायने काटने के हैं, मुराद इस जगह हक़ से काट देना है। 'बिसौति-क'। लफ़ज़ 'सौत' आवाज़ के मायने में परिचित है और शैतान की आवाज़ क्या है इसके बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि गाने, बाजे और खेल-तमाशे की आवाज़ें यही शैतान की आवाज़

है जिससे वह लोगों को हक से हटा और काट देता है। (तफसीरे कर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि हर तरह का बाजा, संगीत और गाना बजाना हराम है। (कर्तुबी)

इब्नीस (शैतान) ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा न करने के वक़्त दो बातें कही थीं— एक यह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किये गये और मैं आग की मख़्लूक हूँ, आपने मिट्टी को आग पर क्यों बरतरी और बड़ाई दे दी। यह सवाल अल्लाह के हुक़्म के मुकाबले में हुक़्म की हिक्मत मालूम करने से संबन्धित था जिसका किसी मामूर (जिसको किसी काम का हुक़्म दिया जाये) को हक़ नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से मामूर (हुक़्म दिये गये शख्स) को तो हिक्मत और वजह पूछने का हक़ क्या होता दुनिया में खुद इनसान अपने नौकर को इसका हक़ नहीं देता कि वह किसी काम को कहे तो नौकर वह काम करने के बजाय आका से पूछे कि इस काम में क्या हिक्मत है। इसलिये उसका यह सवाल नाक़बिले जवाब करार देकर यहाँ इसका जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा ज़ाहिर जवाब यही है कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर बरतरी व बड़ाई देने का हक़ उसी ज़ात को है जिसने उनको पैदा किया और पाला है, वह जिस वक़्त जिस चीज़ को दूसरी चीज़ पर बड़ाई दे दे वही अफ़ज़ल हो जायेगी।

दूसरी बात यह कही थी कि अगर कियामत तक की ज़िन्दगी मिलने की मेरी दरख़्वास्त मन्ज़ूर कर ली गई तो मैं आदम की सारी औलाद को सिवाय चन्द लोगों के गुमराह कर डालूँगा। उक्त आयतों में हक़ तआला ने इसका जवाब दे दिया कि मेरे ख़ास बन्दे जो मुख़्लिस हैं उन पर तो तेरा काबू न चलेगा, चाहे तू अपना सारा लाव-लशकर ले आये और पूरा ज़ोर ख़र्च करे, बाकी ग़ैर-मुख़्लिस अगर वे तेरे काबू में आ गये तो उनका भी वही हाल होगा जो तेरा है कि जहन्नम के अज़ाब में तुम सब गिरफ़्तार होगे। इसमें 'अज़लिब् अलैहिम् बिख़ैलि-क व रजिलि-क' में जो शैतानी लशकर के सवार और प्यादों का ज़िक्र है इससे यह लाज़िम नहीं आता कि वास्तव में भी शैतान के कुछ अफ़राद सवार हों कुछ प्यादे, बल्कि यह मुहावरा पूरे लशकर और पूरी ताक़त इस्तेमाल करने के लिये बोला जाता है। और अगर वास्तव में ऐसा हो कि कुछ शैतान सवार होते हों कुछ प्यादे तो इसमें भी कोई इनकार की वजह नहीं, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जितने अफ़राद भी कुफ़्र व नाफ़रमानी की हिमायत के लिये लड़ने को चलते हैं वे सवार और प्यादे सब शैतान ही का सवार और प्यादा लशकर है।

रहा यह मामला कि शैतान को यह कैसे मालूम हुआ कि वह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाकर गुमराह करने पर कादिर हो जायेगा, जिसकी बिना पर उसने यह दावा किया। तो मुष्किन है कि इनसान के वो तत्व जिनसे यह तैयार हुआ है उनको देखकर उसने यह समझ लिया हो कि इसके अन्दर नफ़्सानी इच्छाओं का गुलबा होगा इसलिये बहकाने में आ जाना दुश्वार नहीं और इसमें भी कुछ दूर की और मुश्किल बात नहीं कि यह दावा भी बिल्कुल झूठा ही हो।

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

लोगों के मालों और औलाद में शैतान की शिकंटा (साझेदारी) का मतलब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बयान फरमाया कि मालों में जो माल नाजायज़ हराम तरीकों से हासिल किया जाये या हराम कामों में खर्च किया जाये यही शैतान की उसमें शिकंटा है, और औलाद में शैतान की शिकंटा हराम औलाद होने से भी होती है और इससे भी कि औलाद के नाम मुशिरकों वाले रखे, या उनकी हिफाज़त के लिये मुशिरकों की रस्में अदा करे, या उनकी परवरिश के लिये आमदनी के हराम साधन और असबाब इस्तिथार करे। (तफसीरी खुर्तुबी)

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزَيِّرُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعْتُمْوَا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ حَزَلْتُمْ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا رِيَاءَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَ
كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۚ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَيِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَأَيُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ
وَكِيلًا ۚ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ لَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ ۚ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّمَاءِ يَتَغَيَّرُ بِكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ
ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهِمْ يَدِيْعًا ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
السَّمَوَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

रब्बुकुमुल्लाज़ी युज़्ज़ी लकुमुल्-फुल्-क
फिल्बदिर लितब्तगू मिन् फज़िलही,
इन्नहू का-न बिकुम् रहीमा (66) व
इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुरु फिल्बदिर ज़ल्-ल
मन् तद्-अ-न इल्ला इय्याहु फ-लम्मा
नज्जाकुम् इलल्-बरि अज़्ज़तुम्, व
कानल्-इन्सानु कफूरा (67)
अ-फ-अमिन्तुम् अय्यख़िस्-फ बिकुम्
जानिबल्-बरि औ युरसि-ल ज़लैकुम्
हासिबन् सुम्-म ला तजिदू लकुम्
वकीला (68) अम् अमिन्तुम्
अय्युज़्ज़ी-दकुम् फीहि ता-रतन् उख़्रा
फयुरसि-ल ज़लैकुम् कासिफम्-

तुम्हारा रब वह है जो चलाता है तुम्हारे
वास्ते कश्ती दरिया में ताकि तलाश करे
उसका फज़ल, वही है तुम पर मेहरबान।
(66) और जब आती है तुम पर आफत
दरिया में भूल जाते हो जिनको तुम
पुकारा करते थे अल्लाह के ज़लावा, फिर
जब बचा लाया तुमको ख़ुशकी में फिर
जाते हो, और है इनसान बड़ा नाशुक्र।
(67) सो क्या तुम बेडर हो गये इससे कि
घंसा दे तुमको जंगल के किनारे या भेज
दे तुम पर आँधी पत्थर बरसाने वाली
फिर न पाओ अपना कोई निगहबान।
(68) या बेडर हो गये हो इससे कि फिर
ले जाये तुमको दरिया में दूसरी बार, फिर
भेजे तुम पर एक सख़्त झोंका हवा का,

मिनर्-रीहि फ़युग़्रि-ककुम् बिमा
कफ़रतुम् सुम्-म ला तजिदू लकुम्
अलैना बिही तबीआ (69) व ल-कद्
कर्रम्ना बनी आद-म व हमल्लाहुम्
फिल्बर्रि वल्बहिर व रज़क्रनाहुम्
मिनत्तय्यिबाति व फ़ज़ल्लाहुम् अला
कसीरिम्-मिम्मन् ख़ालक्ना
तफ़ज़ीला (70) ❀

फिर डुबा दे तुमको बदले में इस नाशुक्री
के, फिर न पाओ अपनी तरफ से हम पर
उसका कोई पूछगछ करने वाला। (69)
और हमने इज़्ज़त दी है आदम की
जौलाद को और सवारी दी उनको जंगल
और दरिया में और रोज़ी दी हमने उनको
सुथरी चीज़ों से और बढ़ा दिया उनको
बहुतों से जिनको पैदा किया हमने बढ़ाई
देकर। (70) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

(इनसे पहले की आयतों में तौहीद को साबित करने और शिर्क के बातिल होने का बयान था, अब इन आयतों में यही मज़मून एक ख़ास अन्दाज़ से बयान किया गया है जिसका हासिल यह है कि हक़ तआला की बेशुमार अज़ीमुश्शान नेमतें जो इनसानों पर हर वक़्त नाज़िल होती हैं उनको बयान करके यह बतलाना मन्ज़ूर है कि इन तमाम नेमतों का बख़्शने वाला सिवाय एक हक़ तआला के कोई नहीं हो सकता, और सब नेमतें उसकी हैं तो उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना बड़ी गुमराही है। और इरश़ाद फ़रमाया कि) तुम्हारा रब ऐसा (नेमत देने वाला) है कि तुम्हारे (नफ़े के) लिये कश्ती को दरिया में ले चलता है ताकि तुम उसके रिज़्क की तलाश करो (इसमें इशारा है कि पानी का सफ़र तिजारत के लिये उमूमन बड़े नफ़े का सबब होता है) बेशक वह तुम्हारे हाल पर बहुत मेहरबान है।

और जब तुमको दरिया में कोई तकलीफ़ पहुँचती है (जैसे दरिया की लहर और हवा के तूफ़ान से डूबने का खतरा) तो सिवाय खुदा के और जिस जिसकी तुम इबादत करते थे सब ग़ायब हो जाते हैं (कि न तुम्हें खुद ही उस वक़्त उनका ख़्याल आता है न उनको पुकारते हो और पुकारो भी तो उनसे किसी इमदाद की ज़र्रा बराबर उम्मीद नहीं, यह खुद अमली तौर पर तुम्हारी तरफ से तौहीद "यानी अल्लाह के एक होने और उसके अलावा किसी के खुदा व माबूद न होने" का इक़रार और शिर्क को बातिल ठहराना है) फिर जब तुमको खुश्की की तरफ़ बचा लाता है तो तुम फिर उससे रुख़ फेर लेते हो, और इनसान है बड़ा नाशुक्का (कि इतनी जल्दी अल्लाह के इनाम और अपने फ़रियाद करने व गिड़गिड़ाने को भूल जाता है, और तुम जो खुश्की में पहुँचकर उससे अपना रुख़ फेर लेते हो) तो क्या तुम इस बात से बेफ़िक़्र हो बैठे हो कि तुमको खुश्की की तरफ़ लाकर ही ज़मीन में धंसा दे (मतलब यह है कि अल्लाह के नज़दीक दरिया और खुश्की में कोई फ़र्क़ नहीं, वह जैसे दरिया में ग़र्क़ कर सकता है ऐसा ही खुश्की में

भी ज़मीन में धंसाकर गर्क कर सकता है) या तुम पर कोई ऐसी सख्त हवा भेज दे जो कंकर पत्थर बरसाने लगे (जैसा कि आद कौम ऐसे ही हवा के तूफान से हलाक की गई थी) फिर तुम खुदा के अलावा किसी को अपना कारसाज़ न पाओ। या तुम इससे बेफिक्र हो गये कि खुदा तआला फिर तुमको दरिया ही में दोबारा ले जाये, फिर तुम पर हवा का सख्त तूफान भेज दे; फिर तुमको तुम्हारे कुफ़ के सबब डुबो दे, फिर इस बात पर (यानी डुबो देने पर) कोई हमारा पीछा करने वाला भी तुमको न मिले (जो हम से तुम्हारा बदला ले सके)। और हमने आदम की औलाद को (विशेष सिफ़तें देकर) इज़्जत दी, और हमने उनको खुश्की और दरिया में (जानवरों और कश्तियों पर) सवार किया और उम्दा-उम्दा चीज़ें उनको अता फरमाई। और हमने उनको अपनी बहुत-सी मख़्लूक़ात पर बरतरी दी।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इनसान की बड़ाई अक्सर मख़्लूक़ात पर किस वजह से है?

आखिरी आयत में आदम की औलाद (यानी इनसान) की अक्सर मख़्लूक़ात पर बरतरी व बड़ाई का ज़िक्र है। इसमें दो बातें ध्यान देने के काबिल हैं अब्बल यह कि यह अफ़ज़ल व बेहतर होना किन सिफ़ात और किन कारणों की बिना पर है। दूसरे यह कि इसमें बड़ाई अक्सर मख़्लूक़ात पर देना बयान फ़रमाया है इससे क्या मुराद है?

पहली बात की तफ़सील यह है कि हक़ तआला ने इनसान को विभिन्न हैसियतों से ऐसी विशेषतायें अता फ़रमाई हैं जो दूसरी मख़्लूक़ात में नहीं, जैसे सूत की ख़ूबसूरती, जिस्म में दरमियानापन, मिज़ाज में संतुलन, क़द-काठी डील-डोल में दरमियानापन जो इनसान को अता हुआ है किसी दूसरे हैवान में नहीं। इसके अलावा अक़ल व शऊर में इसको खास विशेषता और दूसरों से अलग ख़ुसूसियत बख़्शी गयी है जिसके ज़रिये वह ऊपर नीचे की तमाम कायनात से अपने काम निकालता है, उसको अल्लाह तआला ने इसकी क़ुदरत बख़्शी है कि अल्लाह की मख़्लूक़ात से ऐसे मिश्रण और चीज़ें तैयार करे जो उसके रहने-सहने, चलने-फिरने और खाने व लिबास में उसके विभिन्न तौर पर काम आयें।

बोलने व बात करने और समझने व समझाने का जो मलका (महारत व कमाल) उसको अता हुआ है वह किसी दूसरे हैवान को नहीं। इशारों के ज़रिये अपने दिल की बात दूसरों को बतला देना, तहरीर और ख़त के ज़रिये दिल की बात दूसरों तक पहुँचाना यह सब इनसान ही की विशेषतायें हैं। कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि हाथ की उंगलियों से खाना भी इनसान ही की विशेष सिफ़त है, इसके सिवा तमाम जानवर अपने मुँह से खाते हैं, अपने खाने की चीज़ों को विभिन्न चीज़ों से तैयार करके लज़ीज़ और मुफ़ीद बनाने का काम भी इनसान ही करता है; बाकी सब जानवर अकेली-अकेली चीज़ें खाते हैं। कोई कच्चा गोश्त खाता है, कोई घास कोई फल वगैरह, बहरहाल सब अकेली-अकेली चीज़ें खाते हैं, इनसान ही अपनी ग़िज़ा के लिये इन

सब चीजों के भुरक्कबात (मिलीजुली चीजें और पकवान) तैयार करता है और सब से बड़ी फ़ज़ीलत अक्ल व शऊर की है जिससे वह अपने ख़ालिफ़ और मालिक को पहचाने और उसकी मर्ज़ी और नामर्ज़ी को मालूम करके उसकी पसन्दीदा बातों का पालन करे नापसन्दीदा बातों से परहेज़ करे, और अक्ल व शऊर के एतिबार से मख़्लूकात की तफ़सीम इस तरह है कि आ़म जानवरों में इच्छायें और शहवतें (नफ़्सानी तकाज़े) हैं अक्ल व शऊर नहीं, फ़रिश्तों में अक्ल व शऊर भी है इच्छायें और शहवतें नहीं। इनसान में ये दोनों चीजें जमा हैं, अक्ल व शऊर भी है और इच्छायें और शहवतें (नफ़्सानी तकाज़े) भी हैं इसी वजह से जब वह शहवतों व इच्छाओं को अक्ल व शऊर के ज़रिये दबा लेता है और अल्लाह तआला की नापसन्दीदा चीजों से अपने आपको बचा लेता है तो उसका मक़ाम बहुत-से फ़रिश्तों से भी ऊँचा हो जाता है।

दूसरी बात कि आदम की औलाद को अक्सर मख़्लूकात पर फ़ज़ीलत देने का क्या मतलब है, इसमें तो किसी को मतभेद की गुंजाइश नहीं कि दुनिया की ऊपर नीचे की तमाम मख़्लूकात और तमाम जानवरों पर इनसान को फ़ज़ीलत हासिल है, इसी तरह जिन्नात जो अक्ल व शऊर में इनसान ही की तरह हैं उन पर भी इनसान का अफ़ज़ल होना सबके नज़दीक माना हुआ है, अब सिर्फ़ मामला फ़रिश्तों का रह जाता है कि इनसान और फ़रिश्ते में कौन अफ़ज़ल (बेहतर और ऊँचे रतबे वाला) है, इसमें तहकीकी बात यह है कि इनसानों में आ़म मोमिन और नेक लोग जैसे औलिया-अल्लाह वे आ़म फ़रिश्तों से अफ़ज़ल हैं, मगर ख़ास फ़रिश्ते जैसे जिब्रील, मीकाईल वगैरह उन आ़म नेक मोमिनों से अफ़ज़ल हैं, और मोमिनों में से ख़ास हज़रात जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, वे ख़ास फ़रिश्तों से भी अफ़ज़ल हैं। बाकी रहे काफ़िर व बदकार इनसान, वे जाहिर है कि फ़रिश्तों से तो क्या अफ़ज़ल होते वे तो जानवरों से भी असल मक़सद यानी कामयाबी में अफ़ज़ल नहीं, उनके मुताल्लिक़ तो क़ुरआन का फैसला यह है:

أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا مَعًا ۚ وَهُمْ أَصْلُ

यानी ये तो चौपाये जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। (तफ़सीरी मज़हरी) वल्लाहु आलम।

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِإِسْمِهَا ۖ فَسَأُنثَىٰ تَبَوَّءَتْ بِأيدِيهَا وَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظُنُّونَ فِتْيَانًا ۖ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَشْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

यौ-म नद्ज़ू कुल्-ल उनासिम्
बि-इमामिहिम् फ़-मन् ऊति-य
किताबहू बियमीनिही फ़-उलाइ-क
यक्करू-न किताबहुम् व ला युज़्लमू-न

जिस दिन हम बुलायेंगे हर फ़िर्क़ को उन के सरदारों के साथ सो जिसको मिला उसका आमांल नामा उसके दाहिने हाथ में सो वे लोग पढ़ेंगे अपना लिखा और जुल्म न होगा उन पर एक धागे का। (71)

फ़तीला (71) व मनु कान फ़ी
हाज़िही अज़्मा फ़हु-व फ़िल्आख़िरति
अज़्मा व अज़ल्लु सबीला (72)

और जो कोई रहा इस जहान में अंधा तो
वह बाद के जहान में भी अंधा है और
बहुत दूर पड़ा हुआ राह से। (72)

खुलासा-ए-तफसीर

(उस दिन को याद करना चाहिये) जिस दिन हम तमाम आदमियों को उनके आमाल नामे समेत (मैदाने हशर में) बुलाएँगे (और वो आमाल नामे उड़ा दिये जायेंगे, फिर किसी के दाहिने हाथ और किसी के बायें हाथ में आ जायेंगे)। फिर जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जायेगा (और ये ईमान वाले होंगे) तो ऐसे लोग अपना आमाल नामा (खुश होकर) पढ़ेंगे, और उनका ज़रा भी नुक़सान न किया जायेगा (यानी उनके ईमान और आमाल का सवाब पूरा पूरा मिलेगा, ज़रा न कम होगा चाहे ज़्यादा मिल जाये, और अज़ाब से निजात भी होगी चाहे शुरू ही में या गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद)। और जो शख्स दुनिया में (निजात का रास्ता देखने से) अंधा रहा, सो वह आख़िरत में भी (निजात की मन्ज़िल तक पहुँचने से) अंधा रहेगा, और (बल्कि वहाँ दुनिया से भी) ज़्यादा भटका हुआ होगा (क्योंकि दुनिया में तो गुमराही का इलाज मुम्किन था वहाँ यह भी न हो सकेगा, ये वे लोग होंगे जिनका आमाल नामा उनके बायें हाथ में दिया जायेगा)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ بِاِمَامِهِمْ

इस आयत में लफ़ज़ इमाम किताब के मायने में है जैसा कि सूर: यासीन में है:

وَكُلٌّ شَيْءٍ اِخْتَصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

इसमें इमामे मुबीन से मुराद स्पष्ट और खुली किताब है, और किताब को इमाम इसलिये कहा जाता है कि भूल-चूक और मतभेद के वज़त किताब ही की तरफ़ रूजू किया जाता है जैसे किसी पेशवा और इमाम की तरफ़ रूजू किया जाता है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और तिर्मिज़ी की हदीस हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से (जिसको तिर्मिज़ी ने हसन ग़रीब कहा है) उससे भी यही मालूम होता है कि इमाम से मुराद इस आयत में किताब है। हदीस के अलफ़ाज़ ये हैं:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ بِاِمَامِهِمْ. قَالَ يَدْعَى اِحْتِصَانًا لِكِتَابِهِ بَيِّنَةٍ. (الحديث بطوله)

“आयत ‘यौ-म नदरु कुल-ल उनासिम् बि-इमामिहिम्’ की तफ़सीर में ख़ूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया है कि एक शख्स को बुलाया जायेगा और उसका आमाल नामा दाहिने हाथ में दे दिया जायेगा।”

इस हदीस से यह भी मुतैयन हो गया कि इमाम किताब के मायने में है, और यह भी मालूम हो गया कि किताब से मुराद आमाल नामा है, इसलिये खुलासा-ए-तफसीर जो बयानुल-कुरआन से लिया गया है उसमें इसका तर्जुमा आमाल नामे से कर दिया गया है।

और हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह मुफ़सिरीन से यहाँ लफ़्ज़ इमाम के मायने मुक्तदा और पेशवा के भी मन्कूल हैं, कि हर शख्स को उसके मुक्तदा व पेशवा का नाम लेकर पुकारा जायें, चाहे वह मुक्तदा व पेशवा अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनके नायब बुजुर्ग व उलेमा हों या गुमराही और नाफ़रमानी की तरफ़ दावत देने वाले पेशवा (लीडर व सरगना)। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इस मायने के लिहाज़ से आयत का मतलब यह होगा कि मैदाने हशर में हर शख्स को उसके मुक्तदा और पेशवा के नाम से पुकारा जायेगा और सब को एक जगह जमा कर दिया जायेगा, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों व ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पैरोकारों, फिर इनके तहत में मुम्किन है कि उन पैरोकारों और मानने वालों के डायरेक्ट पेशवाओं का नाम भी लिया जाये।

नामा-ए-आमाल

कुरआन मजीद की अनेक आयतों से मालूम होता है कि बायें हाथ में आमाल नामा सिर्फ़ काफ़िरों को दिया जायेगा जैसा कि एक आयत में है:

إِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

और एक दूसरी आयत में है:

إِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يُحٰوِرَ

पहली आयत में स्पष्ट रूप से ईमान की नफ़ी गई है और दूसरी में आख़िरत का इनकार बयान हुआ है वह भी कुफ़ ही है। इस तुलना करने से मालूम होता है कि दाहिने हाथ में आमाल नामा ईमान वालों को दिया जायेगा चाहे मुत्तकी हों या गुनाहगार, मोमिन अपने आमाल नामे को खुशी के साथ पढ़ेगा बल्कि दूसरों को भी पढ़वायेगा, यह खुशी ईमान की और हमेशा के अज़ाब से निजात की होगी अगरचे कुछ आमाल पर सज़ा भी होगी।

और कुरआने करीम में नामा-ए-आमाल दाहिने या बायें हाथ में दिये जाने की कैफ़ियत बयान नहीं हुई लेकिन कुछ हदीसों में आमाल नामों के उड़ाये जाने का ज़िक्र आया है। (इसको इमाम अहमद ने हज़रत आग़शा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से मरफूअन नक़ल किया है) और हदीस की कुछ रिवायतों में है कि सब आमाल नामे अर्श के नीचे जमा होंगे, फिर एक हवा चलेगी जो सब को उड़ाकर लोगों के हाथ में पहुँचा देगी, किसी के दाहिने हाथ में किसी के बायें हाथ में। (बयानुल-कुरआन, रूहुल-मआनी के हवाले से)

وَأَن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الرَّبِّ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ يَتَّفِقِينَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۗ
 وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْ لَا أَن تَبْتَئَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَبُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذَا لَادَقْنَاكَ ضَعْفَ
 الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفِرُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِیُخْرِجُوكَ
 مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ وَمِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لُسُنُنَا
 تَخْوِيلًا ۝

व इन् कादू लयफितनू-न-क अनिल्लज्जी
 औहैना इलै-क लितफतरि-य अलैना
 गैरहू व इजल्-लत्त-ख़ज़ू-क ख़लीला
 (73) व लौ ला अन् सब्बत्ना-क
 ल-कद् कित्-त तर्-कनु इलैहिम्
 शौअन् क़लीला (74) इजल्
 ल-अज़कना-क जिअफल्-हयाति व
 जिअफल्-ममाति सुम्-म ला तजिदु
 ल-क अलैना नसीरा (75) व इन्
 कादू लयस्तफिज़्ज़ू-न-क मिनल्अर्जि
 लियुख़िरजू-क मिन्हा व इजल्-ला
 यल्बसू-न ख़िलाफ़-क इल्ला क़लीला
 (76) सुन्न-त मन् क़द् अरसल्ना
 क़ब्ल-क मिर्रसुलिना व ला तजिदु
 लिसुन्नतिना तह्वीला (77) ●

और वे लोग तो चाहते थे कि तुझको
 बिचला दें उस चीज़ से कि जो वही भेजी
 हमने तेरी तरफ़, ताकि झूठ बना लाये तू
 हम पर वही के सिवा और तब तो बना
 लेते तुझको दोस्त। (73) और अगर यह
 न होता कि हमने तुझको संभाले रखा तो
 तू लग जाता झुकने उनकी तरफ़ थोड़ा
 सा। (74) तब तो जरूर चखाते हम
 तुझको दुगना मज़ा जिन्दगी में और
 दुगना मरने में फिर न पाता तू अपने
 वास्ते हम पर मदद करने वाला। (75)
 और वे तो चाहते थे कि घबरा दें तुझको
 इस ज़मीन से ताकि निकाल दें तुझको
 यहाँ से और उस वक़्त न ठहरेंगे वे भी
 तेरे पीछे मगर थोड़ा। (76) दस्तूर चला
 आता है उन रसूलों का जो तुझसे पहले
 भेजे हमने अपने पैग़म्बर और न पायेगा
 तू हमारे दस्तूर में फ़र्क़। (77) ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये काफ़िर लोग (अपनी मज़बूत तदबीरों के ज़रिये) आपको उस चीज़ से बिचलाने
 (और हटाने) ही लगे थे जो हमने आप पर वही के ज़रिये से भेजी है (यानी इस कोशिश में लगे
 थे कि आप से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ़ अमल करा दें और) ताकि आप उस (अल्लाह के

हुक्म) के सिवा हमारी तरफ़ (अमली तौर पर) ग़लत बात की निश्चय कर दें (क्योंकि नबी का अमल शरीअत के खिलाफ़ नहीं होता इसलिये अगर नऊजु बिल्लाहि आप से कोई अमल खिलाफ़े शरीअत हो जाता तो यह लाज़िम आता कि उस खिलाफ़े शरीअत अमल को गोया अल्लाह की तरफ़ मन्सूब कर रहे हैं) और ऐसी हालत में आपको गहरा दोस्त बना लेते। और (उनकी यह शरारत ऐसी सख्त थी कि) अगर हमने आपको साबित-क़दम "सही राह पर जमने वाला" न बनाया होता (यानी ख़ताओं से सुरक्षित न किया होता) तो आप उनकी तरफ़ कुछ-कुछ झुकने के करीब जा पहुँचते। (और) अगर ऐसा हो जाता (कि आपका कुछ मैलान उनकी बात की तरफ़ होता) तो हम आपको (इस वजह से कि अल्लाह की बारगाह के करीबी व ख़ास लोगों का मक़ाम बहुत बुलन्द है) जिन्दगी की हालत में भी और मौत के बाद भी दोहरा अज़ाब चखाते, फिर आप हमारे मुक़ाबले में कोई मददगार भी न पाते (मगर चूँकि आपको हमने गुनाहों से सुरक्षित और खुदाई शरीअत पर जमने और मज़बूत रहने वाला बनाया है इसलिये उनकी तरफ़ ज़रा भी मैलान न हुआ और इस अज़ाब से बच गये)।

और ये (काफ़िर) लोग इस (मक्का या मदीना की) सरज़मीन से आपके क़दम ही उखाड़ने लगे थे ताकि आपको इससे निकाल दें, और अगर ऐसा हो जाता तो आपके बाद ये भी बहुत कम (यहाँ) ठहरने पाते। जैसा कि उन अम्बिया के बारे में (हमारा) क़ानून व दस्तूर रहा है जिनको आपसे पहले हमने रसूल बनाकर भेजा था (कि जब उनकी क़ौम ने उनको वतन से निकाला तो फिर उस क़ौम को भी वहाँ रहना नसीब नहीं हुआ) और आप हमारे क़ायदे में बदलाव न पाएँगे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में से पहली तीन आयतें एक ख़ास वाक़िए से संबन्धित हैं। तफ़सीरे मज़हरी में इस वाक़िए के निर्धारण के बारे में चन्द रिवायतें नक़ल की हैं जिनमें से क़ुरआनी इशारात से सबसे ज़्यादा करीब और ताईद करने वाला यह वाक़िआ है जो हज़रत जुबैर बिन नुफ़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इब्ने अबी हातिम ने नक़ल किया है कि मक्का के क़ुरैश में के चन्द सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अज़ु किया कि अगर आप वाक़ई हमारी तरफ़ (नबी बनाकर) भेजे गये हैं तो फिर अपनी मज्लिस से उन ग़रीब बुरी हालत वाले लोगों को हटा दीजिये जिनके साथ बैठना हमारे लिये तौहीन की बात है, तो फिर हम भी आपके साथी और दोस्त हो जायेंगे। उनकी इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुछ ख़्याल पैदा हुआ कि इनकी बात पूरी कर दें, शायद ये मुसलमान हो जायें, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई।

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़बर दे दी गयी कि उनकी बात फ़ितना है, उनकी दोस्ती भी फ़ितना है, आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिये और फिर इरशाद फ़रमाया कि अगर हमारी तरफ़ से आपकी तरबियत और साबित-क़दम रखने का एहतिमाम न होता तो कुछ बईद नहीं था कि आप उनकी बात की तरफ़ मैलान के थोड़े से करीब हो जाते।

तफसीरे मजहरी में है कि इस आयत से यह बात स्पष्ट तौर पर समझी जाती है कि कुरैश के काफिरों की बेहूदा और गलत बातों की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मैलान (रुझान और झुकाव) का तो कोई गुमान व ख्याल ही न था हाँ मैलान के करीब हो जाने का और वह भी बहुत मामूली-सी हद में संभावना थी मगर अल्लाह तआला ने मासूम (सुरक्षित) बनाकर उससे भी बचा लिया। गौर किया जाये तो यह आयत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आला तरीन पाकीजा पैदाईश व तबीयत पर बड़ी दलील है कि अगर पैगम्बराना सुरक्षा भी न होती तब भी नबी की फितरत ऐसी थी कि काफिरों की बेहूदा और गलत बात की तरफ मैलान हो जाना उससे मुम्किन न था, हाँ मैलान के कुछ करीब वह भी बहुत कम का शुब्हा व गुमान था जो पैगम्बराना हिफाज़त व सुरक्षा ने खत्म कर दिया।

إِذْ لَا ذَنْبَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ.

यानी अगर मान लो जबकि यह असंभव है कि आप उनकी गलत रविश की तरफ मैलान के करीब हो जाते तो आपका अज़ाब दुनिया में भी दोहरा होता और मौत के बाद क़ब्र या आख़िरत में भी दोहरा होता, क्योंकि अल्लाह की बारगाह के करीबी व खास हज़रत की मामूली-सी गलती भी बहुत बड़ी समझी जाती है और यह मज़मून तकरीबन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों के मुताल्लिक़ कुरआने करीम में आया है:

بِنِسَاءِ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ.

यानी ऐ नबी की औरतो! अगर तुम में से किसी ने खुली बेहयाई का काम किया तो उसको दोहरा अज़ाब दिया जायेगा।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ

इस्तिफ़ज़ाज़ के लफ़्ज़ी मायने काट देने के हैं, यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने वतन व ठिकाने मक्का या मदीना से निकाल देना है और आयत के मायने यह हैं कि करीब था कि ये काफ़िर लोग आपको अपनी ज़मीन से निकाल दें और अगर वे ऐसा कर लेते तो इसकी सज़ा उनको यह मिलती कि वे भी आपके बाद ज़्यादा देर उस शहर में न रह पाते। यह एक दूसरे वाकिए का बयान है और इसके मुतैयन करने में भी दो रिवायतें मन्कूल हैं एक वाक़िआ मदीना तथियबा का है कि मदीना के यहूद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि “ऐ अबुल-क़ासिम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! अगर आप अपनी नुबुव्वत के दावे में सच्चे हैं तो आपको चाहिये कि मुल्क शाम में जाकर रहें क्योंकि मुल्क शाम ही मेहशर की ज़मीन है, और वही अम्बिया की ज़मीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उनके कलाम का कुछ असर हुआ और तबूक की जंग के वक़्त जो मुल्के शाम का सफ़र हुआ तो आपका इरादा यह था कि मुल्के शाम को अपना एक ठिकाना बनायें मगर यह आयत नाज़िल हुई:

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ

(यानी आयत नम्बर 76) जिसमें अपको इस इरादे से रोक दिया गया, मगर इब्ने कसीर ने इस रिवायत को नकल करके नाफाबिले इल्मीनान करार दिया है और इस आयत का मिस्ताक (चरितार्थ) एक दूसरा वाकिआ बतलाया है जो मक्का मुकर्रमा में पेश आया और इस सूरात का मक्की होना इसके लिये प्रबल इशारा है और वह वाकिआ यह है कि एक मर्तबा कुरैश के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकालने का इरादा किया, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई:

وَأَنَّ كَادُوا لَيَسْفِرُوكَ

(यानी आयत नम्बर 76) और इसमें मक्का के काफिरों को इस पर चेताया कि अगर वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मक्का से निकाल देंगे तो फिर खुद भी मक्का में देर तक चैन से न बैठ सकेंगे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी वाकिए को आयत का मिस्ताक (चरितार्थ) होना ज्यादा सही करार दिया है, और फिर बतलाया कि कुरआने करीम की यह वईद (वायदा व धमकी) भी मक्का के काफिरों ने खुली आँखों देख ली कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई तो मक्का वाले एक दिन भी मक्का में चैन से नहीं बैठ सके, सिर्फ डेढ़ साल के बाद अल्लाह तआला ने उनको बदर के मैदान में जमा कर दिया, जहाँ उनके सत्तर सरदार मारे गये और उनकी ताकत टूट गई, फिर उहुद की जंग के आखिरी नतीजे में उन पर और ज्यादा हैबत तारी हो गई और जंगे अहज़ाब के आखिरी मुकाबले ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी और हिजरत के आठवें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूरा मक्का मुकर्रमा फतह कर लिया।

سُنَّةٌ مِّن قَدَارٍ سَلَا

इस आयत (यानी आयत नम्बर 77) में बतलाया गया कि अल्लाह तआला की आम आदत और कायदा पहले से यही चला आया है कि जब कोई कौम अपने नबी को उसके वतन से निकालती या निकलने पर मजबूर करती है तो फिर वह कौम भी वहाँ बाकी नहीं रखी जाती, उस पर खुदा तआला का अज़ाब आता है।

أَقِيم الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ الْبَيْتِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝
وَمِنَ الْبَيْتِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

अकिमिस्सला-त लिदुलूकिश्शमिस्

कायम रख नमाज को सूरज ढलने से रात

इला ग-सकिल्लैलि व कुरआनल्-
फज्रि, इन्-न कुरआनल्-फज्रि का-न
मशहूदा (78) व गिनल्लैलि फ-तहज्जद्
बिही नाफि-लतल् ल-क असा
अय्यब्-स-क रब्बु-क मकामम्-
मह्मूदा (79) व कुरबि अदखिल्ली
मुद्खा-ल सिदकिं-व-व अदिरज्जी
मुद्दर-ज सिदकिं-व-वज्जल्-ली
मिल्लदुन्-क सुल्लानन् नसीरा (80)
व कुल् जाअल्-हक्कु व ज-हक्कु-
बातिलु, इन्नल्-बाति-ल का-न जहूका
(81) व नुनज्जिलु मिनल्-कुरआनि
मा हु-व शिफाउं-व रस्मतुल् लिल्-
मुअ्मिनी-न व ला यज़ीदुज्जालिमी-न
इल्ला ख़सारा (82)

के अंधेरे तक और कुरआन पढ़ना फजर
का, बेशक कुरआन पढ़ना फजर का होता
है 'रू-ब-रू'। (78) और कुछ रात जागता
रह कुरआन के साथ यह ज्यादाती है तेरे
लिये करीब है कि खड़ा कर दे तुझको
तेरा रब मकाम-ए-महमूद में। (79) और
कहे ऐ रब! दाखिल कर मुझको सच्चा
दाखिल करना और निकाल मुझको सच्चा
निकालना, और अता कर दे मुझको अपने
पास से हुकूमत की मदद। (80) और
कह— आया सच और निकल भागा झूठ,
बेशक झूठ है निकल भागने वाला। (81)
और हम उतारते हैं कुरआन में से जिससे
रोग दूर हों, और रहमत ईमान वालों के
वास्ते और गुनाहगारों को तो इससे
नुकसान ही बढ़ता है। (82)

खुलासा-ए-तफसीर

सूरज ढलने के बाद से रात के अंधेरे तक नमाज़ें अदा किया कीजिए (इसमें जोहर, अ़सर, मग़रिब, इशा चार नमाज़ें आ गईं जैसा कि हदीस में इस सक्षिप्तता की तफसील बयान कर दी गई है), और सुबह की नमाज़ भी (अदा करें), बेशक सुबह की नमाज़ (फरिश्तों के) हाज़िर होने का वक़्त है (सुबह का वक़्त चूँकि नींद से जागने का वक़्त है जिसमें सुस्ती का ख़तरा था इसलिये इसको अलग करके एहतिमाम के साथ बयान फरमाया और इसकी एक अतिरिक्त फज़ीलत भी यह बयान कर दी कि इस वक़्त में फरिश्ते जमा होते हैं। इसकी तफसील हदीस से यह मालूम हुई कि इनसान की हिफ़ाज़त और उसके आमाल को लिखने वाले फरिश्ते दिन के अलग और रात के अलग हैं, सुबह की नमाज़ में फरिश्तों की दोनों जमाअतें जमा होती हैं, रात के फरिश्ते अपना काम ख़त्म करके और दिन के फरिश्ते अपना काम संचालने के लिये जमा हो जाते हैं। इसी तरह शाम को अ़सर की नमाज़ में दोनों जमाअतें जमा होती हैं, और ज़ाहिर है कि फरिश्तों का जमा होना बरकतों का सबब है)। और किसी क़द्र रात के हिस्से में भी (नमाज़ अदा

करें), यानी उसमें तहज्जुद पढ़ा कीजिए जो कि आपके लिये (पँच फर्ज़ नमाज़ों के अलावा) एक ज़ायद चीज़ है (इस ज़ायद से मुराद कुछ हज़रात के नज़दीक एक ज़ायद फर्ज़ है जो ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फर्ज़ किया गया, और कुछ हज़रात ने ज़ायद से नफिल मुराद ली है), उम्मीद (यानी वायदा) है कि आपका रब आपको मक़ाम-ए-महमूद में जगह देगा (मक़ाम-ए-महमूद से मुराद बड़ी शफ़ाअत का मक़ाम है जो मेहशर में तमाम इनसानों के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अता होगा)।

और आप यह दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब! (मक्का से जाने के बाद) मुझको (जहाँ लेजाना हो) ख़ूबी (यानी राहत) के साथ पहुँचाईयो, और (जब मक्का से लेजाना हो तो) मुझको ख़ूबी (यानी राहत) के साथ ले जाईयो और मुझको अपने पास से (उन काफ़िरों पर) ऐसा ग़लबा दीजियो जिसके साथ (आपकी) नुसरत (और मदद) हो (जिससे वह ग़लबा बाकी रहने वाला और तरक्की करने वाला हो, वरना वक्ती व अस्थायी ग़लबा तो कभी काफ़िरों को भी हो जाता है मगर उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती इसलिये पायेदार नहीं होता)। और कह दीजिए कि (बस अब) हक़ (दीन ग़ालिब होने को) आया और बातिल गया-गुज़रा हुआ। वाकई बातिल चीज़ तो यूँ ही आती-जाती रहती है (हिजरत के बाद मक्का फ़तह हुआ तो ये सब वायदे पूरे हो गये)। और हम कुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि वो ईमान वालों के हक़ में तो शिफ़ा और रहमत है (क्योंकि वे उसको मानते और उस पर अमल करते हैं जिससे उन पर रहमत होती और बातिल अक़ीदों और फ़ासिद ख़्यालों से शिफ़ा होती है) और ज़ालिमों को उससे और उल्टा नुक़सान बढ़ता है (कि जब वे उसको नहीं मानते तो अल्लाह तआला के क़हर व अज़ाब के हक़दार हो जाते हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

दुश्मनों के फ़रेब व जाल से बचने का बेहतरीन इलाज नमाज़ है

इनसे पहले की आयतों में इस्लाम के दुश्मनों की मुख़ालफ़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों में मुब्तला करने की तदबीरों और उसका जवाब बयान हुआ था, उसके बाद ऊपर बयान हुई आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज़ कायम करने का हुक्म देने में इस तरफ़ इशारा है कि दुश्मनों के फ़रेब व जाल और तकलीफ़ों से बचने का बेहतरीन इलाज नमाज़ का कायम करना है जैसा कि सूर: हिज़्र की आयत में इससे ज़्यादा स्पष्ट अलफ़ाज़ में यह इरशाद है:

وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قُلْتَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً أَنْ يَكُونَ لِي مِنَ الْقَوْمِ مُبْتَغًى ۝

“यानी हम जानते हैं कि काफ़िरों की दिल दुखाने वाली बातों से आप तंगदिल (दुखी और परेशान) होते हैं तो आप अल्लाह की तारीफ़ के साथ तस्बीह किया करें और सज्दा करने वालों में से हो जायें।” (तफ़सीरि क़ुर्तुबी)

इस आयत में दुश्मनों के सताने और तकलीफें देने का इलाज अल्लाह के ज़िक्र, तारीफ़ व तस्बीह और नमाज़ में मशगूल हो जाने को करार दिया है। ज़िक्रुल्लाह और नमाज़ खास तौर पर इनसे बचने का इलाज है, और यह भी कुछ दूर की बात नहीं कि दुश्मनों की तकलीफों से बचना अल्लाह तआला की मदद पर मौकूफ़ है और अल्लाह की मदद हासिल करने का सब से अफ़ज़ल ज़रिया नमाज़ है जैसा कि कुरआने करीम का इरशाद है:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

(यानी मदद हासिल करो सब्र और नमाज़ के ज़रिये।)

पाँच वक़्त की नमाज़ों का हुक़्म

तफ़सीर के इमामों की अक्सरियत ने इस आयत को पाँचों नमाज़ों के लिये जामे (मुकम्मल) हुक़्म करार दिया है क्योंकि 'दुलूक' का लफ़्ज़ अगरचे असल में मैलान के मायने में आता है और सूरज का मैलान ज़वाल के वक़्त शुरू होता है, और गुरुब को भी कह सकते हैं लेकिन सहाबा व ताबिईन में की बड़ी जमाअत ने इस जगह लफ़्ज़ 'दुलूक' के मायने सूरज के ज़वाल (दलने) ही के लिये हैं। (तफ़सीरे कुर्तुबी, मज़हरी और इब्ने कसीर में इसकी तफ़सील मौजूद है)

إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ

लफ़्ज़ 'ग़सक' के मायने रात की अंधेरी मुकम्मल हो जाने के हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ग़सक की यही तफ़सीर नक़ल फ़रमाई है।

इस तरह 'दुलूक़िशमसि इला ग़सक़िल्लैलि' में चार नमाज़ें आ गई— ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और इनमें से दो नमाज़ों का शुरूआती वक़्त भी बतला दिया गया कि ज़ोहर का वक़्त सूरज ढलने से शुरू होता है और इशा का वक़्त 'ग़सक़-ए-लैलि' से यानी जिस वक़्त रात की अंधेरी मुकम्मल हो जाये, इसी लिये इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने इशा के वक़्त की शुरूआत उस वक़्त से करार दी है जबकि 'शफ़क़-ए-अस्मर' के बाद 'शफ़क़-ए-अब्ज' भी छुप जाये। यह सब जानते हैं कि सूरज छुपने के फ़ौरन बाद आसमान के पश्चिमी किनारे पर एक सुर्खी ज़ाहिर होती है और उस सुर्खी के बाद एक किस्म की सफ़ेदी आसमानी किनारे पर फैली हुई नज़र आती है, फिर वह सफ़ेदी भी छुप जाती है। यह ज़ाहिर है कि रात की अंधेरी उस वक़्त पूरी होगी जबकि आसमानी किनारे की सफ़ेदी भी ख़त्म हो जाये, इसलिये इस लफ़्ज़ में इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के मसलक की तरफ़ इशारा पाया जाता है। दूसरे इमामों ने 'शफ़क़-ए-अस्मर' (सुर्ख़ रेशनी) के छुपने पर इशा के वक़्त की शुरूआत करार दी है और इसी को 'ग़सक़िल्लैलि' की तफ़सीर करार दिया है।

وَقُرْآنِ الْفَجْرِ

इस जगह लफ़्ज़ कुरआन बोलकर नमाज़ मुराद ली गई है, क्योंकि कुरआन नमाज़ का मुख्य अंश है, तफ़सीर के अक्सर इमामों के हवाले से तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीरे कुर्तुबी और

तफसीरे मज़हरी वगैरह ने यही मायने लिखे हैं, इसलिये आयत का मतलब यह हो गया कि 'दुलूकिशशमसि इला ग-सकिल्लैलि' के अलफाज़ में चार नमाज़ों का बयान था यह पाँचवीं नमाज़ फ़जर का बयान है इसको अलग करके बयान करने में इस नमाज़ की खास अहमियत और फज़ीलत की तरफ़ इशारा किया गया है।

كَانَ مَشْهُودًا

“का-न मशहूदा” यह लफ़्ज़ शहादत से निकला है जिसके मायने हैं हाज़िर होना। इस वक़्त में सही हदीसों की वज़ाहत के मुताबिक़ रात और दिन के दोनों फ़रिश्तों की जमाअतें नमाज़ में हाज़िर होती हैं इसलिये इसको मशहूद कहा गया है। इस आयत में पाँच नमाज़ों का हुक्म संक्षिप्त रूप से आया है जिसकी मुकम्मल तफ़सीर व वज़ाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़ौल व फ़ैल से बतलाई हैं और जब तक उस वज़ाहत पर अमल न किया जाये कोई शख्स नमाज़ अदा ही नहीं कर सकता। मालूम नहीं कि जो लोग कुरआन को बगैर हदीस और रसूल के बयान के समझने का दावा करते हैं वे नमाज़ कैसे पढ़ते हैं। इसी तरह इस आयत में नमाज़ के अन्दर कुरआन के पढ़ने का ज़िक्र भी संक्षिप्त रूप से आया है इसकी तफ़सील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ौल व अमल से यह साबित हुई कि फ़जर की नमाज़ में हिम्मत व गुंजाईश के अनुसार किराअत लम्बी की जाये (कुरआन ज़्यादा पढ़ा जाये) और जोहर व जुमे में उससे कम और असर व इशा में दरमियानी दर्जे की और मग़रिब में बहुत मुख़्तसर। मग़रिब में किराअत लम्बी करने और फ़जर में कम करना जो कुछ रिवायतों में आया है वह अमली तौर पर मतरूक है (यानी इस पर अमल नहीं है), इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही मुस्लिम की वह रिवायत जिसमें मग़रिब की नमाज़ में सूर: आराफ़ और मुस्तलात वगैरह लम्बी सूरतों का पढ़ना या सुबह की नमाज़ में सिर्फ़ 'सूर: फलक़ और सूर: नास' पर बस करना मन्कूल है उसको नक़ल करके फरमाया है:

فمترك بالعمل ولا نكاره على معاذ الطويل و بامره الائمة بالتخفيف

यानी ये इत्तिफ़ाकी वाकिआत मग़रिब में लम्बी किराअत करने और फ़जर में मुख़्तसर और कम करने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हमेशा के और मुस्तफ़िल अमल से और ज़बानी इरशादात की वजह से मतरूक (छोड़े हुए) हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त और उसके अहकाम व मसाईल

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ

लफ़्ज़ तहज्जुद हजूद से निकला है और यह लफ़्ज़ दो अलग-अलग मायनों के लिये इस्तेमाल होता है। इसके मायने सोने के भी आते हैं और जागने व बेदार होने के भी। इस जगह 'व मिनल्लैलि फ-तहज्जुद् बिही' के मायने ये हैं कि रात के कुछ हिस्से में कुरआन के साथ जागा करो क्योंकि बिही (उसके साथ) में ज़मीर यानी उस से कुरआन की तरफ़ इशारा है। (मज़हरी)

कुरआन के साथ जागने का मतलब नमाज़ अदा करना है, इसी रात की नमाज़ को शरीअत की इस्तिस्नाह में तहज्जुद की नमाज़ कहा जाता है और उभूमन इसका यह मफ़हूम लिया गया है कि कुछ देर सोकर उठने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाये वह तहज्जुद की नमाज़ है, लेकिन तफ़सीरे मज़हरी में है कि इस आयत का मतलब इतना है कि रात के कुछ हिस्से में नमाज़ के लिये सोने को छोड़ दो और यह मफ़हूम जिस तरह कुछ देर सोने के बाद जागकर नमाज़ पढ़ने पर सादिक् आता है उसी तरह शुरू ही में नमाज़ के लिये नींद को लेट करके नमाज़ पढ़ने पर भी सादिक् है इसलिये तहज्जुद की नमाज़ के लिये पहले नींद होने की शर्त कुरआन के बयान का मक़सद नहीं, फिर हदीस की कुछ रिवायतों से भी तहज्जुद के इसी आ़ाम मायने पर दलील पकड़ी है।

और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से तहज्जुद की नमाज़ की जो तारीफ़ (परिभाषा) नक़ल की है वह भी इसी उमूमी मायने पर सुबूत है उसके अलफ़ाज़ ये हैं:

قال الحسن البصرى هو ما كان بعد العشاء و يحمل على ما كان بعد النوم. (ابن كثير)

“हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ हर उस नमाज़ पर सादिक् है जो इशा के बाद पढ़ी जाये, अलबत्ता मामूल की वजह से उसको कुछ नींद के बाद पर महमूल किया जायेगा।”

इसका हासिल यह है कि तहज्जुद की नमाज़ के असल मफ़हूम में सोने और नींद के बाद होना शर्त नहीं और कुरआन के अलफ़ाज़ में भी यह शर्त मौजूद नहीं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का आ़ाम मामूल यही रहा है कि नमाज़ रात के आख़िरी हिस्से में जागकर पढ़ते थे इसलिये इसकी अफ़ज़ल सूरत यही होगी।

तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ है या नफ़िल?

“नाफ़िलतल् ल-क”। लफ़ज़ नफ़िल और नाफ़िला के लुगवी मायने ज़्यादा के हैं, इसी लिये इस नमाज़ और सदक्का व ख़ैरात वग़ैरह को नफ़िल कहते हैं जो शरई तौर पर वाजिब और ज़रूरी न हो, जिसके करने में सवाब है और न करने में न कोई गुनाह है और न किसी किस्म की बुराई। इस आयत में तहज्जुद की नमाज़ के साथ ‘नाफ़िलतल् ल-क’ के अलफ़ाज़ से ज़ाहिरी तौर पर यह समझा जाता है कि तहज्जुद की नमाज़ खुसूसियत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये नफ़िल है हालाँकि उसके नफ़िल होने में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और पूरी उम्मत सब ही शरीक हैं, इसी लिये कुछ मुफ़सिसरीन हज़रात ने इस जगह नाफ़िला को फ़रीज़ा की सिफ़त करार देकर मायने यह करार दिये हैं कि आ़ाम उम्मत पर तो सिर्फ़ पाँच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तहज्जुद भी एक ज़्यादा फ़र्ज़ है, तो यहाँ लफ़ज़ नाफ़िला ज़ायद फ़र्ज़ के मायने में है, नफ़िल के आ़ाम मायने में नहीं।

और इस मामले की सही तहकीक़ यह है कि इस्लाम के शुरूआती दौर में जब सूर: मुज़म्मिल नाज़िल हुई तो उस वक़्त पाँच नमाज़ें तो फ़र्ज़ हुईं न थीं सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़

सब पर फर्ज थी, इसी फर्ज का जिक्र सूर: मुज्जमिल में है, फिर मेराज की रात में पाँच नमाज़ें फर्ज कर दी गईं तो तहज्जुद की फर्जियत (फर्ज होना) आम उम्मत से तो सब के नज़दीक मन्सूख (खत्म) हो गई और इसमें मतभेद रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी इसकी फर्जियत मन्सूख हुई या विशेष तौर पर आपके ज़िम्मे फर्ज रहा, और इस आयत में 'नाफिलतल् ल-क' के यही मायने हैं कि तहज्जुद की नमाज़ आपके ज़िम्मे एक ज़ायद फर्ज है, मगर तफसीरे कुतुबी में है कि यह कई वजह से सही नहीं— अव्वल यह कि फर्ज को नफिल से ताबीर करने की कोई वजह नहीं, अगर कहा जाये कि मजाज़ (यानी असल मायनों से हटकर दूसरे मायनों में) है तो यह एक ऐसा मजाज़ होगा जिसकी कोई हकीकत नहीं। दूसरे सही हदीसों में मुतैयन करके सिर्फ पाँच नमाज़ों के फर्ज होने का जिक्र है और एक हदीस में इसके आखिर में यह भी बयान हुआ है कि मेराज की रात में शुरू में जो पचास नमाज़ें फर्ज की गई थीं फिर कमी करके पाँच कर दी गईं तो अगरचे अ़दद (संख्या) घटा दिया गया मगर सवाब पचास ही का मिलेगा, और फिर फरमाया 'ला युबद्दलुल्-कौलु ल-दय-य' यानी मेरा कौल बदला नहीं करता, जब पचास का हुक्म दिया था तो सवाब पचास ही का दिया जायेगा अगरचे अ़मल में कमी कर दी गई।

इन रिवायतों का हासिल यही है कि आम उम्मत और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर पाँच नमाज़ों के सिवा कोई और नमाज़ फर्ज नहीं है। एक वजह यह भी है कि नाफिला का लफ्ज़ अगर इस जगह ज़ायद फरीज़े के मायने में होता तो इसके बाद लफ्ज़ ल-क (तेरे लिये) के बजाय अलै-क (तेरे ऊपर) होना चाहिये था जो वाजिब होने पर दलालत करता है, लफ्ज़ ल-क तो सिर्फ जायज़ होने और इजाज़त के लिये इस्तेमाल होता है।

इसी तरह तफसीर-ए-मज़हरी में सही इसी को करार दिया है कि जब तहज्जुद की फर्जियत (फर्ज और ज़रूरी होना) उम्मत से मन्सूख (रद्द व खत्म) हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी मन्सूख हो गई, और सब के लिये नफिल रहेगा, मगर इस सूरत में यह सवाल पैदा होता है कि फिर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत (विशेषता और खूबी) क्या है, नफिल होना तो सब ही के लिये साबित है फिर 'नाफिलतल् ल-क' फरमाने का क्या हासिल होगा? जवाब यह है कि हदीसों के बयान व वज़ाहत के मुताबिक तमाम उम्मत की नवाफिल और तमाम नफ़ली इबादतें उनके गुनाहों का कफ़ारा और फर्ज नमाज़ों में जो कोताही कमी रह जाये उसके पूरा करने का काम देती हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुनाहों से भी मासूम (सुरक्षित) हैं और नमाज़ के आदाब में कोताही से भी, इसलिये आपके हक में नफ़ली इबादत बिल्कुल ज़ायद ही है जो किसी कोताही की भरपाई नहीं बल्कि महज़ अल्लाह की निकटता के ज़्यादा होने का ज़रिया है। (तफसीरे कुतुबी व मज़हरी)

तहज्जुद की नमाज़ नफिल है या सुन्नत-ए-मुअक्कदा

सुन्नत-ए-मुअक्कदा के लिये जो आम कायदा और उसूल फुकहा (कुरआन व हदीस के

माहिर उलेमा) का है कि जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अमली तौर पर पाबन्दी फरमाई हो और बिना मजबूरी के न छोड़ा हो वह सुन्नत-ए-मुअक्कदा है, सिवाय इसके कि किसी शरई दलील से यह साबित हो जाये कि यह काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये खास था आम उम्मत के लिये नहीं था। इस उसूल व कायदे का तकाज़ा बज़ाहिर यही है कि तहज्जुद की नमाज़ भी सब के लिये सुन्नत-ए-मुअक्कदा करार पाये न कि सिर्फ नफ़िल, क्योंकि इस नमाज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाबन्दी मुतवातिर (लगातार और निरंतर) सुन्नत से साबित है, और खास होने व विशेषता की कोई दलील नहीं, इसलिये आम उम्मत के लिये भी सुन्नत-ए-मुअक्कदा होना चाहिये। तफसीरे मज़हरी में इसी को पसन्दीदा और ज़्यादा सही करार दिया है, और इसके वरीयता प्राप्त होने पर हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस से भी दलील ली गयी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस शख्स के बारे में जो पहले तहज्जुद पढ़ा करता था फिर छोड़ दिया यह इरशाद फरमाया कि “उसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है।” इस तरह की वईद (डॉट) और चेतावनी सिर्फ नफ़िल में नहीं हो सकती, इससे मालूम हुआ कि यह सुन्नते मुअक्कदा है।

और जिन हज़रत ने तहज्जुद को सिर्फ नफ़िल करार दिया है वे इस पाबन्दी और इसका हमेशा एहतिमाम करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत (विशेषता) करार देते हैं और तहज्जुद पढ़ने वाले के तहज्जुद छोड़ने पर जो डॉट व तंबीह के अलफ़ाज़ इरशाद फरमाये वो दर असल ख़ाली छोड़ने पर नहीं बल्कि पहले आदत डालने के बाद छोड़ने पर हैं, क्योंकि आदमी जिस नफ़िल की आदत डाल ले तो उम्मत का इत्तिफ़ाक़ इस पर है कि उसको चाहिये कि उस पर पाबन्दी करे, अगर आदत डालने के बाद छोड़ेगा तो काबिले मलामत होगा, क्योंकि आदत के बाद बिना उज़्र छोड़ना एक किस्म के मुँह मोड़ने और लापरवाही बरतने की निशानी है और जो शुरू से आदी न हो तो उस पर कोई मलामत नहीं। वल्लाहु आलम

तहज्जुद की रकअतों की तादाद

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान या ग़ैर-रमज़ान में कभी ग्यारह रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे, उन ग्यारह रकअतों में हनफ़िया के नज़दीक तीन रकअतें वित्र की होती थीं बाकी आठ तहज्जुद की।

और सही मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये अलफ़ाज़ नक़ल किये गये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात में तेरह रकअतें पढ़ते थे जिनमें वित्र भी शामिल हैं और दो रकअतें फ़जर की सुन्नत की भी। (तफसीरे मज़हरी)

फ़जर की सुन्नतों को रात की नमाज़ में रमज़ान की वजह से शुमार कर लिया है। इन रिवायतों से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आम आदत यह थी कि तहज्जुद की नमाज़ में आठ रकअतें अदा फरमाते थे।

लेकिन सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही की एक रिवायत से यह भी साबित है कि कभी-कभी इस संख्या से कम चार या छह रकअतों पर भी इक्तिफ़ा फ़रमाया है जैसा कि सही बुखारी में आपसे यह मन्कूल है कि हज़रत मसरूक ने हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से तहज्जुद की नमाज़ के बारे में मालूम किया तो फ़रमाया कि सात, नौ और ग्यारह रकअतें होती हैं फ़जर की सुन्नतों के अलावा। (तफ़सीरे मज़हरी, बुखारी के हवाले से) हनफ़िया के कायदे के मुताबिक़ तीन रकअतें वित्र की हुईं तो सात में से चार नौ में से छह ग्यारह में से आठ तहज्जुद की रकअतें रह जाती हैं।

नमाज़-ए-तहज्जुद की कैफ़ियत

इस नमाज़ की कैफ़ियत जो हदीस की आम रिवायतों से साबित है वह यह है कि शुरू में दो रकअत हल्की मुख़्तसर क़िराअत के साथ फिर बाकी रकअतों में क़िराअत भी लम्बी और रूकूअ सज्दे भी लम्बे होते और यह लम्बा होना कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था कभी कुछ कम (यह खुलासा हदीस की उन रिवायतों का है जो इस जगह तफ़सीर-ए-मज़हरी में नक़ल की गई हैं)।

मक़ाम-ए-महमूद

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस आयत में मक़ाम-ए-महमूद का वायदा किया गया है और यह मक़ाम (दर्जा और मर्तबा) तमाम अम्बिया में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मख़सूस (खास) है, इसकी तफ़सीर में विभिन्न और अनेक अक़वाल हैं मगर सही वह है जो सही हदीसों में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्कूल है, यह शफ़ाअत-ए-कुबरा का मक़ाम है, कि मैदाने हश्र में जिस वक़्त तमाम इनसान जमा होंगे और हर नबी व पैग़म्बर से शफ़ाअत की दरख़्वास्त करेंगे तो तमाम नबी उज़्र कर देंगे, सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सम्मान अता होगा कि तमाम इनसानों की शफ़ाअत फ़रमायेंगे, इसकी तफ़सील हदीस की रिवायतों में विस्तार से बयान हुई है जो इस जगह तफ़सीर इब्ने कसीर और तफ़सीरे मज़हरी में लिखी है।

नबियों और उम्मत के नेक लोगों की शफ़ाअत मक़बूल होगी

इस्लामी फ़िकों में से ख़्वारिज और मोतज़िला नबियों के शफ़ाअत करने के इनकारी हैं, वे कहते हैं कि गुनाह-ए-कबीरा (बड़ा गुनाह) किसी की शफ़ाअत से माफ़ नहीं होगा, मगर मुतवातिर हदीसों पर गवाह हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बल्कि उम्मत के नेक लोग की भी शफ़ाअत गुनाहगारों के हक़ में मक़बूल होगी, बहुत से लोगों के गुनाह शफ़ाअत से माफ़ कर दिये जायेंगे।

इब्ने माजा और बैहकी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन पहले अम्बिया हज़रात

गुनाहगारों की शफ़ाअत करेंगे फिर उलेमा फिर शहीद। और दैलमी ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लिम से कहा जायेगा कि आप अपने शागिर्दों की शफ़ाअत कर सकते हैं अगरचे उनकी तायदाद आसमान के सितारों के बराबर हो।

और अबू दाऊद और इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मरफ़ूअन नक़ल किया है कि शहीद की शफ़ाअत उसके ख़ानदान के सत्तर आदमियों के बारे में क़ुबूल की जायेगी।

मुस्नद अहमद, तबरानी और बैहकी ने सही सनद के साथ हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के एक आदमी की शफ़ाअत पर क़बीला रबीआ और मुज़र के तमाम लोगों से ज़्यादा आदमी जन्मत में दाख़िल किये जायेंगे।

एक सवाल और उसका जवाब

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शफ़ाअत फ़रमायेंगे और आपकी शफ़ाअत से कोई मोमिन दोज़ख़ में न रह जायेगा तो फिर उम्मत के उलेमा और नेक लोगों की शफ़ाअत किस लिये और क्योंकर होगी? तफ़सीरे मज़हरी में है कि ग़लिबन सूरत यह होगी कि उलेमा और उम्मत के नेक लोग जिन लोगों की शफ़ाअत करना चाहेंगे वे अपनी शफ़ाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश करेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक़ तअ़ाला की बारगाह में शफ़ाअत फ़रमायेंगे।

फ़ायदा

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

यानी मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिये होगी जिन्होंने कबीरा (बड़े) गुनाह किये थे। इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि बड़े गुनाह वालों की शफ़ाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मख़सूस होगी, कोई फ़रिश्ता या उम्मत का फ़र्द बड़े गुनाहों वालों की शफ़ाअत न कर सकेगा, बल्कि उम्मत के नेक लोगों की शफ़ाअत छोटे गुनाह वालों के लिये होगी।

तहज्जुद की नमाज़ को शफ़ाअत का मक़ाम हासिल होने में ख़ास दख़ल है

हज़रत मुजहिद अल्फ़े सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहले तहज्जुद की नमाज़ का हुक़म दिया गया फिर मक़ामे महमूद यानी शफ़ाअत-ए-कुबरा (बड़ी शफ़ाअत) का वायदा किया गया, इससे मालूम होता है कि

तहज्जुद की नमाज़ को शफ़ाअत का मक़ाम हासिल होने में ख़ास दख़ल है।

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ..... الاية

इससे पहले की आयतों में पहले मक्का के काफ़िरों के सताने और उन तदबीरों का ज़िक्र था जो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिये करते थे, इसके साथ यह भी बयान हुआ कि उनकी ये तदबीरें कामयाब नहीं होंगी और उनके मुक़ाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को असल तदबीर के दर्जे में तो सिर्फ़ पाँच वक़्त की नमाज़ कायम करने और तहज्जुद अदा करने की हिदायत फ़रमाई, उसके बाद आख़िरत में आपको तमाम नबियों से आला मक़ाम यानी मक़ाम-ए-महमूद अता फ़रमाने का वायदा फ़रमाया जो आख़िरत में पूरा होगा। उपरोक्त आयत नम्बर 80 में हक़ तअ़ाला ने इसी दुनिया में पहले आपको काफ़िरों के फ़रेब, जाल और तकलीफ़ें देने से निजात देने की तदबीर मदीना को हिजरत करने की सूरत में इरशाद फ़रमाई और उसके बाद मक्का के फ़तह होने की खुशख़बरी 'व कुल जाअल् हक्कु.....' (यानी आयत नम्बर 81) में इरशाद फ़रमाई गई।

हदीस की किताब जामे तिमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे फिर आपको मदीना की हिजरत का हुक्म दिया गया, इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत 80) इसमें लफ़्ज़ 'मुद़्ख़-ल' और 'मुख़्र-ज' दाख़िल होने और ख़ारिज होने की जगह के लिये है और इनके साथ सिद्क़ की सिफ़त बढ़ाने से मुराद यह है कि यह निकलना और दाख़िल होना सब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक़ ख़ैर व ख़ूबी के साथ हो, क्योंकि लफ़्ज़ सिद्क़ अरबी भाषा में हर ऐसे काम के लिये भी इस्तेमाल होता है जो जाहिरी और बातिनी तौर पर दुरुस्त और बेहतर हो, क़ुरआने करीम में क़दम, जुबान और मक़ाम के साथ भी यह लफ़्ज़ सिद्क़ इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है।

दाख़िल होने की जगह से मुराद मदीना और ख़ारिज होने (निकलने) की जगह से मुराद मक्का है। मतलब यह है कि या अल्लाह! मदीने में मेरा दाख़िला ख़ैर व ख़ूबी के साथ हो जाये वहाँ कोई ख़िलाफ़े तबीयत और नागवार सूरत पेश न आये, और मक्का मुकर्रमा से मेरा निकलना ख़ैर व ख़ूबी के साथ हो जाये कि वतन और घर-बार की मुहब्बत में दिल उलझा न रहे। इस आयत की तफ़सीर में क़ुछ और क़ौल भी आये हैं मगर यह तफ़सीर हज़रत हसन बसरी और हज़रत क़तादा से मन्क़ूल है, इब्ने कसीर ने इसी को ज़्यादा सही क़ौल कहा है, इब्ने ज़रीर ने भी इसी को इख़िनयार किया है। तरतीब का तकाज़ा यह था कि पहले निकलने की जगह का और फिर दाख़िल होने की जगह का ज़िक्र होता मगर यहाँ दाख़िल होने की जगह को पहले बयान करने और निकलने की जगह को बाद में लाने में शायद इस तरफ़ इशारा हो कि मक्का मुकर्रमा से निकलना खुद कोई मक़सद न था बल्कि बैतुल्लाह को छोड़ना बहुत बड़े सदमे की

चीज़ थी, अलबत्ता इस्लाम और मुसलमानों के लिये अमन की जगह तलाश करना मकसद था जो मदीने में दाखिल होने के जरिये हासिल होने की उम्मीद थी, इसलिये जो मकसद था उसको पहले और आगे रखा गया।

अहम और बड़े उद्देश्यों के लिये मकबूल हुआ

मदीना की हिजरत के वक़्त हक़ तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस दुआ की तालीम व हियायत फ़रमाई कि मक्का से निकलना और फिर मदीना पहुँचना दोनों ख़ैर व ख़ूबी और आफ़ियत के साथ हों, इसी दुआ का नतीजा था कि हिजरत के वक़्त पीछा करने वाले काफ़िरों की पकड़ से अल्लाह तआला ने हर क़दम पर बचाया और मदीना तथियबा को ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर आपके और सब मुसलमानों के लिये साज़गार बनाया, इसी लिये कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि यह दुआ हर मुसलमान को अपने तमाम मकासिद (उद्देश्यों) के शुरू में याद रखनी चाहिये और हर मकसद के लिये यह दुआ मुफ़ीद है। इसी दुआ का आखिरी हिस्सा बाद का जुमला है 'वज्अल्-ली मिल्लदुन्-क सुल्तानन् नसीरा'।

हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह मालूम था कि रिसालत के ओहदे के फ़राईज़ और जिम्मेदारियों की अदायेगी और दुश्मनों के घेरे में रहकर काम करना अपने बस का नहीं इसलिये हक़ तआला से ग़लबे और मदद की दुआ फ़रमाई जो कुबूल हुई और उसके आसार (निशानात) सब के सामने आ गये।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَفَعْنَا الْبَاطِلَ

यह आयत हिजरत के बाद मक्का फ़तह होने के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मक्का फ़तह होने के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उस वक़्त बैतुल्लाह के गिर्द तीन सौ साठ बुतों की मूर्तियाँ खड़ी हुई थीं, कुछ उलेमा ने इस ख़ास संख्या की वजह यह बतलाई है कि मक्का के मुश्रिक साल भर के दिनों में हर दिन का बुत अलग रखते थे, उस दिन में उसकी पूजा करते थे। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब वहाँ पहुँचे तो यह आयत आपकी ज़बाने मुबारक पर थी 'जाअल्-हक़्कु व ज-हक़ल्-बातिलु' और अपनी लकड़ी एक-एक बुत के सीने पर मारते जाते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कुछ रिवायतों में है कि उस छड़ी के नीचे रॉंग या लोहे की शाम (धातु का बना हुआ एक छल्ला) लगी हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी बुत के सीने में उसको मारते तो वह उल्टा गिर जाता था यहाँ तक कि ये सब बुत गिर गये और फिर आपने उनके तोड़ने का हुक्म दे दिया। (तफ्सीरे कुर्तुबी, काज़ी अयाज़ व कुशैरी के हवाले से)

शिरक व कुफ़्र और बातिल की रस्मों व निशानात का मिटाना वाजिब है

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि इस आयत में इसकी दलील है कि मुशिरक लोगों के बुत और दूसरे शिरक वाले निशानात को मिटाना वाजिब है, और बातिल के वो तमाम असबाब व सामान और उपकरण जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ नाफ़रमानी और गुनाह में हो उनका मिटाना भी इसी हुक्म में है। इब्ने मुन्ज़िर ने फ़रमाया कि तस्वीरें और प्रतिमायें जो लकड़ी पीतल वगैरह से बनाई जाती हैं वो भी बुतों ही के हुक्म में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर्दे को फाड़ डाला जिस पर तस्वीरें नक़्श व रंग से बनाई गई थीं। इससे आ़म तस्वीरों का हुक्म मालूम हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आख़िरी ज़माने में तशरीफ़ लायेंगे तो सही हदीस के मुताबिक़ सलीबों को तोड़ेंगे, खिन्ज़ीर (सुअर) को कल्ल करेंगे, ये सब बातें इसकी दलील हैं कि शिरक व कुफ़्र और बातिल के सामानों को तोड़ना और ज़ाया कर देना वाजिब है।

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

क़ुरआने करीम का दिलों के लिये शिफ़ा होना, शिरक व कुफ़्र और बुरे अख़्लाक़ और अन्दरूनी बीमारियों से नफ़्तों की निजात का ज़रिया होना तो खुला हुआ मामला है और तमाम उम्मत इस पर एकमत है, और कुछ उलेमा के नज़दीक़ क़ुरआन जिस तरह अन्दरूनी और रूहानी बीमारियों की शिफ़ा है इसी तरह ज़ाहिरी बीमारियों की भी शिफ़ा है कि क़ुरआन की आयतें पढ़कर मरीज़ पर दम करना और तावीज़ लिखकर गले में डालना ज़ाहिरी बीमारियों के लिये भी शिफ़ा (का सबब) होता है, हदीस की रिवायतें इस पर गवाह हैं, हदीस की तमाम किताबों में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमाअत सफ़र में थी, किसी गाँव के सरदार को बिच्छू ने काट लिया था, लोगों ने सहाबा किराम से पूछा कि आप कुछ इसका इलाज कर सकते हैं? उन्होंने सात मर्तबा सूर: फ़ातिहा पढ़कर उस पर दम किया, मरीज़ अच्छा हो गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने इसका तज़क़िरा आया तो आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस अमल को जायज़ करार दिया।

इसी तरह हदीस की दूसरी अनेक रिवायतों से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सूर: फ़लक़ और सूर: नास पढ़कर दम करना साबित है, और सहाबा व ताबिईन से सूर: फ़लक़, सूर: नास और क़ुरआन की दूसरी आयतों के ज़रिये मरीज़ों का इलाज करना लिखकर गले में डालना साबित है जिसको इस आयत के तहत इमाम क़ुर्तुबी ने तफ़सील से लिखा है।

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

इससे मालूम हुआ कि क़ुरआने करीम को जब एतिकाद व एहतियाम के साथ पढ़ा जाये तो

उसका शिफा होना जिस तरह जाहिर और साबित है इसी तरह कुरआन का इनकार या बेअदबी खसारे और आफतों का सबब भी है।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسِئًا ۝

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝

व इज़ा अन्अम्ना अलल्-इन्सानि
अअर-ज व नआ बिजानिबिही व
इज़ा मस्सहुशरु का-न यऊसा (83)
कुल् कुल्लुय-यअमलु अला
शाकि-लतिही, फरब्बुकुम् अअलमु
बिमन् हु-व अह्दा सबीला (84) ❀

और जब हम आराम भेजें इनसान पर तो टाल जाये और बचाये अपना पहलू, और जब पहुँचे उसको बुराई तो रह जाये मायूस होकर। (83) तू कह हर एक काम करता है अपने ढंग पर, सो तेरा रब ख़ूब जानता है किसने ख़ूब पा लिया रास्ता। (84) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और (बाज़ा) आदमी (यानी काफ़िर ऐसा होता है कि उस) को जब हम नेमत अता करते हैं तो (हम से और हमारे अहकाम से) मुँह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है, और जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो (बिल्कुल रहमत से) नाउम्मीद हो जाता है (और ये दोनों हालतें दलील हैं अल्लाह तआला से बेताल्लुकी की और वही बुनियाद है हर कुफ़ व गुमराही की)। आप फरमा दीजिये कि (मोमिनों और काफ़िरों और अच्छों और बुरों में से) हर शख्स अपने तरीक़े पर काम कर रहा है (यानी अपनी-अपनी सही अक़ल पर ठहरा हुआ और इल्म या जहल की बुनियाद पर विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं), सो आपका रब ख़ूब जानता है उसको जो ज़्यादा ठीक और दुरुस्त रास्ते पर हो (इसी तरह जो ठीक रास्ते पर न हो उसको भी जानता है, और हर एक को उसके अमल के मुवाफ़िक़ जज़ा या सज़ा देगा, यह नहीं कि जिसका दिल चाहे बिना किसी दलील के अपने को ठीक रास्ते पर समझने लगे)।

मअरिफ़ व मसाईल

قُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

लफ़्ज़ 'शाकिलतुन' की तफ़सीर में पुराने बुजुर्गों और तफ़सीर के इमामों से विभिन्न अक़वाल नक़ल किये गये हैं— तबीयत, आदत, फ़ितरत, नीयत, तरीक़ा वग़ैरह। और हासिल सब का यह है कि हर इनसान की अपने माहौल, परम्पराओं और रस्म व रिवाज के एतिबार से एक आदत और मिज़ाज बन जाता है, उसका अमल उसी के ताबे रहता है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इसमें इनसान को इस पर चेताया गया है कि बुरे माहौल, बुरी सोहबत और बुरी आदतों से परहेज़ करे, नेक लोगों की सोहबत और अच्छी आदतों का आदी बने। (तफसीरे जस्सास) क्योंकि अपने माहौल और सोहबत और रस्म व रिवाज से इनसान की एक तबीयत बन जाती है उसका हर अमल उसी के ताबे चलता है। इमाम जस्सास ने इस जगह शाकिलतुन के एक मायने हम-शकल के भी लिये हैं। इस मायने के लिहाज़ से आयत का मतलब यह होगा कि हर शख्स अपने मिज़ाज के मुताबिक आदमी से मानूस होता है, नेक आदमी नेक से और बुरा बुरे से मानूस होता है, उसी के तरीके पर चलता है और इसकी नज़ीर हक़ तआला का यह कौल है:

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ

और:

وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ

यानी ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लिये और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिये हैं। मुराद यह है कि हर एक अपने मिज़ाज के मुताबिक मर्द व औरत से मानूस होता है और इसके मतलब का हासिल भी इस बात पर तंबीह और चेतावनी है कि इनसान को चाहिये कि ख़राब सोहबत और ख़राब आदतों से परहेज़ का एहतिमाम करे।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الزُّوْجِ الَّذِي أُوتِيتُمْ مِنَ الْعُلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۗ
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِيْمَانُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
رَبِّكَ إِنَّا فَضَّلْنَاكَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ قُلْ لِيُنْفَخَ عَنْكُمُ الرِّجْزُ الَّذِي أَنزَلْنَا فِي قُرْآنِكَ لِيُذَكِّرَ فِي الْبُرْجَانِ
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشَيْءٍ لَّوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۗ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لِّقَابِ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۗ

व यस्तअलून-क ज़निरूहि कुलिरूहु
मिन् अमिर रब्बी व मा ऊतीतुम्
मिनल्-अिल्मि इल्ला कलीला (85) व
ल-इन् शिअ्ना लनज़्ह-बन्-न बिल्लज़ी
औहैना इलै-क सुम्-म ला तजिदु
ल-क बिही अलैना वकीला (86)
इल्ला रह्म-तम् मिरिब्बि-क, इन्-न
फज़लहु का-न अलै-क कबीरा (87)

और तुझसे पूछते हैं रूह को, कह दे रूह है
मेरे रब के हुक्म से और तुमको इल्म दिया
है थोड़ा-सा। (85) और अगर हम चाहें तो
ले जायें उस चीज़ को जो हमने तुझको
वही भेजी फिर तू न पाये अपने वास्ते
उसके ला देने को हम पर कोई जिम्मेदार
(86) मगर मेहरबानी से तेरे रब की,
उसकी बख़्शाश तुझ पर बड़ी है। (87)

कुल् ल-इनिजूत-म-अतिल-इन्सु
 वल्जिन्नु अला अय्यजूतू बिमिस्ति
 हाजल्-कुरआनि ला यजूतू-न
 बिमिस्तिही व लौ का-न बअज़ुहुम्
 लिबअज़िन् ज़हीरा (88) व ल-कद्
 सरफ़ना लिन्नासि फी हाजल्-कुरआनि
 मिन् कुल्लि म-सलिन्, फ-अबा
 अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा (89)

कह अगर जमा हों आदमी और जिन्न
 इस पर कि लायें ऐसा कुरआन हरगिज़ न
 लायेंगे ऐसा कुरआन और पड़े मदद किया
 करें एक दूसरे की। (88) और हमने
 फेर-फेरकर समझाई लोगों को इस
 कुरआन में हर मिसाल सो नहीं रहते
 बहुत लोग बग़ैर नाशुकी किये। (89)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग आप से (इम्तिहान के तौर पर) रूह (की हकीकत) के बारे में पूछते हैं, आप (जवाब में) फ़रमा दीजिये कि रूह (के बारे में) मुख़्तसर तौर पर बस इतना समझ लो कि वह एक चीज़ है जो मेरे रब के हुक्म से बनी है, और (बाकी उसकी विस्तृत हकीकत सो) तुमको बहुत थोड़ा इल्म (तुम्हारी समझ और ज़रूरत के मुताबिक) दिया गया है (और रूह की हकीकत का मालूम करना कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं और न उसकी हकीकत आम तौर पर समझ में आ सकती है इसलिये कुरआन उसकी हकीकत को बयान नहीं करता)।

और अगर हम चाहें तो जिस क़द्र आप पर हमने वही भेजी है (और उसके ज़रिये आपको इल्म दिया है) सब छीन लें, फिर उस (वही) के (वापस लाने के लिये) आपको हमारे मुकाबले में कोई हिमायती भी न मिलेगा मगर (यह) आपके रब ही की रहमत है (कि ऐसा नहीं किया) बेशक आप पर उसका बड़ा फ़ज़ल है (मतलब यह है कि इनसान को रूह वग़ैरह हर चीज़ की हकीकत का तो क्या इल्म होता उसको जो थोड़ा-सा इल्म वही के ज़रिये अल्लाह तआला की तरफ़ से दिया गया है वह भी उसकी कोई जागीर नहीं, अल्लाह तआला चाहे तो देने के बाद भी छीन सकता है मगर वह अपनी रहमत से ऐसा करता नहीं, वजह यह है कि आप पर अल्लाह तआला का बड़ा फ़ज़ल है)। आप फ़रमा दीजिए कि अगर तमाम इनसान और जिन्नात सब इस बात के लिए जमा हो जाएँ कि ऐसा कुरआन बना लाएँ तब भी वे ऐसा न कर सकेंगे, अगरचे एक दूसरे का मददगार भी बन जाये (यानी उनमें से हर एक अलग-अलग कोशिश करके तो क्या कामयाब होता सब के सब एक दूसरे की मदद से काम करके भी कुरआन के जैसा नहीं बना सकते)। और हमने लोगों के (समझाने के) लिये इस कुरआन में हर किसम का उम्दा मज़मून तरह-तरह से बयान किया है, फिर भी अक्सर लोग इनकार किये बग़ैर न रहे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयतों में से पहली आयत में काफ़िरों की तरफ़ से रूह के मुताल्लिक़ एक सवाल और हक़ तज़ाला की तरफ़ से उसका जवाब ज़िक्र हुआ है। लफ़ज़ रूह लुगात व मुहावरों में तथा कुरआने करीम में कई मायने के लिये इस्तेमाल होता है, मशहूर व परिचित मायने तो वही हैं जो आम तौर पर इस लफ़ज़ से समझे जाते हैं, यानी जान जिससे हयात और ज़िन्दगी कायम है। कुरआने करीम में यह लफ़ज़ जिब्रीले अमीन के लिये भी इस्तेमाल हुआ है:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَبْلِكَ

और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिये भी कई आयतों में इस्तेमाल हुआ है और खुद कुरआने करीम और वही को भी रूह के लफ़ज़ से ताबीर किया गया है:

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

रूह से मुराद क्या है?

इसलिये यहाँ पहली बात सोचने के काबिल यह है कि सवाल करने वालों ने रूह का सवाल किस मायने के लिहाज़ से किया था? मुफ़स्सिरीन हज़रत में से कुछ ने मौक़े के मज़मून की रियायत से यह सवाल वही और कुरआन या वही लाने वाले फ़रिश्ते जिब्रीले के बारे में करार दिया है क्योंकि इससे पहले भी 'नुनज़िज़लु मिनल्-कुरआनि' में कुरआन का ज़िक्र था और बाद की आयतों में फिर कुरआन ही का ज़िक्र है। इसके मुनासिब इसको समझा कि सवाल में भी रूह से मुराद वही व कुरआन या जिब्रील ही हैं, और मतलब सवाल का यह होगा कि आप पर वही किस तरह आती है, कौन लाता है? कुरआने करीम ने इसके जवाब में इस पर बस किया कि अल्लाह के हुक्म से वही आती है, तफ्सील और कैफ़ियतें जिनका सवाल था वो नहीं बतलाई।

लेकिन सही मरफ़ूज़ हदीसों में जो इस आयत का शाने नुज़ूल बतलाया गया है वह तफ़रीबन इसमें स्पष्ट है कि सवाल करने वालों ने ज़िन्दगी वाली रूह का सवाल किया था और मक़सद सवाल का रूह की हकीकत मालूम करना था कि वह क्या चीज़ है, इनसानी बदन में किस तरह आती जाती है और किस तरह उससे हैवान और इनसान ज़िन्दा हो जाता है। सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीना के ग़ैर-आबाद हिस्से में चल रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ मुबारक में एक छड़ी खज़ूर की शाख़ की थी आपका गुज़र चन्द यहूदियों पर हुआ, ये लोग आपस में कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ रहे हैं, इनसे रूह के बारे में सवाल करो, दूसरों ने मना किया मगर सवाल करने वालों ने सवाल कर ही डाला। यह सवाल सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लकड़ी पर टेक लगाकर ख़ामोश खड़े हो गये जिससे मुझे अन्दाज़ा हुआ कि आप पर वही नाज़िल होने वाली है, कुछ ही देर के बाद वही नाज़िल हुई तो आपने यह आयत पढ़कर सुनाई:

وَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

(यानी यही आयत नम्बर 85 जिसकी तफसीर बयान हो रही है) यहाँ जाहिर है कि कुरआन या वही को रूह कहना यह कुरआन की एक खास इस्तिलाह (परिभाषा) थी, उन लोगों के सवाल को इस पर फिट करना बहुत दूर की बात है, अलबत्ता हैवान व इनसान की रूह का मामला ऐसा है कि इसका सवाल हर शाख के दिल में पैदा होता ही है इसी लिये मुफसिरीन की एक बड़ी जमाअत— इब्ने कसीर, इब्ने जरीर, कूर्तुबी, बहरे-मुहीत व रूहल-मआनी के लेखकों सभी ने इसी को सही करार दिया है कि सवाल हैवानी रूह (जिन्दीगी वाली रूह) की हकीकत से था। रहा यह मामला कि आगे-पीछे के मजमून में जिफ्र कुरआन का चला आया है बीच में रूह का सवाल जवाब बेजोड़ है तो इसका जवाब खुला है कि इससे पहली आयतों में काफ़िरो व मुशिरकों की मुखालफत और दुश्मनी भरे सवालों का जिफ्र आया है जिनसे मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रिसालत के बारे में इम्तिहान करना था, यह सवाल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसलिये बेजोड़ नहीं, खास तौर पर इसके शाने नुज़ूल (उतरने के मौके व सबब) के बारे में एक दूसरी सही हदीस मन्कूल है, उसमें यह बात ज़्यादा स्पष्ट रूप से आ गई है कि सवाल करने वालों का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत का इम्तिहान लेना था।

चुनाँचे मुसन्द अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि (मक्का के कुरैश जो सही-गलत और मुनासिब व ग़ैर-मुनासिब सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से करते रहते थे उनको ख़्याल पैदा हुआ कि यहूदी लोग इल्म वाले हैं उनको पिछली किताबों का भी इल्म है उनसे कुछ सवालात हासिल किये जायें जिनके ज़रिये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इम्तिहान लिया जाये, इसलिये कुरैश ने यहूद से मालूम करने के लिये अपने आदमी भेजे उन्होंने कहा कि तुम उनसे रूह के बारे में सवाल करो। (इब्ने कसीर)

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ही से इस आयत की तफसीर में यह भी नक़ल किया है कि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने सवाल में यह भी कहा था कि आप हमें यह बतलायें कि रूह पर अज़ाब किस तरह होता है, उस वक़्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इस बारे में कोई बात नाज़िल न हुई थी इसलिये उस वक़्त आपने फ़ौरी जवाब नहीं दिया, फिर जिब्रीले अमीन यह आयत लेकर नाज़िल हुए:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. (ابن كثير ملخصاً)

(यानी यही आयत नम्बर 85 जिसकी तफसीर बयान हो रही है।)

सवाल का वाकिअ मक्का में पेश आया या मदीना में?

इससे पहले यहाँ एक बात और ग़ौर करने के काबिल है कि इस आयत के उतरने के मुताल्लिक जो दो हदीसें हज़रत इब्ने मसऊद और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ऊपर नक़ल की गई हैं उनमें से हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक

सवाल का यह वाक़िआ मदीना में पेश आया और इसी लिये कुछ मुफ़सिरीन ने इस आयत को मदनी करार दिया है अगरचे सूर: बनी इस्राईल का अक्सर हिस्सा मक्की है, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा के वाक़िए से है उसके मुताबिक़ यह आयत भी पूरी सूरा की तरह मक्की बाकी रहती है इसी लिये इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी शुब्हे व गुमान को वरीयता वाला करार दिया है और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का जवाब यह दिया है कि यह मुम्किन है कि इस आयत का उतरना मदीना में दूसरी मर्तबा हुआ हो जैसा कि कुरआन की बहुत-सी आयतों का नज़ूल (उतरना) दोबारा होना सब उलेमा के नज़दीक मुसल्लम है। और तफ़सीरे मज़हरी ने हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत को वरीयता प्राप्त करार देकर यह वाक़िआ मदीना का और आयत को मदनी करार दिया है, जिसकी दो वज्हें बतलाईं— एक यह कि यह रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम में है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इसकी सनद ज़्यादा मज़बूत है, दूसरे यह कि इसमें खुद वाक़िआ वाले यानी हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाक़िआ बयान कर रहे हैं, बख़िलाफ़ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत के कि उसमें ज़ाहिर यही है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात किसी से सुनी होगी।

उपर्युक्त सवाल का जवाब

कुरआने करीम ने ऊपर बयान हुए सवाल का जवाब यह दिया है:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.

इस जवाब की व्याख्या व वज़ाहत में कुरआन के मुफ़सिरीन हज़रत के कलिमात और ताबीरों भिन्न और अलग-अलग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करीब और स्पष्ट वह है जो तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने इख़्तियार किया है। वह यह है कि इस जवाब में जितनी बात का बतलाना ज़रूरी था और जो आ़ाम लोगों की समझ में आने के काबिल है सिर्फ़ वह बतला दी गई, और रूह की मुकम्मल हकीकत जिसका सवाल था उसको इसलिये नहीं बतलाया कि वह आ़ाम लोगों की समझ से बाहर भी थी और उनकी कोई ज़रूरत उसके समझने पर अटकी भी न थी। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को यह हुक्म हुआ कि आप उनके जवाब में यह फ़रमा दीजिये कि “रूह मेरे परवर्दिगार के हुक्म से है।” यानी वो आ़ाम मख़्तूक़ात की तरह नहीं जो मादे के बदलाव और पैदाईश व नस्ल चलने के ज़रिये वजूद में आती हैं, बल्कि वो डायरेक्ट हक़ तआ़ला के हुक्म कुन से पैदा होने वाली चीज़ है।

इस जवाब ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि रूह को आ़ाम माही चीज़ों पर क़ियास नहीं किया जा सकता जिससे वो तमाम शुब्हे दूर हो गये जो रूह को आ़ाम माही चीज़ों पर क़ियास (अन्दाज़ा व तुलना) करने के नतीजे में पैदा होते हैं, और इनसान के लिये इतना ही इल्म रूह के बारे में काफ़ी है इससे ज़्यादा इल्म के साथ उसका कोई दीनी या दुनियावी काम अटका हुआ नहीं, इसलिये सवाल का वह हिस्सा फ़ुज़ूल और बेमक़सद करार देकर उसका जवाब नहीं दिया गया,

खुसूसन जबकि उसकी हकीकत का समझना अ़वाम के लिये तो क्या बड़े-बड़े अक्लमन्दों और फ़लॉस्फ़रों के लिये भी आसान नहीं।

हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं

सवाल करने वाले की दीनी मस्लेहत की रियायत लाज़िम है

इमाम जस्तास रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इस जवाब से यह मसला निकाला कि मुफ़्ती और आलिम के जिम्मे यह ज़रूरी नहीं कि सवाल करने वाले के हर सवाल और उसके हर हिस्से का जवाब ज़रूर दे, बल्कि दीनी मस्लेहतों पर नज़र रखकर जवाब देना चाहिये, जो जवाब मुखातब की समझ से बाहर हो या उसके ग़लत-फ़हमी में पड़ जाने का ख़तरा हो तो उसका जवाब नहीं देना चाहिये। इसी तरह बेज़रूरत या बेकार के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहिये, अलबत्ता जिस शख्स को कोई वाकिआ पेश आया जिसके बारे में उसको कुछ अमल करना लाज़िम है और खुद वह आलिम नहीं तो मुफ़्ती और आलिम को अपने इल्म के मुताबिक़ उसका जवाब देना ज़रूरी है। (तफ़सीरे जस्तास)

इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने 'किताबुल-इल्म' में इस मसले का एक मुस्तक़िल 'तर्जमतुल-बाब' रखकर बतलाया है कि जिस सवाल के जवाब से मुग़ालते (धोखे और ग़लत-फ़हमी) में पड़ जाने का ख़तरा हो उसका जवाब नहीं देना चाहिये।

रूह की हकीकत का इल्म किसी को हो सकता है या नहीं?

कुरआने करीम ने इस सवाल का जवाब मुखातब की ज़रूरत और समझ के मुताबिक़ दे दिया, रूह की हकीकत को बयान नहीं फ़रमाया, मगर इससे यह लाज़िम नहीं आता कि रूह की हकीकत को कोई इनसान समझ ही नहीं सकता और यह कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी उसकी हकीकत मालूम नहीं थी। सही बात यह है कि यह आयत न इसकी नफ़ी करती है न साबित करती है, अगर किसी नबी व रसूल को वही के ज़रिये या किसी वली को कश्फ़ व इल्हाम (अल्लाह की तरफ़ से किसी चीज़ को दिल में डालने या किसी चीज़ की हकीकत खोलने) के ज़रिये इसकी हकीकत मालूम हो जाये तो इस आयत के खिलाफ़ नहीं बल्कि अक्ल व ज्ञान के एतबार से भी इस पर कोई बहस व तहकीक़ की जाये तो इसको फ़ुज़ूल और बेकार तो कहा जायेगा मगर नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। इसी लिये पहले और बाद के बहुत-से उलेमा ने रूह के मुताल्लिक़ मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं, आख़िरी दौर में हमारे उस्तादे मोहतरम शैख़ुल-इस्ताम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने एक मुख़्तसर से रिसाले में इस मसले को बेहतररीन अन्दाज़ पर लिखा है और उसमें जिस क़द्र हकीकत समझना आम इनसान के लिये मुम्किन है वह समझा दी है, जिस पर एक पढ़ा-लिखा इनसान क़नाअत कर सकता है और शुब्हों व इश्कालों से बच सकता है।

फायदा

इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस जगह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक तफ्सीली रिवायत इस तरह नक़ल फ़रमाई है कि यह आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई जबकि मक्का के कुरैशी सरदारों ने जमा होकर मश्विरा किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे अन्दर पैदा हुए और जवान हुए, उनकी ईमानदारी व सच्चाई में कभी किसी को शुब्हा नहीं हुआ, और कभी उनके बारे में झूठ बोलने की तोहमत भी किसी ने नहीं लगाई और इसके बावजूद अब जो नुबुव्वत का दावा वह कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता, इसलिये ऐसा करो कि अपना एक वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) मदीना के यहूदी उलेमा के पास भेजकर उनसे इनके बारे में तहकीकात करो। चुनाँचे कुरैश का एक वफ़द यहूदियों के उलेमा के पास मदीना पहुँचा, यहूद के उलेमा ने उनको मश्विरा दिया कि हम तुम्हें तीन चीज़ें बतलाते हैं तुम उनसे इन तीनों का सवाल करो। अगर उन्होंने तीनों का जवाब दे दिया तो वह नबी नहीं, और इसी तरह तीनों में से किसी का जवाब न दिया तो भी नबी नहीं, और अगर दो का जवाब दिया तीसरी चीज़ का जवाब न दिया तो समझ लो कि वह नबी हैं। (1) वो तीन सवाल ये बतलाये कि एक तो उनसे उन लोगों का हाल पूछो जो पुराने ज़माने में शिर्क से बचने के लिये किसी ग़ार (गुफ़ा) में छुप गये थे, क्योंकि उनका वाकिफ़ा अजीब है। दूसरे उस शख़्त का हाल पूछो जिसने ज़मीन के पूरब व पश्चिम का सफ़र तय किया कि उसका क्या किस्ता है। तीसरे रूह के बारे में पूछो।

यह वफ़द वापस आया और तीनों सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश कर दिये। आपने फ़रमाया कि मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूँगा, मगर इस पर इन्शा-अल्लाह नहीं कहा, इसका नतीजा यह हुआ कि चन्द दिन तक वही का सिलसिला बन्द हो गया, बारह पन्द्रह से लेकर चालीस दिन तक की विभिन्न रिवायतें हैं जिनमें वही का सिलसिला बन्द रहा। मक्का के कुरैश को ताने मारने और बुराई करने का मौक़ा मिला कि कल जवाब देने को कहा था आज इतने दिन हो गये जवाब नहीं मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी परेशानी हुई फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह आयत लेकर नाज़िल हुए:

وَلَا تَقُولُوا لِنَبِيِّنَا إِذَا تَنَاوَسْنَا وَاللَّهُ

जिसमें आपको यह तालीम की गई कि आईन्दा किसी काम के करने का वायदा किया जाये तो इन्शा-अल्लाह कहकर किया जाये, और इसके बाद रूह के मुताल्लिक यह आयत सुनाई जो ऊपर बयान हुई, और ग़ार में छुपने वालों के मुताल्लिक अस्हाब-ए-कहफ़ का वाकिफ़ा और पूरब से पश्चिम तक सफ़र करने वाले शुल्करनैन का वाकिफ़ा पूरी तफ्सील के साथ जवाब में बयान फ़रमाया गया, और रूह के बारे में जिस हकीक़त का सवाल था उसका जवाब नहीं दिया गया (जिससे यहूद की बतलाई हुई सच्चा नबी होने की निशानियाँ जाहिर हो गईं)। इस वाकिफ़ को

(1) यह तफ्सील तफ्सीर मज़ारिहूल-कुरआन जिल्द 4 के मुताबिक़ है। मुहम्मद तकी उस्मानी

हदीस की किताब तिर्मिजी ने भी मुख्तसर तौर पर बयान किया है। (तफसीरे मज़हरी)

सूर: हिज़्र की आयत 29 'नफ़ख़ु फ़ीहि मिर्हू' के तहत रूह और नपस वगैरह की हकीकत के मुताबिक एक तहकीक तफसीरे मज़हरी के हवाले से पहले गुज़र चुकी है जिसमें रूह की किस्में और हर एक की हकीकत को काफी हद तक खोलकर बयान कर दिया है।

وَأَيْنَ شَيْئًا لَّنَدْعِبَنَّ..... الخ

पिछली आयत (यानी आयत नम्बर 85) में रूह के सवाल पर ज़रूरत के मुताबिक जवाब देकर रूह की हकीकत पूछने की कोशिश से यह कहकर रोक दिया गया था कि इनसान का इल्म कितना ही ज़्यादा हो जाये मगर चीज़ों की हकीकतों के विभिन्न पहलुओं के एतिबार से काम ही रहता है इसलिये ग़ैर-ज़रूरी बहसों और तहकीकात में उलझना अपने वक़्त को बरबाद करना है। इस आयत नम्बर 86 में इस तरफ़ इशारा है कि इनसान को जिस क़द्र भी इल्म मिला है वह भी उसकी जाती जागीर नहीं, अल्लाह तआला चाहें तो उसको भी छीन सकते हैं, इसलिये उसको चाहिये कि मौजूदा इल्म पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और फ़ुज़ूल व बेकार की तहकीकात में वक़्त बरबाद न करे, विशेष तौर पर जबकि मक़सद तहकीक़ करना भी न हो बल्कि दूसरे का इन्तिहान लेना या उसको नीचा दिखाना मक़सद हो, अगर उसने ऐसा किया तो कुछ मुश्किल नहीं कि इस ग़लत हरकत के नतीजे में जितना इल्म हासिल है वह सब छिन जाये। इस आयत में ख़िताब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है मगर असल सुनाना उम्मत को मक़सद है कि जब रसूल का इल्म भी उनके इख़्तियार में नहीं तो दूसरों का क्या कहना है।

قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

यह मज़मून कुरआन मजीद की चन्द आयतों में आया है जिसमें पूरी इन्सानी दुनिया को ख़िताब करके यह दावा किया गया है कि अगर तुम कुरआन को अल्लाह का कलाम नहीं मानते बल्कि किसी इन्सान का बनाया हुआ मानते हो तो फिर तुम भी इन्सान हो इसकी मिसाल बना कर दिखला दो। इस आयत में इस दावे के साथ यह भी फ़रमा दिया गया कि सिर्फ़ इन्सान नहीं जिन्नात को भी अपने साथ मिला लो और फिर तुम सब मिलकर कुरआन की एक सूरत बल्कि एक आयत की मिसाल भी न बना सकोगे।

इस मज़मून का इस जगह पर दोहराना मुम्किन है कि यह बतलाने के लिये हो कि तुम जो हमारे रसूल से विभिन्न किस्म के सवालात रूह वगैरह के बारे में उनकी रिसालत व नुबुव्वत की आजमाईश के लिये करते हो, क्यों इन फ़ुज़ूल किस्सों में पड़े हो, खुद कुरआने करीम को देख लो तो आपकी नुबुव्वत व रिसालत में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं रहती, क्योंकि जब सारी दुनिया के जिन्नात व इन्सान इसकी मामूली-सी मिसाल बनाने से अज़िज़ हैं तो इसके अल्लाह का कलाम होने में क्या शुब्हा रहता है, और जब कुरआने करीम का अल्लाह का कलाम होना इस आसानी से साबित हो गया तो आपकी नुबुव्वत व रिसालत में किसी शुब्हे की क्या गुंजाईश रहती है।

आखिरी आयत 'य लकद् सरफना.....' (यानी आयत नम्बर 89) में यह बतला दिया कि अगरचे कुरआने करीम का मोजिजा (खुदाई करिश्मा होना) इतना खुला हुआ है कि इसके बाद किसी सवाल और शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं रहती मगर हो यह रहा है कि लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, कुरआन की नेमत की भी कद्र नहीं पहचानते इसलिये गुमराही में भटकते रहते हैं।

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

يَبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكِ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُحَّمَتْ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُ اللَّهِ وَالْمَلَكِ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ نُحْرَفٍ أَوْ تُرَفٍّ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۖ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ وَمَا مَعَهُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَكِّاتًا رَسُولًا ۖ

व कालू लन् नुअमि-न ल-क हत्ता तफ्जु-र लना मिनल्-अर्जि यम्बूआ (90) औ तकू-न ल-क जन्नतुम् मिन नखीलिव्-व अि-नबिन् फतुफज्जिरल् -अन्हा-र खिलालहा तफ्जीरा (91) औ तुस्कितस्समा-अ कमा ज़अम्-त अलैना कि-सफन् औ तअति-य बिल्लाहि वल्मलाइ-कति कबीला (92) औ यकू-न ल-क बैतुम्-मिन् जुख्ररुफिन् औ तरका फिस्समा-इ, व लन्-नुअमि-न लिरुकियि-क हत्ता तुनज्जि-ल अलैना किताबन् नक्वरउह्, कुल् सुब्हा-न रब्बी हल् कुन्तु इल्ला ब-शरर्-रसूला (93) ❀

और बोले हम न मानेंगे तेरा कहा जब तक तू न जारी कर दे हमारे वास्ते ज़मीन से एक चश्मा। (90) या हो जाये तेरे वास्ते एक बाग़ खजूर और अंगूर का, फिर बहाये तू उसके बीच नहरें चलाकर। (91) या गिरा दे हम पर आसमान जैसा कि तू कहा करता है टुकड़े-टुकड़े, या ले आ अल्लाह को और फ़रिश्तों को सामने। (92) या हो जाये तेरे लिये एक घर सुनहरा या चढ़ जाये तू आसमान में और हम न मानेंगे तेरे चढ़ जाने को जब तक न उतार लाये हम पर एक किताब जिसको हम पढ़ लें। तू कह सुब्हानल्लाह मैं कौन हूँ मगर एक आदमी हूँ भेजा हुआ। (93) ❀

व मा म-नअन्ना-स अय्युअमिनु इज़्
जा-अहुमुल्-हुदा इल्ला अन् काल्
अ-ब-असल्लाहु ब-शररसूला (94)
कुल् लौ का-न फिल्अर्जि
मलाइ-कतुय्-यम्शू-न मुत्मइन्नी-न
लनज़ज़ल्ला अलैहिम् मिनस्समा-इ
म-लकरसूला (95)

और लोगों को रोका नहीं ईमान लाने से
जब पहुँची उनको हिदायत मगर इसी बात
ने कि कहने लगे- क्या अल्लाह ने भेजा
आदमी को पैग़ाम देकर? (94) कह अगर
होते ज़मीन में फ़रिश्ते फिरते-बस्ते तो
हम उतारते उन पर आसमान से कोई
फ़रिश्ता पैग़ाम देकर। (95)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों के चन्द सवालात और उनके जवाबात ज़िक्र किये गये हैं
अब इन आयतों में उनके चन्द दुश्मनी व मुख़ालफ़त भरे सवालात और बेसर-पैर की फ़रमाईशों
का ज़िक्र और उनका जवाब है। (तफ़सीर इब्ने जरीर, हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग (इसके बावजूद कि कुरआन के मोजिज़ा होने के ज़रिये आपकी नुबुव्वत व
रिसालत का काफ़ी और वाज़ेह सुबूत इनको मिल चुका, फिर भी दुश्मनी व मुख़ालफ़त की वजह
से ईमान नहीं लाते और ये बहाने करते हैं कि) कहते हैं कि हम आप पर हरगिज़ ईमान न
लाएँगे जब तक आप हमारे लिये (मक्का की) ज़मीन से कोई चश्मा जारी न कर दें। या ख़ास
आपके लिए खज़ूर और अंगूरों का कोई बाग़ न हो, फिर उस बाग़ के बीच-बीच में जगह-जगह
बहुत-सी नहरें आप जारी कर दें। या जैसा कि आप कहा करते हैं, आप आसमान के टुकड़े हम
पर न गिरा दें (जैसा कि कुरआन की इस आयत में इश़ाद है:

إِنْ نَشَاءُ نَخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسُفُّهُمْ عَلَيْهِمْ كَسُفَاوِنَ السَّمَاءِ

“यानी हम चाहें तो उनको ज़मीन के अन्दर धँसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा
दें”) या आप अल्लाह को और फ़रिश्तों को (हमारे) सामने न ला खड़ा कर दें (कि हम खुल्लम
खुल्ला देख लें)। या आपके पास कोई सोने का बना हुआ घर न हो, या आप (हमारे सामने)
आसमान पर न चढ़ जाएँ, और हम तो आपके (आसमान पर) चढ़ने का कभी भी यकीन न
करेंगे जब तक कि (वहाँ से) आप हमारे पास एक किताब न ला दें, जिसको हम पढ़ भी लें
(और उसमें आपके आसमान पर पहुँचने की तस्दीक़ के तौर पर रसीद लिखी हुई हो)। आप
(इन सब ख़ुराफ़ात के जवाब में) फ़रमा दीजिये कि सुब्हानल्लाह! मैं सिवाय इसके कि आदमी हूँ
(मगर) पैग़म्बर हूँ और क्या हूँ (कि इन फ़रमाईशों को पूरा करना मेरी कुदरत में हो, यह कामिल

कुदरत और पूरा इख्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की सिफ़त है, इनसान होना अपनी ज़ात में खुद बेबसी व बेइख्तियारी को लिये हुए है, रहा रिसालत का मामला तो वह भी इसका तकाज़ा नहीं करता कि अल्लाह के रसूल को हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार हो बल्कि नुबुव्वत व रिसालत के लिये तो इतनी बात काफी है कि रिसालत की कोई साफ़ स्पष्ट दलील आ जाये जिस पर अक्ल वाले को एतिराज़ न हो सके, और वह दलील कुरआन के बेमिसाल व मोजिज़ा होना और दूसरे मोजिज़ों की सूरत में बार-बार पेश की जा चुकी है, इसलिये नुबुव्वत व रिसालत के लिये इन फ़रमाईशों का मुतालबा बिल्कुल बेहूदा है, हाँ! अल्लाह तआला को सब कुदरत है वह सब कुछ कर सकते हैं मगर उससे किसी को मुतालबे का हक़ नहीं, जिस चीज़ को वह हिक्मत के मुताबिक़ देखते हैं ज़ाहिर भी कर देते हैं मगर यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी सब फ़रमाईशें पूरी करें।

और जिस वक़्त उन लोगों के पास हिदायत (यानी रिसालत की सही दलील जैसे कुरआन का मोजिज़ा होना) पहुँच चुकी, उस वक़्त उनको ईमान लाने से सिवाय इसके और कोई (काबिले तवज्जोह) बात रुकावट नहीं हुई कि उन्होंने (इनसान होने को रिसालत के विरुद्ध समझा, इसलिये कहा) क्या अल्लाह तआला ने आदमी को रसूल बनाकर भेजा है (यानी ऐसा नहीं हो सकता)। आप (जवाब में हमारी तरफ़ से) फ़रमा दीजिए कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते (रहते) होते कि इसमें चलते-बसते तो ज़रूर हम अलबत्ता उन पर आसमान से फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेजते।

मज़ारिफ़ व मसाईल

बिना सर-पैर के मुख़ालफ़त भरे सवालात का पैग़म्बराना जवाब

ऊपर बयान हुई आयतों में जो सवालात और फ़रमाईशें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने ईमान लाने की शर्त करार देकर की गई वो सब ऐसी हैं कि हर इनसान उनको सुनकर एक किस्म का मज़ाक़ और ईमान न लाने का बेहूदा बहाने के सिवा कुछ नहीं समझ सकता। ऐसे सवालात के जवाब में इनसान को फ़ितरी तौर पर गुस्सा आता है और जवाब भी उसी अन्दाज़ का देता है, मगर इन आयतों में उनके बेहूदा सवालात का जो जवाब हक़ तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तालीम फ़रमाया वह ध्यान देने के काबिल और उम्मत के सुधारकों के लिये हमेशा याद रखने और अमल में लाने वाली चीज़ है, कि उन सब के जवाब में न उनकी बेवकूफी का इज़हार किया गया न उनकी दुश्मनी भरी शरारत का, न उन पर कोई फ़िक़रा कसा गया बल्कि निहायत सादा अलफ़ाज़ में असल हकीक़त को स्पष्ट कर दिया गया कि तुम लोग शायद यह समझते हो कि जो शख़्त खुदा का रसूल होकर आये उसे सारे खुदाई के इख्तियारत का मालिक और हर चीज़ पर फ़ादिर होना चाहिये, यह सोच और धारणा ग़लत है, रसूल का काम सिर्फ़ अल्लाह का पैग़ाम पहुँचाना है, अल्लाह तआला उनकी रिसालत

को साबित करने के लिये बहुत-से मौजिजे भी भेजते हैं मगर वो सब कुछ महज़ अल्लाह तआला की क़ुदरत व इख़्तियार से होता है, रसूल को खुदाई के इख़्तियारात नहीं मिलते, वह एक इनसान होता है और इनसानी ताक़त व क़ुदरत से बाहर नहीं होता सिवाय इसके कि अल्लाह तआला ही उसकी इमदाद के लिये अपनी ग़ुलबे वाली ताक़त को ज़ाहिर फ़रमा दें।

अल्लाह का रसूल इनसान ही हो सकता है फ़रिश्ते इनसानों की तरफ़ रसूल नहीं हो सकते

आम काफ़िरों व मुशिरकों का ख़्याल था कि बशर यानी आदमी अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो हमारी तरह तमाम इनसानी ज़रूरतों का आदी होता है, फिर उसको हम पर क्या बरतरी और श्रेष्ठता हासिल है कि हम उसको अल्लाह का रसूल समझें और अपना मुक्तदा (पेशवा और क़ाबिले पैरवी) बना लें। उनके इस ख़्याल का जवाब क़ुरआने करीम में कई जगह विभिन्न उनवानों से दिया गया है। यहाँ आयत 'व मा म-नअन्ना-स.....' (यानी आयत नम्बर 94) में जो जवाब दिया गया है उसका हासिल यह है कि अल्लाह का रसूल जिन लोगों की तरफ़ भेजा जाये वह उन्हीं की जिन्स में से होना ज़रूरी है। अगर ये आदमी हैं तो रसूल भी आदमी होना चाहिये, क्योंकि ग़ैर-जिन्स के साथ आपसी मुनासबत नहीं होती और बिना मुनासबत के हिदायत व रहनुमाई का फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर आदमियों की तरफ़ किसी फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेज दें जो न भूख को जानता है न प्यास को न जिन्सी इच्छाओं को न सर्दी गर्मी के एहसास को, न उसको कभी मेहनत से थकान लाहिक़ होती है तो वह इनसानों से भी ऐसे ही अमल की अपेक्षा रखता, उनकी कमज़ोरी व मजबूरी का एहसास न करता।

इसी तरह इनसान जब यह समझते कि यह तो फ़रिश्ता है हम इसके कामों की नक़ल करने की सलाहियत नहीं रखते तो उसकी पैरवी क्या खाक करते। यह फ़ायदा इस्लाह और हिदायत व रहनुमाई का सिर्फ़ इसी सूरत में हो सकता है कि अल्लाह का रसूल हो तो आदमियत की जिन्स से जो तमाम इनसानी ज़ब्जात और तबई इच्छाओं को खुद भी अपने अन्दर रखता हो मगर साथ ही उसको फ़रिश्तों वाली एक शान भी हासिल हो कि आम इनसानों और फ़रिश्तों के बीच वास्ते (माध्यम) और संपर्क का काम कर सके, वही लाने वाले फ़रिश्तों से वही हासिल करे और अपने हम-जिन्स इनसानों को पहुँचाये।

इस तक़रीर से यह शुब्हा भी दूर हो गया कि जब इनसान फ़रिश्ते से फ़ैज़ (लाभ व फ़ायदा) हासिल नहीं कर सकता तो फिर रसूल बाक्जुद इनसान होने के किस तरह उनसे वही का फ़ैज़ हासिल कर सकेगा।

रहा यह शुब्हा कि जब रसूल और उम्मत में एक जिन्स का होना शर्त है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जिन्नात का रसूल किस तरह बनाया गया, जिन्नात तो इनसान

के हम-जिन्स नहीं, तो जवाब यह है कि रसूल सिर्फ़ इनसान नहीं बल्कि उसमें एक शान फ़रिश्तों वाली भी होती है, उसकी वजह से जिन्नात को भी मुनासबत उनसे हो सकती है।

आयत के आखिर में यह इशारा फरमाया कि तुम इनसान होने के बावजूद जो यह मुतालबा करते हो कि हमारा रसूल फ़रिश्ता होना चाहिये, यह मुतालबा तो नामाकूल है, अलबत्ता अगर इस ज़मीन पर फ़रिश्ते आबाद होते और उनकी तरफ़ रसूल भेजने की ज़रूरत होती तो फ़रिश्ते ही को रसूल बनाया जाता। इसमें जो ज़मीन पर बसने वाले फ़रिश्तों का यह वस्फ़ (सिफ़त और ख़बी) ज़िक्र किया गया है कि 'यमशू-न मुत्मई-नी-न' यानी वे फ़रिश्ते ज़मीन पर मुत्मईन होकर चलते-फिरते, इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्तों की तरफ़ फ़रिश्तों को रसूल बनाकर भेजने की ज़रूरत उसी वक़्त हो सकती थी जबकि ज़मीन के फ़रिश्ते खुद आसमान पर न जा सकते बल्कि ज़मीन ही पर चलते-फिरते रहते, वरना अगर वे खुद आसमान पर जाने की क़ुदरत रखते तो ज़मीन पर रसूल भेजने की ज़रूरत ही न रहती।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

حَبِيرًا بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَعِيدًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ
يَأْتُونَ كُفْرًا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَافًا ۖ إِنَّا لَأَكْفُورُونَ ۚ خَلَقْنَا جَدِيدًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَا كُفُورًا ۚ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَدْرِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِي إِذًا لَأَسْتَكْمِلُنَّكُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۚ

कुल कफा बिल्लाहि शहीदम्-बैनी व
बैनकुम्, इन्नहू का-न बिज़िबादिही
ख़बीरम्-बसीरा (96) व मय्यहिदिल्लाहु
फहुवल-मुस्तदि व मय्युज़िल्ल फ-लन्
तजि-द लहुम् औलिया-अ मिन्
दूनिही, व नश्शुरुहुम् यौमल्-कियामति
अला वुजूहिहिम् अुम्यं-व बुक्मं-व
सुम्मन्, मज़्वाहुम् जहन्नम्, कुल्लमा
ख़बत् जिद्नाहुम् सज़ीरा (97) ●

कह अल्लाह काफी है हक़ साबित करने
वाला मेरे और तुम्हारे बीच में, वह है
अपने बन्दों से ख़बरदार देखने वाला।
(96) और जिसको राह दिखलाये अल्लाह
वही है राह पाने वाला और जिसको
भटकाये फिर तू न पाये उनके वास्ते कोई
साथी अल्लाह के सिवा, और उठायेगे हम
उनको कियामत के दिन, चलेंगे मुँह के
बल अंधे और गूँगे और बहरे, ठिकाना
उनका दोज़ख़ है, जब लगेगी बुझने और
भड़का देंगे उन पर। (97) ●

ज़ालि-क जज़ा-उहुम् बिअन्नहुम्
 क-फरू बिआयातिना व कालू अ-इज़ा
 कुन्ना अज़ामव्-व रुफ़ातन् अ-इन्ना
 लमब्भूसू-न ख़ाल्कन् जदीदा (98)
 अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी
 ख़ा-लक़ स्समावाति वल् अर-ज़
 कादिरुन् अला अय्यख़्लु-क़ मिस्लहुम्
 व ज-अ-ल लहुम् अ-जलल्-ला रै-ब
 फ़ीहि, फ़-अबज़ालिमू-न इल्ला
 कुफ़ूरा (99) कुल् लौ अन्तुम्
 तम्मिकू-न ख़ाज़ाइ-न रहमति रब्बी
 इज़ल् ल-अमूसक्तुम् ख़श्य-तल्-
 इन्फ़ाकि, व कानल्-इन्सानु
 कतूरा (100) ❀

यह उनकी सज़ा है इस वास्ते कि मुन्किर
 हुए हमारी आयतों से और बोले क्या जब
 हम हो गये हड्डियाँ और चूरा चूरा, क्या
 हमको उठायेंगे नये बनाकर। (98) क्या
 नहीं देख चुके कि जिस अल्लाह ने बनाये
 आसमान और ज़मीन वह बना सकता है
 ऐसों को और मुर्करर किया है उनके
 वास्ते एक वक़्त जिसमें कोई शुब्हा नहीं,
 सो नहीं रहा जाता बेइन्साफ़ों से नाशुक्री
 किये बयैर। (99) कह अगर तुम्हारे हाथ
 में होते मेरे रब की रहमत के ख़ज़ाने तो
 ज़रूर बन्द कर रखते इस डर से कि ख़र्व
 न हो जायें, और इनसान है दिल का
 तंग। (100) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब ये लोग रिसालत व नुबुव्वत की स्पष्ट दलीलें आ जाने और तमाम शुब्हात दूर हो जाने के बाद भी नहीं मानते तो) आप (आख़िरी बात) कह दीजिये कि अल्लाह तआला मेरे और तुम्हारे बीच (के झगड़े में) काफ़ी गवाह है (यानी खुदा जानता है कि मैं वास्तव में अल्लाह का रसूल हूँ क्योंकि) वह अपने बन्दों (के हालात) को ख़ूब जानता, ख़ूब देखता है (तुम्हारी दुश्मनी व मुख़ालफ़त को भी देखता है)। और अल्लाह तआला जिसको राह पर लाये वही राह पर आता है, और जिसको वह बेराह कर दे तो खुदा के सिवा आप किसी को भी ऐसों का मददगार न पाएँगे (और कुफ़्र की वजह से ये खुदा की मदद से मेहरूम रहे। मतलब यह है कि जब तक खुदा तआला की तरफ़ से मदद न हो न हिदायत हो सकती है न अज़ाब से निजात)।

और हम कियामत के दिन उनको अंधा गूँगा बहरा करके मुँह के बल चलाएँगे, उनका ठिकाना दोज़ख़ है (जिसकी यह कैफ़ियत होगी कि) वह (यानी दोज़ख़ की आग) जब ज़रा धीमी होने लगेगी उसी वक़्त हम उनके लिये और ज़्यादा भड़का देंगे। यह है उनकी सज़ा, इस सबब से कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था, और यूँ कहा था कि क्या हम हड्डियाँ और (वह

भी) बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएँगे तो क्या हम नये सिरे से पैदा करके (कब्रों से) उठाये जाएँगे। क्या उन लोगों को इलना मालूम नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा किये वह इस बात पर (और भी ज़्यादा) कादिर है कि वह उन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे, और (इनकार करने वालों को शायद यह ख़्याल व गुमान हो कि हज़ारों लाखों मर गये मगर अब तक तो यह वायदा दोबारा ज़िन्दा होकर उठने का पूरा हुआ नहीं, तो इसकी वजह यह है कि) उनके (दोबारा पैदा करने के) लिये एक मियाद निर्धारित कर रखी है, उस (निर्धारित) मियाद (के आने) में ज़रा भी शक नहीं, इस पर भी बेइन्साफ़ लोग इनकार किये बग़ैर न रहे। आप फ़रमा दीजिये कि अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत (यानी नुबुव्वत) के ख़ज़ानों (यानी कमालात) के मुख्तार होते (कि जिसको चाहते देते जिसको चाहते न देते) तो उस सूत में तुम (उसके) ख़र्च हो जाने के डर से ज़रूर हाथ रोक लेते (कभी किसी को न देते, हालाँकि यह चीज़ किसी को देने से घटती भी नहीं), और आदमी है ही बड़ा तंगदिल (कि न घटने वाली चीज़ को भी अता करने में संकोच करता है, जिसकी वजह रसूलों से दुश्मनी और कन्ज़ूसी के अलावा शायद यह भी हो कि अगर किसी को नबी और रसूल बना लिया तो फिर उसके अहकाम की पाबन्दी करनी पड़ेगी जैसे कोई कौम आपस में इत्तिफ़ाक़ करके किसी को अपना बादशाह बना ले तो अगरचे बनाया उन्होंने है मगर जब वह बादशाह बनेगा तो उसकी फ़रमाँबरदारी करनी पड़ती है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

आख़िरी आयत में जो यह इरशाद है कि अगर तुम लोग अल्लाह की रहमत के ख़ज़ानों के मालिक हो जाओ तो तुम कन्ज़ूसी करोगे किसी को न दोगे, इस डर से कि अगर लोगों को देते रहे तो यह ख़ज़ाना ख़त्म हो जायेगा अगरचे रहमते रब का ख़ज़ाना ख़त्म होने वाला नहीं मगर इनसान अपनी तबीयत से तंगदिल कम-हौसला होता है उसको खुले दिल के साथ लोगों को देने का हौसला नहीं होता।

इसमें रहमते रब के ख़ज़ानों के लफ़्ज़ से आम मुफ़स्सिरीन ने माल व दौलत के ख़ज़ाने मुराद लिये हैं और इसका संबन्ध पीछे के मज़मून से यह है कि मक्का के काफ़िरों ने इसकी फ़रमाईश भी की थी कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं तो आप इस मक्का के सुखे रेगिस्तान में नहरें जारी करके इसको हरे-भरे बागात में मुत्तफ़िल कर दें, जैसा मुक्के शाम में ख़िल्ला है, जिसका जवाब पहले आ चुका है कि तुमने तो गोया मुझे खुदा ही समझ लिया कि खुदाई के इख़्तियारात का मुझसे मुतालबा कर रहे हो, मैं तो सिर्फ़ एक रसूल हूँ खुदा नहीं कि जो चाहूँ कर दूँ। यह आयत भी अगर इसी से संबन्धित करार दी जाये तो मतलब यह होगा कि मक्का की सरज़मीन को नहरी ज़मीन और हरी-भरी बनाने की फ़रमाईश अगर मेरी नुबुव्वत व रिसालत के इम्तिहान के लिये है तो इसके लिये कुरआन का बेमिसाल और मोज़िज़ा होना काफ़ी है, दूसरी फ़रमाईशों की ज़रूरत नहीं। और अगर अपनी कौमी और मुक्की ज़रूरत पूरी करने के लिये है तो याद रखो कि अगर तुम्हारी फ़रमाईश के मुताबिक़ तुम्हें मक्का की ज़मीन में सब कुछ दे भी

व ल-कद् आतैना मूसा तिस-अ
 आयातिम्-बय्यिनातिन् फस्अल् बनी
 इस्राई-ल इज़् जा-अहुम् फका-ल लहू
 फिरऔनु इन्नी ल-अज़ुन्नु-क या
 मूसा मस्हूरा (101) का-ल ल-कद्
 अलिम्-त मा अन्ज़-ल हाउला-इ
 इल्ला रब्बुस्समावाति वल्अर्जि
 बसाइ-र व इन्नी ल-अज़ुन्नु-क या
 फिरऔनु मस्बूरा (102) फ-अरा-द
 अंय्यस्तफिज़्ज़हुम् मिनल्-अर्जि
 फ-अगरक़नाहु व मम्-म-अहू जमीआ
 (103) व कुल्ना भिम्-बअदिही
 लि-बनी इस्राईलस्कुनुल्-अर्-ज़
 फ-इज़ा जा-अ वअदुल्-आख़िरति
 जिअना बिकुम् लफीफ़ा (104) व
 बिल्हक्कि अन्ज़ल्लाहु व बिल्हक्कि
 न-ज़-ल, मा अरसल्ना-क इल्ला
 मुबशिशरं-व नज़ीरा। (105) व
 कुरआनन् फरक़नाहु लितक़-अहू
 अलन्नासि अला मुक्सिं-व नज़्ज़ल्लाहु
 तन्ज़ीला (106) कुल् आमिनु बिही
 औ ला तुअमिनु, इन्नल्लाज़ी-न ऊतुल्-
 अिल्-म मिन् क़ब्लिही इज़ा युत्ता
 अलैहिम् यख़िरू-न लिलअज़्क़ानि

और हमने दीं मूसा को नौ निशानियाँ
 साफ़ फिर पूछ बनी इस्राईल से जब आया
 वह उनके पास तो कहा उसको फिरऔन
 ने मेरी अटकल में तो मूसा तुझ पर जादू
 हुआ। (101) बोला तू जान चुका है कि
 ये चीज़ें किसी ने नहीं उतारीं मगर ज़मीन
 और आसमान के मालिक ने समझाने को
 और मेरी अटकल में फिरऔन तू ग़ारत
 हुआ चाहता है। (102) फिर चाहा कि
 बनी इस्राईल को चैन न दे उस ज़मीन में,
 फिर डुबा दिया हमने उसको और उसके
 साथ वालों को सब को। (103) और
 कहा हमने उसके बाद बनी इस्राईल को,
 आबाद रहो तुम ज़मीन में फिर जब
 आयेगा वायदा आख़िरत का ले आयेंगे
 हम तुमको समेटकर। (104) और सच के
 साथ उतारा हमने यह कुरआन और सच
 के साथ उतरा, और तुझको जो भेजा
 हमने सो खुशी और डर सुनाने को।
 (105) और पढ़ने को वज़ीफ़ा किया हमने
 कुरआन को अलग-अलग करके कि पढ़े
 तू इसको लोगों पर ठहर-ठहरकर और हम
 ने इसको उतारते उतारते उतारा। (106)
 कह तुम इसको मानो या न मानो जिनको
 इल्म मिला है इससे पहले से जब उनके
 पास इसको पढ़िये गिरते हैं ठोड़ियों पर

सुज्जदा (107) व यकूलू-न सुब्हा-न
रब्बिना इन् का-न व अहु रब्बिना
ल-मफ़्ज़ूला (108) व यख़िररू-न
लित् अफ़्क़ानि यब्कू-न व यज़ीदुहुम्
खुशूआ। (109) ❁

सज्दे में। (107) और कहते हैं पाक है
हमारा रब, बेशक हमारे रब का वायदा
होकर रहेगा। (108) और गिरते हैं
ठोड़ियों पर रोते हुए और ज़्यादा होती है
उनको अज़िज़ी। (109) ❁

खुलासा-ए-तफ्सीर

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को खुले हुए नौ मोजिज़े दिये (जिनका जिक्र पारा नम्बर नौ के छठे रुकूअ आयत नम्बर एक में है) जबकि वह बनी इस्राईल के पास आये थे। सो आप बनी इस्राईल से (भी चाहे) पूछ देखिये (और चूँकि आप फिरऔन की तरफ़ भी भेजे गये थे और फिरऔन और उसकी आल के ईमान न लाने से वो अज़ीब चीज़ें और मोजिज़े ज़ाहिर हुए थे इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को दोबारा ईमान लाने के लिये याददेहानी कराई और उन स्पष्ट निशानियों से डराया) तो फिरऔन ने उनसे कहा कि ऐ मूसा! मेरे ख़्याल में तो ज़रूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया है (जिससे तुम्हारी अक्ल ख़राब हो गई कि ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो)। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया तू (दिल में) ख़ूब जानता है (अगरचे शर्म की वजह से ज़बान से इफ़्कार नहीं करता) कि ये अज़ीब चीज़ें खास आसमान और ज़मीन के परवर्दिगार ने ही भेजी हैं, जो कि बसीरत “यानी समझ व अक्ल” के लिये (काफ़ी) साधन हैं, और मेरे ख़्याल में ज़रूर तेरी कम-बख़्ती के दिन आ गये हैं (और या तो फिरऔन की यह हालत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की दरख़्वास्त पर भी बनी इस्राईल को मिस्र से जाने की इजाज़त न देता था और फिर (यह हुआ कि) उसने (इस ख़्याल व संदेह से कि कहीं बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के असर से ताक़त न पकड़ जायें खुद ही) चाहा कि बनी इस्राईल का उस सरज़मीन से कदम उखाड़ दे (यानी उनको शहर से निकाल दे), सो हमने (इससे पहले कि वह कामयाब हो खुद) उस (ही) को और जो उसके साथ थे सब को डुबो दिया। और उस (डुबोने) के बाद हमने बनी इस्राईल को कह दिया कि (अब) तुम इस सरज़मीन (के जहाँ से तुमको निकालना चाहता था मालिक हो, तुम ही इस) में रहो-सहो (चाहे मौजूदा हालत में या सलाहियत के एतिबार से, मगर यह मालिक बनना दुनियावी ज़िन्दगी तक है) फिर जब आख़िरत का वायदा आ जायेगा तो हम सब को जमा करके (क़ियामत के मैदान में गुलामी और मातहतती की हालत में) ला हाज़िर करेंगे (यह शुरूअत में होगा फिर मोमिन व काफ़िर और नेक व बद को अलग अलग कर दिया जायेगा)।

और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़े दिये उसी तरह आपको भी बहुत-से

मोज़िज़े दिये जिनमें अजीमुश्शान मोज़िज़ा क़ुरआन है कि) हमने इस क़ुरआन को सच्चाई ही के साथ नाज़िल किया और वह सच्चाई ही के साथ (आप पर) नाज़िल हो गया (यानी जैसा अल्लाह के पास से चला था उसी तरह आप तक पहुँच गया और बीच में कोई कमी-बेशी व तब्दीली और उलट-फेर नहीं हुआ। पस पूरी तरह सच्चाई ही सच्चाई है)। और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाया था और हिदायत उनके इख़्तियार में न थी उसी तरह) हमने आपको (भी) सिर्फ़ (ईमान पर सवाब की) खुशी सुनाने वाला और (कुफ़्र पर अज़ाब से) डराने वाला बनाकर भेजा है (अगर कोई ईमान न लाये कुछ गुम न कीजिये)। और क़ुरआन (में सच्चाई व हक़ की सिफ़त के साथ रहमत के तकाज़े से और भी ऐसी सिफ़ात की रियायत की गई है कि उससे हिदायत ज़्यादा आसान हो, चुनाँचे एक तो यह कि इस) में हमने (आयतें वगैरह का) जगह-जगह फ़ासला रखा, ताकि आप इसको लोगों के सामने ठहर-ठहरकर पढ़ें (जिसमें वे अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि लगातार लम्बी तक़रीर कई बार ज़ेहन में नहीं बैठती) और (दूसरे यह कि) हमने इसको उतारने में भी (वाकिफ़ात के हिसाब से) थोड़ा-थोड़ा करके उतारा (ताकि मायने ख़ूब ज़ाहिर व स्पष्ट हों, अब इन सब बातों का तकाज़ा यह था कि ये लोग ईमान ले आते लेकिन इस पर भी ईमान न लायें तो आप कुछ परवाह न कीजिये बल्कि साफ़) कह दीजिये कि तुम इस क़ुरआन पर चाहे ईमान लाओ या ईमान न लाओ (मुझको कोई परवाह नहीं, दो वजह से— पहली तो यह कि मेरा क्या नुक़सान किया, दूसरे यह कि तुम ईमान न लाये तो क्या हुआ दूसरे लोग ईमान ले आये, चुनाँचे) जिन लोगों को क़ुरआन (के उतारने) से पहले (दीन का) इल्म दिया गया था (यानी अहले किताब में के इन्साफ़-पसन्द उलेमा) यह क़ुरआन जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब (वायदा-ख़िलाफ़ी से) पाक है, बेशक हमारे परवर्दिगार का वायदा ज़रूर पूरा ही होता है (तो जिस किताब का जिस नबी पर नाज़िल करने का वायदा पहली आसमानी किताबों में किया था उसको पूरा फ़रमा दिया)। और ठोड़ियों के बल (जो) गिरते हैं (तो) रोते हुए (गिरते हैं) और यह क़ुरआन (यानी इसका सुनना) उनका (दिली) खुशू “यानी अज़िज़ी” और बढ़ा देता है (क्योंकि ज़ाहिर व बातिन का समान और एक जैसा होना कैफ़ियत को मज़बूत कर देता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سِنْعَ آيَاتٍ

इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नौ खुली और स्पष्ट निशानियाँ अता फ़रमाने का ज़िक्र है। आयत का लफ़्ज़ मोज़िज़े के मायने में भी आता है और क़ुरआन की आयतों यानी अल्लाह के अहक़ाम के मायने में भी, इस जगह दोनों मायनों की गुंजाईश है इसी लिये मुफ़स्सिरान की एक जमाअत ने इस जगह आयात से मुराद मोज़िज़े लिये हैं और नौ की संख्या से यह ज़रूरी नहीं कि नौ से ज़्यादा न हों, मगर इस जगह नौ का ज़िक्र किसी ख़ास अहमियत की बिना पर

किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नौ मोजिजे इस तरह शुमार फरमाये हैं:

1. मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो अज़दहा बन जाती थी।
2. सफ़ेद हाथ जिसको गिरेबान में डालकर निकालने से चमकने लगता था।
3. जुबान में लुक्नत (लड़खड़ाहट) थी वह दूर कर दी गई।
4. बनी इस्राईल के दरिया पार करने के लिये दरिया को फाड़कर उसके दो हिस्से अलग कर दिये और रास्ता दे दिया।
5. टिंडी दल का अज़ाब असाधारण सूरत में भेज दिया गया।
6. तूफ़ान भेज दिया गया।
7. बदन के कपड़ों में बेहद जुँए पैदा कर दी गई जिनसे बचने का कोई रास्ता न रहा।
8. मेंढकों का एक अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया कि हर खाने पीने की चीज़ में मेंढक आ जाते थे।

9. खून का अज़ाब भेजा गया कि हर बरतन और खाने पीने में खून मिल जाता था।
और एक सही हदीस के मज़मून से यह मालूम होता है कि यहाँ आयात से मुराद अल्लाह के अहकाम हैं, यह हदीस अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिजी, इब्ने माजा में सही सनद से हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है, वह फरमाते हैं कि एक यहूदी ने अपने एक साथी से कहा कि मुझे उस नबी के पास ले चलो। साथी ने कहा कि नबी न कहो अगर उनको ख़बर हो गई कि हम भी उनको नबी कहते हैं तो उनकी चार आँखें हो जायेंगी, यानी उनको फ़ख़ व खुशी का मौफ़ा मिल जायेगा। फिर ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो नौ आयात-ए-बय्थिनात (खुली निशानियाँ) दी गई थीं वो क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

1. अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो।
2. चोरी न करो।
3. ज़िना न करो।
4. जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है उसको नाहक़ क़त्ल न करो।
5. किसी बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर क़त्ल व सज़ा के लिये पेश न करो।
6. जादू न करो।
7. सूद न खाओ।
8. पाकदामन औरत पर बदकारी का बोहतान न बाँधो।
9. जिहाद के मैदान से जान बचाकर न भागो। और ऐ यहूदियो! विशेष तौर पर तुम्हारे

लिये यह भी हुक्म है कि यौम-ए-सब्त (शनिवार के दिन) के जो खास अहकाम तुम्हें दिये गये हैं उनकी खिलाफवर्जी न करो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से यह बात सुनकर दोनों ने आपके हाथों और पाँव को बोसा दिया और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया कि फिर तुम्हें मेरी पैरवी करने से क्या चीज़ रोकती है? कहने लगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब से यह दुआ की थी कि उनकी नस्ल में हमेशा नबी होते रहें, और हमें खतरा है कि अगर हम आपकी पैरवी करने लगे तो यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे।

चूँकि यह तफसीर सही हदीस से साबित है इसलिये बहुत-से मुफ़स्सिरीन ने इसी को तरजीह (वरीयता) दी है।

يَكُونُ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعًا.

तफसीरे मज़हरी में है कि कुरआन तिलावत करने के वक़्त रोना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया कि जहन्म में न जायेगा वह शख्स जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोया जब तक कि दूहा हुआ दूध थनों में वापस न लौट जाये (यानी जैसे यह नहीं हो सकता कि थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में वापस डाल दिया जाये इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि अल्लाह के ख़ौफ़ से रोने वाला जहन्म में चला जाये)। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने दो आँखों पर जहन्म की आग़ हराम कर दी— एक वह जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोये, दूसरे वह जो इस्लामी सरहद की हिफ़ाज़त के लिये रात को जागती रहे। (बैहकी व हाकिम, और इन दोनों मुहदिसों ने इस रिवायत को सही कहा है)

और हज़रत नज़र बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया कि जिस कौम में कोई अल्लाह के ख़ौफ़ से रोने वाला हो तो अल्लाह तआला उस कौम को उसकी वजह से आग़ से निजात अता फरमा देंगे। (रुहुल-मआनी)

आज सबसे बड़ी मुसीबत जो मुसलमानों पर पड़ी है उसका सबब यही है कि उनमें खुदा के ख़ौफ़ से रोने वाले बहुत कम रह गये। तफसीर रुहुल-मआनी के लेखक इस मौक़े पर खुदा के ख़ौफ़ से रोने के फ़ज़ाईल की हदीसों नक़ल करने के बाद फरमाते हैं:

ويبقى ان يكون ذلك حال العلماء

यानी उलेमा-ए-दीन का यही हाल होना चाहिये। क्योंकि इब्ने जरीर, इब्ने मुन्ज़िर वगैरह ने अब्दुल-आला तैमी रहमतुल्लाहि अलैहि का यह कौल नक़ल किया है:

“जिस शख्स को सिर्फ़ ऐसा इल्म मिला जो उसको रुलाता नहीं तो समझ लो कि उसको नफ़ा देने वाला इल्म नहीं मिला।”

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ ۚ أَيَّمَا أَكْثَرِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذَّلَالِ وَكَثِيرَةٌ تَكْبِيرًا ۝

कुलिद अल्ला-ह अविदुर् अरह्मा-न,
अय्यम् मा तदु अफ-लहुल्-अस्माउल्-
हुस्ना व ला तज्हर बि-सलाति-क व
ला तुझाफित् बिहा वब्तगि बै-न
ज़ालि-क सबीला (110) व कुलिल्-
हम्दु लिल्लाहिल्लज्जी लम् यत्तखिज़्ज
व-लदं-व-व लम् यकुल्-लहू शरीकुन्
फिल्मुल्कि व लम् यकुल्लहू
वलिय्युम्-मिनज़ुल्लि व कब्बिरहु
तक्बीरा (111) ❁

कह— अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान
कहकर जो कहकर पुकारोगे सो उसी के
हैं सब नाम खासे, और पुकार कर मत
पढ़ अपनी नमाज़ और न चुपके पढ़ और
दूँढ ले उसके बीच में राह। (110) और
कह सब तारीफें अल्लाह के लिये हैं जो
नहीं रखता औलाद और न कोई उसका
साझी सलतनत में और न कोई उसका
मददगार जिल्लत के वक्त पर, और उस
की बड़ाई कर बड़ा जानकर। (111) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

आप फरमा दीजिये कि चाहे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे (तो बेहतर है, क्योंकि) उसके बहुत-से अच्छे-अच्छे नाम हैं (और उसका शिर्क से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि एक ही ज़ात के कई नाम होने से उसकी तौहीद में कोई फर्क नहीं आता)। और अपनी जहरी “आवाज़ से किराअत करने वाली” नमाज़ में न तो बहुत पुकारकर पढ़िये (कि मुशिरक लोग सुनें और खुराफ़ात बकें और नमाज़ में दिल परेशान हो) और न बिल्कुल चुपके-चुपके ही पढ़िये (कि मुक्तदी नमाज़ियों को भी सुनाई न दे, क्योंकि इससे उनकी तालीम व तरबियत में कमी आती है) और दोनों के बीच एक (दरमियाना) तरीका इख़्तियार कर लीजिये (ताकि मस्लेहत भी न छूटे और नुक़सान भी पेश न आये)। और (काफ़िरों पर रह करने के लिये खुल्लम-खुल्ला) कह दीजिए कि तमाम ख़ूबियाँ उसी अल्लाह तआला के लिये (खास) हैं, जो न औलाद रखता है और न बादशाहत में कोई उसका शरीक है, और न कमज़ोरी की वजह से उसका कोई मददगार है। और उसकी बड़ाईयाँ ख़ूब बयान किया कीजिये।

मआरिफ व मसाईल

ये सुर: बनी इस्राईल की आखिरी आयतें हैं, इस सुरत के शुरू में भी हक़ तआला की पाकीज़गी और तौहीद (एक होने) का बयान था, इन आखिरी आयतों में भी इसी पर ख़त्म किया जा रहा है। इन आयतों का उतरना चन्द वाकिआत की बिना पर हुआ, अव्वल यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन दुआ में या अल्लाह! और या रहमान! कहकर पहुकारा तो मुशिरकों ने समझा कि यह दो खुदाओं को पुकारते हैं और कहने लगे कि हमें तो एक के सिवा किसी और को पुकारने से मना करते हैं और खुद दो माबूदों को पुकारते हैं। इसका जवाब आयत के पहले हिस्से में दिया गया है कि अल्लाह जल्ल शानुहु के दो ही नहीं और भी बहुत-से अच्छे-अच्छे नाम हैं, किसी नाम से भी पुकारें मुराद एक ही ज़ात है, तुम्हारा वहम ग़लत है।

दूसरा किस्सा यह है कि जब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से कुरआन की तिलावत फ़रमाते तो मुशिरक लोग मज़ाक़ व ठट्टा करते और कुरआन और जिब्रीले अमीन और खुद हक़ तआला की शान में गुस्ताख़ी भरी बातें कहते थे, इसके जवाब में इसी आयत का आखिरी हिस्सा नाज़िल हुआ जिसमें आपको ज़ाहिर करने और धीरे पढ़ने में बीच का रास्ता इख़्तियार करने की तालीम फ़रमाई कि ज़रूरत तो इस बीच की आवाज़ से पूरी हो जाती है और ज़्यादा बुलन्द आवाज़ से जो मुशिरक लोगों को मौका तकलीफ़ पहुँचाने का मिलता था उससे निजात हो।

तीसरा किस्सा यह है कि यहूदी व ईसाई अल्लाह तआला के लिये औलाद करार देते थे और अरब के लोग बुतों को अल्लाह का शरीक कहते थे और साबई और मजूसी लोग कहा करते थे कि अगर अल्लाह तआला के खास और करीबी नहीं तो उसकी क़द्र व इज़ज़त में कमी आ जाये। इन तीनों फ़िर्कों के जवाब में आखिरी आयत नाज़िल हुई जिसमें तीनों चीज़ों की नफी ज़िक्र की गई है।

दुनिया में जिससे मख़्लूक को किसी क़द्र ताक़त पहुँचा करती है वह कभी तो अपने से छोटा होता है जैसे औलाद और कभी अपने बराबर का होता है जैसे साझी और कभी अपने से बड़ा होता है जैसे मददगार व हिमायती, हक़ तआला ने इस आयत में तरतीबवार तीनों की नफी फ़रमा दी (यानी तीनों को नकार दिया)।

मसला: उक्त आयत में नमाज़ के अन्दर तिलावत करने का यह अदब बतलाया गया है कि बहुत बुलन्द आवाज़ से हो, न बहुत आहिस्ता जिसको मुक़तदी न सुन सकें। यह हुक्म ज़ाहिर है कि जहरी (आवाज़ से क़िराअत करने वाली) नमाज़ों के साथ मख़सूस है, ज़ोहर और अ़सर की नमाज़ों में तो बिल्कुल पोशीदा आवाज़ से पढ़ना मुतवातिर सुन्नत से साबित है।

जहरी नमाज़ में मगरिब, इशा और फ़जर के फ़र्ज़ भी दाख़िल हैं और तहज्जुद की नमाज़ भी जैसा कि एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहज्जुद की

नमाज़ के वक़्त हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास से गुज़रे तो सिद्दीके अकबर तिलावत आहिस्ता कर रहे थे और फ़ारूके आजम ख़ूब बुलन्द आवाज़ से तिलावत कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत सिद्दीके अकबर से फ़रमाया कि आप इतना आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं? हज़रत अबू बक्र ने अर्ज़ किया कि मुझे जिसको सुनाना था उसको सुना दिया, क्योंकि अल्लाह तआला तो हर छुपी से छुपी और हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुनते हैं। आपने फ़रमाया कि थोड़ा आवाज़ से ज़ाहिर करके पढ़ा करो। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि आप इतनी बुलन्द आवाज़ से क्यों पढ़ते हैं? हज़रत उमर ने फ़रमाया कि मैं नींद और शैतान को दूर करने के लिये बुलन्द आवाज़ से पढ़ता हूँ। आपने उनको भी यही हुक़्म दिया कि कुछ हल्की और धीमी आवाज़ से पढ़ा करो।

(तफ़सीरे मज़हरी, तिर्मिज़ी के हवाले से)

नमाज़ और ग़ैर-नमाज़ में कुरआन की तिलावत को ज़ाहिर करके और बिना ज़ोर की आवाज़ के अदा करने से संबन्धित मसआईल सूर: आराफ़ में बयान हो चुके हैं। आख़िरी आयत 'व क़ुलि ल् हम्दु लिल्लाहि.....' (यानी ऊपर बयान हुई आयत 111) के मुताल्लिक़ हदीस में है कि इज़्ज़त वाली यही आयत है। (अहमद व तबरानी, मुआज़ जोहनी की रिवायत से, तफ़सीरे मज़हरी)

इस आयत में यह हिदायत भी है कि कोई इनसान कितनी ही अल्लाह तआला की इबादत और तस्बीह व तारीफ़ करे अपने अमल को उसके हक़ के मुक़ाबले में कम समझना और कोताही का इक़रार करना उसके लिये लाज़िम है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अब्दुल-मुत्तलिब की औलाद में जब कोई बच्चा ज़बान खोलने के क़ाबिल हो जाता तो उसको आप यह आयत सिखा देते थे:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَاوِيٌّ مِنَ اللَّذِّ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا.

(تفسیر مظہری)

(यानी यही इस सूरात की आख़िरी आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बाहर निकला इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था, आपका गुज़र एक ऐसे शख़्स पर हुआ जो बहुत बुरे हाल में और परेशान था। आपने पूछा कि तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? उस शख़्स ने अर्ज़ किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने, यह हाल कर दिया। आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हें चन्द कलिमात बतलाता हूँ वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी, वो कलिमात ये थे:

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ وَاوِيٌّ مِنَ اللَّذِّ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا.

तवक्कलतु अलत्-हथियल्लजी ला यमूतु अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी लम् यत्तखिज़्
व-लदं-व लम् यकुल-लहू शरीकुन् फिल्मुल्कि व लम् यकुल्लहू वलिय्युम्-मिन-ज़ुल्लि व
कब्बिरहु तवबीरा ।

इसके कुछ समय के बाद फिर आप उस तरफ तशरीफ ले गये तो उसको अच्छे हाल में पाया, आपने खुशी का इज़हार फरमाया। उसने अर्ज़ किया कि जब से आपने मुझे ये कलिमात बतलाये थे मैं पाबन्दी से इनको पढ़ता हूँ। (अबू यज़ला व इब्ने सनी, अज़ मज़हरी)

अल्लाह का शुक्र व एहसान है उसकी मदद व तौफ़ीक से आज 10 जुमादल-ऊला सन् 1390 हिजरी को इशा के बाद सूर: बनी इस्राईल की तफसीर मुकम्मल हुई। अब्ल व आख़िर तमाम तारीफें अल्लाह तआला ही के लिये हैं।



तफसीर के लेखक की तरफ़ से इज़हार-ए-हाल

आज 29 शाबान सन् 1390 हिजरी दिन शनिवार में अल्लाह का शुक्र है कि तफसीर मज़ारिफुल-कुरआन के मसौदे को दूसरी बार देखना भी मुकम्मल हो गया है, अब यह आधे कुरआने करीम की तफसीर हक़ तआला ने अपने फज़ल व करम से पूरी करा दी जिसकी ज़ाहिरी असबाब के एतिबार से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रमज़ान सन् 1388 हिजरी के आख़िर में यह नाकारा ऐसी विभिन्न और अनेक बीमारियों में मुब्तला हुआ कि तकरीबन एक साल तो बिस्तर ही पर मौत व जिन्दगी की कश्मकश में गुज़रा। उस वक़्त मजबूरी व माज़ूरी के आलम में बार-बार यह हसरत होती थी कि कुछ किताबों के मसौदे जो मुकम्मल होने के करीब थे उनकी तकमील हो जाती तो मज़ारिफुल-कुरआन के नाम से जो दर्से कुरआन लम्बे समय तक रेडियों पाकिस्तान से प्रसारित होता रहा, बहुत से दोस्तों के तकाज़े से उस पर एक नज़र डालकर और बीच में से बाकी रही हुई आयतों की तफसीर के मुकम्मल करने का जो सिलसिला चल रहा था किसी तरह वह पूरा हो जाता। इसी तरह सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अली थानवी) रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुरआने करीम की दो मन्ज़िलें पाँचवीं और छठी के अहकामुल-कुरआन अरबी भाषा में लिखने के लिये अहक़र को पाबन्द फरमाया था उसका भी आख़िरी हिस्सा लिखने से बाकी रह गया था। मौत व जिन्दगी की कश्मकश, उठने बैठने से माज़ूरी ही के आलम में शायद मेरी इस हसरत की सुनवाई अल्लाह रब्बुल-इज़ज़त की बारगाह में हो गई और यह ख़्याल ग़ालिब आया कि जो कुछ और जितना बन पड़े वह काम कर लिया जाये, यह फ़िक्र छोड़ दी जाये कि जो रह जायेगा उसका क्या होगा।


इस ख़्याल ने एक पुख़्ता इरादे की सूरत इख़्तियार कर ली, बिस्तर पर लेटे हुए ही तफसीर पर दोबारा नज़र डालने और अहकामुल-कुरआन के पूरा करने का काम शुरू कर दिया। क़ुदरत

का करिश्मा देखिये कि उस बीमारी के ज़माने में काम इतनी तेज़ी से चला कि तन्दुरुस्ती में भी यह रफ्तार न थी, और फिर शायद इसी की बरकत से हक़ तअ़ाला ने उन माज़ूर व मजबूर कर देने वाली बीमारियों से शिफ़ा भी फ़रमा दी और एक हद तक तन्दुरुस्ती की सूरत हासिल हो गई तो अब वक़्त की कद्र पहचानी और इन कार्यों पर अपनी हिम्मत व गुंजाईश के मुताबिक़ वक़्त लगाया। यह महज़ हक़ तअ़ाला का फ़ज़ल व इनाम ही था कि अहक़ामुल-कुरआन की दोनों मन्ज़िलों की तकमील भी हो गई और इसी अरसे में ये दोनों जिल्दें प्रकाशित भी हो गई और तफ़सीर मज़ारिफ़ुल-कुरआन की दो जिल्दें सूर: निसा तक छपकर शायी हो गई हैं। तीसरी जिल्द सूर: आराफ़ तक छपाई में चल रही है और आज आघे कुरआन के मसौदा-ए-तफ़सीर पर दोबारा नज़र डालने का काम भी पूरा हो गया (अव्वल व आख़िर में तमाम तारीफ़ें अल्लाह तअ़ाला ही के लिये हैं)।

इस वक़्त जबकि ये लाईनें लिखी जा रही हैं अहक़र नाकारा की उम्र के 75 साल पूरे होकर 21 शाबान सन् 1390 हिजरी को उम्र की 76वीं मन्ज़िल शुरू हो गई। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होना, तबई कमज़ोरी और ऊपर से व्यस्तताओं और फ़िक्रों का हुजूम है, अब आगे किसी किताब लिखने और तरतीब देने की उम्मीद रखना एक ख़्याल व आरज़ू से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुरआन की ख़िदमत के नाम पर क़लम चलाना चाहे कितनी ही नाक़िस दर नाक़िस ख़िदमत हो लिखने वाले के लिये नेकबख़्शी ही नेकबख़्शी है। इस ख़्याल ने इस पर तैयार कर दिया कि सूर: कहफ़ की तफ़सीर भी अल्लाह के नाम से शुरू कर दी जाये और बाकी बची उम्र में जो कुछ हो सके उसको ग़नीमत समझा जाये, क्योंकि मक़सद कुरआन ख़त्म करना नहीं कुरआन में अपनी उम्र व ताक़त को ख़त्म करना है। अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है और वही मददगार है।

सूर: बनी इस्राईल की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

Maktab_e_Ashraf



* सूरः कहफ़ *

यह सूरत मक्की है। इसमें 110 आयतें
और 12 रुकूअ हैं।

सूर: कहफ

सूर: कहफ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 110 आयतें और 12 रुकूअ हैं।

أَيَّهَا ۞ (۱۸) سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ (۱۹) لَنُوعَاتِهَا ۞

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَ يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِنْبِيَائِهِمْ ۖ كَذَّبَتْ كُلَّمَا تَخَذَرُوا مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ ۖ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ فَلَعَلَّكَ بَآخِئَتِنَا نَسَكًا عَلَى أَنْفُسِنَا ۖ إِنَّ لَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيُنبَأُ بِهَا أَيْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۚ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़-ल
अला अब्दिहिल्-किता-ब व लम्
यज़ज़ल्-लहू अि-वजा (1) कयिमल्
लियुन्ज़ि-र बअसन् शदीदम्-मिल्लदुनुहु
व युबशिशरल्-मुअ्मिनीनल्लज़ी-न
यज़्मलूनस्सालिहाति अन्-न लहुम्
अज्जन् ह-सना (2) माकिसी-न फीहि
अ-बदा (3) व युन्ज़िरल्लज़ी-न
कालुत्त-ख़ज़ल्लाहु व-लदा (4) मा

सब तारीफ़ अल्लाह को जिसने उतारी
अपने बन्दे पर किताब और न रखी उसमें
कुछ कजी (टेढ़ और नुक़्स)। (1) ठीक
उतारी ताकि डर सुना दे एक आफ़त का
अल्लाह की तरफ़ से और ख़ुशख़बरी दे
ईमान लाने वालों को जो करते हैं नेकियाँ
कि उनके लिये अच्छा बदला है। (2)
जिसमें रहा करें हमेशा। (3) और डर
सुना दे उनको जो कहते हैं कि अल्लाह
रखता है औलाद। (4) कुछ ख़बर नहीं

लहुम् बिही मिन् अिल्मिंव-व ला
 लि-आबाइहिम्, कबुरत् कलि-मतन्
 तक्कजु मिन् अप्वाहिहिम्, इय्यकूलू-न
 इल्ला कजिबा (5) फ-लअल्ल-क
 बाख्रिअुन्-नफ्स-क अला आसारिहिम्
 इल्लम् युअ्मिनु बिहाजल्-हदीसि
 अ-सफ़ा (6) इन्ना जअल्ला मा
 अ लल्-अर्जि ज़ीनतल्-लहा
 लिनब्लु-वहुम् अय्युहुम् अहसनु
 अ-मला (7) व इन्ना लजाअिलू-न
 मा अलैहा सअीदन् जुरुज़ा (8)

उनको इस बात की और न उनके बाप
 दादाओं को, क्या बड़ी बात निकलती है
 उनके मुँह से, सब झूठ है जो कहते हैं।
 (5) सो कहीं तू घोट डालेगा अपनी जान
 को उनके पीछे अगर वे न मानेंगे इस
 बात को पछता-पछताकर। (6) हमने
 बनाया है जो कुछ ज़मीन पर है उसकी
 रौनक ताकि जाँवें लोगों को, कौन उनमें
 अच्छा करता है काम। (7) और हमको
 करना है जो कुछ उस पर है मैदान
 छाँटकर। (8)

सूर: कहफ़ की विशेषतायें और फ़ज़ाईल

हदीस की किताबों— मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और मुस्नद अहमद में हज़रत
 अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि जिस शख्स ने सूर: कहफ़ की पहली दस आयतें
 हिफ़ज़ याद कर लीं वह दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ रहेगा और उपर्युक्त किताबों में हज़रत
 अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से एक दूसरी रिवायत में यही मज़मून सूर: कहफ़ की आखिरी दस
 आयतें याद करने के बारे में नक़ल किया गया है।

और मुस्नद अहमद में हज़रत सहल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह
 मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स सूर: कहफ़ की
 पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके लिये उसके क़दम से सर तक एक नूर हो जाता है और
 जो पूरी सूरत पढ़ ले तो उसके लिये ज़मीन से आसमान तक नूर हो जाता है।

और कुछ रिवायतों में है कि जो शख्स जुमा के दिन सूर: कहफ़ की तिलावत कर ले उसके
 क़दम से लेकर आसमान की बुलन्दी तक नूर हो जायेगा जो क़ियामत के दिन रोशनी देगा और
 पिछले जुमे से उस जुमे तक के लिये उसके सब गुनाह माफ़ हो जायेंगे (इमाम इब्ने कसीर ने इस
 रिवायत को मौक़ूफ़ करार दिया है)।

और हाफ़िज़ ज़िया मक़दसी ने अपनी किताब 'मुख़्तारा' में हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू
 की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो
 शख्स जुमे के दिन सूर: कहफ़ पढ़ ले वह आठ दिन तक हर फ़ितने से सुरक्षित रहेगा और अगर

दज्जाल निकल आये तो यह उसके फितने से भी सुरक्षित रहेगा (ये सब रिवायतें तफ़सीर इब्ने कसीर से ली गई हैं)।

तफ़सीर रूहुल-मज़ानी में दैलमी से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सूरः कहुफ़ पूरी की पूरी एक वक़्त में नाज़िल हुई और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इसके साथ आये जिससे इसकी बड़ी शान जाहिर होती है।

शाने नुज़ूल

इमाम इब्ने जरीर तबरी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि (जब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत का चर्चा हुआ और मक्का के कुरैश इससे परेशान हुए तो) उन्होंने अपने दो आदमी नज़र बिन हरिस और उक्बा बिन अबी मुईत को मदीना तथ्यिबा के यहूदियों के उलेमा के पास भेजा कि वे लोग पिछली किताबों तौरात व इन्जील के अ़लिम हैं, वे आपके बारे में क्या कहते हैं। यहूदियों के उलेमा ने उनको बतलाया कि तुम लोग उनसे तीन सवालात करो अगर उन्होंने उनका जवाब सही (1) दे दिया तो समझ लो कि वह अल्लाह के रसूल हैं, और यह न कर सके तो यह समझ लो कि यह बात बनाने वाले हैं, रसूल नहीं। एक तो उनसे उन नौजवानों का हाल पूछो जो पुराने ज़माने में अपने शहर से निकल गये थे, उनका क्या वाकि़आ है। क्योंकि यह वाकि़आ अज़ीब है। दूसरे उनसे उस शख्स का हाल पूछो जिसने दुनिया के पूरब व पश्चिम और तमाम ज़मीन का सफ़र किया, उसका क्या वाकि़आ है? तीसरे उनसे रूह के मुताल्लिक़ सवाल करो कि वह क्या चीज़ है?

ये दोनों कुरैशी मक्का मुकर्रमा वापस आये और अपनी बिरादरी के लोगों से कहा कि हम एक निर्णायक सूरतेहाल लेकर आये हैं, और यहूदी उलेमा का पूरा किस्ता सुना दिया, फिर ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में ये सवालात लेकर हाज़िर हुए, आपने सुनकर फ़रमाया कि मैं कल इसका जवाब दूँगा, मगर आप उस वक़्त इन्शा-अल्लाह कहना भूल गये। ये लोग लौट गये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की वही के इन्तिज़ार में रहे कि इन सवालात का जवाब वही से बतला दिया जायेगा मगर वायदे के मुताबिक़ अगले दिन तक कोई वही न आई बल्कि पन्द्रह दिन इसी हाल में गुज़र गये कि न जिब्रीले अमीन आये न कोई वही नाज़िल हुई। मक्का के कुरैश ने मज़ाक़ उड़ाया शुरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इससे सख़्त रंज व गुम पहुँचा।

(1) यानी जो जवाब उन्हें देना चाहिये वह दे दिया (और रूह के बारे में उनका सही जवाब यह होगा कि इसकी हकीकत अल्लाह तज़ाला ही बेहतर जानते हैं) लिहाज़ा यह रिवायत जो तफ़सीर-य-तबरी पेज 191 जिल्द 15 में नक़ल की गयी है उस रिवायत के विरुद्ध नहीं जो पीछे इसी जिल्द में सूरः बनी इस्राईल आयत नम्बर 85 के तहत गुज़री है। मुहम्मद तकी उस्मानी।

पन्द्रह दिन के बाद जिब्रीले अमीन सूर: कहफ़ लेकर नाज़िल हुए (जिसमें वही में देर होने का सबब भी बयान कर दिया गया है कि आने वाले ज़माने में किसी काम के करने का वायदा किया जाये तो इन्शा-अल्लाह कहना चाहिये। इस वाकिए में चूँकि ऐसा न हुआ इस पर तंबीह करने के लिये वही में देरी हुई। इस सूरत में इस मामले के मुताल्लिक ये आयतें आगे आयेंगी:

وَلَا تَقُولُنَّ لِنِسَائِنَا إِنَّا فَاعِلُونَ ذَلِكَ وَعَدَا إِلَّا أَن نُّبَشِّرَ اللَّهَ

और इस सूरत में उन नौजवानों का वाकिए भी पूरा बतला दिया गया जिनको अस्हाब-ए-कहफ़ कहा जाता है, और पूरब व पश्चिम का सफ़र करने वाले जुल्करनैन के वाकिए का भी विस्तृत बयान आ गया, और रूह के सवाल का जवाब भी। (कूर्तबी व मज़हरी, इब्ने जरीर के हवाले से)

मगर रूह के सवाल का जवाब संक्षिप्त रूप से देना हिक्मत का तकाज़ा था इसको सूर: बनी इस्राईल के आखिर में अलग से बयान कर दिया गया और इसी सबब से सूर: कहफ़ को सूर: बनी इस्राईल के बाद रखा गया है, जैसा कि इमाम सुयूती ने बयान किया है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तमाम ख़ूबियाँ उस अल्लाह के लिये साबित हैं जिसने अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर यह किताब नाज़िल फ़रमाई, और इस (किताब) में (किसी किस्म की) ज़रा भी टेढ़ नहीं रखी (न लफ़्ज़ी कि साहित्य और कलाम की ख़ूबियों के ख़िलाफ़ हो और न मानवी कि इसका कोई हुक्म हिक्मत के ख़िलाफ़ हो, बल्कि इसको) बिल्कुल इस्तिक्ामत "यानी मज़बूती" वाला बनाया (और नाज़िल इसलिये किया) ताकि वह (किताब काफ़िरों को उमूमन) एक सख्त अज़ाब से जो कि अल्लाह की तरफ़ से (उनको आख़िरत में होगा) डराये। और उन ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं यह खुशख़बरी दे कि उनको (आख़िरत में) अच्छा अज़्र मिलेगा, जिसमें वे हमेशा रहेंगे। और ताकि (काफ़िरों में से विशेष तौर पर) उन लोगों को (अज़ाब से) डराये जो यूँ कहते हैं (नफ़्जु बिल्लाह) कि अल्लाह तअ़ाला औलाद रखता है (और औलाद का अक्दीदा रखने वाले काफ़िरों का आ़म काफ़िरों से अलग करके इसलिये बयान किया गया कि इस बातिल अक्दीदे में अरब के आ़म लोग मुशिरक, यहूदी, ईसाई सब ही मुक्ताला और फंसे हुए थे)।

. न तो इसकी कोई दलील उनके पास है और न उनके बाप-दादाओं के पास थी। बड़ी भारी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। (और) वे लोग बिल्कुल (ही) झूठ बकते हैं (जो अक्ली तौर पर भी नामुम्किन है, कोई मामूली अक्ल रखने वाला भी इसका कायल नहीं हो सकता, और आप जो उन लोगों के कुफ़्र व दुश्मनी पर इतना गुम करते हैं) सो शायद आप उनके पीछे अगर ये लोग इस (क़ुरआनी) मज़मून पर ईमान न लाये तो गुम से अपनी जान दे देंगे (यानी इतना गुम न करें कि हलाकत के क़रीब कर दे, वजह यह है कि दुनिया आजमाईश का जहान है इस

में ईमान व कुफ़्र और अच्छाई बुराई दोनों का मजमूआ ही रहेगा, सभी मोमिन हो जायेंगे ऐसा न होगा, इसी इम्तिहान के लिये हमने ज़मीन पर की चीज़ों को इस (ज़मीन) के लिये रैनक का सबब बनाया, ताकि हम (इसके ज़रिये) लोगों की आजमाईश करें कि उनमें से ज़्यादा अच्छा अमल कौन करता है (यह इम्तिहान करना है कि कौन इस दुनिया की चमक-दमक और रैनक पर फिदा होकर अल्लाह तआला से और आखिरत से गाफ़िल हो जाता है और कौन नहीं। गर्ज़ यह कि यह इम्तिहान व आजमाईश का जहान है क़ुदरती तौर पर इसमें कोई मोमिन होगा कोई काफ़िर रहेगा, फिर ग़म बेकार है, आप अपना काम किये जाइये और उनके कुफ़्र का नतीजा दुनिया ही में ज़ाहिर हो जाने का इन्तिज़ार न कीजिये, क्योंकि वह हमारा काम है एक निर्धारित वक़्त पर होगा। चुनौचे एक दिन वह आयेगा कि) हम इस ज़मीन पर की तमाम चीज़ों को एक साफ़ मैदान कर देंगे (न इस पर कोई बसने वाला होगा न कोई पेड़ और पहाड़ और न कोई मकान व तामीर, खुलासा यह है कि आप अपना तल्लीग़ का काम करते रहिये, इनकार करने वालों के बुरे अन्जाम का इतना ग़म न कीजिये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. قِيمًا.

लफ़ज़ अ़िवज के मायने किसी किस्म की कजी (टेढ़, कमी, नुक़्स) और एक तरफ़ झुकाव के हैं। क़ुरआने करीम अपने लफ़ज़ी और मानवी कमाल में इससे पाक है। न कलाम की उम्दगी और आला मेयार का होने के लिहाज़ से किसी जगह ज़रा बराबर कमी या कजी हो सकती है न इल्म व हिक्मत के लिहाज़ से। जो मफ़हूम लफ़ज़:

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

से एक नफ़ी के अन्दाज़ में बतलाया गया है फिर ताकीद के लिये इसी मज़मून को साबित करने के तौर पर क़य्यिमन से स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि क़य्यिमन के मायने हैं मुस्तकीमन, और मुस्तकीम वही है जिसमें कोई मामूली-सी कजी (टेढ़) और झुकाव किसी तरफ़ न हो। और यहाँ क़य्यिम के एक दूसरे मायने भी हो सकते हैं यानी निगराँ और मुहाफ़िज़। इस मायने के लिहाज़ से इस लफ़ज़ का मफ़हूम यह होगा कि क़ुरआने करीम जैसे अपनी ज़ात में कामिल मुकम्मल हर किस्म की कजी और कमी-बेशी से पाक है इसी तरह यह दूसरों को भी सही राह पर कायम रखने वाला और बन्दों की तमाम मस्तेहतों की हिफ़ाज़त करने वाला है। अब खुलासा इन दोनों लफ़ज़ों का यह हो जायेगा कि क़ुरआने करीम खुद भी कामिल व मुकम्मल है और अल्लाह की मख़्लूक को भी कामिल व मुकम्मल बनाने वाला है। (तफ़सीरे मज़हरी)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا.

यानी ज़मीन पर जो मख़्लूक़ात- जानदार, पेड़-पौधे, बेजान चीज़ें और ज़मीन के अन्दर

विभिन्न चीजों की खानें मौजूद हैं वे सब ज़मीन के लिये ज़ीनत और रौनक बनाई गई हैं। इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि ज़मीनी मज़क़ात में तो सोंप, बिच्छू, दरिन्दे जानवर और बहुत सी नुक़सान देने वाली और घातक चीज़ें भी हैं उनको ज़मीन की ज़ीनत और रौनक कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी चीज़ें दुनिया में नुक़सानदेह, घातक और ख़राब समझती जाती हैं वे एक एतिबार से बेशक ख़राब हैं मगर इस जहान के मजमूए के लिहाज़ से कोई चीज़ ख़राब नहीं, क्योंकि हर बुरी से बुरी चीज़ में दूसरी हैसियतों से बहुत-से फ़ायदे भी अल्लाह तज़ाला ने रखे हैं। क्या ज़हरीले जानवरों और दरिन्दों से हज़ारों इन्सानी ज़रूरतें इलाज व चिकित्सा वगैरह में पूरी नहीं की जाती? इसलिये जो चीज़ें किसी एक हैसियत से बुरी भी हैं लेकिन दुनिया के इस मजमूई कारख़ाने के लिहाज़ से वो भी बुरी नहीं, किसी ने ख़ूब कहा है:

नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में ☆ कोई बुरा नहीं कुदरत के कारख़ाने में

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيعِ كَانُوا مِنَّا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوْ

الْفُتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحِمَةً وَهِيَ لَنَا مِن أَمْرِنَا سَدًّا ۖ فَضَرَبْنَا
عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَهُمُ الْآيَاتِ الْحَزِينِ أَخْضَىٰ لِمَا كَانُوا
أَعْمَدًا ۖ

अम् हसिब्-त अन्-न अस्हाबल्-कहिफ़
वर्रक़ीमि कानू मिन् आयातिना
अ-जबा (9) इज़् अवल्-फित्यतु
इलल्-कहिफ़ फक़ालू रब्बना आतिना
मिल्लदुन्-क रह्म-तव्-व हय्यिअ
लना मिन् अम्रिना र-शदा (10)
फ-ज़रब्ना अला आज़ानिहिम्
फिल्-कहिफ़ सिनी-न अ-ददा (11)
सुम्-म बअस्नाहुम् लि-नअल्-म
अय्युहल्-हिज़्बैनि अहसा लिमा
लबिसु अ-मदा (12) ●

क्या तू ख़याल करता है कि ग़ार और
खोह के रहने वाले हमारी कुदरतों में
अज़ब अचंभा थे। (9) जब जा बैठे वे
जवान पहाड़ की खोह में फिर बोले ऐ
रब! हमको दे अपने पास से बड़िशश
और पूरी कर दे हमारे काम की दुरुस्ती।
(10) फिर थपक दिये हमने उनके कान
उस खोह में चन्द बरस गिनती के। (11)
फिर हमने उनको उठाया कि मालूम करें
दो फ़िर्कों में किसने याद रखी है जितनी
मुद्दत वे रहे। (12) ●

लुगात की वज़ाहत

कहफ़— पहाड़ी गुफा जो लम्बी-चौड़ी हो उसको कहफ़ कहते हैं, जो लम्बी-चौड़ी न हो उसको ग़ार कहा जाता है। रकीम लफ़्ज़ी एतिबार से मरकूम के मायने में है यानी लिखी हुई चीज़। इस मक़ाम पर इससे क्या मुराद है इसमें मुफ़त्सिरीन के अक़वाल भिन्न और अलग-अलग हैं। इमाम ज़ह्राक, सुददी और इब्ने जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इसके मायने एक लिखी हुई तख़्ती के क़रार देते हैं जिस पर उस वक़्त के बादशाह ने अस्हाब-ए-कहफ़ के नाम खुदवाकर ग़ार के दरवाज़े पर लगा दिया था, इसी वजह से अस्हाब-ए-कहफ़ को अस्हाबुर्कीम भी कहा जाता है। क़तादा, अ़तीया, अ़ौफी और मुजाहिद का क़ौल यह है कि रकीम उस पहाड़ के नीचे की वादी का नाम है जिसमें अस्हाब-ए-कहफ़ का ग़ार था। कुछ हज़रत ने खुद उस पहाड़ को रकीम कहा है। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास से यह कहते हुए सुना है कि मुझे मालूम नहीं कि रकीम किसी लिखी हुई तख़्ती का नाम है या किसी बस्ती का। क़अबे अहबार और वहब बिन मुनब्बेह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल करते हैं कि रकीम, ऐला यानी अक़बा के करीब एक शहर का नाम है जो मुल्क रूम में स्थित है।

फ़ित्तयतुन फ़ता की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं नौजवान। 'फ़ज़रब्ना अ़ला आज़ानिहिम' के लफ़्ज़ी मायने कानों को बन्द कर देने के हैं, ग़फ़लत की नींद को इन अलफ़ाज़ से ताबीर किया जाता है, क्योंकि नींद के वक़्त सबसे पहले आँख बन्द होती है, मगर कान अपना काम करते रहते हैं, आवाज़ सुनाई देती है। जब नींद पूरी तरह मुसल्लत हो जाती है तो कान भी अपना काम छोड़ देते हैं और फिर जागने में सबसे पहले कान अपना काम शुरू करते हैं कि आवाज़ से सोने वाला चोंकता है फिर जागता है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आप यह ख़याल करते हैं कि ग़ार (खोह) वाले और पहाड़ वाले (ये दोनों एक ही जमाअत के लक़ब हैं) हमारी (कुदरत की) अजीब चीज़ों में से कुछ ताज्जुब की चीज़ थे (जैसा कि यहूदियों ने कहा था कि उनका वाकिअ़ा अजीब है या खुद ही सवाल करने वाले क़ुरैश के काफ़ि़रों ने इसको अजीब समझकर सवाल किया था। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुखातब बनाकर दूसरों को सुनाना मक़सूद है कि यह वाकिअ़ा भी अगरचे अजीब ज़रूर है मगर अल्लाह तआला की कुदरत की अजीब चीज़ों के मुक़ाबले में ऐसा क़ाबिले ताज्जुब भी नहीं जैसा उन लोगों ने समझा है। क्योंकि ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज और ज़मीन की तमाम कायनात को अ़दम से वजूद में लाना असल अजीब चीज़ों में से है। चन्द नौजवानों का लम्बी मुदत तक सोते रहना फिर जाग जाना इसके मुक़ाबले में कुछ अजीब नहीं। इस प्रारंभिका और भूमिका के बाद अस्हाब-ए-कहफ़ का किस्सा इस तरह बयान फ़रमाया और) वह वक़्त जिज़्र

के काबिल है जबकि उन नौजवानों ने (एक बेदीन बादशाह की पकड़ से भागकर) उस ग़ार में (जिसका किस्सा आगे आता है) जाकर पनाह ली, फिर (अल्लाह तआला से इस तरह दुआ माँगी कि) कहा कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको अपने पास से रहमत का सामान अता फ़रमाईये, और हमारे (इस) काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दीजिये (ग़ालिबन रहमत से मुराद उद्देश्य का हासिल होना है और दुरुस्ती के सामान से मुराद वो असबाब और बुनियादी चीज़ें हैं जो मक़सद के हासिल करने के लिये आदतन ज़रूरी होती हैं। अल्लाह तआला ने उनकी दुआ को कुबूल फ़रमाया और उनकी हिफ़ाज़त और तमाम परेशानियों से निजात देने की सूत इस तरह बयान फ़रमाई कि) सी हमने उस ग़ार में उनके कानों पर सालों तक नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने उनको (नींद से) उठाया ताकि हम (ज़ाहिरी तौर पर भी) मालूम कर लें कि (ग़ार में रहने की मुद्दत में बहस व झगड़ा करने वालों में से) कौनसा गिरोह उनके रहने की मुद्दत का ज़्यादा जानकार था (नींद से जागने के बाद उनमें एक गिरोह का कौल तो यह था कि हम पूरा दिन या कुछ हिस्सा एक दिन का सोये हैं, दूसरे गिरोह ने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि तुम कितने दिन सोते रहे। आयत में इशारा इसी तरफ़ है कि यह दूसरा गिरोह ही ज़्यादा हकीकत को पहचानने वाला था जिसने मुद्दत के निर्धारण को अल्लाह के हवाले किया क्योंकि इसकी कोई दलील न थी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अस्हाब-ए-कहफ़ और रक़ीम वालों का किस्सा

इस किस्से में चन्द बातें गौर करने और तहकीक़ करने वाली हैं— अब्बल यह कि अस्हाब-ए-कहफ़ व अस्हाब-ए-रक़ीम एक ही जमाअत के दो नाम हैं या ये अलग-अलग दो जमाअतें हैं। अगरचे किसी सही हदीस में इसकी कोई स्पष्टता नहीं मगर इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब 'सही' में अस्हाब-ए-कहफ़ और अस्हाब-ए-रक़ीम दो उनवान अलग-अलग दिये फिर अस्हाब-ए-रक़ीम के तहत वह मशहूर किस्सा तीन शख्सों के ग़ार में बन्द हो जाने फिर दुआओं के ज़रिये रास्ता खुल जाने का ज़िक्र किया है जो हदीस की तमाम किताबों में तफ़्सील से मौजूद है। इमाम बुख़ारी के इस अमल से यह समझा जाता है कि उनके नज़दीक अस्हाबे कहफ़ एक जमाअत है और अस्हाबे रक़ीम उन तीन शख्सों को कहा गया है जो किसी ज़माने में ग़ार (खोह) में छुपे थे, फिर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उस ग़ार के दहाने पर आकर गिरा जिससे ग़ार बिल्कुल बन्द हो गया, उनके निकलने का रास्ता न रहा। उन तीनों ने अपने-अपने ख़ास नेक आमाल का वास्ता देकर अल्लाह तआला से दुआ की कि यह काम अगर हमने आपकी रज़ा के लिये किया था तो अपने फ़ज़ल से हमारा रास्ता खोल दीजिये। पहले शख्स की दुआ से पत्थर कुछ सरक गया रोशनी आने लगी, दूसरे की दुआ से और ज़्यादा सरका, फिर तीसरे की दुआ से रास्ता बिल्कुल खुल गया।

लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने शरह बुखारी में यह वाज़ेह किया है कि हदीस की रिवायत के एतिबार से इसकी कोई स्पष्ट दलील नहीं है कि अस्हाबे रकीम उक्त तीन शख्सों का नाम है, बात सिर्फ इतनी है कि खोह वाले वाकिफ के एक रावी हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में कुछ रावियों ने यह इज़ाफ़ा नक़ल किया है कि हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रकीम का ज़िक्र करते हुए सुना, आप ग़ार में बन्द रह जाने वाले तीन आदमियों का वाकिफ़ा सुना रहे थे, यह इज़ाफ़ा किताब फतहुल-बारी में बज़्ज़ार और तिबरानी की रिवायत से नक़ल किया है। मगर अब्बल तो इस हदीस के आम रावियों की रिवायतें जो सिहाह-ए-सित्ता (हदीस की छह बड़ी और मशहूर किताबों) और हदीस की दूसरी किताबों में तफ़सील के साथ मौजूद हैं उनमें किसी ने हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु का यह जुमला नक़ल नहीं किया, खुद बुखारी की रिवायत भी इस जुमले से खाली है। फिर इस जुमले में भी इसकी वज़ाहत नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ार में बन्द रह जाने वाले उन तीनों शख्सों को अस्हाब-ए-रकीम फ़रमाया था बल्कि अलफ़ाज़ ये हैं कि आप रकीम का ज़िक्र फ़रमा रहे थे उसी के तहत में इन तीन शख्सों का ज़िक्र फ़रमाया।

लफ़्ज़ रकीम से क्या मुराद है इसके बारे में सहाबा व ताबिईन और आम मुफ़स्सिरीन में जो अक़वाल की भिन्नता और मतभेद ऊपर नक़ल किया गया है वह खुद इसकी दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रकीम की कोई मुराद मुतैयन और तय करने के बारे में हदीस की कोई रिवायत नहीं थी, वरना कैसे मुफ़्किन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक लफ़्ज़ की मुराद खुद मुतैयन फ़रमा दें फिर सहाबा व ताबिईन और दूसरे मुफ़स्सिरीन उसके ख़िलाफ़ कोई कौल इख़्तियार करें। इसी लिये हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अस्हाबे कहफ़ व रकीम के दो अलग-अलग जमाअतें होने से इनकार फ़रमाया और सही यह क़रार दिया कि ये दोनों एक ही जमाअत के नाम हैं, ग़ार में बन्द रह जाने वाले तीनों शख्सों का ज़िक्र रकीम के ज़िक्र के साथ आ गया हो इससे यह लाज़िम नहीं आता कि यही तीन शख्स अस्हाबे रकीम थे।

हाफिज़ इब्ने हजर ने इस जगह यह भी स्पष्ट कर दिया कि क़ुरआन ने जो किस्सा अस्हाबे कहफ़ का बयान किया है उसका मज़मून खुद यह बतला रहा है कि अस्हाबे कहफ़ व रकीम एक ही जमाअत है, यही वजह है कि मुफ़स्सिरीन और मुहद्दिसीन की अक्सरियत और बड़ी संख्या इन दोनों के एक ही होने पर सहमत हैं।

दूसरा मसला इस जगह खुद इस किस्से की तफ़सीलात का है जिसके दो हिस्से हैं— एक वह जो इस किस्से की रूह और असल मक़सद है, जिससे यहूदियों के सवाल का जवाब भी हो जाता है और मुसलमानों के लिये हिदायतें और नसीहतें भी। दूसरा हिस्सा वह है जिसका ताल्लुक़ इस किस्से की सिर्फ़ ऐतिहासिक और भूगोलिक हैसियत से है, मक़सद के बयान करने में उसका कोई

खास दखल नहीं, जैसे यह किससा किस ज़माने में और किस शहर और बस्ती में पेश आया, जिस काफ़िर बादशाह से भागकर उन लोगों ने गार में पनाह ली थी वह कौन था? उसके क्या अक़ीदे व ख्यालात थे? और उसने इन लोगों के साथ क्या मामला किया जिससे ये भागने और गार में छुपने पर मजबूर हो गये? फिर यह कि उन लोगों की संख्या कितनी थी और लम्बे ज़माने तक सोते रहने का कुल ज़माना कितना था? और फिर ये लोग अब तक जिन्दा हैं या मर गये?

कुरआने करीम ने अपने हकीमाना उसूल और ख़ास अन्दाज़ के तहत सारे कुरआन में एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के सिवा किसी किस्से को पूरी तफ़सील और तरतीब से बयान नहीं किया, जो आम तारीख़ी किताबों का तरीका है, बल्कि हर किस्से के सिर्फ़ वो हिस्से मौक़े मौक़े पर बयान फ़रमाये हैं जिनसे इनसानी हिदायतों और तालीमात का ताल्लुक़ था (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को इस अन्दाज़ व तरीक़े से अलग रखने की वजह सूर: यूसुफ़ की तफ़सीर में गुज़र चुकी है)।

अस्ताब-ए-कहफ़ के किस्से में भी यही तरीक़ा इख़्तियार किया गया है कि कुरआन में इसके सिर्फ़ वो हिस्से बयान किये गये जो असली मक़सूद से संबन्धित थे बाक़ी हिस्से जो ख़ालिस ऐतिहासिक और भूगोलिक थे उनका कोई ज़िक्र नहीं फ़रमाया। अस्ताब-ए-कहफ़ की संख्या और सोने के ज़माने की मुद्दत के सवालात का ज़िक्र तो फ़रमाया और जवाब की तरफ़ इशारा भी फ़रमाया मगर साथ ही यह भी हिदायत कर दी कि ऐसे मसाईल में ज़्यादा ग़ौर व फ़िक्र और बहस व तकरार मुनासिब नहीं, उनको खुदा तआला के हवाले करना चाहिये।

यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिनका फ़र्जे-मन्तबी कुरआने के मायने बयान करना है, आपने भी किसी हदीस में किस्से के उन हिस्सों को बयान नहीं फ़रमाया और बड़े सहाबा व ताबिईन ने इसी कुरआनी अन्दाज़ की बिना पर ऐसे मामलात में काम का यही उसूल करार दिया कि:

أَبْهَمُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ. (انقان، سيوطي)

“यानी जिस ग़ैर-ज़रूरी चीज़ को अल्लाह तआला ने अस्पष्ट रखा तुम भी उसे अस्पष्ट रहने दो (कि उसमें बहस व तहकीक़ और छानबीन कुछ मुफ़ीद नहीं)।”

सहाबा व ताबिईन के बड़े हज़रात के इस अमल और तरीक़े का तकाज़ा तो यह था कि इस तफ़सीर में भी किस्से के उन हिस्सों को नज़र-अन्दाज़ कर दिया जाये जिनको कुरआन और हदीस ने नज़र-अन्दाज़ किया है, लेकिन यह ज़माना वह है जिसमें तारीख़ी और भूगोलिक चीज़ों की छानबीन और नई-नई चीज़ें सामने लाने ही को सबसे बड़ा कमाल समझ लिया गया है, और बाद के उलेमा-ए-तफ़सीर ने इसी लिये कम-ज़्यादा उन हिस्सों को भी बयान फ़रमा दिया है इसलिये इस तफ़सीर में किस्से के वो हिस्से जो खुद कुरआन में बयान हुए हैं उनका बयान तो कुरआन की आयत की तफ़सीर के तहत आ जायेगा बाक़ी किस्से के तारीख़ी और भूगोलिक अंशों (हिस्सों) को यहाँ ज़रूरत के मुताबिक़ बयान किया जाता है, और बयान करने के बाद भी

आखिरी नतीजा वही रहेगा कि इन मामलात में कोई निश्चित और आखिरी फैसला नामुम्किन है क्योंकि इस्लामी और फिर ईसाई तारीखों में इसके बारे में जो कुछ लिखा गया है वह खुद इस कद्र भिन्न और अलग है कि एक मुसनिफ़ (लेखक) अपनी तहक्कीक व राय को सामने रखकर इशारात और बुनियादी चीज़ों की मदद से किसी एक चीज़ को मुतयन करता है तो दूसरा उसी तरह दूसरी सूत को तरज़ीह देता है।

दीन की हिफ़ाज़त के लिये ग़ारों में पनाह लेने वालों के वाकिआत विभिन्न शहरों और ख़िल्तों में अनेक हुए हैं

इतिहास के जानकारों के मतभेद की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईसाई दीन में चूँकि रहबानियत (दुनिया और सामाजिक ज़िन्दगी से किनारा करने) को दीन का सबसे बड़ा काम समझ लिया गया था, तो हर ख़िलते और हर मुल्क में ऐसे अनेक वाकिआत पेश आये हैं कि कुछ लोग अल्लाह तआला की इबादत के लिये ग़ारों में पनाह लेने वाले हो गये, वहीं उम्रें गुज़ार दीं। अब जहाँ-जहाँ ऐसा कोई वाकिआ पेश आया है उस पर इतिहासकार को अस्हाब-ए-कहफ़ का गुमान हो जाना कुछ बईद नहीं था।

अस्हाब-ए-कहफ़ की जगह और उनका ज़माना

इमामे तफ़सीर कुर्तुबी उन्दुलुसी ने अपनी तफ़सीर में इस जगह चन्द वाकिआत कुछ दूसरों से सुने हुए और कुछ अपनी आँखों देखे नक़ल किये हैं, जो विभिन्न शहरों से संबन्धित हैं। इमाम कुर्तुबी ने सबसे पहले तो इमाम ज़ह्हाक की रिवायत से यह नक़ल किया है कि रकीम रूम के एक शहर का नाम है जिसके एक ग़ार में इक्कीस आदमी लेटे हुए हैं, ऐसा मालूम होता है कि सो रहे हैं, फिर इमामे तफ़सीर इब्ने अतीया से नक़ल किया है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि शाम में एक ग़ार (खोह) है जिसमें कुछ मुर्दा लाशें हैं, वहाँ के मुजाविर लोग यह कहते हैं कि यही लोग अस्हाब-ए-कहफ़ हैं, और उस ग़ार के पास एक मस्जिद और मकान की तामीर है जिसको रकीम कहा जाता है और उन मुर्दा लाशों के साथ एक मुर्दा कुत्ते का ढाँचा भी मौजूद है।

और दूसरा वाकिआ उन्दुलुस ग़रनाता का नक़ल किया है, इब्ने अतीया कहते हैं कि ग़रनाता में एक लोशा नाम के गाँव के करीब एक ग़ार (गुफ़ा) है जिसमें कुछ मुर्दा लाशें हैं और उनके साथ एक मुर्दा कुत्ते का ढाँचा भी मौजूद है, उनमें से अक्सर लाशों पर गोश्त बाकी नहीं रहा, सिर्फ़ हड्डियों के ढाँचे हैं और कुछ पर अब तक गोश्त पोस्त भी मौजूद है। उन पर सदियाँ गुज़र गईं मगर सही सनद से उनका कुछ हाल मालूम नहीं, कुछ लोग यह कहते हैं कि यही अस्हाबे कहफ़ हैं। इब्ने अतीया कहते हैं कि यह ख़बर सुनकर मैं खुद सन् 504 हिजरी में वहाँ पहुँचा तो वाकई लाशें उसी हालत पर पाईं और उनके करीब ही एक मस्जिद भी है और एक रूमी ज़माने

की तामीर भी है जिसको रक़ीम कहा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि पुराने ज़माने में कोई आलीशान महल होगा, इस वक़्त भी उसकी कई दीवारें मौजूद हैं, और यह एक ग़ैर-आबाद जंगल में है। और फ़रमाया कि ग़रनाता के ऊपरी हिस्से में एक पुराने शहर के आसार व निशानात पाये जाते हैं जो रूमियों के अन्दाज़ के हैं, उस शहर का नाम दक्यूस बतलाया जाता है, हमने उसके खण्डरों में बहुत सी अजीब चीज़ें और क़ब्रें देखी हैं। इमाम क़ुर्तुबी जो उन्दुलुस ही के रहने वाले हैं इन तमाम वाकिआत को नक़ल करने के बाद भी किसी को मुतैयन तौर पर अस्हाबे कहफ़ कहने से गुरेज़ करते हैं और खुद इब्ने अतीया ने भी अपने देखने के बावजूद यह निश्चित तौर पर नहीं कहा कि यही लोग अस्हाबे कहफ़ हैं, महज़ आम शोहरत नक़ल की है मगर दूसरे उन्दुलुसी मुफ़सिर अबू हय्यान जो सातवीं सदी सन् 654 हिजरी में ख़ास ग़रनाता में पैदा हुए वहीं रहे, बसे हैं, वह भी अपनी तफ़सीर बहरे-मुहीत में ग़रनाता के उस ग़ार का उसी तरह ज़िक्र करते हैं जिस तरह क़ुर्तुबी ने किया है। और इब्ने अतीया के अपने देखने और अनुभव का ज़िक्र लिखने के बाद लिखते हैं कि हम जब उन्दुलुस में थे (यानी काहिरा मुन्तकिल होने से पहले) तो बहुत लोग उस ग़ार की ज़ियारत के लिये जाया करते थे और यह कहते थे कि अगरचे वो लाशें अब तक वहाँ मौजूद हैं और ज़ियारत करने वाले उनको गिनते भी हैं मगर हमेशा उनकी संख्या बताने में ग़लती करते हैं। फिर फ़रमाया कि इब्ने अतीया ने जिस शहर दक्यूस का ज़िक्र किया है जो ग़रनाता की किस्ते की दिशा में स्थित है तो उस शहर से मैं खुद बेशुमार मर्तबा गुज़रा हूँ और उसमें बड़े-बड़े ग़ैर-मामूली पत्थर देखे हैं। इसके बाद कहते हैं:

ويترجع كون اهل الكهف بالاندلس لكثرة دين النصارى بها حتى هي بلاد مملكتهم العظمى.

(تفسير مجيّد 10/176)

“यानी अस्हाब-ए-कहफ़ के उन्दुलुस में होने की तरजीह के लिये यह भी इशारा है कि वहाँ ईसाईयत का ग़लबा है, यहाँ तक कि यही ख़िल्ला उनकी सबसे बड़ी मज़हबी मिलिकयत है।”

इसमें यह बात स्पष्ट है कि अबू हय्यान के नज़दीक अस्हाबे कहफ़ का उन्दुलुस में होना वरीयता प्राप्त है। (तफ़सीर क़ुर्तुबी पेज 356, 357 जिल्द 9)

तफ़सीर के इमाम इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने औफ़ी की रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि रक़ीम एक वादी का नाम है जो फ़िलिस्तीन से नीचे ऐला (अक़बा) के करीब है, और इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम और चन्द दूसरे मुहद्दीसीन ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि “मैं नहीं जानता कि रक़ीम क्या है, लेकिन मैंने क़अबे अहबार से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि रक़ीम उस बस्ती का नाम है जिसमें अस्हाबे कहफ़ ग़ार में जाने से पहले रहते थे।”

(तफ़सीर रूहुल-मआनी)

इब्ने अबी शैबा, इब्ने मुन्ज़िर और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि वह फ़रमाते हैं कि हमने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु

अन्हु के साथ रूमियों के मुकाबले में एक जिहाद किया जिसको गज़वा-ए-मुजीक कहते हैं, उस मौके पर हमारा गुज़र उस गार (गुफा) पर हुआ जिसमें अस्हाबे कहफ हैं जिनका जिक्र अल्लाह तआला ने कुरआन में फरमाया है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि गार के अन्दर जायें और अस्हाब-ए-कहफ की लाशों को देखें मगर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनको देखने से उस हस्ती को भी मना कर दिया है जो आप से बेहतर थी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, क्योंकि हक़ तआला ने कुरआन में फरमाया है:

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ تَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَتْ مِنْهُمْ رُغْبًا

(यानी अगर आप उनको देखें तो आप उनसे भागेंगे और रौब व दहशत से मग़लूब हो जायेंगे) मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास की इस बात को शायद इसलिये कुबूल नहीं किया कि कुरआने करीम ने उनकी जो हालत बयान की है यह वह है जो उनकी जिन्दगी के वक़्त थी, यह क्या ज़रूरी है कि अब भी वही हालत हो इसलिये कुछ आदमियों को देखने के लिये भेजा, वे गार पर पहुँचे मगर जब गार में दाखिल होना चाहा तो अल्लाह तआला ने उन पर एक सख़्त हवा भेज दी जिसने उन सब को गार से निकाल दिया।

(रुहूल-मआनी पेज 227 जिल्द 15)

ऊपर बयान हुई रिवायतों और किस्सों से इतनी बात साबित हुई कि मुफ़स्सिरीन हज़रात में से जिन हज़रात ने अस्हाबे कहफ़ के गार की जगह का पता दिया है उनके अक़वाल तीन जगहों का पता देते हैं— एक फ़ारस की खाड़ी के किनारे अक़बा (ऐला) के करीब, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की अधिकतर रिवायतें इसी की ताईद में हैं, जैसा कि ऊपर बयान हुई रिवायतों में गुज़र चुका है।

इब्ने अतीया के देखने और अबू हय्यान की ताईद से यह ज़्यादा सही मालूम होता है कि यह गार गरनाता उन्दुलुस में है, इन दोनों जगहों में से अक़बा में एक शहर या किसी ख़ास इमारत का नाम रक़ीम होना भी बतलाया गया है। इसी तरह गरनाता में गार के करीब अज़ीमुश्शान टूटी-फूटी इमारत का नाम रक़ीम बतलाया गया है और दोनों किस्म की रिवायतों में किसी ने भी इसका निश्चित फ़ैसला और पक्का भरोसा नहीं किया कि यही गार अस्हाबे कहफ़ का गार है बल्कि दोनों किस्म की रिवायतों का मदार स्थानीय शोहरत और सुनी हुई रिवायतों पर है और तक़रीबन तमाम तफ़सीरों— क़ुर्तुबी, अबू हय्यान, इब्ने जरीर वग़ैरह की रिवायतों में अस्हाबे कहफ़ जिस शहर में रहते थे उसका पुराना नाम अफ़सोस और इस्लामी नाम तरसूस बतलाया गया है, इस शहर का एशिया-ए-कोचक के पश्चिमी किनारे पर होना इतिहास लेखकों के नज़दीक मुसल्लम है, इससे मालूम होता है कि यह गार भी एशिया-ए-कोचक में है, इसलिये किसी एक को क़तई और निश्चित तौर पर सही और बाकी को ग़लत कहने की कोई दलील नहीं, संभावना और संदेह तीनों जगह का हो सकता है बल्कि इस संभावना की भी कोई नफ़ी नहीं कर सकता

कि इन गारों के वाकिआत सही होने के बावजूद भी ये उन अस्थाबे कहफ के गार न हों जिनका जिक्र कुरआने करीम में आया है, वह और किसी जगह हो, और यह भी जरूरी नहीं कि रक़ीम उस जगह किसी शहर या इमारत ही का नाम हो बल्कि इस संभावना की भी नफ़ी नहीं की जा सकती कि रक़ीम से मुराद वह लिखित पतरा या पत्थर हो जिस पर अस्थाबे कहफ के नाम खोदकर गार के दहाने पर किसी बादशाह ने लगा दिया था।

नये इतिहासकारों की तहकीक़

मौजूदा ज़माने के कुछ तारीख़ लिखने वालों और उलेमा ने ईसाई तारीख़ों और यूरोप वालों के इतिहास की मदद से अस्थाबे कहफ के गार, जगह और ज़माना मुतैयन करने के लिये काफी बहस व तहकीक़ और खोजबीन की है।

अबुल-कलाम साहिब आज़ाद ने ऐला (अक़बा) के करीब मौजूदा शहर टपरा जिसको अरब के इतिहास लेखक बतरा लिखते हैं, उसको पुराना शहर रक़ीम करार दिया है और मौजूदा तारीख़ों से इसके करीब पहाड़ में एक गार के निशानात भी बतलाये हैं जिसके साथ किसी मस्जिद की तामीर के निशानात भी बतलाये जाते हैं। इसके सुबूत में लिखा है कि बाईबल की किताब यशू (बाब 18 आयत 27) में जिस जगह को रक़ीम या राक़िम कहा है यह वही मक़ाम है जिसको अब टपरा कहा जाता है। मगर इस पर यह शुब्हा किया गया है कि किताब यशू में जो रक़ीम या राक़िम का ज़िक्र बनी बिन-यमीन की औलाद की मीरास के सिलसिले में आया है और यह इलाका उर्दुन के दरिया के और बहरे-नूत के पश्चिम में स्थित था जिसमें शहर टपरा के होने की कोई संभावना नहीं, इसलिये इस ज़माने के पुरातत्व विभाग के तहकीक़ करने वालों ने इस बात के मानने में सख़्त संकोच किया है कि टपरा और राक़िम एक चीज़ हैं। (इन्साईक्लू पीडिया बरटानिका, प्रकाशित सन् 1946 ई. जिल्द 17 पेज 658)

और आम मुफ़स्सिरीन ने अस्थाबे कहफ की जगह शहर अफ़सोस को करार दिया है जो एशिया-ए-कोचक के पश्चिमी किनारे पर रूम वालों का सबसे बड़ा शहर था जिसके खंडर अब भी मौजूदा तुर्की के शहर अज़मीर (समरना) से 20-25 मील दक्षिण की ओर पाये जाते हैं।

हज़रत मौलाना सैयद सुलैमान साहिब नदवी रह. ने भी अपनी किताब अरज़ुल-कुरआन में शहर टपरा का ज़िक्र करते हुए ब्रेकिट में (रक़ीम) लिखा है मगर इसकी कोई गवाही पेश नहीं की कि शहर टपरा का पुराना नाम रक़ीम था। मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान सेवहारवी ने अपनी किताब कससुल-कुरआन में इसी को इख़्तियार फरमाया और इसके सुबूत में तौरात सफ़र अ़दद और सहीफ़ा सअ्या के हवाले से शहर टपरा का नाम राक़िमा बयान किया है। (दायरतुल-मअरिफ़ अरब)

उर्दुन देश में अम्मान के करीब एक सुनसान जंगल में एक गार का पत्ता लगा तो हुकूमत के पुरातत्व विभाग ने सन् 1963 ई. में उस जगह खुदाई का काम जारी किया तो उसमें मिट्टी और पत्थरों के हटाने के बाद हड्डियों और पत्थरों से भरे हुए छह ताबूत और दो कब्रें बरामद हुईं, गार

की दक्षिणी दिशा में पत्थरों पर कुछ नुक़ूश भी छपे हुए निकले जो बज़नतीनी भाषा में हैं, यहाँ के लोगों का ख़्याल यह है कि यहीं जगह करीम है, जिसके पास अस्हाबे कहफ़ का यह ग़ार है। वल्लाहु आलम।

हज़रत सय्यिदी हकीमुल-उम्मत थानवी रत्मतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफसीर बयानुल-कुरआन में तफसीर-ए-हक्कानी के हवाले से अस्हाब-ए-कहफ़ की जगह और मक़ाम की तारीख़ी तहकीक़ यह नक़ल की है कि ज़ालिम बादशाह जिसके ख़ौफ़ से भागकर अस्हाबे कहफ़ ने ग़ार में पनाह ली थी उसका ज़माना सन् 250 ई. था, फिर तीन सौ साल तक ये लोग सोते रहे तो मजमूआ सन् 550 ई. हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश सन् 570 ई. में हुई, इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश से बीस साल पहले यह वाकिआ उनके जागने का पेश आया और तफसीरे हक्कानी में भी उनका मक़ाम शहर अफ़सोस या तरतूस को करार दिया है जो एशिया-ए-कोचक में था, अब उसके खंडरात मौजूद हैं। अल्लाह तआला ही असल हकीक़त को ज़्यादा जानते हैं।

ये तमाम ऐतिहासिक और भूगोलिक तफसीलात हैं जो पुराने मुफ़स्सिरीन की रियायतों से फिर नये इतिहासकारों के बयानात से पेश की गई हैं। अहक़र ने पहले ही यह अर्ज़ कर दिया था कि न कुरआन की किसी आयत का समझना इन पर मौकूफ़ है न इस मक़सद का कोई ज़रूरी हिस्सा इनसे संबन्धित है जिसके लिये कुरआने करीम ने यह क़िस्सा बयान किया है, फिर रिवायतों, क़िस्सों और उनके निशानात व इशारात इस हद तक भिन्न और अलग-अलग हैं कि सारी तहकीक़ व खोजबीन के बाद भी इसका कोई क़तई फ़ैसला मुम्किन नहीं, सिर्फ़ तरजीहात और रुझानात ही हो सकते हैं, लेकिन आजकल तालीम याफ़ता तब्क़े में तारीख़ी तहकीक़ात का ज़ौक़ बहुत बढ़ा हुआ है, उसको सुकून पहुँचाने के लिये ये तफसीलात नक़ल कर दी गई हैं, जिनसे तफ़रीबी और अन्दाज़े के तौर पर इतना मालूम हो जाता है कि यह वाकिआ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने के करीब पेश आया और ज़्यादातर रिवायतें इसके शहर अफ़सोस या तरतूस के करीब होने पर सहमत नज़र आती हैं। वल्लाहु आलम

और हकीक़त यह है कि इन तमाम तहकीक़ात के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे कि जगह निर्धारित करने की न कोई ज़रूरत है और न उसका निर्धारित करना किसी यकीनी माध्यम से किया जा सकता है, तफसीर व हदीस के इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसके बारे में यही फ़रमाया है कि:

قَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ وَأَرَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَدْبِيرَهُ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ هَذَا الْكَهْفِ فِي آيَةِ الْبَلَادِ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ لَا فَايِدَةَ لَنَا فِيهِ وَلَا قَصْدَ شَرْعِيٍّ. (ابن كثير ج 3 ص 25)

“यानी अल्लाह तआला ने हमें अस्हाबे कहफ़ के उन हालात की ख़बर दी जिनका ज़िक़र कुरआने करीम में होता है कि हम उनको समझें और उनमें गहराई से सोचें और इसकी ख़बर

नहीं दी कि यह कहफ़ (गार) किस ज़मीन और किस शहर में है, क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं और न कोई शरई मक़सद इससे संबन्धित है।”

अस्हाबे कहफ़ का वाकिआ किस ज़माने में पेश आया और गार में पनाह लेने के असबाब क्या थे?

किस्से का यह टुकड़ा भी वही है जिस पर न किसी कुरआनी आयत का समझना मौकूफ़ है न किस्से के मक़सद पर इसका कोई ख़ास असर है, और न कुरआन व सुन्नत में इसका बयान है, सिर्फ़ तारीख़ी वाकिआत हैं, इसी लिये अबू हय्यान रह. ने तफ़सीर बहरे-मुहीत में फरमाया:

وَالرُّوَاةُ مُتَّفِقُونَ فِي قَصَصِهِمْ وَكَيْفَ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ وَعُرُوجُهُمْ وَلَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ كَيْفِيَّةُ

ذَلِكَ وَلَا فِي الْقُرْآنِ. (عمر بن الخطاب 101)

“इन हज़रात के किस्से में बयान करने वालों का सख़्त मतभेद है, और इसमें कि ये अपने इस प्रोग्राम में किस तरह एकराय हुए और किस तरह निकले, न किसी सही हदीस में इसकी कैफियत बयान हुई है न कुरआन में।”

फिर भी मौजूदा तबीयतों की दिलचस्पी के लिये जैसे ऊपर अस्हाबे कहफ़ के मक़ाम (स्थान) से संबन्धित कुछ मालूमात लिखी गई हैं इस वाकिआ के पेश आने के ज़माने और पेश आने के कारणों के बारे में भी मुख़्तसर मालूमात तफ़सीरी और तारीख़ी रिवायतों से नक़ल की जाती हैं। इस किस्से को पूरी तफ़सील और विस्तार के साथ हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीर-ए-मज़हरी में मुख़्तलिफ़ रिवायतों से नक़ल फरमाया है मगर यहाँ सिर्फ़ वह मुख़्तसर वाकिआ लिखा जाता है जिसको इमाम इब्ने कसीर ने पहले और बाद के बहुत से मुफ़त्सिरीन के हवाले से पेश किया है, वह फरमाते हैं कि:

“अस्हाबे कहफ़ बादशाहों की औलाद और अपनी क़ौम के सरदार थे, क़ौम बुत-परस्त थी। एक दिन उनकी क़ौम अपने किसी मज़हबी मेले के लिये शहर से बाहर निकली, जहाँ उनका सालाना समारोह होता था, वहाँ जाकर ये लोग अपने बुतों की पूजा-पाठ करते और उनके लिये जानवरों की क़ुरबानी देते थे। उनका बादशाह एक जाबिर व ज़ालिम दकियानूस नाम का था जो क़ौम को उस बुतपरस्ती पर मजबूर करता था। उस साल जबकि पूरी क़ौम उस मेले में जमा हुई तो ये अस्हाबे कहफ़ नौजवान भी पहुँचे और वहाँ अपनी क़ौम की ये हरकतें देखीं कि अपने हाथों के बनाये हुए पत्थरों को खुदा समझते और उनकी इबादत करते और उनके लिये क़ुरबानी करते हैं, उस वक़्त अल्लाह तआला ने उनको यह अक़्ले सलीम अज़ता फरमा दी कि क़ौम की इस अहमक़ाना हरकत से उनको नफ़रत हुई और अक़्ल से काम लिया तो उनकी समझ में आ गया कि यह इबादत तो सिर्फ़ उस ज़ात की होनी चाहिये जिसने ज़मीन व आसमान और सारी मख़्लूक़ात पैदा फरमाई हैं। यह ख़्याल एक ही

वक्त में उन चन्द नौजवानों के दिल में आया और उनमें से हर एक ने कौम की इस अहमकाना इबादत से बचने के लिये उस जगह से हटना शुरू किया, उनमें सबसे पहले एक नौजवान मजमे से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद एक दूसरा शख्स आया और वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, इसी तरह फिर तीसरा और चौथा आदमी आता गया और पेड़ के नीचे बैठता रहा मगर उनमें कोई दूसरे को न पहचानता था और न यह कि यहाँ क्यों आया है, मगर उनको दर हकीकत उस कुदरत ने यहाँ जमा किया था जिसने उनके दिलों में ईमान पैदा फरमाया।”

कौमियत और एकता की असल बुनियाद

अल्लामा इब्ने कसीर ने इसको नक़ल करके फरमाया कि लोग तो आपसी संगठन का सबब कौमियत और जिन्सियत को समझते हैं मगर हकीकत वह है जो सही बुखारी की हदीस में है कि वास्तव में एकता व ताल्लुक या बिखराव व जुदाई पहले रूहों में पैदा होती है, उसका असर इस आलम के जिस्मों में पड़ता है। जिन रूहों के बीच कायनात के पहले दिन में मुनासबत और इत्तिफ़ाक़ पैदा हुआ वे यहाँ भी आपस में जुड़े हुए और एक जमाअत की शक़ल इख़्तियार कर लेती हैं और जिनमें यह मुनासबत और आपसी इत्तिफ़ाक़ न हुआ बल्कि वहाँ अलग ही रहीं उनमें यहाँ भी अलैहदगी रहेगी। इसी वाकिफ़ की मिसाल को देखो कि किस तरह अलग-अलग हर शख्स के दिल में एक ही ख़्याल पैदा हुआ, उस ख़्याल ने उन सब को ग़ैर-महसूस तौर पर एक जगह जमा कर दिया।

खुलासा यह है कि ये लोग एक जगह जमा तो हो गये मगर हर एक अपने अक़ीदे को दूसरे से इसलिये छुपाता था कि कहीं यह जाकर बादशाह के पास मुख़बिरी न कर दे, और मैं गिरफ़्तार न हो जाऊँ। कुछ देर चुप्पी के आलम में जमा रहने के बाद उनमें से एक शख्स बोला कि भाई हम सब के सब का कौम से अलग होकर यहाँ पहुँचने का कोई सबब तो ज़रूर है, मुनासिब यह है कि हम सब आपस में एक दूसरे के ख़्याल से वाकिफ़ हो जायें। इस पर एक शख्स बोल उठा कि हकीकत यह है कि मैंने अपनी कौम को जिस दिन व मज़हब और जिस इबादत में मुब्तला पाया मुझे यकीन हो गया कि यह बातिल है, इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की होनी चाहिये जिसका कायनात के पैदा करने में कोई शरीक और साझी नहीं, अब तो दूसरों को भी मौक़ा मिल गया और उनमें से हर एक ने इक़्रार किया कि यही अक़ीदा और ख़्याल है जिसने मुझे कौम से अलग करके यहाँ पहुँचाया।

अब यह एक राय वाली जमाअत एक दूसरे की रफ़ीक़ और दोस्त हो गई और इन्होंने अलग अपनी इबादत की जगह बना ली जिसमें जमा होकर ये लोग अल्लाह वस्दहू ला शरीक लहू की इबादत करने लगे।

मगर धीरे-धीरे इनकी ख़बर शहर में फैल गई और चुग़लख़ोरों ने बादशाह तक इनकी ख़बर पहुँचा दी। बादशाह ने इन सब को हाज़िर होने का हुक्म दिया, ये लोग दरबार में हाज़िर हुए तो

बादशाह ने इनके अक़ीदे और तरीक़े के बारे में सवाल किया, अल्लाह ने इनको हिम्मत बख़्शी इन्होंने बग़ैर किसी ख़ौफ़ व ख़तरे के अपना तौहीद (अल्लाह को एक मानने) का अक़ीदा बयान कर दिया और खुद बादशाह को भी इस तरफ़ दावत दी, इसी का बयान कुरआने करीम की आयतों में इस तरह आया है:

وَرَوَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُمْ ذُنُوبَهُمْ لَقَدْ فَلْتُنَا إِذَا شَطَطًا ۗ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ ۖ بَيِّنٍ ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا

जब उन लोगों ने बादशाह को बेबाक होकर ईमान की दावत दी तो बादशाह ने उससे इनकार किया और उनको डराया धमकाया, और उनके बदन से वह उम्दा पोशाक जो उन शहज़ादों के बदन पर थी उतरवा दी, ताकि ये लोग अपने मामले में ग़ौर करें और ग़ौर करने के लिये चन्द दिन की मोहलत यह कहकर दी कि तुम नौजवान हो मैं तुम्हारे क़त्ल में इसलिये जल्दी नहीं करता कि तुमको ग़ौर करने का मौक़ा मिल जाये, अब भी अगर तुम अपनी क़ौम के दीन व मज़हब पर आ जाते हो तो तुम अपने हाल पर रहोगे वरना क़त्ल कर दिये जाओगे।

यह अल्लाह तआला का लुफ़ व करम अपने मोमिन बन्दों पर था कि इस मोहलत ने उन लोगों के लिये वहाँ से निकलने की राह खोल दी और ये लोग वहाँ से भागकर एक ग़ार (खोह) में छुप गये।

मुफ़स्सिरान की आम रिवायतें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, अल्लामा इब्ने कसीर और दूसरे आम मुफ़स्सिरान ने यह ज़िक्र किया है अगरचे इब्ने कसीर ने इसको क़ुबूल इसलिये नहीं किया कि अगर ये लोग ईसाई दीन पर होते तो मदीना के यहूदी इनसे दुश्मनी की बिना पर इनके वाक़िए का सवाल न कराते और इनको अहमियत न देते, मगर यह कोई ऐसी बुनियाद नहीं जिसकी वजह से तमाम रिवायतों को रद्द कर दिया जाये, मदीना के यहूदियों ने तो महज़ एक अजीब वाक़िआ होने की हैसियत से इसका सवाल कराया जैसे जुल्करनैन का सवाल भी इसी बिना पर है, इस तरह के सवालात में यहूदियत और ईसाईयत का तास्सुब (पक्षपात) बीच में न आना ही ज़ाहिर है।

तफ़सीरे मज़हरी में इब्ने इस्हाक़ की रिवायत से उन लोगों को ईमान वालों में शुमार किया है जो ईसाई दीन के मिट जाने के बाद उनमें के हक़-परस्त लोग इक्का-दुक्का रह गये थे, जो सही ईसाई दीन और तौहीद पर कायम थे। इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में भी उस ज़ालिम बादशाह का नाम दक़ियानूस बतलाया है और जिस शहर में ये नौजवान ग़ार में छुपने से पहले रहते थे उसका नाम अफ़सोस बतलाया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में भी वाक़िआ इसी तरह बयान किया है और बादशाह का नाम दक़ियानूस बतलाया है। इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में यह भी है कि अस्हाबे कहफ़ के जागने के वक़्त मुल्क पर ईसाई दीन के पाबन्द जिन लोगों का

कब्ज़ा हो गया था उनके बादशाह का नाम बैदूसीस था।

रिवायतों के मज़मूए से यह बात तो ग़ालिब गुमान से साबित हो जाती है कि अस्ताबे कहफ़ सही ईसाई दीन पर थे और उनका ज़माना मसीह अलैहिस्सलाम के बाद का है और जिस मुश्रिक बादशाह से भागे थे उसका नाम दकियानूस था। तीन सौ नौ साल के बाद नींद से जागने के वक़्त जिस नेक मोमिन बादशाह की हुकूमत थी इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में उसका नाम बैदूसीस बतलाया है, इसके साथ मौजूदा ज़माने की तारीख़ों को मिलाकर देखा जाये तो अन्दाज़े के तौर पर उनका ज़माना मुतैयन (निर्धारित) हो सकता है, इससे ज़्यादा निर्धारित करने की न ज़रूरत है और न उसकी जानकारी के असबाब मौजूद हैं।

क्या अस्ताब-ए-कहफ़ अब भी जिन्दा हैं?

इस मामले में सही और ज़ाहिर यही है कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। तफ़सीरे मज़हरी में इब्ने इस्हाक़ की तफ़सीली रिवायत में है कि अस्ताबे कहफ़ के जागने और शहर में उनके अजीब वाकिए की शोहरत हो जाने और उस वक़्त के बादशाह बैदूसीस के पास पहुँचकर मुलाकात करने के बाद अस्ताबे कहफ़ ने बैदूसीस बादशाह से रुख़सत चाही और रुख़सती सलाम के साथ उसके लिये दुआ की और अभी बादशाह उसी जगह मौजूद था कि ये लोग अपने लेटने की जगहों पर जाकर लेट गये और उसी वक़्त अल्लाह तआला ने इनको मौत दे दी।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की यह रिवायत इब्ने जरीर, इब्ने कसीर वगैरह सभी मुफ़सिरीन ने नक़ल की है कि:

قَالَ قَتَادَةُ عَزَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُّوا بِكَهْفٍ فِي بِلَادِ الرُّومِ قَرَأُوا فِيهِ عِظَامًا فَقَالَ قَتَائِلُ هَذِهِ

عِظَامُ أَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ بَلَيْتْ عِظَاهُمْ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ سَنَةٍ. (ابن كثير)

“क़तादा कहते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हबीब इब्ने मसलमा के साथ एक जिहाद किया तो रूम के इलाके में उनका गुज़र एक ग़ार पर हुआ जिसमें मुर्दा लाशों की हड्डियाँ थीं, किसी ने कहा कि ये अस्ताबे कहफ़ की हड्डियाँ हैं तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि उनकी हड्डियाँ तो अब से तीन सौ बरस पहले खाक हो चुकी हैं।”

ये सब इस तारीख़ी किस्से के वो अंश और हिस्से थे जिनको न कुरआन ने बयान किया न हदीसे रसूल ने और न इस वाकिए का कोई ख़ास मक़सद या कुरआन की किसी आयत का समझना इस पर मौक़ूफ़ है, और न तारीख़ी रिवायतों से इन चीज़ों का निश्चित और आख़िरी फ़ैसला किया जा सकता है, बाकी रहे किस्से के वो हिस्से जिनका खुद कुरआने करीम ने ज़िक्र फ़रमाया है उनकी तफ़सील इन्हीं आयतों के तहत आती है।

यहाँ तक कुरआने करीम ने इस किस्से का संक्षिप्त रूप से ज़िक्र फ़रमाया था आगे तफ़सीली ज़िक्र आता है।

لَنْ نَقْضُ عَيْتِكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِي رَبِّهٖ أَتَمُونَ ۝ وَرَبُّنَا
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
إِذَا سَطَطْنَا ۝ هُوَ الَّذِي قَدَّمْنَا أَخْيَادَنَا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا إِتْيَانُنَا عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ مَّا كُنَّا
أَعْظَمُ مَعَنَ ۝ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا لِلَّهِ فَاوَّأ إِلَى الْكُفْهِفِ
يَنْشُرْ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝

नहनु नकुस्तु अलै-क न-ब-अहुम्
बिल्हकिफ, इन्नहुम् फित्यतुन् आमनू
बिरब्बिहिम् व जिदनाहुम् हुदा (13)
व रबत्ना अला कुलूबिहिम् इज़् कामू
फकालू रब्बुना रब्बुस्समावाति
वल्अज़ि लन्-नदज़ु-व मिन् दूनिही
इलाहल्-लकद् कुल्ना इज़न् श-तता
(14) हाउला-इ कौमुनत्त-खज़ू मिन्
दूनिही आलि-हतन्, लौ ला यअतू-न
अलैहिम् बिसुल्तानिम्-बद्यिनिन्,
फ-मन् अज़लमु मिम्-मनिफ़तरा
अलल्लाहि कज़िबा (15) व इज़िअ-
-तज़ल्लुमूहुम् व मा यअबुदू-न
इल्लल्ला-ह फअवू इलल्-कटिफ़
यन्शूर लकुम् रब्बुकुम् मिरस्मतिही व
युहयियअ लकुम् मिन् अमिरकुम्
मिर्फका (16)

हम सुनायें तुझको उनका तहकीकी हाल,
वे कई जवान हैं कि यकीन लाये अपने
रब पर और ज़्यादा दी हमने उनको सूझ।
(13) और गिरह दी उनके दिल पर जब
खड़े हुए फिर बोले हमारा रब है रब
आसमान का और ज़मीन का, न पुकारेंगे
हम उसके सिवा किसी को माबूद, नहीं
तो कही हमने बात अक्ल से दूर। (14)
यह हमारी कौम है ठहरा लिये इन्होंने
अल्लाह के सिवा और माबूद, क्यों नहीं
लाते उन पर कोई खुली सनद, फिर उससे
बड़ा गुनाहगार कौन जिसने बाँधा अल्लाह
पर झूठ। (15) और जब तुमने किनारा
कर लिया उनसे और जिनको वे पूजते हैं
अल्लाह के सिवाय तो अब जा बैठो उस
खोह में, फैला दे तुम पर तुम्हारा रब कुछ
अपनी रहमत से और बना दे तुम्हारे
वास्ते काम में आराम। (16)

खुलासा-ए-तफसीर

हम उनका वाकिफ़ा आप से ठीक-ठीक बयान करते हैं (इसमें इशारा कर दिया कि इसके

खिलाफ जो कुछ दुनिया में मशहूर है वह दुरुस्त नहीं), वे लोग (यानी अस्थाब-ए-कहफ) कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर (उस ज़माने के ईसाई दीन के मुताबिक) ईमान लाये थे और हमने उनकी हिदायत में और तरक्की कर दी थी (कि ईमान की सिफात, दीन पर जमाव और मुसीबतों पर सब्र, दुनिया से बेताल्लुकी, आखिरत की फिक्र वगैरह भी अता कर दीं, इन्हीं ईमानी सिफात व हिदायत में एक बात यह थी कि) हमने उनके दिल मजबूत कर दिये जबकि वे पक्के होकर (आपस में या मुखालिफ बादशाह के रू-ब-रू) कहने लगे कि हमारा रब तो वह है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम तो उसको छोड़कर किसी माबूद की इबादत न करेंगे (क्योंकि अगर खुदा न करे हमने ऐसा किया) तो उस सूरत में हमने यकीनन बड़ी ही बेजा बात कही। यह जो हमारी कौम है, इन्होंने खुदा को छोड़कर और दूसरे माबूद करार दे रखे हैं (क्योंकि उनकी कौम और उस वक़्त का बादशाह सब बुत-परस्त थे, सो) ये लोग अपने माबूदों (के माबूद होने) पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते (जैसा कि एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले अल्लाह की तौहीद पर स्पष्ट और यकीनी दलील रखते हैं) तो उस शख्स से ज़्यादा कौन ग़ज़ब ढहाने वाला होगा जो अल्लाह तआला पर झूठी तोहमत लगा दे (कि उसके कुछ साझी और शरीक भी हैं)।

और फिर (आपस में कहा कि) जब तुम इन लोगों से अक्कीदे ही में अलग हो गये हो और इनके माबूदों (की इबादत) से भी (अलग हो गये), मगर अल्लाह तआला से (अलग नहीं हुए बल्कि उसी की वजह से सब को छोड़ा है) तो अब (मस्तेहत यह है कि) तुम (फुल्लों) ग़ार में (जो मशिवरे से तय हुआ होगा) चलकर पनाह लो (ताकि अमन और बेफिक्री के साथ अल्लाह की इबादत कर सको) तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिये तुम्हारे इस काम में कामयाबी का सामान दुरुस्त कर देगा (अल्लाह तआला से इसी उम्मीद पर ग़ार में जाने के वक़्त उन्होंने सब से पहले यह दुआ की कि:

رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا

(यानी इसी सूरत की ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 10)

मअरिफ व मसाईल

‘इन्नहुम् फित्यतुन’। फित्यतुन ‘फता’ की जमा (बहुवचन) है जो नौजवान के मायने में आता है। तफ्सीर के उलेमा ने फरमाया कि इस लफ्ज़ में यह इशारा पाया जाता है कि आमाल व अख्लाक को सुधारने और हिदायत व रहनुमाई का ज़माना जवानी ही की उम्र है, बुढ़ापे में पिछले आमाल व अख्लाक ऐसे पुख्ता हो जाते हैं कि कितना ही उसके खिलाफ हक़ वाज़ेह हो जाये उनसे निकलना मुशिकल होता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत पर ईमान लाने वाले ज़्यादातर नौजवान ही लोग थे।

(इब्ने कसीर, अबू हय्यान)

وَرَبَّنَا عَلَي قُلُوبِهِمْ

इमाम इब्ने कसीर के हवाले से जो वाकिए की सूरत ऊपर बयान की गई है उससे मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ़ से उनके दिलों को मजबूत कर देने का वाकिए उस वक़्त हुआ जब कि बुत-परस्त ज़ालिम बादशाह ने उन नौजवानों को अपने दरबार में हाज़िर करके सवालात किये। उस मौत व जिन्दगी की कश्मकश और क़त्ल के ख़ौफ़ के बावजूद अल्लाह तज़ाला ने उनके दिलों पर अपनी मुहब्बत और बढ़ाई व डर ऐसा मुसल्लत कर दिया कि उसके मुकाबले में क़त्ल व मौत और हर मुसीबत को बरदाश्त करने के लिये तैयार होकर अपने अक़ीदे का साफ़ साफ़ इज़हार कर दिया कि वे अल्लाह के सिवा किसी माबूद की इबादत नहीं करते, और आईन्दा भी न करेंगे। जो लोग अल्लाह के लिये किसी काम का पुज़ता इरादा कर लेते हैं तो हक़ तज़ाला की तरफ़ से उनकी ऐसी ही इमदाद हुआ करती है।

فَأَوَّا إِلَى الْكُهْفِ

इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि अस्हाबे कहफ़ ने जो सूरत इख़्तियार की कि जिस शहर में रहकर अल्लाह की इबादत न हो सकती थी उसको छोड़कर ग़ार में पनाह ली, यही सुन्नत है तमाम अम्बिया की कि ऐसे मक़ामात से हिजरत करके वह जगह इख़्तियार करते हैं जहाँ इबादत की जा सके।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ شَرْوُرًا عَنِ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَدَبَتْ تَقْرَضُهُمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي كَعْبَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْمُؤْمِنِينَ يَهْتَدُونَ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلْ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۝ وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۝ وَنَقَلْبُهُمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۝ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۝ لَوِاطَفَتْ عَلَيْهِمْ
لَوَلِيَّتْ مِنْهُمْ فَزَالُوا كَلْمَتًا مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

व-तरश्शम्-स इज़ा त-लअत्तज़ावरु
अन् कस्फ़हिम् ज़ातल्-यमीनि व
इज़ा ग-रबत् तक्विरजुहुम् ज़ातशिशमालि
व हुम् फी फज्वतिम् मिन्हु, ज़ालि-क
मिन् आयातिल्लाहि, मय्यह्दिल्लाहु
फहुल्मुस्तदि व मय्युज़िलल् फ-लन्
तजि-द लहू वलिय्यम्-मुर्शिदा (17) ●
व तत्सबुहुम् ऐकाज्-व-व हुम्.
रुक़दुं-व नुक़ल्लिबुहुम् ज़ातल्यमीनि

और तू देखे धूप जब निकलती है बचकर
जाती है उनकी खोह से दाहिने को और
जब डूबती है कतरा जाती है उनसे बायें
को, और वह मैदान में हैं उसके, यह है
अल्लाह की क़ुदरतों में से जिसको राह दे
अल्लाह वही आये राह पर और जिसको
वह बिचलाये फिर तू न पाये उसको कोई
साथी राह पर लाने वाला। (17) ●
और तू समझे कि वे जागते हैं और वे
सो रहे हैं और करवटें दिलाते हैं हम

व जातशिशमालि व कल्बुहुम्
बासितुन् ज़िराज़ैहि बिल्-वसीदि,
लवित्त-लज़-त अलैहिम् लवल्लै-त
मिन्हुम् फिरारव्-व लमुलिज़-त मिन्हुम्
रुअबा (18)

उनको दाहिने और बायें और उनका
कुत्ता पसार रहा है अपनी बाँहें चौखट
पर, अगर तू झाँक कर देखे उनको तो
पीठ देकर भागे उनसे और भर जाये
तुझमें उनकी दहशत। (18)

खुलासा-ए-तफसीर

और ऐ मुख़ातब! (यह ग़ार ऐसी शकल व अन्दाज़ पर स्थित है कि) जब धूप निकलती है तो तू उसको देखेगा कि वह ग़ार से दाहिनी तरफ़ को बची रहती है (यानी ग़ार के दरवाज़े से दाहिनी तरफ़ अलग को रहती है), और जब छुपती है तो (ग़ार के) बाई तरफ़ हटी रहती है (यानी उस वक़्त भी ग़ार के अन्दर धूप नहीं जाती ताकि उनको धूप की तपिश से तकलीफ़ न पहुँचे)। और वे लोग उस ग़ार की एक खुली जगह में थे (यानी ऐसे ग़ारों में जो आदतन कहीं तंग कहीं खुले होते हैं तो वे उस ग़ार के ऐसे स्थान पर थे जो खुला था ताकि हवा भी पहुँचे और जगह की तंगी से जी भी न घबराये)। यह अल्लाह की निशानियों में से है (कि ज़ाहिरी असबाब के विपरीत उनके लिये आराम का सामान मुहैया कर दिया। पस मालूम हुआ कि) जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसको वह बेराह कर दे तो आप उसके लिये कोई मददगार, राह बताने वाला न पाएँगे (ग़ार की जो शकल व हालत बतलाई गई है कि उसमें न सूरज निकलने के वक़्त सुबह को धूप अन्दर जाती न शाम को छुपने के वक़्त, यह इस सूरत में हो सकता है जबकि ग़ार उत्तरी दिशा या दक्षिणी दिशा में हो क्योंकि दाहिनी बाई जानिब ग़ार में दाख़िल होने वाले की मुराद हों तो ग़ार उत्तरी रुख़ का होगा और दाहिनी बाई जानिब ग़ार से निकलने वाले की मुराद हों तो ग़ार दक्षिणी रुख़ वाला होगा)।

और ऐ मुख़ातब! (तू अगर उस वक़्त जबकि वे ग़ार में गये और हमने उन पर नौद मुसल्लत कर दी उनको देखता तो) तू उनको जागता हुआ ख़्याल करता, हालाँकि वे सोते थे (क्योंकि अल्लाह की कुदरत ने उनको नौद के आसार व निशानियों से महफूज़ रखा था, जैसे साँस का बदल जाना, बदन का ढीलापन, आँखें अगर बन्द भी हों तो सोने की यक़ीनी निशानी नहीं) और (उस नौद के लम्बे ज़माने में) हम उनको (कभी) दाहिनी तरफ़ और (कभी) बाई तरफ़ करवट दे देते थे, और (उस हालत में) उनका कुत्ता (जो किसी वजह से उनके साथ आ गया था ग़ार की) दहलीज़ पर अपने दोनों हाथ फैलाये हुए (बैठा) था (और उनके रौब और अल्लाह के दिये हुए जलाल की यह हालत थी कि) अगर (ऐ मुख़ातब!) तू उनको झाँककर देखता तो उनसे पीठ फेरकर भाग खड़ा होता, और तेरे अन्दर उनकी दहशत समा जाती (इस आयत में ख़िताब

आम मुखातबीन को है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मरऊब होना लाज़िम नहीं आता, और यह तमाम सामान हक़ तअ़ाला ने उन लोगों की हिफ़ाज़त के लिये जमा कर दिये थे, क्योंकि जागते हुए आदमी पर हमला करना आसान नहीं होता, और नींद के लम्बे ज़माने में करवटों न बदली जातीं तो मिट्टी एक करवट को खा लेती, और गार के दरवाज़े पर कुत्ते का बैठना भी हिफ़ाज़त का सामान होना ज़ाहिर है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हक़ तअ़ाला ने अस्हाबे कहफ़ के तीन हाल बतलाये हैं और तीनों अजीब हैं जो उन हज़रात की करामत से आम मामूल के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हुए।

अव्वल लम्बे समय तक लगातर नींद का मुसल्लत होना और उसमें बग़ैर किसी गिज़ा वग़ैरह के ज़िन्दा रहना सबसे बड़ी करामत आम आदत व मामूल के ख़िलाफ़ है, इसकी तफ़सील तो अगली आयतों में आयेगी यहाँ इस लम्बी नींद की हालत में उनका एक हाल तो यह बतलाया है कि अल्लाह तअ़ाला ने उनको गार (खोह) के अन्दर इस तरह महफूज़ रखा था कि सुबह शाम धूप उनके करीब से गुज़रती मगर गार के अन्दर उनके जिस्मों पर न पड़ती थी। करीब से गुज़रने के फ़ायदे ज़िन्दगी के आसार का कायम रहना, हवा और सर्दी, गर्मी का नॉरभल रहना वग़ैरह थे और उनके जिस्मों पर धूप न पड़ने से जिस्मों की और उनके लिबास की हिफ़ाज़त भी थी।

धूप के उनके ऊपर न पड़ने की यह सूरत गार की किसी ख़ास शक़्त, बनावट और अन्दाज़ की बिना पर भी हो सकती है कि उसका दरवाज़ा दक्षिण या उत्तर में ऐसे अन्दाज़ पर हो कि धूप तबई और आदी तौर पर उसके अन्दर न पहुँचे, इन्हे कुतैबा रह. ने उसकी कोई ख़ास हालत और बनावट मुतैयन करने के लिये यह तकल्लुफ़ किया कि रियाज़ी (हिसाब) के उसूल व कायदों के एतिबार से उस जगह का तूले-बलद (अक्षांस) अर्ज़े-बलद (लम्बांश) और गार का रुख़ मुतैयन किया। (मज़हरी) और इसके मुक़ाबले में जुजाज़ ने कहा कि धूप का उनसे अलग रहना किसी ख़ास अन्दाज़, शक़्त व हालत और हैबत की बिना पर नहीं बल्कि उनकी करामत से बतौर आम आदत के ख़िलाफ़ था और इस आयत के आख़िर में यह जो इरशाद है 'ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि' यह भी बज़ाहिर इसी पर दलालत करता है कि धूप से हिफ़ाज़त का यह सामान गार की किसी ख़ास शक़्त व बनावट और हालत का नतीजा नहीं था बल्कि अल्लाह तअ़ाला की कामिल क़ुदरत की एक निशानी थी। (तफ़सीरे कुतुबी)

और साफ़ बात यह है कि अल्लाह तअ़ाला ने उनके लिये ऐसा सामान मुहैया फ़रमा दिया था कि धूप उनके जिस्मों पर न पड़े चाहे, यह सामान गार की हालत और बनावट व शक़्त के ज़रिये हो, या कोई बादल वग़ैरह धूप के वक़्त दरमियान में आ जाता हो, या डायरेक्ट सूरज की किरणों को उनसे एक करिशमे के तौर पर हटा दिया जाता हो, आयत में ये सब संभावनायें और गुंजाईशें हैं, किसी एक को मुतैयन करने पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं।

अस्हाबे कहफ लम्बी नींद के ज़माने में इस हालत पर थे कि देखने वाला उनको जागा हुआ समझे

दूसरा हाल यह बतलाया है कि अस्हाबे कहफ पर इतनी लम्बी मुदत तक नींद मुसल्लत कर देने के बावजूद उनके जिस्मों पर नींद के आसार न थे बल्कि ऐसी हालत थी कि उनको देखने वाला यह महसूस करे कि वे जाग रहे हैं। आम मुफ़्सीरीन ने फरमाया कि उनकी आँखें खुली हुई थीं, बदन में ढीलापन जो नींद से होता है वह नहीं था, साँस में तब्दीली जो सोने वालों के हो जाती है वह नहीं थी, ज़ाहिर यह है कि यह हालत भी असाधारण और एक किस्म की करामत ही थी जिसमें बज़ाहिर हिक्मत यह थी कि उनकी हिफ़ाज़त हो, कोई उनको सोता हुआ समझकर उन पर हमला न करे, या जो सामान उनके साथ था वह न चुरा ले। और निरंतर करवटें बदलने से भी देखने वाले को उनके जागे रहने का ख़्याल हो सकता है और करवटें बदलने में यह मस्लेहत भी थी कि मिट्टी एक करवट को न खा ले।

अस्हाबे कहफ का कुत्ता

यहाँ एक सवाल तो यह पैदा होता है कि सही हदीस में आया है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते, और सही बुख़ारी की एक हदीस में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो शर्र्क शिकारी कुत्ते या जानवरों के मुहाफ़िज़ कुत्ते के अलावा कुत्ता पालता है तो हर दिन उसके अज़्र में से दो क़ीरात घट जाते हैं (क़ीरात एक छोटे-से वज़न का नाम है) और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में एक तीसरी किस्म के कुत्ते को भी इस हुक्म से अलग रखा गया है यानी जो खेती की हिफ़ाज़त के लिये पाला गया हो।

हदीस की इन रिवायतों की बिना पर यह सवाल पैदा होता है कि उन बुजुर्ग अल्लाह वालों ने कुत्ता क्यों साथ लिया? इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि यह हुक्म कुत्ता पालने की मनाही का शरीअते मुहम्मदिया का हुक्म है, मुम्किन है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में वर्जित और मना न हो, दूसरे यह भी हो सकता है कि ये लोग जायदाद व मवेशी वाले थे उनकी हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता पाला हो और जैसे कुत्ते की वफ़ा की सिफ़त मशहूर है ये जब शहर से चले तो वह भी साथ लग लिया।

नेक सोहबत की बरकतें कि उसने कुत्ते का भी

सम्मान बढ़ा दिया

इब्ने अतीया रह. फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद ने बतलाया कि मैंने अबुल-फज़ल जौहरी

रह. का एक बयान सन् 469 हिजरी में मिस्र की जामा मस्जिद के अन्दर सुना, वह मिस्र पर यह फरमा रहे थे कि जो शख्स नेक लोगों से मुहब्बत करता है उनकी नेकी का हिस्सा उसको भी मिलता है, देखो अस्हाबे कहफ के कुत्ते ने उनसे मुहब्बत की और साथ लग लिया तो अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में उसका जिक्र फरमाया।

इमाम कर्तुबी रह. ने अपनी तफसीर में इन्हे अतीया रह. की रिवायत नकल करने के बाद फरमाया कि जब एक कुत्ता नेक लोगों और अल्लाह वालों की सोहबत से यह मकाम पा सकता है तो आप अन्दाज़ा कर लें कि खालिस और सच्चे ईमान वाले हज़रात जो औलिया-अल्लाह और नेक लोगों से मुहब्बत रखें उनका मकाम कितना बुलन्द होगा, बल्कि इस वाकिए में उन मुसलमानों के लिये तसल्ली और खुशख़बरी है जो अपने आमाल में कमज़ोर व सुस्त हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत पूरी रखते हैं।

सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया गया है कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन मस्जिद से निकल रहे थे, मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स मिला और यह सवाल किया कि या रसूलुल्लाह! कियामत कब आयेगी? आपने फरमाया कि तुमने कियामत के लिये क्या तैयारी कर रखी है (जो उसके आने की जल्दी कर रहे हो)? यह बात सुनकर वह शख्स दिल में कुछ शर्मिन्दा हुआ और फिर अर्ज़ किया कि मैंने कियामत के लिये बहुत नमाज़, रोज़े और सदक़े तो जमा नहीं किये मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखता हूँ। आपने फरमाया कि अगर ऐसा है तो (सुन लो कि) तुम (कियामत में) उसी के साथ होंगे जिससे मुहब्बत रखते हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम यह मुबारक जुमला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनकर इतने खुश हुए कि इस्लाम लाने के बाद इससे ज़्यादा खुशी कभी न हुई थी और इसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि (अल्हम्दु लिल्लाह) मैं अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, अबू बक्र व उमर से मुहब्बत रखता हूँ इसलिये इसका उम्मीदवार हूँ कि उनके साथ हूँगा। (तफसीरे कर्तुबी)

**अस्हाबे कहफ़ को अल्लाह तआला ने ऐसा रौब व जलाल
अता फरमाया था कि जो देखे डरकर भाग जाये**

لَوِاطَعَتٌ عَلَيْهِمْ

ज़ाहिर यह है कि इसमें ख़िताब आम लोगों को है, इसलिये इससे यह लाज़िम नहीं आता कि अस्हाबे कहफ़ का रौब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भी छा सकता था, आम मुखातब लोगों को फरमाया गया है कि अगर तुम उनको झाँककर देखो तो डरकर भाग जाओ और उनका रौब व हैयत तुम पर तारी हो जाये।

यह रौब व दहशत किस बिना और किन असबाब की वजह से था, इसमें बहस फुजूल है

और इसी लिये कुरआन व हदीस ने इसको बयान नहीं किया। हकीकत यह है कि अल्लाह तआला ने उनकी हिफाज़त के लिये ऐसे हालात पैदा फरमा दिये थे कि उनके बदन पर धूप न पड़े और देखने वाला उनको जागा हुआ समझे और देखने वाले पर उनकी हैबत (खौफ व दहशत) तारी हो जाये, कि पूरी तरह देख न सके। ये हालात खास तबई असबाब की बिना पर होना भी मुम्किन है और बतौर करामत व करिश्मे के भी। जब कुरआन व हदीस ने इसकी कोई खास वजह मुतैयन नहीं फरमाई तो खाली अन्दाजों और अटकलों से इसमें बहस करना बेकार है। तफसीर मज़हरी में इसी को तरजीह दी है और ताईद में इब्ने अबी शैबा, इब्ने मुन्ज़िर, इब्ने अबी हातिम की सनद से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाकिआ नक़ल किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने रूम के मुकाबले में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जिहाद किया जो ग़ज़वतुल-मुजीक के नाम से परिचित है उस सफ़र में हमारा गुज़र उस ग़ार पर हुआ जिसमें अस्हाबे कहफ़ हैं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि अस्हाबे कहफ़ की तहकीक़ और देखने के लिये ग़ार में जायें, हज़रत इब्ने अब्बास ने मना किया और कहा कि अल्लाह तआला ने आप से बड़ी और बेहतर हस्ती (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनके देखने से मना कर दिया है और यही आयत पढ़ी:

لَوَاطَلْتُمْ عَلَيْهِمْ

(इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 'लवित्तलज़ू-त अलैहिम्' का ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को था मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने अब्बास की राय को कुबूल नहीं किया (ग़ालिबन वजह यह होगी कि उन्होंने आयत का मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बजाय आम मुखातब लोगों को क़रार दिया होगा, या यह कि यह हालत कुरआन ने उस वक़्त की बयान की है जिस वक़्त अस्हाबे कहफ़ ज़िन्दा थे और सो रहे थे, अब उनकी वफ़ात को अरसा हो चुका है ज़रूरी नहीं कि अब भी वही रौब व दहशत की कैफ़ियत मौजूद हो। बहरहाल) हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास की बात कुबूल न की और चन्द आदमी तहकीक़ व देखने के लिये भेज दिये, जब ये लोग ग़ार में दाख़िल हुए तो अल्लाह तआला ने उन पर एक सख़्त गर्म हवा भेज दी जिसकी वजह से ये कुछ देख न सके। (तफ़सीर मज़हरी)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدْيَنَةِ ۚ فَلْيِظْرَرْ أَيُّهَا آدَمُ
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
 يَرْحَمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي صَلَاتِهِمْ ۚ وَلَنْ تُفْلِحُوا ۚ إِذَا أَبَدَا ۝

व कज़ालि-क बअसनाहुम्
 लि-य-तसाअलू बैनहुम्, का-ल
 काइलुम्-मिन्हुम् कम् लबिस्तुम्,
 कालू लबिस्ना यौमन् औ बअ-ज़
 यौमिन्, कालू रब्बुकुम् अअलमु
 बिमा लबिस्तुम् फब्असू अ-ह-दकुम्
 बिवरिकिकुम् हाज़िही इलल्-मदीनति
 फल्यन्ज़ुर अय्युहा अज़का तआमन्
 फल्यअतिकुम् बिरिज़किम्-मिन्हु
 वल्य-त-लत्तफ् व ला युशज़िरन्-न
 बिकुम् अ-हदा (19) इन्नहुम्
 इय्यज़हरु अलैकुम् यरज़ुमूकुम् औ
 युज़ीदूकुम् फी मिल्लतिहिम् व लन्
 तुफ्लिहू इज़न् अ-बदा (20)

और इसी तरह उनको जगा दिया हमने
 कि आपस में पूछने लगे, एक बोला उनमें
 कितनी देर ठहरे तुम? बोले हम ठहरे एक
 दिन या दिन से कम, बोले तुम्हारा रब ही
 खूब जाने जितनी देर तुम रहे हो अब
 भेजो अपने में से एक को अपना यह
 रुपया देकर इस शहर में फिर देखे कौन-
 सा खाना सुधरा है सो लाये तुम्हारे पास
 उसमें से खाना और नर्मी से जाये और
 जता न दे तुम्हारी खबर किसी को। (19)
 वे लोग अगर खबर पा लें तुम्हारी पत्थरों
 से मार डालें तुमको या लौटा लें तुमको
 अपने दिन में, और तब तो मला न होगा
 तुम्हारा कभी। (20)

खुलासा-ए-तफसीर

और (जिस तरह हमने अपनी कामिल क़ुदरत से उनको इतनी लम्बी मुद्दत तक सुलाया)
 उसी तरह (उस लम्बी नींद के बाद) हमने उनको जगा दिया, ताकि वे आपस में पूछ-ताछ करें
 (ताकि आपसी सवाल व जवाब के बाद उन पर हक़ तआला की क़ुदरत और हिक्मत ज़ाहिर हो,
 चुनाँचे) उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि (इस नींद की हालत में) तुम कितनी देर रहे होगे?
 (जवाब में) बाज़ ने कहा कि (ग़ालिबन) एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम रहे होंगे। दूसरे
 बाज़ ने कहा कि (इसकी तफ़्तीश की क्या ज़रूरत है) यह तो (ठीक-ठीक) तुम्हारे खुदा ही को
 ख़बर है कि तुम कितनी देर (सोते) रहे, अब (इस फ़ुज़ूल बहस को छोड़कर ज़रूरी काम करना
 चाहिये वह यह कि) अपने में से किसी को यह रुपया (जो कहने वाले के पास होगा क्योंकि ये
 लोग खर्च के लिये रकम भी लेकर चले थे, गर्ज़ यह कि किसी को यह रुपया) देकर शहर की
 तरफ़ भेजो, फिर (वह वहाँ पहुँचकर) खोज करे कि कौन-सा खाना हलाल है (इस जगह लफ़ज़
 अज़का की तफ़्तीर इब्ने जरीर की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत सईद बिन जुबैर से यही मन्कूल
 है कि मुराद इससे हलाल खाना है, और इसकी ज़रूरत इसलिये पेश आई कि उनकी बुत-परस्त

कौम अक्सर अपने बुतों के नाम पर जानवर जिबह किया करती थी और बाज़ार में ज्यादातर यही हराम गोश्त बिकता था), तो वह उसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना ले आये। और काम बड़ी होशियारी से करे (कि ऐसी हालत और अन्दाज़ से जाये कि कोई उसको पहचाने नहीं और खाने की तहकीक़ करने में भी यह ज़ाहिर न होने दे कि बुत के नाम पर जिबह किये हुए को हराम समझता है), और किसी को तुम्हारी ख़बर न होने दे (क्योंकि) अगर वे लोग (यानी शहर वाले जिनको अपने ख़्याल में अपने ज़माने के मुश्रिक लोग समझे हुए थे) कहीं तुम्हारी ख़बर पा जाएँगे तो तुमको या तो पत्थरों से मार डालेंगे या (ज़बरदस्ती) तुमको अपने मज़हब में फिर दाख़िल कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो तुमको कभी फ़लाह न होगी।

मज़ारिफ़ व मसाईल

कज़ालि-क। यह लफ़ज़ तशबीह व मिसाल देने के लिये है, मुराद इस जगह दो वाक़िओं का आपस में एक जैसा होना बयान करना है, एक अस्थाबे कहफ़ के वाक़िए की लम्बी नींद और लम्बी मुद्दत तक सोते रहने का है जिसका ज़िक्र किसके के शुरू में आया है:

فَصَرْنَا عَلَىٰ اٰذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

दूसरा वाक़िआ उस लम्बी मुद्दत की नींद के बाद सही सालिम और बावजूद ग़िज़ा न पहुँचने के ताक़तवर और तन्दुरुस्त उठने और जागने का है, ये दोनों अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ होने में एक जैसे हैं, इसी लिये इस आयत में जो उनके जगाने का ज़िक्र फ़रमाया तो लफ़ज़ कज़ालि-क से इशारा कर दिया कि जिस तरह उनकी नींद आम इनसानों की साधारण नींद की तरह नहीं थी उसी तरह उनका जागना भी आम नॉर्मल आदत से अलग और विशेष था, और इसके बाद जो 'लिय-तसा-अलू' फ़रमाया जिसके मायने हैं "ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे से पूछें कि नींद कितने समय तक रही?" यह उनके जगाने की इल्लत और वजह नहीं बल्कि आदी तौर पर पेश आने वाले एक वाक़िए का ज़िक्र है इसलिये इसके लाम को मुफ़स्सिरीन हज़रत ने लाम-ए-आकिबत या लाम-ए-सैरूरत का नाम दिया है (यह अरबी ग्रामर की बात है)। (अबू हय्यान, कुर्तुबी)

खुलासा यह है कि जिस तरह उनकी लम्बी नींद कुदरत की एक निशानी थी उसी तरह सैंकड़ों साल के बाद बग़ैर किसी ग़िज़ा के ताक़तवर, तन्दुरुस्त हालत में जागकर बैठ जाना भी अल्लाह की कामिल कुदरत की निशानी थी, और चूँकि कुदरत को यह भी मन्ज़ूर था कि खुद उन लोगों पर भी यह हकीक़त खुल जाये कि सैंकड़ों बरस सोते रहे तो इसकी शुरूआत आपस के सवालात से हुई, और अंत उस वाक़िए पर हुआ जिसका ज़िक्र अगली आयत यानी नम्बर 21 में आया है, कि शहर के लोगों पर उनका राज़ खुल गया और मुद्दत के मुतैयन करने में मतभेद के बावजूद लम्बे ज़माने तक ग़ार में सोते रहने का सब को यकीन हो गया।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ

किस्से के शुरू में जो बात संक्षिप्त रूप से कही गई थी कि ग़ार में रहने की मुद्दत के मुताल्लिक आपस में मतभेद हुआ, उनमें से एक जमाअत का कौल सही था यह उसकी तफ़सील है कि अस्थाबे कहफ़ में से एक शख्स ने सवाल उठाया कि तुम कितना सोये हो? तो कुछ ने जवाब दिया कि एक दिन या दिन का एक हिस्सा, क्योंकि ये लोग सुबह के वक़्त ग़ार में दाख़िल हुए थे और जागने का वक़्त शाम का वक़्त था, इसलिये ख़्याल यह हुआ कि यह वही दिन है जिसमें हम ग़ार में दाख़िल हुए थे और सोने की मुद्दत त़क़रीबन एक दिन है, मगर उन्हीं में से दूसरे लोगों को कुछ यह एहसास हुआ कि शायद यह वह दिन नहीं जिसमें दाख़िल हुए थे फिर मालूम नहीं कितने दिन हो गये इसलिये उसके इल्म को खुदा के हवाले किया:

فَأَلْوَارِيكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

और इस बहस को ग़ैर-ज़रूरी समझकर असल काम की तरफ़ तवज्जोह दिलाई कि शहर से कुछ खाना लाने के लिये एक आदमी को भेज दिया जाये।

'इलल्-मदीनति'। इस लफ़्ज़ से इतना तो साबित हुआ कि ग़ार के करीब बड़ा शहर था जहाँ ये लोग रहते थे, उस शहर के नाम के बारे में अबू हय्यान ने तफ़सीर बहरे-मुहीत में फ़रमाया कि जिस ज़माने में अस्थाबे कहफ़ यहाँ से निकले थे उस वक़्त उस शहर का नाम अफ़सोस था और अब उसका नाम तरतूस है। इमाम कूर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया कि बुत-परस्तों के उस शहर पर ग़लबे और जाहिलीयत के ज़माने में उसका नाम अफ़सोस था, जब उस ज़माने के मुसलमान यानी ईसाई लोग उस पर ग़ालिब आये तो उसका नाम तरतूस रख दिया।

'बि-वरिकिकुम' से मालूम हुआ कि ये हज़रात ग़ार में आने के वक़्त अपने साथ कुछ रक़म रुपया-पैसा भी साथ लाये थे। इससे मालूम हुआ कि ज़रूरी ख़र्च का एहतिमांम करना परहेज़गारी व तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं। (तफ़सीर बहरे-मुहीत)

أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا

लफ़्ज़ अज़का के लफ़्ज़ी मायने पाक-साफ़ के हैं। तफ़सीर इब्ने जुबैर के मुताबिक़ इससे मुराद हलाल खाना है और इसकी ज़रूरत इसलिये महसूस की कि जिस ज़माने में ये लोग शहर से निकले थे वहाँ बुतों के नाम का ज़बीह (जानवरों को ज़िबह करना) होता और वही बाज़ारों में फ़रोख़्त होता था, इसलिये जाने वाले को यह ताकीद की कि इसकी तहक़ीक़ करके खाना लाये कि यह खाना हलाल भी है या नहीं।

मसला: इससे मालूम हुआ कि जिस शहर या जिस बाज़ार, होटल में अक्सरियत हराम खाने की हो वहाँ का खाना बग़ैर तहक़ीक़ के खाना जायज़ नहीं।

أَوَّلُ جُمُوعِكُمْ

रजम के मायने संगसार करने के हैं। बादशाह ने ग़ार में जाने से पहले उनको धमकी दी थी कि अगर अपना यह दीन न छोड़ोगे तो क़त्ल कर दिये जाओगे। इस आयत से मालूम हुआ कि उनके यहाँ उनके दीन से फिर जाने वाले की क़त्ल की सज़ा संगसारी (पत्थर भार-मारकर ख़त्म

करने) की सूरत में दी जाती थी ताकि सब लोग उसमें शरीक हों, और सारी कौम अपने गुस्से व नाराज़गी का इज़हार करके क़त्ल करे।

इस्लामी शरीअत में शादीशुदा मर्द व औरत के ज़िना की सज़ा भी जो संगसार करके क़त्ल करना तजवीज़ किया गया है शायद इसका भी मंशा यह हो कि जिस शख्स ने हया के सारे पदों को तोड़कर इस बुरे काम का अपराध किया है उसका क़त्ल सार्वजनिक तौर पर सब लोगों की शिर्कत के साथ होना चाहिये ताकि उसकी रुस्वाई भी पूरी हो और सब मुसलमान अमली तौर पर अपने गुस्से व नाराज़गी का इज़हार करें, ताकि आईन्दा कौम में इस हरकत को दोहराया न जा सके।

فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ

इस वाक़िए में अस्हाबे कहफ़ की जमाअत ने अपने में से एक आदमी को शहर भेजने के लिये चुना और रक़म उसके हवाले की कि वह खाना ख़रीद कर लाये। इमाम कुर्तुबी ने इब्ने खुवैज़ मिन्दाद के हवाले से फ़रमाया कि इससे चन्द फ़िक्ही मसाईल हासिल हुए।

चन्द मसाईल

पहला यह कि माल में शिर्कत जायज़ है क्योंकि यह रक़म सब की साज़ा थी। दूसरे यह कि माल में वकालत (वकील बनाना) जायज़ है कि साज़ा माल में कोई एक शख्स वकील की हैसियत से दूसरों की इजाज़त से अपने इख्तियार से खर्च करे। तीसरे यह कि चन्द साथी अगर खाने में शिर्कत रखें यह जायज़ है अगरचे खाने की मात्रायें आदतन भिन्न और अलग-अलग होती हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा।

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَاوَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا إِنَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝

व कज़ालि-क अज़सर्ना अलैहिम्
लि-यअल्लमू अन्-न वअदल्लाहि
हक्कुव्-व अन्नस्साज़-त ला रै-ब
फीहा, इज़् य-तनाज़अ-न बैनहुम्
अम्रहुम् फ़कालुब्ू अलैहिम् बुन्यानन्,
रब्बुहुम् अज़लमु बिहिम्, कालल्लज़ी-न

और इसी तरह ख़बर ज़ाहिर कर दी हमने
उनकी ताकि लोग जान लें कि अल्लाह
का वायदा ठीक है, और क़ियामत के
आने में धोखा नहीं, जब झगड़ रहे थे
आपस में अपनी बात पर फिर कहने लगे
बनाओ उन पर एक इमारत, उनका रब
ख़ूब जानता है उनका हाल, बोले वे लोग

ग-लबू अला अम्रिहिम् ल-नत्तख्रिज्जान्-न
अलैहिम् मस्जिदा (21)

जिनका काम गालिब था हम बनायेंगे
उनकी जगह पर इबादत-ख़ाना। (21)

खुलासा-ए-तफसीर

और (हमने जिस तरह अपनी क़ुदरत से उनको सुलाया और जगाया) इसी तरह हमने (अपनी क़ुदरत व हिक्मत से उस ज़माने के) लोगों को उन (के हाल) पर बाख़बर कर दिया, ताकि (और बहुत से फ़ायदों के साथ एक फ़ायदा यह भी हो कि) वे लोग (इस वाकिए से दलील पकड़ करके) इस बात का यकीन (या ज़्यादा यकीन) कर लें कि अल्लाह तआला का वायदा सच्चा है, और वह यह कि क़ियामत में कोई शक नहीं (ये लोग अगर पहले से क़ियामत में ज़िन्दा होने पर ईमान रखते थे तो ज़्यादा यकीन इस वाकिए से हो गया और अगर क़ियामत के इनकारी थे तो अब यकीन हासिल हो गया। यह वाक़िआ तो अस्ताबे कहफ़ की ज़िन्दगी में पेश आया फिर इन हज़रात ने वहीं ग़ार में वफ़ात पाई तो इनके बारे में उस ज़माने के लोगों में मतभेद हुआ जिसको आगे बयान फ़रमाया है कि) वह वक़्त भी ज़िक्र के क़ाबिल है जबकि उस ज़माने के लोग उनके मामले में आपस में झगड़ रहे थे (और वह मामला उस ग़ार का मुँह बन्द करना था ताकि उनकी लाशें सुरक्षित रहें या उनकी यादगार क़ायम करना उद्देश्य था) तो उन लोगों ने कहा कि उनके (ग़ार के) पास कोई इमारत बनवा दो (फिर मतभेद हुआ कि वह इमारत क्या हो, इसमें रायें भिन्न और अलग-अलग हुईं तो मतभेद के वक़्त) उनका ख़ब उन (के विभिन्न हालात) को ख़ूब जानता था (आख़िरकार) जो लोग अपने काम पर ग़ालिब थे (यानी जिनके हाथ में सत्ता और हुकूमत थी जो उस वक़्त हक़ दीन पर क़ायम थे) उन्होंने कहा कि हम तो उनके पास एक मस्जिद बना देंगे (ताकि मस्जिद इस बात की भी निशानी रहे कि ये लोग खुद आबिद थे, माबूद "पूज्य" न थे, और दूसरी इमारतों में यह संदेह व गुमान था कि आगे आने वाले उन्हीं को माबूद न बना लें)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَكَذَلِكَ أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ

इस आयत में अस्ताबे कहफ़ के राज़ का शहर वालों पर खुल जाना और इसकी हिक्मत, आख़िरत व क़ियामत का अक़ीदा कि सब मुर्दे दोबारा ज़िन्दा होंगे इस पर ईमान व यकीन हासिल होना बयान फ़रमाया है। तफ़सीरी क़ुर्तुबी में इसका मुख़त्सर किस्सा इस तरह बयान किया गया है कि:

अस्ताबे कहफ़ का हाल शहर वालों पर खुल जाना

अस्ताबे कहफ़ के निकलने के वक़्त जो ज़ालिम और मुश्रिक बादशाह दक़ियानूस उस शहर

पर काबिज़ था वह मर गया और उस पर सदियों गुज़र गईं, यहाँ तक कि उस हुकूमत पर कब्ज़ा हक़ और ईमान वालों का हो गया जो तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने) पर यकीन रखते थे। उनका बादशाह एक नेक सालेह आदमी था (जिसका नाम तफ़सीरे मजहरी में तारीख़ी रिवायतों से बैदूसीस लिखा है) उसके ज़माने में इत्तिफ़ाक़ से कियामत और उसमें सब मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होने के मसले में कुछ मतभेद और झगड़े फैल गये, एक फ़िर्का इसका इनकारी हो गया कि ये बदन गलने सड़ने, फिर टुकड़े-टुकड़े होकर सारी दुनिया में फैल जाने के बाद फिर ज़िन्दा हो जायेंगे। उस वक़्त के बादशाह बैदूसीस को इसकी फ़िक्र हुई कि किस तरह उनके शक़ और शुब्हे दूर किये जायें। जब कोई तदबीर न बनी तो उसने टाट के कपड़े पहने और राख़ के ढेर पर बैठकर अल्लाह से दुआ की और रोना-गिड़गिड़ाना शुरू किया कि या अल्लाह! आप ही कोई ऐसी सूत्र पैदा फ़रमा दें कि इन लोगों का अज़ीदा सही हो जाये और ये राह पर आ जायें। इस तरफ़ यह बादशाह रोने, फ़रियाद करने और दुआ में मसरूफ़ था दूसरी तरफ़ अल्लाह तआला ने इसकी दुआ की कुबूलियत का यह सामान कर दिया कि अस्हाबे कहफ़ जाग गये और उन्होंने अपने एक आदमी को (जिसका नाम तमलीखा बतलाया जाता है) उनके बाज़ार में भेज दिया। वह खाना ख़रीदने के लिये दुकान पर पहुँचा और तीन सौ बरस पहले बादशाह दकियानूस के ज़माने का सिक्का खाने की कीमत में पेश किया तो दुकानदार हैरान रह गया कि यह सिक्का कहाँ से आया? किस ज़माने का है? बाज़ार के दूसरे दुकानदारों को दिखलाया सब ने यह कहा कि इस शख्स को कहीं से पुराना खज़ाना हाथ आ गया है, उसमें से यह सिक्का निकाल कर लाया है। उसने इनकार किया कि न मुझे कोई खज़ाना मिला न कहीं से लाया, यह मेरा अपना रुपया है।

बाज़ार वालों ने उसको पकड़ करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। यह बादशाह जैसा कि ऊपर बयान हुआ है एक नेक सालेह अल्लाह वाला था, और इसने सलतनत के पुराने खज़ाने के पुराने आसार में कहीं वह तख़्ती भी देखी थी जिसमें अस्हाबे कहफ़ के नाम और उनके फ़रार हो जाने का वाक़िआ भी लिखा हुआ था। कुछ हज़रात के नज़दीक खुद ज़ालिम बादशाह दकियानूस ने यह तख़्ती लिखवाई थी कि ये इश्तिहारी मुजरिम हैं, इनके नाम और पते सुरक्षित रहें, जब कहीं मिलें गिरफ़्तार कर लिये जायें, और कुछ रिवायतों में है कि शाही दफ़्तर में कुछ ऐसे मोमिन भी थे जो दिल से बुत-परस्ती को बुरा समझते और अस्हाबे कहफ़ को हक़ पर समझते थे मगर ज़ाहिर करने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने यह तख़्ती बतौर यादगार के लिख ली थी, उसी तख़्ती का नाम रक़ीम है जिसकी वजह से अस्हाबे कहफ़ को अस्हाबे रक़ीम भी कहा गया।

गुर्ज़ यह कि उस बादशाह को इस वाक़िए का कुछ इल्म था और उस वक़्त वह इस दुआ में मशगूल था कि किसी तरह लोगों को इस बात का यकीन आ जाये कि मुर्दा जिस्मों को दोबारा ज़िन्दा कर देना अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत के सामने कुछ मुश्किल नहीं।

इसी लिये तमलीखा से उसके हातात की तहकीक़ की तो उसको इत्मीनान हो गया कि यह

उन्हीं लोगों में से है और उसने कहा कि मैं तो अल्लाह तआला से दुआ किया करता था कि मुझे उन लोगों से मिला दे जो दकियानूस के ज़माने में अपना ईमान बचाकर भागे थे, बादशाह इस पर खुश हुआ और कहा कि शायद अल्लाह तआला ने मेरी दुआ कुबूल फ़रमाई, इसमें लोगों के लिये शायद कोई हुज्जत (दलील और निशानी) हो जिससे उनको जिस्मों के साथ दोबारा ज़िन्दा होने का यकीन आ जाये, यह कहकर उस शख्स से कहा कि मुझे उस ग़ार पर ले चलो जहाँ से तुम आये हो।

बादशाह बहुत से शहर वालों के मजमे के साथ ग़ार पर पहुँचा, जब ग़ार क़रीब आया तो तमलीखा ने कहा कि आप ज़रा ठहरें मैं जाकर अपने साथियों को असल मामले से बाख़बर कर दूँ कि अब बादशाह मुसलमान तौहीद वाला है और क़ौम भी मुसलमान है, वे मिलने के लिये आये हैं, ऐसा न हो कि इत्तिला से पहले आप पहुँचें तो वे समझें कि हमारा दुश्मन बादशाह चढ़ आया है। इसके मुताबिक़ तमलीखा ने पहले जाकर साथियों को तमाम हालत सुनाये तो वे लोग इससे बहुत खुश हुए, बादशाह का स्वागत अदब व सम्मान के साथ किया, फिर वे अपने ग़ार की तरफ़ लौट गये, और अक्सर रिवायतों में यह है कि जिस वक़्त तमलीखा ने साथियों को यह सारा किस्सा सुनाया उसी वक़्त सब की वफ़ात हो गई, बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकी। तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने इस जगह यह रिवायत नक़ल की है कि मुलाकात के बाद ग़ार वालों ने बादशाह और शहर वालों से कहा कि अब हम आप से रुख़सत चाहते हैं और ग़ार के अन्दर चले गये, उसी वक़्त अल्लाह तआला ने उन सब को वफ़ात दे दी। और बात यह है कि सही हकीक़त का इल्म तो अल्लाह तआला ही को है।

बहरहाल! अब शहर वालों के सामने अल्लाह तआला की क़ुदरत का यह अज़ीब वाकिआ जाहिर होकर आ गया तो सब को यकीन हो गया कि जिस ज़ात की क़ुदरत में यह दाख़िल है कि तीन सौ बरस तक ज़िन्दा इनसानों को बग़ैर किसी ग़िज़ा और ज़िन्दगी के सामान के ज़िन्दा रखे और इस लम्बे समय तक उनको नींद में रखने के बाद फिर सही सालिम, ताक़तवर, तन्दुरुस्त उठा दे, उसके लिये यह क्या मुशिकल है कि मरने के बाद भी फिर इन जिस्मों को ज़िन्दा कर दे। इस वाकिए से उनके इनकार का सबब दूर हो गया कि जिस्मों के उठाये जाने को मुहाल और क़ुदरत से ख़ारिज समझते थे। अब मालूम हुआ कि मालिकुल-मलकूत की क़ुदरत को इनसानी क़ुदरत पर अन्दाज़ा करना खुद जहालत है।

इसी की तरफ़ इस आयत में इशारा फ़रमाया:

لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا.

यानी हमने अस्हाबे कहफ़ को लम्बे ज़माने तक सुलाने के बाद जगाकर बैठा दिया ताकि लोग समझ लें कि अल्लाह का वायदा यानी क़ियामत में सब मुर्दों के जिस्मों को ज़िन्दा करने का वायदा सच्चा है और क़ियामत के आने में कोई शुब्हा नहीं।

अस्हाबे कहफ की वफात के बाद लोगों में मतभेद

अस्हाबे कहफ की बड़ाई और पाकीजगी के तो सब ही कायल हो चुके थे, उनकी वफात के बाद सब का ख्याल हुआ कि गार के पास कोई इमारत बतौर यादगार के बनाई जाये। इमारत के बारे में मतभेद हुआ, कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि शहर वालों में अब भी कुछ बुत-परस्त लोग मौजूद थे, वे भी अस्हाबे कहफ की ज़ियारत को आते थे, उन लोगों ने इमारत बनाने में यह राय दी कि कोई आम फायदे की इमारत बना दी जाये मगर हुकूमत के ज़िम्मेदार और बादशाह मुसलमान थे और उन्हीं का ग़लबा था, उनकी राय यह हुई कि यहाँ मस्जिद बना दी जाये जो यादगार भी रहे और आईन्दा बुत-परस्ती से बचाने का सबब भी बने। यहाँ इस मतभेद का ज़िक्र करते हुए दरमियान में कुरआन का यह जुमला है:

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

यानी उनका रब उनके हालात को पूरी तरह जानता है।

तफसीर बहरे-मुहीत में इस जुमले के मायने में दो ख्याल व संभावनायें जिक्र किये हैं, एक यह कि यह कौल उन्हीं हाज़िर होने वाले शहर वालों का हो, क्योंकि उनकी वफात के बाद जब उनकी यादगार बनाने की राय हुई तो जैसा कि उमूमन यादगारी तामीरात में उन लोगों के नाम और ख़ास हालात का कतबा (लिखित प्लेट वगैरह) लगाया जाता है जिनकी यादगार में तामीर की गई है तो उनके नसब (खानदान) और हालात के बारे में विभिन्न गुफ्तगूएँ होने लगीं, जब किसी हकीकत पर न पहुँचे तो खुद उन्होंने ही आखिर में अज़िज़ होकर कह दिया:

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

और यह कहकर असल काम यानी यादगार बनाने की तरफ़ मुतवज्जह हो गये, जो लोग ग़ालिब थे उनकी राय मस्जिद बनाने की हो गई।

दूसरा गुमान व संभावना यह भी है कि यह कलाम हक़ तअ़ाला की तरफ़ से है जिसमें उस ज़माने के आपसी झगड़ा और इख़्तिलाफ़ करने वालों को तंबीह की गई है कि जब तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं और उसके इल्म के साधन व माध्यम भी तुम्हारे पास नहीं तो क्यों इस बहस में वक़्त जाया करते हो, और मुम्किन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में यहूद वगैरह जो इस वाकिए में इसी तरह की बेअसल बातें और बहसें किया करते थे उनको तंबीह करना मक़सूद हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तअ़ाला आलम

मसला: इस वाकिए से इतना मालूम हुआ कि नेक लोगों और औलिया-अल्लाह की क़ब्रों के पास नमाज़ के लिये मस्जिद बना देना कोई गुनाह नहीं, और जिस हदीस में नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर लानत के अलफ़ाज़ आये हैं उससे मुराद खुद क़ब्रों को सज्दे का मक़ाम बना देना है, जो सब के नज़दीक शिर्क व हराम है। (तफसीरे मज़हरी)

سَيَقُولُونَ كَلْشَاءَ رَبِّاعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةَ سَادُسُهُمْ كَلْبُهُمْ
 وَجَمًّا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةَ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِبَادَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ؕ
 فَلَا تَمَارِقُ مِنْهُمْ إِلَّا مُرَاةً ظَاهِرًا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

स-यकूलू-न सला-सतुर-राबिअुहुम्
 कल्बुहुम् व यकूलू-न खाम्सतुन्
 सादिसुहुम् कल्बुहुम् रज्मम्-बिल्बैबि
 व यकूलू-न सबअतुं-व सामिनुहुम्
 कल्बुहुम्, कुरब्बी अअलमु
 बिअिद्दतिहिम् मा यअलमुहुम् इल्ला
 कलीलुन्, फला तुमारि फीहिम् इल्ला
 मिरान् ज़ाहिरि-व ला तस्तफ़ित
 फीहिम् मिन्हुम् अ-हदा (22) ❁

अब यही कहेंगे वे तीन हैं चौथा उनका कुत्ता, और यह भी कहेंगे वे पाँच हैं छठा उनका कुत्ता, बिना निशाना देखे पत्थर चलाना, और यह भी कहेंगे वे सात हैं और आठवाँ उनका कुत्ता, तू कह मेरा रब खूब जानता है उनकी गिनती, उनकी ख़बर नहीं रखते मगर थोड़े लोग, सो मत झगड़ उनकी बात में मगर सरसरी झगड़ा, और मत तहकीक़ कर उनका हाल उनमें किसी से। (22) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

(जिस वक़्त अस्हाबे कहफ़ का किस्सा बयान करेंगे तो) कुछ लोग तो कहेंगे कि वे तीन हैं चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे कि वे पाँच हैं छठा उनका कुत्ता है, (और) ये लोग बिना छाने-फटके बात को हाँक रहे हैं, और कुछ कहेंगे कि वे सात हैं आठवाँ उनका कुत्ता है, आप (उन मतभेद करने वालों से) कह दीजिये कि मेरा रब उनकी गिनती खूब (सही-सही) जानता है (कि इन विभिन्न अक़वाल में कोई कौल सही भी है या सब गलत हैं) उन (की गिनती) को (सही-सही) बहुत कम लोग जानते हैं (और चूँकि तादाद मुतैयन करने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था इसलिये आयत में कोई स्पष्ट फ़ैसला नहीं फ़रमाया, लेकिन रिवायतों में हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा से यह मन्कूल है कि उन्होंने फ़रमाया:

انامن القليل كانوا سبعة

यानी मैं भी उन कम लोगों में दाख़िल हूँ जिनके बारे में कुरआन ने फ़रमाया कि कम लोग जानते हैं, वे सात थे। जैसा कि तफ़सीर दुर्र-मन्सूर अबी हातिम वगैरह के हवाले से बयान किया गया है, और आयत में भी इस कौल के सही होने का इशारा पाया जाता है, क्योंकि इस कौल को नक़ल करके इसको रद्द नहीं फ़रमाया बख़िलाफ़ पहले दोनों कौल के कि उनकी तरदीद में 'रजमम् बिल्बैबि' फ़रमाया गया है। यल्लाहु आलम। सो (इस पर भी अगर वे लोग झगड़ने से

बाज़ न आयें तो) आप उनके बारे में सरसरी बहस के अलावा ज्यादा बहस न कीजिए (यानी मुख्तसर तौर पर तो उनके ख्यालात का रह कुरआन की आयतों में आ ही चुका है जो 'रजमम् बिल्लुगैबि कुर'ब्बी अज़लम्' से बयान कर दिया गया है। पस सरसरी बहस यही है कि इसको काफी समझें, उनके एतिराज़ के जवाब में इससे ज्यादा मशगूल होना और अपने दावे को साबित करने में ज्यादा कोशिश करना मुनासिब नहीं क्योंकि यह बहस ही कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रखती) और आप उन (अस्ताबे कहफ) के बारे में उन लोगों-में से किसी से भी कुछ न पूछिये (जिस तरह आपको उनके एतिराज़ व जवाब में ज्यादा कोशिश से मना किया गया इसी तरह इसकी भी मनाही फ़रमा दी कि अब इस मामले के संबन्ध में किसी से सवाल या तहकीक़ करें, क्योंकि जितनी बात ज़रूरी थी वह वही में आ गई, ग़ैर-ज़रूरी सवालात और तहकीकात नबियों की शान के खिलाफ़ है)।

मअरिफ़ व मसाईल

मतभेदी और विवादित बहसों में बातचीत के आदाब

'स-यकूलू-न' यानी वे लौंग कहेंगे। वे कहने वाले लोग कौन होंगे, इसमें दो गुमान व संभावनायें हैं एक यह कि इनसे मुराद वही लोग हों जिनका अस्ताबे कहफ़ के ज़माने, नाम व खानदान वगैरह के बारे में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसका ज़िक्र इससे पहली आयत में आया है। उन्हीं लोगों में से कुछ ने उनकी संख्या के बारे में पहला, कुछ ने दूसरा, कुछ ने तीसरा कौल इख़्तियार किया था। (इसको तफ़सीर, बहरे-मुहीत में बयान किया गया है)

और दूसरी संभावना यह है कि इन कहने वालों से मुराद नजरान के ईसाई लोग हों, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनकी संख्या के बारे में मुनाज़रा किया था, उनके तीन फ़िर्क़ थे— एक फ़िर्का मलकानिया के नाम से नामित था, उसने संख्या के बारे में पहला कौल कहा, यानी तीन का अदद बतलाया। दूसरा फ़िर्का याक़ूबिया था उसने दूसरा कौल यानी पाँच होना इख़्तियार किया। तीसरा फ़िर्का नस्तूरिया था इसने तीसरा कौल कहा कि सात थे और कुछ ने कहा कि यह तीसरा कौल मुसलमानों का था और आख़िंकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़बर और कुरआन के इशारे से तीसरे कौल का सही होना मालूम हुआ।

(तफ़सीर बहरे-मुहीत)

'व सामिनुहुम' (और उनमें का आठवाँ) यहाँ यह नुक्ता ध्यान देने के काबिल है कि इस जगह अस्ताबे कहफ़ की गिनती में तीन कौल नक़ल किये गये हैं— तीन, पाँच, सात, और हर एक के बाद उनके कुत्ते को शुमार किया गया है, लेकिन पहले दो कौल में उनकी तादाद और कुत्ते के गिनने में वाव आतिफ़ा नहीं लाया गया 'सलासतुराबिअहुम कल्बुहुम' और 'ख़मसतुन् सादिसुहुम कल्बुहुम' बिना वाव आतिफ़ा के आया और तीसरे कौल में 'सब्अतुन' के बाद वाव आतिफ़ा के साथ 'सब्अतुन्-व सामिनुहुम कल्बुहुम' फ़रमाया।

इसकी वजह मुफस्सिरीन हज़रत ने यह लिखी है कि अरब के लोगों में अदद की पहली गिरह सात ही होती थी, सात के बाद जो अदद आये वह अलग-सा शुमार होता था, जैसा कि आजकल नौ का अदद इसके कायम-मक़ाम है कि नौ तक इकाई है दस से दहाई शुरू होती है एक अलग-सा अदद होता है, इसी लिये तीन से लेकर सात तक जो तादाद शुमार करते तो उस में वाव आतिफ़ा (मिलाने वाली वाव) नहीं लाते थे, सात के बाद कोई अदद बतलाना होता तो वाव आतिफ़ा के साथ अलग करके बतलाते थे, और इसी लिये इस वाव को 'वाव समान' (आठ वाली वाव) का लक़ब दिया जाता था। (तफसीरे मजहरी वगैरह)

अस्हाबे कहफ़ के नाम

असल बात तो यह है कि किसी सही हदीस से अस्हाबे कहफ़ के नाम सही-सही साबित नहीं, तफसीरी और तारीख़ी रिवायतों में नाम अलग-अलग बयान किये गये हैं, उनमें ज़्यादा करीब और सही वह रिवायत है जिसको तबरानी ने 'मोजम-ए-औसत' में सही सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि उनके नाम ये थे:

مُكْسَلِيْمًا، تَمْلِيْحًا، مَرْطُوْنَسٌ، سَوْنَسٌ، سَارِيْتُوْنَسٌ، ذُوْنُوْنَسٌ، كَعْمَطُوْنَسٌ.

मुक्सलमीना, तम्लीखा, मरतूनस, सनूनस, सारीनूनस, जून-वास, कअस्तितुयूनस।

فَلَا تَمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرْآءٌ ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفِيْ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا

यानी आप अस्हाबे कहफ़ की संख्या वगैरह के बारे में उनके साथ बहस व मुबाहसे में अपनी ऊर्जा बरबाद न करें, बल्कि सरसरी बहस फरमायें, और उन लोगों से आप खुद भी कोई सवाल इसके बारे में न करें।

विवादित और मतभेदी मामलों में लम्बी बहसों से बचना चाहिये

इन दोनों जुमलों में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को जो तालीम दी गई है वह दर हकीकत उम्मत के उलेमा के लिये अहम रहनुमा उसूल हैं कि जब किसी मसले में इख़िलाफ़ (मतभेद व विवाद) पेश आये तो जिस कद्र ज़रूरी बात है उसको स्पष्ट करके बयान कर दिया जाये उसके बाद भी लोग ग़ैर-ज़रूरी बहस में उलझें तो उनके साथ सरसरी बातचीत करके बहस ख़त्म कर दी जाये, अपने दावे को साबित करने, कोशिश व मेहनत और उनकी बात को रद्द करने में बहुत जोर लगाने से गुरेज़ किया जाये क्योंकि इसका कोई खास फायदा तो है नहीं ज़्यादा बहस व तकरार में वक़्त की बरबादी भी है और आपस में तल्ख़ी (कड़वाहट) पैदा होने का ख़तरा भी।

दूसरी हिदायत दूसरे जुमले में यह दी गई है कि अल्लाह की वही के ज़रिये से अस्हाबे कहफ़ के किस्से की जितनी मालूमात आपको दे दी गई हैं उन पर कनाअत फरमायें कि वे बिल्कुल काफ़ी हैं, ज़्यादा की तहकीकात और लोगों से सवाल वगैरह में न पड़ें। और दूसरों से सवालात का एक पहलू यह भी हो सकता है कि उनकी जहालत या नावाक़िफ़ियत ज़ाहिर करने

और उनको जलील करने के लिये सवाल किया जाये, यह भी नबियों के अख्ताक के खिलाफ है, इसलिये दूसरे लोगों से दोनों तरह के सवाल करना मना कर दिया गया, यानी अतिरिक्त तहकीक के लिये हो या मुखातब की कम-इल्मी जाहिर करने और रुखा करने के लिये हो।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ءِإِنِّي فَأَعْلَىٰ ذَٰلِكَ عَدُوًّا ۗ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَإِذْ كُنتَ مِن بَيْنِ

إِذَا أَسْبَيْتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشْدًا ۗ وَكَيْتُبُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ ۖ وَازْدَادُوا تَسْعًا ۗ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّعَلَىٰ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ

व ला तकूलन्-न लिशौइन् इन्नी
फाअिलुन् जालि-क गदा (23) इल्ला
अंग्यशा-अल्लाह, वज्कुर-रब्ब-क
इजा नसी-त व कुल् असा
अंग्यस्दि-यनि रब्बी लिअकर-ब मिन्
हाजा र-शदा (24) व लबिसू फी
कत्फिहिम् सला-स मि-अतिन् सिनी-न
वज्दादू तिसुआ (25) कुलिल्लाहु
अज्लमु बिमा लबिसू लहू
गैबुस्समावाति वल्अर्जि अब्बिर् बिही
व अस्मिअ, मा लहुम् मिन् दूनिही
मिंत्वलिद्यिं-व-व ला युशिरकु फी
हुक्मिही अ-हदा (26)

और न कहना किसी काम को कि मैं
करूँगा कल को (23) मगर यह कि अल्लाह
चाहे, और याद कर ले अपने रब को जब
भूल जाये और कह उम्मीद है कि मेरा रब
मुझको दिखलाये इससे ज्यादा नजदीक
राह नेकी की। (24) और मुद्दत गुजरी
उन पर अपनी खोह में तीन सौ बरस
और उनके ऊपर नौ। (25) तू कह अल्लाह
खूब जानता है जितनी मुद्दत उन पर
गुजरी, उसी के पास हैं छुपे मेद आसमान
और जमीन के, क्या अजीब देखता है
और सुनता है, कोई नहीं बन्दों पर उसके
सिवा मुद्दतार, और नहीं शरीक करता
अपने हुक्म में किसी को। (26)

खुलासा-ए-तफसीर

(और अगर लोग आप से कोई बात काबिले जवाब पूछें और आप जवाब का वायदा करें तो उसके साथ इन्शा-अल्लाह तआला या इसके जैसे मायनों वाला कोई लफ्ज़ जरूर मिला लिया करें, बल्कि वायदे की भी विशेषता नहीं हर-हर काम में इसका लिहाज़ रखिये कि) आप किसी काम के बारे में यूँ न कहा कीजिए कि मैं इसको (जैसे) कल कर दूँगा, मगर खुदा तआला के चाहने को (उसके साथ) मिला दिया कीजिए (यानी इन्शा-अल्लाह वगैरह भी साथ कह दिया

कीजिये और आईन्दा भी ऐसा न हो जैसा कि इस वाक़िफ़ में पेश आया कि आप से लोगों ने रूह और अस्थाबे कहफ़ और जुल्करनैन के बारे में सवालात किये, आपने बग़ैर इन्शा-अल्लाह कहे उनसे कल जवाब देने का वायदा कर लिया, फिर पन्द्रह दिन तक वही नाज़िल न हुई और आपको बड़ा ग़म हुआ। इस हिदायत के साथ उन लोगों के सवाल का जवाब भी नाज़िल हुआ। जैसा कि लुबाब में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान किया गया है।

और जब आप (इत्तिफ़ाक़ से इन्शा-अल्लाह कहना) भूल जाँएँ (और फिर कभी याद आये) तो (उसी वक़्त इन्शा-अल्लाह कहकर) अपने रब का ज़िक्र कर लिया कीजिए और (उन लोगों से यह भी) कह दीजिए कि मुझको उम्मीद है कि मेरा रब मुझको (नुबुव्वत की दलील बनने के एतिबार से) इस (किस्से) से भी नज़दीकी बात बतला दे (मतलब यह है कि तुमने मेरी नुबुव्वत का इम्तिहान लेने के लिये अस्थाबे कहफ़ वग़ैरह के किस्से पूछे जो अल्लाह तआला ने वही के ज़रिये मुझे बतलाकर तुम्हारी संतुष्टि कर दी मगर असल बात यह है कि इन किस्सों के सवाल व जवाब नुबुव्वत को साबित करने के लिये कोई बहुत बड़ी दलील नहीं हो सकती, यह काम तो कोई ग़ैर-नबी भी जे दुनिया की तारीख़ से ज़्यादा वाक़िफ़ हो वह भी कर सकता है, मगर मुझे तो अल्लाह तआला ने मेरी नुबुव्वत के साबित करने के लिये इससे भी बड़े न कटने वाले दलाईल और भोजिजे अता फ़रमाये हैं जिनमें सबसे बड़ी दलील तो खुद कुरआन है जिसकी एक आयत की भी सारी दुनिया मिलकर नक़ल नहीं उतार सकी, इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कियामत तक के वो वाक़िआत वही के ज़रिये मुझे बतला दिये गये हैं जो ज़माने के एतिबार से भी अस्थाबे कहफ़ व जुल्करनैन के वाक़िआत के मुकाबले में ज़्यादा दूर के हैं, और उनका इल्म भी किसी के लिये सिवाय वही के मुम्किन नहीं हो सकता। खुलासा यह है कि तुमने तो अस्थाबे कहफ़ और जुल्करनैन के वाक़िआत को सबसे ज़्यादा अज़ीब समझकर इसी को नुबुव्वत के इम्तिहान के सवाल में पेश किया मगर अल्लाह तआला ने मुझे इससे भी ज़्यादा अज़ीब-अज़ीब चीज़ों के उलूम अता फ़रमाये हैं)।

और (जैसा मतभेद व झगड़ा इन लोगों का अस्थाबे कहफ़ की तायदाद में है ऐसा ही उनके सोते रहने की मुद्दत में भी बहुत मतभेद है, हम इसमें सही बात बतलाते हैं कि) वे लोग अपने ग़ार में (नींद की हालत में) तीन सौ साल तक रहे, और नौ वर्ष ऊपर और रहे (और अगर इस सही बात को सुनकर भी वे इख़्तिलाफ़ करते रहें तो) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उनके (सोते) रहने की मुद्दत को (तो तुम से) ज़्यादा जानता है (इसलिये जो उसने बतला दिया वही सही है, और इस वाक़िफ़ की क्या खुसूसियत है उसकी शान तो यह है कि) तमाम आसमानों और ज़मीन का ग़ैब का इल्म उसी को है, वह कैसा कुछ देखने वाला और कैसा कुछ सुनने वाला है। उनका अल्लाह तआला के सिवा कोई भी मददगार नहीं और न अल्लाह किसी को अपने हुक़्म में शरीक (किया) करता है (खुलासा यह है कि न उसका कोई टक्कर देने वाला है न शरीक, ऐसी अज़ीम ज़ात की मुख़ालफ़त से बहुत डरना चाहिये)।

मअारिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई चार आयतों में अस्हाबे कहफ़ का किस्सा ख़त्म हो रहा है इनमें से पहली दो आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी उम्मत को यह तालीम दी गई है कि आने वाले ज़माने में किसी काम के करने का वायदा या इक़रार करना हो तो उसके साथ इन्शा-अल्लाह तआला का कलिमा मिला लिया करें, क्योंकि आईन्दा का हाल किसको मालूम है कि ज़िन्दा भी रहेगा या नहीं, और ज़िन्दा भी रहा तो वह काम कर सकेगा या नहीं, इसलिये मोमिन को चाहिये कि अल्लाह पर भरोसा दिल में भी करे और ज़बान से इसका इक़रार करे कि अगले दिन में किसी काम के करने को कहे तो यूँ कहे कि अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो मैं यह काम कल करूँगा, यही मायने हैं कलिमा इन्शा-अल्लाह तआला के।

तीसरी आयत में उस विवादित और मतभेदी बहस का फ़ैसला किया गया है जिसमें अस्हाबे कहफ़ के ज़माने के लोगों की रायें भी भिन्न थीं और मौजूदा ज़माने के यहूदियों व ईसाईयों के अक़वाल भी भिन्न और अलग-अलग थे, यानी ग़ार में सोते रहने की मुद्दत। इस आयत में बतला दिया गया कि वो तीन सौ नौ साल थे, गोया यह उस संक्षिप्तता की वज़ाहत है जो किस्से के शुरू में बयान हुआ था:

فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

इसके बाद चौथी आयत में फिर इससे मतभेद करने वालों को तंबीह की गई है कि असल हकीकत की तुमको ख़बर नहीं, उसका जानने वाला वही अल्लाह तआला है जो आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ों को जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है, उसने जो मुद्दत तीन सौ नौ साल बतला दी उस पर मुत्मईन हो जाना चाहिये।

आईन्दा काम करने पर इन्शा-अल्लाह कहना

तफ़सीरी लुबाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पहली दो आयतों के शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) के बारे में यह नक़ल किया है कि जब मक्का वालों ने यहूदियों के कहने के मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अस्हाबे कहफ़ के किस्से वग़ैरह के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने उनसे कल जवाब देने का वायदा बग़ैर इन्शा-अल्लाह कहे हुए कर लिया था, बड़े रुतबे वालों और ख़ास लोगों की मामूली-सी कोताही पर तंबीह हुआ करती है इसलिये पन्द्रह दिन तक वही न आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बड़ा ग़म हुआ और मक्का के मुशिरकों को हंसने और मज़ाक़ उड़ाने का मौक़ा मिला। पन्द्रह दिन के इस अन्तराल के बाद जब इस सूरत में सवालात का जवाब नाज़िल हुआ तो इसके साथ ही ये दो आयतें हिदायत देने के लिये नाज़िल हुईं कि आईन्दा किसी काम के करने को कहना हो तो इन्शा-अल्लाह कहकर इसका इक़रार कर लिया करें कि हर काम अल्लाह तआला के इरादे और मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है, इन दोनों आयतों को अस्हाबे कहफ़ के किस्से

के खत्म पर लाया गया है।

मसला: इस आयत से एक तो यह मालूम हुआ कि ऐसी सूरत में इन्शा-अल्लाह कहना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है। दूसरे यह मालूम हुआ कि अगर भूले से यह कलिमा कहने से रह जाये तो जब याद आये उस वक़्त कह ले। यह हुक्म उस विशेष मामले के लिये है जिसके मुताल्लिक़ ये आयतें नाज़िल हुई हैं, यानी सिर्फ़ तबरुक़ और अपनी बन्दगी के इक़रार के लिये यह कलिमा कहना मक़सूद होता है कोई शर्त लगाना मक़सूद नहीं होता, इसलिये इससे यह लाज़िम नहीं आता कि ख़रीद व बेच के मामलों और मुआहदों में जहाँ शर्तें लगाई जाती हैं और शर्तें लगाना दोनों पक्षों के लिये मुआहदे का मदार है वहाँ भी अगर मुआहदे के वक़्त कोई शर्तें लगाना भूल जाये तो फिर कभी जब याद आ जाये जो चाहे शर्तें लगा ले, इस मसले में कुछ फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के मसाईल के माहिर उलेमा) का मतभेद भी है जिसकी तफ़सील मसाईल की किताबों में है।

तीसरी आयत में जो ग़ार (खोह) में सोने की मुद्दत तीन सौ नौ साल बतलाये हैं, क़ुरआन की तरतीब व अन्दाज़ से जाहिर यही है कि यह मुद्दत का बयान करना हक़ तआला की तरफ़ से है। इमाम इब्ने कसीर ने इसी को पहले और बाद के मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत का कौल क़रार दिया है। अबू हय्यान और कुर्तुबी ने भी इसी को इख़्तियार किया है, मगर हज़रत क़तादा रह. वग़ैरह से इसमें एक दूसरा कौल यह भी नक़ल किया गया है कि यह तीन सौ नौ का कौल भी उन्हीं मतभेद करने वालों में से कुछ का है और अल्लाह तआला का कौल सिर्फ़ वह है जो बाद में फ़रमाया यानी 'अल्लाहु अज़लमु बिमा लबिसू' (कि अल्लाह जानता है कि उन पर कितनी मुद्दत गुज़री) क्योंकि पहला कौल तीन सौ नौ के मुतैयन करने का अगर अल्लाह का कलाम होता तो इसके बाद 'अल्लाहु अज़लमु बिमा लबिसू' कहने का मौक़ा न था, मगर मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया कि ये दोनों जुमले हक़ तआला का कलाम हैं, पहले में असल हकीक़त का बयान है और दूसरे में इससे मतभेद करने वालों को तंबीह (चेतावनी) है कि जब अल्लाह तआला की तरफ़ से मुद्दत का बयान आ गया तो अब इसको तस्लीम करना लाज़िम है, वही जानने वाला है सिर्फ़ अन्दाज़ों और रायों से उसकी मुख़ालफ़त व विरोध बेअक्ती है।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि क़ुरआने करीम ने मुद्दत के बयान करने में पहले तीन सौ साल बयान किये उसके बाद फ़रमाया कि इन तीन सौ पर नौ और ज़्यादा हो गये, पहले ही तीन सौ नौ नहीं फ़रमाया। इसका सबब मुफ़स्सिरीन हज़रत ने यह लिखा है कि यहूदियों व ईसाईयों में चूँकि सूरज के (यानी अंग्रेज़ी) साल का रिवाज था उसके हिसाब से तीन सौ साल ही होते हैं और इस्लाम में रिवाज चाँद के साल का है और चाँद के हिसाब में हर सौ साल पर तीन साल बढ़ जाते हैं, इसलिये तीन सौ साल अंग्रेज़ी पर चाँद के (यानी इस्लामी) हिसाब से नौ साल और ज़्यादा हो गये, इन दोनों सालों का फ़र्क़ व भेद बताने के लिये बयान का यह उनवान इख़्तियार किया गया।

एक सवाल यह पैदा होता है कि अस्हाबे कहफ़ के मामले में खुद उनके ज़माने में फिर नबी

करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में यहूदियों व ईसाईयों में दो बातें मतभेद का सबब थीं एक अस्हाबे कहफ की तादाद दूसरे गार में उनके सोते रहने की मुद्दत। कुरआन ने इन दोनों को बयान तो कर दिया मगर इस फर्क के साथ कि तादाद का बयान स्पष्ट अलफाज़ में नहीं आया, इशारे के तौर पर आया कि जो कौल सही था उसकी तरदीद नहीं की और मुद्दत के निर्धारण को साफ व खुले अलफाज़ में बतलाया:

وَلْيُؤْمَرُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

वजह यह है कि कुरआन ने अपने इस अन्दाज़ से इस तरफ इशारा फरमाया कि तादाद (संख्या) की बहस तो बिल्कुल ही फुजूल है उससे किसी दुनियावी या दीनी मसले का ताल्लुक नहीं, अलबत्ता लम्बी मुद्दत तक इनसानी आदत के खिलाफ सोते रहना और बगैर गिज़ा के सही तन्दुरुस्त रहना, फिर इतने अरसे के बाद स्वस्थ और ताकतवर उठकर बैठ जाना कियामत में उठने की एक नज़ीर है, इससे कियामत व आखिरत के मसले पर दलील पकड़ी जा सकती है इसलिये इसको स्पष्ट रूप से बयान कर दिया।

जो लोग मोजिजों और आम आदत के खिलाफ पेश आने वाली चीजों के या तो इनकारी हैं या कम से कम आजकल के इस्लामी तारीख व उलूम को जानने वाले यहूदियों व ईसाईयों के एतिराजों से मरऊब होकर उनमें इधर-उधर का मतलब बयान करने के आदी हैं उन्होंने इस आयत में भी हज़रत क़तादा की तफसीर का सहारा लेकर तीन सौ नौ साल की मुद्दत उन्हीं लोगों का कौल करार देकर रद्द करना चाहा है, मगर इस पर गौर नहीं किया कि कुरआन के शुरू के जुमले में जो लफज़ 'सिनी-अ-ददा' का आया है उसको तो सिवाय अल्लाह तआला के किसी का कौल नहीं कहा जा सकता, मोजिज़े और करामत के सबूत के लिये इतना भी काफी है कि सालों साल कोई सोता रहे और फिर सही तन्दुरुस्त जिन्दा उठकर बैठ जाये। वल्लाहु आलम

وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ فِيْهِمْ اٰلِیُّكَ مِنْ كِتٰبٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِۦ وَلٰكِنْ تَجِدُ مِنْ

دُوْنِهٖ مُّلتَحِدًا ۝ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وُجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطْعَمَنْ مِّنْ اَعْفَلٰنَا قَلْبَهٗ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هُوْدَهٗ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرْقٰنًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۗ اَحَاطَ بِهٖمْ سُرٰدِقُهٗا ۗ وَاِنْ يَسْتَعِيْذُوْا بِاَيِّ شَيْءٍ لَّا يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنٰتٌ عٰدِنٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُجْلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِيْنَ فِيْهَا عَلٰى الْاَرَآئِكِ لَعْمَ الثّٰوَابِ ۗ وَحَسُنَتْ مُّرْتَفَعًا ۝

वल्लु मा ऊहि-य इलै-क मिन् किताबि
 रब्बि-क ला मुबदिद-ल लि-कलिमातिही,
 व लन् तजि-द मिन् दूनिही मुल्ल-हदा
 (27) वस्बिर् नफ्स-क मअल्लजी-न
 यद अ-न रब्बहुम् बिल्ग दाति
 वलअशियि युरीदू-न वज्हु व ला
 तअदु अना-क अन्हुम् तुरीदु
 जीनतल-हयातिदुन्या व ला तुतिअ
 मन् अगफल्ना कल्बहु अन् जिक्किना
 वत्त-ब-अ हवाहु व का-न अम्रहु
 फुरुता (28) ▲ व कुलिह-हक्कु
 मिर्रब्बिक्कुम्, फ-मन् शा-अ
 फल्युअमिन्-व मन् शा-अ फल्यक्फुर
 इन्ना अअतदना लिज्जालिमी-न
 नारन् अहा-त बिहिम् सुरादिकुहा, व
 इय्यस्तगीसू युगासू बिमाइन् कल्मुह्लि
 यशिवल्-वुजू-ह, बिअसशराबु, व
 साअत्त मुरत्त-फका (29) इन्नल्लजी-न
 आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना
 ला नुजीअु अजू-र मन् अहस-न
 अ-मला (30) उलाइ-क लहुम्
 जन्नातु अदनिन् तजरी मिन्
 तह्तिहिमुल्-अन्हारु युहल्लौ-न फीहा
 मिन् असावि-र मिन् ज-हबिन्-व
 यल्बसू-न सियाबन् खुज़रम्-मिन्

और पढ़ जो वही हुई तुझको तेरे रब की
 किताब से, कोई बदलने वाला नहीं उसकी
 बातें और कहीं न पायेगा तू उसके सिवा
 छुपने को जगह। (27) और रोके रख
 अपने आपको उनके साथ जो पुकारते हैं
 अपने रब को सुबह और शाम, तालिब हैं
 उसके मुँह के, और न दौड़ें तेरी आँखें
 उनको छोड़कर दुनिया की जिन्दगानी की
 रौनक की तलाश में, और न कहा मान
 उसका जिसका दिल गाफिल किया हमने
 अपनी याद से, और पीछे पड़ा हुआ है
 अपनी इच्छा के और उसका काम है हद
 पर न रहना। (28) ▲ और कह सच्ची
 बात है तुम्हारे रब की तरफ से, फिर जो
 कोई चाहे माने और जो कोई चाहे न
 माने हमने तैयार कर रखी है गुनाहगारों
 के वास्ते आग, कि घेर रही हैं उनको
 उसकी क़नातें, और अगर फ़रियाद करेंगे
 तो मिलेगा पानी जैसे पीप भून डाले मुँह
 को, क्या बुरा पीना है, और क्या बुरा
 आराम। (29) बेशक जो लोग यकीन
 लाये और कीं नेकियाँ, हम नहीं खोते
 बदला उसका जिसने भला किया काम।
 (30) ऐसों के वास्ते बाग हैं बसने के,
 बहती हैं उनके नीचे नहरें, पहनाये जायेंगे
 उनको वहाँ कंगन सोने के, और पहनेंगे
 कपड़े सब्ज बारीक और गाढ़े रेशम के

सुन्दुसिंव-व इस्तब्रकिम्-मुत्तकिई-न
फीहा अलल् अराइकि, निअम्स्सवाबु,
व हसुनत् मुरत-फका (31) ❁

तकिया लगाये हुए उनमें तख्तों पर, क्या
खूब बदला है और क्या खूब
आराम। (31) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

और (आपका काम सिर्फ़ इस कदम है कि) आपके पास जो आपके रब की किताब वही के जरिये से आई है वह (लोगों के सामने) पढ़ दिया कीजिए (इससे ज़्यादा इसकी फ़िक्र में न पड़ें कि दुनिया के बड़े लोग अगर इस्लाम की मुख़ालफ़त करते रहे तो दीन को तरक्की किस तरह होगी, क्योंकि इसका अल्लाह तआला ने खुद वायदा फ़रमा लिया है और) उसकी बातों को (यानी वायदों को) कोई बदल नहीं सकता (यानी सारी दुनिया के मुख़ालिफ़ भी मिलकर अल्लाह को वायदा पूरा करने से नहीं रोक सकते, और अल्लाह तआला खुद अगरचे बदल डालने पर क़ुदरत रखते हैं मगर वह तब्दील नहीं करेंगे) और (अगर आपने उन बड़े लोगों की दिलजोई इस तरह की जिससे अल्लाह के अहक़ाम छूट जायें तो फिर) आप अल्लाह तआला के सिवा और कोई पनाह की जगह न पाएँगे (अगरचे अल्लाह के अहक़ाम का छूटना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शरई दलीलों की वज़ाहत के मुताबिक़ मुहाल है, यहाँ ताकीद व मुबालगे के लिये और एक असंभव चीज़ को फ़र्ज़ कर लेने के तौर पर यह कहा गया है)। और (जैसा कि काफ़िरों के अम्भीरों और सरदारों से आपको बेपरवाह रहने का हुक्म दिया गया है इसी तरह ग़रीब मुसलमानों के हाल पर और ज़्यादा तवज्जोह का आपको हुक्म है, पस) आप अपने को उन लोगों के साथ (बैठने में) रोके रखा कीजिए जो सुबह व शाम (यानी हमेशा) अपने रब की इबादत सिर्फ़ उसकी खुशी हासिल करने के लिये करते हैं (कोई दुनियावी गर्ज़ नहीं) और दुनिया की जिन्दगी की रौनक के ख़्याल से आपकी आँखें (यानी तवज्जोह) उनसे हटने न पाएँ (दुनिया की रौनक के ख़्याल से मुसलमान यह है कि सरदार लोग मुसलमान हो जायें तो इस्लाम की रौनक बढ़ेगी, इस आयत में बतला दिया गया कि इस्लाम की रौनक माल व दौलत से नहीं बल्कि इख़्लास व फ़रमाँबरदारी से है, वह ग़रीब फ़कीर लोगों में हो तो भी इस्लाम की रौनक बढ़ेगी)।

और ऐसे शख्स का कहना (ग़रीबों को मज्लिस से हटा देने के बारे में) न मानिये जिसके दिल को हमने (उसके बैर और मुख़ालफ़त की सज़ा में) अपनी याद से ग़ाफ़िल कर रखा है, और वह अपनी नफ़सानी इच्छा पर चलता है, और उसका यह हाल (यानी इच्छा की पैरवी) हद से गुज़र गया है। और आप (उन सरदार काफ़िरों से साफ़) कह दीजिये कि (यह दीने) हक़ तुम्हारे रब की तरफ़ से (आया) है, सो जिसका जी चाहे ईमान ले आये और जिसका जी चाहे काफ़िर रहे (हमारा कोई नफ़ा नुक़सान नहीं, बल्कि नफ़ा नुक़सान खुद उसका है, जिसका बयान यह है कि) बेशक हमने ऐसे ज़ालिमों के लिये (दोज़ख़ की) आग तैयार कर रखी है, कि उस आग की

कनातें उनको घेरे होंगी (यानी वे कनातें भी आग ही की हैं जैसा कि हदीस में है कि "ये लोग उस घेरे से न निकल सकेंगे")। और अगर (प्यास से) फ़रियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फ़रियाद पूरी की जाएगी जो (देखने में बुरा होने में तो) तेल की तलछट की तरह होगा (और तेज़ गर्म ऐसा होगा कि पास लाते ही) मुँहों को भून डालेगा (यहाँ तक कि चेहरे की खाल उतरकर गिर पड़ेगी जैसा कि हदीस में है) क्या ही बुरा पानी होगा और वह दोज़ख़ भी क्या ही बुरी जगह होगी (यह तो ईमान न लाने का नुक़सान हुआ और ईमान लाने का नफ़ा यह है कि) बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये तो हम ऐसों का बदला बरबाद न करेंगे जो अच्छी तरह काम को करे। ऐसे लोगों के लिये हमेशा रहने के बाग़ हैं, उनके (ठिकानों के) नीचे नहरें बहती होंगी, उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाये जाएँगे और हरे रंग के कपड़े बारीक और मोटे रेशम के पहनेंगे (और) वहाँ मसहरियों पर तकिये लगाये बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और (जन्नत) क्या ही अच्छी जगह है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

दावत व तब्लीग़ के खास आदाब

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ

इस आयत (यानी आयत नम्बर 28) के शाने नुज़ूल में चन्द वाकिआत बयान हुए हैं, हो सकता है कि वो सब ही अल्लाह के इस इरशाद फ़रमाने का सबब बने हों। इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है कि उयैना बिन हसन फ़ज़ारी मक्के का सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआं, आपके पास हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे जो ग़रीब सहाबा में से थे, उनका लिबास ख़स्ता और हालत फ़कीरों की थी, और भी इसी तरह के कुछ फ़कीर ग़रीब मजमू में थे। उयैना ने कहा कि हमें आपके पास आने और आपकी बात सुनने से यही लोग रुकावट हैं, ऐसे ख़स्ताहाल लोगों के पास हम नहीं बैठ सकते, आप इनको अपनी मज्लिस से हटा दें या कम से कम हमारे लिये अलग मज्लिस बना दें और इनके लिये अलग।

इन्हे मरदूया ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि उमैया बिन ख़लफ़ जमही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह मश्विरा दिया कि ग़रीब फ़कीर शिकस्ताहाल मुसलमानों को आप अपने करीब न रखें बल्कि मक्का और क़ुरैश के सरदारों को साथ लगायें, ये लोग आपका दीन कुबूल कर लेंगे तो दीन को तरक्की होगी।

इस तरह के वाकिआत पर अल्लाह का यह इरशाद नाज़िल हुआ जिसमें उनका मश्विरा कुबूल करने से सख़्री के साथ मना किया गया, और सिर्फ़ यही नहीं कि उनको अपनी मज्लिस से हटायें नहीं, बल्कि हुक्म यह दिया गया कि 'वसिबर् नफ़स-क' यानी आप अपने नफ़स को उन लोगों के साथ बाँधकर रखें। इसका यह मफ़हूम नहीं कि किसी वक़्त अलग न हों, बल्कि मुराद

यह है कि ताल्लुकात और तवज्जोह सब उन लोगों के साथ जुड़ी रहें, मामलात में उन्हीं से मशिवरा लें, उन्हीं की इमदाद व सहयोग से काम करें। और इसकी वजह और हिक्मत इन अलफाज़ से बतला दी गई कि ये लोग सुबह शाम यानी हर हाल में अल्लाह को पुकारते और उसी का जिक्र करते हैं, इनका जो अमल है वह ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ा तलाब करने के लिये है, और ये सब हालात वो हैं जो अल्लाह तआला की मदद को खींचते हैं अल्लाह की मदद ऐसे ही लोगों के लिये आया करती है। चन्द दिन की परेशानी और किसी का सहारा न मिलने से घबरायें नहीं, अन्जामकार फ़तह व कामयाबी उन्हीं को हासिल होगी।

और कुरैश के सरदारों का मशिवरा कुबूल करने की मनाही की वजह भी आयतों के आख़िर में यह बतलाई कि उनके दिल अल्लाह की याद से गाफ़िल हैं और उनके सब काम अपनी नफ़सानी इच्छाओं के ताबे हैं, और ये हालात अल्लाह तआला की रहमत व मदद से उनको दूर करने वाले हैं।

यहाँ यह सवाल हो सकता है कि उनका यह मशिवरा तो काबिले अमल था कि उनके लिये एक मज्लिस अलग कर दी जाती ताकि उनको इस्लाम की दावत पहुँचाने में और उन लोगों को कुबूल करने में सहूलत होती, मगर इस तरह की तक़सीम में घमंडी व नाफ़रमान मालदारों का एक ख़ास सम्मान था जिससे ग़रीब मुसलमानों का दिल टूटता या हौसला पस्त हो सकता था अल्लाह तआला ने इसको ग़वारा न फ़रमाया और दावत व तब्तीग़ का उसूल यही करार दे दिया कि इसमें किसी का कोई फ़र्क़ और विशेषता न होनी चाहिये। वल्लाहु आलम

जन्नत वालों के लिये ज़ेवर

يَخْلَوْنَ فِيهَا

इस आयत (यानी आयत नम्बर 31) में जन्नती मर्दों को भी सोने के कंगन पहनाने का जिक्र है। इस पर यह सवाल हो सकता है कि ज़ेवर पहनना तो मर्दों के लिये न मुनासिब है न कोई ख़ूबसूरती और ज़ीनत, जन्नत में अगर उनको कंगन पहनाये गये तो वे उनको बुरी शक़्त व सूरत वाला बना देंगे।

जवाब यह है कि सिंगार व ख़ूबसूरती उर्फ़ व रिवाज के ताबे है, एक मुल्क और ख़िल्ले में जो चीज़ ख़ूबसूरती व सिंगार समझी जाती है दूसरे मुल्कों और ख़िल्लों में कई बार वह काबिले नफ़रत करार दी जाती है, और ऐसा ही इसके विपरीत भी है। इसी तरह एक ज़माने में एक ख़ास चीज़ ज़ीनत (सिंगार व सजावट) होती है दूसरे ज़माने में वह ऐब हो जाता है। जन्नत में मर्दों के लिये भी ज़ेवर और रेशमी कपड़े ख़ूबसूरती व सजावट करार दिये जायेंगे तो वहाँ इससे किसी को अजनबियत का एहसास न होगा, यह सिर्फ़ दुनिया का क़ानून है कि यहाँ मर्दों को सोने का कोई ज़ेवर यहाँ तक कि अंगूठी और घड़ी की चैन भी सोने की इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसी तरह रेशमी कपड़े मर्दों के लिये जायज़ नहीं। जन्नत का यह क़ानून न होगा, वह इस सारे जहान से अलग एक जहान है उसको इस बिना पर किसी चीज़ में भी क़ियास और अन्दाज़ा

नहीं किया जा सकता।

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاحِدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ
 جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۗ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اِنتِ اَكْثَرُ ثَمَرًا وَاَمْ تَنْظُرُونَ شَيْئًا وَاَنْجَرْنَا خِلْمَهَا
 نَهْرًا ۗ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ ثَمَرًا وَاَعْرَضْنَا نَهْرًا ۗ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
 وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۗ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا ۗ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۗ وَلَئِنْ رُدِدْتُ
 اِلَى رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۗ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكْفَرْتَ بِالَّذِي
 خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۗ لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي ۗ وَلَا اَشْرِكُ بِرَبِّي
 اَحَدًا ۗ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ ۗ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗ اِنْ تَرَىٰ اَنَا اَقْلًا
 مِنْكَ مَا لَكَ وَوَلَدًا ۗ فَعَصَىٰ رَبِّي اَنْ يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ
 السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِئًا زَلَقًا ۗ اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۗ وَاَحِيطَ بِثَمَرِهِ
 فَاَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفِيهٖ عَلٰٓى مَا اَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ اَشْرِكْ
 بِرَبِّي اَحَدًا ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَكَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۗ هُنَالِكَ
 الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۗ

वज़िर्बु लहुम् म-सलरर्जुलैनि जज़ल्ना
 लि-अ-हदिहिमा जन्नतैनि मिन्
 अज़्नाबिन्व-व हफ़फ्नाहुमा बिन्ख़िन्व
 -व जज़ल्ना बैनहुमा ज़रज़ा (32)
 किल्लल्-जन्नतैनि आतत् उकु-लहा
 व लम् तज़िलम् मिन्हु शैअन्व-व
 फ़ज्ज़रना ख़िलालहुमा न-हरा (33)
 व का-न लहू स-मरुन् फ़का-ल
 लिसाहिबिही व हु-व युहाविरुहू अ-न
 अक्सरु मिन्-क मालन्व-व अ-अज़्जु
 न-फ़रा (34) व द-ख-ल जन्न-तहू

और बतला उनको मिसाल दो मर्दों की
 कर दिये हमने उनमें से एक के लिये दो
 बाग़ अंगूर के और उनके गिर्द खजूरे
 और रखी दोनों के बीच में खेती। (32)
 दोनों बाग़ लाते हैं अपना मेवा और नहीं
 घटाते उसमें से कुछ, और बहा दी हमने
 उन दोनों के बीच नहर। (33) और मिला
 उसको फल फिर बोला अपने साथी से
 जब बातें करने लगा उससे— मेरे पास
 ज़्यादा है तुझसे माल और आबरू के
 लोग। (34) और गया अपने बाग़ में और

व हु-व ज़ालिमुल् लिनफ़िसही का-ल
 मा अज़ुन्नु अन् तबी-द हाज़िही
 अ-बदा (35) व मा अज़ुन्नुस्सा-अ-त
 काइ-मतं-व-व ल-इरुदित्तु इला रब्बी
 ल-अजिदन्-न ख़ौरम्-मिन्हा
 मुन्क-लबा (36) का-ल लहू साहिबुहू
 व हु-व युहाविरुहू अ-कफ़र-त
 बिल्लजी ख़-ल-क-क मिन् तुराबिन्
 सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म सव्वा-क
 रज़ुला (37) लाकिन्-न हुवल्लाहु
 रब्बी व ला उशिरकु बिरब्बी अ-हदा
 (38) व लौ ला इज़् दख़ाल्-त
 जन्न-त-क कुल्-त मा शाअल्लाहु ला
 कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि इन् तरनि
 अ-न अक़ल्-ल मिन्-क मालं-व-व
 व-लदा (39) फ़-अ सा रब्बी
 अय्युअ्ति-यनि ख़ौरम्-मिन्
 जन्नति-क व युरसि-ल अलैहा
 हुस्बानम्-मिनस्समा-इ फ़तुस्बि-ह
 सज़ीदन् ज़-लका (40) औ युस्बि-ह
 माउहा ग़ौरन् फ़-लन् तस्तती-अ लहू
 त-लबा (41) व उही-त बि-स-मरिही
 फ़-अस्बि-ह युक्ल्लिबु कफ़ैहि अला
 मा अन्फ़-क़ फ़ीहा व हि-य

वह बुरा कर रहा था अपनी जान पर,
 बोला नहीं आता मुझको ख़याल कि ख़राब
 हो यह बाग़ कभी। (35) और नहीं ख़याल
 करता हूँ कि कियामत आने वाली है,
 और अगर कभी पहुँचा दिया गया मैं
 अपने रब के पास पाऊँगा बेहतर इससे
 वहाँ पहुँचकर। (36) कहा उसको दूसरे ने
 जब बात करने लगा— क्या 'तू मुन्किर हो
 गया उससे जिसने पैदा किया तुझको
 मिट्टी से, फिर कतरे से, फिर पूरा कर
 दिया तुझको मर्द। (37) फिर मैं तो यही
 कहता हूँ वही अल्लाह है मेरा रब, और
 नहीं मानता शरीक अपने रब का किसी
 को। (38) और जब तू आया था अपने
 बाग़ में क्यों न कहा तूने जो चाहे
 अल्लाह सो हो, ताक़त नहीं मगर जो दे
 अल्लाह, अगर तू देखता है मुझको कि मैं
 कम हूँ तुझसे माल और औलाद में (39)
 तो उम्मीद है कि मेरा रब दे मुझको तेरे
 बाग़ से बेहतर और भेज दे इस पर लू
 का एक झोंका आसमान से, फिर सुबह
 को रह जाये मैदान साफ़। (40) या सुबह
 को हो रहे इसका पानी खुश्क फिर न ला
 सके तू उसको ढूँढकर। (41) और समेट
 लिया गया उसका सारा फल फिर सुबह
 को रह गया हाथ नचाता उस माल पर

झावि-यतुन् अला अुरुशिहा व
 यकूलु यालैतनी लम् उंशिक् बिरब्बी
 अ-हदा (42) व लम् तकुल्लहू
 फि-अतुंयन्सुरूनहू मिन् दूनिल्लाहि
 व मा का-न मुन्तसिरा (43)
 हुनालिकल्-वला-यतु लिल्लाहिल्-
 हविक्, हु-व ख़ौरुन् सवाबं-व-
 ख़ैरुन् अुकबा (44) ●

जो उसमें लगाया था और वह गिरा पड़ा था अपनी छतरियों पर और कहने लगा क्या ख़ूब होता अगर मैं शरीक न बनाता अपने रब का किसी को। (42) और न हुई उसकी जमाअत कि मदद करें उसकी अल्लाह के सिवा और न हुआ वह कि खुद बदला ले सके। (43) यहाँ सब इख़्तियार है अल्लाह सच्चे का, उसी का इनाम बेहतर है और अच्छा है उसी का दिया हुआ बदला। (44) ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

और आप (दुनिया के फ़ानी होने और आखिरत के बाकी रहने को ज़ाहिर करने के लिये) दो शख्सों का हाल (जिनमें आपसी दोस्ती या रिश्तेदारी का ताल्लुक था) बयान कीजिए (ताकि काफ़िरों का ख़्याल बातिल हो जाये और मुसलमानों को तसल्ली हो)। उन दो शख्सों में से एक को (जो कि बद-दीन था) हमने दो बाग़ अँगूर के दे रखे थे, और उन दोनों (बाग़ों) का खज़ूर के पेड़ों से घेरा बना रखा था, और उन दोनों (बाग़ों) के बीच में खेती भी लगा रखी थी। (और) दोनों बाग़ अपना पूरा फल देते थे, और किसी के फल में ज़रा भी कमी न रहती थी (दूसरे बाग़ों के खिलाफ़ कि कभी किसी पेड़ में और किसी साल पूरे बाग़ में फल कम आता है) और उन दोनों (बाग़ों) के बीच में नहर चला रखी थी। और उस शख्स के पास और भी मालदारी का सामान था, सो (एक दिन) अपने उस (दूसरे) साथी से इधर-उधर की बातें करते-करते कहने लगा कि मैं तुझसे माल में भी ज़्यादा हूँ और मजमा भी मेरा ज़बरदस्त है (मतलब यह था कि तू मेरे तरीके को बातिल और अल्लाह के नज़दीक नापसन्द कहता है तो अब तू देख ले कि कौन अच्छा है, अगर तेरा दावा सही होता तो मामला उल्टा होता, क्योंकि दुश्मन को कोई नवाज़ा नहीं करता और दोस्त को कोई नुक़सान नहीं पहुँचाता)। और वह (अपने उस साथी को साथ लेकर) अपने ऊपर (कुफ़्र का) जुर्म कायम करता हुआ अपने बाग़ में पहुँचा (और) कहने लगा कि मेरा तो ख़्याल नहीं है कि यह बाग़ (मेरी जिन्दगी में) कभी भी बरबाद होगा (इससे मालूम हुआ कि वह खुदा के वजूद और हर चीज़ पर उसकी क़ुदरत का कायल न था बस हिफ़ाज़त के ज़ाहिरी सामान को देखकर उसने यह बातचीत की)। और (इसी तरह) मैं क़ियामत को नहीं ख़्याल करता कि आयेगी, और अगर (मान लो जबकि यह असंभव है कि क़ियामत आ भी गई और) मैं अपने रब के पास पहुँचाया गया (जैसा कि तेरा अक़ीदा है) तो ज़रूर इस बाग़ से बहुत ज़्यादा अच्छी

जगह मुझको मिलेगी (क्योंकि जन्मत की जगहों का दुनिया से अच्छा और बेहतर होने का तो तुझे भी इफ़रार है और यह भी तुझे तस्लीम है कि जन्मत अल्लाह के मक़बूल बन्दों को मिलेगी, मेरी मक़बूलियत के निशानात व आसार तो तू दुनिया ही में देख रहा है अगर मैं अल्लाह के नज़दीक मक़बूल न होता तो बाग़ात क्यों मिलते, इसलिये तुम्हारे इफ़रार व मानने के मुताबिक़ भी मुझे यहाँ यहाँ से अच्छे बाग़ मिलेंगे)।

उस (की ये बातें सुनकर उस) से उसके मुलाक़ाती ने (जो कि दीनदार मगर ग़रीब आदमी था) जवाब के तौर पर कहा, क्या तू (तौहीद और क़ियामत से इनकार करके) उस (पाक) जात के साथ कुफ़्र करता है जिसने (पहले) तुझको मिट्टी से (जो कि तेरा दूर का मादा है आदम के वास्ते से) पैदा किया, फिर (तुझको) नुफ़े से (जो कि तेरा करीब का मादा है माँ के पेट में बनाया) फिर तुझको सही व सालिम आदमी बनाया (इसके बावजूद तू तौहीद और क़ियामत से इनकार और कुफ़्र करता है तो किया कर), लेकिन मैं तो यह अक़ीदा रखता हूँ कि वह (यानी) अल्लाह तआला मेरा (असली) रब है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और (जब अल्लाह तआला की तौहीद और कामिल क़ुदरत हर चीज़ पर साबित है और उसके नतीजे में यह कुछ दूर की बात नहीं कि बाग़ की तरक्की और हिफ़ाज़त के तरे सारे असबाब व सामान किसी वक़्त भी बेकार और ख़त्म हो जायें और बाग़ बरबाद हो जाये इसलिये तुझे लाज़िम था कि असबाब के पैदा करने वाले पर नज़र करता) तो तू जिस वक़्त अपने बाग़ में पहुँचा था तो तूने यूँ क्यों न कहा कि जो अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता है वही होता है, (और) अल्लाह तआला की मदद के बग़ैर (किसी में) कोई ताक़त नहीं (जब तक अल्लाह तआला चाहेगा यह बाग़ कायम रहेगा और जब चाहेगा वीरान हो जायेगा) अगर तू मुझको माल और औलाद में कमतर देखता है (इससे तुझको अपने मक़बूल होने का शुब्हा बढ़ गया है) तो मुझको वह वक़्त नज़दीक मालूम होता है कि मेरा रब मुझको तेरे बाग़ से अच्छा बाग़ दे दे (चाहे दुनिया ही में या आख़िरत में), और इस (तेरे बाग़) पर कोई तक्दीरी आफ़त आसमान से (यानी डायरेक्ट बिना तबई असबाब के) भेज दे, जिससे वह बाग़ एकदम से एक साफ़ (चटियल) मैदान होकर रह जाए, या उससे इसका पानी (जो नहर में जारी है) बिल्कुल अन्दर (ज़मीन में) उतर (कर सूख) जाये फिर तू उस (के दोबारा लाने और निकालने) की कोशिश भी न कर सके (यहाँ उस दीनदार साथी ने उस बेदीन के बाग़ का तो जवाब दे दिया मगर औलाद के मुताल्लिक़ कुछ जवाब नहीं दिया, शायद वजह यह है कि औलाद की अधिकता तभी भली मालूम होती है जब उसकी परवरिश के लिये माल मौजूद हो वरना वह उल्टा वबाले जान बन जाती है। हासिल इस कलाम का यह हुआ कि तेरे बुरे अक़ीदे वाला होने का सबब यह था कि तुझे दुनिया में अल्लाह ने दौलत दे दी इसको तूने अपनी मक़बूलियत की निशानी समझ लिया और मेरे पास दौलत न होने से मुझको ग़ैर-मक़बूल समझ लिया, तो दुनिया की दौलत व मालदारी को अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत का मदार समझ लेना ही बड़ा धोखा और ग़लती है, दुनिया की नेमतें तो रब्बुल-आलमीन साँपों, बिच्छुओं, भेड़ियों और बदकारों सभी को देते हैं, मक़बूलियत का असल मदार

आख़िरत की नेमतों पर है जो हमेशा बाकी रहने वाली हैं, और दुनिया की नेमतें सब फ़ना होने वाली हैं।

और (इस बातचीत के बाद चाकिआ यह पेश आया कि) उस शख्स के माल व दौलत के सामान को तो आफ़त ने आ घेरा पस उसने जो कुछ उस बाग़ पर खर्च किया था, उस पर हाथ मलता रह गया, और वह बाग़ अपनी टटियों पर गिरा हुआ पड़ा था। और कहने लगा, क्या खूब होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता (इससे मालूम हुआ कि बाग़ पर आफ़त आने से वह समझ गया कि यह वबाल कुफ़्र व शिर्क के सबब से आया है, अगर कुफ़्र न करता तो पहले तो यह आफ़त ही शायद न आती और आ भी जाती तो इसका बदला आख़िरत में मिलता, अब दुनिया व आख़िरत दोनों में ख़सारा ही ख़सारा है। मगर सिर्फ़ इतनी हसरत व अफ़सोस से उसका ईमान साबित नहीं होता क्योंकि यह अफ़सोस व शर्मिन्दगी तो दुनिया के नुक़सान की वजह से हुई, आगे अल्लाह की तौहीद और क़ियामत का इफ़रार जब तक साबित न हो उसको मोमिन नहीं कह सकते)। और उसके पास कोई ऐसा मजमा न हुआ जो अल्लाह तआला के सिवा उसकी मदद करता (उसको अपने मजमे और औलाद पर घमण्ड था, वह भी ख़त्म हुआ) और न वह खुद (हमसे) बदला ले सका। ऐसे मौक़े पर मदद करना तो अल्लाह बरहक़ ही का काम है (और आख़िरत में भी) उसी का सवाब सबसे अच्छा है और (दुनिया में भी) उसी का नतीजा सबसे अच्छा है (यानी अल्लाह के मक़बूल बन्दों का कोई नुक़सान हो जाता है तो दोनों जहान में उसका नेक फल मिलता है बख़िलाफ़ काफ़िर के कि वह बिल्कुल ख़सारे में रह गया)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَكَانَ لَهُ نَمْرٌ

लफ़ज़ समर दरख़्तों के फल को भी कहा जाता है और आम माल व ज़र को भी, इस जगह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, क़तादा रह. से यही दूसरे मायने मन्कूल हैं। (इब्ने कसीर) काभूस में है कि लफ़ज़ समर दरख़्त के फल और माल व ज़र की किस्मों सब को कहा जाता है, इससे मालूम हुआ कि उसके पास सिर्फ़ बागात और खेत ही नहीं बल्कि सोना चाँदी और ऐश के दूसरे तमाम असबाब भी मौजूद थे, खुद उसके अलफ़ाज़ में जो क़ुरआन ने नक़ल किये हैं 'अ-न अक्सरु मिन्-क मालन्' भी इसी मफ़हूम को अदा करते हैं। (इब्ने कसीर)

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

हदीस की किताब 'शुअबुल-ईमान' में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स कोई चीज़ देखे और वह उसको पसन्द आये तो अगर उसने यह कलिमा कह लिया:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(मा शा-अल्लाहु, ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि) तो उसको कोई चीज नुकसान न पहुँचायेगी (यानी वह पसन्दीदा महबूब चीज महफूज़ रहेगी) और कुछ रिवायतों में है कि जिसने किसी महबूब व पसन्दीदा चीज को देखकर यह कलिमा पढ़ लिया तो उसको बुरी नज़र न लगेगी।

हुस्बानन् । इस लफ़्ज़ की तफ़सीर हज़रत क़तादा रह. ने अज़ाब से की है और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आग से, और कुछ हज़रत ने पथराव से। इसके बाद जो कुरआन में आया है 'उही-त बि-स-मरिही' इसमें ज़ाहिर यह है कि उसके बाग और तमाम माल व ज़र और ऐश के सामान पर कोई बड़ी आफत आ पड़ी जिसने सब को बरबाद कर दिया। कुरआन ने स्पष्ट तौर पर किसी ख़ास आफत का ज़िक्र नहीं किया ज़ाहिर यह है कि कोई आसमानी आग आई जिसने सब को जला दिया जैसा कि लफ़्ज़ हुस्बान की तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी आग नक़ल की गयी है। वल्लाहु आलम

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ
هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۗ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَالْبَقِيَّةُ الصّٰلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمْلًا ۗ وَبِئْسَ اَسْبٰغًا لِّلْجِبَالِ وَثَرَةً الْاَرْضِ بَارِزَةٌ
وَاحْشَرْنٰهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۗ وَعَرَضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَّعَلَّ حٰثِمُوْكَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ بَلْ رَعٰنْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلُ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝ ۙ وَوَضِعَ الْكِتٰبِ فَكَّرَ الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ
مِّنْ اٰفِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَيْتَنَا مَالٌ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْطٰهَا ۗ وَ
وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَٰضِرًا وَّلَا يَظُنُّوْا رَبُّكَ اَحَدًا ۝ ۙ

वज़िर्ब लहुम् म-सलल्-हयातिद्दुन्या
कमाइन् अन्ज़ल्नाहु मिनस्समा-इ
फख्त-ल-त बिही नवातुलअर्ज़ि
फअस्ब-ह हशीमन् तज़रुहुरियाहु, व
कानल्लाहु अला कुल्लि शैइम्-
मुक्तदिरा (45) अल्मालु वल्बनू-न
ज़ीनतुल्-हयातिद्दुन्या वल्बाकियातुस-
सालिहातु ख़ैरुन् अिन्-द रब्बि-क
सवाब्व-व ख़ैरुन् अ-मला (46)

और बतला दे उनको मिसाल दुनिया की
ज़िन्दगी की जैसे पानी उतारा हमने
आसमान से फिर रला-मिला निकला
उसकी वजह से ज़मीन का सब्ज़ा, फिर
कल को हो गया चूरा-चूरा हवा में उड़ता
हुआ, और अल्लाह को है हर चीज़ पर
क़ुदरत। (45) माल और बेटे रौनक हैं
दुनिया की ज़िन्दगी में और बाकी रहने
वाली नेकियों का बेहतर है तेरे रब के
यहाँ बदला और बेहतर है उम्मीद। (46)

व यौ-म नुसय्यिरुल्-जिबा-ल व
तरल्-अर्-ज बारि-ज़तव्-व हशरनाहुम्
फ-लम् नुगादिरु मिन्हुम् अ-हदा
(47) व अुरिज़ू अला रब्बि-क
सप्रफन्, ल-कद् जिअ्तुमुना कमा
ख़ालकनाकुम् अज्व-ल मरतिम् बल्
जअ्म्तुम् अल्-लन्नज्अ-ल लकुम्
मौअिदा (48) व तुज़िअल्-किताबु
फ-तरल्-मुज़िमी-न मुशिफ़की-न
मिम्मा फीहि व यकूलू-न यावैल-तना
मा लि-हाज़ल्-किताबि ला युगादिरु
सगी-रतव्-व ला कबी-रतन् इल्ला
अहसाहा व व-जदू मा अमिलू
हाजिरन्, व ला यज़िलमु रब्बु-क
अ-हदा (49) ❀

और जिस दिन हम चलायें पहाड़ और तू
देखे ज़मीन को खुली हुई और घेर बुलायें
हम उनको फिर न छोड़ें उनमें से एक
को। (47). और सामने आयें तेरे रब के
कतार बाँधकर, आ पहुँचे तुम हमारे पास
जैसा कि हमने बनाया था तुमको पहली
बार, नहीं! तुम तो कहते थे कि न मुकर्रर
करेंगे हम तुम्हारे लिये कोई वायदा। (48)
और रखा जायेगा हिसाब का कागज़ फिर
तू देखे गुनाहगारों को डरते हैं उससे जो
उसमें लिखा है, और कहते हैं हाय
ख़राबी कैसा है यह कागज़ नहीं छूटी
इससे छोटी बात और न बड़ी बात जो
इसमें नहीं आ गई, और पायेंगे जो कुछ
किया है सामने, और तेरा रब ज़ुल्म न
करेगा किसी पर। (49) ❀

खुलासा-ए-तफ्सीर

(इससे पहले दुनियावी ज़िन्दगी और उसके सामान की नापायेदारी “बाकी न रहने वाला होना” एक व्यक्तिगत और आंशिक मिसाल से बयान फ़रमाई थी अब यही मज़मून आम और कुल्ली मिसाल से स्पष्ट किया जाता है) और आप उन लोगों से दुनिया की ज़िन्दगी की हालत बयान फ़रमाईये कि वह ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया हो, फिर उस (पानी) के ज़रिये से ज़मीन की नबातात “यानी घास और पेड़-पौधे” ख़ूब घनी हो गई हों, फिर वह (तरोताज़ा और हरीभरी होने के बाद सूखकर) चूरा-चूरा हो जाये कि उसको हवा उड़ाये लिये फिरती हो (यही हाल दुनिया का है कि आज हरीभरी नज़र आती है कल इसका नाम व निशान भी न रहेगा) और अल्लाह तज़ाला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं (जब चाहें बनायें, पैदा करें, तरक्की दें और जब चाहें फ़ना कर दें। और जब इस दुनिया की ज़िन्दगी का यह हाल है और) माल और औलाद दुनिया की ज़िन्दगी की एक रौनक (और इसके ताबे चीज़ों में से) हैं (तो खुद माल व औलाद तो और भी ज़्यादा जल्दी फ़ना होने वाली है) और जो नेक आमाल (हमेशा

हमेशा को) बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नज़दीक (यानी आख़िरत में इस दुनिया से) सवाब के एतिबार से भी (हज़ार दर्जे) बेहतर है, और उम्मीद के एतिबार से भी (हज़ार दर्जे) बेहतर है (यानी नेक आमाल से जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं वो आख़िरत में ज़रूर पूरी होंगी, और उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, बख़िलाफ़ दुनिया की दौलत के कि इससे दुनिया में भी इनसानी उम्मीदें पूरी नहीं होतीं और आख़िरत में तो कोई संभावना व गुमान ही नहीं)।

और उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन हम पहाड़ों को (उनकी जगह से) हटा देंगे (यह शुरूआत में होगा, फिर वो टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे) और आप ज़मीन को देखेंगे कि एक खुला मैदान पड़ा है (क्योंकि पहाड़, दरख़्त, मकान कुछ बाकी न रहेगा) और हम उन सब को (क़ब्रों से उठाकर हिसाब के मैदान में) जमा कर देंगे, और उनमें से किसी को भी न छोड़ेंगे (कि वहाँ न लाया जाये)। और सब के सब आपके रब के सामने (यानी हिसाब के लिये) बराबर खड़े करके पेश किये जाएँगे (यह शुद्ध व गुमान न रहेगा कि कोई किसी की आड़ में छुप जाये, और उनमें जो क़ियामत का इनकार करते थे उनसे कहा जायेगा कि) देखो! आख़िर तुम हमारे पास (दोबारा पैदा होकर) आये भी जैसा कि हमने तुमको पहली बार (यानी दुनिया में) पैदा किया था (मगर तुम पहली पैदाईश को देख लेने और अनुभव कर लेने के बावजूद इस दूसरी पैदाईश के कायल न हुए) बल्कि तुम यही समझते रहे कि हम तुम्हारे (दोबारा पैदा करने के) लिये कोई वायदा किया गया वक़्त न लाएँगे। और नामा-ए-आमाल (चाहे दाहिने हाथ में या बायें हाथ में देकर उसके सामने खुला हुआ) रख दिया जायेगा (जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'व नुख़िजु लहू यौमल्-क़ियामति किताबय्य-यल्काहु मन्शूरा) तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ (लिखा) होगा (उसको देखकर) उससे (यानी उसकी सज़ा से) डरते होंगे, और कहते होंगे कि हाय! हमारी कम-बख़्ती इस नामा-ए-आमाल की अजीब हालत है कि बिना लिखे हुए न कोई छोटा गुनाह छोड़ा न बड़ा गुनाह, और जो कुछ उन्होंने (दुनिया में) किया था वह सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएँगे। और आपका रब किसी पर जुल्म न करेगा (कि न किया हुआ गुनाह लिख ले या की हुई नेकी जो शर्तों के साथ की जाये उसको न लिखे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ

मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात (बाकी रहने वाली नेकियों) को ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया करो। अर्ज़ किया गया कि वो क्या हैं? आपने फ़रमाया:

سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَبِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

सुब्हानल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु अल्लह्मुदु लिल्लाहि अल्लाहु अकबर। व ला हौ-त्त व

ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि कहना।

हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है और उकैली ने हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'सुब्हानल्लाहि वल्लहु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर' यही बाक़ियात-ए-सालिहात हैं। यही मज़मून तबरानी ने हज़रत सज़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है। और सही मुस्लिम व तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह कलिमा यानी 'सुब्हानल्लाहि वल्लहु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर' मेरे नज़दीक उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है यानी सारे ज़हान से।

और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि 'ला हौ-ल व ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि' कसरत से पढ़ा करो क्योंकि यह निन्नानवे दरवाज़े बीमारी और तकलीफ़ के दूर कर देता है जिनमें सब से कम दर्जे की तकलीफ़ फ़िक्क व गुम है।

इसी लिये इस आयत में लफ़ज़ बाक़ियात-ए-सालिहात की तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास, इक्रिमा, मुजाहिद ने यही की है कि मुराद इससे यही कलिमात पढ़ना है, और सईद बिन जुबैर, मसरूफ़ और इब्राहीम ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात से पाँच नमाज़ें मुराद हैं।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरी रिवायत में यह है कि आयत में बाक़ियात-ए-सालिहात से मुराद उम्मी तौर पर नेक आमाल हैं जिनमें ये ज़िक्र हुए कलिमात भी दाख़िल हैं, पाँचों नमाज़ें भी और दूसरे तमाम नेक आमाल भी। हज़रत क़तादा से भी यही तफ़सीर मन्कूल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

कुरआन के अलफ़ाज़ के मुताबिक़ भी यही है क्योंकि इन अलफ़ाज़ का लफ़ज़ी मफ़हूम वो नेक आमाल हैं जो बाक़ी रहने वाले हैं और यह ज़ाहिर है कि नेक आमाल सब ही अल्लाह के नज़दीक बाक़ी और कायम हैं। इब्ने जरीर तबरी और कुर्तुबी ने इसी तफ़सीर को तरज़ीह दी है।

हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू ने फ़रमाया कि खेती दो किस्म की होती है— दुनिया की खेती तो माल व औलाद है और आख़िरत की खेती बाक़ियात-ए-सालिहात (बाक़ी रहने वाली नेकियाँ) हैं। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात इनसान की नीयत और इरादा हैं कि नेक आमाल की कुबूलियत इस पर मौकूफ़ है।

और उबैद इब्ने उमर ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात नेक लड़कियाँ हैं कि वे अपने माँ-बाप के लिये सवाब का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हैं। इसकी तरफ़ हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत इशारा करती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्कूल है कि आपने फ़रमाया कि मैंने अपनी उम्मत के एक आदमी को देखा कि उसको जहन्नम में ले जाने का हुम्म दे दिया गया तो उसकी नेक लड़कियाँ उसको चिमट गईं और रोने और शोर करने लगीं और अल्लाह तआला से फ़रियाद की कि या अल्लाह! इन्होंने दुनिया में हम पर बड़ा एहसान किया और हमारी तरबियत (पालन-पौषण) में मेहनत उठाई है तो अल्लाह

तआला ने उस पर रहम फरमाकर उसको बख्शा दिया। (तफसीरे कूर्तुबी)

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

कियामत के दिन सब को खिताब होगा कि आज तुम उसी तरह खाली हाथ बिना किसी सामान के हमारे पास आये हो जैसे तुम्हें पहली बार पैदाईश के वक़्त पैदा किया था। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि एक मर्ताबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुतबा दिया जिसमें फरमाया कि ऐ लोगो! तुम कियामत में अपने रब के सामने नंगे पाँव, नंगे बदन पैदल चलते हुए आओगे, और सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जायेगा वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह! क्या सब मर्द व औरत नंगे होंगे और एक दूसरे को देखते होंगे? आपने फरमाया कि उस दिन हर एक को ऐसी मशगूलियत और ऐसी फ़िक्र घेरेगी कि किसी को किसी की तरफ़ देखने का मौक़ा ही न मिलेगा, सबे की नज़रें ऊपर उठी हुई होंगी।

इमाम कूर्तुबी रह. ने फरमाया कि एक हदीस में जो आया है कि मुर्दे बर्ज़ख़ में एक दूसरे से कफ़नों के लिबास में लिपटे हुए मुलाकात करेंगे, वह इस हदीस के विरुद्ध नहीं, क्योंकि वह मामला क़ब्र और बर्ज़ख़ का है यह मैदान-ए-हश्र का। और हदीस की कुछ रिवायतों में जो यह मन्कूल है कि मरने वाला अपने लिबास में मैदाने हश्र में उठेगा जिसमें उसको दफ़न किया गया था, हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अपने मुर्दे के कफ़न अच्छे बनाया करो क्योंकि वे कियामत के रोज़ उसी कफ़न में उठेंगे, इसको कुछ हज़रात ने शहीदों पर महमूल किया है और कुछ ने कहा है कि हो सकता है कि मेहशर में कुछ लोग लिबास में उठें और कुछ नंगे, इस तरह दोनों किस्म की रिवायतें जमा हो जाती हैं। (तफसीरे मज़हरी)

अमल ही बदला है

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

यानी सब मेहशर वाले अपने किये हुए आमाल को हाज़िर पायेंगे। इसका मफ़हूम आम तौर पर हज़राते मुफ़स्सिरिन ने यह बयान किया है कि अपने किये हुए आमाल की जज़ा को हाज़िर व मौजूद पायेंगे, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी फरमाते थे कि यह मतलब लेने की ज़रूरत नहीं, हदीस की बेशुमार रिवायतें इस पर सुबूत हैं कि यही आमाल दुनिया या आख़िरत की जज़ा व सज़ा बन जायेंगे, इनकी शक़्लें वहाँ बदल जायेंगी, नेक आमाल जन्नत की नेमतों की शक़ल इख़्तियार कर लेंगे और बुरे आमाल जहन्नम की आग और साँप व बिच्छू बन जायेंगे।

हदीसों में है कि ज़कात न देने वालों का माल क़ब्र में एक बड़े साँप की शक़्ल में आकर उसको डसेगा और कहेगा "अ-न मालु-क" (मैं तेरा माल हूँ), नेक अमल एक हसीन इनसान की

शक्ल में इनसान को क़ब्र की तन्हाई में कुछ घबराहट दूर करने के लिये मानूस करने के लिये आयेगा, क़ुरबानी के जानवर पुलसिरात की सवारी बनेंगे, इनसान के गुनाह मेहशर में बोझ की शक्ल में हर एक के सर पर लाद दिये जायेंगे।

क़ुरआन में यतीमों के माल को नाहक खाने के बारे में है:

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

“ये लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं।” इन तमाम आयतों व रिवायतों को उमूमन असल से हटाकर दूसरे मायनों पर महमूल किया जाता है और अगर इस तहकीक़ को लिया जाये तो इनमें किसी जगह दूसरे और असल मायनों से हटकर मायने लेने की ज़रूरत नहीं रहती, सब अपनी हकीकत पर रहती हैं।

क़ुरआन ने यतीम के नाजायज़ माल को आग फ़रमाया, तो हकीकत यह है कि वह इस वक़्त भी आग ही है मगर उसके आसार महसूस करने के लिये इस दुनिया से गुज़र जाना शर्त है। जैसे कोई दिया सलाई के बक्स को आग कहे तो सही है मगर उसके आग होने के लिये रगड़ने की शर्त है, इसी तरह कोई पैट्रोल को आग कहे तो सही समझा जायेगा अगरचे उसके लिये ज़रा सी आग से टच होना शर्त है।

इसका हासिल यह हुआ कि इनसान जो कुछ नेक या बुरे अमल दुनिया में करता है यह अमल ही आखिरत में जज़ा व सज़ा की शक्ल इख़्तियार करेगा, उस वक़्त के आसार व निशानियाँ इस दुनिया से अलग दूसरी हो जायेंगी। वल्लाहु आलम

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفْتَكْبَرُ وَتَوَلَّىٰ أُوَلِيَّآءَهُ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ
بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدْتُهُم خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ
عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِقُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرَفًا ۝ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شِقْوَىٰ ۝
جَدًّا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ
سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِيئِي وَمَا أَتَدْرَأُوا هُمْ وَأَ
وَمِنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ

فَلْيُؤْمِنُوا كَمَا فَعَلْتُمْ وَلْيَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّهُم كَانُوا شَاكِرِينَ ﴿٥٠﴾
 وَلْيَجِدُوا فِي سُحُوفِهِمْ وَمَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥١﴾
 وَلْيَسْمَعُوا فِيهَا وَجَدِّدُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
 وَلْيَسْمَعُوا فِيهَا وَجَدِّدُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٣﴾

व इज़् कुला लिल्मलाइ-कतिस्जुदू
 लिआद-म फ-स-जदू इल्ला इब्ली-स,
 का-न मिनल्-जिन्नि फ-फ-स-क अन्
 अम्नि रब्बिही, अ-फ-तत्तख्रिज़्जूनहू
 व ज़ुर्रिय्य-तहू औलिया-अ मिन्
 दूनी व हुम् लकुम् अदुव्वुन्, बिअ-स
 लिज़्जालिमी-न ब-दला (50) मा
 अशहत्तुहुम् ख़ाल्कस्-समावाति
 वल्अज़ि व ला ख़ल्-क अन्फुसिहिम्
 व मा कुन्तु मुत्तख्रिज़ल्-मुज़िल्ली-न
 अज़ुदा (51) व यौ-म यकूलु नादू
 शु-रकाइ-यल्लज़ी-न ज़अम्तुम्
 फ-दअ़ौहुम् फलम् यस्तजीबू लहुम् व
 जअ़ल्ला बैनहुम् मौबिका (52) व
 र-अल् मुज़िरमूनन्ना-र फ-जन्नु
 अन्नहुम् मुवाकिअ़ूहा व लम् यजिदू
 अन्हा मस्रिफ़ा (53) ❁

और जब कहा हमने फ़रिश्तों को— सज्दा
 करो आदम को, तो सज्दे में गिर पड़े मगर
 इब्लीस, था जिन्न की किस्म से सो निकल
 भांगा अपने रब के हुक्म से, सो क्या अब
 तुम ठहराते हो उसको और उसकी औलाद
 को साथी मेरे सिवा, और वे तुम्हारे दुश्मन
 हैं, बुरा हाथ लगा बदला बेइन्साफ़ों के।
 (50) दिखला नहीं लिया था मैंने उनको
 बनाना आसमान और ज़मीन का और न
 बनाना खुद उनका, और मैं वह नहीं कि
 बनाऊँ बहकाने वालों को अपना मददगार।
 (51) और जिस दिन फ़रमायेगा पुकारो मेरे
 शरीकों को जिनको तुम मानते थे, फिर
 पुकारेंगे सो वे जवाब न देंगे उनको और
 कर देंगे हम उनके और उनके बीच मरने
 की जगह। (52) और देखेंगे गुनाहगार
 आग को फिर समझ लेंगे कि उनको पड़ना
 है उसमें, और न बदल सकेंगे उससे
 रस्ता। (53) ❁

व ल-कद् सर्रफ़ना फी हाज़ल्-कुरआनि
 लिन्नासि मिन् कुत्लि म-सलिन्, व
 कानल्-इन्सानु अक्स-र शैइन्

और बेशक फेर-फेरकर समझाई हमने इस
 कुरआन में लोगों को हर एक मिसाल,
 और है इनसान सब चीज़ से ज़्यादा

ज-दला (54) व मा म-नअन्ना-स
 अय्युअमिनु इज़् जाअहुमुल्हुदा व
 यस्तर्फिरु रब्बहुम् इल्ला अन्
 तअति-यहुम् सुन्नतुल्-अव्वली-न औ
 यअतियहुमुल्-अज़ाबु कुबुला (55) व
 मा नुर्सिलुल्-मुर्सली-न इल्ला
 मुबशिशरी-न व मुन्ज़िरी-न व
 युजादिलुल्लज़ी-न क-फ़रु बिल्बातिलि
 लियुद्हिज़् बिहिल्हक्-क वत्त-ख़ज़्
 आयाती व मा उन्ज़िरु हुजुवा (56) व
 मन् अज़्लमु मिम्-मन् जुक्कि-र
 बिआयाति रब्बिही फ़-अज़र-ज़ अन्हा
 व नसि-य मा क़दमत् यदाहु, इन्ना
 जअल्ना अला कुलुबिहिम् अकिन्न-तन्
 अय्यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम्
 वक्करन्, व इन् तद्अहुम् इलल्-हुदा
 फ़-लंय्यस्तदू इज़न् अ-बदा (57) व
 रब्बुकल्-गफ़ूरु ज़ुर्रह्मति, लौ
 युआदियाज़ुहुम् बिमा क-सब्
 ल-अज्ज-ल लहुमुल्-अज़ा-ब, बल्-
 लहुम् मौअिदुल्-लंय्यजिदू मिन् दूनिही
 मौअिला (58) व तिल्कल्-कुरा
 अस्तव्नाहुम् लम्मा ज़-लमू व जअल्ना
 लिमह्लिकिहिम् मौअिदा (59) ❀

झगड़ा लू। (54) और लोगों को जो रोका
 इस बात से कि यकीन ले आयें जब
 पहुँची उनको हिदायत और गुनाह
 बख़्शावायें अपने रब से सो इसी इन्तिज़ार
 ने कि पहुँचे उन पर पहलों की रस्म या
 खड़ा हो उन पर अज़ाब सामने का। (55)
 और हम जो रसूल भेजते हैं सो ख़ुशख़बरी
 और डर सुनाने को, और झगड़ा करते हैं
 काफ़िर झूठा झगड़ा, कि टलावें उससे
 सच्ची बात को और ठहरा लिया उन्होंने
 मेरे कलाम को और जो डर सुना दिये
 गये ठहरा। (56) और उससे ज़्यादा ज़ालिम
 कौन जिसको समझाया गया उसके रब के
 कलाम से फिर मुँह फेर लिया उसकी तरफ
 से और धूल गया जो कुछ आगे भेज चुके
 हैं उसके हाथ, हमने डाल दिये हैं उनके
 दिलों पर पर्दे कि उसको न समझें और उन
 के कानों में है बोझ, और अगर तू उनको
 बुलाये राह पर तो हरगिज़ न आयें राह पर
 उस वक़्त कभी। (57) और तेरा रब बड़ा
 बख़्शाने वाला है रहमत वाला। अगर उनको
 पकड़े उनके किये पर तो जल्द डाले उन
 पर अज़ाब, पर उनके लिये एक वायदा है,
 कहीं न पायेंगे उससे वरे सरक जाने की
 जगह। (58) और ये सब बस्तियाँ हैं
 जिनको हमने ग़ारत किया जब वे ज़ालिम
 हो गये, और मुक़र्रर किया था हमने उन
 की हलाकत का एक वायदा। (59) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी काबिले ज़िक्र है) जबकि हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम (अलैहिस्सलाम) के सामने सज्दा करो, तो सब ने सज्दा किया अज़ावा इब्लीस के, वह जिन्नात में से था, सो उसने अपने रब के हुक्म को न माना (क्योंकि जिन्नात का ग़ालिब तत्व जिससे वे पैदा किये गये हैं आग है और आग के तत्व का तकाज़ा पाबन्द न रहना है मगर इस तात्विक तकाज़े की वजह से इब्लीस माज़ूर न समझा जायेगा क्योंकि इस तात्विक तकाज़े को खुदा के ख़ौफ़ से मग़लूब किया जा सकता था)। सो क्या फिर भी तुम उसको और उसके पैरोकारों (औलाद और ताबेदारों) को दोस्त बनाते हो मुझको छोड़कर (यानी मेरी इताअत छोड़कर उसके कहने पर चलते हो) हालाँकि वे (इब्लीस और उसकी जमाअत) तुम्हारे दुश्मन हैं (किं हर वक़्त तुम्हें नुक़सान पहुँचाने की फ़िक्र में रहते हैं)। ये (इब्लीस और उसकी नस्ल की दोस्ती) ज़ालिमों के लिये बहुत बुरा बदल है (बदल इसलिये कहा कि दोस्त तो बनाना चाहिये था मुझे लेकिन उन्होंने मेरे बदले शैतान को दोस्त बना लिया, बल्कि दोस्त ही नहीं उसको खुदाई का शरीक भी मान लिया हालाँकि) मैंने उनको न तो आसमान और ज़मीन के पैदा करने के वक़्त (अपनी मदद या मशिवरे के लिये बुलाया) और न खुद उनके पैदा करने के वक़्त (बुलाया, यानी एक के पैदा करने के वक़्त दूसरे को नहीं बुलाया) और मैं ऐसा (अज़िज़) न था कि (किसी को खास तौर पर) गुमराह करने वालों को (यानी शैतानों को) अपना (हाथ व) बाज़ू बनाता (यानी मदद की ज़रूरत तो उसको होती है जो खुद कादिर न हो)। और (तुम यहाँ उनको खुदाई में शरीक समझते हो, कियामत में हकीकत मालूम होगी) उस दिन को याद करो कि हक़ तअ़ाला (मुशिरक लोगों से) फ़रमायेगा कि जिनको तुम हमारा शरीक समझा करते थे उनको (अपनी इमदाद के लिये) पुकारो, तो वे उनको पुकारेंगे, सो वे उनको जवाब ही न देंगे, और हम उनके बीच में एक आड़ कर देंगे (जिससे बिल्कुल ही मायूसी हो जाये वरना बग़ैर आड़ के भी उनका मदद करना मुम्किन न था)। और मुजरिम लोग दोज़ख़ को देखेंगे, फिर यकीन करेंगे कि वे उसमें गिरने वाले हैं, और उससे बचने की कोई राह न पाएँगे।

और हमने इस क़ुरआन में लोगों (की हिदायत) के वास्ते हर किस्म के उम्दा मज़मून तरह-तरह से बयान फ़रमाये हैं और (इस पर भी इनकार करने वाला) आदमी झगड़ने में सबसे बढ़कर है (जिन्नात और हैवानात में अगरचे शऊर व एहसास है मगर वे ऐसा झगड़ा नहीं करते) और लोगों को इसके बाद कि उनको हिदायत पहुँच चुकी (जिसका तकाज़ा था कि ईमान ले आते) ईमान लाने से और अपने परवर्दिगार से (कुफ़्र व नाफ़रमानी से) मग़फ़िरत माँगने से और कोई चीज़ रोक नहीं रही इसके अज़ावा कि उनको इसका इन्तिज़ार हो कि पहले लोगों के जैसा मामला (हलाकत और अज़ाब का) उनको भी पेश आ जाये, या यह कि अज़ाब उनके सामने आकर खड़ा हो (मतलब यह है कि उनके हालात से यह समझा जाता है कि अज़ाब ही का

इन्तिज़ार रहे वरना और सब हुज्जतें तो तमाम हो चुकीं। और रसूलों को तो हम सिर्फ़ खुशख़बरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा करते हैं (जिसके लिये मोजिज़ों वगैरह के ज़रिये काफ़ी दलीलें उनके साथ कर दी जाती हैं इससे ज़्यादा उनसे कोई फ़रमाईश करना जहालत है) और काफ़िर लोग नाहक़ की बातें पकड़-पकड़कर झगड़े निकालते हैं ताकि उसके ज़रिये से हक़ बात को बिचला दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और जिस (अज़ाब) से उनको डराया गया था उसको दिल्लीगी बना रखा है। और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाये फिर वह उससे मुँह फेर ले और जो कुछ अपने हाथों (गुनाह) समेट रहा है, उस (के नतीजे) को भूल जाये। हमने उस (हक़ बात) के समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं (और उसके सुनने से) उनके कानों में डाट दे रखी है, और (इसी वजह से उनका हाल यह है कि) अगर आप उसको सही रास्ते की तरफ़ बुलाएँ तो हरगिज़ भी रास्ते पर न आएँ (क्योंकि कानों से हक़ की दावत सुनते नहीं, दिलों से समझते नहीं इसलिये आप गुम न करें)। और (अज़ाब में देर होने की वजह से जो उनको यह ख़्याल हो रहा है कि अज़ाब आयेगा ही नहीं तो इसकी वजह यह है कि) आपका रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला बड़ा रहमत वाला है (इसलिये मोहलत दे रखी है कि अब उनको होश आ जाये और ईमान ले आयेँ तो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाये, वरना उनके आमाल तो ऐसे हैं कि) अगर उनसे उनके आमाल पर पकड़ करने लगता तो उन पर फ़ौरन ही अज़ाब ला देता, (मगर ऐसा नहीं करता) उनके (अज़ाब के) वास्ते एक तय वक़्त (ठहरा रखा) है, (यानी क़ियामत का दिन) कि उससे इस तरफ़ (यानी पहले) कोई पनाह की जगह नहीं पा सकते (यानी उस वक़्त के आने से पहले किसी पनाह की जगह में जा छुपें और उससे महफूज़ रहें)। और (यही कायदा पहले काफ़िरों के साथ बरता गया चुनाँचे) ये बस्तियाँ (जिनके किस्से मशहूर व मज़कूर हैं) जब उन्होंने (यानी उनके रहने वालों ने) शरारत की तो हमने उनको हलाक कर दिया, और हमने उनके हलाक होने के लिये वक़्त तय किया था (इसी तरह इन मौजूदा लोगों के लिये भी वक़्त निर्धारित है)।

मअरिफ़ व मसाईल

इब्लीस के औलाद और नस्ल भी है

‘व ज़ुरिय्य-तहू’। इस लफ़्ज़ से समझा जाता है कि शैतान के औलाद व नस्ल है, और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि इस जगह नस्ल व औलाद से मुराद मददगार व सहयोगी हैं, यह ज़रूरी नहीं कि शैतान की वास्तविक औलाद भी हो, मगर एक सही हदीस जिसको हुमैदी ने ‘क़िताबुल् जमा बैनस्सहीहैन’ में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको यह नसीहत फ़रमाई कि तुम उन लोगों में से न बनो जो सबसे पहले बाज़ार में दाख़िल हो जाते हैं या वे लोग जो सबसे आख़िर में बाज़ार से निकलते हैं, क्योंकि बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ शैतान ने अण्डे-बच्चे दे रखे हैं। इससे मालूम होता है कि शैतान की नस्ल व औलाद उसके अण्डों से फैलती है। इमाम कुतुबी ने यह रिवायत नक़ल

व इज़् का-ल मूसा लि-फ़ताहु ला
 अबरहु हत्ता अब्लु-ग़ मज्मअल्
 बत्सैनि औ अम्ज़ि-य हुकुबा (60)
 फ-लम्मा ब-लगा मज्म-अ बैनिहिमा
 नसिया हूतहुमा फत्त-ख़-ज़ सबीलहू
 फिल्बदिर स-रबा (61) फ-लम्मा
 जा-वज़ा का-ल लि-फ़ताहु आतिना
 ग़दा-अना, ल-क़द् लकीना मिन्
 स-फ़रिना हाज़ा न-सबा (62) का-ल
 अ-रऐ-त इज़् अवैना इलस्सख़रति
 फ-इन्नी नसीतुलहू-त व मा अन्सानीहु
 इल्लश़ैतानु अन् अज़्कु-रहू वत्त-ख़-ज़
 सबी-लहू फिल्बदिर अ-जबा (63)
 का-ल ज़ालि-क मा कुन्ना नब्गि
 फ़रतद्दा अ़ला आसारिहिमा क-ससा
 (64) फ़-व-जदा अ़द्दम्-मिन्
 अ़िबादिना आतैनाहु रस्म-तम् मिन्
 अ़िन्दिना व अ़ल्लम्नाहु मिल्लदुन्ना
 अ़िल्मा (65) का-ल लहू मूसा हल्
 अत्तबिअु-क अ़ला अन् तुअ़ल्लि-मनि
 मिम्मा जुल्लिम्-त रुशदा (66) का-ल
 इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअ़ि-य सबा
 (67) व कै-फ़ तस्विरु अ़ला मा लम्
 तुस्ति बिही ख़ुबा (68) का-ल

और जब कहा मूसा ने अपने जवान को
 मैं न हडूँगा जब तक पहुँच जाऊँ जहाँ
 मिलते हैं दो दरिया या चला जाऊँ करनों
 “लम्बे समय तक”। (60) फिर जब पहुँचे
 दोनों दरिया के मिलाप तक भूल गये
 अपनी मछली फिर उसने अपनी राह कर
 ली दरिया में सुरंग बनाकर। (61) फिर
 जब आगे चले कहा मूसा ने अपने जवान
 को ला हमारे पास हमारा खाना हमने पाई
 अपने इस सफ़र में तकलीफ़। (62) बोला
 वह-देखा तूने जब हमने जगह पकड़ी उस
 पत्थर के पास सो मैं भूल गया मछली,
 और यह मुझको भुला दिया शैतान ही ने
 कि उसका जिक्र करूँ, और उसने कर
 लिया अपना रस्ता दरिया में अजीब तरह।
 (63) कहा यही है जो हम चाहते थे, फिर
 उल्टे फिरे अपने पैर पहचानते। (64) फिर
 पाया एक बन्दा हमारे बन्दों में का जिस
 को दी थी हमने रहमत अपने पास से
 और सिखलाया था अपने पास से एक
 इल्म। (65) कहा उसको मूसा ने कहे तू
 तेरे साथ रहूँ इस बात पर कि मुझको
 सिखला दे कुछ जो तुझको सिखलाई है
 भली राह। (66) बोला तू न ठहर सकेगा
 मेरे साथ। (67) और क्योंकर ठहरेगा
 देखकर ऐसी चीज़ को कि तेरे काबू में
 नहीं उसका समझना। (68) कहा

स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु साबिरव-
व ला अज़्सी ल-क अम्रा (69)
का-ल फ-इनिन्न-बज़्तनी फला
तसअल्ली अन् शैइन् हत्ता उहिद-स
ल-क मिन्हु जिक्का (70) ●

तू पायेगा अगर अल्लाह ने चाहा मुझको
ठहरने वाला और न टालूँगा तेरा कोई
हुक्म। (69) बोला फिर अगर मेरे साथ
रहना है तो मत पूछियो मुझसे कोई चीज़
जब तक मैं शुरू न कर दूँ तेरे आगे
उसका जिक्र। (70) ●

खुलासा-ए-तफसीर

और वह वक़्त याद करो जबकि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने खादिम से (जिनका नाम बुखारी की रिवायत के मुताबिक़ यूशा था) फ़रमाया कि मैं (इस सफ़र में) बराबर चला जाऊँगा यहाँ तक कि उस मौक़े पर पहुँच जाऊँ जहाँ दो दरिया आपस में मिले हैं, या यँ ही लम्बे अर्से तक चलता रहूँगा (और वजह इस सफ़र की यह हुई थी कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल में बयान फ़रमाया तो किसी ने पूछा कि इस वक़्त आदमियों में सबसे बड़ा आलिम कौन शख्स है? आपने फ़रमाया "मैं" मतलब यह था कि उन उलूम में कि जिनको अल्लाह की निकटता हासिल करने में दख़ल है मेरे बराबर कोई नहीं, और यह फ़रमाना सही था इसलिये आप बड़े ऊँचे रुतबे के नबी थे, आपके बराबर दूसरे को यह इल्म नहीं था लेकिन ज़ाहिर में लफ़्ज़ आम था इसलिये अल्लाह तआला को मन्ज़ूर हुआ कि आपको बात करने में एहतियात की तालीम दी जाये। गर्ज़ कि इरशाद हुआ कि एक हमारा बन्दा दो दरियाओं के संगम में तुम से ज़्यादा इल्म रखता है। मतलब यह था कि कुछ उलूम में वह ज़्यादा है अगरचे उन उलूम को अल्लाह तआला की निकटता में दख़ल न हो जैसा कि अभी आगे वाज़ेह होगा लेकिन इस बिना पर जवाब में मुतलक़ तौर पर तो अपने को सबसे बड़ा आलिम न कहना चाहिये- या, गर्ज़ कि मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के इच्छुक हुए और पूछा कि उन तक पहुँचने की क्या सूरत है? इरशाद हुआ कि एक बेजान मछली अपने साथ लेकर सफ़र करो जहाँ वह मछली गुम हो जाये वह शख्स वहीं है, उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और यह बात फ़रमाई।

पस जब (चलते-चलते) दोनों दरियाओं के जमा होने के स्थान पर पहुँचे (वहाँ किसी पत्थर से लगकर सो गये और वह मछली अल्लाह के हुक्म से ज़िन्दा होकर दरिया में जा पड़ी। यूशा अलैहिस्सलाम जागे तो मछली को न पाया, इरादा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जागेंगे तो इसका जिक्र करूँगा मगर उनको बिल्कुल याद न रहा, शायद बीबी-बच्चों और बतन वगैरह के ख़्यालात का हुजूम हुआ होगा जो जिक्र करना भूल गये वरना ऐसी अजीब बात का भूल जाना कम होता है, लेकिन जो शख्स हर वक़्त मोजिज़े देखता हो उसके ज़ेहन से किसी मामूली दर्जे की बात का निकल जाना किसी ख़्याल के ग़लबे से अजीब नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी पूछने का

ख़्याल न रहा, इस तरह से) उस अपनी मछली को दोनों भूल गये और मछली ने (उससे पहले ज़िन्दा होकर) दरिया में अपनी राह ली और चल दी। फिर जब दोनों (वहाँ से) आगे बढ़ गये (और दूर निकल गये) तो मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने अपने खादिम से फ़रमाया कि हमारा नाश्ता तो लाओ, हमको तो इस सफ़र (यानी आजकी मन्ज़िल) में बड़ी तकलीफ़ पहुँची (और इससे पहले की मन्ज़िलों में नहीं थके थे जिसकी वजह जाहिरी तौर पर अपनी मन्ज़िल से आगे बढ़ आना था)। खादिम ने कहा कि लीजिए देखिए (अज़ीब बात हुई) जब हम उस पत्थर के करीब ठहरे थे (और सो गये थे उस वक़्त उस मछली का एक क़िस्सा हुआ और मेरा इरादा आप से ज़िक्र करने का हुआ लेकिन मैं किसी दूसरे ध्यान में लग गया) सो मैं उस मछली (के ज़िक्र करने) को भूल गया और मुझको शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका ज़िक्र करता, और (वह क़िस्सा यह हुआ कि) उस मछली ने (ज़िन्दा होने के बाद) दरिया में अज़ीब अन्दाज़ से अपनी राह ली (एक अज़ीब अन्दाज़ तो खुद ज़िन्दा हो जाना है, दूसरे अज़ीब अन्दाज़ यह कि वह मछली दरिया में जहाँ को गुज़री थी वहाँ का पानी एक करिशमे के तौर पर उसी तरह सुरंग के तौर पर हो गया था ग़ालिबन फिर मिल गया होगा)।

मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने (यह हिकायत सुनकर) फ़रमाया— यही वह मौका है जिसकी हमको तलाश थी (वहाँ ही लौटना चाहिये), सो दोनों अपने क़दमों के निशान देखते हुए उल्टे लौटे (ग़ालिबन वह रास्ता सड़क का न होगा इसलिये निशान देखने पड़े)। सो (वहाँ पहुँचकर) उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे (यानी खज़िर अल्लैहिस्सलाम) को पाया, जिनको हमने अपनी ख़ास रहमत (यानी मक़बूलियत) दी थी (मक़बूलियत के मायने में विलायत और नुबुव्वत दोनों की संभावना और गुंजाईश है) और हमने उनको अपने पास से (यानी कोशिश व मेहनत के माध्यमों के बग़ैर) एक ख़ास तरीके का इल्म सिखाया था (मुराद इससे कायनात के राज़ों का इल्म है जैसा कि आगे के वाक़िआत से मालूम होगा, और इस इल्म को अल्लाह की निकटता के हासिल होने में कुछ दख़ल नहीं, जिस इल्म को अल्लाह की निकटता में दख़ल है वह अल्लाह के भेदों का इल्म है जिसमें मूसा अल्लैहिस्सलाम बढ़े हुए थे। गर्ज़ कि) मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने (उनको सलाम किया और उनसे) फ़रमाया कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ (यानी आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दीजिये) इस शर्त से कि जो मुफ़ीद इल्म आपकी (अल्लाह की तरफ़ से) सिखाया गया है उसमें से आप मुझको भी सिखला दें। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप से मेरे साथ रहकर (मेरे कामों पर) सब्र न हो सकेगा (यानी आप मुझ पर रोक-टोक करेंगे और शिक्षक पर शिक्षा के संबन्ध शिक्षा ग्रहण करने वाले की रोक-टोक करने से साथ रह पाना मुश्किल है)। और (भला) ऐसे मामलों पर (रोक-टोक करने से) आप कैसे सब्र करेंगे जो आपकी जानकारी से बाहर हैं (यानी जाहिरी में वो मामले मक़सद व कारण मालूम न होने की वजह से ख़िलाफ़े शरीअत नज़र आयेंगे और आप ख़िलाफ़े शरीअत बातों पर ख़ामोश न रह सकेंगे)।

मूसा अल्लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि (नहीं!) इन्शा-अल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला (यानी बरदाश्त करने वाला) पाएँगे, और मैं किसी बात में आपके हुक़म के ख़िलाफ़ न करूँगा

(यानी मसलन अगर रोक-टोक से मना कर देंगे तो मैं रोक-टोक न करूँगा, इसी तरह और किसी बात में भी आपके हुक्म के खिलाफ न करूँगा)। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि (अच्छा) तो अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो (इतना ख्याल रहे कि) मुझसे किसी बात के बारे में कुछ पूछना नहीं जब तक कि उसके बारे में मैं खुद जिक्र शुरू न कर दूँ।

मअरिफ व मसाईल

وَأَذَقَ الْمُؤْمِنِينَ لِقَاءَهُ

इस वाकिए में मूसा से मुराद मशहूर व परिचित पैगम्बर मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम हैं, नौफ बकाली ने जो दूसरे किसी मूसा की तरफ इस वाकिए को मन्सूब किया है सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से इस पर सख्त रद्द मन्कूल है।

और फता के लफ्ज़ी मायने नौजवान के हैं। जब यह लफ्ज़ किसी खास शख्स की तरफ मन्सूब करके इस्तेमाल किया जाता है तो उसका ख़ादिम मुराद होता है, क्योंकि ख़िदमतगार अक्सर ताक़तवर जवान देखकर रखा जाता है जो हर काम अन्जाम दे सके, और नौकर व ख़ादिम को जो उनके नाम से पुकारना इस्लाम का एक बेहतरीन अदब है कि नौकरों को भी गुलाम या नौकर कहकर खिताब न करो बल्कि अच्छे लक़ब से पुकारो, इस जगह फता की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, इसलिये मुराद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ादिम और हदीस की रिवायतों में है कि यह ख़ादिम यूशा बिन नून इब्ने अफ़राईम बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। कुछ रिवायतों में है कि यह मूसा अलैहिस्सलाम के भानजे थे मगर इसमें कोई निश्चित फ़ैसला नहीं किया जा सकता, सही रिवायतों से उनका नाम यूशा बिन नून होना साबित है, बाकी सिफ़ात व हालात का सुबूत नहीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मजमउल्-बहरैन के लफ्ज़ी मायने हर वह जगह है जहाँ दो दरिया मिलते हैं, और यह जाहिर है कि ऐसे मौक़े दुनिया में बेशुमार हैं। इस जगह मजमउल्-बहरैन से कौनसी जगह मुराद है, चूँकि कुरआन व हदीस में इसको निर्धारित तौर पर नहीं बतलाया इसलिये आसार व अन्दाज़ों के एतिबार से मुफ़स्सिरान के अक़वाल इसमें भिन्न और अलग-अलग हैं, क़तादा रह. ने फरमाया कि फ़ारस व रोम के दरियाओं का संगम मुराद है, इब्ने अतीया रह. ने आजूर बाइजान के क़रीब एक जगह को कहा है, कुछ हज़रात ने दरिया-ए-उर्दुन और दरिया-ए-कुल्लुम के मिलने की जगह (संगम) बतलाई है, कुछ हज़रात ने कहा यह तनजा के मक़ाम में स्थित है, उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि यह अफ़्रीका में है, सुद्दी ने आरमीनिया में बतलाया है, कुछ ने दरिया-ए-उन्दुलुस जहाँ दरिया-ए-मुहीत से मिलता है वह स्थान बतलाया है। वल्लाहु आलम

बहरहाल! इतनी बात जाहिर है कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह मक़ाम मुतैयन करके बतला दिया था जिसकी तरफ़ उनका सफ़र जारी हुआ है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर अलैहिमस्सलाम का किस्सा

इस वाकिए की तफसील सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इस्राईल में खुतबा देने (बयान करने) के लिये खड़े हुए तो लोगों ने आप से यह सवाल किया कि तमाम इनसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म वाला कोई था नहीं इसलिये) फरमाया कि "मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ।" (अल्लाह तआला अपनी बारगाह के ख़ास बन्दों अम्बिया को ख़ास तरबियत देते हैं इसलिये यह बात पसन्द न आई बल्कि अदब का तिकाज़ा तो यह था कि इसको अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी यह कह देते कि अल्लाह तआला ही जानते हैं कि सारी मख़्लूक में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कौन है)।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर अल्लाह तआला की नाराज़गी और अप्रसन्नता का इज़हार हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बन्दा मजमउल्-बहरेन (दो दरियाओं के संगम) पर है वह आप से ज़्यादा इल्म रखने वाला है। (मूसा अलैहिस्सलाम को जब यह मालूम हुआ तो अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की कि जब वह मुझे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं तो मुझे उनसे लाभ उठाने के लिये सफ़र करना चाहिये) इसलिये अर्ज़ किया या अल्लाह! मुझे उनका पता निशान बतलाया जाये, अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक मछली अपनी जम्बील में रख लो और मजमउल्-बहरेन (दो दरियाओं के संगम) की तरफ़ सफ़र करो जिस जगह पहुँचकर यह मछली गुम हो जाये बस वही जगह हमारे उस बन्दे के मिलने की है।

मूसा अलैहिस्सलाम ने हुकम के मुताबिक़ एक मछली जम्बील में रख ली और चल दिये, उनके साथ उनके ख़ादिम यूशा बिन नून भी थे। सफ़र के दौरान एक पत्थर के पास पहुँचकर उस पर सर रखकर लेट गये, यहाँ अचानक यह मछली हरकत में आ गई और जम्बील से निकल कर दरिया में चली गई और (मछली के ज़िन्दा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मौजिज़ा यह हुआ कि) जिस रास्ते से मछली दरिया में गई अल्लाह तआला ने वहाँ पानी का चलना रोक दिया और उस जगह पानी के अन्दर एक सुरंग जैसी हो गई (यूशा बिन नून इस अजीब वाकिए को देख रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम सो गये थे) जब वह जागे तो यूशा बिन नून मछली का यह अजीब मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बतलाना भूल गये और उस जगह से फिर ख़ाना हो गये। पूरे एक दिन एक रात का मजीद सफ़र किया, जब दूसरे दिन की सुबह हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ क्योंकि इस सफ़र से काफी थकान हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि (अल्लाह का हुकम) मूसा अलैहिस्सलाम को इससे पहले थकान भी महसूस नहीं हुई यहाँ तक कि जिस जगह पहुँचना था उससे आगे निकल गये। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता तलब किया तो यूशा बिन नून को मछली का वाक़िआ याद आया और अपने भूल जाने का उज़्र किया कि शैतान ने मुझे

भुला दिया था कि उस वक़्त आपको वाकिफ़ की इत्तिला न की और फिर बतलाया कि वह मुर्दा मछली तो जिन्दा होकर दरिया में एक अजीब तरीक़े से चली गई। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि वही तो हमारा मक़सद था (यानी मन्ज़िले मक़सूद वही थी जहाँ मछली जिन्दा होकर गुम हो जाये)।

चुनाँचे उसी वक़्त वापस रवाना हो गये और ठीक उसी रास्ते से लौटे जिस पर पहले चले थे तार्कि वह जगह मिल जाये। अब जो यहाँ उस पत्थर के पास पहुँचे तो देखा कि उस पत्थर के पास एक शख्स सर से पाँव तक चादर ताने हुए लेटा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने (उसी हालत में) सलाम किया तो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस (गैर-आबाद) जंगल में सलाम कहाँ से आ गया? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ, तो हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मूसा बनी इस्राईल? आपने जवाब दिया कि हाँ मैं मूसा बनी इस्राईल हूँ। इसलिये आया हूँ कि आप मुझे वह खास इल्म सिखला दें जो अल्लाह ने आपको दिया है।

ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, ऐ मूसा! मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह आपके पास नहीं, और एक इल्म आपको दिया है जो मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इन्शा-अल्लाह तआला आप मुझे सब्र करने वाला पायेंगे और मैं किसी काम में आपकी मुखालफ़त नहीं करूँगा।

हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर आप मेरे साथ चलने ही को तैयार हैं तो किसी मामले के मुताल्लिक़ मुझसे कुछ पूछना नहीं जब तक कि मैं खुद आपको उसकी हकीक़त न बतलाऊँ।

यह कहकर दोनों हज़रत दरिया के किनारे-किनारे चलने लगे। इत्तिफ़ाक़ से एक कश्ती आ गई तो कश्ती वालों से कश्ती पर सवार होने की बातचीत की, उन लोगों ने हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और इन सब लोगों को बग़ैर किसी किराये और उजरत के कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती में सवार होते ही ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी के ज़रिये कश्ती का एक तख़्ता निकाल डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम (से रहा न गया) कहने लगे कि इन लोगों ने बग़ैर किसी मुआवज़े के हमें कश्ती में सवार कर लिया, आपने इसका यह बदला दिया कि इनकी कश्ती तोड़ डाली ताकि ये सब गर्क हो जायें, यह तो आपने बहुत बुरा काम किया। ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आप से पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया कि मैं अपना वायदा भूल गया था, इस भूल पर आप पकड़ न करें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह वाकिफ़ा नक़ल करके फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला एतिराज़ ख़ज़िर अलैहिस्सलाम पर भूल से हुआ था और दूसरा बतौर शर्त के और तीसरा इरादे से (इसी दौरान में) एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठकर उसने दरिया में से एक चोंच भर पानी लिया। ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम

को खिताब करके कहा कि मेरा इल्म और आपका इल्म दोनों मिलकर भी अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी इस चिड़िया की चोंच के पानी को इस समन्दर के साथ है।

फिर कश्ती से उतरकर दरिया के किनारे चलने लगे, अचानक ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा कि दूसरे लड़कों में खेल रहा है, ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उस लड़के का सर उसके बदन से अलग कर दिया, लड़का मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक मासूम जान को बग़ैर किसी जुर्म के क़त्ल कर दिया यह तो आपने बड़ा ही गुनाह किया। ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह मामला पहले मामले से ज़्यादा सख़्त है इसलिये कहा कि अगर इसके बाद मैंने आप से कोई बात पूछी तो आप मुझे अपने साथ से अलंग कर दीजिये, आप मेरी तरफ़ से उज़्र की हद पर पहुँच चुके हैं।

इसके बाद फिर चलना शुरू किया यहाँ तक कि एक गाँव पर गुज़र हुआ, इन्होंने गाँव वालों से दरख़्वास्त की कि हमें अपने यहाँ मेहमान रख लीजिये, उन्होंने इनकार कर दिया। उस बस्ती में इन लोगों ने एक दीवार को देखा कि गिरने वाली है, हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने उसको अपने हाथ से सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा कि हमने इन लोगों से मेहमानी चाही तो इन्होंने इनकार कर दिया, आपने इतना बड़ा काम कर दिया अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत इनसे ले सकते थे। ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि:

هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

(यानी अब शर्त पूरी हो चुकी इसलिये हमारी और आपकी जुदाई का वक़्त आ गया है)

इसके बाद ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने तीनों वाकिआत की हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाकर कहा:

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

“यानी यह है हकीकत उन वाकिआत की जिन पर आप से सब्र न हो सका।”

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने यह पूरा वाकिआ ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि जी चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और कुछ सब्र कर लेते तो इन दोनों की और कुछ ख़बरें मालूम हो जातीं।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में यह लम्बी हदीस इस तरह आई है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा बनी इस्राईल और नौजवान साथी का नाम यूशा बिन नून होना और जिस बन्दे की तरफ़ मूसा अलैहिस्सलाम को मजमउल्-बहरैन की तरफ़ भेजा गया था उनका नाम ख़ज़िर होना स्पष्ट तौर पर बयान हुआ है, आगे कुरआन की आयतों के साथ इनके मफ़हूम और तफ़सीर को देखिये।

सफ़र के कुछ आदाब और पैग़म्बराना हिम्मत व इरादे का एक नमूना

لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

यह जुमला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र के साथी यूशा बिन नून से कहा जिसका मतलब अपने सफ़र का रुख़ और मन्ज़िले मक़सूद साथी को बताना था। इसमें भी अच्छी बात यह है कि सफ़र की ज़रूरी बातों से अपने साथी और खादिम को भी अवगत करा देना चाहिये, घमण्डी लोग अपने खादिमों और नौकरों को न काबिले ख़िताब समझते हैं न अपने सफ़र के बारे में उनको कुछ बताते हैं।

हुक्बन, हुक्बतु की जमा (बहुवचन) है, लुगत वालों ने कहा कि हुक्बा अस्सी साल की मुद्दत है, कुछ ने इससे ज़्यादा को हुक्बा फ़रार दिया। सही यह है कि लम्बे ज़माने को कहा जाता है इसकी कोई मुलैयन हद नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को यह बतला दिया कि मुझे मजमउल्-बहरैन (दो दरियाओं के संगम) की उस जगह पर पहुँचना है जहाँ के लिये अल्लाह तआला का हुक्म हुआ है और इरादा यह है कि कितना ही लम्बा समय सफ़र में गुज़र जाये जब तक उस मन्ज़िले मक़सूद पर न पहुँचूँ सफ़र जारी रहेगा, अल्लाह तआला के हुक्म की तामील में पैग़म्बराना हिम्मत व इरादे ऐसे ही हुआ करते हैं।

हज़रत मूसा का हज़रत ख़ज़िर से अफ़ज़ल होना

मूसा अलैहिस्सलाम की ख़ास तरबियत और उनके मोज़िज़े

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

कुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों से स्पष्ट है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत में भी एक ख़ास विशेषता हासिल है, अल्लाह तआला के साथ कलाम करने का ख़ास सम्मान उनकी विशेष फ़ज़ीलत है, और हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की तो नुबुव्वत में भी मतभेद है, और नुबुव्वत को तस्लीम भी किया जाये तो रसूल होने का मर्तबा हासिल नहीं, न उनकी कोई किताब है न कोई ख़ास उम्मत, इसलिये बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल हैं, लेकिन हक़ तआला अपने ख़ास बन्दों की मामूली-सी कमी और कोताही की इस्लाह फ़रमाते हैं, उनकी तरबियत के लिये मामूली-सी कोताही पर भी सख़्त नाराज़गी का इज़हार होता है, उसकी तलाफ़ी व भरपाई भी उनसे उसी पैमाने पर कराई जाती है। यह सारा किस्सा इसी ख़ास अन्दाज़े तरबियत का प्रतीक है। उनकी ज़बान से यह कलिमा निकल गया था कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, हक़ तआला को यह

पसन्द न आया तो उनकी तंबीह के लिये अपने एक ऐसे बन्दे का उनको पता दिया गया जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ एक ख़ास इल्म था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था, अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म उनके इल्म से दर्जे में बहुत बढ़ा हुआ था मगर बहरहाल यह मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल न था। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने इल्म हासिल करने का ऐसा ज़ुब्र अता फ़रमाया था कि जब यह मालूम हुआ कि कहीं और भी इल्म है जो मुझे हासिल नहीं तो उसके हासिल करने के लिये तालिब-इल्म की हैसियत से सफ़र के लिये तैयार हो गये और हक़ तआला ही से उस बन्दे (ख़ज़िर अलैहिस्सलाम) का पता पूछा। अब यहाँ यह बात गौर करने के काबिल है कि अगर अल्लाह तआला चाहते तो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाक़ात यहाँ आसानी से करा देते, या मूसा अलैहिस्सलाम ही को तालिब-इल्म बनाकर सफ़र कराना था तो पता साफ़ बता दिया जाता जहाँ पहुँचने में परेशानी न होती, मगर हुआ यह कि पता ऐसा अस्पष्ट बतलाया गया कि जिस जगह पहुँचकर मरी हुई मछली जिन्दा होकर गुम हो जाये उस जगह वह हमारा बन्दा मिलेगा।

सही बुख़ारी की हदीस से उस मछली के मुताल्लिक इतना साबित हुआ कि हक़ तआला ही की तरफ़ से यह हुक्म हुआ था कि एक मछली अपनी ज़म्बील में रख लें, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं कि यह मछली खाने के लिये साथ रखने का हुक्म हुआ था या खाने से अलग, दोनों बातें हो सकती हैं, इसी लिये मुफ़स्सिरिन में से कुछ हज़रत ने कहा कि यह भुनी हुई मछली खाने के लिये रखी गई थी और उस सफ़र के दोनों साथी सफ़र के दौरान उसमें से खाते भी रहे, उसका आधा हिस्सा खाया जा चुका था उसके बाद मोजिज़े के तौर पर यह भुनी हुई और आधी खाई हुई मछली जिन्दा होकर दरिया में चली गई।

इन्ने अतीया और कुछ दूसरे लोगों ने यह भी बयान किया कि यह मछली मोजिज़े के तौर पर फिर दुनिया में बाकी भी रही और बहुत देखने वालों ने देखा भी कि उसकी सिर्फ़ एक करवट है दूसरी खाई हुई है। इन्ने अतीया ने खुद भी अपना देखना बयान किया है। (तफ़सीर क़ुर्तुबी)

और कुछ मुफ़स्सिरिन ने कहा कि नाश्ते खाने के अलावा एक अलग ज़म्बील में मछली रखने का हुक्म हुआ था उसके मुताबिक़ रख ली गई थी, इसमें भी इतनी बात तो मुतैयन है कि मछली मुर्दा थी, जिन्दा होकर दरिया में चला जाना एक मोजिज़ा ही था।

बहरहाल! हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का पता ऐसा अस्पष्ट दिया गया कि आसानी से जगह मुतैयन न हो, ज़ाहिर यह है कि यह भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ही था, इस पर और ज़्यादा इम्तिहान की सूरत यह पैदा की गई कि जब ऐन मौक़े पर ये लोग पहुँच गये तो मछली कब्र भूल गये। कुरआन की आयत में यह भूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दोनों की तरफ़ मन्सूब की गई है 'नसिया हूतहुमा', लेकिन बुख़ारी की हदीस से जो किस्सा साबित हुआ उससे मालूम होता है कि जिस वक़्त मछली के जिन्दा होकर दरिया में जाने का वक़्त आया तो मूसा अलैहिस्सलाम सोये हुए थे सिर्फ़ यूशा बिन नून ने यह अजीब वाक़िआ देखा, और इरादा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जाग जायें तो उनको बतलाऊँगा, मगर जागने

के बाद अल्लाह तआला ने उन पर भूल मुसल्लत कर दी और भूल गये तो यहाँ दोनों की तरफ़ भूलने की निस्वत ऐसी हो गई जैसे कुरआन में:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

(यांनी सूर: रहमान) में मीठे और खारी दोनों दरियाओं से मोती और मरजान निकलने का बयान आया है, हालाँकि मोती सिर्फ़ खारी और नमकीले दरिया से निकलते हैं, मगर मुहाबरे में ऐसा कहना और लिखना एक आम बात है। और यह भी हो सकता है कि उस जगह से आगे सफ़र करने के वक़्त तो मछली को साथ लेना दोनों ही बुजुर्ग भूले हुए थे इसलिये दोनों की तरफ़ भूल को मन्सूब किया गया।

बहरहाल! यह एक दूसरी आजमाईश थी कि मन्ज़िले मकसूद पर पहुँचकर मछली के जिन्दा होकर पानी में गुम हो जाने से हकीकत खुल जाती है और जगह मुतयन हो जाती है, मगर अभी उस तालिबे हक़ का कुछ और भी इम्तिहान लेना था, इसलिये दोनों पर भूल मुसल्लत हो गई, और पूरे एक दिन और एक रात का और सफ़र तय करने के बाद भूख और थकान का एहसास हुआ, यह तीसरा इम्तिहान था, क्योंकि आदतन थकान और भूख का एहसास इससे पहले हो जाना चाहिये था वहीं मछली याद आ जाती तो इतने लम्बे सफ़र की अतिरिक्त तकलीफ़ न होती मगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर यही था कि कुछ और मशक्कत उठाये, इतना लम्बा सफ़र करने के बाद भूख-प्यास का एहसास हुआ और यहाँ मछली याद आई और यह मालूम हुआ कि हम मन्ज़िले मकसूद से बहुत आगे आ गये, इसलिये फिर उसी पैरों के निशान पर वापस लौटे।

मछली के दरिया में चले जाने का ज़िक्र पहली मर्तबा तो स-र-बा के लफ़्ज़ से आया है, सरब के मायने सुरंग के हैं जो पहाड़ों में रास्ता बनाने के लिये खोदी जाती है या शहरों में ज़मीन के नीचे रास्ते बनाने के लिये खोदी जाती है। इससे मालूम हुआ कि यह मछली जब दरिया में गई तो जिस तरफ़ को जाती पानी में एक सुरंग-सी बनती चली गई कि उसके जाने का रास्ता पानी से खुला रहा जैसा कि सही बुखारी की रिवायत से वाजेह हुआ। दूसरी मर्तबा जब यूश इब्ने नून ने मूसा अलैहिस्सलाम से इस वाक़िए का ज़िक्र लम्बे सफ़र के बाद किया वहाँ:

وَأَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

(यानी अ-ज़बा) के अलफ़ाज़ से इस वाक़िए को बयान किया। इन दोनों में कोई टकराव नहीं, क्योंकि पानी के अन्दर सुरंग बनते चले जाना खुद एक अजीब वाक़िआ आम आदत के खिलाफ़ था।

हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात और उनकी

नुबुव्वत का मसला

कुरआने करीम में अगरचे उस वाक़िए वाले का नाम ज़िक्र नहीं हुआ बल्कि 'अब्दुम् मिन्

अ़िबादिना' (हमारे बन्दों में से एक बन्दा) कहा गया मगर सही बुखारी की हदीस में उनका नाम ख़ज़िर बतलाया गया है। ख़ज़िर के तफ़्ज़ी मायने हरेभरे के हैं, उनका नाम ख़ज़िर होने की वजह आम मुफ़्स्सरीन ने यह बतलाई है कि यह जिस जगह बैठ जाते तो कैसी ही ज़मीन हो वहाँ घास उग जाती और ज़मीन हरीभरी हो जाती थी। क़ुरआने करीम ने यह भी वाज़ह नहीं किया कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम कोई पैग़म्बर थे या औलिया-अल्लाह में से कोई फ़र्द थे, लेकिन उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक उनका नबी होना खुद क़ुरआने करीम में ज़िक्र किये हुए वाक़िअत से साबित है, क्योंकि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से उस सफ़र में जितने वाक़िअत साबित हैं उनमें से कुछ तो निश्चित तौर पर ख़िलाफ़े शरीअत हैं और शरीअत के हुक्म से सिवाय अल्लाह की वही के कोई बाहर और अलग हो ही नहीं सकता, जो नबी और पैग़म्बर ही के साथ मज़्बूस है, वली को भी कश्फ़ या इल्हाम से कुछ चीज़ें मालूम हो सकती हैं मगर वह कोई हुज्जत नहीं होती, उनकी बिना पर शरीअत के किसी ज़ाहिरी हुक्म को बदला नहीं जा सकता इसलिये यह मुतैयन हो जाता है कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैग़म्बर थे, उनको अल्लाह की वही के ज़रिये कुछ खास वो अहकाम दिये गये थे जो शरीअत के ज़ाहिर के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने जो कुछ किया उसको एक विशेष और अलग रखे गये हुक्म के मातहत किया, खुद उनकी तरफ़ से इसका इज़हार भी क़ुरआन के इस जुमले में हो गया:

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

(यानी मैंने जो कुछ किया अपनी तरफ़ से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया है)

ख़ुलासा यह है कि उम्मत की अक्सरियत और बड़ी जमाअत के नज़दीक हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम भी एक नबी और पैग़म्बर हैं, मगर निज़ामे कायनात की कुछ ख़िदमतें अल्लाह की ओर से उनके सुपुर्द की गई थीं, उन्हीं का इल्म उनको दिया गया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी इत्तिला न थी इसी लिये उस पर एतिराज़ किया। तफ़्सीरे कुतुबी, बहरे मुहीत, अबू हय्यान और अक्सर तफ़्सीरों में यह मज़मून विभिन्न उनवानों से मज़कूर है।

किसी वली को शरीअत के ज़ाहिरी हुक्म के ख़िलाफ़ करना हलाल नहीं

यहाँ से यह बात भी मालूम हो गई कि बहुत-से जाहिल ग़लत काम करने वाले तसव्वुफ़ को बदनाम करने वाले सूफ़ी जो कहने लगे कि शरीअत और चीज़ है और तरीक़त और है, बहुत-सी चीज़ें शरीअत में हराम होती हैं मगर तरीक़त में जायज़ हैं, इसलिये किसी वली को खुले गुनाहे कबीरा में मुब्तला देखकर भी उस पर एतिराज़ नहीं किया जा सकता, यह खुली हुई गुमराही और बातिल है। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम पर किसी दुनिया के वली को क़ियास नहीं किया जा सकता, और न शरीअत के ज़ाहिर के ख़िलाफ़ उसके किसी फ़ैल को जायज़ कहा जा सकता है।

शागिर्द पर उस्ताद का हुक्म मानना लाज़िम है

هَلْ آتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ وَرُفْدًا

इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बावजूद नबी व रसूल और बड़ी शान वाला पैग़म्बर होने के हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से अदब व ताज़ीम के साथ दरख़्वास्त की कि मैं आप से आपका इल्म सीखने के लिये साथ चलना चाहता हूँ। इससे मालूम हुआ कि इल्म हासिल करने का अदब यही है कि शागिर्द अपने उस्ताद की ताज़ीम व अदब और पैरवी करे, अगरचे शागिर्द अपने उस्ताद से अफ़ज़ल व आला भी हो। (तफसीरे क़ुर्तुबी, मज़हरी)

आलिमे शरीअत के लिये जायज़ नहीं कि ख़िलाफ़े

शरीअत बात पर सब्र करे

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا ۝

हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, और कैसे सब्र करेंगे जबकि आपको मामले की हकीकत की इत्तिला न हो।

मतलब यह था कि मुझे जो इल्म अता हुआ है वह आपके इल्म से अलग अन्दाज़ व किस्म का है इसलिये आपको मेरे मामलात काबिले एतिराज़ नज़र आयेंगे, जब तक कि मैं उनकी हकीकत से आपको बाख़बर न कर दूँ आप अपने फ़र्ज़े मन्सबी की बिना पर उस पर एतिराज़ करेंगे।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि खुद अल्लाह तआला की तरफ़ से उनके पास जाने और उनसे इल्म सीखने का हुक्म हुआ था इसलिये यह इत्मीनान था कि उनका कोई काम हकीकत में ख़िलाफ़े शरीअत नहीं होगा, चाहे ज़ाहिर में समझ में न आये, इसलिये सब्र करने का वायदा कर लिया, वरना ऐसा वायदा करना भी किसी आलिमे दीन के लिये जायज़ नहीं, लेकिन फिर शरीअत के बारे में दीनी ग़ैरत के ज़ब्बे से मग़लूब होकर उस वायदे को भूल गये।

पहला वाकिआ तो ज़्यादा संगीन भी नहीं था, सिर्फ़ कश्ती वालों का माली नुक़सान या डूब जाने का सिर्फ़ ख़तरा ही था जो बाद में दूर हो गया, लेकिन बाद के वाकिआत में मूसा अलैहिस्सलाम ने यह वायदा भी नहीं किया कि मैं एतिराज़ नहीं करूँगा, और जब लड़के के क़त्ल का वाकिआ देखा तो सख़्खी के साथ एतिराज़ किया और अपने एतिराज़ पर कोई उज़्र भी पेश न किया, सिर्फ़ इतना कहा कि अगर आईन्दा एतिराज़ करूँ तो आपको हक़ होगा कि आप मुझे साथ न रखें, क्योंकि किसी नबी और पैग़म्बर से यह बरदाशत नहीं हो सकता कि ख़िलाफ़े शरीअत काम होता देखकर सब्र करे, अलबत्ता चूँकि दूसरी तरफ़ भी पैग़म्बर ही थे इसलिये आख़िरकार हकीकत इस तरह ज़ाहिर हुई कि ये आंशिक वाकिआत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के लिये

शरीअत के आ़म कायदों से अलग कर दिये गये थे, उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह की वही के मुताबिक़ किया। (तफसीरे मज़हरी)

हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर के इल्म में एक बुनियादी

फ़र्क़ और दोनों में ज़ाहिरी टकराव का हल

यहाँ तबई तौर पर एक सवाल पैदा होता है कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की वज़ाहत व खुलासे के मुताबिक़ उनको जो इल्म अता हुआ था वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से अलग अन्दाज़ का था मगर जबकि ये दोनों इल्म हक़ तआला ही की तरफ़ से अता हुए थे तो इन दोनों के अहक़ाम में टकराव व भिन्नता क्यों हुई, इसकी तहकीक़ तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने जो लिखी है वह दुरुस्तगी के ज़्यादा करीब और दिल को लगने वाली है, उनकी तक़रीर का मतलब जो मैं समझा हूँ उसका खुलासा यह है कि:

हक़ तआला जिन हज़रत को अपनी वही और नुबुव्वत से सम्मानित फ़रमाते हैं वे उमूमन तो वही हज़रत होते हैं जिनके सुपर्द मख़सूक की इस्ताह की ख़िदमत होती है, उन पर किताब और शरीअत नाज़िल की जाती है जिनमें अल्लाह की मख़सूक की हिदायत और इस्लाह (सुधार) के उसूल व कायदे होते हैं। जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक़ क़ुरआने करीम में नुबुव्वत व रिसालत की वज़ाहत के साथ आया है वे सब के सब ऐसे ही थे जिनके सुपर्द क़ानूने शरीअत की और इस्लाही ख़िदमात थीं, उन पर जो वही आती थी वह भी सब उसी के मुताल्लिक़ थी। मगर दूसरी तरफ़ कुछ तकवीनी (क़ुदरती और डायरेक्ट बिना असबाब के कायनाती निज़ाम से संबन्धित) ख़िदमात भी हैं जिनके लिये आ़म तौर से अल्लाह के फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, मगर अम्बिया की जमाअत में भी हक़ तआला ने कुछ हज़रत को इसी किस्म की तकवीनी ख़िदमात के लिये ख़ास कर लिया है। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम उसी ग़िरोह में से हैं, तकवीनी ख़िदमात आंशिक वाकिआत से संबन्धित होती हैं कि फ़ुल्लों शख़्स डूबने वाले को बचा लिया जाये या फ़ुल्लों को हलाक़ कर दिया जाये, फ़ुल्लों को तरक्की दी जाये, फ़ुल्लों को नीचे गिरा दिया जाये। उन मामलात का न आ़म लोगों से कोई ताल्लुक़ होता है न उनके अहक़ाम अ़वाम से मुताल्लिक़ होते हैं, ऐसे आंशिक वाकिआत में कुछ वो सूतें भी पेश आती हैं कि एक शख़्स को हलाक़ करना शरई क़ानून के ख़िलाफ़ है अगरवे तकवीनी क़ानून में इस ख़ास वाकिए को आ़म शरई क़ानून से अलग करके उस शख़्स के लिये जायज़ कर दिया गया है जिसको इस तकवीनी ख़िदमत पर मामूर फ़रमाया गया है। ऐसे हालात में शरई क़वानीन के उलेमा इस विशेष और अलग रखे गये हुक्म से वाकिफ़ नहीं होते और वे इसको हराम कहने पर मजबूर होते हैं, और जो शख़्स तकवीनी तौर पर इस क़ानून से अलग कर दिया गया है वह अपनी जगह हक़ पर होता है।

खुलासा यह है कि जहाँ यह टकराव नज़र आता है वह दर हकीकत टकराव नहीं होता कुछ आशिक बाकिआत का आम कानून शरीअत से अलग रखना होता है। अबू हय्यान ने तफसीर बहरे मुहीत में फरमाया:

الجمهور على ان الحضر نبى وكان علمه معرفة بواطن قد اوحيت اليه وعلم موسى الاحكام والفتيا

بالظاهر. (عريش 134)

इसलिये यह भी ज़रूरी है कि यह कानूने शरीअत से अलग और बाहर रखना नुबुवत की वही के ज़रिये हो, किसी वली का कश्फ व इल्हाम शरीअत के आम कानून से अलग रखने के लिये हरगिज़ काफ़ी नहीं, इसी लिये हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का लड़के को बज़ाहिर नाहक क़त्ल करना शरीअत के ज़ाहिर में हराम था लेकिन हज़रत खज़िर तकवीनी तौर पर इस कानून से अलग करके मामूर किये गये थे, उन पर किसी ग़ैर-नबी के कश्फ व इल्हाम को क़ियास व तुलना करके किसी हराम को हलाल समझना जैसे बाज़ जाहिल सूफ़ियों में मशहूर है बिल्कुल बेदीनी और इस्लाम से बगावत है।

इब्ने अबी शैबा ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाक़िआ नक़ल किया है कि नजदा हरूरी (ख़ारजी) ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने नाबालिग़ लड़के को कैसे क़त्ल कर दिया जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नाबालिग़ को क़त्ल करने से मना फरमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि अगर किसी बच्चे के मुताल्लिक़ तुम्हें वह इल्म हासिल हो जाये जो मूसा अलैहिस्सलाम के आलिम (यानी ख़ज़िर अलैहिस्सलाम) को हासिल हुआ था तो तुम्हारे लिये भी नाबालिग़ का क़त्ल जायज़ हो जायेगा। मतलब यह था कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम को तो नुबुवत के पैग़ाम के ज़रिये इसका इल्म हुआ था वह अब किसी को नहीं हो सकता क्योंकि नुबुवत ख़त्म हो चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा जिसको वही के ज़रिये इस किस्म के वाक़िआत के मुताल्लिक़ अल्लाह के किसी हुक्म से किसी खास शख्स को अलग करने और बाहर रहने का इल्म हो सके। (तफ़सीर मज़हरी)

इस वाक़िए से भी यह हकीकत स्पष्ट हो गई कि किसी शख्स को किसी शरई हुक्म से ख़ारिज और बाहर करार देने का वही वाले नबी के सिवा किसी को हक़ नहीं।

فَانطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَكِبْنَا فِي السَّفِينَةِ

حَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۖ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا إِمْرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيعِي مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ لَا تَأْتِنِي خُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِيْنِي مِنْ أَمْرِيْ غَسْرًا ۖ
فَانطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا لَقِينَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتِ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا كَلِمًا ۖ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعِي مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا

تَضْحَبِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۖ فَانطَلَقْنَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاذْبُوا
 أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدْنَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَنَحَدَّتْ عَلَيْهِ
 أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

फन्त-लका, हत्ता इजा रकिबा
 फिस्सफी-नति ख-र-कहा, का-ल
 अ-खरक्तहा लितुगुरि-क अह्लहा
 ल-कद् जिअ-त शैअन् इम्रा (71)
 का-ल अलम् अकुल् इन्न-क लन्
 तस्तती-अ मअि-य सब्रा (72) का-ल
 ला तुआखिग्नी बिमा नसीतु व ला
 तुरह्विक्नी मिन् अम्री अुस्रा (73)
 फन्त-लका, हत्ता इजा लकिया
 गुलामन् फ-क-त-लहू का-ल
 अ-कतल्-त नफ्सन् जकिय्य-तम्
 बिगैरि नफिसन्, ल-कद् जिअ-त
 शैअन् नुक्रा (74)

का-ल अलम् अकुल्-ल-क इन्न-क
 लन् तस्तती-अ मअि-य सब्रा (75)
 का-ल इन् सअल्लु-क अन् शैइम्
 बअ-दहा फ-ला तुसाहिब्नी कद्
 बलग्-त मिल्लदुन्नी अुज्रा (76)
 फन्त-लका, हत्ता इजा अ-तया
 अह-ल कर्यति-निस्तत्-अमा अह्लहा
 फ-अबौ अय्युजय्यिफूहुम फ-व-जदा

फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब चढ़े
 कशती में उसको फाड़ डाला, मूसा बोला
 क्या तूने इसको फाड़ डाला कि डूबा दे
 इसके लोगों को, अलबत्ता तूने की एक
 चीज भारी। (71) बोला मैंने न कहा था
 तू न ठहर सकेगा मेरे साथ। (72) कहा
 मुझको न पकड़ मेरी भूल पर और मत
 डाल मुझ पर मेरा काम मुश्किल। (73)
 फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब मिले
 एक लड़के से तो उसको मार डाला, मूसा
 बोला क्या तूने मार डाली एक जान
 सुथरी बगैर बदले किसी जान के, बेशक
 तूने की एक चीज नामाकूल। (74)
 बोला मैंने तुझको न कहा था कि तू न
 ठहर सकेगा मेरे साथ। (75) कहा अगर
 तुझसे पूछूँ कोई चीज इसके बाद तो
 मुझको साथ न रखियो, तू उतार चुका
 मेरी तरफ से इल्लाम। (76) फिर दोनों
 चले, यहाँ तक कि जब पहुँचे एक गाँव
 के लोगों तक खाना चाहा वहाँ के लोगों
 से, उन्होंने न माना कि उनको मेहमान
 रखें फिर पाई वहाँ एक दीवार जो गिरने

फीहा जिदारंय्युरीदु अंय्यन्कज़-ज़
फ़-अक़ामहू, का-ल लौ शिअ-त
लत्त-झाज़-त अलैहि अज्रा (77)
का-ल हाज़ा फिराकू बैनी व बैनि-क
स-उनब्बिउ-क बितअवीलि मा लम्
तस्ततिअ अलैहि सब्बा (78)

ही वाली थी उसको सीधा कर दिया,
बोला (मूसा) अगर तू चाहता तो ले लेता
इस पर मजदूरी। (77) कहा अब जुदाई
है मेरे और तेरे बीच, अब जतलाये देता
हूँ तुझको फेर उन बातों का जिस पर तू
सब्र न कर सका। (78)

खुलासा-ए-तफसीर

(गर्ज आपस में कौल व करार हो गया) फिर दोनों (किसी तरफ) चले (गालिबन उनके साथ यूशा अलैहिस्सलाम भी होंगे मगर वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे थे इसलिये ज़िक्र दो का किया गया) यहाँ तक कि (चलते-चलते किसी ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ कश्ती पर सवार होने की ज़रूरत हुई) जब दोनों नाव में सवार हुए तो उन बुजुर्ग ने उस नाव (का एक तख्ता निकाल कर उस) में छेद कर दिया। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि क्या आपने इस नाव में इसलिए छेद किया है कि इसमें बैठने वालों को डुबो दें। आपने बड़ी भारी (ख़तरे की) बात की। उन बुजुर्ग ने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा (आखिर वही हुआ, आप अपने कौल पर न रहे)। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि (मैं भूल गया था) आप मेरी भूल-चूक पर पकड़ न कीजिये और मेरे इस मामले (साथ रहने) में मुझ पर ज़्यादा तंगी न डालिये (कि भूल-चूक भी माफ़ न हो। बात गई गुजरी हो गई)। फिर दोनों (कश्ती से उतरकर आगे) चले, यहाँ तक कि जब एक (छोटी उम्र के) लड़के से मिले तो उन बुजुर्ग ने उसको मार डाला, मूसा (अलैहिस्सलाम घबराकर) कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह जान को मार डाला (और वह भी) किसी जान के बदले के बग़ैर, बेशक आपने बड़ी बेजा हरकत की (कि अब्बल तो यह नाबालिग़ का क़त्ल है जिसको कि़सास में भी क़त्ल करना जायज़ नहीं, फिर इसने तो किसी को क़त्ल भी नहीं किया यह फ़ेल पहले फ़ेल से भी ज़्यादा सख़्त है क्योंकि इसमें यकीनी नुक़सान तो सिर्फ़ माल का था बैठने वालों के डूबने का अगरचे ख़तरा था मगर उसकी रोकथम कर दी गयी, फिर लड़का नाबालिग़ हर गुनाह से बरी)।

उन बुजुर्ग ने फरमाया कि क्या मैंने आप से नहीं कहा था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा? मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया (कि ख़ैर अब की वार और जाने दीजिये, लेकिन) अगर इस बार के बाद मैं आप से किसी मामले के बारे में कुछ पूछूँ तो आप मुझको अपने साथ न रखिये, बेशक आप मेरी तरफ़ से उज़्र (की इन्तिहा) को पहुँच चुके हैं (इस मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने भूलने का उज़्र पेश नहीं किया, इससे मालूम होता है कि यह सवाल उन्होंने

जान-बूझकर अपनी पैगम्बराना हैसियत के मुताबिक़ किया था)। फिर दोनों (आगे) चले, यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों पर गुज़र हुआ तो गाँव वालों से खाने को माँगा (कि हम मेहमान हैं) सो उन्होंने इनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया, इतने में इनको वहाँ एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी, तो उन बुजुर्ग ने उसको (हाथ के इशारे से एक मोजिज़े के तौर पर) सीधा कर दिया। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि अगर आप चाहते तो इस (काम) पर कुछ मुआवज़ा ही ले लेते (कि इस वक़्त काम भी चलता और इनकी बद-अख़्लाकी की इस्लाह भी होती)। उन बुजुर्ग ने कहा कि यह वक़्त हमारे और आपके अलग होने का है (जैसा कि खुद आपने शर्त रखी थी), अब मैं उन चीज़ों की हकीकत आपको बतलाये देता हूँ जिन पर आप से सब्र न हो सका (जैसा कि आगे आने वाली आयतों में इसका बयान आ रहा है)।

मअरिफ़ व मसाईल

أَعْرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا

बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी के ज़रिये कश्ती का एक तख़्ता निकाल दिया था जिसकी वजह से कश्ती में पानी भरकर डूबने का खतरा पैदा हो गया था, इसलिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर एतिराज़ किया मगर तारीख़ी रिवायतों में है कि पानी उस कश्ती में दाख़िल नहीं हुआ चाहे इसलिये कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने ही फिर उसकी कुछ मरम्मत कर दी जैसा कि इमाम बग़वी ने एक रिवायत नक़ल की है कि उस तख़्ते की जगह ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने एक शीशा लगा दिया था या बतौर मोजिज़े के पानी कश्ती में न आया, इतनी बात खुद क़ुरआने करीम के बयान से मालूम हो रही है कि उस कश्ती को पानी में डूबने का कोई हादसा पेश नहीं आया जिससे इन रिवायतों की ताईद होती है।

حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا

लफ़ज़ गुलाम अरबी भाषा के एतिबार से नाबालिग़ लड़के को कहा जाता है, यह लड़का जिसको ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने क़त्ल किया इसके मुताल्लिक़ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अक्सर मुफ़्तिरीन ने यही कहा है कि वह नाबालिग़ था और आगे जो उसके मुताल्लिक़ आया है 'नफ़सन् ज़किय्यतन्' इससे भी उसके नाबालिग़ होने की ताईद होती है, क्योंकि ज़किय्यतन् के मायने हैं गुनाहों से पाक, और यह सिफ़्त या तो पैगम्बर की हो सकती है या नाबालिग़ बच्चे की, जिसके कामों और आमाल पर पकड़ नहीं, उसके नामा-ए-आमाल में कोई गुनाह नहीं लिखा जाता।

أَهْلَ قَرْيَةٍ

यह बस्ती जिसमें हज़रत मूसा और ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ और उसके लोगों ने उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में अन्ताकिया और इब्ने सीरीन की रिवायत में ऐका थी, और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु

से मन्कूल है कि वह उन्दुलुस की कोई बस्ती थी। (तफसीरी मज़हरी) वल्लाहु आलम

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْتَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ
فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا كَفَرُوا وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِبًا ۝ فَأَرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يُبَدِّلَهُمَا تَبَدُّلًا وَيُنزِلَهُمَا رِجًّا مِّنْ رَبِّكَ ۝ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ۝ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَسْطُرْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

अम्मस्सफी-नतु फ़-कानत्
लि-मसाकी-न यअम्लू-न फिल्वहिर
फ़-अरत्तु अन् अज़ी-बहा व का-न
वरा-अहुम् मलिकुय्-यअखुजु कुल्-ल
सफी-नतिन् गसबा (79) व
अम्मल्-गुलामु फ़का-न अ-बवाहु
मुअ्मिनैनि फ़-खशीना अय्युरहि-कहुमा
तुग्यानव्-व कुफ़रा (80) फ़-अरदना
अय्युब्दि लहुमा रब्बुहुमा ख़ैरम्-मिन्हु
जकातव्-व अक्-ब रुस्मा. (81) व
अम्मल्-जिदारु फ़का-न लिगुलामैनि
यतीमैनि फ़िल्-मदीनति व का-न
तहतहू कन्ज़ुल्-लहुमा व का-न
अबहुमा सालिहन् फ़-अरा-द रब्बु-क
अय्यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़िजा
कन्ज़हुमा रस्मतम् भिरिब्बि-क व मा
फ़अत्तुहू अन् अम्री, ज़ालि-क

वह जो कश्ती थी सो चन्द मोहताजों की
जो मेहनत करते थे दरिया में, सो मैंने
चाहा कि उसमें ऐब डाल दूँ और उनके
परे था एक बादशाह जो ले लेता था हर
कश्ती को छीनकर। (79) और वह जो
लड़का था सो उसके माँ-बाप थे ईमान
वाले फिर हमको अन्देशा हुआ कि उनको
आजिज़ कर दे ज़बरदस्ती और कुफ़र कर
कर। (80) फिर हमने चाहा कि बदला दे
उनको उनका ख ब बेहतर उससे पाकीज़गी
में और ज़्यादा नज़दीक शफ़क़त में। (81)
और वह जो दीवार थी सो दो यतीम
लड़कों की थी इस शहर में और उसके
नीचे माल गड़ा था उनका और उनका
बाप था नेक, फिर चाहा तेरे ख ने कि वे
पहुँच जायें अपनी जवानी को और
निकालें अपना माल गड़ा हुआ मेहरबानी
से तेरे ख की, और मैंने यह नहीं किया

तअ्वीलु मा लम् तस्तिअ-अलैहि
सब्बा (82) ●

अपने हुक्म से, यह है फेर उन चीज़ों का
जिन पर तू सब्र न कर सका। (82) ●

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और वह जो कश्ती थी सो कुछ ग़रीब आदमियों की थी (जो उसके ज़रिये) दरिया में मेहनत मज़दूरी करते थे (उसी पर उनके गुज़ारे का मदार था) सो मैंने चाहा कि उसमें ऐब डाल दूँ और (वजह उसकी यह थी कि) उन लोगों से आगे की तरफ़ एक (ज़ालिम) बादशाह था, जो हर (अच्छी) कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था (अगर मैं कश्ती में ऐब डालकर बज़ाहिर बेकार न कर देता तो यह कश्ती भी छीन ली जाती और उन ग़रीबों की मज़दूरी का सहारा भी ख़त्म हो जाता, इसलिये तोड़ने में यह मस्तेहत थी)। और रहा वह लड़का, सो उसके माँ-बाप ईमान वाले थे (और अगर वह बड़ा होता तो काफ़िर ज़ालिम होता और माँ को उससे मुहब्बत बहुत थी) सो हमको अन्देशा हुआ कि यह उन दोनों पर सरकशी और कुफ़्र का असर न डाल दे (यानी बेटे की मुहब्बत के सबब वे भी बेदीनी में उसका साथ न देने लगे)। पस हमको यह मन्ज़ूर हुआ कि (उसका तो किस्सा तमाम कर दिया जाये फिर) बजाय उसके उनका परवर्दिगार उनको ऐसी औलाद दे (चाहे लड़का हो या लड़की) जो कि पाकीज़गी (यानी दीन) में उससे बेहतर हो, और (माँ-बाप के साथ) मुहब्बत करने में उससे बढ़कर हो।

और रही दीवार, सो वह दो यतीम लड़कों की थी जो उस शहर में (रहते) हैं, और उस दीवार के नीचे उनका कुछ माल दफ़न था (जो उनके बाप से मीरास में पहुँचा है) और उनका बाप (जो मर गया है वह) एक नेक आदमी था (उसके नेक होने की बरकत से अल्लाह तआला ने उसकी औलाद के माल को महफ़ूज़ करना चाहा, अगर दीवार अभी गिर जाती तो लोग यह माल लूट ले जाते और ग़ालिबन जो शख्स उन यतीम लड़कों का सरपरस्त था उसको उस ख़ज़ाने का इल्म होगा वह यहाँ मौजूद न होगा जो इन्तिज़ाम कर लेता) सो इसलिये आपके रब ने अपनी मेहरबानी से चाहा कि वे दोनों अपनी जवानी (की उम्र) को पहुँच जाएँ और अपना दबा हुआ ख़ज़ाना निकाल लें, और (ये सारे काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किये हैं इनमें से) कोई काम मैंने अपनी राय से नहीं किया। यह है हकीकत उन बातों की जिन पर आप से सब्र न हो सका (जिसको मैं वायदे के मुताबिक़ बतला चुका हूँ। चुनाँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से रुख़सत हो गये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

यह कश्ती जिन मिस्कीनों की थी उनके बारे में कअ़बे अहबार से मन्कूल है कि वे दस भाई

थे जिनमें पाँच अपाहिज माज़ूर थे पाँच मेहनत मज़दूरी करके सब के लिये गुज़ारे का इन्तिज़ाम करते थे, और मज़दूरी उनकी यह थी कि दरिया में एक कश्ती चलाते थे और उसका किराया वसूल करते थे।

मिस्कीन की परिभाषा

मिस्कीन की परिभाषा कुछ लोगों ने यह की है कि जिसके पास कुछ न हो, मगर इस आयत से मालूम हुआ कि मिस्कीन की सही परिभाषा यह है कि जिसके पास इतना माल न हो कि उसकी सही व आवश्यक ज़रूरतों से ज़्यादा ज़कात के निसाब के बराबर हो जाये, इससे कम माल हो तो वह भी मिस्कीन के दर्जे में दाखिल है, क्योंकि जिन लोगों को इस आयत में मिस्कीन कहा गया है उनके पास कम से कम एक कश्ती तो थी जिसकी कीमत निसाब के बराबर से कम नहीं होती मगर चूँकि वह असल आवश्यक ज़रूरत में मशगूल थी इसलिये उनको मिस्कीन ही कहा गया। (तफ्सीरे मज़हरी)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि यह कश्ती जिस तरफ़ जा रही थी वहाँ एक ज़ालिम बादशाह था जो उधर से गुज़रने वालों की कश्तियाँ ज़बरदस्ती छीन लेता था, हज़रत खज़िर ने इस मस्तेहत से कश्ती का एक तख़्ता उखाड़ दिया कि वह ज़ालिम बादशाह इस कश्ती को टूटी हुई देखकर छोड़ दे और ये मिस्कीन लोग इस मुसीबत से बच जायें। मौलाना रूम ने ख़ूब फ़रमाया है:

गर खज़िर दर बहर कश्ती रा शिकस्त सद दरुस्ती दर शिकस्ते खज़िर हस्त
कि अगर हज़रत खज़िर ने दरिया में कश्ती को तोड़ा और ख़राब किया तो उस तोड़ने और ख़राब करने में उस कश्ती की बेहतरी और अच्छाई थी। मुहम्मद इमरान कासमी बिज़ानवी

وَأَمَّا الْعَلَامُ

यह लड़का जिसको हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने क़त्ल किया इसकी हकीकत यह बयान फ़रमाई कि उस लड़के की तबीयत में कुफ़्र और माँ-बाप के खिलाफ़ सरकशी थी, माँ-बाप उसके नेक और सालेह थे, हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हमें ख़तरा था कि यह लड़का बड़ा होकर नेक माँ-बाप को सतायेगा और तकलीफ़ पहुँचायेगा और कुफ़्र में मुब्तला होकर माँ-बाप के लिये भी एक फ़ितना बनेगा, इसकी मुहब्बत में माँ-बाप का ईमान भी ख़तरे में पड़ जायेगा।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

यानी इसलिये हमने इरादा किया कि अल्लाह तज़ाला उन नेक माँ-बाप को उस लड़के के बदले में उससे बेहतर औलाद दे दे, जो आमाल व अख़्लाक़ में पाकीज़ा भी हो और माँ-बाप के हुक्क भी अदा करे।

इस वाकिए में 'ख़शीना' और 'अरदूना' में जमा मुतकल्लिम का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया इसकी एक वजह यह हो सकती है कि यह इरादा और डर ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने अपनी और अल्लाह तआला दोनों की तरफ़ मन्सूब किया, और यह भी हो सकता है कि खुद अपनी ही तरफ़ मन्सूब किया हो तो फिर 'अरदूना' के मायने यह होंगे कि हमने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि किसी लड़के के बदले में उससे बेहतर जौलाद देने का मामला ख़ालिस हक़ तआला का काम है इसमें ख़ज़िर अलैहिस्सलाम या कोई दूसरा इनसान शरीक नहीं हो सकता।

और यहाँ यह शुब्हा करना दुरुस्त नहीं कि अगर अल्लाह तआला के इल्म में यह बात थी कि यह लड़का काफ़िर होगा और माँ-बाप को भी गुमराह करेगा तो फिर यह वाक़िआ अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ ऐसा ही वाक़े होना ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह के इल्म के खिलाफ़ कोई चीज़ नहीं हो सकती।

जवाब यह है कि अल्लाह के इल्म में इस शर्त के साथ था कि यह बालिग़ होगा तो काफ़िर होगा और दूसरे मुसलमानों के लिये भी ख़तरा बनेगा, फिर चूँकि वह बालिग़ होने की उम्र से पहले ही क़त्ल कर दिया गया तो जो वाक़िआ पेश आया वह उस इल्मे इलाही के विरुद्ध नहीं।

(तफ़सीरे मज़हरी)

इब्ने अबी शैबा, इब्ने मुन्ज़िर, इब्ने अबी हातिम ने अतीया रह. की रिवायत से नक़ल किया है कि मक्तूल लड़के के माँ-बाप को अल्लाह तआला ने उसके बदले में एक लड़की अता फ़रमाई जिसके पेट से एक नबी पैदा हुआ, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में है कि उसके पेट से दो नबी पैदा हुए। कुछ रिवायतों में है कि उसके पेट से पैदा होने वाले नबी के ज़रिये अल्लाह तआला ने एक बड़ी उम्मत को हिदायत अता फ़रमाई।

وَتَخْتَكُنَّ كُنُوزَهُمَا

यह ख़ज़ाना जो यतीम बच्चों के लिये दीवार के नीचे दफ़न था उसके बारे में हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह रिवायत किया है कि वह सोने और चाँदी का ज़ख़ीरा था। (तिर्मिज़ी व हाकिम, मज़हरी)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि वह सोने की एक तख़्ती थी जिस पर नसीहत के निम्नलिखित कलिमात लिखे हुए थे। यह रिवायत हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मरफूअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी नक़ल फ़रमाई है।

(तफ़सीरे कुर्तुबी)

1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
2. ताज्जुब है उस शख़्स पर जो तक्दीर पर ईमान रखता है फिर गुमगीन क्योंकर होता है।
3. ताज्जुब है उस शख़्स पर जो इस पर ईमान रखता है कि रिज़्क का जिम्मेदार अल्लाह तआला है फिर ज़रूरत से ज़्यादा मश़क्क़त और फ़ुज़ूल किस्म की कोशिश में क्यों लगता है।
4. ताज्जुब है उस शख़्स पर जो मौत पर ईमान रखता है फिर खुश व ख़ुर्रम कैसे रहता है।

5. ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत के हिसाब पर ईमान रखता है फिर गफलत कैसे बरतता है।

6. ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया को और इसके उलट-फेर को जानता है फिर कैसे इस पर मुल्मईन होकर बैठता है।

7. ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह।

माँ-बाप की नेकी का फायदा औलाद दर औलाद को भी पहुँचता है

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

इसमें इशारा है कि यतीम बच्चों के लिये गड़े खज़ाने की हिफाज़त का सामान खज़िर अलैहिस्सलाम के जरिये इसलिये कराया गया था कि उन यतीम बच्चों का बाप कोई नेक आदमी था जो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल था इसलिये अल्लाह तआला ने उसकी मुराद पूरी करने और उसकी औलाद को फायदा पहुँचाने का यह इन्तिज़ाम फ़रमाया। मुहम्मद बिन मुन्कदिर रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला एक बन्दे की नेकी और सलाहियत की वजह से उसकी औलाद और औलाद की औलाद और उसके ख़ानदान की और उसके आस-पास के मकानात की हिफाज़त फ़रमाते हैं। (तफसीरे मज़हरी)

तफसीरे क़ुर्तुबी में है कि हज़रत शिबली रह. फ़रमाया करते थे कि मैं इस शहर और पूरे इलाक़े के लिये अमान हूँ। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके दफ़न होते ही दैलम के काफ़िरों ने दजला दरिया को पार करके बग़दाद पर क़ब्ज़ा कर लिया, उस वक़्त लोगों की ज़बान पर यह था कि हम पर दोहरी मुसीबत है, यानी शिबली की वफ़ात और दैलम का क़ब्ज़ा।

(क़ुर्तुबी पेज 29 जिल्द 11)

तफसीरे मज़हरी में है कि इस आयत में इसकी तरफ़ भी इशारा है कि लोगों को भी उलेमा और नेक लोगों की औलाद की रियायत और उन पर शफ़क़त करनी चाहिये जब तक कि वे बिल्कुल ही कुफ़्र व बदकारी और बुरे आमाल में मुब्तला न हो जायें।

أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا

लफ़ज़ अशुदू-द शिद्दत की जमा (बहुवचन) है, मुराद क़ुव्वत है और वह उम्र जिसमें इनसान अपनी पूरी ताक़त और भले-बुरे की पहचान पर क़ादिर हो जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक यह पच्चीस साल की उम्र है और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि चालीस साल की उम्र है, क्योंकि क़ुरआने करीम में है कि:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. (मظहरी)

पैगुम्बराना अन्दाज़ और अदब की रियायत की एक मिसाल

इस मिसाल को समझने के लिये पहले यह बात समझ लेनी ज़रूरी है कि दुनिया में कोई अच्छा या बुरा काम अल्लाह तआला की मर्जी व इरादे के बगैर नहीं हो सकता। खैर व शर सब उसकी मख़्लूक और उसके इरादे और मशीयत के ताबे हैं। जिन चीज़ों को शर या बुरा समझा और कहा जाता है वो ख़ास अफ़राद और ख़ास हालात के एतिबार से ज़रूर शर और बुरा कहलाने के पात्र होते हैं मगर दुनिया के भजमूए और आलमे दुनिया के मिजाज के लिये सब ज़रूरी और अल्लाह के बनाने के एतिबार से सब खैर ही होते हैं, और सब हिक्मत पर आधारित होते हैं:

कोई बुरा नहीं कुदरत के कारख़ाने में

खुलासा यह है कि जो आफ़त या हादसा दुनिया में पेश आता है खुदा तआला की मर्जी व इरादे के बगैर नहीं हो सकता। इस लिहाज़ से हर खैर व शर की निस्बत भी हक़ तआला की तरफ़ हो सकती है, मगर हकीकत यह है कि हक़ तआला की तख़लीक़ (बनाने और पैदा करने) के एतिबार से कोई शर शर (बुरा) नहीं होता, इसलिये अदब का तकाज़ा यह है कि शर की निस्बत हक़ तआला की तरफ़ न की जाये, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलिमात जो कुरआने करीम में बयान हुए हैं:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيُسْقِينِي ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝

(कि अल्लाह वह है जो मुझे खिलाता पिलाता है और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वह मुझे शिफ़ा देता है) इसी तालीम व अदब का सबक़ देते हैं कि खिलाने पिलाने की निस्बत हक़ तआला की तरफ़ फ़रमाई, फिर बीमारी के वक़्त शिफ़ा देने की निस्बत भी उसी की तरफ़ की बीच में बीमार होने को अपनी तरफ़ मन्सूब करके कहा 'व इज़ा मरिज़तु फ़हु-व यश्फ़ीन' "यानी जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह तआला मुझे शिफ़ा अता फ़रमा देते हैं।" यँ नहीं कहा कि जब वह मुझे बीमार करते हैं तो शिफ़ा भी देते हैं।

अब हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के कलाम पर गौर कीजिये उन्होंने जब कश्ती तोड़ने का इरादा किया तो वह चूँकि ज़ाहिर में एक ऐब और बुराई है उसके इरादे की निस्बत अपनी तरफ़ करके फ़रमाया 'अरदत्तु' (मैंने इरादा किया) फिर लड़के को क़त्ल करने और उसके बदले में उससे बेहतर औलाद देने का ज़िक्र किया तो उसमें क़त्ल तो बुराई थी और बदले में बेहतर औलाद देना एक भलाई थी, संयुक्त और साझा मामला होने की वजह से यहाँ बहुवचन का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया अरदना "यानी हमने इरादा किया" ताकि इसमें जितना ज़ाहिरी शर (बुराई) है वह अपनी तरफ़ और जो खैर (भलाई और अच्छाई) है वह अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब हो। तीसरे वाकिए में दीवार खड़ी करके यतीमों का माल महफूज़ कर देना सरासर खैर ही खैर है, उसकी निस्बत पूरी की पूरी हक़ तआला की तरफ़ करके फ़रमाया:

فَارَادَ رَبُّكَ

“यानी आपके रब ने इरादा किया।”

ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ज़िन्दा हैं या उनकी वफ़ात हो चुकी

कुरआने करीम में जो वाकिअ हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का बयान हुआ है उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम इस वाकिअ के बाद वफ़ात पा गये या ज़िन्दा रहे, इसी लिये कुरआन व सुन्नत में इसके मुताल्लिक कोई स्पष्ट बात मज़कूर नहीं। कुछ रिवायतों और अक़वाल से उनका अब तक ज़िन्दा होना मालूम होता है कुछ रिवायतों से इसके ख़िलाफ़ समझ में आता है, इसी लिये इस मामले में हमेशा से उलेमा की रायें भिन्न रही हैं। जो हज़रत उनकी ज़िन्दगी के कायल हैं उनकी दलील एक तो उस रिवायत से है जिसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हुई तो एक शख़्स काली-सफ़ेद दाढ़ी वाले दाख़िल हुए और लोगों के मजमे को चीरते फ़ाइते अन्दर पहुँचे और रोने लगे, फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ़ मुतवज्जह होकर ये कलिमात कहे:

إِن فِي اللَّهِ عِزًّا مِّنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَاتِنَةٍ وَخَلْفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاَلَى اللَّهِ فَايِسُوا وَإِلَيْهِ فَاَرْغَبُوا
وَنظَرُهُ إِلَيْكُمْ فِي الْبَلَاءِ فَاَنْظُرُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَن لَّمْ يُجِبِرْ.

“अल्लाह की बारगाह में सब्र है हर मुसीबत से और बदला है हर फ़ौत होने वाली चीज़ का और वही कायम-मक़ाम है हर हलाक होने वाले का, इसलिये उसी की तरफ़ रूजू करो उसी की तरफ़ तवज्जोह करो और इस बात को देखो कि वह मुसीबत में मुब्तला करके तुमको आजमाता है, असल मुसीबत का मारा वह है जिसकी मुसीबत की तलाफी न हो।”

यह कलिमात कहकर आने वाले साहिब रुख़सत हो गये तो हज़रत अबू बक्र और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया कि यह ख़ज़िर अलैहिस्सलाम थे। इस रिवायत को जज़री रह. ने हिसने-हसीन में भी नक़ल किया है जिनकी शर्त यह है कि सिर्फ़ सही सनद वाली रिवायतें उसमें दर्ज करते हैं।

और सही मुस्लिम की हदीस में है कि दज्जाल मदीना तथिबा के करीब एक जगह तक पहुँचेगा तो मदीना से एक शख़्स उसके मुक़ाबले के लिये निकलेगा, जो उस ज़माने के सब इनसानों में बेहतर होगा या बेहतर लोगों में से होगा। अबू इस्हाक़ ने फ़रमाया कि यह शख़्स हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम होंगे। (तफ़सीरी क़ुर्तुबी)

और इब्ने अबिददुनिया ने किताबुल-हवातिफ़ में सनद के साथ नक़ल किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात की तो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने उनको एक दुआ बतलाई कि जो इसको हर नमाज़ के बाद पढ़ा करे उसके लिये बड़ा सवाब और मग़फ़िरत व रहमत है। वह दुआ यह है:

يَاْمَنُ لَا يُشْعِلُهُ سَمْعٌ عَن سَمْعٍ وَيَاْمَنُ لَا تَغْلِبُهُ الْمَسَائِلُ وَيَاْمَنُ لَا يَبْرُمُ مِنَ الْمَحَا حِ الْمَلِيْحِيْنَ اِذْ فُئِي بَرْدٌ عَفْوِكَ
وَخَلَاوَةٌ مَّفْغُوْرِيْكَ. (قرطبي)

“ऐ वह ज़ात जिसको एक कलाम का सुनना दूसरे कलाम के सुनने से रुकावट नहीं होता और ऐ वह ज़ात जिसको एक ही वक़्त में होने वाले (लाखों करोड़ों) सवालात में कोई मुग़ालता नहीं लगता, और ऐ वह ज़ात जो दुआ में रोने-गिड़गिड़ाने और बार-बार कहने से रन्जीदा नहीं होता मुझे अपने अफ़्वा व करम का ज़ायका चखा दीजिये और अपनी मग़फ़िरत की मिठास नसीब फ़रमाईये।”

और फिर इसी किताब में बिल्कुल यही वाकिआ और यही दुआ और ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाकिआ हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल किया है। (कुर्तुबी) इसी तरह उम्मत के औलिया में हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के बेशुमार वाकिआत मन्कूल हैं।

और जो हज़रात ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने को तस्लीम नहीं करते उनकी बड़ी दलील उस हदीस से है जो सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है, वह फ़रमाते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें इशा की नमाज़ अपनी ज़िन्दगी के आख़िरी दौर में पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो गये और ये कलिमात इरशाद फ़रमाये:

اَرَأَيْتُمْ لَيْتَكُمْ لَيْتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مَبْنَاهُ لَا يُبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

“क्या तुम अपनी आजकी रात को देख रहो कि इस रात से सौ साल गुज़रने पर कोई शख्स उनमें से ज़िन्दा न रहेगा जो आज ज़मीन के ऊपर है।”

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह रिवायत नक़ल करके फ़रमाया कि इस रिवायत के बारे में लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुराद यह थी कि सौ साल पर यह कर्न (ज़माना और दौर) ख़त्म हो जायेगा।

यह रिवायत मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से भी तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ मन्कूल है लेकिन अल्लामा कुर्तुबी रह. ने यह रिवायत नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि इसमें उन लोगों के लिये कोई हुज्जत नहीं जो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी को बातिल कहते हैं, क्योंकि इस रिवायत को अगरचे तमाम इनसानों के लिये उमूम के अलफ़ाज़ हैं और उमूम को भी ताकीद के साथ लाया गया है, मगर फिर भी इसमें यह वज़ाहत नहीं कि यह उमूम तमाम इनसानों को शामिल ही हो, क्योंकि इनसानों में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं जिनकी न वफ़ात हुई और न क़त्ल किये गये, इसलिये ज़ाहिर यह है कि हदीस के अलफ़ाज़ ‘अलल् अर्ज़ि’ में अलिफ़ लाम अहद का है और मुराद अर्ज़ (ज़मीन) से अरब की ज़मीन है पूरी ज़मीन जिसमें याजूज व माजूज की ज़मीन और पूर्वी इलाके और जज़ीरे (द्वीप) जिनका नाम भी अरब वालों ने नहीं सुना इसमें शामिल नहीं, यह अल्लामा कुर्तुबी की

तहकीक है।

इसी तरह कुछ हज़रत ने खत्म-ए-नुबुव्वत के मसले को खज़िर अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने के विरुद्ध समझा है, इसका जवाब भी ज़ाहिर है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िन्दा होना खत्म-ए-नुबुव्वत के खिलाफ नहीं हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की हयात (ज़िन्दा होना) भी ऐसी ही हो सकती है।

कुछ हज़रत ने खज़िर अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने पर यह शुब्हा किया है कि अगर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में मौजूद होते तो उन पर लाज़िम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और आपके ताबे होकर इस्लामी खिदमात में मशगूल होते, क्योंकि हदीस में इरशाद है:

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَتْهُ إِلَّا آيَاتِي.

“यानी अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज ज़िन्दा होते तो उनको भी मेरा ही इस्तिबा करना पड़ता (क्योंकि मेरे आने से दीने मूसवी निरस्त व खत्म हो चुका है)।” लेकिन यह कुछ बर्ड नहीं कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी और उनकी नुबुव्वत शरीअत वाले आम अम्बिया से भिन्न और अलग हो, उनको चूँकि तकवीनी (कुदरती और कायनाती) खिदमात अल्लाह तआला की जानिब से सुपर्द हैं, वह उनके लिये मख्लूक से अलग-थलग अपने काम के पाबन्द हैं, रही शरीअते मुहम्मदिया की पैरवी तो इसमें कोई दूर की बात नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत के बाद से उन्होंने अपना अमल शरीअते मुहम्मदिया पर शुरू कर दिया हो। वल्लाहु आलम

अबू हय्यान ने तफसीर बहरे मुहीत में कई बुज़ुर्गों के वाकिआत हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के भी नक़ल किये हैं, मगर साथ ही यह भी फ़रमाया है कि:

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مَاتَ (مجموعه ۱، ۱۳۷ ج ۲)

“उलेमा की अक्सरियत और बड़ी जमाअत इस पर हैं कि खज़िर अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है।”

तफसीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने फ़रमाया कि तमाम शुब्हात का हल उसमें है जो हज़रत सैयद अहमद सरहंदी मुजदिद अल्फे सानी रह. ने अपने मुकाशफे से फ़रमाया वह यह कि मैंने खुद हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम से इस मामले को आलमे कश्फ में दरियाफ्त किया, उन्होंने फ़रमाया कि मैं और इलियास अलैहिस्सलाम हम दोनों ज़िन्दा नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तआला ने हमें यह कुदरत बख़्शी है कि हम ज़िन्दा आदमियों की शक़्त में ज़ाहिर होकर लोगों की इमदाद विभिन्न सूरतों में करते हैं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

यह बात मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की मौत व ज़िन्दगी से हमारा कोई एतिकादी या अमली मसला संबन्धित नहीं, इसी लिये कुरआन व सुन्नत में इसके मुताल्लिक कोई स्पष्टता और वज़ाहत नहीं की गई, इसलिये इसमें ज़्यादा बहस व तहकीक और

खोजबीन की भी ज़रूरत नहीं, न किसी एक जानिब का यकीन रखना हमारे लिये ज़रूरी है, लेकिन चूँकि मसला अ़वाम में चला हुआ है इसलिये उपर्युक्त तफसीलात नकल कर दी गई हैं।

وَسَمِعُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي
الْأَرْضِ وَابْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ۚ فَأَتْبَعُ سَبِيلًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ
فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّقِدَا فِيهِمْ
حُسْنًا ۚ قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ وَإِنَّمَا مَنْ آمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ ۖ الْحَسَنَىٰ ۖ وَسَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ

व यस्अलून-क अन् ज़िल्करनैनि,
कुल स-अत्लू अलैकुम् मिन्हु जिक्वा
(83) इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल्अर्जि
व आतैनाहु मिन् कुल्लि शैइन्
स-बबा (84) फ-अत्ब-अ स-बबा
(85) हत्ता इज़ा ब-ल-ग मरिबश्शमिस
व-ज-दहा तररुबु फी अ़निन्
हमि-अतिंव-व व-ज-द अ़िन्दहा
कौमन्, कुल्ना या ज़ल्करनैनि इम्मा
अन् तुअज़िज-ब व इम्मा अन्
तत्तख़ि-ज़ फ़ीहिम् हुस्ना (86) का-ल
अम्मा मन् ज़-ल-म फ़सौ-फ़
नुअज़िजबुहू सुम्-म युरद्दु इला
रब्बिही फ़युअज़िजबुहू अज़ाबन्-नुकरा
(87) व अम्मा मन् आम-न व
अमि-ल सालिहन् फ-लहू जजा-अ
निलहुस्ना व स-नकूलू लहू मिन्
अमिना युस्रा (88)

और तुझसे पूछते हैं जुल्करनैन को, 'कह
अब पढ़ता हूँ तुम्हारे आगे उसका कुछ
अहवाल। (83) हमने उसको जमाया था
मुल्क में और दिया था हमने उसको हर
चीज़ का सामान। (84) फिर पीछे पड़ा
एक सामान के। (85) यहाँ तक कि जब
पहुँचा सूरज डूबने की जगह पाया कि वह
डूबता है एक दलदल की नदी में और
पाया उसके पास लोगों को, हमने कहा ऐ
ज़ुल्करनैन या तो तू लोगों को तकलीफ
दे और या रख उनमें ख़ूबी। (86) बोला
जो कोई होगा बेइन्साफ़ सो हम उसको
सज़ा देंगे, फिर लौट जायेगा अपने रब के
पास वह अज़ाब देगा उसको बुरा अज़ाब।
(87) और जो कोई यकीन लाया और
किया उसने भला काम सो उसका बदला
भलाई है, और हम हुक्म देंगे उसको
अपने काम में आसानी का। (88)

खुलासा-ए-तफसीर

जुल्करनैन का पहला सफ़र

और ये लोग आप से जुल्करनैन का हाल पूछते हैं (इस पूछने की वजह यह लिखी है कि उनका इतिहास करीब-करीब गुम था, और इसी लिये इस किस्से की जो बातें और पहलू कुरआन में बयान नहीं हुए कि वह असल किस्से से ज़्यादा थे, उन बातों के मुतालिक आज तक इतिहासकारों में सख्त मतभेद पाये जाते हैं। इसी वजह से मक्का के कुरैश ने मदीने के यहूदियों के भविष्य से इस किस्से को सवाल के लिये चुना था इसलिये इस किस्से की तफसीलात जो कुरआन में बयान हुई हैं वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत की स्पष्ट दलील है। आप फरमा दीजिये कि मैं उनका जिज़्र अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूँ (आगे हफ़ तआला की तरफ़ से इसकी हिकायत शुरू हुई कि जुल्करनैन एक ऐसे अज़ीमुश्शान बादशाह गुज़रे हैं कि) हमने उनको धरती पर हुकूमत दी थी, और हमने उनको हर किस्म का (काफ़ी) सामान दिया था (जिससे वह अपनी शाही योजनाओं को पूरा कर सकें)। चुनाँचे वह (पश्चिमी मुल्कों को फ़तह करने के इरादे से) एक राह पर हो लिये (और सफ़र करना शुरू किया) यहाँ तक कि जब (सफ़र करते-करते दरमियानी शहरों को फ़तह करते हुए) सूरज डूबने के मौक़े (यानी पश्चिमी दिशा में आबादी की आख़िरी हद) पर पहुँचे तो सूरज उनको एक काले रंग के पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया (मुराद इससे ग़ालिबन समन्दर ही है कि उसका पानी अक्सर जगह सियाह नज़र आता है और अगरचे सूरज हकीकत में समन्दर में गुरुब नहीं होता मगर समन्दर से आगे निगाह न जाती हो तो समन्दर ही में डूबता हुआ मालूम होगा), और उसी जगह पर उन्होंने एक कौम देखी (जिनके काफ़िर होने पर अगली आयत यानी आयत नम्बर 87 दलालत करती है)। हमने (इल्हाम के द्वारा या उस ज़माने के पैगम्बर के वास्ते से) यह कहा कि ऐ जुल्करनैन! (इस कौम के बारे में दो इख़्तियार हैं) चाहे (इनको शुरूआत ही से क़त्ल वग़ैरह के ज़रिये) सज़ा दो और चाहे इनके बारे में नर्मी का मामला अपनाओ (यानी इनको ईमान की दावत दो, फिर न मानें तो क़त्ल कर दो। बग़ैर तब्तीग़ व दावत के शुरू ही में क़त्ल करने का इख़्तियार शायद इसलिये दिया गया हो कि उनको इससे पहले किसी माध्यम से ईमान की दावत पहुँच चुकी होगी, लेकिन दूसरी सूरत यानी पहले दावत फिर क़त्ल का बेहतर होना इशारे से बयान कर दिया कि इस सूरत को ख़ूबी और अच्छाई वाली बात से ताबीर फ़रमाया)।

जुल्करनैन ने अज़्र किया कि (मैं दूसरी ही सूरत इख़्तियार करके पहले उनको ईमान ही की दावत दूँगा) लेकिन (ईमान की दावत के बाद) जो ज़ालिम (यानी काफ़िर) रहेगा उसको तो हम लोग (क़त्ल वग़ैरह की) सज़ा देंगे (और यह सज़ा तो दुनिया में होगी) फिर वह (मरने के बाद) अपने असली मालिक के पास पहुँचा दिया जायेगा, फिर वह उसको (दोज़ख़ की) सख्त सज़ा देगा। और जो शख्स (ईमान की दावत के बाद) ईमान ले आयेगा और नेक अमल करेगा तो

उसके लिये (आखिरत में भी) बदले में भलाई मिलेगी, और हम भी (दुनिया में) अपने बर्ताव में उसको आसान (और नमी) बात कहेंगे (यानी उन पर कोई अमली सख्ती तो क्या की जाती ज़बानी और बात से भी कोई सख्ती नहीं की जायेगी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

यस्अलून-क (यानी वे लोग आप से सवाल करते हैं) ये लोग सवाल करने वाले कौन हैं रिवायतों से यह ज़ाहिर होता है कि वे मक्का के कुरैश थे, जिनको यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और सच्चा रसूल होने का इम्तिहान करने के लिये तीन सवाल बतलाये थे— रूह के मुताल्लिक और अस्हाबे कहफ़ और जुल्करनैन के बारे में, इनमें से दो का जवाब आ चुका है, अस्हाबे कहफ़ का किस्सा अभी गुज़रा है और रूह का सवाल पिछली सूरत के आखिर में गुज़र चुका है, यह तीसरा सवाल है कि जुल्करनैन कौन था और उसको क्या हालात पेश आये। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

जुल्करनैन के बारे में तफ़सीलात

जुल्करनैन का नाम जुल्करनैन क्यों हुआ? इसकी वजह में बेशुमार अक़वाल और सख्त भारी मतभेद हैं। कुछ हज़रात बाज़ ने कहा कि उनकी दो जुल्फ़ें थीं इसलिये जुल्करनैन कहलाये। कुछ ने कहा कि पूरब व पश्चिम के मुल्कों पर शासक व हाकिम हुए इसलिये जुल्करनैन नाम रखा गया। किसी ने यह भी कहा कि उनके सर पर कुछ ऐसे निशानात थे जैसे सींग के होते हैं। कुछ रिवायतों में है कि उनके सर पर दोनों तरफ़ चोट के निशानात थे इसलिये जुल्करनैन कहा गया। वल्लाहु आलम

मगर इतनी बात मुतैयन है कि कुरआन ने खुद उनका नाम जुल्करनैन नहीं रखा बल्कि यह नाम यहूदियों ने बतलाया, उनके यहाँ इस नाम से उनकी शोहरत होगी। जुल्करनैन के वाकिफ़ का जितना हिस्सा कुरआने करीम ने बतलाया है वह सिर्फ़ इतना है कि:

“वह एक नेक आदिल बादशाह था जो पूरब व पश्चिम में पहुँचे और उनके मुल्कों को फ़तह किया और उनमें अदल व इन्साफ़ की हुक्मरानी की, अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से उनको हर तरह के सामान अपने मक़सदों को पूरा करने के लिये अज़ा कर दिये गये थे, उन्होंने विजय प्राप्त करते हुए तीन दिशाओं में सफ़र किये, पश्चिम में आखिरी किनारे तक, और पूरब में आखिरी किनारे तक, फिर उत्तरी दिशा में पहाड़ी श्रंखलाओं तक, इसी जगह उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियानी दर्रे को एक अज़ीमुशशान लोहे की दीवार के ज़रिये बन्द कर दिया जिससे याजूज माजूज की लूटमार और तबाही मचाने से इस इलाके के लोग महफ़ूज़ हो गये।”

यहूदियों ने जो सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चा होने और नुबुव्वत का इम्तिहान करने के लिये पेश किया था वे इस जवाब से मुल्मईन हो गये, उन्होंने मज़ीद ये

सवालात नहीं किये कि उनका नाम जुल्करनैन क्यों था? यह किस मुल्क और किस ज़माने में थे? इससे मालूम होता है कि इन सवालात को खुद यहूदियों ने भी ग़ैर-ज़रूरी और फ़ुज़ूल समझा और यह ज़ाहिर है कि कुरआने करीम इतिहास व किस्सों का सिर्फ़ उतना हिस्सा ज़िक्र करता है जिससे कोई फ़ायदा दीन या दुनिया का संबन्धित हो, या जिस पर किसी ज़रूरी चीज़ का समझना मौकूफ़ हो, इसलिये न कुरआने करीम ने इन चीज़ों को बतलाया और न किसी सही हदीस में इसकी ये तफसीलात बयान की गईं और न कुरआन मजीद की किसी आयत का समझना इन चीज़ों के इल्म पर मौकूफ़ है, इसलिये पहले बुजुर्गों सहाबा व ताबिईन ने भी इस पर कोई ख़ास तबज्जोह नहीं दी।

अब मामला सिर्फ़ ऐतिहासिक रिवायतों का या मौजूदा तौरात व इन्जील का रह गया, और यह भी ज़ाहिर है कि मौजूदा तौरात व इन्जील को भी लगातार रद्दोबदल और कमी-बेशी ने एक आसमानी किताब की हैसियत में नहीं छोड़ा, इनका मक़ाम भी अब ज़्यादा से ज़्यादा एक तारीख़ ही का हो सकता है, और पुराने ज़माने की तारीख़ी रिवायतें ज़्यादातर इस्लामी किस्सों कहानियों से ही भरी हुई हैं, जिनकी न कोई सनद है न वे किसी ज़माने के अक्लमन्दों व बुद्धिमानों के नज़दीक़ भरोसे के काबिल पाई गईं हैं। हज़राते मुफ़स्सरीन ने भी इस मामले में जो कुछ लिखा वह सब इन्हीं तारीख़ी रिवायतों का मजमूआ है, इसी लिये उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं।

यूरोप के लोगों ने इस ज़माने में तारीख़ को बड़ी अहमियत दी, इस पर तहकीक़ व तफ़्तीश में बिला शुब्हा बड़ी मेहनत व कोशिश से काम लिया। पुराने निशानात, इमारतों और खण्डरों वगैरह की खुदाई और वहाँ की तहरीरों व कतबों वगैरह को जमा करके उनके ज़रिये पुराने वाकिआत की हकीक़त तक पहुँचने में वो काम अन्जाम दिये जो इससे पहले ज़माने में नज़र नहीं आते। लेकिन पुराने निशानात (पुरातत्व) और उनके कतबों से किसी वाकिए की ताईद में मदद तो मिल सकती है मगर खुद उनसे कोई वाकिआ पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिये तो तारीख़ी रिवायतें ही बुनियाद बन गईं हैं, और इन मामलों में पुराने ज़माने की तारीख़ी रिवायतों का हाल अभी मालूम हो चुका है कि एक कहानी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखतीं। पहले और बाद के उलेमा-ए-तफ़सीर ने भी अपनी किताबों में ये रिवायतें एक तारीख़ी हैसियत ही से नक़ल की हैं, जिनके सही होने पर कोई कुरआनी मक़सद मौकूफ़ नहीं, यहाँ भी इसी हैसियत से ज़रूरत के मुताबिक़ लिखा जाता है। इस वाकिए की पूरी तफ़्तीश व तहकीक़ मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान साहिब रह. ने अपनी किताब 'क़ससुल-कुरआन' में लिखी है, तारीख़ी जौक़ रखने वाले हज़रात उसको देख सकते हैं।

कुछ रिवायतों में है कि पूरी दुनिया पर सल्तनत व हुकूमत करने वाले चार बादशाह हुए हैं, दो मोमिन और दो काफ़िर। मोमिन बादशाह हज़रात सुलैमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं, और काफ़िर नमरूद और बुह्वे नस्सर हैं।

जुल्करनैन के मामले में यह अजीब इतिफ़ाक़ है कि इस नाम से दुनिया में कई आदमी मशहूर हुए हैं, और यह भी अजीब बात है कि हर ज़माने के जुल्करनैन के साथ लक़ब सिकन्दर

भी शामिल है।

हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन तीन सौ साल पहले एक बादशाह सिकन्दर के नाम से परिचित व मशहूर है जिसको सिकन्दरे यूनानी, मकदूनी, रूमी वगैरह के लक़बों (उप नामों) से याद किया जाता है, जिसका वज़ीर अरस्तू था, और जिसकी जंग दारा से हुई, और उसे क़त्ल करके उसका मुल्क फ़तह किया। सिकन्दर के नाम से दुनिया में मशहूर होने वाला आख़िरी शख्स यही है, इसी के किस्से दुनिया में ज़्यादा मशहूर हैं। कुछ लोगों ने इसको भी कुरआन में ज़िक्र हुआ जुल्करनैन कह दिया, यह सरासर ग़लत है, क्योंकि यह शख्स आतिश-परस्त (आग को पूजने वाला) मुशिरक था, कुरआने करीम ने जिस जुल्करनैन का ज़िक्र किया है उनके नबी होने में तो उलेमा का मतभेद है मगर नेक मोमिन होने पर सब का इत्तिफ़ाक़ है और खुद कुरआन की आयतें इस पर सुबूत हैं।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इब्ने अ़साकिर के हवाले से उसका पूरा नसब नामा लिखा है जो ऊपर जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, और फ़रमाया कि यही वह सिकन्दर है जो यूनानी मिस्री मकदूनी के नामों से परिचित है, जिसने अपने नाम पर शहर अस्कन्दरिया आबाद किया, और रूम की तारीख़ इसी के ज़माने से चलती है, और यह सिकन्दर जुल्करनैन प्रथम से एक लम्बे ज़माने के बाद हुआ है, जो दो हज़ार साल से ज़्यादा बतलाया जाता है, इसी ने दारा को क़त्ल किया और फ़ारस के बादशाहों को पराजित करके उनका मुल्क फ़तह किया, मगर यह शख्स मुशिरक था इसको कुरआन में ज़िक्र हुए जुल्करनैन करार देना सरासर ग़लती है। इब्ने कसीर के अपने अलफ़ाज़ ये हैं:

فاما ذوالقرنين الثاني فهو اسکندر بن فيلس بن مصري بن برس بن مطون بن رومي بن نعطي بن يونان بن
بالت بن بونه بن شرخون بن رومه بن شرخط بن توفيل بن رومي بن الاصغر بن يقزبن العيص بن اسحق بن ابراهيم
الخليل عليه الصلوة والسلام كذا نسبة الحافظ ابن عساكر في تاريخه المقدوني، اليوناني المصري باني
الاسكندرية الذي يورخ بايامه الروم وكان متأخراً عن الاول بدهر طويل وكان هذا قبل المسيح بنحو من للثمانة
سنة وكان ارطاطليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا واذل ملوك الفرس واطأ ارضهم وانما نبهنا عليه لان
كثيراً من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور في القرآن هو الذي كان ارطاطليس وزيره فيقع بسبب ذلك
خطأ كبير وفساد عريض طويل فان الاول كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاً وكان وزيره الخضر وقد كان نبياً
على ما قرناه قبل هذا واما الثاني فكان مشركاً كان وزيره فيلسوفاً وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فاین
هذا من هذا لا يستويان ولا يشبهان الاعلى غنى لا يعرف حقائق الامور. (البرية والتبليغ ص 106 ج 2)

हदीस व तारीख़ के इमाम इब्ने कसीर की इस तहकीक़ से एक तो यह मुग़ालता दूर हुआ कि यह अस्कन्दर जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तीन सौ साल पहले गुजरा है और जिसकी जंग दारा और फ़ारस के बादशाहों से हुई और जो अस्कन्दिया का संस्थापक है यह वह

जुल्करनैन नहीं जिसका कुरआने करीम में जिक्र आया है, यह मुग़लता कुछ बड़े मुफ़्तिरीन को भी लगा है। अबू हय्यान ने तफ़सीर बहरे मुहीत में और अल्लामा आलूसी ने तफ़सीर रूहुल-मआनी में इसी को कुरआन में जिक्र हुआ जुल्करनैन कह दिया है।

दूसरी बात 'व इन्नहू का-न नबिय्यन' के जुमले से यह मालूम होती है कि इब्ने कसीर के नज़दीक उनका नबी होना वरीयता प्राप्त है अगरचे उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक ज़्यादा सही वह कौल है जो खुद इब्ने कसीर ने अबी तुफ़ैल की रिवायत से हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हेहू से नक़ल किया है कि न वह नबी थे न फ़रिश्ता, बल्कि एक नेक सालिह मुसलमान थे, इसी लिये कुछ उलेमा ने इसका यह मतलब बयान किया है कि 'इन्नहू का-न' में जिसकी तरफ़ इशारा है वह जुल्करनैन नहीं बल्कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम हैं। और यही ज़्यादा सही मालूम होता है।

अब मसला यह रहता है कि फिर वह जुल्करनैन जिनका जिक्र कुरआने करीम में है कौन हैं? और किस ज़माने में हुए हैं? इसके बारे में भी उलेमा के अक़वाल बहुत भिन्न और अलग-अलग हैं, इब्ने कसीर के नज़दीक उनका ज़माना अस्कन्दरे यूनानी मक़दूनी से दो हज़ार साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है और उनके वज़ीर हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम थे। इब्ने कसीर रह. ने 'अल-बिदाया वन्निहाया' में पहले बुजुर्गों और उलेमा से यह रिवायत भी नक़ल की है कि जुल्करनैन पैदल चलकर हज़ के लिये पहुँचे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके आने का इल्म हुआ तो मक्का से बाहर निकलकर स्वागत किया और हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनके लिये दुआ भी की और कुछ वसीयतें और नसीहतें भी उनको फ़रमाईं। (अल-बिदाया पेज 108 जिल्द 2)

और तफ़सीर इब्ने कसीर में अज़रक़ी के हवाले से नक़ल किया है कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तवाफ़ किया फिर कुरबानी दी।

और अबू रेहान बैरूनी ने अपनी किताब 'आसार-ए-बाक़िया अ़न कुरुनिल-ख़ालिया' में कहा है कि यह जुल्करनैन जिनका जिक्र कुरआन में है अबू बक्र बिन सम्मी बिन उमर बिन अफ़रीक़ीस हमीरी है, जिसने ज़मीन के पूरब व पश्चिम को फ़तह किया और तुब्बा हमीरी यमनी ने अपने शेरों में इस पर गर्व किया है कि भरे दादा जुल्करनैन मुसलमान थे, उनके शेर ये हैं:

قد كان ذوالقرنين جدى مسلماً ملكاً علفى الارض غير مبعّد

بلغ المشارق والمغارب يتغى أسباب ملكٍ من كرم سيد

यह रिवायत तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने नक़ल की है। इब्ने कसीर ने भी 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इसका जिक्र करने के बाद कहा कि यह जुल्करनैन यमन के तबाबआ में से सबसे पहला तुब्बा है, और यही वह शख्स है जिसने सबकुँ के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में फैसला दिया था। (अल-बिदाया पेज 105 जिल्द 2)

इन तमाम रिवायतों में उनकी शख्सियत और नाम व नसब (खानदान) के बारे में मतभेद

होने के बावजूद-उनका ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना बतलाया गया है।

और मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान साहिब रह. ने अपनी किताब 'कससुल-कुरआन' में जो जुल्करनैन के बारे में बड़ी तफ़सील के साथ बहस की है उसका खुलासा यह है कि कुरआन में ज़िक्र हुआ जुल्करनैन फ़ारस का वह बादशाह है जिसको यहूदी ख़ोरस, यूनानी सायरस, फ़ारसी गोरश और अरब के लोग केखुसरो कहते हैं, जिसका ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत बाद में बनी इस्राईल के नबियों में से दानियाल अलैहिस्सलाम का ज़माना बतलाया जाता है जो सिकन्दरे मकदूनी कातिले दारा के ज़माने के करीब-करीब हो जाता है, मगर मौलाना मौसूफ़ ने भी इन्हे कसीर वगैरह की तरह इसका सख्ती से इनकार किया है कि जुल्करनैन वह सिकन्दरे मकदूनी जिसका वज़ीर अरस्तू था वह नहीं हो सकता, वह मुशिरक आग को पूजने वाला था, यह मोमिन और नेक थे।

मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान की तहकीक़ का खुलासा यह है कि कुरआने करीम की सूर: बनी इस्राईल में जो दो मर्तबा बनी इस्राईल के शर व फ़साद में मुब्तला होने और दोनों मर्तबा की सज़ा का ज़िक्र तफ़सील से आया है इसमें बनी इस्राईल के पहले फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) के मौके पर जो कुरआने करीम ने फ़रमाया है:

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ.

(यानी तुम्हारे फ़साद की सज़ा में हम मुसल्लत कर देंगे तुम पर अपने कुछ ऐसे बन्दे जो बड़ी ताक़त व शौक़त वाले होंगे, वे तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे।) इसमें ये क़ुव्वत व शौक़त वाले लोग बुख़्ते नस्सर और उसके साथी व सहयोगी से हैं जिन्होंने बैतुल-मुक़द्दस में चालीस हज़ार और कुछ रिवायतों के अनुसार सत्तर हज़ार बनी इस्राईल को क़त्ल किया, और एक लाख से ज़्यादा बनी इस्राईल को कैद करके भेड़ बकरियों की तरह हंकाकर बाबिल ले गया, और इसके बाद जो कुरआने करीम ने फ़रमाया:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ

(यानी हमने फिर लौटा दिया तुम्हारे ग़लबे को उन पर) यह वाफ़िआ इसी केखुसरो ख़ोरस बादशाह के हाथों उत्पन्न हुआ, यह मोमिन और नेक आदमी था, इसने बुख़्ते नस्सर का मुक़ाबला करके उसके कैदी बनाये हुए बनी इस्राईल को उसके क़ब्ज़े से निकाला और दोबारा फ़िलिस्तीन में आबाद किया, बैतुल-मुक़द्दस को जो वीरान कर दिया था उसको भी दोबारा आबाद किया, और बैतुल-मुक़द्दस के ख़ज़ाने और अहम सामान जो बुख़्ते नस्सर यहाँ से ले गया था वो सब वापस बनी इस्राईल के क़ब्ज़े में दिये, इसलिये यह शख़्त बनी इस्राईल (यहूदियों) का निजात दिलाने वाला साबित हुआ।

यह बात अन्दाज़े और क़ियास के करीब है कि मदीना के यहूदियों ने जो नुबुव्वत के इस्तिहान के लिये मक्का के क़ुरैश के वास्ते सवालात मुतैयन किये उनमें जुल्करनैन के सवाल को यह विशेषता भी हासिल थी कि यहूद उसको अपना निजात (मुक्ति) दिलाने वाला मानकर

उसकी ताज़ीम व सम्मान करते थे।

मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान साहिब ने अपनी इस तहकीक़ पर मौजूदा तौरात-के हवाले से बनी इस्त्राईल के नबियों की भविष्यवाणियों से फिर तारीख़ी रिवायतों से इस पर काफी सुबूत पेश किये हैं, जो सज्जन अधिक तहकीक़ के तालिब हों वे इसका मुताला कर सकते हैं, मेरा मक़सद इन तमाम रिवायतों के नक़ल करने से सिर्फ़ इतना था कि जुल्करनैन की शख़्सियत और उनके ज़माने के बारे में उम्मत के उलेमा और तारीख़ व तफ़सीर के माहिरीन के अक़वाल सामने आ जायें, इनमें से ज़्यादा सही किसका कौल है यह मेरे मक़सद का हिस्सा नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों का न क़ुरआन ने दावा किया न हदीस ने उनको बयान किया उनके मुतैयन और स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी हम पर नहीं, और उनमें जो कौल भी वरीयता प्राप्त और सही क़रार पाये क़ुरआन का मक़सद हर हाल में हासिल है। वल्लाहु सुब्बानहू व तआला आलाम

आगे आयतों की तफ़सीर देखिये:

قُلْ سَأَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

इसमें यह ग़ौर करने की बात है कि क़ुरआन ने इस जगह 'ज़िक़रहू' का मुख़्तसर लफ़्ज़ छोड़कर 'मिन्हु ज़िक़रा' के दो कलिमे क्यों इख़्तियार किये। ग़ौर कीजिये तो इन दो कलिमों में इशारा इस तरफ़ किया गया है कि क़ुरआन ने जुल्करनैन का पूरा किस्सा और उसकी तारीख़ ज़िक़र करने का वायदा नहीं किया, बल्कि उसके ज़िक़र का एक हिस्सा बयान करने के लिये फ़रमाया जिस पर हर्फ़ 'मिन्' और 'ज़िक़रा' की तनवीन अरबी ग्रामर के हिसाब से सुबूत है। ऊपर जो तारीख़ी बहस जुल्करनैन के नाम व नसब और ज़माने वग़ैरह की लिखी गई है क़ुरआने करीम ने इसको ग़ैर-ज़रूरी समझकर छोड़ देने का पहले ही इज़हार फ़रमा दिया है।

وَأَيُّنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَيِّئًا

लफ़्ज़ सबब अरबी लुग़त में हर उस चीज़ के लिये बोला जाता है जिससे अपने मक़सद के हासिल करने में मदद मिलती है, जिसमें उपकरण व यंत्र और माद़ी असबाब भी शामिल हैं और इल्म व समझ और तजुर्बा वग़ैरह भी। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

और 'मिन् कुल्लि शैइन' से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिये एक बादशाह और हुक्मरॉ को पेश आती है। मुराद यह है कि अल्लाह तआला ने हज़रत जुल्करनैन को अपनी इन्साफ़ पसन्दी, दुनिया में अमन कायम करने और मुल्कों के फ़तह करने के लिये जिस-जिस सामान की ज़रूरत उस ज़माने में थी वो सब के सब उनको अता कर दिये गये थे।

فَاتَّبَعِ سَيِّئًا

मुराद यह है कि सामान तो हर किस्म के और दुनिया के हर ख़िलते में पहुँचने के उनको दे दिये गये थे, उन्होंने सबसे पहले पश्चिम की तरफ़ सफ़र के सामान से काम लिया।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

मुराद यह है कि पश्चिम की तरफ़ उस आखिरी हद तक पहुँच गये जिससे आगे कोई आबादी नहीं थी।

فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ

लफ़्ज़ हमिअतिनु के लुगवी मायने काली दलदल या कीचड़ के हैं। मुराद इससे वह पानी है जिसके नीचे काला कीचड़ हो, जिससे पानी का रंग भी काला दिखाई देता हो, और सूरज को ऐसे चश्मे में डूबते हुए देखने का मतलब यह है कि देखने वाले को यह महसूस होता था कि सूरज उस चश्मे में डूब रहा है, क्योंकि आगे आबादी या कोई खुश्की सामने नहीं थी, जैसे आप किसी ऐसे मैदान में सूरज ढलने के वक़्त हों जहाँ दूर तक पश्चिम की तरफ़ कोई पहाड़ दरख़्त इमारत न हो तो देखने वाले को यह महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के अन्दर घुस रहा है।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

यानी उस काले चश्मे के पास जुल्करनैन ने एक कौम को पाया। आयत के अगले हिस्से से मालूम होता है कि यह कौम काफ़िर थी, इसलिये अगली आयतों में अल्लाह तआला ने जुल्करनैन को इख़्तियार दे दिया कि आप चाहें तो उन सब को पहले उनके कुफ़्र की सज़ा दे दें, और चाहें तो उनसे एहसान का मामला करें कि पहले दावत व तब्लीग़ और वअज़ व नसीहत से उनको इस्लाम व ईमान कुबूल करने पर आमादा करें, फिर मानने वालों को उसकी जज़ा और न मानने वालों को सज़ा दें, जिसके जवाब में जुल्करनैन ने दूसरी ही सूरत को तजवीज़ किया कि पहले उनको वअज़ व नसीहत से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे फिर जो कुफ़्र पर कायम रहे उनको सज़ा देंगे और जो ईमान लाये और नेक अमल करे तो उसको अच्छा बदला देंगे।

فَلَمَّا يَأْتِ الْفُرْتَيْنِ

इससे मालूम होता है कि जुल्करनैन को हक़ तआला ने खुद ख़िताब करके यह इरशाद फ़रमाया है। अगर जुल्करनैन को नबी करार दिया जाये तब तो इसमें कोई इश्काल ही नहीं कि वही के ज़रिये ही उनसे कह दिया गया, और अगर उनकी नुबुव्वत तस्लीम न की जाये तो फिर इस 'कुलना' और 'या जुल्करनैन' के ख़िताब की सूरत यह हो सकती है कि किसी पैग़म्बर के वास्ते से यह ख़िताब जुल्करनैन को किया गया है, जैसा कि रिवायतों में हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का उनके साथ होना बयान हुआ है, और यह भी मुम्किन है कि यह नुबुव्वत व रिसालत वाली वही न हो, ऐसी लुगवी वही हो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिये कुरआन में 'व औहैना' के अलफ़ाज़ आये हैं, हालाँकि उनके नबी या रसूल होने का कोई गुमान व शुब्हा नहीं, मगर अबू हय्यान ने बहरे मुहीत में फ़रमाया कि जुल्करनैन को जो यहाँ हुक्म दिया गया है वह उस कौम के क़त्ल व सज़ा का हुक्म है, इस तरह का कोई हुक्म नुबुव्वत की वही के बग़ैर नहीं दिया जा सकता, यह काम न कश्फ़ व इल्हाम से हो सकता है न बग़ैर नुबुव्वत की वही के किसी और माध्यम से, इसलिये इसके सिवा कोई गुमान व ख़्याल सही नहीं कि या तो जुल्करनैन को खुद नबी माना जाये या फिर कोई नबी उनके ज़माने में मौजूद हों

उनके ज़रिये उनको खिताब होता हो। वल्लाहु आलम

ثُمَّ اتَّبِعْ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَظْمُرُ عَلَىٰ ظُومٍ ۖ لَمْ تَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ
دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

सुम्-म अल्ब-अ स-बबा (89) हत्ता
इज़ा ब-ल-ग मत् लिअ शशम्सि
व-ज-दहा तत् लुअु अला कौमिल्-लम्
नज्जल्-लहुम् मिन् दूनिहा सित् रा
(90) कज़ालि-क व कद् अ-हत्ना
बिमा लदैहि खुबा (91)

फिर लगा एक सामान के पीछे। (89)
यहाँ तक कि जब पहुँचा सूरज निकलने
की जगह पाया उसको कि निकलता है
एक कौम पर कि नहीं बना दिया हमने
उनके लिये सूरज से वरे कोई हिजाब।
(90) यँ ही है और हमारे काबू में आ
चुकी है उसके पास की खबर। (91)

खुलासा-ए-तफसीर

फिर (पश्चिमी मुल्क फतह करके पूरबी मुल्क फतह करने के इरादे से पूरब की तरफ) एक राह पर हो लिये, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने के मौके “स्थान” पर (यानी पूरब की दिशा में आबादी की आखिरी हद पर) पहुँचे तो सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते देखा जिनके लिए हमने सूरज के ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी (यानी उस जगह ऐसी कौम आबाद थी जो धूप से बचने के लिये कोई मकान या खेमा वगैरह बनाने के आदी न थे बल्कि शायद लिबास भी न पहनते हों, जानवरों की तरह खुले मैदान में रहते थे)। यह किस्सा इसी तरह है और जुल्करनैन के पास जो कुछ (सामान वगैरह) था हमको उसकी पूरी खबर है (इसमें नुबुव्वत के इम्तिहान के लिये जुल्करनैन के बारे में सवाल करने वालों को इस पर तंबीह है कि हम जो कुछ बतला रहे हैं वह इल्म व खबर की बुनियाद पर है, आम तारीखी कहानियों की तरह नहीं ताकि नुबुव्वते मुहम्मदिया का हक व सच्चा होना स्पष्ट हो जाये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

जुल्करनैन ने पूरब की दिशा में जो कौम आबाद पाई उसका यह हाल तो कुरआने करीम ने ज़िक्र फरमाया कि वे धूप से बचने के लिये कोई सामान, मकान, खेमा, लिबास वगैरह के ज़रिये न करते थे, लेकिन उनके मज़हब व आमाल का कोई ज़िक्र नहीं फरमाया और न यह कि जुल्करनैन ने उन लोगों के साथ क्या मामला किया, और ज़ाहिर यह है कि ये लोग भी काफ़िर ही थे और जुल्करनैन ने इनके साथ भी वही मामला किया जो पश्चिमी कौम के साथ ऊपर बयान हो चुका है, मगर इसके बयान करने की यहाँ इसलिये ज़रूरत नहीं समझी कि पिछले

वाकिए पर अन्दाज़ा और क़ियास करके इसका भी इल्म हो सकता है। (जैसा कि इन्हे अतीया के हवाले से तफसीर बहरे मुहीत में नकल किया गया है)

ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ

دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُورِ وَمَا جُورٌ مُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۗ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَبِيرٌ فَأَعْيُنُونِي
بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۗ أَلَمْ يَكُنْ فِي زُرِّيهِ الرَّحْمَنُ الَّذِي إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفِخُوا
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۗ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نِقْبًا ۗ
قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۗ وَإِذَا جَاءَ وَعْدَ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدَ رَبِّي حَقًّا ۝

सुम्-म अत्व-अ स-बबा (92) हत्ता
इज़ा ब-ल-ग बैनस्सद्दैनि व-ज-द
मिन् दूनिहिमा कौमल्-ला यकादू-न
यफ़कहू-न कौला (93) कालू या
जल्करनैनि इन्-न यअजू-ज व
मअजू-ज मुफ़िसदू-न फिलअरज़ि
फ-हल् नज़अलु ल-क ख़रजन् अला
अन् तजूअ-ल बैनना व बैनहुम्
सद्दा (94) का-ल मा मक्कन्नी
फीहि रब्बी ख़ौरुन् फ-अज़ीनूनी
बिकुव्वतिन् अजूअल् बैनकुम् व
बैनहुम् रद्मा (95) आतूनी जु-बरल्-
हदीदि, हत्ता इज़ा सावा बैनस्स-दफ़ैनि
कालन्फुख़ू हत्ता इज़ा ज-अ-लहू
नारन् का-ल आतूनी उफ़िरग् अलैहि
कित्त्रा (96) फ-मस्ताजू अय्यज़हरुहु

फिर लगा एक सामान के पीछे। (92)
यहाँ तक कि जब पहुँचा दो पहाड़ों के
बीच, पाये उनसे वरे ऐसे लोग जो लगते
नहीं कि समझें एक बात। (93) बोले ऐ
जुल्करनैन! ये याजूज व माजूज घूम
उठाते हैं मुल्क में सो तू कहे तो हम
मुक़र्र कर दें तेरे वास्ते कुछ महसूल इस
शर्त पर कि बना दे तू हम में और उनमें
एक आड़। (94) बोला जो गुंजाईश दी
मुझको मेरे रब ने वह बेहतर है सो मदद
करो मेरी मेहनत में बना दूँ तुम्हारे और
उनके बीच एक दीवार मोटी। (95) ला
दो मुझको तख़्ते लोहे के, यहाँ तक कि
जब बराबर कर दिया दोनों फाँकों तक
पहाड़ की कहा धोंको, यहाँ तक कि जब
कर दिया उसको आग, कहा लाओ मेरे
पास कि डालूँ इस पर पिघला हुआ
ताँबा। (96) फिर न चढ़ सकें इस पर

व भस्तताजू लहू नक्बा (97) का-ल
हाजा रस्मतुम्-मिर्रब्बी फ-इजा जा-अ
वअदु रब्बी ज-अ-लहू दक्का-अ व
का-न वअदु रब्बी हक्का (98)

और न कर सकें इसमें सुराहा। (97)
बोला यह एक मेहरबानी है मेरे रब की
फिर जब आये वायदा मेरे रब का गिरा दे
इसको ढहाकर और है वायदा मेरे रब का
सच्चा। (98)

खुलासा-ए-तफसीर

फिर (पूरब व पश्चिम फतह करके) एक और राह पर हो लिये (कुरआन में उस दिशा का नाम नहीं लिया मगर आबादी ज्यादा उत्तरी दिशा में ही है इसलिये मुफस्सिरीन ने इस सफर को उत्तरी मुल्कों का सफर करार दिया, ऐतिहासिक तथ्य और सुबूत भी इसी को प्रबल बनाते हैं)। यहाँ तक कि जब ऐसे मकाम पर जो दो पहाड़ों के बीच था पहुँचे तो उन पहाड़ों से उस तरफ एक कौम को देखा, जो (भाषा और बोलचाल से नावाकिफ जंगल की जिन्दगी की वजह से) कोई बात समझने के करीब भी नहीं पहुँचते थे (इन अलफाज से यह मालूम होता है कि सिर्फ भाषा से नावाकिफियत न थी क्योंकि समझ-बूझ हो तो अनजान भाषा वाले की बातें भी कुछ इशारे किनाये से समझी जा सकती हैं, बल्कि जंगल की जिन्दगी ने समझ-बूझ से भी दूर रखा था मगर फिर शायद किसी अनुवादक के जरिये से) उन्होंने अर्ज किया, ऐ जुल्कनैन! याजुज व माजुज की कौम (जो इस घाटी के उस तरफ रहते हैं, हमारी) इस धरती में (कभी-कभी आकर) बड़ा फसाद मचाते हैं (यानी कत्ल व ग़ारतगरी करते हैं और हम में उनके मुकाबले की ताकत नहीं) सो क्या हम लोग आपके लिये कुछ चन्दा जमा कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके बीच कोई रोक बना दें (कि वे इस तरफ आने न पायें)। जुल्कनैन ने जवाब दिया कि जिस माल में मेरे रब ने मुझको (खर्च व इस्तेमाल करने का) इख्तियार दिया है वह बहुत कुछ है (इसलिये चन्दा जमा करने और माल देने की तो ज़रूरत नहीं अलबत्ता) हाथ-पाँव की ताकत (यानी मेहनत मजदूरी) से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके बीच खूब मजबूत दीवार बना दूँगा। (अच्छा तो) तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ (कीमत हम देंगे)। ज़ाहिर यह है कि उस लोहे की दीवार बनाने के लिये और भी ज़रूरत की चीजें मंगवाई गई होंगी मगर यहाँ वहशी मुल्क में सबसे ज्यादा कम पाई जाने वाली चीज लोहे की चादरें थीं इसलिये उनके जिक्र करने को काफी समझा गया, सब सामान जमा हो जाने पर दोनों पहाड़ों के बीच लोहे की दीवार की तामीर का काम शुरू किया गया) यहाँ तक कि जब (उस दीवार के रहे मिलाने-मिलाने) उन (दोनों पहाड़ों) के दोनों सिरों के बीच (के खाली हिस्से) को (पहाड़ों के) बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि धौको (धौकना शुरू हो गया) यहाँ तक कि जब (धौकते धौकते) उसको लाल अंगारा कर दिया तो उस वक़्त हुक्म दिया कि अब मेरे पास पिघला हुआ ताँबा लाओ (जो पहले से तैयार करा लिया होगा) कि इस पर डाल दूँ (चुनाँचे यह पिघला हुआ ताँबा लाया गया और

आलात के जरिये ऊपर से छोड़ दिया गया कि दीवार की तमाम दरज़ों में घुसकर पूरी दीवार एक जिस्म हो जाये, उसकी लम्बाई-चौड़ाई खुदा को मालूम है) तो (उसकी बुलन्दी और चिकनाहट के सबब) न तो याजूज-माजूज उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें (हद से ज्यादा मजबूती के सबब कोई) सेंध लगा सकते थे। जुल्करनैन ने (जब उस दीवार को तैयार देखा जिसका तैयार होना कोई आसान काम न था तो बतौर शुक्र के) कहा कि यह मेरे रब की एक रहमत है (मुझ पर भी कि मेरे हाथों यह काम हो गया और इस कौम के लिये भी जिनको याजूज माजूज सताते थे)। फिर जिस वक़्त मेरे रब का वायदा आयेगा (यानी इसके फना करने का वक़्त आयेगा) तो इसको ढहाकर (ज़मीन के) बराबर कर देगा। और मेरे परवर्दिगार का वायदा सच्चा है (और अपने वक़्त पर ज़रूर ज़ाहिर होता है)।

मअरिफ़ व मसाईल

मुश्किल लुगात का हल

‘बैनस्सद्दैनि’। लफ़्ज़ सदुदुन अरबी भाषा में हर उस चीज़ के लिये बोला जाता है जो किसी चीज़ के लिये रुकावट बन जाये, चाहे दीवार हो या पहाड़, और क़ुदरती हो या बनाई हुई। यहाँ सदुदैन से दो पहाड़ मुराद हैं जो याजूज माजूज के रास्ते में रुकावट थे लेकिन उन दोनों के बीच के दर्रे से वे हमलावर होते थे जिसको जुल्करनैन ने बन्द किया।

‘जुबुरल-हदीदि’। जुबर, ज़बरा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने तख़्ती या चादर के हैं, मुराद लोहे के टुकड़े हैं जिनको उस दर्रे को बन्द करने वाली दीवार में ईंट पत्थर के बजाय इस्तेमाल करना था।

‘अस्सदफ़ैनि’। दो पहाड़ों की दो जानिबें जो एक दूसरे के मुकाबिल हों।

‘कित्तरन्’। कित्तर के मायने अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक पिघले हुए ताँबे के हैं, कुछ ने पिघले हुए लोहे या राँग को भी कित्तर कहा है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

‘दक्का-अ’। यानी रेज़ा-रेज़ा होकर ज़मीन के बराबर हो जाने वाली।

याजूज-माजूज कौन हैं और कहाँ हैं? सदुदे जुल्करनैन

किस जगह है?

इनके बारे में इस्राईली रिवायतों और तारीखी कहानियों में बहुत बे-सर पैर की अज़ीब व ग़रीब बातें मशहूर हैं, जिनको बाज़ हज़रते मुफ़स्सिरीन ने भी तारीखी हैसियत से नक़ल कर दिया है, मगर वह खुद उनके नज़दीक भी क़ाबिले एतिमाद नहीं। कुरआने करीम ने उनका मुखासर-सा हाल संक्षिप्त रूप से बयान किया और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बक़द्रे ज़रूरत तफ़सील से भी उम्मत को आगाह कर दिया। ईमान लाने और एतिकाद रखने की

चीज़ सिर्फ़ उतनी ही है जो कुरआन और सही हदीसों में आ गई है, उससे ज़्यादा तारीख़ी और भूगोलिक हालात जो मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन और इतिहास लेखकों ने ज़िक्र किये हैं वो सही भी हो सकते हैं और ग़लत भी, उनमें जो तारीख़ लिखने वालों के अक़वाल मुख़लिफ़ हैं वो इशारात, अन्दाज़ों और क़ियास पर आधारित हैं, उनके सही या ग़लत होने का कोई असर कुरआनी इरशादात पर नहीं पड़ता।

मैं इस जगह पहले वो हदीसें नक़ल करता हूँ जो इस मामले में मुहद्दिसीन के नज़दीक सही या क़ाबिले भरोसा हैं, उसके बाद बक़द्रे ज़रूरत तारीख़ी रिवायतें भी लिखी जायेंगी।

याजूज-माजूज के बारे में हदीस की रिवायतें

कुरआन व सुन्नत की वज़ाहत और खुलासों से इतनी बात तो निसंदेह साबित है कि याजूज माजूज इनसानों ही की कौम हैं, आम इनसानों की तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, क्योंकि कुरआने करीम का स्पष्ट बयान है:

وَجَعَلْنَا دَارِيْنَهُمُ الْيَوْمِيْنَ ۝

यानी तूफ़ाने नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने इनसान ज़मीन पर बाकी हैं और रहेंगे वे सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में होंगे। तारीख़ी रिवायतें इस पर मुत्तफ़िक् हैं कि वे याफ़िस की औलाद में हैं, एक कमज़ोर हदीस से भी इसकी ताईद होती है। उनके बाकी हालात के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा तफ़सीली और सही हदीस हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की है जिसको सही मुस्लिम और हदीस की तमाम मोतबर किताबों में नक़ल किया गया है और मुहद्दिसीन ने इसको सही क़रार दिया है, उसमें दज्जाल के निकलने, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने फिर याजूज-माजूज वगैरह के निकलने की पूरी तफ़सील बयान हुई है, इस पूरी हदीस का तर्जुमा इस प्रकार है:

हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन सुबह के वक़्त दज्जाल का तज़क़िरा फ़रमाया और तज़क़िरा फ़रमाते हुए कुछ बातें उसके मुताल्लिक़ ऐसी बयान फ़रमाई कि जिनसे उसका हकीर व ज़लील होना मालूम होता था (जैसे यह कि वह काना है) और कुछ बातें उसके मुताल्लिक़ ऐसी बयान फ़रमाई कि जिनसे मालूम होता था कि उसका फ़ितना सख़्त और बड़ा है (जैसे जन्नत व दोज़ख़ का उसके साथ होना और दूसरी ख़िलाफ़े आदत और असाधारण बातें)। आपके बयान से (हम पर ऐसा ख़ौफ़ तारी हुआ कि) गोया दज्जाल ख़ज्रों के झुण्ड में है (यानी क़रीब ही मौजूद है) जब हम शाम को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने हमारे दिली हालात को भाँप लिया और पूछा कि तुमने क्या समझा? हमने अर्ज़ किया कि आपने दज्जाल का तज़क़िरा फ़रमाया और कुछ बातें उसके बारे में ऐसी बयान फ़रमाई जिनसे उसका मामला हकीर और आसान मालूम होता था और कुछ बातें ऐसी बयान फ़रमाई जिनसे मालूम होता है कि उसकी बड़ी ताक़त होगी उसका

फितना बड़ा भारी है, हमें तो ऐसा मालूम होने लगा कि हमारे करीब ही वह खजूरों के झुण्ड में मौजूद है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाने लगे तुम्हारे बारे में जिन फितनों का मुझे खौफ है उनमें दज्जाल के मुकाबले में दूसरे फितने ज्यादा काबिले खौफ हैं (यानी दज्जाल का फितना इतना बड़ा नहीं जितना तुमने समझ लिया है) अगर मेरी मौजूदगी में वह निकलता तो मैं उसका मुकाबला खुद करूँगा (तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं), और अगर वह मेरे बाद आया तो हर शख्स अपनी हिम्मत के मुताबिक उसको मगलूब करने की कोशिश करेगा, हक़ तआला मेरी गैर-मौजूदगी में हर मुसलमान का नासिर और मददगार है, (उसकी निशानी यह है) कि वह नौजवान सख्त पेचदार बालों वाला है, उसकी एक आँख ऊपर को उभरी हुई है (और दूसरी आँख से काना है जैसा कि दूसरी रिवायतों में है) और अगर मैं (उसकी बदसूरती में) उसको किसी के साथ तशबीह दे सकता हूँ तो वह अब्दुल-उज्जा बिन क़ुत्तन है (यह जाहिलीयत के ज़माने में बनू ख़ुज़ाआ कबीले का एक बद-शक्त शख्स था) अगर तुम में से किसी मुसलमान का दज्जाल के साथ सामना हो जाये तो उसको चाहिये कि वह सूरः कहरफ की शुरूआती आयतें पढ़ ले (इससे दज्जाल के फितने से महफूज़ रहेगा) दज्जाल शाम और इराक़ के बीच से निकलेगा और हर तरफ़ फसाद मचायेगा ऐ अल्लाह के बन्दो! उसके मुकाबले में साबित-क़दम (जमें और मजवूत) रहना।

हमने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! वह ज़मीन में किस क़द मुदत रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया वह चालीस दिन रहेगा, लेकिन पहला दिन एक साल के बराबर होगा और दूसरा दिन एक माह के बराबर होगा, और तीसरा दिन एक हफ़्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आठ दिनों के बराबर होंगे। हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! जो दिन एक साल के बराबर होगा क्या हम उसमें सिर्फ़ एक दिन की (पाँच नमाज़ें) पढ़ेंगे? आपने फरमाया नहीं बल्कि वक़्त का अन्दाज़ा करके पूरे साल की नमाज़ें अदा करनी होंगी। फिर हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! वह ज़मीन में किस क़द तेज़ी के साथ सफ़र करेगा? फरमाया उस बादल की तरह तेज़ चलेगा जिसके पीछे मुवाफ़िक़ हवा लगी हुई हो, पस दज्जाल किसी क़ौम के पास से गुज़रेगा उनको अपने बातिल अज़ीदों की दावत देगा वे उस पर ईमान लायेंगे तो वह बादलों को हुक्म देगा तो वे बरसने लगेंगे, और ज़मीन को हुक्म देगा तो वह सरसब्ज़ व शादाब (हरीभरी) हो जायेगी (और उनके मवेशी उसमें चरेंगे) और शाम को जब वापस आयेंगे तो उनके कोहान पहले की तुलना में बहुत ऊँचे होंगे, और थन दूध से भरे हुए होंगे और उनकी कोखें पुर होंगी फिर दज्जाल किसी दूसरी क़ौम के पास से गुज़रेगा और उनको भी अपने कुफ़्र व गुमराही की दावत देगा, लेकिन वे उसकी बातों को रद्द कर देंगे, वह उनसे मायूस होकर चला जायेगा तो ये मुसलमान लोग कहत साली (सूखे के काल) में मुब्तला हो जायेंगे, और उनके पास कुछ माल न बचेगा और वीरान ज़मीन के पास से उसका गुज़र होगा तो वह उसको खिताब करेगा कि अपने ख़ज़ानों को बाहर ले आ, चुनाँचे ज़मीन के ख़ज़ाने उसके पीछे-पीछे हो

लेंगे, जैसा कि शहद की भक्खियाँ अपने सरदार के पीछे हो लेती हैं। फिर दज्जाल एक आदमी को बुलायेगा जिसका शबाब (जवानी) पूरे जोरों पर होगा उसको तलवार मारकर दो टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़े इस कद्र फासले पर कर दिये जायेंगे जिस कद्र तीर मारने वाले और निशाने के दरमियान फासला होता है, फिर वह उसको बुलायेगा वह (जिन्दा होकर) दज्जाल की तरफ उसके इस फेल पर हंसता हुआ रोशन चेहे के साथ आ जायेगा, इतनी देर में अल्लाह तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमायेंगे चुनाँचे वह दो राग की चादरें पहने हुए दमिश्क की पूर्वी दिशा के सफेद मीनार पर इस तरह नुज़ूल फरमायेंगे कि अपने दोनों हाथों को फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे जब अपने सर मुबारक को नीचे करेंगे तो उससे पानी के कतरे झड़ेंगे (जैसे कोई अभी गुस्ल करके आया हो) और जब सर को ऊपर करेंगे तो उस वक़्त भी पानी के बिखरते कतरे जो मोतियों की तरह साफ होंगे गिरेंगे। जिस काफिर को आपके साँस की हवा पहुँचेगी वह वहीं मर जायेगा, और आपका साँस इस कद्र दूर पहुँचेगा जिस कद्र दूर आपकी निगाह जायेगी।

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि आप उसे बाबुल्लुद पर जा पकड़ेंगे (यह बस्ती अब भी बैतुल-मुकद्दस के करीब इसी नाम से मौजूद है) वहाँ उसको क़त्ल कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास तशरीफ लायेंगे और (शफक़त के तौर पर) उनके चेहरों पर हाथ फरेंगे और जन्नत में आला दर्जों की उनको खुशख़बरी सुनायेंगे।

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी इसी हाल में होंगे कि हक़ तआला का हुक्म होगा कि मैं अपने बन्दों में ऐसे लोगों को निकालूँगा जिनके मुकाबले में किसी को ताक़त नहीं, आप मुसलमानों को जमा करके तूर पहाड़ पर चले जायें (चुनाँचे ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा ही करेंगे) और हक़ तआला याजूज-माजूज को खोल देंगे तो वे तेज़ी के साथ फैलने के सबब हर बुलन्दी से फिसलते हुए दिखाई देंगे, उनमें से पहले लोग बहीरा-ए-तबरिया (एक दरिया का नाम) से गुज़रेंगे और उसका सब पानी पीकर ऐसा कर देंगे कि जब उनमें से दूसरे लोग उस बहीरा से गुज़रेंगे तो दरिया की जगह खुश्क देखकर कहेंगे कि कभी यहाँ पानी होगा।

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ पर पनाह लेंगे और दूसरे मुसलमान अपने किलों और महफूज़ जगहों में पनाह लेंगे। खाने पीने का सामान साथ होगा मगर वह कम पड़ जायेगा तो एक बैल के सर को सौ दीनार से बेहतर समझा जायेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे मुसलमान अपनी तकलीफ़ दूर होने के लिये हक़ तआला से दुआ करेंगे (हक़ तआला दुआ कुबूल फरमायेंगे) और उन पर महामारी की शक़्त में एक बीमारी भेजेगी और याजूज-माजूज थोड़ी देर में सब के सब मर जायेंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ से नीचे आयेंगे तो देखेंगे कि ज़मीन में एक बालिशत जगह भी उनकी लाशों से खाली नहीं (और लाशों के सड़ने की वजह से) सख़्त बदनू फैली होगी (इस कैफ़ियत को देखकर दोबारा) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके

साथी हक तअला से दुआ करेंगे (कि यह मुसीबत भी दूर हो, हक तअला कुबूल फरमायेंगे) और बहुत भारी भरकम परिन्दों को भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊँट की गर्दन के जैसी होंगी (वे उनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी वहाँ फेंक देंगे) कुछ रिवायतों में है कि दरिया में डालेंगे, फिर हक तअला बारिश बरसायेंगे कोई शहर और जंगल ऐसा न होगा जहाँ बारिश न हुई होगी, सारी ज़मीन धुल जायेगी और शीशे के जैसी साफ़ हो जायेगी। फिर हक तअला ज़मीन को हुक्म देंगे कि अपने पेट से फलों और फूलों को उगा दे और (नये सिरे से) अपनी बरकतों को जाहिर कर दे, (चुनाँचे ऐसा ही होगा और इस कदर बरकत जाहिर होगी) कि एक अनार एक जमाअत के खाने के लिये क़िफ़ायत करेगा और लोग उसके छिलके की छतरी बनाकर साया हासिल करेंगे और दूध में इस कदर बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध एक बहुत बड़ी जमाअत के लिये काफ़ी होगा और एक गाय का दूध एक कबीले के सब लोगों को काफ़ी हो जायेगा, और एक बकरी का दूध पूरी बिरादरी को काफ़ी हो जायेगा, (ये असाधारण बरकतें और अमन व अमान का ज़माना चालीस साल रहने के बाद जब क़ियामत का वक़्त आ जायेगा तो) उस वक़्त हक तअला एक खुशगवार हवा चलायेंगे जिसकी वजह से सब मुसलमानों की बगलों के नीचे एक खास बीमारी जाहिर हो जायेगी और सब के सब वफ़ात पा जायेंगे और बाकी सिर्फ़ शरीर व काफ़िर रह जायेंगे जो ज़मीन पर खुल्लम-खुल्ला हरामकारी जानवरों की तरह करेंगे, ऐसे ही लोगों पर क़ियामत आयेगी।

और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद की रिवायत में याजूज-माजूज के क़िस्से की ज़्यादा तफ़सील आई है, वह यह कि बहीरा-ए-तबरिया (एक दरिया का नाम है) से गुज़रने के बाद याजूज-माजूज बैतुल-मुक़द्दस के पहाड़ों में से एक पहाड़ जबले-ख़मर पर चढ़ जायेंगे और कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को सब को क़त्ल कर दिया है तो अब हम आसमान वालों का ख़ात्मा करेंगे, चुनाँचे वे अपने तीर आसमान की तरफ़ फेंकेंगे और वो तीर हक तअला के हुक्म से खून में भरकर उनकी तरफ़ वापस आयेंगे (ताकि वे अहमक यह समझकर खुश हों कि आसमान वालों का भी ख़ात्मा कर दिया)।

और दज्जाल के क़िस्से में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में यह इज़ाफ़ा भी है कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा से दूर रहेगा और मदीना के रास्तों पर भी उसका आना मुम्किन नहीं होगा तो वह मदीना के करीब एक नमकीली ज़मीन की तरफ़ आयेगा उस वक़्त एक आदमी दज्जाल के पास आयेगा और वह आदमी उस वक़्त के बेहतरीन लोगों में से होगा और उसको ख़िताब करके कहेगा कि मैं यक़ीन से कहता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसकी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़बर दी थी (यह सुनकर) दज्जाल कहने लगेगा लोगो! मुझे यह बतलाओ कि अगर मैं इस आदमी को क़त्ल कर दूँ और फिर इसे ज़िन्दा कर दूँ तो मेरे खुदा होने में शक़ करोगे? वे जवाब देंगे— नहीं। चुनाँचे वह उस आदमी को क़त्ल कर देगा और फिर उसको ज़िन्दा कर देगा तो वह दज्जाल को कहेगा कि अब मुझे तेरे दज्जाल होने

का पहले से ज्यादा यकीन हो गया है, दज्जाल उसको दोबारा क़त्ल करने का इरादा करेगा लेकिन वह इस पर कादिर न हो सकेगा। (सही मुस्लिम)

सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमायेंगे कि आप अपनी औलाद में से जहन्नमी लोगों को उठाईये, वह अर्ज़ करेंगे कि ऐ रब! वे कौन हैं? तो हुक्म होगा कि हर एक हज़ार में से नौ सौ निन्नानवे जहन्नमी हैं सिर्फ़ एक जन्ती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सहम गये और पूछा कि या रसूलुल्लाह! हम में से वह एक जन्ती कौनसा होगा? तो आपने फ़रमाया ग़म न करो क्योंकि ये नौ सौ निन्नानवे जहन्नमी याजूज-माजूज में से और वह एक तुम में से होगा। और मुस्तद़क़ हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने तमाम इनसानों के दस हिस्से किये उनमें से नौ हिस्से याजूज-माजूज के हैं और बाकी एक हिस्से में बाकी सारी दुनिया के इनसान हैं।

(तफसीर रूहुल-मआनी)

इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इन रिवायतों को ज़िक्र करके लिखा है कि इससे मालूम हुआ कि याजूज-माजूज की तादाद सारी इनसानी आबादी से बेहद ज्यादा है।

मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में सही सनदों से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरने के बाद चालीस साल ज़मीन पर रहेंगे। मुस्लिम की एक रिवायत में जो सात साल का अरसा बतलाया है हाफ़िज़ ने फ़टुल-बारी में इसको ग़ैर-वरीयता प्राप्त करार देकर चालीस साल ही का अरसा सही करार दिया है और हदीसों की वज़ाहतों के मुताबिक़ यह पूरा अरसा अमन व अमान और बरकतों के ज़हूर का होगा। बुग़ज़ व दुश्मनी आपस में क़तई न रहेगी, कभी दो आदमियों में कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं होगी। (मुस्लिम व अहमद)

इमाम बुखारी ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बैतुल्लाह का हज व उमरा याजूज-माजूज के निकलने के बाद भी जारी रहेगा। (तफसीर मज़हरी)

बुखारी व मुस्लिम ने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत जैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (एक दिन) नींद से ऐसी हालत में जागे कि चेहरा-ए-मुबारक सुर्ख़ हो रहा था और आपकी ज़बाने मुबारक पर ये जुमले थे:

لا اله الا الله ويل للعرب من شرقد اقترب فتح اليوم من ردم يا جوح وما جوح مثل هذه وحلق تسعين.

“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ख़राबी है अरब की उस शर (बुराई) से जो क़रीब आ चुका है। आज के दिन याजूज व माजूज की दीवार (रोक) में इतना सुराख़ खुल गया है और आपने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर हल्का (दायरा) बनाकर दिखलाया।”

उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस इरशाद पर हमने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! क्या हम ऐसे हाल में हलाक हो सकते हैं जबकि हमारे अन्दर नेक लोग मौजूद हों? आपने फरमाया हाँ! हलाक हो सकते हैं जबकि खुब्स (यानी बुराई) की अधिकता हो जाये। (बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से भी इसको बयान किया गया है और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में भी यही लिखा है)

और याजूज-माजूज की दीवार में हल्के (गोल दायरे) के बराबर सुराख हो जाना अपने असली मायने में भी हो सकता है और इशारे के तौर पर जुल्करनैन की बनाई हुई इस आड़ और दीवार के कमज़ोर हो जाने के मायने में भी हो सकता है। (इब्ने कसीर अबू हय्यान)

मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि याजूज-माजूज हर दिन दीवारे जुल्करनैन को खोदते रहते हैं यहाँ तक कि उस लोहे की दीवार के आखिरी हिस्से तक इतने क़रीब पहुँच जाते हैं कि दूसरी तरफ़ की रोशनी नज़र आने लगे, मगर ये कहकर लौट जाते हैं कि बाक़ी को कल खोदकर पार कर देंगे मगर अल्लाह तआला उसको फिर वैसा ही मज़बूत दुरुस्त कर देते हैं, और अगले दिन फिर नई मेहनत उसके खोदने में करते हैं, यह सिलसिला खोदने में मेहनत का और फिर अल्लाह की तरफ़ से उसके सही कर देने का उस वक़्त तक चलता रहेगा जिस वक़्त तक याजूज-माजूज को बन्द रखने का इरादा है, और जब अल्लाह तआला उनको खोलने का इरादा फरमायेंगे तो उस दिन जब मेहनत करके आखिरी हद में पहुँचा देंगे उस दिन यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल इसको पार कर लेंगे (अल्लाह के नाम और उसकी चाहत पर मौक़ूफ़ रखने से आज तौफ़ीक़ हो जायेगी) तो अगले दिन दीवार का बाक़ी बचा हिस्सा अपनी हालत पर मिलेगा और वे उसको तोड़कर पार कर लेंगे।

तिर्मिज़ी ने इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह से अबू राफ़ेअ, क़तादा और अबू अवाना के वास्ते से नक़ल करके फरमाया:

غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

(यानी इस एक सनद के अलावा यह रिवायत मुझे किसी ज़ौर वास्ते से नहीं मिली इसलिये यह ग़रीब है) इब्ने कसीर ने अपनी तफ्सीर में इस रिवायत को नक़ल करके फरमाया:

استاده جيد قوى ولكن منته في رفعه نكارة

“सनद इसकी उम्दा और मज़बूत है। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से इसको मरफ़ूअ करने या इसको रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ मन्सूब करने में एक अजनबियत मालूम होती है।”

और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इस हदीस के मुताल्लिक़ फरमाया कि अगर यह बात सही मान ली जाये कि यह हदीस मरफ़ूअ नहीं बल्कि कअ़बे अहबार की रिवायत है तब तो बात साफ़ हो गई कि यह कोई क़बिले भरोसा चीज़ नहीं,

और अगर इस रिवायत को रावी के वहम से महफूज़ करार देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही का इरशाद करार दिया जाये तो फिर मतलब इसका यह होगा कि याजूज-माजूज का यह अमल दीवार और रुकावट को खोदने का उस वक़्त शुरू होगा जबकि उनके निकलने का वक़्त करीब आ जायेगा और कुरआनी इरशाद कि उस दीवार में सैंध नहीं लगाई जा सकती यह उस वक़्त का हाल है जबकि जुल्करनैन ने इसको तामीर किया था, इसलिये कोई टकराव न रहा, और यह भी कहा जा सकता है कि सैंध लगाने से मुराद दीवार का वह खुला हिस्सा और सुराख है जो आर-पार हो जाये और इस रिवायत में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि यह सुराख आर-पार नहीं होता। (हिदाया पेज 112 जिल्द 2)

हाफिज़ इब्ने हजर ने फ़तुल-बारी में इस हदीस को अब्द बिन हुमैद और इब्ने हिब्बान के हवाले से भी नक़ल करके कहा है कि इन सब की रिवायत हज़रत क़तादा से है, और इनमें से कुछ की सनद के रावी सही बुखारी के रावी हैं, और हदीस के मरफूज़ करार देने पर भी कोई शुब्हा नहीं किया, और इब्ने अरबी के हवाले से बयान किया कि इस हदीस में अल्लाह की तीन आयतें यानी मोजिज़े हैं— अव्वल यह कि अल्लाह तआला ने उनके ज़ेहनों को इस तरफ़ मुतवज्जह नहीं होने दिया कि दीवार व रोक को खोदने का काम रात दिन लगातार जारी रखें वरना इतनी बड़ी क़ौम के लिये क्या मुश्किल था कि दिन और रात की इयूटियाँ अलग-अलग मुकर्रर कर लेते, दूसरे उनके ज़ेहनों को इस तरफ़ से फेर दिया कि उस दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, इसके लिये उपकरणों और आलात से मदद लें हालाँकि वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत से यह भी मालूम होता है कि ये लोग खेती-बाड़ी और उद्योगिक कामों के करने वाले हैं, हर तरह के उपकरण और सामान रखते हैं, उनकी ज़मीन में दरख्त भी अनेक किस्म के हैं, कोई मुश्किल काम न था कि ऊपर चढ़ने के साधन और माध्यम पैदा कर लेते, तीसरे यह कि सारी मुद्त में उनके दिलों में यह बात न आये कि इन्शा-अल्लाह कह लें, सिर्फ़ उस वक़्त यह कलिमा उनकी ज़बान पर जारी होगा जब उनके निकलने का निर्धारित वक़्त आ जायेगा।

इब्ने अरबी ने फ़रमाया कि इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि याजूज-माजूज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के वजूद और उसकी मर्ज़ी व इरादे को मानते हैं और यह भी मुम्किन है कि बग़ैर किसी अक्दीदे के ही उनकी ज़बान पर अल्लाह तआला यह कलिमा जारी कर दे, और इसकी बरकत से उनका काम बन जाये (अशरातुस्साअत, मुहम्मद पेज 154) मगर जाहिर यही है कि उनके पास भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत पहुँच चुकी है वरना कुरआनी बयान के मुताबिक़ उनको जहन्नम का अज़ाब न होना चाहिये।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

मालूम हुआ कि ईमान की दावत इनको भी पहुँची है मगर ये लोग कुफ़्र पर जमे रहे, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के वजूद और उसके इरादे व मर्ज़ी के कायल होंगे अगरचे सिर्फ़ अक्दीदा ईमान के लिये काफ़ी नहीं जब तक रिसालत और आख़िरत पर ईमान न हो।

बहरहाल! इन्शा-अल्लाह का कलिमा कहना बाघजूद कुर्र के भी कुछ नांमुम्किन बात नहीं।

हदीस की रिवायतों से प्राप्त नतीजे

ऊपर बयान हुई हदीसों में याजूज-माजूज के मुताल्लिक जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान से साबित हुई वो इस प्रकार हैं:

1. याजूज-माजूज आम इनसानों की तरह इनसान और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मुहदिसीन व इतिहासकारों की एक बड़ी जमाअत उनको याफिस इब्ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद करार देते हैं और यह भी ज़ाहिर है कि याफिस इब्ने नूह की औलाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जुल्करनैन के ज़माने तक दूर-दूर तक विभिन्न कबीलों और मुख़लिफ़ कौमों और विभिन्न आबादियों में फैल चुकी थी, याजूज-माजूज जिन कौमों का नाम है यह भी ज़रूरी नहीं कि वे सब के सब जुल्करनैन की दीवार के पीछे ही घिरे हुए हों, हाँ उनके कुछ कबीले और कौमें जुल्करनैन की बनाई हुई उस दीवार के इस तरफ़ भी होंगे अलबत्ता उनमें से जो क़त्ल व ग़ारतगरी करने वाले वहशी लोग थे वे जुल्करनैन के द्वारा बनाई गयी दीवार के ज़रिये रोक दिये गये। इतिहास लिखने वाले आम तौर से उनको तुर्क और मंगोल या मंगोलीन लिखते हैं मगर उनमें से याजूज-माजूज नाम सिर्फ़ उन वहशी (जंगली) असभ्य खूँखार ज़ालिम लोगों का है जो तहज़ीब व सभ्यता से वाकिफ़ नहीं हुए, उन्हीं की बिरादरी के मंगोल और तुर्क या मंगोलीन जो सभ्य हो गये वे इस नाम से ख़ारिज हैं।

2. याजूज-माजूज की संख्या पूरी दुनिया के इनसानों की संख्या से कई गुणा कम से कम एक और दस की तुलना से है। (हदीस नम्बर 2)

3. याजूज-माजूज की जो कौमें और कबीले दीवार जुल्करनैन के ज़रिये इस तरफ़ आने से रोक दिये गये हैं वे कियामत के बिल्कुल करीब तक उसी तरह घिरे रहेंगे उनके निकलने का निर्धारित वक़्त हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने, फिर दज्जाल के निकलने के बाद वह होगा जबकि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को क़त्ल कर चुकेंगे। (हदीस नम्बर 1)

4. याजूज-माजूज के खुलने के वक़्त दीवार जुल्करनैन गिरकर ज़मीन के बराबर हो जायेगी। (कुरआन की आयतें) उस वक़्त ये याजूज-माजूज की बेपनाह कौमें एक साथ पहाड़ों की बुलन्दियों से उतरती हुई तेज़ रफ़्तारी के सबब ऐसी मालूम होंगी कि गोया ये फिसल-फिसलकर गिर रहे हैं, और ये बेशुमार वहशी इनसान आम इनसानी आबादी और पूरी ज़मीन पर टूट पड़ेंगे और इनके क़त्ल व ग़ारतगरी का कोई मुक़ाबला न कर सकेगा। अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से अपने साथी मुसलमानों को लेकर तूर पहाड़ पर पनाह लेंगे और आम दुनिया की आबादियों में जहाँ कुछ किलें या सुरक्षित मक़ामात हैं वे उनमें बन्द होकर अपनी जानें बचायेंगे। खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाने के बाद जिन्दगी की ज़रूरतें इन्तिहाई महंगी हो जायेंगी, बाकी इनसानी आबादी को ये वहशी कौमें ख़त्म कर डालेंगी, उनके दरियाओं को चाट जायेंगी। (हदीस नम्बर 1)

5. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ से फिर यह टिढ़ी दल किसम की बेशुमार कौमें एक साथ हलाक कर दी जायेगी, उनकी लाशों से सारी ज़मीन पट जायेगी, उनकी बदबू की वजह से ज़मीन पर बसना मुश्किल हो जायेगा। (हदीस नम्बर 1)

6. फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ही की दुआ से उनकी लाशें दरिया में डाल दी या गा़यब कर दी जायेगी और पूरी दुनिया में बारिश के जरिये पूरी ज़मीन को धोकर पाक साफ़ कर दिया जायेगा। (हदीस नम्बर 1)

7. इसके बाद तक़रीबन चालीस साल अमन व अमान का दौर-दौरा रहेगा, ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी, कोई ग़रीब मोहताज न रहेगा, कोई किसी को न सतायेगा, सुकून व इत्मीनान आराम व राहत आम होगी। (हदीस नम्बर 3)

8. इस अमन व अमान के ज़माने में बैतुल्लाह का हज व उमरा जारी रहेगा। (हदीस नम्बर 4)
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और रौज़ा-ए-अक़दस में दफ़न होना हदीस की रिवायतों से साबित है, इसकी भी यही सूरत होगी कि वह हज या उमरे के लिये हिजाज़ का सफ़र करेंगे (जैसा कि हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से इमाम मुस्लिम ने बयान किया है) उसके बाद मदीना तथियबा में वफ़ात होगी, रौज़ा-ए-अक़दस में दफ़न किया जायेगा।

9. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आख़िर ज़माने में वही के जरिये आपको ख़्बाब दिखलाया गया कि जुल्करनैन की बनाई दीवार में एक सुराख़ हो गया है जिसको आपने अ़रब के लिये शर व फ़ितने की निशानी करार दिया, उस दीवार में सुराख़ हो जाने को कुछ मुहद्दिसीन ने अपनी हकीक़त पर महमूल किया है और कुछ ने इसका मतलब बतौर इशारे के यह करार दिया है कि अब यह दीवारे जुल्करनैन कमज़ोर हो चुकी है, याजूज-माजूज के निकलने का वक़्त करीब आ गया है और उसके आसार अ़रब कौम के पतन और गिरावट के रंग में ज़ाहिर होंगे। वल्लाहु आलम

10. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के बाद उनका क़ियाम ज़मीन पर चालीस साल होगा। (हदीस नम्बर 2)

उनसे पहले हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना भी चालीस साल रहेगा जिसमें कुछ हिस्सा दोनों के इकट्ठा रहने और साथ काम करने का होगा। सैयद शरीफ़ बर्ज़न्जी ने अपनी किताब 'अशरातुस्साअत' पेज 145 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम का क़ियाम दज्जाल के क़त्ल और अमन व अमान के बाद चालीस साल होगा और दुनिया में क़ियाम की कुल मुद्दत पैंतालीस साल होगी, और पेज 112 में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तीस से ऊपर कुछ साल पहले ज़ाहिर होंगे और उनका कुल ज़माना चालीस साल होगा, इस तरह पाँच या सात साल तक दोनों हज़रात साथ रहेंगे और इन दोनों ज़मानों की यह खुसूसियत होगी कि पूरी ज़मीन पर अदल व इन्साफ़ की हुकूमत होगी, ज़मीन अपनी बरकतें और ख़ज़ाने उगल देगी, कोई फ़कीर व मोहताज न रहेगा, लोगों में आपस में बुग़ज़ व दुश्मनी क़तई न रहेगी, हौं! हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आख़िरी ज़माने में बड़े दज्जाल का ज़बरदस्त फ़ितना सिवाय

मक्का और मदीना और बैतुल-मुकद्दस और तूर पहाड़ के सारे आलम पर छा जायेगा और यह फ़ितना दुनिया के तमाम फ़ितनों से बढकर होगा। दज्जाल का क़ियाम (ठहरना) और फ़साद सिर्फ़ चालीस दिन रहेगा मगर उन चालीस दिनों में से पहला दिन एक साल का, दूसरा दिन एक महीने का, तीसरा दिन एक हफ़्ते का होगा, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे जिसकी सूरत यह भी हो सकती है कि हकीकत में ये दिन इतने लम्बे कर दिये जायें, क्योंकि उस आख़िरी ज़माने में तक़रीबन सारे वाकिआत ही अज़ीब और आम आदत से ऊपर और करिश्माती होंगे, और यह भी मुम्किन है कि दिन रात तो अपने मामूल के मुताबिक़ होते रहें मगर दज्जाल का बड़ा जादूगर होना हदीस से साबित है, हो सकता है कि उसके जादू के असर से आम मख़्रूक की नज़रों पर यह दिन रात का बदलाव व इन्क़िलाब ज़ाहिर न हो, वे इसको एक ही दिन देखते और समझते रहें। हदीस में जो उस दिन के अन्दर आम दिनों के मुताबिक़ अन्दाज़ा लगाकर नमाज़ें पढ़ने का हुक्म आया है इससे भी ताईद इसकी होती है कि हकीकत के एतिबार से तो दिन रात बदल रहे होंगे, मगर लोगों के एंहसास में यह बदलना नहीं होगा, इसलिये उस एक साल के दिन में तीन सौ साठ दिनों की नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया गया, वरना अगर दिन हकीकत में एह की दिन होता तो शरीअत के कायदों के एतिबार से उसमें सिर्फ़ एक ही दिन की पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ होतीं। खुलासा यह है कि दज्जाल का कुल ज़माना इस तरह के चालीस दिन का होगा।

इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को क़त्ल करके इस फ़ितने को ख़त्म कर देंगे मगर इसके साथ ही याज़ूज-माज़ूज का ख़ुरूज होगा (यानी वे निकल पड़ेंगे) जो पूरी दुनिया में फ़साद और क़त्ल व ग़ारतगरी करेंगे, मगर उनका ज़माना भी चन्द दिन ही होंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये सब एक साथ हलाक हो जायेंगे। गर्ज़ कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने के आख़िर में और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के शुरू में दो फ़ितने दज्जाल और याज़ूज-माज़ूज के होंगे जो तमाम ज़मीन के लोगों को उलट-पुलट कर देंगे, गिनती के उन चन्द दिनों से पहले और बाद में पूरी दुनिया के अन्दर अदल व इन्साफ़ और अमन व सुकून और बरकात व समरात का दौर-दौरा रहेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम के सिवा कोई कलिमा व मज़हब ज़मीन पर न रहेगा, ज़मीन अपने दफ़न ख़ज़ाने उगल देगी, कोई फ़कीर व मोहताज न रहेगा, दरिन्दे और ज़हरीले जानवर भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचायेंगे।

याज़ूज-माज़ूज और दीवारे जुल्करनैन के बारे में ये मालूमात तो वो हैं जो क़ुरआन और हदीसों ने उम्मत को बतला दी हैं, इसी पर अक़ीदा रखना ज़रूरी और मुखा़लफ़त नाजायज़ है, बाकी रही इसकी भूगोलिक बहस कि दीवारे जुल्करनैन किस जगह स्थित है और कौमै याज़ूज माज़ूज कौनसी कौम है? और इस वक़्त कहाँ-कहाँ बसती है? अगरचे इस पर न कोई इस्लामी अक़ीदा मौक़ूफ़ है और न क़ुरआन की किसी आयत का मतलब समझना इस पर मौक़ूफ़ है, लेकिन मुखा़लिफ़ों की बक़वास के जवाब और अतिरिक्त मालूमात व तसल्ली के लिये उम्मत के

उलेमा ने इससे बहस फ़रमाई है, उसका कुछ हिस्सा नक़ल किया जाता है।

इमाम क़ुर्तुबी रह. ने अपनी तफ़सीर में सुददी के हवाले से नक़ल किया है कि याजूज माजूज के बाईस कबीलों में से इक्कीस कबीलों को जुल्करनैन की दीवार से बन्द कर दिया गया उनका एक कबीला दीवारि जुल्करनैन के अन्दर इस तरफ़ रह गया वो तुर्क हैं। इसके बाद क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने तुर्क के बारे में जो बातें बतलाई हैं वो याजूज-माजूज से मिलती हुई हैं, और आख़िर ज़माने में मुसलमानों की उनसे जंग होना सही मुस्लिम की हदीस में है। फिर फ़रमाया कि इस ज़माने में तुर्क क़ौम की बड़ी भारी संख्या मुसलमानों के मुकाबले के लिये निकली हुई है जिनकी सही तादाद अल्लाह तआला ही को मालूम है, वही मुसलमानों को उनके शर से बचा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि यही याजूज माजूज हैं, या कम से कम उनकी शुरुआत और नमूना हैं। (क़ुर्तुबी पेज 58 जिल्द 11)

(इमाम क़ुर्तुबी का ज़माना छठी सदी हिजरी है जिसमें तातारियों का फ़ितना ज़ाहिर हुआ और इस्लामी ख़िलाफ़त को तबाह व बरबाद किया, उनका ज़बरदस्त फ़ितना इस्लामी तारीख़ में परिचित और तातारियों का मग़ोल तुर्क में से होना मशहूर है।" मगर क़ुर्तुबी ने उनको याजूज माजूज के जैसा और उनकी पहली कड़ी करार दिया है, उनके फ़ितने को याजूज-माजूज का वह निकलना नहीं बतलाया जो क़ियामत की निशानियों में से है, क्योंकि सही मुस्लिम की उक्त हदीस में इसकी वज़ाहत है कि वह निकलना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने के बाद उनके ज़माने में होगा।

इसी लिये अल्लामा आलूसी ने अपनी तफ़सीर रूहुल-मज़ानी में उन लोगों पर सख़्त रद किया है जिन्होंने तातार (क़ौम) ही को याजूज-माजूज करार दिया, और फ़रमाया कि ऐसा ख़्याल करना खुली हुई गुमराही है और हदीस के बयानात व मज़मून की मुख़ालफ़त है, अलबत्ता यह उन्होंने भी फ़रमाया कि बिला शुब्हा यह फ़ितना याजूज-माजूज के फ़ितने के जैसा ज़रूर है।

(तफ़सीर रूहुल-मज़ानी पेज 44 जिल्द 16)

इससे साबित हुआ कि इस ज़माने में जो कुछ इतिहासकार मौजूदा रूस या चीन या दोनों को याजूज-माजूज करार देते हैं, अगर इससे उनकी मुराद वही होती जो इमाम क़ुर्तुबी और अल्लामा आलूसी ने फ़रमाया कि उनका फ़ितना याजूज-माजूज के फ़ितने जैसा है तो यह कहना कुछ ग़लत न होता, मगर इसी को याजूज-माजूज का वह निकलना करार देना जिसकी ख़बर कुरआन व हदीस में क़ियामत की निशानियों के तौर पर दी गई और उसका वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के बाद बतलाया गया, यह क़तई ग़लत और गुमराही और हदीस की वज़ाहतों का इनकार है।

मशहूर इतिहास लेखक इब्ने ख़ुलदून ने अपनी तारीख़ के मुक़दमे (प्रारंभिका) में अक़लीम-ए-सादिस की बहस में याजूज-माजूज और दीवारि जुल्करनैन और उनके मौके व स्थान के मुताल्लिक़ भूगोलिक तहकीक़ इस तरह फ़रमाई है:

“सातवीं अक़लीम के नवें हिस्से में पश्चिम की जानिब तुर्कों के वो क़बीले आबाद हैं

जो कनजाक और चकरस कहलाते हैं और पूरब की जानिब याजूज-माजूज की आबादियाँ हैं, और इन दोनों के दरमियान काफ़ पहाड़ एक रोक है जिसका ज़िक्र गुज़िश्ता सतरों में हो चुका है कि वह बहर-ए-मुहीत (मुहीत दरिया) से शुरू होता है जो चौथी अकलीम के पूरब में स्थित है, और उसके साथ उत्तरी दिशा में अकलीम के आख़िर तक चला गया है और फिर बहर-ए-मुहीत से अलग होकर उत्तर पश्चिम में होता हुआ यानी पश्चिम की जानिब झुकता हुआ पाँचवीं अकलीम के नवें हिस्से में दाख़िल हो जाता है, यहाँ से वह फिर अपनी पहली दिशा को मुड़ जाता है यहाँ तक कि सातवीं अकलीम के नवें हिस्से में दाख़िल हो जाता है और यहाँ पहुँचकर दक्षिण से उत्तर पश्चिम को होता हुआ गया है और इसी पहाड़ी श्रंखला के बीच सद्दे सिकन्दरी (जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार) स्थित है और सातवीं अकलीम के नवें हिस्से के बीच ही में वह दीवार सिकन्दरी है जिसका हम अभी ज़िक्र कर आये हैं और जिसकी इत्तिला कुरआन ने भी दी है।

और अब्दुल्लाह बिन ख़रदाज़बा ने अपनी भूगोल की किताब में वासिक् बिल्लाह अब्बासी ख़लीफ़ा का वह ख़ाब नक़ल किया है जिसमें उसने यह देखा था कि यह दीवार और रोक खुल गई है, चुनाँचे वह घबराकर उठा और हालात मालूम करने के लिये सल्लाम तर्जुमान को रवाना किया, उसने वापस आकर इस दीवार और रोक के हालात व औसाफ़ बयान किये। (मुक़दिमा इब्ने खुलदून पेज 79)'

वासिक् बिल्लाह अब्बासी ख़लीफ़ा का दीवारे जुल्करनैन की तहकीक़ करने के लिये एक जमाअत को भेजना और उनका तहकीक़ करके आना इब्ने कसीर ने भी 'अल-बिदाया वन्निहाया' में ज़िक्र किया है, और यह कि यह दीवार लोहे से तामीर की गई है, इसमें बड़े-बड़े दरवाजे भी हैं जिन पर ताला पड़ा हुआ है, और यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। और तफ़सीरे कबीर व तबरी ने इस वाकिए को बयान करके यह भी लिखा है कि जो आदमी उस दीवार का मुआयना करके वापस आना चाहता है तो रहनुमा (गाइड़) उसको ऐसे चटियल मैदानों में पहुँचाते हैं जो समरकन्द के मुक़ाबिल और बराबर में हैं। (तफ़सीरे कबीर जिल्द 5, पेज 513)

उस्तादे मोहतरम हुज्जतुल-इस्लाम सैयदी हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कुद्दि-स सिरुहू ने अपनी किताब 'अक़ीदतुल-इस्लाम फ़ी हयाति ईसा अलैहिस्सलाम' में याजूज-माजूज और दीवारे जुल्करनैन का हाल अगरचे अन्तिरम तौर पर बयान फ़रमाया है मगर जो कुछ बयान किया है वह तहकीक़ व रिवायत के आला मेयार पर है। आपने फ़रमाया कि फ़साद फैलाने वाले और वहशी (जंगली व कबाइली) इनसानों की लूटमार और तबाही व ग़ारतगरी से हिफ़ाज़त के लिये ज़मीन पर एक नहीं बहुत सी जगहों में सद्दें (रोक और दीवारें) बनाई गई हैं जो विभिन्न बादशाहों ने विभिन्न मक़ामात पर विभिन्न ज़मानों में बनाई हैं, उनमें से ज़्यादा बड़ी और मशहूर दीवारे चीन है जिसकी लम्बाई अबू हय्यान उन्दुलुसी (ईरानी दरबार के शाही इतिहासकार) ने ब़ारह सौ मील बतलायी है और यह कि उसका बनाने वाला फ़ग़फ़ूर चीन का बादशाह है और उसके निर्माण की तारीख़ आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में उतारे जाने से तीन हज़ार चार सौ साठ साल बाद

बतलाई, और यह कि उस दीवारें चीन को मुगल लोग 'अतकूवा' और तुर्क लोग 'बूरकूरका' कहते हैं, और फरमाया कि इसी तरह की और भी अनेक दीवारें और रुकावटें मुख्तलिफ मकामात पर पाई जाती हैं।

हमारे साथी और दोस्त मौलाना हिफ्जुर्रहमान स्योहारवी रह. ने अपनी किताब 'कससुल-कुरआन' में हज़रत अल्लामा कश्मीरी रह. के इस बयान की ऐतिहासिक वज़ाहत बड़ी तफसील व तहकीक से लिखी है जिसका खुलासा यह है कि:

याजूज-माजूज के तबाही व गारतगरी मचाने और शर व फसाद का दायरा इतना फैला हुआ था कि एक तरफ काकेशिया के नीचे बसने वाले उनके जुल्म व सितम का शिकार थे तो दूसरी तरफ तिब्बत और चीन के बाशिन्दे भी हर वक्त उनकी जूद (चपेट) में थे, उन्हीं याजूज-माजूज के शर व फसाद से बचने के लिये मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ मकामात पर कई दीवारें तामीर की गईं, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी और मशहूर दीवार चीन की है जिसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है।

दूसरी रोक और दीवार मध्य एशिया में बुखारा और तिर्मिज़ के करीब स्थित है और उसके स्थान का नाम दरबन्द है। यह दीवार मशहूर मुगल बादशाह तैमूर लंग के ज़माने में मौजूद थी और रूम के बादशाह के ख़ास साथी 'सेला बरजर जर्मनी' ने भी इसका ज़िक्र अपनी किताब में किया और उन्दुलुस के बादशाह कस्टील के कासिद कलाफचू ने भी अपने सफ़र नामे में इसका ज़िक्र किया है। यह सन् 1403 ई. में अपने बादशाह का दूत बनकर जब तैमूर की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उस जगह से गुज़रा है। वह लिखता है कि बाबुल-हदीद की दीवार और रोक मूसल के उस रास्ते पर है जो समरकन्द और हिन्दुस्तान के बीच है। (अज़ तफसीर जवाहिरुल कुरआन, तन्तावी पेज 198 जिल्द 9)

तीसरी दीवार रूसी इलाके दागिस्तान में स्थित है यह भी दरबन्द और बाबुल-अबवाब के नाम से मशहूर है, याकूत हमवी ने 'मोजमुल-बलदान' में, इदरीसी ने 'जुगुराफिया' में और बुस्तानी ने 'दायरतुल-मअरिफ' में इसके हालात बड़ी तफसील से लिखे हैं, जिसका खुलासा यह है कि:

"दागिस्तान में दरबन्द एक रूसी शहर है। यह शहर बहर-ए-खज़र (कास्पीन) के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसका अर्जुल-बलद (अक्षांस) 43-3 उत्तर में और तूलुल-बलद (लम्बांश) 48-15 पूरब में है और इसको दरबन्द अनुशेरोवाँ भी कहते हैं, और बाबुल-अबवाब के नाम से बहुत मशहूर है।"

चौथी दीवार इसी बाबुल-अबवाब से पश्चिम की ओर काकेशिया के बहुत बुलन्द हिस्सों में है जहाँ दो पहाड़ों के बीच एक दर्रा दर्रा-ए-दारियाल के नाम से मशहूर है, इस जगह यह चौथी दीवार (रोक) जो कफकाज़ या जबल-ए-क़ूका या कोह-ए-क़ाफ़ की दीवार कहलाती है, बुस्तानी ने इसके बारे में लिखा है:

"और इसी के (यानी सद्दे बाबुल-अबवाब के) करीब एक और दीवार है जो पश्चिमी

दिशा में बढ़ती चली गई है, ग़ालिबन इसको फ़ारस वालों ने उत्तरी बरबरो से हिफ़ाज़त की खातिर बनाया होगा, क्योंकि इसके बनाने वाले का सही हाल मालूम नहीं हो सका, बाज़ ने इसकी निम्बत सिकन्दर की ओर कर दी है और बाज़ ने किसरा व नोशेरवाँ की तरफ, और याक़ूत कहता है कि यह तौबा पिघलाकर उससे तामीर की गई है। (दायरतुल-मज़ारिफ़ जिल्द 7 पेज 651, मोज़मुल-बलदान जिल्द 8 पेज 9)''

चूँकि ये सब दीवारें उत्तर ही में हैं और तफ़रीबन एक ही ज़रूरत के लिये बनाई गई हैं इसलिये इनमें से दीवारें जुल्करनैन कौनसी है इसके मुतैयन करने में शुब्हात व इश्कालात पेश आये हैं और बड़ा असमंजस इन आखिरी दो दीवारों के मामले में पेश आया, क्योंकि दोनों मक़ामात का नाम भी दरबन्द है और दोनों जगह दीवार भी मौजूद है, ऊपर ज़िक्र हुई चार दीवारों में से दीवारें चीन जो सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा पुरानी है इसके बारे में तो जुल्करनैन की दीवार होने का कोई कायल नहीं, और वह बजाय उत्तर के पूर्वी किनारे में है और कुरआने करीम के इशारे से उसका उत्तर में होना ज़ाहिर है।

अब मामला बाकी तीन दीवारों का रह गया जो उत्तर ही में हैं, उनमें से जो आम तौर पर इतिहासकारों मसऊदी, अस्तख़री, हमवी वगैरह उस दीवार को जुल्करनैन की दीवार बताते हैं जो दागिस्तान या काकेशिया के इलाके में बाबुल-अबवाब के दरबन्द में ख़ज़र के दरिया पर स्थित है, बुख़ारा व तिर्मिज़ के दरबन्द और उसकी दीवार को जिन इतिहासकारों ने जुल्करनैन की दीवार कहा है वह ग़ालिबन लफ़ज़ दरबन्द के साझा होने की वजह से उनको धोखा लगा है, अब तफ़रीबन इसका स्थान मुतैयन हो गया कि इलाका दागिस्तान काकेशिया के दरबन्द बाबुल-अबवाब में या उससे भी ऊपर कफ़काज़ पहाड़ या कोह-ए-काफ़ की बुलन्दी पर है और इन दोनों जगहों पर सदूद (दीवार और रोक) का होना इतिहासकारों के नज़दीक साबित है।

इन दोनों में से हज़रत उस्ताद मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी ने अक़ीदतुल-इस्लाम में कोह-ए-काफ़ कफ़काज़ की दीवार और रोक को तरजीह दी है कि यह दीवार जुल्करनैन की बनाई हुई है। (अक़ीदतुल-इस्लाम पेज 297)

जुल्करनैन की दीवार इस वक़्त तक मौजूद है और क़ियामत तक रहेगी या वह टूट चुकी है?

आजकल इतिहास व भूगोल के विशेषज्ञ यूरोप वाले इस वक़्त उन उत्तरी दीवारों में से किसी का मौजूद होना तस्लीम नहीं करते, और न यह तस्लीम करते हैं कि अब भी याजूज माजूज का रास्ता बन्द है, इस बिना पर कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने भी यह कहना और लिखना शुरू कर दिया है कि याजूज-माजूज जिनके निकलने का कुरआन व हदीस में ज़िक्र है वह हो चुका है, कुछ ने छठी सदी हिजरी में तूफ़ान बनकर उठने वाली तातारी क़ौम ही को इसका मिस्ताक़ करार दे दिया है, कुछ ने इस ज़माने में दुनिया पर ग़ालिब आ जाने वाली क़ौमों रूस

और चीन और यूरोप वालों को याजूज-माजूज कहकर इस भामले को खत्म कर दिया है, मगर जैसा कि ऊपर तफ़सीर रूहुल-मआनी के हवाले से बयान हो चुका है कि यह सरासर ग़लत है, सही हदीसों के इनकार के बग़ैर कोई यह नहीं कह सकता कि जिस याजूज-माजूज के निकलने को कुरआने करीम ने कियामत की निशानी के तौर पर बयान किया है और जिसके बारे में सही मुस्लिम की हज़रत नवास बिन समआन वग़ैरह की हदीस में इसकी वज़ाहत है कि यह वाकिआ दज्जाल के आने और ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और दज्जाल के क़त्ल होने के बाद पेश आयेगा वह वाकिआ हो चुका, क्योंकि दज्जाल का निकलना और ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होना बिला शुब्हा अब तक नहीं हुआ।

अलबत्ता यह बात भी कुरआन व सुन्नत की किसी स्पष्ट दलील और वज़ाहत के खिलाफ़ नहीं है कि जुल्करनैन के ज़रिये बनाई गई दीवार इस वक़्त टूट चुकी हो और याजूज-माजूज की कुछ कौमों इस तरफ़ आ चुकी हों, बशर्तकि इसको तस्लीम किया जाये कि उनका आखिरी और बड़ा हल्ला जो पूरी इनसानी आबादी को तबाह करने वाला साबित होगा वह अभी नहीं हुआ, बल्कि कियामत की उन बड़ी निशानियों के बाद होगा जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, यानी दज्जाल का निकलना और ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होना वग़ैरह।

हज़रत उस्ताद हुज्जतुल-इस्लाम अल्लामा कशमीरी रह. की तहकीक़ इस मामले में यह है कि यूरोप वालों का यह कहना तो कोई वज़न नहीं रखता कि हमने सारी दुनिया छान मारी है हमें उस दीवार का पता नहीं लगा, क्योंकि अव्वल तो खुद उन्हीं लोगों के ये बयानात मौजूद हैं कि घूमने व सैर करने और तहकीक़ के इन्तिहाई शिखर पर पहुँचने के बावजूद आज भी बहुत से जंगल और दरिया और द्वीप ऐसे बाकी हैं जिनका हमें इल्म नहीं हो सका, दूसरे यह भी कोई दूर की और असंभव बात नहीं कि अब वह दीवार मौजूद होने के बावजूद पहाड़ों के गिरने और आपस में मिल जाने के सबब एक पहाड़ ही की सूरत इख़्तियार कर चुकी हो, लेकिन कोई निश्चित दलील और वज़ाहत इसके भी विरुद्ध नहीं कि कियामत से पहले यह दीवार टूट जाये या किसी दूर-दराज़ के लम्बे रास्ते से याजूज-माजूज की कुछ कौमों इस तरफ़ आ सकें।

जुल्करनैन की इस दीवार और रोक के कियामत तक बाकी रहने पर बड़ी दलील तो कुरआने करीम के इस लफ़्ज़ से ली जाती है कि:

لَا إِذَا جَاءَ وَعَدْرَتِي جَعَلَهُ دُكَّاءَ

यानी जुल्करनैन का यह कौल कि जब मेरे रब का वायदा आ पहुँचेगा (यानी याजूज-माजूज के निकलने का वक़्त आ जायेगा) तो अल्लाह तआला इस लोहे की दीवार को रेज़ा-रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देंगे। इस आयत में 'वअदु रब्बी' का मफ़हूम इन हज़रात ने कियामत को करार दिया है, हालाँकि कुरआन के अलफ़ाज़ इस बारे में निश्चित नहीं, क्योंकि 'वअदु रब्बी' का स्पष्ट मफ़हूम तो यह है कि याजूज-माजूज का रास्ता रोकने का जो इन्तिज़ाम जुल्करनैन ने किया है यह कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह रहे, जब अल्लाह तआला चाहेंगे कि उनका रास्ता खुल जाये तो यह दीवार गिरकर ज़मीन के बराबर हो जायेगी, इसके लिये ज़रूरी नहीं कि वह

बिल्कुल क़ियामत के करीब हो। चुनाँचे तमाम हज़राते मुफ़स्सिरीन ने 'वअ़दु रब्बी' के मफ़हूम में दोनों शुब्हे और संभावनायें ज़िक्र किये हैं। तफ़सीर बहरे मुहीत में है:

وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يَرَادَ بِهِ وَقْتُ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ.

इसकी तहकीक़ यूँ भी हो सकती है कि दीवार गिरकर रास्ता अभी खुल गया हो और याजूज व माजूज के हमलों की शुरुआत हो चुकी हो, चाहे इसकी शुरुआत छठी सदी हिजरी के तातारी फ़ितने से करार दी जाये या यूरोप और रूस व चीन वालों के ग़ुलबे से, मगर यह ज़ाहिर है कि इन सभ्य और विकसित कौमों के निकलने और फ़साद को जो सवैधानिक और कानूनी रंग में हो रहा है वह फ़साद नहीं करार दिया जा सकता जिसका पता कुरआन व हदीस दे रहे हैं कि ख़ालिस क़ल्ल व ग़ारतगरी और ऐसी ख़ूँरज़ी के साथ होगा कि तमाम इनसानी आबादी को तबाह व बरबाद कर देगा, बल्कि इसका हासिल फिर यह होगा कि उन्हीं फ़साद मचाने वालों याजूज माजूज की कुछ कौमों इस तरफ़ आकर तहज़ीब व सभ्यता वाली बन गई, इस्लामी मुल्कों के लिये बिला शुब्हा वो बड़ा फ़साद और ज़बरदस्त फ़ितना साबित हुई मगर अभी उनकी वहशी कौमों जो क़ल्ल व ख़ूँरज़ी के सिवा कुछ नहीं जानतीं वे तक्दीरी तौर पर इस तरफ़ नहीं आईं और बड़ी संख्या उनकी ऐसी ही है उनका निकलना क़ियामत के बिल्कुल करीब में होगा।

दूसरी दलील तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की उस हदीस से ली जाती है जिसमें बयान हुआ है कि याजूज-माजूज उस दीवार को रोज़ाना खोदते हैं मगर अब्वल तो इस हदीस को इब्ने कसीर ने इल्लत वाली करार दिया है दूसरे उसमें भी इसकी कोई वज़ाहत नहीं कि जिस दिन याजूज माजूज इन्शा-अल्लाह कहने की बरकत से उसको पार कर लेंगे वह क़ियामत के करीब ही होगा, और इसकी भी उस हदीस में कोई दलील नहीं कि सारे याजूज-माजूज उसी दीवार के पीछे रुके हुए रहेंगे, अगर उनकी कुछ जमाअतें या कौमों किसी दूर-दराज़ के रास्ते से इस तरफ़ आ जायें जैसा कि आजकल के ताक़तवर समुद्री जहाज़ों के ज़रिये ऐसा हो जाना कोई अज़ीब नहीं, और कुछ इतिहासकारों ने लिखा भी है कि याजूज-माजूज को लम्बे समुद्री सफ़र करके इस तरफ़ आने का रास्ता मिल गया है तो उस हदीस से इसकी भी नफ़ी नहीं होती।

ख़ुलासा यह है कि कुरआन व सुन्नत में कोई ऐसी स्पष्ट और निश्चित दलील नहीं है जिससे यह साबित हो कि जुल्करनैन के ज़रिये बनाई गई दीवार क़ियामत तक बाक़ी रहेगी, या उनके शुरुआती और मामूली हमले क़ियामत से पहले इस तरफ़ के इनसानों पर नहीं हो सकेंगे, अलबत्ता वह इन्तिहाई ख़ौफ़नाक और तबाहकुन हमला जो पूरी इनसानी आबादी को बरबाद कर देगा उसका वक़्त बिल्कुल क़ियामत के करीब ही होगा जिसका ज़िक्र बार-बार आ चुका है। हासिल यह है कि कुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों और दलीलों की बिना पर न यह क़तई फ़ैसला किया जा सकता है कि याजूज-माजूज की दीवार टूट चुकी है और रास्ता खुल गया है, और न यह कहा जा सकता है कि कुरआन व सुन्नत के एतिबार से उसका क़ियामत तक कायम रहना ज़रूरी है, गुमान और संभावना दोनों ही हैं। बस असल सूतेहाल और हकीक़त का इल्म अल्लाह

तअ़ाला ही को है।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ
جَمْعًا ۖ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۗ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاةٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْتَبِينَ سَمْعًا ۗ

व तरकना बअ-ज़हुम् यौमइज़िंय्यमूजु
फी बअज़िंव-व नुफि-ख़ा फिस्सूरि
फ-जमअ-नाहुम् जम्आ (99) व
अरज़ना जहन्न-म यौमइजिल्
-लिल्काफिरी-न अरज़ा (100)
अल्लज़ी-न कानत् अअ्युनुहुम् फी
गिताइन् अन् जिक्री व कानू ला
यस्ततीअ-न समआ (101) ❀

और छोड़ देंगे हम मख़लूक को उस दिन
एक दूसरे में घुसते और फूँक मारेंगे सूर
में, फिर जमा कर लावेंगे हम उन सब
को। (99) और दिखलावें हम दोज़ख़ उस
दिन काफ़िरों को सामने (100) जिनकी
आँखों पर पर्दा पड़ा था मेरी याद से और
न सुन सकते थे। (101) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हम उस दिन (यानी जब उस दीवार के गिरने का निर्धारित दिन आयेगा और याजूज
माजूज का निकलना होगा तो उस दिन हम) उनकी यह हालत करेंगे कि एक में एक गड़मड़ हो
जाएँगे (क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होंगे और एक वक़्त में निकल पड़ेंगे और सब एक दूसरे से आगे
बढ़ने की फ़िक्र में होंगे), और (यह क़ियामत के करीब ज़माने में होगा, फिर कुछ समय के बाद
क़ियामत का सामान शुरू होगा। एक बार पहले सूर फूँका जायेगा जिससे तमाम आलम फना हो
जायेगा फिर) सूर (दोबारा) फूँका जायेगा (जिससे सब जिन्दा हो जायेंगे), फिर हम सब को
एक-एक करके (मैदाने हशर में) जमा कर लेंगे। और दोज़ख़ को उस दिन काफ़िरों के सामने पेश
कर देंगे जिनकी आँखों पर (दुनिया में) हमारी याद से (यानी दीने हक़ के देखने से) पर्दा पड़ा
हुआ था, और (जिस तरह ये हक़ को देखते न थे उसी तरह उसको) वे सुन भी न सकते थे
(यानी हक़ को मालूम करने के माध्यम देखने और सुनने के सब रास्ते बन्द कर रखे थे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ

'बअज़हुम्' (उनमें के बाज़) के उन से ज़ाहिर यही है कि याजूज-माजूज हैं और उनका जो

हाल इसमें बयान हुआ है कि एक दूसरे में गड़मड़ हो जायेंगे जाहिर यही है कि उस वक्त का हाल है जबकि उनका रास्ता खुलेगा और वे ज़मीन पर पहाड़ों की बुलन्दियों से जल्दबाज़ी के साथ उतरेंगे। मुफ़सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) ने दूसरी संभावनायें भी लिखी हैं।

وَجَمَعْنَهُمْ

‘व जमअनाहुम्’ (और हम उनको जमा कर लेंगे) में उन से आम मख़्लूक इनसान व जिन्नात मुराद हैं, मतलब यह है कि मैदाने हश्श में तमाम मुकल्लफ़ (शरई अहकाम की पाबन्द) मख़्लूक जिन्नात व इनसान को जमा कर दिया जायेगा।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا لَيْتَ رَبِّيَمَّ وَلِقَائِهِ فَوَسَّطَتْ أَعْمَالَهُمْ فَلَا نَقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأَى ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَتَّخِذُوا الْيَتِيمَ وَرُسُلِي هُرُورًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزْلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

अ-फ़-हसिबल्लज़ी-न क-फ़रु
अंय्यत्तख़िज़ू अ़िबादी मिन् दूनी
औलिया-अ, इन्ना अज़्तदना जहन्न-म
लिल्काफ़िरी-न नुज़ुला (102) कुल
हल् नुनब्बिउकुम् बिल्-अरसरी-न
अज़्माला (103) अल्लज़ी-न ज़ल्-ल
सअ्युहुम् फिल्-हयातिददुन्या व हुम्
यह्सबू-न अन्नहुम् युह्सिनू-न सुन्आ
(104) उलाइ-कल्लज़ी-न क-फ़रु
बिआयाति रब्बिहिम् व लिक्ाइही
फ़-हबितत् अज़्मालुहुम् फ़ला नुकीमु
लहुम् यौमल्-कियामति वज़्ना (105)

अब क्या समझते हैं मुन्किर कि ठहरायें
मेरे बन्दों को मेरे सिवा हिमायती, हमने
तैयार किया है दोज़ख़ को काफ़िरी की
मेहमानी। (102) तू कह हम बतायें तुम
को किनका किया हुआ गया बहुत
अकारत। (103) वे लोग जिनकी कोशिश
भटकती रही दुनिया की ज़िन्दगी में और
वे समझते रहे कि ख़ूब बनाते हैं काम।
(104) वही हैं जो मुन्किर हुए अपने रब
की निशानियों से और उसके मिलने से,
सो बरबाद गया उनका किया हुआ, फिर
न खड़ी करेंगे हम उनके वास्ते कियामत
के दिन तौल। (105) यह बदला उनका है

ज़ालि-क जज़ाउहुम् जहन्नमु बिमा
क-फरू वत्त-ख़जू आयाती व रुसुली
हुजुवा (106) इन्नल्लाज़ी-न आमनू
व अमिलुसु-सालिहाति कानत् लहुम्
जन्नातुल्-फिरदौसि नुज़ुला (107)
ख़ालिदी-न फ़ीहा ला यब्ज़ू-न अन्हा
हि-वला (108)

दोज़्खा इस पर कि मुन्किर हुए और
ठहराया मेरी बातों और मेरे रसूलों को
ठढ़ा। (106) जो लोग ईमान लाये हैं और
किये हैं भले काम उनके वास्ते है ठण्डी
छाँव के बाग़ मेहमानी। (107) रहा करें उन
में न चाहें वहाँ से जगह बदलनी। (108)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या फिर भी इन काफ़िरों का ख़्याल है कि मुझको छोड़कर मेरे बन्दों को (यानी जो मेरे ममलूक व महकूम हैं इख़्तियार से या मजबूर होकर उनको) अपना करता-धरता (यानी माबूद और हाजत पूरी करने वाला) करार दें (जो ख़ुला हुआ शिर्क और कुफ़्र है)। हमने काफ़िरों की दावत के लिये दोज़्ख़ को तैयार कर रखा है (दावत उनका मज़ाक़ उड़ाने और अपमान करने के तौर पर फ़रमाया)। और अगर (उनको अपने आमाल पर नाज़ हो जिनको वे अच्छे और नेकी समझते हों और इसके सबब वे अपने आपको निजात पाने वाला और अज़ाब से महफ़ूज़ समझते हों तो) आप (उनसे) कहिये कि क्या हम तुमको ऐसे लोग बताएँ जो आमाल के एतिबार से बिल्कुल घाटे में हैं। ये वे लोग हैं जिनकी दुनिया में की-कराई मेहनत (जो अच्छे आमाल में की थी) सब गई गुज़री हुई और वे (जहालत की वजह से) इस ख़्याल में हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं (आगे उन लोगों का मिस्दाक़ ऐसे उनवान से बतलाते हैं जिससे उनकी मेहनत ज़ाया होने की वजह भी मालूम होती है और फिर इस आमाल के बरबाद होने की वज़ाहत भी फ़रमाते हैं यानी) ये वे लोग हैं जो अपने रब की आयतों का और उससे मिलने का (यानी क़ियामत का) इन्कार कर रहे हैं। सो (इसलिये) उनके सारे (नेक) काम ग़ारत हो गये, तो क़ियामत के दिन हम उन (के नेक आमाल) का ज़रा भी वज़न कायम न करेंगे (बल्कि) उनकी सज़ा वही होगी (जो ऊपर बयान हुई) यानी दोज़्ख़, इस वजह से कि उन्होंने कुफ़्र किया था, और (उस कुफ़्र का एक हिस्सा यह भी था कि) मेरी आयतों और पैग़म्बरों का मज़ाक़ बनाया था। (आगे उनके मुक़ाबले में ईमान वालों का हाल बयान फ़रमाते हैं कि) बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये, उनकी मेहमानी के लिये फ़िरदौस (यानी जन्नत) के बाग़ होंगे, जिनमें वे हमेशा रहेंगे (न उनको कोई निकालेगा और) न वे वहाँ से कहीं और जाना चाहेंगे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

الْحَسِيبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُعْجِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ.

तफसीर बहरे-मुसैत में है कि इस जगह कुछ इबादत पोशीदा है, यानी:

فيحديهم نفعاً ويتعصرون بذلك الاتخاذ

और मतलब यह है कि क्या ये कुफ़्र करने वाले जिन्होंने मेरे बजाय मेरे बन्दों को अपना माबूद और कारसाज़ बना लिया है यह समझते हैं कि उनको माबूद व कारसाज़ बना लेना इनको कुछ नफ़ा बख़्शेगा और वे इससे कुछ फ़ायदा उठावेंगे, और यह इनकार के अन्दाज़ में सवाल है, जिसका हासिल यह है कि ऐसा समझना ग़लत और जहालत है।

ज़िबादी से मुराद इस जगह फ़रिश्ते और वे नबी हज़रात हैं जिनकी दुनिया में लोगों ने पूजा की और उनको अल्लाह का शरीक ठहराया, जैसे हज़रत उज़ैर और मसीह अलैहिमस्सलाम। फ़रिश्तों की इबादत करने वाले अरब के कुछ लोग थे और उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूद ने, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाईयों ने खुदा का शरीक करार दिया। इसलिये अल्लज़ी-न क-फ़रू से इस आयत में काफ़िरों के यही फ़िर्क़ मुराद हैं, और जिन बाज़े मुफ़सिरीन ने इस जगह ज़िबादी (मेरे बन्दों) से मुराद शैतान लिये तो 'अल्लज़ी-न क-फ़रू' (जिन्होंने कुफ़्र किया) से वे काफ़िर लोग मुराद होंगे जो जिन्नात व शैतानों की इबादत करते हैं, कुछ हज़रात ने इस जगह लफ़ज़ ज़िबादी को मख़्लूक व ममलूक (यानी अल्लाह की बनाई हुई और उसकी मिल्क में मौजूद चीज़ों) के मायने में लेकर आ़म करार दिया जिसमें सब बातिल माबूद— बुत, आग और सितारे भी दाख़िल हो गये। खुलासा-ए-तफ़सीर में लफ़ज़ महकूम व ममलूक से इसी की तरफ़ इशारा है। बहरे मुहीत वगैरह में पहली ही तफ़सीर को ज़्यादा सही करार दिया है। वल्लाहु आलम

'औलिया-अ' वली की जमा (बहुवचन) है। यह लफ़ज़ अरबी भाषा में बहुत-से मायने के लिये इस्तेमाल होता है, इस जगह इससे मुराद कारसाज़, हाज़त पूरी करने वाला है, जो माबूदे बरहक़ की ख़ास सिफ़त है। इससे मकसूद उनको माबूद करार देना है।

الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

इस जगह पहली दो आयतें अपने आ़म मफ़हूम व मतलब के एतिबार से हर उस फ़र्द या जमाअत को शामिल हैं जो कुछ आमाल को नेक समझकर उसमें जिद्दोज़हद और मेहनत करते हैं मगर अल्लाह तआला के नज़दीक उनकी मेहनत बरबाद और अमल ज़ाया है। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि यह सूरत दो चीज़ों से पैदा होती है— एक एतिक़ाद की ख़राबी से, दूसरे दिखावे से, यानी जिस शख्स का अक्कीदा और ईमान दुरुस्त न हो वह अमल कितने ही अच्छे करे और कितनी ही मेहनत उठावे वह आख़िरत में बेकार और ज़ाया है। इसी तरह जिसका अमल मख़्लूक को खुश करने के लिये रियाकारी (दिखावे) से हो वह भी अमल के सवाब से मेहरूम है। इसी आ़म मफ़हूम के एतिबार से सहाबा हज़रात में से कुछ ने इसका मिस्ताक़ ख़ारजियों (एक फ़िर्क़ा

है) को और कुछ मुफ़स्सिरीन ने मोतज़िला (एक फ़िर्का है) और रवाफ़िज़ (शियाओं) वगैरह गुमराह फ़िर्कों को फ़रार दिया, मगर अगली आयत में यह मुतैयन कर दिया गया है कि इस जगह मुराद वे काफ़िर लोग हैं जो अल्लाह तआला की आयतों और क़ियामत व आख़िरत के इनकारी हों। फ़रमाया:

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

इसलिये तफ़सीरे क़ुर्तुबी, अबू हय्यान, मज़हरी वगैरह में तरज़ीह इसको दी गई है कि असल मुराद इस जगह वही काफ़िर लोग हैं जो अल्लाह तआला, क़ियामत और हिसाब व किताब के इनकारी हों, मगर बज़ाहिर वे लोग भी इसके आम मतलब से बेताल्लुक नहीं हो सकते जिनके आमाल उनके अक़ीदों की ख़राबी ने बरबाद कर दिये और उनकी मेहनत बेकार हो गई। कुछ सहाबा किराम जैसे हज़रत अली और सअद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जो ऐसे अक़वाल नक़ल किये गये हैं उनका यही मतलब है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا

यानी उनके आमाल जो ज़ाहिर में बड़े-बड़े नज़र आयेंगे मगर हिसाब की तराजू में उनका कोई वज़न न होगा क्योंकि ये आमाल कुफ़्र व शिर्क की वजह से बेकार और बेवज़न होंगे।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन एक आदमी क़दावर और मोटा-ताज़ा नज़र आयेगा जो अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी वज़नदार न होगा, और फिर फ़रमाया कि अगर इसकी तस्दीक़ करना चाहे तो कुरआन की यह आयत पढ़ो:

فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا

और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि (क़ियामत के दिन) ऐसे ऐसे आमाल लाये जायेंगे जो जिस्म और ज़ाहिरी शक़ल के एतिबार से तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे मगर अदल की तराजू में उनका कोई वज़न न होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

جَنَّتِ الْفِرْدَوْسُ

फ़िरदौस के मायने सरसब्ज़ (होभरे) बाग़ के हैं। इसमें मतभेद है कि यह अरबी लफ़ज़ है या ग़ैर-अरबी, जिन लोगों ने ग़ैर-अरबी कहा है इसमें भी फ़ारसी है या रूमी या सुरयानी विभिन्न अक़वाल हैं।

सही बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम अल्लाह से माँगो तो जन्नतुल-फ़िरदौस माँगो, क्योंकि वह जन्नत का सब से आला व अफ़ज़ल दर्जा है, उसके ऊपर रहमान का अर्श है, और उसी से जन्नत की सब नहरें निकलती हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

मक़सद यह बतलाना है कि जन्नत का यह मक़ाम उनके लिये हमेशा के लिये और कभी न फ़ना होने वाली नेमत है, क्योंकि हक़ तआला ने यह हुक्म फ़रमा दिया है कि जो शख्स जन्नत में दाख़िल हो गया वह वहाँ से कभी निकाला न जायेगा। मगर यहाँ एक ख़तरा किसी के दिल में यह गुज़र सकता था कि इनसान की फ़ितरी आदत यह है कि एक जगह रहते-रहते उकता जाता है वहाँ से बाहर दूसरे मक़ामात पर जाने की इच्छा होती है, अगर जन्नत से बाहर कहीं जाने की इजाज़त न हुई तो एक कैद महसूस होने लगेगी। इसका जवाब इस आयत में दिया गया कि जन्नत को दूसरे मक़ामात पर अन्दाज़ा व गुमान करना जहालत है, जो शख्स जन्नत में चला गया फिर जो कुछ दुनिया में नहीं देखा और बरता था जन्नत की नेमतों और दिलकश फ़िज़ाओं के सामने उसको वे सब चीज़ें बेकार मालूम होंगी और यहाँ से कहीं बाहर जाने का कभी किसी के दिल में ख़्याल भी न आयेगा।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۗ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

कुल् लौ कानल्-बहरु मिदादल्
लि-कलिमाति रब्बी ल-नफ़िदल्-बहरु
कब्-ल अन् तन्फ-द कलिमातु रब्बी
व लौ जिअना बिमिस्लिही म-ददा
(109) कुल् इन्नमा अ-न ब-शरुम्-
मिस्तुकुम् यूहा इलय्-य अन्नमा
इलाहुकुम् इलाहुं-व-वाहिदुन् फ-मन्
का-न यरजू लिक्-अ रब्बिही
फ़त्यअमल् अ-मलन् सालिहं-व ला
युशिरक् बिअिबादति रब्बिही
अ-हदा (110) ●

तू कह अगर दरिया सियाही हो कि लिखे
मेरे रब की बातें बेशक दरिया ख़र्च हो
तुके अभी न पूरी हों मेरे रब की बातें
और अगरचे दूसरा भी लायें हम वैसा ही
उसकी मदद को। (109) तू कह मैं भी
एक आदमी हूँ जैसे तुम, हुक्म आता है
मुझको कि माबूद तुम्हारा एक माबूद है,
सो फिर जिसको उम्मीद हो मिलने की
अपने रब से सो वह करे कुछ काम नेक
और शरीक न करे अपने रब की बन्दगी
में किसी को। (110) ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप लोगों से फ़रमा दीजिये कि अगर मेरे रब की बातें (यानी वे कलिमात और इबारतें जो

अल्लाह तआला की सिफ़तों, ख़ूबियों और कंमालात पर दलालत करते हैं और उनसे अल्लाह तआला के कंमालात व ख़ूबियों को कोई बयान करने लगे तो ऐसे कलिमात को) लिखने के लिये समन्दर (का पानी) रोशनाई (की जगह) हो (और उससे लिखना शुरू करे) तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समन्दर ख़त्म हो जायेगा (और सब बातें घेरे में न आयेंगी) अगरचे उस समन्दर के जैसा एक दूसरा समन्दर (उसकी) मदद के लिये हम ले आएँ (तब भी वो बातें ख़त्म न हों और दूसरा समन्दर भी ख़त्म हो जाये। मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के कलिमात असीमित और बेइन्तिहा हैं उसके सिवा जिन चीज़ों को काफ़िरों ने अल्लाह तआला का शरीक माना है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं इसलिये उलूहियत व रबूबियत "ख़ुदा होना और रब होना" उसी की ज़ात के साथ मख़सूस है, इसलिये इन लोगों से) आप (यह भी) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा बशर हूँ (न खुदाई का दावेदार हूँ न फ़रिश्ता होने का, हाँ!) मेरे पास (अल्लाह की तरफ़ से) बस वही आती है (और) तुम्हारा माबूद बरहक़ एक ही माबूद है, सो जो शरख़ अपने रब से मिलने की आरज़ू रखे (और उसका महबूब बनना चाहे) तो (मुझको रसूल मानकर मेरी शरीअत के मुताबिक़) नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शामिल व शरीक न करे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: कहफ़ की आख़िरी आयत में:

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(यानी आख़िरी आयत के इस आख़िरी टुकड़े) का उतरने का मौक़ा और सबब जो हदीस की रिवायतों में बयान हुआ है उससे मालूम होता है कि इसमें शिक़ से मुराद शिक़े ख़फ़ी (छुपा शिक़) यानी दिखावा है।

इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है और इसको बुख़ारी व मुस्लिम की शर्तों के मुताबिक़ सही करार दिया है, रिवायत यह है कि मुसलमानों में से एक शरख़ अल्लाह की राह में जिहाद करता था, इसके साथ उसकी यह इच्छा भी थी कि लोगों में उसकी बहादुरी और जिहाद का अमल पहचाना जाये, उसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई (जिससे मालूम हुआ कि जिहाद में ऐसी नीयत करने से जिहाद का सवाब नहीं मिलता)।

और इब्ने अबी हातिम और इब्ने अबिदुदुन्या ने किताबुल-इख़लास में ताऊस रह. से नक़ल किया है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़िक़र किया कि मैं कई बार किसी नेक काम के लिये या इबादत के लिये खड़ा होता हूँ और मेरा इरादा उससे अल्लाह तआला ही की रज़ा होती है मगर उसके साथ दिल में यह इच्छा भी होती है कि लोग मेरे अमल को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सुनकर ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई यहाँ तक

कि यह उपर्युक्त आयत नाज़िल हुई।

और अबू नुरैम और तारीख़ इब्ने असाकिर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से लिखा है कि जुन्दुब बिन जुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी जब नमाज़ पढ़ते या रोज़ा रखते या सदका करते फिर देखते कि लोग इन आमाल से उनकी तारीफ़ व प्रशंसा कर रहे हैं तो उनको खुशी होती और अपने उस अमल को और ज़्यादा कर देते थे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

खुलासा इन तमाम रिवायतों का यही है कि इस आयत में जिस शिर्क से मना किया गया है वह रियाकारी का छुपा शिर्क है और यह कि अमल अगरचे अल्लाह ही के लिये हो मगर उसके साथ कोई नफ़सानी गर्ज शोहरत व रूतबा-पसन्दी भी शामिल हो तो यह भी एक किस्म का छुपा शिर्क है जो इनसान के अमल को ज़ाया बल्कि नुकसान पहुँचाने वाला बना देता है।

लेकिन कुछ दूसरी सही हदीसों से बज़ाहिर इसके ख़िलाफ़ मालूम होता है, जैसे तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से अर्ज किया कि मैं कभी-कभी अपने घर के अन्दर अपनी जायनमाज़ पर (नमाज़ में मशगूल) होता हूँ अचानक कोई आदमी आ जाये तो मुझे यह अच्छा मालूम होता है कि उसने मुझे इस हाल में देखा (तो क्या यह रियाकारी हो गई)। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया अबू हुरैरह! खुदा तआला तुम पर रहमत फ़रमाये, तुम्हें उस वक़्त दो अज़्र मिलते हैं एक छुपकर अमल का जो पहले से कर रहे थे, दूसरा ऐतानिया अमल का जो उस आदमी के आ जाने के बाद हो गया (यह रियाकारी नहीं)।

और सही मुस्लिम में हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से पूछा गया कि ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाइये कि जो कोई नेक अमल करता है फिर लोगों को सुने कि वे उस अमल की तारीफ़ व प्रशंसा कर रहे हैं? आपने फ़रमाया:

بَلِّغْ عَاجِلَ بَشَرِي الْمُؤْمِنِ.

यानी यह तो मोमिन के लिये नक़द खुशख़बरी है (कि उसका अमल अल्लाह के नज़दीक कुबूल हुआ, उसने अपने बन्दों की ज़बानों से उसकी तारीफ़ करवा दी)।

तफ्सीरे मज़हरी में इन दोनों किस्म की रिवायतों में जो बज़ाहिर इख़्तिलाफ़ (टकराव और विरोधाभास) नज़र आता है इसमें जोड़ इस तरह बैठाया है कि पहली रिवायतें जिनके बारे में आयत नाज़िल हुई उस सूरात में हैं जबकि इनसान अपने अमल से अल्लाह तआला की रज़ा तलब करने के साथ मख़बूक की रज़ा का तालिब या अपनी शोहरत व सम्मान की नीयत को भी शरीक करे, यहाँ तक कि लोगों की तारीफ़ करने पर अपने उस अमल को और बढ़ा दे, यह बिला शुब्हा रियाकारी और शिर्क-ख़फ़ी (छुपा शिर्क) है।

और बाद की रिवायतें तिर्मिज़ी और मुस्लिम की उस सूरात के बारे में हैं जबकि उसने अमल

खालिस अल्लाह के लिये किया हो, लोगों में उसकी शोहरत या उनकी तारीफ व प्रशंसा की तरफ कोई तवज्जोह न हो, फिर अल्लाह तआला अपने फज़ल से उसको मशहूर कर दें और लोगों की ज़बानों पर उसकी तारीफ़ जारी फ़रमा दें तो इसका रियाकारी से कोई ताल्लुक नहीं, यह मोमिन के लिये (अमल के क़बूल होने की) नक़द खुशख़बरी है।

रियाकारी के बुरे परिणाम और उस पर हदीस की सख़्त वईद

हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे बारे में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ रखता हूँ वह शिकेँ असगर है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! शिकेँ असगर क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया कि रियाकारी (यानी दिखावा)। (मुस्नद अहमद)

और इमाम बैहकी ने शुअबुल-ईमान में इस हदीस को नक़ल करके इसमें यह ज़्यादती भी नक़ल की है कि कियामत के दिन जब अल्लाह तआला बन्दों के आमाल की जज़ा अता फ़रमायेंगे तो रियाकार लोगों से फ़रमा देंगे कि तुम अपने अमल की जज़ा लेने के लिये उन लोगों के पास जाओ जिनको दिखाने के लिये तुमने यह अमल किया था, फिर देखो कि उनके पास तुम्हारे लिये कोई जज़ा है या नहीं?

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआला फ़रमाते हैं कि मैं शरीकों में शरीक होने से बेपरवाह और बालातर हूँ, जो शख़्स कोई नेक अमल करता है फिर उसमें मेरे साथ किसी और को भी शरीक कर देता है तो मैं वह सारा अमल उसी शरीक के लिये छोड़ देता हूँ। और एक रिवायत में है कि मैं उस अमल से बरी हूँ उसको तो ख़ालिस उसी शख़्स का कर देता हूँ जिसको मेरे साथ शरीक किया था। (मुस्लिम शरीफ़)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि जो शख़्स अपने नेक अमल को लोगों में शोहरत के लिये करता है तो अल्लाह तआला भी उसके साथ ऐसा ही मामला फ़रमाते हैं कि लोगों में वह हकीर व ज़लील हो जाता है। (तफसीरी मज़हरी अहमद व बैहकी के हवाले से)

तफसीरी क़ुर्तुबी में है कि हज़रत हसन बसरी रह. से इख़्लास और रिया (दिखावे) के बारे में सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया कि इख़्लास का तकाज़ा यह है कि तुम्हें अपने नेक और अच्छे आमाल का पोशीदा रहना पसन्दीदा हो और बुरे आमाल का पोशीदा रहना पसन्दीदा न हो, फिर अगर अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल लोगों पर ज़ाहिर फ़रमा दें तो तुम यह कहो कि या अल्लाह! यह सब आपका फ़ज़ल है, एहसान है, मेरे अमल और कोशिश का असर नहीं।

और हकीम तिर्मिजी ने हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा शिर्क का ज़िक्र फ़रमाया कि:

هُوَ لَيْسَ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ

यानी शिर्क तुम्हारे अन्दर ऐसे छुपे तौर पर आ जाता है जैसे चींवटी की रफ़तार बेआवाज़। और फ़रमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम बतलाता हूँ कि जब तुम वह काम कर लो तो शिर्क अकबर (बड़े शिर्क) और शिर्क असगर (यानी रियाकारी) सबसे महफ़ूज़ हो जाओ, तुम तीन मर्तबा रोज़ाना यह दुआ किया करो:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَسْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊजु बि-क मिन् अन्-उशिर-क बि-क व अ-न अज़लमु व अस्तग़फ़िरु-क लिमा ला अज़लमु।

सूर: कहफ़ की कुछ ख़ास फ़ज़ीलतें और विशेषतायें

हज़रत अबूदुदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने सूर: कहफ़ की पहली दस आयतें याद रखीं वह दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहेगा। (मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद व नसाई)

और इमाम अहमद, मुस्लिम और नसाई ने हज़रत अबूदुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही इस रिवायत में ये अलफ़ाज़ नक़ल किये हैं कि जिस शख्स ने सूर: कहफ़ की आख़िरी दस आयतें याद रखीं वह दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहेगा।

और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने सूर: कहफ़ की शुरु और आख़िर की आयतें पढ़ लीं तो उसके लिये एक नूर हो जायेगा उसके क़दम से लेकर सर तक, और जिसने यह सूरत पूरी पढ़ ली उसके लिये नूर होगा ज़मीन से आसमान तक। (इब्ने सनी व मुस्नद अहमद)

और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने जुमे के दिन सूर: कहफ़ पूरी पढ़ ली तो दूसरे जुमे तक उसके लिये नूर हो जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी, हाकिम व बैहकी के हवाले से)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने कहा कि मैं दिल में इरादा करता हूँ कि आख़िर रात में जागकर नमाज़ पढ़ूँ मगर नींद ग़ालिब आ जाती है। आपने फ़रमाया कि जब तुम सोने के लिये बिस्तर पर जाओ तो सूर: कहफ़ की आख़िरी आयतें (यानी आयत नम्बर 109 और 110) पढ़ लिया करो तो जिस वक़्त नींद से जागने की नीयत करोगे अल्लाह तआला तुम्हें उसी वक़्त जगा देंगे। (सालंबी)

और मुस्नद दारमी में है कि ज़िर् बिन हुबैश रह. ने हज़रत अब्बा को बतलाया कि जो आदमी सूर: कहफ़ की ये आख़िरी आयतें पढ़कर सोयेगा जिस वक़्त जागने की नीयत करेगा

उसी वक़्त जाग जायेगा। अब्दा कहते हैं कि हमने बहुत बार इसका तजुर्बा किया बिल्कुल ऐसा ही होता है।

एक अहम नसीहत

अल्लामा इब्ने अरबी रह. फरमाते हैं कि हमारे शैख़ तुरतूशी रह. फरमाया करते थे कि तुम्हारी प्यारी उम्र के औकात (समय) अपने ज़माने के लोगों और साथ वालों से मुकाबले और दोस्तों से मेलजोल ही में न गुज़र जायें, देखो अल्लाह तअ़ाला ने अपने बयान को इस आयत पर ख़त्म फरमाया है:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

यानी जो शख़्स अपने रब से मिलने की आरजू रखता है उसको चाहिये कि नेक अमल करे और अल्लाह की इबादत में किसी को हिस्सेदार न बनाये। (तफसीरे कुरुबी)

अल्हम्दु लिल्लाह अल्लाह का बेहद शुक्र व एहसान है कि आज 8 ज़ीक़दा सन् 1390 हिजरी दिन जुमेरात चाश्त के वक़्त सूर: कहफ़ की यह तफसीर मुकम्मल हुई। और अल्लाह तअ़ाला का फज़ल व इनाम ही है कि इस वक़्त कुरआने करीम के पहले आधे से कुछ ज़्यादा हिस्सा पूरा हो गया, जबकि उम्र का 76वाँ साल चल रहा है और तबीयत में कमज़ोरी के साथ दो साल से विभिन्न बीमारियों ने भी घेरा हुआ है, और चिंताओं का हज़ूम भी बहुत ज़्यादा है। कुछ अज़ब नहीं कि हक़ तअ़ाला अपने फज़ल से बाकी कुरआन की भी तकमील करा दें। व मा ज़ालि-क अलल्लाहि ब-अज़ीज़।

अल्लाह तअ़ाला का शुक्र है कि सूर: कहफ़ और साथ ही तफसीर मअरिफुल-कुरआन की पाँचवीं जिल्द पूरी हुई।

कुछ अलफ़ाज़ और उनके मायने

इस्लामी महीनों के नाम:- मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल-अव्वल, जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जीकादा, ज़िलहिज्जा।

चार मशहूर आसमानी किताबें

तौरात:- वह आसमानी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

ज़बूर:- वह आसमानी किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्जील:- वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

क़ुरआन मजीद:- वह आसमानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई। यह आख़िरी आसमानी किताब है।

चार बड़े फ़रिश्ते

हज़रत जिब्राईल:- अल्लाह तआला का एक ख़ास फ़रिश्ता जो अल्लाह का पैग़ाम (वही) उसके रसूलों के पास लाता था।

हज़रत इस्राफ़ील:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो इस दुनिया को तबाह करने के लिये सूफ़ेंगेगा।

हज़रत मीकाईल:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो बारिश का इन्तिज़ाम करने और मख़्लूक को रोज़ी पहुँचाने पर मुक़र्रर है।

हज़रत इज़्राईल:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो जानदारों की जान निकालने पर लगाया गया है।

रिश्ते और निस्बतें

अबू:- बाप (जैसे अबू हुज़ैफ़ा)।

इब्न:- बेटा, पुत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्म:- माँ (जैसे उम्मे कुलसूम)।

बिन्त:- बेटी, पुत्री (जैसे बि ने उमर)।



कफ़ारा:- गुनाह को धो देने वाला, गुनाह या ख़ता का बदला, कुसूर का दंड जो खुदा तआला की तरफ़ से मुक़र्रर है। प्रायशचित।

किसास:- बदला, इन्तिक़ाम, खून का बदला खून।

ख़ुतबा:- तफ़रीर, नसीहत, संबोधन।

ग़जवा:- वह जिहाद जिसमें खुद रसूले खुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ज़माना-ए-जाहिलीयत:- अरब में इस्लाम से पहले का ज़माना और दौर।

ज़िरह:- लोहे का जाली दार कुर्ता जो लड़ाई में पहनते हैं। आजकल बुलेट-प्रूफ़ जाकेट।

जिहाद:- कोशिश, जिद्दोजहद, दीन की हिमायत के लिये हथियार उठाना, जान व माल की क़ुरबानी देना।

ज़िन्ना:- बदकारी, हराम कारी।

जिजया:- वह टैक्स जो इस्लामी हुकूमत में गैर-मुस्लिमों से लिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और धर्मगुरु इससे बाहर रहते हैं। इस टैक्स के बदले हुकूमत उनके जान माल आबरू की सुरक्षा करती है।

जिहार:- एक किस्म की तलाक़, फ़िका की इस्तिलाह में मर्द का अपनी बीवी को माँ बहन या उन औरतों से तशबीह देना जो शरीअत के हिसाब से उस पर हराम हैं।

टड़ी:- बाँस का छप्पर, पर्दा खड़ा करना, क़नात।

तकदीर:- वह अन्दाज़ा जो अल्लाह तआला ने पहले दिन से हर चीज़ के लिये मुक़रर कर दिया है। नसीब, किस्मत, भाग्य।

तर्का:- मीरास, मरने वाले की जायदाद व माल।

तौहीद:- एक मानना, खुदा तआला के एक होने पर यकीन करना।

दारुल-हरब:- वह मुल्क जहाँ गैर-मुस्लिमों की हुकूमत हो और मुसलमानों को मज़हबी फ़राईज़ के अदा करने से रोका जाये।

दारुल-इस्लाम:- वह मुल्क जिसमें इस्लामी हुकूमत हो।

अज़ाब:- गुनाह की सज़ा, तकलीफ़, दुख, मुसीबत।

अन्न:- नेक काम का बदला, सवाब, फल।

अक़ीदा:- दिल में जमाया हुआ यकीन, ईमान, एतिबार, आस्था आदि। इसका बहुवचन अक़ीदे और अक़ायद आता है।

अदम:- नापैदी, न होना।

अबद:- हमेशगी। वह ज़माना जिसकी कोई इन्तिहा न हो।

सल्लः:- मख़रूक, सृष्टि।

ख़ालिक:- पैदा करने वाला। अल्लाह तआला का एक सिफ़ाती नाम।

ख़ियानत:- दगा, धोखा, बेईमानी, बद-दियानती, अमानत में चोरी।

ख़ुशूअ व ख़ुजूअ:- आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना, सर झुकाना, विनम्रता इख़्तियार करना।

ख़ुतबा:- तकरीर, नसीहत, संबोधन।

ख़ुला:- बीवी का कुछ माल वगैरह देकर अपने पति से तलाक़ लेना।

ग़ज़वा:- वह जिहाद जिसमें खुद रसूले खुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ग़ैब:- गैर-मौजूदगी, पोशीदगी की हालत, जो आँखों से ओझल हो। जो अभी भविष्य में हो।

(मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी एम. ए. अलीग.)